



भाषा विज्ञान

भोलानाथ तिवारी

बाणक
किताब महल



२
४२५

भाषाविज्ञान

डॉ० भोलानाथ तिवारी



किताब महल

प्रथम संस्करण : 1951

प्रस्तुत संस्करण : 1995-96

मुख्य वितरक

1. किताब महल एजेन्सीज,
84, के० पी० कक्कड़ रोड,
इलाहाबाद-3
फोन : 400540
2. किताब महल डिस्ट्रीब्यूटर्स,
28, नेताजी सुभाष मार्ग,
नई दिल्ली-2
फोन : 3273230
3. किताब महल एजेन्सीज,
अशोक राजपय, पटना-4
फोन : 650599

मूल्य : 90.00

प्रकाशक : किताब महल, 22-ए०, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद
मुद्रक : सेन्दुरी प्रिन्टर्स, 22, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

भूमिका

भाषाविज्ञान की ओर मुझे आकर्षित करने का श्रेय स्वर्गीय श्रद्धेय गुरुवर धीरेन्द्र वर्मा को है। इस क्षेत्र में कुछ गति होते ही मैंने चार दिशाओं में कार्य करने का निश्चय किया था और इस पुस्तक को लेकर इन दिशाओं में निम्नांकित पुस्तकें प्रकाशित करने का विनम्र प्रयास किया है: (क) सामान्य भाषाविज्ञान : (१) भाषाविज्ञान, (२) शब्दों का जीवन, (३) शब्दों का अध्ययन, (४) भाषाचिन्तन, (५) तुलनात्मक भाषाविज्ञान (अनुवाद), (६) आधुनिक भाषाविज्ञान, (७) शब्दों की कहानी, (८) शब्दविज्ञान, (९) व्यतिरेकी भाषाविज्ञान (संपादित), (१०) अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान (संपादित), (ख) व्यावहारिक भाषाविज्ञान : (१) हिन्दी भाषा, (२) ताजुज्जेकी, (३) अनुवादविज्ञान, (४) अभिव्यक्तिविज्ञान (अनुवाद), (५) हिन्दी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण, (६) पारिभाषिक शब्दावली : कुछ समस्याएँ (सम्पादित), (७) काव्यानुवाद की समस्याएँ (सम्पादित), (८) कार्यालयी अनुवाद की समस्याएँ (सम्पादित), (९) पत्रकारिता के अनुवाद की समस्याएँ, (१०) भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ, (११) शैलीविज्ञान, (१२) व्यावहारिक शैली विज्ञान, (१३) अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएँ, (१४) कोशविज्ञान, (१५) हिन्दी भाषा की संरचना, (१६) अच्छी हिन्दी, (१७) हिन्दी भाषा-शिक्षण, (१८) हिन्दी वर्तनी की समस्याएँ, (१९) राजभाषा हिन्दी, (२०) हिन्दी भाषा की सामाजिक भूमिका, (२१) हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, (ग) कोश: (१) तुलसी शब्द-सागर, (२) बालकोश, (३) बृहत् पर्यायवाची कोश, (४) हिन्दी मुहावरा कोश, (५) कथाकोश (संकलित), (६) हिन्दी साहित्य की अन्तर्कथाएँ, (७) भाषाविज्ञान कोश, (८) कामायनी शब्दानुक्रमणिका, (९) व्यावहारिक हिन्दी-अंग्रेजी कोश, (१०) संक्षिप्त व्यावहारिक हिन्दी-अंग्रेजी कोश, (११) व्यावहारिक हिन्दी कोश, (१२) खालिकबारी (अमीर खुसरो की हिन्दी रचनाएँ पुस्तक में), (१३) ताजुज्जेकी-हिन्दी कोश (ताजुज्जेकी पुस्तक में), (घ) भाषाविज्ञान का इतिहास : भारतीय भाषाविज्ञान की भूमिका।

इस दिशा में मेरा पहला ग्रन्थ 'भाषाविज्ञान' मूलतः मेरे एम० ए० के नोटों पर आधारित था। धीरे-धीरे परिवर्तित-परिवर्धित होते इस सत्रहवें संस्करण में इसका आकार अपेक्षित से काफी बड़ा हो गया है। इस संस्करण में अनेक अनपेक्षित अंश निकाल दिये गये तथा साथ ही नये अपेक्षित अंश जोड़ भी दिये गये हैं। 'प्रोक्तिविज्ञान' शीर्षक एक नया अध्याय भी इस संस्करण में सम्मिलित कर दिया गया है।

इस पुस्तक के विभिन्न संस्करणों में मुझे डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, डॉ० रमेशचन्द्र मेहरोत्रा आदि कई मित्रों तथा ब्रिटिया मुकुल प्रियदर्शनी से बड़ी सहायता मिली है जिसके लिए मैं इनका हृदय से कृतज्ञ हूँ।

— भोलानाथ तिवारी

विषय-सूची

१. प्रवेश

१

भाषा किसे कहते हैं, परिभाषा, मानव भाषा, मधुमक्खियों की भाषा, पक्षियों की भाषा, प्राइमेट की भाषा, डॉल्फिन की भाषा, पेड़ पौधों की भाषा, मानव भाषा और मानवतर भाषा में अन्तर, भाषा के अभिलक्षण, यादृच्छिकता, सृजनात्मकता, अनुकरणग्राह्यता, परिवर्तनशीलता, विविक्तता, द्वैतता, भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता, अंतरणता, मौखिकता-श्रव्यता, असहज वृत्तिकता, 'भाषा' तथा 'वाक्य' अथवा 'भाषा-व्यवस्था' तथा 'भाषा-व्यवहार', भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तर, अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि, भाषाविज्ञान, भाषाविज्ञान के प्रकार, सामान्य भाषाविज्ञान, वर्णनात्मक भाषाविज्ञान, एककालिक भाषाविज्ञान-बहुकालिक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक भाषाविज्ञान-व्यतिरेकी भाषाविज्ञान, सैद्धान्तिक भाषाविज्ञान, समाज भाषाविज्ञान, भाषाविज्ञान का नाम, भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला, व्याकरण और भाषाविज्ञान, भाषाविज्ञान की शाखाएँ, मुख्य, प्रोक्तिविज्ञान, वाक्यविज्ञान, रूपविज्ञान, शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, अर्थविज्ञान, गौण, लिपिविज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा भूगोल, भाषाकालक्रमविज्ञान, भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, शैलीविज्ञान, सर्वेक्षण-पद्धति, भू-भाषाविज्ञान, तुलनात्मक पद्धति, मेटालिग्विस्टिक्स, भाषाविज्ञान के अध्ययन से लाभ, भाषाविज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का सम्बन्ध, व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान, भूगोल, इतिहास, धार्मिक इतिहास, भौतिकशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानवविज्ञान, दर्शन।

३७

२. भाषा

भाषा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक रूप, भाषा की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष मार्ग, दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त, विकासवादी सिद्धान्त, धातु सिद्धान्त, निर्णय सिद्धान्त, अनुकरण सिद्धान्त, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त, अनुकरणात्मक अनुकरण, अनुरणन सिद्धान्त या अनुरणनमूलकतावाद, दृश्यात्मक अनुकरण, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धान्त, यो-हे-हो सिद्धान्त, इंगित सिद्धान्त, टा-टा सिद्धान्त, संगीत सिद्धान्त, सम्पर्क सिद्धान्त, समन्वित रूप, परोक्ष मार्ग, बच्चों की भाषा, असभ्य जातियों की भाषा, आधुनिक भाषाओं का इतिहास, प्रारम्भिक अवस्था में भाषा की प्रकृति, ध्वनि, व्याकरण, शब्द समूह, वाक्य, विषय, निष्कर्ष, भाषा-विकास के चरण, भाषा के दो आधार, भाषा की विशेषताएँ और प्रकृति, भाषा पत्रिक सम्पत्ति नहीं है, भाषा अर्जित सम्पत्ति है, भाषा आद्यान्त सामाजिक वस्तु है, भाषा परम्परा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा चिरपरिवर्तनशील है, भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं है, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है, भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, हर भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप होता है, भाषा का विकास (परिवर्तन) और उसके कारण, विकास के कारणों के प्रमुख दो वर्ग, अभ्यन्तर वर्ग, प्रयोग से घिस जाना, बल, प्रयत्न-लाघव, मानसिक स्तर, अनुकरण की अपूर्णता, शारीरिक विभिन्नता, ध्यान की कमी, आशिक्षा, जान-बूझकर परिवर्तन, जातीय मनोवृत्ति, बाह्य वर्ग, भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रभाव, व्यक्ति, संस्कृतियों का सम्मिलन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, समाज की व्यवस्था, बोलने वालों की उन्नति, सादृश्य, भाषा परिवर्तन : स्वरूप और प्रवृत्तियाँ, भाषा परिवर्तन, स्वरूप, ध्वनि परिवर्तन, लोप, आगम, विपर्यय, समीकरण, स्वतः अनुनासिकता, ह्रस्वीकरण,

दीर्घाकरण, घोषाकरण, महाप्राणीकरण, स्वनप्रक्रिया परिवर्तन, शब्दसमूह-परिवर्तन, शब्द समूह-परिवर्तन का स्वरूप, प्राचीन शब्दों का लोप, नये शब्दों का आगमन, रूप परिवर्तन, रूपप्रक्रिया परिवर्तन, वाक्यरचना परिवर्तन, अन्वय में परिवर्तन, पदक्रम में परिवर्तन, पुरुष में परिवर्तन, लोप, आगम, कारण, ध्वनि परिवर्तन, अन्यभाषाओं का प्रभाव, उच्चारण सुविधा, अर्थ परिवर्तन, अर्थ, अर्थ परिवर्तन का स्वरूप, कारण, प्रवृत्तियाँ, सरलीकरण, वियोगात्मकता, पृथकीकरण, विशदीकरण, भाषा के विकास में व्याघात और उसके कारण, भौगोलिक परिस्थिति, खाद्यान्न की कमी, अभिव्यक्ति के लिए यथासाध्य प्रचलित भाषा से न हटना, समाज के हँसने का भय, व्याकरण, शिक्षा समाचार-पत्र तथा रेडियो आदि, भाषा के विविध रूप, मूल भाषा, व्यक्ति बोली, उपबोली या स्थानीय बोली, बोली और भाषा, बोलियों के बनने का कारण, बोलियों के महत्व पाने का कारण, मानक या परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा के मौखिक और लिखित रूप, अप भाषा, राष्ट्र भाषा, विशिष्ट भाषा, कृत्रिम भाषा, गुप्त भाषा, सामान्य भाषा, भाषा के कुछ अन्य रूप, साहित्यिक भाषा, जीवित भाषा, मृत भाषा, राजभाषा, जाति भाषा, स्त्री-भाषा, पुरुष-भाषा, बच्चों की भाषा, मिश्रित भाषा, सहायक भाषा, संपूरक भाषा, परिपूरक भाषा, सम्पर्क भाषा, समतुल्य भाषा, पिजिन, क्रियोल, प्रयुक्ति, भाषा और बोली में अन्तर।

३. संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण

८७

महाद्वीप के आधार पर, देश के आधार पर, धर्म के आधार पर, काल के आधार पर, भाषाओं की आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, आकृति मूलक वर्गीकरण, अयोग्यात्मक भाषाएँ, योगात्मक भाषाएँ, प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ, पूर्ण प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ, आंशिक प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ, अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ, पूर्व-योगात्मक या पुरःप्रत्यय-प्रधान, मध्य योगात्मक या अंतःप्रत्यय-प्रधान, पूर्वान्त-योगात्मक, अन्त-योगात्मक या पर-प्रत्यय प्रधान, आंशिक-योगात्मक या ईषत् प्रत्यय-प्रधान, श्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ, अन्तर्मुखी-श्लिष्ट, संयोगात्मक, वियोगात्मक, बहिर्मुखी-श्लिष्ट, संयोगात्मक, वियोगात्मक, आकृति की दृष्टि से हिन्दी, उपयोगिता, वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, ध्वनि की समानता, लोप के कारण, शब्द-समूह की समानता, रूप-रचना की समानता, वाक्य स्थानिक समीपता, भाषा-खंड, अफ्रीका-खंड, यूरेशिया-खंड, प्रशांत महासागरीय-खंड, अमरीका-खंड, द्रविण परिवार, द्रविण परिवार पर संस्कृत का प्रभाव, चीनी अथवा एकाक्षरी परिवार, सेमेटिक-हैमेटिक (सामी-हामी) परिवार, सेमेटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ, हैमेटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ, यूराल-अल्टाइक परिवार, काकेशियन परिवार, जापानी-कोरियाई परिवार, मलय-पालिनेशियन परिवार, आस्ट्रोएशियाटिक परिवार, बुशमैन परिवार, बंटू परिवार, सूडान परिवार, अमरीकी परिवार, भारोपीय परिवार, नाम, हिती या हिट्टाइट, भारत-हिती परिवार, हिती (पुनः), हिती और भारोपीय भाषाओं की एकता, हिती भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ, भारोपीय भाषा के मूल प्रयोक्ता विरोस लोगों का मूल स्थान, गाइलज, श्रेडर, ब्रान्देश्टाइन, मूल भारोपीय भाषा : ध्वनियाँ, स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, अन्तःस्थ, व्यंजन, ध्वनि-सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ, भारोपीय मूल भाषा का व्याकरण, 'भारोपीय परिवार' का विभाजन, केंतुम वर्ग, केल्टिक, जर्मनिक (ट्यूटॉनिक), लैटिन, ग्रीक (हेलेनिक), तोखारी, सतम वर्ग, इलीरियन (अल्बेनियन), बाल्टिक, स्लाव, आर्मीनियन, भारत-ईरानी, भारत और ईरानी में समानता, भारतीय और ईरानी में अन्तर, विभाजन, ईरानी, विभाजन, दरद, विभाजन, भारतीय आर्य भाषा, आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय, नेग्रिटो, आस्ट्रिक, किरात, द्रविड़, भारत में आर्यों का आगमन, भारतीय आर्यभाषा, प्राचीन आर्यभाषा, वैदिक, ध्वनियाँ, स्वराघात, रूप-रचना, समास, शब्द, बोलियाँ, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती भाषा, ध्वनि,

संस्कृत, वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर, कारण, अन्तर, ध्वनि, स्वराघात, संधि, कारण विभक्ति, क्रिया रूप, कृत प्रत्यय, समास, शब्द, द्विविड शब्द, आस्ट्रिक शब्द, यूनानी शब्द, रोमन शब्द, अरबी शब्द, ईरानी शब्द, तुर्की शब्द, चीनी शब्द, बोलियाँ, मध्यकालीन आर्य भाषा, पालि, 'पालि' भाषा का प्रदेश, ध्वनियाँ, मात्रा, स्वराघात, व्याकरण, शब्द, पालि में विभिन्न तत्व, बोलियाँ एवं भाषा रूप, अभिलेखी प्राकृत, अशोकी अभिलेख, अशोकेतर अभिलेख, पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी-पश्चिमी, मध्यपूर्वी, पूर्वी, अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, प्राचीन मागधी या पूर्वी प्राकृत, प्राचीन शौरसेनी या पश्चिमी प्राकृत, धम्मपद की प्राकृत, निय प्राकृत, मिश्रित बौद्ध संस्कृत, प्राकृत (१५०० ई०), प्राकृतों के भेद, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, प्रमुख विशेषताएँ, मागधी, प्राच्या, शाकारी, चांडाली, शाबरी, आवन्ती, टक्की, कैकेय पैशाचिका, शौरसेन पैशाचिका, पांचाल पैशाचिका, चूलिका पैशाचिका, प्राकृत भाषाओं की कुछ सामान्य विशेषताएँ, तृतीय प्राकृत, अपभ्रंश, नाम, समय, अपभ्रंश की बोलियाँ, अपभ्रंश की बोलियाँ और आधुनिक भाषाओं से उनका सम्बन्ध, अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रूप, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्म अपभ्रंश, उपनागरक अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश, पूर्वी अपभ्रंश, अपभ्रंश की सामान्य विशेषताएँ, अवहट्ट, आधुनिक आर्यभाषा, वर्गीकरण, ध्वनि, व्याकरण या रूप, शब्द समूह, प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय, सिन्धी, लहँदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी, नेपाली, सिंहली, जिप्सी, हिन्दी, मध्यकाल, आधुनिक काल, अनिश्चित भाषाएँ, बास्क।

४. प्रोक्तिविज्ञान

२००

प्रोक्तिविज्ञान, 'प्रोक्ति' या 'डिस्कोर्स' के कुछ अन्य नाम या संकेत, भारत में इस संकल्पना की प्राचीनता, प्रोक्ति, प्रोक्ति के प्रकार, प्रोक्ति क्या (कौन-सी-विधा) है, अथवा किस विधा का अंश है, प्रोक्ति के वाक्य आपस में किस साधन के द्वारा जोड़े गए हैं, संबद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के आधार पर, कथन के आधार पर, कथन की प्रकृति के आधार पर, कथन शैली के आधार पर, प्रोक्ति के स्थान की दृष्टि से संसक्ति के आधार पर, स्थानिक संसक्ति, सांकेतिक संसक्ति, शाब्दिक संसक्ति, वैलौमिक संसक्ति, संयोजनी संसक्ति, समुच्चय बोधी संसक्ति, वैरामिक संसक्ति, पदलोपी संसक्ति, सार्वत्रिक संसक्ति, प्रोक्ति की अशुद्धियाँ।

५. वाक्य विज्ञान

२०७

वाक्य भाषा की सहज इकाई है, वाक्य में एक शब्द (पद) भी हो सकता है और एक से अधिक भी, वाक्य में अर्थ की पूर्णता हो सकती है और नहीं भी, वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है, व्याकरणिक पूर्णता कभी-कभी सन्दर्भ पर भी निर्भर करती है, वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम से कम एक समापिका क्रिया का भाव अवश्य होता है, वाक्य की आवश्यकताएँ, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य-रचना, पदक्रम या शब्द क्रम, अन्वय, लोप, आगम, वाक्यों के प्रकार, अयोगात्मक, योगात्मक, सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्रियायुक्त वाक्य, क्रिया विहीन वाक्य, रचना के प्रकार, निकटस्थ अवयव, मूल वाक्य-रूपांतरित वाक्य, आंतरिक संरचना-बाह्य संरचना, वाक्य-रचना में परिवर्तन, वाक्य-रचना में परिवर्तन के कारण, अन्य भाषा का प्रभाव, ध्वनि-परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना, स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, नवीनता, बोलने वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन, संक्षेप, वाक्य-रचना में परिवर्तन की दिशाएँ, वचन-संबंधी परिवर्तन, लिंग-सम्बन्धी परिवर्तन, लोप, आगम, पदक्रम में परिवर्तन, रूपान्तरण: अनिवार्य और ऐच्छिक।

६. रूप विज्ञान

२२८

शब्द, पद, सम्बन्धतत्व, सम्बन्धतत्व के प्रकार, शब्द-स्थान, शब्दों को ज्यों का त्यों

छोड़ देना, या शून्य सम्बन्ध तत्व जोड़ना, स्वतंत्र शब्द अथवा शब्दवत् प्रयुक्त सम्बन्धतत्व, ध्वनि-प्रति-स्थापन, ध्वनि-द्विरावृत्ति, ध्वनि-वियोजन, आदिसर्ग, पूर्वसर्ग, या पूर्व प्रत्यय, मध्य सर्ग, मध्य-प्रत्यय, अंतसर्ग, विभक्ति, प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय, ध्वनि-गुण, सम्बन्ध तत्व और अर्थतत्व का सम्बन्ध, पूर्ण संयोग, अपूर्ण संयोग, दोनों स्वतंत्र, सम्बन्धतत्व का आधिक्य, हिन्दी में सम्बन्धतत्व, सम्बन्धतत्व के कार्य, काल, लिंग, प्रत्यय जोड़कर, स्वतंत्र शब्द साथ में रखकर, पुरुष, वचन, रूप-परिवर्तन, रूप परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में अन्तर, रूप-परिवर्तन के कारण, नियमन, बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव, ध्वनि-परिवर्तन, स्पष्टता, अज्ञान, बल, आवश्यकता, नवीनता, रूप-परिवर्तन की दिशाएँ (प्रकार), पुराने सम्बन्धतत्व का लोप तथा नये का प्रयोग, सादृश्य के कारण नये सम्बन्धतत्व के साथ नये रूप; अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग, अतिरिक्त शब्द प्रयोग, गलत प्रत्यय का प्रयोग, नया प्रत्यय, आधा पुराना प्रत्यय तथा आधा नया, मूल में परिवर्तन, मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन, रूपिम विज्ञान अथवा रूप ग्राम विज्ञान, रूपिम अथवा रूप ग्राम, अर्थ और कार्य के आधार पर रूपिम के भेद, उपरूप और संरूप, रूपस्वनिम विज्ञान।

७. अर्थ विज्ञान

२५२

अर्थ की प्रतीति, आत्म-अनुभव से, पर अनुभव से, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, अर्थ बोध के साधन, अर्थ-परिवर्तन, अर्थ-परिवर्तन की दिशाएँ (प्रकार), अर्थ-विस्तार, अर्थ-संकोच, अर्थदिश, सूक्ष्मता-स्थूलता के आधार पर, अपकर्षोत्कर्ष के आधार पर, अर्थ-परिवर्तन के कारणों का आधार, अर्थ-परिवर्तन के कारण, बल का अपसरण, वातावरण में परिवर्तन, भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्रथा या प्रचलन-सम्बन्धी वातावरण, नम्रता-प्रदर्शन, आधार-सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम, निर्माण-क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम, शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, जानबूझकर नये अर्थ में प्रयोग, अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग, अशुभ या बुरा, अश्लील, कटुता या भयंकरता, अंधविश्वास, गंदे या छोटे कार्य, अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, सादृश्य, अज्ञान, पुनरावृत्ति, एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन, शब्दों का अधिक प्रयोग, किसी राष्ट्र, जाति, सम्प्रदाय, धर्म या वर्ग के प्रति सामान्य मनोभाव, एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ-परिवर्तन, साहचर्य आदि के कारण नवीन अर्थ का प्रवेश, किसी शब्द, वर्ग या वस्तु में एक विशेषता का प्राधान्य, व्यंग्य, भावावेश, व्यक्तिगत योग्यता, शब्दों में अर्थ का अनिश्चय, एक वस्तु का नाम पूरे वर्ग को देना या सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग, आलंकारिक अथवा लाक्षणिक प्रयोग, दूसरी भाषा का प्रभाव, किसी ट्रेडनेम का बहुप्रचार से जाति वाचक संज्ञा बन जाना, पर्याय विज्ञान, एकार्थी या पूर्णपर्याय, समानार्थी या अपूर्ण पर्याय, क्षेत्रीय पर्याय, वैचारिक अन्तर, प्रायोगिक अन्तर, भाषा में पर्यायों के विकास के प्रमुख कारण, अर्थपरिवर्तन, विकास के साथ नया ज्ञान, विदेशी सम्पर्क, प्रत्यय उपसर्ग आदि व्याकरणिक साधनों का प्रयोग, अनुवाद, पुराने शब्दों का लाया जाना, संक्षेप, जनभाषा से शब्दों का लिया जाना, ध्वनि-परिवर्तन, विलोमता, अनेकार्थता, सारंग, हरि, रोटी, एक मूल्यय भिन्नार्थक शब्द, समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द, बौद्धिक नियम, विशेषीकरण या विशेष भाव का नियम, अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम, विभक्तियों के अवशेष का नियम, भ्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम, भेद, भेदीकरण या भेदभाव का नियम, सादृश्य का नियम, नव प्राप्ति का नियम, अनुपयोगी रूपों के विलोप का नियम।

८. ध्वनि विज्ञान [स्वप्न विज्ञान]

२५३

ध्वनि-अध्ययन के आधार, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, चल अवयव, अचल अवयव, श्वास-नलिका, भोजन-नलिका और अभिकाकल, स्वरयंत्र, स्वर-यंत्र-मुख, और स्वर-तंत्री, मुख-विवर, नासिका-विवर और कौवा, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, सांवाहनिक

लिपि, भारतीय लिपियाँ, सिन्धुघाटी लिपि, सिन्धुघाटी की लिपि की उत्पत्ति, भारत में लिपि ज्ञान की प्राचीनता, ग्रन्थों के प्रमाण विदेशी, देशी, शिला-लेख, अन्य, भारत की प्राचीन लिपियाँ, खरोष्ठी, उत्पत्ति, ब्राह्मी, ब्राह्मी नाम का आधार, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से निकली है, ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत में हुई है, द्रविडीय उत्पत्ति, सांकेतिक चिह्नों से उत्पत्ति, वैदिक चित्र लिपि से उत्पत्ति, आर्य-उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि का विकास, उत्तरी भारत की लिपियाँ, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी लिपि, शारदा लिपि, मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियाँ, भारत के बाहर ब्राह्मी लिपि का विकास, यूनानी लिपि, लैटिन लिपि, लिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति, नागरी लिपि, नागरी नाम, नागरी का विकास, वैज्ञानिक लिपि के गुण, नागरी लिपि में सुधार।

१३. भाषाविज्ञान का इतिहास

४७३

भारत, प्राचीन अध्ययन, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थ, पदपाठ, प्रातिशाख्य, शिक्षा, निघण्टु, यास्क, आपिशलि तथा काशकृत्स्न, ऐन्द्र सम्प्रदाय, पाणिनि, कात्यायन के वार्तिक, पतंजलि, मुनित्रय, पाणिन-शाखा और उसके अन्य वैयाकरण, टीकाकार, जयादित्य तथा वामन (७वीं सदी पूर्वार्द्ध), जितेन्द्र बुद्धि (८वीं सदी पूर्वार्द्ध), हरदत्त (१२वीं सदी), भर्तृहरि (९वीं सदी), कथ्यट (११वीं सदी), कौमुदीकार, विमल सरस्वती (१४वीं सदी), रामचन्द्र (१५वीं सदी), भट्टोजि दीक्षित (१७वीं सदी प्रथम चरण), वरदराज (१८वीं सदी), व्याकरण की पाणिनीतर शाखाएँ, चान्द्र शाखा, जैनेन्द्र शाखा, शाकटायन शाखा, हेमचन्द्र शाखा, कातंत्र शाखा, सारस्वत शाखा, बोपदेव शाखा, शेष शाखाएँ, कच्चायन, मोग्गलान, अग्गवंस (१२वीं सदी), प्राकृत, प्राचीन शाखा, हेमचन्द्र (१२वीं सदी), प्राच्य शाखा, वररुचि (५वीं सदी), व्याकरणेत्तर ग्रंथों में भाषा-विषयक अध्ययन, नैयायिक, साहित्य शास्त्री, मीमांसक, वेदांती, आधुनिक अध्ययन, काल्डवेज, जॉन बीम्स, केलाग (सैमुयल एच०), हार्नले, ग्रियर्सन, डी टूम्प, डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रेलफ लिले टर्नर, जूल ब्लाक, ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, कामता प्रसाद गुप्त (१८७५-१९४७), वर्तमानकालिक प्रवृत्तियाँ, आवश्यकता, चीन, जापान, अरब, यूरोप, प्राचीन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अरस्तु और थैक्स के बीच का कार्य, डियोनीसिअस थैक्स, यूरोप में भाषा के प्राचीन अध्ययन का अंतिम युग, आधुनिक, पूर्व युग, सरविलियम जॉस, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, फ्रीड्रिखवान श्लेगल, अडोल्फ डब्ल्यू० श्लेगल, बिल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट, रैज्मस रैस्क, याकोबग्रिम, फ्रान्त्स बाँप, पश्य पर एक दृष्टि, आगस्ट एफ०, पाँट, के० एम० रैप, जे० एच०, ब्रेड्सटार्फ, आगस्ट स्लाइखर, गेओर्ग कुटियस, निकोलई मैडविग, फ्रेडरिख मैक्समूलर, विलियम ड्वाइट ह्रीटनी, नवयुग, हेमैन, स्टाइन्थाल, कार्ल ब्रुगमान, ग्रैसमैन, वर्नर अस्कोली तथा येस्पर्सन आदि, आधुनिक भाषाविज्ञान तथा कुछ प्रमुख स्कूल, आधुनिक प्रवृत्तियाँ।

परिशिष्ट

५०७

लहर-सिद्धान्त, सादृश्य, मिथ्या सादृश्य, क्या सादृश्य एक कारण है?, सादृश्य की गति, सादृश्य के कुछ प्रधान कारण, प्रोफेसर मेन हाफ द्वारा बनाया गया चित्र, इडो: एक शाखा, आइसो ग्लास, आइसोफोन, ध्वन्यात्मक शब्द, प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, मैला प्रापिज्म, आधार सिद्धान्त, पिज्मि और क्रियोल, प्रयुक्ति, भाषा-परिवर्तन स्वरूप और प्रवृत्तियाँ, ध्वनि-परिवर्तन, स्वन प्रक्रिया परिवर्तन, शब्द-समूह परिवर्तन, रूप-परिवर्तन, रूप-प्रक्रिया-परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, अर्थ-परिवर्तन, प्रवृत्तियाँ, सरलीकरण, वियोगात्मकता, पृथकीकरण, विशदीकरण।

भाषा किसे कहते हैं ?

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते उसे आपस में सर्वदा ही विचार-विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आपको प्रकट करता है तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग में लोगों को निर्मलित करने के लिए निमंत्रण-पत्र छपवाये जाते हैं तो देहात के अनपढ़ और निम्नवर्ग में निर्मलित करने के लिये हस्ती, सुपारी या इलायची बाँटना पर्याप्त समझा जाता रहा है। रेलवे गार्ड और रेल-चालक का विचार-विनिमय झडियों से होता है, तो बिहारी के पात्र 'भरे भवन में करते हैं नैनन ही सों बात।' चोर बँधरे में एक-दूसरे का हाथ छकर या दबाकर अपने आपको प्रकट कर लिया करते हैं। इसी तरह हाथ से संकेत, फरतल-ध्वनि, आँख टेढ़ी करना, मारना या दबाना, खाँसना, मुँह बिचकाना तथा गहरी साँस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार-विनिमय का काम चलता है। ऐसे ही यदि पहले से निश्चित कर लिया जाये तो स्वाद या गंध द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है। उदाहरण के लिए, 'यदि मैं काँकी पित्राऊँ तो समझ जाना कि मेरे पास समय है, तुम्हारा काम कलूँगा, किन्तु यदि चाय पिलाऊँ तो समझ जाना कि समय नहीं है, काम नहीं कलूँगा,' या 'यदि मेरे कमरे में गुलाब की अगरबत्ती जलती मिले तो समझना कि तुम्हारा काम हो गया है, किन्तु यदि चंदन की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना कि काम नहीं हुआ है।' आशय यह कि गंध-इंद्रिय, स्वाद-इंद्रिय, स्पर्श-इंद्रिय, दृग्-इंद्रिय तथा कर्ण-इंद्रिय—इन पाँचों ज्ञान-इंद्रियों में किसी के भी माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है। यों इनमें पहली तथा दूसरी का प्रयोग प्रायः नहीं होता; हाँ, किया जा सकता है; स्पर्श-इंद्रिय का भी कम ही होता है। इससे अधिक प्रयोग आँख का होता है, जैसे रेल का सिगनल, गार्ड की हरी या लाल झंडी, सिर हिलाकर 'हाँ' या 'नहीं' करना, आदि। किन्तु इन सभी में सबसे अधिक प्रयोग कर्ण-इंद्रिय का होता है। अपनी सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करता है।

कहने को अभिव्यक्ति के उपर्युक्त पाँचों ही प्रकार के साधन भाषा हैं, किन्तु सामान्यतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, भाषा का इतना विस्तृत अर्थ प्रायः नहीं लिया जाता।

परिभाषा

अपने व्यापकतम रूप से तो 'भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं,' किन्तु भाषाविज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन-विश्लेषण करते हैं, वह इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और न उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है और बोलना भी पशु-पक्षियों का नहीं, गूँगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का।

भाषा की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं : (१) 'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष' धातु से बना है जिसका अर्थ है—'बोलना' या 'कहना'। अर्थात्, 'भाषा वह है जिसे बोला जाय'। (२) प्लेटो ने 'सोफिस्ट' में विचार और भाषा के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि विचार

और भाषा में थोड़ा ही अन्तर है। 'विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।' (३) स्वीट के अनुसार 'ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।' (४) वेन्द्रिए कहते हैं, 'भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।' आधुनिक भाषाशास्त्रियों में अधिकांश ने भाषा की परिभाषा लगभग एक-सी दी है। उदाहरणार्थ, (५) ब्लॉक तथा ट्रेगर—A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a society group cooperates. (६) स्तुत्वा—A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which members of a social group cooperate and interact. (6) विष्केशों में भी लगभग यही बात कही गई है। जैसे—Language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which, human beings, as members of a social group and participants in culture interact and communicate.—इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। दो अन्य परिभाषाएँ ये हैं : Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols.—सपीर; I will consider a language to be a set (finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements.—चॉम्स्की। इनमें सपीर में 'असहजवृत्तिक (non-instinctive) शब्द ध्यान देने योग्य है। मानवतर भाषाएँ प्रायः सहजवृत्तिक (instinctive) होती हैं।

यों अच्छा हो कि परिभाषा पर पहुँचने के पूर्व भाषा-विषयक मूलभूत बातों पर विचार कर लें—


(१) भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुँचाती है, अर्थात् वह विचार-विनिमय का साधन होती है।

(२) भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणावयवों से निःसृत ध्वनि-समष्टि होती है। इसका आशय यह है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियों (जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना, आदि) से भी विचार-विनिमय हो सकता है, किन्तु वे भाषा के अन्तर्गत नहीं आती।

(३) भाषा में प्रयुक्त ध्वनि-समष्टियाँ (या शब्द) सार्थक तो होती हैं, किन्तु उनका भावों या विचारों से कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता। यह सम्बन्ध 'यादृच्छिक' या 'माना हुआ' होता है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीक (Arbitrary vocal symbols) होते हैं। इसका आशय यह है कि किसी ध्वनि-समष्टि या शब्द का जो अर्थ है, वह यों ही, बिना किसी तर्क, नियम या कारण आदि के मान लिया गया है। यदि यह सम्बन्ध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता। अंग्रेज 'ब, वा, ट, अ, र' (वाटर) के योग को पानी समझता, तो इसका हिन्दी पर्याय भी लगभग यही होता। वह 'प, आ, न, ई' (पानी) का योग न होता। इसी कारण एक ही वस्तु, भाव या विचार के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द मिलते हैं। इस प्रसंग में कभी-कभी एक प्रकार की शंका उठाई जाती है। वह शंका ध्वन्यात्मक (Onomatopoeic) शब्दों के बारे में है। लोगों की धारणा है कि यदि अन्य शब्दों में नहीं, तो कम से कम ध्वन्यात्मक शब्दों में अर्थ का सम्बन्ध ध्वनि से अवश्य है। इसमें संदेह नहीं कि ध्वन्यात्मक (तड़तड़, धड़धड़, भों-

भों आदि) शब्दों में, अर्थ का कुछ-न-कुछ सम्बन्ध ध्वनि से अवश्य है, किन्तु वह इतना अधिक नहीं है जितना प्रायः लोग मानते हैं। यदि यह सम्बन्ध पूर्ण होता तो सभी भाषाओं में 'तड़-तड़हट' को 'तड़तड़हट' ही कहते। कुत्ते सारे संसार में प्रायः एक से भूँकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके भूँकने की ध्वनि के लिए प्रयुक्त शब्द सारी भाषाओं में एक या एक-से होने चाहिए। किन्तु, तथ्य यह है कि इसके लिए विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में बहुत अन्तर है। उदाहरणार्थ, हिन्दी भों-भों या भों-भों, अंग्रेजी bow-bow, फ्रांसीसी gnaf-gnaf, जापानी wan-wan, रूसी गफ-गफ, उजबेक वोव-वोव, गुजराती भस-भस तथा तमिल कोल-कोल आदि। इसका अर्थ यह है कि एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न भाषाओं में थोड़े-बहुत अनुकरण का सहारा लेते हुए बिना किसी खास नियम या पूर्ण व्यवस्था के ही ये शब्द बना या मान लिये गये हैं। यही स्थिति सभी प्रकार के शब्दों के बारे में है। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनि-समष्टियाँ यों ही मानी हुई या यादृच्छिक (Arbitrary) न होतीं तो संसार की सभी भाषाएँ लगभग एक-सी होतीं। हिन्दी का 'भाषा' शब्द अंग्रेजी में 'लैंग्विज' फ़ारसी में 'ज़बान', रूसी में 'यज़िक', जर्मन में 'स्प्राख़े', अरबी में 'लिस्सान' तथा ग्रीक में 'लेइखेइन' न होता। यों इसमें संदेह नहीं कि इस यादृच्छिकता की अपनी सीमा होती है। ऐसा भी असम्भव नहीं कि अनेक शब्दों के निर्माण के समय निर्माणकर्ता के मस्तिष्क में या उनके सामने कुछ ऐसे तत्त्व रहे हों जिन्होंने शब्द के बनाने में सहायता की हो। साथ ही भाषा के अस्तित्व में आ जाने के बाद ऐसे बहुत से शब्द बनते भी हैं (जैसे वायुयान, हस्ती, रेलगाड़ी, घुसपैठिया), जो यादृच्छिक न होकर साधार और सुचिन्तित होते हैं।

इस प्रसंग में एक और बात भी ध्यान देने की है। भाषा में प्रतीक वस्तु का नहीं होता, उसकी 'मानसिक संकल्पना' का होता है।



अर्थात्, प्रतीक का सीधा सम्बन्ध भौतिक वस्तु से नहीं होता। वह सम्बन्ध आरोपित है जिसे यहाँ बिन्दुओं से दिखाया गया है। भाषाभाषी के मस्तिष्क में भौतिक वस्तु की, मानसिक संकल्पना (भाषिक प्रत्यय) होती है और भाषिक प्रतीक उसी संकल्पना का प्रतीक होता है। इन तीनों को क्रमशः 'संकेतित वस्तु', 'संकेतार्थ' तथा 'संकेत-प्रतीक शब्द, भी कह सकते हैं।

एक बात और। सम्बन्ध तीन प्रकार के होते हैं : (१) भौतिक सम्बन्ध—जैसे आग और धुआँ में; (२) भावनात्मक सम्बन्ध—जैसे पूजा के फूल और श्रद्धाभाव में; (३) यादृच्छिक सम्बन्ध—यह भाषिक प्रतीकों और उसकी मानसिक संकल्पना में होता है। जैसे 'आग' की संकल्पना और 'आग' शब्द में। इसी आधार पर भौतिक प्रतीक, भावनात्मक प्रतीक तथा यादृच्छिक प्रतीक की चर्चा की जाती है।

(४) भाषा एक 'व्यवस्था' (System) होती है। उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता वही

समझता है। भूतकाल का वाक्य भूतकाल का ही समझा जाता है, भविष्यकाल का नहीं। यदि गहराई से देखें तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ध्वनि, शब्दरचना, रूपरचना, वाक्यरचना सभी स्तरों पर उसमें व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, हिन्दी में इ, द् शब्द के प्रारम्भ में नहीं आते या इ, व् शब्द के आदि में और अंत में नहीं आते। यह ध्वनि-स्तर पर व्यवस्था है। वाक्य-स्तर पर हिन्दी में कर्ता + कर्म + क्रिया का क्रम होता है, उन्तु अंग्रेजी में कर्ता + क्रिया + कर्म का। यह वाक्य के स्तर पर व्यवस्था है। हिन्दी में तत्सम प्रत्यय विदेशी शब्द के साथ प्रायः नहीं आता। इसीलिए हिन्दी में 'दीनता' बनता है, 'गरीबता' (गरीबी) नहीं बनता। यह शब्द-स्तर की व्यवस्था है।

एक दृष्टि से भाषा में व्यवस्था दो प्रकार की होती है : आंतरिक और बाह्य। ऊपर भाषा की संरचना में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि के स्तर पर जो व्यवस्था की चर्चा की गई, वह भाषा के भीतर की अर्थात् आंतरिक व्यवस्था है। बाह्य व्यवस्था भाषाभाषियों में इस रूप में होती है कि किसी भाषाभाषी समुदाय के एक सदस्य के लिए किसी वस्तु-प्रत्यय-प्रतीक का जो सम्बन्ध होता है, दूसरों के लिए भी वही सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए, सभी हिन्दी भाषियों के मस्तिष्क में 'पुस्तक' वस्तु का एक ही प्रत्यय या बिंब होता है जो 'पुस्तक' प्रतीक से व्यक्त होता है। इस तरह एक भाषा के सभी भाषियों में वस्तु-बिंब-प्रतीक की दृष्टि से सहमति होती है। यदि ऐसा न हो तो बक्ता 'पुस्तक' कहे और श्रोता काँपी, कागज या कुछ और समझे। यह है भाषा की बाह्य व्यवस्था जो भाषा को समाज में बोधगम्य बनाती है।

(५) भाषा का प्रयोग समाज-विशेष में होता है और उसी में वह बोली और समझी जाती है।

उपर्युक्त सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—भाषा, उच्चारण-अवयवों से उच्चरित, यादृच्छिक (Arbitrary) ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज-विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

अभी कहा गया है कि 'भाषा उच्चारण-अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा समाज-विशेष के लोग विचार-विनिमय करते हैं।' यदि इसमें 'भाषा के प्रकार्य (फंक्शन) को जोड़ दें' तथा 'व्यवस्था' को गहराई से देखें और मानव-भाषा को दृष्टि में रखें तो निम्नांकित बातें इस परिभाषा में जोड़ी जा सकती हैं :
(क) भाषा विचार-विनिमय का साधन तो है ही, साथ ही कोई व्यक्ति चाहता है तो भाषा के माध्यम से अपने विचारों तथा अनुभवों को लेख, कविता, पुस्तक आदि में व्यक्त भी करता है।
(ख) यही नहीं, किसी व्यक्ति के भाषा-प्रयोग के आधार पर उस व्यक्ति के सामाजिक स्तर तथा व्यक्तित्व के विषय में भी काफी कुछ पता सुनने वाले को भाषा से चल जाता है।
(ग) जिसे प्रतीकों की व्यवस्था कहा गया है, वह तत्त्वतः 'प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था' होती है। अर्थात्, भाषिक व्यवस्था के भीतर संरचना के स्तर होते हैं जो कई होते हैं। जैसे ध्वनि-स्तर, रूप-स्तर, वाक्य-स्तर आदि। (घ) जिस भाषा की चर्चा यहाँ की जा रही है, वह मानव-भाषा है, अतः उसे 'मानव-उच्चारणावयवों से उच्चरित' कहना अधिक सही है, अन्यथा सभी जीव-जन्तुओं की उच्चरित भाषा इसके अन्तर्गत आ जायेगी जो यहाँ अपेक्षित नहीं है।

तो भाषा की अधिक व्यवस्थित और सर्वसमावेशी परिभाषा हुई—

भाषा मानव-उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार-विनिमय

करते हैं, लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता (identity) के संबंध में जाने-अनजाने जानकारी देते हैं।

मानव-भाषा

मानव-भाषा और उसके अभिलक्षण पर विचार करने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले मानवैतर भाषाओं पर संक्षेप में विचार कर लें।

मानवैतर भाषा

ऐसा प्रायः सोचा जाता है कि भाषा केवल मनुष्य की ही वसीती है, किन्तु ऐसी बात है नहीं। मानवैतर कई प्राणी किसी-न-किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, पेड़-पौधों की भी भाषा का अनुमान लगाया गया है। यहाँ इनमें से कुछ पर अत्यन्त संक्षेप में विचार किया जा रहा है :-

(क) मधुमक्खियों की भाषा—मानवैतर भाषाओं में मधुमक्खियों की भाषा प्रमुख है। मधुमक्खियाँ अपने साथ की मधुमक्खियों को अपनी सांकेतिक भाषा के माध्यम से कई तरह की सूचनाएँ देती हैं। मान लें एक मधुमक्खी उड़ते-उड़ते कहीं दूर चली गई तथा उसे वहाँ काफी फूल मिल गए जिनसे खाद्य-सामग्री ली जा सकती है तो वह लौटकर अपने छत्ते पर आएगी और वहाँ विभिन्न प्रकार के नाच करके, अर्थात् नृत्य-भाषा के माध्यम से अपने सहवासियों को एक तो इस बात की सूचना देगी कि खाद्य सामग्री छत्ते से किस दिशा में है तथा दूसरे वह लगभग कितनी दूर है। यही नहीं, कभी-कभी वे यह भी संकेत देती हैं कि उस स्थान पर खाद्य सामग्री किसी प्रकार की है। उल्लेख्य है कि किसी छत्ते में कुछ सजातीय तत्वों से ही वे मधु बनाती हैं, उसमें किसी विजातीय तत्व के आने से मधु के गुण-स्वाद में अंतर आ जाता है। सभी मधु एक रंग या गंध के नहीं होते। उसका रहस्य यही है। कुछ तत्वों से उसमें एक रंग आता है तो दूसरों से दूसरा। यही स्थिति गंध की भी है। उदाहरण के लिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तथा आस-पास जहाँ लीची के मौसम में उसके फूलों से सामग्री लेकर मधुमक्खियाँ जो मधु बनाती हैं, उसमें लीची की गंध होती है तथा उसका रंग सामान्य शहद की तुलना में संकट होता है, वहीं सरसों के मौसम में जो शहद बनता है, उसमें कुछ पीलापन और लालिमा होती है तथा उसमें सरसों की गंध होती है।

कोई मधुमक्खी जब अपनी सहवासी मधुमक्खियों को उपर्युक्त प्रकार के संदेश देना चाहती है तो वह छत्ते के ऊपर नृत्य करती है। यह नृत्य दो प्रकार का होता है। एक तो गोलाकार नृत्य (Round dance) होता है तथा दूसरा पुच्छचालन नृत्य (tailwagging dance)। गोलाकार नृत्य से वे यह सूचना देती हैं कि खाद्य-स्रोत लगभग दस मीटर के भीतर है। इसमें वे एक बिन्दु से नृत्य करती गोलाकार पथ पर बढ़ती हैं तथा उस बिन्दु के पास पहुँच कर उलटे वापस होकर फिर उसी बिन्दु पर पहुँचकर फिर वापस मुड़ती हैं। यही प्रक्रिया कई बार चलती है। बीच-बीच में रुक-रुककर वे यही प्रक्रिया बार-बार दुहराती हैं। इससे सहवासिनी मधुमक्खियों को इस बात का पता चल जाता है कि सामग्री का प्राप्ति-स्थान लगभग दस मीटर के भीतर है। चूँकि चारों ओर दस मीटर का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बीच में जब वे थोड़ी देर के लिए रुकती हैं तो जो नमूना वे अपने साथ लाई रहती हैं, उसकी गंध से अन्य मधुमक्खियों को वे यह भी बता देती हैं कि किस प्रकार की सामग्री वे लाए। यह इसलिए कि मान लें १० मीटर के क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार की भी सामग्री उपलब्ध है तो ऐसा न हो कि कुछ तो एक प्रकार की सामग्री लाएँ और कुछ दूसरे प्रकार की, और इस प्रकार

मिश्रण से मधु अपेक्षित स्तर का बन पाए। इन दो के अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि यदि स्नोत-स्थान पर खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में है तो वे तेजी से और देर तक नृत्य करती हैं तथा कम मात्रा में है तो धीरे-धीरे और थोड़ी ही देर तक नाचती हैं। इस तरह नृत्य की अवधि और उसकी गति में तीव्रता या अतीव्रता से वे सामग्री की मात्रा का भी संकेत कर देती हैं।

मधुमक्खियों का एक और भी नृत्य होता है जिसके आधार पर वे सौ मीटर के बाहर तक की सामग्री का पता अपनी सहवासिनी मक्खियों को देती हैं। इस नृत्य को पुच्छचालन नृत्य कहते हैं। इसमें दो अर्धवृत्त बनाते हुए मधुमक्खी नाचती है। यह नृत्य तीन प्रकार का होता है। यदि सामग्री सूरज की ओर है तो यह नृत्य सीधी रेखा में ऊपर की ओर होता है, यदि सामग्री सूरज की ओर न होकर दूसरी दिशा में है तो सीधी रेखा में नीचे की ओर यह नृत्य होता है या फिर अन्य दिशा में तो अस्सी अंश के कोण पर बाएँ सीधी रेखा में। इस तरह पुच्छचालन नृत्य द्वारा की गई अभिव्यक्ति सूर्य से संबद्ध है। दिशा के अतिरिक्त इस नृत्य से मधुमक्खियाँ दूरी का भी संकेत करती हैं। समीप के लिए नृत्य थोड़ी देर तक, तो दूर के लिए काफ़ी देर तक या फिर नाच के बीच में भिनभिनाकर भी वे दूरी का संकेत करती हैं। भिनभिनाना कम देर तक हो तो समीप, और नहीं तो दूर। कभी-कभी पुच्छचालन नृत्य से मधुमक्खियाँ ग्यारह किलोमीटर तक का संकेत देती भी पाई गई हैं।

यहाँ स्वभावतः एक प्रश्न उठता है कि पूरी दुनिया की मधुमक्खियाँ एक ही भाषा का प्रयोग करती हैं या आदमियों की भाषाओं की तरह उनमें भी अन्तर होता है। इस दिशा में अध्ययनों से पता चला है कि अलग-अलग प्रजाति की मधुमक्खियों की भाषा में तो अंतर होता ही है, एक या संबद्ध प्रजाति की मधुमक्खियों की भाषाएँ भी पूर्णतः एक नहीं होतीं। ऊपर जिस नृत्य-भाषा का उल्लेख है, वह आस्ट्रिया की काली मधुमक्खियों की है। पास ही इटली की इसी प्रजाति की मधुमक्खियों की भाषा उससे कुछ भिन्न है। ये दस सेंटीमीटर की दूरी के संकेत के लिए हँसियाँ नृत्य करती हैं जो अर्धचंद्राकार होता है।

यों मधुमक्खियाँ चाहें कहीं की हों, यह पाया गया है कि आदमियों की तरह वे अपने समाज से भाषा नहीं सीखती, उनमें यह क्षमता सहज होती है। हाँ, प्रारम्भ में दूरी आदि की दृष्टि से उनके नृत्य बहुत सही नहीं होते तथा धीरे-धीरे वे अपेक्षित सटीकता सीखती हैं।

कुछ मधुमक्खी-विज्ञानवेत्ताओं ने इतालवी तथा आस्ट्रियाई मधुमक्खियों के क्रॉस ब्रीड से मिश्र मधुमक्खियाँ भी पैदा कीं। पाया यह गया कि उनके शरीर की इनाक्ट यदि इतालवी मधुमक्खियों से मिलती-जुलती है तो वे उन जैसी भाषा का ही प्रयोग करती हैं, किन्तु यदि वे आस्ट्रियाई मधुमक्खियों-जैसी हैं तो भाषा भी उन-जैसी ही होती है।

(ख) पक्षियों की भाषा—बहुत पुराने जमाने से पक्षियों के बोलने तथा गाने की ओर लोगों का ध्यान जाता रहा है। इसी कारण पौराणिक कथाओं तथा लोक-साहित्य में पक्षियों के बोलने तथा गाने से संबद्ध अनेक बातें मिलती हैं। किस्सा तोता मैना या

कोयल काको देत है, कागा काको लेत ?
केवल मीठे वचन ते सबको मन हर लेत ।

आदि उसी परम्परा में हैं। यों पक्षी कई चातुर्य-संकेतों का भी भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, गीब (एक जल पक्षी) तथा नकलची चिड़िया (Mocking bird) अमेरिका का एक पक्षी जो दूसरे पक्षियों के आवाज़ की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है) आदि का सहवास-ऋतु में नृत्य संकेतक होता है। मीर का नृत्य भी अनभिप्राय नहीं होता। यद्यपि इन सबका अभी तक ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है।

भावा के रूप में पक्षी मोटे रूप में दो प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। एक तो संगीतात्मक होती है जिसे 'पक्षियों का गाना' या 'पक्षिगान' (Bird song) कहते हैं। दूसरी संगीतात्मक न होकर सामान्य होती है जिसे 'पक्षियों का बोलना' या 'पक्षी-पुकार' (Bird call) कह सकते हैं। इनमें पहला अर्थात् 'गाना' अपनी संरचना में काफ़ी जटिल होता है। इनका प्रयोग प्रायः नर पक्षी ही करते हैं। नर पक्षी एक तो सहवास-ऋतु में अपनी मादा को अपने पास बुलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, दूसरे बहुत से नर पक्षियों का अपना खेल होता है जिसके भीतर ही वे अकेले नर पक्षी-रूप में विचरण करते हैं। ऐसे नर पक्षी अपने खेल-विशेष में अपना अधिकार जताने के लिए भी जोर-जोर से गाते हैं। एक बार एक पक्षि-विशेषज्ञ ने एक नर पक्षी का संगीत टेप कर लिया तथा पास के एक नर पक्षी के खेल में जाकर उसे जोर-जोर से बजाने लगा। उसे सुनते ही अपने खेल में अन्य नर पक्षी की उपस्थिति का अनुमान लगाकर, उस खेल का नर पक्षी बहुत जोर-जोर से गाने लगा। वस्तुतः अपने पड़ोसी नर पक्षी की आवाज़ प्रायः नर पक्षी पहचानते हैं।

ऐसा लगता है कि पक्षिसंगीत का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः या परोक्षतः नर पक्षी की कामेच्छा से होता है। ऐसा भी पाया गया है कि नर पक्षी सहवास ऋतु में केवल तब तक गाता है जब तक उसे मादा पक्षी न मिले। मादा पक्षी मिलने के बाद वह प्रायः नहीं गाता। यह बात चैफ़िच (गोरैया की तरह का एक पक्षी जो गाता है) में मुख्य रूप से पाई जाती है। एक ही नर पक्षी की उपर्युक्त दोनों प्रकार की संगीतात्मक आवाज़ें पूर्णतः एक नहीं होतीं। मादा को बुलाने के लिए जब वह गाता है तो उसके संगीत में एक सरलता तथा मादकता होती है किन्तु अपने खेल में दूसरे नर पक्षी की आवाज़ सुनकर प्रतिक्रियास्वरूप वह जो गाता है, उसमें वह सरलता या मादकता नहीं होती, बल्कि उसमें क्रोधयुक्त चुनौती होती है और साथ ही उसका अनुत्तान अपेक्षाकृत अधिक आरौहात्मक होता है। गाने वाले प्रसिद्ध राबिन पक्षी में तो इन दोनों कामों के लिए प्रायः दो प्रकार के (एक-दूसरे से काफ़ी भिन्न) संगीत का प्रयोग मिलता है।

कुछ पक्षियों की ऐसी भी प्रजातियाँ होती हैं जिनमें मादा पक्षी भी गाता है मुख्यतः नर पक्षी के गाने पर उसके उत्तर-स्वरूप। पूर्वी अफ्रीका के एक पक्षी (बाउ-बाउ थ्राइक) में यह बात विशेष रूप से पाई जाती है। कभी-कभी तो गाने में स्वर के चौदह घटक पाए गए जिनमें चार पहले नर गाता है, फिर मादा तीन, फिर नर चार और फिर अंत में मादा तीन। या, यह भी पाया गया है कि पहले नर पूरे को गाता है, फिर मादा उसे पूरा दुहराती है। किन्तु दोनों की लय तथा गति में अन्तर होता है। झाड़ीवाले इलाकों में अलग-अलग अपना चारा खोजते-खाते नर-मादा कभी-कभी आपस में सम्पर्क बनाए रखने के लिए भी थोड़ी-थोड़ी देर पर गाते पाए जाते हैं।

जिस तरह मानव-भाषा में अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही भाषा की अलग-अलग बोलियाँ मिलती हैं, उसी तरह पक्षियों के गाने में भी बोलियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, चैफ़िच भारतीय मोर का गाना भी वर्षा से सम्बद्ध पाया गया है। इनके इस वर्षापूर्व गीत में स्थानीय अन्तर बहुत स्पष्ट मिलता है। एक बार एक पक्षि-विशेषज्ञ ने एक प्रयोग किया। उसने एक ही चैफ़िच के तीन बच्चे लिए तथा तीनों को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में छोड़ दिया। बाद में पाया गया कि तीनों अपने-अपने क्षेत्रों के तीन प्रकार के गाने गाने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अन्तर उनमें जन्मजात नहीं था, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र के पक्षि-समाज से इस प्रकार अलग-अलग प्रकार से गाना अनुकरण द्वारा सीखा। अर्थात्, जैसे मनुष्य अपने आसपास के समाज से भाषा सीखता है, वही प्रवृत्ति एक सीमा तक कुछ पक्षियों में भी मिलती है।

पक्षियों की दूसरी प्रकार की भाषा, जैसा कि ऊपर कहा गया, संगीतात्मक न होकर सामान्य होती है जिसे पक्षियों का बोलना या पक्षि-पुकार कहा जा सकता है। इसका प्रयोग पक्षी साथ-साथ खाने की खोज में जाने, साथ-साथ उड़ने, साथ-साथ कहीं उतरने, खतरे की चेतावनी देने तथा साथ-साथ अपने-अपने घोंसलों में जाने के लिए करते हैं। इस बोलने में कुछ में तो एक आवाज होती है तथा कुछ में आवाजों की एक श्रृंखला होती है। सौ-सौ, सवा सौ-सवा सौ के झुंड में रहने वाले गौरैया पक्षी उड़ने के लिए तीन तरह से बोलते हैं। एक उड़ने के पूर्व, दूसरा उड़ने के बीच में तथा तीसरा उतरते समय। इसका उद्देश्य होता है पूरे झुंड का साथ-साथ उड़ना तथा साथ-साथ उतरना। श्यामा (ब्लैक बर्ड), चैफ़िच, रॉबिन, रन, मिसिल थश, गार्डन वारबलर आदि बहुत-सी चिड़ियों में यह पाया गया है कि यदि उन्हें कोई सोंप या बिल्ली दिख जाय तो देखने वाली चिड़िया 'चिक' जैसा बोलती है, जिसे सुनकर सभी चिक-चिक कह उठती हैं। इस आवाज के अनुदान की संरचना आरोही, फिर अवरोही होती है। पेड़ पर सोंप या बिल्ली आदि के देखने पर भी ऐसा ही होता है। पक्षियों में एक विशेषता यह होती है कि वे दोनों कान से साथ नहीं सुनते। जिस ओर से आवाज आती है, उधर के कान आवाज को पहले सुन लेते हैं तथा दूसरे कान में आवाज बाद में पहुँचती है। इस तरह खतरे की दिशा का भी उन्हें अनुमान हो जाता है। ऊपर जिन चिड़ियों का उल्लेख किया गया, उनको इस स्थिति में प्रयुक्त आवाजों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर तो होता है, किन्तु सभी की संरचना प्रायः समान होती है।

श्यामा, चैफ़िच, रीडबॉटिंग, वृहत् टिटमाउस (ग्रेट टिटमाउस), नील टिटमाउस (ब्ल्यू टिटमाउस) आदि कई चिड़ियाँ यदि ऊपर कोई वाज आदि हमलावर पक्षी उड़ रहा हो तो दृष्टि जैसी अत्यन्त कर्कश आवाज करेंगी जो अपनी संरचना में अन्य आवाजों से भिन्न होगी। इसे सुनते ही सभी पक्षी या तो कहीं दुबक जाते हैं या छिप जाते हैं। खतरा टल जाने पर फिर विशेष प्रकार की आवाज करते हैं जिसे सुनकर सभी निश्चित होकर विचरने लगते हैं। ऊपर कहा गया कि पक्षियों के गाने की संरचना जटिल होती है, उसकी तुलना में उपर्युक्त प्रकार असंगीतात्मक आवाजों की संरचना सरल होती है। साथ ही इनमें बोली-भेद भी विशेष नहीं होता, जैसा कि गाने में होता है।

मानव-भाषा में जैसे व्यक्ति-बोली (idiolect) होती है, वैसे ही चिड़ियों की भाषा में भी होती है। गिलीमोट (मरे) पक्षी के बच्चों के साथ प्रयोग किया गया तो पाया गया कि अंडे में से निकलने के तीन-चार दिन के बाद वे अपने माँ-बाप की आवाज को अन्य पक्षियों से अलग पहचान लेते हैं। उनकी आवाज तो उन्हें आकर्षित करती है, किन्तु अन्यो की नहीं।

चिड़ियाँ अपनी भाषा में, जिन सामान्य असंगीतात्मक आवाजों का प्रयोग करती हैं, वे प्रायः सहजात होती हैं। किन्तु जहाँ तक उनके गाने का प्रश्न है, कुछ तो सहजात होती हैं, किन्तु कुछ अंशतः और कभी-कभी पूर्णतः सीखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोयल का गाना सहजात होता है। कोयल के बच्चों को प्रयोग के तौर पर कोयल-समाज से अलग रखा गया तथा उन्हें अन्य पक्षियों की आवाजें सुनाई जाती रहीं, कोयल की नहीं। किन्तु पाया यह गया कि ऐसे बच्चे भी अपनी प्रजाति की तरह ही बोलते हैं। किन्तु दूसरी ओर कुछ पक्षी अपना गाना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, नर बुल्फिच पक्षी अपना गाना पूरी तरह सीखता है। प्रयोग के रूप में प्रारम्भ से ही उसे कैनरी पक्षी के पिजड़े में रखा गया तो वह बड़े होने पर उसी का गाना गाने लगा, अपना नहीं।

(ग) प्राइमेट की भाषा—'प्राइमेट' जीवविज्ञान का एक बहुसमावेशी शब्द है। इसमें स्तनपायी प्राणियों के लैम्यूर बन्दर, लंगूर, बैबून, गिबन, गोरिल्ला, चिपेंजी, बन्मानुस तथा आवामी आदि सर्वाधिक विकसित प्राणी आते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में कइयों की भाषा पर

काम हुए हैं तथा कड़ियों की तरह-तरह की सांकेतिक भाषाएँ सिखाने के भी यत्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक चिंपेंजी शिशु 'गुआ' को एक बच्चे के साथ रखा गया तथा सोलह महीनों में वह सौ शब्द (बच्चे की तुलना में अधिक) समझने लगा, किन्तु उससे अधिक शब्द वह कभी नहीं समझ सका। साथ ही वह अलग-अलग शब्दों के अर्थ भी समझ सका, उनके आधार पर तरह-तरह के वाक्य नहीं बना सका। एक दूसरा चिंपेंजी शिशु बहुत परिश्रम करने पर भी 'मामा', 'पापा', 'कम' जैसे शब्द बोलने लगा, किन्तु और आगे नहीं। ऐसे ही यह देखकर कि इनका उच्चारण-अवयव मनुष्य-जैसा समर्थ नहीं होता, अतः इनके लिए मनुष्य की तरह बोलना कठिन है, कुछ को सांकेतिक भाषाओं का अभ्यास कराया गया, किन्तु कोई खास सफलता मिली नहीं। यह पाया गया कि आदमी के बच्चे की तरह उनके बच्चे या वे कुछ थोड़े संकेतों से, उन्हें अलग-अलग क्रमों में जोड़कर तरह-तरह के नए वाक्य आदि नहीं बना सकते। साथ ही सहज रूप से उनकी अपनी भाषा में अभिव्यक्ति-व्यवस्था उद्दीपन-अनुक्रिया (Stimulus-responses system) रूप में होती है। बन्दर तरह-तरह की आवाजों तथा मुद्राकृतियों से क्रोध, आवेश, प्यार आदि विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं और इस तरह की अभिव्यक्तियाँ भी उद्दीपन-अनुक्रिया रूप में ही होती हैं। वेरवेट (Vervet) नामक अफ्रीकी बन्दर अलग-अलग तरह की छत्तीस ध्वनियों (गुर्राना, चीखना, बुफ-बुफ, वा-वा, दाँत कटकड़ाना, र्र्र, एड, उह, अर्र आदि) से इक्कीस परिस्थितियों में बाईस तरह के भावादि (जैसे भय, क्रोध, खतरे की चेतावनी, पुकारना आदि) व्यक्त करता है।

(घ) डॉल्फिन की भाषा—यह एक प्रकार का समुद्री जीव है जिसे कुछ लोगों ने 'समुद्री बन्दर' कहा है, यद्यपि वह बन्दर न होकर हल-सा होता है। यह भी तरह-तरह की आवाजें करता है, किन्तु उन ध्वनियों का प्रयोग अन्य डॉल्फिनों से कुछ कहने के लिए नहीं होता, बल्कि वे आवाजें रास्ते में आनेवाली चीजों का उसे पता देती हैं, राडार की तरह। कुछ ध्वनियाँ उसके मुँह से परेशानी में सहज ही निकल जाती हैं, तथा कुछ सहावास-जन्तु में मादा डॉल्फिन को पास आने का संकेत देने के लिए होती हैं। वस्तुतः डॉल्फिन की ध्वनियाँ आभिव्यक्तिक न होकर सहज भावात्मक अधिक होती हैं। यों कुछ लोगों ने डॉल्फिन को आपस में सम्प्रेषण करने का प्रशिक्षण भी देना चाहा, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।

(ङ) पेड़-पौधों की भाषा—एक समय था जब पेड़-पौधे जड़ माने जाते थे। अपने यहाँ भारतीय परम्परा में जड़-चेतन की संकल्पना में 'जड़' में पेड़-पौधे भी आते हैं। आधुनिक काल में बीज आदि से पेड़-पौधों के जनमने, बढ़ने और फिर सूख जाने की ओर लोगों का ध्यान जाने पर यह माना जाने लगा कि पेड़-पौधे भी जड़ नहीं होते। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी चेतनता एक खास तरह की होती है जो मनुष्य या अन्य जीव-जन्तुओं से भिन्न प्रकार की होती है। इस मान्यता को प्रामाणिक आधार प्रदान किया प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति-शास्त्रवेत्ता जगदीशचन्द्र वसु (१८५८-१९३७ ई०) ने। उन्होंने नई-नई पद्धतियों को अपना कर पेड़-पौधों पर नये-नये प्रयोग किये तथा इसके लिये नये-नये यन्त्र और उपकरण बताये। इन्हीं यन्त्रों में पौधों की वृद्धि नापने के लिए क्रैस्कोग्राफ नाम का यन्त्र भी था जो वृद्धि को एक करोड़ गुना बढ़ाकर दिखाता था, अतः उनका बढ़ना बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ऐसे ही उन्होंने अन्य यन्त्रों और उपकरणों की सहायता से पेड़-पौधों पर नींद, हठ, भोजन तथा दवा आदि का प्रभाव भी दिखाया जो बहुत कुछ जीव-जन्तुओं जैसा ही था। इस तरह उन्होंने पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं के उत्तकों की क्रियाओं में अद्भुत समानता प्रदर्शित की तथा सिद्ध कर दिया कि पेड़-पौधे भी प्राणवान होते हैं। यह बात दूसरी है कि उनकी प्राणवानता तथाकथित जीव-जन्तुओं से कई बातों में भिन्न होती है। जैसे जीव-जन्तु चल-फिर सकते हैं, किन्तु पेड़-पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जा सकते। पेड़-पौधों की प्राणवत्ता के सम्बन्ध में 'सजीव और निर्जीव की अभिक्रियाएँ', 'वनस्पतियों की अभिक्रिया' तथा पौधों की 'प्रेरक शक्ति' आदि उनकी परतकें दर्शनीय हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब पेड़-पौधे जीव-जन्तुओं की भाँति ही नींद, भोजन, हवा तथा दवा आदि से प्रभावित होते हैं तो क्या विभिन्न-जीव जन्तुओं की तरह वे भाषा का भी प्रयोग करते हैं? अभी हाल के कुछ अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि कुछ पेड़ अपनी भाँति के अन्य पेड़ों को विशिष्ट प्रकार के संदेश देते हैं और वे अन्य पेड़ संदेश पाकर तदनुसार कार्य करते हैं। दो अमरीकी वनस्पतिशास्त्रियों ने 'विलो' और 'बर्च' नामक पेड़ों पर अनुसंधान करके यह निष्कर्ष निकाला है कि पेड़ संकेत के समान एक-दूसरे को चेतावनी देते हैं। उदाहरण के लिए कीड़ों से क्षतिग्रस्त होने वाले पेड़ ज्यों ही क्षतिग्रस्त होते हैं, वे दूसरे पेड़ों को स्वयं को कीड़ों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए चेतावनी देते हैं। वस्तुतः ये वैज्ञानिक यह जानने के लिए परीक्षण कर रहे थे कि कुछ पेड़ कैटरपिलर या मकड़ियों के आक्रमण से कैसे बच के लिए परीक्षण कर रहे थे कि कुछ पेड़ ज्यों ही क्षतिकारक कीड़े-मकोड़े पहुँचते निकलते हैं। उन्होंने परीक्षण में पाया कि कुछ पेड़ों पर ज्यों ही क्षतिकारक कीड़े-मकोड़े पहुँचते हैं, वे एल्कोलाइड तथा टर्पिनाइड जैसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देते हैं जिनके पत्तियों में पहुँचने पर पत्तियाँ कीड़ों के खाने योग्य नहीं रह जाती। यही नहीं, वह प्रोटीन भी, जिसे कीड़े अपने भोजन के रूप में पेड़ों से प्राप्त करते हैं, इन रसायनों के कारण दूषित हो जाता है और उस पेड़ पर पहुँचने वाले कीड़े अपना खाद्य न पा सकने के कारण धीरे-धीरे मर जाने को बाध्य होते हैं।

इन वैज्ञानिकों को यह पाकर बेहद आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की स्थिति में ऐसे पेड़ों से तीस-चालीस मीटर की दूरी पर स्थित पेड़ भी ये ही रसायन अपने भीतर उत्पन्न करने लगे, ताकि कीड़े उन पर हमला न कर सकें। प्रश्न यह उठता है कि तीस-चालीस मीटर की दूरी पर स्थित इन पेड़ों को यह सूचना कैसे मिली कि वे ऐसे कीड़ों के आक्रमण से बचने की पूर्ण तैयारी करने लगे। जड़ों के माध्यम से किसी संकेत के पहुँचने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि जड़ें इतनी दूरी तक नहीं जाती। इन वैज्ञानिकों का विश्वास है कि क्षतिग्रस्त पेड़ हवा में कोई रसायन छोड़कर अन्य पेड़ों को कीड़ों के आक्रमण के विरुद्ध तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। इस तरह यदि यह बात ठीक है तो यह रसायन या ये रसायन ही पेड़ों की अपनी सांकेतिक भाषा के प्रतीक हैं जिनके माध्यम से ये पेड़ आक्रमण के विरुद्ध तैयारी का संदेश आपस में एक-दूसरे को देते हैं।

मानव-भाषा और मानवतर भाषा में अन्तर

ऊपर हमने मानव-भाषा की परिभाषा तथा कुछ मानवतर भाषाओं पर विचार किया। उल्लेख्य है कि अपनी प्रकृति की दृष्टि से ये दोनों भाषाएँ (मानव और मानवतर) एक नहीं हैं। उनमें कई भिन्नताएँ हैं। इस समस्या पर मुख्यतः हॉकिट (Hockett : The Origin of Speech (लेख), १९६०), मैकनेल (Mc Neill : The Acquisition of Language, १९७०) तथा चॉम्स्की (Chomsky : Cartesian Linguistics, १९६६) ने विचार किया है। हॉकिट ने दोनों की तुलना सर्जनात्मकता, यादृच्छिकता तथा पेटर्न की दृष्टता आदि तैरह आधारों पर की है। मैकनेल के आधार दो प्रकार के हैं : संरचनात्मक तथा प्रकायपरक। उदाहरण के लिए, संरचनात्मकता की दृष्टि से मानव-भाषा में योजन-अलग शब्द बन जाते हैं (system) है। विभिन्न रूपों में समान ध्वनियों को जोड़ने से अलग-अलग वाक्य बन जाते हैं। जहाँ तथा समान शब्दों को अलग-अलग रूपों में जोड़ने पर अलग-अलग वाक्य बन जाते हैं। जहाँ तक प्रकाय का प्रश्न है, ये तीन तरह के होते हैं : वस्तुपरक (वस्तुओं को संकेतित करना), भावपरक (भावों को संकेतित करना) तथा प्रकथनपरक (Predicative, बाहरी घटनाओं या आंतरिक स्थिति के विषय में कहना या टिप्पणी करना)। चॉम्स्की ने इस सम्बन्ध में जो कहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनके अनुसार मानवतर भाषा सर्जनात्मक नहीं होती, बल्कि मानव-भाषा होती है। सर्जनात्मकता में तीन बातें आती हैं : (क) अक्षीयता—मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा अक्षीय पुराने और नए भावों तथा विचारों,

आदि को अभिव्यक्ति दे सकता है, किन्तु मानवेतर भावा की अभिव्यक्ति-शक्ति बहुत सीमित होती है। (ब) उद्दीपन-अनुक्रिया-मुक्तता—मानव-भावा उद्दीपन-अनुक्रिया रूप में नहीं होती, जबकि मानवेतर भावा प्रायः होती है। (ग) संदर्भ-उपयुक्तता—मानव-भावा नए-से-नए, पहले से सर्वथा अज्ञात और अननुमानित संदर्भ के पूर्णतः उपयुक्त अभिव्यक्ति देने में समर्थ है, किन्तु मानवेतर भावा नहीं।

उपर्युक्त बातों के आधार पर भावा के अभिलक्षण पर विचार किया जा सकता है।

भावा के अभिलक्षण

यहाँ 'भावा' से आशय है 'मनुष्य की भावा' तथा 'अभिलक्षण' (property) से आशय है 'विशेषता' या 'मूलभूत लक्षण'। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण ही उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलगते हैं। इस तरह मानव-भावा के अभिलक्षण वे हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भावाओं से अलगते हैं।

यह ध्यान देने की बात है कि भावा केवल मनुष्यों की ही बपीती नहीं। मकड़ी, मधुमक्खी, गिबन (बन्दरों की एक जाति, जिनके हाथ बहुत लम्बे होते हैं), सिकिलबैक (एक प्रकार की छोटी मछली) तथा चिम्पेजी आदि अनेक ऐसे जीव-जन्तु हैं जो किसी-न-किसी प्रकार की भावा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि मनुष्य की भावा, अन्य सभी जीवों की भावा से स्पष्टतः अलग है, उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य सभी प्राणियों की भावाओं से अलग करते हैं। अर्थात् इन अभिलक्षणों में कुछ तो अन्य जीवों की भावाओं में मिलते हैं, किन्तु सभी केवल मानव-भावा में। हाँकिट इस प्रसंग में सात अभिलक्षणों का उल्लेख करते हैं। कुछ अन्य लोगों ने इससे कुछ कम या कुछ अधिक अभिलक्षणों का उल्लेख किया है। मुख्य अभिलक्षण निम्नांकित नौ-दसमाने जा सकते हैं—

१. यादृच्छिकता—'यादृच्छिक' का अर्थ है 'जैसी इच्छा हो' या 'माना हुआ'। हमारी भावा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज-स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है, वह समाज की इच्छानुसार मात्र माना हुआ सम्बन्ध है। यदि सहज-स्वाभाविक सम्बन्ध होता तो सभी भावाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता। 'पानी' के लिए सभी भावाएँ 'पानी' का ही प्रयोग करतीं। अंग्रेजी 'वाटर' का प्रयोग न करती, न फ़ारसी 'आब' का और न रूसी 'वदा' का। विभिन्न भावाओं के सभी शब्दों में हम यह यादृच्छिकता पाते हैं। यह यादृच्छिकता शब्द के स्तर पर थी। व्याकरण के स्तर पर रूपरचना तथा वाक्यरचना में भी यही बात है। अंग्रेजी कर्ता कारक के लिए किसी भी कारक चिह्न का प्रयोग नहीं करती (Ram slapped Mohan), किन्तु हिन्दी 'ने' का प्रयोग करती है (राम ने मोहन को थपड़ मारा)। ऐसे ही हिन्दी में वाक्य में कर्ता-कर्म-क्रिया (राम ने पत्र लिखा) का क्रम है तो अंग्रेजी में कर्ता-क्रिया-कर्म (Ram wrote a letter) का। इस तरह ये सारी बातें यादृच्छिक हैं। कहीं भी इनके पीछे कोई तर्क नहीं है—न शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में, न रूप-रचना में और न वाक्य के पदक्रम या अन्वय आदि में। यही है भावा की यादृच्छिकता। यों यादृच्छिकता थोड़ी बहुत तो अन्य प्राणियों (जैसे मधुमक्खी, गिबन आदि) की भावा में भी मिलती है, किन्तु मानव-भावा जितनी नहीं।

२. सृजनात्मकता (Creativity)—भावा में शब्द और रूप तो प्रायः सीमित होते हैं, किन्तु उन्हीं के आधार पर हम अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए-नए असीमित वाक्यों का सृजन करके उनका प्रयोग करते हैं। हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का रोज़ ही प्रयोग करते हैं, जो ठीक उसी रूप में पहले कभी भी नहीं प्रयुक्त हुए। मज़े की बात यह है कि वाक्यों के नए होने पर भी, श्रोता को उन्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती।

यह कमाल इस सृजनात्मकता का ही है जो वक्ता और श्रोता दोनों ही की भाषिक क्षमता में होती है। और उसी के परिणाम-स्वरूप वक्ता नित्य नए-नए वाक्य का प्रयोग कर लेता है और श्रोता उन्हें समझ लेता है। हम 'मैं', 'वह' 'तुम', 'बुलवाना' इन चार शब्दों से बहुत सारे वाक्यों का सृजन कर सकते हैं, जैसे 'मैंने उसे तुमसे बुलवाया', 'मैंने तुम्हें उससे बुलवाया', 'उसने मुझे तुमसे बुलवाया' तथा 'उसने तुम्हें मुझसे बुलवाया' आदि। किन्तु अन्य जीव-जन्तु अपनी भाषा में इस तरह सृजन नहीं कर सकते। वे तो जैसा जानते हैं, उसको वैसे ही दुहरा भर सकते हैं। मधुमक्खी एक मात्र अपवाद है जिसकी भाषा में यह गुण थोड़ा-बहुत होता है, किन्तु मानव-भाषा जितना नहीं। इस अभिलक्षण को उत्पादकता (Productivity) भी कहा गया है।

३. अनुकरणग्राह्यता—मानव-भाषा समाज-विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं जानता, माँ के पेट से कोई भी बच्चा भाषा सीखकर नहीं आता, किन्तु अन्य सभी जीव-जन्तु अपनी भाषा अपने समाज से नहीं सीखते, बल्कि उनकी अपनी भाषिक क्षमता उनमें जन्मजात होती है। अनुकरणग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएँ भी अनुकरण से सीख सकता है, किन्तु कोई अन्य जीव-जन्तु ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह मानव-भाषा आनुवंशिक (Hereditary) नहीं होती, जैसी कि अन्य जीव-जन्तुओं की भाषाएँ होती हैं। भाषा के इस अभिलक्षण को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा गया है : सांस्कृतिक प्रेषणीयता (Cultural Transmission)—क्यों कि संस्कृति के साथ-साथ, उसके एक अंगरूप में भाषा सीखी जाती है; परम्परागुणमिता (Conventionality)—क्योंकि परम्परा या रूढ़ि (Convention) के रूप में भाषा सीखी जाती है; सीखने के योग्य होना या अधिगम्यता (Learnability)—क्योंकि भाषा सीखी जा सकती है।

४. परिवर्तनशीलता—मानव-जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरणार्थ, कुत्ते पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किन्तु मानव-भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। संस्कृत-काल का 'कर्म' प्राकृत-काल में 'कम्म' हो गया तो आधुनिक काल में 'काम'। इस तरह चिर परिवर्तनशीलता भी मानव-भाषा को अन्य जीवों की भाषाओं से अलगाती है। इस अन्तर का मुख्य कारण इस मानव-भाषा का अनुकरणग्राह्य होना है, जबकि अन्य भाषाएँ आनुवंशिक होती हैं।

५. विविक्तता (Discreteness)—मानव-भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक हो। वह तत्त्वतः कई घटकों या इकाइयों में विभाज्य है। उदाहरण के लिए, 'वाक्य' एकाधिक 'शब्दों' से बनता है तथा 'शब्द' एकाधिक 'ध्वनियों' से। यह बहुघटकता, विच्छिन्नता, विविक्तता या कई इकाइयों में विभाज्यता अन्य जीवों की भाषा में नहीं मिलती। उदाहरणार्थ, बहुत से नर जीव यदि मादा को यह बतलाना चाहते हैं कि वे कामोत्तेजित हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि-संकेत करते हैं जो मानव द्वारा प्रयुक्त वाक्यादि जैसा नहीं होता। जो विभिन्न शब्दों से बना हो। वह पूरा-का-पूरा अविच्छिन्न रूप से एक ही इकाई होता है। यदि उसके ध्वनि-संकेत को टुकड़ों में विभक्त भी करें, तो वे उस रूप में सार्थक नहीं होते, जैसे मानव-भाषा के वाक्य के शब्द। इस तरह एकाधिक इकाइयों से बना होना या विविक्तता केवल मानव-भाषा का ही अभिलक्षण है।

६. द्वैतता (Duality)—भाषा में किसी भी वाक्य या उच्चार (Utterance) को दो स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाइयों सार्थक होती हैं तथा दूसरे स्तर की इकाइयों निरर्थक होती हैं। इन दो स्तरों की स्थिति को ही द्वैतता कहते हैं। इन इकाइयों में सार्थक इकाइयों को रूपिम (शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारकवित्त आदि) कहते हैं।

उदाहरण के लिए, 'बंदर ने फल तोड़े' वाक्य में बंदर+ने+फल+ तोड़ + ए ये पाँच सार्थक इकाइयाँ (अथवा रूपिम) हैं। दूसरे स्तर की इकाइयाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनसे ये सार्थक इकाइयाँ बनी हैं। उदाहरणार्थ 'बंदर' में ब् + अ + न् + द् + अ × र ये छह ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किन्तु ये आपस में मिलकर, भाषा में सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि ये ध्वनियाँ अपने आप में निरर्थक होती हैं, किन्तु ये अर्थभेदक होती हैं। उदाहरण के लिए, 'क' और 'घ' ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं है, किन्तु 'कोड़ा' और 'घोड़ा' में अर्थ का भेद या अन्तर 'क' और 'घ' के कारण ही है। इस तरह यहाँ 'क'-'घ' ध्वनियाँ अर्थभेदक हैं। पहले स्तर की इकाइयों को 'रूपिम' कहा गया है, उसी तरह दूसरे स्तर की इकाइयों को भाषाविज्ञान में स्वनिम कहते हैं जिन्हें यहाँ सरलता के लिए 'ध्वनि' कहा गया है।

इस द्वैतता को 'अभिरचना की द्वैतता' (Duality of Pattern) भी कहते हैं, अर्थात् भाषा में एक साथ दो स्तरों पर अभिरचनाएँ होती हैं। अर्थद्वैतक या विचारद्वैतक इकाइयों (अर्थात् रूपिम) के स्तर पर तथा अर्थभेदक इकाइयों (अर्थात् स्वनिम) के स्तर पर। इस तरह भाषा इन दो स्तरों पर पाई जाने वाली अभिरचनाओं के योग का परिणाम होती है। अभिरचना (Pattern) उस विनिष्ट क्रम तथा व्यवस्था वाले स्वरूप या गाँचे को कहते हैं जो भाषा में उपर्युक्त दोनों स्तरों पर पाए जाते हैं। यह अभिलक्षण भी प्रायः केवल मानव-भाषा में ही मिलता है। यों अपवादतः मधुमक्खियों की भाषा में भी यह थोड़ा-बहुत होता है।

७. भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता (Interchangeability of roles)—जब हम बातचीत करते हैं तो वक्ता-श्रोता की भूमिकाएँ बदलती रहती हैं। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है; फिर जब श्रोता उत्तर देता है या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह वक्ता बन जाता है और तब प्रथम वक्ता श्रोता हो जाता है। यही है भूमिकाओं की बदला-बदली या उनका क्रम-परिवर्तन या उनकी परस्पर परिवर्तनीयता। यों अनेक मानव-प्राणियों (जैसे बंदर, मधुमक्खी आदि) की भाषाओं में भी यह अभिलक्षण मिलता है, पर थोड़ी देर तक, बहुत लंबा नहीं। साथ ही कुछ प्राणियों में, सभी में नहीं।

८. अंतरणता (Displacement)—कुछ अपवादों को छोड़कर मानव-प्राणियों की भाषा केवल वर्तमान के विषय में सूचना दे सकती है, भूत या भविष्य के विषय में नहीं। इसके विपरीत मानव-भाषा वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हुए भी भूत तथा भविष्य के विषय में भी कहने में समर्थ है। इस तरह मानव-भाषा कालांतरण कर सकती है। ऐसे ही मानव-प्राणियों का प्रायः उसी स्थान या उसके आसपास के बारे में सूचना दे सकती है जहाँ भाषा-व्यापार हो रहा है, दूर के स्थान के विषय में नहीं। किन्तु मानव-भाषा इसमें भी समर्थ है। इस तरह वह स्थानान्तरण भी कर सकती है। इस प्रकार दिक्कालांतरण (स्थान और काल का अन्तरण) मानव-भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। यों भविष्य के विषय में मधुमक्खियाँ तथा कुछ अन्य जीव भी कभी-कभी संप्रेषण करते पाए गए हैं।

९. मौखिकता-श्रव्यता—मानव-भाषा मुँह से बोली जाती है तथा कान से सुनी जाती है, इस तरह वह मौखिक-श्रव्य सरणि (channel) का प्रयोग करती है। भाषा की लिखित-पठित सरणि मूलतः इसी पर आधारित होती है। यों मानव-प्राणियों में भी कुछ इसका प्रयोग करते हैं, किन्तु कुछ अन्य सरणियों का भी/ही प्रयोग करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ नृत्य द्वारा भी कभी-कभी संप्रेषण करती हैं जो दृश्य-सरणि है तथा ऐसे ही गंध निकालकर भी संप्रेषण करता देखा गया है जो घ्राण-सरणि है।

१०. असहजवृत्तिकता (Non-instinctivity)—मानवेतर प्राणी भूख, कामेच्छा, भय आदि जीव-सुलभ सहज बातों के कारण प्रायः सहजवृत्तिकतः (instinctively) अपने मूँह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, किन्तु ध्वनियाँ उस अर्थ में भाषा नहीं होती, जिस अर्थ में मानव-भाषा होती है। मानव-भाषा मूलतः असहजवृत्तिक (non-instinctive) होती है। जीवन की सहजात वृत्तियों (instincts) से उसका संबन्ध नहीं होता।

ये सभी अभिलक्षण, समवेत रूप से, केवल मानव-भाषा में ही मिलते हैं। इस प्रकार ये दसों मिलकर मानव-भाषा को मानवेतर भाषा से अलगते हैं।

‘भाषा’ तथा ‘वाक्’ अथवा ‘भाषा-व्यवस्था’ तथा ‘भाषा-व्यवहार’।

भाषा के ये दो रूप मानने का श्रेय मूलतः सस्यूर को है। उन्होंने संक्षेप में इन पर विचार किया। बाद में लुबेत्स्काय, येलमस्लव तथा चॉम्स्की आदि ने इनके अन्तर कई दृष्टियों से स्पष्ट किए। मुख्य अंतर ये हैं—(१) भाषा एक व्यवस्था है, जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता (Competence) के रूप में होती है, जबकि वाक् उस भाषाभाषी समाज के व्यक्ति द्वारा उस भाषा का प्रयुक्त या व्यवहृत रूप है। यह भाषा का प्रयोग अथवा भाषिक निष्पादन (Performance) है। ‘तोता हिन्दी बोल रहा है’ वाक्य ठीक है। कोई तोता हिन्दी के एक-दो वाक्य सीखकर बोल सकता है—उच्चरित कर सकता है; किन्तु ‘तोता हिन्दी जानता है’ वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ हिन्दी जानने का अर्थ है हिन्दी भाषा या उसकी व्यवस्था को जानना, जो तोता के लिए सम्भव नहीं। अर्थात्, तोता के लिए कोई भाषा जानना सम्भव नहीं, हाँ, वाक्-रूप में वह किसी भाषा के एक-दो वाक्य का प्रयोग कर सकता है। (२) भाषा की सत्ता मानसिक होती है, जबकि वाक् की सत्ता भौतिक होती है, वास्तविक उच्चारण या लेखन के रूप में होती है। (३) भाषा अमूर्त होती है, किन्तु उसकी तुलना में वाक् मूर्त होता है, क्योंकि उसमें वाक्य अपना रूप ले लेता है। (४) भाषा सामाजिक है, व्यक्ति-निरपेक्ष, किन्तु वाक् वैयक्तिक है, व्यक्ति-सापेक्ष। (५) वाक् भाषा पर ही आधारित होती है, किन्तु भाषा का पता वाक् से ही चलता है। इस प्रकार दोनों परस्पर सापेक्ष संकल्पनाएँ हैं। (६) भाषा समरूपी (Homogenous) होती है, किन्तु वाक् विषमरूपी (Heterogenous)। ऐसा माना जाता है, किन्तु मेरे अपने विचार में भाषा भी एक सीमा तक विषमरूपी ही होती है—सभी भाषाभाषियों के मस्तिष्क में भाषा का एक रूप हो नहीं सकता।

सस्यूर द्वारा प्रयुक्त फ्रांसीसी शब्द Langue तथा Parole (जो अंग्रेजी में भी चलते हैं) के प्रतिशब्द के रूप में हिन्दी में क्रमशः ‘भाषा’ और ‘वाक्’ का प्रयोग चलता रहा है। अब लगता है कि ये प्रतिशब्द सस्यूर के ठीक मतव्य को व्यक्त नहीं कर पाते। अतः इन्हें क्रमशः ‘भाषा-व्यवस्था’ (Language system) तथा ‘भाषा-व्यवहार’ (Language behaviour) कहना कदाचित् अधिक ठीक है।

भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तर

भाषा यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। अर्थात् इस व्यवस्था की अपनी विशेष प्रकार की संरचना होती है। साथ ही इस संरचना में केवल एक स्तर नहीं होता। इसमें कई स्तर होते हैं। जैसे ध्वनि-स्तर, रूप-स्तर, वाक्य-स्तर, अर्थ-स्तर आदि। प्रत्येक स्तर पर भाषा की इकाइयाँ अलग-अलग होती हैं। जैसे ध्वनि इकाई ध्वनि-स्तर पर, तो वाक्य-स्तर पर वाक्य इकाई, या रूप-स्तर पर रूप इकाई। यह ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक स्तर की अपनी अलग संरचना होती है। इसे यों कहना शायद अधिक उचित होगा कि प्रत्येक इकाई की संरचना का आशय है उस इकाई की व्यवस्था। उदाहरण के लिए, वाक्य-स्तर पर

वाक्य इकाई होती है। 'राम ने श्याम को मारा' तथा 'श्याम ने राम को मारा' ये दोनों दो वाक्य हैं। इन दोनों में ही मोटे रूप से पाँच-पाँच घटक हैं: राम, ने, श्याम, को, मारा; किन्तु इन वाक्यों के इन आंतरिक घटकों की व्यवस्था समान नहीं है। पहले में 'राम' कर्ता है तो दूसरे में कर्म तथा पहले में 'श्याम' कर्म है तो दूसरे में कर्ता। इस प्रकार 'राम' और 'श्याम' की दृष्टि से दोनों वाक्यों की आंतरिक संरचना अलग-अलग है। ऐसे ही 'मोहन ने शंकर को बुलाया' तथा 'श्याम ने मोहन को बुलाया' वाक्यों में 'मोहन' दोनों में ही है, किन्तु आंतरिक संरचना में अंतर के कारण इन दोनों वाक्यों में 'मोहन' की स्थिति एक नहीं है। ध्वनि-स्तर की बात लें तो इसी तरह 'लिखना' और 'खिलना' दोनों ही में, ल, ड, ख, न, आ ध्वनियाँ हैं, किन्तु इनकी आंतरिक संरचना अलग-अलग है, इसीलिए दोनों दो शब्द हैं तथा दोनों के दो अर्थ हैं।

'भाषिक संरचना के विभिन्न स्तर' के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। हॉकिट पाँच स्तर मानते हैं : (१) व्याकरणिक, (२) स्वनिमिक, (३) रूपस्वनिमिक, (४) आर्थी, (५) स्वनिक। इनमें प्रथम तीन को उन्होंने केन्द्रीय कहा है और अन्तिम दो को परिधीय। अर्थात्, प्रथम तीन भाषा के केन्द्र में हैं, किन्तु अन्तिम दो केन्द्र में न होकर अपेक्षाकृत बाहरी, अर्थात् परिधि में हैं। पहली में रूप तथा वाक्य आते हैं, दूसरी में स्वनिम, तीसरी में पहली और दूसरी में सम्बन्ध-स्थापन होता है, चौथी का सम्बन्ध अर्थ से है। यहाँ वाक्य आदि आसपास के भाषिक एवं संबद्ध भाषेतर संदर्भों से जुड़े हैं। पाँचवीं में स्वनों अर्थात् ध्वनियों का उच्चारण, प्रसरण तथा श्रवण आता है। हॉकिट 'भाषा-व्यवस्था' में इन पाँचों को 'उपव्यवस्था' का नाम देते हैं।

सामान्यतः भाषिक संरचना में पाँच स्तर माने जाते हैं : वाक्य, रूप या पद, शब्द, ध्वनि और अर्थ।

कुछ लोग वाक्य, रूप, ध्वनि और अर्थ ये चार ही स्तर मानते हैं। इनके अनुसार 'ध्वनि' में ही 'स्वनिम' भी समाहित है तथा 'रूप' में 'शब्द'। 'रूप-स्वनिमिक' स्तर अलग न होकर 'रूप' और 'ध्वनि' दोनों से संबद्ध है—क्योंकि रूपों के मिलने पर उनमें आने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तन तथा फिर प्राप्त नए रूप इसमें आते हैं। जैसे एक + अंत = एकांत या अदि + अपि = यद्यपि।

मेरे अपने विचार में भाषिक संरचना के मुख्य स्तर मूलतः चार हैं : प्रोक्ति-स्तर, व्याकरणिक स्तर, ध्वनि-स्तर तथा अर्थ-स्तर। स्पष्टता के लिए व्याकरणिक स्तर में वाक्य तथा रूप को अलग-अलग लें तो पाँच स्तर हो जाते हैं : प्रोक्ति, वाक्य, रूप, ध्वनि, अर्थ। 'रूप' मूलतः शब्द या धातु में कारक-चिह्न या प्रत्यय जोड़कर बनते हैं, अतः शब्द को एक अलग स्तर भी माना जा सकता है, तथा धातु को भी उर्मी में समाहित किया जा सकता है। इस तरह छह स्तर हुए : अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि। भाषा को ध्यान से देखें तो ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्दों (तथा धातुओं) से 'रूप', रूपों से 'वाक्य' और एकाधिक वाक्यों से 'प्रोक्ति'। दूसरे शब्दों भाषा की सहज इकाई प्रोक्ति है, जिसका अर्थ होता है। प्रोक्ति का विश्लेषण करें तो वाक्य मिलते हैं, वाक्यों के विश्लेषण से शब्दादि, तथा उनके विश्लेषण से ध्वनि। यहाँ संक्षेप में इन स्तरों की चर्चा की जा सकती है।

(१) अर्थ—भाषा का मूलभूत काम है अर्थ की अभिव्यक्ति। वक्ता या लेखक का पूरा मंतव्य या अर्थ तो प्रोक्ति से व्यक्त होता है। यों प्रोक्ति के भीतर प्रत्येक वाक्य का, वाक्य के भीतर प्रत्येक रूप का, रूप के भीतर प्रत्येक शब्द एवं धातु का तथा कारक-चिह्न और प्रत्यय का अपना अर्थ होता है। आधुनिक भाषाविज्ञान में रूप के भीतर के इन शब्दों, धातुओं, कारक-चिह्नों तथा प्रत्ययों आदि को 'रूपिम' कहते हैं जो अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम

इकाई होते हैं। मैं हाँकिट की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाषा की संरचना का अर्थ-स्तर परिधीय होता है। मेरे विचार में वह सर्वाधिक केन्द्रीय स्तर है। उसी के आधार पर अन्य स्तरों का चयन करके वक्ता बोलता है तथा लेखक लिखता है। (विस्तार के लिए देखिए 'अर्थविज्ञान' शीर्षक सातवाँ अध्याय)

(२) प्रोक्ति—प्रोक्ति की संकल्पना भाषाविज्ञान में अपेक्षाकृत नई है। यों प्राचीन भारत में 'महावाक्य' द्वारा इसी संकल्पना को द्योतित किया गया है। वस्तुतः भाषा का प्रयोग किसी मंतव्य को अभिव्यक्ति देने के लिए होता है और मंतव्य को अभिव्यक्ति देने के लिए एकाधिक वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। एकाधिक वाक्यों के उस समुच्चय को ही प्रोक्ति कहते हैं जो एक सुव्यवस्थित इकाई के रूप में वक्ता या लेखक के मंतव्य को अभिव्यक्ति दे। (विस्तार के लिए देखिए 'प्रोक्तिविज्ञान' शीर्षक चौथा-अध्याय)

(३) वाक्य—अब तक भाषाविज्ञान तथा व्याकरण में भाषा की चरम इकाई तथा सहज इकाई वाक्य माना जाता रहा है। अब प्रोक्ति को चरम और सहज इकाई मान लेने पर वाक्य प्रोक्ति के भीतर की एक इकाई माना जाने लगा है। इसमें वाक्य, उपवाक्य तथा पदबंध (फ्रेज़) आते हैं। (विस्तार के लिए देखिए 'वाक्यविज्ञान' शीर्षक पाँचवाँ अध्याय)

(४) रूप—वाक्य रूपों से बनता है या वाक्य को विश्लेषित करने पर रूप मिलते हैं। 'रूप' को ही 'पद' भी कहते हैं। रूप में 'शब्द' तथा 'धातु' रूप में अर्थतत्त्व होते हैं तथा 'कारक-चिह्न' और 'प्रत्यय' रूप में संबधतत्त्व। 'राम ने रावण को मारा' वाक्य में 'राम ने', 'रावण को' तथा 'मारा' तीन रूप हैं जिनमें 'राम', 'रावण', 'मार्' अर्थतत्त्व हैं और 'ने', 'को', 'आ' संबधतत्त्व। (विस्तार के लिए देखिए 'रूपविज्ञान' शीर्षक छठा अध्याय)

(५) शब्द—सामान्यतः शब्द को भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई माना गया है, क्योंकि भाषा में भाव या विचार की अभिव्यक्ति मूलतः शब्द से ही होती है। शब्द में ही प्रत्ययादि जोड़कर 'रूप' बनते हैं और रूप से 'वाक्य' और वाक्यों से 'प्रोक्ति'। शब्द में धातु भी समाहित है। यों यदि शब्द को थोड़ा विस्तृत अर्थ दें तो उपसर्ग, कारक-चिह्न एवं प्रत्यय को भी उसी में 'बद्धशब्द' (जो अकेले न आकर किसी शब्द और धातु के साथ प्रयुक्त हो) या 'बद्धतत्त्व' रूप में शब्द के अन्तर्गत रखा जा सकता है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है कि कारक-चिह्न प्रत्यय और उपसर्ग यों न तो प्रोक्ति हैं, न वाक्य, न रूप, न शब्द और न ध्वनि। वे सार्थक होते हैं और प्रायः लघुतम होते हैं, अतः शब्द के साथ ही उन्हें रखा जा सकता है। यों यदि 'रूपिम' को इकाई मानें तो उसमें तो शब्द, धातु उपसर्ग, प्रत्यय, कारक-चिह्न आदि सभी आ जाते हैं। (विस्तार के लिए देखिए 'शब्दविज्ञान' शीर्षक नौवाँ अध्याय)

(६) ध्वनि—ध्वनियाँ अलग से सार्थक नहीं होतीं, किन्तु ये आपस में मिलकर सार्थक शब्द, रूप, वाक्य तथा प्रोक्ति का निर्माण करती हैं। ध्वनि-स्तर में किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों, उनकी स्वनिम-व्यवस्था, आक्षरिक संरचना, बलावात, अनुदान आदि का अध्ययन होता है। (विस्तार के लिए देखिए 'ध्वनिविज्ञान' शीर्षक आठवाँ अध्याय)

रूपस्वनिमिक स्तर रूप और ध्वनि स्तरों को जोड़ने वाला स्तर है, अतः इसे अलग स्तर न मानकर दोनों की संधि माना जा सकता है। इसका क्षेत्र है शब्दों, रूपों, उपसर्गों तथा प्रत्ययों आदि के योग से होने वाले ध्वनि-परिवर्तन तथा परिवर्तन के बाद प्राप्त नए शब्द या रूप। उदाहरण के लिए, घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़, पानी + घाट = पनघट। संस्कृत में संधि के अंतर्गत इन्हीं का अध्ययन होता रहा है। यों यदि इसे अलग स्तर मानना ही हो तो यह सातवाँ स्तर माना जा सकता है।

भाषा लिखी भी जाती है और लिखने में प्रत्येक लिपि को अपनी आंतरिक व्यवस्था और संरचना होती है। नागरी में 'लिपि' शब्द के लेखन में 'इ' के दोनों चिह्न ल् तथा प् व्यंजन के पहले आएंगे, किन्तु रोमन में LIPI रूप में L तथा P के बाद में। इस तरह लेखन-व्यवस्था और उसकी संरचना भी भाषा के लिखित रूप की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उसे भी ले लें तो 'लेखन-संरचना' रूप में स्तरों में उसे शामिल किया जा सकता है।

यों प्रोक्षित, वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि, अर्थ, रूपस्वनिम ये सात तो भाषा के केन्द्रीय स्तर हैं, किन्तु लेखन केन्द्रीय स्तर के अंतर्गत तो नहीं हैं, परिधीय भी न होकर, इन सबसे अलग है, किन्तु है भाषा से पूरी तरह संबद्ध।

भाषाविज्ञान

ऊपर 'भाषा' को हमें समझ चुके हैं। संक्षेप में कह सकते हैं जिस विषय में 'भाषा' का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे भाषाविज्ञान कहा जाता है। भाषाविज्ञान की अपेक्षाकृत और विस्तृत परिभाषा देने के पहले भाषाविज्ञान के प्रकारों का परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा।

भाषाविज्ञान के प्रकार

भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन का विज्ञान है। इसमें भाषा का अध्ययन कई दृष्टियों से किया जाता है और किया जा सकता है। कहना न होगा कि प्रत्येक दृष्टि से किया गया अध्ययन, स्वभावतः भाषा के विज्ञान के एक नए प्रकार, एक नए रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ उन्हीं को लिया जा रहा है। सुविधा के लिए यहाँ कुछ प्रकारों को हम अकेले ले रहे हैं और कुछ को जोड़ों के रूप में।

सामान्य (जेनरल) भाषाविज्ञान—भाषाविज्ञान के उस प्रकार को सामान्य भाषा-विज्ञान कहने है जिसमें भाषा-विशेष की ओर अपनी दृष्टि न डाल कर, सामान्य भाषा (जिसमें सभी भाषाएँ सम्मिलित हैं) की ओर हम अपनी दृष्टि डालें तथा अपना अध्ययन भाषा-विषयक सामान्य बातों तक ही सीमित रखें। जैसे भाषाएँ कैसे सबसे पहले जनमीं होंगी, प्रारंभिक भाषा का स्वरूप क्या रहा होगा, भाषा में विकास या परिवर्तन कैसे-कैसे होता है और क्यों होता है, उन परिवर्तनों के पीछे कौन-कौन से कारण काम करते हैं, क्यों कुछ भाषाओं में विकास या परिवर्तन तेजी से होता है, किन्तु कुछ में यह धीरे-धीरे होता है, भाषा की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, वे कौन-कौन से अभिलक्षण (विशेषताएँ) होते हैं जो मानव-भाषा को मानव-भाषाओं में अलगते हैं, कैसे धीरे-धीरे एक भाषा से ही अनेक बोलियाँ और भाषाएँ बन जाती हैं, जैसे एक ही भाषा संस्कृत से हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, असमी, उड़िया, नेपाली, सिंहली आदि भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ बन गई हैं। भाषा(ओं) से संबद्ध इस प्रकार की अनेकानेक बातें 'सामान्य भाषाविज्ञान' में ली जाती हैं।

१. जिसे यहाँ 'प्रकार' कहा जा रहा है, उसे कुछ लोगों ने शाखाएँ (जैसे लॉयन्स, 'लैंग्विज ऐंड लिंग्विस्टिक्स', दूसरा अध्याय) भी कहा है। यों प्रस्तुत पुस्तक में 'शाखाएँ' ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान, अर्थविज्ञान आदि को कहा गया है तथा 'सामान्य', एककालिक-बहुकालिक, तुलनात्मक-व्यतिरेकी आदि को 'प्रकार' माना गया है।

२. लॉयन्स ने अपनी एक पुस्तक (लैंग्विज ऐंड लिंग्विस्टिक्स) में 'वर्णनात्मक भाषाविज्ञान' (डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स) को 'सामान्य भाषाविज्ञान' के साथ रखा है, जैसे दोनों एक-दूसरे के विरोधी हों, किन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं। यों सामान्य भाषाविज्ञान के साथ 'विशिष्ट भाषाविज्ञान' को रखा जा सकता है, किन्तु दुर्भाग्य से अब तक भाषाविज्ञान के इस प्रकार के किसी प्रकार (विशिष्ट भाषाविज्ञान) की सत्ता स्वीकारी नहीं गई है।

वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) भाषाविज्ञान—‘भाषाविज्ञान’ के इस ‘प्रकार’ में भाषा सामान्य का नहीं, बल्कि किसी विशिष्ट भाषा का वर्णन करते हैं। ‘वर्णनात्मक’ (डिस्क्रिप्टिव) के विरोध में ‘आदेशात्मक’ (प्रिस्क्रिप्टिव) को रखा जा सकता है। ‘वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) भाषाविज्ञान’ भाषा के स्वरूप को केवल वर्णित (डिस्क्राइब) करता है, यह नहीं दिखाता कि भाषा का वह रूप शुद्ध है या अशुद्ध, मानक है या अमानक। इसके विपरीत ‘आदेशात्मक’ (प्रिस्क्रिप्टिव) में ‘वर्णन’ (डिस्क्राइब) न करके, यह निर्धारित तथा आदेशित (प्रिस्क्राइब) करते हैं कि अमुक भाषा में ऐसा बोलना या लिखना उचित है और ऐसा नहीं। कहना न होगा कि व्याकरण यही करता है। ‘वर्णनात्मक भाषाविज्ञान’ यदि आज की हिन्दी का वर्णन करेगा तो माने यह कहकर छुट्टी पा लेगा कि हरियाणा तथा दिल्ली में और आसपास बहुत से लोग ‘मुझे या मुझको जाना है’ के स्थान पर ‘मैंने जाना है’ बोलते हैं, या पूरब के लोग कोट, तकिया, रुमाल, कलम आदि शब्दों को पुल्लिङ्ग न बोलकर स्त्रीलिङ्ग बोलते हैं, किन्तु हिन्दी व्याकरण उपर्युक्त ‘ने’ वाले प्रयोग को अशुद्ध मानेगा तथा उसके प्रयोग का वर्णन करेगा और कोट आदि शब्दों को पुल्लिङ्ग मानेगा और यह संकेत देगा कि इन्हें स्त्रीलिङ्ग रूप में प्रयुक्त करना गलत है। इस तरह ‘व्याकरण’ भाषा के प्रयोग को वैसे ही निर्धारित (प्रिस्क्राइब) और आदेशित करता है, जैसे डॉक्टर एक मरीज के लिए दवा तथा खाद्य-अखाद्य निर्धारित और आदेशित करता है। अन्तर यह है कि डॉक्टर खाद्य-अखाद्य निर्धारित करता है तो व्याकरण प्रयोग-अप्रयोग। इसके विपरीत ‘वर्णनात्मक भाषाविज्ञान’ भाषा के प्रयोग में जो कुछ भी है, उसका तटस्थ भाव से वर्णन मात्र कर देता है, वह चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध। ‘निर्धारणात्मक भाषाविज्ञान’ (प्रिस्क्रिप्टिव लिङ्विस्टिक्स) नाम का ‘भाषाविज्ञान’ का कोई प्रकार तो नहीं है, किन्तु ‘व्याकरण’ मूलतः और तत्त्वतः यही है।

एककालिक भाषाविज्ञान-बहुकालिक भाषाविज्ञान—आधुनिक भाषाविज्ञान के जनक सस्यूर (२०वीं सदी के प्रारम्भिक डेढ़ दशकों में) ने सर्वप्रथम भाषाविज्ञान के इन प्रकारों की ओर भाषाशास्त्रियों का ध्यान दिलाया था और इन्हें क्रमशः ‘सिनक्रॉनिक’ और ‘डाइक्रॉनिक’ कहा था। उसके पूर्व १९वीं सदी में भाषाविज्ञान के नाम पर भाषाविज्ञान के मात्र ‘ऐतिहासिक’ प्रकार पर बल था तथा उसमें ‘तुलनात्मक भाषाविज्ञान’ की सहायता ली जाती थी। ‘एककालिक’ से आशय भाषाविज्ञान के उस प्रकार से है जिसमें किसी भाषा का एक काल-बिंदु पर अध्ययन करते हैं। ऐसे ही कई कालों के सुश्रुतलिखित अध्ययन को ‘बहुकालिक’ कहते हैं। ‘एककालिक’ को ‘समकालिक’ या ‘संकालिक’ नाम से भी कुछ लोगों ने पुकारा है। इसी प्रकार ‘बहुकालिक भाषाविज्ञान’ भी कहा जाता है। ‘इतिहास’ आखिरकार विभिन्न कालों के अध्ययन का कालक्रमिक सुश्रुतलिखित रूप ही तो है। इस तरह मूलतः ‘ऐतिहासिक भाषाविज्ञान’ का आधार ‘एककालिक भाषाविज्ञान’ ही है। यह एक अजीब बात है कि भाषाविज्ञान-जगत में ‘ऐतिहासिक भाषाविज्ञान’ पहले आया और उसके मूल आधार ‘एककालिक भाषाविज्ञान’ की ओर विद्वानों का ध्यान बाद में गया।

एककालिक भाषाविज्ञान में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भाषा का एक काल में अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन में उस काल में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप का वर्णन होता है। इसी वर्णन करने की चर्चा ऊपर वर्णनात्मक भाषाविज्ञान में की गई। भाषाओं के इस वर्णन करने की समय-समय पर कई पद्धतियों या मॉडलों का विकास होता रहा है जिनमें संरचनात्मक भाषाविज्ञान (Structural Linguistics) तथा रूपांतरक प्रजनक व्याकरण (Transformational-Generative Grammar) मुख्य हैं।

तुलनात्मक भाषाविज्ञान-व्यतिरेकी भाषाविज्ञान—तुलनात्मक भाषाविज्ञान का प्रयोग मूलतः १९वीं-१९वीं सदी में शुरू हुआ जिसमें दो या अधिक भाषाओं की तुलना करके ध्वनि,

शब्द तथा व्याकरण की समानताओं का पता लगाते थे तथा उनके आधार पर दो या अधिक भाषाओं को एक स्रोत से विकसित होने का निर्णय करते थे। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इस तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त समानताएँ ही थीं। तुलना में जो बातें समान न होकर असमान या विरोधी मिलती थीं, वे भाषाविज्ञान में विशेष उपयोग की नहीं मानी जाती थीं। केवल उनके आधार पर यदि उनका प्रतिशत काफ़ी हो तो यह मान लिया जाता था कि संबंध भाषाएँ एक स्रोत या परिवार की नहीं हैं। बीसवीं सदी के दूसरे चरण के अंत में इन अंतरों की उपयोगिता का पता भाषाशिक्षण और अनुवाद के प्रसंग में चला और भाषाओं में अंतर मालूम करने के लिए 'व्यतिरेकी भाषाविज्ञान' (कंट्रास्टिव लिग्विस्टिक्स) नाम से भाषाविज्ञान का एक अलग प्रकार ही मान लिया गया। 'व्यतिरेक' का अर्थ है 'विरोध' (कंट्रास्ट)। एक भाषाभाषी जब दूसरी भाषा सीखता है तो दोनों भाषाओं का समानताएँ भाषा सीखने वाले के लिए समस्या या कठिनाई नहीं उत्पन्न करतीं, दोनों में अंतर ही कठिनाई उत्पन्न करते हैं। व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर वे अंतर मालूम कर लिए जाते हैं और फिर उन पर बल देकर भाषा सिखाने में सुविधा होती है। ऐसे ही अनुवाद में भी दो भाषाओं के अंतर ही कठिनाई उत्पन्न करते हैं, समानताएँ नहीं। इस प्रकार भाषाशिक्षण और अनुवाद के लिए व्यतिरेकी भाषाविज्ञान बहुत उपयोगी है।

सैद्धांतिक भाषाविज्ञान (थ्यूरिटिकल लिग्विस्टिक्स)—अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान (अप्लाइड लिग्विस्टिक्स)—सैद्धांतिक भाषाविज्ञान में भाषा-विषयक विभिन्न सिद्धांतों (भाषा की संरचना तथा भाषा-प्रयोग आदि विषयक) का निर्धारण होता है। इस सैद्धांतिक भाषाविज्ञान से प्राप्त संकल्पनाओं तथा तथ्यों का अन्य क्षेत्रों (जैसे भाषा सिखाने, कोश बनाने, अनुवाद करने, किसी रचना का शैलीय विश्लेषण करने तथा किसी व्यक्ति का उच्चारण-दोष ठीक करने आदि) में व्यावहारिक प्रयोग 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' कहा जाता है। इस तरह इसमें मुख्यतः भाषा-शिक्षण, कोशकला, अनुवाद, शैलीय विश्लेषण तथा वाग्दोष सुधार, आदि आते हैं।

वस्तुतः 'भाषाविज्ञान' भाषाओं के अध्ययन-विश्लेषण का विज्ञान है। यह भाषा की आंतरिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है तथा भाषा-संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इस तरह यह सिद्धांतपरक है। इसके विपरीत 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' प्रयोगपरक है; इसमें जैसा कि ऊपर कहा गया, भाषाविज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का अन्य विषयों—जैसे भाषा सिखाने, अनुवाद कराने, कोश बनाने, व्यक्ति का उच्चारण ठीक करने, लिपि को सुधारने तथा शैली का विवेचन करने आदि—में प्रयोग किया जाता है।

'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' में अनुप्रयुक्त शब्द अंग्रेज़ी 'अप्लाइड' (Applied) का प्रतिशब्द या समानार्थी है, अर्थात् 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' में भाषाविज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग (Application) करते हैं। सीधे-सरल शब्दों में कहना चाहें तो भाषाविज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का विभिन्न विषयों में प्रयोग ही 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' है।

'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' के विषय में सामान्यतः तो मतभेद नहीं हैं, किन्तु कुछ लोगों ने इसका प्रयोग सीमित अर्थों में अवश्य किया है। यदि उनके प्रयोगों को दृष्टि में रखें तो अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के प्रति तीन दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं—

(१) ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए भाषाविज्ञान और उसके सिद्धांतों का प्रयोग (अनुप्रयोग) 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' है। उदाहरण के लिए, फिशमैन भाषाविज्ञान का प्रयोग सामाजिक व्यवहार (Social behaviour) को समझने के लिए एक साधन (Tool) के रूप में करते हैं। ऐसे ही स्किनर तथा मिलर आदि मनोविज्ञानविदों ने मानव के मानसिक व्यवहार (Psychological behaviour) को समझने के लिए भाषाविज्ञान का एक

साधन के रूप में प्रयोग किया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' भाषा-विज्ञान का इस प्रकार का प्रयोग है।

(२) भाषाशिक्षण के लिए भाषाविज्ञान का प्रयोग 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' है। पिट कार्डर ने अपनी एक पुस्तक का नाम रखा है—'इंट्रोडक्शन टु अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स' (अनु-प्रयुक्त भाषाविज्ञान की भूमिका), किन्तु उसमें मात्र भाषाशिक्षण विषय ही लिया है। इस तरह इनकी दृष्टि में 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' और 'भाषाशिक्षणविज्ञान' पर्याय हैं।

(३) तीसरा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत बहुत व्यापक है। इसके अनुसार भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों का किसी भी अन्य विषय में अनुप्रयोग 'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' है। वस्तुतः अधिकांश लोग अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान को इसी रूप में मानते हैं। इस तरह अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का आयाग बहुत विस्तृत है तथा उनमें भाषाविज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के उपर्युक्त दो ('१' और '२') रूप तो आ ही जाते हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेकानेक अन्य भी आ जाते हैं। इसीलिए अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान में शैलीविज्ञान, अनुवादविज्ञान, भाषाशिक्षणविज्ञान तथा कोशविज्ञान आदि को माना जाता है।

निष्कर्षतः भाषाविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अथवा अनुप्रायोगिक अध्ययन-विश्लेषण तथा तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषाविज्ञान के कुछ प्रकार ऐसे भी हैं जो अन्य विषयों से भाषाविज्ञान के जुड़ने के कारण, या अन्य विषयों का भी भाषा से सरोकार होने के कारण विकसित हुए हैं। जैसे—समाजभाषाविज्ञान (समाजशास्त्र), मनोभाषाविज्ञान (मनोविज्ञान), शैलीविज्ञान (साहित्य) तथा नृजाति-भाषाविज्ञान (एथनोलिग्विस्टिक्स, नृजातिविज्ञान) आदि। इनमें 'समाजभाषाविज्ञान' पर यहाँ अत्यन्त संक्षेप में विचार किया जा रहा है। यों इसे तथा कुछ अन्यो को आगे अलग-अलग लिया जा रहा है।

समाजभाषाविज्ञान (Socio-linguistics)—समाज के परिप्रेक्ष्य में भाषा का अध्ययन समाजभाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें भाषा और उसे बोलने वाले समाज के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन-विश्लेषण करते हैं। भाषाविज्ञान से इसका अंतर कई आधारों पर दिखाया जा सकता है। जैसे—(क) शुद्ध भाषाविज्ञान भाषा को भाषिक प्रतीक के रूप में लेता है, किन्तु समाजभाषाविज्ञान उसे सामाजिक प्रतीक रूप में। (ख) भाषाविज्ञान में भाषा को सबसे बड़ी इकाई प्रायः 'वाक्य' मानी जाती रही है, किन्तु समाजभाषाविज्ञान 'प्रोक्ति' पर विचार करता है, किन्तु समाजभाषाविज्ञान उस अध्ययन को अधरा मानता है और उसके अनुसार समाज के परिप्रेक्ष्य में भाषा का अध्ययन ही भाषा का वास्तविक अध्ययन है और इस तरह समाजभाषाविज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि में समाजभाषाविज्ञान ही वास्तविक भाषाविज्ञान है। (घ) मानक भाषा, अमानक भाषा तथा भाषा और बोली में अंतर दिखाना भाषाविज्ञान के लिए संभव नहीं है; क्योंकि यदि मानक संरचना की बात लें (जिस पर भाषाविज्ञान का बल है) तो मानक भाषा, अमानक भाषा एवं भाषा तथा बोली में कोई भी अंतर नहीं है। यह अंतर समाजभाषाविज्ञान ही दिखा सकता है और दिखा पाता है।

समाजभाषाविज्ञान के प्रति इसके विद्वानों के दृष्टिकोण पूर्णतः एक नहीं हैं : (क) फिशमैन आदि इसे 'भाषा का समाजशास्त्र' मानते हैं। राजभाषा किसे बनाएँ, भाषा का मानकीकरण कैसे करें तथा उसे आधुनिक कैसे बनाएँ जैसी बातों पर इस दृष्टिकोण वालों का अधिक बल होता है। (ख) गम्पर्व तथा फर्ग्यूसन आदि समाजभाषाविज्ञान को समाजोन्मुख भाषाविज्ञान मानते हैं। ये भाषा को सामाजिक प्रतीक मानते हैं तथा भाषा के विषमरूपी रूप

का जाति, वर्ग, धर्म आदि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। (ग) लेबाँव आदि समाजभाषा-विज्ञान को ही वास्तविक भाषाविज्ञान मानते हैं तथा वास्तविक प्रयोग में प्राप्त विकल्पों के अध्ययन पर बल देते हैं। इनके अनुसार इन विकल्पों को छोड़कर भाषा का एक आदर्श रूप मानकर मात्र उसकी संरचना का अध्ययन बहुत सार्थक नहीं है।

भाषाविज्ञान का नाम

भाषाविज्ञान के लिए आरम्भ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उनमें Comparative Grammar उल्लेख्य है। पहले व्याकरण और भाषाविज्ञान को मूलतः एक मानते थे। भाषाविज्ञान में कोई विशेषता यदि थी, तो उसके तुलनात्मक (Comparative) होने की। इसी कारण उसे 'कम्परेटिव ग्रामर' (Comparative Grammar) कहा गया। किन्तु यह स्पष्ट हो जाने पर कि भाषाविज्ञान केवल तुलनात्मक व्याकरण ही नहीं है, यह नाम छोड़ दिया गया। १९वीं सदी में भाषाविज्ञान में भाषाओं की तुलना पर पर्याप्त बल दिया जाता था। इस आधार पर इन लोगों ने 'कंपरेटिव फिलालोजी' (Comparative Philology) कहा। यह नाम कुछ दिन तक चला, पर बाद में यह भी छोड़ दिया गया। इसमें सबसे अधिक आपत्ति 'कम्परेटिव' (तुलनात्मक) शब्द पर थी, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान प्रायः सर्वदा ही तुलनात्मक होता है, अतः यह पृष्ठ व्यर्थ थी। सन् १८१७ ई० में डेवीज ने भाषाविज्ञान के मिलते-जुलते अर्थ में ग्लोसॉलोजी (Glossology) का प्रयोग किया था। १९वीं सदी के प्रथम तीन चरणों में भाषाविज्ञान के लिए इसका प्रयोग कुछ लोगों ने किया, किन्तु बाद में यह भी न चल सका। इसी प्रकार प्रिचर्ड ने १८४१ में ग्लोटॉलोजी (Glottology) का प्रयोग भाषाविज्ञान के लिए किया। बाद में मैक्समूलर ने थोड़े भिन्न अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया। २०वीं सदी के आरम्भ में टकर ने इस विज्ञान के नामों पर विचार करते हुए Glottology को सर्वोत्तम ठहराया, किन्तु उसके वावजूद किसी ने इस नाम को याद करने का भी गौरव नहीं दिया।

कई देशों में इसके लिए फिलालोजी (Philology) शब्द चलता रहा है। भारत में पुरानी पीढ़ी के लोगों में (तथा कुछ अन्य देशों में भी) तो आज भी यह शब्द प्रचलित है। 'फिलालोजी' मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है। इसमें Philos का अर्थ है 'प्यार' या 'प्रेमी' और logos का अर्थ है 'बातचीत', 'शब्द' या 'भाषा' आदि। यूनानी से लैटिन में इसका रूप Philologia और फ्रांसीसी में Philologie हुआ। अंग्रेजी 'फिलालोजी' शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सन् १३८६ ई० में मिलता है। उस समय इसका अर्थ था—व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञान का प्रेम। बाद में विकसित होकर इसका अर्थ हो गया—'वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन आदि बलैसिकल भाषाओं को समझाने में सहायता दे'। भाषाविज्ञान के लिए अंग्रेजी में इस शब्द का पहला प्रयोग १८वीं सदी के दूसरे दशक में मिलता है। बीच में जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, इसके साथ 'कम्परेटिव' शब्द जोड़ दिया गया, पर फिर व्यर्थ समझ कर हटा दिया गया। भाषाविज्ञान के आधुनिक विद्वान् अब इस शब्द को पसन्द नहीं करते। फ्रांसीसी भाषा में तो इस 'Philologie' का प्रयोग 'भाषाविज्ञान' के लिए भी होता है और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन में 'फिलालोजी' में भाषा के अध्ययन के अतिरिक्त साहित्य, शैली तथा इनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन आदि भी आता है। कभी-कभी इसका अर्थ साहित्यशास्त्रीय दृष्टि से भाषा-अध्ययन भी किया जाता है।

अंग्रेजी में इस विज्ञान के लिए 'साइन्स ऑव लैंग्वेज' नाम भी चलता है, किन्तु यह नाम एक फ्रेज जैसा है; अपनी लम्बाई के कारण ही नाम-जैसा नहीं लगता। आज इसके लिए अधिक प्रचलित (और कदाचित् ठीक भी) नाम 'लिंग्विस्टिक्स' (Linguistics) है। इसका आधार लैटिन शब्द lingua (= जीभ) है। मूलतः भाषाविज्ञान के अर्थ में Linguistique रूप में यह शब्द फ्रांस में चला और वहाँ से 'Linguistic' रूप में १९वीं सदी के चौथे दशक

में यह अंग्रेजी में ग्रहीत हुआ और लगभग दो दशकों तक इसी रूप में चलता रहा। छठे दशक से इसका रूप Linguistics हो गया और तब से यही नाम चल रहा है। फ्रेन्च में यह अब भी Linguistique है। जर्मन में Sprachwissenschaft नाम प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ भी भाषाविज्ञान है। यही दशा रूसी की भी है। उसमें 'यज़िकाज्जानिये' शब्द है जिसमें 'यज़िक' तो 'भाषा' या 'जिह्वा' है और 'ज्जानिये' विज्ञान। यों Filologiya तथा Linguistiks भी चलते हैं।

भारत में ठीक आज के अर्थ में तो भाषाविज्ञान जैसा विषय पहले कभी नहीं था, किन्तु उसके समीपवर्ती अर्थों में प्राचीन काल में निर्वचनशास्त्र, व्याकरण, शब्दानुशासन तथा शब्दशास्त्र आदि का प्रयोग होता था। आधुनिक काल में तुलनात्मक भाषाशास्त्र, भाषाशास्त्र, भाषाविज्ञान, भाषाविचार, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषातत्त्व, शब्दतत्त्व, भाषालोचन (पं० सीताराम चतुर्वेदी की पुस्तक), भाषिकी आदि शब्द हिन्दी, मराठी तथा बंगला आदि में प्रयुक्त हो रहे हैं। हिन्दी में 'भाषाविज्ञान' अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हो गया है। यों कुछ लोगों का कहना रहा है कि 'भाषाविज्ञान' शब्द 'फ़िलालोजी' का प्रतिशब्द था; और, आज 'फ़िलालोजी' शब्द इस विज्ञान के नए अर्थ का द्योतक नहीं है, अतः 'भाषाविज्ञान' शब्द को फ़िलालोजी का प्रतिशब्द मानकर, उसी के स्थान पर प्रयुक्त करना चाहिए और 'लिंग्विस्टिक्स' के अर्थ में 'भाषातत्त्व' को अपना लेना चाहिए। किन्तु तथ्य यह है कि 'भाषाविज्ञान' शब्द 'फ़िलालोजी' का समानार्थी भले ही रहा हो, किन्तु हिन्दी आदि में उसका प्रयोग और अर्थ 'लिंग्विस्टिक्स' से भिन्न प्रायः नहीं रहा है; साथ ही वह इस विज्ञान के लिए, अपने यहाँ दो-तीन दशकों से अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित भी है, अतएव 'लिंग्विस्टिक्स' के स्थान पर हिन्दी में 'भाषाविज्ञान' का प्रयोग ही उचित माना जा सकता है। यों 'भाषाशास्त्र' या इस तरह के अन्य नामों में भी कोई अशुद्धि नहीं है, किन्तु एक विज्ञान के लिए एक ही शब्द निश्चित कर लेना स्पष्टता आदि की दृष्टि से अधिक अच्छा रहता है।

इधर कुछ लोगों ने भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र में अन्तर करते हुए आधुनिक भाषाविज्ञान के लिए 'भाषाशास्त्र' नाम को उपयुक्त माना है। डॉ० उदयनारायण तिवारी लिखते हैं कि "अमेरिका में फ़िलालोजी शब्द (भाषाविज्ञान) का व्यवहार प्राचीन भाषा तथा साहित्य एवं शिलालेखों की भाषा के अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। दूसरे शब्दों में फ़िलालोजी के अंतर्गत प्राचीन भाषा-सामग्री का विश्लेषण किया जाता है और लिंग्विस्टिक्स (भाषाशास्त्र) के अंतर्गत आधुनिक जीवित भाषाओं एवं बोलियों का अध्ययन करते हैं। इसके अन्तर्गत केवल कथ्य भाषा को ही व्याख्या की जाती है। साहित्य की लिखित भाषा-सामग्री की व्याख्या प्रस्तुत करना इस विषय की सीमा के बाहर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स भाषा के यथातथ्य रूप का अध्ययन करता है, आदर्श रूप का नहीं।"

इस सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित बातें कहनी हैं—(क) यह बात अपने आप अजीब-सी लगती है कि पुरानी भाषा का अध्ययन-विश्लेषण करना हो तो हम भाषावैज्ञानिक अध्ययन कहें और आधुनिक भाषा का अध्ययन-विश्लेषण करना हो तो भाषाशास्त्रीय अध्ययन कहें। अध्ययन-विश्लेषण को किसी भी भाषा में इस प्रकार का अन्तर बहुत सार्थक नहीं कहा जा सकता। (ख) और मान लें किसी भाषा के पूरे इतिहास पर काम किया गया और एक पुस्तक प्रकाशित हुई, तो क्या उस पुस्तक के उन अंशों को, जो पुराने साहित्य, शिलालेख, ताम्रपत्र

१. डॉ० बाबूराम सक्सेना ने 'भाषाशास्त्र' को 'लिंग्विस्टिक्स' के लिए अशुद्ध नाम माना है। किन्तु आज 'शास्त्र' शब्द, मात्र अपने मूल अर्थ में ही न प्रयुक्त होकर बहुत विस्तृत अर्थ रखने लगा है। यदि 'भौतिकशास्त्र', 'तर्कशास्त्र', 'रसायनशास्त्र' आदि में उसका प्रयोग ठीक है, तो 'भाषाशास्त्र' में उसके अशुद्ध होने का कोई कारण नहीं दीखता।

आदि के आधार पर लिखे गए हैं (मान लें १००० से ४०० तक की हिन्दी), भाषाविज्ञान का कहेंगे और उस अंश को जो २०वीं सदी उत्तरार्द्ध से सम्बद्ध है, भाषाशास्त्र का कहेंगे ? वह पुस्तक किस विषय की कहलाएगी,—भाषाविज्ञान की, या भाषाशास्त्र की ? (ग) लिन्विस्टिक्स की एक शाखा ऐतिहासिक भी है जिसमें भाषा के इतिहास पर विचार किया जाता है और यदि भाषा-विशेष का इतिहास प्राचीन है तो इसमें साहित्य, शिलालेख आदि से मदद लेनी ही-पड़ेगी । तो क्या भाषाशास्त्र की यह शाखा भाषाविज्ञान कहलायेगी ? (घ) 'फ़िलॉलोजी' तथा 'लिन्विस्टिक्स' में जो भेद है, वह वस्तुतः ठीक उसी प्रकार का नहीं है, जैसा कि डॉ० उदयनारायण तिवारी के उद्धरण में है । जहाँ तक मैं समझता हूँ, 'फ़िलॉलोजी' का कभी-कभी अर्थ लिया जाता है साहित्यिक दृष्टि से भाषा का अध्ययन, जैसा कि डॉ० गुणे ने किया है । इसी प्रकार कुछ मतों के अनुसार पाठविज्ञान भी उसमें समाहित है । वेबस्टर के अनुसार फ़िलॉलोजी 'Study of literature that includes or may include grammar, criticism, literary history, language history, system of writing and any thing else that is relevant to literature or to language as used in literature.' है । किन्तु, हमारे यहाँ 'भाषाविज्ञान' इस व्यापक अर्थ में कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः उसे 'फ़िलॉलोजी' का प्रतिशब्द मानने का कोई ठोस आधार नहीं है । इस तरह मेरे विचार में 'भाषाविज्ञान' और 'भाषाशास्त्र' में ऐसा भेद करना बहुत वांछनीय नहीं है । प्रचलित नाम 'भाषाविज्ञान' हर दृष्टि से भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए काफी अच्छा है । यों आवश्यकता पड़ने पर 'भाषाशास्त्र' को उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ।

कुछ लोग भाषाविज्ञान को 'भाषिकी' भी कहते रहे हैं । मैं स्वयं 'भाषिकी' नाम की एक पत्रिका निकालता रहा हूँ, किन्तु अब इस नाम का प्रचार भी कम हो गया है ।

भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला ?

जैसा कि पीछे भाषाविज्ञान पर विचार करते समय कहा जा चुका है, इसमें भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और इस तरह स्पष्ट ही यह विज्ञान है ।

'विज्ञान' शब्द का मूल अर्थ 'विशिष्ट ज्ञान' है । उपनिषदों में इसका प्रयोग 'ब्रह्मविद्या' के लिए भी हुआ है । आज सामान्य प्रयोग में 'शास्त्र' में और इसमें कोई भेद प्रायः नहीं किया जाता । यों मूलतः 'शास्त्र' और 'विज्ञान' में अन्तर है । 'विज्ञान' तो 'विशेष ज्ञान' है और 'शास्त्र' 'शासन करने वाला' है, अर्थात् वह यह बतलाता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय । अपने यहाँ अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र के प्राचीन प्रयोग इसी और संकेत करते हैं । इस अर्थ में व्याकरण को शास्त्र कह सकते हैं, किन्तु इस मूल अर्थ की दृष्टि से भाषाविज्ञान को शास्त्र नहीं कह सकते । यह बात दूसरी है कि अब मूल अर्थ भुला दिया गया है और 'विज्ञान' तथा 'शास्त्र' पर्याय से हो गये हैं । इसीलिए राजनीतिविज्ञान (Political Science) तथा राजनीतिशास्त्र, भौतिकविज्ञान और भौतिकशास्त्र, समाजविज्ञान और समाजशास्त्र, मानवविज्ञान और मानवशास्त्र एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ।

यहाँ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि भाषाविज्ञान किस सीमा तक विज्ञान है । वस्तुतः 'विज्ञान' का अर्थ आज के प्रयोग में केवल एक नहीं है । गणित, भौतिक और रसायन जिस अर्थ में विज्ञान हैं, ठीक उसी अर्थ में मानवविज्ञान, राजनीतिविज्ञान, समाजविज्ञान आदि विज्ञान नहीं हैं । विज्ञान में प्रायः विकल्प नहीं होता और उसके सत्य (जैसे अमुक कारण ही तो अमुक कार्य होगा) काफी सीमा तक देश-काल से परे, अर्थात् सार्वत्रिक और सार्वकालिक होते हैं । वे बातें गणित या भौतिकी पर जितनी लागू होती हैं, उतनी राजनीतिविज्ञान आदि पर नहीं, फिर भी, वे विज्ञान कहे जाते हैं । इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषाविज्ञान

विज्ञान तो है, किन्तु उस सीमा तक नहीं जितना कि गणित। यों इसमें सन्देह नहीं कि दिनोंदिन यह विकसित तथा अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है।

अब 'विज्ञान' और 'कला' का प्रश्न लें। अध्ययन के विषयों को विज्ञान और कला दो वर्गों (वाणिज्य आदि के अतिरिक्त) में बाँटा जाता रहा है। बी० ए०, एम० ए० या आर्ट्स फ़ैकल्टी में 'आर्ट्स' (कला) का यही अर्थ है। वस्तुतः ज्ञान की इन दो शाखाओं के कारण ही यह प्रश्न उठा था कि भाषाविज्ञान 'विज्ञान' है या 'कला'। यह बात ध्यान देने की है कि इस प्रश्न में 'कला' का अर्थ 'ललित या उपयोगी कला' नहीं है, जैसा कि कुछ लोग ले लेते हैं। इस प्रकार भाषाविज्ञान, 'ललित कला' या 'उपयोगी कला' में 'कला' का जो अर्थ है, उस अर्थ में तो कला नहीं है, किन्तु बी० ए० आदि में कला का जो विस्तृत अर्थ है, उस दृष्टि से कला है क्योंकि मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि ऐसे विषय जो रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदि की भाँति निश्चित विज्ञान (Exact science) नहीं हैं, कला (arts) के ही अन्तर्गत माने जाते हैं। भाषाविज्ञान भी लगभग इन्हीं की कोटि का है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि इस रूप में 'कला' का अर्थ या क्षेत्र बहुत निश्चित नहीं है। गणित को इस संदर्भ में कला में रखते भी हैं और नहीं भी रखते। कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एस-सी० पास व्यक्ति गणित में मास्टर की डिग्री ले तो उसे एन० एस-सी० की उपाधि मिलती है और बी० ए० पास व्यक्ति डिग्री ले तो उसे एम० ए० की उपाधि मिलती है। यही नहीं, यूरोप के कुछ विश्वविद्यालय सभी विषयों को साइंस मानकर साइंस की डिग्री देते हैं तथा कुछ परम्परागत रूप से सभी में आर्ट की।

आजकल अध्ययन के विषयों को गटे रूप से तीन वर्गों में रखने की परम्परा चल पड़ी है : (क) प्राकृतिक विज्ञान (Natural Science), जैसे भौतिकी, रसायनशास्त्र आदि; (ख) सामाजिक विज्ञान (Social Science), जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि; (ग) मानविकी (Humanities), जैसे साहित्य, संगीतशास्त्र, चित्रकला, आदि। यदि भाषाविज्ञान को इनमें रखने की बात उठाई जाए तो वह समवेत रूप से सामाजिक विज्ञान के निकट पड़ेगा। यों यदि उसके विभिन्न विभागों की ओर दृष्टि दौड़ाएँ तो उसकी ध्वनिविज्ञान-शाखा, विशेषतः ध्वनि के उच्चरित होने के बाद कान तक के संचरण का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पड़ता है तो उसकी शैलीविज्ञान-शाखा एक सीमा तक मानविकी में।

व्याकरण और भाषाविज्ञान

'व्याकरण' शब्द का अर्थ है 'टुकड़े-टुकड़े करना', अर्थात् टुकड़े-टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह किसी भाषा के टुकड़े-टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप को दिखाता है। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है (साधुत्वज्ञानविषया सेवा व्याकरण स्मृतिः—वाचस्पदीय), यह शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। इस प्रकार किसी भाषा के सम्यक् ज्ञान के लिए व्याकरण सीखा जाता है। पहले लोग व्याकरण और भाषाविज्ञान में अधिक अंतर नहीं मानते थे, इसीलिए भाषाविज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण (Comparative Grammar) कहा गया था, किन्तु यथार्थतः इन दोनों में पर्याप्त भेद है। यदि शास्त्र तथा विज्ञान का ठीक और मूल अर्थ में प्रयोग करें तो व्याकरण शास्त्र है तथा भाषाविज्ञान विज्ञान। यों साम्य भी है। आगे संक्षेप में कुछ बातें दी जा रही हैं—

(१) दोनों का सम्बन्ध भाषा के अध्ययन से है। (२) व्याकरण के समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, ये तीन भेद होते हैं। भाषाविज्ञान के भी इस प्रकार के रूप हैं, जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है। दोनों के इन समनामी रूपों में पर्याप्त साम्य भी है। यों कुछ लोगों ने व्याकरण और वर्णनात्मक भाषाविज्ञान को एक ही माना है, किन्तु वस्तुतः दोनों एक नहीं हैं।

भेद

(१) भाषाविज्ञान 'विज्ञान' है। यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। किन्तु व्याकरण का रूप इससे भिन्न है। वह भाषा का विवेचन तो करता है, किन्तु साथ ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, समझना और लिखना आदि सिखाता भी है। करणीय-अकरणीय प्रयोगों का ज्ञान कराने के कारण वह शास्त्र है। साथ ही दैनिक जीवन में उपयोगिता के कारण किसी अंश तक वह कला भी है। स्वीट ने इसीलिए व्याकरण को भाषा की कला और विज्ञान दोनों ही कहा है।

(२) व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। उसका ध्यान एक भाषा के रूप पर ही प्रायः केन्द्रित रहता है, पर दूसरी ओर यद्यपि 'भाषाविज्ञान' 'बहुभाषाज्ञान' नहीं है, किन्तु उसमें प्रायः एकाधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही वह अनेक भाषाओं के अनेक प्रकार के अध्ययन द्वारा अनेक शास्त्रों और विज्ञानों से सहायता लेता और अपने सामान्य सिद्धान्तों का भी निर्धारण करता है। वह इस दिशा में कार्य करता है और व्याकरण के भी दार्शनिक आधारों की व्याख्या करता है, किन्तु व्याकरण में इस प्रकार के सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन प्रायः नहीं आता।

(३) व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा साधु रूप आदि सामने रख देता है। वह वर्णन-प्रधान है। भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता है, कारण आदि पर नहीं; किन्तु भाषाविज्ञान विवेचन और शोध-प्रधान है, उसका ध्यान रूप आदि के पुरे-पुरे विवेचन, कारण तथा इतिहास आदि पर जाता है। प्रयोग-निर्देश पक्ष उसका विषय ही नहीं है। भाषाविज्ञान सीधे यह नहीं कह देगा कि हिन्दी में 'जाना' क्रिया का सामान्य भूत का रूप 'गया' होगा, जैसा कि व्याकरण कहता है। वह जाँच-पड़ताल आरम्भ करेगा और अंत में यह भी बतलाएगा कि हिन्दी की 'जा' क्रिया से मूलतः 'गया' का सम्बन्ध नहीं है। वह संस्कृत धातु 'गम्' के रूप 'गतः' का विकसित रूप है, जबकि 'जा' का सम्बन्ध धातु 'या' से है। आज 'गम्' धातु का यह एक ही रूप बचा है, अन्य सारे रूप 'या' या 'जा' के हैं, अतः इसे भी 'जा' से सम्बद्ध मान लिया गया है। यदि कोई संस्कृत में 'एकादश' न कहकर 'एकदश' कहे तो व्याकरण केवल असाधु प्रयोग कहकर मौन हो जायगा, किन्तु भाषाविज्ञान इसे स्पष्ट करेगा कि एकदश ही कभी शुद्ध रहा होगा, पर बाद में 'द्वादश' के सादृश्य से उसे 'एकादश' हो जाना पड़ा। व्याकरण मात्र इतना कहकर संतोष कर लेगा कि बँगला में अपेक्षाकृत लिंग का ध्यान कम रखा जाता है, किन्तु भाषाविज्ञान उसका कारण भी देगा कि संभवतः यह आसपास की मुंडा भाषाओं का प्रभाव है। इस प्रकार व्याकरण के मूल का पूर्ण विवेचन भाषाविज्ञान का कार्य है और इस प्रकार वह एक सीमा तक व्याकरण का भी व्याकरण है।

(४) एक प्रकार से व्याकरण भाषाविज्ञान का अनुगामी है। भाषाविज्ञान नये विकासों का भी लेखा-जोखा लेता चलता है, बाद में उसे व्याकरण साधु मानता चलता है। इसी कारण फ्रांस में प्रायः प्रति दसवें वर्ष व्याकरण में परिवर्तन कर देने की परम्परा रही है। इस रूप में भाषाविज्ञान का सम्बन्ध भाषा के अधिक से अधिक जीवित रूप से होता है, पर व्याकरण इतना प्रगतिवादी नहीं है। वह जीवित रूपों को प्रारम्भ में असाधु मानता है। हाँ, कुछ दिन में उसे इनके प्रयोगों के आगे झुकना अवश्य पड़ता है और उस असाधु को साधु स्वीकार करना पड़ता है। भाषाविज्ञान के अन्तर्गत ध्वनि-विचार में हिन्दी के अधिकतर अकारांत शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं, क्योंकि आज का हमारा उच्चारण 'राम' न होकर 'राम्' जैसा है, किन्तु व्याकरण के ग्रन्थों में अभी हाल तक और कुछ में तो अब भी इन्हें अकारांत माना जाता है। धीरे-धीरे व्याकरण भाषाविज्ञान की इस मान्यता को ग्रहण कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि व्याकरण अप्रगतिवादी या पुरातनवादी है और इसकी तुलना में भाषाविज्ञान प्रगतिवादी या नवीनतावादी है। यह व्याकरण की प्राचीनवादिता का ही परिणाम है कि

संस्कृत के विकास से उत्पन्न भाषाओं के 'प्राकृत' (असंस्कृत) और 'अपभ्रंश' (= बिगड़ी हुई) जैसे नाम पड़े और दूसरी ओर यह भाषाविज्ञान की प्रगतिवादिता का ही ज्वलन्त उदाहरण है कि यह 'धर्म' से 'धम्म' या 'धरम' हो जाने को 'अवनति' या 'विकार' न मानकर 'विकास' मानता है।

(५) आधुनिक मतानुसार व्याकरण के प्रमुख विवेच्य विषय हैं भाषा का रूप-रचना और वाक्य-गठन, किन्तु भाषाविज्ञान ध्वनि, अर्थ, शब्द-समूह और लिपि आदि की भी विवेचना प्रस्तुत करता है।

इधर भाषाविज्ञान के कई सम्प्रदायों ने अपने सिद्धान्तों को व्याकरण (रूपांतरक-प्रजनक व्याकरण, व्यवस्थापरक व्याकरण, स्तरपरक व्याकरण, संबंधपरक व्याकरण) कहा है, अतः उपर्युक्त बातों पर प्रश्नवाचक चिह्न लग गया है। यों इन नामों में व्याकरण का पुराना वाला अर्थ नहीं है।

भाषाविज्ञान को शाखाएँ

119

भाषाविज्ञान में भाषा से सम्बद्ध सभी विषय आते हैं। इन अलग-अलग विषयों (जैसे ध्वनिविज्ञान, वाक्यविज्ञान, रूपविज्ञान, आदि) को यहाँ 'भाषाविज्ञान की शाखाएँ' कहा जा रहा है। यों इन्हें 'भाषा के अध्ययन के विभाग' भी कहा जा सकता है।^१ इन शाखाओं या विभागों में कुछ तो मुख्य हैं तथा कुछ गौण। यहाँ दोनों को अलग-अलग लिया जा रहा है।

मुख्य

(१) प्रोक्तविज्ञान (Discoursology)—किसी बात को कहने के लिए प्रयुक्त वाक्यों के उस समुच्चय को 'प्रोक्ति' कहते हैं जिसमें एकाधिक वाक्य आपस में सुसंबद्ध होकर अर्थ और संरचना की दृष्टि में एक इकाई बन गए हों। अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है 'डिस्कोर्स'। उसी को अब अंग्रेजी में इस अर्थ का शब्द मान लिया गया है। इसी के एक प्रतिशब्द के रूप में, हिन्दी में 'प्रोक्ति' शब्द का प्रयोग इधर प्रायः दस वर्षों से हो रहा है। प्रोक्ति के अध्ययन के लिए हिन्दी में प्रोक्तविज्ञान मेरा अपना बनाया हुआ शब्द है। 'डिस्कोर्स' के अध्ययन के लिए अंग्रेजी में भी कोई शब्द नहीं है। मैं उसके लिए 'डिस्कोर्सोलोजी' नाम का सुझाव देना चाहूँगा। पहले प्रोक्ति की सत्ता की ओर न तो हमारे वैयकरणों का ध्यान रहा है, न पुराने और नए भाषाशास्त्रियों का। इसलिए भाषा की मूलभूत सहज इकाई वाक्य को ही कहा गया तथा व्याकरण और भाषाविज्ञान दोनों ही में वाक्य के आधार पर ही भाषा का विश्लेषण किया गया। भारतीय काव्यशास्त्री अपवाद हैं जिन्होंने प्रोक्ति के लिए 'महावाक्य' का प्रयोग आज से कई सौ वर्ष पहले किया था। इस प्रकार उनके मन में इसकी संकल्पना तो थी (वाक्योच्चयो महावाक्यम्—विश्वनाथ 'साहित्य-दर्पण' में), किन्तु वे इसे मूल न मानकर वाक्यबन्ध-जैसा मानते थे। इस तरह उनमें भी मूल इकाई 'वाक्य' को ही मानने का संकेत है। यदि उसे मूल मानते तो 'महावाक्य' न कहकर कुछ ऐसा नया नाम देते जिसमें वाक्य शब्द न होता। समाजभाषाविज्ञान के विकास के कारण इस ओर लोगों का ध्यान अब गया है। अर्थ और संरचना आदि सभी दृष्टियों से विचार करने पर प्रोक्ति ही भाषा की

१. वस्तुतः भाषाविज्ञान की पुस्तकों में इस सम्बन्ध में बहुत मतेक्य नहीं है। कुछ में ये शाखाएँ आती गई हैं, तो कुछ में विभाग। लॉयन्स आदि कुछ भाषाशास्त्रियों ने 'शाखाएँ' का प्रयोग वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक अर्थात् भाषाविज्ञान के प्रकारों के लिए किया है।

मूलभूत सहज इकाई ठहरती है और क्योंकि समाज में विचार-विनिमय के लिए उसी (प्रोक्ति) का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य उसी का विश्लेषण करने पर प्राप्त होते हैं, अतः वाक्य मूलतः भाषा की सहज इकाई नहीं हो सकते। 'लंका का अत्याचारी राजा रावण अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता को उठाकर अपने रथ पर बैठाकर ले गया। पता चलने पर राम और उनकी सेना ने उस पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण-पक्ष के काफी लोग मारे गए। अन्त में वही हुआ जो होना था।' राम ने रावण को बाण से मारा और रावण वीरगति को प्राप्त हुआ।' यह एक प्रोक्ति है जिसमें कई वाक्य हैं; जैसे—'युद्ध में रावण-पक्ष के काफी लोग मारे गए' या 'राम ने रावण को बाण से मारा' आदि। ये सभी वाक्य आपस में सुसंबद्ध हैं। 'प्रोक्तिविज्ञान' भाषाविज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रोक्ति का अध्ययन-विश्लेषण किया जाता है। चूंकि यह अध्ययन भी भाषा के अन्य स्तरों (जैसे वाक्य, रूप, ध्वनि आदि) के अध्ययन की तरह एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा सैद्धांतिक रूप में हो सकता है, इसीलिए इसके 'एककालिक प्रोक्तिविज्ञान' (जिसमें किसी भाषा की एक काल की प्रोक्तियों का अध्ययन हो), 'कालक्रमिक प्रोक्तिविज्ञान' (जिसमें कालक्रमानुसार किसी भाषा की प्रोक्तियों का विकासात्मक अध्ययन हो), 'तुलनात्मक प्रोक्तिविज्ञान' (दो भाषाओं की प्रोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर) तथा व्यतिरेकी या सैद्धांतिक आदि भेद माने जा सकते हैं।

(२) वाक्यविज्ञान (Syntax)—वाक्य को भाषा की मूलभूत सहज इकाई मानने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है तथा अब भी काफ़ी भाषाशास्त्री और वैयाकरण इसी मत के हैं, इसीलिए वाक्य से चलकर रूप, ध्वनि आदि की संरचना पर विचार करने की परम्परा रही है, तथा है। किन्तु जैसा कि हमने ऊपर देखा, उपर्युक्त तर्क के आधार पर वाक्य को भाषा की मूलभूत सहज इकाई न मानकर उसे किसी प्रोक्ति का विश्लेषण करने पर प्राप्त एक इकाई रूप में मानना अधिक समीचीन है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाक्यविज्ञान भाषाविज्ञान की यह शाखा है जो वाक्य का अध्ययन-विश्लेषण करती है। वाक्यविज्ञान में वाक्य का अध्ययन-विश्लेषण भाषा के अन्य स्तरों की तरह एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी एवं सैद्धांतिक आदि सभी रूपों में किया जा सकता है, इसीलिए प्रोक्तिविज्ञान की तरह इस शाखा के भी कई रूप या उपशाखाएँ मानी जा सकती हैं। वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, निकटस्थ अवयव, केन्द्रिकता, मूलवाक्यता (बीजवाक्यता), रूपांतरित वाक्यता, बाह्य संरचना-आंतरिक संरचना, परिवर्तन (कारण और दिशाएँ) आदि की दृष्टियों से किया जाता है।

(३) रूपविज्ञान (Morphology)—रूपविज्ञान में भाषा में प्रयुक्त रूपों (पदों) का अध्ययन करने हैं। जैसे 'प्रोक्ति' के भीतर 'वाक्य' मिलते हैं, उसी प्रकार 'वाक्य' के भीतर 'रूप' मिलते हैं। 'राम ने रावण को बाण से मारा' वाक्य में चार रूप हैं : 'राम ने' कर्ता कारक का रूप, 'रावण को' कर्म कारक का रूप, 'बाण से' करण कारक का रूप तथा 'मारा' 'मार्' धातु का भूतकालिक रूप। रूपविज्ञान में रूप-रचना का अध्ययन होता है। पश्चिमी भाषाशास्त्री मॉर्फोलोजी (रूपविज्ञान) में शब्द-रचना को भी लेते हैं तथा उन्हीं के अनुकरण पर बहुत से भारतीय भाषाशास्त्री भी। किन्तु, मेरे विचार में शब्द-रचना शब्दविज्ञान के अन्तर्गत आना चाहिए, रूपविज्ञान के अन्तर्गत नहीं। वाक्यविज्ञान की तरह ही रूपविज्ञान के भी एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी, सैद्धांतिक आदि भेद किए जा सकते हैं।

(४) शब्दविज्ञान (Wordology)—पश्चिम में इस तरह का कोई विभाग भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत नहीं है। 'शब्दविज्ञान' तथा इसके लिए अंग्रेजी प्रतिशब्द 'वर्डोलोजी' में

अपने बनाए शब्द हैं। शब्दविज्ञान हिन्दी वाक्यविज्ञान, रूपविज्ञान, अर्थविज्ञान आदि के सादृश्य पर है तो Wordology फोर्नालोजी, मार्फोलोजी आदि के सादृश्य पर। अंग्रेजी में कुछ लोग शब्दविज्ञान को 'लेक्सिकॉलोजी' में समाहित करने की बात सोचते हैं, किन्तु 'लेक्सिकॉलोजी' तो कोशविज्ञान है जो सर्वथा अलग है। कुछ लोग 'मॉर्फोलोजी' में इसकी कुछ बातें ले लेने के पक्ष में हैं, किन्तु 'शब्द-रचना', 'शब्दों की व्युत्पत्ति', 'किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के भंडार का प्रयोग, रचना, इतिहास आदि के आधार पर वर्गीकरण', 'किसी भाषा के शब्द-भंडार का इतिहास', 'उसमें परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ' एवं शब्दों से सम्बद्ध अन्य अनेक प्रकार के अध्ययन-रूपविज्ञान (मॉर्फोलोजी) में सुविधापूर्वक नहीं लिए जा सकते, क्योंकि रूपविज्ञान तो रूप का विज्ञान है, शब्द का नहीं। ऊपर हमने देखा कि 'राम ने रावण को बाण से मारा' वाक्य में 'राम ने', 'रावण को', 'बाण से' तथा 'मारा' रूप हैं तो इनके भीतर 'राम', 'रावण', 'बाण' तथा मार (धातु) शब्द हैं। शब्द शब्दकोश में होते हैं और उनका एक अर्थ होता है, जबकि रूप का अर्थ भी होता है और उसमें वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध दिखाने की क्षमता भी होती है—अर्थ उसके भीतर शब्द होने के कारण तथा सम्बन्ध दिखाने की क्षमता उसमें प्रयुक्त 'सम्बन्धतत्त्व' (जैसे ने, को, से आदि) होने के कारण। सम्बन्धतत्त्व ही वाक्य में इन शब्दों (राम, रावण, बाण आदि) के सम्बन्धों का द्योतन करते हैं—एक को कर्ता दूसरे को कर्म तथा तीसरे को करण आदि बनाते हैं। शब्दविज्ञान भी एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी आदि हो सकता है।

(५) ध्वनिविज्ञान—रूपों या शब्दों का विश्लेषण करें तो हम ध्वनि पर पहुँचते हैं। इसी को स्वन (Phone) भी कहते हैं। ध्वनिविज्ञान में इन्हीं ध्वनियों (स्वनों) का अध्ययन करते हैं। सच पूछा जाए तो इस ध्वनि के अध्ययन के दो रूप हैं। एक तो मात्र सैद्धांतिक है जिसमें 'जित उच्चारण-अवयवों से ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है', उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही किसी भाषा की ध्वनियों के विषय में तो नहीं, किन्तु सामान्य रूप से 'स्वर तथा व्यंजन में अंतर', 'स्वर-व्यंजन का वर्गीकरण', 'अक्षर', 'बलाघात' तथा 'अनुदात' आदि पर विचार करते हैं। ध्वनिविज्ञान का दूसरा रूप भाषा-सापेक्ष होता है जिसमें भाषा-विशेष की ध्वनियों पर विचार करते हैं। इसमें 'भाषा-विशेष की ध्वनियों का वर्गीकरण', 'उस भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था', उसमें 'बलाघात' 'अनुदात' 'संधि' 'संहिता' (संगम, विवृति) आदि का विवेचन आता है। अंग्रेजी में प्रथम को Phonetics तथा दूसरे को Phonology कहते हैं। हिन्दी में कई शब्द इनके लिए प्रयुक्त होते रहे हैं। अब प्रायः 'फोनेटिक्स' को स्वनविज्ञान तथा फोर्नालोजी को स्वनप्रक्रिया कहन लगे हैं। स्वनप्रक्रिया को भाषाविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय के लोग स्वनविज्ञान (Phonemics) भी कहते हैं। यों फोर्नालोजी पहले ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान को भी कहते थे। ध्वनियों का अध्ययन मुख्यतः भाषाविशेष के प्रसंग में एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी आदि प्रकारों का हो सकता है। औच्चारणिक, सांवहिक तथा श्रावणिक स्वनविज्ञान का भी उल्लेख इस प्रसंग में किया जा सकता है जिसमें क्रमशः 'ध्वनियों का उच्चारण', 'बोलने पर लहरों द्वारा ले जाई जाकर उनका दूसरों के कान तक पहुँचाना' (वहन) तथा 'श्रावण' आता है।

(६) अर्थविज्ञान (Semantics)—भाषा के अर्थ-पक्ष का अध्ययन अर्थविज्ञान का विषय है। इसमें 'अर्थ क्या है', 'अर्थ का निर्धारण कैसे होता है', 'वह कितने प्रकार का होता है', 'अर्थ में परिवर्तन के कारण और उनकी दिशाएँ', 'समानार्थता', 'विलोमार्थता' तथा 'बहुअर्थता' आदि का अध्ययन करते हैं। अर्थविज्ञान में अर्थ का अध्ययन एककालिक भी हो सकता है, कालक्रमिक भी, तुलनात्मक भी और व्यतिरेकी भी। यह भी उल्लेख्य है कि अर्थ-विज्ञान में शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दबंध, पद, पदबंध, वाक्य, प्रोक्ति, मुहावरे, लोकोत्तियों

आदि सभी के अर्थ का अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में प्रकरणार्थविज्ञान^१ (प्राग्मैटिक्स) का भी उल्लेख किया जा सकता है। यह भी अर्थविज्ञान में ही आता है।

गौण

भाषाविज्ञान की ये अन्य शाखाएँ या अन्य विभाग मुख्य तो नहीं हैं, किंतु ये गौण होते हुए भी महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए इन पर भी काम होता रहा है और हो रहा है।

(१) लिपिविज्ञान—इसके अंतर्गत लिपि का एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक तथा व्यतिरेकी अध्ययन आता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यापक रूप में देखें तो 'लिपि का जन्म', 'लिपि का विकास', 'लिपि-निर्माण', 'लिपि-सुधार', 'आशुलिपि', 'ब्रेल लिपि' आदि का अध्ययन भी इससे बाहर नहीं है। यह ध्यान देने की बात है लिपि का विकास भाषा के बाद हुआ और सिवा इसके कि भाषा इसके माध्यम से लिखी जाती है, भाषा का कोई बहुत सीधा संबंध लिपि से नहीं है, इसीलिए लिपिविज्ञान को भाषाविज्ञान की मुख्य शाखाओं में प्रायः नहीं रखा जाता।

(२) भाषा की उत्पत्ति—भाषाविज्ञान का सबसे अधिक स्वाभाविक, आवश्यक, किन्तु विचित्र प्रश्न 'भाषा की उत्पत्ति' का है। इस पर विद्वानों ने तरह-तरह से विचार कर अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। आधुनिक काल के अधिकांश विद्वानों तो इस प्रश्न को भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत मानते ही नहीं, किन्तु इसे बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। जब भाषा का पूरा जीवन हमारे अध्ययन का विषय है, तो उसके जन्म के प्रश्न को भला कैसे ठुकरा सकते हैं? हाँ, इसका अध्ययन कठिन अवश्य है और यही कारण है कि इसका कोई निश्चित उत्तर हम नहीं पा सके हैं और न निकट भविष्य में इसकी कोई आशा ही है।

(३) भाषाओं का वर्गीकरण—ऊपर के प्रधान विभागों के अन्तर्गत संकेतित वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि तथा अर्थ के आधार पर प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत हम संसार की भाषाओं का तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन कर उनका वर्गीकरण करते हैं। इसी आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन-कौन सी भाषाएँ एक परिवार की हैं। साथ ही इससे अर्थ या ध्वनि-सम्बन्धी अनेक गुणधर्मों पर भी प्रकाश पड़ता है। तत्त्वतः यह भाषाविज्ञान का स्वतन्त्र विभाग न होकर उपर्युक्त पाँचों विभागों के आधार पर अध्ययन का एक पृथक् क्षेत्र माना है। आजकल भाषा-प्रकार-विज्ञान (Linguistic typogy) के अन्तर्गत विशेषताओं के आधार पर भाषाओं को वर्गीकृत करते हैं।

(४) भाषा-भूगोल (Linguistic Geography)—इसमें किसी भाषाक्षेत्र (के भौगोलिक विस्तार) का ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ तथा शब्द आदि की दृष्टि से अध्ययन करके उसे भाषाओं और बोलियों में बाँटा जाता है। उत्तरी भारत में भारतीय आर्यभाषा-परिवार की कितनी भाषाएँ हैं और उसकी कितनी बोलियाँ तथा उपबोलियाँ हैं एवं उनकी निश्चित सीमाएँ क्या हैं, इस प्रकार का अध्ययन इसी के अन्तर्गत आता है। इसमें आवश्यकतानुसार, एककालिक-तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों ही पद्धतियों को अपनाया पड़ता है। भाषाविज्ञान की 'बोली-भूगोल' (Dialect Geography) नाम से प्रसिद्ध शाखा भी यथार्थतः इसी के अन्तर्गत आती

१. कुछ लोगों के अनुसार वाक्य तक का अर्थ अर्थविज्ञान में है, किंतु प्रोक्ति का अर्थ अलग से 'प्रकरणार्थविज्ञान' का विषय है (लायन्स, लैंग्विज ऐंड लिंग्विस्टिक्स, १९८१, पृ० १३४)। पहले मैं भी ऐसा ही मानता था, इसीलिए अपनी पुस्तक भाषाविज्ञान के १९८४ के संस्करण में मैंने प्रकरणार्थ विज्ञान को अलग अध्याय के रूप में रखा था, किंतु अब मेरे विचार में किसी भी प्रकार का अर्थ क्यों न हो, वह 'अर्थविज्ञान' का ही विषय है। इसीलिए इस संस्करण में मैं उसे इसी में रख रहा हूँ। १९७० के लगभग अर्थविज्ञान के व्याख्यात्मक (Interpretive) तथा प्रजनक (Generative) दो रूपों की बात चली थी।

है। इन दोनों के आधार पर भाषा या बोली आदि के एटसस या प्राक्क एटसस भी बनाये जाते हैं जिनमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ या शब्द आदि विषयक विशेषताएँ दिखाई जाती हैं। यह भी वस्तुतः पाँच प्रमुख अध्ययनों या विभागों का भौगोलिक स्तर पर प्रयोग है।

(५) भाषाकालक्रमविज्ञान (Glottochronology)—सांख्यिकी (Statistics) या गणनाशास्त्र के आधार पर अनेक विज्ञानों में बड़े उपबोगी निष्कर्ष निकाले जाने लगे हैं। भाषा-कालक्रमविज्ञान गणनाशास्त्र के आधार पर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को ज्ञात करने की एक पद्धति है जिन्हें ज्ञात करने के भाषाविज्ञान के पास अभी तक निश्चित और वैज्ञानिक साधन नहीं थे। इसमें आधारभूत शब्द-समूह में पुराने और नये तत्त्वों के आधार पर किसी भाषा की आयु आदि का पता लगाया जाता है। अभी तक यह शाखा अपनी बात्यावस्था में है और इसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में सभी विद्वान् एकमत नहीं हैं।

(६) भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज (Linguistic Palaeontology)—इसमें भाषा के आधार पर प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के पास उस काल के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिए अभी तक कोई साधन नहीं था, या था भी तो अपर्याप्त; किन्तु भाषाविज्ञान के इस विभाग ने अब एक नवीन आशा की किरण दी है। अभी तो इसकी शेषवावस्था है, किन्तु संभव है इस आधार पर हम निकट भविष्य में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विशेष परिचय पा सकें।

(७) शैलीविज्ञान (Stylistics)—एकभाषाभाषी सभी व्यक्तियों की भाषा ध्वनि, शब्द, रूप तथा वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से पूर्णतः समान नहीं होती। इसी प्रकार एक ही भाषा में लिखने वाले लेखकों एवं कवियों की भाषा में उनकी कुछ शैलीगत विशेषताएँ होती हैं जिनके आधार पर बतलाया जा सकता है कि कौन किसकी रचना है। इन वैयक्तिक अंतरों या शैलीगत विशेषताओं या काव्यभाषा का अध्ययन शैलीविज्ञान का विषय है।

(८) सर्वेक्षण-पद्धति (Field Method)—किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के विश्लेषण के लिए सामग्री एकत्र करने की पद्धति का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है। इसमें 'सूचक कैसा चुनें', 'सर्वेक्षक कैसा हो', 'प्रश्नावली कैसे बनाएँ', 'सामग्री कैसे लिखें' जैसे प्रश्नों पर विचार किया जाता है।

(९) भूभाषाविज्ञान (Geo-linguistics)—इसके अंतर्गत विश्व में भाषाओं का वितरण, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का आकलन, वे कैसे एक-दूसरे पर अंतःक्रिया (interact) करती हैं, राष्ट्रों की संस्कृति भाषा को कैसे प्रभावित करती है तथा राष्ट्रभाषा या राजभाषा जैसी समस्याओं का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है। यह भाषाविज्ञान की अपेक्षाकृत नयी शाखा है।

उपर्युक्त मुख्य तथा गौण शाखाओं के अतिरिक्त, भाषाविज्ञान के अन्तर्गत भाषा का कुछ अन्य दृष्टियों से एवं आधारों पर भी अध्ययन किया जाता है और इनमें कुछ का भाषा-विज्ञान के विभागों एवं उपविभागों के रूप में उल्लेख भी होता है। उदाहरणार्थ, सुरविज्ञान (Tonetics)—इसमें भाषाओं के सुरों का अध्ययन होता है। भाषा शिक्णविज्ञान, भाषाविकास (Linguistic Phylogeny)—इसमें भाषा में परिवर्तनशीलता या विकास तथा उसके कारणों का अध्ययन होता है। व्यक्तिबोली-विकास (Linguistic Ontogeny)—इसमें एक व्यक्ति की भाषा या बोली में विकास का अध्ययन किया जाता है। बोलीविज्ञान (Dialectology)—इसका संबंध बोलियों के अध्ययन से है।

तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method)—इसका अर्थ है दो या अधिक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पद्धति। इस पद्धति पर अध्ययन एक या कई कालों का हो सकता है। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में भी इस

पद्धति से सहायता ली जाती है। पुनर्निर्माण (Reconstruction) का अर्थ है एक परिवार की दो या अधिक भाषाओं या बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उस अज्ञात भाषा के स्वरूप का पता लगाना, या उसका पुनर्निर्माण करना, जिससे वे दोनों निकली हों और जिसके स्वरूप को जानने के लिए अन्य कोई पूर्ण साधन न हो। इसी तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति से इंडो-हिट्टाइट तथा इंडो-यूरोपियन (भारोपीय) आदि प्राचीन भाषाओं का पुनर्निर्माण किया गया है।

मेटालिंग्विस्टिक्स (Metalinguistics)—इसका प्रयोग भाषाविज्ञान में कई अर्थों में किया गया है। ट्रेगर ने इसका प्रयोग अर्थविज्ञान के लिए किया है, क्योंकि वे उसे भाषाविज्ञान से बाहर मानते हैं। कुछ लोग इसका प्रयोग भाषाविज्ञान के उस अंग के लिए करते हैं जिसमें संस्कृति के अन्य अंगों से भाषा के सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। कुछ अन्य लोगों ने इसका प्रयोग भाषा के दार्शनिक स्वरूप के विवेचन के लिए किया है। रूसी, भारिस तथा कारनैप आदि तर्कशास्त्र में इसका प्रयोग एक चौथे अर्थ में करते हैं। यहीं से लेकर भाषाविज्ञानवेत्ता इसका प्रयोग भाषा के अध्ययन की तकनीक या शिल्प-विधि (हाँगन इसे Metalanguage कहते हैं) के अध्ययन के लिए कर रहे हैं। इसी के अन्तर्गत उस भाषा तथा पारिभाषिक शब्दावली का भी अध्ययन आता है जिसका भाषा के अध्ययन में प्रयोग होता है। इसे कुछ लोग Exo-linguistics, कुछ लोग Meta-research तथा कुछ लोग Meta-sprog भी कहते हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि अर्थविज्ञान को कुछ लोग मेटालिंग्विस्टिक्स कहकर उसे भाषा-विज्ञान से बाहर रखते हैं। इसी प्रकार फ्रोनटिक्स को कुछ लोग प्रीलिंग्विस्टिक्स (Prelinguistics) मानकर इसके शुद्ध सैद्धांतिक रूप (ध्वनि-उत्पत्ति, ध्वनि-अवयव आदि) को भाषाविज्ञान से बाहर रखना चाहते हैं। **जाति-भाषाविज्ञान (Ethnolinguistics)**—इसमें जातिविज्ञान और भाषाविज्ञान, इन दोनों विज्ञानों के सम्बन्धों और आपसी प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा के विविध रूपों (भाषा, बोली, उपबोली, आदि), उन रूपों के बनने के कारण, भाषा की प्रकृति तथा भाषाविज्ञान का इतिहास आदि का भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शाखाओं-प्रशाखाओं में बहुतों के बारे में आगे स्वतंत्र अध्यायों के रूप में या अन्य अध्यायों के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया गया है।

भाषाविज्ञान के अध्ययन से लाभ

इस विषय में ऊपर तथा आगे भी यत्र-तत्र विचार किया गया है। यहाँ संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें गिनाई जा रही हैं—

- (१) अपनी चिरपरिचित भाषा के सम्बन्ध में जिज्ञासा की तुष्टि।
- (२) प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति पर प्रकाश।
- (३) किसी जाति या सम्पूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रत्यक्षीकरण।
- (४) प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा प्रयोग आदि से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान।
- (५) पूरे विश्व के लिए एक कृत्रिम भाषा का विकास (जैसे 'एसपेरैंतो' आदि)।
- (६) मातृभाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के सीखने में पूर्णता, सरलता और शीघ्रता।
- (७) एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद में सहायता।
- (८) अनुवाद करने वाली, स्वयं टाइप करने वाला टाइपराइटर तथा इसी प्रकार की अन्य मशीनों के विकास में सहायता।

(९) भाषा, लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन-परिवर्द्धन करने में सहायता।

(१०) किसी भाषा के लिए लिपि, उसका व्याकरण, कोश तथा उसे पढ़ाने के लिए पाठ्य-पुस्तक बनाने में सहायता ।

(११) तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध श्रवण आदि दूर करने में सहायता ।

(१२) मनोविज्ञान, प्राचीन भूगोल, शिक्षा, समाजविज्ञान, दर्शन तथा इंजीनियरिंग (कम्प्यूटिकेशन) आदि में सहायता ।

भाषाविज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का सम्बन्ध

ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है । तबतः उसे अलग-अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों आदि में इस प्रकार नहीं विभाजित किया जा सकता कि एक-दूसरे से पूर्णतः अलग हो । केवल सुविधा के लिए अखंड ज्ञान को हमने अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि में विभाजित कर रखा है । इस तरह अखंड ज्ञान का यह विभाजन केवल व्यावहारिक है, तात्त्विक नहीं । यदि इस तात्त्विक स्थिति को ध्यान में रखें तो स्पष्ट ही एक अखंड ज्ञान के अंश होने के कारण सभी ज्ञान-विज्ञान किसी न किसी रूप में एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं ।

ऊपर तात्त्विक दृष्टि से बात कही जा रही थी । व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य ने अपनी ज्ञान की सीमा और अध्ययन-विश्लेषण की सुविधा के अनुसार अखंड ज्ञानक्षेत्र को कुछ विभागों में बांट रखा है जिसको उसने अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि की संज्ञा दी है । इन ज्ञानों, विज्ञानों एवं शास्त्रों में कुछ तो सामान्य और व्यावहारिक धरातल पर एक-दूसरे से बहुत संबद्ध नहीं कहे जा सकते, जैसे साहित्य और गणित, रसायनशास्त्र और भाषा-विज्ञान, काव्यशास्त्र और भौतिकशास्त्र या वनस्पतिविज्ञान और दर्शन आदि । दूसरी ओर, ज्ञान के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो एक-दूसरे से संबद्ध हैं । यह सम्बन्ध कई प्रकार का है । उदाहरण के लिए, कुछ तो एक-दूसरे से सामान्य सम्बन्ध रखते हैं, कुछ एक-दूसरे के पूरक-जैसे होते हैं और कुछ का तो आपस में ऐसा सम्बन्ध होता है कि एक की जानकारी के बिना दूसरे का अध्ययन प्रायः असंभव है । दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं । भाषाविज्ञान से भी अनेक ज्ञानों, विज्ञानों एवं शास्त्रों के अनेक स्तरों में विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध हैं । यहाँ कुछ प्रमुख के साथ भाषाविज्ञान के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा रहा है—

(क) व्याकरण—भाषाविज्ञान और व्याकरण एक-दूसरे के इतने समीप (दोनों का सम्बन्ध भाषा से है) हैं कि कभी-कभी दोनों को एक, या भाषाविज्ञान को व्याकरण तथा व्याकरण को भाषाविज्ञान मानने का भ्रम लोगों को हो जाता है । यों दोनों में अंतर स्पष्ट है । व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं जो इस बात के निर्देश पर अधिक बल देता है कि भाषा में कहाँ, कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है और कैसा अशुद्ध (साधुत्वज्ञान विषया सौपा व्याकरण स्मृतिः—भृत् हरि १.१४२) । इसके विपरीत, भाषाविज्ञान विज्ञान है जिसका सम्बन्ध इस आदर्श से नहीं है कि कहाँ, कैसा प्रयोग होना चाहिए । वह तो केवल इस बात को जानना चाहता है कि कब, कहाँ, कैसा प्रयोग होता है । व्याकरण विवरण और वर्णन प्रधान है तो भाषाविज्ञान विवेचन-विश्लेषण-प्रधान । एक और प्रमुख अन्तर यह है कि व्याकरण केवल व्याकरण के रूप आदि देकर चुप हो जाता है, जबकि भाषाविज्ञान और गहराई में जाकर यह भी पता लगाता है कि वह रूप क्या है, कहाँ से आया है, कितना पुराना है, आदि । उदाहरण के लिए, व्याकरण यह कहकर चुप हो जाएगा कि 'जा (न्य)' का भूतकाल का रूप 'गया' होता है, किन्तु भाषा-विज्ञान और गहराई में जाकर यह खोज लगायेगा कि मूलतः 'गया' का 'जा' से कोई संबंध नहीं है । संस्कृत में 'गम्' और 'या' दो धातुएँ थीं । 'या' से 'जा' का विकास हुआ जिससे जाता, जाना, जाये, जाया आदि रूप बनते हैं । 'गम्' से हिन्दी में केवल एक ही रूप आया—'गया' । अकेला रूप होने के कारण इसके लिए अलग धातु की कल्पना नहीं की गई और इसे भी 'जा'

का ही रूप मान लिया गया। इस तरह भाषाविज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहाँ तक संबन्धों का प्रश्न है, भाषा के अध्ययन में दोनों एक-दूसरे के पूरक तो हैं ही, अन्योन्याश्रित भी हैं। बिना भाषाविज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता और दूसरी ओर भाषाओं के विश्लेषण में भाषाविज्ञान व्याकरण से पर्याप्त सामग्री और सहायता लेता है। उदाहरण के लिए, व्याकरण का संधि-प्रकरण पूरी तरह भाषाविज्ञान पर आधारित है। दूसरी ओर भाषाविज्ञान अपनी प्रमुख शाखा रूपविज्ञान तथा वाक्यविज्ञान की सारी की सारी मूलभूत सामग्री व्याकरण से ही लेता है।

(ख) साहित्य—भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए (जीवित भाषाओं के जीवित रूप को छोड़कर) सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत, अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषाविज्ञान कह पाता या जान पाता कि य तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। इसी प्रकार यदि आदि काल से आधुनिक काल तक का हिन्दी साहित्य हमारे सामने न होता, तो भाषाविज्ञान हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता! इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही अध्ययनों में भाषाविज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। सत्य तो यह है कि केवल जीवित भाषाओं के अध्ययन को छोड़कर पुरानी या मृत भाषा का, भाषाविज्ञान चाहे जिस रूप में अध्ययन करना चाहे, उसे पग-पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ेगी और जीवित भाषा के सम्बन्ध में भी 'क्यों', 'कब' एवं 'कैसे' आदि के उत्तर के लिए उसे साहित्य की ही छानबीन करनी पड़ेगी। जीवित भाषा यह बतला देगी कि भोजपुरी में 'बाटे' शब्द है, पर यह कहाँ से आया, इसके लिए भाषाविज्ञान संस्कृत साहित्य को चानेगा और तब कह सकेगा कि इसका मूल संस्कृत रूप 'वर्तते' है, या बुन्देलखण्ड की ओर नटखट लड़कों से

ओना मासी धम

बाप पढ़ न हम

मुनकर जब भाषाविज्ञान का कान खड़ा होगा कि यह 'ओना मासी धम' क्या बला है, तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही उसे बतलायेगा कि शाकटायन के प्रथम सूत्र 'ॐ नमः सिद्धम्' का ही यह बिगड़ा रूप है।

दूसरी ओर साहित्य भी भाषाविज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। भाषाविज्ञान उसके क्लिष्ट अर्थों एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण-सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर जायसीकृत 'पद्मावत' के बहुत से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया है, साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है। इस प्रकार साहित्य और भाषा-विज्ञान, दोनों ही एक-दूसरे के सहायक हैं।

(ग) मनोविज्ञान—भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा सम्बन्ध है। भाषा विज्ञान की वाहिका है और विचारों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। इस प्रकार भाषा की आंतरिक गुत्थियों को मुलझाने में भाषाविज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक सहायता लेता है। विशेषतः अर्थविज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही आधारित है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, वाक्यविज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी प्रकार कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तन के कारण जानने के लिए भी हमें मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक रूप की जानकारी में भी मनोविज्ञान, विशेषतः बाल-मनोविज्ञान और अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान भी भाषाविज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। पागलों के मनोवैज्ञानिक

उपचार में उनके द्वारा कही गई ऊलूल-जलूल बातों के विश्लेषण—जिसमें भाषाविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है—के द्वारा ही उनकी मानसिक गुणधर्मों एवं ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। यों भी चिन्तारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषाविज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है। दोनों के इस घनिष्ट सम्बन्ध के कारण ही अब भाषाविज्ञान की एक नई शाखा अस्तित्व में आ गई है जिसे मनोभाषाविज्ञान (Psycholinguistics) कहते हैं।

(घ) शरीरविज्ञान—भाषा मुख से निकली ध्वनि है, अतएव भाषाविज्ञान को—हवा भीतर से कैसे चलती है, स्वर-यंत्र, स्वर-तंत्री, नासिका-विवर, कौवा, तानु, दाँत, जीभ, ओठ, कंठ, मूर्द्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि का ग्रहण होता है—इन सबका अध्ययन करना पड़ता है और इसमें शरीरविज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण आँखों से ही होता है, अतएव इस प्रक्रिया का भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अंतर्गत ही है और इसके लिए भी उसे शरीरविज्ञान का श्रृणी होना पड़ता है। इसी प्रकार सुरलहर, अक्षर-बलाघात, आदि का अध्ययन भी शरीरविज्ञान के बिना नहीं हो सकता।

(ङ) भूगोल—भाषाविज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ट सम्बन्ध है। कुछ लोगों के अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़-पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं, पर यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाय तो उसके नाम का वहाँ की भाषा से भी लोप हो जाता है। 'सोमलता' शब्द का आज हमारी जीवित भाषा में न पाया जाना सम्भवतः भौगोलिक कारण से ही है। किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे तथा गहरे समुद्र या उसमें परिवर्तन की सम्भावना कम होगी। पहाड़ तथा जंगली लोगों में आपस में कम मिलने के कारण ही प्रायः भिन्न-भिन्न बोलियों का विकास हो जाता है। भूगोल देशों, नगरों, नदियों तथा प्रान्तों आदि के नामों के रूप में भाषाविज्ञान को अध्ययन की बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। अर्थ-विचार में भी भूगोल भाषाविज्ञान की सहायता करता है। 'उष्ट्र' का अर्थ 'भैंसा' से 'ऊँट' कैसे हो गया, 'सैंधव' का अर्थ 'घोड़ा' और 'नमक' ही क्यों हुआ, या संस्कृत में 'कश्मीर' का अर्थ 'केसर' क्यों है, आदि समस्याओं पर विचार करने में भी भूगोल की सहायता अपेक्षित है। भाषाविज्ञान की शाखा 'भाषा-भूगोल' तो भूगोल से और भी अधिक सम्बद्ध है और इसकी अध्ययन-पद्धति भी भूगोल की पद्धति पर ही बहुत कुछ आश्रित है। दूसरी ओर किसी जगह के प्रागैतिहासिक काल के भूगोल के अध्ययन में भाषाविज्ञान भी पर्याप्त सहायता देता है।

(च) इतिहास—इतिहास का भी भाषाविज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध है। इतिहास के तीन रूपों को लेकर यहाँ भाषाविज्ञान से उसका सम्बन्ध दिखलाया जा रहा है : (१) राजनीतिक इतिहास—किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं में कई हजार अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में कई हजार भारतीय शब्दों का प्रवेश, भारत की राजनीतिक परतंत्रता या इन दोनों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध का ही परिणाम है। हिन्दी में अरबी, फ़ारसी, तुर्की तथा पुर्तगाली शब्दों के आने का कारण जानने के लिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का ही सहारा लेना पड़ेगा। पूर्वी द्वीपसमूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में संस्कृत शब्दों का आधिक्य भी भारत से वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध की ओर स्पष्ट संकेत करता है। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषाविज्ञान, दोनों एक-दूसरे के अध्ययन में सहायता पहुँचाते हैं।

(२) धार्मिक इतिहास—भारत में हिन्दी-उर्दू-समस्या धर्म या सांप्रदायिकता की ही देन है। धर्म के रूप के परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ का लोकधर्म से उठ जाने का ही फल है कि यज्ञ से सम्बन्धित अनेक शब्द जो कभी जीवित भाषा में प्रचलित रहे होंगे, आज अज्ञात हैं। व्यक्तियों के नामों को भी धर्म प्रभावित करता है। इस प्रकार धर्म से व्यक्तिवाचक नामों पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक इतिहास ही इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्यों बंगाली तथा मराठी में ब्रजभाषा के भी कुछ रूप आ गये हैं, या एक ही गाँव के रहने वाले हिन्दू की भाषा क्यों अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत-मिश्रित है, तो मुसलमान की भाषा अधिक अरबी-फारसी-मिश्रित। धर्म के कारण ही बहुत-सी बोलियाँ अन्यों की तुलना में महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाती हैं। मध्ययुग में ब्रजभाषा और अवधी के महत्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में ही मिलता है। दूसरी ओर धर्म के प्राचीन रूप की बहुत-सी गुत्थियाँ भाषाविज्ञान से सुलझ जाती हैं। एक देश के दूसरे देश पर धार्मिक प्रभाव के अध्ययन में धर्म से सम्बद्ध शब्दों का अध्ययन बड़ी सहायता करता है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे से सहायता लेते हैं। (३) सामाजिक इतिहास—सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराओं का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है और दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार भाषाविज्ञान तथा सामाजिक इतिहास भी एक-दूसरे के सहायक हैं। प्राचीन साहित्य में पतिविहीन स्त्री के लिए 'विधवा' शब्द है, किंतु पत्नीविहीन पति के लिए कोई शब्द नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। पुरुष स्त्री के मरने पर फिर शादी कर लेता था, अतः उसके लिए पत्नी-विहीन रूप में किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी, पर दूसरे ओर पति के मरने पर पत्नी को आजीवन उसी रूप में रहना पड़ता था, अतः उसके लिए एक नाम आवश्यक था। प्रागैतिहासिक काल के समाज के अध्ययन के लिए तत्कालीन भाषा से पर्याप्त सहायता ली जाती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं के अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय लोगों की सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भाषा के आधार पर की गई प्रागैतिहासिक खोज भी इसी प्रकार का अध्ययन है। भारतीय भाषाओं में माँ, बाप, बहन, चाचा तथा भाई आदि के अतिरिक्त साला, बहनोई, मौसी, मौसा, फूफा, परदादा, मामा, ससुर तथा सास जैसे शब्द भी हैं, पर योरोपीय भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द नहीं हैं। आवश्यकतानुसार उन्हें जोड़-जाड़कर बनाना पड़ता है। यह भी सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। इस भाषा-वैज्ञानिक तथ्य से इन दोनों देशों के समाज पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। संस्कृत में मौसी और बूधा के लिए 'मातृस्वसा' और 'पितृस्वसा' शब्द हैं, पर मौसा और फूफा के लिए नहीं हैं। इससे तत्कालीन कौटुम्बिक व्यवस्था पर यह प्रकाश पड़ता है कि परिवार में फूफा और मौसा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। इसीलिए उनके लिए किसी नाम की आवश्यकता का अनुभव उस युग में हुआ ही नहीं। बाद में जब उनका स्थान हो गया तो 'मौसा' और 'फूफा' जैसे शब्द बना लिए गये। इस प्रकार ये दोनों एक-दूसरे के अध्ययन में हाथ बँटाते हैं।

(४) भौतिकशास्त्र—मनुष्य जब कुछ कहता है तो ध्वनि उसके मुँह से निकलने के बाद और किसी के कान तक पहुँचने के पूर्व आकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन लहरों का अध्ययन करने में भौतिकशास्त्र ही हमारी सहायता करता है। वह बतलाता है कि ये लहरें किस प्रकार की होती हैं तथा अन्य ध्वनियों एवं भाषा-ध्वनियों की लहरों में क्या अन्तर होता है। प्रयोगात्मक ध्वनिशास्त्र (Experimental Phonetics) के अर्थात् भाषाविज्ञान के इस क्षेत्र के अध्ययन में भौतिकशास्त्र से बहुत लाभ उठा रहे हैं। स्वर-व्यंजन आदि के तात्त्विक रूप पर भौतिकशास्त्र के आधार पर इधर बहुत प्रकाश डाला गया है।

(५) तर्कशास्त्र—तर्कशास्त्र का भाषाविज्ञान से कोई बहुत सीधा सम्बन्ध तो नहीं है, पर भाषाविज्ञान वर्णनात्मक विषय न होकर व्याख्या-प्रधान है और व्याख्या में बिना तर्क के काम नहीं चल सकता, अतएव उसे तर्कशास्त्र का ऋणी होना ही पड़ता है। यास्क मुनि ने

अपने अर्थविज्ञान-विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'निरुक्त' में तर्कशास्त्र से बहुत सहायता ली है। दूसरी ओर तर्कशास्त्र भी भाषाविज्ञान का कम ऋणी नहीं है। तर्क भाषा के ही सहारे चलता है, अतएव उसे अपने अध्ययन में बड़ी सतर्कता से प्रतिक्षण अपने सामने आने वाले शब्दों एवं वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ती है।

(अ) मानवविज्ञान—मानवविज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियों (मर्यादा, सामाजिक मनोविज्ञान, धर्म, अन्धविश्वास तथा पर्व आदि) से अध्ययन किया जाता है और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है, अतएव दोनों ही एक-दूसरे से अपने अध्ययन के लिए सामग्री लेते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य में तरह-तरह के अन्धविश्वास घर करते रहे हैं जिनका लेखा-जोखा मानवविज्ञान में मिलता है। इन अन्धविश्वासों का भाषा पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में जिनके दो-चार लड़के मर जाते हैं, उनके लड़कों को जीवित रखने के लिए लोभ अधिकतर रद्दी नामों से पुकारने लगते हैं, जैसे जोख (उसे तराछू में जोख या तौल कर), छेदी (उसकी नाक छेदकर), बेजू (उसे दो-चार पैसे में किसी दूसरे के हाथ बेचकर), घुरडू (कूड़ा), कतवारू (कूड़ा), अलियार (कूड़ा) या लेंदा (रद्दी) आदि। स्त्रियाँ अपने पति का नाम नहीं लेतीं और उसे घुमा-फिराकर किसी और रूप में पुकारती हैं। इसी प्रकार माँ-बाप अपने बड़े लड़के का नाम नहीं लेते। अन्धविश्वास के ही कारण बिच्छू को 'टेढ़की', 'साँप' को 'जैवर' (रस्सी), या 'कीरा', लाश को 'मिट्टी' तथा 'चेचक' को 'माता' कहते हैं। पाखाना के लिए जितने भी नाम हैं, उसे घुमा-फिराकर कहने का प्रयास है। उदाहरणार्थ, छिया (घुणित), पाखाना (पैर रखने की जगह), टटटी (आड़ की जगह) तथा झाड़ा (झाड़ी में यो हो) आदि। क्रियारूप में भी इसके लिए घुमा-फिराकर ही प्रयोग मिलते हैं, जैसे बहरे जाना (ओरते 'पाखाना जाने' के लिए कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग करती हैं) इसका अर्थ बाहर जाना है), दिसा जाना, जंगल जाना, नद्दी जाना, मैदान जाना, निपटने जाना तथा फराकत होने जाना आदि।

अन्धविश्वास के अतिरिक्त और भी सामाजिक मनोविज्ञान से सम्बन्ध बहुत-सी गुत्थियाँ हैं जिनके उदाहरण भाषा से मिलते हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिए भाषाविज्ञान को मानव-विज्ञान की शाखाओं-प्रशाखाओं का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरणार्थ, अशोक ने अपने शिला-लेखों में अपने लिए 'देवानाप्रियः' का प्रयोग किया है, पर बाद में संस्कृत के ग्रंथकारों ने इसे मूर्ख का पर्याय बना दिया है। द्रविड़ भाषाओं में 'पिल्ले' या 'पिल्लई' अच्छे शब्द हैं और इनका प्रयोग नामों में भी किया जाता है, पर हिन्दी प्रदेश में 'पिल्ला' कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। ऋग्वेद की पुरानी ऋचाओं में 'असुर' का अर्थ देवता है, पर परवर्ती काल की ऋचाओं में 'राक्षस' है। 'यक्ष' शब्द का पालि साहित्य में प्रयोग बुरे अर्थ में है, पर संस्कृत में अच्छे अर्थ में। इन सभी के कारण जानने के लिए भाषाविज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पत्ति और उसके प्राचीन रूप तथा लिपि की उत्पत्ति आदि के अध्ययन में मानवविज्ञान से भाषाविज्ञान को सहायता मिलती है।

(ब) दर्शन—दर्शन और भाषाविज्ञान दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत में मीमांसकों, नैयायिकों आदि दार्शनिकों ने इसी कारण अपने विषय पर विचार करते समय भाषाविज्ञान की भी अनेक बातों पर विचार किया है। जैसे मीमांसा के अन्विताभिधानवाद सिद्धान्त के अनुसार भाषा में वाक्य की ही सत्ता मूल है, 'पद' उसी के तोड़े गए अंश हैं। किन्तु, अभिहितान्वयवाद के अनुसार 'पद' की ही सत्ता है, वाक्य उसी का जोड़ा हुआ रूप है। भाषाविज्ञान की अर्थविज्ञान-शाखा को तो लोग बहुत दिनों तक दर्शन के ही अन्तर्गत मानते रहे हैं। भाषा, भाषाविज्ञान और व्याकरण का भी अपना दर्शन होता है।

इनके अतिरिक्त समाजविज्ञान, सांख्यिकी, गणित, भाषाशिक्षण, काव्यशास्त्र, यंत्रिकी आदि अन्य ज्ञान-विज्ञानों से भी भाषाविज्ञान का सम्बन्ध है। समाजविज्ञान से सम्बन्ध के कारण ही 'समाजभाषाविज्ञान' का विकास हुआ है।

भाषा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक रूप

भाषा की उत्पत्ति

जब हम भाषा पर विचार करने चलते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे ? इस प्रश्न पर विचार अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है, पर अब भाषाविज्ञानवेत्ता इस प्रश्न को भाषाविज्ञान के क्षेत्र का नहीं मानते। कोई इसे मानव-विज्ञान के क्षेत्र का मानता है, तो कोई प्राचीन इतिहास का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाषाविज्ञान एक विज्ञान है; अतः इसके अन्तर्गत विचारणीय विषय केवल वे हो सकते हैं, जिन पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक और ठोस आधार हो, किन्तु भाषा की उत्पत्ति— जो कदाचित् लाखों वर्ष पूर्व हुई थी—पर विचार करने के लिए ऐसे आधार का अभाव है। केवल अनुमान ही किया जा सकता है, अतएव यह भाषाविज्ञान का अंग नहीं माना जा सकता। इन्हीं सब बातों के कारण अब से लगभग सत्रासदी पूर्व (१८६६ ई० में) जब पेरिस में भाषा-विज्ञान-परिषद् (La Societe de Linguistique) की स्थापना की गई तो संस्थापकों ने परिषद् के परिचयमें (सेक्शन २) में स्पष्ट शब्दों में भाषा की उत्पत्ति पर विचार आदि करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया, और इस प्रश्न को सदा-सर्वदा के लिए भाषाविज्ञान से निकाल देने का प्रयास किया। उसके बाद भी अन्य अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के मत व्यक्त किये और आज तो प्रायः सभी मूर्धन्य विद्वान् इस सम्बन्ध में एकमत-से हैं कि इस प्रश्न का स्थान भाषाविज्ञान में नहीं है। किन्तु, इस प्रतिबन्ध और उपेक्षा के बावजूद भी इन बीच के वर्षों में यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है; और, यह कहना भी अनुचित न होगा कि न केवल उठाया गया है, अपितु प्रायः हर दशक में इस सम्बन्ध में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धान्तों की नवीन व्याख्याएँ हमारे समक्ष रक्खी गई हैं। बात बड़ी सीधी है। जब भाषाविज्ञान 'भाषा' का विज्ञान है तो निश्चय ही 'भाषा' का पूरा इतिहास और उसका हर रूप भाषाविज्ञान के अध्ययन का विषय है। ऐसी स्थिति में भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारम्भिक रूप के अध्ययन को निश्चय ही इससे अलग नहीं किया जा सकता। और यह तर्क कि विचार करने के लिए सामग्री का अभाव है, अतः उसे विषय से अलग माना जायगा, कोई तर्क नहीं है। विचार करते रहने से तो सम्भव है इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ते रहें—जैसा कि मनोविज्ञानवेत्ता तथा मानवविज्ञानविद् कर रहे हैं—किन्तु छोड़ देने पर तो यह प्रश्न जहाँ का तहाँ ही पड़ा रह जायगा।

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इस प्रश्न पर अत्यन्त प्राचीन काल से विचार होता आया है और लोगों ने कई वादों और सिद्धान्तों को इस प्रश्न के उत्तरस्वरूप संसार के समक्ष रक्खा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सीधे यह बतलाते हैं कि अमुक प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई, अर्थात् ये सीधे जन्म को पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसी कारण इनको 'प्रत्यक्ष मार्ग' के अन्तर्गत रक्खा जाता है। दूसरी ओर भाषा के आरम्भ तक पहुँचने का एक 'परोक्ष मार्ग' भी है। 'परोक्ष मार्ग' में जन्म पर दृष्टि न ले जाकर भाषाओं के वर्तमान रूप पर दृष्टि ले जाई जाती है और उनके ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन आदि के आधार पर धीरे-धीरे वर्तमान से भूत की ओर चला जाता है। इससे भाषा की उत्पत्ति पर तो प्रकाश नहीं पड़ता, पर उसके आरम्भिक रूप का कुछ अनुमान अवश्य लग जाता है। यहाँ दोनों मार्गों को संक्षेप में देखा जा सकता है।

क : प्रत्यक्ष मार्ग

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा व्यक्त किये गये हैं। 'ओल्ड टेस्टामेंट' में भी इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में कुछ बातें कही गई हैं। इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब तथा अन्य देशों की धार्मिक तथा भाषाशास्त्र-विषयक पुस्तकों में भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ बातें मिल जाती हैं। १८वीं सदी के पूर्व व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्त (आगे देखिये) के अन्तर्गत आ सकते हैं। १८वीं सदी में इस प्रश्न पर कई भाषाविज्ञानवेत्ताओं तथा अन्य क्षेत्रों के विद्वानों ने गम्भीरता से विचार किया। इन विद्वानों में गियाम्बटिस्टा, ब्रासेस, काडिलाक, रूसो तथा हर्डर के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं। इनमें भी हर्डर का नाम विशेष उल्लेख्य है। इन्होंने भाषा की उत्पत्ति पर एक लेख लिखा था, जिस पर बर्लिन अकादमी ने पुरस्कार दिया था। यों, बाद में हर्डर ने अपने ही मत को महत्वहीन करार दिया।

१९वीं सदी में इस प्रश्न पर विचार करने वालों की संख्या और भी बढ़ गई। इनमें न्यायर, ग्रिम, राये, डाविन, हम्बोल्ट, इलाइखर, अर्नेस्ट रेनन, जेस्पर्सन, मैक्समूलर, गाडगर, स्टाइन्थल, स्वीट, मार्टी, स्पेंसर, रेगनॉड तथा टेलर आदि के नाम उल्लेख्य हैं। आगे जिन वादों का उल्लेख किया जायेगा, उनमें बहुत से इसी काल के हैं।

२०वीं सदी की आयु अभी तीन चौथाई से कुछ ही अधिक बीती है, किन्तु काफी विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। कुछ उल्लेख्य नाम वुण्ट, डिलैगुना, बर्नर्ड शा, होनिग्स्वाल्ड, रेवेज, जोहान्सन, हम्फरी तथा समरफेल्ड आदि के हैं। इनमें रेवेज तथा जोहान्सन के सिद्धान्त विशेषतः उल्लेख्य हैं, जिन पर आगे विचार किया गया है। भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई प्रकार के सिद्धान्त, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मत दिये जा रहे हैं। इनमें प्रथम दो का सीधे भाषा की उत्पत्ति से सम्बन्ध है, अन्यो का विशेषतः अर्थ-ध्वनि के सम्बन्ध से।

(१) देवी उत्पत्ति सिद्धान्त—भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सबसे प्राचीन मत है। लोगों का विश्वास रहा है, और कुछ अंशों में तो आज भी है कि संसार और उसकी अनेकानेक चीजों की भाँति ही भाषा को भी भगवान ने ही बनाया। भारतीय पंडित वेदों को अपौरुषेय मानते रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की। संस्कृत को 'देवभाषा' कहने में भी उनके इसी विश्वास की ओर संकेत है। संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनि के १४ सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं। यहाँ भी उसी ओर संकेत है। ईश्वर-निमित्त होने के कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते हैं। बौद्ध

'पालि' को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हैं, और उनका विश्वास रहा है कि भाषा अनादि काल से चली आ रही है। जैन लोग तो संस्कृत पंडितों और बौद्धों से भी चार कदम आगे हैं। उनके अनुसार तो अर्धभाग्यही केवल मनुष्यों की ही मूल भाषा नहीं है, बल्कि सभी जीवों की मूल भाषा है, जब महावीर स्वामी इस भाषा में उपदेश देते थे तो क्या देव-योनियों के लोग और क्या पशु-पक्षी, सभी उस उपदेश का रसास्वादन करते थे। ईसाई और उनमें भी प्रमुखतः कैथोलिक लोग 'हिब्रू' (जिसमें उनका धर्मग्रंथ 'Old Testament' लिखा गया है) को संसार की सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। उनके अनुसार 'हिब्रू' आदम और हव्वा को पूर्ण विकसित भाषा के रूप में भगवान द्वारा दी गई थी, फिर बाबुल की गीनारवाली घटना के कारण उसी के अनेक रूप हो गये और इस प्रकार संसार में अनेक भाषाएँ हो गईं। इसके आधार पर हिब्रू के विद्वानों ने संसार की अनेक भाषाओं से उन शब्दों को इकट्ठा किया था, जो हिब्रू शब्दों से मिलते-जुलते थे और उनसे यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यथार्थतः हिब्रू सभी भाषाओं की जननी है। मुसलमान लोग 'कुरान' को खुदा का कलाम मानते हैं। मिस्र में भी वहाँ के प्राचीन लोगों का अपनी भाषा के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विश्वास था। प्लेटो ने सभी चीजों के नामों की प्राकृतिक या प्रकृति-प्रदत्त कहा था। यह भी मत 'देवी-उत्पत्ति' का ही एक रूप है। इसी मत के प्रभाव से लोगों का यह भी मत रहा है कि मनुष्य जन्म से ही एक भाषा सीख कर आता है और वही भाषा ईश्वर की तथा सबसे पुरानी भाषा है। इसी का निश्चय करने के लिए मिस्र के राजा समेटिकस (Psammitichos) ने दो बच्चों को जन्म के बाद ही अलग रखा था। उसके पास जाने वालों को कुछ बोलने का निषेध था। बड़े होने पर उनके मुँह से केवल 'बेकोस (bekos) शब्द ही सुना गया। (रोटी देने वाले फ्रीजियन नौकर ने गलती से कभी इस शब्द का उच्चारण उनके सामने कर दिया था। 'बेकोस' फ्रीजियन शब्द है, और इसका अर्थ 'रोटी' होता है)। फ्रेडरिक-द्वितीय (११९४-१२५०), स्कॉटलैंड के जे. म. चतुर्थ (१४८८-१५१३) तथा अकबर बादशाह (१५५६-१६०५) ने भी इस प्रकार के प्रयोग किये थे। अकबर का प्रयोग बहुत सफल था और फल यह हुआ कि लड़के मुँगे निकले। इस प्रकार कहना न होगा कि बच्चा माँ के पेट से कोई भाषा सीख कर नहीं आता, अर्थात् ईश्वर-प्रदत्त कोई भाषा नहीं है, और ऐसा मानना अंधविश्वास मात्र है। आज इस मत को कोई भी नहीं मानता। इसके विषय में दो बातें मुख्यतः कही जा सकती हैं: (क) एक तो यह कि यदि यह ईश्वर-प्रदत्त है तो विभिन्न भाषाओं में इतना भेद क्यों है? पूरे संसार के गदहे, घोड़े, भैंसे, कुत्ते आदि एक से बोलते हैं, किन्तु मनुष्यों में वह एकरूपता नहीं है। (ख) दूसरे, यदि भाषा ईश्वर-प्रदत्त होती तो कदाचित् आरम्भ से ही वह विकसित होती किन्तु इतिहास में इसके उलट प्रमाण मिलते हैं।

(२) विकासवादी सिद्धान्त—इसके अनुसार भाषा का धीरे-धीरे विकास हुआ है। सिद्धांततः तो यह ठीक है, किन्तु इसमें विकास या उत्पत्ति एवं अर्थ-ध्वनि के सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है।

(३) धातु सिद्धान्त—इस ओर संकेत प्लेटो ने किया था, किन्तु इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस (Heyse) को है। इन्होंने कभी अपने किसी व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था, जिसे बाद में उनके शिष्य डॉ० स्टाइन्थाल ने मुद्रित रूप में विद्वानों के समक्ष रक्खा। मैक्समूलर ने भी पहले इसे स्वीकार किया, और अपनी पुस्तक में भी इसे स्थान दिया, किन्तु बाद में इसे निरर्थक कहकर छोड़ दिया।

इसी को डिंग-डांगवाद (Ding-dong Theory) या रणन सिद्धान्त भी कहा गया है। कुछ लोग गलती से 'डिंग-डांगवाद' का प्रयोग 'अनुकरण सिद्धान्त' या 'अनुरणन सिद्धान्त' के लिए करते हैं। धातु सिद्धान्त का 'डिंग-डांगवाद' नाम आधार है, जो आगे की बातों से

स्पष्ट हो जायगा। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी ध्वनि होती है। यदि हम एक डंडे से एक काठ, एक लोह, एक सोने, एक कपड़े और एक कामज पर मारें तो देखेंगे सब का 'डिग-डांग' (मूल अर्थ घटे पर मारने का शब्द या टन-टन), या सबकी 'ध्वनि' अलग-अलग होगी। इसी प्रकार आरम्भ में, मनुष्य में एक ऐसी सहजात् शक्ति थी कि जिस किसी चीज के सम्पर्क में वह आता, उसके लिए उसके मुँह से एक प्रकार की ध्वनि निकल जाती। विभिन्न वस्तुओं की ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ 'धातु' थीं। आरम्भ में इस प्रकार से धातुओं की सख्या बहुत बड़ी थी, किन्तु उनमें बहुत-सी (पर्याय होने के कारण या योग्यतमावशेष-सिद्धान्त के कारण) धीरे-धीरे लुप्त हो गईं और केवल ४००-५०० धातुएँ शेष रहीं। उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धान्त के अनुसार उन धातुओं की ध्वनि तथा उनके अर्थ में एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (mystic harmony) था। इस मत के समर्थकों का यह भी कहना था कि प्राचीन मनुष्य में वह शक्ति थी; किन्तु भाषा बन जाने पर शक्ति की आवश्यकता नहीं रही, अतः वह धीरे-धीरे नष्ट हो गई। आज का मनुष्य इसीलिए उससे शून्य है। इस सिद्धान्त को कुछ दार्शनिकों ने भी कभी किसी रूप में माना था, और इसे नेटिविस्टिक थ्योरी (Nativistic Theory) की संज्ञा दी थी।

इस सिद्धान्त के विरुद्ध कई बातें कही जा सकती हैं : (क) पहली बात तो यह है कि आदि मनुष्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। कुछ कल्पनाएँ साधारण होती हैं, इसीलिए उन्हें माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार कल्पना है, अतः सर्वथा त्याज्य है। (ख) दूसरे, संसार की भाषाओं में भारोपीय तथा सेमिटिक आदि कुछ परिवारों में तो धातुओं का पता चलता है, किन्तु अन्य ऐसे बहुत से भाषा-परिवार हैं, जिनमें धातु जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि धातु की बात मान भी लें तो ऐसी भाषाओं की समस्या का हल इससे नहीं निकलता। (ग) तीसरे, भाषा केवल धातु से ही नहीं बनती। प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य घटकों की भी आवश्यकता पड़ती है। इस मत में उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है। (घ) चौथी बात, जो इसके विरुद्ध कही जा सकती है, सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिन भाषाओं में धातुएँ हैं, उनमें वे कृत्रिम या खोजी हुई हैं। आज भाषा-विज्ञानवेत्ता यह नहीं मानते कि धातुओं के आधार पर प्राचीन काल में शब्द बने, अपितु यह माना जाता है कि भाषा के अध्ययन-विश्लेषण के आधार पर धातुओं का पता, भाषा की उत्पत्ति के कई हजार वर्ष बाद लगाया गया और धातु में उपसर्ग या कृत प्रत्यय जोड़ कर शब्द बनाने का ढंग उसके बाद अपनाया गया। इस प्रकार इस मत में कोई तत्त्व नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यही सब सोचकर, बाद में मैक्समूलर ने इसे छोड़ दिया था।

(४) निर्णय सिद्धान्त—इसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धान्त, संकेतवाद आदि भी कहा गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार आरम्भ में मनुष्यों ने जब देखा कि हाथों आदि के संकेतों में काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदि के लिए प्रतीक ध्वनि-संकेत, सांकेतिक नाम, या शब्द निश्चित करके स्वीकार किया और वहीं से भाषा का आरम्भ हुआ। ध्यान देने पर पता चलता है कि यह सिद्धान्त भी निरर्थक है। (क) यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरम्भ में लोग कैसे इकट्ठे हुए ? (ख) एकत्र भी हो गए तो शब्द कैसे गढ़े गये ? (ग) वस्तुतः बिना विचार-विनिमय के न तो इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक-रूप में नामों आदि का निर्णय ही। और, यदि इकट्ठा होने के लिए या नाम निश्चित करने के लिए लोग विचार-विनिमय कर ही सकते थे, तो उसके बाद

1. Human speech is the result of an instinct of primitive man which made him to give a vocal expression to every external impression.

किसी अन्य भाषा की क्या आवश्यकता थी? वह तो स्वयं एक सफल या असफल भाषा थी। इस प्रकार इस वाद में निर्णय के पूर्व इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ निवार-विनिमय के लिए प्रयुक्त भाषा की उत्पत्ति का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, अतः इसके सहारे भी हमारी समस्या का हल नहीं मिलता।

(५) अनुकरण सिद्धान्त (Imitative Theory)—इस सिद्धान्त का प्रतिपादन भी अनेक विद्वानों ने किया है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई। मनुष्य ने अपने आसपास के जीवों और चीजों आदि की आवाज़ आदि के अनुकरण पर प्रारम्भ में शब्द बनाये और उसी पर भाषा का महल खड़ा हुआ। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत तीन उपसिद्धान्त रखे जा सकते हैं : (क) ध्वन्यात्मक अनुकरण, (ख) अनुरगतान्मक अनुकरण, तथा (ग) दृश्यात्मक अनुकरण। नीचे तीनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है—

(क) ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त—इसके अन्य नाम अनुकरण सिद्धान्त, अनुकरण-मूलकतावाद, भौ-भौ वाद, शब्दानुकरणवाद तथा शब्दानुकरणमूलकतावाद आदि हैं। अंग्रेजी में इसे Bow-wow Theory, Onomatopoeic या Onomatopoeitic Theory या Echoic Theory आदि कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु-पक्षियों आदि से होने वाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाये और फिर उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हुई। इसके विरुद्ध कई बातें कही गई हैं : (क) रेनन ने इस सिद्धान्त का विरोध इस आधार पर किया था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी होता हुआ भी मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी भाषा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा। किन्तु, तत्त्वतः इस प्रकार के विरोध के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। मनुष्य स्वयं ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य जानवरों आदि के नामों या उनकी क्रियाओं के लिए उसने उनकी ध्वनियों के अनुकरण पर शब्दों का अनजाने ही निर्माण किया होगा। (ख) यदि इसे स्वीकार भी करें तो हर भाषा के कुछ ही शब्दों की रचना इससे स्पष्ट होती है। जैसे—चीनी मिआऊ (= बिल्ली); हिन्दी म्याऊँ (म्याऊँ का मुँह कौन पकड़े), में-में (भेड़ की बोली), बे-बे (बकरी की बोली), भिमियाना, बिबियाना, दहाड़ना, गरजना, गुराँना, हिनहिनाना, फटफटिया (मोटर साइकिल के लिए देहाती नाम), पो-पो (मोटर के लिए बच्चों द्वारा प्रयुक्त शब्द), घुम्घू = उल्लू, अपनी आवाज़ के कारण); अंग्रेजी कक्कू, काक, संस्कृत काक (काक इति शब्दानुकृति-निरुक्त) तथा कोकिल आदि। शेष ९९ प्रतिशत से भी अधिक शब्दों के बारे में यह मत मौन है। इस सिद्धान्त को आंशिक रूप से ही सत्यमाना जा सकता है। (ग) कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें ऐसे शब्द हैं ही नहीं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका की 'अथबस्कन' में इस प्रकार के शब्दों का नितान्त अभाव है। ऐसी भाषाओं की दृष्टि से इस मत का कोई मूल्य नहीं है। (घ) कुछ लोग इस सिद्धान्त का विरोध इस आधार पर करते हैं कि इन शब्दों का आधार ध्वनि-अनुकरण होता तो संसार की सभी भाषाओं में इनके लिए एक-से शब्द होते, किन्तु यह आवश्यक नहीं है। अनुकरण प्रायः सर्वदा ही अपूर्ण रहता है; यह आवश्यक नहीं कि शब्द बिल्कुल ही ध्वनि के अनुरूप हो। प्रायः उसमें ध्वनि का थोड़ा या अधिक आधार होता है और इसलिए एक ही ध्वनि के अनुकरण पर ही बने विभिन्न भाषाओं के शब्दों में ध्वन्यात्मक अन्तर असम्भव नहीं है (देखिए भाषा की परिभाषा में 'यादृच्छिकता')।

मैक्समूलर ने इस बात की हमी उड़ाई थी और हमी गेही इमें Bow-Wow Theory कहा था। 'बाउवाउ' अंग्रेजी में कुत्ते की बोलों को कहते हैं, और या अंग्रेज़ बच्चे कुत्ते को भी 'बाव-वाव' कहते हैं, किन्तु माथ ही पापुवा के पूर्वान्वरी किनारे की भाषा में भी ध्वनि के आधार पर कुत्ते को इमी नाम से पुकारते हैं। मैक्समूलर ने पापुवा की भाषा के आधार

पर ही यह नाम दिया था। किन्तु, यह स्पष्ट है कि यह मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है। पर साथ ही भाषा के सारे शब्दों या सारी भाषाओं का समाधान इसमें नहीं किया जा सकता। हाँ, यह लगता है कि अधिकांश भाषाओं के विकास की प्राथमिक अवस्था में ऐसे शब्द पर्याप्त रहेंगे।

(ख) अनुरणात्मक अनुकरण, अनुरणन सिद्धान्त या अनुरणनमूलकतावाद—इसको बहुत-सी पुस्तकों में ध्वनि-अनुकरण से अलग रखा गया है, पर यथार्थतः यह भी एक प्रकार का ध्वनि-अनुकरण ही है। ऊपर पशु-पक्षियों आदि के अनुकरण की बात थी; यहाँ धानु, काठ, पानी आदि निर्जीव चीजों की ध्वनि का अनुकरण है, जैसे झनझनाना, तड़तड़ाना, कल-कल, छल-छल, ठक-ठक, खट-पट आदि। अंग्रेज़ी में murmur, gazz, thunder, jazz आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। संस्कृत में, नद-नद नाद के आधार पर ही नद या नदी आदि हैं। इस प्रकार पत् धानु (गिरना) का आधार कदाचित् पत्र का 'पत्' ध्वनि करते हुए गिरना है। इस वर्ग के भी कुछ शब्द प्रायः सभी भाषाओं में मिल जायेंगे। जैसे कि ऊपर 'क' के बारे में कहा गया है, इसके आधार पर भी भाषा के दो-चार या दस-बीस शब्दों का ही समाधान हो सकता है, पूरी भाषा का नहीं।

(ग) दृश्यात्मक अनुकरण—इसके शब्द (बगबग, दगदग, जगजग) तो भाषा में और भी कम होते हैं। उपर्युक्त आक्षेप इस पर भी लागू होते हैं।

(६) मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धान्त—मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजक शब्द-मूलकतावाद, आवेग सिद्धान्त, पूह-पूहवाद, मनोभावाभिव्यंजकतावाद आदि कुछ अन्य नामों का भी इसके लिए हिन्दी में प्रयोग होता है। अंग्रेज़ी में इसे Poooh-poooh¹ या Interjectional Theory कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आरम्भ में मनुष्य विचार-प्रधान प्राणी न होकर अन्य पशुओं की भाँति भाव-प्रधान था और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा आदि के भावावगम में उसके मुख से ओ, छिः, धिक्, आह, ओह, फ्राई, पूह, पिश आदि जैसे शब्द सहज ही निकल जाया करते थे।² धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ। इस सिद्धान्त के मान्य होने में कई कठिनाइयाँ हैं : (क) गहली नात तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते। यदि स्वभावतः आरम्भ में ये निःसृत हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक से होते। संसार भर के कुत्ते दुःखी होने पर लगभग एक ही प्रकार भूँक कर रोते हैं, पर संसार भर के आदमी न तो दुःखी होने पर एक प्रकार से 'हाय' करते हैं और न प्रसन्न होने पर एक प्रकार से 'वाह'। बल्कि लगता है कि इनके साथ संयोग से ही इस प्रकार के भाव सम्बन्ध हो गये हैं, और ये पूर्णतः यादृच्छिक हैं। (ख) साथ ही इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता। किसी भाषा में इनकी संख्या चालीस-पचास से अधिक नहीं होगी, और वहाँ भी इन्हें पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। बेनफ्री ने यह ठीक ही कहा था कि ऐसे शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ बोलना सम्भव नहीं होता, इस प्रकार यह भाषा नहीं है। (ग) यदि इन्हें भाषा का अंग भी माना जाय तो अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर ही इनसे प्रकाश पड़ता है। यों इनमें यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है कि ओं शब्द, जो भाषा के अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख अङ्ग हैं, इन शब्दों से किस प्रकार विकसित या उत्पन्न हुए ?

हाँ, इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार की ध्वनियों आरम्भ में

१. यह नाम मैक्समूलर ने मज़ाक में दिया था।

२. विकासवाद के पिता डार्विन इन ध्वनियों का कारण शारीरिक मानते हैं।

अधिक रही होगी और उनका प्रयोग भी भाषा के अभाव में अधिक होता रहा होगा, अतः इसके कारण धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास बढ़ा होगा, जिससे भाषा के विकसित होने में कुछ सहायता मिली होगी।

(७) यो-हे-हो सिद्धान्त—इसे यो-हे-हो-वाद, श्रमध्वनि सिद्धान्त या श्रम-परिहरण-मूलकतावाद भी कहते हैं। इसके जन्मदाता न्यायर (Noire) नामक विद्वान् थे। उनका सिद्धान्त था कि परिश्रम का कार्य करते समय साँस के तेज़ी से बाहर-भीतर आने-जाने, साथ-साथ स्वरतंत्रियों के विभिन्न रूपों में कम्पित होने एवं तदनुकूल ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है।

इसीलिए कठिन परिश्रम करते समय कुछ कहकर श्रमिक लोग श्रम-परिहार किया करते हैं। धोबी 'हियो' या 'छियो' कहते हैं। मल्लाह थकान के लिए 'यो-हे-हो' कहते हैं। क्रान्त पर काम करने वाले मज़दूर भी काम करते समय 'हो-हो' या कुछ इसी प्रकार के शब्द कहते हैं। इसी प्रकार सड़क कूटने वाले श्रमिक जब-जब दुर्मुस (सड़क कूटने का डंडा लगा हुआ लोहा या पत्थर) उठाते हैं तो 'हे' या 'हूँ' आदि कहते हैं। इस सिद्धान्त का आधार यह है कि किसी क्रिया के साथ स्वभावतः होने वाली ध्वनि उस क्रिया की बोधिका होती है।

यह सिद्धान्त ऊपर के सभी सिद्धान्तों से गया-बीता है, क्योंकि इन शब्दों का भाषा में कोई भी स्थान नहीं है और न तो इन ध्वनियों से किसी विशिष्ट अर्थ का ही सम्बन्ध है।

(८) इंगित सिद्धान्त (Gestural Theory)—इस सिद्धान्त की ओर सर्वप्रथम संकेत करने का श्रेय पालिनेशियन भाषा के विद्वान् डॉ० राये को है। कुछ दिन बाद डाविन ने भी छह असम्बद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसे प्रमाणित किया था। इस सदी में १९३० के लगभग रिचर्ड ने इस सिद्धान्त को पुनः उठाया और अपनी पुस्तक 'ह्य मन स्पीच' में मौखिक इंगित सिद्धान्त (Oral Gesture Theory) नाम से इसे विद्वानों के समक्ष रखवा। आइसलैण्डिक भाषा के विद्वान् अलेक्ज़ेंडर जोहान्सन भी लगभग इसी समय भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे। बाद में उन्होंने अपनी तीन पुस्तकों में इंगित सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन किया। अपने विवेचन को उन्होंने भारोपीय भाषाओं के अतिरिक्त हिब्रू, पुरानी चीनी, तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओं पर भी आधारित किया है। ये भाषा के विकास की चार सीढ़ियाँ मानते हैं। पहली सीढ़ी भावव्यंजक ध्वनियों की है जब मनुष्य भय, क्रोध, दुःख, हर्ष, भूख, प्यास, मैथुनेच्छा, आदि के कारण बन्दरों आदि की तरह इस प्रकार की ध्वनियों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। दूसरी सीढ़ी अनुकरणात्मक शब्दों की है। इस अवस्था में विभिन्न जीव-जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थों की ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द बने होंगे। तीसरी सीढ़ी भाव-संकेत या इंगितों की है। इनका भी आधार अनुकरण है, पर यह अनुकरण (जीभ आदि द्वारा) बाहरी चीजों का न होकर अपने अंगों का (प्रमुखतः हाथ का) या अंगों के संकेतों (gestures) का है। इसे जोहान्सन ने बिना जाने किया हुआ अनुकरण (unconscious imitation) कहा है। भाषा के विकास में इसी को वे महत्वपूर्ण मानते हैं (इसकी आलोचना के लिए देखिए टाटा सिद्धान्त)। पर, इस तीसरी स्थिति में केवल स्थूल के लिए शब्द बने होंगे। मानव के मानसिक विकास के ओर आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे सूक्ष्म भावों आदि के लिए भी शब्द बने। यह चौथी अवस्था थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्वर, व्यंजन आदि के विकास की अवस्था की ओर भी संकेत किया है। ध्वनियों से अर्थ का सम्बन्ध भी वे स्थापित करते हैं, जैसे 'र' से आरम्भ होने वाली धातुओं का अर्थ 'गति' (क्योंकि जीभ इसके उच्चारण से दौड़ती है) तथा 'म' से आरम्भ होने वाली धातुओं का अर्थ बन्द करना, चुप होना, तथा समाप्त करना आदि,

क्योंकि इसके उच्चारण में होंठ लगभग यही क्रिया करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि आदि मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह के 'कर्व' देखे और उनके अनुकरण पर उसने १९६ मूल भावों के श्रोतक शब्दों का आरम्भ में निर्माण किया।

इस मत में भाषा के विकास की आरम्भिक स्थितियाँ तो निश्चय ही आरम्भ और विकास की दृष्टि से मान्य हो सकती हैं, किन्तु इसके बाद मुँह के जीभ आदि अंगों से हाथ आदि बाह्य अंगों के अनुकरण के आधार पर ध्वनि या शब्दों की उत्पत्ति गले से नहीं उतरती। दूसरे, इस प्रसंग में ध्वनि और अर्थ का 'तर्कसम्मत सम्बन्ध' स्थापित करने की जोहान्सन ने जो कोशिश की है, वह तो और भी असन्तोषजनक सिद्ध होनी है। इसके आधार पर कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों में उनकी बातें मिल जायें, यह बात दूसरी है, किन्तु पुरानी भाषाओं के प्राचीनतम शब्द-समूह पर दृष्टि दौड़ाने पर भी यह बात पूर्णतः सही नहीं उतरती। उदाहरणतः 'र' से आरम्भ होने वाली धातुओं का अर्थ वे 'गति' मानते हैं। उदाहरण में वे हिब्रू धातु rlk (मिलाना), rkb (चढ़ना) आदि देते हैं, किन्तु संस्कृत तथा ग्रीक आदि में अन्य ध्वनियों से आरम्भ होने वाले गत्यर्थक धातुओं की भी कमी नहीं है। इस सिद्धान्त को और सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि धातु या शब्द का क्या केवल प्रथम वर्ण ही महत्वपूर्ण है, और यदि है भी तो बाद के वर्ण किस आधार पर रक्वे गये। यों यदि तर्क देने ही हों तो गणितशास्त्र के आधार पर इनके भी कुछ उत्तर दिये जा सकते हैं, पर प्रश्न उठेगा कि उस काल में क्या मनुष्य में इतनी तर्कशक्ति आ गई थी? शायद नहीं। तर्कबुद्धि और भाषा का विकास तो साथ-साथ हुआ है। इसके प्रतिपादक ने शब्दों के बनने में सामान्य सिद्धान्त की बात उठाई। यदि उसे उतना यांत्रिक माना जाय तो संसार की प्रायः सभी प्राचीन भाषाओं में प्रारम्भिक भावों को व्यक्त करने वाले समानार्थी शब्दों में पर्याप्त साम्य होना चाहिए, किन्तु यह बात भी प्रायः नहीं के बराबर है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध इसी प्रकार की और भी कई आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। फलतः इसके आरम्भिक अंश को छोड़कर शेष को स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

(९) टा-टा सिद्धान्त—इस सिद्धान्त (टा-टा वाद, Ta-ta Theory) के आरम्भ में आदिम मानव काम करते समय जाने-अनजाने उच्चारण-अवयवों से काम करने वाले अवयवों की गति का अनुकरण करता था और इस अनुकरण में कुछ ध्वनियों और ध्वनि-संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था। इन्हीं ध्वनियों और शब्दों से धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ। कहना न होगा कि यह अनुकरण वाली बात बहुत कुछ इंगित सिद्धान्त से मिलती-जुलती है। भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न इससे भी सुलझता नहीं दिखाई देता। ऐसा अनुकरण न तो आज का सम्य मानव करता है और न असम्यतम और अविकसिततम मानव जो विश्व के कुछ स्थलों से मिला है। साथ ही तरह-तरह के बन्दरों में भी जो हमारे तथाकथित जनक हैं, यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। फिर किस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चलता (जोहान्सन के इंगित सिद्धान्त के इस प्रकार के अंश के विरुद्ध भी यही आपत्ति उठाई जा सकती है)। यदि इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय तो भी उन आरम्भिक निरर्थक ध्वनियों से भाषा का विकास कैसे हुआ, इस बात का इस सिद्धान्त में कोई दो-टूक उत्तर नहीं दिया गया है, और इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा।

(१०) संगीत सिद्धान्त—इस सिद्धान्त (संगीतवाद या Sing-song Theory) में भाषा की उत्पत्ति मानव के संगीत से मानी जाती है। डार्विन तथा स्पेंसर ने इसे कुछ रूपों में माना था। येरुपर्सन ने भी—जहाँ वे कहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति खेल के रूप में हुई और उच्चारणावयव खाली वक्त में गाने के खेल (singing sport) के उच्चारण करने में अम्यस्त हुए—इसका समर्थन किया है। इसके अनुसार गाने (प्रेम, दुःख आदि के अवसर पर) से

प्रारम्भिक अर्थविहीन अक्षर (meaningless syllable) बने, और विशेष स्थिति में उनका प्रयोग होने में उन अक्षरों में अर्थ का सम्बन्ध हो गया।

आदिम मनुष्य भावुक अधिक रहा होगा, और सम्भव है गुणगुनाने में उसे आनन्द आता रहा हो, किन्तु गुणगुनाने के अक्षरों से भाषा कैसे निकली, इसका स्पष्ट चित्र इसके समर्थकों ने हमारे सामने नहीं रखा है। साथ ही गुणगुनाने की बात भी अनुमान पर ही अधिक आधारित है। ऐसी स्थिति में इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस संगीत का सम्बन्ध अपेक्षतया प्रेम-से अधिक है, इसी कारण कुछ लोगों ने इसे प्रेम सिद्धान्त (Woo-woo Theory) भी कहा है। प्रो० हडसन के अनुसार उनके विद्यार्थियों ने सादृश्य के आधार पर यह नाम दिया था।

(११) सम्पर्क सिद्धान्त (Contact Theory)—इस मत के प्रतिपादक जी० रेवेज (Revesz) हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान् थे। इस सिद्धान्त में 'सम्पर्क' का अर्थ है सामाजिक जीवों (जिनमें मनुष्य प्रमुख हैं) में आपसी सम्पर्क रखने की सहजात प्रवृत्ति। समाज का निर्माण इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। आदिम मनुष्य के भी छोटे-छोटे वर्ग या समाज थे और उसमें आपस में प्रारम्भिक भावनाओं (भूख-प्यास, कामेच्छा, रक्षा आदि से सम्बद्ध) को एक-दूसरे पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह-तरह के सम्पर्क स्थापित किये जाते थे। इन सम्पर्कों के लिए स्पर्श आदि का सहारा भी चलता रहा होगा, पर साथ ही मुखोच्चरित, ध्वनियाँ भी सहायक रही होंगी। भाषा उसी का विकसित रूप है। जैसे-जैसे संपर्क की आवश्यकता बढ़ती गई और उसकी स्पष्टता की आवश्यकता का अनुभव होता गया, सम्पर्क के माध्यम (ध्वनि) का भी विकास होता गया। आरम्भ की ध्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक थीं, पर धीरे-धीरे मानव आवश्यकतानुसार कृत्रिमता के आधार पर उन्हें विकसित करता गया। सम्पर्क प्रारम्भ में भावों के स्तर (emotional contact) पर रहा होगा और बाद में विचारों के स्तर (intellectual contact) पर। विचारों के स्तर पर सम्पर्क के बढ़ने पर भाषा में अधिक विकास हुआ होगा—रेवेज ने इस सिद्धान्त पर विचार करते हुए ध्वन्यात्मक रूप के विकास पर भी प्रकाश डाला है। हर्ष, शोक आदि की स्थिति में, भावावेशात्मक ध्वन्याभिव्यक्ति को रेवेज विनिमय या दूसरे तक अपने भावों को पहुँचाने वाली अभिव्यक्ति नहीं मानते। किन्तु, सम्पर्क-ध्वनि का इससे सम्बन्ध अवश्य है, और कदाचित् एक-दूसरे का विकसित रूप भी है। सम्पर्क-ध्वनि का विकास संसृचक ध्वनि में होता है, जिसमें चित्तलाना, पुकारना आदि हैं। इसी अवस्था में भाषा के आदिम शब्दों का विकास हुआ होगा जिनका विशेष अवसरों पर प्रयोग होने के कारण विशेष अर्थों से भी सम्बन्ध स्थापित हो गया होगा। इस समय सम्बन्धियों एवं वस्तुओं के लिए शब्द रहे होंगे, किन्तु उसका सम्बन्ध संज्ञा से न होकर क्रिया से रहा होगा। 'माँ' का अर्थ 'माँ दुध दो या कुछ और करो' आदि। इस प्रकार क्रिया पहले आई, संज्ञा बाद में। साथ ही व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द न होकर वाक्य रहे होंगे। फिर और विकास होने पर कई प्रकार के शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्य बने होंगे, किन्तु वाक्यों में अलग-अलग शब्दादि का बोलने वालों को पता न रहा होगा। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों विचारों के स्तर पर सम्पर्क बढ़ाता गया होगा, भाषा विकसित होती गई होगी।

प्रो० रेवेज ने बाल-मनोविज्ञान, पशु-मनोविज्ञान तथा आदिम अविकसित मनुष्य के मनोविज्ञान के सहारे जो यह सिद्धान्त रचा है, पूर्णतः तर्कमम्मत है, किन्तु इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति और विकास के सामान्य सिद्धान्तों का ही विवेचन है। हम शायद अधिक निकट होकर उत्पत्ति और विकास के और ठोस रूप को जानना चाहते हैं। इसीलिए इनके

सिद्धान्तों को देखने के बाद भी कासिडी आदि विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णीत ही माना है।

(१२) समन्वित रूप—पिछली सदी के प्रसिद्ध भाषाविज्ञानविद् स्वीट ने उपर्युक्त सिद्धान्तों में कुछ के समन्वय के आधार पर भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनका कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूप में 'भाव-संकेत' या 'इंगित' (gesture) और 'ध्वनि-समवाय' (sound group) दोनों पर आधारित थी। ध्वनि-समवाय के आधार पर ही शब्दों का आगे विकास हुआ। प्रारम्भिक शब्द-समूह स्वीट के अनुसार तीन प्रकार के शब्दों का था—(१) पहले प्रकार के शब्द अनुकरणात्मक (imitative) थे, जैसे मिस्री माउ (बिल्ली, जो म्याऊँ-म्याऊँ करती) है, सं० काक (जो का-का करता है), अं० cuckoo, हिन्दी घुघू आदि। स्वीट का यह भी कहना था कि आवश्यक नहीं है कि ध्वनि के अनुकरण पर आधारित शब्द पूर्णतः आधार-ध्वनि के अनुसार ही हों। उनमें थोड़ा-सा भी सादृश्य हो सकता है। (२) दूसरे प्रकार के शब्द भावावेशव्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक (interjectional) रहे होंगे। व्याकरण में विस्मयादिबोधक के अन्तर्गत रखे जाने वाले शब्द इसी श्रेणी के हैं। जैसे ओह, आह, धिक्, हुश, हाय, वाह, आदि। इस वर्ग में धातुएँ भी होती हैं, जैसे डैनिश v, सं० पु, पी, चिक्कारना आदि। (३) तीसरे प्रकार के शब्दों को स्वीट ने प्रतीकात्मक (symbolic) कहा है। भाषा के प्रारम्भिक शब्द-समूह में इस वर्ग के शब्दों की संख्या बहुत बड़ी रही होगी और इसमें अनेक प्रकार के शब्द रहे होंगे। कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों के उदाहरण स्पष्टीकरण के साथ नीचे दिये जा रहे हैं।

प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते हैं, जिसका संयोग से या किसी अत्यन्त सामान्य और थोड़े सम्बन्ध से किसी अर्थ से सम्बन्ध हो जाता है और वह उनका प्रतीक बन जाता है। उदाहरणार्थ, बच्चे यों ही मामा, पापा, बाबा जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्था में बोलने लगते हैं। माँ-बाप उनका प्रयोग प्रायः अपने लिए समझ लेते हैं, और फल यह होता है कि विभिन्न अर्थों के साथ उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे शब्द उनके प्रतीक बन जाते हैं। भाषाविज्ञान में जिन्हे 'नर्सरी शब्द' (nursery word) कहते हैं, प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। इनमें अधिकांश में आद्य ध्वनियाँ ओष्ठ्य होती हैं, और इनके अर्थ माता, पिता, चाचा; चाची, दाई आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे की देखरेख करते हैं। अंग्रेजी mamma, papa, abba, mother, father brother, dady; सं० माता, पिता, भ्राता; तात, मामा, ग्रीक meter, phrater, pater; लैटिन mater, amita, pater, frater; जर्मन mubme, bruder, vater; फारसी मादर, पिदर, विरादर; अल्बानियन ama; पुरानी नांस amma; बसीरियन ummu; हिब्रू em; स्लावैनिक baba, tata, ded, dyadya; हिन्दी माता, पिता, बाबा, दादा, भाई, बाई, दाई, टांगा bama; तुर्की बाबा; इटैलियन babbo; वल्गेरियन baba; सर्बियन baba; बास्क ama; तथा मांचू ama, eme आदि मूलतः इसी प्रकार के शब्द रहे होंगे।

बहुत से सर्वनामों का भी निर्माण इसी प्रकार होता है। सं० त्वम्, ग्रीक to, लैटिन tu, हिन्दी तू जैसे शब्दों के उच्चारण में सामने के किसी व्यक्ति की ओर मुँह से संकेत करने का भाव स्पष्ट है। बहुत-सी प्राचीन भाषाओं में 'यह' और 'वह' के लिए पाये जाने वाले सर्वनामों में भी इसी प्रकार की प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है, जैसे अंग्रेजी this, that; रूसी तोत, एतय; संस्कृत इदम, अदस् तथा जर्मन dies, das आदि।

बहुत-से क्रिया शब्दों या धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। 'पीना' साँस अन्दर लेने की तरह द्रव भीतर ले जाना है। लगता है कि प्रारम्भ में पीने के लिए साँस अन्दर लेकर इंगित किया जाता रहा होगा। इसी आधार पर संस्कृत पिबामि या लैटिन

bibere जैसी क्रियाएँ बनीं। अंग्रेजी के blow में स्पष्टतः फूँकने की क्रिया है। 'पीना' अर्थ रखने वाली अरबी धातु 'श-र्-ब' भी इसी प्रकार की है। 'शरबत' तथा 'शराब' आदि शब्द इसी की देन हैं।

उपर्युक्त तीन प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो किन्हीं दो वर्गों में आते हैं। स्वीट के अनुसार अंग्रेजी का 'hush' ऐसा ही शब्द है, जो भावाभिव्यंजक होता हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है।

इस प्रकार आरम्भ में बहुत-से शब्द बने होंगे, किन्तु संसार में जितने पँदा होते हैं, सभी नहीं रह जाते। वनस्पति और जीवों आदि में जैसे योग्यतमावशेष (survival of the fittest) का सिद्धान्त चलता है, वैसे ही शब्दों में भी चलता है। फल यह हुआ होगा कि 'बोलने', 'सुनने' और अपने अर्थ को स्पष्टतापूर्वक व्यंजित करने, इन तीनों ही कसौटियों पर जो खरे उतरे होंगे, वे ही भाषा में स्थान प्राप्त कर सके होंगे।

इस प्रसंग में एक-दो प्रश्न और भी विचारणीय हैं। आरम्भ के शब्द तो स्थूल वस्तुओं या विचारों के द्योतक रहे होंगे, पर भाषा में सूक्ष्मताओं को व्यक्त करने वाले शब्द भी बहुत अधिक हैं। ऐसे शब्द आदिम मनुष्य के वश के हैं नहीं, फिर ये कहाँ से आये? इनका बाद में विकास हुआ होगा 'सादृश्य आदि के आधार पर'। इस प्रकार के निर्माण आज भी होते हैं। 'मक्खन' के आधार पर 'मक्खन लगाना' का प्रयोग 'बहुत चापलूसी करने' के लिए होता है। स्वीट के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका की सामुदायिक भाषा में भिन्नभिन्नाने के आधार पर 'मक्खी' को 'न्त्सी-न्त्सी' कहते थे। अब इस शब्द का यहाँ मक्खी की तरह चारों ओर चक्कर लगाकर चापलूसी करने वाले तथा चूसने वाले के अर्थ में भी प्रयोग होता है। सूक्ष्म भाव के अतिरिक्त नवजात (स्थूल) वस्तुओं के नाम भी प्रायः इसी प्रकार सादृश्य आदि के कारण पुराने शब्दों के आधार पर रख लिये गये होंगे। अब भी ऐसा होता है। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों की भाषा में 'मूयूम' शब्द का अर्थ 'स्नायु' था। पुस्तक से वे अपरिचित थे। जब पहले-पहले उन लोगों ने पुस्तक देखी तो स्नायु की तरह खुलने-बन्द होने के कारण उसे भी 'मूयूम' कहने लगे, और इस प्रकार 'मूयूम' शब्द पुस्तक का भी वाचक हो गया। इस प्रकार के शब्दों का विकास उपचार^१ के कारण होता है। इन औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोगों के कारण ही शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ चला आता है। यों उपचार के अतिरिक्त भी और रूपों में अर्थ का विस्तार, संकोच और आदेश^२ आदि होता है।

इस प्रकार स्वीट के अनुसार भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से भाषा गुरु हुई। फिर उपचार के कारण बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित होता गया या नये शब्द बनते गये।

नवीनतम खोजों के प्रकाश में स्वीट के मत में, मैं कुछ और बातें जोड़ लेने की आवश्यकता के पक्ष में हूँ। मेरा आशय उन सिद्धान्तों से है, जिनमें कुछ तथ्य की बातें हैं। ऊपर इनका परिचय दिया जा चुका है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जितनी खोजें हुई हैं, उनके प्रकाश में केवल इतना ही कहना सम्भव है कि भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से हुई, और इसमें इंगित सिद्धान्त, संगीत सिद्धान्त एवं सम्पर्क सिद्धान्त से भी सहायता

१. यहाँ उपचार का अर्थ ज्ञात के आधार पर नवजात (या अपूर्वजात) का परिचय, व्याख्या या नामकरण। अंग्रेजी में इसके लिए metaphor शब्द है, किन्तु उपचार अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है।

२. देखिये 'अर्थविज्ञान' का अध्याय।

मिली। आगे चलने पर नवाभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यतमावशेष सिद्धान्त, अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनि में परिवर्तन के कारण भाषा में तेजी से परिवर्तन आता गया। यह परिवर्तन इतना बड़ा और बहुमुखी था कि आज इतने दिनों बाद, इसे भेद कर, इसके पूर्व की भाषा के रूप के सम्बन्ध में निश्चय के साथ और अधिक कहना अब प्रायः सम्भव नहीं है।^१

ख : परोक्ष मार्ग

ऊपर हम लोगों ने सीधी शैली से 'भाषा की उत्पत्ति' के प्रश्न पर विचार किया। इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्षों के बावजूद भी विद्वानों का कहना है कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक सुलझा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग 'उलटी शैली' या 'परोक्ष मार्ग' से आदिम भाषा के स्वरूप के परिचय पर ही अधिक बल देते हैं। इससे मूल समस्या 'भाषा का उद्गम' या 'ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध' आदि पर तो प्रकाश नहीं पड़ता, किन्तु प्रारम्भिक भाषा का विविध दृष्टिकोणों से परिचय अवश्य मिल जाता है।

यह मार्ग तीन बातों पर आधारित किया जा सकता है—

(१) बच्चों की भाषा—कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिगत विकास की ही भाँति सामूहिक या जातीय विकास भी होता है। इसीलिए व्यक्तिगत विकास के अध्ययन से सामूहिक विकास पर प्रकाश पड़ सकता है। यहाँ, इसका आशय यह है कि ऐसे लोगों के अनुसार मानव ने भाषा उसी प्रकार सीखी होगी, जैसे एक बच्चा सीखता है। कुछ लोगों ने इसी आधार पर भाषा के आरम्भ पर प्रकाश भी डाला है; पर, सच पूछा जाय तो इन दोनों में कोई महत्त्वपूर्ण समानता नहीं है। बच्चों को एक बनी-बनाई भाषा सीखनी होती है, पर दूसरी ओर भाषा के आरम्भ के समय लोगों को भाषा का आविष्कार भी करना रहा होगा, केवल सीखना ही नहीं। आज एक विद्यार्थी किसी टेकनिकल स्कूल में जाकर दो-एक वर्ष में किसी वस्तु का निर्माण करना सीख सकता है। उसके सीखने का रास्ता वैसा दुर्गम नहीं होगा, जैसा कि उस वस्तु के आविष्कार या प्रथम बनाने वाले का रहा होगा। भाषा के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है। बच्चा भाषा सीखता है, वह आविष्कार नहीं करता, अतः उसके आधार पर भाषा के आरम्भ के विषय में पता लगाने का प्रयास हास्यास्पद ही होगा। हाँ, एक बात अवश्य महत्त्वपूर्ण है। बच्चा आरंभ के वर्षों में निरर्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है, और उसे दूसरे के अनुकरण का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उस समय उसके बोलने की दशा से भाषा की आरम्भिक दशा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कभी-कभी बच्चे उस समय पूर्णतः नवीन शब्द भी गढ़ डालते हैं, जो आज की भाषा की विकसित दशा में तो ग्रहण नहीं किये जा सकते, पर आरंभिक दशा में ऐसे शब्दों का लिया जाना असंभव नहीं कहा जा सकता है।

(२) असभ्य जातियों की भाषा—असभ्य तथा अत्यन्त पिछड़े हुए लोगों की भाषा के विश्लेषण से भी भाषा के आरम्भिक रूप पर प्रकाश पड़ सकता है; पर, बड़ी ही सतर्कता से इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। सच तो यह है कि ये भाषाएँ सभ्य भाषाओं से कुछ ही पीढ़ी पूर्व की हो सकती हैं, अतः इनको बिल्कुल आरंभिक भाषा नहीं माना जा सकता। असभ्य से असभ्य जाति की भाषा भी जाने कितनी ही सदी पुरानी होगी। इनसे इतना ही लाभ हो सकता है कि सभ्य भाषाओं की तुलना में इनमें अंतर देखकर इसकी तुलना में और पहले की भाषा की दशा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

१. एक नवीन प्रयोग—मेरा अपना विचार यह है कि यदि एक प्रयोग किया जाय तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। मैं नहीं कह सकता कि इस

(३) आधुनिक भाषाओं का इतिहास—भाषा की आरंभिक दशा के विषय में कुछ जानने का, यह सबसे सीधा, अच्छा और महत्वपूर्ण पथ है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने भाषा के आरंभ के विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं, जिनके आधार पर आरंभ से चलकर अंत तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ हमारा रास्ता उसके ठीक उल्टा है। हम अंत से शुरू करके आरंभ तक पहुँचना चाहते हैं। इस पथ के ठीक होने का निश्चय इसलिए है कि हमारा आरंभ अनुमान पर आधारित न होकर निश्चित दशा पर आधारित है जबकि उपर्युक्त सिद्धांतों में कुछ अपवादों को छोड़कर शेष अनुमान ही अनुमान था।

आज की किसी भी भाषा को लें, उसका अध्ययन करें और फिर पीछे उसके इतिहास का चर्चा तक अध्ययन करते जायें जहाँ तक सामग्री मिले। इस अध्ययन के आधार पर भाषा के विकास का सामान्य सिद्धान्त निकाल लें। उन सिद्धांतों के प्रकाश में आज की भाषा की तुलना उसके प्राचीनतम उपलब्ध रूप से करें और देखें कि कौन-सी बातें आज की भाषा में नहीं हैं, पर प्राचीन में हैं। इसके बाद हम यह आसानी से कह सकते हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषा के प्राचीनतम उपलब्ध रूप में दस प्रतिशत है तो भाषा के बिल्कुल प्रारंभ में सत्तर या अस्सी प्रतिशत रही होंगी।

उदाहरण के लिए, हिन्दी (खड़ीबोली) को लें। इसके अध्ययन के उपरान्त पुरानी हिन्दी, अपभ्रंश, प्राकृत, पालि, संस्कृत और वैदिक संस्कृत का अध्ययन करके विकास के सिद्धांतों पर विचार करें। फिर खड़ीबोली की तुलना वैदिक संस्कृत से ध्वनि, व्याकरण के रूप, शब्द-समूह, वाक्य आदि के विचार से करके वैदिक संस्कृत की वे विशेषताएँ निश्चित करें जो या तो खड़ीबोली में बिल्कुल नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम। प्राचीन भारतीय भाषा में निश्चित ही उन विशेषताओं का विशेष स्थान रहा होगा, जो घटते-घटते वैदिक संस्कृत में कुछ शेष थीं और खड़ीबोली तक आते-आते प्रायः नहीं के बराबर रह गई हैं।

इसी प्रकार किये गये अध्ययन के आधार पर भाषाओं की प्रारंभिक प्रकृति पर यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है।

विषय में किसी ने कुछ लिखा या किया है अथवा नहीं। कम से कम मेरे देखने में यह चीज़ नहीं आई। प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है—

अधिक से अधिक असभ्य और पिछड़ी जातियों के लगभग ५ लड़के और ३ लड़कियाँ (जो अवस्था में एक वर्ष से कम के हों) लिये जायें। एक बड़े से अहाते में बने रखे जायें, जिसमें कुछ टोले हों, कुछ फल वाले पेड़ हों (जिसमें कुछ ऐसे हों जिनका फल खाया जाता हो और कुछ ऐसे हों जिसका फल न खाया जाता हो)। एक तालाब हो तथा मछली, चिड़ियाँ और दो-एक कुत्ते आदि भी हों। उनकी सेवा किसी ऐसे होशियार आदमी से करवाई जाय जो वहाँ एक शब्द भी न बोले। पाँच-छः वर्ष की अवस्था से आगे चलने पर उनको आसानी से भोजन न दिया जाय। कभी पेड़ पर टाँग दिया जाय तो कभी टोले पर रखा जाय और कभी जब केवल एक अलग हो तो उसे भोजन उसकी आवश्यकता से अधिक दिया जाय, ताकि उसे औरों को बुलाने या देने का अवसर मिले। कुछ आदमी उनको चौबीसों घंटे आलोचनात्मक और अध्ययनपूर्ण दृष्टि से देखते रहें। कभी-कभी उनको कठिनोद्देश्यों का सामना करने का भी अवसर दिया जाय। कभी एक को औरों से अलग कर कष्ट भी दिया जाय। साथ ही ऐसी परिस्थितियाँ भी लाई जायें, जब उनमें एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न हो। मेरा विश्वास है कि ३०-४० वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते उनमें कोई साधारण टूटी-फूटी भाषा अवश्य विकसित हो जायगी। उनको सर्वदा देखने वाले अवश्य ही उस भाषा को समझेंगे और इस प्रकार भाषा के उद्गम की गुत्थी किसी सीमा तक नुलज जायेगी। मनो-विज्ञान तथा समाजशास्त्र आदि पर भी ऐसे प्रयोगों से प्रकाश पड़ सकता है।

प्रारम्भिक अवस्था में भाषा को प्रकृति

(क) ध्वनि—किसी भाषा के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि ध्वनियों एवं ध्वनि-संयोगों में, धीरे-धीरे जैसे-जैसे भाषा आगे बढ़ती है, सरलता आती जाती है। इस बात पर कुछ विस्तार से ध्वनि के अध्याय में विचार किया जायेगा। यहाँ इस सरल होने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरम्भिक भाषा में आज की विकसित भाषाओं की तुलना में ध्वनियाँ बहुत कठिन रही होंगी। यहाँ कठिन से आशय उच्चारण में कठिन संयुक्त व्यंजन (जैसे आरंभ में प्स, क्न, ह्य आदि) या मूल ध्वनि आदि हैं। प्राचीन और पिछड़ी अनेक अफ्रीकी तथा अन्य भाषाओं में 'क्लिक' ध्वनियाँ अधिक हैं।^१ इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि आरम्भ की भाषा में क्लिक ध्वनियाँ भी कदाचित् अधिक रही होंगी। वैदिक संस्कृत और हिन्दी की तुलना से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अपेक्षाकृत अब शब्द सरल एवं छोटे हो गये हैं। अन्य भाषाओं में भी यही बात मिलती है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि भाषा की आरम्भिक अवस्था में शब्द अपेक्षतया बड़े एवं उच्चारण की दृष्टि से कठिन रहे होंगे। होमरिक ग्रीक तथा वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात की उपस्थिति के यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं। अफ्रीका की असंस्कृत भाषाओं में यह बात पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, पर अब धीरे-धीरे उसका लोप हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि आरम्भिक अवस्था में लोग बोलने की अपेक्षा गाने ही अधिक होंगे, अर्थात् आरम्भिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात (सुर) बहुत अधिक रहा होगा।

(ख) व्याकरण—प्रारम्भिक भाषा में शब्दों के अपेक्षाकृत अधिक रूप रहे होंगे, जो बाद में सादृश्य या ध्वनि-परिवर्तन आदि के कारण आपस में मिल कर कम हो गये। भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में हम देखते हैं कि आधुनिक भाषाओं की तुलना में पुरानी भाषाओं में सहायक क्रिया या परसर्ग आदि जोड़ने की आवश्यकता कम या नहीं के बराबर होती है। इसका आशय यह है कि आरम्भिक भाषा संश्लेषणात्मक रही होगी, अर्थात् सहायक क्रिया या परसर्ग इत्यादि जोड़ने की उसमें बिल्कुल ही आवश्यकता न रही होगी। अपने में पूर्ण नियमों की उस समय कमी रही होगी, और अपवादों का आधिक्य रहा होगा। उन लोगों का मस्तिष्क व्यवस्थित न रहा होगा, अतः भाषा में भी व्यवस्था का अभाव रहा होगा। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बिल्कुल आरम्भ में व्याकरण या भाषा-नियम नाम की कोई चीज ही न रही होगी।

(ग) शब्द-समूह—भाषा का जितना ही विकास होता है, उसकी अभिव्यजना-शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ ही सामान्य और सूक्ष्म भावों के प्रकट करने के लिए शब्द बन जाते हैं। इसका आशय यह है कि आरम्भिक भाषा में अभिव्यजना-शक्ति अत्यल्प रही होगी, और सूक्ष्म तथा सामान्य भावों के लिए शब्दों का एकान्त अभाव रहा होगा। आज भी कुछ असंस्कृत भाषाएँ हैं जो लगभग इसी अवस्था में हैं। उत्तरी अमेरिका की चैरोकी भाषा में सिर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, शरीर धोने के लिए अलग-अलग शब्द हैं, पर 'धोने' के सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाला एक भी शब्द नहीं है। टस्मानिया की मूल भाषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के सभी पेड़ों के लिए अलग-अलग शब्द हैं, पर 'पेड़' के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके पास कड़ा, नरम, ठंडा और गरम आदि के लिए भी शब्द नहीं हैं। इसी प्रकार जुलू लोगों की भाषा में लाल गाय, काली गाय और सफ़ेद गाय के लिए शब्द हैं, पर गाय के लिए नहीं। इसमें यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि आरम्भ में शब्द केवल स्थूल और विशिष्ट के लिए ही रहे होंगे, सामान्य और सूक्ष्म के लिए नहीं।

१. ध्वनि के अध्याय में इसका विशेष विवरण है।

ऊपर की बातों से यह यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आरम्भ के कुछ दिनों के बाद शब्दों का बाहुल्य हो गया होगा। कुछ वर्तमान असम्य भाषाओं के आधार पर इस बाहुल्य का एक और कारण यह भी दिया जा सकता है कि वे लोग अंधविश्वासी रहे होंगे, अतः सभी शब्दों को सर्वदा प्रयोग में लाना अनुचित माना जाता रहा होगा। उन्हें भय रहा होगा कि देवता, या पित्र आदि कुपित न हो जायें, अतः एक ही वस्तु या कार्य के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोग में आते रहे होंगे।

(घ) वाक्य—भाषा वाक्य पर आधारित रहती है। वाक्य के शब्दों का विश्लेषण करके हमने उन्हें अलग-अलग कर लिया है और उनके नियमों का अध्ययन कर व्याकरण बनाया है। यह क्रिया भाषा और उनके साथ हमारे विचारों के बहुत विकसित होने पर की गई है। आरम्भ में इन शब्दों का हमें पता न रहा होगा और वाक्य इस इकाई के रूप में रहे होंगे। शब्दों के रूप में उनका 'व्याकरण' या विश्लेषण नहीं हुआ रहा होगा। उत्तरी अमेरिका के वासियों की कुछ बहुत पिछड़ी भाषाओं में कुछ दिन पूर्व तक वाक्यों में अलग-अलग शब्दों की कल्पना तक नहीं की गई थी।

(ङ) विषय—अपने विकास की आरम्भिक अवस्था में लोग भावना-प्रधान रहे होंगे। तर्क या विचार की वैज्ञानिक शृङ्खला से वे अपरिचित रहे होंगे। पद्यात्मकता की ही प्रधानता रही होगी। यही कारण है कि संसार की सभी भाषाओं में पद्य या काव्य बहुत प्राचीन मिलता है, किंतु गद्य नहीं। इसी प्रकार गीत आदि की भी प्रधानता रही होगी। गीतों में भी स्वाभाविक और जन्मजात भावना के कारण प्रेम, भय, क्रोध आदि के चित्र ही अधिक रहे होंगे।

निष्कर्ष—भाषा अपने प्रारम्भिक रूप में संगीतात्मक थी। उसमें वाक्य शब्द की भाँति थे। अलग-अलग शब्दों में वाक्य के विश्लेषण की कल्पना नहीं की गई थी। स्पष्ट अभिव्यंजना का अभाव था। कठिन ध्वनियाँ अधिक थीं। स्थूल और विशिष्ट के लिए शब्द थे। सूक्ष्म और सामान्य का पता नहीं था। व्याकरण-सम्बन्धी नियम नहीं थे। केवल अपवाद ही अपवाद थे। इस प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टि से लँगड़ी और अपूर्ण थी।

भाषा की उत्पत्ति के संबंध में हमें अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं प्राप्त हो सका। हाँ, एक सीमा तक समन्वित रूप अवश्य मान्य हो सकता है। यों परोक्ष मार्ग के आधार पर भाषा की प्रारम्भिक अवस्था के विषय में जो बातें ऊपर कही गई हैं, वे निश्चित रूप से काफी सही हैं।

भाषा-विकास के चरण

इस प्रसंग में भाषा के विकसक के तीन चरणों की ओर भी पर्याप्त निश्चय के साथ संकेत किया जा सकता है। ड्राविड ने हमें बताया है कि हम बंदरों के विकसित रूप हैं। इसका आशय यह हुआ कि कभी हमारी भाषा बंदरों के समीप रही होगी, और कभी उससे भी पिछड़ी। बंदरों में उच्चारित या वाचिक भाषा के साथ-साथ आंगिक संकेतों की भी भाषा मिलती है, और दूसरी ओर असम्य आदिम जातियों की तुलना में शिक्षित लोगों में भाषा का लिखित रूप मिलता है। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य में भाषा का प्रारम्भिक रूप विभिन्न प्रकार के पशुओं की तरह आंगिक रहा होगा। वनबिलाव गुस्सा प्रकट करने के लिए अपने बालों को खड़ा कर लेता है, तो बन्दर ओठों को अजीब ढंग से फैलाकर दाँत निकाल देता है, और कुत्ता प्यार-प्रदर्शन के लिए मालिक के शरीर को भी चाटता है, तो कभी पूँछ हिलाता है। ये आंगिक भाषा के ही रूप हैं। भाषा का दूसरा रूप वाचिक हुआ। इसमें उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग हुआ। आरंभ में मानव-भाषा में आंगिक संकेत अधिक थे और वाचिक कम, किंतु धीरे-धीरे पहले का प्रयोग सीमित होता गया और दूसरे का बढ़ता गया। यों आज का सम्य मानव भी अपनी भाषा के उस आदिम आंगिक रूप को पूर्णतः भूल

नहीं सका है, इसी कारण वाचिक भाषा के साथ-साथ विभिन्न अंगों को हिला-उठा-तान आदि कर वह अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाता है। भाषा का तीसरा रूप लिखित है। इसने भाषा की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है।

आंगिक भाषा बड़ी स्थूल और सीमित थी। प्रेम, क्रोध, भूख आदि के सामान्य भाव ही वह प्रकट कर सकती थी। साथ ही उसके लिए दूररे की आंगिक चेष्टाओं को देखना भी आवश्यक था। बिना दिखाये अभिव्यक्ति संभव न थी। इसका आशय यह हुआ कि इसके लिए प्रकाश अनिवार्यतः आवश्यक था। वाचिक भाषा के प्रयोग से तीनों कठिनाइयाँ दूर हो गईं। सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव एवं विचार व्यक्त होने लगे तथा प्रत्यक्षता या प्रकाश भी अनावश्यक हो गई। किन्तु वाचिक भाषा इन तीनों दृष्टियों से आगे बढ़कर भी देश-काल की सीमा से बँधी थी। इसका प्रयोग उतनी ही दूरी (देश) तक हो सकता था, जहाँ तक मुनाई पड़े और उसी समय (काल) इससे अभिव्यक्ति संभव थी, जब यह बोली जा रही हो। मनुष्य ने भाषा को लिखित रूप देकर ये दोनों बंधन समाप्त कर दिये। अपने लिखित रूप में भाषा देश-काल से बँधी नहीं है। आज लिखकर दो-तार दस वर्ष बाद भी उसे पढ़ा जा सकता है, या इसी प्रकार यहाँ लिखकर उसे सात समुन्दर पार भी पहुँचाया जा सकता है।

भाषा के दो आधार

भाषा के दो आधार हैं। एक मानसिक (psychical aspect) और दूसरा भौतिक (physical aspect)। मानसिक आधार भाषा की आत्मा है तो भौतिक आधार उमका शरीर। मानसिक आधार या आत्मा से आशय है, वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के भौतिक आधार के सहारे श्रोता जिनको ग्रहण करता है। भौतिक आधार या शरीर से आशय है—भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ (वर्ण, सुर और स्वराघात आदि) जो भावों और विचारों की वाहिका है, जिनका आधार लेकर वक्ता अपने विचारों या भावों को व्यक्त करता है और जिनका आधार लेकर श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ, हम 'सुन्दर' शब्द लें। इसका एक अर्थ है। इसके उच्चारण करने वाले के मस्तिष्क में वह अर्थ होगा और सुनने वाला भी इसे सुनकर अपने मस्तिष्क में उस अर्थ को ग्रहण कर लेगा। यही अर्थ 'सुन्दर' की आत्मा है। दूसरे शब्दों में यही है मानसिक पक्ष। पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अतः उसे किसी स्थूल-कम-सहारा-लेना पड़ता है। यह स्थूल है स्+उ+न्+द्+अ+र्। सुन्दर के भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए वक्ता इन ध्वनि-समूहों का सहारा लेता है, और इन्हें सुनकर श्रोता 'सुन्दर' अर्थ ग्रहण करता है, अतएव ये ध्वनियाँ उस अर्थ की वाहिका, शरीर या भौतिक आधार हैं। भौतिक आधार तत्त्वतः अभिव्यक्ति का साधन है, और मानसिक आधार साध्य। दोनों के मिलने से भाषा बनती है। कभी-कभी इन्हीं को क्रमशः बाह्य भाषा (outer speech) तथा आन्तरिक भाषा (inner speech) भी कहा गया है। प्रथम को समझने के लिये शरीरविज्ञान तथा भौतिकशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है, और दूसरे को समझने के लिए मनोविज्ञान की।

कुछ लोग वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार को भी भाषा का मानसिक आधार मानते हैं और इसी प्रकार बोलने और सुनने की प्रक्रिया को भी भौतिक आधार। एक दृष्टि से यह भी ठीक है। यों तो उच्चारणवाच्यता एवं ध्वनि ले जाने वाली तरंगों को भी भौतिक आधार तथा मस्तिष्क को मानसिक आधार माना जा सकता है, किन्तु परम्परागत रूप में भाषाविज्ञान में केवल ध्वनियाँ, जो बोली और सुनी जाती हैं, भौतिक आधार मानी जाती हैं; और विचार, जो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैं और श्रोता द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, मानसिक आधार माने जाते हैं।

भाषा की विशेषताएं और प्रकृति

(१) भाषा पैंत्रिक सम्पत्ति नहीं है—कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैंत्रिक सम्पत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैंत्रिक सम्पत्ति की भाँति अनायास ही प्राप्त होती है। किन्तु, यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को एक-दो वर्ष की अवस्था से फ्रांस में पाला जाय तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी आदि न समझ या बोल सकेगा और फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी। यदि भाषा पैंत्रिक सम्पत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिन्दी समझ और बोल लेता। कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ के अस्पताल में लगभग १२ वर्ष का एक लड़का लाया गया था जो मनुष्य की तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था। खोज करने पर पता चला कि उसे कोई भेड़िया बहुत पहले उठा ले गया था और तब से वह उसी भेड़िये के साथ रहा। उसमें सभी आदतें भेड़िये-सी थीं। उसके मुँह से निःसृत ध्वनि भी भेड़िये से ही मिलती-जुलती थी। यदि भाषा पैंत्रिक सम्पत्ति होती तो वह अवश्य मनुष्य की तरह बोलता, क्योंकि वह गूंगा नहीं था।

(२) भाषा अर्जित सम्पत्ति है—ऊपर के दोनों उदाहरणों में हम देख चुके हैं कि अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण रहता है। इसी प्रकार भेड़िये का साथी लड़का एक ओर वातावरण के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सका; और, दूसरी ओर भेड़िये के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि का कुछ रूपों में अर्जन कर सका। अतएव यह स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है, और इसीलिए यह पैंत्रिक न होकर अर्जित सम्पत्ति है।

(३) भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु है—ऊपर हम भाषा को अर्जित सम्पत्ति कह चुके हैं। प्रश्न यह है कि व्यक्ति इस सम्पत्ति का अर्जन कहाँ से करता है? इसका एक मात्र उत्तर है 'समाज से।' इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अत तक समाज से सम्बंधित है। उसका विकास समाज में ही होता है; और, इसीलिए यह एक सामाजिक संस्था है। यों, अकेले में, हम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, किन्तु वह भाषा इस सामान्य मुखर भाषा से भिन्न है जिसकी बात की जा रही है।

(४) भाषा परम्परा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उसे उत्पन्न नहीं कर सकता—भाषा परम्परा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परम्परा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किन्तु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता (मानकैतिक या गुप्त आदि भाषाओं की बात यहाँ नहीं की जा रही है)। यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और परम्परा।

(५) भाषा का अजन अनुकरण द्वारा होता है—ऊपर की बातों में भाषा के अर्जित एक समाज-सापेक्ष होने की बात हम कह चुके हैं। यहाँ 'अर्जन' की विधि के सम्बन्ध में इतना और कहना है कि भाषा को हम 'अनुकरण द्वारा' सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ 'दूध' कहती है। वह सुनता है और धीरे धीरे उसे 'स्वयं' कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा के सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है।

(६) भाषा चिरपरिवर्तनशील है—यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को कहना चाहिए। उसका लिखित रूप को उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे-पीछे चलता है। यह मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक-सी नहीं होती। अनुकरण-प्रिय प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण की कला में

पूर्ण नहीं है। अनुकरण का 'पूर्ण' या 'ठीक' न होना कई बातों पर आधारित है। ऊपर हम कह चुके हैं कि भाषा के दो आधार हैं: (१) शारीरिक (भौतिक) और (२) मानसिक। परिवर्तन में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सर्वदा ठीक वैसी ही नहीं रहती जैसी कि उसकी रहती है, जिसका अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आ जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अनुकरण करना।

ये साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ ही भाषा में परिवर्तन उपस्थित किया करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभावी से भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है।

(७) भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं है—जो वस्तु बन-बनाकर पूर्ण हो जाती है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है, पर भाषा के विषय में यह बात नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात्, यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अमुक रूप अन्तिम है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अन्तिम रूप तो अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है। जैसा कि अन्य सभी के लिए सत्य है, भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और अस्थिरता ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है, या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है।

(८) प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है—हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है, या उस सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है।

(२) प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है—भौगोलिक सीमा की तरह भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। अर्थात्, प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारम्भ होकर इतिहास के निश्चित काल तक व्यवहृत होती है तथा वह भाषा अपने काल की परिवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, मोटे रूप से प्राकृत भाषा का काल पहली ईसवी से ५०० ई० तक माना जाता है। इस कड़ी में इसके पूर्व पालि भाषा थी, तथा इसके बाद अपभ्रंश; और, ये दोनों भाषाएँ (पालि तथा अपभ्रंश) प्राकृत से भिन्न हैं।

(१०) प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है—दूसरे शब्दों में किन्हीं भी दो भाषाओं का ढाँचा पूर्णतया एक नहीं होता है। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि में किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढाँचे में अन्तर अवश्य होता है। यही अन्तर उनकी अलग-या स्वतन्त्र सत्ता का कारण बनता है।

(११) भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है—सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। यों भी इसके लिए सीधा तर्क हमारे पास यह है कि मनुष्य का यह जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसी 'कम प्रयास' के प्रयास में वह 'सत्येन्द्र' को 'सतेन्द्र' और फिर 'सतेन' कहने लगता है, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब यह केवल 'सति' कहकर ही काम चलाना चाहता है। यह उदाहरण 'ध्वनि' से सम्बन्धित है। किन्तु, व्याकरण के रूपों के बारे में भी यही बात है। पुरानी भाषाओं (ग्रीक, संस्कृत आदि) में रूपों और अपवादों का बाहुल्य है, किन्तु आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं, साथ ही नियम बड़ गये हैं और अपवाद कम हो गये हैं, और आगे भी कम होते जा रहे हैं।

भाषा पानी की बारा है जो स्वभावतः ऊँचाई (कठिनाई) के नीचे (सरलता) की ओर जाती है।

(१२) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है—भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि आरम्भ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए या विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी, फिर धीरे-धीरे उसने इसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार दिन-पर-दिन भाषा में विकास होता रहा है, और वह अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है। यह एक सामान्य सिद्धान्त तो है, किन्तु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। आज की हिन्दी की तुलना में कल की हिन्दी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी, किन्तु संस्कृत की तुलना में आज की हिन्दी को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिन्दी विकसित नहीं हुई, जिनमें संस्कृत हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी है।

(१३) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है—पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग (व्यवहित या विश्लेष) से संयोग (संहिति या संश्लेष) की ओर जाती है। कुछ लोगों का यह भी मत रहा है कि बारी-बारी से भाषाओं की जिन्दगी दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है। किन्तु, अब ये मत प्रायः भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिला होने की स्थिति, जैसे 'रामः गच्छति' तथा वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे 'राम जाता है।' संस्कृत में केवल 'गच्छति' (संयुक्त रूप) से काम चल जाता था, पर हिन्दी में 'जाता है' (वियुक्त रूप) का प्रयोग करना पड़ता है।

(१४) हर भाषा का स्वप्नतः या अस्पष्टतः एक मानक रूप होता है।

पीछे 'भाषा के अभिलक्षण' तथा 'भाषा की परिभाषा' में कुछ अल्प विशेषताओं की ओर भी संकेत किया गया है।

भाषा का विकास (परिवर्तन) और उसके कारण

भाषा में परिवर्तन होता ही उसका विकास या विकार है। पीछे कहा जा चुका है कि भाषा चिरपरिवर्तनशील है। भाषा में विकास या परिवर्तन उसके पाँचों ही रूपों—ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य—में होता है (ध्वनि—लोप, आगम, विपर्यय, परिवर्तन आदि; रूप—रामस्य, राम का; वाक्य—शब्द-क्रम, अन्वय आदि; शब्द—पुराने का लोप और नये का आना; अर्थ—अर्थ में विस्तार, संकोच या आदेश आदि)। इन परिवर्तनों के कारण और उसके रूपों या दिशाओं पर अच्छी प्रकार विचार, इव पाँचों से सम्बद्ध अलग-अलग अध्यायों में आगे किया गया है। यहाँ संक्षेप में केवल कुछ सामान्य बातें ही कही जा रही हैं।

भाषा के विकास या परिवर्तन पर बहुत पहले से किसी न किसी रूप में विचार किया गया है। शब्दशास्त्र पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्यों में कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा काशिकाकार जयादित्य और वामन के नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। यूरोप में इस विषय पर गम्भीरता से और व्यवस्थित रूप से विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति डैनिश विद्वान जे० एच० ब्रैडसवॉर्क हैं। इन्होंने १८२१ में गॉथिक ध्वनि-परिवर्तन पर विचार करते समय तथा अन्यत्र भी भाषा-परिवर्तन के उद्-कारण गिनाये थे। तब से इस सदी तक पाल, यैस्पर्सन आदि अनेक लोगों ने इस विषय को उठाया। पिछले दशक में स्टुर्टवेंट ने इस विषय का पहली बार बहुत विस्तार से विवेचन किया, यद्यपि उसे भी पूर्ण नहीं माना जा सकता है।

विकास के कारणों के प्रमुख दो वर्ग—भाषा में विकास जिन कारणों से होता है, उन्हें प्रमुखतः दो वर्गों में रक्खा जा सकता है। एक अभ्यंतर (या आन्तरिक वर्ग) और दूसरा बाह्य। अभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी स्वाभाविक गति (जिसमें प्रमुखतः भाषा की कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मिलित हैं, जो प्रयोक्ता की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि सम्बन्धी स्थिति से सम्बन्ध रखते हैं। बाह्य वर्ग में वे कारण आते हैं, जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं।

इन दोनों में पहले प्रकार के कारण भीतरी, आन्तरिक या अभ्यंतर कहे जा सकते हैं और दूसरे प्रकार के कारणों को 'बाहरी' या 'बाह्य' की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ दोनों के अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कारणों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है। विशेष महत्व के कारण सादृश्य पर अलग से विचार किया गया है।¹

(अ) अभ्यंतर वर्ग

अभ्यंतर वर्ग के अन्तर्गत वे सभी कारण आते हैं जो प्रभाव नहीं डालते। संक्षेप में, प्रधान कारणों को यहाँ लिया जा सकता है—

(१) प्रयोग से घिस जाना—अधिक प्रयोग के कारण धीरे-धीरे अन्य सभी चीजों की भाँति भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। संस्कृत की कारकीय विभक्तियाँ इसी प्रकार धीरे-धीरे घिसते-घिसते समाप्त हो गईं।

(२) बल—जिस ध्वनि या अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है, वह अन्य ध्वनियों या अर्थों को या तो कमजोर बना देता है, या समाप्त कर देता है। इस प्रकार इसके कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन हो जाता है। इस सम्बन्ध में 'ध्वनि' और 'अर्थ' के कारण में विस्तार से विचार किया जायेगा।

(३) प्रयत्न-लाघव—भाषा में विकास लाने वाले या परिवर्तन उपस्थित करने वाले कारणों में यह सबसे महत्वपूर्ण है और भाषा में विकास या परिवर्तन के ९० प्रतिशत से भी अधिक का दायित्व इसी पर है। इसे 'मुख-मुख' भी कहते हैं।

आदमी कम से कम प्रयास से अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। बोये हुए खेतों में भी लोगों की वही प्रवृत्ति बीच से तिरछे रास्ता बना देती है। बोलने में भी इसी प्रकार कम से कम प्रयत्न से लोग शब्दों को उच्चरित करना चाहते हैं और इस कम से कम प्रयास, या प्रयत्न-लाघव (प्रयत्न की लघुता) के प्रयास में ही शब्दों को सरल बनाते या सरलता के लिए कभी तो बड़ा और कभी छोटा बना डालते हैं, या कभी केवल कठिन संयुक्त व्यंजनों आदि

१. कुछ भाषाविज्ञानविदों ने भाषा के विकास के मूल कारण के रूप में चार बातों का उल्लेख किया है : १. शारीरिक विभिन्नता, २. भौगोलिक विभिन्नता, ३. जातीय मानसिक अवस्था भेद, ४. प्रयत्न-लाघव। इनमें प्रयत्न-लाघव तो स्पष्टतः ही मूल कारणों में है, जैसा कि आगे समझाया गया है। शेष तीन के सम्बन्ध में थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यदि नं० १ का अर्थ यह लें, कि एक ही समाज का एक व्यक्ति स्वस्थ या मोटा-तजा है और दूसरा दुबला-पतला, अतः दोनों की भाषा में अन्तर होगा, तो यह प्रायः व्यर्थ है; दूसरे का अर्थ यह लें कि रेगिस्तानी मुँह ढँके होंगे, ठंडक में रहने वाले सर्दों के कारण कम मुँह खोलेंगे, अतएव भाषा में अन्तर होगा तो यह भी बहुत सार्थक नहीं है। इसी प्रकार यदि मानें कि मानसिक अवस्था के उच्च या निम्न होने से भाषा में भेद होगा, तो यह ठीक नहीं है, किन्तु यदि दूसरा अर्थ लें, जैसा कि आगे लिया गया है तो तीनों ही किसी न किसी रूप में भाषा के विकास में काम करते हैं।

को सरल कर लेते हैं। कृष्ण का कन्हैया, कान्हा या किशन, भक्त का भगत, प्वाइंट्समैन का पैंटमैन, स्टेशन का टेसन, धर्म का धरम, 'बीबी जी' का बीजी, गोपेन्द्र का गोबिन, गूड का गिड तथा आलकतक का आलता आदि सरल करके बोलने के प्रयास के ही फल हैं। अंग्रेजी में बनो (Know) का उच्चारण नो, क्नाइफ (Knife) का नाइफ तथा टालक (Talk) का टाक भी इसी का परिणाम है। सरलता या प्रयत्न-लाघव के लिये कुछ शब्द तो छोटे कर लिये जाते हैं, जैसे उपाध्याय से ओझा, 'कब ही' से कभी, 'जब ही' से जभी, 'हास्तिन् मृग' से 'हस्ती' फिर 'हाथी' या बोलने में 'मास्टर साहब' का 'मास्ताब', 'पंडित जी' का 'पंडी जी', 'जैराम जी की' का 'जैरम', 'मार डाला' का 'माड्डाला'। कुछ शब्द सरल बनाने के लिए बड़े कर लिये जाते हैं, जैसे प्रसाद से परसाद, कृष्ण से कन्हैया, स्कूल से इस्कूल, स्नान से असनान, प्लेटो से अफलातून, ग्रहण से गरहन या गिरहन तथा उम्र से उमिर आदि; संश्लेष का प्रयोग, जैसे डी० एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट), एन० टी० (नायब तहसीलदार), भारत (भारतवर्ष) या सुदी (गुक्ल दिवस) आदि भी प्रयत्न-लाघव की दृष्टि से ही किया जाता है।

प्रयत्न-लाघव या मुख-मुख कई प्रकार से लाया जाता है, जिनमें स्वर-लोप (जैसे अनाज से नाज या एकादश से म्यारह), व्यंजन-लोप (जैसे स्थाली से थाली), अक्षर-लोप (सहस्रत से स्रत), स्वरागम (स्काउट से इस्काउट, कर्म से क्रम, कृपा से किरपा), व्यंजनागम (अस्य से हड्डी), विपर्यय (वाराणसी से बनारस, या पहुँचना से चहुँपना), समीकरण (शर्करा से शक्कर या कलक्टर से कलट्टर), विषमीकरण (काक से काम), तथा स्वतः अनुनासिकता (उष्ट्र से ऊँट, श्वास से साँस तथा राम से राँस) तथा कुछ अन्य (जैसे गृह से घर, बधू से बहू आदि) प्रमुख हैं। प्रयत्न-लाघव के अन्तर्गत आने वाले इन प्रवान तथा अन्य और प्रकारों का विस्तृत और सोदाहरण परिचय 'व्यनिविज्ञान' अध्याय के अन्तर्गत आगे दिया गया है।

(४) मानसिक स्तर—बोलने वालों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से विचारों में परिवर्तन होता है; विचारों में परिवर्तन होने से अभिव्यंजना के ढंग में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट परिणाम अर्थ-परिवर्तन होता है, पर कभी-कभी ध्वनि पर भी असर देखा गया है।

(५) अनुकरण की अपूर्णता—यह इस वर्ग का अन्तिम कारण है। पीछे कहा जा चुका है कि भाषा अर्जित सम्पत्ति है और उसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के सहारे समाज से करता है। अनुकरण यदि पूर्ण हो तब तो व्यक्ति किसी शब्द को ठीक उसी प्रकार कहेगा, जैसे वह व्यक्ति कहता है जिसका कि वह अनुकरण कर रहा है, किन्तु प्रायः ऐसा होता नहीं। अनुकरण प्रायः अपूर्ण या बेठीक होता है। ध्वनि का अनुकरण सुनकर तथा उच्चारण-अवयवों की गति देखकर (जितना दिखायी दे सके) किया जाता है। वाक्य, अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझ कर किया जाता है। होता यह है कि अनुकरण में अनुकर्ता (क) कुछ भाषिक तथ्यों को तो छोड़ देता है तथा (ख) कुछ को अपनी ओर से अनजाने ही जोड़ देता है। इस तरह अनुकरण में भाषा का परिवर्तन पनपता रहता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, भाषा का अनुकरण कर रही होती है, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ—भाषा के पाँचों क्षेत्रों में इसी छोड़ने और जोड़ने के कारण परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से घटित होती रहती है। आर० एम० पिडल (१९२६) तथा ए० डुरेफर (१९२७) ने कुछ स्थानों में इस बात का अनेक वर्षों तक बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह परिवर्तन या विकास का सबसे बड़ा कारण है। समाज में मोटे रूप से तीन पीढ़ियाँ होती हैं। नवोदित जो २०-२२

१. घोषीकरण, अघोषीकरण, अभिश्रुति, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, अग्रागम, स्वरभक्ति, उभय-सम्मिश्रण, स्थान-विपर्यय, मात्राभेद, ऊष्मीकरण तथा संधि आदि।

या २५ से कम के उम्र हैं, बहुत सक्रिय जो २०-२३ या २५ से ३० वर्ष के बीच के होते हैं, और अस्तप्राय जो ६० से ऊपर के होते हैं। एक ही समाज में इन तीनों की भाषा में स्पष्ट अन्तर मिलता है। यद्यपि यह अन्तर यों देखने में बहुत अधिक नहीं होता और कई पीढ़ियों के बाद ही भाषा पर उनकी सुस्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ी-परिवर्तन के साथ, अनुकरण की अपूर्णता के अतिरिक्त यों अन्य कारण भी काम करते हैं, जैसे अन्य प्रभाव, बल देने के लिए या नवीनता के लिए नये प्रयोग या एक से अनेक या अनेक से एक करने की प्रवृत्ति आदि। जैसा कि कह चुके हैं, एक-दो पीढ़ी में तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जब आठ-दस पीढ़ी पीछे की भाषा की आठ-दस पीढ़ी बाद की भाषा से हम तुलना करते हैं, तो दोनों के अन्तर का पता साफ चल जाता है, और हमें यह नगने को बाध्य होना पड़ता है कि भाषा विकसित या परिवर्तित हो गई है।

अनुकरण की अपूर्णता के लिए भी कई कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

(क) शारीरिक विभिन्नता—ध्वनियों का उच्चारण अंगों के सहारे करते हैं और सब उच्चारण-अंग एक-से नहीं होते, अतएव उनका अनुकरण बिल्कुल पूर्ण नहीं हो पाता। सामान्यतः इस विभिन्नता के प्रभाव का पता नहीं चलता, पर कई पीढ़ी बाद जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उनमें निश्चय ही इसका भी कुछ न कुछ हाथ रहता है।

(ख) ध्यान की कमी—इसके कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। इसका भी भाषा के विकास पर प्रभाव दस-बीस पीढ़ी के बाद ही स्पष्ट हो पाता है।

(ग) अशिक्षा—अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। श का स (देश से देस), ष का स (तृष्णा का तिसना), ण का न (गुण का गुन या कर्ण का कान) तथा क्ष का च्छ या छ (शिक्षा का सिच्छा या क्षत्रिय का छत्री) आदि मुख-मुख या प्रयत्न-लाघव के अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी हो जाते हैं। विदेशी शब्द सामान्य जनता में अज्ञान या अशिक्षा के कारण ही क्या से क्या हो जाते हैं। उदारणार्थ, रैबिट का 'रिबीट' या 'रिबिट', डाक्टर का 'डगडर', जमाना का 'जमाना', एंजिन का 'इंजन' या 'अंजन', मोहताज का 'मुस्ताज', लाइब्रेरी का 'रायबरेली' या 'लाबरेली', रिपोर्ट का 'रपट', गार्ड का 'गारद', डिल का 'दलेल', इन्स्पेक्टर का 'इंसपेट्टर', 'हू कस्स देयर' का 'हुकुमसदर', लार्ड का 'लाट', टाइम का 'टेम', सिगनल का 'सिगल', दर्खास्त का 'दरखास', मास्टर का 'महटर' या 'महट्टर', कानूनगो का 'कानूनगोह', प्लाटन का 'पलटन', ज्वाइन का 'जैन', तथा काजी हाउस का 'काजीहौद', आदि देखे जा सकते हैं।

(द) जानबूझकर परिवर्तन—भाषा में, कभी-कभी जानबूझकर भी उस भाषा के प्रबुद्ध बोलने वाले या लेखक आदि परिवर्तन कर देते हैं। प्रसाद ने 'अलेक्जेंडर' का अलक्षेन्द्र कर दिया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अनेक देशज तथा विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारों ने संस्कृतीकरण किया है। जैसे अरबी 'अफ़ियून' का 'अहिफेन' या तुर्की 'तुर्क' का 'तुरुष्क'। कभी-कभी उपयुक्त शब्द न मिलने पर लोग जानबूझकर किसी मिलते-जुलते शब्द का नये अर्थ में प्रयोग कर देते हैं और शब्द यदि बहुत प्रचलित न रहा तो उस नये अर्थ में चल पड़ता है। जैसे 'ट्रैजेडी' से 'त्रासदी' या 'कमेडी', से 'कामदी'। अभिव्यक्ति में चमत्कार या नवीनता आदि लाने के लिए कलाकारों द्वारा निरंकुश प्रयोग भी भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन ला देता है।

(७) जातीय मनोवृत्ति—हर जाति की अपनी मनोवृत्ति होती है, और भाषा उसके अनुसार परिवर्तित होती है। यही कारण है कि एक ही भाषा दो या अधिक जातियों में प्रचलित होकर दो या अधिक प्रकार से विकसित या परिवर्तित होती है। एक जातीय मिश्रण ग्रिम नियम के प्रथम वर्ण-परिवर्तन का कारण बना, दूसरा दूसरे का।

(क) बाह्य वर्ग

(१) भौतिक वातावरण—भाषा पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। एक भाषा के अन्तर्गत अनेक बोलियाँ या एक परिवार में अनेक भाषाएँ मूलतः इसी कारण से बन जाती हैं। भौतिक वातावरण का प्रभाव कई प्रकार से पड़ सकता है—

(क) गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन-सहन आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है और भाषा इन सभी पर आधारित है।

(ख) मैदान आदि में दूर तक लोग सम्पर्क रख पाते हैं, अतः भाषा में एकरूपता बनी रहती है। पर, पहाड़ी भागों में या अन्य ऐसे भागों में, जहाँ आने-जाने की सुविधा कम है, या ही नहीं, लोग अलग-अलग रहने के आदी हो जाते हैं। फल यह होता है कि उनकी भाषा का अलग-अलग विकास होता है और कई भाषाओं या अनेक बोलियों का विकास हो जाता है। इसी कारण पहाड़ों पर बोली थोड़ी-थोड़ी दूरी पर थोड़ी-बहुत अवश्य बदल जाती है। बड़ी नदियों के किनारों की बोली में भी इसी कारण कुछ अन्तर दिखाई देता है। ग्रीस में ऐसे ही कारणों से नगर-जनपद की प्रथा चल पड़ी। फल यह हुआ कि वहाँ बोलियों की भरमार हो गई।

(ग) भूमि उपजाऊ है तो खाद्य-सामग्री की कमी न रहेगी और फल यह होगा कि लोगों को उन्नति करने का समय मिलेगा, अतः उन लोगों की भाषा में अनुपजाऊ भूमि में रहने वालों की अपेक्षा संस्कार अधिक होगा। वे लोग गूढ़ विषयों पर सोचेंगे, अतः उसकी अभिव्यंजना के लिए उनकी भाषा गम्भीर होती जायगी, जैसा कि भारत या यूनान आदि में हुआ है। इसके विरुद्ध पहाड़ी या जंगली लोगों की भाषा में इस प्रकार का विकास नहीं होता। इस तरह उपजाऊ भूमि के कारण भाषा के परिवर्तन एवं विकास को बल मिलता है।

(२) सांस्कृतिक प्रभाव—संस्कृति समाज का प्राण है, अतः उसका भी प्रभाव भाषा पर पड़ता है और उसके कारण भाषा में विकास होता है। इसके अन्तर्गत भी प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है।

(क) सांस्कृतिक संस्थाएँ प्राचीन शब्दों को एक बार फिर ला देती हैं, साथ ही विचार में भी परिवर्तन कर देती हैं, जिससे अभिव्यक्ति की शैली आदि प्रभावित होती है। १९वीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के आदि की भाषा पर आर्य समाज आदि के कारण संस्कृत शब्द अपने तत्सम रूप में इतने अधिक घुस आये हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं।

(ख) व्यक्ति—महान् व्यक्तियों का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरी भारत की भाषा, उसके समाज तथा धर्म सभी को यथेष्ट प्रभावित किया है। कितने शब्दों को उन्होंने मूल रूप में या कविता में तुक आदि के लिए कुछ तोड़कर रखा और वे चल पड़े। उनके बाद की कविता की शैली भी उनसे प्रभावित हुई थी। इसी प्रकार गाँधी जी के कारण हिन्दी की हिन्दुस्तानी शैली को काफी बल मिला।

(ग) संस्कृतियों का सम्मिलन—व्यापार, राजनीति तथा धर्म-प्रचार आदि के कारण कभी-कभी दो संस्कृतियों का सम्मिलन होता है। इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत ही को लें। यहाँ इस प्रकार के कई सम्मिलन हुए जिनमें कम से कम पाँच अधिक महत्वपूर्ण हैं—

- (१) आस्ट्रिकों और द्रविड़ों का।
- (२) द्रविड़ों और आर्यों का।
- (३) आर्यों और यवनों का।

(४) भारतीयों और मुसलमानों का ।

(५) भारतीयों और यूरोप वालों का ।

इन संस्कृतियों के सम्मिलन से भाषा पर दो प्रकार के प्रभाव सम्भव होते हैं—

(अ) प्रत्यक्ष—जैसे : (क) शब्दों की लेन-देन—आज हमारी भारतीय भाषाओं में उपर्युक्त सभी संस्कृतियों के शब्द हैं। हिन्दी में ही आस्टिकों के गंगा आदि; द्रविड़ों के तीर, आलि, मीन आदि; यवनों (ग्रीकों) के होडा, दाम, सुरंग आदि; तुर्कों एवं मुसलमानों के पाजामा, बाजार, दुकान, कागज, कलम, सन्दुक, किताब, तकिया, रजाई आदि; तथा यूरोपियनों के खेल, न्याय और फेशन आदि सम्बन्धी, हाकी, टेनिस, कॉलर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रम, डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब, कोट, कलक्टर तथा पेन, आदि हजारों प्रचलित हैं। हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों की ठीक से छानबीन की जाय तो इनकी संख्या आठ हजार से कम न होगी।

(ख) ध्वनि का आना—मूल योरोपीय भाषा में टवर्गीय ध्वनि नहीं थी, पर भारत में आने पर कदाचित् द्रविड़ों के प्रभाव से आर्यभाषा में ये ध्वनियाँ आ गईं और आज सभी ध्वनियों की भाँति इसका भी प्रयोग होता है। हिन्दी भाषा में मुसलमानों तथा अंग्रेजों के सम्पर्क से कई नवीन ध्वनियाँ आ गई हैं, जैसे क, ज, ग, ख, फ तथा ऑ।

(ग) वाक्य-गठन, मुहावरे, लोकोक्ति तथा अभिव्यक्ति की शैली भी विदेशी भाषाओं से प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ, हिन्दी इसी दृष्टि से फ़ारसी, अंग्रेजी आदि से पर्याप्त प्रभावित है। 'पानी-पानी होवा' मूलतः फ़ारसी 'आब-आब शुदन' का अनुवाद है तो 'कार्य रूप में परिणत करना' अंग्रेजी To translate into action का।

(अ) अप्रत्यक्ष—विचार-विनिमय के कारण एक-दूसरे का साहित्य, कला आदि पर भी प्रभाव पड़ता है और उसके भी भाषा (गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा मुहावरे आदि) अच्छी नहीं रहती।

(३) समाज की व्यवस्था—सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शान्ति या अशांति रहती है और उसका भी जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव घूम-फिर कर भाषा पर भी पड़ता है। युद्ध या क्रान्ति में भाषा में विशेष रूप से ध्वनि-परिवर्तन होते हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं रहता और न शान्ति ही रहती है कि उच्चारण पूर्णरूपेण करें। संकेत से अधिक काम लेना पड़ता है। आधुनिक काल में समय कम होने के कारण ही अनेक प्रचलित शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाये गये हैं। हम क० पू० उ० (P. T. O.) लिखकर कृपया पृष्ठ उलटिए का काम चला लेते हैं, पूरा नाम न कह कर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा जाता है। सी० आई० डी०, वी० सी०, डी० एम०, नेफा, पेप्सू तथा युनेस्को आदि भी इसी प्रकार के संक्षिप्त रूप हैं।

(४) बोलने वालों की उन्नति—बोलने वालों की उन्नति वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रों में होती है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन दो रूपों में हो सकता है। एक तो नयी उन्नति के अनुरूप नयी अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में कुछ नयी चीजें—मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि—(या विचार) आ जाते या आविष्कृत हो जाते हैं, तो उनके लिये नये शब्द आ जाते हैं। भारत इधर दिन-पर-दिन उन्नति करता जा रहा है, अतः उसकी भाषाओं में बड़ी तेजी से नये शब्द आते जा रहे हैं। यदि कोई देश उसके उल्टे बहुत अवनति करने लगे और खाने को मुहताज हो जाय तों अत्यधिक आराम (luxury) की बहुत-सी चीजें लुप्त हो जायेंगी, और यदि स्थिति बदली नहीं तो उनके प्रसंग में प्रयुक्त शब्द भी लुप्त हो जायेंगे।

(ज) सादृश्य^१

कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार भाषा में भी शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य की सादृशता पर उसी प्रकार के बन जाते हैं। इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ है। इसे उपर्युक्त आभ्यन्तर और बाह्य किती एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह दोनों में आता है। आज की हिन्दी की वाक्य-रचना बहुत-से लेखकों में अंग्रेजी के सादृश्य पर मिलती है।^२ यह बाह्य है। दूसरी ओर 'पाश्चात्य' के सादृश्य पर 'पौरात्य' शब्द चल रहा है, 'एकदश' द्वादश के सादृश्य पर 'एकादश' हो गया है, या 'निर्गुण' के सादृश्य पर 'सगुण' 'सर्गुण' या 'सर्गुन' हो गया है। यह आभ्यन्तर है। इसी प्रकार अनेक अन्य उदाहरण भी लिये जा सकते हैं।^३

भाषा के विकास के सम्बन्ध में अन्तिम बात यह कह देनी आवश्यक है कि भाषा के विकास का आशय यह नहीं कि भाषा, और अच्छी या ऊँची होती जाती है। विकास का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यञ्जना-शक्ति, माधुरी तथा ओज आदि की दृष्टि से भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह प्रायः सरलता की ओर जाती है।^४

भाषा-परिवर्तन : स्वरूप और प्रवृत्तियाँ

भाषा-परिवर्तन

परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती रहती है, और भाषा भी उसका अपवाद नहीं। भाषा का प्रयोक्ता मनुष्य और उसका समाज परिवर्तित होता रहता है और उसके साथ-साथ उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। भाषा के पाँच अंग हैं : (क) ध्वनि, (ख) शब्द, (ग) रूप, (घ) वाक्य, (ङ) अर्थ। परिवर्तन इन पाँचो स्तर पर होता है, जिन्हें ध्वनि-परिवर्तन, शब्द समूह परिवर्तन, रूप रचना परिवर्तन, वाक्य रचना-परिवर्तन तथा अर्थ-परिवर्तन कहते हैं। इस प्रसंग में इन पाँच के अतिरिक्त दो और का भी उल्लेख किया जा सकता है। एक है स्वन प्रक्रिया-परिवर्तन जो ध्वनियों के ही अध्ययन में आता है तथा दूसरा है रूप प्रक्रिया-परिवर्तन जो रूपों में होता है। इस तरह सामान्यतः कुल सात प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यों लिपि में भी परिवर्तन होता है किन्तु लिपि भाषा का अंग नहीं है, अतः उसे यहाँ नहीं लिया जा रहा है।

स्वरूप

जहाँ तक भाषा में परिवर्तन के स्वरूप का प्रश्न है, वह प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग होता है, यही नहीं, ध्वनि-परिवर्तन तथा स्वन प्रक्रिया-परिवर्तन या रूप रचना-परिवर्तन

१. सादृश्य स्वयं स्वतन्त्र कारण नहीं कहा जा सकता, किन्तु सुविधा के लिए घटित परिवर्तनों में इसका स्थान अलग है, क्योंकि इसके परिवर्तन का परिणाम किसी अन्य वाक्य या शब्द के अर्थ या ध्वनि पर आधारित रहता है। इस कारण इसे यहाँ अलग माना गया है और आगे भी कई स्थानों पर इसे, इसी अर्थ में, कारण के रूप में, अलग रखा गया है। इसका विस्तार से स्पष्टीकरण 'सादृश्य' पर अलग विचार करते-समय ध्वनिविज्ञान, अर्थविज्ञान तथा शब्द-समूह शीर्षक अध्यायों में है।

२. नेहरू जी के भाषणों में यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती थी।

३. भ्रामक व्युत्पत्ति भी इसी प्रकार का कारण है (देखिये, ध्वनि का अध्याय)।

४. इन उपर्युक्त कारणों में कुछ को साक्षात् (प्रयोग, बल, प्रयत्न-लाघव, अनुकरण की अपूर्णता, सादृश्य आदि) और कुछ को असाक्षान् (शेष) कारण भी कह सकते हैं।

और रूप प्रक्रिया-परिवर्तन का भी स्वरूप एक नहीं है, अतः सभी को अलग-अलग शीर्षकों में लिया जा रहा है।

ध्वनि-परिवर्तन—ध्वनि-परिवर्तन से आशय है किसी ध्वनि का बदलकर कुछ से कुछ हो जाना जैसे 'घोटक' से 'घोड़ा' बनने में 'ट' परिवर्तित होकर 'ड़' हो गया है या 'दधि' से 'दही' बनने में 'घ' परिवर्तित होकर 'ह' हो गया है। ध्वनि-परिवर्तन को स्वरूप के आधार पर मुख्यतः निम्नांकित नौ वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) लोप

लोप से आशय है जो ध्वनि शब्द में पहले से हो, उसका लुप्त हो जाना। जैसे 'सप्त' से 'सात' बनने में 'प' का लोप हो गया है। लोप कई प्रकार के होते हैं : १. स्वर-लोप: आदि स्वर-लोप—अभ्यन्तर-भीतर, एकादश-ग्यारह। मध्य स्वर-लोप—उच्चारण में 'लगभग' का 'लगभग', 'कपड़ा' का 'कपड़ा' तथा 'गमला' का 'गमला' हो गया है। इन सभी में मध्य स्वर लोप है। अंत्य स्वर-लोप—आप, तुम, हम, सब आदि उच्चारण में आप्, तुम्, तथा सब् हो गये हैं, अर्थात् अन्तिम 'अ' इनमें से निकल गया है।

२. व्यंजन-लोप: आदि व्यंजन-लोप—स्थाली-थाली, हास्पिटल-अस्पताल, स्कंध-कन्धा। मध्य व्यंजन-लोप—सप्त-साँत, कोकिल-कोयल। अंत्य व्यंजन-लोप—Bomb, बम, Command-कमान।

(ख) आगम

'आगम' से आशय है किसी ऐसी ध्वनि का आ जाना जो पहले से शब्द में न हो। उदाहरण के लिए 'सूर्य' से 'सूरज' में 'र' के बाद 'अ' आ गया है तो 'डजन' से 'दर्जन' में 'र' आ गया है। आगम कई प्रकार का होता है। १. स्वरागम: आदि स्वरागम—यूनानी लातोन-अफलातून, स्नान-अवधी-अस्नान। स्कूल, स्टेशन, स्टूल, स्प्रिंग को काफी लोग इस्कूल, इस्टेशन, इस्टूल, इस्प्रिंग बोलते हैं। मध्य स्वरागम—सूर्य-सूरज, पूर्व-पूरब। अंत्य स्वरागम—दवा-दवाई।

२. व्यंजनागम: आदि व्यंजनागम—ओष्ठ-होठ, अस्थी-हड्डी, अंसलि-हंसली (गले के पास की हड्डी)। मध्य व्यंजनागम—शाप—श्राप, पण—प्रण, समुद्र—समुन्दर।

(ग) विपर्यय

विपर्यय से आशय है किसी शब्द में दो ध्वनियों का एक-दूसरे के स्थान पर चले जाना। उदाहरण के लिए 'चिह्न' का 'चिन्ह' में 'ह' और 'न' में विपर्यय हो गया। विपर्यय कई प्रकार का होता है : १. पार्श्ववर्ती विपर्यय—पास-पास की ध्वनियों में विपर्यय, जैसे चिह्न-चिन्ह, ब्रह्म-बम्ह, ब्राह्मण-बाम्हन। २. दूरवर्ती विपर्यय—वाराणसी-बनारस, लखनऊ-नखलऊ। ३. आशब्दांश विपर्यय—कभी-कभी दो शब्दों के आरम्भ के अंशों में विपर्यय हो जाता है, जैसे घोड़ागाड़ी का गोड़ा-घाड़ी। बोलने में कुछ लोगों की ऐसी आदत-सी पड़ जाती है। ऑक्सफोर्ड के डॉ० डब्ल्यू ए० स्पूतर (१८४४-१९३०) से यह विपर्यय अधिकतर हो जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पूतरिज्म कहते हैं। स्पूतर साहब का एक उदाहरण लिया जा सकता है। एक बार उन्होंने बिगड़कर एक विद्यार्थी से कहा—*you have tasted a whole worm.* वे कहना चाहते थे—*you have wasted a whole term.* हिन्दी में उदाहरण के लिए 'कड़ी बिताब' (बड़ी किताब), 'चाल दावल' (दाल चावल) आदि लिये जा सकते हैं। किसी ने पूछा आपकी बड़ी (घड़ी) में क्या जबा (बजा) है? उत्तर था—चौ (नौ) बजकर ना (चा) लिस मिनट।

(घ) समीकरण

कभी-कभी किसी शब्द में दो पास-पास की असमान ध्वनियाँ समान हो जाती हैं। यह प्रवृत्ति भाषा परिवर्तन में समीकरण कहलाती है। समीकरण दो प्रकार का होता है : १. पुरोगामी समीकरण—इसमें कोई ध्वनि आगे बढ़कर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है। जैसे चक्र-चक्की, पत्र-पत्ता। २. पश्चगामी समीकरण—इसमें कोई ध्वनि पीछे जाकर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है। जैसे धर्म-धम्म (पालि में), शर्करा-शक्कर।

(ङ) स्वतः अनुनासिकता

कभी-कभी किसी शब्द में किसी नासिक्य व्यंजन से अनुनासिकता का विकास होता है। जिसे सकारण अनुनासिकता की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे कम्पन कांपना ('म' से अनुनासिकता का विकास) या चन्द्र-चाँद ('न' से अनुनासिकता का विकास)। इसके विपरीत कभी-कभी बिना किसी नासिका व्यंजन के भी अनुनासिकता का विकास हो जाता है, जिसे स्वतः अनुनासिकता कहते हैं। उदाहरणार्थ : सर्प-साँप, स्वास-साँस, भ्रू-भौं।

(च) ह्रस्वीकरण

दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाना। जैसे आसाढ़-असाढ़, आभीर-अहीर, आगस्ट-अगस्त।

(छ) दीर्घीकरण

ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना। जैसे सप्त-सात, दुग्ध-दूध, अष्ट-आठ।

(ज) घोषीकरण

अघोष व्यंजन का घोष हो जाना। जैसे—शाक-साग, कंकण-कंगन, घोटक-घोड़ा।

(झ) महाप्राणीकरण

अल्प प्राण व्यंजन का महाप्राण हो जाना। जैसे शुष्क-मूखा, हस्त-हाथ, परशु-फरसा।

कारण : ध्वनि-परिवर्तन मुख्यतः निम्नांकित कारणों से होता है : १. ध्वनियों का परिवेश—कभी-कभी आस-पास की ध्वनियों के कारण कोई ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए नासिका व्यंजन के पास होने पर मौखिक स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। इसीलिए 'हनुमान' का उच्चारण 'हनुमान' तथा 'कान' का कान होता है। ऐसे ही यदि किसी अघोष व्यंजन के दोनों ओर घोष ध्वनि हो तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि अघोष व्यंजन घोष हो जाता है। जैसे 'शाक' का 'साग' (क के पहले 'आ' तथा बाद में 'अ' के कारण या 'घोटक' का घोड़ा। २. मुख-सुख या प्रयत्न-लाघव—यदि कोई संयुक्त व्यंजन उच्चारण में कठिन हो तो उच्चारण में मुख के सुख के लिए या बोलने के प्रयत्न में आसानी के लिए या तो उसका एक व्यंजन लुप्त कर देते हैं (know-नो, talk, टाक, psychology-साइकालजी, write-राइट) या क्रम बदल देते हैं (चिह्न-चिन्ह, ब्राह्मण-ब्राह्मण)। ३. भ्रामक व्युत्पत्ति—कभी-कभी जनता किसी अपरिचित शब्द को अपना परिचित शब्द मानकर बैठती है और उस नये शब्द का उच्चारण अपने परिचित शब्द के रूप में करने लगती है। इसे अंग्रेजी में Popular Etymology नाम दिया गया, उसी का अनुवाद भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति है। आशय यह है कि लोग दोनों शब्दों को एक या व्युत्पत्तितः एक मानने की गलती कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए 'किसमस डे' का 'किसमिस डे', 'बाहलूगंज' (शिमले की एक कालोनी जो बाहलू नामक अंग्रेज के नाम पर बनी थी) का 'बालूगंज' (अब यही नाम हो गया है), 'हीराकुद' का 'हीराकुंड' (उड़ीसा का प्रसिद्ध बाँध), Sunset

point का सैसठ-पैसठ (माउंट आबू), 'प्लीट' (pleat) का 'प्लेट' (सिलाई में) आदि। ४. सादृश्य—कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। 'सैतिस' के सादृश्य पर 'सैतिस' में अनुनासिकता आ गयी है। संस्कृत में 'द्वादश' के सादृश्य पर 'एकदश' भी 'एकादश' हो गया। मुञ्ज (< मञ्ज) का उकार तुञ्ज (< तुभ्य) के सादृश्य से है। ऐसे ही देहात से 'देहाती' के सादृश्य पर 'शहर' से 'शहराती' हो गया है। ५. लेखन—लेखन के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने में अन्त में a लिखने का प्रभाव यह पड़ा है कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मित्रा आदि कहने लगे हैं, अपितु हिन्दी में भी वही लिखने लगे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इसी से प्रभावित होकर लोग 'बुद्ध' और 'अशोक' के स्थान पर बुद्धा (बुद्धा गार्डन) और 'अशोका' (अशोका होटल) का भी प्रयोग करते सुने जाते हैं।

स्वनप्रक्रिया परिवर्तन

जैसा कि हमने देखा, ध्वनि-परिवर्तन में किसी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है किन्तु स्वनप्रक्रियात्मक परिवर्तन में भाषा की स्वनिम व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में स, श, ष तीन अलग-अलग स्वनिम थे। प्राकृतों में आकर परिवर्तन हुआ। कुछ प्राकृतों (जैसे नीय) में तो ये तीनों रहे किन्तु एक तरफ मागधी में केवल एक 'श' रहा ('विष' के लिए 'बिष', 'दश' के लिए 'दश' तथा 'सार' के लिए 'शार'), तो दूसरी और शौरसेनी प्राकृत में केवल 'स' रहा ('विष' के लिए 'बिस', 'दश' के लिए 'दस' तथा 'सार' के लिए 'सार')। इस तरह मागधी में भी कुल स्वनिमों में दो की कमी हो गई तथा शौरसेनी में भी। अर्थात् इन दोनों की स्वन-व्यवस्था में बदलाव आया। इसी तरह १९२० के आस-पास हिन्दी में बहुत सारे शब्द अपने लगभग मूलरूप में फारसी तथा अंग्रेजी से आये तो सूक्ष्मित हिन्दी-भाषियों की हिन्दी की स्वनिम-व्यवस्था बदली क्योंकि छः नये स्वनिम क ख ग ज फ आँ उस में आ गए। कहना न होगा इन छहों में न्यूनतम विरोधी युग्म हिन्दी में उपलब्ध है :

ताक (देख)	= ताक (दीवाल का आला)
खाना (भोजन)	= खाना (अलमारी या मेज का)
बाग (घोड़े की)	= बाग (फलों की)
राज (राज्य)	= राज (रहस्य)
फन (साँप का)	= फन (हुनर)
काफी (पर्याप्त)	= काफी (एक पेय)

इधर स्वतन्त्रता के बाद जब से हिन्दी वालों के लिए उर्दू अनिवार्य विषय नहीं रही, क का प्रयोग समाप्त-सा हो गया तथा अब इन छः में केवल ख, ग, ज, फ ही स्वनिमिक हैं तथा इनमें भी लगता है कि आगे चलकर केवल ज तथा फ ही रह जाएंगे, क्योंकि ये फारसी तथा अंग्रेजी दोनों शब्दों में भी हैं।

इस तरह स्वनप्रक्रियात्मक परिवर्तन मुख्यतः दो रूपों में होता है : (क) पुराने स्वनिम का लोप (जैसे ष, तथा स, श का) (ख) नये स्वनिम का आगम (जैसे क, ख, ग, ज, फ, आँ का) यों यदि गहराई से देखें तो कुछ और प्रकार के परिवर्तन भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के स्वरमध्यम 'ड' हिन्दी में आकर 'ड़' हो गये। घोटक = घोड़ा, घोटिका = घोड़ी, घटिका = घड़ी। इस तरह संस्कृत में जहाँ 'ड' का मुख्य उपस्वन 'ड' ही था, वहाँ हिन्दी 'ड़' भी हो गया—

- [ड] स्वरों के मध्य में तथा शब्दांत में (घोड़ा, पहाड़)
[ड़] अन्यत्र (डाल, गड़ड़ी, बुढ़ा)

अब यदि अंग्रेज़ी के सोडा, रोड, रेडियो जैसे शब्दों को हिन्दी का अंग मान लें तो घोड़ा-सोडा, मोड़-रोड जैसे शब्द उपन्यूनतम विरोधी युग्म हैं, इस तरह 'ड' को हिन्दी का अलग स्वनिम मानने की स्थिति आ गई है।

शब्दसमूह-परिवर्तन

कोई बोली, भाषा या व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के समूह को 'शब्दसमूह', 'शब्द-भंडार' कहते हैं। किसी भी भाषा को लें, उसका शब्दसमूह (vocabulary) सर्वदा एक नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी के आदि काल का शब्द-भंडार ठीक वह नहीं था जो मध्यकाल में था। ऐसे ही आज की हिन्दी का शब्द-भंडार मध्यकालीन हिन्दी से काफी भिन्न है।

शब्दसमूह-परिवर्तन का स्वरूप

शब्द समूह-परिवर्तन के स्वरूप के संबंध में दो बातें उल्लेख्य हैं। कभी तो पुराने शब्दों के लोप के कारण परिवर्तन होता है, और कभी नये शब्दों के आगमन के कारण। आगे इन दोनों को अलग-अलग लिया जा रहा है।

प्राचीन शब्दों का लोप

भाषा समाज के साथ-साथ चलती है, इसलिए समाज में परिवर्तन के साथ-साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जब भी कोई रीति-रिवाज समाज से निकल जाता है तो स्वभावतः उससे संबद्ध शब्द भी भाषा से निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे समाज में पहले यज्ञ होते थे तो यज्ञों से संबद्ध न्यूङ्ख, यज्वा, यायजूफ, अहीन, मुत्या आदि, अनेक शब्द भाषा में चलते थे। अब जब यज्ञों की परम्परा समाप्त हो गई तो ये शब्द भी भाषाओं से निकल गये। ऐसे ही कुछ हिन्दी क्षेत्रों में विवाह के पहले मेंट मंगए, मानरपूजा, नहछ-नहावन, इमलीघोटावन, गुरहत्थी लापरमरिछावन, गुरहत्थी आदि होते थे, तो ये शब्द भी चलते थे, अब ये रिवाज समाप्त हो गये तो इसके लिए प्रयुक्त ये शब्द भी भाषा से निकल गये हैं। इसी प्रकार जिन जेवरों, खानों, कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं का प्रयोग समाज बंद कर देता है, उनके लिए शब्द भी भाषा से निकल जाते हैं। यदि जायसी के पदमावत को देखें तो उसमें ऐसे काफ़ी जेवरों तथा खानों के नाम हैं जो उस समय चलते थे, किन्तु अब भाषा से निकल गये हैं। ऐसे ही कोई शब्द समाज द्वारा अश्लील मान लिया जाता है तो वह भी भाषा से निकल जाता है। इस तरह अनेकानेक कारणों से भाषा से पुराने शब्द निकल जाते हैं।

नये शब्दों का आगमन

जब भी समाज नई वस्तुओं का प्रयोग शुरू करता है तो उनके नाम या उनसे संबद्ध शब्द भाषा के आवश्यक अंग बन जाते हैं। आज की हिन्दी में गोबरगंस, ट्यूब वेल, पेट्रॉल, डीजल, किरॉसिन, फ्रिज, टेलिविज़न, ट्रांज़िस्टर, ब्रीफ़केस, आदि नए शब्द इसी कारण आए हैं। हमने पुराने पैमाने (सेर, तोला, इंच) छोड़ नए पैमाने (क्यूबिक, मीटर, लीटर, ग्राम) लिए तो नए शब्द आए। जब समाज का नई संकल्पनाओं से परिचय होता है तो भी नए शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हैं। घुसपैठिया, दलबदल, भाई-भतीजावाद जैसे शब्द इसी कारण आए हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि समाज को नए शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उसकी भाषा में उस विशिष्ट अर्थ के द्योतक शब्द होते हैं किन्तु अन्य भाषाओं के प्रभाव-स्वरूप नए शब्द आ जाते हैं। हिन्दी में फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी से ऐसे काफ़ी नए शब्द आए हैं। उदाहरण के लिए 'ज्वर' के रहते 'बुखार', 'नाड़ी' के रहते 'तन्ज', 'लेखनी' के रहते 'कलम' और 'पेन', 'सहस्र' के रहते 'हज़ार', 'भवन' के रहते 'बिल्डिंग' आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई शब्द ठीक न लगे तो उसे छोड़कर नया शब्द

अपना या बना लेते हैं। उदाहरण के लिए पहले हिन्दी में 'वाइसचांसलर' के लिए 'उपकुल-पाते' तथा 'चांसलर' के लिए 'कुलपति' शब्द बने तथा चल पड़े। बाद में लगा कि ये शब्द ठीक नहीं हैं, अतः इन्हें छोड़कर नए शब्द 'कुलपति' तथा 'कुलाधिपति' चला लिए गए हैं तथा 'उपकुलपति' शब्द अब प्रयोग से निकल गया है। पारिभाषिक शब्दों में ऐसा खूब हुआ है। उदाहरण के लिए भाषाविज्ञान में फ़ोनीम के लिए पहले 'ध्वनिग्राम' चलता था, अब 'स्वनिम' शब्द चल पड़ा है तथा 'ध्वनिग्राम' छूट गया है। ऐसे ही Intonation के लिए पहले 'धुरलेहर' चलता था, अब वह भी गतप्रयोग है और उसका स्थान 'अनुतान' ने ले लिया है। ऐसे ही aggression के लिए १९६० के आस-पास 'अग्रघर्षण' शब्द बना और चला भी, बाद में लोगों को लगा कि यह शब्द कठिन है तथा बहुत प्रचलित होने की क्षमता इसमें नहीं है, इसीलिए अब इसे छोड़कर इसके स्थान पर 'आक्रमण' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रसंग में यह भी विचारणीय है कि नए शब्द कहाँ से आते हैं। उल्लेख्य है कि कभी तो नए शब्द कहीं से भी ले लिए जाते हैं—जैसे हिन्दी ने कुछ शब्द संस्कृत से लिए हैं, कुछ अपनी बोलियों से, कुछ अन्य भारतीय भाषाओं से (जैसे भांगड़ा, डोसा) तथा काफी सारे विदेशी भाषाओं से—और कभी बना लिए जाते हैं; यह बनाना उपसर्गों (जैसे हिन्दी प्रभाग, अनुभाग), प्रत्ययों (स्वनिम, रूपिम), दो या अधिक शब्दों (जैसे कलेक्टर के लिए ज़िलाधीश) आदि—संक्षेप (आंसुका—आंतरिक सुरक्षा कानून, संविद—सयुक्त विधायक दल), तथा आद्यंत—संक्षेप (मोटेल—मोटरहोटेल) आदि से होता है। इस तरह विभिन्न कारणों से किसी भाषा से एक ओर तो पुराने शब्द लुप्त होते रहते हैं और दूसरी ओर नए शब्द आ जाते या बनते रहते हैं, और इस तरह का शब्द-समूह बदलता रहता है।

रूप-परिवर्तन

भाषाओं में रूपरचना में भी परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि स्वनि-परिवर्तन तथा शब्द समूह-परिवर्तन की तुलना में यह कम होता है। उदाहरण के लिए १९५० तक 'मुझे', तथा 'मुझको', 'तुझे' तथा 'तुझको' जैसे रूप ही चलते थे, अब 'मेरे को', 'तेरे को' जैसे रूप भी काफी चलने लगे हैं, यद्यपि अभी ऐसे रूपों को मानक का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे ही पहले 'गाय' के बहुवचन 'गाये' की तरह 'इन्द्रिय' से 'इन्द्रिये' रूप चलता था, अब 'इन्द्रियाँ चलने लगी है तथा 'इन्द्रियाँ' का प्रयोग समाप्त हो गया है।

स्वरूप की दृष्टि से रूप परिवर्तन मुख्यतः निम्नांकित प्रकारों का होता है : (१) रूप बनाने वाले पुराने रूपिम (संबंधतत्व) के स्थान पर नए रूपिम का प्रयोग। जैसे संस्कृत—'म्' के स्थान पर हिन्दी में 'को' (राम—राम को) 'या' 'स्य' के स्थान पर 'का' (रामस्य—राम का) का प्रयोग। (२) पुराने मूल के स्थान पर नए मूल का प्रयोग। उदाहरण के लिए पहले 'मुझको' चलता था, अब नई पीढ़ी में 'मेरे को' सुनने में आता है। यहाँ 'मुझ' के स्थान पर 'मेरे' आ गया है। संबंधद्योतक 'को' ज्यों का त्यों है। ऐसे ही पहले केवल 'कीजिए' चलता था अब 'करिए' भी चलता है। इसमें 'इए' प्रत्यय तो ज्यों का त्यों है, 'कीज' के स्थान पर 'कर' आ गया है। (३) मूल तथा प्रत्यय दोनों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में go का भूतकाल का रूप पहले goed तथा wend (जाना) का went। अब go का goed के स्थान पर भूतकाल went मान लिया गया है, इस तरह रूपपरिवर्तन हो गया है। (४) अतिरिक्त रूपिम का प्रयोग। उदाहरण के लिए 'दर असल' का अर्थ है 'असल में', अर्थात् 'दर' में अर्थ का वाचक है। जो लोग इस बात से परिचित नहीं हैं वे 'दर असल में' का प्रयोग करते हैं। इस तरह 'दर' के ही अर्थ में 'में' एक अतिरिक्त रूपिम आ गया है।

कारण : (१) ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण जब विभक्ति घिसकर लुप्त हो जाती है

तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नई विभक्ति या परसर्ग जोड़े जाते हैं। इस तरह रूपिम में परिवर्तन हो जाता है। 'रामस्य' के स्थान पर 'राम का' ऐसे ही आया है। (२) भाषा में रूपावली में जितनी कमी हो, भाषा उतनी ही सरलता की ओर जाती थी। पहले 'मै', 'मुझ', 'मेर्' ये तीन रूप उत्तम पुरुष एकवचन में थे। अब 'मुझ' का लोप करके केवल दो से काम चलाया जाने लगा है: 'मै मेर्' (जैसे मेरे को 'से' पर 'मै') इस तरह सरलता की प्रवृत्ति ऐसे परिवर्तनों के पीछे काम करती है। (३) अपवादतः कभी-कभी जब किसी एक रूप के मूल का लोप हो जाता है तथा दूसरे समानार्थी मूल के किसी रूप का लोप हो जाता है और भाषा इन दोनों असंबद्ध को संबद्ध मान लेती है तो भी रूप-परिवर्तन दृष्टिगत होती है। wend तथा goed के अंग्रेजी से लुप्त होने पर ही go का भूतकालिक रूप went मान लिया गया जबकि मूलतः इसका भूतकालिक रूप goed था। (४) कभी-कभी जब जनता किसी रूपिम का अर्थ नहीं जानती तथा उस अर्थ में नया रूपिम् जोड़कर प्रयोग करना शुरू कर देती है तो भी रूपपरिवर्तन हो जाता है। 'दर असल' के स्थान पर 'दर असल में' या 'दर हकीकत' के स्थान पर 'दर हकीकत में' ऐसे ही उदाहरण हैं।

रूपप्रक्रिया-परिवर्तन

हिंदी में 'स्वनप्रक्रिया' का प्रयोग किसी भाषा की स्वनिमों तथा उपस्वनों की व्यवस्था के लिए अंग्रेजी 'फ़ोनोलजी' के अर्थ में चलता है। उसी आधार पर यहाँ रूपिमों तथा उपरूपों की व्यवस्था के लिए 'रूप प्रक्रिया' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत से हिंदी के विकास पर दृष्टि डालें तो रूपप्रक्रिया-परिवर्तन का एक रोचक उदाहरण मिलता है। संस्कृत में 'जाना' अर्थ में 'या' और 'गम्' दो धातुएँ थीं। हिंदी के गया, गई, गए रूप संस्कृत 'गम्' के रूप से ही विकसित हैं तथा जाता आदि 'या' के रूप से। अब हिंदी में एक ही धातु 'जा' से ये सभी रूप (गया, जाया, जाओ, आदि) बने माने जाते हैं। इस तरह मूल व्यवस्था बदल गई है। ऐसे ही अंग्रेजी में go का भूतकाल का रूप went माना जाता है, जब कि वास्तविकता यह है कि यह अंग्रेजी की एक पुरानी धातु wend का भूतकाल है। यह wend धातु अब प्रयोग में ही है। ऐसे ही पहले हिंदी उत्तम पुरुष एकवचन के रूप में, मुझ, मेर् (मै, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा आदि) इन तीन पर आधारित थे, अब नई पीढ़ी में मेर् (मेरे को, मेरे से) से ही सभी रूप बनाने लगी है तथा मुझ तथा उसके रूप हिंदी सर्वनाम की रूप व्यवस्था से निकलते जा रहे हैं।

स्पष्ट ही ऐसे परिवर्तनों का कारण कुछ (शब्द या धातु) का लोप है। एक में कल्पित धातु 'ग' जिससे मूलतः 'गया' बना है) का लोप हो गया है तो दूसरे में wend का तथा तीसरे में 'मुझ' का। ऐसे ही 'तुझ' के लोप से तेरे को, तेरे से जैसे रूपिमों का विकास हो गया है।

वाक्यरचना-परिवर्तन

जैसे भाषा में ध्वनि शब्दसमूह तथा रूपरचना आदि में परिवर्तन होता है, उसी तरह उसकी वाक्य-रचना भी परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हिंदी भाषा पालि, प्राकृत, अपभ्रंश-संस्कृत से विकसित हुई है। किंतु, हिंदी वाक्य-रचना से कई बातों में भिन्न है, इस तरह धीरे-धीरे भाषा की वाक्य-रचना परिवर्तित हुई है। जैसे हिंदी में 'और' का प्रयोग दो संज्ञाओं आदि के बीच में (राम और लक्ष्मण) होता है, परन्तु संस्कृत में ऐसा नहीं है। उसमें या तो 'च' दूसरे के अंत में (रामः लक्ष्मणश्च) आता है या दोनों के बीच में भी और अंत में भी (रामश्च)। इस तरह 'और' युक्त वाक्यों की रचना में बदलाव आया है। स्वरूप की दृष्टि से किसी भाषा की वाक्य-रचना में परिवर्तन कई प्रकार

का होता है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्नांकित है:—(१) अन्वय में परिवर्तन—कभी-कभी ऐतिहासिक विकास के साथ-साथ भाषा की अन्वय-व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दी का विकास प्राकृतों के माध्यम से संस्कृत से हुआ है किंतु संस्कृत भाषा की अन्वय-व्यवस्था से हिन्दी की अन्वय-व्यवस्था बहुत भिन्न है। जैसे संस्कृत में सभी विशेषणों और उनके विशेष्यों में व्याकरणिक एकरूपता होती है। (सुन्दरः बालकः, सुंदरी बालिका, सुंदर पुष्प), किंतु हिन्दी में ऐसा नहीं (सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर फूल) होता। ऐसे ही कर्ता और क्रिया में हिन्दी में लिंग की दृष्टि से भी व्याकरणिक एकरूपता होती है (राम जाता है, सीता जाती है) किन्तु संस्कृत में दोनों के लिए एक ही क्रिया और (रामो गच्छति, सीता गच्छति) आती है। हिन्दी में इस सदी के मध्य तक स्त्रियाँ और लड़कियाँ कहती रही हैं 'हम लोग जा रही हैं', अब कहने लगी हैं 'हम लोग जा रहे हैं'। मध्यकाल से हिन्दी में एकवचन, के स्थान पर आदर औपचारिकता के लिए बहुवचन का प्रयोग भी अन्वय-परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। यह परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया और क्रियाविशेषण सभी को प्रभावित करता है —

१. (क) किसान का छोटा बेटा दौड़ता आया।
(ख) मुख्यमंत्री के छोटे बेटे दौड़ते आये।
२. (क) उसे बुलाओ।
(ख) उन्हें बुलाओ।

(२) पदक्रम में परिवर्तन—कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समय के अंतराल से वाक्य में पदों का क्रम बदल जाता है। हिन्दी में कर्ता पहले आता है, कर्म उसके बाद तथा क्रिया अन्त में, किन्तु संस्कृत में ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। इस प्रकार संस्कृत भाषा की पदक्रम-व्यवस्था हिन्दी तक आते-आते बदल गई है। वस्तुतः सामान्यतः संयोगात्मक भाषाओं में पदक्रम में काफी छूट रहती है किन्तु धीरे-धीरे जैसे-जैसे भाषा वियोगात्मक होती जाती है, उसके वाक्यों में पदक्रम निश्चित-सा होता जाता है। अंग्रेजी में भी यही स्थिति है यद्यपि जर्मनिक जिससे अंग्रेजी का विकास हुआ है, बहुत निश्चित पदक्रम वाली भाषा नहीं थी।

(३) पुरुष में परिवर्तन—वाक्य-रचना में कभी-कभी पुरुष की दृष्टि से भी परिवर्तन होता देखा गया है। उदाहरण के लिए हिन्दी में प्रयोग चलता रहा है—

राम ने कहा, मैं जाऊँगा। अंग्रेजी के प्रभाव से अब कुछ लोग प्रयोग करने लगे हैं—
राम ने कहा कि वह जाएगा। यह 'मैं' का 'वह' तथा 'जाऊँगा' का 'जाएगा' में पुरुष-परिवर्तन स्पष्ट है।

लोग—सुविधा के लिए धीरे-धीरे प्रायः सभी भाषाओं के वाक्यों से ऐसे घटक लुप्त हो जाते हैं जिनके बिना अर्थ की दृष्टि से वाक्य में अस्पष्टता आने का भय नहीं रहता। नीचे 'क' पुरानी हिन्दी के वाक्य हैं तथा 'ख' आधुनिक हिन्दी के—

१. (क) राम नहीं जाता है।
(ख) राम नहीं जाता।
२. (क) राम नहीं जा रहा है।
(ख) राम नहीं जा रहा।
३. (क) आँखों से देखी घटना।
(ख) आँखों देखी घटना।
४. (क) कानों से सुनी बात।
(ख) कानों सुनी बात।

कहना न होगा कि मोटे टाइप के 'है' तथा से अब लुप्त हो गये हैं।

आगम—कभी-कभी वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का आगम हो जाता है जो पहले न अपेक्षित थे न प्रयुक्त होते थे। उदाहरण के लिए पहले प्रयोग चलता था—राम ने कहा—मैं जाऊँगा।

फ़ारसी में ऐसी रचना में 'कि' का प्रयोग होता है, उसके प्रभाव से अब कहते हैं—राम ने कहा कि मैं जाऊँगा, राम ने कहा कि वह जाएगा।

यहाँ 'कि' का आगम हो गया है।

ऐसे ही आइए, आइएगा जैसे रूपों में आदर सूचकता है, किंतु अब अंग्रेजी Please के प्रभाव से 'कृपया', 'कृपा करके', 'मेहरबानी करके' जैसे पद या पदबंध जोड़े जाने लगे हैं—'कृपया आइए', 'मेहरबानी करके आइएगा'।

कारण

वाक्य-रचना में परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नांकित तीन हैं—(१) ध्वनि-परिवर्तन—ध्वनि-परिवर्तन के कारण रूपों से संबंध तत्वों का प्रायः लोप होता रहता है; जिसके कारण रूपों में अस्पष्टता आ जाती है तथा उसे बचाने के लिए भाषा-भाषी तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं जिसके कारण रूप-रचना तथा वाक्य-रचना दोनों में परिवर्तन होता है। हिंदी या अंग्रेजी आदि वियोगात्मक भाषाओं में वाक्य में पदों के क्रम की निश्चितता इसी का परिणाम है।

(२) अन्य भाषाओं का प्रभाव—इसके कारण भी किसी भाषा की वाक्य-रचना में परिवर्तन आता है। पीछे हम देख चुके हैं कि हिंदी पर मध्यकाल में फ़ारसी तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है तथा "कि" और अप्रत्यक्ष कथन के प्रयोग की दृष्टि से हिंदी की वाक्य-रचना प्रभावित हुई है।

(३) उच्चारण-सुविधा—उच्चारण की सुविधा परिवर्तन की जननी तो होती ही है, यह वाक्य-रचना में भी परिवर्तन की जननी होती है। वस्तुतः कम-से-कम प्रयास से बोलना हमारे लिए स्वाभाविक ही है। यदि इसके कारण एक ओर 'चिन्ह' का उच्चारण 'चिह्न' हो गया तो दूसरी ओर 'संयुक्त विधायक दल' में 'संविद' या 'आंतरिक सुरक्षा कानून' का 'आंसुका' भी इसी कारण हुआ है। शब्द जितना छोटा होता है, उसके उच्चारण में उतनी ही सुविधा होती है। लिखने में 'कृपया पृष्ठ उलटिए' का कृ० पृ० उ० भी इसीलिए लिखा जाता है। इसी प्रकार वाक्य जितना छोटा होता है, उसका उच्चारण उतना ही सुविधाजनक होता है। इसीलिए हम भरसक छोटे-से-छोटा वाक्य प्रयुक्त करना चाहते हैं। बातचीत में प्रायः इसी उद्देश्य से छोटे वाक्यों का प्रयोग चला होगा। यदि पुराना रूप रहा होगा—

राम—तुम्हारा क्या नाम है ?

मोहन—मेरा नाम मोहन है। तुम्हारा क्या नाम है ?

राम—मेरा नाम राम है। तुम कहाँ के रहने वाले हो ?

मोहन—मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। और तुम कहाँ के रहने वाले हो ?

राम—मैं उत्तर प्रदेश का हूँ।

तो नया रूप है—

राम—तुम्हारा नाम ?

मोहन—मोहन, और तुम्हारा ?

राम—राम। तुम कहाँ के हो ?

मोहन—हरियाणा का । और तुम ?

राम—उत्तर प्रदेश का ।

कहना न-होगा कि ऊपर के रूप में रेखांकित अंश नए रूप में छोड़ दिए गए हैं । ऊपर स्वरूप के प्रसंग में लोप के अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार के हैं ।

अर्थ-परिवर्तन

अर्थ : भाषा का प्रयोग अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ही होता है । अर्थ ध्वनि, स्वनिम तथा अक्षर से ऊपर की सभी भाषिक इकाइयों (जैसे शब्द, रूप, पदबंध तथा वाक्य) का होता है । अर्थ की परिभाषा देना काफ़ी कठिन है । प्रसिद्ध भाषाशास्त्री ब्लमफील्ड ने अर्थ के बारे में कहा है—We have defined the meaning of a linguistic form as the situation in which the speakers utter it and the response which it calls forth in the hearer. (Language, पृ० १३९) वस्तुतः अर्थ की कामचलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार की जा सकती है—'किसी भी भाषिक इकाई को सुन या पढ़कर उस भाषा के जानकार को जो मानसिक प्रतीति होती है; वही उसका अर्थ है ।'

किसी भी भाषिक इकाई का अर्थ हमेशा एक नहीं रहता । उदाहरण के लिए 'प्रवीण' का मूल अर्थ था 'वीणा बजाने में चतुर' किंतु अब इसका अर्थ मात्र 'चतुर' है, तथा वीणा से इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं रह गया है । ऐसे ही 'आकाशवाणी' का मूल अर्थ 'देववाणी' या 'आकाश से होने वाली वाणी' है, किन्तु अब इसका प्रयोग आल इण्डिया रेडियो के लिए होता है ।

अर्थ-परिवर्तन का स्वरूप—स्वरूप की दृष्टि से अर्थ-परिवर्तन तीन प्रकार का होता है : (१) अर्थ-संकोच—जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में संकुचित हो जाए तो उसे अर्थ-संकोच कहते हैं । उदाहरण के लिए 'मृग' का मूल अर्थ 'पशु' है । इसीलिए 'पशुओं के राजा' को 'मृगराज' तथा 'पशुओं के शिकार' को 'मृगया' कहते हैं । अब 'मृग' का अर्थ संकुचित होकर मात्र 'हिरण' रह गया है, इस तरह इस शब्द के अर्थ में 'संकोचन' हो गया है । ऐसे ही जलज मूलतः जल में जन्मने वाली किसी भी चीज का वाचक रहा होगा, जैसे पंकज पंक में जन्मने वाली हर चीज थी, किन्तु बाद में अर्थ-संकोच हुआ और ये दोनों शब्द केवल 'कमल' के वाचक रह गये । विद्यार्थी मूलतः वे सभी लोग हैं जो 'विद्या' के 'अर्थी' हैं चाहे वे स्कूल में पढ़ते हों या न पढ़ते हों, या सत्तर वर्ष के बूढ़े हों । अब यह शब्द अर्थ-संकोच के कारण छात्र का समानार्थी रह गया है । धान्य और यव मूलतः अन्न पात्र के लिए प्रयुक्त होते थे । 'धान-धान्य' से पूर्ण जैमे प्रयोगों में 'धान्य' का वही अर्थ है । आगे चलकर ये दोनों शब्द अर्थ-संकोच के कारण 'धान' तथा 'जौ' के वाचक हो गये । रदन (मूल अर्थ 'कोई भी जो फाड़े'; बाद में दाँत); मंदिर; (मूलतः कोई भी भवन; बाद में देव-भवन); सब्जी (मूलतः 'हरियाली' अथवा कोई भी हरी चीज; अब तरकारी), संध्या (मूलतः कोई भी संधिकाल; संध्या-गायत्री में वह अर्थ सुरक्षित है, अब केवल शाम); मीट (यह अंग्रेजी शब्द मूलतः 'खाद्य' का द्योतक था, 'मिठाई' को 'स्वीटमीट' इसीलिए कहते हैं; अब यह केवल एक खाद्य 'गोश्त' का वाचक है); भार्या (मूलतः जो भरण-पोषण करने योग्य हो; बाद में केवल स्त्री); वेदना (मूलतः 'सुखद वेदना' तथा 'दुःखद वेदना'; अब केवल दुःखद वेदना); मुर्ग (फारसी में मूलतः पक्षी; शूतुरमुर्ग, शाहमुर्ग में यही अर्थ है, बाद में केवल एक पक्षी); पिल्ला (मूलतः द्रविड़ भाषाओं में 'बच्चा' । तेलुगु में आज किसी भी बच्चे—मनुष्य, जानवर, पक्षी को पिल्ला कहते हैं, जैसे कुक्क पिल्ला—'कुत्ते का पिल्ला'; हिन्दी में पिल्ला—'कुत्ते का बच्चा') आदि अन्य उदाहरण हो सकते हैं । (२) अर्थ-विस्तार—अर्थ-विस्तार अर्थ-संकोच का उलटा है । जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में विस्तृत हो जाय तो उसे अर्थ-विस्तार

कहते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत का एक शब्द है तेल जिसका मूल अर्थ है 'तिल का रस'। अर्थात् संस्कृत में मूलतः 'तिल के तेल' को ही 'तेल' कहते थे। यही इसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ था। हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तेल से विकसित है, किन्तु इसका अर्थ विस्तृत हो गया है। तेल का मूल अर्थ था 'तिल का तेल', किन्तु तेल का प्रयोग अब सभी चीजों के तेल के लिए होता है: तिल, सरसों, अलसी, गरी अथवा गोला, मूँगफली, बिनोला आदि और यही नवों? मछली का तेल, साँप का तेल, मिट्टी का तेल। और तो और, यदि किसी को दोपहर को चिलचिलाती धूप में कहीं किसी काम से भेज दें तो यह लौट कर पसीने से लथपथ शिकायत करेगा—साहब, आपने तो मेरा तेल निकाल लिया। तो हमने देखा कि तेल के अर्थ का विस्तार हो गया है। कहीं तो वह केवल तिल के तेल का अर्थ देता था, और कहीं सभी चीजों के तेल का अर्थ देने लगा। विशेष से सामान्य हो गया। ऐसे ही 'सब्ज' का अर्थ है 'हरा'। पहले पालक, चौलाई, भिंडी जैसी हरी तरकारियों को उनके रंग के आधार पर 'सब्जी' कहते थे। अब 'सब्जी' शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है और सभी रंगों की सब्जियाँ, 'सब्जी' कहलाने लगी हैं: टमाटर (लाल), गाजर (लाल, पीली, काली), प्याज (लाल, सफेद), बैंगन (नीला), सीताफल (पीला), शलजम (सफेद, लाल), मूली (सफेद, लाल)। महाराज (पहले केवल महाराज अब खाना बनाने वाला ब्राह्मण), पंडित (पहले विद्वान; इसीलिए पांडित्य-विद्वता; अब विद्वान् के साथ-साथ ब्राह्मण मात्र), अम्यास (सं० में 'अम्यास' का मूल अर्थ है 'बार-बार बाण फेंकना' हिन्दी में अब केवल बाण फेंकने का नहीं; बल्कि सभी कार्यों का अम्यास किया जाता है, और जा सकता है), गवेपणा (मूल अर्थ 'गो' की 'एषणा' अर्थात् 'गाय' की 'इच्छा' अथवा 'गाय की खोज' है, अब किसी भी प्रकार की खोज 'गवेपणा' है), प्रवीण (मूलतः वीणा बजाने में पटु; अब किसी भी कार्य में पटु), कुशल (मूल अर्थ लाने या उखाड़ने में चतुर—कुशान् लाति, अब किसी भी काम में चतुर अथवा पटु) आदि शब्द भी अर्थ-विस्तार के अच्छे उदाहरण हैं। (३) अर्थादेश—जब किसी शब्द का अर्थ कुछ-से-कुछ हो जाय तो उसे अर्थादेश कहते हैं। जैसे 'आकाशवाणी' का अर्थ 'देववाणी' से 'आल इण्डिया रेडियो' हो गया है। यह अर्थादेश है। ऐसे ही जंघा (मूलतः घुटने के नीचे का भाग, अब घुटने के ऊपर का भाग), दुहिता (मूल अर्थ 'दूध दुहने वाली' बाद में पुत्री—चाहे वह दूध दुहे अथवा नहीं), तटस्थ ('तट पर स्थित', अब किसी का भी पक्ष न लेने वाला), तिलांजलि देना (मूलतः मृत्यु के बाद हाथ में 'तिल और पानी' लेकर मृतक के नाम पर देना, अब 'छोड़ देना') आदि भी अर्थादेश के उदाहरण हैं।

कारण

अर्थ-परिवर्तन के मुख्य कारण हैं: (१) बल का अपसरण—किसी शब्द के अर्थ के किसी एक पक्ष पर यदि बल पड़े तो धीरे-धीरे उस अर्थ की दिशा में ही अर्थ विकसित होता चला जाता है और अर्थ का शेषांग छूट जाता है। उदाहरण के लिए 'गोस्वामी' का मूल अर्थ है 'गायों का स्वामी'। जिसके पास बहुत सी गायें होंगी वह धनी होगा, अतः माननीय होगा तथा गायों के साथ धर्म-भावना भी जुड़ी है, अतः वह धार्मिक भी माना जायगा। आगे चल कर 'गोस्वामी तुलसीदास' जैसे प्रयोगों में 'गोस्वामी' का यही अर्थ—माननीय और धर्मात्मा—हो गया। 'गुप्ता' का घृणा अर्थ भी इसी प्रकार विकसित हुआ है। इसका सम्बन्ध मूलतः 'गुप्' धातु से है जिसका अर्थ है 'रक्षा करना'। रक्षा करने के लिए कभी-कभी छिपाना भी पड़ सकता है तथा घृणित कार्य को प्रायः अवश्य छिपाया जाता है, इस तरह आगे चलकर यह 'घृणा' हो गया। ऐसे ही 'गुप्त' का मूल अर्थ है 'सुरक्षित'। रक्षित करने के लिए छिपाना भी पड़ता है, अतः 'गुप्त' का अर्थ हो गया 'छिपा'। (२) वातावरण में परिवर्तन—भौगोलिक, सामाजिक या धार्मिक वातावरण में परिवर्तन से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है।

ऋग्वेद की प्राचीन क्रियाओं में 'उष्ट्र' का अर्थ है जंगली भैंसा। बाद में आर्य ऐसे भौगोलिक प्रदेश में आ गये जहाँ वह जानवर नहीं था, रेगिस्तान था, अतः 'ऊँट' थे। आर्यों के पास 'ऊँट' के लिए कोई शब्द नहीं था, अतः वे 'उष्ट्र' का प्रयोग उसी के लिए करने लगे। ऐसे ही 'कान' का मूल अर्थ गल्ला है। जब अंग्रेज अमेरिका गये तो वहाँ का मुख्य गल्ला 'मक्का' था, अतः वहाँ इसका अर्थ संकुचित होकर 'मक्का' हो गया। ऐसे ही स्काटलैंड में 'बाजरा' हो गया। 'यजमान' मूलतः यज्ञ करवाने वाले को कहते थे जो ब्राह्मणों की सहायता से यज्ञ करवाते थे। बाद में यज्ञ समाप्त हो गये तो उस व्यक्ति को यजनान कहने लगे जो ब्राह्मण से कोई भी पूजा-पाठ आदि कराये और उसे पैसे दे। (३) नम्रता—नम्रता के कारण भी शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। लोग अपने आलीशान भवनों का नाम 'कुटी', 'कुटीर' आदि जब रखते हैं तो वहाँ 'कुटी' या 'कुटीर' का अर्थ झोपड़ी न होकर 'निवास' होता है। लोग विनम्रतावश अपने भवन को 'कुटी' या 'कुटीर' या अंग्रेजी में 'कटिज' कहते हैं। 'आपका दौलतखाना कहाँ है?' में दौलतखाना तथा 'मेरा गरीबखाना वहाँ है' जैसे प्रयोगों में 'गरीबखाना' का अर्थ इसी प्रकार बदल गया है। ऐसे ही 'कैसे कष्ट किया?' या 'कैसे कृपा की?' = कैसे आये? या 'कैसे याद किया' या कैसे 'स्मरण किया' = किसलिए बुलाया। (४) आधारसामग्री का उससे बनी वस्तु के लिए प्रयोग—शीशे से दर्पण बनने लगे तो 'शीशा' का अर्थ दर्पण हो गया तथा पहले-पहले गिलास 'ग्लास' (शीशे) के बनाए गये, अतः 'गिलास' का अर्थ वर्तन विशेष हो गया। ऐसे ही पहले कलम पंख से बनते थे जिसे लैटिन में penna कहते थे, अतः 'पेना' का अर्थ कलम हो गया, बाद में यही 'पेना' 'पेन' हो गया। तो 'पेन' का मूल अर्थ है 'पंख' तथा परिवर्तित अर्थ है 'कलम'। (५) सुश्राव्यता—जो बात सुनने में बुरी या अश्लील या अशुभ हो उसके लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं या उसे घुमा-फिराकर कहते हैं, अतः उस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे 'मरना' कहना अच्छा नहीं लगता, अतः 'स्वर्गवास होना'। अंग्रेजी में मरने के लिए to give up the ghost भी इसी रूप में प्रयुक्त होने लगा है। बाथरूम का अर्थ पाखानाघर या पेशाबघर भी इसी प्रकार हुआ है। ऐसे ही 'साँप सूँघना', 'पाँव भारी होना', to be in family way आदि के अर्थ कुछ से कुछ हो गये हैं। 'लाश' को 'मिट्टी', 'बन्धा' को 'सुरदास' या 'प्रजापति', 'दुकान बन्द करना' को 'दुकान बढ़ाना' या 'चिराग बुझाना' को 'चिराग बढ़ाना' भी इसीलिए कहते हैं, तथा इसी प्रकार इनके अर्थ कुछ-से-कुछ हो गए हैं। (६) संक्षेपण—प्रायः गुविधा के लिए दो शब्दों में एक को निकाल कर संक्षेप कर लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दोनों शब्दों का अर्थ हो जाता है। जैसे 'रेलवे स्टेशन' के लिए 'स्टेशन', 'नेकटाई' के लिए 'टाई', 'प्रिसिपल टीचर' के लिए 'प्रिसिपल' तथा 'बाइसाइकिल' का साइकिल आदि। (७) पुनरावृत्ति—इससे भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए 'फूलों का गुलदस्ता' में 'फूल' और 'गुल' में एक ही अर्थ की आवृत्ति है, इसीलिए 'गुलदस्ता' का अर्थ इस प्रयोग में 'फूलों का दस्ता' न होकर मात्र 'दस्ता' या समूह है। यों मूलतः इसका सम्बन्ध हाथवाची 'दस्त' से है, अर्थात् जिसे हाथ में पकड़ सकें। 'सज्जन व्यक्ति', 'मलयगिरि' (मूलतः 'मलय' का अर्थ पहाड़ है), 'विध्याचल पर्वत' भी ऐसे ही प्रयोग हैं। (८) एक वस्तु के नाम का वर्ग के लिए प्रयोग—इसमें भी अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए 'सब्जी' का मूल अर्थ है 'जो हरा हो'। प्रारम्भ में इसका प्रयोग 'पालक' आदि हरी सब्जियों के लिए होता था। बाद में 'सब्जी' भूरी (आलू), सफेद (मूली, सफेद बैंगन), बैंगनी (बैंगन), पीली (काशीफल), तथा लाल (रतालू) आदि सभी को कहने लगे, इस तरह 'सब्जी' शब्द एक पूरे वर्ग का अर्थ देने लगा तथा उमका 'हरियाली' अर्थ लुप्तप्राय हो गया। 'स्याही' भी ऐसा ही शब्द है। मूलतः यह शब्द 'स्याह' (काला) से बना है। पहले स्याही काली स्याही होती थी, अतः 'स्याही' कहते थे। अब तो हरी, लाल, नीली

आदि कई रंगों की स्याहियाँ होती हैं। (९) लाक्षणिक प्रयोग—लाक्षणिक प्रयोग से शब्द के मूल से अतिरिक्त अर्थों का विकास हो जाता है। जैसे 'मोहन गधा है' में 'गधा' का अर्थ 'मूर्ख' ऐसा ही है। 'गीदड़' का 'कायर', 'शेर' का 'वीर' तथा 'सूअर' का 'गदा' जैसे अर्थ भी इसी श्रेणी के हैं। काव्यशास्त्रीय दृष्टि से ऐसे प्रयोग लक्षणलक्षणा (अहत्स्वार्थी) माने जा सकते हैं। (१०) विचलित प्रयोग—शैली विज्ञान में सामान्य से हटकर प्रयोग 'विचलन' कहलाते हैं। इनसे भी प्रायः शब्द के अर्थ में विस्तार हो जाता है। उदाहरण के लिए छोटा दिल, छोटी बात, छोटा आदमी, बड़ा दिल, बड़ी बात, बड़ा आदमी, मोटी-मोटी बात, मोटी अक्ल, पतली हालत, सीधा आदमी, सीधी बात, टेढ़ी खोपड़ी, टेढ़ा आदमी आदि के विशेषण ऐसे ही हैं। यह उल्लेख्य है कि ऐसे प्रयोग परम्परागत लक्षणा के किसी भेद में नहीं आते।

प्रवृत्तियाँ

भाषा-परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ यों तो प्रत्येक भाषा में अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए मध्यकाल में फारसी से काफी शब्द हिन्दी में आये तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी से भी आये और इन सबका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के स्वनिमों में छः की वृद्धि है यद्यपि किसी में भी यह छः नये स्वनिम नहीं बढ़े हैं। यों प्रत्येक भाषा के इस तरह के परिवर्तन की विशिष्ट प्रवृत्तियों के बावजूद कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी होती हैं, जिन्हें भाषा-परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्तियाँ कहा जा सकता है। यहाँ उनमें कुछ प्रमुख को लिया जा रहा है :—

१. सरलीकरण—प्रायः भाषा परिवर्तन के प्रवाह में पड़कर कई दृष्टियों से सरल होती जाती है। उदाहरण के लिए उच्चारण की दृष्टि से 'चन्द्र' का चान्द, कम्पन का कांपना, दुग्ध का दूध, कनो (know) का नो (उच्चारण में), प्साइकालजी (psychology) का साइकालजी (उच्चारण) इसी कहानी को दुहरा रहे हैं। इन सभी में परिवर्तन के कारण संयुक्त व्यंजन के स्थान पर मूल व्यंजन शेष रह गये हैं जिनसे उच्चारण में आसानी हो गई। ऐसे ही कभी-कभी विपर्यय से भी उच्चारण सरल हो जाता है : चिन्ह का चिह्न, ब्राह्मण का 'ब्राम्हण'। बड़े शब्द का छोटा रह जाना (नेकटाई-टाई, बाइसाइकिल-साइकिल) या बड़े वाक्य की तुलना में छोटे के प्रयोग (राम नहीं जाता है—राम नहीं जाता) में भी सरलता की ही प्रवृत्ति दीखती है।

२. वियोगात्मकता—संयोगात्मक भाषाएँ धीरे-धीरे परिवर्तन के कारण वियोगात्मक होती जाती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत 'रामस्य' के स्थान पर हिन्दी 'राम का', 'पर्वते' के स्थान पर 'पर्वत पर', या 'रामः गच्छति' के स्थान पर 'राम जाता है', के प्रयोग में यही प्रवृत्ति दीखती है।

पुरानी अनेक भाषाओं जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में द्विवचन भी थे, किन्तु उनके स्थान पर उन्हीं से विकसित हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में द्विवचन के संयोगात्मक रूप संस्कृत 'बालकौ' के स्थान पर हिन्दी में दो 'बालक' या 'घोटकौ' के स्थान पर 'दो घोड़े'। इस तरह वियोगात्मकता भी उल्लेख्य प्रवृत्ति है।

३. पृथकीकरण—परिवर्तन से भाषा के पृथक्-पृथक् रूप विकसित होते जाते हैं। उदाहरण के लिए परिवर्तन से ही संस्कृत में धीरे-धीरे पाँच-छः प्राकृतें विकसित हुईं तथा उनसे फिर धीरे-धीरे सात-आठ आधुनिक आर्य भाषाएँ : हिन्दी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती,

मराठी, उड़िया, बंगला, असमी। इस तरह किसी भी भाषा में परिवर्तन होते-होते उसकी कई बोलियाँ विकसित हो जाती हैं तथा फिर धीरे-धीरे बोलियाँ अलग-अलग भाषाएँ बन जाती हैं। इस रूप में विश्व में भाषाओं के परिवार वस्तुतः परिवर्तन के ही परिणाम हैं। आज मूलतः लगभग तेरह-चौदह मूल भाषाओं से विश्व में कुल लगभग तीन हजार भाषाएँ भाषा परिवर्तन के कारण ही विकसित हुई हैं।

४. विशदीकरण—प्रायः शब्द-समूह के क्षेत्र में परिवर्तन से एक तरफ तो पुराने शब्द लुप्त होते हैं, दूसरी ओर नये शब्द आते हैं। इनमें लुप्त होने वाले शब्द तो थोड़े होते हैं तथा आने वाले शब्द ज्यादा। हिन्दी का शब्द-भंडार १९३०-४० के आस-पास साठ-सत्तर हजार था। अब यदि सभी विषयों को मिला कर देखें तो हिन्दी दो लाख से ऊपर शब्दों का प्रयोग कर रही है। इस तरह भाषा के शब्द-भंडार में विशदता आती जाती है। वस्तुतः चूंकि प्रायः सभी भाषा-भाषियों की अभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ धीरे-धीरे बढ़ती हैं अतः उनके अनुरूप भाषा में नये शब्दों के आगमन, तथा नई-नई प्रयुक्तियों के विकास से विशदता आती जाती है।

भाषा के विकास में व्याघात और उसके कारण

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ बहुत कम समय में आश्चर्यजनक विकास कर लेती हैं और दूसरी ओर ऐसी भी भाषाएँ मिलती हैं जो अधिक समय में भी बहुत कम विकास कर पाती हैं। ऐसे ही कुछ बोलियाँ उन्नति कर भाषा हो जाती हैं और उनमें उत्तम साहित्य की रचना होने लगती है, किंतु दूसरी ओर कुछ ज्यों की त्यों बोली ही बनी रहती है। उपर्युक्त दोनों कथनों में से पहले पर तो आगामी प्रकरण 'भाषा के विभिन्न रूप' में विचार किया जायगा, किंतु दूसरे पर यहीं विचार करना उचित होगा।

भाषा के विकास पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। बहुधा उन कारणों के उलटे-कारण जब उपस्थित होते हैं तो भाषा के विकास में व्याघात उपस्थित होता है।

प्रधान कारण निम्नांकित हैं—

(१) भौगोलिक परिस्थिति—यदि कोई देश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस प्रकार घिरा हुआ हो कि सरलता से लोग वहाँ न पहुँच सकें तो वहाँ की भाषा में विकास बहुत धीमा होता है। इसका कारण यह होता है कि बाहरी लोगों से सम्पर्क नहीं हो पाता, अतः बाह्य प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। भारोपीय परिवार की 'आइसलैण्डिक' भाषा इसी कारण अन्यो की अपेक्षा बहुत ही कम विकसित हुई है।

(२) खाद्यान्न की कमी—देश में यदि खाद्यान्न-भाव है तो स्वभावतः लोगों का अधिक समय भोजन के पीछे चला जाता है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओं पर विचार करने का उन्हें समय नहीं रहता और न कला और साहित्य की ही उन्नति होती है। ऐसी अवस्था में भी भाषा का विकास नहीं होता, या बहुत कम होता है। रेगिस्तानी और जंगली भाषाएँ इसी कारण प्रायः कम या बहुत धीरे-धीरे विकसित होती हैं।

(३) अभिव्यक्ति के लिए यथासाध्य प्रचलित भाषा से न हटना—अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ही लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः यह आवश्यक होता है कि यथा-साध्य प्रचलित भाषा से तनिक भी न हटें। हटने पर अस्पष्टता आने का भय रहता है। यह भावना सभी भाषाओं के विकास में बाधक सिद्ध होती है।

(४) समाज के हँसने का भय—समाज में भाषा का प्रयोग होता है। यदि लोग अशुद्ध बोलें तो समाज उन पर हँसता है। छोटे बच्चे जब 'रूपया' का 'लुपया' या 'नुपया' या 'घड़ी' को 'धली' कहते हैं, और सुनने वाले हँस देते हैं, तो वे शीघ्रातिशीघ्र 'रूपया' या 'घड़ी' कहने

का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। इस प्रकार समाज के हँसने के भय से भी लोग यथासाध्य भाषा के प्रचलित रूप पर ही चलने का प्रयास करते हैं और इससे भी भाषा का विकास रुकता है।

(५) व्याकरण—व्याकरण की शिक्षा भी लोगों को आदर्श प्रयोग पर चलने को प्रेरित करती है। जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता, वे अशुद्धियाँ अधिक करते हैं। इसी कारण भाषा में विकास लाने का श्रेय ग्रामीणों और अशिक्षितों को नागरिकों एवं शिक्षितों की अपेक्षा अधिक है। सत्य तो यह है कि भाषा का मूल विकास उन्हीं लोगों में होता है। इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरण की शिक्षा भी भाषा के विकास में बाधक या व्याघात सिद्ध होती है।

(६) शिक्षा, समाचार पत्र तथा रेडियो आदि—आजकल इन सबके कारण भाषा के परिनिष्ठित रूप का प्रचार अधिक है, अतः स्वभावतः लोग उस रूप के प्रभाव से या तो गलतियाँ (जिनसे भाषा का विकास होता है) नहीं करते हैं, या करके भी उन्हें मुधार लेते हैं, और इस प्रकार विकास नहीं हो पाता।

भाषा के विविध रूप

ऊपर भाषा की परिभाषा पर विचार किया जा चुका है। वह सामान्य भाषा थी। मुख्यतः इतिहास, भूगोल (क्षेत्र), प्रयोग, निर्माण, मानकता और मिश्रण इन छः आधारों पर भाषा के बहुत रूप होते हैं। (क) उदाहरण के लिए इतिहास के आधार पर मूलभाषा (जिससे अन्य बहुत सी निकली हैं तथा जिसके किसी अन्य भाषा से निकलने का पता न हो, जैसे भारोपीय), प्राचीन भाषा (जैसे संस्कृत, ग्रीक आदि), मध्यकालीन भाषा (जैसे पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि), तथा आधुनिक भाषा (हिंदी मराठी, अंग्रेजी आदि) का उल्लेख किया जाता है। (ख) भूगोल या क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप व्यक्ति बोली (idiolect) का होता है, जो एक व्यक्ति द्वारा बोली जाती है। एक क्षेत्र के बहुत-से लोगों की भाषा स्थानीय बोली (local dialect) होती है। यह क्षेत्र की दृष्टि से व्यक्ति बोली से बड़ी होती है। बहुत सी व्यक्ति-बोलियाँ मिलकर एक स्थानीय बोली बनाती हैं। एकाधिक स्थानीय बोलियाँ मिलकर एक उपबोली (sub-dialect) बनाती हैं, तो एकाधिक उपबोलियाँ मिलकर एक बोली (Dialect), एकाधिक बोलियाँ मिलकर एक उपभाषा (sub-language), या बोली-वर्ग तथा एकाधिक उपभाषाएँ मिलकर एक भाषा। दूसरे शब्दों में एक भाषा के अंतर्गत एकाधिक उपभाषाएँ हो सकती हैं जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि पाँच उपभाषाएँ या बोली वर्ग हैं), एक उपभाषा में एकाधिक बोलियाँ (जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ), एक बोली में एकाधिक उपबोलियाँ (जैसे अवधी में पश्चिमी जौनपुर की 'हनौधी' तथा रायबरेली बछरावाँ आदि में प्रयुक्त बैसवाड़ी आदि), तथा एक उपबोली में कई स्थानीय बोलियाँ (जैसे 'कुमायूनी' बोली की 'रो-चौभैसी' उपबोली के 'रामगढ़िया' तथा 'छखानिया' आदि स्थानीय रूप)। (ग) प्रयोग के आधार पर बोलचाल की भाषा, 'साहित्यिक भाषा', 'जातीय भाषा', 'व्यावसायिक भाषा', 'दफ्तरी भाषा', 'राजभाषा', 'राष्ट्रभाषा', 'गुप्त भाषा', 'जीवित भाषा', 'मृत भाषा' आदि रूप होते हैं। सहायक, संपूरक, परिपूरक, संपर्क तथा समतुल्य भाषा नाम के भाषा-रूप भी प्रयोग पर ही आधारित हैं। (घ) निर्माण के आधार पर सहज भाषा (सामान्य बोलचाल की जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएँ) तथा कृत्रिम भाषा (जिसे एक या कुछ लोगों ने मिलकर कृत्रिम रूप से बनाया हो। जैसे 'एस्पेरंतो' तथा 'इडो' आदि। इनके लिए देखिए 'परिशिष्ट') दो भेद होते हैं। कृत्रिम भाषा के दो उपभेद सामान्य (जैसे एस्पेरंतो) और गुप्त (जैसे सेना, दलालों, डाकुओं आदि की भाषा) हैं। (ङ) मानकता या शुद्धता के आधार पर या मानक या


परिनिष्ठित भाषा (जो बहुत शुद्ध और व्याकरण सम्मत हो, अमानक भाषा (जिसमें शुद्ध प्रयोग न हों। जैसे 'मैंने जाना है, मेरे को कान ही पूर जाऊँगा, जाऊँ तो गा लेकिन आज नहीं आदि)। अमानकता ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ सभी की हो सकती है), तथा अपभाषा (slang); यह प्रायः अशिक्षित या अर्धशिक्षित वर्ग के लोगों में चलती है, इसमें अमानक तत्वों के साथ-साथ स्थानीय, बोलचाल के ठेठ और अश्लील शब्दों का भी घडल्ले से प्रयोग होता है) आदि भेद होते हैं (च) मिश्रण के आधार पर पिजिन तथा क्रियोल दो भेद होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य भाषा-रूपों को नीचे अलग से लिया जा रहा है।

(१) मूल भाषा—भाषा का यह भेद इतिहास पर आधारित है। भाषा की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में उन स्थानों में हुई होगी जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते रहे होंगे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की भाषा, जो आरम्भ में उत्पन्न हुई होगी, तथा आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि कारणों से अनेक भाषाएँ, बोलियाँ तथा उपबोलियाँ आदि बनी होंगी, मूल भाषा कही जायेगी। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यही मान्यता है। संसार में उतने ही भाषा-परिवार माने जायेंगे, जितनी कि मूल भाषाएँ मानी जायेंगी। उदाहरण के लिए, हम अपने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही लें तो इसकी मूल भाषा भारोपीय (Indo-European) भाषा थी, जिसका प्रादुर्भाव एकसाँथ रहने वाले कुछ लोगों में हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों ने भाषा के विकास एवं शाखाओं में बाँटने का कार्य वहीं से आरम्भ कर दिया था। मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात् जब वहाँ की जनसंख्या अधिक हो गई और भोजन आदि की कमी पड़ने लगी तो कुछ लोग तो संभवतः वहीं रह गये और कुछ लोग कई शाखाओं में बँटकर अलग-अलग दिशाओं में चल पड़े। चलने के समय उन भिन्न-भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय अन्तरो को छोड़कर प्रायः लगभग एक-सी रही होगी। थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओं ने अपने-अपने अड्डे बनाये होंगे। उन नवीन अड्डों पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा और तदनुसार उनकी भाषा में भी विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या दस-बीस पीढ़ी के उपरान्त अलग-अलग बसने वाली उन शाखाओं की भाषा में आपस में काफ़ी भिन्नता आ गई होगी। कुछ दिनों के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि के बढ़ने से अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और प्रत्येक शाखा में कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर चलकर नवीन स्थानों पर बसी होंगी। फिर वहाँ उनका विकास हुआ होगा और तदनुकूल उनकी भाषाएँ भी अलग रूपों में विकसित या परिवर्तित हुई होंगी।^१ इसे वंश-वृक्ष में यों रखा जा सकता है—

१. एक मतानुसार यह मूल भाषा भारोपीय न होकर भारत-हिती (Indo-Hittite) थी जिसकी दो शाखाएँ थीं—भारोपीय और हिती। (देखिए पारिवारिक वर्गीकरण में 'भारत-हिती' परिवार)

२. इस भाषा-चित्र में हम देखते हैं कि 'क' से ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था की भाषाएँ और बोलियाँ निकली हैं। ये ठीक उसी प्रकार हैं, जैसे एक आदमी से दो-तीन पुत्र में बहुत-से आदमी हो जाते हैं। वे सभी आदमी उस आदि पुरुष के, जिस प्रकार परिवार कहे जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषा और बोलियाँ भी, उसी प्रकार उस मूल या आदि भाषा (उपर्युक्त चित्र में 'क') के परिवार की कही जाती हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ब्रज, अवधी या मगही आदि सही अर्थ में भारोपीय या भारत-हिती परिवार की कही जाती हैं।

प्रथम अवस्था क (मूल स्थान और उसकी भाषा)



(२) **व्यक्ति-बोली (Idiolect)**—एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति-बोली कहते हैं। एक दृष्टि से भाषा का यह संकीर्णतम या लघुतम रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में जाकर यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। 'राम' या 'मोहन' दो बजकर एक मिनट या एक सेकेंड पर वही 'राम' या 'मोहन' नहीं रहते, जो ठीक दो बजे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी 'व्यक्ति-बोली' भी सर्वदा एक नहीं रहती, अर्थात् दो बजे राम की जो व्यक्ति-बोली होगी, दो बजकर एक या दो मिनट पर उससे भिन्न कोई दूसरी व्यक्ति-बोली होगी, चाहे यह अन्तर कितना ही कम और सूक्ष्म क्यों न हो। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय की भाषा ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति-बोली है। किन्तु, साथ ही किसी व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक की बोली को भी 'व्यक्ति-बोली' कहा जा सकता है, और कहा जाता है। पर सच्चे अर्थों में, व्यक्ति-बोली, इस दूसरे अर्थ में पहले अर्थ का पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक भाषा का एक रूप नहीं हो सकता। आदि से अन्त तक उसमें कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है।

(३) **उपबोली या स्थानीय-बोली (Sub-Dialect or Local Dialect)**—भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यह बहुत-सी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक रूप है। हम कह सकते हैं कि 'किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक रूप, जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अन्तर न हो, स्थानीय बोली या उप-बोली कहलाता है।' एक बोली के अन्तर्गत कई-उपबोलियाँ होती हैं। किसी बोली के वर्णन में जब हम उसके दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यवर्ती आदि उपरूपों की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली या स्थानीय बोली से ही होता है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि बोलियों में इस प्रकार की कई उपबोलियाँ हैं।

हिन्दी में कुछ लोगों ने भाषा के इस रूप के लिए 'बोली' नाम का प्रयोग किया है, किन्तु 'बोली' का प्रयोग अंग्रेजी डाइलेक्ट (dialect) के लिए प्रायः चल पडा है, अतः इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित है। भाषा के इस रूप के लिए अंग्रेजी में 'सब-डाइलेक्ट' (sub-dialect) शब्द चलता है, उस आधार पर 'उपबोली' शब्द ठीक है। अंग्रेजी में इसके बहुत निकट के अर्थ में एक फ्रांसीसी शब्द 'पैटवा' (patois) भी चलता है। 'पैटवा' डाइ-

१. इसी अर्थ में ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि को भाषाविज्ञानविद् तथा सामान्य लोग हिन्दी की बोलियाँ कहते हैं।

२. 'पैटवा' शब्द फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी में १७वीं सदी पूर्वार्द्ध में आया। इसका मूल अर्थ 'सम्पत्तापूर्ण ढंग' था। आज भी इसके अर्थ से असम्पत्ता की बू पूर्णतः नहीं जा सकी है।

लेक्ट या बोली का एक उपरूप तो है, किन्तु उसकी कुछ और विशेषताएँ भी हैं, और इसी कारण उसे ठीक अर्थों में 'उपबोली' या 'सब-डाइलेक्ट' का समानार्थी नहीं माना जा सकता, जैसा कि डॉ० श्यामसुन्दरदास आदि हिन्दी के कुछ भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने माना है। यूरोप और अमेरिका के भाषाविज्ञानविदों ने 'पैटवा' का जिस अर्थ में प्रयोग किया है, उसमें प्रायः ४ बातें सम्मिलित हैं—(१) यह बोली से अपेक्षाकृत छोटा, स्थानीय रूप है। (२) यह असाहित्यिक होती है। (३) यह असाधु होती है। (४) यह अपेक्षतया निम्न सामाजिक स्तर के अशिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। कहना न होगा कि इनमें केवल पहली बात ही उपबोली में होती है। और बातें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, राजस्थानी के अन्तर्गत ऐसी उपबोलियाँ हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ हुई हैं। ऐसी स्थिति में वे उपबोली तो हैं, किन्तु 'पैटवा' नहीं। अतएव 'उपबोली' को 'पैटवा' नहीं कहा जा सकता।

बोली और भाषा—जैसे बहुत-सी व्यक्ति-बोलियों—जो आपस में प्रायः पर्याप्त साम्य रखती हों—का सामूहिक रूप उपबोली है, उसी प्रकार बहुत-सी मिलती-जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली है, और मिलती-जुलती बोलियों का सामूहिक रूप भाषा है। दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि एक भाषाक्षेत्र में कई बोलियाँ होती हैं (जैसे हिन्दी-क्षेत्र में खड़ीबोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियाँ हैं) और एक बोली में कई उपबोलियाँ (जैसे बुन्देली बोली के अन्तर्गत लोधान्ती, राठीरी तथा पँजारी आदि उपबोलियाँ)।

'बोली' शब्द यहाँ अँग्रेज़ी डाइलेक्ट (dialect) का प्रतिशब्द है। कुछ हिन्दी के भाषाविज्ञानविद् बोली के लिए 'दिभाषा', 'उपभाषा' या 'प्रान्तीय भाषा' का भी प्रयोग करते हैं।

ऊपर जिन चार—व्यक्ति-बोली, उपबोली, बोली और भाषा—के नाम लिये गये हैं, उनमें भाषाविज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व केवल अन्तिम दो—बोली और भाषा—का है।

एक भाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ होती हैं, या बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और भाषा का बड़ा। इस रूप में बोली का स्वरूप स्पष्ट है, किन्तु प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अन्तर^१ करना बड़ा कठिन है, फिर भी काम चलाने के लिए बोली की परिभाषा, बल्कि व्याख्या (भाषा से अलग) कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—

'बोली' किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से, उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।^२

एक भाषा के अन्तर्गत जब कई अलग-अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें 'बोली' कहते हैं। सामान्यतः कोई 'बोली' तभी तक 'बोली' कही जाती है जब तक उसे (१) साहित्य,

१. डॉ० श्यामसुन्दर दास ने बोली का प्रयोग सब-डाइलेक्ट और पैटवा के लिए किया है, पर अन्य प्रायः सभी लोगों ने इसे dialect का पर्याय माना है।

२. भाषा और बोली के अन्तर के लिए देखिये इस अध्याय का अन्तिम भाग।

३. भाषा की तुलना में जैसे यहाँ 'बोली' की परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार 'बोली' की तुलना में 'उपबोली' की परिभाषा भी इन्हीं शब्दों में ('बोली' के स्थान पर 'उपबोली' और 'भाषा' के स्थान पर 'बोली' रखकर) की जा सकती है।

धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण महत्व न प्राप्त हो, या (२) जब तक पड़ोसी बोलियों से उसे भिन्न करने वाली उसकी विशेषताएँ इतनी न विकसित हो जायँ कि पड़ोसी बोलियों के बोलने वाले उसे समझ न सकें। इन दोनों में किसी एक (या दोनों) की प्राप्ति करते ही बोली 'भाषा' बन जाती है। अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी संस्कृत, ग्रीक तथा अरबी आदि विश्व की सभी भाषाएँ अपने आरम्भिक रूप में बोली रही होंगी, और बाद में महत्व प्राप्त होने पर या विकास के कारण पूर्णतः भिन्न हो जाने पर वे भाषा बन गईं। इसी प्रकार आज बोली कहलाने वाली भोजपुरी, अवधी तथा मैथिली आदि उपर्युक्त कारणों से भाषाएँ बन सकती हैं।

बोलियों के बनने का कारण—बोलियों के बनने का कारण प्रमुखतः भौगोलिक है। पूल भाषा के चित्र में प्रथम अवस्था में 'क' एक भाषा थी। उससे 'ख', 'ग' और 'घ' शाखाएँ फूट कर अलग-अलग चली गईं और एक-दूसरे से इतनी दूर जा बसीं कि आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध संभव न था। एक शाखा के लोग दूसरी शाखा के लोगों से मिलकर बात-चीत नहीं कर सकते थे। फल यह हुआ कि तीनों शाखाओं में कुछ विशेषताएँ विकसित हो गईं और इस प्रकार तीनों अलग-अलग बोलियाँ हो गईं। किसी भाषा की एक शाखा का अन्य से सम्बन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोली के बनने का प्रधान कारण है। ऐसा भी होता है कि यदि कोई भाषा बहुत दिन से एक बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है और उस क्षेत्र में एक उपक्षेत्र के लोग दूरी के कारण दूसरे उपक्षेत्र के लोगों से नहीं मिल पाते, तो उन दोनों या अधिक उपक्षेत्रों में भी बोलियाँ विकसित हो जाती हैं। हिन्दी में अवधी, ब्रज आदि इसी प्रकार विकसित हो गई हैं। भूकम्प या जल-प्लावन से भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। एक क्षेत्र के बीच में व्यवधान आ जाता है, अतः लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित हो जाती हैं। बहुधा यह देखा जाता है कि किसी बड़ी नदी के दोनों ओर की बस्तियाँ भाषा की दृष्टि से कुछ अन्तर रखती हैं। यह भी उसी का द्योतक है।^१

कभी-कभी राजनैतिक या आर्थिक कारणों से कुछ लोग अपनी भाषा के क्षेत्र से बहुत दूर जाकर बस जाते हैं और वहाँ भी उनकी नयी बोली विकसित हो जाती है। मध्य यूरोप में जर्मन भाषा का क्षेत्र था। वहाँ से लोग इंग्लैंड में बस गये और अंग्रेजी उसकी एक अलग बोली बन गई। कभी आसपास की भाषाओं या दूर की भाषाओं के प्रभाव के कारण भी एक भाषा में एक क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है और वह बोली का रूप धारण कर लेता है।

बोलियों के महत्व पाने का कारण—जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुछ बोलियाँ किसी प्रकार महत्व की प्राप्ति कर धीरे-धीरे बोली से भाषा बन जाती हैं। बोलियों के महत्व पाकर 'भाषा' की संज्ञा पाने के प्रधान कारण निम्नांकित हैं—

(क) कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य बहनों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, या अपनी अन्य बहनों के मर जाने के कारण अकेली बच जाती हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण समझा जाने लगता है और वे 'भाषा' की संज्ञा से विभूषित हो जाती हैं। 'ब्राहुई' प्रथम कारण से ही भाषा कहलाती है।

(ख) साहित्य की श्रेष्ठता के कारण भी कुछ बोलियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्राचीन काल में मध्यदेशीय बोली साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी, अतः उसका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक था।

१. 'भाषा-भूगोल' का प्रसंग भी देखिये।

(ग) धार्मिक श्रेष्ठता भी बोली का महत्व बढ़ा देती है। राम-सम्बन्धी प्रधान तीर्थ अयोध्या है, तथा कृष्ण-सम्बन्धी मथुरा। फल यह हुआ कि दोनों स्थानों की बोलियों (अवधी और ब्रज) को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व मिला और कई सदियों तक वे साहित्य की भाषा बनी रहीं। 'ब्रज' का तो नाम ही 'ब्रजभाषा' हो गया था। इसी प्रकार 'खड़ीबोली' की महत्व प्रदान करने में आर्य समाज का भी हाथ रहा है।

(घ) बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना भी बोली को महत्वपूर्ण बना देता है। अंग्रेजी जो मूलतः एक बोली है, अंग्रेजी के आधुनिक युग में विश्व भर में अपना व्यापार फैला देने से तथा उनके महत्वपूर्ण होने से आज विश्व की व्यापारिक भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान, और चाहे चीन हो या फ्रांस, सभी लोग अपनी बनाई पुस्तकों पर प्रायः अंग्रेजी में ही 'मेड-इन' (Made in) आदि लिखते हैं। इसी प्रकार विदेश जाने के लिए भी अंग्रेजी जानना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रचार प्रायः सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ समाप्त होती ही दीख रही है।

(ङ) बोली के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति। जहाँ राजनीति का केन्द्र होगा, वहाँ की बोली अवश्य ही महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जायेगी। दिल्ली के समीप की खड़ीबोली आज हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों की प्रमुख भाषा है, और उसने मैथिली, अवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण बोलियों को भी दबाकर भाषा ही नहीं, राज एवं राष्ट्र भाषा के स्थान को अपना लिया है। इसी प्रकार पेरिस की फ्रेंच और लंदन की अंग्रेजी बोलियाँ, अपनी अन्य बहनों से बहुत आगे निकल गई हैं और अपने देश की राष्ट्रभाषा बन बैठी हैं। मराठी की कोंकणी, मारवाड़ी और बरार आदि बोलियाँ ही रह गईं; पर, पूना की बोली आज वहाँ की साहित्यिक भाषा है। चीन की मन्दारिन बोली की भी यही दशा है। इस प्रकार के उदाहरण सभी देशों में मिल सकते हैं।

इन सबके अतिरिक्त शिक्षा का माध्यम बन जाने के कारण, सेना में स्वीकृत होने के कारण, व्यापार में प्रयुक्त होने के कारण, तथा विज्ञान आदि में व्यवहृत होने के कारण भी बोली महत्व प्राप्त कर लेती है।

इस प्रसंग में एक बात की ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि यह आवश्यक नहीं है कि महत्व प्राप्त करके बोली भाषा बन ही जाय। यह भी होता है कि महत्व प्राप्त करके भी बोली, बोली ही रह जाती है, या कभी-कभी थोड़े दिन के लिए महत्व मिलता है और फिर छिन जाता है। 'ब्रज', 'अवधी' के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ है। (भाषा और बोली के अन्तर के लिए देखिए इस अध्याय का अन्तिम अंश।)

(४) मानक या परिनिष्ठित भाषा—सम्यता के विकसित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि एक भाषाक्षेत्र (जिसमें कई बोलियाँ हों) की कोई एक बोली मानक मान ली जाय और पूरे क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो। उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, और वह पूरे क्षेत्र के प्रमुखतः शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा, पत्र-व्यवहार या समाचार-पत्रादि की भाषा हो जाती है। साहित्य आदि में भी प्रायः उसी का प्रयोग होता है।

एक बोली जब मानक भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है तो आसपास की

१. इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे Standard language या Koine कहते हैं। Koine शब्द यूनानी का है। Koine, यूनानी भाषा के विशेष रूप को कहते थे, जो क्षेत्र-विशेष की टकसाली भाषा थी। नये टेस्टामेंट की भाषा यही है।

बोलियों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभी को प्रभावित किया है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि मानक भाषा आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देती है। रोम की लैटिन जब इटली की मानक भाषा बनी तो आसपास की बोलियाँ शीघ्र ही समाप्त हो गईं। पर ऐसा बहुत ही कम होता है।

मानक भाषा के तत्कालीन रूप को लेकर उसका उच्चारण और व्याकरण आदि निश्चित कर दिया जाता है और फल यह होता है कि मानक भाषा स्थिर हो जाती है और कुछ दिन में उसका रूप प्राचीन पड़ जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज की खड़ी-बोली का लिखित रूप जीवित बोली से उच्चारण तथा शब्द-समूह आदि सभी दृष्टियों से कम-से-कम चालीस वर्ष पीछे है। व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन आ गया है।

मानक भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक ही नहीं होता। प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी उम पर कुछ पड़ता है। यह प्रभाव व्याकरण और शब्द-समूह तथा उच्चारण तीनों में ही देखा गया है। भोजपुरी लोग 'दिखाई दे रहा है' के स्थान पर 'लौक रहा है' तथा 'हमने काम किया' के स्थान पर 'हम काम किये' का प्रयोग करते हैं। पंजाबी लोगों ने भी आदर्श हिन्दी पर अपनी पॉलिश कर दी है और खड़ीबोली हिन्दी का 'हमको जाना है' वाक्य उनके बीच 'हमने जाना है' हो गया है।

मानक भाषा के मौखिक और लिखित रूप—मानक भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित और मौखिक भी दो रूप होते हैं। सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपों से प्रायः भिन्न होती हैं। बोलने में सर्वदा ही वाक्य छोटे-छोटे रहते हैं। पर, लिखित रूप के वाक्य अधिकतर बड़े हो जाते हैं। कादम्बरी के वाक्य कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं, पर बोलचाल की संस्कृत कभी भी ऐसी न रही होगी। इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और लिखित रूप कृत्रिम। ये बातें मानक भाषा में भी पायी जाती हैं।

मानक भाषा के लिखित रूप पर मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छाप कम रहती है, क्योंकि लिखने में लोग अपेक्षाकृत अधिक सतर्क रहते हैं।

लिखित रूप मौखिक की अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है।^२

(५) अपभाषा (Slang)—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 'अपभाषा' भाषा का वह रूप है, जिसे परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या अपभ्रष्ट समझा जाता है। यह विशेष तबके के लोगों में प्रयुक्त होती है। भाषा के आदर्श रूप की तुलना में इसमें

१ परिशिष्ट में आधार-सिद्धान्त (सबस्ट्रेटम थ्योरी) शीर्षक के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कुछ और भी बातें मिल सकती हैं। आज साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ीबोली का आगरा, पटना, बनारस, लखनऊ और दिल्ली में रूप एक नहीं है। इन पर क्रम से ब्रज, भोजपुरी, अवधी और पंजाबी आदि का प्रभाव है।

२. खड़ीबोली के सम्बन्ध में एक और विशेष बात है। मौखिक भाषा में, उर्दू और हिन्दी में कोई विशेष अन्तर प्रायः दृष्टिगत नहीं होता, किन्तु लिखित भाषा में यदि जानबूझ कर हिन्दुस्तानी न लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार मानक भाषा में हिन्दी खड़ीबोली के तीन-चार रूप प्रचलित हैं—(१) मौखिक रूप—जो साहित्यिक हिन्दी और उर्दू के बीच में है और जिसमें विभिन्न स्थानों पर कुछ प्रादेशिकता की छाप रहती है। (२) लिखित उर्दू रूप—जिसमें व्याकरण खड़ीबोली का मात्र रहता है, किन्तु शब्द-समूह में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द पर्याप्त होते हैं। तथा (३) लिखित हिन्दी रूप—जिसमें संस्कृत के शब्द अधिक रहते हैं। यों एक चौथा अर्थात् मिश्रित रूप भी है।

अधोलिखित विशेषताएँ मिलती हैं : (क) अपरिनिष्ठित रूपों का प्रयोग, जैसे हिन्दी में कश (किया), मेरे को (मुझे या मुझको), गया (गया), आदि । (ख) अपरिनिष्ठित वाक्य-रचना, जैसे हिन्दी में 'मैंने जाना है' या 'मुझ पर रुपये नहीं है' आदि । (ग) अश्लीलता, जैसे परिनिष्ठित हिन्दी में अश्लील समझे जाने वाले शब्दों का प्रयोग । (घ) परिनिष्ठित भाषा द्वारा अगृहीत मुहावरों आदि का प्रयोग ।

(६) राष्ट्रभाषा (National Language)—आदर्श भाषा तो केवल उसी क्षेत्र में रहती है, जिसकी वह एक बोली होती है, जैसे हिन्दी खड़ीबोली राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि की परिनिष्ठित या आदर्श भाषा है । किन्तु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उत्पन्न होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा-क्षेत्र तथा अन्य भाषा-परिवार-क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है । हिन्दी को धीरे-धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त हो रहा है । वह अपने परिवार के अहिन्दी प्रान्तों (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल आदि) तथा अन्य परिवार के प्रान्तों (मद्रास, आदि) में भी धीरे-धीरे व्यवहार में आती जा रही है । पूरे यूरोप में कुछ दिन तक फ्रेंच को भी यही स्थान प्राप्त था । स्पेन आदि के क्षेत्र में अँग्रेजी आज विश्वभाषा या विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । किसी बोली की चरम सीमा उसका किसी रूप में विश्वभाषा होना ही है ।

(७) विशिष्ट भाषा—व्यवसाय या कार्य आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों की अलग-अलग भाषाएँ हो जाती हैं । ये भाषाएँ आदर्श भाषा के ही विभिन्न रूप होती हैं, जो अधिकतर शब्द-समूह, मुहावरें तथा प्रयोग आदि में एक-दूसरे से भिन्न होती हैं । कभी-कभी उच्चारण-सम्बन्धी अन्तर भी दिखाई देता है । विद्यार्थियों की भाषा या छात्रावास की भाषा, व्यापारियों की भाषा, सोने चाँदी के दलालों की भाषा, कहारों की भाषा,^१ धार्मिक संघों की भाषा, राजशासक भाषा, राजनैतिक संस्थाओं की भाषा तथा साहित्यिक-गोष्ठियों की भाषा इसी अर्थ में विशिष्ट हैं । किसी पर अँग्रेजी का प्रभाव अधिक रहता है तो किसी पर संस्कृत का और किसी पर गाँव की बोलियों का तो किसी पर गूढ़ या पारिभाषिक शब्दों का ।

(८) कृत्रिम भाषा—भाषा के ऊपर दिये गये रूप स्वाभाविक रूप से विकसित होकर बनते हैं, किन्तु इनके विरुद्ध, कृत्रिम भाषा बनायी जाती है । इसके दो रूप किये जा सकते हैं—(क) गुप्त भाषा और (ख) सामान्य भाषा । यहाँ इन दोनों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा सकता है ।

(क) गुप्त भाषा—गुप्त भाषा का प्रयोग प्रायः सेना, गुप्तचर विभाग, चोरों, डाकूओं, क्रांतिकारियों तथा लड़कों आदि में होता है । इसका प्रमुख उद्देश्य अपनी बात को अनपेक्षित लोगों को न मालूम होने देना है । विनोद में भी इसका प्रयोग करते हैं । एक अँग्रेज ने उत्तर प्रदेश के जरायम पेशवालों की गुप्त भाषा का अध्ययन किया था । ये लोग कुछ शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा कुछ सामान्य शब्दों को नये अर्थों में प्रयुक्त कर, अपनी गुप्त भाषा इस प्रकार की बनाते हैं, जिनको दूसरे समझ न सके । इस प्रकार के कुछ उदाहरण बड़े मनोरंजक हैं—

शब्द या प्रयोग

अर्थ

दामोदर

उदर या फटे में दाम या धन है

नारायण

नाले में ले चली या नाले में है

बासदेव

डंडे से मारो, बाँस दो

१. देखिये 'हिन्दी अनुशीलन' में लेखक का 'कहारों की शब्दावली' शीर्षक लेख ।

परसाद दो
अमर करो

जहर दो
मार डालो

भारत के आजाद होने के पूर्व यहाँ के आतंकवादियों एवं क्रान्तिकारियों में भी इस प्रकार की कुछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित थीं। इन पंक्तियों के लेखक को भी इस जीवन का कुछ अनुभव है। मुझे याद है कि एक नेता को एक बार बुलाने के लिए उन्हें तार में केवल 'ऐबसेंट' (absent = अनुपस्थित) लिखा गया था, और वे पूर्वनिर्णय के अनुसार आ गये थे।

लड़कों के गुप्त भाषा की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। मेरी वात्स्यायना में मेरे ही साथियों में ऐसी तीन-चार गुप्त बोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें कम-से-कम तीन तो ऐसी थीं कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटे तक बात कर सकते थे, और अन्य बोलो वाले उसमें कुछ भी नहीं समझ पाते थे। वह है—

राकस्तूरी पंजा बीरे मकस्तूरी भासा = राम
गफस्तूरी पंजा बीरे याकस्तूरी भासा = गया

इनमें इन दोनों स्थानों पर एक-एक अक्षर रखकर, शब्द और वाक्य बनाये जाते थे।

कुछ लोग र और म लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा सुरक्षित नहीं समझी जाती थी। जैसे—

मरमें खरमाना खरमा करमर जरमाऊँ गरमा—मैं खाना खाकर जाऊँगा।

सबसे आसान रास्ता 'फुल' लगा कर था—
फुलभो फुलला फुलना फुलथ—भोलानाथ

इलाहाबाद के समीप के कुछ गाँवों में 'अर्फ' लगाकर गुप्त रूप से बोलने का प्रचार है। जैसे—

'हम जात अही' के लिये—हर्फम जफात अर्फही

या

'तू आज आया' के लिये 'तुफ अफाज अफाया'

शब्दों में अक्षर उलट कर या हर अक्षर के बाद 'स' या अन्य अक्षर रखकर भी गुप्त भाषाओं का निर्माण लोग करते हैं।

कभी-कभी गुप्त भाषाओं की अलग लिपि भी होती है। एक लिपि मेरे देखने में भी आई थी जो बँगला, अँग्रेजी, उर्दू और नागरी के आधार पर थी—

चले आना = ब A L E A न A

गुप्त भाषा प्रतीकात्मक शब्द, नये शब्द, अंक, शब्दों या रूपों के आरम्भ, मध्य या अन्त में ध्वनि-योग तथा विपर्यय आदि की सहायता से प्रायः बनाई जाती है।

(ख) सामान्य भाषा

कृत्रिम भाषा के प्रथम रूप 'गुप्त भाषा' में हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूप से विकसित न होकर बनाई रहती हैं। 'सामान्य कृत्रिम भाषा' और 'गुप्त कृत्रिम भाषा' में अन्तर यह है कि गुप्त भाषा बातचीत के लिए बनती है, अतः प्रचलित भाषा से अधिकाधिक दूर रखी जाती है, ताकि कोई समझ न सके। किन्तु सामान्य भाषा में यह बात नहीं रहती। वह प्रचलित भाषा से मिलती-जुलती है और ऐसी बनाई जाती है कि यथाशीघ्र लोग उसे समझ कर उसका प्रयोग कर सकें।

डॉ० जमेनहाफ़ की बनाई एसपरंतो भाषा ऐसी भाषाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह संसार भर के लिए बनाई गई है। इसका बहुत से देशों में प्रचार है और विशापन-सम्बन्धी, तथा कुछ अन्य विषयों की भी, अनेक पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषा में निकलती हैं। कुछ रेडियो-स्टेशनों से कभी-कभी इस कृत्रिम भाषा में प्रोग्राम भी सुनने में आते हैं। संसार के अनेक शहरों की भाँति दिल्ली में भी इसके पढ़ाने की व्यवस्था है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सारे संसार में इसके पूर्ण प्रचार के लिए प्रयत्नशील है।¹ इस प्रकार की एक दर्जन से ऊपर भाषाएँ बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 'इडो', 'नोवियल', 'इंटरलिगुवा', 'ऑक्सिडेंटल' आदि प्रमुख हैं।

भाषा के कुछ अन्य रूप

ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-बोली, अपभाषा, उपबोली, बोली, भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, विशिष्ट भाषा तथा कृत्रिम भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। भाषा के कुछ अन्य (भाषाविज्ञान में अपेक्षाकृत कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं।

(१) साहित्यिक भाषा—जिसका प्रयोग साहित्य में होता है। बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रायः यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा कुछ परम्परानुगामिनी होती है। इसे काव्य भाषा भी कहते हैं।

(२) जीवित भाषा—जो आज भी प्रयोग में हो, जैसे 'हिन्दी'।

(३) मृत भाषा—जो आज प्रयोग में नहीं, जैसे 'हिट्टाइट'।

(४) राजभाषा—जिसका प्रयोग राज्य के कामों में होता है। संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा (Official Language) है, और वैधानिक दृष्टि से उसे राज्यभाषा ही कहना चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा।

(५) जातिभाषा—जिसका प्रयोग केवल जाति-विशेष में होता है। पीछे विशिष्ट भाषा में कहाँ की भाषा की ओर संकेत किया जा चुका है। भील, मुसहर, बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदि की बोलियाँ जातिभाषाएँ ही हैं। भाषा या बोली से इन जातीय रूपों में ध्वनि, सुर, शब्द-समूह या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएँ होती हैं। यह प्रायः देखा जाता है कि एक ही गाँव में ब्राह्मण की बोली कुछ और होती है, कायस्थ की कुछ और, तथा मुसहर आदि तथाकथित छोटी जातियों की कुछ और।

(६) स्त्री-भाषा—जिसका प्रयोग केवल स्त्रियाँ करें। उर्दू की 'रेखती' इसी श्रेणी में आती है। 'करीब' नाम की एक जंगली जाति में इस प्रकार का भेद और भी स्पष्ट है। वहाँ पुरुष 'करीब' बोली का प्रयोग करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 'अरोवक' नाम की बोली का प्रयोग करती हैं, जो उसी का उससे पर्याप्त भिन्न एक रूप है। कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में 'यन' नामक आदिवासियों में भी स्त्री और पुरुष की भाषा में पर्याप्त भेद है। वैसे सामान्यतः भी गालियों की दृष्टि से दोनों में अन्तर होता है।

(७) पुरुष भाषा—जिसका प्रयोग केवल पुरुष करें। ऊपर स्त्री-भाषा में इसके उदाहरण दिये गये हैं।

(८) बच्चों की भाषा—बच्चों की भाषा भी थोड़ी अलग होती है। हिन्दी में बच्चों की भाषा में मम (पानी), सूसू (पिशाब), छीछी (पाखाना) पुच्ची (प्यार), मिट्टी (चुबन), पाँटी (टट्टी), हप्पा, अप्पा (खाना), निन्नी (नींद) आदि शब्द चलते हैं।

१. विस्तार के लिए देखिये 'कृत्रिम भाषा' शीर्षक परिशिष्ट।

ग्राम्य, शिष्ट, अशिष्ट, साधु, असाधु, विकृत आदि भी भाषा के और बहुत से रूप हो सकते हैं।

(१४) मिश्रित भाषा (Pidgin)—जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो। बन्दरगाहों आदि पर ऐसी भाषा प्रायः सुनाई पड़ती है। चीन के कुछ नगरों में प्रयुक्त 'पिजिन इंगलिश' इसका अच्छा उदाहरण है। कलकतिया हिन्दी, बंबइया हिन्दी भी एक सीमा तक वही है। लेबिदोफ ने अपने 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' में ऐसी ही कलकतिया भाषा को लिया है। भूमध्यसागर के बन्दरगाहों में प्रयुक्त 'सबीर' भाषा (ग्रीक, अरबी, फ्रेंच, स्पैनिश तथा इतालवी आदि के मिश्रण से बनी) या 'मारिशस' की 'क्रियोल' भी इसी श्रेणी की है।

(१०) सहायक (Auxiliary) भाषा—वह भाषा जो सामाजिक संप्रेक्षण के लिए प्रयुक्त में होकर ज्ञानवर्धन के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि क्लासिकी भाषाएँ। इसे 'पुस्तकालीय भाषा' भी कहते हैं।

(११) सपूरक (Supplementary) भाषा—पर्यटकों तथा राजनयिकों आदि के द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा।

(१२) परिपूरक (Complementary) भाषा—मातृ भाषा के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा। जैसे भारत में अंग्रेजी।

(१३) सम्पर्क (Contact) भाषा—जो अन्य लोगों से सम्पर्क के काम आये। हिन्दी धीरे-धीरे भारत की सम्पर्क भाषा बनती जा रही है। एक ही भाषा परिपूरक और सम्पर्क दोनों भी हो सकती है।

(१४) समतुल्य (Equative) भाषा—जब कोई व्यक्ति धीरे-धीरे किसी भाषा का उन सभी सामाजिक संदर्भों में प्रयोग करने लगे, जिसमें वह मातृभाषा का प्रयोग करता रहा है तो उसे समतुल्य भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों से बहुत लोग अमेरिका में जाकर अपनी मातृभाषा को छोड़कर प्रायः मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी ही बोलने लगे हैं, अतः अंग्रेजी उनके लिए समतुल्य भाषा हो गई है।

(१५) पिजिन और (१६) क्रियोल के लिए देखिए 'समाज भाषा विज्ञान' शीर्षक अध्याय।

(१७) प्रयुक्ति—प्रत्येक भाषा की कई प्रयुक्तियाँ (देखिये परिशिष्ट) होती हैं, जो भाषा-विशेष के विभिन्न रूप हैं।

भाषा और बोली में अन्तर

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, भाषा और बोली में शुद्ध भाषाबैज्ञानिक स्तर पर भेद बतलाना कठिन है। इनमें अन्तर तात्त्विक न होकर व्याहारिक है। इसे अनेक विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।^१ यों सामान्यतः कुछ बातें कही जा सकती हैं:

१. "In the course of the survey, it has sometimes been difficult to decide whether a given form of speech is to be looked upon as an independent language or as a dialect of some other definite form of speech. In practice it has been found that it is sometimes impossible to decide the question in a manner which will gain universal acceptance. The two words 'language' and 'dialect' are in this respect like 'mountain' and 'hill'. One has no hesitation in saying that, say Everest is a mountain and Holborn Hill, a hill, but between two the dividing line cannot be accurately drawn."

—प्रियलिन

"To the linguist there is no real difference between dialect and a language..."—सपीर

"There is no intrinsic difference between language and dialect."—पेई।

(क) जैसा कि ऊपर कहा गया है, भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है तथा बोली का छोटा। (ख) एक भाषा की (या के अन्तर्गत) एक या अधिक बोलियाँ हो सकती हैं। इसके विपरीत भाषा बोली के अन्तर्गत नहीं आती, अर्थात्, किसी बोली में एक या अधिक भाषाएँ नहीं हो सकती। (ग) बोली किसी भाषा से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार भाषा बोली में माँ-बेटी का सम्बन्ध है। (घ) बोधगम्यता—बोधगम्यता के आधार पर भी इस सम्बन्ध में कुछ उपादेय बातें कही जा सकती हैं। यदि दो व्यक्ति जिनका बोलना ध्वनि, रूप आदि की दृष्टि से एक नहीं है, किन्तु वे एक-दूसरे की बातें काफ़ी समझ लेते हैं तो उनकी बोलियाँ किसी एक भाषा की बोलियाँ हैं, अर्थात् पारस्परिक बोधगम्यता किसी एक भाषा की कयीटी है। इसके विपरीत, विभिन्न भाषाओं के बीच या तो यह बोधगम्यता विलुप्त नहीं (अंग्रेजी-हिन्दी) होती, या कम (पंजाबी-हिन्दी) होती है। यों यह बोधगम्यता का आधार भी बहुत तात्त्विक नहीं है। उदाहरण के लिए, हरियाणी-भाषी पंजाबी-भाषी को काफ़ी समझ लेता है, किन्तु अवधी-भाषी उस सीमा तक नहीं समझ पाता, यद्यपि हरियाणी एवं अवधी हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं, और पंजाबी एक स्वतन्त्र भाषा है। (ङ) भाषा प्रायः साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कार्यों में भी व्यवहृत होती है, किन्तु बोली लोक-साहित्य और बोलचाल में ही। यद्यपि इसके अपवाद भी कम नहीं मिलते, विशेषतः साहित्य में। उदाहरण के लिए, आधुनिक काल से पूर्व के हिन्दी का सारा साहित्य ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि तथाकथित बोलियों में ही लिखा गया है। (च) भाषा का मानक रूप होता है, किन्तु बोली का नहीं। (छ) भाषा बोली की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती है, अतः औपचारिक परिस्थितियों में प्रायः इसी का प्रयोग होता है। (ज) बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, किन्तु अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का प्रयोग करते हैं।

इस प्रकार भाषा और बोली का अन्तर भाषा वैज्ञानिक न होकर समाजभाषा-वैज्ञानिक है।

३ | संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण

संसार में अनेकानेक भाषाएँ तथा बोलियाँ हैं। लोकोक्ति है :
चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी।

अर्थात्, पानी का स्वाद हर चौथे कोस पर कुछ-न-कुछ बदल जाता है और भाषा आठवें कोस पर कुछ-न-कुछ परिवर्तित हो जाती है। सोचने की बात है कि जब हर आठ कोस पर भाषा में कुछ-न-कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लंबे-चौड़े संसार में कितनी अधिक भाषाएँ और बोलियाँ होंगी। गणना करने वालों ने बतलाया है कि इनकी संख्या २७९६ है।

संसार की इन २७९६ भाषाओं और बोलियों में कुछ अत्यन्त प्रधान भाषाओं और बोलियों के विषय में हम आगे विचार करेंगे। यहाँ पहले उनको वर्गीकृत करने की समस्या पर विचार करना है।

संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें प्रधान निम्नांकित हैं

(१) महाद्वीप के आधार पर—जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ तथा अफ्रीकी भाषाएँ आदि।

(२) देश के आधार पर—जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय भाषाएँ आदि।

(३) धर्म के आधार पर—जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा ईसाई भाषाएँ आदि।

(४) काल के आधार पर—जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ, मध्ययुगीन भाषाएँ तथा आधुनिक भाषाएँ आदि।

(५) भाषाओं की आकृति के आधार पर—जैसे अयोगात्मक तथा योगात्मक भाषाएँ।

(६) परिवार के आधार पर—जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएँ, एकाक्षर परिवार की भाषाएँ, द्रविड परिवार की भाषाएँ आदि।

(७) प्रभाव के आधार पर—जैसे संस्कृत-प्रभावित भाषाएँ, तथा फारसी-प्रभावित भाषाएँ आदि।

वर्गीकरण^१ के उपर्युक्त सात आधारों में भाषाविज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व केवल अंतिम तीन आधारों पर किये गये वर्गीकरणों का ही है।

इन वर्गीकरणों में तीसरा अभी तक अपनी शैशवावस्था में है। जर्मन भाषा में इसे sprachbund नाम दिया गया है। इस प्रकार के अध्ययन से भी भाषा-विषयक बहुत सुन्दर निष्कर्ष प्रकाश में लाये जा सकते हैं। दो ऐसी भाषाओं में जो पारिवारिक या आकृतिमूलक दृष्टि से एक-दूसरे के समीप नहीं हैं, इस दृष्टि से एक-दूसरे के समीप आ जाती हैं, और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी और तमिल में पारिवारिक या आकृतिमूलक दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु संस्कृत के प्रभाव के कारण दोनों में शब्द-समूह तथा ध्वनि आदि की दृष्टि से समानता है। अफ्रीका में भी इस प्रकार के अध्ययन की पर्याप्त गुंजाइश है।

शेष दो वर्गीकरण आकृतिमूलक (आकृति या रचना के आधार पर) और पारिवारिक (परिवार के आधार पर) नाम से अभिहित किये जाते हैं। आगे इन दोनों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

जैसा कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे, किसी वाक्य का अर्थ हम दो चीजों के कारण समझते हैं। एक है 'अर्थतत्त्व' और दूसरा 'सम्बन्धतत्त्व'। 'राम ने रावण को मारा' इस वाक्य में 'राम', 'रावण' तथा 'मारा' ये तीन अर्थतत्त्व हैं और 'ने', 'को' तथा 'मारा' का 'आ' ये तीन 'सम्बन्धतत्त्व' या पद-रचना के तत्त्व हैं। अर्थात्, इन्हीं तीनों के कारण उन 'अर्थतत्त्वों' का आपस में सम्बन्ध स्पष्ट होता है कि राम ने मारा, रावण ने नहीं, और रावण मारा गया, राम नहीं, तथा वर्तमान काल में नहीं मारा गया, बल्कि भूतकाल में। कुछ और उदाहरणों से इन दोनों के भेद और स्पष्ट हो जायेंगे। करना, खोना, रोना, सोना; या उससे, तुमसे, राम से; या आया, गया, खोया, धोया, आदि में अर्थतत्त्व, अर्थात् अर्थ या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं किन्तु प्रथम चार में संबंध-तत्त्व या पद-रचना की समानता है, अर्थात् सभी में 'ना' है। इसी प्रकार दूसरे तीन में भी सब के अन्त में 'से' है तथा तीसरे चार में सब के अन्त में 'आ' है, अतएव इन दूसरे 'तीन' तथा तीसरे 'चार' में भी सम्बन्धतत्त्व या पद-रचना की समानता है। दूसरी ओर खाकर, खाया, खाता, खा, खायेगा, तथा खाएँ में सम्बन्धतत्त्व या पद-रचना की भिन्नता है किन्तु अर्थतत्त्व की समानता है, अर्थात् खाने का भाव सभी में है।

सम्बन्धतत्त्व या पद-रचना का सम्बन्ध व्याकरण या भाषा की 'रूप-रचना' से है, इसीलिए संबंधतत्त्व, पद-रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति-

१. इस प्रसंग में 'लिंग्विस्टिक टाइपोलोजी' (Linguistic Typology)—भाषायी प्रकार) का नाम भी लिया जा सकता है। 'लिंग्विस्टिक टाइपोलोजी' का प्रयोग विद्वानों ने एक से अधिक अर्थों में किया है। कुछ लोग इसे 'आकृतिमूलक वर्गीकरण' का पर्याय-सा मानते हैं। इसी अर्थ में कैरोल आदि विद्वानों ने इसका नाम लेते हुए भाषा के ३ वर्गों (isolating, agglutinative, inflective) का उल्लेख किया है। बिल्कुल आधुनिक काल में अमेरिका में हॉकेट तथा जोसेफ़ आदि कुछ अन्य विद्वानों ने सांख्यिकीय (statistical) दृष्टिकोण से इस पर विचार किया है। अब कुछ लोग इसमें ध्वनियों की तुलना के आधार पर भाषा-वर्गीकरण के पक्ष में हैं। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि लिंग्विस्टिक टाइपोलोजी के phonemic, phonetic, syntactic और morphemic आदि उतने ही भेद किये जाने चाहिए, जितने भाषाविज्ञान के प्रमुख विभाग हैं, और उन सभी के आधार पर भाषा-प्रकार (linguistic type) हो सकते हैं। इनमें आकृति या रूप पर आधारित अध्ययन महत्त्वपूर्ण है, किंतु शेष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

मूलक या रूपात्मक कहलाता है। मूल शब्द से रूप बनाने की प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर जो भाषाएँ समानता रखती हैं, इसके अनुसार एक वर्ग में रक्खी जाती हैं। इसे 'व्याकरणिक वर्गीकरण' या 'रचनात्मक वर्गीकरण' भी कहा जा सकता है। वाक्य इन रूपों के ही आधार पर बनते हैं, अतः इस वर्गीकरण का सम्बन्ध 'वाक्य' से भी है, इसीलिए इसे 'वाक्यात्मक' या 'वाक्यमूलक' वर्गीकरण भी कहते हैं।^१ हिन्दी में इसके लिए रूपाधित, पदात्मक तथा पदाधित आदि कुछ अन्य नामों का भी कभी-कभी प्रयोग होता है।

दूसरे वर्गीकरण—पारिवारिक—में अर्थतत्त्व की समानता पर भी ध्यान देते हैं। 'पारिवारिक वर्गीकरण' को 'वंशात्मक', 'वंशानुक्रमिक', 'कुलात्मक' या 'ऐतिहासिक' वर्गीकरण भी कहते हैं।^२


आकृतिमूलक (typological) वर्गीकरण

इन वर्गीकरण का आधार सम्बन्धतत्त्व है। इसमें दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है—

(१) प्रथमतः, वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार प्रकट किया गया है? उदाहरण के लिए यदि हम "मैंने भोजन किया" वाक्य लें तो 'मैं', 'भोजन' और 'करना' अर्थतत्त्वों का संबंध एक-दूसरे से किस प्रकार प्रकट किया गया है, या वे एक दूसरे से किस प्रकार बाँधे गये हैं।

(२) दूसरे, 'मैंने', 'भोजन' और 'किया' ये तीनों शब्द किस प्रकार धातु प्रत्यय या उपसर्ग लगा कर बनाये गये हैं।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि वाक्यविज्ञान और रूपविज्ञान, या वाक्य-रचना एवं (रूप या) पद-रचना पर ही यह वर्गीकरण आधारित है।



१. अंग्रेज़ी में इसे morphological, typical, typological, या syntactical classification आदि कई नामों से पुकारा जाता है। यों सूक्ष्मता से देखा जाय तो इन सभी में कुछ-न-कुछ अन्तर है।

२. अंग्रेज़ी में इसे geneological या historical classification कहते हैं।

भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण को परम्परा पुरानी है, किन्तु महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में इस दृष्टि से प्रथम नाम श्लेगल का लिया जा सकता है। उन्होंने भाषाओं को दो वर्गों में रक्खा था। आगे चलकर बाँप ने श्लेगल के मत को काट दिया और तीन वर्ग बनाये। ग्रिम और श्लाइखर भी कुछ दूसरे रूप में तीन वर्गों के ही पक्ष में थे। पाँट ने चार वर्ग बनाये। अधिक प्रचलित मत २, ३, ४ वर्गों के ही रहे हैं। यों कुछ लोगों ने इसे और बढ़ाने का भी प्रयास किया है सामान्य दृष्टि से इसके एक दर्जन से अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैं, किन्तु तत्त्वतः अधिक वैज्ञानिक वर्ग केवल दो ही बनते हैं। शेष सारे वर्ग किसी न किसी रूप में इन्हीं दो के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ दो वर्ग वाले मत को ही पहले लिया जा रहा है। शेष मतों पर आगे संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा।

आकृति या रूप की दृष्टि से संसार की भाषाओं को प्रमुखतः दो वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) अयोगात्मक भाषाएँ^१

(ख) योगात्मक भाषाएँ^२

आगे इनके अन्य भी बहुत से वर्ग-उपवर्ग बनाये जा सकते हैं, जिन्हें वृक्षरूप में पिछले पृष्ठ पर दिये गये ढंग से दिखाया जा सकता है।

अब इन पर कुछ विस्तार से विचार किया जा सकता है।

(१) अयोगात्मक भाषाएँ—जैसा कि 'अयोग' शब्द से स्पष्ट है, इस वर्ग की भाषाओं में 'योग' नहीं रहता, अर्थात् शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य शब्द, या वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य रूप नहीं बनाये जाते। उदाहरणार्थ, संस्कृत में 'राम' में 'एण' प्रत्यय जोड़कर 'रामेण' बनाया जाता है, या हिन्दी में 'मुझे दो' वाक्य में प्रयोग करने के लिए 'मैं' में कुछ जोड़-घटाकर 'मुझे' बनाना पड़ता है। पर, अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनमें किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ लगा लिया जाता है। इसीलिए इन भाषाओं को 'स्थान-प्रधान' भी कहते हैं।

हिन्दी में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें शब्दों में विकार नहीं होता और स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है (यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाद-से हैं।)। जैसे 'राधा सीता कहती है' तथा 'सीता राधा कहती है'। इन भाषाओं के वाक्यों में शब्द, स्थान और प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रियाविशेषण आदि हो सकता है। उसमें में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं—

(१)

'ता लेन' = बड़ा आदमी

'लेन ता' = आदमी बड़ा (है)

(२)

'न्यो त नि' = मैं मारता हूँ तुमको।

'नि त न्यो' = तुम मारते हो मुझको।

१. इस वर्ग की भाषाओं-के लिए isolating, positional, inorganic, व्यास-प्रधान निपात-प्रधान, वियोगात्मक, स्थान-प्रधान, अलगन्त, विकीर्ण, एकाक्षर, एकाच्, धातु-प्रधान, निरिन्द्रिय, तिरव्यय, नियोग तथा नियोगी आदि बहुत-से नामों का अँग्रेज़ी और हिन्दी की पुस्तकों में प्रयोग मिलता है।

२. इस वर्ग की भाषाओं के लिए agglutinating, organic, agglomerating, abounding in affixes, प्रकृति-प्रत्यय-प्रधान, उपचयात्मक, संचयात्मक, प्रत्यय-प्रधान, संयोगात्मक, संयोगी, संयोग-प्रधान, व्यक्तयोग, उपचयोन्मुख, संचयोन्मुख तथा साव्यय आदि का भी प्रयोग मिलता है।

यहाँ तक कि विभिन्न काल की क्रियाओं के रूप बनाने में भी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ, हिन्दी के 'चलना' का भूतकाल 'चला' बनेगा, जो देखने में 'चलना' से भिन्न है। पर पुरानी चीनी में—

'त्सेन (Tsen) = चलना' का भूतकाल बनाने के लिए इसके आगे लिओन (Lion) जिसका अर्थ 'समाप्त' है, रख देंगे।

त्सेन लिओन = चला (शाब्दिक अर्थ 'चलना समाप्त')

कहना न होगा कि दोनों में 'त्सेन' का रूप एक है। आगे दूसरा शब्द मात्र आने से काल-परिवर्तन हो गया। मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न कोई जोड़ना-घटाना अपेक्षित हुआ।

इसी प्रकार

त लइ (Ta Lai) = वह आता है।

त लइ लिआव (Ta Lai Liao) = वह आया।

यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द की अलग-अलग सम्बन्ध-तत्त्व तथा अर्थतत्त्व व्यक्त करने की शक्ति होती है, और वाक्य में स्थान के अनुसार ही उनके ये तत्त्व जाने जाते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं कि लिओन (Lion) का अर्थ-तत्त्व है 'समाप्त करना' या 'समाप्त', किन्तु 'त्सेन लिओन' में वह सम्बन्धतत्त्व हो गया है, और भूतकाल का भाव व्यक्त करता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लिआव (Liao) का अर्थतत्त्व है 'पूर्ण' या 'पूर्णता', पर यहाँ वह सम्बन्धतत्त्व हो गया है और भूतकाल का भाव व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दों के सम्बन्धतत्त्व तथा अर्थतत्त्व रूप में दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, एक शब्द 'से' लें। इसका अर्थतत्त्व रूप में अर्थ है 'प्रयोग' पर सम्बन्धतत्त्व रूप में 'से'। इसी प्रकार 'त्ति' के अर्थतत्त्व का अर्थ है 'स्थान', पर सम्बन्धतत्त्व का अर्थ है 'का'।

अन्य प्रकार की भाषाओं की तरह इस वर्ग की भाषाओं में शब्दों के व्याकरणिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते। ऊपर के वाक्यों में 'नो' का अर्थ 'में' और 'मुझको' दोनों है, इसी प्रकार 'नि' का अर्थ 'तुम' भी है और 'तुमको' भी। केवल स्थान से ही इस अन्तर का पता चल सकता है।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व का बोध शब्दों में कुछ जोड़कर - (जैसे हिन्दी में 'मैं' से 'मैंने') या कुछ भीतरी विकार या परिवर्तन लाकर (जैसे 'मैं' से 'मुझे') नहीं कराया जाता, अपितु सम्बन्धतत्त्वबोधक ('लिओन' या 'लिआव' आदि) शब्दों को जोड़कर या मात्र स्थान-विशेष पर मूल शब्दों को रख कर ही कराते हैं।

अयोगात्मक भाषाओं में 'शब्द-क्रम' का महत्त्व तो है, किन्तु इसके साथ यहाँ तान (tone, सुर, स्वर या लहजा) का भी महत्त्व है। उससे भी सम्बन्ध दिखाये जाते हैं। इसी प्रकार निपात (particle) या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दों का भी आधार लिया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।

चीनी के अतिरिक्त अफ्रीका की सूडानी (स्थान-प्रधान), एशिया की मलय (यह एकाक्षर नहीं है), अनामी (स्वर-प्रधान), बर्मी (निपात-प्रधान), स्यामी तथा तिब्बती (निपात-प्रधान) आदि भाषाएँ भी लगभग इसी प्रकार की हैं।

(२) योगात्मक भाषाएँ—अयोगात्मक भाषाओं में अर्थतत्त्व तथा सम्बन्ध-तत्त्व में योग नहीं होता। या तो सम्बन्धतत्त्व की आवश्यकता ही नहीं होती; केवल स्थान-क्रम से

सम्बन्ध का पता चल जाता है, या सम्बन्धतत्त्व रहता भी है तो वह अर्थतत्त्व से मिलता नहीं। इसके परीत योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व और अर्थतत्त्व दोनों में योग हो जाता है, अर्थात् वे मिले-जुले रहते हैं। 'मेरे घर आना' हिन्दी का एक वाक्य लें। इसमें, 'मेरे' में अर्थ-तत्त्व (मैं) तथा सम्बन्धतत्त्व (सम्बन्ध-वाचकता प्रकट करने वाला प्रत्यय जिसके कारण 'मेरे' शब्द बना है और जिसके कारण इसका अर्थ 'मैं का' हुआ है) दोनों मिले-जुले हैं। संस्कृत का एक वाक्य 'रामः हस्तेन घनं ददाति' (राम हाथ से घन देता है) लें। इसमें राम् (अर्थतत्त्व) + अः (सम्बन्धतत्त्व), हस्त (अर्थतत्त्व) + एन (सम्बन्धतत्त्व), घन (अर्थतत्त्व) + अम् (सम्बन्धतत्त्व), तथा दा (=देना, अर्थतत्त्व) + ति (सम्बन्धतत्त्व) मिले हैं, या इन अर्थतत्त्वों और सम्बन्धतत्त्वों में 'योग' है। इस योग के कारण ही ये भाषाएँ योगात्मक कही जाती हैं। संसार की अधिकांश भाषाएँ योगात्मक हैं।

योगात्मक भाषाओं को योग की प्रकृति के आधार पर तीन वर्गों में बाँटा जाता है—

(क्ष) प्रश्लिष्ट-योगात्मक (Incorporating)^१

(त्र) अश्लिष्ट-योगात्मक (Simple agglutinative)

(ज) श्लिष्ट-योगात्मक (Inflecting)^२

स्पष्टता के लिए इन तीनों वर्गों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है—

(क्ष) प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ^३—प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व तथा अर्थ तत्त्व का योग इतना मिला-जुला होता है कि उन्हें अलग-अलग न तो पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अलग ही किया जा सकता है, जैसे संस्कृत 'ऋतु' से 'आर्तव' या 'गिशु' से 'शैशव'। प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं के भी दो भेद किये गये हैं। एक में योग पूर्ण रहता है और दूसरे में आंशिक या अपूर्ण। ये दोनों भेद इस प्रकार हैं—

(क) पूर्ण प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ^४ (Completely Incorporative)—इन भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व और अर्थतत्त्व का योग इतना पूर्ण रहता है कि पूरा वाक्य लगभग एक ही शब्द बन जाता है। इस प्रकार की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका कुछ अंश छूट जाता है और इस प्रकार आधे-आधे शब्दों के संयोग से बना हुआ लम्बा-सा शब्द ही वाक्य हो जाता है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मूल निवासियों की भाषाएँ इसी प्रकार की हैं। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं—

(१) दक्षिणी अमरीका की चैरोकी भाषा में—

नातेन=लाओ

अमोखोल=नाव

निन = हम

१. बहुसंश्लेषात्मक (polysynthetic), अव्यक्त-योगात्मक (holophrastic) 'समास-प्रधान', 'संघाती' 'संघात-प्रधान' भी इसी के नाम हैं।

२. Inflexional, विभक्ति-प्रधान, संस्कार-प्रधान, विकृति-प्रधान भी इसी के नाम हैं।

३, इसे समास-प्रधान या बहुसंहित भी कहा गया है।

४. इन्हें 'पूर्ण समास-प्रधान' भी कहते हैं।

इन शब्दों से वाक्य बनाने में शब्द अपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़ कर इस प्रकार मिलते हैं कि एक बड़ा-सा शब्द बन जाता है—'नाघोलिनिन' (हमारे पास नाव लाओ)

(२) इसी प्रकार ग्रीनलैंड की भाषा में भी—

अउलिसर मछली मारना

पेअर्तोर = किसी काम में लगना

पिन्नेसुअर्पोक् = वह शीघ्रता करना है

इन तीनों से मिलकर एकशब्दीय वाक्य बनता है—

'अउलिसरिअर्तोरसुअर्पोक्' = वह मछली मारने के लिए जल्दी जाता है।

(ख) आंशिक प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ^१ (Partly Incorporative) — इन भाषाओं में सर्वनाम तथा क्रियाओं का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि क्रिया अस्तित्वहीन होकर सर्वनाम की पूरक हो जाती है। पेरीनीज़ पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली बास्क भाषा कुछ अंशों में आंशिक प्रश्लिष्ट-योगात्मक है। इसके दो उदाहरण दिये जा रहे हैं—

दकारकिओत = मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ।

नकारसु = तू मुझे ले जाता है।

हकारत = मैं तुझे ले जाता हूँ।

इन वाक्यों में केवल सर्वनाम और क्रियाएँ हैं। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाँति आंशिक प्रश्लिष्ट में संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि सभी का योग संभव नहीं होता।

भारोपीय परिवार की भाषाओं में भी इसके कुछ उदाहरण मिल जाते हैं—गुजराती में—'में केह्नुजे' का 'मकुजे' (= मैंने वह कहा)। मुल्तानी तथा हरियानी में मखाँ (मैंने कहा)। मेरठ की बोली में—'उसने कहा' का 'उन्नेका'।

अँग्रेजी, बँगला फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि अन्य बहुत-सी भाषाओं तथा बोलियों के मौखिक रूप में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं, पर ये अपवाद ही हैं। इसका आशय यह नहीं कि ये भाषाएँ आंशिक प्रश्लिष्ट हैं। बांटू भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं।

इस संदर्भ में यह एक बात स्मरणीय है कि कोई भी भाषा विशुद्ध रूप से आंशिक प्रश्लिष्ट-योगात्मक नहीं है।

(ग) अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ^२—अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व (प्रत्यय) अर्थतत्त्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि 'तिल-तंडुलवत्' दोनों ही स्पष्ट रूप से दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकार की भाषा नहीं है, पर उसमें से समझने के लिए कुछ उदाहरण खोजे जा सकते हैं—

सुन्दरता (सुन्दर + ता)

मैंने (मैं + ने)

करेगा (कर् + ए + गा)

१. इसे 'अंशतः समास-प्रधान' भी कहते हैं।

२. इसे प्रत्यय-प्रधान भी कहते हैं।

इन सभी में दोनों तत्त्व (अर्थ तथा सम्बन्ध) स्पष्ट हैं। इस स्पष्टता के कारण इस प्रकार की भाषाओं की रूप-रचना बहुत ही आसान होती है। भाषावैज्ञानिकों को आदर्श और कृत्रिम भाषा 'एसपरैतो' का निर्माण इसी आधार पर हुआ है।

अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) पूर्वयोगात्मक या पुरःप्रत्यय-प्रधान (Prefix Agglutinative)—इन भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द वाक्य के अन्तर्गत बिल्कुल अलग-अलग रहते हैं। शब्दों को रूप-रचना में सम्बन्धतत्त्व केवल आरम्भ में लगता है, इसी कारण ये 'पूर्वयोगात्मक' कही जाती हैं। अफ्रीका में बांटू भाषाओं में यह विशेषता स्पष्ट रूप से पायी जाती है।

उदाहरण लीजिए—

जुलू भाषा में।

उमु = एकवचन का चिह्न

अब = बहुवचन का चिह्न

न्तु = आदमी

न्ग = से

इनके योग से शब्द बनते हैं—

उमुन्तु एक आदमी

अबन्तु = कई आदमी

न्गउमुन्तु = आदमी से

न्गअबन्तु = आदमियों से

कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी उदाहरणों में योग ('उमु' या 'अब' आदि सम्बन्धतत्त्व का) आरम्भ में है। इसी प्रकार काफ़िर भाषा में भी—

कू = संप्रदान कारक का चिह्न

ति = हम

इनके योग से

कति = हमको

कनि = उनको

यहाँ जुलू का एक वाक्य भी देखा जा सकता है। ऊपर 'उमु', 'अब' तथा 'न्तु' का अर्थ हम दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त

तु = हमारा

चिल मुन्दर

यवोनकल = दिखाई पड़ना

इनके मिलाने से एकवचन में—

उमुन्तु वेतु ओमुच्चे उयवोनकल = हमारा आदमी देखने में मुन्दर है।

इसका बहुवचन आरम्भिक अंश में परिवर्तन-करने से हो जाता है—

अबन्तु वेतु अबचल यवोनकल - हमारे आदमी देखने में मुन्दर हैं।

(ख) मध्य-योगात्मक या अंतः प्रत्यय-प्रधान (Infix Agglutinative)—इस के उदाहरण भारत की, तथा हिन्द महासागर के द्वीपों से लेकर अफ्रीका के समीप से

मैडागास्कर आदि द्वीपों तक फैली भाषाओं में मिलते हैं। इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों के होते हैं और जैसा कि नाम (मध्य-योगात्मक) से स्पष्ट है, सम्बन्धतत्त्व दोनों के बीच में रखे या जोड़े जाते हैं।

मुंडा कुल की संथाली भाषा में 'मंझि' (=मुखिया) और 'प' (बहुवचन का चिह्न) के योग से—

मपंझि=मुखिया लोग

यहाँ 'प' बीच में जोड़ा गया।

इसी प्रकार दल् (=मारना) से दपल (=परस्पर मारना)

अपवादस्वरूप बांटूभाषा में भी मध्य-योगात्मकता के कुछ उदाहरण मिलते हैं—

सि-तन्दा=हम प्यार करते हैं।

सि-म-तन्दा=हम उसे प्यार करते हैं।

सि-ब-तन्दा=हम उन्हें प्यार करते हैं।

इसी प्रकार तुर्की में भी कुछ मध्य योग के उदाहरण हैं—

सेव्मेक्=प्यार करना

सेव्इनमेक्=अपने को प्यार करना

सेव्इलमेक्=प्यार किया जाना

कहना न होगा कि बांटू तथा तुर्की के इन उदाहरणों में शब्द दो अक्षरों से अधिक के हैं, इसीलिए ये मध्य-योगात्मक अश्लिष्ट भाषा के शुद्ध उदाहरण नहीं हैं।

(ग) पूर्वान्त-योगात्मक—इस श्रेणी की भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व के आगे और पीछे या पूर्व और अन्त में लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें 'पूर्वान्त-योगात्मक' कहते हैं।

न्यूगिनी की मकोर भाषा में

'मनफ़'

=सुनना

ज—मनफ़—उ में तेरी बात सुनता हूँ।

(यहाँ पूर्व में 'ज' और अन्त में 'उ' जोड़ा गया है)

मध्य-योगात्मकता तथा पूर्वान्त-योगात्मकता के उदाहरण कई भाषाओं में साथ-साथ ही मिलते हैं। पूर्व-योगात्मकता के बारे में भी यह सत्य है।

(घ) अन्त-योगात्मक या पर-प्रत्यय प्रधान (Suffix Agglutinative)—इस वर्ग की भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व केवल अन्त में जोड़ा जाता है। यूराल-अल्टाइक तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हैं। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं—

तुर्की

एव =घर

एवलेर =कोई घर

एवलेरइम=मेरे घर

कन्नड़

'सेवक' शब्द का बहुवचन में विभिन्न कारकों में रूप

कर्ता कारक में—	सेवक-र
कर्म " " —	सेवक-रन्तु
करण " " —	सेवक-रिन्द
संप्रदान " " —	सेवक-रिने आदि

इसी प्रकार, हंगरी की भाषा में—

ज़ार	= वन्द करना
ज़ारत	वन्द करवाता है।
ज़ारतुग्त	अधिकतर वन्द करवाता है।

(ड) आंशिक-योगात्मक या ईषत् प्रत्यय-प्रधान (Partially Agglutinative)—योगात्मक भाषा के अश्लिष्ट वर्ग की अन्तिम उपशाखा आंशिक-योगात्मक भाषाओं की है। इस वर्ग की भाषाएँ यथार्थतः योगात्मक और अयोगात्मक वर्गों के बीच में पड़ती हैं। इन भाषाओं में योग और अयोग दोनों के ही चिह्न मिलते हैं। पर, ये भाषाएँ योगात्मक भाषाओं और उनमें भी अश्लिष्ट भाषाओं से भी कुछ समानता रखती हैं, अतः इनको आंशिक (अश्लिष्ट) योगात्मक नाम दिया गया है। वास्क, हाँसा, जापानी एवं न्यूज़ीलैंड तथा हवाई द्वीप की भाषाएँ आंशिक योगात्मक हैं।

कुछ भाषाएँ सर्वयोगात्मक या सर्वप्रत्यय-प्रधान भी हैं, जिनमें आदि, मध्य, अन्त तीनों प्रकार के योग होते हैं। मलायन भाषाएँ इसी वर्ग की हैं।

(ज़) श्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ^१—श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व (प्रत्यय) को जोड़ने के कारण अर्थतत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, परन्तु सम्बन्धतत्त्व की श्लोक अलग ही मालूम पड़ती है। रूप विकृत हो जाने पर भी सम्बन्धतत्त्व छिपानहीं रहता। जैसे, अरबी में क्त-त्-ल् (= मारना) धातु से क्तल् (= खून), क्तात् (मारने वाला), क्तिल (= शत्रु) तथा यक्तुनु (= वह मारता है), आदि। इसी प्रकार, संस्कृत में वेद, नीति, इतिहास तथा भूगोल से वैदिक, नैतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि। संस्कृत के उदाहरणों में, स्पष्ट है कि, अन्त में 'इक' लगा है, पर साथ ही आरम्भ के 'वे', 'नी', 'इ' तथा 'नु' में विकार आ गया है और वे 'वै', 'नै', 'ऐ' तथा 'भौ' हो गये हैं।

इस वर्ग की भाषाएँ संसार में सब से अधिक उन्नत हैं। सामी, हामी और भारोपीय परिवार इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं के भी दो उपवर्ग किये जाते हैं—(क) अन्तर्मुखी और (ख) बहिर्मुखी। यह विभाजन बहुत समीचीन नहीं है और न पूर्णतया लागू ही होता है, किन्तु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती।

यहाँ दोनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

(क) अन्तर्मुखी-श्लिष्ट (Internal Inflectional)

इस वर्ग की भाषाओं में, जोड़े हुए भाग, मूल (अर्थतत्त्व) के बीच में बिल्कुल घुलमिल जाते हैं। सेमिटिक और हैमेटिक कुल की भाषाएँ इसी वर्ग की हैं। अरबी भाषा इसके लिए उदाहरणस्वरूप ली जा सकती है। अरबी में धातु प्रायः तीन व्यंजनों (गुलासी) की होती है। सम्बन्धतत्त्व प्रधानतया स्वर होता है, जो व्यंजनों के साथ घुलमिल जाता है। आद्य

१ इन्हें विकारी या विभक्ति-प्रधान भी कहा गया है।

स्पष्ट करने के लिए हम क्-त्-ब् धातु को लेते हैं, जिसका अर्थ 'लिखना' होता है। इससे निम्न शब्द बने हैं—

कातिब = लिखने वाला।

किताब = जो लिखा (या लिखी) गया (या गयी) है।

कुतुब = बहुत-सी किताबें।

यहाँ क्-त्-ब् व्यंजन तीनों में हैं, पर बीच-बीच में विभिन्न स्वरो के आने से अर्थ बदलता गया है।

इस अन्तमुखी के भी दो भेद हैं—

(१) संयोगात्मक (Synthetic)—अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं का पुराना रूप संयोगात्मक था। शब्दों में अलग से सहायक सम्बन्धतत्त्व लगाने की आवश्यकता न थी।

(२) वियोगात्मक (Analytic)—आज इन भाषाओं में शब्द साधारणतया बनते तो उसी प्रकार हैं, पर वाक्य की दृष्टि से वियोगात्मकता आ गई है, क्योंकि सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। परवर्ती हिब्रू भाषा में यह बात विशेष रूप से दिखाई पड़ती है।

(ख) बहिर्मुखी-श्लिष्ट (External Inflectional)

इस वर्ग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग (अर्थतत्त्व) के बाद आते हैं। जैसे, संस्कृत में 'गम्' धातु से गच्छ् + अ + न्ति = गच्छन्ति (= जाते हैं)। भारोपीय परिवार की भाषाएँ इसी विभाग में आती हैं।

इसके भी भेद किये जा सकते हैं—

(१) संयोगात्मक—भारोपीय परिवार की पुरानी भाषाएँ (ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि) संयोगात्मक थीं। इसमें सहायक क्रिया तथा परसर्ग आदि की आवश्यकता नहीं थी। शब्द में ही सम्बन्धतत्त्व लगा रहता था, जैसे संस्कृत में—सः पठित = वह पढ़ता है।

इस परिवार की लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अधिक परिवर्तित न होने से आज भी संयोगात्मक ही है।

(२) वियोगात्मक—भारोपीय परिवार की अधिक भाषाएँ आधुनिक काल में वियोगात्मक हो गई हैं। बहुत पहले उसकी विभक्तियाँ धीरे-धीरे गिस कर लुप्तप्राय हो गईं, अतः अलग से शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी और इस आवश्यकता के कारण परसर्ग तथा सहायक क्रिया के रूप में शब्द रखे जाने लगे। ऊपर हम लोग संस्कृत भाषा का 'सः पठित' संयोगात्मक उदाहरण देख चुके हैं। शब्द 'है' वहाँ 'पठति' में ही था, किन्तु अब उसे अलग से ('पढ़ता है') लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। परसर्ग या कारक-चिह्नों के विषय में भी यही बात है।

अंग्रेजी, हिन्दी, बँगला आदि वियोगात्मक भाषाएँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आधुनिक भारोपीय वियोगात्मक भाषाएँ पुनः संयोगावस्था की ओर जा रही हैं और सम्भव है कि अपना वृत्त पूरा कर ये पुनः पूर्ण संयोगात्मक हो जायँ।

ऊपर भाषा के आकृतिमूलक वर्गीकरण को वर्गों, उपवर्गों तथा उसके भेदोपभेदों के साथ समझाया गया है। स्थान-स्थान पर विभिन्न भाषाओं के उदाहरण भी दिये गये हैं। उदाहरणों का यह आशय नहीं समझना चाहिए कि जिस भाषा से ये लिये गये हैं, वह भाषा पूर्णरूपेण उस विशेष वर्ग, उपवर्ग या उसके भेद-विभेद से सम्बद्ध है। कोई भी भाषा पूर्णरूपेण अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, अयोगात्मक या योगात्मक, आदि नहीं कही जा सकती। किसी

वर्ग या उपवर्ग के लक्षण किसी भाषा में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिलने पर प्रायः वह भाषा उस वर्ग या उपवर्ग आदि की मान ली जाती है। कहीं-कहीं अपवादस्वरूप भी किसी वर्ग या उपवर्ग आदि के उदाहरण भाषा में मिल गये हैं, और उन्हें समझने के लिए दे दिया गया है। ऐसे स्थलों में स्पष्टता के लिए 'अपवादस्वरूप' या इसी भाव के अन्य शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है।

कुछ विद्वानों^१ ने आकृति की दृष्टि से भाषाओं को तीन वर्गों में रखा है—(क) योगात्मक, (ख) अयोगात्मक तथा (ग) विभक्तियुक्त। कहना न होगा कि तत्त्वतः 'विभक्तियुक्त' वर्ग 'योगात्मक' में ही समाहित हो जाता है। योगात्मक में 'प्रकृति' (अर्थतत्त्व) और 'प्रत्यय' (सम्बन्धतत्त्व) का योग होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं। किन्तु, 'विभक्ति-प्रधान' में वे इतने मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना असम्भव-सा हो जाता है। इस प्रकार, 'योग' दोनों में ही है, एक में 'तिल-नांडुल' के समान और दूसरे में 'पानी-दूध' के समान। अतः दोनों योगात्मक हैं। यहाँ यह भी जोड़ देना अन्यथा न होगा कि ऊपर जिस वर्गीकरण को विस्तार से देखा गया है, उसमें योगात्मक के तीसरे भेद 'द्विलिङ्ग' के अन्तर्गत इस 'विभक्तियुक्त' वर्ग को रखा जा सकता है।

कुछ अन्य विद्वान्^२ भाषा की आकृति के आधार पर चार वर्ग बनाने के पक्ष में हैं—(१) व्यास-प्रधान, (२) समास-प्रधान, (३) प्रत्यय-प्रधान; तथा (४) विभक्ति-प्रधान। इनमें 'व्यास-प्रधान' वर्ग प्रस्तुत पुस्तक में अपनाये गये वर्गीकरण में 'अयोगात्मक' का ही दूसरा नाम है। शेष तीन दूसरे वर्ग 'योगात्मक' में समाहित हो जाते हैं। डॉ० श्यामसुन्दर दास ने भी इस ओर संकेत-सा किया है, जहाँ वे अपने प्रथम वर्ग को 'निरवयव' तथा शेष तीन को 'सावयव' की संज्ञा देते हैं, या तात्त्विक रूप से भाषा को आकृति की दृष्टि से 'निरवयव' और 'सावयव' इन दो वर्गों में बाँटते हैं। फिर, 'सावयव' के 'समास-प्रधान', 'प्रत्यय-प्रधान' और 'विभक्ति-प्रधान' ये तीन भेद करते हैं।

इस प्रकार, तात्त्विक दृष्टि से भाषा के केवल दो ही आकृतिमूलक वर्ग बन सकते हैं। अन्य सारे किसी-न-किसी रूप में उन्हीं के अन्तर्गत आ जायेंगे। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से एक दर्जन से भी ऊपर भेद किये जा सकते हैं।

आकृति की दृष्टि से हिन्दी

पश्चिमी विचारकों ने आकृति की दृष्टि से 'हिन्दी' पर तो नहीं विचार किया है, किन्तु 'अंग्रेज़ी' पर अवश्य विचार किया है। सीभाग्य से आकृति की दृष्टि से 'हिन्दी' और 'अंग्रेज़ी' में बहुत समानता है। स्वीट अंग्रेज़ी को अयोगी-द्विलिङ्ग योगात्मक (analytic inflectional) कहते हैं। हिन्दी को भी इसी वर्ग में रख सकते हैं। इसका आशय यह है कि हिन्दी में 'अयोग' के भी लक्षण हैं, जैसे स्थान के कारण अर्थ का निर्धारण, या परसर्गों या सहायक क्रिया का अलग रहना, पर साथ ही संस्कृत के बहुत से शब्दों को गृहण करने या उसी की तरह अपने रूपों (विशेषतः प्रत्यय, उपसर्ग लगाकर शब्द या विभक्ति लगाकर रूप) का निर्माण करने के कारण 'योग' के भी लक्षण हैं। इस प्रकार, दोनों प्रकार के लक्षणों के मिलने के कारण यह दोनों के बीच में है, यद्यपि 'अयोगात्मकता' की ओर अधिक झुकी है। फिर भी, यह उतनी अयोगात्मक नहीं है, जितनी कि चीनी आदि है। कुछ लोग संस्कृत, ग्रीक आदि की तुलना में हिन्दी या अंग्रेज़ी को 'वियोगात्मक' भाषा (analytic

१. डॉ० मंगलदेव शास्त्री, आदि।

२. डॉ० श्यामसुन्दर दास, आदि।

language) कहते हैं, क्योंकि इनमें अलग से सहायक क्रिया या कारक-चिह्न आदि आते हैं, और दूसरी ओर संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि को 'संयोगात्मक' भाषा (synthetic language) कहते हैं। कहना न होगा कि इस प्रसंग में ये दोनों क्रम से 'अयोगात्मक' और 'योगात्मक' के ही नाम हैं।

जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, भाषाओं के इतिहास के आधार पर कुछ लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि भाषाएँ प्रश्लिष्ट-योगात्मक से श्लिष्ट-योगात्मक, श्लिष्ट-योगात्मक से अश्लिष्ट-योगात्मक और अश्लिष्ट-योगात्मक से अयोगात्मक या वियोगात्मक हो जाती हैं। यह स्थिति भी स्थायी नहीं रहती और फिर उल्टे इस क्रम में विकास करती हुई भाषाएँ प्रश्लिष्ट हो जाती हैं। विद्वानों के इस विचार से सहमत होना कुछ कठिन ज्ञात होता है। प्रश्लिष्ट-योगात्मक से अयोगात्मक की ओर तो सभी भाषाएँ जाती हैं, इसी प्रकार संस्कृत से हिन्दी बनी है, किन्तु इसके विरुद्ध अयोगात्मक से प्रश्लिष्ट-योगात्मक की ओर जाने के प्रमाण देखने में नहीं आते। किसी एक-दो भाषा में इस प्रकार के दो-चार रूपों की बात सर्वथा भिन्न है। भेरे विचार में उनके आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

उपयोगिता—आकृतिमूलक वर्गीकरण की तात्त्विक या व्यावहारिक कोई भी उपयोगिता नहीं है, इसीलिये भाषा के अध्ययन में अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ लोगों का कहना है कि आकृतिमूलक वर्गीकरण से भाषाओं की आकृति के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है, किन्तु यह भी मान्यता प्रायः व्यर्थ-सी है। सूक्ष्मता से देखा जाय तो हर भाषा की आकृति-सम्बन्धी अपनी विशेषताएँ अलग होती हैं। दो, तीन या चार वर्गों या दस-बीस उपवर्गों में बाँटने से संसार की भाषाओं की वास्तविक आकृति का पता नहीं लग सकता।

पारिवारिक वर्गीकरण

१७वीं सदी में जब यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत का पता चला और उन्होंने ग्रीक और लैटिन आदि के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया तो इस बात का निश्चय हुआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है। निश्चय ही, ये सभी भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आरम्भ यहीं से होता है। इसके पहले, प्रायः पुराने धार्मिक लोग संसार की सारी भाषाओं को एक परिवार की मानते थे। किसी के अनुसार आदि और मूल भाषा संस्कृत थी और संसार की सभी भाषाएँ इसी से निकली थीं, तो किसी के अनुसार हिब्रू की यही स्थिति थी और किसी की अनुसार फ्रीजियन या अरबी आदि की।

'भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण' का अर्थ है 'विश्व की भाषाओं को परिवारों में बाँटना'। जैसे एक माता-पिता के उत्पन्न व्यक्ति एक परिवार के कहे जाते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से निकली भाषाएँ और बोलियाँ भी एक परिवार की कहलाती हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि कौन-कौन-सी भाषाएँ और बोलियाँ एक परिवार की हैं, दो बातों पर ध्यान देते हैं : (क) भाषिक समानता; (ख) स्थानिक समीपता। यहाँ दोनों को अलग-अलग लिया जा रहा है—

(क) भाषिक समानता—यह पाँच प्रकार की हो सकती है : (१) ध्वनि की समानता, (२) शब्द की समानता, (३) रूप-रचना की समानता, (४) वाक्य-रचना की समानता, (५) अर्थ की समानता।

इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रूप-रचना की समानता है। उसके बाद महत्त्व है आधारभूत शब्दों की समानता का। शेष का महत्त्व अपेक्षाकृत गौण है, किन्तु वे विचारणीय अवश्य हैं।

ध्वनि की समानता पर विचार करते समय यह देखना पड़ता है कि दो या अधिक भाषाओं और बोलियों में कौन-कौन-सी ध्वनियाँ समान हैं। समान ध्वनियाँ उन्हें एक परिवार की होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। किन्तु साथ ही यह भी देखना पड़ता है, कि असमानता क्यों है। एक परिवार की भाषाओं में ध्वनि की असमानता तीन कारणों से हो सकती है—

(१) लोप के कारण जैसे—संस्कृत की 'लृ' हिंदी में लुप्त हो गई है। मूल भारोपीय भाषा के अनेक व्यंजन यूरोपीय भाषाओं में नहीं हैं। (२) परिवर्तन के कारण—संस्कृत में ड, ङ ध्वनियाँ नहीं थीं, किन्तु ध्वनि-परिवर्तन के कारण संस्कृत की 'ट' (शाटिका > साड़ी), 'द' (कापटिका < कीड़ी), 'थ' (क्वाथ > काड़ा), 'ध' (सार्ध > साड़े) आदि ड, ङ हो गई। (३) प्रभाव के कारण—एक भाषा के प्रभाव के कारण दूसरी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियों वाले शब्द आ जाते हैं, जो मूलतः उस भाषा में नहीं होती। हिंदी में क, ख, ग, ज, ङ, ऑ ध्वनियाँ इसी प्रकार फ़ारसी तथा अंग्रेजी आदि के प्रभाव के कारण आई हैं। यदि असमानताओं के मूल में इस प्रकार के कारण खोजे जा सकें तो उन भाषाओं के एक परिवार की होने की संभावना होती है। ये ध्वनि की समानता आकस्मिक भी हो सकती है। अतः केवल ध्वनि की समानता ऐसे निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं होती, जब तक कि रूप-रचना तथा शब्द आदि अन्यो की भी समानता न हो।

शब्द-समूह की समानता में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन शब्दों में समानता हो जो इन भाषाओं के अपने हों। अन्य भाषाओं से प्रभाव-स्वरूप आये शब्दों की समानता के आधार पर भाषाओं को एक परिवार का नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए रूसी *chai* तथा तुर्की *chay* शब्द समान हैं, किन्तु इस समानता के आधार पर इन्हें एक परिवार का नहीं माना जा सकता। वस्तुतः शब्द की समानता कई कारणों से होती है, (१) एक परिवार की भाषा होने के कारण—जैसे संस्कृत पितृ, ग्रीक *pater*, लैटिन *pater*, फ्रेंच *pere*, स्पैनिश *padro*, जर्मन *vater*, अंग्रेजी *father*, फ़ारसी *पिदर*, आदि। (२) ध्वनि परिवर्तन के समान हो जाने के कारण—जैसे भोजपुरी 'निघर' (सं० निकट) तथा अंग्रेजी *near* (*nigh* का तुलनात्मक रूप) अथवा हिंदी 'आम' (सं० आम्र) तथा अरबी 'आम' आदि। (३) किसी अन्य भाषा से उन भाषाओं में आने के कारण, जैसे हिंदी तथा तमिल दोनों में 'पैटे' शब्द आ गया है। या अरबी शब्द 'इलाक' हिंदी में 'इलाका' तथा तमिल में 'इलाका' है। ऐसे ही अरबी शब्द 'शैतान' हिंदी में 'शैतान', कन्नड़ में 'सैतान' तथा तुर्की मलयालम में 'चैतान' है। (४) एक भाषा से दूसरी में जाने के कारण—जैसे तुर्की 'चाकू' तथा से हिंदी में आया शब्द 'चाकू' या कुछ द्रविड़ भाषाओं में 'पिल्ला' तथा हिंदी 'पिल्ला' आदि। (५) संयोगवशात्—जैसे मिस्री 'म्याऊँ', हिंदी 'म्याऊँ', चीनी 'म्याऊँ' = बिल्ली। यह ध्यान देने की बात है कि केवल पहले कारण से प्राप्त समानता ही पारिवारिक एकता प्रमाणित करती है। इसके लिए सर्वोत्तम यह होता है कि भाषाओं की आधारभूत शब्दावली को ही लिया जाए। किसी भाषा का शब्द-समूह मोटे रूप से तीन प्रकार का होता है, (अ) आधारभूत—जो भाषा की रीढ़ की हड्डी होता है, और जिनमें परिवर्तन अथवा प्रभाव की गुंजाइश कम होती है। ये शब्द अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। संबंधियों के लिए प्रयुक्त नाम (जैसे माता, पिता, भाई आदि), अंगों के नाम (जैसे हाथ, पैर आदि), सर्वनाम (मैं, तुम, वह, आदि), संख्यावाचक शब्द (जैसे एक, दो, तीन आदि), दैनिक जीवन की क्रियाएँ

(खाना, पीना सोना, देखना आदि) आदि इसमें आती हैं। (आ) उच्च—जो अपेक्षाकृत कम आधारभूत होते हैं। इनमें परिवर्तन और प्रभाव की गुंजाइश कुछ अधिक होती है। (इ) उच्चतम—कपड़े-लते, खान-पान, दवा-दारु, शिक्षा-न्याय, कला-शिल्प आदि के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें परिवर्तन तथा प्रभाव की गुंजाइश सबसे अधिक होती है। हिंदी में पायजामा, कमीज, पैंट, जलेबी, इंजेक्शन, बी०ए०, अदालत आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। इस तरह प्रायः आधारभूत शब्द ही पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि से विचारणीय होते हैं। कभी-कभी शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन बहुत अधिक हो जाता है, जैसे संस्कृत शतम्, लैटिन केंतुम, हिंदी सी, भोजपुरी सै अथवा संस्कृत 'विहार', तुर्की 'बुखारा'। अतः तुलना में इसका ध्यान भी रखना चाहिए, नहीं तो समानता को पहचानना कठिन हो जाता है।

रूप-रचना की समानता—पारिवारिक वर्गीकरण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें प्रभाव की गुंजाइश कम होती है। उदाहरण के लिए, तुलना का प्रत्यय 'तर' (सं० उच्चतर, फ्रा० बेहतर, अ० better, जर्मन besser) एक पारिवारिकता का स्पष्ट संकेत कर रहा है। यों तुर्की-फ़ारसी-अरबी अथवा अरबी-हिंदी में इस तरह की समानता काफ़ी (अर० इन्सानियत, हिंदी अँगरेज़ियत, बोरियत) है, किंतु ये भाषाएँ एक परिवार की नहीं हैं, और समानता एक मूल के कारण न होकर प्रभाव के कारण है। अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि समानता प्रभाव के कारण न हो। रूप-रचना में क्रिया-रूप, तथा सर्वनाम-रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यों इसके अंतर्गत मुख्यतः उपसर्ग तथा प्रत्यय आते हैं।

वाक्य-रचना—इसमें परिवर्तन बहुत होता है, तथा इस पर दूसरी भाषाओं का प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है, फिर भी मूलभूत समानताएँ एक सीमा तक सुरक्षित रह जाती हैं। इसीलिए रूप-रचना तथा मूलभूत शब्दावली से तो कम, किंतु अन्यो की तुलना में यह भी पारिवारिक वर्गीकरण का काफ़ी प्रामाणिक आधार प्रस्तुत करता है।

एक परिवार की भाषाओं में अर्थ की समानता भी अनेक स्तरों पर मिलती है, अतः यह भी पारिवारिक वर्गीकरण का अच्छा आधार है। हाँ, यह समानता खोजते समय अर्थ-परिवर्तन का ध्यान भी रखना चाहिए। संस्कृत 'मृग' तथा फ़ारसी 'मुर्ग' में अर्थ की समानता ऊपर से नहीं है, किंतु इन शब्दों का पूरा इतिहास देखें तो अर्थ की समानता है। ऐसे ही सं० पशु, अंग्रेजी fees; रूसी मूस (पति), सं० मनुष्य; सं० वदन (मुँह), फ्रा० वदन (शरीर) में भी समानता है।

इस प्रकार सभी प्रकार के परिवर्तनों तथा प्रभावों का विचार करते हुए भाषाओं के बीच मूलभूत समानता की खोज होनी चाहिए। साथ ही केवल एक आधार (जैसे ध्वनि अथवा रूप अथवा अर्थ) के मिलने पर कभी भी भाषाओं को एक परिवार का नहीं मानना चाहिए। प्रयास ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर न्यूनाधिक रूप से समानता पाने का होना चाहिए।

(ख) स्थानिक समीपता—एक परिवार की भाषाएँ एक भाषा से निकली होती हैं, अतः अपवादों की बात छोड़ दें तो प्रायः उनमें स्थानिक समीपता मिलती है। इसी आधार पर भारोपीय परिवार का मूल स्थान यूरोप में या एशिया-यूरोप की सीमा पर माना जाता है, क्योंकि उसके आसपास इस परिवार की काफ़ी भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत के आस-पास ऐसा नहीं है, अतः भारत को मूल स्थान नहीं माना जा सकता। किन्तु स्थानिक समीपता को एक मात्र आधार नहीं माना जा सकता। कभी-कभी एकाधिक परिवार की भाषाओं में भी स्थानिक समीपता मिलती है। जैसे भारोपीय परिवार की ताजिक और यूराल-अल्टाइक परिवार की उज़बेक अथवा भारोपीय की बंगला और चीनी परिवार की बर्मी आदि।

निष्कर्षतः उपर्युक्त सभी से पारिवारिक संबंध जोड़ने में सावधानी से आवश्यकता-अनुसार सहायता ली जानी चाहिए, किंतु साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रूप-रचना की समानता इस दृष्टि से सबसे अधिक विश्वसनीय होती है, उसके बाद आधारभूत शब्दावली की तथा फिर अन्व्यों की। संबंध स्थापित करते समय परिवर्तन, प्रभाव तथा संयोग-जनित समानताओं से बचने में अधिकाधिक सतर्क रहना चाहिए।

ऊपर पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों पर प्रकाश डाला गया है। उससे स्पष्ट है कि अच्छी तरह तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में निश्चित निर्णय दिया जा सकता है। इतना गहरा और विस्तृत अध्ययन केवल भारोपीय, सेमिटिक या द्रविड़ आदि कुछ ही परिवारों का हुआ है। ऐसी स्थिति में इन दो-तीन के बारे में तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेष भाषाओं के परिवार के बारे में कहना कठिन है। १८२२ में जर्मन विद्वान् विल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट ने इस बात पर विस्तार से विचार करके संसार में कुल १३ परिवार माने थे। पाटिरिज के अनुसार १० ही परिवार हैं। आधुनिक विद्वान् राइस (Reiss) एक परिवार मानने के पक्ष में हैं। ग्रे २६ मानते हैं। भारतीय विद्वानों ने यह संख्या १० और १८ के बीच में दी है। फ्रेडरिक मूलर आदि विद्वानों के अनुसार संसार में इस समय लगभग १०० परिवार हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार केवल अमेरिका में ही १०० परिवार हैं। इस प्रकार, एक से कई सौ के बीच विद्वान् घूम रहे हैं, किन्तु सत्य यह है कि अभी तक संसार भर की भाषाओं का ठीक से अध्ययन (तुलनात्मक और ऐतिहासिक) नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त सारे मत प्रायः अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

भाषा खंड

विश्व के भाषा-खंड चार हैं—

(१) अफ्रीका-खंड—इसमें मुख्यतः चार भाषा-परिवार हैं : (i) बुशमैन, (ii) बांटू, (iii) सूडान, (iv) हैमेटिक-सेमेटिक। कुछ विद्वान् सेमेटिक और हैमेटिक को अलग-अलग परिवार मानते हैं।

(२) यूरेशिया खंड—इसमें मुख्यतः नौ भाषा-परिवार हैं : (i) हैमेटिक-सेमेटिक, (ii) काकेशियन, (iii) यूराल-अल्टाइक, (iv) चीनी, (v) द्रविड़, (vi) आस्ट्रो-एशियाटिक, (vii) जापानी-कोरियाई, (viii) मलय-पालिनेशियन, (ix) भारोपीय। कुछ भाषाएँ अनिश्चित परिवार की भी हैं।

(३) प्रशांतमहासागरीय खंड—इसमें मुख्यतः मलय-पालिनेशियन परिवार है। कुछ लोग इसे कई परिवारों का समूह मानते हैं।

(४) अमरीका-खंड—अमरीकी परिवार। कुछ लोग इसमें लगभग सौ परिवार मानते हैं।

इनमें कुछ परिवार तो एकाधिक भाषा-खंडों में हैं तथा कुछ को काफी विद्वान् एक परिवार में रखने के पक्ष में हैं। इस प्रकार विश्व में मुख्यतः निम्नांकित भाषा परिवार हैं : (१) भारोपीय, (२) द्रविड़, (३) चीनी, (४) सेमेटिक-हैमेटिक, (५) यूराल-अल्टाइक, (६) काकेशियन, (७) जापानी-कोरियाई, (८) मलय-पालिनेशियन, (९) आस्ट्रो-एशियाटिक, (१०) बुशमैन, (११) बांटू, (१२) सूडान, (१३) अमरीकी। कुछ अनिश्चित भाषाएँ भी हैं जिनके बारे में सनिश्चय कुछ कहना कठिन है। संभव है, वे अपने आप में एक-एक परिवार हों। यहाँ परिवारों को क्रमशः लिया जा रहा है।

भारोपीय परिवार पर कुछ विस्तार से विचार अपेक्षित है, अतः उसे अन्त में लिया जायगा।

(१) द्रविड़ परिवार

इस परिवार का क्षेत्र दक्षिणी भारत, उत्तरी लंका, लक्ष द्वीप, बलूचिस्तान, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा है। मुख्य भाषाएँ तथा भेद—तमिल (तमिलनाडु), मलयालम (यह प्राचीन तमिल की ही एक शाखा है, केरल), तेलुगु (आंध्र प्रदेश), कन्नड़ (कर्नाटक), गोंड (बुंदेलखंड तथा आसपास), ओराँव, (बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश), ब्राहुई (बलूचिस्तान)। कुछ गौण भाषाएँ—कुर्ड (उड़ीसा), माल्टी (बंगाल), तुलु (कुर्ग-बंबई की सीमा), तथा कोलामी (पश्चिमी बरार) आदि। इस परिवार से भारत के अन्य परिवारों को जोड़ने का बहुत से विद्वानों ने निष्फल प्रयास किया है। यह परिवार वाक्य तथा स्वर-अनुरूपता की दृष्टि से यूराल-अल्टाई से मिलता-जुलता है। इस आधार पर इसे कुछ लोग उससे जोड़ना चाहते थे। ओ० श्रेडर ने इस परिवार को फिनो-उग्रिक वर्ग से मिलती-जुलती दिखाने का यत्न किया था। वी० डब्लू० स्मिथ ने इसका सम्बन्ध आस्ट्रेलिया की भाषाओं से जोड़ना चाहा था। उनका यह विचार था कि पहले मैडागास्कर, आस्ट्रेलिया और भारत, छोटे-छोटे द्वीपों के सहारे सम्बन्धित थे। इधर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद उसकी संस्कृति से इसका सम्बन्ध जोड़ने के सफल प्रयत्न हुए हैं। विशेषताएँ—(१) प्रधानतः इस परिवार की भाषाएँ अश्लिष्ट-अन्तःयोगात्मक (तुर्की आदि की भाँति) हैं। मूल शब्द या धातु में प्रत्यय एक के बाद दूसरे जुड़ते चले जाते हैं : पालन-गल्, पालन्-गल्-एई, पालन्-गल्-उदीय, इत्यादि। कभी-कभी अपवाद-स्वरूप उपसर्ग भी लगता है : अथू=वह वस्तु, इथू=यह वस्तु, एथू कौन वस्तु। (२) जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, इस परिवार में संयोग 'तिल-तंडुल-वत्' पारदर्शक या स्पष्ट होता है। साथ ही मूल में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। (३) उपर्युक्त संयोग की भाँति ही बड़ा से बड़ा समास भी बड़ी ही सरलता से इस परिवार की भाषाओं में बना लिया जाता है। (४) शब्द के अन्तिम व्यंजन के उच्चारण में अनेक शब्दों में एक प्रकार की ध्वनि जोड़ ली जाती है। कुछ भाषाओं में यह प्रवृत्ति केवल लिखने में ही होती है, पर कुछ में लिखने और बोलने दोनों ही में। संभव है इसी का प्रभाव अपभ्रंश पर भी पड़ा, जिसे बाद में हिन्दी में भक्ति तथा रीतिकाल के कवियों ने कोमल बनाने की दृष्टि से अपना लिया। जैसे 'आप' का 'आपु' या 'राम' का 'रामु'। यों इसे प्रथमा विभक्ति के विसर्ग का विकास मानते हैं। (५) यूराल-अल्टाई परिवार की भाँति ही इस परिवार में भी स्वर-अनुरूपता मिलती है। मूल शब्द के स्वर के वजन पर अधिकतर प्रत्ययों का रूप संयोग के समय परिवर्तित कर लिया जाता है। (६) शब्दारम्भ में घोष व्यंजन प्रायः नहीं मिलते, परंतु बीच में आने वाले अनुनासिक व्यंजन या अकेले व्यंजन के पश्चात् घोष व्यंजन अवश्य रहते हैं। तमिल में यह प्रवृत्ति प्रायः अनिवार्यतः मिलती है, और अन्यो में कम। (७) सूक्ष्म ध्वनियों (टवर्ग) का यहाँ प्राधान्य है। कुछ लोगों का विश्वास है कि संस्कृत में सूक्ष्म ध्वनियाँ इसी परिवार के प्रभाव से आईं। मूल भारोपीय भाषाओं में वे नहीं थीं। (८) इस परिवार की भाषाओं में दो वचन होते हैं। नपुंसक शब्द प्रायः एकवचन ही होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में बहुवचन के दो रूप होते हैं जिनमें से एक में श्रोता भी अन्तर्भूत रहता है। (९) लिंग तीन होते हैं। सजा एवं विशेषण को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप जोड़ दिये जाते हैं। (१०) सजा के दो वर्ग होते हैं। पहला है उच्च या सजानी और दूसरा निम्न या असजानी। कुछ सजाएँ क्रिया का भी कार्य करती हैं। द्रविड़ परिवार का भारत की आर्यभाषाओं पर प्रभाव—संस्कृत से इस परिवार की भाषाएँ बहुत

प्रभावित हैं। इन सबकी लिपि ब्राह्मी से निकली है, किंतु इन्होंने भी आर्यभाषाओं को काफी प्रभावित किया है और आज तक प्रभावित करती जा रही हैं। कुछ प्रमुख प्रभाव: (१) आर्य परिवार की मूधेन्य ध्वनियों को मूलतः द्रविड़ परिवार के प्रभाव-स्वरूप विकसित माना जाता है, यद्यपि कुछ विद्वान् इस मत के विरोधी भी हैं। (२) ध्वनि-परिवर्तन में र का ल के स्थान पर (गला=गर) और 'र' का 'ल' (हरिद्रा=हल्दी) होना भी इस परिवार का प्रभाव कहा जाता है। यों मूल भारोपीय परिवार में भी यह था। (३) मराठी आदि में अब तक तीन लिगोंका सुरक्षित रहना भी इन्हीं का प्रभाव है, क्योंकि इनमें भी तीन लिग हैं। (४) आर्य-भाषाओं में सोलह पर आधारित (सेर-छटांक, रुपया-आना) माप भी इसी परिवार की देन है। (५) कुछ लोगों के अनुसार 'परसर्गों' का प्रयोग इन्हीं का प्रभाव है। (६) भारतीय आर्य-भाषाओं में तिङन्त की अपेक्षा कृदन्ती रूपों का प्रयोग भी इनका प्रभाव कहा जाता है। (७) सहायक क्रिया तथा संयुक्त क्रिया का आर्यभाषाओं में प्रयोग भी कुछ लोग द्रविड़ प्रभाव के फलस्वरूप ही मानते हैं। (८) आदान-प्रदान में अटवी, आलि, नीर, मीन, उल्लखल, कठिन तथा कौण आदि कई सौ शब्द भी इस परिवार ने संस्कृत तथा अन्य भारतीय आर्यभाषाओं को दिये हैं।

द्रविड़ परिवार पर संस्कृत का प्रभाव—शब्द-समूह के क्षेत्र में संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव द्रविड़ पर पड़ा है। तमिल भाषा का एक रूप 'शेन' (=पूर्ण) कहलाता है, जिसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। ब्राह्मणों के प्रभाव से मलयालम भी संस्कृत-बहुल हो गई है मलयालम की संस्कृत-बहुल साहित्यिक शैली को मणि-प्रवाल कहते हैं। कन्नड़ और तेलुगु ने भी संस्कृत शब्द उदारतापूर्वक लिये हैं।

(२) चीनी अथवा एकाक्षरी परिवार

इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। उसी के आधार पर इसे 'चीनी परिवार' कहा जाता है। साथ ही इस परिवार के अधिकांश शब्द एकाक्षरी होते हैं, अतः इसे 'एकाक्षर' अथवा 'एकाक्षरी परिवार' भी कहते हैं। मुख्य भाषाएँ तथा क्षेत्र—चीनी (चीन; चीनी की मंदारिन, कैंटनी, फुकिनी आदि मुख्यतः ६ बोलियाँ हैं। मंदारिन ही आज की राष्ट्रभाषा तथा साहित्यिक भाषा है), तिब्बती अथवा भोट (तिब्बत), बर्मी (बर्मा), स्यामी (इसे 'थाई' भी कहते हैं, स्याम), मैतै (इसे मेईथेई भी कहते हैं, मणिपुर)। इस परिवार की गारो, बोड़ो, नागा, नेवारी आदि भाषाएँ भारतीय सीमा के आस-पास बोली जाती हैं। विशेषताएँ—(१) इस परिवार की भाषाएँ स्थान-प्रधान या अयोगात्मक हैं। दो शब्द एक में नहीं मिलते। सम्बन्ध का पता बहुधा शब्द के स्थान से ही चल जाता है। 'हुआ पओ मीन' = राजा प्रजा की रक्षा करता है। पर, यदि उल्टा कहना होगा तो वाक्य में और किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करके केवल स्थान-परिवर्तन कर देंगे। 'मीन पओ हुआ' = प्रजा राजा की रक्षा करती है। (२) प्रत्येक शब्द एक अक्षर (syllable) का होता है। वह एक प्रकार से अव्यय है जो न बढ़ता है, न घटता है और न विकृत ही होता है। वाक्य में चाहे जहाँ भी रखें, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। (३) यहाँ यह समस्या है कि इतने कम शब्द कैसे इतने अधिक अर्थ प्रकट करते हैं। इसके लिए ये लोग सुर या तान (tone) का प्रयोग करते हैं (ध्वनि-प्रकरण में इस पर और सामग्री मिलेगी)। एक शब्द विभिन्न सुरों में विभिन्न अर्थ देता है। यों तो प्रधान चार ही सुर हैं, किन्तु कुछ उपभाषाओं या बोलियों में इससे कम या अधिक सुर भी अपवादस्वरूप मिलते हैं। 'मंदारिन' में पाँच सुर हैं। दूसरी बोली 'फुकिनी' में आठ हैं। (४) केवल सुरों से पूरी स्पष्टता नहीं आ पायी, अतः इसके लिए वे लोग एक और युक्ति से काम निकालते हैं। इनके यहाँ द्विवचन प्रयोग चलता है। ऊपर हम कह चुके हैं कि एक शब्द के कई

अर्थ होते हैं। जैसे 'ताओ' = सड़क, झंडा, गल्ला, ठक्कन इत्यादि, या 'लू' = ओस, जवाहर, घुमाव, सड़क, इत्यादि। यहाँ हम देखते हैं कि 'ताओ' और 'लू' दोनों के अर्थ 'सड़क' हैं। अब यदि सड़क के लिए दोनों शब्दों (ताओ और लू) का एक साथ प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का भय नहीं रह जाता। अतः सड़क के लिए 'ताओ लू' शब्द प्रयुक्त होता है। ऐसे प्रयोगों को द्वित्वप्रयोग कहते हैं। चीनी भाषा में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसमें सर्वदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते। कभी-कभी आवश्यकतानुसार अन्य भी ऐसे (दूसरे अर्थ वाले) शब्द रख दिये जाते हैं, जिनसे अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे, नमक के साथ बारीक या रोड़ा, पानी के साथ गर्म या ठंडा इत्यादि। (५) भारोपीय परिवार की भाँति वहाँ भाषा का व्याकरण नहीं है। एक ही शब्द स्थान और आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि हो जाता है। 'त' शब्द का उदाहरण लिया जा सकता है। इसका अर्थ 'बड़ा' 'बड़ाई' तथा 'बड़ा होना' आदि सभी होता है। (६) ऊपर हम इसे स्थान-प्रधान भाषा कह चुके हैं। पर कभी-कभी केवल शब्दों के स्थान से स्पष्ट नहीं हो पाता तो सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही कुछ लोगों ने चीनी का 'निपान-प्रधान' होना कहा है। इस दृष्टि से चीनी शब्दों के दो वर्ग होते हैं—पूर्ण शब्द और रिक्त शब्द। पूर्ण शब्द वे हैं जो कुछ अर्थतत्त्व रखे, पर रिक्त शब्द वे हैं जो केवल सम्बन्ध प्रकट करें। किन्तु इसका आशय यह नहीं कि वहाँ का पूरा शब्द-समूह इव दो भागों में बँटा है। बहुत से पूर्ण शब्द आवश्यकता पड़ने पर रिक्त बना लिए जाते हैं। इस प्रकार, प्रयोग होने पर ही कहा जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और कौन पूर्ण। उदाहरण के लिए, 'छिह' शब्द को ले सकते हैं। इसका अर्थ 'जाना', 'वह', 'सम्बन्ध', 'रखना' आदि होता है, पर कभी-कभी यह सम्बन्ध कारक की विभक्ति का काम भी करता है। जैसे—मु=माता, त्नु=पुत्र, मु छिह त्नु=माता का पुत्र। (७) चीनी भाषा में पूर्ण शब्द भी प्रायः दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो वे हैं जो जीवित हैं और क्रिया जिनका प्रधान गुण है। दूसरे, वे हैं जो मृत या जड़ हैं और स्वयं कुछ कर नहीं सकते। जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्हीं मृत शब्दों पर करते हैं। यह विभाजन भी बहुत निश्चित नहीं है। (८) अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग का यहाँ बाहुल्य है। इस परिवार की तिब्बती, बर्मी आदि भाषाओं की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि की ही पुत्री हैं।

(३) सेमेटिक-हैमेटिक (सामी-हामी) परिवार

कुछ लोग सेमेटिक तथा हैमेटिक को दो परिवार तथा कुछ लोग इन्हें एक ही परिवार की दो शाखाएँ मानते रहे हैं। वस्तुतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, दोनों में कुछ समानताएँ होती हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगता है कि प्राचीन काल में कभी-न-कभी ये दोनों एक परिवार की दो शाखाएँ रही होंगी।

यह परिवार उत्तरी अफ्रीका तथा पास के पश्चिमी एशिया में फैला है। इजील की पौराणिक कथा के अनुसार हजरत नूह के पुत्र सेम और हेम इन क्षेत्रों की भाषाओं का आदि पुरुष कहे जाते हैं। अतः उन्हीं के नाम पर इन दोनों शाखाओं के नाम पड़े हैं। क्षेत्र—सेमेटिक—मिस्र, ईराक, अरब, सीरिया, फिलस्तीन, इथियोपिया, मोरक्को, अलजीरिया। हैमेटिक—लीबिया, सोमालीलैंड, इथियोपिया। भाषाएँ: सेमेटिक—हिब्रू, अरबी, अकादियन (इसे असीरियन या बेबिलोनियन भी कहते हैं), सुमेरियन। हैमेटिक—प्राचीन मिस्री, कॉप्टिक, सोमाली, गल्ला, बेजा, नामा, फुला। इन सभी भाषाओं में अरबी भाषा सभी दृष्टियों से बहुत सम्पन्न रही है तथा उसने शब्दों के क्षेत्र में यूरोप और एशिया की भाषाओं (अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ्रेंच, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि) को प्रभावित किया है। फारसी, तुर्की आदि को तो व्याकरणिक दृष्टि से भी प्रभावित किया है।

सेमेटिक और हैमेटिक के मिलते-जुलते लक्षण—(१) दोनों ही श्लिष्ट-योगात्मक और अन्तर्मुखी हैं। इनमें पूर्व, मध्य और पर विभक्तियाँ लगती हैं, किन्तु अधिकतर सम्बन्ध-तत्त्व भीतर होने वाले स्वर-परिवर्तन से ही सूचित हो जाता है। जैसे सेमेटिक की अरबी भाषा में क्त-त्-ल्, से क्तितल, क्तितल, क्तितल, यक्तनुत्, कातिल, तथा क्तत्ल आदि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें साधारण स्वर-परिवर्तन से ही अर्थ-परिवर्तन हो गया है। (२) दोनों ही परिवारों में अफ्रीका की कुछ भाषाओं की भाँति क्रिया में काल का गौण स्थान है, और पूर्णता और अपूर्णता का प्रमुख। (३) बहुवचन बनाने के लिए दोनों ही कुलों में प्रत्यय लगते हैं, और दोनों के प्रत्ययों का मूल भी लगभग एक ही है। (४) 'त' ध्वनि दोनों कुलों में स्त्रीलिंग का चिह्न है। दोनों ही में लिंगभेद नर-मादा पर अर्थात् प्राकृतिक लिंग पर न आधारित होकर कुछ अन्य बातों पर आधारित है। (५) दोनों परिवारों के सर्वनामों का मूल भी प्रायः एक ही है।

सेमेटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ—कुछ बातें ऊपर आ चुकी हैं। शेष ये हैं : (१) 'मादा' (धातु, लट) प्रायः तीन व्यंजनों का होता है, जैसे क्तब् (लिखना), दब् (बोलना), वदग् (पाना) इत्यादि। हैमेटिक भाषाओं में यह बात पाई जाती है। (२) 'मादा' के इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद (वाक्य में रखे जाने योग्य शब्द जिनमें अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व दोनों हों) बनते हैं। इस प्रकार भारोपीय परिवार में जो कार्य आंतरिक परिवर्तन तथा प्रत्ययों से लिया जाता है, वह यहाँ स्वरों की सहायता से ही प्रायः हो जाता है, जैसे अरबी में क्तब् 'मादा' से कातिब, किताब तथा कुतुब, इत्यादि। (३) कभी-कभी इस उपर्युक्त स्वर-परिवर्तन से काम नहीं चलता तो उपसर्ग तथा प्रत्यय की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रेरणार्थक आदि के लिए क्तल् से 'हिव्रितल' में 'हि' उपसर्ग जोड़कर बनाना पड़ता है। यहाँ एक बात उल्लेख्य यह है कि भारतीय भाषाओं की भाँति सेमेटिक परिवार की भाषाओं में एक मूल में कई प्रत्यय या उपसर्ग (जैसे 'अनुकरणात्मकता' शब्द में अनु+करण+आत्मक+ता है, एक साथ नहीं जुड़ते)। (४) इस परिवार में समास केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ही मिलता है और वह भी केवल दो शब्दों का, जैसे, मलकह-इसरायल। स्थान-काल की दृष्टि से भारोपीय समासों से यहाँ की पद्धति उलटी है। संस्कृत में 'दधि-मुत' होगा तो यहाँ 'मुत+दधि'। इसी का प्रभाव फ़ारसी-उर्दू पर है जो शाहे-फ़ारस (फ़ारस का शाह), शाहे-वक्त आदि में स्पष्ट है। ऊपर हम लोग कह चुके हैं कि हैमेटिक और सेमेटिक दोनों ही में 'त' स्त्रीलिंग का चिह्न है, पर सेमेटिक परिवार में एक बात यह विशेष है कि यह 'त' ध्वनि कुछ भाषाओं में विकसित हो 'थ' या 'ह' हो गई है। जैसे अरबी में मलक् (राजा) का स्त्रीलिंग मलकह् (रानी) होता है, न कि मलकत्।

हैमेटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ—(१) इस परिवार की भाषाएँ श्लिष्ट-योगात्मक हैं। (२) पद बनाने के लिए इन भाषाओं में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगाये जाते हैं, किन्तु ऐसा केवल क्रिया के ही सम्बन्ध में होता है। संज्ञा में प्रत्यय ही लगाये जाते हैं। (३) इन भाषाओं में स्वर-परिवर्तन मात्र से अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। जैसे 'गल' का अर्थ होता है 'भीतर जाना' पर 'गिलि' का अर्थ होता है 'भीतर रखना'। (४) जोर देने के लिए इनमें पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है। 'लब' का अर्थ 'मोड़ना' होता है, पर बार-बार मोड़ने के लिए 'लब-लब' का प्रयोग होता है। इसी प्रकार गोइ (काटना) और गोगोइ (बार-बार काटना) भी है। (५) इन भाषाओं में, क्रियारूपों से ठीक-ठीक काल का बोध नहीं होता, बल्कि पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है। समय का ठीक बोध कराने के लिए अन्य

१. कुछ मादा चार या पाँच व्यंजनों के भी होते हैं और 'रुवाई' तथा 'लुमासी' कहलाते हैं। यों कुछ विद्वानों का कहना है कि मूलतः सभी धातुएँ तीन व्यंजनों की थीं।

सहायक शब्दों की कारण लेनी पड़ती है। (६) इस परिवार में लिंगभेद 'नर' और 'मादा' पर आधारित नहीं है, और साथ ही वह भारोपीय भाषाओं की भाँति बहुत अव्यवस्थित भी नहीं है। सामान्यतः बड़ी और बली वस्तुएँ पुल्लिंग समझी जाती हैं, और इसके उलटे-निर्बल और छोटी स्त्रीलिंग। प्यार करने योग्य तथा कोमल वस्तुएँ भी स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। तलवार, कड़ी और मोटी घास, चटाने तथा हाथी आदि पुल्लिंग हैं, पर चाकू नरम और पतली घास, पत्थर के टुकड़े तथा छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैं। (७) बहुवचन बनाने के यहाँ कई तरीक़े हैं, साथ ही बहुवचन के समूहात्मक और असमूहात्मक आदि कई भेद भी हैं। लिसा (= आँसू, एकवचन), लिस् (आँसू का असमूहात्मक बहुवचन) और लिस्से (= आँसू का समूहात्मक बहुवचन)। छोटे पदार्थ या कीड़े आदि बहुवचन समझ जाते हैं। उनको एकवचन में लाने के लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते थे। ऊपर हम लोग लिस् और लिसा देख चुके हैं। बिल् (पतिंगे) और बिला (पतिगा) भी उदाहरण-स्वरूप लिए जा सकते हैं। इस परिवार की केवल 'नामा' भाषा में द्विवचन है। (८) यहाँ की सबसे विचित्र और अभूतपूर्व विशेषता यह है कि संज्ञा वचन में परिवर्तित होने पर लिंग में भी परिवर्तित हुई समझी जाती है, अर्थात् किसी एकवचन, पुल्लिंग संज्ञा को बहुवचन बनाते हैं तो लिंग के विचार से वह स्त्रीलिंग हो जाती है। इस नियम को भाषा-वैज्ञानिकों ने ध्रुवाभिमुख नियम (दे० परिशिष्ट) कहा है। इसके अनुसार 'होयो-दि' (माता) स्त्रीलिंग है किन्तु 'होयिन-कि' (माताएँ) पुल्लिंग। इसी प्रकार लिबह-हि' (शेर) पुल्लिंग है, किन्तु 'लिबहयो-दि' (कई शेर) स्त्रीलिंग।

(४) यूराल-अल्टाइक परिवार

इसका क्षेत्र यूराल और अल्टाई पर्वत के बीच तुर्की, सोवियत संघ, हंगरी, फिनलैंड आदि में फैला है। क्षेत्रफल में यह भारोपीय के बाद सबसे बड़ा परिवार है। कुछ लोग 'यूराल' और 'अल्टाई' को अलग-अलग परिवार मानते हैं। भाषाएँ: यूराली (फ़िनो-उग्रिक)—फ़िनिश (फ़िनलैंड)। इस्तोनियन (इस्तोनिया), हंगेरियन (हंगरी)। अल्टाई—तुर्की (तुर्की), ऐज़रबैजानी (ऐज़रबैजान), उज़बेक (उज़बेकिस्तान), मंगोलियन (मंगोलिया), किरगिज़ (किरगिज़िया), कज़ाक (कज़ा-किस्तान)। विशेषताएँ—(१) भाषाएँ अश्लिष्ट अंतः-योगात्मक हैं। (२) व्याकरणिक लिंग इस परिवार की भाषाओं में नहीं होता। (३) इसकी कुछ भाषाओं में २३ कारक हैं। (४) इस्तोनियन आदि कुछ भाषाओं में स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत रूपों का प्रयोग बहुत सामान्य है। (५) स्वर-अनुरूपता (vowel harmony) इनमें मिलती है। ऐसा होता है कि जब मूल-धातु में अनेक प्रत्ययों को जोड़ा जाता है तो उन प्रत्ययों के स्वर धातु के स्वर के 'वजन' पर कर लिए जाते हैं। यहाँ के स्वरों के, गुरु स्वर और लघु स्वर, दो वर्ग हैं। जब धातु में गुरु स्वर रहता है तो सभी प्रत्ययों के स्वर गुरु कर लिये जाते हैं और नहीं तो लघु। यह उच्चारण सौकर्य के लिए होता है। तुर्की से उदाहरण ले सकते हैं—

'यज' से 'मक्' लगाकर 'यज़मक्' (=लिखना) बनता है किन्तु 'सेव' से 'मक्' लगाकर 'सेवमक्' न बनकर 'सेवमेक्' (=प्यार करना) बनता है। इसी प्रकार, 'लर्' बहुवचन की विभक्ति है। 'अत्' के साथ मिलकर यह 'अतलर्' (घोड़े) पद बनाती है, किन्तु 'एव' के साथ 'एव्लेर्' (अनेक घर)।

(५) काकेशियन परिवार

इस परिवार का क्षेत्र कैस्पियन सागर और कृष्ण सागर के बीच में काकेशस पर्वत का पहाड़ी क्षेत्र और आसपास का भूभाग है। प्रमुख भाषाएँ: उत्तरी—जैचेन, कबादियन, अचर, अबरवासियन। दक्षिणी—जाज़ियन, मिग्रैलियन। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण इस

परिवार में अनेकानेक भाषाएँ और बोलियाँ विकसित हो गई हैं। विशेषताएँ—(१) ऊपर से देखने में भाषाएँ श्लिष्ट लगती हैं, किन्तु वस्तुतः हैं अश्लिष्ट-योगात्मक। इनमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगाए जाते हैं। (२) इसकी उत्तरी भाषाओं में स्वरों की कमी है। (३) कारकों की संख्या काफ़ी है। अवर में तीस कारक हैं। (४) कुछ (जैसे चेचेन) में छः लिग हैं। (५) सर्वनाम और क्रियारूप एक में जुड़ जाते हैं। (६) इनमें क्रियारूप बड़े जटिल होते हैं। मूल-धातु का उनमें प्रायः बिल्कुल नहीं पता चलता।

(६) जापानी-कोरियाई परिवार

यह परिवार जापान, कोरिया तथा आसपास के कुछ द्वीपों आदि में फैला है। इसकी मुख्य भाषाएँ जापानी तथा कोरियाई हैं। पहले ये दोनों अनिश्चित परिवार की भाषाएँ मानी जाती थी तथा इनका आपस में भी कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता था। जब प्रायः यह माना जाने लगा है कि ये दोनों एक ही परिवार की हैं। कोरियाई लिपि ब्राह्मी से विकसित है। चीनी के आधार पर जापानी की अक्षर-माला बनाने में भारतीयों का हाथ रहा है और उसे 'अइउएओ' कहते भी हैं। विशेषताएँ—(१) यह परिवार अश्लिष्ट-योगात्मक है। (२) शब्द अनेकाक्षर होते हैं। (३) संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्रायः बहुत कम होता है। (४) जापानी में 'र' के स्थान पर 'ल' तथा 'ल' के स्थान पर 'र' अनेक शब्दों में आ सकता है। (५) शब्दों में प्रायः सभी अक्षरों पर समान बल पड़ता है। (६) ह्रस्व और दीर्घ के अतिरिक्त कुछ स्वर अति ह्रस्व भी हैं, जो प्रायः उच्चरित नहीं होते, जैसे 'अरिमासु' (है, हैं) का उच्चारण 'अरिमास' होता है। (७) व्याकरणिक लिग, वचन तथा पुरुष की धारणा बहुत स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए 'को दोमो'—'एक बच्चा' अथवा 'कई बच्चे'। ऐसे ही 'दोको ए इकिमासु का' (= कहाँ जाना हो रहा है) का प्रयोग 'वह कहाँ जा रहा है', 'वे कहाँ जा रहे हैं', 'वह कहाँ जा रही है', 'वे कहाँ जा रही हैं', 'मैं कहाँ जा रहा हूँ', 'मैं कहाँ जा रही हूँ' आदि सभी के लिए होता है।

(७) मलय-पॉलिनेशियन परिवार

यह परिवार पश्चिम में मैडागास्कर से लेकर पूरब में ईस्टर द्वीप तक तथा उत्तर में फ़ारमोसा से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, फ़िलीपीन, न्यूजीलैंड, हवाई, मलाया, फ़ारमोसा आदि में फैला हुआ है। मुख्य भाषाएँ: पश्चिमी—मलय, इंडोनेशियन, जावानीज, बालीनीज। पूर्वी—हवाईयन, समोअन, माओरी, फ़ीजियन, न्यूजीलैंडी। विशेषताएँ—(१) भाषाएँ अश्लिष्ट योगात्मक हैं। (२) मूल शब्द तथा धातुएँ दो अक्षरों की हैं। (३) बलाघात प्रथम अक्षर पर होता है। (४) आदि, मध्य तथा अंत्य प्रत्यय का प्रयोग पद-रचना के लिए होता है। (५) बहुवचन बनाने के लिए प्रायः पुनरुक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, मलय भाषा में रज=राजा; रजरज=राजे। (६) क्रिया के कुछ विशेष रूप ऐसे भी होते हैं जो सामान्यतः अन्य परिवारों में नहीं मिलते। जैसे पारस्परिक, प्रायिक आदि। (७) बार-बार अच्छी तरह, ऊपर-नीचे आदि के लिए पुनरुक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फ़िजियन में तला=भेजना, तलातला=बार-बार भेजना; हवाईयन में हुलि=खोजना, हुलिहुलि=अच्छी तरह खोजना। ऐसे ही हेरे=चलना, हेरेहेरे=ऊपर-नीचे चलना। इस परिवार की जावा, सुमात्रा, बाली आदि की भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत ज्यादा हैं। अनेक स्थानों और व्यक्तियों के नाम भी मूलतः संस्कृत के हैं। जावा की साहित्यिक भाषा को 'कवि' कहते हैं। कुछ स्थान हैं: सुरादिपुर (सुराधिपुर), जावा (यवद्वीप), वोनोसोबो (वनसभा)। कुछ नाम हैं: मुकानो (मुकण), जसविदग्ध (यसोविदग्ध), सोयजोप्रन्नत (सूर्योप्रन्नत) बुद्धिधर्म (बुद्धिधर्म), कर्तविनव (कृतविभव)।

(८) आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार

इसे आस्ट्रिक अथवा आग्नेय परिवार भी कहा गया है। पहले इस परिवार का क्षेत्र विस्तृत था, किन्तु अब स्याम, ब्रह्मा, नीकोबार, कम्बोडिया, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आदि में ही यह सीमित हो गया है। इसके मुख्य वर्ग हैं: (क) पश्चिमी—इन भाषाओं को मुंडा या कोल कहते हैं। इस वर्ग की प्रसिद्ध भाषाएँ संथाली (पूर्वी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल), मुंडारी (पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु), तथा भूमिज आदि हैं। बीस अथवा बीसी के आधार पर गिनती, कोड़ी शब्द का प्रयोग, कुछ बिहारी बोलियों में क्रियारूपों की जटिलता, पूर्वी भारत की भाषाओं में व्याकरणिक लिंग की अपेक्षा-कृत कमी आदि बातें मुंडा वर्ग की भाषाओं का प्रभाव मानी जाती हैं। (ख) पूर्वी—ब्रह्मा और स्याम की माँन और रुमेर तथा अन्नाम की अन्नामी आदि। विशेषताएँ—(१) भाषाएँ प्रायः अश्लिष्ट-योगात्मक हैं। (२) इनकी महाप्राण ध्वनियाँ हमारी महाप्राण-ध्वनियों से अधिक प्राणयुक्त हैं। (३) क्लिक ध्वनियों की तरह इनके यहाँ एक विशेष प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। जिन्हें अर्ध-व्यंजन की संज्ञा दी जा सकती है। (४) मध्य प्रत्यय का प्रयोग होता है: मंझी = मुखिया, मपंझी = मुखिया लोग। (५) इनमें द्विवचन भी है। (६) लिंग दो हैं, जिनकी अभिव्यक्ति प्रायः लिंग-द्योतक शब्दों को जोड़ कर होती है: अरडिया कल = बाघ, एंगा कल = बाघिन। (७) एक ही शब्द प्रसंगानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण का कार्य कर लेता है। अर्थात् शब्द भेद का निर्णय प्रकरण से होता है।

(९) बुशमैन परिवार

इसका क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका में ऑरेंज नदी से नगामी झील तक है। यहाँ मुख्यतः बुशमैन जाति के लोग रहते हैं, उन्हीं के आधार पर यह नाम पड़ा है। इस परिवार को कुछ लोग परिवार न कहकर परिवार-वर्ग कहते हैं। इसकी मुख्य भाषाएँ ऐकवे, ओकवे, होतंतोत आदि हैं। इस परिवार पर बांटू, सूडान तथा हैमेटिक भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। विशेषताएँ—(१) इसमें अतःस्फोटात्मक अथवा क्लिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। ये क्लिक ध्वनियाँ ओष्ठ्य, दत्य, मूर्धन्य, तालव्य तथा वत्स्य, पाँच प्रकार की हैं। (२) इन भाषाओं में लिंग पुरुषत्व-स्त्रीत्व पर आधारित न होकर सजीव-निर्जीव पर आधारित है। (३) बहुवचन बनाने के लिए इन भाषाओं में अनेक प्रकार के नियमों (प्रायः पचास से ऊपर) का प्रयोग होता है जिनमें एक पुनरुक्ति भी है।

(१०) बांटू परिवार

लगभग १५० भाषाओं के इस परिवार की प्रायः सभी भाषाओं में 'आदमी' के लिए एक ही शब्द 'बांटू' कुछ उच्चारण-भेदों के साथ प्रचलित है। इसी आधार पर इस परिवार को यह नाम दिया गया है। यह परिवार मध्य और दक्षिणी अफ्रीका तथा जंजीबार द्वीप आदि में फैला है। इसकी मुख्य भाषाएँ काफिर, स्वाहिली, जुलु, कांगो, सेसुतो, हान्दा, उम्बुन्दु आदि हैं। विशेषताएँ—(१) इसकी भाषाएँ प्रायः अश्लिष्ट-पूर्ण योगात्मक हैं। (२) इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं होते तथा शब्द प्रायः स्वरांत होते हैं; अतः भाषाएँ बड़ी श्रुति-मधुर हैं। (३) इसकी दक्षिणी-पूर्वी भाषाओं में क्लिक ध्वनियाँ हैं। (४) 'होफिनेला' बाधना; होफिनेला = खोलना। (५) इस परिवार की भाषाओं में ध्वनि-अनुरूपता मिलती है। वाक्य के एक शब्द में उपसर्ग लगा कर उसी के वजन पर सभी शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन कर लेते हैं। (६) व्याकरणिक लिंग-विचार प्रायः नहीं के बराबर है।

(११) सूडान परिवार

लगभग सवा चार सौ भाषाओं के इस परिवार को कुछ लोग सात परिवारों का वर्ग मानते हैं। यह परिवार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर हैमेटिक भाषा-क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व से पश्चिम तक एक पतले भाग में फैला हुआ है। इसकी मुख्य भाषाएँ हीसा, सोंहगइ, इवे, बांटू, न्युबियन, यरुबा, अशानी आदि हैं। अनेक बातों में यह परिवार चीनी तथा बातू परिवार से मिलता-जुलता है। विशेषताएँ—(१) इसकी भाषाएँ मुख्यतः अयोगात्मक हैं। (२) धातुएँ प्रायः एकाक्षर हैं। (३) विभक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं होता। (४) अर्थ को व्यक्त करने के लिए चीनी भाषा की तरह 'सुरों' का प्रयोग होता है। (५) इस परिवार में बहुवचन का प्रयोग कम ही होता है। कभी-कभी बहुवचन बनाते हैं तो स्वर को दीर्घ करके (जैसे रॉर=जंगल, रोर=बहुत से जंगल) अथवा अन्य पुरुष बहुवचन या लिंग का समानार्थी शब्द जोड़कर। (६) व्याकरणिक लिंग भी प्रायः नहीं है। यदि बहुत आवश्यक हुआ तो कुछ खास लिंग-बोधक शब्दों को जोड़कर शब्दों को विशिष्ट लिंगत्व प्रदान करते हैं। (७) प्रायः वाक्य छोटे और सरल होते हैं, संयुक्त या मिश्रित नहीं। यदि कहना होगा—'वह जहाज पर मे समुद्र में कूदा' तो कहेंगे—'वह कूदा। जहाज के भीतरी भाग को छोड़ा। समुद्र में गिरा।' (८) इन भाषाओं में कुछ ऐसे व्यंजनक शब्द होते हैं जो अपनी ध्वनि से गति, रूप, स्वाद, गंध आदि की काफ़ी सटीक व्यंजना करने में समर्थ होते हैं। ऐसे शब्द विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण होते हैं। जैसे क-क=सीधे; त्यो-त्यो=जल्दी; मि-सि=छोटे-छोटे कदम रखकर; त्ये-त्ये=दृढ़ गति से।

(१२) अमरीकी परिवार

अमरीका में यों तो मुख्यतः अंग्रेज़ी, स्पैनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मन तथा इटैलियन आदि भाषाएँ बोली जाती हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त वहाँ के आदिवासियों द्वारा व्यवहृत लगभग एक हजार भाषाएँ ऐसी हैं, जो मूलतः वहीं की हैं और जिन्हें अमरीकी भाषाएँ कहते हैं। यहाँ इन्हें शिथिल रूप में एक परिवार कहा जा रहा है। वास्तविकता यह है कि इनका अभी ठीक ढंग से तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाया है, और इसीलिए इनका ठीक पारिवारिक वर्गीकरण सम्भव नहीं हो सका है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यहाँ लगभग एक हजार परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें 'अमरीकी वर्ग' कहा जा सकता है। ये भाषाएँ उत्तरी अमरीका, मध्य अमरीका, दक्षिणी अमरीका, ग्रीनलैंड तथा आस-पाम के द्वीपों में बोली जाती हैं। इनकी मुख्य भाषाएँ एस्किमो (ग्रीनलैंड), अथबस्कन (कनाडा तथा संयुक्त राज्य), नहुअतल (मैक्सिको), करीब, चैरोकी (पनामा के पूरब), गुअर्नी, क्वेचुआ, अरबक, चैरोकी, नूत्का आदि हैं। विश्लेषण के अभाव में इनकी सामान्य विशेषताएँ देना सम्भव नहीं है। प्रायः ये सभी भाषाएँ प्रश्लिष्ट योगात्मक हैं, अर्थात् शब्दों के अंश मिल कर वाक्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए चैरोकी भाषा का वाक्य 'नाधोलिनिन' लिया जा सकता है, जिनका उल्लेख पीछे पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में किया जा चुका है। कुछ स्थानों पर ऐसा है कि स्त्रियाँ एक भाषा बोलती हैं और पुरुष दूसरी। इसका ऐतिहासिक कारण है। एक बार ऐसा हुआ था कि 'अबरक' भाषाभाषी लोगों पर 'करीब' भाषाभाषी लोगों की विजय हुई। उन लोगों ने पुरुषों को तो मार डाला और स्त्रियों से विवाह कर लिये। फल यह हुआ कि स्त्रियों की पीढ़ी अब तक 'अबरक' भाषा बोलती है और पुरुष 'करीब' भाषा का प्रयोग करते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों ही एक-दूसरे को समझ लेते हैं, पर प्रयोग एक का करते हैं। दोनों भाषाओं का एक-दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जो स्वाभाविक ही है।

(१३) भारोपीय परिवार

भारत से लेकर प्रायः पूरे यूरोप तक बोले जाने के कारण इस परिवार को 'भारोपीय परिवार' कहते हैं। क्षेत्र—यह परिवार एशिया में भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, रूमनिया, फ़्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि, तथा अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, और आस्ट्रेलिया के अनेक भागों में बोला जाता है। मुख्य भाषाएँ : प्राचीन—संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि। आधुनिक—अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फ़ारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि। महत्व—इस परिवार का महत्व कई कारणों से है : (१) यह विश्व के बहुत बड़े भाग में बोला जाता है। अर्थात् भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा परिवार है। (२) इसमें अन्य परिवारों की तुलना में भाषाओं और बोलियों की संख्या बहुत अधिक है। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या विश्व में अन्य परिवारों की तुलना में बहुत अधिक है। (३) साहित्य-रचना के क्षेत्र में भी इस परिवार की भाषाएँ अग्रणी हैं। (४) इस परिवार की भाषाओं और बोलियों का ही अध्ययन-विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है। (५) भाषा-विज्ञान के विकास में इस परिवार की भाषाओं के विद्वानों (पाणिनी, भट्टहरि, ससूर, ब्लूमफील्ड, चाम्स्की आदि) ने ही सर्वाधिक कार्य किया है। परिवार का विभाजन—यह परिवार मुख्यतः दो शाखाओं में विभक्त है : केंतुम (यह शब्द लैटिन का है और इसका अर्थ है 'सौ'), सतम् (यह शब्द अवेस्ता का है और इसका अर्थ है 'सौ')। आगे इन दोनों के अंतर्गत निम्नांकित भाषाएँ हैं : केंतुम्—केल्टिक (आयरिश, स्काच), जर्मनिक (जर्मन, अंग्रेज़ी, स्वेडिश), लैटिन (इतालवी, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि), ग्रीक। सतम्—स्लाव (रूसी, बल्गेरियन, पोलिश), ईरान (फ़ारसी, ताजिक), भारतीय (संस्कृत, पालि, प्राकृत, हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, असमी आदि)। विशेषताएँ—(१) अपने मूल रूप की दृष्टि से यह परिवार श्लिष्ट-योगात्मक कहा जा सकता है। (२) इसमें योग प्रत्यय का प्रकृति से या सम्बन्धतत्त्व का अर्थतत्त्व से प्रायः सेमेटिक या हैमेटिक परिवार-सा अन्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी होता है। (३) प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उनके स्वतन्त्र अर्थ का पता नहीं है। एक-दो के विषय में (जैसा अंग्रेज़ी का *ly—manly*) विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है, पर शेष संदिग्ध हैं। यों, अनुमान ऐसा है कि अन्य भाषाओं के प्रत्ययों की भाँति भारोपीय परिवार के प्रत्यय भी कभी स्वतंत्र शब्द थे, उनका अर्थ था; कालान्तर में धीरे-धीरे ध्वनि-परिवर्तन के चक्र में पड़ने से उनका आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया। (४) इस परिवार की भाषाएँ आरम्भ में योगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एक को छोड़कर सभी वियोगात्मक हो गईं, जिसके फलस्वरूप, परसर्ग तथा सहायक क्रिया आदि की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ भाषाएँ स्थान-प्रधान (positional) भी हो गई हैं। जैसे 'राम मोहन कहता है' में 'राम' को 'मोहन' के स्थान पर और 'मोहन' को 'राम' के स्थान पर कर देने से अर्थ-परिवर्तन हो जायेगा, पर संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में यह बात नहीं थी। (५) धातुएँ अधिकतर एकाक्षर होती हैं। इनमें प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत (primary) कहते हैं और जो कृत लगाने के बाद जोड़े जाते हैं, उन्हें तद्धित (secondary)। तद्धित के भी तीन भेद हैं जो क्रम से शब्द, कारक के उपयुक्त पद और कालानुसार क्रिया बनाते हैं। इन्हें क्रम से word-building suffixes, case-indicating suffixes और verbal suffixes कह सकते हैं। (६) इस परिवार में पूर्वसर्ग या पूर्व-विभक्तियाँ सम्बन्ध-सूचना देने के लिए या वाक्य बनाने के लिए बाँट आदि कुलों की भाँति नहीं प्रयुक्त होतीं। उनका प्रयोग होता है और पर्याप्त मात्रा में होता है, पर उनसे शब्दों या धातुओं के अर्थ को परिवर्तित करने का काम लिया जाता है। जैसे विहार, आहार, परिहार

आदि में 'वि', 'आ', और 'परि' आदि लगाकर किया गया है। (८) समास-रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास द्वारा बने शब्द का अर्थ ठीक वही नहीं रहता जो उसके अलग-अलग शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता है। उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। जैसे काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा, अर्थात् काशी की वह सभा जो नागरी का प्रचार करती है। वेल्श भाषा में समासों से बहुत बड़े-बड़े शब्द बनते हैं। किसी टापू में बसे एक वेल्श ग्राम का नाम, जो समास पर आधारित है, ५८ वर्णों का है। (९) इस परिवार की एक प्रधान विशेषता यह भी है कि स्वर-परिवर्तन सम्बन्धतत्त्व-सम्बन्धी परिवर्तन हो जाता है। आरम्भ में स्वराघात के कारण ऐसा हुआ होगा। स्वराघात के कारण स्वर-परिवर्तन हो गया और जब धीरे-धीरे प्रत्ययों का लोप हो गया तो वे स्वर-परिवर्तन ही सम्बन्ध-परिवर्तन को भी स्पष्ट करने लगे। अंग्रेज़ी की कुछ बली क्रियाओं में यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती है—drink, drank, drunk, यहाँ आई (i) का ए (a) और यू (u) में परिवर्तन हुआ है, और इसी से उसमें काल-सम्बन्धी परिवर्तन आ गया है। (१०) एक स्थान से चल कर अलग होने पर इस परिवार की भाषाओं का अलग-अलग बहुत-सी भाषाओं में विकास हुआ और सभी में प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ी। अतः यहाँ प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अन्य किसी भी परिवार में इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है। इस परिवार के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नीचे दी जा रही है—

नाम—इस परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से लेकर ईरान और आर्मेनिया होता हुआ बीच के (यूराल-अल्टाइक तथा बास्क) कुछ भागों को छोड़ कर ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपों के पश्चिमी भाग तक है। इस परिवार का उचित नामकरण आरम्भ से ही विवादास्पद रहा है और आज भी कोई संतोषजनक नाम नहीं है। भारोपीय परिवार को पहले (१) 'इंडो-जर्मनिक' कहा गया था, क्योंकि इसके पूर्वी छोर पर भारतीय और पश्चिमी छोर पर जर्मनिक भाषाएँ हैं। किन्तु, उनके भी पश्चिम इस परिवार की केल्टिक शाखा है, अतः यह नाम उचित नहीं जान पड़ा और इसी कारण छोड़ भी दिया गया—यद्यपि जर्मनी में अब भी यही नाम (Indo-Germanisch) प्रचलित है। उनका कहना यह है कि यह नाम विद्वानों ने जर्मनी को महत्व न देने की दृष्टि से छोड़ दिया, उसके अनुपयुक्त होने के कारण नहीं। भौगोलिक दृष्टि से (२) 'इंडो-केल्टिक' नाम ठीक था और कुछ प्रयोग में भी आया; किन्तु चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल दोनों छोर ही थे। नाम से परिवार के सम्बन्ध में निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था। इसे (३) 'आर्य-परिवार' भी कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों का अनुमान था कि प्रारम्भ में इसके बोलने वाले आर्य (विशेष नस्ल) थे। बाद में, यह धारणा भ्रामक, सिद्ध हो गई। साथ ही, लोगों का यह कहना ठीक है कि 'आर्य' शब्द का प्रयोग भारत और ईरान (आर्याणाम् अइराण, ईरान) में ही विशेष प्रचलित रहा है, इसलिए भारोपीय परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसकी एक शाखा भारत-ईरानी के लिए इस नाम का प्रयोग अधिक समीचीन है। आज इसी-लिए 'आर्य' का प्रयोग अधिकांश विद्वान् भारत-ईरानी के लिए ही करते हैं। यों अपवाद-स्वरूप मैक्समूलर, यैस्पर्सन आदि कुछ विद्वान् इसे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त उपयुक्त मानते रहे हैं। इस परिवार में संस्कृत भाषा का महत्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है। पहले तो लोगों का यह भी विचार था कि संस्कृत ही मूल भाषा थी, और इसी से इस परिवार की सारी भाषाएँ निकलीं। इन्हीं सब कारणों से कुछ लोगों ने इसे (४) 'संस्कृत परिवार' या 'सांस्कृतिक परिवार' कहना उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता नहीं मिली। कुछ लोगों ने इसे (५) 'काकेशियन परिवार' भी कहा था, यद्यपि यह भी नहीं चल सका। कुछ लोग सेमेटिक और हैमेटिक की वज़न पर इसे (६) 'जफ़ेटिक परिवार' कहना चाहते थे। बाइबिल में इन आधारों पर मनुष्य जाति का वर्गीकरण किया गया है। किन्तु, यह वर्गीकरण पूर्णतः अवैज्ञानिक अतः अमान्य था, इसलिए नहीं चल सका। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि कितने

ही जफ़ेटिक कहलाने वाले लोग ऐसी भाषाएँ बोलते हैं, जिनका भारोपीय परिवार से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। अन्तिम नाम जो आजकल भी प्रचलित है (७) 'भारोपीय परिवार' (भारत-यूरोपीय, Indo-European) है। यह नाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। इसका आधार भौगोलिक है क्योंकि इस परिवार की शाखाएँ भारत से लेकर यूरोप तक फैली हैं। पर, यदि यही आधार माना जाय तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया, और अफ्रीका के बहुत से भागों में भी अब इस परिवार की भाषाओं (अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ्रेंच, डच आदि) का प्रचार है, और इस नाम में ये क्षेत्र सम्मिलित हैं। फिर भी, किसी अन्य अधिक उपयुक्त नाम के अभाव में 'भारोपीय' नाम काम दे सकता है और दे रहा है।

ऊपर हमने देखा कि भौगोलिक, जातीय या प्रमुख भाषा आदि कई आधारों पर नामकरण का प्रयास किया गया है; यद्यपि कोई संतोषजनक नहीं है। इस विषय में मेरा एक विनम्र सुझाव है। भाषाविज्ञानविदों ने तुलनात्मक अध्ययन (संस्कृत वीर, लैटिन *uir, vir*, प्राचीन आइरी *Fer*, जर्मनिक *wer* आदि) के आधार पर मूल भारोपीय या भारत-हिती भाषा के एक शब्द *wiros* का पुनर्निर्माण किया था, और उन मूल लोगों को भी इसी 'विरोस्' शब्द से पुकारा था। यदि हम उन मूल लोगों को 'विरोस्' कह रहे हैं, तो उसी आधार पर उस मूल भाषा के परिवार के लिए (८) 'विरोस् परिवार' (*Wiros family*) का प्रयोग कर सकते हैं। सभी दृष्टियों से, यह नाम, औरों की अपेक्षा उपयुक्त है। हाँ, यह बात दूसरी है कि भारोपीय या Indo-European के पूर्णतया प्रचलित हो जाने के बाद अब किसी अच्छे नाम के भी प्रलचन की सम्भावना कम ही है।


ऊपर इस परिवार के नामकरण के सम्बन्ध में सात पुराने और एक अपने नये सुझाव का उल्लेख किया गया है। यथार्थतः प्रथम सात की स्थिति तब की है, जब हिती (*Hittite*) भाषा को इस परिवार की एक शाखा माना गया था। कुछ विद्वान् 'हिती' को 'भारोपीय' की पुत्री न मानकर बहन मानने के पक्ष में रहे हैं, वैसे स्थिति में भारत-हिती (*Indo-Hittite*) नाम उपयुक्त होगा। यों 'विरोस् परिवार' नाम शायद 'भारत-हिती' या 'इंडो-हिटाइट' से कहीं अच्छा है। हाँ यदि मूल दो शाखाओं के आधार पर ही नामकरण करना हो तो 'भारोपीय-एनाटोलियान' का सुझाव भी मैं देना चाहूँगा। आगे दिये गये वंशवृक्ष से यह नाम स्पष्ट हो जायगा।

हिती या हिटाइट (*Hittite*)

ह्यू गो विकलर को एशिया माइनर से 'बोगाज़कोई' नामक स्थान की खुदाई में कुछ कीलाक्षर लेख १८९३ ई० में मिले, जिनसे 'हिती' भाषा का पता चला। इसे हिटाइट, खती, हिटाइट, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसियन, नेसीय, नेसियन तथा नासिली आदि भी कहते हैं। १९०५ से १९०७ तक यह खुदाई और हुई और पर्याप्त सामग्री (कीलाक्षर के अतिरिक्त चित्रलिपि में) भी मिली। यह भाषा २००० ई० पू० की मानी जाती है। इसे कुछ लोगों ने काकेशियन से जोड़ने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने लीसियन से, और कुछ लोगों ने लीडियन से। इस भाषा पर समीपवर्ती होने के कारण सामी परिवार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए सर्वस तथा कुछ अन्य लोगों ने यह भी विचार प्रकट किया था कि यह सामी परिवार की भाषा है। कुछ विद्वानों का तो यह भी कहना था कि इस भाषा में भारोपीय या सामी परिवार के शब्द तो गृहीत (उधार) मात्र हैं, यथार्थतः इसका सम्बन्ध किसी भी परिवार से नहीं है। इसीलिए बहुत दिनों तक इसे अनिश्चित परिवार की भाषा भी कहा जाता रहा। १९१७ में चेक विद्वान् बी० ह्राज़्नी (*Hrozny*) ने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी पुस्तक 'Die Sprache der Hethiter' में इसे निश्चित रूप से भारोपीय परिवार की सिद्ध किया। मेरिगी, स्टुट्टेन्बेण्ट, कूरर तथा पीडर्सन आदि लगभग एक दर्जन विद्वानों ने इस भाषा के अध्ययन को अपनी पूर्णता पर पहुँचाया है।

अब हिती भाषा को निश्चित रूप से भारोपीय से सम्बद्ध और सामी प्रभाव के कारण उससे भी कुछ साम्य रखने वाली माना जाता है। किन्तु, हिती के विवाद की समाप्ति केवल इसके परिवार-निर्धारण में ही नहीं हो गई। आरम्भ में लोगों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन की भाँति इसे भारोपीय परिवार की पुत्री माना और भारोपीय के दो वर्ग केंतुम् और सतम् में इसे 'केंतुम्' के अन्तर्गत स्थान दिया, किन्तु बाद में स्टुर्टवैट ने यह मान्यता (इसकी ओर संकेत करने का प्रथम श्रेय एमिल फॉरर को है) सामने रखी कि 'हिती' 'भारोपीय' की पुत्री न होकर उसकी बहन थी। अर्थात् दो स्थितियाँ सम्भव हैं—


(१) 'हिती' के पुत्री माने जाने पर स्थिति



भारत-हिती परिवार (Indo-Hittite)

भारत-हिती परिवार में यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की हज़ारों बोलियाँ और भाषाएँ (जीवित या मृत) सम्मिलित हैं। इस वृहत् परिवार का वंशवृक्ष विस्तार को छोड़ते हुए संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है—

भारत-हिती (या भारोपीय-हिती)



भारत-हिती या मूल भारत-हिती भाषा का काल मोटे रूप से २४०० ई० पू० के पूर्व माना जाता है। कुछ लोग इसे ५०० वर्षों का मानते हैं और इसका काल २९०० ई० पू० और २४०० ई० पू० के बीच में रखते हैं। २४०० ई० पू० के लगभग इससे दो शाखाएँ विकसित

हुई, एक तो 'एनाटोलियन' और दूसरी 'भारोपीय'। इसके विकसित होने के पाँच सौ वर्ष बाद २००० ई० पू० के लगभग 'एनाटोलियन' से जो भाषाएँ विकसित हुई, उनमें छह का नाम प्रमुखतः उल्लेख्य है। इन छहों का स्थान एशिया माइनर है। कुछ लोग प्रायः इन सभी का सम्बन्ध काकेशियन से मानते रहे हैं। विद्वानों ने सिलियन, पिसिडियन, बिथियन, आदि लगभग एक दर्जन मृत भाषाओं को इनसे मिलाकर संयुक्त रूप से इन्हें एशियानिक नाम भी दिया है। लीडियन एक मृत भाषा है जो १५०० ई० पू० के पूर्व पश्चिमी एशिया माइनर में बोली जाती थी। इसके केवल ५३ छोटे-मोटे अभिलेख मिले हैं। अधिकतर विद्वान् लीडियन का सम्बन्ध किसी भी भाषा से नहीं मानते थे। कुछ इसे यूट्रस्कन का प्राचीन रूप मानते थे। स्टुर्टवेंट इसे प्रस्तुत परिवार में रखते हैं। एच० पी० मेरिगी ने इस पर विशेष रूप से काम किया है। लीडियन भाषा एशिया माइनर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में लीडियन के काल के बाद तक बोली जाती थी। सन् ईसवी के पूर्व ही यह मृत हो गई। इसके १५० अभिलेख तथा कुछ सिक्के मिले हैं। इसका सम्बन्ध कई भाषाओं से जोड़ा जाता रहा है। बहुत से लोग इसे अनिश्चित परिवार की भाषा भी मानते रहे हैं। अब प्रायः निश्चित रूप से इसे इस परिवार का माना जाने लगा है। एच० पेडर्सन ने इस पर विशेष रूप से कार्य किया है। हीरोग्लाइफिक हिट्टाइट या चित्राक्षर हिती का क्षेत्र भी उसी के आसपास है। गेल्ब तथा कुछ अन्य लोगों ने इसका अध्ययन किया है।

'पलेइक' भाषा का क्षेत्र वहीं 'पला' नामक स्थान में है। हिती के साथ इसकी भी कुछ सामग्री मिली है। बोसर्ट आदि विद्वानों ने इस पर कार्य किया है। लुवियन (इसे लुइअन भी कहते हैं) का क्षेत्र भी इन्हीं के पास है। इस पर भी बोसर्ट तथा कुछ और लोगों ने कार्य किया है। इन तीनों भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में भी मतभेद रहा है, किन्तु अब ये सभी प्रस्तुत परिवार की मानी जाती हैं। हिट्टाइट की भाँति ही इन सभी भाषाओं पर सामी आदि कई परिवारों का प्रभाव पड़ा है। एनाटोलियन वर्ग में और भी कई अत्यन्त अल्पज्ञात भाषाएँ हैं। इन सभी में सबसे अधिक सामग्री हिती की मिली है, इसीलिए उनका अध्ययन सबसे अधिक हुआ है और वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

हिती (पुनः)

ऊपर भारोपीय परिवार के नाम पर विचार करते समय हिती पर कुछ प्रकाश डाला गया है। यहाँ थोड़ा और विचार किया जा सकता है।

हिती और भारोपीय भाषाओं की एकता—हिती शब्द-समूह की दृष्टि से ही सामी से विशेष प्रभावित है, अन्य सभी बातों और बहुत से शब्दों में भी भारोपीय भाषाओं से उसका पर्याप्त साम्य है। (१) बहुत से वैदिक देवताओं के नाम हिती में थोड़े परिवर्तन के साथ वर्तमान हैं। हिती शूरियश, संस्कृत सूर्य, हि० मरुतश, सं० मरुतः; हि० ईन्दर, सं० इन्द्रः; हि० उरुवन, सं० वरुणः; (२) सर्वनामों में भी साम्य है। 'मैं' के लिए हि० उग्स, लैटिन ego, जर्मस ich; 'वह' के लिए हि० तत्, सं० तत्; 'कौन' के लिए हि० कुइस्, लैटिन क्विस, सं० कः; 'क्या' के लिए हि० कुइद्, लैटिन क्विद्, वैदिक कद्; (३) कुछ क्रियारूप भी समान हैं। हि० एकुजि, लैटिन aqua; हि० इइआमि, सं० यामि; हि० इइआसि, सं० यासि; हि० नेयन्त्स, सं० नयन्ति; (४) संज्ञा शब्दों में भी समानता है। हि० वेदर, अंग्रेजी water, सं० उद्; हि० केमन्ज़, सं० हेमन्त, ग्रीक cheima; हि० लमन्, सं० नामन्, लैटिन nomen। (५) सुबन्त की विभक्तियों में भी समानताएँ हैं।

हिती भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ—(१) हिती, ध्वनि तथा अन्य बहुत-सी दृष्टियों से लैटिन के समीप है, इसी कारण इसे 'केतुम्' वर्ग की भाषा माना जाता है।

(२) इसके ध्वनि-समूह की सबसे बड़ी विशेषता है एक (कुछ लोगों के अनुसार दो) प्रकार की 'ह' ध्वनि जो अन्य भारोपीय भाषाओं में नहीं मिलती। म्, न् का वितरण भी इसका अपना है जो अन्य भारोपीय भाषाओं से भिन्न है। (३) इसमें कारक केवल छह हैं, अन्य भाषाओं की तरह सात नहीं। (४) हिन्दी में केवल दो लिंग हैं—पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। (५) वचन तीन थे, किन्तु द्विवचन का प्रयोग कम होता था। सभी शब्दों के स्पष्ट बहुवचन नहीं हैं। (६) काल केवल दो थे—वर्तमान और भूत (preterite) (मूल क्रिया द्वारा)। अन्य सहायक क्रिया द्वारा बनते थे। (७) क्रियार्थ भेद (mood) दो थे—निश्चयार्थ और आज्ञार्थ। (८) क्रिया और संज्ञा दोनों में द्विहक्ति (reduplication) का प्रयोग पर्याप्त होता था। अँक्-आकस(मेंढक), काल-कालटुरे (एक बाजा), काट-काट एनु (नहाना) तथा लाह-लाह इनु (लड़ाना) आदि। (९) अन्य ज्ञात प्राचीन भारोपीय भाषाओं की तुलना में यह कुछ दृष्टियों से अधिक विकसित थी, इसी कारण इसमें योगात्मकता के साथ अयोगात्मकता (निपात तथा सहायक क्रिया का प्रयोग) के लक्षण भी मिलते हैं।

प्राप्त हिन्दी साहित्य में सबसे प्रमुख एक ग्रन्थ है, जो अश्वविद्या से सम्बद्ध है।

अब स्टुर्टवेंट का यह मत अमान्य हो गया है तथा हिन्दी पुनः भारोपीय परिवार के भीतर संस्कृत, ग्रीक आदि की बहन मानी जाने लगी है।

भारोपीय भाषा के मूल प्रयोक्ता विरोस् लोगों का मूल स्थान

इनके मूल स्थान के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है, अब भी किसी एक मत के पक्ष में सारे विद्वान् नहीं हैं। इस प्रश्न के निर्णय के लिए प्राचीन साहित्य, प्राचीन भूगोल, जलवायुविज्ञान, ज्योतिष, पुरातत्त्व, मानवविज्ञान, भाषाविज्ञान तथा जातीय मानवविज्ञान आदि अनेक शाखाओं का सहारा लिया गया है। स्थान की दृष्टि से इस विषय के सारे मत ४ भागों में रखे जा सकते हैं—(अ) मूल स्थान भारत में था, (आ) मूल स्थान भारत के बाहर एशिया में कहीं था, (इ) मूल स्थान यूरोप में कहीं था, (ई) मूल स्थान एशिया और यूरोप के संधि-स्थल पर या उसके आसपास था।

यहाँ, इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना आवश्यक होगा। यों केवल कुछ मतों का संक्षेप में उल्लेख करके अपेक्षाकृत अधिक मान्य मत ही सामने रखे जा सकेंगे।

(क) मूल स्थान में भारत में मानने के पक्ष में प्रमुख विद्वान् भारतीय ही हैं। यों इन विद्वानों में भी मतैक्य नहीं है:

(१) एल० डी० कल्ला के अनुसार यह स्थान कश्मीर में या हिमालय में था। (२) महामहोपाध्याय डॉ० गङ्गानाथ ज्ञा मूल स्थान ब्रह्मपि देश मानते हैं। (३) डी० एस० त्रिवेदी मुल्तान में देविका नदी के किनारे या उसकी घाटी में मानने के पक्ष में हैं। (४) कुछ लोग मुल्तान को ही 'मूल स्थान' मानते हैं और इसी आधार पर इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। (५) अविनाशचन्द्र दास अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इंडिया' में सरस्वती नदी के किनारे या उसके उद्गम के निकट हिमालय में मूल स्थान मानते हैं। डॉ० सम्पूर्णानन्द तथा अन्य भी कई विद्वानों के मत इन्हीं मतों से मिलते-जुलते हैं, और भारत के ही किसी भाग को आदि स्थान मानते हैं। इन विद्वानों का प्रमुख आधार वेद और पुराण आदि भारतीय साहित्य है। इनका कहना है कि भारतीय साहित्य में कहीं भी अर्यों के कहीं बाहर से आने का उल्लेख नहीं है। ये लोग भाषाविज्ञान के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष से प्रायः असहमत हैं।

तत्त्वतः भारत में आदि भूमि होने की सम्भावना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मोटे ढंग से चार-पाँच बातें कही जा सकती हैं—(क) इस परिवार (भारोपीय) की अधिकांश भाषाएँ यूरोप और एशिया के संधि-स्थल पर या यूरोप में हैं, भारत के आस-पास कम हैं। ऐसी स्थिति में भारत से बाहर जाकर उनके इस रूप में बसने की संभावना कम है। यह संभावना अधिक है कि उधर से एक शाखा आई और उसी के लोग भारत के उत्तरी भाग में बस गये। शेष लोग मूल स्थान के आस-पास रह गये। (ख) यदि भारत मूल स्थान रहता तो पूरे भारत में (दक्षिण में भी) यह परिवार मिलता। उत्तर में ब्राह्मई तथा दक्षिण में तमिल, तेलुगु आदि का होना इसके विरोध में जाता है। (ग) मोहनजोदड़ो का काल ऋग्वेद-पूर्व का है। यदि उसकी भाषा संस्कृत या उससे मिलती जुलती होती तो भारत में मूल स्थान होने की बल मिलता, किन्तु वहाँ की भाषा द्रविड़ परिवार की मानी जाती है, अतः यह सम्भावना है कि यहाँ पहले द्रविड़ ही रहा करते थे और आर्य पश्चिम या पश्चिमोत्तर से यहाँ आये। (घ) इस परिवार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध हो चुका है कि मूल भाषा के निकट संस्कृत नहीं, अपितु लिथुआनियन या हिती आदि हैं। इससे भी सम्भवना यही है कि मूल स्थान इन भाषाओं के क्षेत्रों के ही पास कहीं रहा होगा। (ङ) तुलनात्मक भाषाविज्ञान, जातीय मानवशास्त्र, जलवायुविज्ञान, प्राचीन भूगोल आदि आधारों पर न केवल यूरोपीय, अपितु तिलक और सर देसाई जैसे भारतीय विद्वानों ने भी मूल स्थान भारत के बाहर ही माना है।

(ख) ऊपर भारत में मूल स्थान मानने वालों के प्रमुख मत संक्षेप में दिये गये हैं। अब भारत के बाहर एशिया, यूरोप या दोनों के संधि-स्थान पर मानने वालों के मत संक्षेप में गिनाये जा रहे हैं:—

(१) यों इस प्रश्न पर थोड़े विस्तार से विचार करने का प्रथम प्रयास एडल्फ पिक्टे ने किया था, किन्तु गहराई और वैज्ञानिकता की दृष्टि से इस प्रसंग में प्रथम नाम प्रायः मैक्समूलर का लिया जाता है। मैक्समूलर के निष्कर्ष के अनुसार मूल स्थान पामीर का प्लेटो तथा उसके पास मध्य एशिया में था। कुछ अन्य विद्वान् भी मध्य एशिया के पक्ष में रहे हैं।

(२) स्कैण्डेनेवियन भाषाओं के विद्वान डॉ० लैथम (Latham) ने स्कैण्डेनेवियन भाषाओं को प्रमुख आधार मानकर १८६० के लगभग इस प्रश्न पर विचार किया और मध्य एशिया वाले मत का विरोध करते हुए मूल स्थान यूरोप में माना। इनके अनुसार यूरोप में भी मूल स्थान के स्कैण्डेनेविया में होने की सम्भावना अधिक है। पेंका (Penka) जाति-विज्ञान के आधार पर भी लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे।

(३) इटैलियन मानव-शास्त्रवेत्ता सर्जी (Sergi) ने एशिया माइनर के पठार में मूल स्थान का अनुमान लगाया है। हिती भाषा के अभिलेखों से इनके मत की पुष्टि होती है।

(४) लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रमुखतः ज्योतिष् तथा त्रोल के हिमयुग सिद्धान्त आदि के आधार पर ऋग्वेद की ऋचाओं के सहारे 'आर्कटिक होम इन दि वेदाज' में उत्तरी ध्रुव के पास मूल स्थान माना है।

(५) भारतीय विद्वान् सर देसाई ने रूस में बालकन झील के पास मूल स्थान माना था। उनके अनुसार, वहाँ आज भी 'सात नदियों का देश' (सप्तसिन्धु) नामक प्रदेश है।

(६) डॉ० गाइल्ल ने 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया' में इस बात पर विचार किया है और वे हंगरी में कारपेथियन पर्वत के आसपास मूल स्थान मानते हैं।

(७) हर्ट के अनुसार पोलैंड में विश्वुला नदी के किनारे आदि स्थान था। उसके पश्चिमी तट पर कॅतुम् भाषाओं के बोलने वाले रहते थे और पूर्वी तट पर सतम् भाषाओं के बोलने वाले। पूर्वी तुर्किस्तान में 'तोखारी' नामक कॅतुम् भाषा के मिलने के कारण अब यह मत प्रायः निराधार हो गया है।

(८) जातीय मानवविज्ञान के आधार पर यूनानी पौराणिक कथाओं का अध्ययन करके कुछ विद्वानों ने जर्मनी को मूल स्थान माना था। मिट्टी के बर्तनों की डिजाइनों के आधार पर भी कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे।

(९) नेहरिंग (Nehring) ने मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों के आधार पर दक्षिण रूस को मूल स्थान माना था।

(१०) इतिहासपूर्व पुरातत्त्व के आधार पर मच (Much) तथा कुछ अन्य विद्वानों ने पश्चिमी बाल्टिक किनारे को मूल स्थान माना।

(११) तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के आधार पर विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि लिथुवानियन भाषा ही मूल भारोपीय के सबसे निकट है। इस आधार पर कुछ लोग 'लिथुवानिया' को भी मूल स्थान मानने के पक्ष में हैं। किंतु, अब इस बात के प्रमाण भी पाये गये हैं कि पहले लिथुवानिया और पूरब में था।

(१२) प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार तिब्बत (त्रिविष्टप) में मृष्टि का आरम्भ हुआ, अतः वहीं आर्यों का मूल स्थान था।

(१३) स्लाव भाषाओं के विद्वान् प्रो० श्रेडर ने प्रमुखतः स्लाव भाषाओं का आधार लेते हुए दक्षिणी रूस में वोल्गा नदी के मुहाने और कैस्पियन सागर के उत्तरी किनारे के पास के क्षेत्र को मूल स्थान माना है। यह मत काफ़ी दिनों तक मान्य रहा है।

इनके अतिरिक्त, बाल्टिक सागर के दक्षिणी-पूर्वी तट, मेसोपटामिया या दजल-फरात के किनारे, दक्षिण-पश्चिमी या उत्तरी रूस, एशिया, डैन्यूब नदी के किनारे तथा रूसी तुर्किस्तान आदि कई अन्य प्रदेशों के मूल स्थान होने के पक्ष में भी मत प्रकट किये गये हैं। उपर्युक्त मतों में गाइल्ज, श्रेडर तथा ब्रान्देस्ताइन के मत अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध रहे हैं। आगे प्रथम और अन्तिम पर थोड़ा और विचार किया जा रहा है।

भाषाश्रयी या भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज के अध्याय में हम देखेंगे कि एक परिवार की भाषाओं के शब्द-भंडारों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भाषा (जिससे वे सभी भाषाएँ निकली हैं) के शब्द-भंडार में कौन-कौन से शब्द थे। शब्दों का निर्णय होने पर इस बात का पता चल जायेगा कि वे लोग किन-किन पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि से परिचित थे। फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका स्थान कहाँ था। इसी पद्धति पर उपर्युक्त तीनों विद्वानों ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं।

गाइल्ज (Giles)—भारोपीय परिवार की भाषाओं के शब्द-समूह के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गाइल्ज ने आदि भाषा के शब्द-समूह के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाले हैं, उससे पता चलता है कि वे लोग बिल, गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, मृगर, भेड़िया, भालू, चूहा तथा हिरन से परिचित थे, किन्तु हाथी, गदहा, घेर, चीते, तथा ऊँट आदि नहीं जानते थे। पक्षियों में हंस तथा बत्ख से परिचित थे। पेड़ों में विलो (willow) या वेतम्, बर्च (birch) या भूर्ज तथा बीच (beech) से परिचित होने की संभावना है।

इनका स्थान बड़े जंगलों का नहीं था। ये खानाबदोश नहीं थे और एक जगह रह कर खेती आदि करते थे। साइल्स के अनुसार, ये सभी बातें उस पुराकाल में हंगरी में कारपेथियन्ज, बलकान्ज, आस्ट्रिया, तथा आल्प्स आदि क्षेत्रों के समशीतोष्ण क्षेत्र में संभव है और इसीलिये वही मूल स्थान है।

श्रेडर (Schrader)—श्रेडर लगभग इसी पद्धति से अपने निष्कर्ष पर पहुँचे थे। ब्रान्देन्स्ताइन के मत के बावजूद कुछ लोग अब भी इसे अविक्रामाणिक मानते हैं।

ब्रान्देन्स्ताइन (Brandenstein)—डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा अन्य भी कई विद्वान् अब ब्रान्देन्स्ताइन के पक्ष में हैं। यों बटकृष्ण घोष तथा नेहरिंग आदि लोग इनकी बहुत-सी बातें नहीं मानते। नेहरिंग ने तो अपनी किसी आगामी पुस्तक में ब्रान्देन्स्ताइन की मान्यताओं का व्यवस्थित रूप से खण्डन करने का वादा भी किया था, यद्यपि अभी तक इस प्रकार की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी। ब्रान्देन्स्ताइन ने उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त भाषाविज्ञान की एक शाखा अर्थविज्ञान की विशेष रूप से सहायता ली थी। इनके अनुसार शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ऐसा पता चलता है कि पहले ये लोग किसी एक स्थान में अविभक्त रूप से रहते थे। बाद में, भारत-ईरानी लोग इनसे निकल कर अलग चले गए और इस प्रकार ये दो भागों में विभक्त हो गये। इस विभाजन के बाद मूल शाखा (भारत-ईरानियों के अतिरिक्त) भी अपने पुराने स्थान पर न रुककर किसी नये स्थान पर चली गई। अविभक्त भारोपीय, 'पूर्वभारोपीय' और भारत-ईरानियों के जाने के बाद शेष बचे लोग 'परभारोपीय' कहे जा सकते हैं। ब्रान्देन्स्ताइन के अनुसार मूल शब्द-समूह की दृष्टि से भारत-ईरानी में अर्थ-विकास का अपेक्षाकृत पुराना स्तर मिलता है और शेष या 'परभारोपीय' में बाद का। इसी आधार पर इन दो वर्गों की कल्पना की गई। उदाहरणार्थ पूर्वभारोपीय में पत्थर के लिए *gwer या *gweran शब्द था। संस्कृत में यही ग्रावत् (सोमरस निचोड़ने का पत्थर) है, किन्तु 'परभारोपीय' से निकली भाषाओं में 'चक्की का पत्थर' या 'हाथ चक्की' आदि अर्थों में विकसित मिलता है (प्राचीन अंग्रेजी Cweorn, अंग्रेजी queen, डच Kweern तथा डैनिश Kvaern आदि)। 'परभारोपीय' के नये स्थान पर जाने का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि 'पूर्वभारोपीय' की तुलना में शब्द समूह और उसके अर्थ में थोड़ी भिन्नता है, जिससे यह पता चलता है कि 'पर' के शब्द-समूह का विकास 'पूर्व' के स्थान पर न होकर किसी नवीन क्षेत्र में हुआ है। निष्कर्ष यह है कि 'पूर्वभारोपीय' किसी अपेक्षित या सूखे क्षेत्र में पहाड़ की तराई में रहते थे। हरे-भरे जंगलों से दूर थे। वेतस्, भूज, बजराँठ तथा कुछ अन्य फलविहीन वृक्षों का उन्हें पता था। गाय, भेड़, बकरी, कृता, भेड़िया, लोमड़ी, सूअर, हिरन, खरगोश, चूहा, ऊदबिलाव आदि से भी ये परिचित थे। ब्रान्देन्स्ताइन के अनुसार, यह स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण-पूर्व में स्थित किरगीज़ का मैदान था। बाद में, भारत-ईरानियों के अलग (पूर्व की ओर) चले जाने के बाद शेष लोग (परभारोपीय) पश्चिम की ओर किसी नीचे दलदली क्षेत्र में गये। यहाँ पुल आदि के भाव से इनका परिचय हुआ। कुछ नये पेड़ आदि भी इन्हें मिले। ब्रान्देन्स्ताइन के अनुसार, यह दूसरा स्थान कार्पेथियन पर्वत-माला के पूर्व में था।

इस प्रश्न का बहुत निश्चय के साथ दो टुक उत्तर देना कठिन है। 'अपने' के प्रति मोह के कारण भी यह समस्या उलझी रही है, और रहेगी। भारतीय विद्वानों ने भारतीय साहित्य को आधार माना और निष्कर्षतः भारत को आदि स्थान कहा। प्रो० श्रेडर स्लाव भाषाओं

के विद्वान् थे उन्होंने अपने अध्ययन में स्लाव उदाहरणों को प्रधानता दी। अतः वे स्लाव क्षेत्र को ही मूल स्थान सिद्ध कर सके। स्कैंडेनेवियन भाषाओं के विद्वान् लैथम ने स्कैंडेनेविया को सिद्ध किया। जब तक इस मोह से ऊपर उठकर सभी विद्वान् निष्पक्ष रूप में कार्य करते हुए एक या लगभग एक मत पर नहीं पहुँचते, तब तक अन्तिम सत्य पर पहुँचना कठिन है। तब तक के लिए ब्रान्देन्स्ताइन को स्वीकार किया जा सकता है। यों इसे मान लेने पर परिवार के भारत-हिन्दी वाले रूप को स्वीकार करने में संभवतः कुछ परिवर्तन भी अपेक्षित होगा।

मूल भारोपीय भाषा : ध्वनियाँ^१

मूल भारोपीय ध्वनियों के निर्धारण का प्रयास पिछली सदी के दूसरे चरण से ही आरम्भ हो गया था। अब तक इस पर थोड़ा-बहुत काम होता जा रहा है, किन्तु पूर्णतः अन्तिम रूप तक, अभी तक विद्वान् नहीं पहुँच सके हैं। स्वरों का निर्धारण तो कठिन है ही, कई व्यंजनों के बारे में भी विवाद है। भारतीय विद्वानों में किसी ने भी इस समस्या पर अनुसंधान के स्तर पर कार्य नहीं किया है, किन्तु डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा डॉ० सकुमार सेन, आदि ने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन आदि की पुस्तकों के आधार पर अपनी पुस्तकों में इन ध्वनियों को संक्षेप में दिया है। विषय की विवादास्पदता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उपर्युक्त विद्वानों ने जो सामग्री दी है, वह पूर्णतया एक नहीं है। यहाँ मूल प्रश्न को उठाकर तुलना के आधार पर ध्वनियों का निर्धारण न करके संक्षेप में, केवल सूची दी जा रही है। यह चयन अपने निर्णय के आधार पर किया गया है, और हिन्दी या अन्य भाषाओं की एक या अधिक पुस्तकों से पाठक इन्हें भिन्न पा सकते हैं।

(१) स्वर

मूल स्वर

(क) अति ह्रस्व अँ

(ख) ह्रस्व अँ एँ ओँ

(ग) दीर्घ आ ए ओ

संयुक्त स्वर

संयुक्त स्वरों की संख्या लगभग छतीस थी, जो उपर्युक्त ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के साथ इ, ऋ, लृ, उ, ऋ, म्, के मिलने से बनते थे, जैसे अइ, अऋ, आलृ, तथा ओउ आदि।

१. इन्हें ही भारत-हिन्दी (हिन्दी को भारोपीय की बहन मानने पर) भाषा की ध्वनि भी माना जा सकता है, क्योंकि इन ध्वनियों के निर्धारण में हिन्दी ध्वनियों का भी पूरा विचार किया गया है। किन्तु, कुछ विद्वानों के अनुसार, भारत-हिन्दी ध्वनियाँ इनसे कुछ भिन्न थीं। ऐसे लोगों के अनुसार एँ, ए, ओँ, ओ, अ ५ स्वर; य, व, र, ल, न, म ६ अन्तस्थ; ग, ख, आदि ४ कंठनालीय ध्वनियाँ; अघोष और घोष दो 'ह'; क, त, प, ग, द, ब, घ, ध, भ, नौ स्पर्श और 'स' ऊष्म आदि कुल लगभग २७ ध्वनियाँ थीं।

२. यह उदासीन स्वर है जो ह्रस्व का भी आधा (मात्रा की दृष्टि से) होता है। इसका उच्चारण अस्पष्ट होता है। इसे ह्रस्वाद्वं स्वर भी कहते हैं। यूरोपीय भाषाओं में इसे श्वा (schwa) कहते हैं और e को उलट कर (ə) लिखते हैं।

(२) अन्तःस्थः

य् (इ), व् (उ), ल् (लृ)
र् (ऋ), न् (न्), म् (म्)

(३) व्यंजन

(क) स्पर्श (१) कवर्ग^२ (i) क्, ख्, ग्, घ्,
(ii) क्, ख्, ग्, घ्,
(iii) क्व्, ख्व्, ग्व्, घ्व्
(२) तवर्ग^३ त्, थ्, द्, ध्,
(३) पवर्ग प्, फ्, ब्, भ्
(ख) उष्म^४ स् (ज्)

‘ह’ ध्वनि के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोगों के अनुसार यह ध्वनि नहीं थी। कुछ लोगों का हिस्ती के आधार पर यह कहना है कि इसका एक रूप था। कुछ अन्य लोग उसके ‘घोष’ और ‘अघोष’ दोनों रूपों की स्थिति मानते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों में कुछ लोग केवल एक ‘स’ को मानते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया है, किन्तु कुछ अन्य विद्वान् ख्, ग्, घ्, त्, थ्, द्, ध्, झ्, आदि अन्य संघर्षी व्यंजनों का भी अनुमान लगाते हैं।

ध्वनि-सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ—(१) स्वरो के अनुनासिक रूपों (जैसे अँ, ईँ)

१. अन्तःस्थ का यहाँ अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच का। इसीलिए इन्हें अर्द्धस्वर, अर्द्धव्यंजन, अन्तःस्थ स्वर, अन्तःस्थ व्यंजन, स्वनंत (sonant), आक्षरिक (syllabic) आदि भी कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ कभी तो स्वर-रूप में काम करती हैं, कभी व्यंजन-रूप में। इन ध्वनियों का व्यंजन-रूप कोष्ठक के बाहर दिया गया है, और स्वर-रूप भीतर। बहुतां ने इन छः ध्वनियों को अलग-अलग करके १२ दिया है, किन्तु वैसा मानना भ्रामक है। मूलतः ये ध्वनियाँ ६ ही हैं। प्रयोग के आधार पर १२ रूप मात्र हैं जैसे ‘ल’ या ‘क्’ के ३-४ रूपों का प्रयोग होता है। कोष्ठक के बाहर के रूप को व्यंजन, अर्द्धव्यंजन या अन्तःस्थ व्यंजन और भीतर के रूप को आक्षरिक, स्वनंत या अर्द्धस्वर आदि कह सकते हैं। स्वर या आक्षरिक रूप में इनके दीर्घ रूपों का भी प्रयोग होता था, अर्थात् ई, ऊ, ऋ, लृ आदि।

२. कवर्ग ३ प्रकार के थे। (i) को कुछ लोग सामान्य कवर्ग मानते हैं, किन्तु कुछ लोग इसे तालु की गौण सहायता से उच्चरित किया जाने वाला, अर्थात् क्य, ख्य, ग्य, घ्य, मानते हैं। डॉ० चटर्जी इन्हें तालव्य न मानकर पुरःकंठ्य (advanced velar) मानते हैं। (ii) को अरबी ‘क्’ख आदि के समान कह सकते हैं। यूरोपीय विद्वान् इन्हें कंठ्य (velar) कहते हैं, किन्तु डॉ० चटर्जी इन्हें पश्चकंठ्य (back velar) या अलिजिह्वीय (uvular) मानते हैं। (iii) के उच्चारण में होठों की भी सहायता ली जाती थी। डॉ० चटर्जी तथा कुछ अन्य विद्वान् इन तीनों प्रकार के कवर्गों के साथ तीन ‘ड’ की भी कल्पना करते हैं, किन्तु अन्य लोगों के अनुसार ‘न्’ ध्वनि ही इनके साथ, इनके अनुरूप रूप धारण कर लेती थी।

३. इसे कुछ लोग दंत्य, कुछ दंतमूलीय तथा कुछ वरस्थं मानते हैं।

४. ऊष्म या अनवरुद्ध ध्वनि ‘स्’ ही विशेष स्थान पर सघोषों के साथ या दो स्वरो के बीच में ‘ज्’ रूप में भी उच्चरित होती थी।

का प्रयोग नहीं होता था। (२) दो या अधिक मूल स्वर एक साथ नहीं आ सकते थे। (३) संधि के नियम लागू होते थे। (४) दो या अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे।

भारोपीय मूल भाषा का व्याकरण—(१) रूप अधिक थे। व्याकरण बड़ा जटिल था। (२) धातु में प्रत्यय जोड़ कर शब्द (पद) बनते थे। (३) आरम्भ में उपसर्गों का बिलकुल प्रचलन न था। (४) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय या मध्यसर्ग (infix) का प्रयोग नहीं होता था। (५) संज्ञा, क्रिया और अव्यय अलग-अलग होते थे। विशेषण और सर्वनाम आदि संज्ञा के अन्तर्गत ही समझे जाते थे। अव्यय भी अविकारी न होकर विकारी होते थे। (६) सर्वनाम के रूपों में विविधता थी। पुरुष तीन थे। (७) एक, द्वि और बहु; इन तीनों वचनों का प्रयोग होता था। (८) स्त्रीलिंग, पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिंग थे। उनका विचार केवल संज्ञा में होता था। पहले प्राकृतिक लिंग थे, किन्तु बाद में प्रत्यय के साथ लिंग के संयोग के कारण व्याकरणिक लिंग की उत्पत्ति प्रारम्भ हो गयी थी। (९) क्रिया में उन्नम, मध्यम और अन्य पुरुष के अनुसार भी प्रत्येक के तीन रूप होते थे, अर्थात् तीन पुरुष थे। (१०) क्रिया में उसके किये जाने और फल का विचार प्रधान था और काल का गौण। यों काल चार थे, यद्यपि काल-विचार बहुत विकसित नहीं कहा जा सकता। (११) पद दो थे—आत्मनेपद और परस्मैपद। (१२) संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं। (१३) समास का प्रयोग होता था, जिसकी रचना में प्रत्ययों को छोड़ दिया जाता था। (१४) पद-रचना में स्वर-क्रम का महत्त्वपूर्ण हाथ था। ग्रीक आदि में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनमें यदि 'ए' स्वर है तो अर्थ वर्तमानसूचक है, पर यदि उसके स्थान पर 'ओ' हो गया तो अर्थ भूतकाल का हो जाता है। (१५) मुर का भी प्रयोग होता था। भाषा संगीतात्मक थी। (१६) सम्बन्धतत्त्व और अर्थतत्त्व दूध और पानी की भाँति इतने मिले रहते थे कि दोनों को अलग कर पाना कठिन था। (१७) मूल भाषा अन्तर्मुखी श्लिष्ट-योगात्मक थी। (१८) अपभ्रुति (ablaut) प्रणाली थी।

भारोपीय भाषाभाषी धीरे-धीरे अलग हुए और उनकी भाषाओं का अलग-अलग विकास हुआ, जिससे निकली आज सैकड़ों भाषाएँ और कई हज़ार बोलियाँ हैं।

'भारोपीय परिवार' का चिन्ताजन—भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 'सतम्' और 'केन्तुम्' दो वर्गों में रक्खा गया है। कुछ लोगों का विचार है कि मूल भारोपीय की आरंभ में ये दो बोलियाँ या विभाषाएँ थीं। किन्तु, यह मान्यता संदिग्ध है। पहले पहल अस्कोली ने १८७०-ई० में विद्वानों के समक्ष यह विचार रखा कि भारोपीय मूल भाषा की कंठस्थानीय ध्वनियाँ (ऊपर दी गई ध्वनियों में प्रथम तालव्य कवर्ग) कुछ शाखाओं में ज्यों की त्यों रह गईं, पर कुछ में वे संघर्षी (स, वा, ज आदि) या स्पर्श-संघर्षी (च, ज आदि) हो गईं। इसी आधार पर वानु ब्रंडले ने इस परिवार के 'सतम्' और 'केन्तुम्' दो वर्ग बनाये। इन दोनों शब्दों का अर्थ १०० है। यह नाम इसलिए रखे गये कि 'सौ' के लिए पाये जाने वाले शब्दों में यह भेद स्पष्ट है। 'सतम्' अवेस्ता का शब्द है और 'केन्तुम्' लैटिन का। स्पष्टता के लिए दोनों वर्गों की भाषाओं में 'सौ' के लिए पाये जाने वाले शब्दों यहाँ को देख लेना ठीक होगा—

सतम् वर्ग

अवेस्ता—सतम्

फ़ारसी—सद

संस्कृत—शतम्

केन्तुम् वर्ग

लैटिन—केन्तुम्

ग्रीक—हेकूतोन

इटैलियन—केन्तो

हिन्दी—सी	फ्रेंच—केन्त
रूसी—स्तो	ग्रीक—केन्ट
बल्गेरियन—सुतो	जर्मनिक—हुंद
बाल्तिक—जिम्तस	गेलिक—वयुड
लिथुआनियम—स्विज्तास	तोखारी—कन्ध

इन उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ग (सतम्) में 'स' ध्वनि सर्वत्र है और दूसरे वर्ग (केन्तुम्) में वह सर्वत्र 'क' ध्वनि हो गई है। केन्तुम् में कुछ और भी अन्तर है। जैसे मूल भारोपीय का तीसरा वर्ग (क्व, ख्व आदि) केन्तुम् में तो प्रायः सुरक्षित है, किन्तु सतम् में वह लुप्त हो गया।

आरम्भ में लोगों का यह विचार था कि पश्चिम में पाई जाने वाली भाषाओं को 'केन्तुम्' वर्ग की तथा पूरब में पाई जाने वाली भाषाओं को 'सतम्' वर्ग की कहा जा सकता है; किन्तु बाद में पूरब में हिट्टाइट और तोखारी दो भाषाएँ ऐसी मिलीं, जिनमें 'स' के स्थान पर 'क' ध्वनि है, अतः पूरब और पश्चिमके आधार पर इन वर्गों को अलग-अलग करना ठीक नहीं माना गया।^१

आगे दोनों वर्गों (केन्तुम् और सतम्) की भाषाओं पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

(क) केन्तुम् वर्ग

इसकी शाखाएँ हैं : केल्तिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी।

(१) केल्तिक—यहले इसका क्षेत्र मध्य यूरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस, एशिया माइनर आदि में काफी बड़े भाग में था। अब यह आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, मानद्वीप आदि में सीमित हो गया है। मुख्य भाषाएँ : गॉलिक (मृत), वेल्श (वेल्श), आयरिश (आयरलैंड), स्कॉच (स्कॉटलैंड का उत्तरी-पश्चिमी तथा उत्तरी भाग; अब समाप्त प्राय), मैक्स (मानद्वीप; अब समाप्त प्राय)।

(२) जर्मनिक (इयूरोपिक)—भारोपीय परिवारकी अत्यन्त यह महत्वपूर्ण शाखा है जो अपने ध्वनि-परिवर्तनों (ग्रिम-नियम, बर्नर-नियम, ग्रासमान नियम) के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य भाषाएँ और क्षेत्र—उत्तरी : आइसलैंडिक (आइसलैंड), डैनिश (डेनमार्क), नार्वेजियन (नार्वे), स्वीडिश (स्वीडेन); दक्षिणी : अंग्रेजी (इंग्लैंड, अमेरिका, तथा कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि में अनेक क्षेत्र); जर्मन (जर्मनी), डच (हॉलैंड), फ्लेमिश (बेल्जियम)। इनमें अंग्रेजी, डच, फ्लेमिश 'निम्न जर्मन' कहलाती हैं तथा जर्मन (जिसमें स्वाबियन, बवेरियन, अलमानिक हैं) उच्च जर्मन।

(३) लैटिन (रोमांस, इतालिक)—यह वर्ग लैटिन के बोलचाल के रूप से विकसित है। भाषाएँ तथा क्षेत्र : इतालवी (इटली, सिसिली), रूमानियन (रूमानिया), फ्रांसीसी (फ्रांस), स्पेनिश (स्पेन), पुर्तगाली (पुर्तगाल)।

(४) ग्रीक (हेलेनिक)—इसके क्षेत्र यूनान (ग्रीस), इजियन द्वीप-समूह, अल्बानिया बुल्गारिया तथा तुर्की का कुछ भाग; साइप्रस और क्रीट द्वीप हैं। इस शाखा की मुख्य भाषा

१. हर्ट का विचार था कि विश्चुला नदी के पश्चिम केन्तुम् वर्ग था और पूरब में सतम् वर्ग था।

ग्रीक है जिसमें अत्यंत समृद्ध प्राचीन साहित्य मिलता है। मूल भारोपीय के व्यंजन संस्कृत भाषा में अधिक सुरक्षित हैं तो उसके स्वर ग्रीक में। ग्रीक में चार ही कारकीय रूप हैं : कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध। ग्रीक संस्कृत के बहुत समान है। इसमें भी ३ लिंग, समास की व्यवस्था, आत्मने पद, परस्मैपद तथा संगीतात्मक स्वराघात है।

(५) तोखारी—इसका क्षेत्र मध्य एशिया का तुरफान प्रदेश रहा है। महाभारत में 'तुषार' रूप में इसी के बोलने वाले लोगों का उल्लेख है। ७वीं सदी में यह भाषा लुप्त हो गई। संधि-नियमों, विभक्तियों तथा शब्द-भंडार आदि में यह संस्कृत के काफ़ी निकट है।

(ख) सतम् वर्ग

इसकी शाखाएँ हैं : इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मीनियन, भारत-ईरानी।

(१) इलीरियन (अल्बेनियन)—इसकी मुख्य भाषा अल्बेनियन है जो अल्बनिया तथा यूनान के कुछ भागों में बोली जाती है। इस शाखा की अन्य भाषाएँ समाप्त हो गई हैं।

(२) बाल्टिक—बाल्टिक सागर के किनारे इसका क्षेत्र है। मुख्य भाषाएँ लियु-आनियन (लियुआनिया), लेट्टिश (लटाविया) है। इस शाखा का विकास कम हुआ है। अब भी यह मूलभाषा के निकट है। संगीतात्मक स्वराघात, द्विवचन, 'एस्ति' (सं० अस्ति) जैसे रूप इसमें आज भी सुरक्षित हैं।


(३) स्लाव—विभाजन, भाषाएँ और क्षेत्र:—पूर्वो—रूसी (इसे महारूसी भी कहते हैं; रूस), श्वेत रूसी (रूस के दक्षिणी भाग में), लघु रूसी (उक्रेन में)। पश्चिमी—पोलिश (पोलैंड), चेक (चेकोस्लोवाकिया)। दक्षिणी—बुल्गारियन (बुल्गारिया), सर्वो-क्रोशियन (युगोस्लाविया), स्लोवेनियन (युगोस्लाविया के दक्षिण)।

(४) आर्मीनियन—यूरोप और एशिया की सीमा पर कुस्तुनुनिया तथा कृष्ण सागर के पास इसका क्षेत्र है। इसकी स्तंबुल बोली यूरोप में बोली जाती है तथा अराराट एशिया में।

(५) भारत-ईरानी

इस शाखा के अन्य नाम 'हिंद-ईरानी' या आर्य भी हैं। भारोपीय परिवार की यह शाखा बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस परिवार का प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य अपने शुद्ध अर्थों में इसी शाखा में मिलता है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के बराबर पुराना शुद्ध साहित्य संसार की किसी भी भाषा में कदाचित् नहीं मिलता। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ दो हजार ३०० पू० तक लिखी जा चुकी थीं; ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा है; और, १५००-३००० पू० तक तो इसका बहुत अंश लिखा जा चुका था, ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं। पारसियों का धर्मग्रन्थ 'जेन्द अवेस्ता' भी लगभग ७वीं सदी ई० पू० का है। इसके अतिरिक्त इस शाखा की भाषाओं की गठन तथा उनका साहित्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए इस शाखा ने सामग्री दी है, और पश्चिम में भाषा-विज्ञान का अध्ययन तभी से यथार्थतः शुरू भी हुआ है, जब से उन लोगों को इस भारत-ईरानी शाखा के अध्ययन-मनन करने का सीमागत प्राप्त हुआ है। इस बात को भाषाविज्ञान के इतिहास पर विचार करते समय कुछ अधिक विस्तार से देखा जा सकेगा।

आज कल केंतुम और सतम् बालावर्गीकरण नहीं माना जाता। भारोपीय परिवार की सीधे मुख्यतः दस (केल्टिक, इटैलियन, जर्मनिक, हेलेनिक, हिती, तोखारी, इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव तथा भारत-ईरानी) शाखाएँ मानी जाती हैं जिन्हें वंश-वृक्ष रूप में यों दिखाया जा सकता है—



इनमें हिल्टी के विषय में प्रारम्भ में ही विचार किया गया था। शेष पर पीछे विचार किया गया।

भारत-ईरानी के मूलभाषी अन्यों का साथ छोड़ने के बाद जब आगे बढ़े, तो कुछ लोग ईरान में रुक गये और कुछ लोग और बढ़कर भारतवर्ष में आ बसे। इस प्रकार इस शाखा की भारतीय और ईरानी दो प्रमुख भाषाएँ हुईं। बहुत लोगों ने इन दोनों को भारोपीय की अलग-अलग शाखा माना है, किन्तु ऐसा मानना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत सी बातों में साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों पहले से अलग न होकर एक शाखा के रूप में थीं और बाद में अलग हुईं। ब्रान्देन्स्ताइन की खोजों ने भी यही सिद्ध किया है, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। यहाँ भारतीय तथा ईरानी दोनों के समान लक्षणों का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा।

भारत और ईरानी में समानता—(१) भारोपीय मूल भाषा के तीन ह्रस्व मूल स्वर (अँ, एँ, ओँ) तथा तीन दीर्घ मूल स्वर ('अ', 'ए' और 'ओ') के स्थान पर भारतीय तथा ईरानी दोनों ही में एक ह्रस्व मूल स्वर 'अँ' और एक दीर्घ मूल स्वर 'आ' ये दो ही मिलते हैं।

भारोपीय	संस्कृत	अवेस्ता
*नेभास	नभस्	नबह
*ओस्थ	अस्थि	अस्ति
*याग	यज	यज
*एपो	आपः	अप

(२) दोनों में भारोपीय के अतिह्रस्व या उदासीन स्वर 'अ' के स्थान पर 'इ' स्वर मिलता है।

भारोपीय	संस्कृत	अवेस्ता
*पअते	पिता	पिता

(३) दोनों में ही मूल भारोपीय 'र' (ऋ) का 'ल' (ल्) और 'ल' (ल्) का र (ऋ) हुआ है। संभवतः 'र' (ऋ) और 'ल' (ल्) ध्वनि में उस समय विशेष भेद नहीं था। केन्तुम् बर्ग को भारोपीय का प्रतिनिधि मानकर कुछ उदाहरण यहाँ लिये जा सकते हैं—

ग्रीक	लैटिन	संस्कृत	अवेस्ता
	रुन्करे	लंचामि	
लुके	लुपुस्	वृकः	बहको
	लिंगो	रेहिम्	

(४) इस शाखा में इ, उ, क तथा र के पश्चात् आने वाला 'स' व्यंजन ईरानी में 'श' हो गया और बाद में संस्कृत में वह 'ष' हो गया। कुछ उदाहरण हैं—

भारोपीय	संस्कृत	अवेस्ता
*स्थिस्थामि	तिष्ठामि	हिश्तीति
*जिउस्तर	जोष्ट्र	जओशो

(५) मूल भारोपीय के प्रथम श्रेणी के कंड्य या पुरःकंड्य क् (क्य), ल् (ल्य), ग् (ग्य), घ् (घ्य) भारत-ईरानी शाखा में क्रम से श्, श्ह, ज् और ज्ह हो गये। कालान्तर में

भारत में ये झ, ज् और ह् हो गये और ईरान में स्, ज्, ज्ह। (६) मूल भारोपीय के तृतीय श्रेणी के कंठ्य या कंठोष्ठ्य क् (क्व), ख् (ख्व), ग् (ग्व), घ् (घ्व) इस शाखा में शुद्ध कंठ्य क् ख् ग् घ् हो गये। और यदि इनके बाद इ, ए स्वर थे तो क्रम से च्, छ्, ज्, झ् हो गये। (७) ईरानी तथा भारतीय दोनों में स्वरांत संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के लिए षष्ठी में 'नाम्' प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। (८) दोनों में आज्ञा के लिए अन्य पुरुष 'तु' और 'न्तु' प्रत्यय पाये जाते हैं। (९) बहुत से शब्द दोनों ही में लगभग एक-से हैं और दोनों में उनका अर्थ भी प्रायः एक ही है—

संस्कृत	अवेस्ता
ओजस्	ओजः
अनु	अनु
अन्य	अन्य
विश्व	विस्प
ददामि	ददामि
असुर	अहुर
पुत्र	पुथ्र
सप्त	हप्त
वसिष्ठ	वहिस्त
अस्ति	अहि

(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी समान हैं कि एक भाषा के बहुत से वाक्य केवल साधारण परिवर्तन से दूसरी भाषा के बनाये जा सकते हैं—

संस्कृत	अवेस्ता
---------	---------

यो यथा पुत्रं तरुणं सोमं वन्देत मृत्यः = यो यथा पुथ्रम् तजरुनम् हओमम् बन्दएँता मरुयो।


सूरं धामसु शविष्ठम् = सूरं दामोहू शविस्तम्।

सावने आ ऋतौ आ = हावनीम् आ रतुम् आ।

भारतीय और ईरानी में अन्तर—ऊपर की समानताओं के रहते हुए भी दोनों में अन्तर भी हैं। यदि ऐसा न होता तो दोनों अलग-अलग ही क्यों होतीं। यहाँ कुछ अन्तरों की ओर संकेत किया जा सकता है : (१) चवर्ग के केवल दो व्यंजन च् और ज् ईरानी में हैं, जबकि भारतीय में पाँच (च् छ् ज् झ् ञ्) हैं। (२) ईरानी में टवर्ग का एकान्त अभाव है, जबकि भारतीय में यह है। (३) पाँचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण वर्ग ईरानी में नहीं हैं। (४) पुरानी ईरानी में 'ल' का भी अभाव है। इसके स्थान पर 'र' है। जैसे श्रीलः—श्रीरो (श्री-संपन्न)। (५) ईरानी में स्वरों का बाहुल्य है। वहाँ ८ स्वर ऐसे हैं, जिनके स्थान पर भारतीय में 'अ' या 'आ' का ही प्रयोग होता है। (६) आदि स्वरागम और अपिनिहित भी ईरानी में भारतीय की अपेक्षा अधिक है। यथा—भरति = बरइति तथा भवति = बवइति आदि। (७) ईरानी शब्दों के आरम्भ में, कभी-कभी अन्यत्र भी, भारतीय शब्दों में पाया जाने वाला 'स', 'ह' है। जैसे—सप्त = हप्त, सप्ताह = हफता तथा सिधु = हिंदु आदि। (८) संस्कृत के घोष महाप्राण घ्, घ्, भ्, ईरानी में अल्पप्राण ग्, द्, ब् रूप में हैं। जैसे—भूमि = वूमि, दीर्घम् = दरंगम् तथा भ्राता = ब्राता आदि। (९) संस्कृत के अघोष अल्पप्राण क्, त्, प् ईरानी में संघर्षी ख्, थ्, फ् हैं। जैसे—ऋतुः = खतुश, सत्यः = हइथ्यो तथा स्वप्नः = हवप्रनम् आदि। (१०) संस्कृत का ऋ ईरानी में अर, र, या अ है। जैसे—वृक्षम् = वरेदोम्।

ध्वनि-सम्बन्धी इन अन्तरो के अतिरिक्त, व्याकरण-सम्बन्धी अन्तर भी बहुत से हैं, किन्तु उनकी गहराई में उतरना प्रस्तुत पुस्तक का विषय नहीं है।


विभाजन



(१) ईरानी

ईरानी में साहित्य-रचना बहुत पहले आरम्भ हो गई थी, किन्तु आज उन प्राचीन निधियों का कुछ भी पता नहीं है, अतः वहाँ की भाषा का शृङ्खलाबद्ध इतिहास नहीं बतलाया जा सकता। इसके पता न चलने का कारण यह भी है कि सिकन्दर ने ३२३ ई० पू० और अरब के विजेताओं ने ६५१ ई० में ईरानी का पुराना साहित्य बुरी तरह जला डाला। अब वहाँ का प्राचीनतम साहित्य पारसी धर्मग्रंथ 'अवेस्ता' ही है, जिसकी भाषा ऋग्वेद से बहुत मिलती-जुलती है। इसके अतिरिक्त हस्सानी बादशाहों के छठी सदी ई० पू० के कुछ पुराने शिलालेख भी मिले हैं।

विभाजन



(इसकी आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों के विकास का स्पष्ट पता नहीं है, अतः अनिश्चित अंश विन्दु से दिखाया गया है।)

अवेस्ता वैक्ट्रिया की राजाभाषा होने के कारण प्राचीन वैक्ट्रियम भी कही जाती है। कुछ लोग भूल से इसे ज़िन्द भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी प्राचीनतम पुस्तक अवेस्ता (७वीं सदी ई० पू०) के कारण पड़ा है। 'अवेस्ता' का अर्थ 'शास्त्र' है, जिसमें 'गाथा' या प्रार्थनाएँ ऋग्वेद की भाँति हैं। इसमें यज्ञ (यज्ञ), विस्परद (बलि-सम्बन्धी कर्मकांड) तथा वेन्दिदाद (प्रेतादि के विरोधी नियम) आदि भी हैं। कुछ दिन बाद जब अवेस्ता वहाँ की जनभाषा नहीं रह गई, और मध्यकालीन या पहलवी का प्रचार हुआ तो अवेस्ता की टीका पहलवी में की गई। इस टीका को 'ज़ेन्द' कहते हैं। 'ज़ेन्द' का अर्थ ही 'टीका' होता है। अब दोनों ('ज़ेन्द' और 'अवेस्ता') को मिलाकर लोग उस पुस्तक को तथा कभी-कभी भाषा को 'ज़ेन्दावेस्ता' या 'ज़िन्दावेस्ता' कहते हैं।

प्राचीन ईरान के पश्चिमी भाग को 'फ़ारस' कहते थे। वहाँ की भाषा प्राचीन 'फ़ारसी' थी। कुछ लोग इसे 'अवेस्ता' से निकली हुई समझते हैं, किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि ईरानी की दो शाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती हैं—(१) प्राचीन फ़ारसी, (२) अवेस्ता। प्राचीनता में प्राचीन फ़ारसी अवेस्ता के यदि विल्कुल नहीं तो कुछ ही बाद की है। डेरियस-प्रथम (ई० पू० ५२१-४८५) आदि एकेमेनियन राजाओं के खुदवाये कीलाक्षर-अभिलेखों में इसका स्वरूप सुरक्षित है। इसका अलग साहित्य नहीं मिलता, पर अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अध्ययन अवश्य हुआ है। यह बहुत-सी बातों में अवेस्ता से मिलती-जुलती है।

प्राचीन फ़ारसी की वर्णमाला अवेस्ता की अपेक्षा अधिक सरल है। इस दृष्टि से यह संस्कृत के निकट है—

अवेस्ता	प्रा० फ़ारसी	संस्कृत
येजी	यदी	यदि

अवेस्ता के जू के स्थान पर प्राचीन फ़ारसी में दू हो जाता है। ऐसे स्थानों पर संस्कृत में प्रायः ह् मिलता है।

अवेस्ता	प्रा० फ़ारसी	संस्कृत
अजेम	अदम	अहम्

प्राचीन फ़ारसी का ही विकसित रूप मध्यकालीन 'फ़ारसी' या 'पहलवी' कहलाता है। इसका प्राचीनतम रूप तीसरी सदी ई० पू० के कुछ सिक्कों में मिलता है। प्राचीन फ़ारसी और मध्यकालीन के बीच का कोई लेख नहीं मिलता। पहलवी का नियमित साहित्य तीसरी सदी से मिलने लगता है। पहलवी के दो रूप थे। एक का नाम हुज़्वारेण था, जिसमें सेमेटिक परिवार के शब्दों का आधिक्य है। इसकी लिपि भी सेमेटिक है। सस्तानिद-राजवंश (२२६ ई० से ६५२ ई०) की भाषा यही थी। अवेस्ता का कुछ अनुवाद भी इस भाषा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पारसियों का कुछ और भी धार्मिक साहित्य इसमें है। इसके व्याकरण पर भी सेमेटिक प्रभाव यथेष्ट है। पहलवी का दूसरा रूप पारसी या पाज़ंद है। इस पर सेमेटिक प्रभाव नहीं है। इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशों में था। भारत में बसने वाले पारसियों की भाषा यही है। यही कारण है कि गुजराती को पाज़ंद ने बहुत प्रभावित किया है। जिस प्रकार अवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी संस्कृत से मिलती-जुलती हैं, उसी प्रकार मध्यकालीन फ़ारसी प्राकृत अपभ्रंश से।

आधुनिक फ़ारसी हिन्दी की भाँति वियोगात्मक हो गई है। इसका आरंभिक ग्रन्थ महाकवि फिरदौसी (९४०से१०२०ई०) का 'शाहनामा' नामक राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसकी भाषा में अरबी के शब्द अधिक नहीं हैं, किन्तु इसके बाद आधुनिक फ़ारसी अरबी से लदने लगी। यह मध्यकालीन की अपेक्षा अधिक सरल और मधुर है। ध्वनि-परिवर्तन भी इधर विशेष हुआ है। अब कुछ दिनों से राष्ट्रीयता की लहर यहाँ भी चली है, और अरबी शब्दों को तुर्की की भाँति लोग बहिष्कृत कर रहे हैं। उन हटाये गये शब्दों के स्थान पर आर्य परिवार के ईरानी शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। इधर फ्रांसीसी शब्द भी इसमें (तेल कम्पनियों के कारण) आ गये हैं।

आधुनिक फ़ारसी की बहुत-सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं। विद्वान् इस सम्बन्ध में बहुत निश्चित नहीं हैं कि कौन बोलियाँ सीधे अवेस्ता से निकली हैं और कौन फ़ारसी से। टकर महोदय तो आधुनिक फ़ारसी और पहलवी के विषय में भी शंका करते हैं। उनका


कहना है कि अवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी के बाद सभी ईरानी भाषाएँ एवं बोलियाँ उस समय की बोलियों से विकसित हुई हैं। आज उनकी माँ के विषय में निश्चय के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ प्रधान बोलियों पर यहाँ विचार किया जा सकता है। ये बोलियाँ भारत से लेकर कैस्पियन सागर तक फैली हैं। कुर्दी या कुर्दिश बोली आधुनिक फ़ारसी के समीप है। इसमें एक बड़ी विशेषता यह है कि शब्दों के रूप छोटे हो गये हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक फ़ारसी का 'बिरादर' शब्द उसमें 'बेरा' हो गया है। इसी प्रकार 'सिपेद' (सफ़ेद) का इसमें 'स्पी' रूप मिलता है। बलूचिस्तान की बलूची भाषा भी आधुनिक फ़ारसी के निकट है। अभी तक यह भाषा कुछ संयोगात्मक है। साहित्य के नाम पर इसमें कुछ ग्राम-कथाएँ हैं। इसमें संघर्षी वर्ण अधिकतर स्पर्श हो गये हैं। पश्तो का नाम अफ़ग़ानिस्तानी या अफ़ग़ानी भी है। यह अफ़ग़ानिस्तान की भाषा है। इस पर भारतीय ध्वनि, वाक्य-रचना, तथा बलाघात आदि का प्रभाव पड़ा है। अब यह भारतीय ईरानी की एक मध्यवर्ती भाषा-सी हो गई है। कुछ लोग पश्तो को सीधे अवेस्ता की संतान मानते हैं, किन्तु यह निश्चित मत नहीं हो सका है। पश्तो के ही एक रूप को पख़्तों कहते हैं, जो पश्चिमोत्तर अफ़ग़ानिस्तान में बोली जाती है। दोनों में उच्चारण-भेद ही प्रधान है।

हिन्दुकुण पर्वत पर तथा पामीर की तराई में बहुत-सी ईरानी बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनके समूह को 'पामीरी' कहते हैं। ये बोलियाँ गठन की दृष्टि से कैस्पियन सागर के तट पर प्रचलित ईरानी बोलियों से बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती हैं।

(२) दरद

'दरद' संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'पर्वत' होता है। संस्कृत साहित्य में कश्मीर के पास के देश के लिए भी 'दरद' का प्रयोग मिलता है। 'दरद' भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में है। कभी इनके बोलने वाले भारत के अन्य भागों में अवश्य थे, क्योंकि मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि पर इनका प्रभाव स्पष्ट है। गठन की दृष्टि से पश्तो की भाँति ही दरद भाषाएँ भी ईरानी और भारतीय के बीच में हैं, किन्तु यदि पश्तो ईरानी की ओर झुकी है तो दरद भारतीय की ओर। प्राचीन काल में अपने यहाँ दरद भाषाओं को भारतीय परिवार का समझा गया था और उन्हें पंजाबी प्राकृत की संज्ञा दी गई थी। दरद वर्ग की खोजार भाषा का क्षेत्र दक्षिण एवं ईरानी के मध्य में है। इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ हैं, जिनमें चित्राली प्रमुख है। चित्राली के पश्चिम में काफ़िर वर्ग की बोलियाँ हैं। गिलगिट की घाटी में शीना बोली जाती है। यह दरद की प्रतिनिधि भाषा है। इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ हैं, जिनमें गिलगिटि मुख्य है।

विभाजन



कश्मीर की भाषा कश्मीरी है। इसे यहाँ 'दरद' के अन्तर्गत रखा गया है। गुणे आदि कुछ प्राचीन विद्वान् इसे भारतीय के अन्तर्गत मानते रहे हैं और पंशाची अपभ्रंश से इसका विकास मानते रहे हैं। वस्तुतः इस भाषा पर संस्कृत का प्रभाव काफ़ी पड़ा है, इसी कारण इसकी मान्यता बहुत रही है। परन्तु हवात अब नहीं है। कश्मीरी की कई बोलियाँ हैं। इस शाखा की अन्तिम भाषा कोहिस्तानी है। कोहिस्तानी बोलने वाले बहुत कम हैं। मैया, तोरवारी आदि इसकी प्रधान बोलियाँ हैं।

भारतीय आर्य भाषा

भारत में आर्यों के आने के बाद से उनकी भारतीय आर्य भाषा का इतिहास शुरू होता है। इन्द्रप्रसंग में सबसे पहले उन लोगों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी अपेक्षित है, जो आर्यों के आने के पूर्व भारत में आ चुके थे। इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि आर्यों के आगमन के सम्बन्ध में क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उल्लेख्य है कि यहाँ 'भारतीय' में 'भारत' के अतिरिक्त 'पाकिस्तान,' 'बांगला देश' तथा 'श्रीलंका' भी है।

आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय—आर्यों के आने के पूर्व, भारत में कौन-कौन सी जातियाँ रहती थीं यह प्रश्न भी प्रस्तुत प्रसंग में विचारणीय है, क्योंकि उनकी भाषाओं ने हमारी भाषिक धारा को विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में अधुनातम शोधों से यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी है, कि किसी भी ऐसी जाति का पता अब तक नहीं चला है, जिसे मूलतः भारत-भूमि का निवासी माना जा सके। यहाँ की छोटी बड़ी सभी जातियाँ, समय-समय पर बाहर से ही आईं। आर्यों के पूर्व आनेवाली जातियों में प्रमुख निम्नांकित चार हैं:—

नेग्रिटो (Negrito)—यह प्राचीनतम जाति है, जिसका भारत भूमि पर पता चलता है। नेग्रिटो मूलतः अफ्रीका के निवासी थे और ये दक्षिणी अरब, ईरान होते भारत आये थे। प्रारम्भ में ये लोग प्रायः पूरे भारत में फैल गये थे, फिर इनमें कुछ असम, बर्मा होते इंडोनेशिया तथा मलय आदि चले गये कुछ बर्मा के निग्राइस अंतरीप के रास्ते अंदमान जा पहुँचे। इस समय फिलीपीन के नेग्रिटो, दक्षिणी बलूचिस्तान के कुछ लोगों, दक्षिण भारत की तमिलभाषी पनियर, कदिर, कुम्बा, इरुला आदि छोटी-मोटी जातियों; असम के मंगोली किरातों, तथा अंदमान के पाँच-छः सौ व्यक्तियों (जो अब तक अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं) के रूप में ही इनके अवशेष हैं। ये लोग काले, घने बालोंवाले तथा चौड़ी नाकवाले थे। ये बिल्कुल ही असभ्य थे। पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे एवं खाद्य-संग्रह (Food gathering) अवस्था में थे। पशुपालन या खेती का ज्ञान इन्हें नहीं था। पीपल की पूजा तथा धनुषबाण का प्रयोग ही भारतीय संस्कृति को इनकी देन है। इनकी भाषा का कोई विशेष अवशेष प्रभाव रूप में भारतीय भाषाओं में नहीं रह गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में 'बाद' या 'बादुड़' ही एक ऐसा शब्द है, जो इनका माना जाता है। यह बंगला में 'बादुड़' तथा पुरानी बंगला में 'बादुड़ी' है। बिहारी चमदड़िया, गादुर, हि० चमगादड़, पंज० चमगिदड़ भी अंशतः उसी से सम्बद्ध है। पंज० चामचिदिक उससे सम्बद्ध न होकर सं० 'चर्मचिटक' से निकला है। अंदमानी आदि में यह शब्द 'बाद' रूप में मिलता है।

आस्ट्रिक—नेग्रिटों लोगों के बाद आस्ट्रिक आये। पहले लोगों का यह विचार था, कि ये लोग दक्षिणी चीन तथा उत्तरी हिन्दचीन के निवासी थे तथा असम के रास्ते भारत में आये थे, किन्तु अब इनका मूल स्थान भूमध्यसागर माना जाता है। ये इराक, इरान, होते भारत आये। आस्ट्रिक काले, चौड़ी नाकवाले, मझोले कद के तथा लम्बे कपाल के थे। ये बहुत पहले भारत से इंडोनेशिया होते आस्ट्रेलिया पहुँच गए थे। वहाँ अब भी ये लोग हैं। भारत की कोल, मुण्डा, खासी, मोनरमेर, निकोवारी आदि भाषाएँ इन्हीं की हैं। प्राचीन

भारत में आस्ट्रिकों को निषाद, सौद्युम्न, कोल्ल, भिल्ल, पुल्लिद, शबर आदि नामों से पुकारा गया है। शिकार, मछली पकड़ना, खेती का आरम्भिक रूप, पान, सुपारी, घान, लौकी, बैंगन, हल्दी, केला, अदरक, हाथी को पालतू बनाना, कुत्ता, सुअर, मुर्गी पालना, नारियल, कपास तथा उससे कपड़े बनाना, सिंदूर, २० पर आधारित गिनती (कोड़ी शब्द इन्हीं का है) एवं पुनर्जन्मवाद, भारतीय संस्कृति को इनकी देन है। आस्ट्रिक भाषाओं ने भारतीय आर्य भाषाओं, विशेषतः पूर्वी भारत की भाषाओं को कई रूपों में प्रभावित किया है। कार्पास, कदली, बाण, तांबूल, पिनाक, गंगा, जिग, कन्वल आदि अनेक शब्द मूलतः आस्ट्रिकों से ही मिले हैं। अनुकरणात्मक शब्द बनाने की परम्परा भी कदाचित् इन्हीं से भारतीय भाषाओं में आई है।

किरात (Mongoloid)—आस्ट्रिक लोगों के बाद किरात भारत में आये। ये लोग मूलतः याङ्-त्सी-क्यांग नदी के मुहाने के पास के रहने वाले आदिमंगोल थे। इन्हीं की एक शाखा चीनी सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माता बनी। इनकी एक शाखा ब्रह्मपुत्र के रास्ते भारत आई और उत्तरी पहाड़ी भागों—सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत, बिहार, असम, बंगाल एवं उड़ीसा में फैल गईं। यजुर्वेद तब में इनका उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग काशी पहले आ चुके थे। अब ये लोग केवल हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, असम, मण्डीपुर तथा उत्तरी बंगाल में हैं। इनकी प्रमुख भाषाएँ मेइथेइ, कचिन, नगा, गारो, बोडो, सोलो, कुकीचिप, लेप्चा, तथा नेवारो आदि हैं। ये चीनी परिवार की तिब्बती-बर्मो शाखा से सम्बन्ध हैं। भारत में आने पर ये लोग भाषा तथा संस्कृति में आस्ट्रिकों से प्रभावित हुए, तथा बाद में इन लोगों ने द्रविड़ों तथा आर्यों को प्रभावित किया। यों दक्षिण भारत से इनका कदाचित् कभी भी प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं था। भारतीय तन्त्रशास्त्र इनसे प्रभावित माना जाता है। इसी प्रकार कुछ लोगों के अनुसार 'शुलगव्य' जैसी वैदिक क्रियाएँ भी इन्हीं की देन हैं। भाषिक क्षेत्र में नेपाली पश्चिमी तथा मध्य पहाड़ी, असमी एवं बंगाली पर इनका कुछ प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक ध्वनियों का प्रश्न है, इन्होंने केवल नेपाली, असमिया तथा कुछ-कुछ पूर्वी-उत्तरी बंगाला को ही प्रभावित किया है। इन भाषाओं में चवर्ग का दंत्य स्पर्श-संधर्षी उच्चारण वस्तुतः किरातों का ही प्रभाव है। अन्य आर्य भाषाओं में ये ध्वनियाँ तालव्य स्पर्श-संधर्षी हैं। इसी प्रकार असमी एवं नेपाली में सूर्धन्य टवर्ग एवं दंत्य तवर्गदोनों के स्थान पर दंत्यमूलीय उच्चारण भी कदाचित् इनका ही प्रभाव है। व्याकरण के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पड़ा है। श्री एण्डरसन के अनुसार असमिया, बंगाला आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में पूर्वकालिक कृदंत का अत्यधिक प्रयोग, किरातों (बोडो भाषा) की देन है, यद्यपि डॉ० चटर्जी इसमें द्रविड़ प्रभाव की भी पूरी सम्भावना पाते हैं। मेरे अपने धिचार में यह प्रभाव मूलतः किरातों का ही है। द्रविड़ में भी इसके प्रयोग का आधिक्य में उन्हीं की देन समझता हूँ। यह प्रभाव तब का है जब उत्तरी भारत, द्रविड़ों का केन्द्र था। सिंध, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि में द्रविड़ संस्कृति के अनेक केन्द्र उनके उत्तर भारतीय निवास के अकाट्य प्रमाण हैं। असमी में कई संयुक्त क्रियाएँ तथा—म और—स दो प्रत्यय किरात भाषा बोडो से ही आये हैं। हिन्दी प्रदेश तथा पंजाब आदि में प्रचलित 'बल्लम' (माला) शब्द में 'बल्ल' तो सं० 'भल्ल' का विकसित रूप है और—म बोडो का है। सं० 'भल्ल' तथा बोडो—म के योग से यह शब्द भी कदाचित् पहले किरातों में ही प्रयुक्त हुआ, इसी कारण 'भू' का 'वू' हो गया है। शब्दावली के क्षेत्र में पहाड़ी एवं असमी भाषाएँ किरातों की भाषाओं से पर्याप्त प्रभावित हैं। हिन्दी, पंजाबी आदि भाषाओं में भी कुछ शब्द इनके हैं। अकेले असमी में ही अनेक क्रियाएँ, संज्ञाएँ, विशेषण तथा स्थानवाचक नाम उनसे आये हैं। कुछ उदाहरण हैं: चेवा (वेचैन होना), बोँदा (बिल्ला), खोखा (मछली का जाल;

हिन्दी, पंजाबी का खोखा भी यही है, लकड़ी का छोटा घर या बक्स), फेटा (झुकाव; हिन्दी फेटा (धोती का) भी यही है।), स्थान-नाम—डिगबोई, डिब्रूगढ़, विहामपुर आदि। असम में बोड़ो लोग कभी बड़े शक्तिशाली थे, अतः वहाँ तथा उत्तरी-पूर्वी बंगाल में उनके माध्यम से ही किरात प्रभाव पड़ा है। नेपाली में किरात भाषा नेवारी से कई शब्द आए हैं, जैसे गुमाख, उयासल, खमल आदि। कुछ तिब्बती-बर्मी, एवं चीनी शब्द भी उन्हीं के माध्यम से नेपाली में आये हैं, जैसे तुनि, तोक्मा तथा हरो आदि।

द्रविड़—भारत में आने वाली तीसरी जाति द्रविड़ों की थी। इनके मूल स्थान के सम्बन्ध में विवाद है। एक ओर जाँ प्रिज़्युस्की (Jean Przysuski) तथा कई द्रविड़ विद्वानों के अनुसार ये लोग मूलतः भारत के ही निवासी थे, तो दूसरी ओर आस्ट्रेलिया की भाषाओं या यूराल-अल्ताई परिवार से इसकी समानता दिखाकर कुछ विद्वान् कई अन्य निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। डॉ० लाओवरी इस परिवार को बास्क से जोड़ते हैं और उससे कुछ और ही परिणाम निकलते हैं। क्रूक (Crooke) आदि अनेक लोग इन्हें अफ्रीका से जोड़ते हैं। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक मत प्रकट किए गए हैं, किन्तु कोई भी मत अभी तक सर्वमान्य नहीं हो सका है। यों इस बात को अधिकांश लोग मानते हैं कि ये बाहर से आए थे। सभी बातों पर ध्यान देते हुए मेरे विचार में इनका मूल स्थान अफ्रीका मानना ही अधिक उचित होगा। वहाँ से ये लोग भूमध्यसागर आए और फिर ईरान, अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्वी भारत (असम, बंगाल) तक फैल गये। कभी लोगों का विचार था कि केवल हड़प्पा-मोहनजोदो, अर्थात् उत्तरी पश्चिमी भारत में ही इनका केन्द्र था, किन्तु इधर लोथल (गुजरात), उरिव्वना (मेरठ) तथा कालिबाँगन आदि में इनके अवशेष, पूर्वी भारत में भी अनेक स्थानों के नामों में इनके भाषिक तत्त्व, तथा इनकी भाषाओं का अनेक क्षेत्रों में मिलना, इनके प्रायः पूरे उत्तर भारत में फैले होने का प्रमाण है। भारत में ये लोग ४००० ई० पू० के बाद आए। आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अतिरिक्त तुलु, कोडगु, कोलमी, टोडा, गोंड (मध्य भारत), खन्द (उड़ीसा), औरावँ (विहार आदि), ब्राहुई (बलूचिस्तान) तथा माल्ती (राजमहल की पहाड़ियाँ) आदि इनके बृहत् भाषा-क्षेत्र के अवशेष हैं। संस्कृत साहित्य में द्रविड़ों को 'दास', 'दस्यु' तथा 'शूद्र' नामों से पुकारा गया है। आरम्भ में ये नाम जातिवाची थे, किन्तु बाद में इनमें अर्थपरिवर्तन हो गया और ये गुलाम, डाकू तथा अछूत के वाचक हो गए। ईरानी साहित्य में 'दास' शब्द 'दाह' रूप में मिलता है (सं० स=ईरानी ह), और उसका प्रयोग भी वहाँ जाति विशेष के लिए ही हुआ है। 'दस्यु' ईरानी में 'दह्यु' है।

मध्ययुगीन तथा आधुनिक फ़ारसी का 'देहू' (=गाँव) इसी का विकास है। उल्लेख्य है कि देहू का ही बहुवचन हिन्दी में 'देहात' रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द ईरानी में ही 'जाति' से 'जाति के प्रदेश' का बोधक और फिर गाँव का बोधक हो गया था। द्रविड़ों ने पूर्ववर्ती जातियों की तुलना में बहुत उन्नति की और उच्च नागरिक संस्कृति की नींव डाली। वर्तमान भारतीय संस्कृति के आधे से अधिक उपादान इनके ही हैं। पूर्ववर्ती लोगों से सभी दृष्टियों से इन्होंने प्रभाव ग्रहण किया था, किन्तु पूर्ववर्ती भारत को उससे भी अधिक प्रभावित किया। हिन्दूधर्म के शिव-पार्वती, देवी, हनुमान, कार्तिकेय, गण्ड, मृग्यु के बाद का पिंडदान-संस्कार आदि मूलतः द्रविड़ ही हैं। भाषा के क्षेत्र में आर्य भाषाओं पर द्रविड़-प्रभाव पर्याप्त है। इस प्रभाव को तीन वर्गों में रखा जा सकता है—ध्वनि, व्याकरण, शब्द। ध्वनियों के क्षेत्र में इनकी सबसे बड़ी देन भारत में आने के बाद आर्य भाषा में टवर्ग का विकास है। पश्तो एवं दरद भाषाओं में भी टवर्ग इन्हीं के प्रभाव से है। कभी द्रविड़ वहाँ भी थे। इसके अतिरिक्त, श, स, ष, ह के अतिरिक्त अन्य भारत-ईरानी संघर्षी व्यंजनों का लोप, द्रविड़ जैसे संयुक्त व्यंजनों का विकास, तथा स्वरभक्ति का बाहुल्य भी द्रविड़ प्रभाव है। व्याकरणिक प्रभावों—विशेषतः जो अत्यन्त प्राचीन

काल से काम कर रहे हैं—का ठीक आकलन सरल कार्य नहीं है। फिर भी सभी दृष्टियों से विचार करने पर यह अनुमान लगता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में संयुक्त क्रियाओं (ये प्रयोग संस्कृत से पालि में पालि से प्राकृत में तथा प्राकृत से अपभ्रंश में और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं में अधिक मिलते हैं) के अत्यधिक प्रयोग, परसर्गों का प्रयोग, तुलनात्मक विशेषण में अपादान परसर्ग का प्रयोग आदि द्रविड़ भाषाओं के ही प्रभाव हैं। पूर्वकालिक क्रियाओं का अधिक्य मूलतः आस्ट्रिकों की देन है किन्तु यह प्रभाव आधुनिक आर्य भाषाओं में प्रमुखतः द्रविड़ माध्यम से ही आया जान पड़ता है। द्रविड़ से भारतीय आर्य भाषाओं में अनेक शब्द आए हैं। यों तो इस दिशा में कैल्डवेल, गुंडर्ट, किटेल, बरो आदि ने काम किया है, किन्तु अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं समझना चाहिए। मेरे विचार में ऐसे शब्दों की संख्या कई हजार होगी। इनमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो पुराने द्रविड़ शब्द से ध्वनिसाम्य रखते हैं, और इन्हें पहचानना सरल है, किन्तु ऐसे भी शब्द काफी होंगे, जिनका आर्यों ने जाने-अनजाने संस्कृतीकरण कर दिया था। और अब उन सारों को खोज पाना प्रायः असम्भव-सा है। अणु, कला, गण, नाना (अनेक), पुष्प, वीज, रात्रि, सायं, तंडुल, मर्कट, शव, श्रेष्ठिन् (सेठ), झड़ी (वर्षा की), झगड़ा, सीप, खूँटा, आदि शब्द द्रविणों की देन हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि ध्वन्यात्मक शब्दों की परम्परा आस्ट्रिकों से प्रभावित है, उसी प्रकार प्रतिध्वन्यात्मक शब्द (बोडा-बोडा, किताब-सिताब, चाय-शाय आदि) द्रविड़ों की देन हैं।

भारत में आर्यों का आगमन—भारतीय आर्य, ईरानियों एवं दरद लोगों से अलग होकर १५०० ई० पू० के आस-पास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तरी सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए। इस प्रसंग में एक प्रश्न उठाया गया है कि वे एक बार ही में आ गए या कई बार में। हार्नले (Comparative Grammar of the Gaudian Languages, पृ० XXXI; history of India—Hoernle तथा Stark, कलकत्ता, १९०४, पृ० १२-१३) का कहना था कि वे दो बार आए। पूर्ववर्ती आर्य मध्यदेश में आ बसे थे। बाद में आने वाले आर्यों ने आकर उनका स्थान ले लिया, और पूर्वगतों को उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरव ढकेल दिया। इसे आर्यों के आगमन का पञ्चर सिद्धान्त (Wedge theory) कहते हैं। इसके अनुसार पूर्ववर्ती आर्य भौगोलिक दृष्टि से 'बाहरी' हो गए तथा परवर्ती आर्य 'भीतरी'। हार्नले का यह भी विचार था कि ये परवर्ती आर्य ही वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। प्रायः हार्नले के इस सिद्धांत के साथ गलती से ग्रियर्सन का नाम जोड़ दिया गया है, और दोनों को मिलाकर इसे हार्नले-ग्रियर्सन का दो आक्रमणों वाला सिद्धांत (Two invasion theory) कहा गया है ग्रियर्सन ने इसका स्पष्ट शब्दों में विरोध (Linguistic Survey of India, खण्ड १, भाग १, पृ० ११६) करते हुए कहा है कि दो अलग-अलग आक्रमणों की कल्पना में अनावश्यक मानता हूँ। ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर (दे० ०.३.२.३.१.) यह निष्कर्ष निकाला था कि (Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institute, भाग १, खण्ड ३, १९३०, पृ० ३२) इनके 'भीतरी' और 'बाहरी' दो वर्ग बनते हैं। उनका कहना था कि बाहरी शाखा की भाषाएँ अनेक भाषिक बातों में भीतरी शाखा से अलग हैं। इस प्रसंग में उन्होंने यह भी संकेत किया है कि बाहरी शाखा, जिन बातों में भीतरी से अलग है, उन्हीं में वह दरद भाषाओं के समीप है। इसका आशय यह है कि बाहर तथा दरद लोगों के मूलतः एक वर्ग के होने की सम्भावना है।

नृवंज्ञानिक तथ्यों के आधार पर रमाप्रसाद चंद्र (Indo-Aryan Races, खण्ड १, राजशाही, १९१६) भी लगभग इसी प्रकार के बाहरी-भीतरी शाखा के निष्कर्ष पर पहुँचे थे। उनके अनुसार भीतरी शाखा के लोग लंबकपाली (dolichocephalic) प्रजाति के हैं, तो बाहरी शाखा के लोग लघुकपाली (brachycephalic) प्रजाति के। प्रथम वैदिक संस्कृति के अधिष्ठाता थे, तो दूसरे वैष्णव एवं शाक्त धर्म के।

ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि विस्तार में कुछ अलग होते हुए भी ये तीनों मत पर्याप्त समीप हैं, अतः इनमें सत्य का अंश अवश्य है। किन्तु गहराई से देखने पर कई विरोधी बातें सामने आती हैं। उत्तरी भारत के निवासियों में अनादि काल से जातीय मिश्रण होता आ रहा है, और यह मिश्रण उत्तर के पहाड़ी इलाकों, पूरब एवं दक्षिण में विशेष हुआ है। ऐसी स्थिति बाहरी शाखा में भीतरी संसार कुछ नृशास्त्रीय विशेषताओं का विकसित हो जाना असम्भव नहीं है। किन्तु इसके आधार पर आर्यों के दो वार आने की बात नहीं साबित होती। यों तो प्रियर्मन ने स्वयं ही दो आक्रमणों जला सिद्धांत नहीं माना। साथ ही भीतरी एवं बाहरी वर्गों में उनके द्वारा कथित अन्तर (दे० ०.३.२.३.१.) भी बहुत साधारण नहीं है। किन्तु यदि थोड़ी देर के लिए उनके अन्तर को मान भी लें तो, भाषाओं की आज प्राप्त होने वाली कुछ थोड़ी समानताओं-असमानताओं के आधार पर ही साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व के सम्बन्ध में उक्त प्रकार का दो आक्रमण वाला सिद्धांत नहीं माना जा सकता। हार्नले के पास अपने मत को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था। यों यदि उन्हीं की दिशा में सोचें तो यह भी तो सम्भव है कि परवती आर्य आये हों और पूर्ववर्ती आर्यों के चारों ओर बस गये हों। यह आवश्यक नहीं कि पच्चर की तरह प्रवेश करके पूर्वागत आर्यों को चारों ओर खदेड़ा ही हो। इस प्रसंग में एक और बात भी उल्लेख्य है। बाहरी एवं भीतरी लोगों के क्षेत्र एवं उनकी संख्या को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि बाहरी लोगों के भीतरी से अधिक होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों का खदेड़ा जाना बहुत सम्भव नहीं है। वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत निश्चित उत्तर देना बहुत कठिन है। यों यह अनुमान लगता है कि आर्य एकाधिक बार में आये होंगे, किन्तु कितनी बार में आये इसका उत्तर किसी ठोस आधार के अभाव में नहीं दिया जा सकता।

आर्य पहले सप्तसिन्धु (आधुनिक पंजाब) में आये फिर धीरे-धीरे मध्यदेश कोसल होते अवंती और बंगाल तक फैल गये। इनका यह आगमन एवं फैलना संघर्षों से खाली नहीं था। पहले इनको दास, दस्यु या शूद्र (अर्थात् 'द्रविड', दे० ०.३.१.१.४) लोगों से युद्ध करना पड़ा। पूर्व में कदाचित् निषादों एवं किरातों से भी इनका संघर्ष हुआ, किन्तु सर्वत्र इनकी विजय हुई और अन्त में उत्तरी भारत प्रायः पूर्णतः इनका हो गया।

भारतीय आर्य भाषा—भारत में आर्य भाषा के प्रारम्भ का बहुत निश्चित काल देना तो सम्भव नहीं है, किन्तु मोटे ढंग से यह माना जा सकता है कि १५०० ई० पू० के आसपास से इसका प्रारम्भ होता है। तब से, आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु लगभग साढ़े तीन हजार वर्षों की हो चुकी है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषा की इस लम्बी आयु को ३ कालों में बाँटा गया है, और तीनों कालों में आर्य भाषा को तीन नामों से अभिहित किया गया है। (१) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (प्रा० भा० आ०) १५०० ई० पू०—५०० ई० पू०, (२) मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (म० भा० आ०) ५०० ई० पू०—१००० ई०, (३) आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (आ० भा० आ०) १००० ई०—अब तक।

प्राचीन आर्य भाषा—आर्य जब भारत में आये, उस समय उनकी भाषा तत्कालीन ईरानी भाषा से कदाचित् बहुत अलग नहीं थी। किन्तु जैसे-जैसे यहाँ के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव, विशेषतः आर्यतर लोगों से मिश्रण के कारण पड़ने लगे, भाषा परिवर्तित होने लगी। इस प्रकार वह अपनी भगिनी-भाषा ईरानी से कई बातों में अलग हो गई। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। इसमें रूपाधिक्य है, नियमिता की अपेक्षाकृत कमी है और अनेक प्राचीन शब्द हैं जो बाद में नहीं मिलते। वैदिक

संहिताओं का काल मोटे रूप में १२०० ई० पू० से ९०० ई० पूर्व के लगभग है। यों वैदिक संहिताओं की भाषा में भी एकरूपता नहीं है। कुछ की भाषा बहुत पूर्ववर्ती है, तो कुछ की परवर्ती। उदाहरणार्थ अकले ऋग्वेद में ही प्रथम और दसवें मण्डलों की भाषा तो बाद की है, और शेष की पुरानी। यही पुरानी भाषा अपेक्षाकृत अवेस्ता के निकट है। अन्य संहिताएँ (यजुः, साम, अथर्व) और बाद की हैं। वैदिक संहिताओं की भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न है क्योंकि यह काव्य-भाषा है। उस समय तक आर्यों का केन्द्र सप्तसिन्धु या आधुनिक पंजाब था, यद्यपि पूर्व में वे बहुत आगे तक पहुँच गये थे। ब्राह्मणों-उपनिषदों की भाषा कुछ अपवादों को छोड़कर संहिताओं के बाद की है। इसमें उतनी जटिलता एवं रूपाधिक्य नहीं है। इनके गद्य भाग की भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। इस समय तक आर्यों का केन्द्र मध्यदेश हो चुका था, यद्यपि इधर की भाषा उतर जितनी शुद्ध नहीं थी। इस भाषा का काल ९०० से बाद का है। भाषा का और विकसित रूप सूत्रों में मिलता है। इसका काल ७०० ई० पू० से बाद का है। यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत के काफ़ी पास पहुँच गई है, यद्यपि उसमें पाणिनीय संस्कृत की एकरूपता नहीं है। इसी काल के अन्त में लगभग ५वीं सदी में पाणिनि ने अपने व्याकरण में संस्कृत के उदीच्य में प्रयुक्त रूप के अपेक्षाकृत अधिक परिनिष्ठित एवं पण्डितों में मान्य रूप को नियमबद्ध किया, जो सदा-सर्वदा के लिए लौकिक या क्लैसिकल संस्कृत का सर्वमान्य आदर्श बन गया। पाणिनि की रचना के बाद बोलचाल की भाषा पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भाषाओं के रूप में विकास करती आज तक आई है, किन्तु संस्कृत में साहित्य-रचना भी इसके समानान्तर ही होती चली आ रही है, जो मूलतः पाणिनीय संस्कृत होने पर भी हर युग की बोलचाल की भाषा का अनेक दृष्टियों से कुछ प्रभाव लिये हुए है और यही कारण है कि बोलचाल की भाषा न होने पर भी, उस साहित्यिक संस्कृत में भी विकास होता आया है। भाषा के जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि रामायण-महाभारत की भाषा पाणिनि के बाद की है। पुराने पुराणों की भाषा और भी परवर्ती है। फिर कालिदास से होते क्लैसिकल संस्कृत हितोपदेश तक तथा और आगे तक आई है।

इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के वैदिक और लौकिक संस्कृत दो रूप मिलते हैं।

वैदिक—(१५०० ई० पू० से ८०० ई० पू० तक) इसे 'प्राचीन संस्कृत', 'वैदिकी', 'वैदिक संस्कृत' या 'छन्दस्' आदि अन्य नामों से भी पुकारा गया है। संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। यों इन सभी में भाषा का कोई एक मुनिश्चित रूप नहीं है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, वैदिक साहित्य में इस भाषा का विकास होता दिखाई पड़ता है, फिर भी कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक बातें ऐसी हैं, जिनको वैदिक की सामान्य विशेषताएँ माना जा सकता है। तत्कालीन बोलचाल की भाषा इसके समीप रही होगी, किन्तु इसका यह आशय नहीं कि बोलचाल की भाषा के सभी रूप इसमें सुरक्षित हैं।

ध्वनियाँ—मूल भारोपीय एवं भारत-ईरानी से संस्कृत की (वैदिक तथा लौकिक) कुछ प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण ध्वनियों का विकास किस रूप में हुआ, यहाँ देखा जा सकता है। कुछ स्थानों पर तो भारोपीय के पुनर्निमित्त तारकित रूप दिये गये हैं और कुछ में मात्रा-ग्रीक या लैटिन आदि के ही रूप दिये गये हैं। उक्त प्रकार के स्थानों में उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत ग्रीक या लैटिन आदि के शब्दों या रूपों में प्रयुक्त सम्बद्ध ध्वनि मूल भारोपीय का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के अभाव में कहीं-कहीं अवेस्ता आदि से ही तुलना करके संतोष करना पड़ा है।

सं० अ : (१) भारो० *अ से (भारो० *agei, ग्री० agei, अबे० azaiti, सं० अजति' ग्री० agros, लै० ager, अं० acre, सं० अज्र)। (२) भारो० *ह्रस्व ए से (भारो० *esti,

ग्री० esti, लै० est, अवे० astiya अस्तिय, सं० अस्ति; लै० equus, अवे० अस्प, सं० अश्व) ।
 (३) भारो० *ह्रस्व ओ से (भारो० *potis, ग्री० posis, लै० potis, अवे० पइतिष्, सं० पतिः; ग्री० domos, लै० domus, रूसी dom, सं० दम) । (४) भारो० *तू से (भारो० *tatos, ग्री० tatos, सं० ततः) । (५) भारो० *म् से (भारो० dekm, ग्री० deka, लै० decem, गोथिक taihun, सं० दश) ।

सं० आ : (१) भारो० *आ (दीर्घ) से (भारो० *mater, ग्री० mater, लै० mater, अवे० मातर, सं० मातृ) । (२) भारो० *ए (दीर्घ) से (ग्री० men, लै० mensis, सं० मास) । (३) भारो० *ओ (दीर्घ) से (लै० vox, अवे० वाक्सा, सं० वाक्) । (४) भारो० *नू (दीर्घ) से (भारो० *gnōs, ग्री० gnotos, अवे० जातो, सं० जातः) । (५) भारो० *म् (दीर्घ) से (भारो० *ghsm, ग्री० Khthon, अवे० ज, सं० धाः) ।

सं० इ : (१) भारो० *पे से (भारो० *peter, ग्री० pater, अवे० पितर, सं० पितृ) । (२) भारो० *इ से (भारो० *idh, ग्री० इथ, अवे० इद, सं० इह, पा० इध) । (३) भारो० *ऋ से (भारो० *grā, अवे० गइरि, सं० गिरि) ।

सं० ई : (१) भारो० *ई से (ग्री० pion, सं० पीवन्) ।

सं० उ : (१) भारो० *उ से (भारो० *dughater, ग्री० thugater, फा० दुहतर, सं० दुहितृ) । (२) भारो० *ऋ से (भारो० *grus, अवे० गोउर, सं० गुरु) ।

सं० ऊ : भारो० *ऊ से (प्राचीन स्लाव द्यू (dymu), रूसी दइड्म, सं० धूम, लै० fumus) ।

सं० ऋ : (१) भारो० *ऋ से (भारो० *prskhati, सं० पृच्छति, प्राचीन उच्च जर्मन forscen) । (२) भारो० *लू से (भारो० *plhu, ग्री० plaus, अवे० परथु, सं० पृथु) ।

सं० ऋ : मूलतः भारो० से नहीं आया है ! ह्रस्व इ एवं ह्रस्व उ से अन्त होने वाले शब्दों में षष्ठी बहुवचन में दीर्घ करने (सखि-सखीनाम्, गुरु-गुरुणाम्) की प्रवृत्ति थी । इसी के सादृश्य पर ह्रस्व ऋ से अन्त होने वाले प्रातिपादकों के रूपों में दीर्घ ऋ (धातृ—धातृणाम्, धातन्; पितृ—पितृणाम् आदि) की प्रवृत्ति चल पड़ी; और इस प्रकार ऋ का विकास सादृश्य के कारण हुआ ।

सं० लृ : भारो० *लृ से (अवे० karap, सं० कल्प) ।

सं० ए : (१) भारो० *अइ मे (ग्री० daipher, रूसी देविर, सं० देवर) । (२) भारो० *एड से (लियुवानियन citi, सं० एति) । (३) भारो० *ओ (ह्रस्व) से (ग्री० oida, रूसी वेद, सं० वेद, अवे० वएद) ।

सं० ओ : (१) भारो० *अउ से (ग्री० auos, लियु० sausas, रूसी सुझ—सं० शोष-) । (२) भारो० *एँउ से (ग्री० euo, सं० ओषति) । (३) भारो० *ओँउ से (*louk—, लियु० laukas, सं० लोक) ।

सं० ऐ : भारो० के *आइ, *एड, *ओइ इनतीन संयुक्त स्वरों से । अर्थात् इ-अंत्य उन संयुक्त स्वरों से जिनके प्रारम्भ में दीर्घ स्वर (आ, ए, ओ) थे (ग्री० eleipsa, सं० अरंभम्) ।

सं० औ : भारो० के *आउ, *एउ, *ओउ, इनतीन संयुक्त स्वरों से । इनमें प्रथम स्वर दीर्घ है, तथा दूसरा ह्रस्व उ (ग्री० bous, सं० गौः; ग्री० nāus, सं० नी) ।

सं० क्, ख्, ग्, घ् : भा० यू० में कवर्गीय ध्वनियाँ तीन थीं—कंठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठ-तालव्य । प्रथम दो वर्गों का विकास प्रायः सं० कवर्ग में (परवर्ती स्वर के अग्र होने की स्थिति अपवाद है) हुआ है। (लै० coxa, सं० कक्ष; भारो० *kwos, सं० कः; भारो० *makhos सं० मख; ग्री० zugon, सं० युगम; भारो० *ghwono सं० घन)। यों यदि विस्तार में जाएँ तो ख् और घ् के विकास में कुछ विवाद तथा अनियमितताएँ भी हैं।

सं० च्, छ्, ज्, झ् : च्, ज् का विकास उन कंठ्य या कंठोष्ठ्य क्, ग् से माना जाता है, जिनके बाद अग्रस्वर हों : भारो० *kwe, लै० que, सं० च; भारो० *gwiwos, सं० जीव । छ् प्रायः अग्रस्वर के पूर्व आने वाले *स्ख (ग्रीक skia, सं० छाया) से आया है। 'झ' ध्वनि भारोपीय से विकसित शब्दों में नहीं मिलती। यह अनुकार, अंकार, अंशा, अरण आदि या मुंडा (बूट) एवं द्रविड़ आदि से आगत शब्दों में ही मिलती है। कुछ भारत-ईरानी शब्द भी कदाचित् भारत में झ-युक्त (अवे० रजरइति, सं० *अरति) हो गये। क् ग् से च्, ज् के विकास के कारण ही अनेक शब्दों में एक ध्वनि दूसरे के स्थान पर (वाच-वाक, युज्-युग) आ जाती है।

सं० ट्, ठ्, ड्, ढ् : सं० में ये ध्वनियाँ या तो उन शब्दों में मिलती हैं, जो द्रविड़ आदि आर्योत्तर भाषाओं से आये हैं। (इस प्रकार द्रविड़ प्रभाव या देन हैं) जैसे कुटि, कठिन आदि, या फिर भारोपीय शब्दों की *त्, *थ, *ज्द (*nis (उच्चरित रूप z) ja > नीड) *द्व् (*astos (उच्चरित रूप z) dhwam > अस्तोद्वम) ध्वनियों से विकसित हुई हैं। त् ध्वनि *र् *क्य (इसका संस्कृत रूप श मिलता है), तथा अग्रस्वर के पूर्ववर्ती *ग्, *घ् (कंठ्य या कंठोष्ठ्य) (सं० में इसका विकास ज्, ह् रूप में हुआ है) के सम्पर्क से ही प्रायः ट् हुई है : *कनुस् > सं० कटु । भारो० *थ ध्वनि भी इसी प्रकार र आदि के प्रभाव से ट् में विकसित हुई है : *gwrtho > जठर । ऋग्वेद में स्वर मध्यग ड् ढ् ही ल्, ल्हू हो गये हैं।

सं० त्थ्, द्ध् : ये भारो० *त्, *थ्, *द्, *ध् से ही प्रायः विकसित हुए हैं : ग्री० तनु, सं० तनु; भारो० *rothos, अवे० रथ, सं० रथ; भारो० *dekkm, सं० दश; भारो० *dhedhore, सं० दधार ।

सं० प्फ्, ब्भ् : ये भारो० *प्, *फ्, *ब, *भ् से ही प्रायः निकले हैं : भारो० *pēnkwē सं० पंच; भारो० *phallo सं० फल; भारो० *barghis, सं० बहिः; भारो० *obhrus, सं० भ्रू ।

सं० ङ्, ञ्, ण्, न्, म् : भारो० *न, *म से ही न्, म् विकसित हैं : भारो० *nizda > नीड; भारो० *gwegwome > सं० जगाम । ञ् उस ङ् से आया है जो क्, ज् आदि होने वाले क्, ग् आदि के पूर्व था : भारो० *pēkwe > सं० पंच् । ङ्, भारो० *ङ् है । ण् या तो द्रविड़ शब्दों में है या र आदि से प्रभावित नृ है।

सं० य्, र्, ल्, व् : भारो० के अपने अनुरूप अंतस्थों से विकसित हुए हैं। यों र्, ल्, का आपसी परिवर्तन भी मिलता है। सम्भवतः रलयोरभेदः अत्यन्त प्राचीन काल से है। व् ध्वनि कंठोष्ठ्य कवर्ग से भी विकसित हुई है। भारो० *yugam सं० युगम; भारो० *klu सं० ध्रु; भारो० *ugra, सं० उग्र; भारो० *phallo, सं० फल; भारो० *ekwos, सं० अश्व ।

सं० स्, ष्, श् : भारो० *स से सं० स् : भारो० *menos, सं० मनस् । भारो० *स् ध्वनि अ या आ को छोड़ अन्य स्वरों के पूर्व होने पर प्रायः ष् हो गई है। — *स + उ = षु (भानुषु) दंत्य ध्वनियों के 'ट' होने पर उनके प्रभाव से तथा कुछ अन्य परिस्थितियों

में भी समीपवर्ती 'स्' 'ष्' हो गया है। भारो० कंड्य - तालव्य *क् सं० में श हो गया है : भारो० *dedorke, सं० ददर्श ।

सं० व-यह भारो० *व का ही विकसित रूप है ।

सं० ह् अघोष ह् (विसर्ग) - भारो० के पदांत *स तथा *र से निकला है : भारो० *potis, सं० पतिः । घोष ह्, तीनों घ, *घ, तथा *भ से विकसित हुआ है : *ghwṛti, सं० हन्ति, *idh, सं० इह, अवे० इद्, *grōh - सं० ग्रह् ।

ऊपर संस्कृत ध्वनियों का विकास, मूल भारोपीय भाषा को आधार मानकर दिखाया गया है। मूल भारत-ईरानी के आधार पर भी ध्वन्यात्मक विकास की कुछ प्रमुख बातें यहाँ देखी जा सकती हैं। इसमें इस बात का पता चल जायगा कि भारतीय आर्य भाषा में, ईरानियों से अलग होने के बाद क्या-क्या प्रमुख परिवर्तन हुए तथा प्राचीन ईरानी में हुए परिवर्तनों से वे कितने भिन्न थे। प्रमुख बातें ये हैं : (१) मूल भारत ईरानी जो *ज तथा *ज ध्वनियाँ थीं, प्राचीन ईरानी से क्रमशः ज् तथा ज् हो गई, किन्तु संस्कृत में ज् का तो ज् रहा ही, साथ ही *ज् का भी ज (अवे० जानु, सं०, जानु, प्राचीन फ्रा० जीव, सं० जीव) हो गया। इस प्रकार इन दोनों ध्वनियों के स्थान पर एक ध्वनि हो गई; (२) भारत ईरानी का *ज ईरानी में तो बना रहा किन्तु संस्कृत में उसका लोप हो गया : भारत-ईरानी का *मेज्वा, सं० मेधा, अवे० मज्दा। (३) *ज्ह् (ज्ञ) तथा *इह्, ईरानी में ज् तथा ज् हो गये, किन्तु संस्कृत में ह हो गये : सं० हिम, अवे० जिम। (४) *ग्ह्, *ग्ज् जैसे घोष, संस्कृत में आकर अघोष हो गये, किन्तु ईरानी में यह अघोषत्व नहीं आया : सं० दिप्स्, अवे० दिब्ज। (५) महाप्राण ध्वनियाँ संस्कृत में तो न्यूनाधिक रूप से आईं किन्तु ईरानी में प्रायः उनका अल्प-प्राण रूप हो गया या संघर्षी : सं० रथ, अवे० रथ्र; सं० शफ, अवे० सफ्र; सं० भरति, अवे० वरइति। (६) भारत-ईरानी *अइ, का प्राचीन फ्रा० में 'अइ' ही रहा, किन्तु अवेस्ता में यह अए हो गया एवं सं० में ए : मूल भा० यू० *citiya = वह जाता है, प्राचीन फ्रा० aitiy, सं० एति। (७) भारत-ईरानी *अउ का प्राचीन फ्रा० में 'अउ' ही रहा किन्तु अवे० में अओ या ङउ हो गया और संस्कृत में ओ : प्राचीन फ्रा० रुउच, सं० रोचस्, अवे० रओचो।

स्वराघात—मूल भारोपीय भाषा में स्वराघात बहुत महत्त्वपूर्ण था। आरम्भ में वह बलात्मक था, जिसके कारण मात्रिक अपश्रुति विकसित हुई, किन्तु बाद में वह संगीतात्मक हो गया, जिसने गुणिक अपश्रुति को जन्म दिया। इस भाषा-परिवार के विघटन के समय स्वराघात केवल उदात्त तथा स्वरित था। भारत-ईरानी स्थिति में अनुदात्त भी विकसित हो गया। इस प्रकार वैदिक संस्कृति को परम्परागत रूप से अनुदात्त, उदात्त एवं स्वरित तीन प्रकार के स्वराघात (संगीतात्मक) प्राप्त हुए थे। स्वराघात का इतना अधिक महत्त्व था कि सभी संहिताओं, कुछ ब्राह्मणों एवं आरण्यकों तथा वृहदारण्यक आदि कुछ उपनिषदों की पांडुलिपियों स्वराघात-चिह्नित मिलती हैं और बिना स्वराघात के वैदिक छन्दों को पढ़ना अशुद्ध माना जाता है। स्वराघात के कारण शब्द का अर्थ भी बदल जाता था। 'इन्द्रशत्रुः' वाला प्रसिद्ध उदाहरण सर्वविदित है : इन्द्र, शत्रुः = जिसका शत्रु इन्द्र है (बहुव्रीहि), इन्द्रशत्रु = इन्द्र का शत्रु (तत्पुरुष)। शब्द आदि के अर्थ जानने में स्वराघात का कितना महत्त्व था, यह वेकट माधव के 'अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन् स्खलति वचिन्त् । एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इव' (अर्थात् जैसे अन्धकार में दीपकों की सहायता से चलता हुआ कहीं ठोकर नहीं खाता, उसी प्रकार स्वरों (स्वराघात) की सहायता से किये गये अर्थ स्फुट और संदेहशून्य होते हैं) कथन से स्पष्ट है। स्वराघात में परिवर्तन से कभी-कभी लिंग में भी परिवर्तन हो जाता था।

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है वैदिक स्वराघात तीन प्रकार के थे : उदात्त

अर्थात् उच्च, अनुदात्त अर्थात् निम्न, तथा स्वरित अर्थात् मध्य। उदात्त, अनुदात्त तो स्पष्ट है, किन्तु स्वरित विवादास्पद है (दे० लेखक के ग्रन्थ 'भाषा-विज्ञान कोश' में 'स्वरित')। यों मोटे रूप से 'समाहारः स्वरितः' के आधार पर स्वरित को उदात्त तथा अनुदात्त का समाहार कहा जा सकता है।

वैदिक साहित्य में स्वराघात के अंकित करने की कई पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में प्रायः उदात्त अचिह्नित मिलता है, अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा खींचते हैं तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा, जैसे अग्निना^१। सामवेद में उदात्त के लिए १, स्वरित के लिए २, तथा अनुदात्त के लिए ३, लिखने की परम्परा रही है^१। ब^२ द्विषि^२। शतपथ ब्राह्मण आदि में केवल उदात्त को चिह्नित करते रहे हैं : पुरुषः।

ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक में मूल स्वराघात प्रायः उमी अक्षर पर है, जिस पर मूल भारोपीय में था : ग्रीक Tatos, सं० तत्,स्, किन्तु विस्तार में बहुत अन्तर है। पहले लोग संस्कृत स्वराघात को मूल भारोपीयता मानते थे, किन्तु अब इस दृष्टि से ग्रीक अधिक समीप मानी जाती है।

वैदिक भाषा में प्रायः सभी शब्दों या पदों पर स्वराघात होता है। कुछ च, वा, इव जैसे शब्द स्वराघातशून्य होते हैं। यों बहुत से ऐसे भी रूप होते हैं जो कुछ स्थितियों में तो स्वराघातयुक्त होते हैं, और कुछ में स्वराघातशून्य। उदाहरणार्थ सम्बोधन का रूप यदि वह वाक्यारम्भ में न हो तो प्रायः स्वराघातशून्य होता है। वैदिक संस्कृत में प्रातिपादिक, समास, संधि, कारकरूप, क्रिया तथा नामधानु आदि के स्वराघात के नियम अलग-अलग हैं।

टर्नर के अनुसार वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं वलात्मक दोनों ही स्वराघात था।

रूप-रचना—वैदिक भाषा में लिंग तीन थे : पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन भी तीन थे : एक०, द्वि०, बहु०। कारक आठ थे : कर्ता, सम्बोधन, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण।

सामान्य कारक विभक्तियाँ ये थीं :

एकवचन	द्विवचन		बहुवचन		
पु० स्त्री०	नपु०	पु० स्त्री०	नपु०	पु० स्त्री०	नपु०
कर्ता—-स्	-म्	-औ	-ई	-अस्	-नि, -इ
सम्बो०—	—	"	"	"	"
कर्म—-अम्	—	"	"	"	"
करण—-आ, -एन	-आ, -एन	-भ्याम्	-भ्याम्	-भिन्	-भिस्
सम्प्र०—-ए	-ए	"	"	-भ्यस्	-भ्यस्
अपा०—-अस्	-अस्	"	"	"	"
सम्बन्ध—	"	-ओस्	-ओस्	आम्	आम्
अधि०—-इ	-इ	"	"	सु	सु

विशेष (१) अकारान्त शब्दों को छोड़कर अन्य अपने मूल रूप में ही कर्ता एक० नपु० में आते हैं। अकारान्त में -म् लगता है। (२) सम्बोधन के रूप केवल स्वरांत स्त्री० पु० एकवचन छोड़कर प्रायः कर्ता के रूपों के समान होते हैं। -मन्, -अन्, -मन्त्, -वन्त्, आदि कई स्वरांत प्रातिपादिक (पु० एक०) भी अपवाद हैं।

उपयुक्त रूपों में अधिकांश मूल भारोपीय-विभक्ति से सीधे आये हैं, और प्रयोग एवं रूप की दृष्टि से उनके समीप हैं। जैसे *स से स (अवे० श, ग्री० स आदि), *म् से द्वितीया-अम् (ग्री० -न्, -अ; अवे० -अम् आदि), चतुर्थी *अइ, एँइ से ए (ग्री० ओइ), *एँस, *ओस् से अस्, द्विवचन *ओ से ओ, बहु० -अस *ओस् से, *भास से भ्यस्, तथा *स् से सु आदि। करण बहु० -एभिः (देवेभिः) में 'ए' सर्वनामों से आया है।

विशेषणों के रूप भी संज्ञा की तरह चलते थे।

तुलना के लिए -तर (ग्री० तैरो, लैटिन तैर, अवे० तर) एवं तम (लैटिन—तितो, अवे० तम) क्रमशः मूल भारोपीय भाषा के *तो प्रत्यय से सम्बन्धित हैं। -र तथा -म मूलतः स्वतन्त्र प्रत्यय थे, बाद में *तो में जुड़कर -तर, -तम आदि हो गये। इसी प्रकार इयाँस् (ग्री० ईओँस, योँस्, लैटिन ior, अवे० -यह्-) तथा इष्ठ (ग्री० इस्तो, अवे० इस्त) क्रमशः मूल भारोपीय *योँस् एवं *इस्थ से विकसित हैं।

मूल भारोपीय में सर्वनाम के मूल या प्रातिपदिक बहुत अधिक थे। विभिन्न बोलियों में कदाचित् विभिन्न मूलों के रूप चलते थे। पहले सभी मूलों से सभी रूप बनते थे, किन्तु बाद में मिश्रण हुआ और अनेक मूलों के अनेक रूप लुप्त हो गये। परिणाम यह हुआ कि मूलतः विभिन्न मूलों से बने रूप एक ही मूल के रूप माने जाने लगे। वैदिक भाषा में उत्तम पुरुष में ही, यद्यपि प्राचीन पंडितों ने 'अस्मद्' को सभी रूपों का मूल माना है, किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो अह- (अहम्), म- (माम्, मया, मम, मयि), आव (आवम्, आवाम्, वाम्, आवयोः), वय (वयम्), अस्म (अस्माभिः, अस्मभ्यम्, अस्मे आदि), इन पाँच मूलों पर आधारित रूप हैं। मध्यम आदि अन्य सर्वनामों में भी एकाधिक मूल हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वनामों के पीछे अनेक मूल रूपों की परम्परा है। अधिकांश सर्वनामों की परम्परा मूल भारोपीय भाषा तक खोजी गई है। जैसे भारो० *eghom से अहम् (अवे० अज्ञेम, लैटिन ego, पुरानी चर्च स्लाव अजु आदि), *uei से वयम् (अवे० वयम्) या *iu से त् (लै० तू, प्राचीन उच्च जर्मन दू, प्राचीन आइरिश तू, अवे० तू) आदि। सर्वनामों की कारकीय विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं जैसी ही हैं।

वैदिक भाषा में धातुओं के रूप आत्मने (middle), परस्मै (Active) दो पदों में चलते थे। कुछ धातुएँ आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी एवं कुछ उभयपदी थीं। आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग केवल अपने लिए होता था तथा परस्मै का दूसरों के लिए। क्रियारूप तीनों वचनों (एक, द्वि, बहु) एवं तीनों पुरुषों (उत्तम, मध्यम, अन्य) में होते थे। काल तथा क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के कुछ १० प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है: लट् (Present), लङ् (imperfect), लिट् (perfect), लुङ् (aorist), लृट्, निश्चयार्थ (indicative), सम्भावनाार्थ (Subjunctive लोट), विध्यर्थ (injunctive), आदरार्थ आज्ञार्थ (optative), तथा आज्ञार्थ (imperative, लोट) ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में लोट का प्रयोग बहुत मिलता है, किन्तु धीरे-धीरे इसका प्रयोग कम होता गया और अन्त में लौकिक संस्कृत में पूर्णतः समाप्त हो गया। वैदिक में भविष्य के रूप बहुत कम हैं। उसके स्थान पर प्रायः सम्भावनाार्थ या निश्चयार्थ का प्रयोग मिलता है। क्रिया-रूपों में तीन विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—(१) कुछ रूपों में धातु के पूर्व भूत-करण आगम अ- या -आ आता था (लङ्, लुङ्, लृट् में)। (२) धातु तथा तिङ् प्रत्ययों के बीच, कुछ धातुओं में विकरण जोड़े जाते थे। विकरण के आधार पर धातुओं के दस गण या वर्ग थे। जुहोत्यादि एवं अदादिगण विकरण रहित थे; शेष में निम्नांकित विकरण थे: भ्वादि में -उ-, दिवादि में -य-, स्वादि में -नु-, तुदादि में स्वरघातयुक्त-अ-, रुधादि में -न-, तनादि में -न-, क्वादि में -ना-, तथा चुरादि में -अय-। (३) इच्छार्थक (desiderative), अतिशयार्थक (intensive), लट् (कुछ धातुओं में), लिट्, लुङ् (एक रूप में) में द्वित्व का प्रयोग होता है। इसमें महाप्राण के द्वित्व में महाप्राण का अल्पप्राण हो जाता है ('भी' से 'विभी

—), कंठ्य का वर्ण के क्रमानुसार तालव्य ('बृह' के 'जुपूह') हो जाता है, तथा अन्य स्थानों पर प्रायः द्वित्व ('बुध' से बु-बुध) होता है। यदि ऊप्य से धातु का आरम्भ हो तथा बाद में अचौप ध्वनि हो तो वही ध्वनि फिर आ जाती है; यदि वह महाप्राण हो तो उसका अल्पप्राण हो जाता है, तथा कंठ्य हो तो तालव्यः स्था—तस्या, स्कन्द—चस्कन्द, स्वल्-सस्वल्।

समास—समास-रचना की प्रवृत्ति मूल भारोपीय एवं भारत-ईरानी में भी थी। वहीं से यह परम्परा वैदिक संस्कृत में आई। वैदिक में समास पद प्रायः दो शब्दों के ही मिलते हैं। इससे अधिक शब्दों के समास अत्यन्त विरल हैं। जहाँ तक समास के रूपों का प्रश्न है, वैदिक में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वन्द्व, ये चार ही समास मिलते हैं। लौकिक संस्कृत के शेष दो वाद में विसर्जित हुए हैं।

शब्द—वैदिक भाषा में शब्दों की दृष्टि से दो बातें उल्लेख्य हैं। एक तो यह कि अनेक तथाकथित मूल शब्द से विकसित या तद्भव शब्द प्रयुक्त होने लगे। वेदों में 'इह' (यहाँ) इसी प्रकार का है। इसका मूल शब्द 'इध' है। पालि 'इध' और अवेस्ता 'इद' इस बात के प्रमाण हैं कि महाप्राण व्यंजन के स्थान पर 'ह' के विकास से 'इध' से ही 'इह' बना है।

कट (मूल शब्द कृत्), एकादश (मूल एकादश) भी इसी प्रकार के शब्द हैं। 'विंशति' भी मूलतः 'द्विंशति' रहा होगा, यद्यपि यह विकार भारत में आने के पहले ही आ चुका था। शब्दों की दृष्टि से दूसरी विशेषता यह है कि उस काल में ही भाषा में अनेक आर्वेतर शब्दों का आगमन होने लगा था। उदाहरण के लिए वैदिक भाषा में अणु, अरणि, कपि, काल, गण, नाना, पुष्कर, पुष्प, मयूर, अटवी, तंडुल, मर्कट आदि शब्द एक ओर यदि द्रविड़ से आये हैं, तो वार, कंबल, वाण, कोमल (स्थानवाचीनाम), अंग (स्थानवाचीनाम) आदि आस्ट्रिक भाषा से।

बोलियाँ—ऊपर संकेत किया जा चुका है कि आर्य कदाचित् एकाधिक टोलियों में भारत में आये और इन टोलियों में भी आपस में कुछ भाषिक विभिन्नता थी। इसका आशय यह है कि 'आर्य भाषा' के भारत में आने के पहले ही उसमें सच्चे अर्थों में भाषिक एकरूपता नहीं थी। उदाहरण के लिए विद्वानों का विचार है कि मूल भारोपीय के र, ल भारत-ईरानी में प्रायः 'र' ही हो चुके थे, और भारतीय आर्य भाषा में फिर नये सिरे से 'र' ध्वनि अनेक शब्दों में 'ल' में विकसित हो गई। यही कारण है ऋग्वेद में 'ल्' ध्वनि 'र्' की तुलना में बहुत कम मिलती है तथा परवर्ती साहित्य में धीरे-धीरे उसमें वृद्धि हुई है। यों मेरा विचार है कि प्रमुख भारत-ईरानी में तो मूल भारोपीय के र ल् का विकास 'र्' में हो चुका था, किन्तु उस समय भी कुछ टोलियाँ या बोलियाँ ऐसी थीं, जिनमें 'ल्' ध्वनि पूर्णतः लुप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार कुछ दृष्टियों से अनेकरूपताओं से युक्त भारतीय आर्य भाषा भारत में आई, और यह ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर फैलती गई, इसका स्वरूप स्थानीय भाषाओं के प्रभाव के कारण बदलता गया। ब्राह्मण ग्रंथों से इस बात का पता चलता है कि वैदिक काल में प्राचीन आर्य भाषा के कम-से-कम तीन रूप—या तीन बोलियाँ—अवश्य थे : पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी। प्रथम अफ़ग़ानिस्तान से लेकर पंजाब तक था, दूसरा पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक तथा तीसरा उसके पूर्व। यदि र-ल् ध्वनियों को ही आधार मानें तो कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तरी बोली र-प्रधान थी, मध्यवर्ती में र ल् दोनों थे, और पूर्वी ल्-प्रधान थी। ऋग्वेद में पश्चिमोत्तरी बोली का ही प्रतिनिधित्व हुआ है। पश्चिमोत्तरी बोली में स्थानीय प्रभाव प्रायः बहुत कम पड़ा था, क्योंकि स्थानीय आर्वेतर जातियाँ कुछ अपवादों को छोड़कर, वहाँ से भागकर दक्षिण तथा पूर्व चली गई थीं। इसी कारण पश्चिमोत्तरी बोली को आदर्श माना गया। उसे उस समय 'उदीच्य' या 'उत्तरी' कहते थे। कौशीतकि ब्राह्मण (७-६) में आता है : तस्मादुदीच्यो प्रजा-ततरा वागुद्यते। उदञ्च उ एव यन्ति वाचं शिक्षितुम्। यो वा तत आगच्छति, तस्य यां शुश्रू-

पन्त इति । अर्थात् उत्तर में अधिक विज्ञता से, या प्रामाणिक भाषा बोली जाती है । उत्तर दिशा में ही बोलना सीखने जाते हैं । जो वहाँ से आता है, उससे सुनना चाहते हैं । मध्यदेशीय विशेषतः पूर्वी लोग संयुक्त व्यंजन, स्वराघात, सन्धि में तो गड़बड़ी करते ही थे, साथ ही 'र्' का 'ल्' भी कर देते थे । शतपथ ब्राह्मण (३-२-१-२३) में कहा गया है : तेऽमुरा आत्तवसचो हेऽलव हेऽलव इति वदन्तः पराबभूवुः । पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (पस्पशाह्निक) में भी इसी को दोहराया है : तेऽमुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः । अर्थात् वे असुर 'हे, अरयः' के स्थान पर 'हेलयः हेलयः' उच्चारण करते हुए पराभव को प्राप्त हुए । यहाँ भी र् ल की ओर संकेत है । इसी प्रकार उधर य् के स्थान पर व् उच्चरित करने की प्रवृत्ति भी थी ।

किन्तु भाषा के ये तीन रूप सामान्य लोगों में थे । पण्डितों की भाषा एक सीमा तक परिनिष्ठित थी, और उपलब्ध वैदिक साहित्य में कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रायः उसी का साहित्यिक रूप मिलता है ।

पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा—प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के प्रथम रूप वैदिक के भी दो रूप मिलते हैं । पहला रूप ऋग्वेद के प्रथम एवं दसवें मंडल को छोड़कर अन्य मण्डलों तथा अन्य प्राचीन ऋचाओं आदि की भाषा में है तथा दूसरा उक्त दो मण्डलों में, अन्य वेदों में के परवर्ती भागों में, तथा आरण्यकों, उपनिषदों आदि में । वैदिकी के इन दोनों रूपों में प्रमुख अन्तर निम्नांकित हैं :—

ध्वनि—(१) टवर्गीय ध्वनियाँ पूर्ववर्ती में बहुत कम हैं पर परवर्ती में उनका अनुपात बढ़ गया है । (२) पूर्ववर्ती में र् का प्रयोग अधिक है, किन्तु परवर्ती में ल् का प्रयोग भी पर्याप्त है । ऐसे गव्द भी हैं, जिनमें पूर्ववर्ती वैदिकी में र् ध्वनि है तो परवर्ती में ल् ध्वनि—रोमन्—लोमन्, मुच्—म्लुच । (३) यह संकेत किया जा चुका है कि वैदिकी में प्राचीन घ्, ध्, भ् आदि महाप्राणों का 'ह्' हो रहा था । यह प्रवृत्ति इस काल में भी काम कर रही थी । इसीलिए महाप्राणों के स्थान पर 'ह्' पूर्ववर्ती भाषा में कम मिलता है, किन्तु परवर्ती में अपेक्षाकृत अधिक है । उदाहरणार्थ प्राचीन वैदिक गृभाण, परवर्ती वैदिक संस्कृत गृहाण । इसी प्रकार पूर्ववर्ती आजार्थ -घि (तिङ् प्रत्यय) के स्थान पर परवर्ती में -हि मिलता है । **व्याकरण**—व्याकरणिक दृष्टि से भी कई अन्तर हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम एवं धातु के रूपाधिक्य एवं अपवाद परवर्ती में बहुत कम हो गए हैं, और परवर्ती की भाषा वैदिकी को छोड़कर लौकिक संस्कृत की ओर बढ़ती चली आ रही है । पूर्व वैदिकी में देवाः देवैः के जतिरिक्त देवासः, देवेभिः रूप भी हैं, किन्तु परवर्ती में देवासः, देवेभिः जैसे रूप अत्यन्त विरल हो गये हैं । 'अश्विना' जैसे द्विवचन रूप भी परवर्ती में प्रायः नहीं मिलते । पुराने कृणुमः जैसे रूपों के स्थान पर परवर्ती में कुर्मः जैसे रूप मिलते हैं । यह वस्तुतः ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण हुआ है । 'नु' विकरण में न् के लोप के कारण 'उ' रह गया है । अन्य भी इस प्रकार के अनेक रूपीय अन्तर हैं । **शब्द**—शब्दों के क्षेत्र में सबसे प्रमुख बात यह हुई कि अनेक पूर्ववर्ती शब्द समाप्त हो गए, और वे परवर्ती वैदिकी में नहीं मिलते । ईम, वीति, विचर्षणि ऐसे ही शब्द हैं । इसके विरुद्ध परवर्ती वैदिकी में अनेक ऐसे शब्द प्रयुक्त होने लगे जो पूर्ववर्ती में नहीं मिलते । इसके अतिरिक्त यों तो पूर्ववर्ती वैदिकी में भी आस्ट्रक, द्रविड़ आदि शब्द आ गए थे, किन्तु उसकी संख्या अत्यल्प थी, पर परवर्ती वैदिकी में उनकी संख्या अपेक्षाकृत बढ़ गई ।

उपर जो बातें पूर्ववर्ती वैदिकी की तुलना में परवर्ती वैदिकी में कही गई हैं, परवर्ती वैदिकी या वैदिकी की तुलना में लौकिक संस्कृत या संस्कृत में भी प्रायः उन्हीं का आधिक्य मिलता है ।

संस्कृत—इसे 'लौकिक संस्कृत' तथा 'क्लैसिकल संस्कृत' भी कहते हैं । भाषा के अर्थ में 'संस्कृत' (संस्कार की गई, शिष्ट या अप्रकृत) शब्द का प्रथम प्रयोग ब्राह्मीकि रामायण में

मिलता है। वैदिक काल में भाषा के तीन भौगोलिक रूपों—उत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी—का उल्लेख किया जा चुका है। लौकिक संस्कृत का मूल आधार इनमें उत्तरी बोली थी, क्योंकि वही प्रामाणिक मानी जाती थी। पाणिनि ने अन्यो के भी कुछ रूप आदि लिए हैं और उन्हें वैकल्पिक कहा है। इस प्रकार मध्यदेशी तथा पूर्वी का भी संस्कृत पर कुछ प्रभाव है। लौकिक या क्लेमिकल संस्कृत साहित्यिक भाषा है, अतः जिस प्रकार हिन्दी में जयशंकर प्रसाद की गद्य या पद्य भाषा को बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते, उसी प्रकार संस्कृत को भी बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। किन्तु इसमें गन्देह नहीं कि जिन प्रकार प्रसादजी की भाषा का आधार परिनिष्ठित खड़ी बोली हिन्दी है, जो बोलचाल की भी भाषा है, उसी प्रकार पाणिनीय संस्कृत भी तत्कालीन पण्डित-समाज की बोलचाल की भाषा पर ही आधारित है। पाणिनि द्वारा उसके लिए 'भाषा' (भाष् = बोलना) शब्द का प्रयोग, सूत्र 'प्रत्यभिवादेऽसूद्रे' 'दूर से बुलाने में 'प्लुत' के प्रयोग का उनके द्वारा उल्लेख, बोलचाल के कारण विकसित संस्कृत को व्याकरण की परिधि में बाँधने के लिए कात्यायन द्वारा वार्तिकों की रचना, ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी। अतः हार्नले, वेबर तथा ग्रियर्सन आदि पश्चिमी विद्वानों का यह कथन कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, निराधार है। संस्कृत, भारतीय भाषाओं (आर्य तथा आर्येतर) की जीवनमूल तो रही ही है, साथ ही तिब्बती, अफगानिस्तानी, चीनी, जापानी, कोरियाई, सिङ्घली, बर्मी तथा पूर्वी द्वीप-समूह की भी अनेकानेक भाषाओं को इसने अनेक—विशेषतः शाब्दिक—स्तरों पर प्रभावित किया है।

उपर वैदिक भाषा की प्रमुख विशेषताएँ उल्लिखित हैं। लौकिक संस्कृत उससे मूलतः बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए इसकी सभी विशेषताओं को विस्तार से अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ केवल वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तरों का ही उल्लेख किया जा रहा है।

वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर

कारण—दोनों में अन्तर के प्रमुख कारण ये हैं : (१) वैदिक भाषा का बहुत कुछ स्वरूप बाहर से बनकर आया था, और उसमें यहाँ जो कुछ परिवर्तन हुए थे भारतीय वातावरण, समाज एवं आर्येतर भाषाओं के नुरत पड़े हुए प्रभाव से ही उत्पन्न थे, किन्तु संस्कृत भाषा के बनने तक ये प्रभाव बहुत गहरे पड़े चुके थे और उन्होंने संस्कृत भाषा की पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया। (२) यहाँ आने पर आर्यों ने नागरिक सभ्यता, द्रविणों से अपनाई, अतः जीवन में अधिक एकरूपता आई, व्यवस्था बढ़ी। इसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा और उसमें भी एकरूपता आई। (३) नागरिक जीवन में नियमित पठन-पाठन एवं साहित्य-रचना को प्रोत्साहन मिला, इससे भाषा को एक परिनिष्ठित रूप देना पड़ा। परिणामतः भाषा में परिनिष्ठन आया, अपवाद निकल गए, किन्तु साथ ही उसमें शिष्ट जीवन की कृत्रिमता की गन्ध भी आ गई। (४) समाज के विकास के साथ-साथ चिन्तन एवं ज्ञान-परिधि में विस्तार हुआ, भाषा का नियमित अध्ययन-विश्लेषण होने लगा, व्याकरण लिखे जाने लगे, लोगों ने सरलता तथा विचारों की सफल अभिव्यक्ति आदि की दृष्टि से भाषा की एकरूपता, नियमितता के महत्त्व को समझा, अतः पूर्ववर्ती भाषा की जटिलताओं धीरे-धीरे अपने-आप छूट गईं। (५) ध्वनियों में विकास आर्येतर प्रभावों, आर्येतर लोगों द्वारा उनका ठीक उच्चारण न किए जाने एवं सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण हुआ। (६) शब्दों में परिवर्तन का कारण था, पुराने जीवन से आगे बढ़ने के कारण अनेक शब्दों का छूट जाना, तथा नए जीवन की अभिव्यक्ति की पूर्ति के लिए नए शब्दों का आगमन। लौकिक संस्कृत में ये नए शब्द कुछ तो द्राविड, आस्ट्रिक आदि भारतीय भाषाओं से लिये गए,

कुछ आवश्यकतानुसार ईरानी, ग्रीक या अरबी आदि से आए तथा कुछ व्याकरण के नियमों या भ्रामक व्युत्पत्ति के आधार पर बन गए, या बनाए गए।

अन्तर—जैसा कि पीछे भी संकेत किया जा चुका है, इन दोनों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वैदिक भाषा का, लौकिक की तरह परिनिष्ठिकरण (Standardization) नहीं हुआ था, इसी कारण लौकिक, जिस रूप में परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है, वैदिक नहीं है। वैदिक अपने साहित्यिक रूप में भी संस्कृत की तुलना में जनभाषा कहलाने की अधिक अधिकारिणी है। इस स्थिति का प्रभाव दोनों के व्याकरण पर भी पड़ा है। वैदिक में जहाँ परिनिष्ठिकरण एवं नियमन कम होने से रूप की जटिलताएँ हैं, अनेकरूपताओं एवं अपवादों का आधिक्य है, लौकिक में वे या तो हैं ही नहीं, या हैं भी तो वैदिक की तुलना में बहुत ही कम। दूसरे शब्दों में वैदिक भाषा अपने बोलने वालों की तरह ही अधिक स्वच्छन्द है, किन्तु लौकिक अपने अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत एवं नियमित समाज की तरह नियमबद्ध है, एकरूप है, इसी कारण पहली अधिक कठिन है तो दूसरी उसकी तुलना में अधिक सरल। दोनों के प्रमुख अन्तरों को कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत देखना अधिक सुविधाजनक होगा। इस प्रसंग में, एक बात की ओर पाठकों का ध्यान मैं विशेष रूप से खींचना चाहूँगा कि आगे जो अन्तर दिए गए हैं, उस प्रकार के छोटे-बड़े अन्तर इन दोनों भाषाओं में काफी हैं। यहाँ केवल नमूने के तौर पर कुछ को ले लिया गया है। यह सूची अन्तरों की पूरी सूची नहीं मानी जानी चाहिए।

ध्वनि—(१) वैदिक में 'लृ' का उच्चारण स्वरवत् होता था। (१) संस्कृत में आकर 'लृ' का लिखने में प्रयोग होता रहा किन्तु, इसका उच्चारण स्वर रूप में न होकर कदाचित् 'लृ' रूप में या इसके बहुत समीप होने लगा था। (२) 'ऋ', 'ॠ' भी उच्चारण में वैदिक के विपरीत शुद्ध स्वर नहीं रह गए थे। ये 'रि' 'री' जैसे उच्चरित होने लगे थे। (३) ऐ, ओ के उच्चारण वैदिक में आइ, आउ थे, किन्तु लौकिक संस्कृत में ये 'अइ', 'अउ' हो गए। (४) ए, ओ का उच्चारण वैदिक में 'अइ', 'अउ' था अर्थात् ये संयुक्त स्वर थे, किन्तु संस्कृत में ये मूल स्वर हो गए। (५) अनेक शब्दों में जहाँ वैदिक में 'र्' का प्रयोग होता था, लौकिक में 'लृ' का प्रयोग होने लगा। यह आर्यतर भाषा-भाषियों का प्रभाव था, जिसका प्रारम्भ बहुत पहले हो चुका था। (६) लेखन में ळ, ळ्ह ध्वनियाँ समाप्त हो गई थीं, और इनके स्थान पर ड, ढ प्रयुक्त होने लगे। (७) इय्, उव् के स्थान पर 'य्' 'व्' हो गए थे। (८) जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय का ख, फ वाला उच्चारण समाप्त हो गया, और उनके स्थान पर विसर्ग का सामान्य उच्चारण होने लगा था। (९) विसर्ग वैदिक काल में अघोष था, किन्तु संस्कृत काल में यह कदाचित् सामान्य भाषा में अघोष नहीं रह गया था। (१०) वैदिकी में 'अनुस्वार' शुद्ध अनुनासिक ध्वनि थी, जिसे कुछ ने व्यंजन तथा कुछ ने स्वर कहा है। लौकिक संस्कृत में अनुस्वार पिछले स्वर से मिलाकर बोला जाने लगा। इस प्रकार मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर में अन्तर हो गया। (११) कई ध्वनियों के उच्चारण-स्थान में अन्तर आया। प्रातिशाख्यों से पता चलता है कि वैदिक तवर्ग लृ, स् दंतमूलीय थे, किन्तु संस्कृत में (खलुसानां दन्ताः) ये दंत्य हो गए। र् वैदिक में दन्तमूलीय ही था, किन्तु 'ऋटुरषाणां मूर्धा' से पता चलता है कि संस्कृत में यह कहीं-कहीं मूर्धन्य हो गया था। वैदिक में तीन 'व' थे, दो अर्धस्वर और एक दन्तोष्ठय संघर्षी। 'वकारस्य दन्तोष्ठम' से लगता है कि संस्कृत में केवल एक 'व' दन्तोष्ठ था, किन्तु मेरा अपना विचार है कि तीनों ही लौकिक में थे यद्यपि उनका उल्लेख नहीं है। उनका लोप नहीं हुआ था। 'इयणस्सम्प्रसारणम्' में य्, व्, र्, लृ के स्थान पर इ, उ, ऋ, लृ हो जाता है। यहाँ उसे सम्बद्ध व दन्तोष्ठय संघर्षी व कभी नहीं हो सकता। यह अन्तःस्थ या अर्धस्वर ही होगा। इस प्रकार संस्कृत में निम्नांकित ध्वनियाँ थीं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, त्, थ्, द्, ध्, न्, प्, फ्,

ब, भू, मू, यू, .यू, रू, लू, वू, वू, शू, पू, सु, हू, हू (विसर्ग), लू, लूह, वू । (१०) जनभाषा के अधिक निकट होने के कारण वैदिक में स्वर-भक्ति युक्त रूप—जैसे स्वर्गः—सुवर्गः, स्वः—सुवः, तन्वः—तनुवः—भी मिल जाते हैं, किन्तु सच्चे अर्थों में संस्कार की हुई भाषा होने के कारण प्राप्त संस्कृत साहित्य में स्वर्गः, स्वः, तन्वः ही प्रायः मिलते हैं, स्वर-भक्ति वाले रूप नहीं ।

स्वराघात—वैदिक में संगीतात्मक स्वराघात था । उसके कारण अर्थ में भी परिवर्तन होता था । इन्द्रशत्रु—इन्द्रशत्रु (दि० ०.३.२.१.१.२) । इसी प्रकार 'क्रतु' का एक प्रकार के स्वराघात में 'बुद्धिमान्नी' अर्थ था तो दूसरे प्रकार का होने पर बलिदान । स्वराघात के कारण शब्दों के लिए में भी कभी-कभी अन्तर (अर्थ के साथ-साथ) पड़ जाता था । जैसे उदान स्वर आदि में हो तो ब्रह्मन् का अर्थ है 'प्रार्थना' और यह नपुंसकलिंग है, किन्तु यदि उदान स्वर अन्त में हो तो यह पुलिग होगा, और इसका अर्थ होगा 'स्तोता' । लौकिक में, स्वराघात और उसका अर्थ एवं लिंग आदि की दृष्टि से महत्व, पूर्णतः समाप्त हो गया । इसके विरुद्ध लौकिक में संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात विकसित हो गया । व्याघ्रुनिक भारतीय वायं भाषाओं के बलात्मक स्वराघात के बीज यहीं मिलने लगते हैं ।

संधि—संधियों की दृष्टि से भी वैदिक और लौकिक संस्कृत में कुछ अन्तर है । यहाँ केवल दो का उल्लेख किया जा रहा है : (क) कई स्थानों में, लौकिक संस्कृत में जहाँ प्रकृति-भाव का नियम लगता है, वैदिक में ऐसा नहीं भी होता । जैसे 'रोदसी+इमे' का लौकिक में होगा 'रोदसी इमे' (ये दोनों छावा पृथिवी) किन्तु वैदिक में 'रोदसीइमे' भी मिलता है । (२) इसी प्रकार शिवः+अर्च्यः = शिवो अर्च्यः (वैदिक), शिवोऽर्च्यः (लौकिक); या, सः+अर्यः = सो अर्यः (वैदिक), सोऽर्यः (लौकिक) ।

कारक-विभक्ति—इस दृष्टि से भी दोनों में कुछ अन्तर है । (क) अकारांत पुलिग के प्रथमा द्विवचन एवं बहुवचन में वैदिक में क्रमशः—औ,—आ तथा—आः, आसः आते हैं, किन्तु लौकिक में केवल—औ तथा—आः । उदाहरणार्थ बहुवचन में वैदिक में देवाः, देवासः दोनों हैं, किन्तु लौकिक में केवल देवाः । (ख) तृतीया बहुवचन में इसी प्रकार वैदिक में—ऐः तथा—एभिः दो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, किन्तु लौकिक में केवल—ऐः । जैसे वैदिक में रामैः, रामेभिः या देवैः, देवेभिः, किन्तु लौकिक में केवल रामैः, देवैः । (ग) षष्ठी बहुवचन में भी वैदिक में -आम् एव -आनाम् दो का प्रयोग होता है, किन्तु लौकिक में प्रायः केवल -आनाम् का । (घ) इकारान्त पुलिग में प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन में -ई (छावापृथिवी) भी होता है, जब कि लौकिक में केवल -यी (यण्+औ)—छावापृथिव्यौ । (ङ) तृतीया एकवचन में वैदिक में -ई और -या दोनों का प्रयोग मिलता है (सुष्टुती, सुष्टुत्या), किन्तु लौकिक में केवल दूसरे का । (च) नपुंसक प्रथमा तथा द्वितीया बहुवचन में वैदिक में -आ, -आनि (ता, तानि) दोनों आता है, किन्तु लौकिक में केवल -आनि (तानि) । (छ) इसी प्रकार उत्तम तथा मध्यम पुरुष सर्वनाम में अस्मे, त्वे, युष्मे, त्वा आदि कई रूप ऐसे हैं, जो केवल वैदिक में हैं, लौकिक में नहीं । अन्य सर्वनामों में भी ऐसे रूप हैं । (ज) वैदिक में सप्तमी एकवचन में विभक्ति-युक्त शब्दों के अतिरिक्त शून्य विभक्ति वाले रूप भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे व्योम्नि, व्योमन्, किन्तु लौकिक में शून्य वाले रूप भी नहीं हैं । (झ) दस्यु, मन्यु जैसे कुछ रूपों को छोड़कर लौकिक में देवायु जैसे वैदिक रूप नहीं मिलते ।

क्रिया-रूप—क्रिया-रूपों में कुछ प्रमुख अन्तर ये हैं—(क) वैदिक में लकारों में विशेष प्रतिबन्ध नहीं है । लुङ्, लङ्, लिट् में परोक्षादि का भेद नहीं है । यहाँ तक कि कभी-कभी इनका कालेतर प्रयोग भी मिलता है । (ख) वैदिक में लुट् के प्रयोग के बारे में सन्देह है ।

सम्भव है—तृ प्रत्ययात् हो। (ग) वैदिक का लोट् लौकिक में नहीं है, यद्यपि उसके उत्तम पुरुष के तीन रूप लौकिक के लोट् में आ गए हैं। (घ) लोट् मध्यम पुरुष बहुवचन में लौकिक में केवल 'त' है, किन्तु वैदिक में 'त' के अतिरिक्त -तन, -थन, -तात् भी हैं। (ङ) लोट् मध्यम-पुरुष एकवचन में, वैदिक में -धि का प्रयोग भी (कृधि=कर; गधि=जा) मिलता है। लौकिक में इनके रूप मात्र कुरु, गच्छ हैं। यों वैदिक -धि का विकसित रूप -हि भी कभी-कभी लौकिक में प्रयुक्त होता है (जहि=मार डाल; जहाहि=छोड़ दे), यद्यपि इसके प्रयोग विरल हैं। (च) लट् उत्तम पुरुष बहु० में लौकिक में केवल -मः मिलता है, किन्तु वैदिक में -मः के अतिरिक्त -मसि भी मिलता है। (छ) वैदिक में लङ्, लुङ्, लृङ् में भूतकरण (Augment) अ- नहीं भी मिलता, यद्यपि लौकिक में यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए वैदिक में 'अगमत्' और 'गमत्' दोनों मिलते हैं, किन्तु लौकिक केवल 'अगमत्'। (ज) लौकिक में निषेधार्थी 'मा' के साथ धातु में भूतकरण नहीं जुड़ता, किन्तु वैदिक में कभी-कभी जुड़ भी जाता है। (झ) आत्मनेपद में, लट् में लौकिक में केवल -ते है, किन्तु वैदिक में -ते, और -ए दोनों (शेते, शये=सीता है) मिलते हैं। (ञ) वैदिक में लिट् वर्तमान के अर्थ में था, किन्तु लौकिक में वह परोक्षभूत के लिए आता है।

कृत् प्रत्यय—इस दृष्टि से भी कई अन्तर हैं। दो उदाहरण पर्याप्त होंगे : (क) वैदिक में पूर्णकालिक कृदन्त के कई प्रत्यय हैं, जैसे त्वा, त्वाय, त्वीन, त्वी, य, किन्तु लौकिक में त्वा और य केवल दो हैं। (ख) तुमुन् अर्थ में भी वैदिक में तुम्, से, असे, अर्घ्ये, तवे आदि कई प्रत्यय हैं, किन्तु लौकिक में मात्र तुम् ही है।

समास—(१) समासों में सबसे बड़ा अन्तर तो यह आया कि वैदिक में बहुत बड़े-बड़े समास बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि उस भाषा में कृत्रिमता नहीं है, किन्तु संस्कृत में कृत्रिमता के विकास के कारण बड़े-बड़े समस्त पद भी बनने लगे। इसका कारण यह था कि, वह, उस रूप में बोलचाल की भाषा नहीं थी, अपितु साहित्य की भाषा थी, जिसमें दैनिक भाषा की तुलना में प्रायः कृत्रिमता आ ही जाती है। साथ ही गद्यलेखन के विकास के कारण भी समास-प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। कविता में बहुत बड़े-बड़े समास प्रायः नहीं आ सकते।

(२) समास के नियमों में भी कुछ बातें ऐसी मिलती हैं, जिनका लौकिक संस्कृत में प्रायः कठोरता से पालन होता है, किन्तु वैदिक में नहीं। (क) उदाहरणार्थ लौकिक संस्कृत में पूर्वपद तथा उत्तरपद इकट्ठे आते हैं, किन्तु वैदिक में वे व्यवहित भी हो जाते हैं। जैसे वैदिक में आता है : छावा चिदस्मै पृथिवी नमेते (इसके आगे द्यु और पृथ्वी दोनों झुकते हैं)। (ख) इसी प्रकार लौकिक में पूर्वपद के इण् प्रत्याहार से परवर्ती 'स्' का 'ष्' नहीं होता, किन्तु वैदिक में हो जाता है। इसीलिए 'दुस्+तर' का लौकिक में केवल 'दुस्तर' बनेगा, परन्तु वैदिक में 'दुस्तर' और 'दुष्टर' दोनों होंगे।

(३) वैदिक में केवल चार समासों—तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वन्द्व—का ही प्रयोग प्रायः मिलता है, किन्तु लौकिक में द्विगु और अव्ययीभाव भी प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग—मूल भारोपीय भाषा में उपसर्ग वाक्य में कहीं भी आ सकता था, क्रिया के साथ आना उसके लिए आवश्यक नहीं था। वैदिक में भी यह स्वच्छन्दता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जैसे 'यच्चिद्वि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम् मिनीमसि चविचवि'। यहाँ 'प्र' उपसर्ग 'मिनी-मसि' से सम्बन्धित है किन्तु इन दोनों के बीच तीन शब्द आए हैं। लौकिक संस्कृत में उपसर्ग की यह स्वच्छन्दता नहीं मिलती।

शब्द—(१) अनेक वैदिक शब्द लौकिक में आकर अप्रयुक्त हो गए जैसे चक्षस्, अत्क, ऊष, पेच। (२) अनेक नए शब्द बने और प्रयुक्त होने लगे जो वैदिकी में नहीं मिलते, जैसे

विपुल, कर्तव्य (इसके लिए वैदिक शब्द 'कर्त्वं' था) आदि। (३) अनेक वैदिक शब्द लौकिक में प्रयुक्त होते तो रहे, किन्तु उनका अर्थ पूर्णतः बदल गया: मृच्छीक—दया (वैदिकी), महादेव (लौकिक); क्षिति—वस्ती, निवासस्थान (वैदिक), पृथ्वी (लौकिक); व्रत—शासन (वैदिक), प्रण, उपवास आदि (लौकिक); अमुर—नुर, राक्षस (वैदिक), केवल राक्षस (लौकिक); वह्नि—ले जाने वाला भी (वैदिक), मात्र आग (लौकिक); (४) अनेक शब्दों को भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण कुछ-को-कुछ समझने से लौकिक में नए शब्द आ गए। उदाहरण के लिए असीरियन शब्द 'अमुर' भारत-ईरानियों को बहुत पहले मिला था, और इसका अर्थ बड़ा, स्वामी, देवता आदि था। अवेस्ता में देववाची 'अहुर' यही है। बाद में कदाचित् ईरानियों से जगड़े के कारण संस्कृत का देववाची 'देव' उनके यहाँ राक्षसवाची हो गया। आज भी फ़ारसी में 'देव' का वही धुरा अर्थ है। हिन्दी-उर्दू में 'देव-दानव' में देव फ़ारसी ही प्रभाव है। दूसरी ओर उनका देव वाची 'अहुर' हमारे यहाँ 'अमुर' रूप में राक्षसवाची हो गया। वैदिक में 'अमुर' का पुराने (देवता) एवं नए (राक्षस) दोनों में प्रयोग मिलता है, किन्तु लौकिक में अमुर प्रायः केवल राक्षसवाची ही है। साथ ही शलती से लोगों ने 'अमुर' के 'अ' को नकारार्थक उपसर्ग समझ लिया, जो वस्तुतः यह था नहीं, अतः इसे हटाकर 'सुर' का देवता के अर्थ में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार 'असित' का अर्थ काला था। इसमें भी 'अ' उपसर्ग नहीं था, किन्तु उसे उपसर्ग समझकर 'अ' अलग कर लिया गया, और लौकिक में 'सित' का श्वेत के अर्थ में प्रयोग होने लगा। (५) वैदिक में विजातीय शब्द आए थे—विशेषतः द्रविड़ एवं आस्ट्रिक से, किन्तु लौकिक संस्कृत में उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। पीछे वैदिक के प्रसंग में कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ कुछ और विजातीय शब्द दिए जा रहे हैं, जो संस्कृत में प्रयुक्त हुए हैं। कुल विजातीय शब्द २ हजार के लगभग होंगे।

द्रविड़ शब्द—संस्कृत में द्रविड़ से एक हजार से ऊपर शब्द आए हैं। कुछ उदाहरण ये हैं: आरु (कंकड़ा), एड़ (भेंड़), एण (मृग), करट (कौवा), कीर (तोता), कुक्कुट (मुर्ग), कुक्कुर (कुत्ता), घुण (घुन), नक्र (घड़ियाल), मकंट (बन्दर), भीन (मछली), अक (मन्दार), कानन (जंगल), पनस (कटहल), पिप्पलि (पीपर), कुंतल (वाल), भाल (ललाट), मुख (चेहरा), अगुरु (अगर), अनल (आग), उलूखल (ओखली), कटु (कड़वा), कठिन, काल (काला), कुटी, कुंड, कुंडल, कोण, चन्दन, ताल (ताड़), बिल, मुकुल, मुरज (एक प्रकार का ढोल), बलय (कंगन) तथा हेरम्भ (भैंसा) आदि।

आस्ट्रिक शब्द—संस्कृत में आस्ट्रिक के भी सौ से ऊपर शब्द हैं। कुछ उदाहरण हैं: ताम्बूल, हंबा (गाय की आवाज), शृङ्गार, आकुल, आटोप (गर्ब), आपीड (मुकुट), कबरी (बाल), कवल (कौर), कामु (बीमारी), कुबिन्द (जुलाहा), तथा खिकिर (लोमड़ी) आदि।

यूनानी शब्द—यूनान से भारत का सम्बन्ध काफ़ी पुराना है। सिकन्दर के आने के पूर्व से दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध थे। इस सम्पर्क के परिणामस्वरूप कई शब्द यूनानी भाषा ने संस्कृत से लिए तथा कई शब्द संस्कृत में आए। संस्कृत में यूनानी से आए कुछ शब्द हैं: यवन, यवनिका, द्रम्म (दाम), होडा (होड़ा), त्रिकोण, सुरंग, क्रमेल (ऊँट), कगु (एक अनाज), तथा कस्तीर (राँगा) आदि।

रोमन शब्द—रोमन साम्राज्य से हमारा संबंध कुषाण राजाओं से भी पहले से रहा है। यह सम्बन्ध व्यापारिक के साथ-साथ राजनीतिक भी था। परिणामस्वरूप वहाँ से भी शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। संस्कृत में लिए गए शब्दों में रोमक (एक प्रकार का चुंबक) तथा दीनार प्रमुख हैं।

अरबी शब्द—परवर्ती संस्कृत में फलित ज्योतिष, अश्वविज्ञान तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अनेक शब्द अरबी से आए। कुछ उदाहरण हैं : रमल, इक्कवाल (ज्योतिष में सौभाग्य), इत्थशाल (ज्योतिष में तीसरा योग), ईसराफ (ज्योतिष में चौथा योग), गैरकंबूल (ज्योतिष में ९वाँ योग), बोलाह (विशेष रंग का घोड़ा), तथा सहम (सौभाग्य, दुर्भाग्य) आदि।

ईरानी शब्द—ईरान से भारत का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। इसी कारण सैकड़ों शब्द वहाँ से भी आए हैं। कुछ शब्द ये हैं—हिन्दू, बारबाण, ताजिक (ईरानी व्यक्ति), मिहिर (सूर्य), बादाम (मेवा विशेष), बालिश (तकिया), खोल, खर्बूज, तथा निःशाण (जलूस) आदि।

तुर्की शब्द—इससे अपेक्षाकृत बहुत ही कम शब्द आए हैं : तुरुक, खञ्जर।

चीनी शब्द—संस्कृत में कुछ शब्द चीनी से भी आए हैं, यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं है : चीन (चीनांशुक, चीनचोलक) तथा मसार (एक रत्न)।

पुराने शब्दों के लोप, नए के आगम, अर्थ का परिशीमन या परिवर्तन इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए मोटे रूप से कहा जा सकता है वैदिक एवं लौकिक की अभिव्यक्ति में त्रालीस प्रतिशत का अन्तर पड़ा। केवल ६० प्रतिशत बातें ही समान रहीं।

बोलियाँ—वैदिक भाषा के प्रसंग में पश्चिमोत्तरी (या पश्चिमी या उत्तरी), मध्यदेशी (या मध्यवर्ती) तथा पूर्वी, इन तीन बोलियों का उल्लेख किया जा चुका है। संस्कृत काल में आर्यभाषा-भाषी प्रदेश में कदाचित् एक दक्षिणी रूप भी जन्म ले चुका था। इस प्रकार संस्कृत काल में पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिणी और पूर्वी ये चार बोलियाँ थीं।

मध्यकालीन आर्य भाषा

यह संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में, जनभाषा पर आधारित, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत भाषा के दो रूप, साहित्य में प्रयुक्त हुए। दूसरे रूप—लौकिक संस्कृत—ज्ञो पाणिनि ने अपने व्याकरण में जकड़ कर उसे सदा सर्वदा के लिए एक स्थायी रूप दे दिया, किन्तु जनभाषा भला इस बन्धन को कहाँ मानती? वह अवाधगति से परिवर्तित होती रही, बढ़ती रही। इस जनभाषा के मध्यकालीन रूप को ही 'मध्यकालीन आर्यभाषा' की संज्ञा दी गई है। इसका काल मोटे रूप से ५०० ई० पू० से १००० ई० तक का, अर्थात् डेढ़ हजार वर्षों का है। कुछ लोग इसे ६०० ई० पू० से ११०० या १२०० तक भी मानते हैं, यद्यपि सभी दृष्टियों से विचार करने पर यह बहुत समीचीन नहीं लगता।

मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत शब्द के सम्बन्ध में दो मत हैं :

(१) कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति 'प्राक् कृत' अर्थात् 'पहले की बनी हुई' या 'पहले की बनी हुई' मानते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकृत 'नैसर्गिक' 'प्रकृत' या अकृत्रिम-भाषा है और इसके विपरीत संस्कृत कृत्रिम या संस्कार की हुई भाषा है। नमि साधु ने 'काव्यालकार' की टीका में लिखा है : 'प्राकृतेति, सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादिमिरनाहतसंस्कारः सहजो वचन-व्यापारः प्रकृतिः प्रकृति तत्र भवः सेव वा प्राकृतम्'। इस रूप में प्राकृत पुरानी भाषा है, और संस्कृत उसका संस्कार करके बनाई हुई बाद की भाषा। गियर्सन ने इसी को प्राइमरी प्राकृत कहा है। इसका अर्थ यह है कि इस अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग उस जनभाषा के लिए है, जो वैदिक एवं संस्कृत काल से जनभाषा थी और जिसका कुछ परिनिष्ठित एवं पंडितों द्वारा

मान्य रूप वैदिक है, एवं परवर्ती काल में जिसका सुसंस्कृत साहित्यिक रूप 'संस्कृत' है अर्थात् वह वैदिक की भी जननी है, और उसी का कुछ परवर्ती रूप संस्कृत की जननी है वाक्पतिराज ने 'गुडबहो' में कहा है—

सयलाओ इमं वाया विंसति एतो य णेति वायाओ ।
एति समुद्रे चिह णेति सायराओ चिबय जलाइ ।

(जैसे जल सागर में प्रवेश करता है और सागर में ही निकलता है, उसी प्रकार सभी भाषाएँ प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं, और प्राकृत से ही निकली हैं ।)

(२) दूसरे लोग प्राकृत की उत्पत्ति और ढंग से करते हैं। कुछ मत यहाँ देवे जा सकते हैं : (१) प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतमुच्यते (प्रकृति का मूल संस्कृत है, उससे जन्मी भाषा को प्राकृत कहते हैं)—माकण्डेय । (२) प्रकृते, संस्कृताभास्तु विकृतिः प्राकृती मता (प्रकृत संस्कृत की विकृति प्राकृत है)—वृक्षमीधर । (३) प्रकृतिः संस्कृतम् । तत्र भवं तत्र आगतं वा प्राकृतम् (प्रकृति या मूल संस्कृत है, और संस्कृत से जो आई है, प्राकृत है)—हेमचन्द्र । (४) प्रकृतेः संस्कृतात् आगतं प्राकृतम् (प्रकृत संस्कृत ने निकली प्राकृत है)—सिंहदेवमणि । (५) संस्कृत रूपायाः प्रकृतेः उत्पन्नत्वात् प्राकृतम् (प्रकृत संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत)—प्रेमचन्द्र तर्कवागीश । (६) प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृतं योनिः (प्राकृत की जननी संस्कृत है)—वामुदेव ।

इनका आशय यह है कि प्राकृत संस्कृत से ही उत्पन्न है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों मत एक-दूसरे के विरोधी हैं। एक प्राकृत में संस्कृत का जन्म मानता है, तो दूसरा संस्कृत से प्राकृत का जन्म। वस्तुतः, अपने-अपने स्थान पर ये दोनों ही मत ठीक हैं। यदि हम उस जनभाषा को प्राकृत कहते हैं, जिसका परिनिष्ठित साहित्यिक रूप संस्कृत है, दूसरे शब्दों जिससे संस्कृत उत्पन्न है, तो पहला मत ठीक है, अर्थात् प्राकृत संस्कृत की जननी है, किन्तु यदि हम संस्कृत-कालीन जनभाषा को भी संस्कृत ही कहें—जो मूलतः वही था, केवल संस्कृत साहित्यिक भाषा थी, और वह जनभाषा—तो दूसरा मत सही है, क्योंकि ५००० ई० पू० से १००० ई० तक बोली जाने वाली प्राकृत भाषा उसी का विकसित रूप है, अर्थात् उसी से निकली है। अब प्रायः इसी भाषा को प्राकृत कहते हैं, अतः इसे अर्थात् प्राकृत को हम संस्कृत से उत्पन्न मान सकते हैं। हाँ, यह बात ध्यान में रखने की है, यह प्राकृत भाषा वैदिक या लौकिक संस्कृत से उद्भूत नहीं है, अपितु तत्कालीन जनभाषा से उद्भूत है या उसका विकसित रूप है।

इन १५०० वर्षों की प्राकृत भाषा को तीन कालों में विभाजित किया गया है : (१) प्रथम प्राकृत (५०० ई० पू० से ५ ई० तक) (२) द्वितीय प्राकृत (१ ई० ५०० ई० तक) (३) तृतीय प्राकृत (५०० ई० से १००० ई० तक)

प्रथम प्राकृत—इसमें पालि तथा अभिलेखी प्राकृत आती हैं।

पालि—पालि बौद्ध धर्म (विशेषतः दक्षिणी बौद्धों) की भाषा है। इसे 'सागधी' या 'देश भाषा' भी कहा गया है। मोटे रूप से इसका काल ५वीं सदी ई० पू० से पहली सदी तक है। यों कुछ लोगों ने इसका काल छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पू० तक भी माना है। कुछ इसका आरम्भ २री सदी ई० पू० से भी मानते हैं। 'पालि' नाम -'पानि' शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। पालि शब्द के पुराने प्रयोग 'भाषा' के अर्थ में नहीं मिलते। इसका प्राचीनतम प्रयोग ४थी सदी में लका में लिखित ग्रन्थ 'दीपवंस' में हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'बुद्धचरन' है। बाद में प्रसिद्ध आचार्य बुद्धघोष ने भी इसका प्रयोग लगभग इसी अर्थ में किया है। तब से काफ़ी बाद तक 'पालि' शब्द का प्रयोग पानि साहित्य में हुआ है, किन्तु कभी भी भाषा के अर्थ में नहीं। भाषा के अर्थ में वहाँ मगध भाषा, सागधी,

मागधी भाषा आदि का प्रयोग हुआ है। सिंहल के लोग इसे अब भी मागधी कहते हैं। भाषा के अर्थ में 'पालि' का प्रयोग अत्याधुनिक है और यूरोप के लोगों द्वारा हुआ है। गुरु में अशोक की शिलालेखी प्राकृतों के लिए भी इसका प्रयोग हुआ था, पर बाद में भ्रामक समझकर छोड़ दिया गया। पालि की व्युत्पत्ति प्रमुखतः दो प्रकार की है। एक तो वे हैं, जिनमें 'पालि' के प्राचीनतम प्राप्त अर्थ का ध्यान रखा गया है, और दूसरी वे हैं, जिनमें अन्य आचार लिए गये हैं। यहाँ संज्ञेय में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख किया जा रहा है। (१) श्री विष्णु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार 'पालि' का सम्बन्ध संस्कृत 'पक्ति (>पन्ति>पन्ति>पट्टि>पल्लि>पालि) से है। गुरु में बुद्ध की पंक्तियों के लिए इसका प्रयोग हुआ और बाद में उसी से विकसित होकर भाषा के अर्थ में। किन्तु 'पंक्ति' से 'पालि' हो जाना तत्कालीन ध्वनि-परिवर्तन के नियमों के अनुकूल नहीं है। (२) एक मत के अनुसार वैदिक और संस्कृत आदि की तुलना में यह 'पल्लि' या 'गाँव' की भाषा थी। 'पालि' शब्द 'पल्लि' का ही विकास है, अर्थात् इसका अर्थ है 'गाँव की भाषा'। 'पल्लि' की 'पालि' बन ती सकता है, किन्तु यह प्रवृत्ति पालि काल के बहुत बाद में मिलती है। (३) एक मत के अनुसार यह सबसे पुरानी प्राकृत है (भण्डारकार तथा वाकरनागल मानते हैं) इसीलिए शायद इसे 'प्राकृत' नाम दिया गया और 'पालि' शब्द 'प्राकृत' (>पाकट>पाअड>पाअल>पालि) का ही विकसित रूप है। यह विकास भी बहुत तर्क-मम्मत नहीं है। (४) कोसाम्बी नामक बौद्ध विद्वान के अनुसार इसका सम्बन्ध 'पाल्' अर्थात् 'रक्षा करना' से है, इसने बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखा है इसीलिए यह नाम पड़ा है। (५) 'पा पालेति रक्खतीति' रूप में भी कुछ लोगों ने 'पा' में 'लि' (गिच्) प्रत्यय लगाकर इसकी व्युत्पत्ति दी है। अर्थात् पालि रक्खतीति तस्मात् पालि' अर्थात् यह अर्थों की रक्षा करती है, अतः पालि है इस प्रकार की व्युत्पत्ति कुछ प्राचीनों ने भी दी है किन्तु यह भी कल्पना की दौड़ मात्र है। (६) एक अन्य मत से 'प्रालेय' या 'प्रालेयक' (पड़ोसी) से पालि का सम्बन्ध है। (७) भिक्षु सिद्धार्थ सं० 'पाठ' से (बुद्ध पाठ, या बुद्ध-वचन) इसे (पाठ > पालि > पाळि; पालि में संस्कृत 'ठ' का 'ळ' हो जाता है) निकला मानते हैं। (८) कुछ लोग 'पालि' को पंक्ति अर्थ का बोधक एक संस्कृत शब्द मानते हैं। इनके अनुसार यही शब्द पहले बुद्ध की पंक्तियों के लिए फिर उनके उपदेशों के लिए और फिर पुस्तक के लिए और फिर उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। (९) राज-वाड़े के अनुसार कुछ लोग पालि का सम्बन्ध संस्कृत प्रकट (पाअड>पाअल>पालि) से भी जोड़ने के पक्ष में हैं। (१०) डॉ० मैक्सवेल्लेसर ने 'पालि' को 'पाटलि' (पाटलीपुत्र की भाषा) से व्युत्पन्न माना है। किन्तु जैसा कि हम आगे देखेंगे, पालि वहाँ की भाषा नहीं थी। (११) सबसे प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा दी गई है। प्रायः बहुत से भारतीय विद्वान इससे सहमत हैं। इनके अनुसार 'पालि' का सम्बन्ध 'परियाय' (सं० पर्याय) से है। 'धम्म-परियाय' या 'परियाय' का प्रयोग प्राचीन बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश के लिए मिलता है। इसकी विकास-परम्परा परियाय > पलियाय > पालियाय > पालि है।

'पालि' भाषा का प्रदेश—यह प्रश्न भी कम विवादास्पद नहीं है कि पालि मूलतः किस प्रदेश की भाषा थी। इस प्रश्न पर प्रायः दो दर्जन विद्वानों ने विचार किया है, जिनमें कुछ प्रमुख मत निम्नांकित हैं—(१) श्रीलङ्का के बौद्धों की यह धारणा है कि यह मगध की बोली थी। इसीलिए वे लोग 'पालि' को मागधी भी कहते हैं। पालि ग्रन्थों में मूल 'भाषा' के लिए 'मागधी' शब्द का प्रयोग भी इसी ओर संकेत करता है: सा मागधी मूल भासा नरा मायादि-कप्पिका। इसीलिए डॉ० श्यामसुन्दरदास तथा चाइल्डस आदि कई अन्य विद्वान् इसे मगध की भाषा मानते हैं। किन्तु भाषा की विवेचना करने पर यह बात अशुद्ध ठहरती है। उदाहरणार्थ यदि ध्वनियों का विचार किया जाय तो मागधी में प्राचीन श, ष, स्तीनों के स्थानों पर 'श'

ध्वनि मिलती है, जब कि पालि में 'स्'। इसी प्रकार मागधी में 'र्' के लिए भी 'ल' ही ध्वनि आती है, जबकि पालि में र और ल दोनों हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी इसका मागधी से साम्य नहीं है। उदाहरणार्थ पालि में अकारांत शब्दों (पुल्लिग; नपुंसक) का कर्ता एकवचन में ओकारांत (धम्मो) होता है, किन्तु मागधी में एकारांत (धम्मे)। पालि में -ए वाले रूप हैं, किन्तु बहुत कम। ऐसी स्थिति में पालि को मागधी की भाषा नहीं मान सकते। गाइगर, विंडिश इस मागधी का ही एक रूप मानते हैं, यद्यपि इसे पूरे देश की भाषा होने के कारण इसमें अन्य बोलियों के तत्व भी स्वीकार करते हैं। (२) वेस्टरगार्ड, ई० कुहन, फ्रैंक तथा स्टैन कोर्गो पालि को उज्जयिनी या विध्यप्रदेश की बोली पर आधारित मानते हैं। (२) ग्रियर्सन ने इसे मागधी माना था, यद्यपि इस पर पेशाबी का भी प्रभाव स्वीकार किया था। (४) ओल्डनबर्ग ने खारवेल के खंडगिरि (कनिग) शिलालेख से पाली की समानता देख, पालि को कनिग की भाषा कहा था। (५) रीचर्ड ईविड्ज ने इसे कोसल की बोली कहा है। (६) ल्यूडर्ग, पालि को पुरानी अर्धमागधी से संबद्ध मानते थे। (७) उपर्युक्त मतों से एक बात स्पष्ट है कि पालि में विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के तत्व हैं, इसी कारण विभिन्न लोगों ने इसे विभिन्न स्थानों से संबद्ध किया है। वस्तुतः अपने मूल में पालि मध्यप्रदेश की भाषा है। ऊपर कथित स्, र, ल; -ओ का उसमें मिलना भी इसी का प्रमाण है। वीं उम समय वह पूरे भारत में एक अंतर्प्रान्तीय भाषा जैसी थी, इसी कारण उसमें अनेक प्रादेशिक बोलियों विशेषतः बुद्ध की अपनी भाषा होने से मागधी के भी कुछ तत्व मिल गए थे। इस प्रकार अपने मूल रूप में पालि को औरसेनी प्राकृत का पूर्व रूप मान सकते हैं। पालि कदाचित् दक्षिण-पश्चिम में पतपी। अशोक की प्राकृत की दक्षिणी बोली से इसका कुछ साम्य है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि पालि संस्कृत से काफ़ी प्रभावित होती रही है।

पालि साहित्य का सम्बन्ध प्रमुखतः भगवान् बुद्ध से है। इसमें उन्हीं से संबद्ध काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य-विधाओं की रचना प्रमुखतः हुई। यों कुछ उस विशेष संस्कृत या दर्शन से संबद्ध पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी प्रकार कोश, छन्द-शास्त्र या व्याकरण की भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। परम्परागत रूप से पालि साहित्य को पिटक और अनुपिटक दो वर्गों में बाँटते हैं, जिनमें जातक (जिसे ग्रन्थ न कहकर ग्रन्थ-संग्रह कहना उचित है), धम्मपद गिलिन्दपञ्चो, बुद्धघोष की अट्ठकथा तथा महावंश आदि प्रमुख हैं। पालि साहित्य का रचना काल ४८३ ई० पू० से लेकर आधुनिक काल तक लगभग ढाई हजार वर्षों में फैला हुआ है, और इसने एशिया के एक अरब से ऊपर लोगों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कई दृष्टियों से प्रभावित किया है। पालि भाषा का प्रभाव भारत की भाषाओं के अतिरिक्त श्रीलङ्का, बर्मा और स्याम की भाषा पर विशेष, तथा तिब्बत, चीन और जापान आदि की भाषाओं पर कुछ-कुछ पड़ा है।

ध्वनियाँ—पालि के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पालि में ४१ ध्वनियाँ थीं—'अक्खरापादयो एकचत्तालीस'। दूसरे प्रसिद्ध वैयाकरण मोग्गलान के अनुसार ४३ ध्वनियाँ थीं—'अआदयो तितालिस वण्णा'। किन्तु वस्तुतः पालि में कुल ४७ ध्वनियाँ हैं : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ए, ओ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, य, र, ल, ल्ह, व, व, व, स्, ह्, निगहीत। (१) अर्थात् स्वरों में ह्रस्व ए, ओ इन दोकाविकासहोगयाथा। ऐसा बलाघात के कारण हुआ। शब्द में संयुक्त या द्वित व्यंजन होने पर बलाघात उस पर चला जाता था, अतः पूर्ववर्ती स्वर ह्रस्व हो जाता था : सं: मैत्री > पा० में ती, सं० ओष्ठ > पा० ओठ्ठ। (२) ऋ, ॠ, लृ पूर्णतः समाप्त हो गईं। ऋ का पालि में प्रायः अ (हृदय—हृदय, कृषि—कसि), इ (ऋण—इण), अथवा उ (पृथिवी—पुथवी) हो गया। कभी-कभी इ (वृक्ष—वृख) या र आदि अन्य ध्वनियाँ भी हो गईं। लृ का उ (क्लृप्त-कुत्त) हो गया। (३) ऐ, औ

भी नहीं रहे। ऐ कहीं तो ए (ऐरावण-एरावण) हो गयी और कहीं ऐ (मैत्री—मैत्ती)। इसी प्रकार औ का ओ (गौतम-गौतम) अथवा औ हो गया है। इस तरह कुल स्वर १० थे। (४) व्यंजनो में, वैदिक की तरह ही, पालि में भी ङ, ञ्ह ध्वनियाँ थीं। यह उल्लेख्य है कि लौकिक संस्कृत के लिखित रूप में ये दोनों नहीं थीं। (५) विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय भी नहीं रहे। (६) वैदिक तथा संस्कृत में श्, ष्, स् तीन थे। पालि में तीनों के स्थान में स् ही गया। वैदिक शवशान (श्मशान)—पा० सुसान, शय्या—सेय्या, निषण्ण—निसिन्न, तृष्णा—तसिण, साधु—साहु। (७) अनुस्वार पालि में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पालि वैयाकरणों ने निग्गहोत नाम से अभिहित किया है। तुलनात्मक दृष्टि से यह उल्लेख्य है कि वैदिक में कुल ध्वनियाँ ५५, लौकिक संस्कृत में ५२, किन्तु पालि में ४७ थीं।

ध्वनि-प्रक्रिया की दृष्टि से पालि में निम्नांकित परिवर्तन उल्लेख्य हैं : (१) घोषीकरण—स्वर मध्यग अधोष व्यंजन के घोष होने की कुछ प्रवृत्ति है : माकन्दिय > मागन्दिय, उताहो > उदाहु। प् ब होकर नहीं रुकता अपितु व हो जाता है : कपरिष > कवित्थ। ट्, ड् होकर ङ् हो जाता है : स्फटिक > फळिक। (२) अधोषीकरण—यह प्रवृत्ति अधिक नहीं है। इसका कारण सम्भवतः पैशाची प्रभाव है। मृदग > मुतिग, परिष > परिख, अगुरु > अकलु, कुसीद > कुसीत, छगल > छकल (३)। महाप्राणीकरण—सुकुमार > सुखुमाल, परशु > फरसु, कील > खील, पल > फल। (४) अल्प-प्राणीकरण—भगिनी > बहिणी। (५) समीकरण—यह प्रवृत्ति बहुत अधिक है : चत्वर > चच्चर, निम्न > निन्न, सर्व > सब्ब, मार्ग > मग्ग, धर्म > धम्म, कर्म > कम्म, जीर्ण > जिण्ण। (६) स्वर मध्यग संस्कृत इ, ङ् का ङ, ङ्ह : आपीड > आवेळ, मीड > मीळ्ह। (६) ए ल् का आपसी परिवर्तन र > ल, परि > पलि, तरुण > तलुण, ल > र, किल > किर। र् का ल् पूर्वी प्रभाव है तो ल् का र् परिवर्तनी। (७) महाप्राण के ह हो जाने की भी कुछ प्रवृत्ति है : भवति > होति, लघु > लहु, रुधिर > रुहिर। यह प्रवृत्ति घोष महाप्राणों में ही है।

मात्रा—पालि में विशेष मात्रा-नियम (law of Mora) मिलता है। कुछ थोड़े अपवादों को छोड़कर इस भाषा में अक्षर (syllable) एक या दो मात्राओं से अधिक का नहीं होता। इस बात को कुछ विस्तार से यों कह सकते हैं कि अक्षर या तो एक मात्रा का (ह्रस्व स्वरांत) होगा, या दो मात्रा का (दीर्घ स्वरांत, अथवा ह्रस्व स्वर-युक्त व्यंजनांत)। इस मात्रा-नियम ने पालि-ध्वनि-प्रक्रिया में एक विशेषता ला दी है। जहाँ भी संस्कृत शब्दों में संयुक्त व्यंजन या द्वित व्यंजन के पूर्व दीर्घ स्वर है, पालि में या तो (१) संयुक्त या द्वित (प्रायः द्वित) व्यंजन रहता (या हो जाता) है तथा उसके पूर्व का स्वर ह्रस्व (कार्य > कय्य, जीर्ण > जिण्ण, मार्ग > मग्ग) हो जाता है, या फिर (२) व्यंजन संयुक्त या द्वित न होकर एक या सामान्य हो जाता है और स्वर-दीर्घः दीर्घ > दीघ, लाक्षा > लाखा। ए, ऐ, ओ, औ के ह्रस्व रूप प्रायः ऐं, औं मिलते हैं : श्लेष्मन् > सें म्ह, मैत्री > मैत्ती, ओष्ठ > ओ ट्ठ।

स्वराघात—पालि में स्वराघात की स्थिति विवादास्पद है। टर्नर के अनुसार पालि में वैदिकी की भाँति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात था। ग्रियर्सन पालि में केवल बलात्मक स्वराघात मानते हैं। जूल ब्लाक को पालि में किसी भी स्वराघात के होने के बारे में संदेह है। कुछ लोग पालि में केवल संगीतात्मक स्वराघात मानते हैं। मेरे विचार में पालि में मुख्यतः बलात्मक स्वराघात ही था, यद्यपि संगीतात्मकता के भी कुछ अवशेष रहने की सम्भावना है।

ध्याकरण—पालि भाषा, व्याकरणिक दृष्टि से वैदिक संस्कृत की भाँति ही स्वच्छेद एवं विविध रूपोंवाली है। किन्तु साथ ही वैदिक या संस्कृत की तुलना में उसमें पर्याप्त सरलीकरण भी हुआ है। यह सरलीकरण, उच्चारण में, समीकरण आदि के रूप में तो हुआ

ही है, साथ ही, सादृश्य के आधार पर विकास के कारण व्याकरण के क्षेत्र में भी हुआ है। (१) व्यंजनांत प्रातिपदिक प्रायः नहीं हैं। अंत्य व्यजन-लोप के सामान्य नियम के कारण या तो अंत्य व्यजन लुप्त हो गए हैं, (विद्युत् > विद्यु) या अंत्य स्वरागम-के कारण शब्द स्वरांत (शरत् > शरव) हो गए हैं। (२) सादृश्य के कारण अनेक भिन्न-भिन्न स्वरांत शब्दों के बहुत से रूप भी समान हो गए हैं। इस दिशा में अकारांत शब्दों ने अपने प्रयोग-बाहुल्य के कारण अन्वों को प्रभावित किया है। उदाहरणार्थ इकारांत (अग्नि), उकारांत (भिक्षु) के सम्प्रदान एवं सम्बन्ध के रूप अकारांत के समान (अग्निस्त, भिक्षुस्त) मिलते हैं। (३) लिंग तीन हैं। यों अपने बहुप्रयोग के कारण पुल्लिंग ने नपुंसकलिंग को प्रभावित किया है : जैसे 'सुख' के लिए 'सुखो'। (४) द्वे, उभो जैसे दो-एक को छोड़कर पालि में द्विवचन नहीं है। (५) वैदिक की तरह रूपाधिक्य भी पालि में है। उदाहरणार्थ धर्म का सं० में सप्तमी में एक० में केवल 'धर्म' होगा किन्तु पालि में धर्मे के अतिरिक्त धम्मस्मि तथा धम्मम्हि भी। (६) पालि सर्वनाम प्रायः पूर्ववर्ती सर्वनाम रूपों के ही ध्वनि नियमों के अनुकूल विकास हैं। इनमें एक ही अन्तर है, और वह मामूली नहीं है कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में, सारे के सारे मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप य-से गुरु होते हैं, किन्तु पालि में सारे के सारे त-से गुरु होते हैं। जैसे युष्मे—तुम्हे, युष्माकम्—तुम्हारे आदि। इस परिवर्तन पर मूल पुस्तक में सर्वनाम के प्रसंग में विचार किया गया है। (७) क्रिया रूपों में ३ पुरुष तथा २ वचन (द्वि नहीं है) है। पद केवल परस्मै है। आत्मने कुछ अपवादों को छोड़कर नहीं है। धातुओं के दसों गण हैं, यद्यपि संस्कृत की तुलना में कुछ मिश्रण हो गया है। एक ही धातु के कुछ रूप एक गण के समान हैं तो कुछ दूसरे के। इससे पता चलता है कि जन-मस्तिष्क में गणों की सत्ता धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी। क्रिया रूपों के प्रत्यय प्रायः पूर्ववर्ती ही हैं केवल उनमें ध्वन्यात्मक परिवर्तन आ गए हैं जैसे— -धि का -हि। क्रियार्थ चार (निश्चयार्थ (indicative), आज्ञार्थ (imperative), आदरार्थ आज्ञा (optative), तथा (subjunctive) सम्भावनार्थ) एवं काल चार (लट्, लुङ्, लृट्, लृङ्) हैं। पालि में लिट् (Perfect) नहीं है।

शब्द—इस दृष्टि से कोई विशेष उल्लेख्य बात नहीं है। तद्भव शब्द अधिक हैं। तत्सम उससे बहुत कम। पीछे संस्कृत में जिन द्रविण, आस्ट्रिक आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है, उनमें अनेक इसमें भी हैं। परवर्ती साहित्य में कुछ विदेशी शब्द भी हैं।

पालि में विभिन्न तत्त्व—पालि में अनेक व्याकरणिक एवं ध्वन्यात्मक तत्त्व मिलते हैं। (१) इसमें लृ, लृह्, कुछ संगीतात्मक स्वराघात, नाम तथा क्रिया रूपों की विविधता (उदाहरणार्थ वैदिक में प्रथमा बहु० के देवाः, देवासः दो रूप थे। सं० में केवल 'देवाः' है किन्तु पालि में देवा, देवासे दोनों हैं; षवामि और विकसित रूप 'होमि', पालि में दोनों हैं), अनेक वैदिक रूपों के समान रूप (नपु० प्रथमा बहु० रूपा (रूपानि भी है, जो नियमित है) जो वैदिक युग से प्रभावित है), एवं लेट् (subjunctive सम्भावनार्थ) आदि का होना इसे वैदिक के समीप सिद्ध करता है। (२) अनेक शब्दों में र् के स्थान पर ल् का हो जाना मागधी जैसा है : एरड् > एलद। (३) कुछ में र-ल दोनों हैं (तरुण > तरुण, तलुण; त्रयोदश > तेरस, तेलस); श एवं ष का स् हो गया है (शिशु > सिशु, घोष > घोस), तथा अकारांत षु० एवं नषु० लिंग के शब्दों का प्रथमा एक० ओकारांत (धम्मो) है। ये बातें पालि को मध्यदेशीय प्राकृत या शौरसेनी के निकट ले जाती हैं। (४) परिष > पलिष, कुसीद > कुसीत, अगुरु > अकलु जैसे उदाहरणों में अघोषीकरण की प्रवृत्ति इसमें पैंशाची प्राकृत की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती है। इस तरह पालि में अनेक प्रवृत्तियों एवं तत्त्वों का मिश्रण है।

बोलियाँ एवं भाषा-रूप—पालि काल में आर्य-भाषी भारत में वे ही चार बोलियाँ

थीं, जिनका उल्लेख लौकिक संस्कृत के प्रसंग में किया जा चुका है : पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती तथा पूर्वी । हाँ संस्कृत काल की तुलना में उनके अन्तर कुछ और उभर आये थे ।

इसी प्रसंग में पालि भाषा में विकास का भी उल्लेख किया जा सकता है । पालि साहित्य देखने से पता चलता है कि आद्यंत पालि का एक रूप नहीं रहा है । उसकी कम से कम चार सीढ़ियों का अनुमान लगता है । भाषा की पहली सीढ़ी त्रिपिटक (सुत्त, विनय, अभिधम्म) की गाथाओं में मिलती है । यह पालि का प्राचीनतम रूप है । इसमें रूपों का बाहुल्य है । यह भाषा वैदिक संस्कृत के बहुत निकट है । भाषा का इससे कुछ विकसित रूप त्रिपिटक के गद्य भाग में मिलता है । यहाँ रूप कम हैं और भाषा में अपेक्षाकृत एकरूपता है । इसमें कुछ ऐसे नये रूप भी मिलते हैं, जो प्रथम में नहीं हैं, साथ ही प्रथम के कई पुराने रूपों को इसमें स्थान नहीं मिला है । पालि के विकास की तीसरी सीढ़ी और बाद के गद्य जैसे 'मिलिन्दपन्ह' या बुद्धधोष की 'अट्टकथा' आदि में मिलती है । चौथी सीढ़ी उत्तरकालीन काव्य-ग्रन्थों—जैसे दीपवंस, महावंस आदि—की भाषा में मिलती है । इस रूप पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव है, साथ ही इस भाषा में जीवन के लक्षण नहीं हैं । एक कृत्रिमता-सी है, जो यह स्पष्ट कर देती है कि पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर इसका भवन खड़ा है ।

अभिलेखी (Inscriptional) प्राकृत

प्रथम प्राकृत के अन्तर्गत पालि के अतिरिक्त अभिलेखी प्राकृत भी आती है । इसके अधिकांश लेख शिला पर हैं, अतः इसकी एक संज्ञा शिलालेख प्राकृत भी है । इसकी सामग्री है—(१) अशोकी अभिलेख, (२) अशोकेतर अभिलेख ।

अशोकी अभिलेख

प्रसिद्ध भारतीय सम्राट् अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जनता के लिए, तत्कालीन बोलचाल की भाषा में, अपनी धार्मिक एवं शासनिक आज्ञाएँ एवं सूचनाएँ आदि अंकित कराई थीं । इन्हीं अभिलेखों की भाषा को अशोकी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत कहते हैं । इनमें कुछ अभिलेख लाटों पर हैं, इसी कारण इसे लाटबोली या लाट प्राकृत भी कहा गया है । कुछ अभिलेख गुफाओं में हैं, इसी आधार पर पिशेल ने इसे लेण प्राकृत (सं० लयन (= गुफा) > लेण) या लेण बोली कहा है ।

ये अभिलेख तीन प्रकार के हैं । कुछ तो चट्टानों पर हैं, कुछ लाटों या स्तम्भों पर, और कुछ गुफा-दीवारों पर । शाहबाज़गढ़ी और मनसेहरा के लेख खरोष्ठी लिपि में हैं और शेष ब्राह्मी में । इन्हें निम्नांकित ८ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : (१) लघु शिलालेख—२५८-२५२ ई० पू० के माने जाते हैं । ये मैसूर राज्य के सिद्धपुर, जतिग रामेश्वर, ब्रह्मगिरि; जबलपुर जिले के रूपनाथ, शाहाबाद जिले के सहसराम तथा निज़ाम-राज्य के मास्की, इडागुडी में पाये गए हैं । इनका सम्बन्ध अशोक के वैयक्तिक जीवन एवं धर्मनिष्ठा से है । (२) भूख शिलालेख—यह २५७ ई० पू० का है और जयपुर राज्य में वीराट पर्वत की एक चोटी पर है । यह बौद्ध धर्म-विषयक है । (३) चतुर्दश बृहद् शिलालेख—इनका काल २५६ ई० पू० के आस-पास है । ये शाहबाज़गढ़ी (पेशावर के पास), मनसेहरा (एबटाबाद के पास), सोयारा (थाना), कालसी (देहसादून), धौली (पुरी), जौगढ़ (गंजाम), गिरनार (जूनागढ़ के पास), तथा इडागुडी (निज़ाम राज्य) आदि में मिले हैं । इनका विषय प्रमुखतः नैतिक नियम है । (४) कलिंग शिलालेख—समय २५६ ई० पू० । ये भी धौली और जौगढ़ में हैं इनका विषय कलिंग का शासन है । (५) बराबर गुफा अभिलेख—समय २५७-२५० ई० पू० के बीच । गया के समीप बराबर नामक पहाड़ी में ये गुफालेख हैं । इनमें धर्म-विषयक

बातें हैं। (६) नेपाल तराई के स्तम्भ-लेख—ये निगलीवा तथा रुक्मिनदेई में मिले हैं। अशोक की तीर्थयात्रा इनका विषय है। काल है २४९ ई० पू०। (७) सप्त स्तम्भ लेख—ये २४३ ई० पू० के लगभग के हैं। इनका विषय है अहिंसा आदि धर्मनीति। ये टोपरा (दिल्ली), मेरठ, कौशांबी (इलाहाबाद), बलौरिया (नन्दनगढ़) आदि में मिले हैं। (८) लघु-स्तम्भ-लेख—ये साँची, सारनाथ, प्रयाग में मिले हैं। इनमें अधार्मिक प्रवृत्तियों का विरोध है।

इन शिलालेखों का इतिहास की दृष्टि से तो महत्त्व है ही, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी कम महत्त्व नहीं है। इनसे इस बात का पता चल जाता है कि ३री सदी में ई० पू० के मध्य के आसपास प्राकृत भाषा का विभिन्न क्षेत्रों में क्या रूप था। एक ही लेख के विभिन्न स्थानों में प्राप्त रूपान्तरों से तत्कालीन प्राकृत के स्थानीय रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने में बड़ी सहायता मिलती है।

इन लेखों का तुलनात्मक अध्ययन कई विद्वानों ने किया है, किन्तु परिणाम के संबंध में फ्रैंक, सेनार्ट, गुणे आदि विद्वानों में मतभेद है। कुछ के अनुसार इनसे तत्कालीन प्राकृत की दो, कुछ के अनुसार तीन, कुछ के अनुसार चार, और कुछ के अनुसार पाँच बोलियों का पता चलता है। पीछे संस्कृत काल में ४ बोलियों का संकेत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस काल में ५ बोलियों का अपने प्रारम्भिक रूप में विकसित हो जाना असम्भव नहीं है। यों इनमें कम-से-कम ४ बोलियों के रूप तो हैं ही : पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी-पश्चिमी, मध्यपूर्वी, पूर्वी।

अशोकेतर अभिलेख

ये ई० पू० की अन्तिम तीन सदियों के छोटे और खंडित अभिलेख हैं। इनमें कुछ शिला पर हैं, कुछ स्तम्भ पर तथा कुछ ताम्रपत्र आदि पर। इनमें पश्चिमोत्तरी भारत का शिकोट अभिलेख, ग्वालियर का बेसनगर स्तम्भ-लेख, मध्य भारत का जोगीमारा गुफालेख, बिहार का सोहगौरा ताम्रलेख तथा उड़ीसा के हाथीगुम्फा गुफालेख आदि हैं। प्रथम की लिपि खरोष्ठी है, शेष की ब्राह्मी। इनमें भी कुछ अपवादों को छोड़कर भाषा के प्रायः वे ही रूप मिलते हैं, जो कि अशोकी अभिलेखों में। उपर्युक्त अभिलेखों में बेसनगर का अभिलेख हिलि-ओदोरस नामक यूनानी दूत का है, तथा हाथीगुम्फा वाला जैनधर्मावलम्बी कलिगराज खारवेल का। इन दोनों की भाषा कुछ-कुछ पालि के समीप है, तथा संस्कृत से प्रभावित है। इनका काल दूसरी सदी ई० पू० है। इन दोनों से इस बात का संकेत मिलता है कि बौद्ध-जैन धर्म ने लोकभाषा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, किन्तु इस समय तक आते-आते फिर संस्कृत का महत्त्व बढ़ने लगा था।

इस प्रसंग में श्रीलंका में प्राप्त कुछ अभिलेखों (समय पहली सदी ई० पू० से तीसरी सदी ई० तक) का उल्लेख भी किया जा सकता है। इनमें प्रायः आगे वर्णित मध्यपूर्वी बोली की ही विशेषताएँ मिलती हैं। आगे तत्कालीन प्राकृत के चारों रूपों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

पश्चिमोत्तरी—इसमें प्रमुखतः शाहवाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख आते हैं। यह उल्लेख्य है कि ये लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। स्वरदीर्घता और व्यंजन-द्वित इनमें अंकित नहीं है। अन्य सभी बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शाहवाजगढ़ी वाला अभिलेख पश्चिमोत्तरी बोली का ठीक प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु मनसेहरा वाले पर मध्यपूर्वी एवं पूर्वी बोली का प्रभाव है। उदाहरणार्थ प्रथमा एकवचन में शाहवाजगढ़ी में—ओ है, किन्तु मनसेहरा में—ए। प्राकृतों में होने वाले सामान्य सभी परिवर्तन इसमें प्रायः मिलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : (१) ऋ > रु (मृग > म्रुग) या रि (मृग > म्रिग) या र

(वृद्धि > वृधि)। (२) र का ल इसमें नहीं हुआ है : स्वर्ग > स्पग्र, भ्रातृ > भ्रत, व्रज > व्रच, सर्व > सग्र। (३) श्, ष्, ष, तीनों ही ध्वनियाँ हैं : प्रियदर्शी > प्रियद्रशिः वृद्धेष् > वृध् षुः औषध > औषुधः स्वर्ग > स्पग्र। यों श् का स् (द्वादश > दुवडस) या ष् का स् (हापयिष्यति > हापेसदि) भी मिलना है : (४) ण् ध्वनि है : प्रायुष, आपण। (५) ज् ध्वनि भी है : मजिषु, मजत्, रात्रा, वज्रन। (६) अधोपीकरण की पेशाची प्रवृत्ति शाहबाजगढ़ी में कुछ है नाढम् > पढम्, व्रज > व्रच।

व्यंजनात् प्रातिपदिक प्रायः नहीं है। अकरांत पुल्लिङ्ग एकवचन में- ओ (जनों) है। मत्सेहरा में -ए है, जो पूर्वी प्रभाव है। सप्तमी विभक्ति- -स्प- है, जब कि दक्षिणी पश्चिमी में -म्ह- है। ये दोनों -स्म- के विकास हैं। द्विवचन नहीं है। सरलीकरण की प्रवृत्ति है। आत्मनेपद लुप्तप्राय हो गया है। प्रायः रूप ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के साथ सुरक्षित है। संस्कृत के १० गण प्रायः-अ या-अय गण तक सीमित हो गए हैं।

दक्षिणा-पश्चिमी

शिलालेखी प्राकृत की इस बोली का स्वरूप प्रमुखतः गिरनार (गुजरात) के अभिलेख में है। यह भाषा अपेक्षाकृत अधिक पुरानी है। इसके सम्बन्ध में निम्नांकित बातें उल्लेख्य हैं : (१) ऋ का प्रायः अ होता है : वृद्धि > वृदि, मृत > मत्। किन्तु यदि ऋ के पूर्व ब् हो तो ऋ का उ हो जाता है। वृत्त > वृत्। (२) 'र्' इसमें ल् नहीं होता। राजा > राज्जा, हिरण्य > हिरणिय। (३) ऊर्णों में केवल स् है। श्, ष् भी स् हो गए हैं : दस > दस, यशः > यसोः, औषध > औषुध, भृश्रूषा > मुसुंसा। (४) ण् ध्वनि है : ब्राह्मण > ब्राम्हण, कल्याण > कलाण। (५) ज् ध्वनि है : राजा > राज्जा, अन्य > अज्। (६) अनादि घोष महाप्राण प्रायः ह हो जाता है : लघु > लहु, -भिः (करण बहु०) > -हि।

व्यंजनात् प्रातिपदिक प्रायः नहीं है। प्रथमा एकवचन -ओ (जनों) अंत्य है। सप्तमी में -स्म- का -म्ह- हो गया है। कारक-रूपों में सरलीकरण की प्रवृत्ति है, किन्तु क्रिया-रूप में यह बात नहीं है, सरलीकरण कम है। आत्मनेपद है।

मध्यपूर्वी

इस बोली में देहरादून के पास का कालमी शिलालेख, टोपरा (दिल्ली) का स्तम्भ-लेख तथा कुछ अपवादों को छोड़कर जोगीमारा एवं नागार्जुनी गुफा-लेख आदि आते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं : (१) ऋ का इ हो जाता है : कृत्य > गिच्य। (२) र का या तो लोप हो गया है या ल् : राजा > लाजा, चत्वारि > चतालि, करोति > कलेति। (३) ऊर्णों में प्रायः स् ही है। जोगीमारा में अवश्य श् तथा नागार्जुनी में ष् हैं। क्रोशिक > क्रोसिक, प्रियदर्शी > पियदसि। (४) ण् नहीं है : प्रियेण > पियेना (५) ज् भी नहीं है। (६) अंत्य-अ का -आ हो जाने की प्रवृत्ति है जो अंत्य बलाघात के कारण है : प्रियेण > पियेना, आह > आहा। (७) मध्य-ओ-के -ए- हो जाने की प्रवृत्ति है, जिससे पता चलता है कि उधर बलाघात के साथ-साथ स्वराघात भी था।

स्वार्ये प्रत्यय -का का प्रयोग बहुत हुआ है, और यह प्रायः तानव्यकृत होकर -क्य हो गया है। प्रथमा एकवचन -अ- का -ए- हो गया है : प्रियः > पिये। शाहबाजगढ़ी आदि में यह ओ (प्रियो) है।

पूर्वी

इसमें उड़ीसा के धौली, जोगढ़ शिलालेख, सोहगौरा ताम्रलेख हाथीगुंफा के लेख आदि आते हैं। यह मध्यपूर्वी के काफी समान है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं : (१) ऋ

का इ हो गया है : मृग > मिग । (२) र् का सर्वत्र ल् हो गया है : राजा > लाजा, मयूरः > मजुला । (३) ऊष्मों में केवल श् है । श्, ष् भी स् हो गए हैं : प्रियदर्शी > प्रियदर्सि, शुश्रूषा > सुसूसा । (४) ण् नहीं है । उसके स्थान पर न् है : प्रियेण > प्रियेन । (४) ज् भी नहीं है ।

प्रथमा एक० में -अः का -ए हो गया है : जने । उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप, औरों की तुलना में अधिक हैं । आत्मनेपद है ।

अभिलेखी प्राकृत (१ ई० तक की), वस्तुतः कुछ अपवादों को छोड़कर, पालि एवं परवर्ती प्राकृत के बीच में आती है । परवर्ती प्राकृत में आनेवाले विकारों के बीज यहाँ हैं । पूर्ववर्ती भाषा की तुलना में सरलीकरण प्रायः सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है । प्रातिपदिक प्रायः स्वरात हैं । द्विवचन नहीं हैं । लिंग तीन हैं । आत्मनेपद कुछ क्षेत्रीय अपवादों को छोड़कर समाप्तप्राय है । जहाँ तक मैं समझता हूँ संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघत हैं । कुछ यूनानी एवं ईरानी शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । उदाहरणार्थ शाहवाजगढ़ी शिलालेख में निपिस्त, निपिसित, निपेसपिता (लिखित, लेखिता, लिखापिता के स्थान पर) आते हैं, जो पुरानी फ़ारसी धातु निपिस् (= लिखना) से बने हैं । अशोक के कई शिलालेखों में 'लिपि' शब्द 'जो लिखा गया हो' या 'अभिलेख' आदि के अर्थ में आया है । भारतीय वैयाकरणों ने इस शब्द को 'लिप्' धातु (= लीपना) से संबद्ध माना है । इस सम्बन्ध में तर्क यह दिया जाता है कि पहले, भारत में, ताड़पत्र या भोजपत्र पर लोहे आदि की नोकीली कलम से लिखते थे, फिर उस पर काला रंग या स्याही लीप या पोत देते थे और रंग अक्षर के गड्ढों में भर जाता था । इस प्रकार लिखा जाता था । किन्तु मेरे विचार में यह 'लिपि' शब्द लिप् धातु से संबद्ध न होकर उपर्युक्त 'निपिस्' से ही संबद्ध है ।

अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत

अश्वघोष का रचना-काल १०० ई० के आस-पास माना जाता है । उनके दो संस्कृत नाटकों की खंडित प्रतियाँ मध्य एशिया में मिली हैं, जिनमें जर्मन विद्वान् ल्यूडर्स ने संपादित किया है । इन नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत में स्पष्टतः तीन प्राकृत बोलियाँ हैं :

(१) प्राचीन मागधी या पूर्वी प्राकृत—'दृष्ट' द्वारा इस बोली का प्रयोग हुआ है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं : (क) मध्यग-ओ-के स्थान पर-ए- का (करोमि > कलेमि) प्रयोग । (ख) प्राचीन र् का ल् (करोमि > कलेमि) हो जाना । (ग) ऊष्मों में केवल श् का प्रयोग । स् और ष् भी श हो गए हैं : कस्य > किश । (घ) ण् का न् (कारणाट > कालना) । (ङ) व्याकरण में प्रथमा एक० में -अः का -ए (वृत्तः > वृत्ते) हो गया है । (च) -क-युक्त उत्तम पुरुष सर्वनाम अहं > अहकं । (छ) षष्ठी एक० में स्व का -हो- (मकटस्थ > मकटहो) ।

(२) प्राचीन शौरसेनी या पश्चिमी प्राकृत—विदूषक एवं गणिका ने इसका प्रयोग किया है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : (क) ऋ का इ : अकृतज्ञ > अकितञ्ज, हृदय > हिदय, (ख) मू का व् (सं० त्वम् > तुवव; तुलनीय पुरानी फ़ारसी तुवम्) तथा न् का म् (भवान् > भवाम्) आदि कुछ विकास असामान्य हैं । (ग) संयुक्त व्यंजनों में ज् एवं न्य् का ञ्ज (अकृतज्ञ > अकितञ्ज, हन्यन्तु > हञ्जन्तु), क्ष का ब्ख् (साक्षी > सब्खी) तथा व्य् का ब्व् (धारयितव्यः > धारयितव्वो) उल्लेख्य हैं । (घ) अकारांत प्रथमा एकवचन का -अः-ओ (आदंशः > आदंसी, दुष्करः > दुष्करो) हो गया है । कुछ बातें पालि के समान हैं ।

(३) प्राचीन अर्धमागधी मध्यपूर्वी—गोभम् द्वारा प्रयुक्त बोली। (क) इसमें श नहीं है। (ख) र का ल हो गया है : करोति > कलेति, भर्तृदारिके > भट्टिदालके। (ग) -ओ-का-ए-हो गया है : करोति > कलेति। (घ) अकारांत प्रथमा एक० में -अः का -ओ हो गया है। (ङ) स्वार्थे प्रत्यय-क,-अक,-आक,-इक (पाण्डर->पाण्डलाक) बहुत प्रयुक्त हुए हैं।

अश्वघोष की ये प्राकृतें अभिलेखी प्राकृत या अशोकी प्राकृत से भिन्न हैं। साहित्यिक प्राकृति होने के कारण संस्कृत का प्रभाव इन पर स्वाभाविक है।

धम्मपद की प्राकृत

१८९२ में फ्रांसीसी पर्यटक दुब्रुइलदरों को खोतान में खरोष्ठी लिपि में कुछ लेख मिले। ओल्डेनवर्ग, सेनार्ट तथा कुछ भारतीय एवं अन्य अभारतीय विद्वानों के प्रयास के बाद में इन लेखों का उद्धार हुआ और यह प्राकृत में लिखा गया 'धम्मपद' निकला। खरोष्ठी लिपि में होने के कारण इसे 'खरोष्ठी धम्मपद' भी कहते हैं। इसकी रचना २०० ई० के लगभग की मानी गई है। इसकी भाषा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की है। यह निय प्राकृत की तुलना में पुरानी है, साथ ही संस्कृत से प्रभावित भी है। 'धम्मपद की प्राकृत' तथा 'निय प्राकृत' खरोष्ठी लिपि में हैं, अतः इन दोनों में दीर्घ स्वर एवं द्वित व्यंजन लिखे नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है किये हैं या नहीं। धम्मपद की प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : (१) ऋ का अ, उ, रू रि : स्मृति > स्वति, मृतः > मुतु, वृद्ध > त्रिष। (२) अंत्य-ए का-इ : सर्वे > सवि। (३) ह, प, ब्र के बाद का उ प्रायः ओ : बहु > बहो। (४) अंत्य-य, -इय् का इ : समादाय > समदि। (५) कभी-कभी अघोषीकरण : योगक्षेमः > योकक्षेमस्, विराग > विराकु, समागतः > समकत। (६) स्, श, ष तीनों हैं : (क्षेमः > क्षेमस्, समादाय > समदि, शोचति < शोयति। (७) स्वरमध्यग ज, ब् का य : शोचति > शोयति। (८) अकारांत प्रथमा एक० के अः का ओ या उ : पंडितः > पनितो, पनितु।

निय प्राकृत

ऑरैल स्टेन को १९०० से १९१४ के बीच चीनी तुर्किस्तान के 'निय' नामक प्रदेश में तथा आसपास कई लेख मिले, जो खरोष्ठी लिपि में थे। १९३७ में टी-बरोने इनकी भाषा का अध्ययन करके इन्हें प्राकृत में लिखा बताया। इसकी सामग्री प्रमुखतः 'निय' प्रदेश में मिलने के कारण इन लेखों की भाषा का नाम 'निय प्राकृत' पड़ा है। यह शान-शान साम्राज्य की राजभाषा थी। प्राकृत धम्मपद की भाँति ही निय प्राकृत का आधार भी भारत के पश्चिमोत्तरी प्रदेश की प्राकृत है। यह तीसरी सदी की भाषा है। अशोक परवर्ती पश्चिमोत्तरी खरोष्ठी शिलालेखों की भाषा से इससे बहुत समानताएँ हैं। प्राकृत धम्मपद से भी समानताएँ हैं किन्तु अपेक्षाकृत कम। आधुनिक दरद भाषाओं (विशेषतः तोरवारी) के भी यह पर्याप्त निकट है। निय प्राकृत पर शब्दों एवं अन्य क्षेत्रों में ईरानी, मंगोलियन तथा क्रोरेनी प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक ईरानी शब्दों का सम्बन्ध है लगभग ५० हैं। कुछ शब्द हैं : अनद (=सावधानी से), गंज (खजाना), दिविर (क्लक), स्तोर (शुतुर), नमतए (नमदा) आदि। इनमें अनेक शब्द ऐसे भी हैं, जो इस भाषा के बाहर जाने के पहले पश्चिमोत्तरी प्राकृतों में आ चुके थे। क्रोरेनी (Kroranic) वहाँ की स्थानीय भाषा थी। यह कदाचित तोखारी से संबद्ध थी। इससे निय प्राकृत में एक हजार से ऊपर नाम तथा 'ओगन' (एक प्रकार की नाप) आदि लगभग १०० शब्द आए हैं। प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : (१) कुछ शब्दों में

ए का इ (तिपु > तिपु, क्षेत्र > छिन्न) हो जाता है, यद्यपि प्रायः ए सुरक्षित है। (२) श्र का नियमतः रि हो जाता है : अतृप्त > अत्रिप्त, कृत > कित। यों अ, इ, उ, ए भी मिलते हैं। कृत > किक, भृति > भुडि आदि। (३) ह्, प्र्, ब्, के बाद का य प्रायः ओ हो जाता है (बहु > बहो) ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। किन्तु, वस्तुतः जहाँ ऐसा हुआ है ओ और उ के चिह्नों के बीच इतना कम अन्तर है कि सनिश्चय कहना कठिन है। यही बात धम्मपद की प्राकृत के बारे में भी है। (४) अत्य -य, -इय का -इ हो जाता है : मूल्य > मुलि, ऐश्वर्य > एश्वरि। (५) शान-शान प्रदेश की स्थानीय बोली कोरंती में घोष स्पर्श नहीं थे। इसी कारण कुछ जगह घोष का अघोष मिलता है। लिपि में भी इस दृष्टि से कुछ दोष है, अतः यह कहना कठिन है कि जहाँ ऐसा हुआ है, सचमुच हुआ है या लिपि-दोष के कारण बर्तनी में गड़बड़ी है : योगधेमः < यकछेम, बलि < पलिप। श्, ष, स्, तीनों हैं : तेषु > तिपु, ऐश्वर्य > एश्वरि, शर्करा > शकर, दलोसि > दिनेसि। यद्यपि स् की प्रवृत्ति अधिक है। स् का ज्ञ, तथा ष का ज्ञ भी हो गया है : दिवस > दिवज्ञ, अवकाश > अवगज्ञ। (७) अघोष स्पर्श, एवं सघर्षी व्यंजनों के स्वरमध्यम होने पर घोष होने की प्रवृत्ति भी है : अवकाश > अवगज्ञ, यथा > यथ। (८) ष का कभी-कभी ष भी हो जाता है : एवम् > एम, भावना > भमन। (९) अकारांत प्रथम एकवचन में -अः का -ओ अथवा -उ अथवा -अ अथवा -ए हो जाता है : मनुष्यः > मनुष। सर्वनाम में भी यह प्रवृत्ति है ततः > तदोः, सः > से। (१०) संज्ञारूप साहित्यिक प्राकृतों की तुलना में कम हो गए हैं। कर्ता, कर्म प्रायः समान हो गए हैं। करण में भी कभी-कभी कर्ता प्रयुक्त हुआ है। (११) नपुंसकलिंग नहीं है। (१२) द्विवचन क रूप दो (पदेभ्यम् पदेयो) ही हैं, जो प्राचीन भाषा के प्रभाव हैं। (१३) क्रिया प्रत्यय प्राकृत जैसे ही हैं। मध्यम पुरुष एक० में -सि के साथ-साथ -तु भी है, जो तीनों कार्यों में आता है : अरोगेतु तुम आरोग्य हो; उकस्तेतु = चला गया; लभित्तु = पाओगे।

मिश्रित बौद्ध संस्कृत

ऊपर पालि के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि वह दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी हीनयानी बौद्धों के ग्रन्थों में अपेक्षाकृत अधिक प्रयुक्त हुई। उसी प्रकार उत्तरी भारत के महायानी बौद्धों के धर्म-ग्रन्थों में प्रायः या तो शुद्ध संस्कृत प्रयुक्त हुई या एक विशेष प्रकार की संस्कृत भाषा, जिसमें संस्कृत एवं प्राकृत दोनों का मिश्रण है। यहाँ तक कि प्रातिपदिक तो संस्कृत का है और विभक्ति प्राकृत की : पुष्पेहि। इसे बौद्ध संस्कृत या मिश्र संस्कृत भी कहा गया है। प्रसिद्ध विद्वान् एजर्टन ने इस भाषा पर विशेष रूप से कार्य किया है, तथा इसका कोश भी बनाया है।

मिश्रित बौद्ध संस्कृत में मिश्रण ऐसा है कि भाषा की एकरूपता इसके साहित्य में प्रायः नहीं है। हर ग्रन्थ की भाषा का स्वरूप अपने में अलग है। यही नहीं, जलित-विस्तर या महावस्तु जैसे कई ग्रन्थों में गद्य की मिश्रित संस्कृत, उसी में प्रयुक्त पद्य की मिश्रित संस्कृत से प्रायः भिन्न है। इस भाषा में लिखे गए ग्रन्थों के पद्य भाग को गाथा कहते हैं, इसी आधार पर मैक्समूलर, वेबर तथा बर्नफ़ आदि ने इसे गाथा संस्कृत कहा है। इस भाषा को लेकर थोड़ा विवाद भी रहा है। बर्नफ़ इसे स्वाभाविक भाषा मानते हुए, संस्कृत एवं पालि के बीच की कड़ी मानते हैं, किन्तु भाषाशास्त्र की कसौटी पर उनका यह मत खरा नहीं उतरता। यह पालि के बाद की पहली सदी के आसपास की है, और कृत्रिम भाषा है। कीथ, कीलहार्न आदि का कहना है कि जिन ग्रन्थों की यह भाषा है, वे मूलतः किसी प्राकृत में थे। ये ग्रन्थ इनके संस्कृत अनुवाद हैं। मिश्रण का कारण यह है कि अनुवाद करने में मूल के कुछ रूपादि अननुदित रह गए हैं किन्तु ऐसे मत के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

पूरी स्थिति पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह भाषा मूलतः प्राकृत है, और उस पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इस भाषा को कई प्राकृतों, अर्थात् मागधी, पालि आदि से जोड़ने का असफल प्रयास किया गया है। इसकी कुछ बातें एक प्राकृत से मिलती हैं, तो कुछ दूसरी से, और कुछ अन्य किसी से भी नहीं। उदाहरणार्थ पश्चिमोत्तरी प्राकृत की अत्यन्त-अस्, -अम् की -अ या -उ हो जाने की प्रवृत्ति एक ओर इसमें है, तो दूसरी ओर सम्बोधन का -अहो मागधी जैसा है, और तीसरी ओर लोकेस्मिं जैसे रूप हैं, जो कहीं नहीं हैं, और कदाचित् 'लोके' एवं 'लोकस्मिं' जैसे रूपों के मिश्रण हैं। यदि संस्कृत को मूल मानकर इसकी प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अनेक विरोधी बातें मिलती हैं, जैसे अ का आ (चरण > चारण) तथा आ का अ (तथा > तथ)। अ का उ (वर्तति > वृद्धति) भी हो जाता है। ऐ का ए (ऐति > ऐति), ए का ऐ (वेणु > वणु) या दोनों के स्थान पर इ (एन > इना आदि) भी उल्लेख्य हैं। ओ-औ-उ के सम्बन्ध में भी प्रायः यही प्रवृत्ति है: औरस > ओरस, अहो > अहु आदि। व्यंजनों में घोषीकरण (शठ > सह), अघोषीकरण (पद > पत), स्वरभक्ति (रत्न > रतन), श-ष-स का आपसी परिवर्तन (स्थिति > स्थिति, अनुसक्त > अनुषक्त, अनुशक्त आदि) तथा समीकरण (पुद्गल > पुगल) आदि उल्लेख्य हैं। वचन एवं लिंग में काफी अव्यवस्था मिलती है। एक लिंग के स्थान पर दूसरे का प्रयोग या एकवचन का बहुवचन के स्थान पर आना बहुत असामान्य नहीं है। संज्ञा एवं सर्वनामों की विभक्तियों पर अन्य प्राकृतों की तरह एक-दूसरे का प्रभाव पड़ा है। संस्कृत एवं प्राकृतों के क्रिया रूपों में एक बड़ा अन्तर यह था कि संस्कृत में वर्तमान का रूप अन्य रूपों से मूलतः अलग था, किन्तु प्राकृतों में आते-आते अधिकांश रूप वर्तमान के मूल पर आधारित होने लगे थे। इस भाषा में भी यह बात है। उदाहरणार्थ सं० में वर्तमान में इच्छति और भविष्य में एषिष्यति है, किन्तु इसमें इच्छति और इच्छिष्यति। इसी प्रकार संस्कृत में तिष्ठति और स्थास्यति, किन्तु इसमें तिष्ठति, तिष्ठास्यति अथवा सं० में पिबति-पास्यति किन्तु इसमें पिबति-पिबिष्यति आदि। 'मा' जोड़कर नकारार्थक प्रयोग भी इसकी एक बड़ी विशेषता है।

मिश्रित बौद्ध संस्कृत के प्रमुख ग्रन्थ जातकमाला, लंकावतार, दिव्यावदान, अवदान-शतक, ललितविस्तर तथा महावस्तु आदि हैं।

प्राकृत (१-५०० ई०)

मध्यकालीन आर्यभाषा के प्रारम्भ में 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार किया गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि जन-भाषा का संस्कार करके जब उसे 'संस्कृत' संज्ञा से विभूषित किया गया तो, तो वह जन-भाषा, जो उसकी तुलना में असंस्कृत थी, और पंडितों में प्रचलित इस भाषा के विरुद्ध, जो 'प्रकृत' या सामान्य लोगों में बोली जाती थी, सहज ही, 'प्राकृत' नाम की अधिकारिणी बन बैठी।

प्राकृत शब्द के दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में यह ५वीं सदी ई० पू० से १००० ई० तक की भाषा है, जिसमें प्रथम प्राकृत में 'पालि' और 'अभिलेखी प्राकृत' हैं, द्वितीय प्राकृत में भारत एवं भारत के बाहर प्रयुक्त विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक और अन्य प्राकृत हैं, तथा तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश एवं तथाकथित अवहट्ट आती हैं।

द्वितीय प्राकृत के लिए भी 'प्राकृत' नाम का प्रयोग होता है। यहाँ, उपर्युक्त शीर्षक में 'प्राकृत' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। द्वितीय प्राकृत में ऊपर की अवघोष के नाटकों की प्राकृत (पहली सदी), निय प्राकृत (३री सदी), मिश्रित बौद्ध संस्कृत के प्राकृतांश (पहली सदी) एवं प्राकृत धम्मपद (दूसरी सदी) की प्राकृत, इन चार को बहुत से लोगों ने

प्रथम एवं द्वितीय प्राकृत के बीच में या सन्धिकालीन प्राकृत कहा है। किन्तु मेरे विचार में इन्हें भी द्वितीय प्राकृत में ही स्थान देना उचित है। हाँ यह अवश्य है कि आगे हम जिन प्राकृतों पर विचार करेंगे, उनकी तुलना में ये तथाकथित सन्धिकालीन प्राकृतें कुछ पुरानी हैं। इसीलिए यहाँ इनको पहले रखा गया है।

प्राकृतों के भेद—धर्म, साहित्य, भूगोल (पश्चिमोत्तरी, पूर्वी आदि), लिखने का आधार (शिलालेखी, धातुलेखी आदि) आदि कई आधारों पर प्राकृतों के भेद किए जा सकते हैं, और कुछ आधारों पर किए भी गए हैं।

धार्मिक दृष्टि से लोगों ने प्राकृत के पालि (इस पर ऊपर विचार हो चुका है), अर्ध-मागधी, जैन महाराष्ट्री, और जैन शौरसेनी प्रायः ये चार भेद माने हैं। साहित्य की दृष्टि से महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, और पंशाची के नाम लिये गये हैं। नाटक में प्रयोग की दृष्टि से इनमें प्रथम तीन की गणना की गई है। प्राकृत के प्राचीन व्याकरणों में वररुचि उल्लेख्य हैं। इन्होंने महाराष्ट्री, पंशाची, मागधी और शौरसेनी, इन चार का उल्लेख किया है। हेमचन्द्र ने तीन और नाम दिये हैं आर्ष, चूलिका पंशाची और अपभ्रंश। इनमें 'आर्ष' को ही अन्य लोगों ने 'अर्ध मागधी' कहा है। कुछ अन्य व्याकरणों तथा अन्य स्रोतों से कुछ और प्राकृतों के भी नाम मिलते हैं, जैसे बाल्लीकी, शाकारी, टक्की, शावरी, चाण्डाली, आभीरिका, अवन्ती, दाक्षिणात्य, भूत भावा तथा गोड़ी आदि। इनमें प्रथम पाँच मागधी के ही भौगोलिक या जातीय उपभेद थे। आभीरिका शौरसेनी की जातीय (आभीरों की) रूप थी और अवन्ती या अवन्तिका उज्जैन के पास की कदाचित् महाराष्ट्री से प्रभावित शौरसेनी थी। दाक्षिणात्य भी शौरसेनी का एक रूप है। हेमचन्द्र की चूलिका पंशाची को ही दण्डी ने 'भूत भावा' कहा है (गलती से 'पंशाची' का अर्थ 'पिशाच' का या 'भूत' का समझकर)। कुछ लोगों ने लिखा है कि हेमचन्द्र ने 'पंशाची' को ही 'चूलिका पंशाची' कहा है किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हेमचन्द्र ने ये दोनों नाम अलग-अलग दिये हैं। दूसरी पहली की ही एक उपवोली है। गोड़ी का अर्थ है 'गोड़' देश का। इसका आशय यह है कि यह मागधी का ही एक नाम है।

इस प्रसंग में कुछ और नामों पर भी विचार आवश्यक है। प्राकृतों के साथ 'गाथा' का नाम भी लिया जाता है। गाथा की भाषा, प्राकृतों का संस्कृत से प्रभावित रूप है। ऊपर मिश्रित बौद्ध संस्कृत रूप में इसका उल्लेख हो चुका है। इस भाषा का आगे विकास नहीं हो सका। कुछ लोग एक पश्चिमी प्राकृत की भी कल्पना करते हैं, जो सिन्ध में बोली जाती रही होगी, तथा जिससे बाचड अपभ्रंश का विकास हुआ होगा। यह बाचड वर्तमान सिन्धी की जननी है। पंजाबी और लहँदा क्षेत्र में भी उस काल में कोई प्राकृत रही होगी, जिसे कुछ विद्वानों ने केकय प्राकृत कहा है। टक्क या टाक्की और मद्र या माद्री प्राकृत इसी की शाखाएँ थीं। राजस्थानी और गुजराती, शौरसेनी से प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार नागर अपभ्रंश है। वहाँ उस काल में नागर प्राकृत की भी कल्पना कुछ लोगों ने की है। इसी प्रकार पहाड़ी भाषाओं के लिए 'खस' अपभ्रंश की कल्पना की गई है। उसका आधार खस प्राकृत हो सकती है। चम्बल और हिमालय के बीच गंगा के किनारे एक पांचाली प्राकृत का भी उल्लेख किया जाता है।

इस प्रकार प्राकृतों के प्रसंग में लगभग दो दर्जन नामों का उल्लेख मिलता है, किन्तु भाषा-वैज्ञानिक स्तर पर केवल पाँच ही प्रमुख भेद स्वीकार किये जा सकते हैं—(१) शौरसेनी, (२) पंशाची, (३) महाराष्ट्री, (४) अर्धमागधी, (५) मागधी। आगे इन पाँच तथा कुछ अन्योँ पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) शौरसेनी—यह प्राकृत मूलतः मथुरा या शूरसेन के आस-पास की बोली थी।

इसका विकास वहाँ की पालिकालीन स्थानीय बोली से हुआ था। मध्य देश की भाषा होने के कारण इसे कुछ लोग संस्कृत की भाँति उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते हैं। मध्य देश संस्कृत का केन्द्र था, इसी कारण शौरसेनी उससे बहुत प्रभावित है। इस प्रभाव के कारण शौरसेनी में अपेक्षाकृत प्राचीनता है तथा यह कुछ कृत्रिम है। संस्कृत नाटकों की गद्य की भाषा शौरसेनी ही है। कर्पूरमंजरी का गद्य इसी में है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। जैनों (दिगम्बर सम्प्रदाय) ने अपने साम्प्रदायिक ग्रन्थों के लेखन में भी इसका प्रयोग किया है। ऐसे ग्रन्थों की भाषा 'जैन शौरसेनी' या 'दिगम्बर शौरसेनी' कही गई है। यह मूल शौरसेनी से थोड़ी भिन्न है। पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। शौरसेनी के अन्य स्थानीय रूप अवन्ती, आधोरी आदि हैं। शौरसेनी अपने समय की सर्वाधिक आभिजात्य भाषा थी। नाट्यशास्त्र में इसके नाटकों की प्रधान भाषा होने का संकेत मिलता है: 'शौरसैनम् समाश्रित्य भाषा कार्य तु नाटके।' वरहचि ने शौरसेनी प्राकृत का आधार संस्कृत माना है: 'प्रकृतिः संस्कृतम्'। राम शर्मन् के 'प्राकृतकल्पतरु' में 'विरच्यते सम्प्रति शौरसेनी पूर्वैव भाषा प्रकृतिः किलास्याः' रूप में महाराष्ट्री को शौरसेनी का आधार माना गया है। पुरुषोत्तम ने 'प्राकृतानुशासनम्' में दोनों बातों को मिला दिया है: संस्कृता-नुगमनाद् बहुलम् तथा 'त्रेपे महाराष्ट्री' शौरसेनी की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं: (१) असंयुक्त तथा दो स्वरो के बीच में आनेवाला सं० ल् इसमें द् ही गया है और ध् ध् (गच्छति > गच्छदि, कथय > कथोहि)। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। जैसे 'तावत्' से 'ताव' और 'दाव' दो रूप बनते हैं। यहाँ आदि त् का भी द् है। (२) दो स्वरो के बीच की द् ध् ध्वनियाँ प्रायः सुरक्षित हैं (जलदः > जलदो)। (३) भ् का विकास सामान्यतः ष् में हुआ। (इक्षु > इक्खु, कुक्षि > कुक्खि) यह उल्लेख्य है कि महाराष्ट्री में यह च्छ (इक्षु > उच्छु) हो जाता है। (४) ऋ का विकास इ होता है: गृध् > गिद्ध। (५) सयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण की प्रवृत्ति है, किन्तु अर्धमागधी या महाराष्ट्री आदि से कम (कर्तुम् > काद्, उत्सव > उत्सव)। यह भी उल्लेख्य है कि ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्क दीर्घीकरण (अ > आ, उ > ऊ) की प्रवृत्ति है। (६) आदरार्थ आज्ञा के रूप महाराष्ट्री एवं अर्धमागधी की भाँति -एज्ज लगाकर (वट्टेज्ज) नहीं बनते। वे संस्कृत के अनुसार हैं: सं०* वर्तेत > वट्टे। (७) कर्मवाच्य के -य -का -इज्ज - (महाराष्ट्री) नहीं होता अपितु -इअ - (गम्यते) > गमी-आदि, क्रियते > करीअदि हो जाता है। (८) केवल परस्मैपद का प्रयोग मिलता है, आत्मने-पद का प्रायः नहीं। (९) रूपों की दृष्टि से यह कुछ बातों में संस्कृत की ओर झुकी है, जो मध्य देश में रहने का प्रभाव है, किन्तु साथ ही, महाराष्ट्री से भी इससे काफी साम्य है।

डॉ० घोष के अनुसार प्राचीन शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री की जननी है। प्राकृतानुशासन के अनुसार टक्क प्राकृत संस्कृत एवं शौरसेनी का मिश्रित रूप है। मध्यदेश की भाषा होने के कारण शौरसेनी का बड़ा आदर रहा है। राजशेखर ने कहा है—यो मध्ये मध्यदेशं विवसति स कविः सर्वभाषा निषण्णाः।

२. पेशाची—इसके अन्य नाम पेशाचिकी, पेशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूतभाषा भूतवचन, भूत भाषित आदि भी मिलते हैं। अन्तिम तीन नाम 'पेशाच' को 'भूत' का पर्याय समझ लेने के आधार पर रखे हैं। महाभारत में 'पेशाच' जाति का उल्लेख है। ये उत्तर-पश्चिम में कश्मीर के पास थे। ग्रियर्सन इसे वहाँ की 'दरद' से प्रभावित भाषा मानते हैं। हार्नले इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत मानते हैं। पुरुषोत्तम देव ने अपने प्राकृतानुशासन में संस्कृत और शौरसेनी का इसे विकृत रूप माना है। वरहचि इसका आधार संस्कृत मानते हैं। पेशाची में साहित्य नहीं के बराबर है। यों ऐसा अनुमान लगाने के आधार है, कि कभी इसमें काफी

साहित्य था। गुणादय का बृहत्कथा संग्रह 'बृहत्कथा' मूलतः इन्हीं में था। इसके अब केवल दो संस्कृत रूपांतर ही—बृहत्कथामंजरी, कथासरित्सागर—शेष हैं। हम्पीरमंदन तथा कुछ अन्य नाटकों में कुछ पात्रों ने इसका प्रयोग किया है। व्याकरणों आदि में भी इसके कुछ रूप सुरक्षित रह गए हैं, यद्यपि उनमें बहूतों के लेखकों को इसका प्रत्यक्ष ज्ञान शायद नहीं था। इसीलिए उनकी बातें प्रायः एक-दूसरे का विरोध करती हैं। पंशाची का जो कुछ रूप प्राप्त है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पश्चिमोत्तरी प्राकृत से यह बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी। यों इस आधार पर इसे पश्चिमोत्तरी प्राकृत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अपभ्रंश से भी इसका सम्बन्ध सिद्ध होता है। पंशाची के कई भेदों के उल्लेख मिलते हैं। हेमचन्द्र तथा कुछ अन्योंने इसका एक रूप चूलिका पंशाची दिया है। मार्कण्डेय आदि ने इसके कैंकेय, पांचाल और शौरसेम तीन भेद दिये हैं। प्राकृत सर्वस्व में देश तथा जाति के आधार पर इसके ग्यारह भेद दिये गए हैं। लेलेन मागध, ब्राह्मण, पंशाचिक तीन भेद मानते हैं। इन बहुत से भेदों के आधार पर कुछ लोगों का विचार है कि पंशाची केवल अपने स्थान पर ही प्रचलित न होकर चारों ओर निम्न-स्तर के लोगों में प्रचलित भी। मध्यदेश में भी इसके प्रचलित होने की पूरी सम्भावना है। इसी कारण यह अपनी ध्वनि-प्रक्रिया में एक सीमा तक संस्कृत से प्रभावित बात होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं : (१) दो स्वरों के बीच में आने वाले स्पर्श वनों के तीसरे और चौथे शेष स्वयंभूत इसमें क्रमशः पहले और दूसरे अर्थात् अधोष हो गए हैं गगन > गकन, मेघ > मेखो, दामोदर > तामोदर, राजा > राखा। किसी भी भाषा में अधोषीकरण के कुछ उदाहरण तो मिलते हैं, किन्तु ऐसी सामान्य प्रवृत्ति नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में इसका कोई विशेष कारण रहा होगा। मेरे विचार में मूलतः पंशाची किसी ऐसी जाति के लोगों में प्रचलित थी, जिनकी अपनी मूल जायेंतर भाषा में धोष ध्वनियाँ नहीं थीं। इसी कारण अधोष की यह प्रवृत्ति आई। (२) इसके कुछ रूपों में 'ल्' के स्थान पर 'र्' और कुछ में 'र्' के स्थान पर 'ल्' हो जाता है। दोनों का वैकल्पिक-सा प्रयोग है। (स्व > लुद, कुमार > कुमाल, फल > फर। (३) 'ष्' के स्थान पर कहीं तो 'श्' और कहीं 'म्' मिलता है। विषम > विसमो, तिष्ठति > तिश्तदि। (४) अन्य प्राकृतों की तरह स्वरों के बीच में आने वाले स्पर्श इसमें लुप्त नहीं होते। (नगर > नकर)। (५) ल् ध्वनि का ल् में भी विकास मिलता है : जल > जळ, कुल > कुळ, सलिल > सळिल। (६) ण् के स्थान पर न् की भी प्रवृत्ति है : गुण > गुन, गण > गन। किन्तु दूसरी ओर न् से ण् होने का उल्लेख भी मिलता है : अधुना > अधुणा। वस्तुतः जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, वैयाकरणों द्वारा दी गई, ये एक दूसरे की विरोधी बातें बहुत विश्वसनीय नहीं हैं।

(३) महाराष्ट्री या महाराष्ट्री—इन प्राकृतों का मूल स्थान महाराष्ट्र है। जूल ब्लाव ने मराठी का विकास इसी के बोलचाल के रूप में माना है। कुछ लोग इसे केवल महाराष्ट्र तक सीमित न मानकर महाराष्ट्र अर्थात् पूरे भारत की भाषा मानने के पक्ष में हैं। इसी रूप में डॉ० मनमोहन घोष ने इसे शौरसेनी के बाद की माना है। डॉ० सुकुमार सेन का भी लगभग यही मत है। कुछ लोग इसे काव्य की कृत्रिम भाषा मानते रहे हैं, किन्तु अब यह मत निर्मूल सिद्ध हो चुका है। गाढ़ा सतसई (हाल), रावणवहो (रावरसेन) तथा बज्जालग (जयवल्लभ) इसकी अमर कृतियाँ हैं। काव्य-भाषा रूप में इसका प्रचार पूरे उत्तरी भारत में था और इसमें 'गीति', 'खंड' और 'महा', सभी प्रकार के काव्य लिखे गए। कालिदास, हर्ष आदि के नाटकों के गीतों की भाषा यही है। कुछ लोग समझते हैं कि महाराष्ट्री में केवल कविता की रचना हुई, गद्य की नहीं। किन्तु यथार्थतः बात यह नहीं है। श्वेताम्बर जैनियों ने इनमें अपने कुछ धार्मिक गद्य-ग्रन्थ भी लिखे हैं, जिनकी भाषा को याकोबी ने 'जैन महाराष्ट्री' कहा है। इस भाषा पर अर्धमागधी का भी प्रभाव पड़ा है। कुछ बौद्ध ग्रन्थ भी महाराष्ट्री में

मिलते हैं। महाराष्ट्री, प्राकृतों में परिनिष्ठित भाषा मानी गई है। इसीलिए वैयाकरणों ने पहले इसी का का संविस्तार वर्णन किया है, और अन्य प्राकृतों के, केवल इससे अन्तरो का उल्लेख कर दिया है। इसी आधार पर कुछ लोग इसे 'मराठा देश' से सम्बद्ध न मानकर पूरे भारत (महाराष्ट्र) की कहते हैं। एक मत यह है कि 'शक' अपने राज्य को 'महाराष्ट्र' कहते थे। उनके इस महाराष्ट्र के आधार पर ही, इसे पूरे राष्ट्र में बोली जाने के कारण, महाराष्ट्री कहा गया।

प्राकृतकालीन लेखकों ने प्राकृतों की कोमलता की बड़ी प्रशंसा की है। वस्तुतः यह प्रशंसा महाराष्ट्री की ही है। प्रसिद्ध महाराष्ट्री ग्रन्थ वज्जालग में जयवल्लभ कहते हैं :

नलित मधुरवखरए जुवई यण वल्लहे स सिगारे ।
संते पाउव कव्वे की सक्कइ सक्कयं पढिउं ।

(नलित, मधुर, युवतीगण के प्रिय शृङ्गाररसपूर्ण प्राकृत वाक्य के होते संस्कृत कौन पढ़ सकता है?) इस भाषा की कोमलता का रहस्य, इसमें हुए व्यजन-लोप हैं। महाराष्ट्री की कुछ प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : (१) इसमें दो स्वरो के बीच आने वाले अल्पप्राण स्पर्श (क्, त्, प्, द्, श् आदि) प्रायः लुप्त हो गए हैं। प्राकृत > पाउअ, गच्छति > गच्छइ। (२) उसी स्थिति में महाप्राण स्पर्श (ख्, थ्, फ्, ब्, घ्) का केवल 'ह' रह गया है। (क्रोधः > कोहो, कथयति > कहइ, मुख > मुह)। (३) ऊष्म ध्वनियों स, श का प्रायः 'ह' हो गया है (तस्य > ताह, पाषाण > पाहाण)। (४) कर्म वाच्य -य- (गम्यते) का -इज्ज- (गमिज्जइ) बनता है। शौरसेनी में यह -ईअ- था। (५) पूर्वकालिक क्रिया बनाने में 'ऊण' प्रत्यय का प्रयोग होता है। (सं० पृष्ट्वा > पुच्छिऊण)

(४) अर्धमागधी—अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच में है अर्थात् यह प्राचीन कोसल के आसपास की भाषा है। इसमें मागधी की प्रवृत्तियाँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम अर्धमागधी है। जैनियों ने इसके लिए 'आष', 'आर्षी' और 'आदि भाषा' का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग प्रमुखतः जैन साहित्य में हुआ है। गद्य और पद्य दोनों ही इसमें लिखे गए हैं। यों साहित्यिक नाटकों में भी इसका प्रयोग हुआ है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष में मिलता है। साहित्य-दर्पणकार ने इसे चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। मुद्राराक्षस और प्रबोध-चंद्रोदय में भी इसका प्रयोग मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा यही थी, जिनको स्थानीय रूपों में रूपांतरित किया गया था। जैनों द्वारा प्रयुक्त महाराष्ट्री तथा शौरसेनी पर इसका प्रभाव पड़ा है।

प्रमुख विशेषताएँ—(१) ष्, श् के स्थान पर प्रायः स् मिलता है। (श्रावक > सावग, वर्ष > वास)। (२) अनेक स्थलों पर दंत्य ध्वनियाँ मूर्धन्य हो गई हैं। (स्थित—ठिय, कृत्वा—कट्टु) यह प्रवृत्ति अन्य प्राकृतों की तुलना में इसमें अधिक है। (३) चवर्ग के स्थान पर कहीं-कहीं तवर्ग मिलता है। (चिकित्सा—तेइच्छा), (४) इसमें र् और ल् दोनों हैं। (५) क् के श् होने की प्रवृत्ति भी कुछ है : एक > एग। (६) जहाँ कुछ अन्य प्राकृतों में स्वरो के बीच स्पर्श का लोप मिलता है, वहाँ इसमें 'य' श्रुति मिलती है (सागर > सायर, स्थित > ठिय)। (७) गद्य और पद्य की भाषा के रूप में अन्तर है। सं० -अः (प्रथमा एकवचन) के स्थान पर प्रायः गद्य में मागधी की तरह '-ए' का प्रयोग हुआ है, और प्रायः पद्य में शौरसेनी के समान '-ओ' का।

(५) मागधी—मागधी का मूल आधार मगध के आसपास की भाषा है। लासिन महाराष्ट्री एवं मागधी को एक मानते थे। कुछ लोग इसका सम्बन्ध महाराष्ट्री से मानते हैं। बररुचि इसे शौरसेनी से निकली मानते हैं। लंका में 'पालि' को ही 'मागधी' कहते हैं। मागधी में कोई

स्वतन्त्र रचना नहीं मिलती। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष में मिलता है। इसे 'गौड़ी' भी कहते हैं। बाल्लीकी, टक्की, शाबरी तथा चांडाली इसके जातीय रूप थे। शाकारी इसकी उपबोली थी। इसमें अन्य सभी प्राकृतों से अधिक विकास हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—(१) इसमें स, ष, के स्थान पर 'श' मिलता है। (सप्त > सत्, पुरुष > पुलिश)। (२) इसमें 'र का' सर्वत्र 'ल' हो जाता है। (राजा > लाजा)। (३) 'स्थ' और 'र्थ' के स्थान पर 'स्त' मिलता है। (उपस्थित > उवस्थित, अर्थवती > अस्तवती)। (४) कहीं-कहीं ज का य हो जाता है। (जानाति > याणादि जायते > यायदे)। इसका कारण संघर्ष का आधिपत्य है। (५) ऐसे संयुक्त व्यंजनों में, जिनमें प्रथम ध्वनि ऊष्म हो, समीकरण आदि परिवर्तन अन्य प्राकृतों की तरह प्रायः नहीं होते। (हस्त > हृशत)। (६) प्रथम एकवचन में संस्कृत -अः के स्थान पर यहाँ -ए मिलता है। (देव > देवे, सः > से)

(६) प्राच्या—पुरुषोत्तम ने 'प्राकृतानुशासन' (१०वाँ अध्याय) में इसका उल्लेख किया है। यह शौरसेनी से मिलती-जुलती है, इसीलिए उन्होंने इसकी कुछ बातें बतलाकर 'शेषे शौरसेनी' कह दिया है। उसमें 'भवति' का 'भोदी' बनता है, तथा निम्नवर्ग के लोगों को सम्बोधित करने में -आ (हीन संबुद्धाव वात्) विभक्ति लगती है। 'वक' का 'वंकुड' (वक् वंकुडश्च) उसकी एक अन्य विशेषता है।

(७) शाकारी—इसे मागधी की एक उपबोली माना गया है; शाकारी विभाषा-विशेषो मागध्याः। उसमें स्पर्शसंघर्षण बहुत अधिक था, इसीलिए च के स्थान पर च् बोलते थे। य्चभिश् चकार भाषायाम्। स्वार्थे प्रत्यय-क का प्रयोग इसमें बहुत अधिक होता था। लोप, आगम, विकार सभी का बाहुल्य था।

(८) चांडाली—यह मागधी का विकृत रूप थी—चांडाली मागधी-विकृतिः। इसमें ग्राम्य प्रयोगों का बाहुल्य था—ग्राम्योक्तयो बहुलम्। -अः का -ओ या -ए तथा -स्मिन् का -स्मि हो जाता था।

(९) शाबरी—यह भी मागधी का एक रूप थी। वृणा आदि अर्थ में संबोधन में इसमें -क विभक्ति लंगाई जाती थी : का सम्बुद्धी नित्यम् अगौरवे ।-अः का-ओ-ए या-इ ही जाता था।

(१०) आवन्ती—इसमें महारष्ट्री एवं शौरसेनी की प्रकृतियों का मिश्रण या ड्र का ड्र या ड्र (द्वे रेफलोपो वा) : 'भवति' का 'हो', 'होइ'; 'तव' का 'तुहु'; 'मम' का 'महु' आदि इसकी कुछ विशेषताएँ हैं।

(११) टक्की या टक्कदेशी—यह संस्कृत और शौरसेनी का मिश्रित रूप थी। इसे हरिश्चन्द्र ने अपभ्रंश का एक रूप माना है। इसमें उ का आधिक्य था—उद् बहुलम्। त्वम् का तुहु तथा अहं का हम मिलता है। 'यथा तथोर जिघ तिघी' अर्थात् इसमें 'यथा' का 'जिघ' और 'तथा' का 'तिघ' हो गया था।

(१२) कंकैय पंशाचिका—इसे संस्कृत मिश्रित शौरसेनी का भ्रष्ट रूप कहा गया है। इसमें अधोषीकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप से थी। स्पष्ट ही इसकी सम्बन्ध पंशाची से है। ण् का न्, स्वर-भक्ति, लोप, ऋ > इ आदि इसकी अन्य विशेषताएँ हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं : गृह > किहक, हृदय > हितय, पिव > इव, वयम् > वप्के। य > ष इसमें विचित्र परिवर्तन है।

(१३) शौरसेन पंशाचिका—इस पंशाची बोली में र का ल्, स्, ष, का स्; क्ष तथा

छ् का श् तथा ष् (क्षस्य इकः, च्छस्य रचः); त् का श्; तथा -अः का -ओ अथवा -अ हो जाता था।

(१४) पांचाल पेशाचिका—यह कंकेय तथा शौरसेन से विशेष अलग नहीं थी। इसमें ल् का र् हो जाता था।

(१५) चूलिका पेशाचिका—र् का ल् तथा अधोपीकरण ही इसकी उल्लेख्य बातें हैं।

प्राकृत भाषाओं की कुछ सामान्य विशेषताएँ—(१) ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएँ पालि के पर्याप्त निकट हैं। इनमें भी पालि की तरह ह्रस्व ए और ओ और ऌ, ड्ह का प्रयोग चलता रहा। ऐ, औ, ऋ, लृ का प्रयोग नहीं हुआ। ऋ का प्रयोग लिखने में तो हुआ, किन्तु भाषा में यह ध्वनि थी नहीं। वे ध्वनि-विशेषताएँ जो पालि से प्राकृत को अलग करती हैं, इस प्रकार हैं: प्राकृत ध्वनियाँ हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, एँ, ऐ, ओ, ओ, क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, त्, थ्, द्, ध्, न्, प्, फ्, ब्, भ्, म्, य्, र्, ल्, व्, वृ, श्, ष्, स्, ह्, ऌ, ड्ह, ङ्, ङ्। देश के बाहर मिलने वाले प्राकृतों में ज्, ज् ध्वनियाँ भी थीं। कुछ समय के लिए अन्य व्यंजनों के संघर्षी रूप भी थे। (क) ऊँ में पालि 'सु' का प्रयोग था। प्राकृत में पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में श्, प्, स् तीनों ही कुछ काल तक थे। बाद में 'ष्' ध्वनि 'श' में परिवर्तित हो गई। नीय प्राकृत में भी तीनों ऊँ मिलते हैं। मागधी में केवल 'श' है। अन्य बहुतों में पालि की तरह प्रायः केवल 'सु' (जैसे अर्धमागधी में) मिलता है और कुछ में श्, प् दोनों ही (पेशाची)। (ख) य्, र्, ल् के प्रयोग के सम्बन्ध में भी कुछ विशेषताएँ हैं। मागधी में 'र्' ध्वनि नहीं है। उसके स्थान पर 'ल्' मिलता है। कुछ अन्य में कभी-कभी 'र्' के स्थान पर 'ल्' और कभी 'ल्' के स्थान पर 'र्' मिलता है। आद्य 'य्' सामान्यतः 'ज्' होता देखा जाता है, किन्तु मागधी में 'ज्' का 'य्' होना भी पाया जाता है। (ग) सबसे विचित्र बात है कुछ ऐसे संघर्षी व्यंजनों का प्रयोग जो प्रायः भारतीय भाषाओं में केवल आधुनिक काल में प्रयुक्त माने जाते हैं, जैसे 'ज', 'ग' आदि। नीय प्राकृत में 'ज' एवं 'ज' ध्वनियाँ हैं। यद्यपि यह बाहरी प्रभावों के कारण है, किन्तु ऐसा मानने के लिए आधार है कि दूसरी-तीसरी सदी के लगभग प्राकृतों में सामान्य रूप से बहुत से स्पर्शों का स्वरूप कुछ दिन के लिए परिवर्तन के संक्रान्ति-काल में संघर्षी हो गया था, यद्यपि इन संघर्षी ध्वनियों के लिए उस काल में अलग लिपिचिह्नों का प्रयोग नहीं किया गया। ये स्पर्श घोष (ग्, घ्, द् आदि) थे। देखिए नीचे '४'। (२) प्राकृतों में 'न' का विकास प्रायः 'ण' रूप में हुआ है। (३) पालि-काल में जिन ध्वनि-परिवर्तन की प्रवृत्तियों (समीकरण, लोप, स्वरभक्ति आदि) का प्रारम्भ हुआ था, इस काल में वे और सक्रिय हो गईं। ध्वनि-परिवर्तन सबसे अधिक महाराष्ट्री तथा मागधी में हुए। (४) ध्वनियों के विकास के कुछ विशेष रूप भी इस काल में दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि वे सार्वभौम होकर प्रायः क्षेत्रीय अधिक हैं: (क) स्वरमध्यग अधोष अल्पप्राण स्पर्श का घोष : मूकः > मूगो, लेष्ट् > लेड्डु। इसका कारण है व्यंजन के दोनों ओर के घोष स्वरों का प्रभाव। (ख) स्वरमध्यग घोष और अधोष अल्पप्राण स्पर्श का लोप : इन दोनों का लोप हुआ एक ही तरह, किन्तु उनकी लोप की सीढ़ियों में कुछ अन्तर है। घोष व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण-सौकर्य के कारण शिथिलता आई और शिथिलता के कारण पूर्ण स्पर्श अपूर्ण स्पर्श हुआ और फिर स्पर्श पूर्णतः समाप्त हो गया और अपूर्ण स्पर्श संघर्षी हो गए और अन्त में व्यंजनत्व समाप्त हो गया, केवल उनका स्वर रह गया। जैसे सागर > *सागर > साअर (बाद में उच्चारण-सुविधा के लिए इसमें य-श्रुति आ गई और यह अर्धमागधी आदि में 'सागर' हो गया। गज > *गज > गअ; मदन >

*मदन > मअण । अघोष ध्वनियों पहले घोष हुईं और फिर उपर्युक्त ढंग से उनका भी लोप हुआ । जैसे काक > *काग > *काग > काअ; वचन > *वजन > *वजन > वअण । २री सदी ई० पू० के आसपास घोषीकरण की प्रवृत्ति आई । फिर प्रायः ३०० वर्षों बाद संघर्षी होते लोप की प्रवृत्ति आई । संक्षेप में अघोष > घोष > अपूर्ण स्पर्श > संघर्षी > लोप । (ग) महाप्राण > हः इसमें भी पहले संघर्षी ध्वनि (शिथिलता के कारण) आई, फिर और शिथिलता के कारण स्पर्श-अंग और हट गए तथा ध्वनि का स्थान ह् ने ले लिया : भवति > *भोति > होति । अघोष अल्पप्राण ध्वनियों पहले घोष हुईं, फिर संघर्षी और फिर हः मुख > *मुष > *मुष > मुह; कथा > *कधा > *कधा > कहा । यह उल्लेख्य है कि जब ये ध्वनियाँ संघर्षी बोली जा रही थीं, तो लिपि में चिह्न न होने के कारण लिखने में असंघर्षी ही थीं । म् का व्, य् का अ, तथा व् का अ भी शिथिलता के कारण ही हुआ है । म्-व् के बीच भी संघर्षी की स्थिति है । कुछ उदाहरण हैं : श्याम > साँव, जीव > जीअ, नयन > णअण, यमुना > जउँणा । (५) प्राकृतों में व्यंजनान्त शब्द प्रायः नहीं हैं । (६) द्विवचन के रूपों का प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदि में) प्राकृतों में नहीं मिलता । 'नीय' प्राकृत अपवाद है जिसमें कुछ द्विवचन के रूप हैं । (७) आत्मपदाने पालि की तरह ही प्राकृतों में भी प्रायः नहीं के बराबर हैं । (८) पालि में वैदिकी की भाँति रूप बहुत थे, किन्तु कम हो रहे थे । प्राकृत-काल तक आते-आते सादृश्य के कारण नाम और धातु, दोनों ही रूपों में ओर भी कमी हुई । इस प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई । (९) वैदिकी और संस्कृत संयोगात्मक भाषाएँ थीं । पालि में भी यह विशेषता सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत-काल में भाषा अयोगात्मकता या वियोगात्मकता की ओर तेजी से बढ़ने लगी । भाषा में वियोगात्मकता प्रमुखतः दो कारणों से आती है—(क) कारक-चिह्नों या परसर्गों के प्रयोग से, (ख) क्रिया में कृदन्ती रूपों एवं सहायक क्रिया के प्रयोग से । प्राकृतों में कृदन्ती रूपों का प्रयोग आरम्भ हो गया । कारक-रचना में स्वतंत्र शब्द जोड़े जाने लगे जो आधुनिक काल में आकार परसर्ग बने (जैसे संस्कृत 'रामस्य गृहम्' के स्थान पर 'रामस्स केरक घरम्' आदि) । (१०) कर्तृ और कर्म वाच्य का अन्तर मूलरूप (stem) तक सीमित रह गया । (११) कालों में लिट् (Perfect), एक दो उदाहरणों को छोड़कर, प्रायः समाप्त हो गया । लड् (Imperfect) और लुड् (Aorist) एक में मिल गए, किन्तु मिलकर भी बहुत दिन तक टिक न सके और अपभ्रंश तक आते-आते समाप्त हो गए । (१२) संस्कृत की तुलना में, शब्दों में, अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन हुए । धातु के अर्थ शब्दों में पूर्णतः सुरक्षित न रह सके । (१३) संगीतात्मक स्वराघात समाप्त-सा हो गया और बलात्मक स्वराघात कुछ उभर आया । (१४) प्राकृतों में अधिकांश शब्द तद्भव हैं । इनमें उन शब्दों के भी तद्भव हैं जो आस्ट्रिक या द्रविड़ आदि से संस्कृत में लिये गए थे । साथ ही इस काल तक आते-आते आर्य-भाषा में अनुकरण या अन्य आधारों पर बने बहुत से देशज शब्दों का भी विकास हो गया था । संस्कृत के माध्यम ने या सीधे, कुछ ग्रीक, ईरानी, तुर्की एवं अरबी शब्द भी प्रयुक्त होने लगे थे । जैसे ग्रीक खलीन, सुरंग तथा ईरानी शाह, लिपि, दिपि, नमदक आदि । तुर्क और कतक शब्द कदाचित् तुर्की के हैं । 'ताजक' अरबी है । नीय प्राकृत में विदेशी शब्दों की संख्या डेढ़ सौ के लगभग है । ये शब्द ईरानी और कोरेनी के हैं ।

तृतीय प्राकृत

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश भाषा आती है । तथाकथित अबहट्ट, जो अपभ्रंश एवं आधुनिक आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी है, एक

सन्धिकालीन भाषा है, अतः तृतीय प्राकृत की अन्तिम सीमा पर उसे भी रख सकते हैं।
अपभ्रंश

द्वितीय प्राकृत-काल की जनभाषाओं पर तत्कालीन साहित्यिक प्राकृत आधारित थीं, किन्तु साहित्य में आ जाने के कारण उनका जन-स्तर पर विकास नहीं हुआ। जन-स्तर पर जनभाषा ही विकसित होती रही। प्राकृत-कालीन जनभाषा का यही विकसित रूप मोटे रूप से ५०० ई० से १००० ई० के बीच अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश को अवहंस आदि कई अन्य नामों से भी अभिहित किया जाता है, जैसा कि आगे दिया गया है। इनके अतिरिक्त ग्रामीण भाषा, देसी, देसी भाषा, आभीरोक्ति, आभीरी आदि नामों से भी अपभ्रंश पुकारी जाती रही है।

नाम—अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि (१५० ई० पू० के लगभग) के 'महाभाष्य' में मिलता है। यों भर्तृहरि (५वीं सदी) के 'वाक्यपदीय' (काण्ड १, कारिका १४८ का वार्तिक) से पता चलता है कि 'व्याडि' नाम के संग्रहकार ने भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। एक 'व्याडि' का उल्लेख महाभाष्यकार (कीलहान संस्करण, भाग १, नृष्ठ ६) ने भी किया है। इसका आशय है कि ये 'व्याडि' महाभाष्यकार पतंजलि से पहले हुए थे। ऐसी स्थिति में यदि 'वाक्यपदीय' और 'महाभाष्य' के व्याडि एक हों तो अपभ्रंश शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय 'व्याडि' को दिया जा सकता है। व्याडि और पतंजलि (एकस्यैव शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः) में इस शब्द के प्रयोग तो हैं, किन्तु उनमें इसका अर्थ, 'भाषा विशेष' न होकर, तत्सम शब्द का 'तद्भव' या 'विकृत' रूप है। आगे भरत (३री सदी) ने अपने नाट्यशास्त्र में इसी अर्थ में 'विभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया। भरत (१७-४९, ५०) ने मागधी, अवन्ती, प्राच्या आदि सात भाषाओं एवं उनकी कई जातीय या स्थानीय बोलियों का उल्लेख किया है, किन्तु इनमें अपभ्रंश का नाम नहीं है। संकेत यह है कि ३री सदी के लगभग तक विकृत शब्दों को 'अपभ्रंश' या 'विभ्रष्ट' आदि कहा तो जाता था, किन्तु किसी भाषा के अर्थ में इस प्रकार का कोई शब्द प्रयोग में नहीं था। लगता है कि आगे चलकर इस प्रकार के 'अपभ्रंश' शब्दों (ऐसे शब्द जो संस्कृत, प्राकृत की तुलना में भी अपभ्रंश थे) के अधिक प्रयोग के कारण ही वह भाषा भी अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कही जाने लगी और स्वयं ये नाम भी अपभ्रंशित होकर अवहंस, अवहंस या अवहत्थ, अवहट्ट, अवहट्ठ, अवहठ, अवहट्ट एवं ओहट्ट आदि रूपों में उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगे।

समय—ऊपर यह कहा जा चुका है कि अपभ्रंश का काल मोटे रूप से ५०० ई० से १००० ई० तक है। यों कुछ लोगों ने ६०० से ११०० तक या कभी-कभी १२०० तक भी इसका समय माना है। कुछ दूसरों ने और आगे बढ़कर ७वीं सदी से १३वीं तक भी इसे माना है। मेरे मन में काफ़ी पहले से यह प्रश्न उठता रहा है कि अनेक प्राकृत वैयाकरणों तथा अन्यो ने अन्य प्राकृतों के साथ ही अपभ्रंश को भी गिनाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपभ्रंश भी अन्य प्राकृतों की समकालिक रही हो। इधर डा० नुकुमार सेन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ

१. पतंजलि कहते हैं: 'भूयांसऽपशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा। गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपभ्रंशाः। अर्थात्, शब्द थोड़े हैं और अपशब्द बहुत। एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश हैं, जैसे 'गो' शब्द के गावी, गोवी, गोता, गोपोतलिका आदि। (पस्पशाह्निक)

२. सक्कय पायउ अवहंसउ—पुष्पदन्त; कुवल्लयमाला कहा; अवहत्थे विरवल यणु—स्वयंभू आदि।

'A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan' के नए संस्करण में अपभ्रंश का काल १ ई० से ६०० ई० माना है। ऐसी स्थिति में इसके काल-निर्धारण की समस्या भी विचारणीय है। भाषा के अर्थ में 'अपभ्रंश' शब्द का प्रथम प्रयोग 'चण्ड' का (प्राकृत लक्षणम् ३, ३७) माना जाता है। इनका काल लगभग छठी सदी है। जिस रूप में चण्ड ने इसका प्रयोग किया है (न लोपोऽभ्रंशो रेफस्य), उससे यह अनुमान लगता है कि उस काल तक भाषा के रूप में 'अपभ्रंश' नाम पर्याप्त प्रचलन पा चुका था। भामह ने इसी सदी में 'अपभ्रंश' को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा कहा (संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा—काव्यालंकार १, १६, २८)। वलभी के राजा द्वितीय धरसेन के इसी सदी के एक ताबलेख में 'संस्कृतप्राकृतापभ्रंशभाषात्रयप्रतिबद्धप्रबन्धरचना निपुणान्तकरणः' में भी इसका नाम आता है। इससे भी उसी बात का संकेत मिलता है। इसका आशय यह हुआ कि मोटे रूप से ५०० ई० के बहुत बाद अपभ्रंश का जन्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि छठी सदी में यह स्वीकृत काव्यभाषा बन चुकी थी। और भाषा जन्मते ही काव्यभाषा नहीं बन जाती। जन्म के बाद काव्यभाषा स्वीकृत होने में सौ-पचास साल लग ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉ० उदयनारायण तिवारी (हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, २रा सं०, पृ० ६०) द्वारा दिया गया (६०० ई०) या डॉ० नामवर सिंह द्वारा (हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, १९६१, पृ० २८१) उल्लिखित (सातवीं सदी) समय स्वीकार नहीं किये जा सकते। इन लोगों की मान्यताएँ उपर्युक्त उद्धरणों के साथ मेल नहीं खातीं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या ५०० ई० से बहुत पहले अपभ्रंश का जन्म माना जा सकता है, जैसा कि डॉ० सेन ने किया है। इस सम्बन्ध में दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कि ऊपर के वलभी-नरेश या भामह के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि संस्कृत और प्राकृत के बाद ही अपभ्रंश का क्रम आता है। साहित्यिक प्राकृतों का जन्म पहली सदी के आसपास हुआ तथा उनका साहित्य में प्रयोग दूसरी सदी के लगभग से माना जा सकता है। भाषा में इतना अधिक परिवर्तन आने में, कि वह दूसरे नाम की अधिकारिणी बन सके, कम-से-कम चार-पाँच सौ साल दो लगेंगे ही। इसके अतिरिक्त साहित्य की दृष्टि से अपभ्रंश-अंशों का प्रथम दर्शन कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' में होता है। इसे याकोबी तथा स० प० पण्डित अप्रामाणिक मानते हैं, किन्तु डॉ० उपाध्ये एवं डॉ० तगारे आदि प्रामाणिक मानते हैं। यदि अप्रामाणिक मानें तो इन अपभ्रंश-अंशों का काल और इधर खिसक आता है और प्रामाणिक मानने पर भी पहली सदी के पास इसका रचनाकाल नहीं पहुँचता। इस प्रकार पहली-दूसरी सदी के निकट की कोई अपभ्रंश-रचना हमें नहीं मिली है। ये दोनों बातें पहली सदी या उसके आसपास अपभ्रंश का जन्म मानने में बाधक सिद्ध होती हैं। अतः सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपभ्रंश का जन्म ५०० ई० के आसपास मानना ही अधिक समीचीन ज्ञात होता है। जहाँ अपभ्रंश की उत्तर सीमा का प्रश्न है, उसे मोटे रूप से १००० ई० के पास ही मानना होगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भाषा जन्मते ही साहित्य में प्रयुक्त नहीं होती। उसे मान्यता मिलने में समय लग जाता है और पुरानी हिन्दी की अब तक प्राप्त प्राचीनतम प्रामाणिक रचना ११वीं सदी की राउलनेल (रोडा कृत) है। ऐसी स्थिति में हिन्दी का जन्म १००० के आसपास ही माना जा सकता है, उसके बहुत बाद नहीं। लगभग सभी आधुनिक आर्यभाषाओं की यही स्थिति है। यह बात दूसरी है कि उसके बहुत बाद तक अपभ्रंश या तथाकथित अवहट्ट में ग्रन्थ लिखे जाते रहे, इसी प्रकार, जैसे इस सदी में भी संस्कृत में नाटक एवं काव्य-ग्रन्थ लिखे गए हैं। निष्कर्षतः अपभ्रंश का काल लगभग ५०० से १००० तक ही मानना उचित है।

अपभ्रंश की बोलियाँ—इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व अपभ्रंश का क्षेत्र विचारणीय है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उकारबहुला भाषा का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिमी भारत से

जोड़ा है। इसका आशय यह है कि अपभ्रंश की उकार की प्रवृत्ति उस समय सामने आने लगी थी (यह प्रवृत्ति कुछ प्राकृतों में भी है) और वह सिन्धु-सौवीर, हिमालय के पास थी। लगभग १२०० वर्ष बाद राजशेखर ने अपने काव्य-मीमांसा में टक्क, भादानक, मरुभूमि (अर्थात् टक्क=विपाशा-सिन्धु के बीच; भादानक=न० ल० दे के अनुसार भागलपुर के पास भदरिया; मेरे अपने विचार में यह नंगल (पंजाब) के पास का सतलुजी तट पर स्थित 'भदरी' है जहाँ बैसाखी का प्रसिद्ध मेला लगता है; मरुभूमि=राजस्थान), राजस्थान, पंजाब आदि को अपभ्रंश का क्षेत्र माना है। सम्भवतः उनका आशय पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश से है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि अपभ्रंश की प्रारम्भिक विशेषताएँ पश्चिमोत्तर प्रदेश में ही विकसित हुईं। कौथ आदि कई विद्वानों ने अपभ्रंश का सम्बन्ध मूलतः आभीरों, गुजरो आदि से माना है। यों जो रचनाएँ मिली हैं, उनको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः पूरे आर्यभाषा-भाषी भारत [मुल्तान (अब्दुर्रहमान), बिहार-बंगाल (सरहपा, शबरपा), अवध (स्वयंभू), गुजरात (हेमचन्द्र)] में इसका क्षेत्र था (यद्यपि साहित्य में प्रयुक्त परिनिष्ठित अपभ्रंश (शौरसेनी अपभ्रंश) का सम्बन्ध मुख्यतः मध्यप्रदेश से था) तथा इस रूप में अपभ्रंश प्राकृतों एवं आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी थी। इस पृष्ठभूमि में अपभ्रंश की बोलियों पर विचार किया जा सकता है। अपभ्रंश के भेदों के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों तथा अर्वाचीन विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विष्णुधर्मोत्तरकार के अनुसार तो स्थान-भेद के आधार पर अपभ्रंश के भेदों का अन्त ही नहीं है, अर्थात् अपभ्रंश के अनन्त भेद हैं।^१ ह्रट के 'काम्यालंकार' (२. १२) के टीकाकार नमिसामु (१०वीं सदी) ने अपभ्रंश के उपनागर, आभीर और ग्राम्य तीन भेद माने हैं। मार्कण्डेय ने अपने 'प्राकृत-सर्वस्व' में अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राह्मण तीन भेद किये हैं।^२ 'प्राकृत-सर्वस्व' से यह भी पता चलता है कि उस समय कुछ लोग अपभ्रंश के २७ भेद^३ भी मानते थे। इनके अतिरिक्त अपभ्रंश के व्याकरण पर प्रकाश डालने वाले आचार्यों ने भी ध्वनि या रूप विषयक विशेषताओं का उल्लेख करते समय कई अपभ्रंशों के नाम लिए हैं। उदाहरणार्थ, पुरुषोत्तम ने अपने 'प्राकृतानुशासन' में नागर, ब्राह्मण, उपनागर, पंचाल, बंबर्षी, लाटी, ओड़ी, कंकेयी, गौड़ी, टक्क, बर्बर, कुन्तल, पांड्य तथा सिंहल आदि का उल्लेख किया है। आधुनिक विद्वानों में इस दृष्टि से प्रथम नाम डॉ० याकोबी का लिया जा सकता है। इन्होंने 'सनत्कुमार चरित' (भूमिका, पृ० XXIII, Munchen, १९२१) में अपभ्रंश के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी चार भेद किये हैं। दूसरा उल्लेख्य नाम डॉ० तगारे (Historical Grammer of Apbhraṅsha, पृ० १५-२०, १९५५) का है। इन्होंने इस प्रश्न पर कुछ विस्तार से विचार किया है और याकोबी के उत्तरी अपभ्रंश का खंडन करते हुए केवल तीन अपभ्रंशों (पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी) की ही

१. अपभ्रंशं तृतीयं च तदनन्तं नराधिप ।

देशभाषा विशेषेण तस्यान्तो नेह विद्यते ॥ (३.३) अपभ्रंश काव्यत्रयी (गायकवाड़ सिरीज सं० ३७, बड़ौदा, १९२७), पृ० ९६ पर उद्धृत ।

२. स चान्यैरूपनागराभीरग्राम्यत्वभेदेन त्रिवोक्तस्तत्रिरासाथंमुक्त भूरि भेद इति ।

३. नागरो ब्राह्मणोपनागरश्चेति ते त्रयः ।

अपभ्रंशः परे सूक्ष्मभेदत्वात् पृथङ्मता ॥७॥

४. ब्राह्मणो लाटवैदर्भाविपनागरनागरो बार्बरावन्त्यपांचालटाक्कमालवकेकयाः । गौडोड वैवपाश्चात्यपांड्यकौन्तल सिंहला । कलिग्यप्राच्यकार्णाटिकाचंद्राविडगीर्जराः । आभीरो मध्यदेशीयः सूक्ष्म भेदव्यवस्थिताः सप्तविंशत्यपभ्रंशाः वैतालादि प्रभेदताः । (प्राकृत-सर्वस्व, २)

सत्ता स्वीकार की है। डॉ० नाम सिंह ने 'हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग' नामक पुस्तक (पृ० ५०-५७) में इस प्रश्न को उठाया है और डॉ० तगारे के दक्षिणी भेद को व्यर्थ सिद्ध करते हुए अपभ्रंश के केवल दो क्षेत्रीय भेदों—पूर्वी और पश्चिमी—को मान्यता दी है।

पूरी समस्या पर विचार करने पर लगता है कि दो प्रश्नों को एक में मिला दिया गया है। एक प्रश्न तो यह है कि प्राकृत और आधुनिक आर्यभाषा-काल के बीच में अपभ्रंश के कितने भेद देश में प्रचलित थे, और दूसरा प्रश्न यह है कि साहित्य में कितने अपभ्रंशों का प्रयोग हुआ है। जहाँ तक साहित्य में अपभ्रंश के प्रयोग का प्रश्न है, प्रायः विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि कुछ स्थानीय प्रभावों के साथ एक परिनिष्ठित अपभ्रंश का ही प्रयोग हुआ है। यह परिनिष्ठित अपभ्रंश पश्चिमी मालवा, गुजरात और राजस्थान की अपभ्रंश है। अर्थात्, साहित्य में अपभ्रंश के सभी भेदों का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मात्र अपभ्रंश-साहित्य के विश्लेषण के आधार पर निश्चय ही अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय भेदों का पता नहीं चल सकता। यही कारण है कि मात्र साहित्य को अपनी दृष्टि में रखने पर अपभ्रंश के दो-तीन भेद ही दिखाई पड़ते हैं, किन्तु भारत में आर्यभाषा के विकास को यदि हम अपने सामने रखें तो इस प्रकार की मान्यताएँ सत्य से बहुत दूर दिखाई पड़ती हैं।

प्रो० आन्वै मिये तथा अन्य विद्वानों के अध्ययन के आधार पर यह अब एक प्रायः सर्वस्वीकृत मान्यता है कि वैदिकी में ही आर्येतर प्रभाव तथा विकास के कारण भाषा के तीन क्षेत्रीय भेदों (पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी) के बीज पड़ चुके थे। यह स्थिति ८वीं सदी ई० पू० के लगभग की है। आगे चलकर संस्कृत में ये तीनों भेद और स्पष्ट हो चुके थे और बोलचाल में कदाचित् एक दक्षिणी भेद की भी नींव पड़ चुकी थी। और आगे चलने पर पालि-काल में भी ये स्थानीय रूप लोकभाषा में पनपते रह, यद्यपि पालि साहित्य के आधार पर उसके केवल ऐतिहासिक भेद का ही अनुमान लगता है, भौगोलिक का नहीं। ३री सदी ई० पू० के लगभग शिलालेखी प्राकृत का प्रयोग मिलता है। इसका अध्ययन-विश्लेषण फ्रैंक, सेनार्ट, गुणे, महेन्द्राले आदि अनेक विद्वानों ने किया है और उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्राकृत के उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी, ये तीन रूप तो स्पष्ट थे। यों दक्षिण और मध्यवर्ती दो अन्य भेदों की भी सम्भावनाएँ हैं। प्राकृत-काल में आकर प्राकृत के शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, इन चार का तो हम सर्वस्वीकृत भेद पाते हैं, किन्तु साथ ही पंजाब-सिन्धु आदि की भाषा के लिए पंशाची या केकय की कल्पना भी पूर्णतः निराधार नहीं कही जा सकती। इसका आशय यह हुआ कि वैदिक संस्कृत से भेदों का प्रारम्भ हुआ और विकास होते-होते अपभ्रंश के जन्म के पूर्व उसके ४-५ क्षेत्रीय रूप अवश्य थे। अब थोड़ी देर के लिए अपभ्रंश को छोड़कर यदि आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को ले लिया जाए तो इनके कम से कम सात-आठ—'बंगला असमिया-उडिया-बिहारी', 'पूर्वी हिन्दी', 'पश्चिमी हिन्दी', 'पहाड़ी', 'राजस्थानी-गुजराती', 'सिन्धी', 'पंजाबी-सहैदी', 'महाराष्ट्री'—स्पष्ट और पूर्णतः भिन्न रूप हैं जिन्हें सरलतापूर्वक और अधिक क्षेत्रीय भेदों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि इन नामों से स्पष्ट है। अब प्रश्न उठाया जा सकता है कि चार प्राकृतों और आठ आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बीच में, क्या कड़ी के रूप में काम करने वाले, केवल दो या तीन ही अपभ्रंश-रूप हो सकते हैं? प्राकृत के चार या पाँच भेदों के अपभ्रंश-काल में एक हो जाने का न तो कोई कारण है और न इसकी सम्भावना ही है। ऐसी स्थिति में अपभ्रंश के भेदों की संख्या निश्चय ही चार (प्राकृत) से अधिक होगी। डॉ० ग्रियर्सन ने भाषा-सर्वेक्षण के भूमिका भाग में हर आधुनिक भाषा के लिए एक अपभ्रंश का संकेत किया था। यदि उस सीमा तक न भी जाया जाए तो कम से कम हर स्पष्टतः भिन्न भाषा या भाषा-वर्ग के लिए तो एक अपभ्रंश-रूप मानना ही होगा। यह किसी भी स्थिति में नहीं माना

जा सकता कि १००० ई० के आसपास अपभ्रंश का केवल एक पश्चिमी रूप था और २-३ सौ वर्षों में ही १२-१३ सौ ई० के लगभग उस एक रूप से ही सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, खड़ीबोली और मराठी जैसे अधिकांशतः भिन्न रूप विकसित हो गए। भाषा के इतिहास में ऐसा होना इन सामान्य स्थितियों में सर्वथा असम्भव है। यही बात पूर्वी अपभ्रंश के बारे में भी कही जा सकती है। इन सारी बातों को देखते हुए शौरसेनी (पश्चिमी हिन्दी, पहाड़ी, राजस्थानी, गुजराती), महाराष्ट्री (मराठी), अर्द्धमागधी (पूर्वी हिन्दी), मागधी (बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया), टक्क-केकय (पंजाबी, लहँदा) और प्राचड या पंशाची (सिन्धी) इन छह अपभ्रंशों (या अपभ्रंशों के क्षेत्रीय भेदों) का अस्तित्व तो हमें मानना ही पड़ेगा। केवल अपभ्रंश के साहित्य को देखकर उपयुक्त भेदों को झुठलाना उसी प्रकार है, जैसे आज मिथिला से राजस्थान तक खड़ीबोली में साहित्य रचा जा रहा है और दो-चार सदियों के बाद इस क्षेत्र के साहित्य को देखकर कोई यह कह दे कि २०वीं सदी में मिथिला से राजस्थान तक भाषा का केवल एक रूप ही थोड़े अन्तरों के साथ प्रचलित था।

यहाँ तक अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों पर विचार किया जा रहा था। डॉ० चटर्जी, डॉ० सेन आदि सभी आधुनिक विद्वानों ने अपभ्रंश के ऐतिहासिक भेदों का भी उल्लेख किया है और प्राचीन या पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा अप्रसरीभूत या उत्तर अपभ्रंश को 'अवहट्ट' कहा है। इस बात का विचार करने के पूर्व इस भाषा के विभिन्न नामों पर विचार आवश्यक है। 'अपभ्रंश' भाषा का अधिक प्रचलित नाम 'अपभ्रंश' ही रहा है, लेकिन बाद के लेखकों ने 'अपभ्रंश' शब्द के विकसित या अपभ्रष्ट रूप अवहंस या अवहंस का भी इस भाषा के नाम के रूप में प्रयोग किया है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (अपभ्रष्ट तृतीय च तदनन्तं नराधिप ३, ३) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों में इस भाषा का नाम 'अपभ्रष्ट' भी मिलता है। 'अपभ्रंश' शब्द के विकसित रूपों की तरह ही 'अपभ्रष्ट' के विकसित या विकृत या अपभ्रष्ट रूप अवहत्थ, अवहट्ट, अवहट्ठ, अवहठ, अवहट, औहट आदि का भी अपभ्रंश भाषा के नाम के रूप में प्रयोग हुआ है। इसका आशय है कि ये सारे शब्द एक प्रकार से समानार्थी रहे हैं। किसी ने भी 'अशभ्रंश' या 'अपभ्रष्ट' का प्रयोग अपभ्रंश के प्राचीन रूप के लिए तथा 'अवहट्ट' या 'अवहट्ट' आदि अन्य नामों का प्रयोग अशभ्रंश के अन्तिम रूप के लिए नहीं किया है। अद्दहमाण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति या वंशीधर आदि सभी परवर्ती लेखकों के इस प्रसंग में उद्धृत किए जाने वाले प्रयोगों से भी यह स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में नामों के प्रयोग के आधार पर उत्तर अपभ्रंश को 'अवहट्ट' या इस प्रकार का कोई और अलग नाम बहुत उचित नहीं लगता। इस प्रसंग में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि परवर्ती लेखकों ने 'अवहट्ट' शब्द का ही प्रयोग किया है, अतः परवर्ती भाषा के लिए यह संज्ञा उचित है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। १२वीं सदी के उक्ति-व्यक्ति-प्रकरणकार दामोदर पंडित ने तत्कालीन बोलचाल की भाषा को 'अपभ्रंश' ही (उक्तावभ्रंश भाषिते) कहा है, अवहट्ट या अवहट्ट आदि नहीं। इसके अतिरिक्त इस प्रसंग में जिन लेखकों का नाम 'अवहट्ट' नाम के प्रयोक्ता के रूप में प्रायः लिया जाता है, उनमें भी इस दृष्टि में मतैक्य नहीं है। अद्दहमाण (१२वीं सदी) इसे 'अवहट्ट' (अवहट्टय सक्य पाइयमि) कहते हैं, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर (१४वीं सदी) 'वर्णरत्नाकर' में इसे 'अवहठ' (पराकृत अवहठ, पृ० ४४, कलकत्ता, १९४०) की संज्ञा देते हैं। 'प्राकृतपैगलम' के एक टीकाकार वंशीधर (१६वीं सदी) इसे 'अवहट्ट' कहते हैं, तो दूसरे टीकाकार रविकर (उपनाम श्रीपति) इसके लिए 'अपभ्रंश' और 'अपभ्रष्ट' का प्रयोग करते हैं। विद्यापति (१४वीं सदी) ने इसे 'अवहट्ट' कहा है (तंसन जंपञो अवहट्टा—कीतिलता)। इसका आशय मात्र यह है कि परवर्ती काल में 'अपभ्रष्ट' के कई अपभ्रष्ट रूपों (अवहट्ट, अवहठ, अवहट्ट) तथा 'अपभ्रंश' का तत्कालीन भाषा के नाम

के रूप में प्रयोग हुआ है। इससे यह निष्कर्ष किसी प्रकार भी नहीं निकाला जा सकता कि उस काल की अपभ्रंश के लिए मात्र 'अवहट्ट' नाम का ही प्रचलन था।

एक बात और। उपर्युक्त प्रयोग साहित्यिक थे, अतः उन्हें बहुत सतक प्रयोग नहीं माना जा सकता। वैयाकरणों की बात लें। पुरुषोत्तम या हेमचन्द्र ने जब अपने व्याकरण लिखे तो तथाकथित 'अवहट्ट' थी, किन्तु उन लोगों ने अनेकानेक अन्य नाम लिए, किन्तु 'अवहट्ट' या 'अवहट्ट' का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझी। सन्धि-कालीन या परवर्ती अपभ्रंश का वर्णन केवल एक ही वैयाकरण ने किया है, और वे हैं संक्षिप्तसारकार। डॉ० सेन आदि विद्वानों ने इसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि उनका वर्णन परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट का है, किन्तु उन्होंने भी इस भाषा को अवहट्ट आदि न कहकर अपभ्रंश ही कहा है। इसका अर्थ यह है कि पहले कभी भी अपभ्रंश के परवर्ती भाग के लिए कोई विशेष नाम नहीं प्रचलित था। यों अपभ्रंश को सामान्यतः अपभ्रंश ही कहते थे, किन्तु साथ ही अवहट्ट आदि भी उसके समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होते थे (१४वीं सदी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्णरत्नाकर में एक भाट को संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, पेशाची, शौरसेनी, मागधी इन छह भाषाओं का तत्त्वज्ञ कहा है। स्पष्ट ही यहाँ 'अवहट्ट' शब्द अपभ्रंश के लिए लाया है)। ऐसी स्थिति में 'अपभ्रंश' को 'पुरानी अपभ्रंश' का वाचक तथा उसी के पर्यायवत् प्रयुक्त शब्द 'अवहट्ट' या 'अवहट्ट' को परवर्ती अपभ्रंश का वाचक मानने का भेरे विचार में कोई औचित्य नहीं है।

इन सारी बातों के अतिरिक्त क्या परवर्ती अपभ्रंश के लिए सचमुच किसी अलग नाम की आवश्यकता है? एक भाषा से निकलने वाली हर दूसरी भाषा किसी एक क्षण में नहीं उत्पन्न होती। दो भाषाओं के बीच में संक्रांति-काल होता ही है। वैदिकी और संस्कृत, संस्कृत और पालि, पालि और प्राकृत, प्राकृत और अपभ्रंश के बीच का संक्रांति-काल किसी भी रूप में अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय धार्मिक भाषाओं के बीच के संक्रांति-काल से भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं है कि उन संक्रांति-कालीन भाषाओं को छोड़कर इस संक्रांति-कालीन भाषा को एक अलग नाम दिया जाय। इस प्रकार की संक्रांति-कालीन भाषाओं को नाम देना प्रारम्भ किया जाय तो इनकी कोई सीमा न होगी। अपभ्रंश और अवहट्ट के बीच भी एक संक्रांति-काल होगा और इसी प्रकार अवहट्ट और आधुनिक भाषाओं के बीच में भी। और फिर उनके बीच भी। इसके अतिरिक्त संक्रांति-कालीन भाषा-रूप को एक अलग नाम देना कहां तक वैज्ञानिक है? ऐसा करने से उसके एक अलग भाषा होने का भ्रम होता है, जब कि वह स्वतन्त्र भाषा न होकर संक्रांति-कालीन भाषा, अर्थात् दो भाषाओं का मिलन-क्षेत्र है। और यों तो हर क्षण भाषा परिवर्तित होती रही है।

उपर्युक्त कथन के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक यह नहीं कहना चाहता कि 'अवहट्ट' शब्द या नाम का 'परवर्ती अपभ्रंश' के लिए प्रयोग बन्द कर दिया जाय। एक बार चल पड़ी परम्परा लाख गलत होने पर भी चलती ही रहती है। मैं केवल यह संकेत करना चाहता था कि बिना विशेष वैज्ञानिक आधार, औचित्य या आवश्यकता के यह नाम चल पड़ा है और चलती का नाम गाड़ी है।

अपभ्रंश की बोलियाँ और आधुनिक भाषाओं से उनका सम्बन्ध

ऊपर अपभ्रंश के भौगोलिक रूपों, भेदों या बोलियों का उल्लेख किया गया है। आज की आर्यभाषाओं की जननी के रूप में निर्मांकित अपभ्रंश-बोलियाँ उल्लेख्य हैं—

अपभ्रंश-बोलियाँ

१. शौरसेनी

उन्से निकलनेवाली आधुनिक भाषाएँ

(क) पश्चिमी हिन्दी

(ख) इस अपभ्रंश के नागर रूप से—

- (अ) राजस्थानी
(ब) गुजराती
(ग) इस अपभ्रंश के पहाड़ी भागों में स्थित रूप से—पहाड़ी
२. पंशाची या केकय टक्क
- (क) लहँदा
(ख) पंजाबी (इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव है)
३. ब्राचड सिन्धी
४. महाराष्ट्री मराठी
५. अर्धमागधी पूर्वी हिन्दी
६. मागधी
- (क) विहारी
(ख) बंगाली
(ग) उडिया
(घ) असमिया

पहाड़ी भाषाओं (नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली आदि) के लिए डॉ० चटर्जी ने खस अपभ्रंश की कल्पना की थी। किन्तु मेरे विचार में ये भी शौरसेनी से ही (शौरसेनी के उस रूप से जो पहाड़ी भागों में प्रचलित था, यदि चाहें तो उसे अपभ्रंश बोली शौरसेनी की खस उपबोली कह सकते हैं) निकली है। 'पूर्वी हिन्दी' का सम्बन्ध डॉ० सक्सेना अर्धमागधी से नहीं मानते। उनके विचार में यह अपभ्रंश पाली के अधिक निकट है, किन्तु मेरे विचार में उस अपभ्रंश को, जिससे पूर्वी हिन्दी निकली है, अर्धमागधी कहना ही उचित है। पीछे महाराष्ट्री प्राकृत पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि महाराष्ट्री केवल महाराष्ट्र की प्राकृत न होकर पूरे आर्य क्षेत्र में काव्य में प्रचलित थी। यहाँ, जिस महाराष्ट्री अपभ्रंश का उल्लेख है, वह वह अपभ्रंश है जो अपभ्रंश-काल में महाराष्ट्र में प्रयुक्त होती थी। इस अपभ्रंश का सम्बन्ध उस प्राकृत से है जो प्राकृत-काल में महाराष्ट्र की जनभाषा थी। यह आवश्यक नहीं कि वह प्राकृत, काव्यभाषा महाराष्ट्री प्राकृत से सभी बातों में समान रही हो, यद्यपि दोनों का नाम एक है। ऊपर शौरसेनी अपभ्रंश के उपरूप नागर अपभ्रंश से राजस्थानी एवं गुजराती का सम्बन्ध माना गया है। यह शौरसेनी अपभ्रंश का दक्षिणी-पश्चिमी रूप था। अपभ्रंश की इस उपबोली को कभी-कभी सौराष्ट्री अपभ्रंश भी कहते हैं। पंशाची के स्थान पर कुछ लोग केकय का प्रयोग करते हैं। खस को बरब नाम से भी पुकारा गया है। कुछ लोगों ने पंशाची या केकय से ही सिन्धी, पंजाबी एवं लहँदा तीनों को सम्बद्ध किया है किन्तु कुछ 'ब्राचड' से सिन्धी का विकास मानते हैं।

पालि-काल में गुजरात में जो रूप बोला जाता था, दूसरी सदी ई० पू० में वहाँ से जाने वालों के साथ श्रीलंका पहुँचा। प्राकृत-काल में वह सिहली प्राकृत या एलू प्राकृत (सिहली के आदि रूप को एलू कहते हैं) था। अपभ्रंश-काल में उसे सिहली अपभ्रंश या एलू अपभ्रंश कह सकते हैं।

अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रूप

शौरसेनी अपभ्रंश शौरसेनी प्राकृत से विकसित यह अपभ्रंश उत्तर में पहाड़ी बोलियों के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग, र। स्थान एवं गुजरात में बोली जाती थी। इसी का परिनिष्ठित रूप तत्कालीन आर्यभाषी पूर भारत की भाषा थी। अपभ्रंश साहित्य में इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसे पश्चिमी

अपभ्रंश, नागरक अपभ्रंश, नागरिकाया नागर अपभ्रंश भी कहते हैं। कभी-कभी नागरक अपभ्रंश का प्रयोग शौरसेनी अपभ्रंश के गुजरात में प्रयुक्त रूप के लिए भी हुआ है। परमात्मप्रकाश, योगसार, पाहुड़ दोहा, सावयधम्म दोहा, भविस्सयत्तकहा, उपदेश-तरंगिणी, सनत्कुमारचरित तथा कुमारपाल-प्रतिबोध आदि इसकी प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं—(१) प्राकृत-कल्पतरु के अनुसार इसका आधार महाराष्ट्री एवं शौरसेनी प्राकृत है। (२) उसी के अनुसार इसमें असंयुक्त, अनादि क्, ख, त्, थ्, क्रमशः ष्, ष्, द्, ध् हो जाते थे : नाक् > गाक्, तुक् > मुक्, पतिनु > पदिद्, शोय > सोधु। किन्तु 'सकल' जैसे कुछ शब्द महाराष्ट्री प्राकृत की तरह सबल आदि हो जाते हैं : (३) प्राकृतानुशासन के अनुसार श्, ष् का स् हो जाता था : शोय > सोधु। (४) अंत्य स्वर ह्रस्व हो गया था—संध्या > साँझ। (५) स्वर-संयोग के बीच य्, व्, ह् का आगम हो जाता था। (६) स्वरमध्यग -म्- कभी-कभी -व्- हो जाता था तथा परवर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता था : कमल > कवँल। (७) अंत्य -अ, -इ, -उ कभी-कभी अनुनासिक हो जाते थे। (८) आदि अल्प-प्राण स्वर्णों का अनेक शब्दों में महाप्राणीकरण हो गया था। (९) -ई का स्त्री प्रत्यय तथा -आ का पुल्लिङ्ग प्रत्यय के रूप में विकास हो चुका था। (१०) -डा, -डी, -उल्ल, -उल्लि, -अ आदि कई स्वर्ण प्रत्यय प्रयुक्त होते थे। (११) अकारांत पूं० प्रथमा एक० -अहः का -ओ (कभी-कभी -ए) तो मिलता ही है, साथ ही -उ एवं -अ भी मिलता है। देवः > देवो > देवु > देव। नपुं० -अं तो था ही, पुल्लिङ्ग के प्रभाव से नपुं० में -उ, -अ भी मिलता है। (१२) कुछ सर्वनामों में रूपों का आधिक्य है। समवेत रूप से रूप कम हो गए। (१३) वर्तमानकालिक कृदंत का प्रयोग तीनों कालों के लिए हो सकता था। कृदंत का प्रयोग बढ़ गया था। (१४) क्रिया-रूप कम हो गए थे।

(ख) ब्राह्म अपभ्रंश—पुरुषोत्तम के प्राकृतानुशासन के अनुसार इसमें ष्, स् का स्; त्, थ् का अस्पष्ट उच्चारण, तथा चवर्ग का तालव्यीकरण हो गया था। इसका स्थान सिध के आसपास था।

(ग) उपनागरक अपभ्रंश—इसके अन्तर्गत पुरुषोत्तम ने बंदर्भी, लाटी, औड़ी, कँकेयी, गौडी, बँबरी, कौतल, पांडय तथा सिंहली का उल्लेख किया है। इनमें कँकेयी में प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, औड़ी में इ, ओ के अधिक प्रयोग, लाटी में सम्बोधन के रूपों का आधिक्य, तथा बँदर्भी में -उल्ल प्रत्यययुक्त शब्दों के आधिक्य का उल्लेख है। टक्की को हरिश्चन्द्र ने अपभ्रंश के अन्तर्गत रखा है, यद्यपि पुरुषोत्तम इसे प्राकृत मानते हैं।

(घ) दक्षिणी अपभ्रंश—इसका सम्बन्ध महाराष्ट्री क्षेत्र से था। इसकी साहित्यिक कृतियाँ पुष्पदन्त का महापुराण तथा कनकामर करकंडचरित आदि हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं : (१) अन्य अपभ्रंशों में ष् का ख् या बख् हो जाता है, किन्तु इसमें छ्। (२) अकारांत पुल्लिङ्ग का एकवचन तृतीया पश्चिमी में -एँ होता है, किन्तु इसमें एण। अर्थात् इसमें इस दृष्टि से विकास कम हुआ है। (३) वर्तमान (उत्तमपुरुष एकवचन) में भी वही प्राचीनता दृष्टिगत होती है : पश्चिमी में -उँ, जबकि इसमें -मि। अन्यपुरुष बहुवचन में -न्ति (पश्चिमी में -हि)।

बहुत से लोग दक्षिणी अपभ्रंश का साहित्य में अस्तित्व नहीं मानते।

(ङ) पूर्वी अपभ्रंश—बंगाल, विहार, आसाम, उड़ीसा इसका क्षेत्र था। सरहपा और कण्हापा के दोहे इसी में हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं : (१) क्ष् > ख्, क्ख् (क्षण = खण, अक्षर = अक्खर)। (२) व् > ब् (वेद > वेअ)। (३) श् सुरक्षित है तथा स्, ष् दोनों ही श् हो गए हैं। (४) प्रारम्भ में महाप्राण प्रायः नहीं है। (५) अनेक संज्ञाएँ विना विभक्ति के प्रयुक्त

हुई हैं। (६) लिंग का बन्धन कम हो गया है। (७) क्रियायुक्त भाषा-इव से बनती थी, न कि पश्चिमी की तरह-अण से।

अपभ्रंश की सामान्य विशेषताएँ—(१) इसमें निम्नांकित ध्वनियाँ थीं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, र, ल, व, व, स, ह, ठ, ढ, ह, म्ह, न्ह, प्ह, ल्ह, र्ह, ङ्ह। एं, ओं के लिए स्वतंत्र चिह्न न होने से, इनके लिए प्रायः इ, उ का व्यवहार होता था। 'अ' का पूर्वी तथा पश्चिमी अपभ्रंशों में संवृत-विवृत का भेद था। ऋ का लिखने में प्रयोग था, किन्तु उसका उच्चारण रि होता था। श का प्रचार केवल मागधी (सम्भवतः पूर्वी मागधी) में था। ऌ महाराष्ट्री में तो था ही, साथ ही उड़ीसा में बोली जाने वाली मागधी अपभ्रंश एवं गुजरात, राजस्थान, बांगड़, पहाड़ी में बोली जाने वाली औरसेनी में भी था। इन क्षेत्रों में अब भी यह ध्वनि है। ऌह भी कहीं-कहीं था। म्ह आदि महाप्राण थे। (२) स्वरों का अनुनासिक रूप (ऋ का नहीं) प्रयुक्त होने लगा था। (३) संगीतात्मक स्वराघात समाप्त हो चुका था। बलात्मक स्वराघात विकसित हो चुका था। (४) अपभ्रंश एक उकार-बहुला भाषा थी। यों तो 'ललितविस्तर' तथा 'प्राकृत धम्मपद' आदि ग्रन्थों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु वहाँ यह प्रवृत्ति अपने बीज रूप में है। अपभ्रंश में यह बहुत अधिक है जहाँ से यह ब्रजभाषा या अवधी आदि को मिली है (जैसे एक्कु, कारणु, पियामु, अंगु, मूलु और जगु आदि)। (५) ध्वनि-परिवर्तन की दृष्टि से जो प्रवृत्तियाँ (लोप, आगम, विपर्यय आदि) पालि में शुरू होकर प्राकृत में विकसित हुई थीं, उन्हीं का यहाँ आकर और विकास हो गया। (६) शब्द के अन्तिम स्वर के ह्रस्व होने की प्रवृत्ति प्राकृत में भी थी, किन्तु अपभ्रंश में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बढ़ गई। अपभ्रंश की ध्वन्यात्मक विशेषताओं में प्रमुख होने के कारण यह उल्लेख्य है। अन्त्य स्वर का यह ह्रस्वीकरण या कभी-कभी लोप स्वराघात के कारण हुआ है। जिस अन्तिम स्वर पर स्वराघात होगा, उसका लोप या ह्रस्व रूप नहीं होता, किन्तु जिस पर स्वराघात नहीं होता, उस पर बल कम होता जाता है। इस प्रकार उसका रूप ह्रस्व हो जाता है, या और आगे बढ़कर वह समाप्त भी हो जाता है। सं० गन्धिणी, प्रा० गन्धिणी, अप० गन्धिणि; सं० कीटक, प्रा० कीडज, अप० कीड। इन शब्दों में प्राकृत की तुलना में ह्रस्व या लोप दिखाई पड़ता है। संस्कृत की तुलना में तो यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में और भी मिलती है, जैसे हरीडइ (हरीतकी), संक्ष (सन्ध्या), वरजात्त (वरयात्रा) आदि। (७) अपभ्रंश में स्वराघात प्रायः आद्यक्षर पर था, इसीलिए आद्यक्षर तथा उसका स्वर यहाँ प्रायः सुरक्षित मिलता है। जैसे माणिक्य-माणिकक; घोटक-घोडज, या घोडा आदि (संस्कृत की तुलना में)। प्राकृत की तुलना में छाहा (सं० छाया) से छाआ, आमलज (सं० आमलक) से आवैलज आदि हैं। (८) म का व (प्रा० आमलज, अप० आवैलज, कमल-कर्वैल); व का व (वचन-वअण); ण का न्ह (कृष्ण-कान्ह); क्ष का क्ख या च्छ (पक्षी-पक्खी, पच्छी); स्म का म्ह (अस्मै-अम्ह); य का ज (युगल—जुगल); ड, द, न, र के स्थान पर 'ल' (प्रदीप्त—पलित आदि) आदि रूप में ध्वनि-विकास की बहुत-सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। (९) (विशेषतः परवर्ती अपभ्रंश में) समीकरण के कारण उत्पन्न द्वित्वता में एक व्यंजन बच गया है और पूर्ववर्ती स्वर में क्षति-पूरक-दीर्घीकरण हो गया है। सं० तस्य, प्रा० तस्स, अप० तामु; कस्य, कस्स, कामु; कम्म, कामु)। (१०) पालि, प्राकृत में विकास तो हुआ था, किन्तु सब कुछ ले-देकर वे संस्कृत की प्रवृत्ति से अलग नहीं थीं। अपभ्रंश पूर्णतः अलग हो गई और वह प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर अधिक झुकी है। (११) भाषा में धातु और नाम दोनों के रूप कम हो गए इस प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई। (१२) वैदिकी, संस्कृत, पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ थीं। प्राकृत में वियोगात्मकता या अयोगात्मकता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे, किन्तु अपभ्रंश में आकर ये लक्षण प्रमुख हो गए, इतने प्रमुख कि

संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषाओं के सन्धिस्यल पर खड़ी अपभ्रंश भाषा वियोगात्मकता की ओर ही अधिक झुकी है। यह बात आगे की दोनों बातों से स्पष्ट हो जायगी (१३) संज्ञा, सर्वनाम से कारक के रूप के लिए संयोगात्मक भाषाओं में केवल विभक्तियुक्त लगी हैं जो जुड़ी होती हैं, किन्तु वियोगात्मक में अलग से शब्द लगाने पड़ते हैं जो अलग रहते हैं। हिन्दी में ते, को, में, से आदि ऐसे ही अलग शब्द हैं। प्राकृत में इस तरह के दो-तीन शब्द मिलते हैं, किन्तु अपभ्रंश में बहुत से कारकों के लिए अलग शब्द मिलते हैं। जैसे करण के लिए करहूँ, तणः सम्प्रदान के लिए कहि, रेसि; अपादान के लिए थिउ, होन्त; सम्बन्ध के लिए केरअ, कर, का; और अधिकरण के लिए महुँ, मज्ज आदि। (१४) ऊपर नाम-रूप के काल-रूपों के बारे में भी यही स्थिति है। संयोगात्मक भाषाओं में तिङ् प्रत्यय के योग से काल और क्रियार्थकीरचना होती है। वियोगात्मक में सहायक क्रिया के सहारे कृदन्ती रूपों से ये बातें प्रकट की जाती हैं। इस प्रकार की वियोगात्मक प्रवृत्तियाँ प्राकृत में अपनी झलक दिखाती लगी थीं, किन्तु अब ये बातें बहुत स्पष्ट हो गईं। संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा। तिङ्न्त रूप कम रह गए। (१५) नपुंसकलिंग समाप्तप्राय हो गया (महाराष्ट्रीय एवं दक्षिण गौरसेनी अपवाद थीं)। (१६) अकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिकों की प्रमुखता हो गई। अन्य प्रकार के थोड़े-बहुत प्रातिपदिक थे भी तो उन पर इसी के नियम प्रायः लागू होते थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में एकरूपता आ गई। (१७) कारकों के रूप बहुत कम हो गए। संस्कृत में एक शब्द के लगभग २४ रूप होते थे, प्राकृत में उनकी संख्या लगभग १२ रह गई थी, अपभ्रंश में लगभग ६ रूप रह गए : दो वचनों और ३ कारकों (१. कर्ता, कर्म, सम्बोधन; २. करण अधिकरण; ३. सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध) के। (१८) स्वाधिक प्रत्यय -ड का प्रयोग अधिक होने लगा। राजस्थानी आदि में यही -ड, -ड़ी, -डिया आदि रूपों में मिलता है। (१९) वाक्य में शब्दों के स्थान निश्चित हो गए। (२०) अपभ्रंश के शब्द-भण्डार की प्रमुख विशेषताएं हैं—(क) तद्भव शब्दों का अनुपात अपभ्रंश में सर्वाधिक है। (ख) दूसरा नम्बर देशज शब्दों का है। क्रियाओं में भी ये शब्द पर्याप्त हैं। ध्वनि और दृश्य के आधार पर बने नये शब्द भी अपभ्रंश में काफी हैं। (ग) तत्सम शब्द अपभ्रंश के पूर्वार्द्ध-काल में तो बहुत ही कम हैं, किन्तु उत्तरार्द्ध में उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। (घ) इस समय तक बाहर से भारत का पर्याप्त सम्पर्क हो गया था, इसी कारण उत्तरकालीन अपभ्रंश में कुछ विदेशी शब्द भी आ गए हैं, जैसे ठट्ठा (फ्रा० तत्त), ठक्कुर (तुर्की तेगिन), नीक, तुक, तहसील, नौबत, हुद्दादार (फ्रा० ओहूदादार) आदि। (ङ) आस्ट्रिक एवं द्रविड़ के अनेक शब्द तो आत्मसात् ही कर लिए गए थे।

अवहट्ट या अवहट्ट— जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अवहट्ट अपभ्रंश, और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। बाल्क यों कहना अधिक उचित होगा कि यह अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं की संधिकालीन भाषा है। अपभ्रंश मोटे रूप से १००० ई० के लगभग समाप्त हुई और आधुनिक भाषाओं का आरम्भ हुआ। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि लगभग ९०० से ११०० ई० या कुछ बाद तक की भाषा में अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाओं का बहुत अधिक मिश्रण रहा होगा। ९०० से प्रायः १००० ई० तक अपभ्रंश के अंश अधिक रहे होंगे और आधुनिक भाषाओं के अंश कम, किन्तु १००० ई० से ११०० या कुछ बाद तक अपभ्रंश के अंश धीरे-धीरे कम होते गए और आधुनिक भाषाओं के अंश बढ़ते गए। यों तो उसके बाद भी लगभग १३-१४वीं सदी तक कुछ-न-कुछ अपभ्रंश-अंश मिलते हैं, किन्तु वे बहुत कम हो गए हैं। तो इस प्रकार संधिकालीन अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा मोटे रूप से ९०० ई० से ११०० ई० या कुछ बाद तक है। यों साहित्य में इसका प्रयोग १४वीं सदी तक होता रहा है। साहित्यिक अवहट्ट का मूल रूप कदाचित् परिनिष्ठित पश्चिमी अपभ्रंश था, किन्तु जो ग्रन्थ जहाँ रचा गया, वहाँ की भाषा का भी कुछ प्रभाव उस

पर पड़ा था। यों साहित्यिक दृष्टि से इसके पूर्वी और पश्चिमी दो ही रूप हैं, किन्तु बोलचाल में सभी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के मूल में अवहट्ट के एक-एक भौगोलिक रूप की कल्पना की जा सकती है। अवहट्ट साहित्य में प्रमुखतः संनेहरासक, उक्ति-व्यक्तिप्रकरण, वर्णरत्नाकर तथा कीर्तिलता आदि हैं। कुछ लोग ज्ञानेश्वरी, राउलवेलि आदि को भी इसके अन्तर्गत रखते हैं। वस्तुतः इनमें कई रचनाओं में कुछ अंश अपभ्रंश के नजदीक हैं, तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के। इस प्रसंग में वेसिल बनना या देशी को लेकर कुछ विवाद है। डॉ० हीरालाल जैन तथा डॉ० बाबूराम सक्सेना अवहट्ट तथा देशी को एक मानते हैं, किन्तु ब्लॉख, पिशेल आदि दोनों को अलग-अलग मानते हैं। वस्तुतः देशी या ऐसी शब्द का प्रयोग समय-समय पर प्राकृत एवं अपभ्रंश के लिए होता रहा है और अवहट्ट जब ब्रौली जा रही थी तो उसके लिए भी इसका प्रयोग हुआ। इस प्रकार अवहट्ट-काल में देशी का प्रयोग उसी के लिए हुआ है, किसी अन्य के लिए नहीं। अवहट्ट का प्रमुख विशेषताएँ ये हैं: (१) अवहट्ट में वे सभी ध्वनियाँ थीं जो अपभ्रंश में थीं। साथ ही उनके अतिरिक्त ऐ, औ दो नई ध्वनियों का विकास हो गया। पुराने अइ का विकास ऐ (भुजपति > भुववइ > भुवर्व) में, तथा अउ का विकास औ (चतुःहाटक > चउहट्ट > चौहट्ट) में हुआ। ह्रस्व ए, औ का प्रयोग कम हो गया। ऋ का प्रयोग लेखन में है, किन्तु उच्चारण में यह रि थी। व्यंजन वे ही थे जो अपभ्रंश में थे। अन्तर केवल कुछ दृष्टियों से आया। संस्कृत के तत्सम शब्दों के आने पर श् ध्वनि का प्रसार और क्षेत्रों में भी कुछ हुआ। ष केवल लेखन तक ही प्रायः सीमित था। उच्चारण में यह श् ही था। र्ह (मिल्ह—संदेशरासक), म्ह (बाम्हण—उक्तिव्यक्ति), न्ह (ऊन्ह—उक्तिव्यक्ति), र्ह ध्वनियाँ भी थीं। (२) स्वर-संयोगों के मिलकर एक हो जाने की सामान्य प्रवृत्ति मिलती है। इसे स्वर-संकोचन (Vowel contraction) कहा गया है: मयूर > मऊर > मोर; अन्धकार > अन्धआर > अन्धार; चतुर्विंशति > चउबिस > चौबिस। (३) अकारण अनुनासिकता (Spontaneous nasalization) भी मिलती है:—अश्रु > अस्सु > अँसू, आँसू। (४) क्षतिपूरक दीर्घीकरण (Compensatory lengthening)—इसमें व्यंजन-द्वित्व के स्थल पर एक व्यंजन हो जाता है, अतः उस व्यंजन की अनुपस्थिति के कारण हुई मात्रिक क्षति की पूर्ति के लिए पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। उदाहरणार्थं तुर्की तेगिन > ठक्कुर > ठाकुर; कायं > कज्ज > काज; कमं > कम्म > काम; मित्र > मित्त > मीत; उच्छ्वास > उस्सास > ऊसास। इसके अपवाद भी मिलते हैं: अप्पण > अपन। (५) अंत्य -ए, -ओ ह्रस्व होकर -इ, -उ हो गए: पर: > परो > परु; क्षणे > खणे > खणि। (६) स्वरमध्यग -म- प्रायः -व- मिलता है: सम- > संव। पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है। (७) अकारांत प्रथमा एकवचन (पुल्लिग) का -अ: तथा नपुंसकलिंग -अस्, इन दोनों ही के स्थान पर -उ या -अ मिलता है। वस्तुतः हुआ यह कि पुल्लिग -अ: का -ओ और -ओ का -उ हो गया। इस पुल्लिग का ही प्रभाव नपुंसकलिंग पर पड़ा और वह भी -उ हो गया। अन्त में -उ निर्वल होकर -अ रह गया। (८) पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग में भी काफ़ी रूप समान हो गए। (९) एह, जेह, केह जैसे नए सर्वनाम प्रयोग में आने लगे। (१०) संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा। (११) परम्परा रूप से तद्भव शब्द अधिक प्रयोग में आते रहे। हिन्दू धर्म के प्रति पुनर्जागरण के कारण तत्सम शब्द भी काफ़ी प्रयुक्त होने लगे। मुसलमानों के आने के कारण अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द भी काफ़ी आ गए। अवहट्ट साहित्य में प्रयुक्त कुछ विदेशी शब्द कुरुवक (कोरवेग), देमान (दीवान), तकतान (तस्त), तथ्य (तश्त), पोजा (ख़ाजा), आदि हैं। देशी शब्दों की संख्या भी पर्याप्त थी, जैसे गुंडा (= गोली), हचड़ (= कीचड़), धांगड़ (= जंगली), धाड़ा (= धावा) आदि।

आधुनिक आर्यभाषा

अपभ्रंश के विभिन्न स्थानीय रूप १००० ई० के आसपास अवहट्ट रूपों से होते आधुनिक भाषाओं के रूप में विकसित हो गए। आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—(१) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में प्रमुखतः वही ध्वनियाँ हैं जो प्राकृत, अपभ्रंश आदि में थीं। किन्तु कुछ विशेषताएँ भी हैं—(क) पंजाबी आदि में उदासीन स्वर 'अ' भी प्रयुक्त होने लगा है। अवधी आदि में जपित या अघोष स्वरों का प्रयोग होता है। गुजराती में मर्मर स्वर का विकास हो गया है। प्राकृत-अपभ्रंश में केवल मूल स्वर थे, किन्तु अवहट्ट में ऐ, औ विकसित हो गए थे। कई आधुनिक भाषाओं में इनका प्रयोग होता है, यद्यपि कुछ बोलियों में केवल मूल स्वरों का प्रयोग हो रहा है, संयुक्त स्वरों का नहीं। (ख) 'ऋ' का प्रयोग तत्सम शब्दों में लिखने में चल रहा है, किन्तु बोलने में यह स्वर न रहकर 'र' के साथ इ या उ स्वर का योग रह गया है। उत्तरी भारत में इसका उच्चारण 'रि' है और गुजराती आदि में 'रु'। (ग) व्यंजनों में, जहाँ तक ऊष्मों का प्रश्न है, लिखने में तो प्रयोग स, ष, श तीनों का हो रहा है, किन्तु उच्चारण में स, श दो ही हैं। 'प' भी 'श' रूप में उच्चरित होता है। चवर्ग के उच्चारण में आधुनिक काल में एकरूपता नहीं है। हिन्दी में ये ध्वनियाँ स्पर्श-संघर्षी हैं, किन्तु मराठी में इनका एक उच्चारण त्स (च), द्ज (ज) जैसा भी है। सच पूछा जाय तो मराठी में दो चवर्ग हो गये हैं। संयुक्त व्यंजन 'ज' के शुद्ध उच्चारण (जूज) का लोप हो चुका है, उसके स्थान पर ज्यँ, र्यँ और छँ, दँ आदि कई उच्चारण चल रहे हैं। (घ) विदेशी भाषाओं के प्रभाव-स्वरूप आधुनिक भाषाओं में कई नवीन ध्वनियाँ आ गई हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ऑ आदि। इन ध्वनियों का लोकभाषाओं में तो क, ख, ग, ज, फ, आ के रूप में उच्चारण हो रहा है, किन्तु पढ़े-लिखे लोग इन्हें प्रायः मूल रूप में बोलने का प्रयास करते हैं। संगम (Juncture) तथा अनुनासिकता प्रायः सभी में स्वनिमिक है। (२) जिन शब्दों के उपधा (Penultimate) स्वर या अन्तिम को छोड़कर किसी और पर बलात्मक स्वराघात था, (क) उनके अन्तिम दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो गए हैं तथा (ख) अन्तिम 'अ' स्वर कुछ अपवादों (संयुक्त व्यंजनादि) को छोड़कर प्रायः लुप्त हो गया है (राम्, अब् आदि)। (३) प्राकृत आदि में जहाँ समीकरण के कारण व्यंजन-द्वित्त या दीर्घ व्यंजन (कर्म—कम्म) हो गए थे, आधुनिक काल में 'द्वित्व' में केवल एक रह गया और पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूर्क दीर्घता आ गई (कम्म—काम, अट्टु—भाठ)। पंजाबी, सिन्धी अपवाद हैं, उनमें प्रायः प्राकृत से मिलते-जुलते रूप ही चलते हैं (अट्टु, कम्म)। (४) बलात्मक स्वराघात है। वाक्य के स्तर पर संगीतात्मक भी है। (५) अपभ्रंश के प्रसंग में कहा जा चुका है कि संस्कृत, पालि आदि की तुलना में रूप कम हो गए थे। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में भी रूप कम हो गए हैं, इस प्रकार भाषा सरल हो गई है। संस्कृत आदि में कारक के तीनों वचनों में लगभग २४ रूप बनते थे। प्राकृत में लगभग १२ हो गए थे, अपभ्रंश में ६ और आधुनिक भाषाओं में केवल दो, तीन या चार रूप हैं। क्रिया के रूपों में भी पर्याप्त कमी हो गई है। क्रियार्थ या काल आदि तो सभी, वृत्तिक संस्कृत आदि से अधिक व्यक्त कर लिये जाते हैं, किन्तु सबके रूप अलग नहीं हैं। सहायक शब्दों से काम चल जाता है। मूल रूप थोड़े हैं। (६) रचना की दृष्टि से संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि की भाषा योगात्मक थी। अयोगात्मकता अपभ्रंशों में आरम्भ हुई और अब, आधुनिक भाषाएँ (नाम और घातु दोनों दृष्टियों से) पूर्णतः अयोगात्मक या वियोगात्मक हो गई हैं। कुछ रूप योगात्मक हैं भी तो अपवाद-स्वरूप। नाम-रूपों के लिए परसर्गों का प्रयोग होता है और घातु-रूपों के लिए कृदंत और सहायक क्रिया के आधार पर संयुक्त क्रिया का। (७) संस्कृत में वचन ३ थे। मध्यकालीन आर्यभाषाओं में ही द्विवचन

समाप्त हो गया था और आधुनिक काल में भी केवल दो वचन हैं। अब प्रवृत्ति एकवचन की है। लगता है कि आगे चलकर रूप केवल एकवचन के रह जायेंगे और दो, तीन या अधिक का भाव सहायक शब्दों से प्रकट किया जाएगा। उदाहरणार्थ, हिन्दी में 'मैं' के प्रयोग की प्रवृत्ति कम हो रही है। उसके स्थान पर 'हम' चल रहा है, जिसके बहुवचन का कोई अलग रूप नहीं होता, केवल 'लोग' या 'सब' जोड़कर काम चला लेते हैं। (८) संस्कृत में लिंग ३ थे। मध्ययुगीन भाषाओं में भी स्थिति यही थी। आधुनिककाल में सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी तथा हिन्दी में रैलिंग हैं (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग) सम्भवतः तिब्बत-बर्मी मुंडा आदि भाषाओं के प्रभाव के कारण बंगाली, उड़िया, असमी में लिंगभेद कम-सा है। बिहारी, नेपाली में भी समाप्त होता-सा दिखाई दे रहा है। तीन लिंग केवल गुजराती, मराठी और (कुछ) सिहली में हैं। (९) आधुनिक भाषाओं में प्राचीन तथा मध्ययुगीन से शब्द-भण्डार की दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पश्तो, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि से लगभग ८-९ हजार नये विदेशी शब्द आ गए हैं। इनके पूर्व भाषाओं का प्रमुख शब्द-भण्डार तत्सम, तद्भव और देशज का ही था। मध्ययुगीन भाषाओं की तुलना में आज तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है और तद्भव का अपेक्षाकृत कम। इधर पारिभाषिक शब्दावली की कमी दूर करने के लिए नए शब्द बनाए और अपनाए जा रहे हैं। अनुकरणात्मक एवं प्रतिध्वन्यात्मक शब्द बहुत प्रयुक्त होने लगे हैं।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में सिन्धी, गुजराती, लहँदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, हिन्दी (पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी) प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीरी भी भारत की एक महत्त्वपूर्ण भाषा है, किन्तु मूलतः वह भारत-ईरानी की दरद शाखा में आती है, इसलिए उसका विवरण पीछे यथास्थान दिया गया है। उर्दू, वस्तुतः भाषावैज्ञानिक स्तर पर हिन्दी की ही अरबी-फ़ारसी से प्रभावित एक शैली है। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के अन्तर्गत ही उसका विवरण दिया गया है। राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी को लोगों ने अलग रखा है, किन्तु ये हिन्दी प्रदेश में आती हैं, अतः इन पर भी हिन्दी प्रदेश के अन्तर्गत ही प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः अब भाषा के आकृतिमूलक या पारिवारिक वर्गीकरण से सांस्कृतिक वर्गीकरण को कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता और इस दृष्टि से ये सभी—राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी—हिन्दी के सांस्कृतिक वर्ग में आती हैं।

भारत के बाहर बोली जाने वाली आधुनिक आर्यभाषाओं में नेपाली, सिहली तथा जिप्सी भी उल्लेख्य हैं। आगे इन सभी का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। हमारा प्रमुख संबंध हिन्दी से है, अतः उस पर विस्तार में विचार किया गया है।

वर्गीकरण— आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के वर्गीकरण पर विभिन्न विद्वानों (हार्नले, वेबर, प्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि) द्वारा विभिन्न रूपों में विचार किया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख का उल्लेख किया जा रहा है।

(अ) इस प्रसंग में प्रथम नाम हार्नले का लिया जा सकता है। उन्होंने (Comparative Grammar of the Gaudian Lgs. में) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को ४ वर्गों में रखा: (क) पूर्वी गौडियन—पूर्वी हिन्दी (इसी में बिहारी भी है), बंगाली, असमी, उड़िया। (ख) पश्चिमी गौडियन—पश्चिमी हिन्दी (राजस्थानी भी), गुजराती, सिन्धी, पंजाबी। (ग) उत्तरी गौडियन—गढ़वाली, नेपाली आदि (पहाड़ी)। (घ) दक्षिणी गौडियन—मराठी।

(ब) हार्नले ने (उपर्युक्त पुस्तक में) भारतीय आर्यभाषाओं के अध्ययन के आधार पर पिछली सदी में यह सिद्धान्त रखा था कि भारत में आर्य कम-से-कम दो बार आये।

आर्य आधुनिक पंजाब में आकर बसे थे। कुछ दिन बाद दूसरे आर्यों का हमला हुआ। जैसे कहीं कील ठोकने पर कील छेद बनाकर बँठ जाती है और उस बने छेद के स्थान पर जो चीज रहती है, चारों ओर चली जाती है, उसी प्रकार नवागत आर्य उत्तर से आकर प्राचीन आर्यों के स्थान पर जम गए और पूर्वागत पूरव, दक्षिण, पश्चिम में फैल गये। इस प्रकार नवागत आर्य भीतरी कहे जा सकते हैं और पूर्वागत बाहरी। इस भीतरी और बाहरी को लेकर— यद्यपि दो बार आक्रमण न मानते हुए—ग्रियर्सन ने (Linguistic Survey of India, भाग १; तथा Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, Vol. I, Pt. III. 1920 में) अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें ३ वर्ग हैं—

(१) बाहरी उपशाखा—(क) पश्चिमोत्तरी समुदाय (लहँदा, सिन्धी), (ख) दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) पूर्वी समुदाय (उड़िया, बंगाली, असमी, बिहारी)।

(२) मध्यवर्गी उपशाखा—(क) मध्यवर्ती समुदाय (पूर्वी हिन्दी)।

(३) भीतरी उपशाखा—(क) केन्द्रीय समुदाय (पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली^१, खानदेशी^२); (ख) पहाड़ी समुदाय (पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी)।

बाद में ग्रियर्सन ने (Indian Antiquary, Supplement of Feb. 1931) एक नया वर्गीकरण सामने रखा जो इस प्रकार है : (क) मध्यवर्ती—पश्चिमी हिन्दी। (ख) अन्त-वर्ती—(I) पश्चिमी हिन्दी से विशेष घनिष्ठता वाली (पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, पश्चिमी, मध्य), (II) बहिरंग से सम्बद्ध (पूर्वी हिन्दी)। (ग) बहिरंग भाषाएँ—(I) पश्चिमोत्तरी (लहँदा, सिन्धी), (II) दक्षिणी (मराठी), (III) पूर्वी (बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी)।

ग्रियर्सन का वर्गीकरण ध्वनि, व्याकरण या रूप तथा शब्द-समूह, इन तीन बातों पर आधारित है। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने इन तीनों की ही आलोचना की है। उन्हीं के आधार पर ग्रियर्सन के कुछ प्रमुख आधार संक्षिप्त आलोचना के साथ दिये जा रहे हैं।

(१) ध्वनि—ग्रियर्सन के वर्गीकरण के ध्वन्यात्मक आधार लगभग पन्द्रह हैं जिनमें केवल प्रमुख चार-पाँच लिये जा रहे हैं। (क) ग्रियर्सन के अनुसार 'र' का 'ल्' या 'ड्' के लिए प्रयोग केवल बाहरी भाषाओं में मिलता है, किन्तु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। अवधी, ब्रज, खड़ीबोली आदि में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। जैसे बर (बल), गर (गला), जर (जल), बीरा (बीड़ा), किवार (किवाड़), भीर (भीड़ आदि)। (ख) ग्रियर्सन के अनुसार बाहरी भाषाओं में 'द' का परिवर्तन 'ड' में हो जाता है। किन्तु यह बात भीतरी में भी मिलती है। हिन्दी में डोठि (दृष्टि), डयोठी (देहली), डेढ़ (द्वयर्द्ध), डाभ (दभं), डाढ़ा (दग्ध), डंडा (दंड), डोली (दोलिका), डोरक (दोरक), डँसना (दंश) आदि उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं। (ग) ग्रियर्सन का कहना है कि 'म्ब' ध्वनि का विकास बाहरी भाषाओं में 'म' रूप में हुआ है तथा भीतरी में 'व्' रूप में। किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी मिलते हैं। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र में 'जम्बुक' का 'जामुन' या 'निम्ब' का 'नीम' मिलता है। दूसरी ओर बंगला में 'निम्बुक' का 'लेबू' या 'नेबू' मिलता है। (घ) ऊष्म ध्वनियों को लेकर ग्रियर्सन का कहना है कि भीतरी में इतका उच्चारण अधिक दबाकर किया जाता है और वह 'स' रूप में होता है, किन्तु बाहरी में यह श, ख या ह रूप में मिलता है। बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में निर्बल होकर यह 'श' हो गया है। पूर्वी बंगाल और असम में और भी निर्बल होकर 'ख' हो गया है और बंगला तथा पश्चिमोत्तरी में 'ह' हो गया है। जहाँ तक स्वरों के बीच में के 'स' के 'ह' हो जाने का सम्बन्ध है, वह बाहरी के साथ भीतरी भाषाओं में पाया जाता है। सं० एकसप्तति, पं० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, पं० हि०

१-२. ये दोनों राजस्थानी-गुजराती के रूप हैं।

बारह, सं० करिष्यति, प० हि० करिहृइ। साथ ही बाहरी में 'स' भि, कहीं-कहीं है, जैसे लहँदा करेसी (करेगी)। 'ख' वाला विकास बड़ा सीमित और पूर्वक्षेत्रीय है। उसके आधार पर घुर पूर्व और पश्चिम की भाषाएँ एक वर्ग में नहीं रखी जा सकतीं। 'श' वाली विशेषता बंगला आदि में मागधी प्राकृत से चली आ रही है और वह प्रायः निर्बन्ध (unconditional) है। मराठी में वह वाद का विकास है और सबन्ध (conditional) है (इ, ई, ए, य आदि तालव्य ध्वनियों के प्रभाव से)। इस रूप में तो भीतरी की गुजराती में भी यह विकास है, जैसे कर्खे (करिष्यति)। इस प्रकार यह भी भेदक तत्त्व नहीं है। (ड) महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राण हो जाना भी ग्रियर्सन के अनुसार बाहरी भाषाओं में है, भीतरी में नहीं। किन्तु हिन्दी में भगिनी का बहिन, प्राकृत कल्पित रूप *ईठा (सं० इष्टक) का ईट, प्राकृत कल्पित रूप *ऊँठ (सं० उष्ट्र) का ऊँट इसके विरोध में जाते हैं।

व्याकरण या रूप—ग्रियर्सन ने इस प्रसंग में पाँच-छह रूप-विषयक आधारों का उल्लेख किया है जिनमें से तीन यहाँ लिये जा रहे हैं। (क) ग्रियर्सन -ई स्त्री प्रत्यय के आधार पर बाहरी वर्ग की पश्चिमी और पूर्वी भाषाओं को एक वर्ग की सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः यह तर्क तब ठीक माना जाता जब भीतरी वर्ग में यह बात न मिलती। हिन्दी में इस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया (गाती, दौड़ी), परसर्ग (की), संज्ञा (लड़की, बेटा), विशेषण (बड़ी, छोटी) आदि कई वर्ग के शब्दों में खूब होता है, अतः इसे इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार नहीं मान सकते। (ख) भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक होती है और कुछ लोगों के अनुसार वियोगात्मक से फिर संयोगात्मक। ग्रियर्सन का कहना है कि संयोगात्मक भाषा संस्कृत से चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक रूप में) वियोगात्मक हो गई हैं, किन्तु आधुनिक में भी बाहरी भाषाएँ विकास में एक कदम और आगे बढ़कर संयोगात्मक हो रही हैं। जैसे हिन्दी 'राम की किताब', बंगाली 'रामेर बोई'। ग्रियर्सन का यह भी कहना है कि भीतरी में यदि कुछ संयोगात्मक रूप मिलते भी हैं तो वे प्राचीन के अवशेष मात्र हैं, अर्थात् प्रवृत्ति नहीं है, अपवाद हैं। इस प्रकार बाहरी-भीतरी भाषाओं में यह एक काफ़ी बड़ा अन्तर है। किन्तु ग्रियर्सन का यह अन्तर भी सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। जैसा कि डॉ० चटर्जी ने दिखाया है, तुलनात्मक ढंग से जब हम बाहरी और भीतरी के कारक-रूपों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि संयोगात्मक रूपों का प्रयोग भीतरी में बाहरी से कम नहीं है, अतः इस बात को भी भेदक तत्त्व नहीं माना जा सकता। [ब्रज पूतहि (कर्म), मनहि, भौनहि (अधिकरण)]। (ग) ग्रियर्सन विशेषणात्मक प्रत्यय 'ल' को केवल बाहरी भाषाओं की विशेषता मानते हैं, यद्यपि भीतरी में भी यह पर्याप्त है, जैसे रंगीला, हठीला, भड़कीला, चमकीला, कटीला, गठीला, खर्चीला आदि।

(३) शब्द-समूह—इसके आधार पर भी ग्रियर्सन बाहरी भाषाओं में साम्य मानते हैं। किन्तु विस्तार से देखने पर यह बात भी ठीक नहीं उतरती। मराठी-बंगाली, या बंगाली-मिन्धी में बंगाली-हिन्दी से अधिक साम्य नहीं है।

इस प्रकार ग्रियर्सन जिन बातों के आधार पर बाहरी-भीतरी वर्गीकरण को स्थापित करना चाहते थे, वे बहुत सम्पुष्ट नहीं हैं। (स) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी का वर्गीकरण (O. D. B. L. में) इस प्रकार है : (क) उबीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी)। (ख) प्रतोच्य (गुजराती, राजस्थानी)। (ग) मध्यदेशीय (पश्चिमी हिन्दी)। (घ) प्राच्य (पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाली)। (ङ) दक्षिणात्य (मराठी)।

डॉ० चटर्जी पहाड़ी को राजस्थानी का प्रायः रूपान्तर-सा मानते हैं। इसीलिए उसे यहाँ अलग स्थान नहीं दिया है। (द) डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने डॉ० चटर्जी के वर्गीकरण के आधार पर ही अपना वर्गीकरण दिया है : उबीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी)। (ख) प्रतोच्य

(गुजराती)। (ग) मध्यदेशीय (राजस्थानी, प्र० हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी)। (घ) प्राच्य (उड़िया, असमी, बंगाली)। (ङ) दक्षिणतम (मराठी)।

इस वर्गीकरण में हिन्दी के प्रमुख चारों रूपों को मध्यदेशीय माना गया है।

(ई) श्री सीताराम चतुर्वेदी ने सम्बन्धसूचक परसर्ग के आधार पर का (हिन्दी, पहाड़ी, जयपुरी), बा (पंजाबी, लहँदा), जो (सिन्धी, कच्छी), नो (गुजराती), एर (बंगाली, उड़िया, असमी) वर्ग बनाये हैं। यथार्थतः यह कोई वर्गीकरण नहीं है। ऐसे तो 'ळ' या 'स' से 'श' ध्वनियों के आधार पर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं।

(फ) व्यक्तिगत रूप से इन पंक्तियों का लेखक कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण (जो प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा है : मध्यवर्ती (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी), पूर्वी (बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी), दक्षिणी (मराठी), पश्चिमी (सिन्धी, गुजराती, राजस्थानी), उत्तरी (लहँदा, पंजाबी, पहाड़ी)। किन्तु वस्तुतः वर्गीकरण का आशय यह है कि उसके आधार पर भाषाओं की मूलभूत विशेषताएँ स्पष्ट हो जाएँ। उपर्युक्त किसी भी वर्गीकरण में यह बात नहीं है, ऐसी स्थिति में ये सारे व्यर्थ हैं। इनके आधार पर कोई भाषावैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इससे अच्छा यह है कि इनकी अलग-अलग प्रवृत्तियों का ही अध्ययन किया जाय। या यदि वर्गीकरण ज़रूरी ही समझा जाय तो दो बातें कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियों के आधार पर इन भाषाओं में इतना वैभिन्न्य या साम्य है कि सभी बातों का ठीक तरह से विचार करते हुए वर्गीकरण ही ही नहीं सकता। (२) अतएव, उत्पत्ति या सम्बन्ध अपभ्रंशों के आधार पर इनके वर्ग बनाये जा सकते हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के वर्गों में ध्वनि या गठन सम्बन्धी साम्य, बहुत कम दृष्टियों से मिल सकता है। यों उत्पत्ति भी अपने-आप में महत्त्वपूर्ण है, अतः इसे बिल्कुल निरर्थक नहीं कहा जा सकता। इस वर्गीकरण का रूप यह है : (क) शौरसेनी (पश्चिमी हिन्दी, पहाड़ी, राजस्थानी, गुजराती)। (ख) मागधी (बिहारी, बंगाली, असमी, उड़िया)। (ग) अर्द्धमागधी (पूर्वी हिन्दी)। (घ) महाराष्ट्री (मराठी)। ब्राह्म-पंजाबी (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी)। इन्हें क्रम से मध्य, पूर्वीय, मध्यपूर्वीय, दक्षिणी और पश्चिमोत्तरी भी कहा जा सकता है।

प्रमुख आधुनिक आर्यभाषाओं का परिचय

सिन्धी—'सिन्ध' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द 'सिन्धु' से विद्वानों ने जोड़ा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मूल शब्द सम्भवतः संस्कृत न होकर द्रविड़ 'सिद्' या 'सित' (=नहना) का और 'सिन्धु' उसी का संस्कृतीकृत रूप है। आगे चलकर 'सिन्धु' का विकास 'सिन्ध' रूप में हुआ और यह उक्त नदी की तटवर्ती भूमि के लिए प्रयुक्त होने लगा। मूलतः सिन्धी, सिन्ध प्रदेश की ही भाषा है। अब सिन्ध में, 'सिन्धी' बोलने वाले प्रायः मुसलमान ही रह गए हैं। सिन्धी हिन्दू प्रायः कच्छ, बम्बई, अजमेर तथा दिल्ली आदि में हैं। सिन्धी भाषा का प्राचीनतम संकेत भरत के नाट्यशास्त्र (२री सदी) में मिलता है। ७वीं सदी में चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख किया है। ९वीं सदी में कुवलयमाला में भी इसका उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिन्धी की अपनी विशेषताओं का विकास अत्यन्त प्राचीन काल में ही हो चुका था। सिन्धी की प्राचीनतम पुस्तक 'महाभारत' कही जाती है जिसकी रचना संस्कृत महाभारत के आधार पर १००० ई० से कुछ पूर्व हुई थी। १४वीं सदी से इसमें नियमित रूप से साहित्य मिलने लगता है। सिन्धी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शाहजो रिशालो' है। इसके प्रमुख कवि अब्दुल करीम, शाह लतीफ, सचल और सामी आदि हैं। सिन्ध में मुसलमानों की संख्या अधिक रही है, किन्तु सिन्धी भाषा इस अनुपात में अरबी-फ़ारसी से प्रभावित नहीं कही जा सकती। सिन्धी भाषा की प्रमुख

बोलियाँ पाँच-छह हैं। बिचोली मध्यसिन्ध में बोली जाती है। यही वहाँ की परिनिष्ठित तथा साहित्यिक भाषा है। 'बिचोली' के एक रूप को 'सिराइकी' या 'सिराइकी सिन्धी' कहते हैं। यह उपबोली होती हुई भी अब स्वतन्त्र बोली जैसी हो गई है। अन्य बोलियाँ धरेली, लासी, लाड़ी तथा कच्छी हैं। कच्छी की कायस्थी, चाटिया आदि कुछ उपबोलियाँ भी हैं। कच्छी पर गुजराती का प्रभाव पड़ा है। सिन्धी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी अन्तःस्फोटक (Implosive) ध्वनियाँ ज, ब, आदि। सिन्धी के लिए फ़ारसी लिपि का प्रयोग होता है। अन्तःस्फोटक ध्वनियों के लिए पुराने अक्षरों के आधार पर कुछ नए अक्षर भी बना लिये गए हैं। भारत में सिन्धी, अब नागरी लिपि में भी लिखी जाने लगी है। सिन्धी की अपनी प्राचीन लिपि लण्डा है। पूरे सिन्ध में इसके कई रूप प्रचलित रहे हैं। कुछ सिन्धीभाषी गुरुमुखी लिपि का भी प्रयोग करते रहे हैं। सिन्धी बोलने वालों की संख्या १९३१ की जनगणना के अनुसार लगभग ४० लाख थी। भारत में सिन्धियों की संख्या २० लाख से ऊपर है। सिन्धी का सम्बन्ध त्राचड अपभ्रंश से है। त्राचड की बहुत-सी विशेषताएँ इसमें अब भी मिलती हैं।

लहँदा—लहँदा पश्चिमी पंजाब (कुछ भाग छोड़कर) की भाषा है। यह क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। 'लहँदा' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'पश्चिम', 'सूर्यास्त' या 'उत्तरता'। इसी आधार पर इसका एक नाम 'पश्चिमी' भी है। पूरे पंजाब के पश्चिमी भाग की यह भाषा है, इसीलिए पंजाबी में इसे पहले लहन्दे दि बोली (=पश्चिमी की बोली) कहते थे। लहँदा, लहन्दा या लहँदा नाम उसी का संक्षिप्त रूप है। लहँदा, लहँन्दा या लंडा का प्रयोग अंग्रेजों ने आरम्भ किया। इसे पश्चिमी पंजाबी और डिलाही भी कहते हैं। हिन्दुओं के कारण इसका नाम हिन्दकी या हिन्दकी, जाटों के कारण जटकी तथा 'ऊच' कस्बे के कारण उच्छी^१ भी है। ये नाम इसकी बोलियों के भी हैं। प्राचीन काल में इसका एक नाम मुल्तानी भी था। अबुल फ़जल ने अपनी आईने-अकबरी में इस भाषा को मुल्तान कहा है। अब मुल्तानी का प्रयोग मुल्तान के आसपास प्रयुक्त लहँदा के लिए होता है। लहँदा बोलने वालों की संख्या प्रियंसन के भाषा-सर्वेक्षण के अनुसार ७०,९२,७८१ थी। परिनिष्ठित लहँदा शाहपुर जिले की है। इसके विभिन्न रूपों के नाम जटकी, पंजाबी, जांगली, चिनवाड़ी, निस्वानो, काछड़ी, बाडों बोली तथा जटतारी बोली आदि हैं। लहँदा की बोलियों में प्रमुख मुल्तानी (इसमें डेरा गाजी खाँ की जटकी या हिन्दकी तथा सिन्धी सिराइकी हिन्दकी दो उपबोलियाँ हैं), खेवानी, जाफ़िरी, खळी या जटकी, हिन्दकी (इसमें तिनाउली उपबोली भी है) तथा उत्तरी-पूर्वी बोली (इसमें पोश्चारी, ठूंडी, अवांकी घेबी, पुंछी, चिभाली आदि उपबोलियाँ हैं) आदि हैं। लहँदा पर सिन्धी तथा कश्मीरी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सिक्ख धर्म की जनमसाखी के अतिरिक्त लहँदा में केवल लोक-साहित्य ही है। लहँदा बोलने वाले मुसलमान ही अधिक हैं, इसी कारण इसके लिए फ़ारसी लिपि का ही प्रयोग अधिक होता है। हिन्दू लोग 'लंडा' नामक लिपि का भी प्रयोग करते रहे हैं। अब लहँदा क्षेत्र में प्रायः उर्दू का बोलबाला है। लहँदा का सम्बन्ध केकय या पंजाबी अपभ्रंश से है।

पंजाबी—'पंजाबी' शब्द फ़ारसी का है। इसका अर्थ है पाँच नदियों का देश (पंज+आब)। पाँच नदियाँ हैं सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। पंजाब प्रदेश की भाषा होने के कारण ही इसका नाम पंजाबी है। वर्तमान काल में इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब (दिल्ली की ओर का हिन्दी तथा उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर) तथा पाकिस्तान-स्थित पंजाब (कुछ भाग छोड़कर) है। यह भाषा पश्चिमी पहाड़ी, बाँगूर, बागड़ी, बीकानेरी तथा लहँदा से

१. १८१९ में कैरी ने 'उच्छी' नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किया।

धिरी है। बोलनेवालों में सिक्खों के प्राधान्य के कारण इसे सिक्खी, खालसी आदि अन्य नामों से भी पुकारा गया है। कभी-कभी लहँदा और पंजाबी दोनों को ही पंजाबी कहते हैं। उस स्थिति में लहँदा को पश्चिमी पंजाबी तथा पंजाबी को पूर्वी पंजाबी कहते हैं। लिपि के आधार पर इसे कभी-कभी गुरुमुखी भी कहते रहे हैं। इसका एक प्राचीन नाम, लाहौरी भी मिलता है। वस्तुतः यह नाम लाहौर की पंजाबी का है। १४वीं सदी में अमीर खुसरो ने नूह-ए-सिपर में लाहौरी का उल्लेख किया है। १९२१ की जनगणना के अनुसार पंजाबी बोलने वालों की संख्या १६,२३३,५९६ थी। १९३२ में पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाबी की जाँच के लिए एक समिति बनाई थी। उसके अनुसार आधुनिक भारतीय भाषाओं में पंजाबी सबसे पुरानी भाषा है। इसमें बहुत से प्राकृत शब्दों का अब भी प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ सत्त, अट्ठ, कम्म, गड्डी, अद्दा आदि। हिन्दी आदि में विकसित रूप सात, आठ, काम, गाड़ी, आधा आदि प्रयुक्त होते हैं। ग्रियसन के अनुसार, मध्यदेश से सम्बन्ध रखने वाली समस्त भाषाओं में पंजाबी ही ऐसी है जो संस्कृत तथा फ़ारसी से आगत शब्दों से सबसे अधिक मुक्त है। इसमें सहज ग्रामीण आकषण है जो इसके बोलने वाले कृषकों की सरलता को द्योतित करता है। पंजाबी के प्रमुख दो रूप हैं। एक तो आबखं या परिनिष्ठित पंजाबी है जो केन्द्रीय पंजाब के मैदानों में प्रयुक्त होती है। इसका शुद्धतम रूप अमृतसर के आसपास माझ में है। इसे माझी भी कहते हैं। माझी के अतिरिक्त, परिनिष्ठित पंजाबी के जालंधरी बोआबी (जिसमें बोआबी खास, कहलूरी या बिनासपुरी तथा होशियारपुरी पहाड़ी आती हैं), पोवाधी, राठी, मालबाई, भट्टियानी (जिसमें बोकानेरी राठी, फ़ाखिलकाई बागड़ी, फ़िरोज़पुरी राठीरी हैं) आदि प्रमुख रूप हैं। पंजाबी का दूसरा प्रमुख रूप 'डोगरी' या 'डोगरी' है। यह जन्मू तथा पंजाब के कुछ भागों में बोली जाती है। इस पर 'कश्मीरी' तथा 'लहँदा' का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। डोगरी के स्थानीय रूपांतर कंडिआली, कांगड़ा बोली तथा भटेआली हैं। डोगरी टाकरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी प्रदेश में टाकरी, लडा, महाजनो, गुरुमुखी, शारवा, फ़ारसी, नागरी आदि लिपियों का प्रयोग होता रहता है। अब भारतीय क्षेत्र में पंजाबी प्रमुखतः गुरुमुखी में तथा पाकिस्तानी क्षेत्र में उर्दू लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी साहित्य का आरम्भ १२वीं सदी के अन्तिम चरण से होता है। इसके प्रथम कवि बाबा फ़रीद शकरगंज हैं। तब से इसका साहित्य फलता-फूलता आ रहा है। इसके प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक नाटक, गुरु अर्जुनदेव, गुरुदास, तथा हीर-राँझा के लेखक वारिसशाह आदि हैं। आधुनिक लेखकों में मोहनसिंह, अमृता प्रीतम आदि प्रमुख हैं। लोकसाहित्य की दृष्टि से भी पंजाबी पर्याप्त सम्पन्न है। कुछ लोगों ने पंजाबी का विकास पँशाची या केकय अपभ्रंश से माना है। कुछ अन्य लोगों ने टक्क अपभ्रंश से भी इसकी उत्पत्ति मानी है। इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

गुजराती—यह गुजरात की भाषा है। 'गुजरात' शब्द का सम्बन्ध 'गुर्जर' जाति के लोगों से है। ये लोग मूलतः शक थे और पाँचवीं सदी के लगभग भारत में आए थे। पहले इनका क्षेत्र पंजाब एवं राजस्थान था, बाद में मुसलमानों के आक्रमण के कारण ये गुजरात की ओर चले गए। इस प्रदेश में इनको 'त्राण' मिला, इसी कारण वह गुजरात कहलाया। 'गुजरात' शब्द 'गुर्जर+त्रा' से बना माना गया है: गुर्जर+त्रा > गुज्जरत्ता > गुजरत्ता > गुजरात। इस प्रकार का विकास मानने का कारण यह है कि आठवीं, नवीं तथा दसवीं सदी के कुछ अभिलेखों में 'गुर्जरत्रा-भूमि' तथा 'गुज्जरत्ता' आदि शब्द मिले हैं। गुजरात या गुर्जर देश।

१. इसका यह वाच्य नहीं कि गुजराती जड़ता में केवल गुर्जर हैं। यहाँ के लोग विभिन्न कालों में आए निषोदक, ओस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य, यूनानी, बैक्ट्रियन, हूण, सीदियन, गुर्जर, जादेज, काठी, पारसी तथा अरब आदि एक दर्जन से अधिक जातियों के मिश्रण हैं।

केवल माउंट आबू के उत्तर का प्रदेश था, किन्तु बाद में धीरे-धीरे उसके दक्षिण का भाग भी गुजरात के अन्तर्गत आ गया। अब कच्छ आदि भी इसमें सम्मिलित हैं। 'गुजरात' शब्द का प्रयोग यों तो १००० ई० के लगभग से प्रारम्भ हो गया था, किन्तु भाषा के अर्थ में 'गुजराती' शब्द का प्रयोग अभी तक १७वीं सदी से पूर्व नहीं मिला है। इसका प्रथम प्रयोग प्रेमानन्द (१६४९-१७१४ ई०) के 'दशम स्कन्ध' में हुआ है। किन्तु इसका यह आशय नहीं कि गुजराती भाषा उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। अन्य देशी भाषाओं से अलग, इसे लोग आठवीं सदी में ही पहचानने लगे थे। उद्योतन सूरि के 'कुवलयमाला' में आता है— 'अह पेच्छइ गुजरे अवरे'। ११वीं सदी तक आते-आते भाषा कुछ और विकसित हो गई, यद्यपि मारवाड़ी आदि राजस्थानी भाषाओं से इतनी भिन्न नहीं थी कि इसे स्वतन्त्र भाषा माना जा सके। जैसा कि प्रसिद्ध इटैलियन विद्वान् तेसितोरी ने कहा है कि १६०० ई० तक या उसके कुछ बाद तक पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात की भाषा 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी' थी। वर्तमान गुजराती का मुस्पष्ट रूप १७वीं सदी के मध्य से दिखाई पड़ने लगता है। गुजराती का सम्बन्ध शौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी-पश्चिमी रूप से है, जैसा कि भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट है। इसे नागर अपभ्रंश भी कहा गया है। गुजराती विद्वान् उमाशंकर जोशी इसे 'मारु गुर्जर' तथा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 'गुर्जर' अपभ्रंश कहते हैं। गुजराती साहित्य का प्रारम्भ कुछ लोग १२वीं सदी से ही मानते हैं। हेमचन्द्र के व्याकरण में कुछ छन्द ऐसे हैं जिनको प्राचीन गुजराती का कहा जा सकता है। १३वीं सदी से इसके प्राचीन रूप का समारम्भ हो गया था। तबसे अब तक इसमें साहित्य-रचना हो रही है। प्राचीन गुजराती के प्रमुख साहित्यकार विनयचन्द्र सूरि (१३वीं सदी), राजशेखर (१४वीं सदी), नरसी मेहता (१५वीं सदी) आदि हैं। १४वीं सदी तक की भाषा अपभ्रंश से बहुत अधिक आक्रान्त है। गुजराती का मध्यकाल 'प्रेमानन्द-युग' भी कहलाता है। इस युग में प्रेमानन्द तथा अखा प्रसिद्ध हैं। गुजराती की लिपि अपनी है। जो नागरी से बहुत मिलती-जुलती है। यह शिरोरेखाविहीन होती है। गुजराती भाषा लगभग ७ लाख १० हजार वर्ग-मील में फैली हुई है। १९६१ की जनगणना के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या दो करोड़ तीन लाख से ऊपर थी। गुजराती की प्रमुख बोलियाँ नागरी, बंबईया, गामडिया, सुरती, अनावला, पूर्वी-भड़ोची, चरोतरा पाटीवारी, बडोदरी, पट्टनी, काठियावाड़ी (इसमें झालवाड़ी, सोरठी, हालाडी, मोहिलवाडी, आदि उपबोलियाँ आती हैं), वोरसाई, खारवा, पटलूणी, काफरी, तारीपुकी आदि हैं।

मराठी—मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। यह लगभग १ लाख वर्गमील में उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियों से लेकर, दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में नागपुर से लेकर पश्चिम में गोवा तक बोली जाती है। 'मराठी' नाम 'माहाराष्ट्री' या 'महाराष्ट्री' से सम्बद्ध है। डॉ० गुणे, जूल ब्लाक आदि अनेक विद्वान् मराठी का सम्बन्ध माहाराष्ट्री प्राकृत और माहाराष्ट्री अपभ्रंश से मानते हैं। किन्तु अब मान्यता यह है कि माहाराष्ट्री प्राकृत केवल महाराष्ट्र या मराठी क्षेत्र की प्राकृत न होकर पूरे राष्ट्र (महाराष्ट्र) की भाषा, या तत्कालीन राष्ट्रभाषा थी। इसी रूप में डॉ० घोष आदि ने उसे शौरसेनी के बाद की माना है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि 'मराठी' नाम 'महाराष्ट्री' का विकसित रूप है। और मराठी भाषा का चाहे प्रसिद्ध माहाराष्ट्री प्राकृत से सम्बन्ध न हो, किन्तु उस प्राकृत से, वह अवश्य सम्बन्धित है जो प्राकृत-काल में मराठी क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी। फंक् फुर्तकर ने मराठी भाषा को पालि से निकला माना है, यद्यपि इस मत को कभी मान्यता नहीं मिली। मराठी भाषा के प्राचीनतम रूप ४८८ ई० के मंगलवेट्टे ग्राम के ताम्रलेख मिलते हैं। ७३६ ई० के चिकुडे-ताम्रलेख में भी इसके कुछ रूप हैं। मराठी का प्राचीनतम वाक्य ९८३ ई० के गोम-तेश्वर के शिलालेख में मिला है। इसका आशय यह है कि १००० ई० से पूर्व ही इस भाषा के बीज पड़ चुके थे। क्षेत्रीय बोली या भाषा के रूप में इसका प्राचीनतम उल्लेख ८वीं सदी

के ग्रन्थ 'कुवलयमाला' में आता है—'दिण्णल्ले गहिल्ले उल्लविरे तत्थ मरहट्टे'। मराठी भाषा के रूपों एवं वाक्यों की परम्परा प्राचीन होने पर भी मराठी साहित्य का प्रारम्भ १२वीं सदी के पूर्व नहीं माना जा सकता। मराठी के आदि कवि मुकुन्दराय (११२८-११९८) हैं जिनका प्रधान ग्रन्थ 'विवेकसिधु' है। मराठी साहित्य को प्रमुखतः महानुभाव काल, ज्ञानेश्वर-नामदेव काल, एकनाथ काल तुकाराम-रामदास काल, मोरोपंत काल, प्रभाकरराम जोशी काल तथा आधुनिक काल, प्रमुखतः इन कालों में बाँटा गया है। इन कालों के नामों से ही मराठी के प्रमुख कवियों के नामों का पता चल जाता है। संत ज्ञानेश्वर की 'ज्ञानेश्वरी' मराठी के प्राचीन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। मराठी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की संख्या पर्याप्त है। साथ ही इस पर द्रविड़ परिवार (विशेषतः कन्नड़) का भी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रभाव पड़ा है। मराठी की ध्वनि की दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ चवर्गीय ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं। उदाहरणार्थ 'च' एक तो सामान्य है और एक 'त्स' जैसा। मराठी का बलात्मक स्वराघात भी उसकी अपनी विशेषता है। इस रूप में अन्य किसी भी आधुनिक भारतीय आर्यभाषा में यह नहीं है। परिनिष्ठित मराठी को देशी भी कहते हैं। प्रियर्सन ने मराठी की लगभग ३९ बोलियों का उल्लेख किया है। कहना न होगा कि तथ्यतः इनमें सभी बोलियाँ न होकर बहुत-सी उपबोलियाँ तथा स्थानीय रूप भी हैं। मराठी की सबसे प्रसिद्ध बोली कोंकण या कोंकणी है जिसे अब डॉ० कत्रे आदि विद्वान् बोली न मानकर अलग भाषा मानते हैं। इसकी बोलियाँ या उपबोलियाँ कुंडली, दालदी तथा चितपावनी आदि हैं। कोंकणी के अतिरिक्त इसकी एक बोली कोंकन या परिनिष्ठित कोंकन है जिसकी उपबोलियाँ परभी, कोळी, किरिरतांव, बर्हाडी, कुणबी, अगरी, घंगरी, भांडरी, ठाकरी, संगमेश्वरी, बांकोटी, घाटी, माआलो, काथोडी, वारली, वाडवळ, फुडगी तथा सामवेदी आदि हैं। कोंकन या परिनिष्ठित कोंकन, व्याकरणिक दृष्टि से, परिनिष्ठित मराठी तथा कोंकणी के बीच की बोली है। बरार, मध्यप्रदेश तथा हैदराबाद आदि में मराठी की कई बोलियाँ या उपबोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें वहाडो, नागपुरी, घंगरी, झार्यो, गोघारी, कोष्टो, कुम्हारी, कुनबाळ, माहारो, मरहट्टो, नतफानो, नतिया आदि प्रमुख हैं। मराठी की कुछ मिश्रित बोलियाँ हलबी, भुंजिआ, नाहरो तथा कमारो की कही गई हैं। इनमें हलबी वस्तुतः हिन्दी की उपबोली है। मराठी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। पत्र-व्यवहार में कभी-कभी मोडो भी प्रयुक्त होती है। १९६१ की जनगणना के अनुसार मराठी बोलने वालों की संख्या ३३,२८६,७७१ थी। अब कोंकणी अलग भाषा मानी जाने लगी है।

उड़िया—उड़ीसा प्रान्त; बंगाल में दक्षिणी-पश्चिमी मेदनीपुर; आन्ध्र में टेक्कालि, उद्यानखण्ड, तरला; इच्छापुर आदि; विहार में सिंहभूम, सराइकेला, खरसुआ आदि; तथा मध्यप्रदेश में रायगढ़, सारगढ़, कंकिर, बस्तर आदि में ६०१२७ वर्गमील में १,५७,१९,३९८ (१९६१) लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक आधुनिक भारतीय आर्यभाषा है। इसका सम्बन्ध मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी भाग से है। उड़िया-भाषी उड़िया को ओड़िया कहते हैं। इसके अन्य नाम ओरिया, उरिया, उत्कली, ओड़ी आदि हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम 'कलिग', 'उड़देश' या 'उत्कल' मिलता है। 'उड' या 'ओड़' का सम्बन्ध द्रविड़ धानु 'ओड' से ज्ञात होता है। 'ओड' का अर्थ होता है 'खेती करना'। उसी से द्रविड़ शब्द 'ओडिसु' बना है जिसका अर्थ है 'किसान'। यह 'ओडिसु' ही उड़िया भाषा में 'ओडिशा' हो गया। आज भी उड़िया भाषी अपने देश को 'उड़ीसा' न कहकर 'ओडिशा' ही कहते हैं। 'स' का 'श' मागधी की प्रवृत्ति के कारण हो गया है। 'ओडिशा' ही अन्य क्षेत्रों में 'उड़ीसा' हो गया है। भाषा का नाम 'ओड़िया' भी 'ओडिशा' का ही विकसित रूप है। 'श' के लोप एवं य-श्रुति के आगम से यह 'ओड़िया' बना है जिसके 'ओ' को कोमल बनाकर उ (उड़िया) कर लिया गया है। कुछ विद्वान् 'ओड़' को संस्कृत शब्द मानकर ओड़विषय (>ओड़विष>ओड़िष

>जोड़िया) से उड़ीसा शब्द को सम्बद्ध करते हैं, किन्तु यह व्युत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं ज्ञात होती। 'बोड़' शब्द मूलतः संस्कृत का नहीं ज्ञात होता। इसमें संस्कृतीकरण की गन्ध स्पष्ट है। 'उड़ विभाषा' के रूप में उड़िया भाषा का प्राचीनतम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में (शबराभीर चाण्डाल सचल द्राविडोद्भवाः। हीना वने चराणा च विभाषा नाटके स्मृता) आता है। इसका आशय यह हुआ कि उस काल के प्राकृत के एक स्थानीय रूप में इसकी कुछ विशेषताएँ विकसित हो चुकी थीं। बीम्स ने यह ठीक ही कहा है कि बंगाली के एक निश्चित भाषा बनने के पूर्व ही उड़िया एक निश्चित भाषा बन चुकी थी। उड़िया भाषा के प्राचीनतम स्पष्ट नमूने १०५१ ई० के अनन्त वर्मा के उरजम-शिलालेख में मिलते हैं। उड़िया साहित्य को आदिकाल (११वीं से १५५० तक), मध्यकाल (१५५०-१८५०), आधुनिक काल (१८५०-), इन तीन कालों में बाँटा जाता है। हिन्दी साहित्य की भाँति ही मध्यकाल के पूर्व और उत्तर, दो काल बनते हैं जिनको साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से क्रमशः भक्तिकाल और रीतिकाल कहा जा सकता है। आदिकाल के कवियों में लुइपा, शवरीपा आदि 'बौद्ध गान ओ दोहा' के कवि एवं सारलादास (सच्चे अर्थों में उड़ीसा के आदि कवि ये ही हैं; इनके प्रमुख ग्रन्थ 'महाभारत' तथा 'विलंका रामायण' हैं) प्रमुख हैं। मध्ययुगीन कवियों में भक्तों में बलरामदास, जगन्नाथदास आदि पंचसखा तथा सालवाग आदि मुख्य हैं तथा रीतिकारों में उपेन्द्रभंज प्रमुख हैं। इन्हीं के आधार पर इस युग को भंजयुग कहा जाता है। आधुनिक काल में उड़िया साहित्य पर्याप्त सम्पन्न हो गया है। परिनिष्ठित उड़िया कटक के आसपास की है जिसको 'कटकी' कहा जा सकता है। आन्ध्र-सीमा पर इसकी एक बोली 'गजामी' है जो तेलुगु से बहुत अधिक प्रभावित है। मयूरभंज तथा बालासोर आदि में उत्तरी सीमा पर भी इसकी बंगाली-मिश्रित कई बोलियाँ-उपबोलियाँ हैं, किन्तु उनके लिए अलग नाम नहीं हैं। संभलपुर में इसकी 'संभलपुरी' या लरिया बोली बोली जाती है। इस पर छत्तीसगढ़ी का प्रभाव पड़ा है। ग्रियर्सन ने केवल 'भत्री' को उड़िया की विद्युद्ध बोली माना है। 'भत्री' वस्तुतः उड़िया का मराठी से प्रभावित रूप है जो वस्तर में प्रयुक्त होता है। उड़िया पर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों से बंगाली, मराठी, मुडारी, तेलुगु, कुई आदि का प्रभाव पड़ा है। उड़िया की अपनी लिपि है जो ब्राह्मी की उत्तरी शाँली से विकसित है, किन्तु उस पर तेलुगु लिपि का प्रभाव पड़ा है। तामपत्र पर लोहे की कलम से लिखने के कारण यह लिपि कुछ वर्तुलाकार हो गई है।

बंगाली—मागधी अपभ्रंश के पूर्वी रूप से विकसित एक आधुनिक भारतीय आर्य-भाषा जो प्रमुखतः बंगाल (पूर्वी और पश्चिमी) में बोली जाती है। 'बंगाली' शब्द का सम्बन्ध बंगाल के प्राचीन नाम 'वंग' से है। 'वंग' शब्द मूलतः कदाचित् आस्ट्रिक का है। 'वंग' में 'आल' (हिन्दी बाल, वाला) प्रत्यय लगकर बंगाल बना है और उसी आधार पर वहाँ की भाषा को बगला या बंगाली कहा जाता है। इसके अन्य नाम गौड़ी, प्राकृत, मागधी, गोल्ही आदि भी मिलते हैं। पूर्वीय क्षेत्रों की भाषा मध्यदेशी तथा पश्चिमोत्तरी भाषा से वैदिक काल में ही भिन्न हो चुकी थी। प्राकृत तथा अपभ्रंश काल में उस क्षेत्र की अपनी 'श' आदि विशेषताओं का उल्लेख व्याकरण आदि के ग्रन्थों में मिलता है। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में गौड़ी रीति के रूप में भी इस अंचल की शाँली की विशेषता की ओर संकेत है। ७७९ ई० में रचित 'कुवलयमाला' में सबसे पहले कदाचित् इसी भाषा का उल्लेख है—'अड्डेति उल्लवंते अह पेच्छइ गोल्ए तत्थ।' बंगाली भाषा की उत्पत्ति अन्य आधुनिक भाषाओं की भाँति १००० ई० के आसपास हुई। यों इसमें लिखित साहित्य प्रायः १४वीं सदी के पूर्व नहीं मिलता। डॉ० चटर्जी ने बंगाली भाषा का प्रारम्भ ९५० ई० से माना है तथा उसके इतिहास या विकास को (क) प्राचीन काल (९५०-१२००), (ख) मध्य काल (१२००-१८००) तथा (ग) आधुनिक काल (१८०० से अब तक), इन तीन कालों में विभाजित किया है। मध्यकाल

को उन्होंने (I) संक्रान्तिकाल (१२००-१३००), (II) पूर्व मध्यकाल (१३००-१५००) तथा (III) उत्तर मध्यकाल (१५००-१८००), इन तीन उपकालों में बाँटा है। इस विभाजन को कुछ अधिक सरल रूप में इस प्रकार भी रखा जा सकता है—(क) आदिकाल (१०००-१३००), (ख) मध्य काल (१३००-१८००), (ग) आधुनिक काल (१८००-)। बंगाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग मराठी की भाँति अधिक होता है। हिन्दी से बंगाली ने बहुत से शब्द लिये हैं, दूसरी ओर हिन्दी को भी उपन्यास, गल्प, रसगुल्ला, रूपसि आदि शब्द दिए हैं। बंगला साहित्य को आदि (१२वीं तक), चैतन्य पूर्व (१३वीं से १५वीं तक), चैतन्योत्तर (१६वीं से १८वीं) तथा आधुनिक, इन चार कालों में बाँटा गया है। प्राचीन बंगाली साहित्य में 'कृतिवासी रामायण', काशीरामदास का 'महाभारत', चंडीदास की 'पदावली', केतकादास का 'क्षेमानन्द-काव्य' आदि प्रमुख हैं। आधुनिक लेखकों में बंकिमचन्द्र, माइकेल मधुसूदन दत्त, शरत्चन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। आधुनिक बंगाली साहित्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक सम्पन्न कहा जाता है। मध्यकालीन बंगाली साहित्य, हिन्दी के कृष्ण-काव्य से प्रभावित है। ब्रजबुलि साहित्य नाम से जो वहाँ साहित्य मिलता है, उसकी भाषा में भी व्याकरणिक दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी तथा मैथिली के पर्याप्त तत्त्व हैं। दूसरी ओर आधुनिक काल में बंगाली साहित्य ने भी हिन्दी को काव्य (रवीन्द्रनाथ), उपन्यास (बंकिम, शरत्) तथा नाटक (डी० एल० राय) के क्षेत्र में पर्याप्त प्रभावित किया है। १९३१ की जनगणना के अनुसार बंगाली बोलने वालों की संख्या बंगाल में तथा बंगाल के बाहर ५ करोड़ ३८ लाख से कुछ ऊपर थी। बंगाली भाषा की अपनी लिपि है जो प्राचीन नागरी या कुटिल लिपि से विकसित हुई है। ग्रियर्सन के अनुसार बंगाली भाषा को केन्द्रीय या परिनिष्ठित बंगाली, पश्चिमी-बंगाली, दक्षिणी-पश्चिमी बंगाली, उत्तरी बंगाली, राजबंगशी, पूर्वी बंगाली तथा दक्षिण-पूर्वी बंगाली, इन सात बोलियों में बाँटा जा सकता है। इनमें परिनिष्ठित रूपों को छोड़कर पश्चिमी के अन्तर्गत सराकी, खड़िया ठार, पहाड़िया ठार तथा माल पहाड़िया, उत्तरी के अन्तर्गत फोच्च और सिरियुरिया; राजबंगशी के अन्तर्गत बाहे; पूर्वी के अन्तर्गत हैजोंग तथा सिलहटिया; एवं दक्षिणी-पूर्वी के अन्तर्गत चाक्मा उपबोलियाँ हैं। हैजोंग बंगाली और तिब्बती-बर्मी का मिश्रित रूप है। चाक्मा की अपनी लिपि भी है जो ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से निकली बर्मी लिपि से मिलती-जुलती, किन्तु उससे प्राचीन है। चाक्मा के क्षेत्र के पास ही एक बोली डैन्नेत भी है जिसे बंगाली-मिश्रित चीनी भाषा कहा जाता है। भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की बंगाली भाषा और उसके साहित्य का विकास पश्चिमी बंगाल से कुछ भिन्न रूप में हो रहा है और उनमें कुछ ऐसे इस्लामी तत्त्व आते जा रहे हैं जो १९४७ के पूर्व नहीं थे। भारत में बंगाली-भाषी ३, ३८, ८८, ९३९ (१९६१) हैं। अब 'बांगला देश' एक स्वतन्त्र देश है और वहाँ पूर्वी बंगला का विकास हो रहा है।

असमी — यह आसाम की घाटी तथा उसके आसपास लगभग ८० हजार वर्गमील में ६,८०३,४६५ (१९६१ की जनगणना के अनुसार) लोगों द्वारा बोली जाती है। असम का प्राचीन नाम 'प्राग्ज्योतिष' था। उसके बाद इसे 'कामरूप' कहने लगे। १३वीं सदी में बर्मा से आकर एक निषाद जाति के ताइ (शान) कबीले ने इसके पूर्वी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। इन्हीं लोगों के कारण यहाँ का नाम आसाम पड़ा। नाम 'आसाम' कैसे पड़ा, इस सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद है। कुछ मत इस प्रकार हैं : (१) सर एडवर्ड गेट के अनुसार मूलतः यह शब्द संस्कृत का 'असम' (जिसके बराबर कोई न हो) है। कामरूप के लोगों ने इन नवांगुत्तक शान या ताइ लोगों की अभूतपूर्व वीरता के कारण इन्हें 'असम' कहा था। (२) कुछ लोगों के अनुसार तत्कालीन मोन लिपि एवं उच्चारण की विशेषता के कारण 'शान' का 'रहवम' हो गया। यही 'रहवम' बदलते-बदलते आहोम > अहोम > असम हो गया। (३) ग्रियर्सन का मत यह है कि मूलतः इस कबीले का नाम 'शम' था। 'शान' या 'शान' उसका

बर्मा में विकृत रूप है। इसका आशय वह है कि 'सम' ही 'सम' और 'असम', 'आसाम' आदि हो गया। आरम्भ का आगत 'अ' या 'आ' डॉ० काकती के अनुसार अप्रतिष्ठासूचक प्रत्यय है। आक्रमणकर्ता तो ये लोग थे ही, यदि आसाम के मूल निवासियों के मन में उनके प्रति घृणा या अप्रतिष्ठा का भाव रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। (४) डॉ० पी० सी० बागची मूल शब्द-सिएन-स्याम (Sien-Syam) मानते हैं और आहोम, आसाम आदि को उसी से सम्बद्ध कहते हैं। इसमें 'सिएन' चीनी शब्द है तथा 'स्याम' ख्मेर-अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द है। (५) डॉ० वानीकान्त काकती के अनुसार ताइ भाषा में एक धातु है 'चाम्', जिसका अर्थ है 'हराया जाना'। इसी में 'अ' जुड़ जाने से 'अचाम' और फिर 'आसाम', असम आदि बना है। इस तरह आसाम का अर्थ है 'अविजित' या 'विजयी'। इन लोगों ने जीतकर ही राज्य-स्थापना की थी, अतः यह नाम इनके लिए अप्रयुक्त नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन पाँचों में कोई भी ठोस आधारों पर आधारित नहीं है। इनमें अनुमान और कल्पना का हाथ ही अधिक है। कुछ भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन विजेताओं का नाम 'आसाम' या 'असम' पड़ा और इन्हीं के आधार पर, पहले इनके द्वारा विजित पूर्वी क्षेत्र और फिर पूरा आसाम इसी नाम से पुकारा जाने लगा। इस समय आसाम के लोग शान या ताइ लोगों को 'आहोम', अपने देश को 'असम' इसका उच्चारण कुछ 'अखम' जैसा है) तथा अपनी भाषा को 'असमिया' (-इया—विशेषण बनाने वाला प्रत्यय) कहते हैं। हिन्दी में प्रायः देश को 'आसाम' (कदाचित् अंग्रेजी के आधार पर) तथा भाषा को 'आसामी' कहा जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा विचार भी व्यक्त किया है कि पहले 'अहोम' या 'आहोम' शब्द प्रयुक्त हुआ, 'असम' या 'आसाम' उसी का विकृत रूप है, किन्तु ऐसी धारणा अशुद्ध है। 'असम' ही 'अहोम' आदि बन गया है। असमी भाषा का संबन्ध पूर्वोत्तरी मागधी प्रपञ्च से है। सातवीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने लिखा था कि कामरूप की भाषा मध्यदेश की भाषा से भिन्न है। इसका आशय यह है कि असमी भाषा का बीज बहुत पहले पड़ चुका था, किन्तु इसका लिखित प्राचीनतम रूप हेम सरस्वती द्वारा लिखित 'प्रह्लाद-चरित्र' नामक काव्य-ग्रंथ में मिलता है। ये ही असमी के पहले कवि हैं और यही है प्राचीनतम ग्रंथ। इसका काल है १३वीं सदी का प्रारम्भ। असमी साहित्य प्राकवैष्णवकाल, वैष्णवकाल, बुरंजी-गद्यकाल, आधुनिक काल, इन चार कालों में विभक्त है। प्राचीन असमी साहित्यकारों में पीताम्बर, गंकरदेव, माधव-देव तथा सूर्यखरी बलदेव आदि प्रमुख हैं। असमी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गद्य तथा इतिहास के व्यवस्थित ग्रन्थ बहुत गहने में मिलते हैं। इस दृष्टि से असमी अपनी अन्य गहनों से बहुत आगे है। असमी लिपि मैथिली तथा बंगाली की तरह नागरी के पूर्वी रूप से विकसित है। प्रायः यह माना जाता है कि बंगाली लिपि ही असमी में ग्रहण कर ली गई है, किन्तु यह बात गलत है। दोनों का अपना-अपना विकास हुआ है और तत्पश्चात् असमी लिपि बंगाली की अपेक्षा मैथिली के अधिक निकट है। असमी लिपि तथा बंगाली लिपि का साम्य आधुनिक है और यह कदाचित् प्रेस को दन है। बंगाली तथा असमी लिपि में प्रमुख अन्तर यह है कि बंगाली में 'व' के लिए कोई स्वतंत्र चिह्न नहीं है, किन्तु असमी में है। इसी प्रकार असमी का 'र', बंगाली के 'र' से थोड़ा भिन्न है। असमी भाषा, तिब्बती-बर्मी तथा आस्ट्रिक भाषाओं से शब्द-समूह, मुहावरों तथा वाक्य-गठन आदि की दृष्टि से कुछ प्रभावित है। बंगाली का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। असमी की बोलियाँ बहुत अधिक नहीं हैं। मनीपुर राज्य, सिलहट और कछार के हिन्दुओं द्वारा इसकी 'मयांग' (इसका अन्य नाम 'विशनुपुरिया' भी है) बोली बोली जाती है। भौगोलिक कारणों से यह बंगला से बहुत अधिक प्रभावित है। ग्रियर्सन का तो यहाँ तक कहना है कि उसे आमाती से बंगला की बोली माना जा सकता है। गारो पहाड़ियों पर 'गारो' और 'बंगाली' मिश्रित बोली 'शरबा' बोली जाती है। पूर्वी असम की असमी परिनिष्ठित मानी जाती है।

नेपाली—यह 'पहाड़ी' का पूर्वी रूप है। पहाड़ी बोलियों के प्रदेश के पूर्वी भाग की भाषा होने के कारण इसे 'पूर्वीपहाड़ी' भी कहते हैं। 'नेपाली' को नेपाल में नेपाली कहते हैं। नेपाल में बोले जाने के कारण ही इसका नाम 'नेपाली' है। 'नेपाल' शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई मत हैं। कुछ लोग नेपाल का सम्बन्ध 'ने' नामक ऋषि से जोड़ते हैं। बौद्ध मत के अनुसार 'नेपाल', 'ने' + 'पाल' दो शब्दों से बना है। 'ने' का अर्थ है 'स्वयंभू' और 'पाल' का अर्थ है 'पालन करने वाला'। अर्थात् 'नेपाल' का अर्थ है 'जिसका पालक स्वयंभू हो'। अधिक प्रामाणिक मत यह है कि 'नेपाल' का सम्बन्ध 'नेवार' से है। नेपाल के कुछ भागों में 'नेवार' (अब इसे नेवार' कहते हैं) जाति के लोग रहते हैं, कदाचित् उन्हीं के आधार पर देश को पहले 'नेवार' कहा गया। मागधी प्राकृत की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार 'र' का 'ल' हो जाने से 'नेवार' शब्द बाद में 'नेपाल' हो गया। हिन्दी प्रदेश की सामान्य जनता 'नेपाल' को 'नेपाल' कहती है। 'नेपाली' का एक अन्य नाम 'गोरखाली' भी है। यहाँ के शासक, नेपाल के शासक बनने के पूर्व, 'गोरखा' नामक नगर (काठमांडू से ७० मील दूर) में रहते थे, अतः उन्हें 'गोरखे' तथा उसी कारण नेपाल के लोगों को भी 'गोरखे' कहते हैं। इसी आधार पर 'नेपाली' भाषा का एक नाम 'गोरखाली' या 'गुरखाली' है। भाषा के अर्थ में 'गोरखाली' का प्रयोग 'नेपाली' से पुराना है। शासकीय स्तर पर 'गोरखाली' भाषा के लिए 'नेपाली' नाम का प्रयोग १९३२ के बाद हुआ है। पर्वतीय प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे पर्वतिया या पर्वतिया भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम 'खसकुरा' भी है। 'खसकुरा' का अर्थ है 'खसों की भाषा'। यहाँ 'खस' लोग भी काफी हैं।

'नेपाल' शब्द का प्राचीन प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, किन्तु भाषा के अर्थ में 'नेपाली' का प्रयोग अत्याधुनिक है। 'नेपाली' नाम से लगता है कि यह पूरे नेपाल की भाषा है, किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। यहाँ के आर्य शासक तथा अन्य आर्य लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। नेपाल के आदिवासियों की भाषा 'नेवारी' है जो चीनी परिवार की तिब्बती-बर्मी शाखा की एक बोली है। नेपाल के शासकों की भाषा होने से कारण ही नेपाली पूरे नेपाल की राष्ट्रभाषा है। 'नेपाली' अन्य पर्वतीय भाषाओं की तरह ग्रियसन के अनुसार 'अपभ्रंश' से निकली है तथा डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार यह 'खस अपभ्रंश' से निकली है। मेरी निजी राय यह है कि इसका मूल सम्बन्ध 'शौरसेनी अपभ्रंश' से है। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से इस पर राजस्थानी, मैथिली, दरद, खस तथा तिब्बती-बर्मी की 'नेवारी' आदि भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। प्रमुखतः रूप की दृष्टि से यह 'राजस्थानी' तथा शब्द-समूह एवं मुहावरों आदि की दृष्टि से 'नेवारी' से बहुत अधिक प्रभावित है। इधर काफ़ी दिनों से हिन्दी का भी नेपाल में पर्याप्त प्रचार रहा है और वहाँ हिन्दी के समाचार-पत्र आदि भी निकलते रहे हैं। १९वीं सदी तक यहाँ, हिन्दी की बोली अवधी तथा भोजपुरी आदि में कविताएँ भी होती रही हैं। इस प्रकार हिन्दी से नेपाली का पर्याप्त सम्बन्ध रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि नेपाली भाषा में बहुत से हिन्दी शब्द चले गये हैं। प्रमुखतः वर्तमान नेपाली में तो हिन्दी शब्दों की संख्या बहुत ही अधिक है। नेपाली भाषा का प्राचीनतम नमूना १५४३ ई० के एक ताम्रपत्र में मिलता है। इसके प्राचीनतम प्रसिद्ध साहित्यकार प्रमनिधि पंत कहे जाते हैं, किन्तु उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। नेपाली के पुराने कवियों में भानुदत्त (रचना-काल १९वीं सदी का मध्य) सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी रामायण बहुत सुन्दर रचना है। वर्तमान काल में नेपाली गद्य-पद्य की सभी विधाओं में प्रगति कर रही है। पहाड़ी प्रदेश की भाषाओं में बोलियों-उपबोलियों का प्रायः बाहुल्य ही जाता है। यह बात नेपाली में भी है। पूरे नेपाल में इसके अनेक तिब्बती-बर्मी तथा कुमार्थूनी आदि से प्रभावित स्थानीय रूप प्रचलित हैं। इनमें उल्लेख्य केवल चार हैं: पाल्पा, बही, कसवार तथा बेनवार। पाल्पा नेपाली का कुमार्थूनी से प्रभावित वह रूप है जो काठमांडू के

पश्चिम 'पाल्पा' नगर के आसपास बोला जाता है। वही नेपाली का एक विकृत रूप है जो नेपाल की तराई में 'दही' नामक जाति के लोगों में व्यवहृत होता है। इसे वडी या वडो भी कहते हैं। नेपाली की तराई में देनवार नामक जाति के लोगों में भी नेपाली का एक विकृत रूप प्रयुक्त होता है जिसे देनवार या दोनवार कहते हैं। इसी प्रकार नेपाल की तराई में ही नेपाली का 'कुसवार' जाति में प्रयुक्त एक विकृत रूप कुसवार या कसवार कहलाता है। 'कुसवार' का व्याकरण चीनी परिवार की स्थानीय तिब्बती-बर्मी बोलियों से प्रभावित है। नेपाली लिखने के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है। नेपाली बोलने वाले पर्याप्त लोग भारत में भी रहते हैं। १९२१ की जनगणना के अनुसार नेपाली बोलने वालों की संख्या भारत में डेढ़ लाख से कुछ ही कम थी।

सिंहली—इसका क्षेत्र लंका के दक्षिणी भाग में है। लगभग ५वीं सदी ई० पू० में विजय नामक राजा के साथ कुछ भारतीय लंका में जाकर बस गए। इन्हीं लोगों के साथ यहाँ से यह भाषा भी अपने मूल रूप में गई। विजय राजा तथा उसके साथी कहीं के थे, इस सम्बन्ध में विवाद है। ये लोग जहाँ के रहने वाले होंगे, वहीं की भाषा से सिंहली का सम्बन्ध होगा। कुछ लोगों ने इन्हें पश्चिमी बंगाल का माना है जिसके अनुसार सिंहली का सम्बन्ध उस समय बंगाल में प्रयुक्त भाषा से होगा, किन्तु कुछ लोगों ने सौराष्ट्र, लाट या गुजरात में उनका स्थान माना है। अधिक सम्भावना सौराष्ट्र की ही है। इस प्रकार सिंहली का सम्बन्ध सौराष्ट्र की पालि या पालि पूर्व भाषा से है। बाद में बौद्ध धर्म के कारण मगध से भी लंका का सम्बन्ध हो गया और इस पर पालि तथा संस्कृत का भी कुछ प्रभाव पड़ा। सिंहली प्राकृत भारतीय प्राकृतों की तरह लंका की प्राकृत है। इसका अधिकांश साहित्य नष्ट हो चुका है, केवल कुछ अभिलेख ही शेष हैं। सिंहली में प्राप्त साहित्य १०वीं सदी के आसपास का है। सिंहली भाषा का प्राचीन रूप एळु कहलाता है। 'एळु' शब्द सिंहल का ही एक विकसित रूप एळु (सिंहल > सीहळु > हिअळु > हेळु > एळु) है। एळु एक प्रकार से अपभ्रंश है, अर्थात् सिंहली प्राकृत और वर्तमान सिंहली के बीच की भाषा है। एळु पर मराठी का कुछ प्रभाव भी पड़ा है। मालदीप तथा आसपास के द्वीपों की भाषा भी सिंहली का ही एक रूप है। इसे महल (Mahl) कहते हैं। यह १०वीं सदी की सिंहली से विकसित हुई है। अपने पूरे इतिहास में भारतीय आर्य-भाषाएँ एक-दूसरे से पर्याप्त प्रभावित होती रही हैं, किन्तु सिंहली का विकास प्रायः स्वतन्त्र रूप से हुआ है। हाँ, द्रविड़ परिवार का कुछ प्रभाव उस पर अवश्य है।

जिप्सी—धुमंतू लोगों द्वारा प्रयुक्त एक भाषा, जिसे हबूडी, रोमनी, बंजारा तथा बंजारी आदि भी कहते हैं। जिप्सी भाषाएँ मूलतः भारोपीय परिवार की हैं। ५वीं सदी ई० पू० में बंजारा या जिप्सी भाषियों के पूर्वज जहाँ-तहाँ इधर-उधर फैल गए। इनके कुछ वर्ग तो भारत के बाहर चले गए और कुछ भारत में विभिन्न प्रदेशों में चले गए। इस प्रकार इनकी भाषा मूलतः ५वीं सदी ई० पू० की प्राकृत भाषा से संबद्ध है। इस पर कुछ प्रभाव दरद भाषाओं का भी है। जिप्सी की भारत में प्रमुख भाषाएँ बेलदारी, भाम्टो, डोम, गारोड़ी, गुलगुलिया, कंजरो (इसकी एक बोली 'कुचबंधी' है), कोल्हारी, लाड़ी, मचरिया, मलार, चूहरा या चूहड़ा, म्यानवाला या ल्हारो, नदी, ओडकी, पेंडारी, कशाई, सांभी तथा सिकलवारी आदि हैं। भारत में जिप्सी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १९२५ की जनगणना के अनुसार १५,००० से अधिक थी। ग्रियर्सन ने अपने भाषा-सर्वेक्षण में इनकी संख्या १ लाख से ऊपर दी है। ये लोग ईरान, तुर्की होते १२वीं सदी में मध्य यूरोप पहुँच चुके थे। अब पूरे यूरोप, मध्य एशिया, कुछ अफ्रीकी भाग तथा अमेरिका तक ये पहुँच गए हैं। इस समय जिप्सी भाषाएँ आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, ईरान, रूस, इटली, फ्रांस, बेल्ज आदि अनेक देशों में बोली जाती हैं। अकेले रूस में इनकी संख्या एक लाख से ऊपर है। अपने वर्तमान रूप में ये भाषाएँ

स्थानीय भाषाओं से काफी प्रभावित हो गई है। संस्कृत मूल के शब्दों में इनमें घ, ध, भ के स्थान पर प्रायः ख, थ, फ मिलता है। टवर्गीय ध्वनियाँ कई स्थानों पर पूर्णतः समाप्त हो गई हैं तथा ज, ज्, ख, मध्य स्वर इ आदि कई नई ध्वनियाँ विकसित हो गई हैं। प्रारंभ में इनको 'इजिप्ट' आया समझा गया था। 'इजिप्शियन' शब्द ही विकसित होकर 'जिप्सी' बन गया है। प्रारंभ में लोग समझते थे कि जिप्सी भाषाओं का संबंध मूलतः पश्चिमोत्तरी प्राकृत से है। किन्तु डॉ० टर्नर ने अंतिम रूप से ध्वनि एवं रूपों के आधार पर (The position of Romani in Indo-Aryan, Edinburg, 1927) यह सिद्ध कर दिया कि इनका संबंध मध्यदेशीय भाषा से है। वहाँ से ये पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में गए और वहाँ से प्रभावित होते भारत के बाहर गए। इनकी भाषाओं में विभिन्न भाषाओं के शब्दों आदि के आधार पर इनके जाने के पथ का भी न्यूनाधिक रूप से निर्धारण कर दिया गया है।

हिन्दी—'हिन्दी' शब्द का सम्बन्ध प्रायः संस्कृत शब्द 'सिन्धु' से माना जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक मूलतः 'सिन्धु' शब्द को संस्कृत का न मानकर द्रविड़ या और किसी पूर्ववर्ती भाषा को मानता है जहाँ से यह संस्कृत में आया है। 'सिन्धु' 'सिंध' नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को 'सिन्धु' कहने लगे। यह 'सिन्धु' शब्द ईरानी में जाकर 'हिन्दु' और फिर 'हिन्द' हो गया और इसका अर्थ था 'सिंध प्रदेश'। बाद में ईरानी धीरे-धीरे भारत के अधिक भागों में परिवर्तित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा यह 'हिन्द' शब्द धीरे-धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का -ईक प्रत्यय लगने से 'हिन्दीक' बना जिसका अर्थ है 'हिन्द का'। यूनानी 'इन्दिका' या अंग्रेजी 'इंडिया' आदि इस 'हिन्दीक' के ही विकसित रूप हैं। 'हिन्दी' भी 'हिन्दीक' का ही परिवर्तित रूप है और इसका अर्थ है 'हिन्द का'। इस प्रकार यह विशेषण है, किन्तु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। हिन्दी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन बख्शी के 'जफरनामा' (१४२४ ई०) में मिलता है। 'हिन्दी' शब्द का अर्थ और प्रयोग— वस्तुतः शब्दों में अरबी-फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य की बात थोड़े इ तो हिन्दी-उर्दू में कोई खास अन्तर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग हिन्दी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तत्पश्चात् मखज्जन-उलग रायब में आया 'दर बवाने हिन्दी कि मुराद उर्दू अस्त'। यहाँ हिन्दी उर्दू का समानार्थी है तो दूसरी तरफ हिन्दी के सूफ़ी कवि नूर मुहम्मद ने कहा है—'हिन्दू मग पर पाँव न राखी। का बहुते जो हिन्दी भाखी।' यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिन्दी के लिए है। मुल्ला बख़्शी, सौदा, मीर आदि ने अपने चेरों को हिन्दी शेर कहा है। गालिव ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिन्दी-उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का अनुमान है कि १९वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजी की विशेष भाषा-नीति के कारण ही इन दोनों को अलग-अलग भाषाएँ माना जाने लगा तथा उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिन्दी को हिन्दुओं से। यदि अंग्रेज बीच में न पड़े होते तो आज ये दोनों एक भाषाएँ होतीं। यों भाषाविज्ञानवेत्ता आज भी इन दोनों को एक ही भाषा की दो शैलियाँ मानते हैं।

'हिन्दी' शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से तीन अर्थों में हो रहा है: (क) 'हिन्दी' शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में (७वें अध्याय में दिखाई गई) हिन्दी-प्रदेश में बोली जाने वाली १७ बोलियों का शीतक है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है जहाँ ब्रज, अवधी, डिगल, मैथिली, खड़ीबोली आदि सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। वस्तुतः अब हिन्दी साहित्य के इतिहास में पूरा उर्दू और पूरा दक्खिनी साहित्य भी समाहित कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार उर्दू तथा दक्खिनी को मिलाकर हिन्दी १७ बोलियों, उर्दू तथा दक्खिनी को अपने अन्तर्गत समाहित किए हुए है।

(ख) भाषाविज्ञान में प्रायः 'पश्चिमी हिन्दी' और 'पूर्वी हिन्दी' को ही हिन्दी मानते हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिन्दी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था जिनमें 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग नहीं है, किन्तु अरबों को हिन्दी मानने के कारण 'पश्चिमी हिन्दी' तथा 'पूर्वी हिन्दी' नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में 'हिन्दी' आठ बोलियों (ब्रज, खड़ीबोली, बुन्देली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी) का सामूहिक नाम है। (ग) 'हिन्दी' शब्द का संकुचिततम अर्थ है खड़ीबोली साहित्यिक हिन्दी जो आज हिन्दी प्रदेशों की सरकारी भाषा है पूरे भारत की राज्यभाषा है, समाचारपत्रों, फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है तथा जो हिन्दी-प्रदेश के शिक्षा का माध्यम है और जिसे 'परिनिष्ठित हिन्दी' या 'मानक हिन्दी' आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। हिन्दी का उद्भव—पीछे ७वें अध्याय में हम देख चुके हैं कि खड़ीबोली हिन्दी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किन्तु यदि उसे पश्चिमी हिन्दी-पूर्वी हिन्दी की ८ बोलियों का प्रतिनिधि मानें तो उसका उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और विस्तार में जाकर यदि उसे १७ बोलियों का प्रतिनिधि मानें तो हिन्दी का उद्भव, शौरसेनी, अर्ध-मागधी अपभ्रंश से हुआ है, उद्भव-काल मोटे रूप से १००० ई० के लगभग माना जा सकता है। हिन्दी का विकास—यों तो हिन्दी के कुछ रूप पालि में ही मिलने लगते हैं, प्राकृत-काल में उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है तथा अपभ्रंश-काल में ये रूप चालीस प्रतिशत से भी ऊपर हो जाते हैं, किन्तु हिन्दी भाषा का वास्तविक आरम्भ १००० ई० से माना जाता है। इस तरह हिन्दी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग पौने दस सौ वर्षों (१००० ई० से १९७२ तक) में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को तीन कालों में बाँटा जा सकता है—आविकाल (१००० ई०—१५०० ई०)—हिन्दी भाषा अपने आविकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिन्दी का उद्भव हुआ था। उसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित हैं: ध्वनि—आदिकालीन हिन्दी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों (स्वरों-व्यंजनों) का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंशों में प्रयुक्त होती थीं। मुख्य अन्तर निम्नांकित है—(१) अपभ्रंश में केवल आठ स्वर थे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। ये आठों ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिन्दी में दो नए स्वर ऐ, औ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः अएँ, अओँ था। (२) च, छ, ज, झ संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किन्तु आदिकालीन हिन्दी में आकर वे स्पर्श-संघर्षी हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श-संघर्षी ही हैं। (३) न, र, ल, स संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश में द्रव्य ध्वनि थे। आदिकाल में ये उत्सर्ग हो गए। (४) अपभ्रंश में ड, ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन हिन्दी में इनका विकास हो गया। (५) न्ह, म्ह, ल्ह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात् संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। (६) संस्कृत तथा फ़ारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिन्दी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। व्याकरण—आदिकालीन हिन्दी का व्याकरण १००० या ११०० ई० के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे। किन्तु धीरे-धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिन्दी के अपने रूप विकसित होते गए तथा धीरे-धीरे १५०० ई० तक आते-आते हिन्दी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिन्दी का व्याकरण समवेततः अपभ्रंश व्याकरण से निम्नांकित बातों में भिन्न है: (१) अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किन्तु आदिकालीन हिन्दी में वियोगात्मक रूपों का

प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों (कारक-चिह्नों) का प्रयोग काफ़ी होने लगा। धीरे-धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। (२) नपुंसकालिग एक सीमा तक अपभ्रंश में था। यद्यपि संस्कृत, पालि, प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट-सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिन्दी में नपुंसकालिग का प्रयोग प्रायः पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ में कुछ प्रयोगों ने नपुंसकालिग का माना गया है, किन्तु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। (३) हिन्दी वाक्य-रचना में शब्द-क्रम निश्चित होने लगा था। शब्द-समूह—आदिकालीन हिन्दी का शब्द-समूह अपने प्रारम्भिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किन्तु धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन आते गए जिनमें उल्लेख्य दो-तीन हैं—(१) भक्ति-आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः तत्सम शब्दावली, अपभ्रंश की तुलना में, कुछ बढ़ने लगी। (२) मुसलमानों के आगमन से पश्तो, फ़ारसी तथा तुर्की भाषाओं का प्रभाव पड़ा और कुछ शब्द इन तीनों भाषाओं से हिन्दी में आए। (३) भक्ति-आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो शब्द-समूह से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। साहित्य में प्रयोग—इस काल में साहित्य में प्रमुखतः डिगल, मैथिली, दक्खिनी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस काल के प्रमुख हिन्दी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल्ह, चंद बरदायी, कबीर, ख्वाजा बंदा नेवाज तथा शाह मीराजी आदि हैं।

मध्यकाल (१५०० ई० से १८०० ई० तक)—इस काल में आकर ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द-समूह के क्षेत्र में मुख्यतः निम्नांकित परिवर्तन हुए: ध्वनि—(१) फ़ारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फ़ारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फ़ारसी का प्रचार हुआ जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों में हिन्दी में क, ख, ग, ज, फ़ ये पाँच नए व्यंजन आ गए। (२) शब्दांत का 'अ' कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया। 'राम' का उच्चारण 'राम्' हो गया। किन्तु 'भक्त' जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, 'अ' बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत 'अ' का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन 'जपता' अब उच्चारण में 'जप्ता' हो गया। व्याकरण—(१) इस काल में हिन्दी व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्रायः हिन्दी से निकल गए। जो कुछ बचे थे, वे वह थे जिन्हें हिन्दी ने आत्मसात् कर लिया था। (२) भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए। परसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। (३) उच्च वर्ग में फ़ारसी का प्रचार होने के कारण हिन्दी वाक्य-रचना फ़ारसी से प्रभावित होने लगी। शब्द-समूह—(१) इस काल में आते-आते काफ़ी शब्द फ़ारसी (लगभग ३५००), अरबी (लगभग २५००), पश्तो (लगभग ५०), तुर्की (लगभग १२५) हिन्दी में आ गए और उनकी संख्या लगभग ६००० हो गई। (२) भक्ति-आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुँचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। (३) यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ़्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिन्दी में आ गए। साहित्य में प्रयोग—इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम-स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण-स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यों दक्खिनी, उर्दू, डिगल, मैथिली और खड़ीचोली में भी साहित्य-रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव, बिहारी, भूषण, देव, बुरहानुद्दीन, नुसरती, कुली-कुतुबशाह वज्रही तथा वली आदि हैं।

आधुनिक काल (१८०० ई०—अब तक)—ध्वनि—(१) आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिन्दी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उद्भूत होने के कारण क, ख, ग ज, फ, जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्गों के फारसी पढ़े-लिखे लोगों तक प्रचलित थे, इस काल में प्रायः १९४७ तक सुशिक्षित लोगों में खूब प्रचलित हो गए, किन्तु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली है और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज, फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयुक्त हो रहे हैं, किन्तु क, ख, ग के ठीक प्रयोग में कमी आई है। नई पीढ़ी, कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर प्रायः क, ख, ज बोलने लगी है। (२) अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ क्षेत्रों में आँ (कॉलज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि में) ध्वनि भी हिन्दी में प्रयुक्त हो रही है। अन्यत्र इसके स्थान पर आ का प्रयोग होता है। (३) अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन (ङ) हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हैं। (४) स्वरों में ऐ, औ हिन्दी में आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण अएँ, अओँ था, अर्थात् वे संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में, मुख्यतः १९४० के बाद ऐ, औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई है। इस संबंध में ३ बातें उल्लेख्य हैं : (क) पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर रूप में उच्चरित होते हैं। (ख) पूर्वी हिन्दी क्षेत्र में अब भी ये अएँ, अओँ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। (ग) नैना, भैया, कौआ जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही हिन्दी क्षेत्रों में ऐ, औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर अइ, अउ रूप में होता है। (५) मध्यकाल में अ का लोप शब्दांत तथा कुछ परिस्थितियों में अक्षरांत में होना प्रारंभ हुआ था। आधुनिक काल तक आते-आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिन्दी में उच्चारण में ही कोई भी शब्द अकरांत नहीं है। (६) व ध्वनि आदि तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः द्वयोः ठ रूप में उच्चरित होती थी, अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिन्दी के काफ़ी शब्दों में दंतोत्थ रूप में उच्चरित होती है। व्याकरण—(७) आदिकाल में हिन्दी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किन्तु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो पास-पास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण की काफ़ी कमी हो गई थी। सुर, बिहारी, देव आदि की ब्रजभाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधी इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते-आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। (२) हिन्दी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। (३) प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिन्दी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर हिन्दी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के इस स्थिरीकरण में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। (४) कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिन्दी वाक्य-रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। साथ ही समाचारपत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी भाषा वाक्य-रचना, मुहावरा तथा लोकोक्ति के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए 'मैं सोने जा रहा हूँ' 'I am going to sleep' का प्रभाव है तो 'वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था, आज मर गया' 'The man who fell ill yesterday expired today' का। इसी तरह 'पर प्रकाश डालना' मुहावरा 'To throw light on' का अनुवाद है तो 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' लोकोक्ति 'Necessity is the mother of invention' का। अंग्रेजी ने विराम-चिह्नों के माध्यम से भी हिन्दी वाक्य-रचना को प्रभावित किया है। (५) इधर कुछ वर्षों से 'कीजिए' के लिए 'करिए', 'मुझे' के लिए 'मेरे को', 'मुझसे' के लिए 'मेरे से',

'तुझमें' के लिए 'तेरे में' जैसे नए रूपों का प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। शब्द-समूह-शब्द-समूह की दृष्टि से १८०० से १९७२ तक के आधुनिक काल को मोटे रूप से छह-सात उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। १८०० से १८५० तक का हिन्दी शब्द-समूह मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अन्तिम चरण में था। अन्तर केवल यह था कि धीरे-धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिन्दी भाषा में आते जा रहे थे। १८५० से १९०० तक अंग्रेजी के और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्यसमाज के प्रचार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिन्दी से निकल गए। १९०० के बाद द्विवेदी काल तथा छायावादी काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना आरंभ हो गया। प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिवादी आन्दोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफी कमी हुई। १९४७ तक लगभग यही स्थिति रही। १९४७ से बाद के शब्द-समूह में कई बातें उल्लेख्य हैं: (१) अनेक पुराने शब्द नये अर्थों में प्रचलित हो गए हैं। उदाहरण के लिए 'सदन' राज्यसभा, लोकसभा के लिए (दोनों सदनों में) प्रयुक्त हो रहा है। (२) सामान्य समूह में कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षणिका, क्लिप्ताना, श्लील, घुस-पैठिया जैसे बहुत से नए शब्द आ गए हैं। (३) साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट है, उसमें अरबी-फ़ारसी तथा अंग्रेजी के जन-प्रचलित शब्दों का काफी प्रयोग हो रहा है। किन्तु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफी लदी हुई है। (४) इधर हिन्दी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भी भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिये गए हैं तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिन्दी में मुश्किल से ५-६ हजार पारिभाषिक शब्द थे, किन्तु अब उनकी संख्या लगभग एक लाख है और दिनों-दिन उनमें वृद्धि होती जा रही है। हिन्दी शब्द-समूह अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनों-दिन अधिक समृद्ध होता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही है।

अनिश्चित भाषाएँ

यों तो ऊपर वर्णित परिवारों में भी अभी कई भाषाओं की स्थिति बहुत निश्चित नहीं है, किन्तु एनू (जापान के उत्तर के कुछ टापुओं की भाषा), हाइपरबोरी (उत्तरी-पूर्वी साइबेरिया तथा कुछ द्वीपों की भाषा), अंडमनी (अंडमन की भाषा), करेनी (रंगून के पूरब में इसका क्षेत्र है), बुरुशास्की (कश्मीर के उत्तरी-पूर्वी कोने पर बोली जाती है), एबुस्कन (इटली की एक मृत भाषा), मितानी (दजला-फ़रात के पास की मृत भाषा), बास्क आदि निश्चित रूप से अनिश्चित परिवार की हैं। इनमें कुछ का तो अपना अकेला ही अलग परिवार माना गया है। इनमें बास्क ही अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः उस पर कुछ विस्तार से कहने की आवश्यकता है।

बास्क

फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरीनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बास्क भाषा बोली जाती है। यह चारों ओर से आर्यभाषाओं से घिरी है। बोलने वालों की संख्या दो लाख से कुछ ही ऊपर है। पहाड़ी भाग होने से आने-जाने की सुविधा न होने के कारण इसकी सात-

आठ बोलियाँ विकसित हो गई हैं। इसे काकेशी सेमेटिक परिवारों से जोड़ने के असफल प्रयत्न हुए हैं। विशेषताएँ—(१) यह अद्विष्ट-अन्तःयोगात्मक भाषा है। (२) उपपद (article) परसर्ग की भाँति बाद में लगता है—जाल्दी = घोड़ा; जाल्दी y -वह घोड़ा (The horse)। (३) सर्वनाम सेमेटिक परिवार से मिलते-जुलते हैं। (४) क्रिया के रूप बहुत ही कठिन होते हैं। बिना पूरा अभ्यास के उन पर अधिकार पाना असंभव है। (५) और सर्वनाम का इनमें संयोग होता है: दकारकिओत = मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ। (६) वाक्य की बनावट कठिन होती है। क्रिया अधिकतर हिन्दी की भाँति अन्त में आती है। (७) लिंग-विचार केवल क्रिया में होता है। आश्चर्य यह है कि कहने वाले के अनुसार क्रिया का लिंग परिवर्तित न होकर जिससे बात कही जाये, उसके अनुसार परिवर्तित होता है। उदाहरण-स्वरूप: सामान्य वाक्य—एजातकित मैं इसे नहीं जानता। जब पुरुष से कहा जाए—एजातकिआत्। जब स्त्री से कहा जाय—एजातकिनात्। (८) क्रिया में आदरसूचक और निरादरसूचक दो रूप होते हैं।

४ | प्रोक्तिविज्ञान

प्रोक्तिविज्ञान

विव-भाषाविज्ञान में 'प्रोक्ति' की दृष्टि से भाषा का अध्ययन-विश्लेषण अपेक्षाकृत बहुत नई चीज है। भारत में भी और यूरोप में भी अभी हाल तक भाषा की सहज और वृहत्तम इकाई वाक्य मानी जाती रही है और ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद पर विचार करते-करते हमारा अध्ययन-विश्लेषण वाक्य पर आकर समाप्त हो जाता रहा है। इसीलिए ध्वनि-विज्ञान (Phonetics तथा Phonology), रूपविज्ञान (Morphology) तथा वाक्यविज्ञान (Syntax), ये तीन ही भाषाविज्ञान के मुख्य विभाग माने जाते रहे हैं। इधर पश्चिम में कुछ समय से प्रोक्ति रूप में भाषा का विश्लेषण होने लगा है, किन्तु अभी तक इस अध्ययन को न तो भारत के बाहर और न भारत में ही कोई नाम देने का प्रयास हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक इस अध्ययन को 'प्रोक्तिविज्ञान' कहने का सुझाव देना चाहता है। यदि ध्वनि, रूप और वाक्य के अध्ययन क्रमशः ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान और वाक्यविज्ञान हैं तो प्रोक्ति के अध्ययन के लिए 'प्रोक्तिविज्ञान' नाम को अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी में भी इसके अध्ययन के लिए कोई स्वतन्त्र नाम नहीं है। मेरे विचार में यदि 'प्रोक्ति' 'डिस्कोर्स' है तो 'प्रोक्तिविज्ञान' के लिए 'डिस्कोर्सोलॉजी' (Discoursology) नाम 'फोनॉलोजी', 'माफ़ॉलोजी' आदि के ढाँचे पर ठीक ही रहेगा।

अंग्रेजी 'डिस्कोर्स' के लिए 'प्रोक्ति' शब्द का प्रयोग हिन्दी में १९८० से ही विशेष रूप से चला। १९८० में ही रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, बाल गोविन्द मिश्र तथा भोलानाथ तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक 'हिन्दी का शैक्षिक व्याकरण' प्रकाशित हुई थी जिसमें प्रोक्ति पर लगभग पैंतीस पृष्ठों का एक पूरा खण्ड था।

इस विशेष अर्थ में प्रोक्ति (प्र+उक्ति) शब्द अंग्रेजी 'डिस्कोर्स' के लिए हिन्दी में बनाया गया एक नया शब्द है। 'डिस्कोर्स' अंग्रेजी का सामान्य अर्थ (बातचीत, भाषा, तर्क-शक्ति, लेख, भाषण तथा वार्ता आदि) में तो काफ़ी पुराना शब्द है, किन्तु इस विशिष्ट अर्थ में वह इस सदी के प्रथम चरणान्त में ही प्रयोग में आना शुरू हुआ।

'प्रोक्ति' या 'डिस्कोर्स' के कुछ अन्य नाम या संकेत

'डिस्कोर्स' के लिए कई अन्य शब्दों या शब्दबंधों का भी-प्रयोग मिलता है। जैसे सस्यूर भाषा को वाक्य तक सीमित नहीं रखते। वे उसे मैं-तुम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 'कहना' उनके अनुसार भाषा नहीं, 'बातचीत करना' भाषा है (Language is not speaking but talking) और 'डिस्कोर्स' यह बातचीत ही है। ग्लोसन इसे upward extension of sentence कहते हैं। हैरिस ने इसी को 'डिस्कोर्स' कहा है, तो हैलिडे ने टेक्स्ट (पाठ) कहा है। कुछ लोग 'डिस्कोर्स' और 'टेक्स्ट' में यह अन्तर मानते हैं कि जो 'बातचीत' होती है, वह 'डिस्कोर्स' है तथा उसी का लिखित रूप 'टेक्स्ट' या पाठ है। आस्टिन इसे 'स्पीच ऐक्ट' (भाषिक क्रिया) कहते हैं तो हाइन्स 'स्पीच इवेंट' (भाषिक घटना)। इस प्रकार ये लोग भाषा को वाक्य तक सीमित नहीं मानते, जो ठीक ही है।

भारत में इस संकल्पना की प्राचीनता

भारत के लिए प्रोक्ति की संकल्पना बिल्कुल नई नहीं है। विष्णुनाथ ने साहित्य-दर्पण में 'महावाक्य' प्रायः इसी को कहा है। वे कहते हैं 'वाक्योच्चयो महावाक्यम्', अर्थात् 'वाक्यों के उच्चय को महावाक्य कहते हैं। 'उच्चय' मूलतः 'उद्+चय' है, अर्थात् एक के ऊपर एक चुना हुआ। इस प्रकार विश्वनाथ के अनुसार 'वाक्यों का मात्र समूह' 'महावाक्य' नहीं है। जैसे दीवाल में चूनी इंटों एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़ी होती है, उसी प्रकार कई वाक्य पूरी तरह एक दूसरे से मिलकर महावाक्य की रचना करते हैं। साहित्यदर्पणकार ने आगे महावाक्य की संरचना को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

स्वार्थबोधे समाप्तानामंगित्वव्यपेक्षया ।

वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ।

अर्थात्, महावाक्य के घटक प्रत्येक वाक्य का अपना-अपना अर्थ होता है, किन्तु वे जब एक दूसरे से अंगानीभाव से मिलते हैं, तो मिलकर समवेतः एक अर्थ देते हैं तथा उनमें एकवाक्यत्व आ जाता है, अर्थात् वे संरचना और अर्थ के स्तर पर एक इकाई हो जाते हैं।

वस्तुतः प्रोक्ति (डिस्कोर्स) के परिभाषा-स्वरूप इस सदी में पश्चिम में और पूर्व में जो कुछ भी कहा गया है, उसे कई सौ वर्ष पूर्व साहित्यदर्पणकार ने उपर्युक्त श्लोकांश तथा एक श्लोक में बहुत ही सफ़ाई और पूर्णता से कह दिया है।

यह एक अजीब-सी बात है कि अपनी परम्परा के इस पुराने शब्द 'महावाक्य' को छोड़कर आज हमने इस अर्थ में एक नया शब्द 'प्रोक्ति' बनाया है, और स्वीकार किया है। निश्चय ही ऐसा करके हमने अपनी परम्परा के प्रति बहुत न्याय नहीं किया है।

यों इसमें सन्देह नहीं कि 'महावाक्य' शब्द में बड़े वाक्य का भाव है, कई वाक्य के उच्चय का नहीं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से 'डिस्कोर्स' के लिए 'महावाक्य' और 'प्रोक्ति' की तुलना में 'वाक्यबंध' नाम के प्रति अधिक आग्रही रहा हूँ। आखिर हमारे यहाँ 'शब्दबंध' और 'पदबंध' का प्रयोग होता ही है, तो उसी परम्परा में 'वाक्यबंध' भी कम सार्थक नाम नहीं कहा जा सकता।

प्रोक्ति

तर्कपूर्ण क्रमयुक्त और आपस में आन्तरिक रूप से सुसंबद्ध, एकाधिक वाक्यों की ऐसी व्यवस्थित इकाई को प्रोक्ति कहते हैं जो सन्दर्भ-विशेष में अर्थद्योतन की दृष्टि से पूर्ण हो। अर्थात्—

(१) प्रोक्ति में एक से अधिक वाक्य होते हैं।

(२) इन वाक्यों का क्रम तर्कपूर्ण होता है।

(३) ये आन्तरिक रूप से आपस में सुसंबद्ध होते हैं।

(४) ये वाक्य, आपस में मिलकर, सन्दर्भ-विशेष में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं।

(५) ये वाक्य तर्कपूर्ण क्रमयुक्तता, आपस में सुसंबद्धता तथा अर्थद्योतन की दृष्टि से पूर्णता के कारण एक इकाई के रूप में होते हैं।

यों उपर्युक्त परिभाषा में 'तर्कपूर्ण क्रमयुक्तता', 'आन्तरिक रूप से', 'आपस में', 'एकाधिक', 'व्यवस्थित' तथा 'सन्दर्भ-विशेष' आदि को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि 'यदि वाक्य सुसंबद्ध है' तो 'उनका क्रम तर्कपूर्ण ही होगा' तथा वे 'आन्तरिक रूप से जुड़े' भी होंगे, क्योंकि 'सुसंबद्ध वाक्यों' पदबंध में 'एकाधिकता', 'तर्कपूर्ण क्रमयुक्तता' (बिना इसके सुसंबद्धता नहीं आ सकती), 'आपस में संबद्धता' तथा 'आन्तरिक संबद्धता' स्वतः समाहित है और बिना

'व्यवस्थितता' के वाक्यों की लड़ी की कड़ी तो हो सकती है, सच्चे अर्थों में 'इकाई' नहीं बन सकती। जहाँ तक 'सन्दर्भ-विशेष' का प्रश्न है, किसी लेख, कहानी, उपन्यास या नाटक आदि का एक पैराग्राफ़; गीत, मुक्तक, खंडकाव्य तथा महाकाव्य का एक छंद, या नाटक का एक दृश्य का पूरा अर्थ सन्दर्भ-विशेष में ही होता है, किन्तु ऐसी प्रोक्तियाँ भी होती हैं जिनके लिए सन्दर्भ को अनिवार्यतः आवश्यक नहीं माना जा सकता। जैसे, रहिमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुस चून, एक प्रोक्ति है, किन्तु निश्चित सन्दर्भ के बिना भी अर्थद्योतन की दृष्टि से यह अपने आप में पूर्ण है। 'एक-एक ग्यारह होते हैं' की भी यही स्थिति है। सन्दर्भ-विशेष में इसका विशेष अर्थ (तुम लोग श्रोता या श्रोताओं को लक्ष्य) एकमत रहो) हो सकता है, किन्तु बिना सन्दर्भ के भी यह निरर्थक नहीं है। तब इसका अर्थ होना—'एकता में बड़ी शक्ति है'। इस तरह प्रोक्ति के लिए प्रसंग-विशेष अनिवार्य नहीं है। निष्कर्षतः—

वाक्यों की सुसंबद्ध ऐसी इकाई को प्रोक्ति कहते हैं जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो।
इस प्रसंग में निम्नांकित बातें भी संकेत्य हैं—

(क) प्रोक्ति में प्रायः एकाधिक वाक्य होते हैं, किन्तु कभी-कभी एक वाक्य की भी प्रोक्ति होती है, यद्यपि अपवादतः। जापानी में लिखे गए हाइकु में प्रत्येक एक प्रोक्ति है तथा कइयों में मात्र एक ही वाक्य होता है। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता को यदि 'साँप, तुम नगर में तो रहे नहीं, उसना कहाँ सीखा?' रूप में रखें तो यह भी एकवाक्यीय प्रोक्ति है। यों 'आ' एक ध्वनि भी है, एक अक्षर भी है, एक शब्द भी है, एक वाक्य भी है तथा अपवादतः कुछ स्थितियों में एक प्रोक्ति भी। इसी तरह अनेक लोकोक्तियों (जैसे 'एक और एक ग्यारह होते हैं' या 'एक हाथ से ताली नहीं बजती', 'सत्य कड़वा होता है', 'लोहे को लोहा काटता है' आदि) भी एकवाक्यीय प्रोक्ति होती हैं। यही स्थिति सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाले वाक्यों की भी होती है। उदाहरणार्थ 'सूरज पूरब में निकलता है' या 'दो और दो चार होते हैं' आदि।

(ख) प्रोक्ति के वाक्य ऊपरी तौर पर सुसंबद्ध हों या नहीं, आन्तरिक रूप में अवश्य सुसंबद्ध होते हैं। यों सामान्यतः तो प्रोक्ति के वाक्य बाह्यतः भी आपस में संबद्ध होते हैं, किन्तु कभी-कभी ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब वाक्य आपस में ऊपरी तौर पर बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते। जैसे 'सूरज डूब रहा है। आसमान लाल है। पशु दिन भर बाहर चर कर घर लौट रहे हैं।' इस प्रोक्ति में तीनों वाक्य बाहर से अलग-अलग हैं, किन्तु भीतर से जुड़े हैं, क्योंकि सभी अपने-अपने ढंग से एक ही बात 'शाम हो चली है' को ध्वनित कर रहे हैं, तीन बिम्बों के द्वारा।

(ग) प्रोक्ति अपने छोटे रूप में एक पैराग्राफ़, एक छंद या एक दृश्य (नाटक का) भी हो सकती है, एक अध्याय या अंक भी हो सकती है तथा अपने बृहत्तम रूप में एक पूरी कहानी, पूरा उपन्यास, पूरा एकांकी या नाटक, पूरा निबन्ध, पूरी कविता, पूरा खंडकाव्य या पूरा महाकाव्य भी।

(घ) प्रोक्ति मूलतः बातचीत है, इसीलिए वक्ता, श्रोता, कथ्य (संप्रेष्य या सन्देश), सन्दर्भ और मौखिक सरणि ये पाँच प्रोक्ति के घटक हैं। यदि वह लिखित या पाठ है तो पाँचवाँ घटक 'लिखित सरणि' होगा।

(ङ) प्रोक्ति का निर्णय आकार से नहीं प्रकार्य से होता है। जब तक उसमें पूरी बात को कहने की क्षमता न हो, बड़ी या छोटी होने के आधार पर उसे प्रोक्ति नहीं कहा जा सकता।

(च) प्रोक्ति मूलतः संप्रेषण की एक पूर्ण इकाई होती है। यों यह सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक 'उपन्यास', उसका 'प्रत्येक अध्याय' तथा प्रत्येक अध्याय के 'अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण पैराग्राफ़'—ये सभी प्रोक्ति हैं, किन्तु 'उपन्यास की पूर्णता' तथा 'अध्याय की पूर्णता' और 'अध्याय के एक पैराग्राफ़ की पूर्णता' एक प्रकार की नहीं हो सकती।

(छ) कभी-कभी वाक्य अनेकार्थी होता है, किन्तु प्रोक्ति उसे अनेकार्थी से एकार्थी बना देती है। जैसे 'यह राम की तसवीर है' के तीन अर्थ हैं, किन्तु 'यह राम की तसवीर है, उसने कल ही खरीदा है' में वह एकार्थी है। उस वाक्य की यही स्थिति 'यह राम की तसवीर है, कल ही उसने बनाई है' या 'यह राम की तसवीर है, किन्तु उसके अपने चेहरे से इस तसवीर का चेहरा कहीं अच्छा है' में भी है।

प्रोक्ति के प्रकार

प्रोक्ति का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है जिनमें से कुछ मुख्य आधार तथा उनके आधार पर हो सकने वाले प्रोक्ति-प्रकार यहाँ अत्यन्त संक्षेप में देखे जा सकते हैं—

(क) 'प्रोक्ति क्या (कौन-सी विधा) है, अथवा किस विधा का अंश है'— इसके आधार पर—इसके आधार उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, खंडकाव्य, महाकाव्य, मुक्तक, गीत, निबन्ध अथवा उपन्यासांश, नाटकांश, खंडकाव्यांश, महाकाव्यांश, गीतांश तथा निबंधांश आदि भेद हो सकते हैं। कहना न होगा कि इन सबमें संवादिता, एकालापता, वर्णनात्मकता आदि दृष्टियों से अन्तर होगा जो तत्त्वतः प्रोक्ति की प्रकृति से संबद्ध हैं।

(ख) 'प्रोक्ति के वाक्य आपस में किस साधन के द्वारा जोड़े गए हैं'—इसके आधार पर—इसके आधार पर समुच्चयी संसक्ति-युक्त, सर्वनामी संसक्ति-युक्त, लोपी संसक्ति-युक्त, विरामी संसक्ति-युक्त तथा संदर्भी संसक्ति-युक्त आदि भेद हो सकते हैं। इनमें प्रथम में संसक्ति समुच्चयबोधक अव्यय (जैसे तथा, एवं, और, कि, जो, जोकि, तो, इसलिए कि, यद्यपि...तथापि/पर/परन्तु/लेकिन, जो...तो, क्या...क्या, चाहे...परन्तु, पर/लेकिन/किन्तु/मगर, या...या, न...न, आदि) से होती है तो दूसरे में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके। ऐसे ही आगे कर्तालोप, संप्रदान लोप, कर्मलोप, क्रियालोप, विरामचिह्न तथा सन्दर्भ आदि के द्वारा। यों सर्वाधिक प्रयोग 'मिश्र संसक्ति-युक्त' प्रोक्ति का होता है जिसमें उपर्युक्त में एकाधिक (अर्थात् दो, तीन, चार या पाँच) साधनों का एक ही प्रोक्ति में प्रयोग होता है। मिश्र संसक्ति-युक्त प्रोक्ति को भी द्विसंसक्तियुक्त, त्रिसंसक्तियुक्त, चतुसंसक्तियुक्त आदि उप-भेदों में संसक्ति-साधनों के प्रकारों की कुल संख्या के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। उल्लेख्य है कि 'संसक्ति' का अर्थ होता है 'पूरी तरह आपस में मिल कर एक इकाई बन जाना।

(ग) संबद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तिओं के आधार पर—इस आधार पर मुख्यतः संलाप (दो व्यक्तियों में बातचीत) तथा एकालाप (एक ही व्यक्ति अकेले में बोलता है। वह वक्ता भी होता है और श्रोता भी) दो भेद होते हैं। फिर संलाप के गत्यात्मक (जिसमें जल्दी-जल्दी वक्ता श्रोता बनता जाए तथा श्रोता वक्ता। अर्थात् वे बातचीत करते चले, वक्ता-श्रोता रूप में अपनी भूमिकाएँ बदलते चले) तथा स्थिर (वक्ता बोलता जाए और श्रोता सुनता जाए) आदि उपभेद होते हैं। फिर स्थिर के द्वि-अभिमुख (जैसे मंच से भावण जिसमें श्रोता सामने होता है) तथा एकाभिमुख (रेडियो से समाचार या वार्ता जिसमें श्रोता सामने नहीं होता) उप-उपभेद होते हैं। एकालाप के भी स्थिर (जहाँ वक्ता के विचारों या भावों में स्थिरता हो), तथा गत्यात्मक (जहाँ विचार या भाव स्थिर न होकर बदलते रहें) उपभेद होते हैं।

(घ) कथन के आधार पर—इस आधार पर प्रोक्ति के प्रत्यक्ष कथन (डाइरेक्ट स्पीच) एवं अप्रत्यक्ष कथन (इनडाइरेक्ट स्पीच) भेद होते हैं। 'राम—मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ? मोहन—मुझे मोहन कहते हैं' प्रत्यक्ष कथन है तो 'राम ने मोहन से पूछा कि उसका नाम क्या है और मोहन ने उत्तर में कहा कि उसका नाम मोहन है' अप्रत्यक्ष कथन। हिन्दी में एक प्रकार का कथन दोनों के बीच का भी होता है—'राम ने मोहन से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो मोहन ने बतलाया कि मेरा नाम मोहन है'। इसे अर्धप्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं। यों तत्त्वतः यह भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष कथन ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष कही गई बात यहाँ भी है। अन्तर केवल यह है कि इसमें 'कि' भी है, जो सामान्यतः प्रत्यक्ष कथन में नहीं आता।

(ङ) कथन की प्रकृति के आधार पर—इस आधार पर विवरणात्मक (जिसमें विवरण हो), व्याख्यात्मक (जिनमें व्याख्या हो), मूल्यांकनपरक (जिसमें मूल्यांकन हो) तथा मिश्र (जिसमें इन तीनों में कोई दो या तीनों हों) भेद हो सकते हैं। प्रोक्ति की प्रकृति के आधार पर आश्चर्यसूचक, प्रश्नसूचक, सूचनापरक, अनुभवाभिव्यक्तिक, कथात्मक, प्रक्रियात्मक, उत्सुक, प्रभावक, नाटकात्मक आदि अन्य अनेक भेद भी विभिन्न सन्दर्भों में माने जा सकते हैं और माने गए हैं।

(च) कथन-शैली के आधार पर—इस आधार पर रुढ़िगत (जैसे, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्ति करने का कण्ट करें), बहुत औपचारिक (जैसे, कृपया अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्ति करने का कण्ट करें), औपचारिक (जैसे, अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्ति करने की कृपा करें), सामान्य (जैसे, अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्ति कर दें), अनौपचारिक (जैसे, भाई, अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्ति कर दो) तथा अंतरंग (जैसे, भाई, अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्ति कर दो न) भेद किए जा सकते हैं। यों ये उदाहरण पूरी प्रोक्ति नहीं हैं, केवल स्पष्टीकरण के लिए यहाँ प्रोक्ति-अंश दिए गए हैं।

(छ) प्रोक्ति में स्थान की दृष्टि से संसक्ति के आधार पर—प्रोक्ति के विभिन्न घटकों में स्थान की दृष्टि से संसक्ति दो प्रकार की होती है—(क) स्थानिक (लोकल) संसक्ति तथा

(ख) सार्वत्रिक (ग्लोबल) संसक्ति। आगे इनकी अलग-अलग लिया जा रहा है।

(क) स्थानिक संसक्ति—इसमें संसक्ति स्थान-विशेष पर होती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की संसक्तियाँ आती हैं जिनमें से कुछ मुख्य ये हैं—

(१) सांकेतिक संसक्ति—इसमें सर्वनामों (तुम, तुम्हारा, वह, उसका आदि जो पीछे की किसी संज्ञा के लिए आते हैं (back reference) अथवा निर्देशकों (यह, वह, इसी, उसी, इसी कारण, उसी कारण आदि) के आधार पर संसक्ति होती है।

(२) शाब्दिक संसक्ति—इसमें सर्वनामों, निर्देशकों तथा समुच्चयबोधकों को छोड़कर अन्य शब्दों के आधार पर संसक्ति होती है। इसके कई उपभेद हैं : (अ) पुनरावृत्तिक संसक्ति—इसमें पुनरावृत्ति (जैसे 'संसार घूम रहा है। सूरज घूम रहा है। चंद्रमा घूम रहा है। पृथ्वी घूम रही है। मेरा मन घूम रहा है।) होती है। कबीर का एक पद है—

अवधू माया तजी न जाई।

गिरिह तज के बस्तर बाधा, बस्तर तज के फेरी।

लरिका तज के चल्हा कीन्हा तहुँ मति माया घेरी।

काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा।

लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई सोभा।

शैलीविज्ञान में जिसे शब्द-समानांतरता कहते हैं, वह भी यही है। (अ) पर्यायिक संसक्ति—यह संसक्ति पर्यायों पर आधारित होती है। तुलसी की प्रसिद्ध चौपाई है—

बिरह अग्नि तनु तूल समीरा। स्वास जरइ छन माहि सरीरा ॥
नयन खवहि जलु निज हित लागी। जरै न पाव देह बिरहागी ॥

(मानस, मुन्दरकांड)

(इ) वैलौमिक संसक्ति—यह विलोमों पर आधारित होती है। जैसे 'पुरुष कुतूहल और प्रश्न, स्त्री उत्तर' (स्कंदगुप्त)। (ई) एकवर्गीय संसक्ति—इसका आधार एक वर्ग के शब्द होते हैं। जैसे काँपी है, किताब है, कलम है। 'नदी-नाव-नाविक-किनारा' या 'पर्वत-नदी-जंगल' में भी वही बात है।

(३) संयोजनी संसक्ति—युक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य इसके उदाहरण होते हैं। कई वाक्यों को एक में मिलाना भी यही है। जैसे 'राम गया, मोहन गया, श्याम गया' का 'राम, मोहन और श्याम गए'।

(४) समुच्चयबोधी संसक्ति—इसमें और, तथा, एवं, या, अथवा, परन्तु, किन्तु, लेकिन, पर, कि (जाना अच्छा होगा कि रुकना), तो (तुम्हें यह करना है तो मैं नहीं साथ दूँगा); यदि '...तो, फिर, और फिर आदि का प्रयोग होता है।

(५) वैरामिक संसक्ति—यह विराम-चिह्नों से होती है। जैसे पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुःख, पुण्य की कसौटी है पाप। (स्कंदगुप्त)

(६) पदलोपी संसक्ति—इसमें कर्ता (राम बहुत सवरे उठता है बर्तन धोता है। खाना बनाता है और खाकर स्कूल जाता है), कर्ता तथा कर्म (धीसू रद्दी कागज, प्लास्टिक के टुकड़े तथा चिथड़े आदि बटोरता है। बाजार में ले जाता है। बेचता है और तब अपना काम किसी तरह चलाता है), तथा कर्ता तथा संप्रदान (मोहन को राम ने पैसे दिए। कपड़े दिए। किताबें दीं। अब वह आराम से है।) तथा क्रिया (रामू बड़ई दिन भर चीजें बनाता रहता है। मेज़, कुर्सी, स्टूल, आलमारी, दरवाजे, खिड़कियाँ। पलंग, तख्त, पीढ़े आदि) का लोप करके संसक्ति की जाती है।

(ख) सार्वत्रिक संसक्ति—सन्दर्भ, तर्क, वातावरण, प्रतीक, चरित्र, कथ्य, कथा, एक भाव तथा लक्ष्य आदि में यह संसक्ति कृति में बिखरी होती है। उदाहरण के लिए तर्क: विजली के नंगे तार छू गए। आग लग गई। सब जल कर स्वाहा हो गया। वातावरण: सूरज निकल रहा है। अँधेरा फट रहा है। चिड़ियाँ चहक रही हैं। किसान खेतों की ओर चल पड़े हैं। प्रतीक: काले बादल आ रहे हैं। अँधेरा होने वाला है। रोशनी का कहीं नाम नहीं। (यहाँ 'काला', 'अँधेरा', 'रोशनी' सभी प्रतीक हैं)। कथा: कथासाहित्य, नाटक तथा खंड-काव्य एवं महाकाव्य आदि में कथा पूरी कृति को एक में संसक्त कर उसे प्रोक्ति बनाती है। चरित्र: कहानी, उपन्यास, नाटक तथा खंडकाव्य एवं महाकाव्य को मुख्य चरित्र भी एक में बाँधने का काम करते हैं।

उपर्युक्त संसक्ति-साधनों में प्रयुक्त एक या मुख्य साधन के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रोक्तियों को (जैसे स्थानिक संसक्ति-युक्त प्रोक्ति, वैरामिक संसक्ति-युक्त प्रोक्ति) अलग-अलग नाम दिए जा सकते हैं। यदि कइयों का प्रयोग हो तो उसे इस दृष्टि से 'मिश्र' नाम से भी अभिहित किया जा सकता है।

प्रोक्ति की अशुद्धियाँ

प्रोक्तियों में कभी-कभी कुछ अशुद्धियाँ भी मिलती हैं जिनमें से कुछ मुख्य-ये हैं—
(१) कभी तो 'यह' और इससे बनने वाले शब्दों तथा कभी 'वह' और उससे बनने वाले शब्दों

का एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग। जैसे : कभी मैंने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उसके भी जान है, इसे भी कोई चीज दुःख पहुँचाती है, उसकी भी कुछ अभिलाषाएँ हैं।' (२) ऐसे ही कभी-कभी प्रोक्ति के घटक-स्वरूप प्रयुक्त वाक्य आपस में उस रूप में पूरी तरह जुड़े नहीं होते कि वे सच्चे अर्थों में प्रोक्ति का निर्माण कर सकें। गलत समुच्चयबोधकों या अन्य शब्दों के प्रयोग के कारण ऐसा प्रायः देखने में आता है। उदाहरण के लिए, 'मैं चलता, अभी तो अँधेरा हो गया है, इसलिए जाना संभव नहीं होगा।' स्पष्ट ही एक तो 'अभी' के पहले 'किन्तु' या उसका कोई समानार्थी शब्द आना चाहिए था। दूसरे यहाँ 'अब' का प्रयोग होना चाहिए था, 'अभी' का नहीं। ऐसे ही 'जभी चलना चाहो जभी चल सकते हो' जैसे प्रयोगों में दूसरा 'जभी' निरर्थक है। या तो उसके स्थान पर 'तभी' का प्रयोग होना चाहिए या फिर किसी भी शब्द का नहीं—'जभी या जब भी चलना चाहो, चल सकते हो।' (३) ऐसे ही अस्पष्टता या अर्थ की एकाधिकता भी प्रोक्ति के लिए दोष है, यदि वह जान-बूझकर किसी प्रकार के सर्जनात्मक प्रयोगवश न लायी गयी हो। उदाहरण के लिए 'मैंने उससे कहा' + 'वह अपना नाम बताए' या 'वह मेरा नाम बताए' = 'मैंने उससे अपना नाम बताने को कहा।' इस वाक्य में 'अपना' स्पष्ट नहीं है कि वह किमके लिए आया है, वक्ता के लिए या वक्ता जिससे कह रहा है उसके लिए। (४) कभी-कभी प्रोक्ति में वाक्यों का क्रम भी गलत मिलता है। उदाहरण के लिए 'विद्यार्थी तड़के उठता है, व्यायाम करता है। हाथ-मुँह धोकर पढ़ने बैठ जाता है। फिर नौ बजे खाना खाता है और स्कूल चला जाता है।' वाक्यों का यह क्रम ठीक है। यदि किसी भी वाक्य को पहले या पीछे कर दें तो क्रमदोष आ जायेगा। (५) ऐसे ही कार्य-कारण-सम्बन्ध भी प्रोक्ति के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए 'मोहन के खाने में किसी ने कुछ मिनऱा दिया था, खाते ही वह बेहोश हो गया और डाक्टर के आने के पहले ही वेचारा चल बसा'—इसमें कार्य-कारण सम्बन्ध है। किन्तु 'राम की आँखें किसी ने फोड़ दीं। पहले वह अंधा था, किन्तु आँख फोड़ देने से उसका अंधापन दूर हो गया और वह देखने लगा' में कार्य-कारण-सम्बन्ध का अभाव है।

'वाक्यविज्ञान' में वाक्य-गठन या 'पद' से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान में किसी भाषा में किसी एक काल में प्रचलित वाक्य-गठन का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक तथा व्यतिरेकी में दो या अधिक भाषाओं का वाक्य-गठन की दृष्टि से किये गये अध्ययन की तुलना करके साम्य और वैषम्य देखा जाता है। ऐतिहासिक वाक्यविज्ञान में एक भाषा के विभिन्न कालों का अध्ययन कर वाक्य-गठन की दृष्टि से उसका इतिहास प्रस्तुत किया जाता है।

वाक्य को प्रायः लोग सार्थक शब्दों का समूह मानते हैं, जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो। कोशों तथा व्याकरणों में भी वाक्य की इसी प्रकार की परिभाषा मिलती है। यूरोप में इस दृष्टि से प्रथम प्रयास थॉमस (लगभग पहली सदी ई० पूर्व) का है। भारत में पंतजलि^१ (१५० ई० पू० के लगभग) का नाम लिया जा सकता है। ये दोनों ही आचार्य 'पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द-समूह को वाक्य' मानते हैं। यों समझने-समझाने के लिये ये परिभाषाएँ ठीक हैं, किन्तु तत्त्वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता। थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि भाषा में या बोलने में वाक्य ही प्रधान है। वाक्य भाषा की इकाई है। व्याकरणवेत्ताओं ने कृत्रिम रूप से वाक्य को तोड़कर शब्दों को अलग-अलग कर दिया है। हमारा सोचना, समझना, बोलना या किसी भाव को हृदयंगम करना सब कुछ 'वाक्य' में ही होता है। ऐसी स्थिति में 'वाक्य पदों या शब्दों का समूह है' कहने की अपेक्षा 'पद या शब्द वाक्यों के कृत्रिम खंड है' कहना अधिक समीचीन है।

'पद' और 'वाक्य' को लेकर हमारे यहाँ मीमांसकों में विवाद रहा। अन्विताभिवान-वाद सिद्धान्त के अनुसार वाक्य की ही सार्थक सत्ता मूल है, और 'पद' उसके तोड़े गए अंश हैं, किन्तु अभिहितान्वयवाद के अनुसार 'पद' की ही सार्थक सत्ता है, और वाक्य पदों का जोड़ा हुआ रूप है। भर्तृहरि ने भी अपने 'वाक्यपदीय' (ब्रह्मकांड. ७३) में वाक्य की सत्ता को ही वास्तविक कहा है। स्पष्ट ही अन्विताभिधानवाद या भर्तृहरि का मत ही आज के भाषा-विज्ञान-जगत् को मान्य है, और वाक्य ही भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक सहज इकाई है।

ऊपर वाक्य की जो परिभाषाएँ दी गई हैं, उनमें मूलतः दो बातें हैं—

१. वाक्य शब्दों का समूह है।
२. वाक्य पूर्ण होता है।

'वाक्य शब्दों का समूह है' पर एक दृष्टि से ऊपर विचार किया जा चुका है, और यह कहा जा चुका है कि वाक्य का शब्द-रूप में विभाजन स्वाभाविक नहीं है। आज भी संसार में ऐसी भाषायें हैं जिनमें वाक्य का शब्द-रूप में कृत्रिम विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी भाषाओं में वाक्य हैं, शब्द नहीं।

१. अन्य भारतीय आचार्यों ने भी वाक्य की परिभाषाएँ दी हैं। विश्वनाथ की प्रतिष्ठ परिभाषा है: 'वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षासत्तियुक्तिः पदोच्चयः।' मीमांसाकार जैमिनी कहते हैं: 'अर्थकत्वादेकं वाक्यं साकारं चेद्दि भागे स्यात्।'

'वाक्य शब्दों का समूह है' पर एक और दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। 'वाक्य शब्दों का समूह है' का अर्थ है कि वाक्य एक से अधिक शब्दों का होता है, पर यह बात भी पूर्णतः ठीक नहीं है। एक शब्द के भी वाक्य होते हैं। छोटा बच्चा प्रातः जब माँ से 'बिछकुट' (बिस्कुट) कहता है तो इस एक शब्द के वाक्य से ही वह अपना पूरा भाव व्यक्त कर लेता है। वातचीत में भी प्रायः वाक्य एक शब्द के होते हैं।

उदाहरणस्वरूप—

हीरा—तुम घर कब आओगे ?

मोती—कल। और तुम ?

हीरा—परसों।

मोती—और मोहन गया क्या ?

हीरा—हाँ।

क्या यहाँ 'कल', 'परसों', 'हाँ' वाक्य नहीं हैं। इसी प्रकार 'खाओ', 'जाओ', 'लिखिए', 'पढ़िए', 'चलिए', आदि भी एक ही शब्द के वाक्य होते हैं। यह बात दूसरी है कि ऐसे वाक्य पूरे वाक्य में शब्दों का लोप करके बताए जाते हैं तथा बोलचाल में प्रायः प्रयुक्त होते हैं।

अर्थ की दृष्टि से वाक्य की पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा सकता। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। प्रायः अपने किसी भाव को हम कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ यह भाव अपने में पूर्ण है और कई वाक्य मिलकर उसे व्यक्त करते हैं, अतएव निश्चय ही ये वाक्य पूर्ण (पूरे भाव) के खंड मात्र हैं, अतः अपूर्ण हैं। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हो जाता। मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या एक पूरी बात (जिसमें बहुत से वाक्य होते हैं) को भी अपूर्ण मानता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अनुसार भाव की एक ही अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती है और बीच में आने वाले छोटे-मोटे भाव की एक ही अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती है और बीच में आने वाले छोटे-मोटे भाव या बातें उस धारा की लहरें मात्र हैं, अतएव वह अविच्छिन्न धारा ही केवल पूर्ण है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस अविच्छिन्न धारा की पूर्णता की तुलना में एक भाव या विचार भी बहुत अपूर्ण है तो फिर एक वाक्य की पूर्णता का तो कहना ही क्या, जो पूरे भाव या विचार का एक छोटा खंड मात्र है। पर दूसरे धरातल पर बात लें।

मान लीजिए किसी उपन्यास में बीच में एक वाक्य आता है—

'उसने उससे वह बात कह दी।'

क्या यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूरा है। यदि किसी से यह वाक्य कहें तो क्या वह इससे पूरी बात समझ जाएगा ? शायद नहीं। अर्थात् वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण नहीं भी हो सकता है। फिर वाक्य की परिभाषा क्या हो ? वस्तुतः वाक्य की कोई ऐसी परिभाषा दे पाना काफी कठिन है जो दुनिया की सारी भाषाओं पर लागू हो। कामचलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार की हो सकती है—

वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द (पद) होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है, साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम-से-कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है।

इस परिभाषा में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं—

(क) वाक्य भाषा की सहज इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, क्योंकि ध्वनियों के योग से प्रायः शब्द बनते हैं और शब्द अथवा शब्दों के योग से वाक्य। किन्तु भाषा की सहज इकाई वाक्य है। रूप, शब्द अक्षर, ध्वनि आदि इकाइयाँ उसकी तुलना में कृत्रिम हैं तथा भाषा-विश्लेषण के बाद इनकी खोज हुई है या मनुष्य इनके प्रति सतर्क हुआ है।

(ख) वाक्य में एक शब्द (पद) भी हो सकता है और एक से अधिक भी—प्रायः भाषा में एक से अधिक शब्द होते हैं, किन्तु बातचीत में प्रायः वाक्य एक शब्द के भी होते हैं। विशिष्ट संदर्भ में 'हाँ', 'जाओ', 'बैठो', 'लिखो', 'नहीं' वाक्य ही हैं। यों ये 'एक शब्दीय वाक्य' पूरे वाक्य के अन्य शब्दों के लोप से बने होते हैं।

(ग) वाक्य में अर्थ की पूर्णता हो सकती है और नहीं भी—अर्थ की पूर्णता वाक्य में हो भी सकती है—

- (१) दो और दो चार होते हैं।
- (२) मूरज पूरब में निकलता है।
- (३) बिना पानी के पीदा सूख जाता है।

और नहीं भी—

- (४) अब तो यह भी उसके घर जाने लगा है।
- (५) उसे वह पुस्तक देती है।
- (६) उस समय वह भी गायब था।

ये तीनों ही वाक्य हैं, यद्यपि अर्थ की दृष्टि से ये स्पष्ट और अपूर्ण हैं। इस तरह वाक्य के लिए आर्थिक पूर्णता आवश्यक नहीं है।

(घ) वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है—व्याकरणिक पूर्णता आर्थिक पूर्णता से भिन्न होती है। 'व्याकरणिक पूर्णता' का अर्थ है विशिष्ट संदर्भ में वाक्य के लिए व्याकरणिक दृष्टि से अपेक्षित सभी पदों अथवा शब्दों का होना। ऊपर ४, ५, ६ नंबर के वाक्य आर्थिक दृष्टि से पूरी बात का बोध कराने में असमर्थ होते हुए भी व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण हैं, क्योंकि उनमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अपेक्षित सभी वाक्य अवयव हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें व्याकरणिक दृष्टि से किसी भी शब्द की कमी है। इस प्रकार की व्याकरणिक पूर्णता सभी वाक्यों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है।

(ङ) व्याकरणिक पूर्णता कभी-कभी संदर्भ पर भी निर्भर करती है—कभी तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होते हैं, किन्तु कभी-कभी बोलचाल या साहित्यिक रचनाओं में कथनोपकथन आदि में उनमें व्याकरणिक दृष्टि से अपेक्षित सारे शब्द नहीं होते। वे लुप्त रहते हैं। ऐसे वाक्यों की व्याकरणिक पूर्णता संदर्भ विशेष पर निर्भर करती है। श्रोता या पाठक संदर्भ विशेष में उनके लुप्त शब्दों को जोड़कर अर्थ की प्रतीति कर लेता है। उदाहरण—

राजीव—तुमने खाना खा लिया ?

सौरभ—नहीं। और तुमने ?

राजीव—हाँ।

यहाँ 'नहीं', 'तुमने?', 'हाँ' तीनों ही वाक्य हैं। इस संदर्भ में 'नहीं' 'मैंने खाना नहीं खाया' का संक्षेप है और 'तुमने' 'क्या तुमने खा लिया' का तथा 'हाँ' 'हाँ मैंने खा लिया' का।

(च) वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम-से-कम एक समापिका क्रिया का भाव अवश्य होता है—व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण वाक्यों में प्रत्यक्षतः एक या अधिक क्रियाएँ होती हैं—

- एक—(१) राम गया ।
 (२) मोहन जाता है ।
 (३) मैं नहीं जाने का ।

- अधिक—(१) राम ने कहा कि मैं जाऊँगा ।
 (२) राम ने कहा कि मोहन जा रहा है, अतः वह नहीं जा सकता ।
 (३) राम ने बताया कि सीता तब खाली होती है, जब उसका पति खा-पीकर आफिस चला जाता है ।

जिन वाक्यों की व्याकरणिक पूर्णता संदर्भ पर निर्भर करती है, उनमें कभी-कभी 'क्रिया' नहीं भी होती। ऊपर 'ऊ' के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों में 'नहीं' और 'तुमने?', 'हाँ' तीनों ही में क्रिया-प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किन्तु बिना उनकी कल्पना किए या बिना उनको लाए इन वाक्यों को समझा नहीं जा सकता। इस प्रकार क्रिया या तो प्रत्यक्षतः होगी या फिर संदर्भ से उसका अनुमान लगाया जायगा।

वाक्य की आवश्यकताएँ

पीछे वाक्य की परिभाषा के प्रसंग (आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा में इसका सूत्रात्मक उल्लेख है। भारतीय दृष्टि से वाक्य के लिए ५ बातें आवश्यक हैं : सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्विति। (१) सार्थकता—का आशय यह है कि वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए। (२) योग्यता—का आशय यह है कि शब्दों की आपस में संगति बँटे। शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता या क्षमता हो। 'वह पेड़ को पत्थर से सींचता है' वाक्य में शब्द तो सार्थक हैं, किन्तु पत्थर से सींचता नहीं होता, इसलिए शब्दों की परस्पर योग्यता की कमी है, अतः यह सामान्य अर्थ में वाक्य नहीं है, उलटबाँसी भले हो। (३) आकांक्षा—का अर्थ है 'इच्छा'। अर्थात् 'जानने की इच्छा', अर्थात् 'अर्थ की अपूर्णता'। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे। उसे सुनकर भाव पूरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा न रहे। (यह शर्त विवादास्पद है। पीछे वाक्य में अर्थ की पूर्णता पर सविस्तार विचार किया जा चुका है।) (४) सन्निधि या आसक्ति—का अर्थ है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए। उपर्युक्त सभी बातों के रहने पर भी, यदि एक शब्द आज कहा जाय, दूसरा कल और तीसरा परसों तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। (५) अन्विति—का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता। अंग्रेजी में इसे Concordance कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में इसके विभिन्न रूप मिलते हैं। यह समानरूपता प्रायः वचन, कारक, लिंग और पुरुष आदि की दृष्टि से होती है। हिन्दी में क्रिया प्रायः लिंग, वचन, पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है। 'सीता गये' न तो ठीक वाक्य है और न 'राम जा रही है', क्योंकि यहाँ न तो 'सीता' और 'गये' में अन्विति है और न 'राम' और 'जा रही है' में। अंग्रेजी में क्रिया पुरुष, वचन की दृष्टि से कर्ता के अनुसार होती है, किन्तु लिंग की दृष्टि से नहीं Ram goes. Sita goes. प्राचीन भाषाओं में विशेषण और विशेष्य में भी अन्विति मिलती है। संस्कृत में 'सुन्दरं फलम्' किन्तु 'सुन्दरः बालकः'। लैटिन में Puella bona (अच्छी लड़की) Filius bonus (अच्छा लड़का)। हिन्दी में आकारांत विशेषणों में ही ऐसा होता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अन्य में नहीं, जैसे चतुर लड़का, चतुर लड़की। अंग्रेजी में विशेषण-विशेष्य-अन्विति बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार इस भाषा में अन्विति के अपने नियम होते हैं।

मीमांसकों के सिद्धांत अभिहितान्वयवाद के अनुसार वाक्य में आकांक्षा, योग्यता (अन्विति भी इसमें समाहित है) तथा आसक्ति ये तीन अपेक्षित हैं।

वाक्य के अंग

वाक्य के दो अंग होते हैं : (१) उद्देश्य (Subject)—वाक्य का वह अंग

अथवा अंश जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो। जैसे 'लड़का गया' में 'लड़का'। उद्देश्य में 'केन्द्रीय शब्द' तथा 'उसका विस्तार' आ सकता है। 'लड़का गया' में 'लड़का' केन्द्रीय शब्द है, किंतु 'राम का लड़का गया' में 'राम का' उसका विस्तार है और उद्देश्य है 'राम का लड़का'। (२) विधेय (Predicate)—वाक्य का वह अंश है जो उद्देश्य के बारे में सूचना दे। इसमें क्रिया और उसका विस्तार होता है। 'लड़का गया' में 'गया', 'लड़का घर गया' में 'घर गया' तथा 'लड़का अभी घर गया है' में 'अभी घर गया है' विधेय है।

उद्देश्य-विधेय का वर्गीकरण विश्व की काफ़ी भाषाओं पर लागू होता है, किंतु सभी भाषाओं पर नहीं होता।

इसी प्रकार अग्र और पश्च रूप में भी वाक्यों को विभक्त किया जा सकता है, मुख्यतः बोलचाल के वाक्य में। उल्लेख है कि बोलचाल के वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जबकि लेखन में प्रयुक्त वाक्य प्रायः बड़े होते हैं। संबंध-द्योतन के लिए प्रायः एक वाक्य का पश्च दूसरे का अग्र हो जाता है : मोहन मेहनत कर रहा है। मेहनत करने से संभव है अच्छे अंक आ जायें। अच्छे अंक आने से नौकरी में सुविधा रहेगी। (यहाँ पश्च को काले अक्षरों में किया गया है)। अब प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिनका इस रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता।

वाक्य-रचना

वाक्य की रचना पदों से होती है। इस रचना में मुख्यतः चार बातें ध्यान देने की होती हैं—

(१) पदक्रम या शब्दक्रम—विश्व में काफ़ी भाषाएँ ऐसी हैं, जिनमें 'पदक्रम' का वाक्य-रचना में महत्वपूर्ण स्थान है। चीनी आदि स्थान-प्रधान भाषाओं में तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु अँग्रेजी, हिंदी आदि वियोगात्मक भाषाओं में भी इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इनमें एक सीमा तक वाक्यों में शब्दों का स्थान निश्चित है। जैसे हिंदी में प्रायः कर्ता पहले, कर्म बाद में तथा क्रिया वाक्य के अंत में आती है—

राम ने मोहन को मार डाला।

इसके विपरीत अँग्रेजी में क्रिया बीच में आती है तथा कर्म बाद में—

Ram killed Mohan.

इसी प्रकार विशेषण-विशेष्य, क्रियाविशेषण-क्रिया, एकसाथ आए कई विशेषण अथवा क्रियाविशेषण, पदबंधों, तथा उपवाक्यों का भी हर भाषा में विशेष क्रम होता है।

वाक्य में पद-क्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की हैं। एक तो वे हैं जिनमें वाक्य में शब्दों (पदों) का स्थान निश्चित नहीं है। इन भाषाओं में शब्दों में विभक्ति लगी होती है, अतएव किसी भी शब्द को उठाकर वहाँ रख दें, अर्थ में

परिवर्तन नहीं होता। ग्रीक, लैटिन, अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत आदि इसी प्रकार की हैं।^१ इनके एक ही वाक्य को शब्दों के स्थान में परिवर्तन करके कई प्रकार से कहा जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं—

अरबी

ज़रवज़ ज़ैदुन अम्रन = ज़ैद ने अमर को मारा।

ज़रवज़ अम्रन ज़ैदुन = अमर को ज़ैद ने मारा।

फ़ारसी

ज़ैद अमररा ज़द = ज़ैद ने अमर को मारा।

अमररा ज़ैद ज़द = अमर को ज़ैद ने मारा।

संस्कृत

ज़ैदः अमरं अहनत् = ज़ैद ने अमर को मारा।

अमरं ज़ैदः अहनत् = अमर को ज़ैद ने मारा।

इन भाषाओं में भी इस प्रकार की छूट के बावजूद क्रम-विषयक कुछ नियम अवश्य होते हैं।

दूसरे प्रकार की भाषाएँ वे होती हैं, जिनमें वाक्य में शब्द (पद) का क्रम निश्चित रहता है। ऊपर के उदाहरणों में हम देखते हैं कि शब्दों के स्थान-परिवर्तन से अर्थ में कोई फ़र्क नहीं आया, किन्तु निश्चित स्थान या स्थान-प्रधान भाषाओं में वाक्य में शब्द का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी है। यों हिंदी, अंग्रेज़ी आदि आधुनिक भारोपीय भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति कुछ है। अंग्रेज़ी का एक उदाहरण है :

अंग्रेज़ी

Zaid killed Amar = ज़ैद ने अमर को मारा।

Amar killed Zaid = अमर ने ज़ैद को मारा (यहाँ शब्द के स्थान-परिवर्तन से वाक्य का अर्थ उलट गया)

चीनी में तो यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है—

पा ताङ् शेन = पा शेन को मारता है।

शेन ताङ् पा = शेन पा को मारता है।

अंग्रेज़ी में सामान्यतः कर्ता, क्रिया और तब कर्म आता है, पर प्रश्नवाचक वाक्य में क्रिया का कुछ अंश पहले ही आ जाता है। विशेषण संज्ञा के पहले आता

१. यह बात कुछ सीमाओं के भीतर ही सत्य है। इस प्रकार शब्दों को मनमाने ढंग से जहाँ भी चाहे रक्खा तो जा सकता है, किन्तु ऐसा सर्वदा होता नहीं रहा है। इन संयो तात्मक भाषाओं में भी परम्परागत रूप से कुछ क्रम ही विशेष प्रचलित रहे हैं और इसी कारण उन्हीं का प्रयोग अधिक होता रहा है।

है और क्रियाविशेषण क्रिया के बाद में। हिन्दी में कर्ता, कर्म और तब क्रिया रखते हैं। सामान्यतः विशेषण संज्ञा के पूर्व तथा क्रिया-विशेषण क्रिया के पूर्व रखते हैं। चीनी में अंग्रेजी की भाँति कर्ता के बाद क्रिया और तब कर्म रखते हैं। यद्यपि इसकी कुछ बोलियों में कर्म पहले भी आ जाता है। विशेषण और क्रिया-विशेषण हिन्दी की भाँति प्रायः संज्ञा और क्रिया के पूर्व आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द (जैसे क्या) अंग्रेजी तथा हिन्दी में वाक्य के आरम्भ में आते हैं, पर चीनी में वाक्य के अन्त में।

फ़ान ल मा ?

खाना खा लिया क्या ?

किसी भी भाषा के शब्दों के स्थान की निश्चितता के ये नियम निरपवाद नहीं होते। यहाँ तक कि इस प्रकार की प्रधान भाषा चीनी में भी नहीं। उपर का चीनी वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता है—

त्स फ़ान ल मा ?

खा खाना लिया क्या ? = खाना खा लिया क्या ?

बल देने के लिए पदक्रम-प्रधान भाषाओं में भी पदक्रम में प्रायः परिवर्तन ला देते हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दी में सामान्यतः कहेंगे 'मैं घर जा रहा हूँ' किन्तु बल देने के लिए 'घर जा रहा हूँ मैं' या 'जा रहा हूँ घर मैं' आदि भी कहते हैं।

(२) अन्वय—'अन्वय' का अर्थ है व्याकरणिक अनुरूपता। विभिन्न भाषाओं में विशेषण-विशेष्य, कर्ता-क्रिया, कर्म-क्रिया तथा कर्ता-क्रिया विशेषण आदि विभिन्न व्याकरणिक केंद्रियों में लिग, वचन, पुरुष तथा मूल और विकृत रूप आदि की अनुरूपता होती है। यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं: (क) हर भाषा के अन्वय के नियम अलग-अलग होते हैं। (ख) अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग चीजों का अन्वय होता है। जैसे संस्कृत में कर्ता-क्रिया में लिग का अन्वय नहीं है, किन्तु हिन्दी में है—

रामः गच्छति—राम जाता है।

सीता गच्छति—सीता जाती है।

ऐसे ही हिन्दी में विशेषण में भी वचन तथा लिग का अन्वय है, किन्तु अंग्रेजी में नहीं है—

अच्छा लड़का—good boy

अच्छी लड़की—good girl

अच्छे लड़के—good boys

हिन्दी में क्रिया कभी तो कर्ता के अनुरूप होती है—

मोहन गया—शीला गई

कभी कर्म के

राम ने रोटी खाई—राम ने आम खाया

सीता ने आम खाया—सीता ने दो आम खाए

राम ने कई पराठे खाए—राम ने एक पराठा खाया

कभी-कभी नहीं—

लड़की ने लड़के को मारा ।

लड़के ने लड़की को मारा ।

लड़कियों ने लड़कों को मारा ।

लड़कों ने लड़कियों को मारा ।

ऐसे ही मूल विकृत रूप की भी विशेषण-विशेष्य में अनुरूपता होती है—

वह काला कपड़ा उठाओ—उस काले कपड़े को उठाओ ।

(३) लोप—वाक्य-रचना में सभी अपेक्षित शब्दों का प्रयोग सर्वदा नहीं किया जाता । कभी-कभी कुछ का लोप भी हो जाता है । किन्तु यह लोप कुछ ही का हो सकता है और वे निश्चित होते हैं । 'राम जा रहा है ।' वाक्य का नकारात्मक रूप होगा 'राम नहीं जा रहा' यहाँ 'है' का लोप है ।

इसी तरह 'राम जाता है ।' का नकारात्मक रूप पहले होता था—

'राम नहीं जाता है ।' किन्तु अब होता है 'राम नहीं जाता ।'

ऐसे ही 'राम घर पर है ।' को कह सकते हैं—'राम घर है ।' किन्तु 'राम घोड़े पर है ।' को नहीं कह सकते—'राम घोड़े है ।'

बोलचाल में केवल मुख्य सूत्रक शब्द अथवा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, बाकी का लोप कर देते हैं—

गौतम—तुम कहाँ गए थे ?

हरि—घर । ('गया था' का लोप है)

गौतम—अब कहाँ जा रहे हो ('तुम' का लोप)

हरि—आफिस ('अब' तथा 'जा रहा हूँ' का लोप है)

ऐसे 'एक शब्दीय' अथवा 'कुछ शब्दीय वाक्यों' का अर्थ करते समय लुप्त शब्द अथवा शब्दों को लाते हैं, इसे अध्याहार कहते हैं । 'अध्याहार' का अर्थ है वाक्य का अर्थ करते समय लुप्त शब्दों को 'ले आना' । उन्हें लाए बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता ।

लोप कई प्रकार का हो सकता है, और उतने ही प्रकार के अध्याहार भी होते हैं: (१) कर्त्ता का—सुना है उसका भाई मर गया, देखते हो कि अपनी ही जान संकट में है क्या करूँ और क्या न करूँ ? (२) कर्म का—मोहन आम लाया है; तुम भी लाओ । करण आदि कुछ अन्यो का भी हो सकता है । (३) क्रिया का—जोकोक्तियों में ऐसा प्रायः होता है: घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का जोगी जं गड़ा आन गाँव का सिद्ध । राम नहीं जा रहा (है); राम अब नहीं गाता (है) । (४) वाक्यांश का—(अ) प्रश्नोत्तर में: प्रश्न—तुम्हारा नाम क्या है ? उत्तर—मोहन ('मेरा नाम' तथा 'है' का लोप तथा अध्याहार) । (अ) अन्यत्र: वह ऐसा सीधा है जैसे गाय ('सीधी होती है' का) ।

लोप के सम्बन्ध में तीन बातें स्मरणीय हैं: (क) हर भाषा में लोप के नियम अलग-अलग होते हैं । (ख) एक ही भाषा में कहीं तो लोप होता है कहीं नहीं होता;

राम घर पर है, राम घोड़े पर है। (ग) कहीं-कहीं लोप-अलोप दोनों संभव है पर अब में प्रायः अंतरःहाथ से मारा—हाथ मारा, लाठी से मारा—लाठी मारा।

(४) आगम—कभी आवश्यक न होने पर भी कुछ अतिरिक्त 'शब्दों' का आगम कर दिया/लिया जाता है : Ram is returning back कृपया यहाँ बैठिए, ऊपर सूरज की ओर देखिए। यदि बल देने के लिए अपेक्षित न हो तो ऐसे अतिरिक्त शब्दों से बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं—कृपया मेरे घर आने की कृपा करें; वह वापस लौट आया; वह सज्जन व्यक्ति है; मैंने विध्याचल पर्वत देखा है। इस प्रकार के आगम एक प्रकार की पुनरुक्ति होते हैं।

पदबंध (Phrase)

जब एक से अधिक पद (रूप), एक में बँधकर एक व्याकरणिक इकाई (जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि) का कार्य करें तो उस 'बंधी इकाई' को पदबंध कहते हैं।

उदाहरण के लिए—वहाँ पेड़ हैं।

सौरभ के मकान के चारों ओर पेड़ हैं।

पहले वाक्य में 'वहाँ' एक क्रियाविशेषण पद (स्थानवाचक) है, दूसरे वाक्य में, 'सौरभ के मकान के चारों ओर' कई पदों की ऐसी इकाई है जो स्थानवाचक क्रियाविशेषण का कार्य कर रही है, अतः यह क्रियाविशेषण पद न होकर क्रियाविशेषण पदबंध है। पदबंध आठ प्रकार के हो सकते हैं: (१) संज्ञा-पदबंध—इतनी लगन से कला की साधना करने वाला कलाकार अवश्य सफल होगा। (२) सर्वनाम पदबंध—मौत से इतनी बार जूझकर बच जाने वाला मैं भला मर सकता हूँ! (३) विशेषण-पदबंध—शरत पुनों के चाँद सा सुंदर मुख किसको नहीं मोह लेता! (४) क्रिया-पदबंध—उसकी बात अब तो मान ली जा सकती है। (५) क्रियाविशेषण-पदबंध—आगामी वर्ष के मध्य तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। (६) संबंधबोधक पदबंध—इस मकान से बाहर की ओर कोई बोल रहा है। (७) समुच्चयबोधक पदबंध—उसे मैं नहीं चाहता, क्योंकि वह झूठ बोलता है। (८) विस्मयादिबोधक—हाय रे किस्मत! यह प्रयास भी नाकाम रहा।

आजकल 'पद' शब्द के स्थान पर भी 'पदबंध' शब्द का प्रयोग विशेष संदर्भों में हो रहा है।

वाक्यों के प्रकार

(अ) पीछे भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण में हम लोग इसे देख चुके हैं। संसार की सभी भाषाओं पर विचार करने में हमें चार प्रकार के वाक्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय पहले लोगों का विचार था कि सभी भाषाओं में समय-समय पर ये चारों प्रकार के वाक्य पाये जाते हैं, अर्थात् विकास-चक्र के ये चार विराम मात्र हैं। किंतु, अब यह चीज निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। कोई एक भाषा इन चारों प्रकार के वाक्यों में नहीं जा सकती। यहाँ संक्षेप में वाक्य के इन चारों प्रकारों पर पृथक्-पृथक् विचार किया जा रहा है—

(१) अयोगात्मक—अयोगात्मक वाक्य में शब्द अलग-अलग रहते हैं और

उनका स्थान निश्चित रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सम्बन्धतत्त्व दिखाने के लिए शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अतः सम्बन्ध का प्राकट्य शब्दों के स्थान से ही होता है। यह पदक्रम की निश्चितता एकाक्षर परिवार की चीनी आदि भाषाओं में प्रधान रूप से मिलती है। भारोपीय कुल की आधुनिक भाषाओं में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भारोपीय भाषाएँ श्लिष्ट-योगात्मक थीं, किंतु उनसे विकसित अंग्रेजी, हिंदी आदि आधुनिक भाषाएँ वियोगात्मक हो गई हैं। पदक्रम यहाँ भी कुछ-कुछ निश्चित हो गया है—

1. Ram killed Mohan.

2. Mohan killed Ram.

दोनों में शब्द एक ही हैं, किंतु स्थान-परिवर्तन से अर्थ उलटा हो गया है। हिंदी में भी लगभग यही बात है। किंतु भारोपीय परिवार की भाषाएँ अभी चीनी जैसी अयोगात्मक नहीं हैं, अतः पदक्रम उतने निश्चित नहीं हैं। हिंदी में कर्ता पहले और क्रिया बाद में आती है, पर इसके अपवाद भी मिलते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में प्रश्नवाचक आदि वाक्यों में यह साधारण नियम टूट जाता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि भाषा अयोगात्मकता की ओर जितनी ही जाती है, उसके वाक्यों में पदक्रम का महत्त्व उतना ही बढ़ता जाता है। अयोगात्मक वाक्य का उदाहरण अयोगात्मक भाषाओं के विवेचन में दिया जा चुका है।

(२) योगात्मक—प्रश्लिष्ट-योगात्मक वाक्यों के सभी शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बन जाते हैं। ऐसा होने में उनका गोड़ा-गोड़ा अंश कट जाता है। मेक्सिकन भाषा में—

क = खाता

नकत्ल = मांस

नेवत्ल = मैं

तीनों को मिलाकर

नीनकक = मैं मांस खाता हूँ।

इन वाक्यों का विश्लेषण आसानी से नहीं किया जा सकता, इसी से इनके शब्दों के योग को प्रश्लिष्ट कहा जाता है। इस प्रकार की रचना प्रश्लिष्ट योगात्मक कहलाती है। योगात्मक के प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट ये तीन प्रकार हो सकते हैं।

अ) रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं :—

(१) सरल वाक्य— इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे 'लड़का गया'। हिंदी आदि कुछ भाषाओं में सरल वाक्य पाँच प्रकार के होते हैं : (i) अकर्मकीय—सौरभ हँसता है। (ii) एककर्मकीय—राजीव चावल खाता है। (iii) द्विकर्मकीय—मुकुल अलका को पत्र लिखती है। (iv) कर्तृपूरकीय—फूल सुंदर है। (v) कर्मपूरकीय—संजय विजय को मूर्ख बनाता है।

(२) उपवाक्य (Clause)—जब दो या अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना देते हैं तो उस एक वाक्य में जो वाक्य मिले होते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं : (क) आश्रित उपवाक्य (Subordinate Clause)—जो प्रधान न होकर गौण अथवा दूसरे के आश्रित हो। जैसे 'वह लड़का चला गया जो सबसे अच्छा था' में 'जो सबसे अच्छा था' आश्रित है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं : (i) संज्ञा उपवाक्य—जो कर्म या पूरक रूप में संज्ञा का काम करे। जैसे—मैं जानता हूँ कि वह उत्तीर्ण नहीं हो सकता। (ii) विशेषण उपवाक्य—जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए। जैसे—वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा जो परिश्रम करेगा। (iii) क्रियाविशेषण उपवाक्य—जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाए। जैसे जब भी वह मेरे सामने आती है, मेरा हृदय कण्ठा से भर जाता है। (ख) प्रधान उपवाक्य (Principal Clause)—किसी वाक्य में जो उपवाक्य आश्रित या गौण न होकर प्रधान हो। उपर्युक्त वाक्यों में आश्रित उपवाक्य के अतिरिक्त जो उपवाक्य हैं, प्रधान उपवाक्य हैं : वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा, जो परिश्रम करेगा।

(३) मिश्र वाक्य (Complex Sentence)—जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों। जैसे—मैं चाहता हूँ कि तुम डाक्टर बनो।

(४) संयुक्त वाक्य (Combined Sentence)—जिस वाक्य में कोई भी उपवाक्य प्रधान अथवा आश्रित न हो। जैसे—गिलास हाथ से गिरा और टूट गया।

(५) भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अनेकानेक भेद हो सकते हैं, जिनमें प्रधान नीचे दिए जा रहे हैं—

- (१) विधानसूचक—राम जाता है।
- (२) निषेधसूचक—राम नहीं जाता।
- (३) आज्ञासूचक—यह काम करो।
- (४) प्रश्नसूचक—तुम्हारा क्या नाम है ?
- (५) विस्मयसूचक—अरे यह क्या किया !
- (६) संदेहसूचक—वह आया होगा।
- (७) इच्छासूचक—ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे।

(६) भाषा में क्रिया का स्थान प्रमुख है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वाक्य में अवश्य वर्तमान रहती है। संस्कृत, लैटिन आदि ब्रह्म-सी पुरानी भाषाओं में तथा बँगला, रूसी आदि आधुनिक भाषाओं में बिना क्रिया के भी वाक्य मिलते हैं, किन्तु सामान्यतः वाक्य क्रियायुक्त होता है। इस प्रकार क्रिया के होने और न होने के आधार पर वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं—

(१) क्रियायुक्त वाक्य—जिसमें क्रिया हो। कहना न होगा कि अधिकांश भाषाओं के अधिकांश वाक्य इसी प्रकार के होते हैं।

(२) क्रियाविहीन वाक्य—जिसमें क्रिया न हो। संस्कृत, बँगला, रूसी आदि कुछ भाषाओं में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है, यद्यपि कुछ सीमित कालों में। यों समाचार-पत्रों के शीर्षकों ('देश की आजादी फिर खटाई में' या कुतुबमीनार से कूदकर आत्महत्या' आदि), लोकोक्तियों ('जैसे नागनाथ बैलें साँपनाथ', 'हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और' या 'आँख के अंधे नाब नयनसुख' आदि), विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल.....रूपे में आदि) तथा काव्य-भाषा में क्रियाविहीन वाक्य प्रायः दिखाई पड़ते हैं।

रचना के प्रकार

(१) पूर्ण वाक्यात्मक, (२) अपूर्ण वाक्यात्मक

रचना (construction) के कई प्रकार होते हैं। जो पूर्ण वाक्य के रूप में हो, उसे 'पूर्ण वाक्यात्मक रचना' कह सकते हैं। ऐसी रचना या ऐसे वाक्य में वाक्य के लिए आवश्यक सारे उपकरण होते हैं। दूसरी ओर कुछ रचनाएँ अपूर्ण वाक्यात्मक होती हैं। इनमें एक या अधिक वाक्य-उपकरणों या पदों का लोप रहता है। प्रश्नों के उत्तर में दी गई एक-या दो शब्दों की रचनाएँ इसी श्रेणी की होती हैं।

(क) राम—मोहन, क्या तुम आज घर जाओगे ?

(ख) मोहन—हाँ। (या हाँ, जाऊँगा)


यहाँ पहली रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और दूसरी अपूर्ण वाक्यात्मक है। कहना न होगा कि अपूर्ण वाक्यात्मक रचना का अर्थ समझने के लिए उसे 'पूर्ण वाक्यात्मक' रचना का रूप श्रोता या पाठक, वातावरण और संदर्भ के आधार पर दे देता है। बिना इसके अर्थ की प्रतीति सम्भव नहीं है।

(३) अंतःकेन्द्रिक (endocentric), (४) अकेन्द्रिक (exocentric)।

अन्तःकेन्द्रिक रचना (construction) उसे कहते हैं, जिसका केन्द्र उसी में हो। 'लड़का' और 'अच्छा लड़का' में वाक्य के स्तर पर कोई अन्तर नहीं है। 'लड़का जाता है' भी कह सकते हैं और 'अच्छा लड़का आता है' भी। यहाँ प्रमुख शब्द लड़का है। वाक्य के स्तर पर व्याकरणिक रचना की दृष्टि से 'अच्छा लड़का' बही है, जो 'लड़का' है। यहाँ 'अच्छा लड़का' अन्तःकेन्द्रित रचना है। दूसरे शब्दों में यदि रचना (पदों का समूह) गठन की दृष्टि से अपने एक या अधिक पदों के समान है तो उसे अन्तःकेन्द्रिक कहेंगे। इसके कई रूप हो सकते हैं : (१) विशेषण + संज्ञा (काला कपड़ा, बदमाश आदमी), (२) प्रक्रियाविशेषण + विशेषण (बहुत तेज, खूब गंदा), (३) क्रियाविशेषण + क्रिया (तेज दौड़ा, खूब खाया), (४) क्रिया वि० + क्रिया वि० (बहुत अच्छा गाता हूँ) (५) संज्ञा + विशेष० उपवाक्य (आदमी जो गया था, फल जो पकेगा), (६) सर्व० + विशेष० उपवाक्य (वह जो दौड़ रहा था), (७) सर्व० + पूर्वसर्गात्मक वाक्यांश (Prepositional phrase : Those on the plane), (८) क्रिया + क्रिया वि० उप० (आगरा, जहाँ जहाज गिरा था), तथा (९) संज्ञा + संयोजक + संज्ञा (राम और मोहन) आदि प्रमुख हैं। जो रचना ऐसी नहीं होती, उसे अकेन्द्रिक या अन्तःकेन्द्रिक कहते हैं। इसमें अन्तः-

केन्द्रिक की भाँति केवल एक या कुछ शब्द पूरी रचना के स्थान पर नहीं आ सकते— 'हाथ से' इसी प्रकार की रचना है। इसमें न तो केवल 'हाथ' 'हाथ से' का कार्य क सकता है, और न 'से'। दोनों ही आवश्यक हैं। किसी के बिना रचना पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ रचना के दोनों घटकों के काम वाक्य में पूर्णतः दो हैं। इन दोनों घटकों या अवयवों में किसी का भी केन्द्र इस रचना में नहीं है (अकेन्द्रिक)। 'देश से', 'दिल्ली की ओर', 'घोड़े को', 'पानी में' आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं।

अंतःकेन्द्रिक रचना दो प्रकार की होती है : संवर्गी (coordinative), जैसे 'राम और मोहन' तथा आश्रितवर्गी (subordinative), जैसे 'अच्छा लड़का'। आश्रितवर्गी में एक या कुछ शब्द मुख्य (head) होते हैं तथा शेष आश्रित। 'अच्छा लड़का', 'बहुत तेज', 'खूब चलता है' में अच्छा, बहुत, खूब आश्रित हैं। 'बहुत तेज लड़का' जैसी रचना में 'लड़का' मुख्य है, 'तेज' आश्रित और 'बहुत' 'तेज' का आश्रित।



निकटस्थ अवयव (Immediate Constituent)

वाक्य में प्रयुक्त पद अथवा रूप (जिन्हें सामान्यतः शब्द कहते हैं) अथवा अलग लिखे जाने वाले रूपां (जैसे To ने, को आदि) उस वाक्य के 'अवयव' होते हैं। जैसे शरीर अवयवों से बना होता है, उसी प्रकार वाक्य भी पदों या शब्दों से बना होता है। उदाहरण के लिए—

लड़का पढ़ रहा है।

वाक्य में चार अवयव हैं : लड़का, पढ़, रहा, है। इसी प्रकार वाक्य का कोई अंश

(वाक्यांश) जिन पदों से बना होता है, वे उसके वाक्यांश अवयव होते हैं।
जैसे—


‘इमारत की चौथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा आज गिर गया।’ इसमें
‘इमारत की चौथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा’ एक वाक्यांश है जिसके सात अवयव
हैं : इमारत, की, चौथी, मंजिल, का, दक्षिणी, हिस्सा।

जा पद या अवयव एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हें निकटस्थ अवयव कहते हैं
यह निकटता स्थान की न होकर संरचना की होती है। अंग्रेजी का एक वाक्य लें—


Is he going ?

इसमें तीन अवयव हैं। ‘इज’ ‘ही’ के निकट देखने में है, किंतु वह वास्तविक
रूप में ‘ही’ की तुलना में ‘गोइड्’ के अधिक निकट है। इस वाक्य में ‘इज’ और
‘गोइड्’ निकटस्थ अवयव हैं, और फिर ये दोनों मिलकर ‘ही’ के निकटस्थ हैं।
निकटस्थ अवयव के आधार पर ही किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट होता
है। अंग्रेजी का ही एक दूसरा वाक्य लें—

The last king of that country was killed. इसमें country और
was देखने में पास-पास हैं, किंतु ये निकटस्थ अवयव नहीं हैं। निकटस्थ अवयव
की दृष्टि से इस वाक्य का विश्लेषण होगा—




हिंदी का एक वाक्य है—




निकटस्थ अवयव के विश्लेषण के आधार पर ही किसी वाक्य अथवा रचना
का ठीक अर्थ जाना जा सकता है। एक रचना है—

सुन्दर फूल और फलों से भरा उपवन

इसके निकटस्थ अवयव की दृष्टि से दो विश्लेषण हो सकते हैं और दोनों
के अनुसार अर्थ में अंतर आ जाएगा।



'सुन्दर' शब्द केवल 'फूल' का विश्लेषण है, किंतु



यहाँ 'सुन्दर' शब्द 'फूल' और 'फूलों' दोनों का विश्लेषण है। मुहावरेदार और अमुहावरेदार प्रयोगों में भी इसका अंतर मिलता है।

१. राम रोटी खा रहा है।

२. मेरा सर चक्कर खा रहा है।

पहले वाक्य में 'रोटी' 'खा' का निकटस्थ है—

राम रोटी खा रहा है।



जबकि दूसरे वाक्य में 'चक्कर' 'खा' का निकटस्थ है, और फिर दोनों मिलकर 'रहा है' के निकटस्थ हैं—



मेरा सर चक्कर खा रहा है।



'जाओ, मत बैठो' तथा 'जाओ मत, बैठो' में भी यह अंतर स्पष्ट है—

जाओ मत बैठो

जाओ मत बैठो



निकटस्थ अवयव (निअ) तीन प्रकार के होते हैं : (१) अविच्छिन्न (Continuous)—राम का बेटा घर गया। (२) विच्छिन्न (Discontinuous)—Is he going. धीरे-धीरे में भी चल जाता है। (३) समकालिक (Simultaneous)—अनुमान समकालिक निअ हैं, क्योंकि यह साथ-साथ चलता है : राम गया ! राम गया ? जैसा कि नाम से स्पष्ट है पहले में निअ अविच्छिन्न रूप से आते हैं, दूसरे में उनके बीच निअ (जैसे यहाँ 'he' या 'मैं भी') आ जाता है।

मूल वाक्य-रूपांतरित वाक्य

मोहन गया। (साधारण वाक्य)

क्या राम गया? (प्रश्न बोधक वाक्य)

पहला मूल वाक्य है तो दूसरा उसी में रूपांतर करके ('क्या' जोड़कर) बनाया गया प्रश्न बोधक वाक्य है।

राम जाता है। (साधारण वाक्य)

राम नहीं जाता। (निषेध बोधक वाक्य)

यहाँ भी पहला मूल वाक्य है तथा दूसरा उसी में रूपांतर करके ('नहीं' जोड़कर तथा 'है' निकाल कर) बनाया गया निषेध बोधक वाक्य है।

बढ़ई लकड़ी काट रहा है। (कतृवाच्य)

बढ़ई द्वारा लकड़ी काटी जा रहा है। (कर्मवाच्य)

यहाँ भी पहला वाक्य मूल है तथा दूसरा रूपांतरित है। यहाँ रूपांतरण के लिए 'द्वारा' तथा 'जा' जोड़े गए हैं तथा 'काट' को 'काटी' तथा 'रहा' को 'रही' रूप में परिवर्तित किया गया है।

इस तरह रूपांतर करके बनाए गए वाक्य रूपांतरित वाक्य कहलाते हैं। ये रूपांतरित वाक्य जिन मूल वाक्यों से बनाए जाते हैं, उन्हें मूल वाक्य कहते हैं।

रूपांतरण में मुख्यतः तीन बातें आती हैं: जोड़ना, निकालना तथा परिवर्तित करना।

संक्षेप में, जो वाक्य, अपने मूल रूप में, अरूपांतरित, होते हैं उन्हें मूल वाक्य कहते हैं। ये वाक्य साधारण, अप्रश्नबोधक, अनिषेध बोधक तथा कतृवाच्यीय होते हैं। इसके विपरीत जो वाक्य मूल वाक्य के आधार पर रूपांतर करके बनाए जाते हैं, उन्हें रूपांतरित वाक्य कहते हैं। ये वाक्य मिश्र, संयुक्त, प्रश्न बोधक, निषेध बोधक कर्म-वाच्यीय, भाववाच्यीय आदि होते हैं।

हिन्दी में मूल वाक्य मुख्यतः छह प्रकार के होते हैं:

- (1) योजी क्रिया युक्त—ईश्वर है, कल सर्दी थी, दशरथ राजा थे, घड़ी अच्छी है।
- (2) आकर्षक क्रिया युक्त—घोड़ा दौड़ता है।
- (3) सकर्मक क्रिया युक्त—राम ने फल खरीदे, मोहन ने विनोद को पुस्तक दी।
- (4) अप्रत्यक्ष क्रियायुक्त—मुझे यह पसंद है, राम को प्यास लगी है।
- (5) बाध्यता बोधक क्रियायुक्त—राजीव को जाना पड़ा।
- (6) औचित्य बोधक क्रियायुक्त—शीला को पढ़ना चाहिए।

रूपांतरित वाक्य कभी तो एक ही मूल वाक्य में रूपांतर करके बनाए जाते हैं, और कभी एकाधिक मूल वाक्यों से जोड़कर बनाए जाते हैं, लड़का दौड़ रहा था। लड़का गिर गया = 'दौड़ने वाला लड़का गिर गया, या 'जो लड़का दौड़ रहा था गिर गया'। मोहन गया था + श्याम नहीं आया = मोहन गया था किन्तु श्याम नहीं आया।

मूल वाक्य को आधारभूत या बीज वाक्य (Kernal sentence) तथा रूपांतरित वाक्य को बीजेतर (non-kernal) वाक्य भी कहते हैं।

यहाँ सामान्य दृष्टि से मूल और रूपांतरित वाक्यों पर विचार किया गया। अब यॉमशकी आदि प्रश्न एवं निषेध वाक्यों को भी मूल मानते हैं तथा रूपांतरण दो प्रकार का मानते हैं। इसके लिए देखिए इस अध्याय का अन्तिम भाग।

आंतरिक संरचना-बाह्य संरचना

जिस वाक्य या वाक्यांश का प्रयोग हम बोलने या लिखने में करते हैं, वह बाह्य संरचना (Surface structure) है। इसके विपरीत यह बाह्य संरचना, मानव मन में स्थित जिस संरचना या जिन संरचनाओं से बनी होती है, वह आंतरिक संरचना (Deep structure) है। अब आधुनिक भाषा विज्ञान में आंतरिक संरचना को अंतःनिहित स्वरूप (Under lying representation) कहते हैं, क्योंकि इसी अर्थ में यह संरचना नहीं है जिस अर्थ में 'बाह्य संरचना' होती है। बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना में बहुत स्पष्ट अंतर है: (1) आंतरिक संरचना वक्ता के मन में होती है, जबकि बाह्य संरचना ध्वनियाँ या लिपि के माध्यम से हमारे सामने होती है। (2) इसी लिए पहली की सत्ता मात्र मानसिक है, किन्तु दूसरी की भौतिक है। को पहली में आधिक और व्याकरणिक घटक अपने अमूर्त रूप में होते हैं जबकि दूसरी में वे मूर्त रूप लेकर एक रचना के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उदाहरणार्थ

आंतरिक संरचना : लड़का खाना खा + अपूर्णपक्ष हो + वर्तमान

↓ ↓ ↓ ↓

बाह्य संरचना : लड़का खाना खाता है

यहाँ यह संकल्प है कि आंतरिक संरचना में मजबूरी से शब्दों और व्याकरणिक घटकों का उल्लेख है किन्तु तत्त्वतः इस स्तर पर ये मात्र भाव होते हैं। इसीलिए प्रजनक अर्थ विज्ञानवेत्ता इन्हें मूर्त रूप वाली बाह्य रचना से अलगाने के लिए हमेशा अँग्रेजी के बड़े अक्षरों (Capital letters) से लिखते हैं। इस तरह बाह्य संरचना मूर्त होती है तो आंतरिक संरचना अमूर्त।

एक और उदाहरण है—

आंतरिक संरचना : (1) माँ बच्चा उठा + पूर्ण — माँ रो सातत्य काल

(2) माँ बच्चा उठा + पूर्ण — बच्चा रो सातत्य काल

बाह्य संरचना : माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया।

यहाँ स्पष्ट है कि इसकी आंतरिक संरचनाएँ दो हैं। इसीलिए माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया, वाक्य के दो अर्थ भी हैं।

आंतरिक संरचना तथा बाह्य संरचना में संबंध दिखाने का काम रूपांतरण नियम (Transformation rule) करते हैं।

वाक्य-रचना में परिवर्तन

किसी भाषा की वाक्य-रचना हमेशा एक-सी नहीं रहती। उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसी तरह मूल भाषा की तुलना में उससे निकली भाषा की वाक्य-रचना में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत वाक्य-रचना में कर्ता या कर्म के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता था, किन्तु संस्कृत से ही निकली हिंदी में ऐसा प्रभाव पड़ता है: गच्छति, सीता गच्छति; राम जाता है, सीता जाती है।

वाक्य-रचना में परिवर्तन के कारण

किसी भाषा की वाक्य-रचना में परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नांकित हैं —

(१) अन्य भाषा का प्रभाव—किसी अन्य भाषा के प्रभाव से भाषा की

वाक्य-रचना प्रायः प्रभावित होती है, किंतु ऐसा तभी होता है जब प्रभावित करने वाली भाषा प्रभावित भाषा के बोलने वालों के लिए अत्यावश्यक होकर उनके शिक्षा अथवा व्यवहार का महत्वपूर्ण अंग हो। मध्यकाल में मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, अतः उसका पठन-पाठन काफ़ी होता था। इसी कारण उसका हिंदी की काव्य-रचना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए संस्कृत, पानि, प्राकृत, अपभ्रंश में आदर के लिए बहुवचन के प्रयोग की परम्परा विशेष नहीं थी, किंतु फारसी में यह परम्परा पूरी तरह से थी। उसी के प्रभावस्वरूप हिंदी में यह परम्परा आई जिसका परिणाम है—

मेरा चपरासी आ रहा है।

मेरे अध्यापक आ रहे हैं।

'कि' का प्रयोग भी हिंदी पर फारसी प्रभाव है—

मैं चाहता हूँ कि वह चला जाए।

अंग्रेजी ने भी हिंदी को इसी तरह प्रभावित किया है। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। हिंदी का एक वाक्य है—

वह आदमी जो कल आया था, चोर था।

इस वाक्य में 'वह' अंग्रेजी the की छाया है—

The man who had come yesterday was a thief.

हिंदी का प्राकृत वाक्य होगा—

जो आदमी कल आया था, चोर था।

इस प्रकार कई सजावा या क्रियावाक एक साथ आने पर अतिम दो क वाच में 'और' का प्रयोग भी हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव है—

राम, मोहन और जगम खेल रहे हैं।

मैं शैव कहूँगा, नहाऊँगा और खाऊँगा।

भविष्य काल के लिए अपूर्ण वर्तमान का हिंदी में प्रयोग भी अंग्रेजी का प्रभाव है। उदाहरण के लिए ऐसे वाक्य खूब चलते हैं—

(क) प्रधान मंत्री अगले महीने यूरोप जा रही हैं।

(ख) पिता जी कल आ रहे हैं।

(ग) अगले सप्ताह शहर में सरकस आ रहा है।

(हिंदी वाक्य-रचना पर फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव विस्तृत रूप से देखने के लिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की पुस्तक 'हिंदी भाषा' का 'हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव' शीर्षक अध्याय देखिए।)

(२). ध्वनि-परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना—
विभक्तियों के घिस जाने से अर्थ को समझने में कठिनाई होने लगती है, अतः वाक्य में सहायक शब्द (परसर्ग, सहायक क्रिया) जोड़े जाने लगते हैं, साथ ही वाक्य में पदक्रम निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत तथा पुरानी जर्मन की तुलना में हिंदी तथा अंग्रेजी में शब्द-क्रम निश्चित है।

राम मोहन कहता है

मोहन राम कहता है।

इन वाक्यों में स्थान के कारण 'राम' एक स्थान पर कर्ता है तो दूसरे स्थान पर कर्म । संस्कृत में कर्ता 'रामः' होता तथा कर्म 'रामे' । अतः शब्द-क्रम के निश्चित होने की आवश्यकता नहीं थी । 'रामः' वाक्य में कहीं भी आता कर्ता होता तथा 'रामे' कहीं भी आता कर्म होता ।

(३) स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग—इसके कारण वाक्य में ऐसे अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं जो आर्थिक या व्याकरणिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं—

कृपया कल आइएगा ।

'आइएगा' अपने आप आदरसूचक है, अतः 'कृपया' की आवश्यकता नहीं थी । इसी प्रकार *He is returning back.* में 'बैक' अनावश्यक है । संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश में विभक्तियों के लुप्त जाने पर स्पष्टता के लिए ही परसर्गों का प्रयोग (हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में) होने लगा ।

(४) नवीनता—नवीनता के लिए कभी-कभी नये प्रयोग चल पड़ते हैं । उनसे भी वाक्य-रचना-पद्धति में परिवर्तन आते हैं । उदाहरण के लिए हिंदी में 'मात्र' का प्रयोग संज्ञा के बाद होता रहा है, अब नवीनता के लिए संज्ञा के पहले इसका प्रयोग होने लगा है—

मुझे दस रुपये मात्र चाहिए : मुझे मात्र दस रुपये चाहिए ।

इसी तरह ऐसे विशेषण पदबंध जो संज्ञा शब्दों में पहले आते रहते हैं, अब बाद में रखे जाने लगे हैं—

(क) रात भर की बात : बात रात भर की ।

(ख) तीन दिन की गदशाहत : बादशाहत तीन दिन की ।

पुरातकों, रचनाओं तथा क्लिप्तों के शीर्षकों में इस प्रकार परिवर्तन खूब प्रचलित हो गया है, यों अन्यत्र भी इसके प्रयोग कम नहीं मिलते ।

(५) बोलने वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन—युद्धकालीन, शांति-कालीन या प्रसन्न व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति की वाक्य-रचना एक नहीं होती । वस्तुतः वाक्य-रचना वक्ता की मानसिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करती है ।

(९) संक्षेप—नहीं जाता है—नहीं जाता । (७) बल के लिए क्रम-परिवर्तन—जाऊँगा तो—जाऊँ तो गा, कानपूर ही—कान ही पूर
वाक्य-रचना में परिवर्तन की दिशाएँ

वाक्य-रचना में परिवर्तन मुख्य रूप से निम्नांकित रूपों या दिशाओं में होता है :—

(१) वचन-संबंधी परिवर्तन—भाषाओं के विकास में वाक्य-रचना में वचन-संबंधी परिवर्तन प्रायः हो जाते हैं । संस्कृत में द्विवचन भी था, अतः दो के लिए अलग कारकीय रूप होते थे और उसके साथ क्रिया के द्विवचन के रूप प्रयुक्त होते थे, हिंदी में आते-आते द्विवचन का लोप हो गया तो 'दो' की सख्या 'बहुवचन' कारकीय रूप में लगाकर द्विवचन का भाव व्यक्त किया जाने लगा

संस्कृत

ती

बालकौ

हिंदी

दो

दो बालन

किंतु क्रिया-रूप द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयुक्त होने लगे—
दो बालक आए हैं ।

पुरानी हिंदी में आदर के लिए भी एकवचन की क्रिया, तथा एकवचन के विशेषण का ही प्रयोग होता था, किंतु अब हिंदी में आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग वर्मा (नीकर) अच्छा है; वर्मा (अध्यापक) अच्छे हैं । होता है । अंग्रेजी में you मूलतः बहुवचन है, किंतु अब एकवचन में आता है । हिंदी 'तुम' की ठीक यही स्थिति है ।

(२) लिंग-संबंधी परिवर्तन—संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं होती थी, किंतु हिंदी में परिवर्तित होती है—

रामः गच्छति—राम जाता है ।

सीता गच्छति—सीता जाती है ।

पहले हिंदी में स्त्रीलिंग प्रयोग था—

अब हम जा रही हैं ।

अब प्रायः लड़कियाँ और महिलाएँ प्रयोग करने लगी हैं—

हम जा रहे हैं ।

पंजाबी लोग हिंदी में 'माताजी आ रहे हैं' जैसे प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध है ।

(३) पुरुष-संबंधी परिवर्तन—पहले प्रयोग चलता था—राम ने कहा कि मैं जाऊँगा—अब अंग्रेजी के प्रभाव से सुनने में आने लगा है राम ने कहा कि वह जाएगा ।

(४) लोप—पूर्ववर्ती प्रयोगों में कुछ लुप्त हो जाने से वाक्य अपेक्षाकृत छोटे हो जाते हैं । जैसे हिंदी में—

प्राचीन प्रयोग—राम नहीं आता है ।

नया प्रयोग—राम नहीं आता ।

प्राचीन प्रयोग—राम नहीं आ रहा है ।

नया प्रयोग—राम नहीं आ रहा ।

प्राचीन प्रयोग—आँखों से देखी घटना ।

नया प्रयोग—आँखों-देखी घटना ।

प्राचीन प्रयोग—वह पढ़ेगा-लिखेगा नहीं ।

नया प्रयोग—वह पढ़े-लिखेगा नहीं ।

(५) आगम—अतिरिक्त शब्दों के आ जाने से वाक्य बड़े हो जाते हैं ।
हिंदी में पुराना प्रयोग था—

राम ने कहा मैं जाऊँगा ।

फ़ारसी प्रभाव के कारण 'कि' आ गया—

राम ने कहा कि मैं जाऊँगा ।

हिंदी का प्रकृत प्रयोग है—

जो लड़का आया था, चला गया ।

अब अंग्रेजी प्रभाव के कारण एक अतिरिक्त शब्द 'वह' प्रयुक्त होने लगा है—

वह लड़का जो आया था, चला गया ।

(६) पदक्रम में परिवर्तन—वाक्य-रचना इससे भी प्रभावित होती है । विभक्ति-लोप, नये प्रयोग आदि के कारण पदक्रम परिवर्तित होता रहता है । संस्कृत और हिंदी की तुलना करें तो संस्कृत में पदक्रम बहुत निश्चित नहीं था, किंतु हिंदी में वह काफी निश्चित हो गया है । यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है । इधर हाल में भी हिंदी में, पदक्रम-संबंधी कई परिवर्तन हुए हैं । दो का उल्लेख ऊपर हो चुका है : (१) मात्र संज्ञा के पूर्व प्रयोग—मात्र दस रुपये । (२) विशेषण पदबंध का संज्ञा के बाद प्रयोग—दूल्हन, एक रात की । बल देने के लिए हिंदी में पदक्रम में काफ़ी परिवर्तन किए जाते हैं—

घर आज जाऊँगा ।

आज घर जाऊँगा ।

आज जाऊँगा घर ।

‘ही’ शब्दों के बाद आता रहा है । अब कभी-कभी शब्दों के बीच में भी सुनने में आता है—

कानपुर जाना है ।

कान ही पुर जाना है ।

‘तो’ की भी यही स्थिति है—

जाऊँगा तो, किंतु आज नहीं ।

जाऊँ तो गा, किंतु आज नहीं ।

रूपांतरण : अनिवार्य और ऐच्छिक

पीछे कहा जा चुका है कि आधारभूत या बीज वाक्य में रूपांतरण करके रूपांतरित वाक्य बनते हैं । चॉम्स्की के अनुसार बोलने के पहले कुछ मूलभूत चीजें मनुष्य के मस्तिष्क में आती हैं तथा उनमें रूपांतरण करके व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बनाए जाते हैं । यदि ऐसा रूपांतरण न करें तो जो वाक्य बनेगा, अशुद्ध या अव्यकरणिक होगा । ऐसे रूपांतरण को अनिवार्य (ऑब्लिगेटरी) कहते हैं । उसके बाद अपनी इच्छा से जो रूपांतरण किए जाते हैं, वे ऐच्छिक (ऑप्शनल) कहलाते हैं । इन्हें वक्त्या चाहे तो करे और न चाहे तो न करे । उदाहरण के लिए, कोई कहना चाहे कि ‘राम स्कूल जाता है’ तो उसके मस्तिष्क में संज्ञा पदबंध+क्रिया पदबंध पहले आता है । संज्ञा पदबंध में ‘राम’ तथा क्रिया पदबंध में सहायक (ता है), क्रिया (जा) तथा (दूसरा) संज्ञा पदबंध (स्कूल) है । सहायक में ‘काल’ पहले आएगा, फिर ‘वर्तमान’ । क्रिया में ‘जाना’ तथा क्रिया पदबंध में दूसरा संज्ञा पदबंध ‘स्कूल’ । इसके बाद प्रत्येक भाषा की वाक्य-रचना के नियमों के अनुसार इसमें अनिवार्य रूपांतरण होगा और तब अंग्रेजी Ram+Aux. → tense → present+go+to school से Ram goes to school या हिन्दी में इन्हीं के आधार पर ‘राम स्कूल जाता है’ बनेगा । इस प्रकार के रूपांतरण अनिवार्य होते हैं । इनसे कर्तृवाच्य के सामान्य, निषेधबोधक या प्रश्नबोधक वाक्य बनते हैं । फिर ऐसे वाक्यों से जो रूपांतरण करके कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य आदि बनते हैं, ऐसे रूपांतरण ऐच्छिक कहलाते हैं । उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह सकता है, ‘राम ने पत्र लिखा’ या फिर यदि वह चाहे तो इसका कर्मवाच्य बनाकर वह कह सकता है ‘पत्र राम के द्वारा लिखा गया’ ।

६ रूपविज्ञान

पीछे कहा गया है कि वाक्यविज्ञान में वाक्य का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार रूपविज्ञान या पदविज्ञान में 'रूप' या 'पद' का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक रूपविज्ञान में किसी भाषा या बोली के किसी एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है, ऐतिहासिक में उसके विभिन्न कालों के रूपों का अध्ययन कर उसमें रूप-रचना का इतिहास या विकास प्रस्तुत किया जाता है, और तुलनात्मक रूपविज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

यहाँ पहला प्रश्न यह उठता है कि 'पद' या 'रूप' क्या है? भाषा की इकाई वाक्य है, अर्थात् भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के खंड शब्द होते हैं और शब्द की ध्वनियाँ। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है, और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। यहाँ 'शब्द' शब्द का सामान्य या शिथिल प्रयोग है। थोड़ी गहुराई में उतरकर देखा जाय - तो कोश में दिये गये सामान्य 'शब्द' और वाक्य में प्रयुक्त 'शब्द' एक नहीं हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कुछ ऐसा भी होता है, जिसके आधार पर वह अन्य शब्दों से अपना सम्बन्ध दिखला सके या अपने को बांध सके। लेकिन 'कोश' में दिये गये 'शब्द' में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि वाक्य के शब्द एक-दूसरे से अपना सम्बन्ध न दिखला सके तो वाक्य बन ही नहीं सकता। इसका आशय यह है कि शब्दों के दो रूप हैं। एक तो शुद्ध रूप है या मूल रूप है जो कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के सम्बन्धतरव से युक्त होता है। यह दूसरा, वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही 'पद' या 'रूप' कहलाता है। संस्कृत में 'शब्द' या मूल रूप को 'प्रकृति' या 'प्रातिपदिक' कहा गया है और सम्बन्ध-स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तरव को 'प्रत्यय'। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं : नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः। अर्थात्, वाक्य में न तो केवल 'प्रकृति' का प्रयोग हो सकता है, न केवल 'प्रत्यय' का। दोनों मिलकर प्रयुक्त होते हैं। दोनों के मिलने से जो बनता है वही 'पद' या 'रूप' है। पाणिनि के 'सुप्तिङन्तं पदं' (सुप और तिङ्, जिनके अंत में हो, वे पद हैं) में भी पद की परिभाषा यही है। यहाँ प्रत्यय या विभक्ति को सुप और तिङ् (सुप तिङ् विभक्ति संज्ञो स्तः) कहा गया है। उदाहरण के लिए, 'पत्र' शब्द को लें। यह एक शब्द मात्र है। संस्कृत

के किसी वाक्य में इसे प्रयोग करना चाहें तो इसी रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। वैसा करने के लिए इसमें कोई सम्बन्धसूचक विभक्ति जोड़नी होगी। जैसे— 'पत्रं पतति' (पत्रा गिरता है)। अब यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द तो 'पत्र' है और वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे 'पत्रं' का रूप धारण करना पड़ा है। अर्थात्, 'पत्र' शब्द है और 'पत्रं' पद।

स्थान-प्रधान या अयोगात्मक भाषाओं (जैसे चीनी आदि) में शब्द और पद का यह भेद नहीं दिखाई पड़ता। इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दों में सम्बन्ध दिखाने के लिए किसी सम्बन्धतत्त्व (विभक्ति आदि) के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द के स्थान से ही शब्द का सम्बन्ध अन्य शब्द से स्पष्ट हो जाता है, या दूसरे शब्दों में बिना विभक्ति आदि जोड़े, किसी वाक्य में अपने विशिष्ट स्थान पर रखे जाने के कारण ही 'शब्द' पद बन जाता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी आदि भारोपीय कुल की आधुनिक भाषाएँ भी कुछ अंशों में इस प्रकार की हो गई हैं। उदाहरण के लिए, 'लड्डू' हिन्दी का एक शब्द है। इसे वाक्य में रखना हुआ, तो बिना किसी परिवर्तन के, या विभक्ति आदि लगाकर पद बनाये बिना ही, रख दिया—

'लड्डू गिरता है।'

और 'लड्डू' ने वाक्य में जाते ही अपने स्थान के कारण (यहाँ कर्ता का स्थान है) अपने को पद बना लिया और उसका अन्य शब्दों से सम्बन्ध स्पष्ट हो गया। दूसरी ओर 'राम लड्डू खाता है' में भी वही 'लड्डू' है, लेकिन स्थान-विशेष के कारण यहाँ उसके सम्बन्ध और प्रकार के हो गये हैं। वह कर्ता न होकर कर्म है। अंग्रेजी से भी इस प्रकार के अगणित उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे Ram killed Mohan तथा Mohan killed Ram.

शब्द

'पद' शब्द पर ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेप में शब्द-रचना विचारणीय है। एकाक्षर परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। उनमें तो केवल एक ही इकाई होती है, जिसमें विकार कभी नहीं होता और जिसे धातु, शब्द या पद सब कुछ कह सकते हैं। कुछ प्रश्लिष्ट-योगात्मक (पूर्णा) भाषाओं में पूरे वाक्य का ही शब्द बन जाता है, जैसे पीछे हम लोग 'नाघोलिनिन' आदि देख चुके हैं।^१ ऐसे शब्दों पर भी यहाँ विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द-सा है। वे असल में वाक्य ही हैं। ये वाक्य जिन शब्दों से बनते हैं, वे भी एक प्रकार से बने-बनाये शब्द हैं, अतः उन पर भी विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। शेष अधिकतर भाषाओं में शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर (आरम्भ, बीच या अन्त में) प्रत्यय जोड़कर होती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण धातुओं तक किया जा सकता

१. देखिये पीछे भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण।

है। (सैमेटिक परिवार में यही बात है।) धातुएँ विचारों की चोतिका होती हैं। शब्द बनाने के लिए उपसर्ग (पूर्वप्रत्यय) और प्रत्यय दोनों ही आवश्यकतानुसार जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जोड़ने से मूल के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विहार, संहार, परिहार आदि में प्रत्यय जोड़कर उसी अर्थ के 'शब्द' या 'पद' बनाए जाते हैं, जैसे 'कृ' धातु में तृच् प्रत्यय जोड़ने से 'कृत्' शब्द बना। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। एक, जो सीधे धातु में जोड़ दिये जाते हैं, उन्हें 'कृत्' कहते हैं। दूसरे को 'तद्धित' कहते हैं। तद्धित को धातु में कृत् प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा जाता है।

पद

हम ऊपर कह चुके हैं कि 'शब्द' को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर, उसे 'पद' की संज्ञा दी जाती है। अयोगात्मक भाषाओं में पद नाम की शब्द से कोई अलग वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। वहाँ शब्द स्थान के कारण पद बन जाता है। योगात्मक भाषाओं में पद बनाने के लिए शब्द में सम्बन्ध-तत्त्व के जोड़ने की आवश्यकता होती है। शब्द पर हम विचार कर चुके हैं। यहाँ सम्बन्धतत्त्व और उसके जोड़ने की विधि पर विचार किया जायेगा।

सम्बन्धतत्त्व

वाक्य में दो तत्त्व (सम्बन्ध और अर्थ) होते हैं। दोनों में प्रधान अर्थतत्त्व (semanteme) है। दूसरे को सम्बन्धतत्त्व कहते हैं। सम्बन्धतत्त्व का कार्य है विभिन्न अर्थतत्त्वों का आपस में सम्बन्ध दिखलाना। उदाहरणार्थ, एक वाक्य लिया जा सकता है—'राम ने रावण को बाण से मारा'। इस वाक्य में चार अर्थतत्त्व हैं—राम, रावण, बाण और मारना। वाक्य बनाने के लिए चारों अर्थतत्त्वों में सम्बन्धतत्त्व की आवश्यकता पड़ेगी, अतः यहाँ चार सम्बन्धतत्त्व भी हैं। 'ने' सम्बन्धतत्त्व वाक्य में राम का सम्बन्ध दिखलाता है, और इसी प्रकार 'को' और 'से' क्रम से रावण और बाण का सम्बन्ध बतलाते हैं। 'मारना' से 'मारा' पद बनाने में सम्बन्धतत्त्व इसी में मिल गया है।

यहाँ हमें एक ओर ऐसे सम्बन्धतत्त्व मिले जो शब्द से अलग हैं (राम ने); और दूसरी ओर एक ऐसा मिला जो शब्द में ऐसा घुलमिल गया है (मारा) कि पता नहीं चलता। इसी प्रकार कुछ और तरह के भी सम्बन्धतत्त्व होते हैं। यहाँ सभी प्रकार के सम्बन्धतत्त्वों पर पृथक्-पृथक् विचार किया जा रहा है।

सम्बन्धतत्त्व के प्रकार

(१) शब्द-स्थान

जैसा कि पीछे कई स्थानों पर कहा जा चुका है, शब्दों का स्थान भी कभी-कभी सम्बन्ध-तत्त्व का काम करता है। संस्कृत के समासों में यह बात प्रायः देखी जाती है। कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं—

राजसदन = राजा का घर

सदनराज = घरों का राजा, अर्थात् बहुत अच्छा या बड़ा घर

ग्राममल्ल = गाँव का पहलवान

मल्लग्राम = पहलवानों का ग्राम

धनपति = धन का पति, कुबेर

पतिधन = पति (शौहर) का धन

यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवर्तन से सम्बन्धतत्त्व में अन्तर आ गया है, और अर्थ बदल गया है। अंग्रेजी में भी 'स्थान' कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व का काम करता है, जैसे 'गोल्डमेडल'। इसमें यदि दोनों का स्थान उलट दें, तो यह भाव नहीं व्यक्त होगा। 'पावरहाउस' तथा 'लाइटहाउस' आदि भी ऐसे ही उदाहरण हैं। संस्कृत तथा अंग्रेजी के ऊपर के उदाहरणों की भाँति हिन्दी में भी अधिकारी के बाद अधिकृत वस्तु रक्खी जाती है। 'राजमहल', 'डाकघर' तथा 'मालबाबू' इसी के उदाहरण हैं। यहाँ भी स्थान विशेष पर होने से ही राज, डाक तथा माल शब्द संज्ञा होते हुए भी विशेषण का काम कर रहे हैं, और इस प्रकार उनके साथ शब्दों से विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट है। चीनी में भी इसी प्रकार अधिकारी के बाद अधिकृत वस्तु रक्खी जाती है। बँग = राजा, तीन = घर। अतः 'बँग तीन' = राजा का घर। वेल्श में शब्द-स्थान इसके बिल्कुल उलटा है। वहाँ ब्रेनहिन = राजा, और ती = घर। पर यदि 'राजा का घर' कहना होगा तो हिन्दी या चीनी आदि की भाँति 'ब्रेनहिन ती' न कहकर 'ती ब्रेनहिन' कहेंगे।

वाक्यों में भी स्थान से सम्बन्धतत्त्व स्पष्ट हो जाता है। यह बात चीनी आदि स्थान-प्रधान भाषाओं में विशेष रूप से पाई जाती है। उदाहरणस्वरूप—

नो त नि = मैं तुम्हें मारता हूँ।

नि त न्गो = तू मुझे मारता है।

अंग्रेजी तथा हिन्दी में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं—

Mohan killed Ram.

Ram killed Mohan.

कहना न होगा कि पहले वाक्य में मोहन और राम का सम्बन्ध दूसरा है, पर स्थान के परिवर्तन मात्र से ही दूसरे वाक्य में वाक्य पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हिन्दी में—

चावल जल रहा है।

मैं चावल खाता हूँ।

इन दोनों वाक्यों में बिना किसी विभक्ति के केवल 'चावल' शब्द है, पर स्थान की विशिष्टता के कारण वह दोनों में दो प्रकार का सम्बन्ध दिखला रहा है। पहले में कर्ता है, तो दूसरे में कर्म।

(२) शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना, या शून्य सम्बन्धतत्त्व जोड़ना

कभी-कभी कोई भी सम्बन्धतत्त्व न लगाकर शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना भी सम्बन्धतत्त्व का बोधक होता है। अंग्रेजी में सामान्य वर्तमान में प्रथम पुरुष एकवचन (I go) तथा सभी बहुवचनों (We go, You go, They go) में क्रिया को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में (Sheep) का बहुवचन शीप ही है। संस्कृत में ऐसी संज्ञाएँ (जैसे वणिक, भूभृत्, मरुत्, विद्युत्, वारि, दधि, विद्या, नदी तथा स्त्री आदि) व.म नहीं हैं, जिनका अविकृत रूप ही प्रथमा एकवचन का बोधक है। आधुनिक भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने स्पष्टता के लिए ऐसे रूपों को शून्य सम्बन्धतत्त्वयुक्त रूप कहा है। अर्थात्, मूल शब्द में शून्य सम्बन्धतत्त्व जोड़कर ये बने हैं।

(३) स्वतन्त्र शब्द

संसार की बहुत-सा भाषाओं में स्वतन्त्र शब्द भी सम्बन्धतत्त्व का कार्य करते हैं। हिन्दी के सारे परसर्ग या कारक-चिह्न (ने, को, से, पर, में, का, की, के) इसी वर्ग के हैं, और उनका कार्य दो या अधिक शब्दों का वाक्य या वाक्यांश या शब्द-समूह में सम्बन्ध दिखलाना ही है। अंग्रेजी के टू (to), फ्रॉम (from), ऑन (on) तथा इन (in) आदि भी इसी श्रेणी के शब्द हैं। संस्कृत के इति, आदि, एवं तथा च आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। चीनी में रिक्त (empty) और पूर्ण (full) दो प्रकार के शब्द होते हैं। रिक्त शब्दों का प्रयोग सम्बन्धतत्त्व दिखलाने के लिए ही होता है। चीनी के त्सि (= का), यु (= को), त्सुंग (= से) तथा लि (= पर) रिक्त शब्द हैं, जो ऊपर के हिन्दी तथा अंग्रेजी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ग्रीक, लैटिन, फारसी तथा अरबी में भी इस प्रकार के सम्बन्धतत्त्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिलते हैं।

कभी-कभी दो स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग सम्बन्धतत्त्व के लिए होता है। हिन्दी का एक वाक्य लें—

अगर पिता जी की नौकरी छूट गई तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी।

इसमें 'अगर' और 'तो' इसी प्रकार के शब्द हैं। हालाँकि.....मगर, न... न, ज्यों...त्यों, यदि...तो, तथा यद्यपि...तथापि आदि भी इसी के उदाहरण हैं। अंग्रेजी के इफ (if)...थेन (then), या नीदर (neither)...नॉर (nor) भी इसी श्रेणी के हैं।

(४) ध्वनि-प्रतिस्थापन (Replacing)

इसके अन्तर्गत तीन उपभेद किये जा सकते हैं। स्वर-प्रतिस्थापन, व्यंजन-प्रतिस्थापन, स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन। (क) केवल स्वरों में परिवर्तन से भी कभी-कभी संबंधतत्त्व प्रकट किया जाता है। कुछ भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने इसी को अपश्रुति (vocalic ablaut) द्वारा सम्बन्धतत्त्व प्रकट होना कहा है। अंग्रेजी में 'सिंग' (sing) से 'संग' (sang) तथा 'संग' (sung) इसी प्रकार बनते हैं। tooth से teeth, find से found में भी स्वर-प्रतिस्थापन है। जर्मन में 'विर गेबेन' (wir geben—हम देते हैं) से 'विर गैबेन' (wir gaben—हमने दिया) इसी प्रकार बना है। संस्कृत में दशरथ से दाशरथी

तथा पुत्र से पौत्र या हिन्दी में मामा से मामी आदि भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं।
 (ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन में send से sent या advice से advise देखे जा सकते हैं।
 (ग) 'जा' से 'गया'; be से am या is; go से went; संस्कृत में पच् धातु का चुङ्ग परस्मैपद में अपाक्षी या अपाक्त; रम् का चुङ्ग में अरप्साताम् या आक्षी में रप्क्षीष्ट आदि स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन के उदाहरण हैं।

(५) ध्वनि-द्विरावृत्ति (Reduplicating)

कुछ ध्वनियों की द्विरावृत्ति से भी कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व का काम लिया जाता है। यह द्विरावृत्ति मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर पाई जाती है। दक्षिणी मेक्सिको की तोजोलबल भाषा में अंत्य-द्विरावृत्ति मिलती है। 'संस्कृत, ग्रीक में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। लंका की एक बोली में manao=चाहना और manao nao=(वे) चाहते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की एक भाषा में iririk=चलना और iririk=वह चलता है।

(६) ध्वनि-वियोजन (Subtracting)

कभी-कभी कुछ ध्वनियों को घटा कर या निकाल कर भी सम्बन्धतत्त्व का काम लिया जाता है। उसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। फ्रांसीसी भाषा के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

	स्त्रीलिंग				
उच्चारित रूप	लिखित रूप	उच्चारित रूप	लिखित रूप	अर्थ	
Sul	(soule)	Su	(Soul)	(पीया)	
ptit	(petite)	pti	(petit)	(छोटा)	

नाइडा ने इन्हें इस रूप में माना है। यों, मैं समझता हूँ कि उल्टे रूप में इसे जोड़ने का उदाहरण मानना शायद अधिक ठीक होगा।

(७) आदिसर्ग, पूर्वसर्ग या पूर्वप्रत्यय

मूल शब्द या प्रकृति के पूर्व कुछ जाड़ कर शब्द तो बहुत-सी भाषाओं में बनते हैं, किन्तु सम्बन्धतत्त्व के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। संस्कृत भूत-काल की क्रियाओं में 'अ' आरम्भ में लगाते हैं, जैसे अगच्छत्, अचोरयत्। अफ्रीका की बंदू कुल की काफिर भाषा में यह प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है। उदाहरणार्थ, 'कु' वहाँ सम्प्रदान कारक का चिह्न है। 'ति' = हम, नि = उन। कुति = हमको; कुनि = उनको।

(८) मध्यसर्ग (Infix) मध्य प्रत्यय

कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व मूल शब्द के बीच में भी आता है। यह ध्यान देने की बात है कि मूल शब्द और प्रत्यय या उपसर्ग के बीच में यदि सम्बन्धतत्त्व बाये जो उसे सच्चे अर्थ में मध्यसर्ग नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, संस्कृत में यम्यते में 'य' गम् धातु के बाध आया है, अतः वह प्रत्यय है, मध्यसर्ग नहीं। गुण्डा में इसके उदाहरण

मिलते हैं। उदाहरणार्थ, दल = मारना, दपल = परस्पर मारना। मंभि = मुखिया; मपंभि = मुखिया लोग। संस्कृत में रुधादि गण की धातुओं के रूप में इसके अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें धातु के बीच में 'न्' जोड़ा जाता है। जैसे रुध् से रुणद्धि (रोकता है), रुध् (तुम लोग रोकते हो) या छिद् से छिधि (मैं काटता हूँ) आदि। यों इनमें अधिकांश में मध्यसर्ग के साथ-साथ अंतसर्ग का भी प्रयोग होता है। अरबी में भी इसके उदाहरण पर्याप्त हैं, जैसे कतब से किताब या कुतुब आदि। त्जेलटल (दक्षिणी मेक्सिको की एक भाषा) में 'ह' को बीच में जोड़ कर धातु को सकर्मक से अकर्मक बनाया जाता है। Kuch (ले जाना) से Kuhch; या Kep (साफ करना) से Kchp आदि।

(६) अंतसर्ग, विभक्ति प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय

इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों के बनाने में प्रायः इसी का प्रयोग होता है। राम + : (सु) = रामः। फल + ÷ (सु) = फलं। हिन्दी में भी इसका प्रयोग खूब होता है। 'हो' धातु से होता, उस से उसने। भोजपुरी में 'दुवार से 'दुवारे' (सप्तमी)। अंग्रेजी क्रिया में -ed, -ing से बनने वाले रूप भी इसी श्रेणी के हैं।

(१०) ध्वनिगुण (बलाघात या सुर)

बलाघात तथा सुर भी सम्बन्धतत्त्व का काम करते हैं। सुर का उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी भाषाओं में मिलता है। अफ्रीका की 'फुल' भाषा से एक उदाहरण लिया जा सकता है। उनमें 'मिवरत' यदि एक सुर में कहा जाय तो अर्थ होगा 'मैं मार डालूँगा', पर यदि 'त' का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा 'मैं नहीं मरूँगा।' बलाघात तथा स्वराघात का संस्कृत, स्लैवोनिक, लिथुआनियन तथा ग्रीक में भी काफी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रीक का एक उदाहरण लिया जा सकता है। 'प्रेथ्रोक्तोद' में यदि पहले 'ओ' पर स्वराघात होगा तो अर्थ होगा 'पिता द्वारा मारा गया', पर यदि दूसरे 'ओ' पर होगा तो अर्थ होगा 'पिता को मारने वाला।' अंग्रेजी में कनडक्ट (conduct) में यदि 'क' पर बलाघात होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा, पर यदि 'ड' पर होगा तो क्रिया। इसी प्रकार प्रेजेंट (present) में 'र' पर बलाघात होने से संज्ञा और 'जे' पर होने से क्रिया।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भी सम्बन्धतत्त्व मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित उपर्युक्त ही हैं। उपर्युक्त दस में दो या दो से अधिक भी एकसाथ सम्मिलित कर भी सम्बन्धतत्त्व का काम लिया जाता है, जैसे कतल (मारना) से मक्तूल (जो मारा जाय), तक्रातुल (एक-दूसरे को मारना), कुत्तल (कतल करने वाले), मुक्तातला (आपस में लड़ना), मक्कतल (कतल करने की जगह) और तकलील (बहुत कतल करना) आदि।

सम्बन्धतत्त्व और अर्थतत्त्व का सम्बन्ध

इन दोनों के सम्बन्ध सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते। उसका अनुमान हम लोग ऊपर के विवेचन से भी लगा सकते हैं। यहाँ स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध के प्रकारों पर विचार किया जायगा।

(१) पूर्ण संयोग

कुछ भाषाओं में अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व दोनों एक-दूसरे से इतने मिले रहते हैं कि एक ही शब्द एकसाथ दोनों तत्त्वों को प्रकट करता है। भारतीय एवं सैमेटिक दोनों ही परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हैं। ऊपर 'स्वर-परिवर्तन' शीर्षक में ऐसे ही सम्बन्धतत्त्व की ओर संकेत किया गया है।

अरबी में क्तल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई शब्द ऐसे बनाये जा सकते हैं, जिनमें दोनों तत्त्व एक में मिले हों। जैसे क्रातिल, कतल, यक्तुलु (वह मारता है) तथा उत्कुल आदि। अंग्रेजी के भी सिंग (sing) से सैंग (sang) आदि शब्द ऐसे ही हैं। शून्य सम्बन्धतत्त्व वाले रूप भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

(२) अपूर्ण संयोग

कभी-कभी ऐसा होता है कि अर्थ और सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्त्व एक में मिले रहते हैं, अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किन्तु मिलन अपूर्ण रहता है और इस कारण सम्बन्ध और अर्थतत्त्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त पूर्ण संयोग की भाँति इनका प्रयोग नीरक्षीरवत् न होकर तिलतंडुलवत् होता है। अंग्रेजी की निर्वल क्रियाएँ ई डी (ed) लगाकर भूतकाल में परिवर्तित की जाती हैं। उनमें दोनों तत्त्व मिले रहने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे asked, talked, killed, तथा thanked इत्यादि। द्रविड़, तुर्की एवं एस्पेरैन्तो आदि भाषाओं में भी दोनों तत्त्वों का सम्बन्ध लगभग ऐसा ही मिलता है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में सम्बन्धतत्त्व रहता है। कभी-कभी मध्य-प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है, पर ये सभी स्पष्टतः अलग रहते हैं, अतः इसे अपूर्ण संयोग कहा गया है। कन्नड़ भाषा में 'सेवक' से 'सेवक-र' या 'सेवक-रन्नु' आदि तथा तुर्की में सेव (प्यार करना) से 'सेव-इत-मेक', 'सेव-दिर-मेक' इसके अच्छे उदाहरण हैं—

(३) दोनों स्वतन्त्र

कुछ भाषाओं में दोनों तत्त्वों की सत्ता पूर्णतः स्वतन्त्र होती है। इसके अन्तर्गत भी कई भाग किये जा सकते हैं।

(क) चीनी भाषाओं में दो प्रकार के शब्द होते हैं—पूर्ण शब्द और रिक्त शब्द। भाषाओं के वर्गीकरण में हम लोग उनसे परिचित हो चुके हैं। रिक्त शब्दों का प्रयोग झुंझंदा तो नहीं होता, क्योंकि यह स्थान-प्रधान भाषा है, पर कभी-कभी अवश्य होता है।

उदाहरणार्थ

पूर्ण शब्द | वो=मैं या मुझे
 | उलत्सु=लड़का

रिक्त शब्द 'ती' = अंग्रेजी के एपास्ट्रफी (') आदि की भाँति अधिकारी चिह्न

अतः,

वो ती उलत्सु=मेरा लड़का।

भारोपीय परिवार के प्राचीन 'इति', 'आउ' आदि तथा नवीन 'ने', 'को', 'से' तथा 'टू' (to) आदि भी एक प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द हैं।

(ख) 'क' वर्ग में दोनों तत्त्व स्वतन्त्र होते हुए भी साथ-साथ थे। वाक्य में सम्बन्धतत्त्व का स्थान अर्थतत्त्व के पास ही कहीं था, पर कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जिसमें दोनों तत्त्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है। वाक्य में पहले सम्बन्ध-तत्त्व प्रकट करने वाले शब्द आ जाते हैं, और फिर अन्य शब्द। अमेरिका-चक्र की चिनुक भाषा से एक उदाहरण का हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा सकता है—

वह—उसने—वह—से मारना—आदमी—औरत—लाठी
= उस आदमी ने औरत को लाठी से मारा।

सम्बन्धतत्त्व का आधिक्य

कुछ भाषाओं में सम्बन्धतत्त्वों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसका फल यह होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के साथ एक सम्बन्धतत्त्व रहता है और एक के स्थान पर तीन-तीन, चार-चार सम्बन्धतत्त्व प्रयोग में आते हैं।

फुल भाषा का एक उदाहरण—

बी=बहुवचन बनाने के लिए सम्बन्धतत्त्व

रिबी-बी रैन-बी-बी=ये सफेद औरतें।

बंटू परिवार की सोविया भाषा में—

मु=एक व्यक्ति का चिह्न

मु-न्तु मु-लोट=सुन्दर आदमी

हिन्दी आदि में केवल संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्ति लगाने से काम चल जाता है, किन्तु इन भाषाओं में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्ति लगानी पड़ती है। संस्कृत आदि पुरानी भाषाओं में यह 'आधिक्य' अधिक है। यह आवश्यक नहीं है कि एक भाषा में केवल एक ही तरह के सम्बन्धतत्त्व मिलें और दोनों तत्त्वों का सम्बन्ध भी एक ही तरह का हो। अधिकतर भाषाओं में कई प्रकार के सम्बन्धतत्त्व मिलते हैं।

हिन्दी में सम्बन्धतत्त्व

हिन्दी में अनेक प्रकार के सम्बन्धतत्त्व हैं। 'का', 'को', 'से', 'में', 'ने' आदि चीनी की भाँति रिक्त शब्द हैं। वाक्य में किसी हद तक कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान भी निश्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला सम्बन्धतत्त्व भी है। बातचीत करते समय वाक्यों में स्वराघात के कारण भी कभी-कभी परिवर्तन हो जाता है। (काकु वक्रोक्ति) 'मैं जा रहा हूँ' तथा 'मैं जा रहा हूँ' में अन्तर है। इसी प्रकार धातु तथा उसके आज्ञा रूप (जैसे चल-चल, पी-पी, आदि) में भी बलाघात का ही अंतर है। कहीं-कहीं तुर्की आदि की भाँति अपूर्ण संयोग भी मिलता है, जैसे बालकों (बालक + ओं) या चावलों (चावल + ओं) आदि। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन के परिवर्तन द्वारा तत्त्वों

का पूर्ण संयोग भी मिलता है, जिनमें दोनों को अलग करना असम्भव है, जैसे 'कर' से किया या 'जा' से गया। अपश्रुति के उदाहरण के लिए कुकर्म से कुकर्मि, घोड़ा से घोड़ी या करता से करती आदि कुछ शब्द लिये जा सकते हैं। इस रूप में अनेक प्रकार के सम्बन्धतत्त्वों के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य केवल एक या दो प्रकार के सम्बन्धतत्त्व का ही होता है। हिन्दी में स्वतन्त्र शब्द तथा स्थान से प्रकट होने वाले सम्बन्धतत्त्वों का प्राधान्य है।

सम्बन्धतत्त्व के कार्य

भाषा में सम्बन्धतत्त्व द्वारा प्रमुखतः काल, लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक आदि की अभिव्यक्ति होती है।

काल

काल के वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं, और फिर इन कालों की क्रियाओं के पूर्णता-अपूर्णता तथा भाव या अर्थ (mood) आदि के आधार पर सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान आदि बहुत से उपभेद हैं। क्रिया में विभिन्न प्रकार के सम्बन्धतत्त्व जोड़कर ही काल इन भेदों और उपभेदों की सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के सम्बन्धतत्त्वों से काम लेना पड़ता है। कहीं तो स्वतन्त्र शब्द जोड़कर (I shall go में शैल) काम चलाते हैं तो कहीं इड (ed) जोड़ कर (He walked) भाव व्यक्त करना पड़ता है और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है कि अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का पता ही नहीं चलता। जैसे, हिन्दी में 'जा' से 'गया' या अंग्रेजी में गो (Go) से वेंट (Went)। कुछ अन्य तरह के सम्बन्धतत्त्वों का भी इसके लिए प्रयोग होता है। विद्वानों का विचार है कि कालों का रूप आज के क्रिया के रूपों में जितना दोटक स्पष्ट है, उतना कभी नहीं था। इसका यही आशय है कि अब इस दृष्टि से हमारी विचारधारा जितना विकसित हो गई है, पहले नहीं थी।

लिंग

प्राकृतिक लिंग दो हैं—स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बेजान चीजों को नपुंसक की श्रेणी में रख सकते हैं। पर, भाषा में यह स्पष्ट नहीं मिलती। संस्कृत का ही उदाहरण लें। वहाँ दारा (=स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग शब्द है और कलत्र (=स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग का शब्द होते हुए भी नपुंसकलिंग है। हिन्दी में किताब प्राकृतिक रूप से नपुंसकलिंग का शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है और दूसरी ओर ग्रन्थ प्राकृतिक रूप से नपुंसकलिंग का शब्द होते हुए भी पुल्लिंग है। मक्खी, चींटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली आदि हिन्दी में सर्वदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुल्लिंग या पुरुष भी होते हैं। इसी प्रकार बिच्छू तथा गोजर जैसे बहुत से सर्वदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभाविक लिंग से भाषा के लिंग का सम्बन्ध बहुत कम है। भाषा में हमने प्रायः कल्पित लिंग आरोपित कर लिया है।

लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके भाषा में अपनाए जाते हैं—

(१) प्रत्यय जोड़कर—जैसे हिन्दी में बाघ से बाघिन, हिरन से हिरनी या कुत्ता से कुतिया। अंग्रेजी में प्रिंस से प्रिसेस या लायन से लाइनेस भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं; संस्कृत में सुन्दर से सुन्दरी भी इसी श्रेणी का है।

(२) स्वतन्त्र शब्द साथ में रखकर—जैसे अंग्रेजी में शी-गोट (बकरी)—ही-गोट (बकरा); या मुंडा भाषा में आँडिया-कूल (बाघ) और एंगा-कूल (बाघिन)।

ऐसा भी देखा जाता है कि एक लिंग में तो कोई दूसरा शब्द है और दूसरे में विलकुल दूसरा, जिससे पहले शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे स्त्री-पुरुष, ब्वाँय-गर्ल, हार्स-मेयर, वर-बधू, माता-पिता, राजा-रानी तथा भाई-बहिन आदि।

लिंग के अनुसार संज्ञा, विशेषण सर्वनाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर यह सभी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है। अंग्रेजी के विशेषणों में लिंग के कारण प्रायः परिवर्तन नहीं होता, जैसे फूट गर्ल, फूट ब्वाँय। हिन्दी में आकारांत में तो हो जाता है, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर अन्यत्र परिवर्तन नहीं होता, जैसे चतुर पुरुष, चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की। सर्वनाम में हिन्दी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर अंग्रेजी (ही, शी) तथा संस्कृत (सः, तत्, सा) आदि में परिवर्तन हो जाता है। इसके उलटे क्रिया में लिंग के आधार पर हिन्दी में परिवर्तन होता है लड़का जाता है, लड़की जाती है), पर अंग्रेजी (द गर्ल गोज, द ब्वाँय गोज) तथा संस्कृत आदि भाषाओं में नहीं होता।

काकेशस परिवार की बोलियों में छः लिंग हैं।

पुरुष

पुरुष तीन होते हैं—उत्तम, मध्यम तथा अन्य। पुरुष के आधार पर क्रिया के रूपों में परिवर्तन होता है। पर यह बात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती। एक ओर संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी आदि में यह है तो दूसरी ओर चीनी आदि में नहीं है। पुरुष के आधार पर क्रिया के रूपों में परिवर्तन करने के लिए कभी तो कुछ स्वराँ, व्यंजनों या अक्षरों के बदलने से काम चल जाता है, जैसे हिन्दी में मैं जाऊँगा, तू जायेगा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कभी विभक्ति-परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भू + ति, मध्यम पुरुष भू + सि, अन्य पुरुष भू + मि। अंग्रेजी में कभी तो एक ही रूप कई में काम देता है (जैसे आइ गो, यू गो, दे गो) और कभी नये शब्द रखकर (ही इज गोइङ्, यू आर गोइङ्) तथा कभी प्रत्यय जोड़कर (आइ गो, ही गोज्) काम चलाते हैं। अरबी तथा फारसी आदि में भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं।

वचन

वचन प्रमुख रूप से दो—एकवचन और बहुवचन—मिलते हैं। पर संस्कृत

लियुआनिथन आदि कुछ भाषाओं में द्विवचन तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं में त्रिवचन का प्रयोग भी मिलता है। वचन का ध्यान प्रायः संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया में रक्खा जाता है, पर संस्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओं में तथा हिन्दी आदि में विशेषण में भी इसका ध्यान रक्खा जाता रहा है।

वचन के भादों को व्यक्त करने के लिए प्रायः एकवचन के रूप में प्रत्यय (हिन्दी में ओं या यों आदि, अंग्रेजी में इ-यस (es) या यस (s) आदि तथा संस्कृत में औ, जस् आदि लगाते हैं। कभी-कभी अपवादस्वरूप समूहवाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग आदि) शब्द भी जोड़े जाते हैं। क्रिया में और भी कई प्रकार की पद्धतियों से वचन के भाव व्यक्त किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के कारण (कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, संबोधन) रूप, क्रिया के विभिन्न वाक्यों (कर्तृ, कर्म, भाव) या अर्थों या भावों (Mood) के रूप, संस्कृत धातुओं के परस्मैपद तथा आत्मनेपद के रूप तथा क्रिया के प्रेरणात्मक (पढ़ना से पढ़वाना) आदि रूपों के लिए भी भाषा में सम्बन्धतत्त्व का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार संज्ञा से क्रिया (हाथ से हथियाना), क्रिया से संज्ञा (मार से मार), संज्ञा से विशेषण (अनुकरण से अनुकरणीय), विशेषण से संज्ञा (सुन्दर से सुन्दरता), संज्ञा या विशेषण से क्रियाविशेषण (तेजी या तेज से 'तेजी से') एवं नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक रूपों आदि को बनाने के लिए भी सम्बन्धतत्त्व की आवश्यकता पड़ती है।

रूप-परिवर्तन (Morphological Change)

शब्दों या पदों के रूप सर्वदा एक-से नहीं रहते। उनमें परिवर्तन होता रहता है।

रूप-परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में अन्तर

सामान्य दृष्टि से देखने पर रूप-परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में अन्तर नहीं दिखाई देता, पर यथार्थतः दोनों में अन्तर है। यद्यपि कभी-कभी ये दोनों इतने समान या समीप हो जाते हैं कि इनको अलग कर पाना यदि असंभव नहीं तो कष्ट-संभव अवश्य हो जाता है।

ध्वनि-परिवर्तन का सम्बन्ध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है और उसका परिवर्तन ऐसे सभी शब्दों को प्रायः प्रभावित कर सकता है (और प्रायः करता भी है) जिसमें वह विशिष्ट ध्वनि हो। आगे ध्वनि-नियमों में हम देखेंगे कि ध्वनि-परिवर्तन के नियमों ने कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भाषा में आने वाले विशिष्ट ध्वनितत्त्वों को प्रायः सर्वत्र प्रभावित किया, पर रूप-परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। वह किसी एक शब्द या पद के रूप को ही प्रभावित करता है। उससे भाषा के पूरे संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन अपेक्षाकृत व्यापक है और रूप-परिवर्तन सीमित तथा संकुचित।

रूप-परिवर्तन के कारण

(१) नियमन—भाषा में कुछ तो नियम होते हैं जो अधिकांश रूपों पर लागू होते हैं। इसके विपरीत कुछ अपवाद होते हैं जो इन बहु-प्रचलित नियमों का उल्लंघन करते हैं। स्पष्ट ही नियमित रूपों को स्मरण रखना तथा भाषा बोलते समय उनका प्रयोग करना सरल होता है। इसके विपरीत नियम-विरोधी रूपों का स्मरण रखना तथा यथावसर उनका प्रयोग करना कठिन होता है। इस कठिनाई से बचने के लिए हर भाषाभाषी का अंतर्मन जाने-अनजाने अनियमित रूपों के स्थान पर नियमित रूपों का प्रयोग करना चाहता है। उदाहरण के लिए, हिंदी में पुराने मानक रूप 'हूजिए' तथा 'कीजिए' हैं, किंतु ये अपवाद नियम-विरोधी हैं। सामान्य नियम धातु में 'इए' जोड़कर रूप बनाने का है : आइए, चलिए, बैठिए, आदि। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब इस दिशा में नियमन हो गया है और 'हूजिए' के स्थान पर 'होइए' तथा 'कीजिए' के स्थान पर 'करिए' रूप प्रयुक्त होने लगे हैं। 'मर्' का 'मरा', 'चल्' का 'चला', 'बैठ्' का 'बैठा' नियमित है, किंतु 'कर' का 'किया' अपवाद है, परिणामतः बहुत से लोग इसका नियमन कर 'कर' से 'करा' का प्रयोग करते हैं या कर जाते हैं या कर देते हैं। 'भारी', 'ताजा', 'खारी' मानक हिंदी में अपरिवर्तनीय विशेषण हैं, किंतु अन्य ईकारांत (बड़ी, अच्छी, मीठी, लंबी आदि) अथवा आकारांत (बड़ा, अच्छा, मोठा, लंबा) विशेषण परिवर्तनीय हैं, अतः उन्हीं के नियम के अनुसार कुछ लोग इनका भी रूप बदल देते हैं : खारा पानी (होना चाहिए खारी पानी), ताजी खबर (होना चाहिए ताजा खबर), भारा बदन (होना चाहिए भारी बदन); पंजाबी लोग प्रायः 'भारा बदन' का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाओं में 'चिड़िये का पंख' तथा 'पाठशाले में' जैसे प्रयोग हैं, जो होने चाहिए 'चिड़िया का पंख' तथा 'पाठशाला में'। अकारांत पुल्लिङ्ग (जैसे घोड़ा, कमरा आदि) के आधार पर गलत नियमन से यह 'चिड़िया', 'पाठशाला' की अशुद्धि हुई होगी। यह नियमन साहचर्य के आधार पर होता है।

(२) बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव—पहले करण के रूप में नियमन का उल्लेख किया जा चुका है। नियमन से प्राप्त सारे उदाहरणों में प्रस्तुत कारण भी कार्य करता है। नियमन होता है, भाषा के सामान्य नियम के अनुसार, किंतु इस 'नियमन होने' में उस भाषा के बहु-प्रयुक्त रूपों का प्रभाव भी काम करता है। वस्तुतः नियमन और 'यह प्रभाव' एक ही क्रिया के दो पक्ष हैं। इन्हें एक साथ भी रखा जा सकता है। 'कीजिए' पद 'करिए' बनकर अपनी रचना में नियमित हो गया अथवा चलिए, पहिए, बैठिए, लिखिए जैसे सैकड़ों रूपों के प्रभाव से 'कर' से 'कीजिए' के स्थान पर 'करिए' बन गया है।

कभी-कभी एक अन्य रूप में भी 'प्रभाव' काम करता है। संस्कृत में अकारांत ऋद्धों का प्रयोग अन्यो की तुलना में बहुत अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि परवर्ती भाषाओं में अन्य ध्वनियों से अंत होने वाले शब्दों के रूप भी

अकारांत शब्दों की तरह बनने लगे। उदाहरण के लिए संस्कृत में संबंध एकवचन में 'पुत्र' का 'पुत्रस्य', 'सर्व' का 'सर्वस्य', 'अग्नि' या 'अग्नेः' तथा 'वायु' का 'वायोः' बनता है, किंतु प्राकृतों में संबंध एकवचन में रूप 'पुत्रस्य', 'सर्वस्य', 'अग्निस्त', 'वाउस्त' मिलते हैं। प्रश्न उठता है कि 'अग्निस्त' और 'वाउस्त' रूप कहाँ से आ गए? 'अग्नेः' तथा 'वायोः' से ये विकसित नहीं हो सकते। स्पष्टतः बहुप्रयुक्त अकारांत शब्दों के प्रभाव के कारण ही इनके रूप परिवर्तित हुए। ऐसे ही बहुप्रयुक्त धातु 'भू' के प्रभाव अन्य धातुओं की रूपरचना में पड़ा है। संबंध कारक के रूपों का प्रयोग कर्म, संप्रदान, करण, अपादान तथा अधिकरण से अधिक होता है। इसी कारण संबंधकारक के रूपों पर आधारित नये रूप 'मेरे को' (मुझे), 'तेरे को' (तुझे), 'तेरे से' (तुझसे), 'मेरे पर' (मुझ पर), 'तेरे में' (तुझ में), चलने लगे हैं तथा 'मुझ', 'तुझ' वाले रूप लुप्त होते जा रहे हैं।

(३) ध्वनि-परिवर्तन—इसके कारण भी रूप-परिवर्तन होता है। संयोगात्मक भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन के कारण जब विभक्तियाँ परिवर्तित होते-होते लुप्त हो जाती हैं तो उनके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके कारण नये रूप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत के कारकीय रूपों के साथ यही हुआ। धीरे-धीरे विभक्तियाँ घिसते-घिसते लुप्त हो गई हैं, अतः परसर्ग-युक्त नये रूप प्रयोग में आए। 'रामः' के स्थान पर 'राम ने', 'राम' के स्थान पर 'राम को' या 'रामस्य' के स्थान पर 'राम का' जैसे नये रूप इसी के परिणाम हैं।

(४) स्पष्टता—भाषा का प्रयोक्ता अपनी कोई बात कहने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। इसी लिए वह चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक स्पष्ट हो, कहीं कोई अस्पष्टता न हो, ताकि उसकी बात ठीक से समझी जा सके। इसीलिए जब भी किसी रूप में स्पष्टता का अभाव होता है तो नये रूपों का प्रयोग शुरू हो जाता है—ऐसे नये रूप जो पुराने रूप की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। हिंदी-उर्दू में फ़ारसी के रूप चलते रहे हैं: 'दर-हकीकत', 'दर-अस्ल'। इधर जब से फ़ारसी का प्रचार समाप्त-सा हुआ, 'दर' (=में) शब्द लोगों को अस्पष्ट हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 'दर-हकीकत', 'दर-अस्ल' रूप भी अस्पष्ट हो गए। परिणामतः अब नये रूप चल पड़े हैं: 'दर हकीकत में', 'दर असल में'। ऐसे ही 'श्रेष्ठ' का अर्थ है 'सबसे अच्छा', किंतु संस्कृत व्याकरण की जानकारी कम होने के साथ 'श्रेष्ठ' शब्द अस्पष्ट हो गया और परिणामतः नये रूप उसके स्थान पर प्रयुक्त होने लगे—सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। इनमें पहले का प्रयोग तो मुझे महाभारत तक में मिला है। 'उत्तम' से 'सर्वोत्तम', में भी यही बात है। ध्वनि-परिवर्तन से विभक्तियों के लुप्त होने पर भी अस्पष्टता का संकट उपस्थित हो जाता है, और तब नये शब्दों की सहायता से नये रूप बनाकर अभिव्यक्ति में अस्पष्टता लाई जाती है। 'हम', 'तुम', 'वे', 'ये' मूलतः बहुवचन हैं, किंतु जाने चलकर 'हम', 'तुम' का तो यों ही, और 'वे' 'ये' का आदर के लिए एकवचन में प्रयोग होने लगा।

इस प्रकार अस्पष्टता का संकट आया। 'हम आ रहे हैं', 'तुम जाओ', 'वे गये', 'ये सो रहे हैं' जैसे प्रयोगों को एकवचन का समझा जाए या बहुवचन का, इस स्थिति से छटकारा पाने के लिए बहुवचन में नये रूप प्रयुक्त होने लगे। हम लोग, तुम लोग, ये लोग।

(५) अज्ञान—कुछ अस्पष्टताएँ अज्ञान के कारण होती हैं, अतः ऐसी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए जो नये रूप आते हैं, उनके पीछे अज्ञान भी एक कारण के रूप में अवश्य काम करता है। 'दर अस्ल', 'दर हकीकत', 'श्रेष्ठ' जैसे रूप उन्हीं लोगों के लिए अस्पष्ट रह होंगे, जिन्हें फ़ारसी और संस्कृत का ज्ञान न रहा होगा। अर्थात् 'हम लोग', 'तुम लोग', 'ये लोग' जैसे रूपों की बात छोड़ दें तो निश्चय ही अज्ञान एक कारण के रूप में अस्पष्टता के साथ-साथ रूप-परिवर्तन में काम करता है। जेवरात, जवाहरात कागज़ात बहुवचन हैं, किंतु जिन्हें उनका पता नहीं है, वे बहुवचन में नये रूप जेवरात, जवाहरात, या 'कागज़ातों' का प्रयोग करते हैं। वेफ़ज़ूल ('फ़ज़ूल' के स्थान पर) का प्रयोग कुछ अशिक्षितों तक ही सीमित है। इसके पीछे भी 'अज्ञान' कारण हो सकता है। कुछ लोगों द्वारा प्रयुक्त, (मुख्यतः पिठली सदी में) कृपणताई, कोमलताई, पांडित्यता सी अज्ञान के कारण ही बने हैं। इनका प्रयोग कृपणता, कोमलता तथा पांडित्य के स्थान पर हुआ है। भाष्यकार हैं कि तुलनात्मक ने 'कोमलताई' का प्रयोग किया है : भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। (मानस ७-११-३) पूज्यनीय, सौंदर्यता अन्य उदाहरण हैं।

(६) बल—बल देने के प्रयास में भी भाषा का प्रयोग नये रूपों को जन्म दे देता है। 'अनेक' के स्थान पर 'अनेकों', 'खालिस' के स्थान पर 'निखालिस' 'खाकर' के स्थान पर 'खाकर के' (मैं खाकर के आया हूँ) बल के ही परिणाम हैं।

(७) आवश्यकता—आवश्यकता होने पर भी कभी-कभी रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, यद्यपि बहुत ही कम। हिंदी में 'मैं' का बहुवचन 'हम' तथा 'हम लोग' होता है, मैंने अपनी एक कविता में 'मैं' का बहुवचन 'मैंओं' बनाया है, क्योंकि वहाँ अपनी बात 'मैं' 'हम' अथवा 'हमलोग' से नहीं व्यक्त कर पा रहा था—चार मैंओं के नीचे दबी यह मेरी लाश।

(८) नवीनता—साहित्यकार कभी-कभी केवल नवीनता के लिए भी नये रूप बना लेते हैं। प्रभावशाली के स्थान पर 'प्रभावी' का प्रयोग इसी प्रकार का है। 'स्वीकार किया' के स्थान पर 'स्वीकारा' या 'फ़िल्म बनाया' के स्थान पर 'फ़िल्माया' जैसे रूप सामान्य दृष्टि से रूप-परिवर्तन के नहीं हैं, किंतु दो रूपों के स्थान पर एक रूप होने के कारण परिवर्तन के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इधर नये कवियों ने इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग किए हैं : नोटा, हथियाया, लतियाया, गरियाया, जुतियाया, धकियाया

(९) कुछ रूपों के लाल से नये रूप उनका स्थान ले लेते हैं, इस प्रकार प्रतिस्थापन-रूप में रूप-परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में 'या' धातु का भूतकालिक कृदंत का रूप था 'यात'। हिंदी में 'या' का 'जा' (जाता) हुआ किंतु 'यात' से विक-

सित रूप लुप्त हो गया, अतः 'जाना' का भूतकालिक कृदन्ती रूप 'गया' मान लिया गया जो वस्तुतः 'गम्' धातु के भूतकालिक कृदन्ती रूप 'गत' से विकसित है। इसी प्रकार अंग्रेजी में go का भूतकाल went है जो मूलतः wend का भूतकाल है। हिंदी में तस्मै शब्द 'इंद्रिय' है जिसका मूल रूप बहुवचन 'इंद्रियों' बनेगा। मध्यकाल में 'इंद्री' शब्द चलता था जिसका मूल रूप बहुवचन 'इंद्रियों' बनता था। अब 'इंद्रियों' का लोप हो गया और 'इंद्रियों' को ही 'इंद्रिय' का मूल रूप बहुवचन मान लिया गया है जो वस्तुतः है नहीं, न नियमानुसार हो सकता है।

रूप-परिवर्तन की दिशाएँ (प्रकार)

रूप-परिवर्तन निम्नांकित दिशा में होता है—

(१) पुराने संबंध-तत्त्व का लोप तथा नये का प्रयोग—ध्वनि-परिवर्तन से प्रायः पुराने संबंधतत्त्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नये संबंध-तत्त्व जोड़े जाने लगते हैं, और इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है। संस्कृत रामः, रामं, रामस्य, रामे आदि के स्थान पर आज राम ने, राम को, राम का, राम में आदि का प्रयोग इसी का उदाहरण है।

(२) सादृश्य के कारण नये संबंधतत्त्व के साथ नये रूप—संस्कृत 'अग्नेः' का 'अग्ने' होना चाहिए था, किंतु प्राकृत में मिलता है 'अग्निस्स'। स्पष्ट ही अकारांत शब्दों का प्रत्यय 'स्स' सादृश्य के कारण आ गया है। इसी प्रकार सं० 'वायोंः' का प्रा० 'वाउस्य' भी। चला, पढ़ा आदि के सादृश्य पर 'क्रिया' के स्थान पर 'करा' अथवा चलिए, पढ़िए आदि के सादृश्य पर 'कीजिए' के स्थान पर 'करिए' अन्य उदाहरण हैं।

(३) अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग—अर्थात् एक प्रत्यय के रहते दूसरे का भी प्रयोग—जवाहरात-जवाहरातों। यहाँ बहुवचन प्रत्यय 'आत्' के रहते 'ओं' भी प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही जेवरतों, कागजातों, श्रेष्ठतम। सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम में 'अतिरिक्त प्रत्यय' नहीं है, अपितु उसी अर्थ का अतिरिक्त शब्द 'सर्व' आ गया है। 'अनेकों' में 'ओं' प्रत्यय अतिरिक्त है जो वस्तुतः वही काम कर रहा है जो आत 'दर असल में' में 'में' या 'दर' भी अतिरिक्त है।

(४) अतिरिक्त शब्द-प्रयोग—सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम ऐसे ही तमबोधक रूप हैं। जिनका उल्लेख तीसरे में किया जा चुका है।

(५) तल्लत प्रत्यय का प्रयोग—'इंद्रियों' के स्थान पर 'इंद्रियाँ' रूप इसी प्रकार का है। ऐसा सादृश्य के कारण नहीं हुआ है। 'इंद्री' शब्द का प्रयोग लुप्त हो गया, और दूसरी ओर 'इंद्रियों' का, अतः 'इंद्रिय-इंद्रियाँ' को संबद्ध मान लिया गया।

(६) नया प्रत्यय—'प्रभावशाली' के स्थान पर 'प्रभावी'। पहले 'प्रभाव-शाली' ही चलता था।

(७) आधा पुराना प्रत्यय तथा आधा नया—'छठा' के स्थान पर 'छठवाँ'

में 'छ' मूल शब्द है, 'छ' 'छठा' का पुराना प्रत्यय है तथा 'वाँ' 'पाँचवाँ', 'सातवाँ' आदि के सादृश्य पर आया नया प्रत्यय है।

(८) मूल में परिवर्तन—इससे भी रूप-परिवर्तन होता है। 'मुझको' के स्थान पर 'मेरे को' अथवा 'तुझको' के स्थान पर 'तेरे को' में प्रत्यय वही है, केवल मूल बदल गया है।

(९) मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन—ऐसा कम होता है। अंग्रेजी में go का भूतकाल went इसी प्रकार का है।

रूपिमविज्ञान अथवा रूपग्रामविज्ञान (Morphemics)

रूपिमविज्ञान या भाषाओं का रूपिमिक अध्ययन रूपविज्ञान का एक प्रमुख अंग है। इसका विकास अपेक्षाकृत आधुनिक है। इसमें किसी भाषा के रूपों (morph) का अध्ययन-विश्लेषण करके उनके अर्थ एवं वितरण आदि के आधार पर रूपग्राम (morpheme) एवं उपरूप अथवा संरूप (allomorph) का निर्धारण किया जाता है, साथ ही दो या अधिक रूपिमों के योग से जब किसी संयुक्त रूपिम (complex morpheme) या मिश्रित रूपिम (compound morpheme) का निर्माण होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि योग के पूर्व की तुलना में उसमें कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन तो नहीं आया और यदि आया है तो उसका आधार क्या है ?

रूपिम अथवा रूपग्राम (Morpheme)

'रूप' के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया जा चुका है। रूप या पद वे अवयव या घटक हैं, जिनसे वाक्य बनता है। 'उसके रसोईघर में सफाई होगी' वाक्य में पाँच पद या रूप हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में शब्द कहते हैं। इन रूपों में सभी एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हैं, उन्हें और छोटे खंडों में नहीं विभाजित किया जा सकता, जैसे 'में'। कुछ को छोटे खंडों में बाँटा जा सकता है, जैसे रसोईघर को 'रसोई' और 'घर' में। यदि घर को और छोटे टुकड़ों में बाँटना चाहें तो 'घ' और 'र' कर सकते हैं, यद्यपि इनमें न तो 'घ' का कोई अर्थ है और न 'र' का, इसलिए ये दोनों खंड तो हैं, किन्तु सार्थक (विशेषतः इस प्रसंग में) नहीं हैं। 'भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक ईकाई को रूपग्राम अथवा रूपिम कहते हैं।' इसका आशय यह है कि उपर्युक्त वाक्य में उस, के, रसोई, घर, में, साफ, ई, ही, ग, ई, ये दस रूपिम हैं। रूपिम के भेद दो आधारों पर हो सकते हैं। रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपग्राम प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं : (क) मुक्त रूपिम (free morpheme) जो अकेले या अलग भी प्रयोग में आ सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रसोई, घर, साफ, इसी प्रकार के हैं। ये अलग, मुक्त या स्वतन्त्र रूप से भी आ सकते हैं (जैसे रसोई बन चुकी है) और अन्य रूपिमों के साथ भी आ सकते हैं (जैसे रसोईघर)। (ख) बद्ध रूपिम (bound morpheme) जो अलग नहीं आ सकते, जैसे, 'ता' (एकता, सुन्दरता) या ई (जैसे घोड़ी, लड़की, खड़ी आदि में) आदि। इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी कुछ लोग मानते हैं, जिसे (ग)

अर्द्धबद्ध, अर्द्धमुक्त, मुक्तबद्ध या बद्धमुक्त की संज्ञा दी जा सकती है। इस तीसरे वर्ग में ऐसे रूपिम आते हैं जो अर्द्धबद्ध होते हैं और आधे मुक्त, या जो एक दृष्टि से मुक्त कहे जा सकते हैं तो दूसरी दृष्टि से बद्ध। अंग्रेजी का from इसी प्रकार का है। यह किसी अन्य रूपिम से मिलता नहीं, सर्वदा अलग रहता है, इसलिए मुक्त है, लेकिन साथ ही यह सर्वदा किसी के आश्रित रहता (from him या from shop आदि) है, अकेले किसी भी प्रकार की रचना का निर्माण नहीं कर सकता, अतः बद्ध है। हिन्दी के परसर्ग (ने, को, में, से) जब संज्ञा शब्दों के साथ आते हैं (राम से, मोहन को) तो अलग रहते हैं, यद्यपि सर्वनाम के साथ ये बद्ध रूपिम (जैसे उसने, मुझसे, तुमको आदि) हो जाते हैं। मेरे विचार में तात्त्विक दृष्टि से इस तीसरे भेद को अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि स्थान की दृष्टि से अलग हो कर भी अर्थ की दृष्टि से ये हमेशा बद्ध रहते हैं। बद्ध रूपिम के तीन उपभेद करके इन्हें समाहित किया जा सकता है।

(अ) मुक्त—जो अर्थ की दृष्टि से बद्ध होकर भी स्थान की दृष्टि से सर्वदा मुक्त रहते हैं, जैसे अंग्रेजी के from with आदि (ब) बद्ध—जो स्थान की दृष्टि से भी सर्वदा बद्ध रहते हैं, जैसे अंग्रेजी (ly, ness, ed), संस्कृत (अः, अम्) या हिन्दी (ई, आई) आदि के प्रत्यय। (स) बद्धमुक्त—जो कभी तो बद्ध रहते हैं और कभी मुक्त। जैसे हिन्दी परसर्ग, जो संज्ञा के साथ मुक्त रहते हैं (जैसे राम को) और सर्वनाम के साथ बद्ध (जैसे उसको)।

रचना और प्रयोग के आधार पर ही रूपिम के दो अन्य भेदों का उल्लेख भी यहाँ किया जा सकता है। जब दो या अधिक ऐसे रूपिम एक में मिलते हैं, जिनमें अर्थतत्त्व केवल एक हो (जैसे ऊपर के वाक्य में 'उसके', 'सफाई', 'होगी') तो उस पूरे रूप को संयुक्त रूपिम कहते हैं। यदि एक से अधिक अर्थतत्त्व हों तो मिश्रित रूपिम कहते हैं। ऊपर के वाक्य में 'रसोईघर' मिश्रित रूपिम है।

अर्थ और कार्य के आधार पर रूपिम के दो भेद होते हैं : (क) अर्थदर्शी रूपिम—जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ होता है और अर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त जो ओर कोई कार्य नहीं करते। इन्हीं को अर्थतत्त्व भी कहते हैं। प्राचीन व्याकरण में इन्हें ही stem, root, धातु, मस्तर या मादा कहा गया है। विचारों का सीधा सम्बन्ध इन्हीं से होता है। भाषा के मूल आधार ये ही हैं। व्याकरणिक या प्रायोगिक दृष्टि से ये कई प्रकार के हो सकते हैं : जैसे क्रिया (हो, खा, go, भू), संज्ञा (राम, cat, किताब), सर्वनाम (वह, तुम), विशेषण (अच्छ, बड़, सुन्दर, good) आदि। हर भाषा में इस वर्ग के रूपिमों की संख्या कई हजार होती है। दूसरे प्रकार के रूपिम से बहुत अधिक। (ख) सम्बन्धदर्शी रूपिम या कार्यात्मक रूपिम—इन्हें निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि इनमें अर्थ का प्राधान्य नहीं होता। इनका प्रमुख कार्य होता है 'सम्बन्ध-दर्शन' या 'व्याकरणिक कार्य'। इसीलिए इन्हें सम्बन्धतत्त्व भी कहते हैं। यों इन्हें व्याकरणिक तत्त्व कहना शायद अधिक ठीक होगा। संस्कृत में प्रत्यय, तिङ्, सुप् या हिन्दी में परसर्ग प्रत्यय आदि यही हैं। इनके बहुत से

भेद होते हैं, जिन पर पीछे विचार किया जा चुका है। इस प्रसंग में 'सम्बन्ध' शब्द काफी व्यापक है। इनमें यह भाव तो है ही कि ये रूपिम एक शब्द का सम्बन्ध वाक्य में दूसरे से दिखाते हैं, साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति या अर्थ (mood) और भाव (वार-वार, आधिवय) आदि की दृष्टि से अर्थदर्शी रूपिम में परिवर्तन भी लाते हैं। (जैसे 'लड़क्' अर्थदर्शी रूपग्राम है। इसमें 'ई', 'आ', 'इयाँ', 'इयों', 'ए', 'ओं' आदि सम्बन्धदर्शी रूपिम या सम्बन्धतत्त्वों को जोड़कर लड़की, लड़का, लड़कियाँ, लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त रूपिम या रूप या पद बना सकते हैं।) इसी लिए इन्हें कार्यात्मक रूपिम (functional morpheme) कहना अधिक उचित है। इस श्रेणी के रूपिमों की संख्या हर भाषा में कुल सौ से अधिक नहीं होती, अर्थात् अर्थदर्शी रूपिमों से बहुत कम होती है।

कुछ लोग खंडीकरण (segmentation) के आधार पर भी रूपिम के दो भेद करते हैं। एक तो (क) खंड रूपिम (segmental), जिन्हें तोड़कर अलग किया जा सके। ऊपर के सारे रूपिम इसी प्रकार के हैं। दूसरे (ख) अखंड रूपिम (suprasegmental) हैं। बलाघात (stress), सुर (tone, pitch) या सुरलहर (intonation) आदि रूप में स्वीकृत रूपिम इस श्रेणी के हैं। उन्हें दोटूक रूप में खंडित नहीं किया जा सकता। ध्वनिमविज्ञान (phonemics) में भी इसीलिए इन्हें अखंड या suprasegmental कहा जाता है।

उपरूप अथवा संरूप (Allomorph)

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कई रूपिमों का अर्थ एक होता है। यदि अंग्रेजी से उदाहरण लें तो संज्ञा शब्दों का एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए 'स' (hats, cats, books, tops आदि), 'ज' (schools, eyes, woods, dogs आदि) 'इज' (horses, bridges, roses आदि), 'इन' (oxen), 'रिन' (children) तथा शून्य रूपिम (या सम्बन्धतत्त्व) जैसे बहुवचन (sheep) आदि का प्रयोग होता है। इसका आशय यह है कि स, ज, इज, इन, रिन, शून्य रूपिम, बहुवचन बनाने वाले रूपिम हैं। इनका अर्थ एक है, इसीलिए सम्भावना यह हो सकती है कि ये अलग-अलग रूपिम न होकर एक ही रूपग्राम के अंग या विभिन्न रूप हों। जिन दो या दो से अधिक समानार्थी रूपों के एक रूपिम के अंग होने का संदेह होता है, उन्हें 'संदिग्ध समूह' या 'संदिग्ध युग्म' (suspicious pair) कहते हैं। लेकिन केवल संदिग्ध समूह या संदिग्ध युग्म होने के आधार पर ही उन्हें एक रूपिम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। संदेह मिटाने के लिए यह देखना पड़ता है कि ये रूप परिपूरक वितरण (complementary distribution) में हैं या नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या रूपात्मक परिस्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है, दूसरों का भी उन्हीं में होता है, या सबका अलग-अलग। यदि सबका एक ही परिस्थितियों में प्रयोग होता है तो इसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध है। एक के स्थान पर दूसरा भी आ जाता है। यदि

ऐसा है तो उन्हें एक रूपिम का अंग (जिन्हें उपरूप अथवा संरूप (allomorph) कहते हैं) नहीं माना जा सकता। वे सभी अलग-अलग रूपिम हैं। किंतु, यदि परिपूरक वितरण में हैं, अर्थात् वितरण या प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग-अलग बँटा है, जहाँ एक आता है वहाँ दूसरा नहीं, और जहाँ दूसरा आता है वहाँ तीसरा नहीं, तो इसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध नहीं है और ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूपिम के उपरूप (allomorph) हैं। ऊपर के उदाहरण में जब हम स, ज, इज, इन, रिन तथा शून्य रूपिम के वितरण (distribution) का विश्लेषण करते हैं, तो यह पाते हैं कि 'स' तो ऐसे शब्दों के अन्त में आ रहा है, जिनके अन्त में स, श के अतिरिक्त और कोई अघोष व्यंजन हो; 'ज' ऐसे शब्दों के अन्त में आता है जिनके अन्त में ज को छोड़कर कोई घोष व्यंजन या कोई स्वर हो; 'इज' ऐसे शब्दों के अन्त में आता है जिनके अन्त में स, ज, या श ध्वनि हो, 'इन' केवल ऑक्स, ब्रदर आदि कुछ निश्चित शब्दों या रूपिमों के अन्त में आता है, इसी प्रकार 'रिन' चाइल्ड के साथ और शून्य रूपिम भी केवल डीयर, शीप, काड आदि कुछ निश्चित शब्दों के साथ ही आता है। इसका आशय यह है कि ये विरोधी नहीं हैं और इनका वितरण परिपूरक है। विशिष्ट परिस्थितियों में एक आता और उसमें दूसरा नहीं आता। अतएव इन्हें एक ही रूपिम के संरूप माना जा सकता है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कई रूप (क) समानार्थी हों, (ख) एक प्रकार की रचना में आयें और (ग) परिपूरक वितरण में हों, अर्थात् सबके आने की स्थिति निश्चित रूप से अलग-अलग हो, विरोध न हो, या एक ही स्थिति में एक से अधिक न आते हों तो उन सबको एक ही 'रूपिम' के उपरूप माना जाता है। उन्हीं उपरूपों में किसी एक को (जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल आधार मानकर ध्वन्यात्मक दृष्टि से अन्य को स्पष्ट किया जा सके) रूपिम की संज्ञा दे दी जाती है। उपर्युक्त बहुवचन के प्रत्ययों में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी में संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने में 'ज' रूपिम का प्रयोग होता है। इस 'ज' के सं० रूप ज, स, इज, इन, रिन तथा शून्य हैं। 'ज' घोष ध्वनियों से अन्त होने वाले शब्दों के साथ आता है। अघोष ध्वनियों से अन्त होने वाले शब्दों में 'ज' भी अघोष होकर 'स' हो जाता है। स, श, ज, से अन्त होने वाले शब्दों के अन्त में 'ज' का उच्चारण ठीक से नहीं (grass, rose) हो सकता है, अतः ऐसी स्थिति में बीच में एक स्वर (इ) आ जाता है और यह 'इज' हो जाता है, अर्थात् 'ज' रूपिम के ज, स' इज उपरूप ध्वन्यात्मक परिस्थितियों के कारण परिपूरक वितरण में हैं, लेकिन शेष तीन रूपात्मक या शाब्दिक परिस्थितियों के कारण। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, रूपों या रूपिमों में ही इन, रिन या शून्य रूप का प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्ष यह निकला कि परिपूरक वितरण (complementary distribution) ध्वन्यात्मक या रूपात्मक या दोनों परिस्थितियों

१. 'फ़' से अन्त होने वाले अधिकांश शब्द भी इस वर्ग में आते हैं, क्योंकि उनके बहुवचन रूप में फ़ का व हो जाने से अन्त में घोष व्यंजन ही हो जाता है।

(phonological conditioning, morphological conditioning) पर निर्भर करता है। संक्षेप में—

{-ज्}	→ -ज्/	'ज्' को छोड़कर अन्य घोष ध्वन्यंत शब्दों के साथ
	→ -स/	'स' 'श' को छोड़कर अन्य अघोष ध्वन्यंत शब्दों के साथ
	→ -इज्/	स, ष, ज् अंत्य शब्दों के साथ
	→ -इन्/	आँक्स, ब्रदर आदि कुछ सीमित शब्दों के साथ
	→ -रिन/	चाइल्ड के साथ
	→ -०/	शीप, डीवर, कॉड आदि कुछ सीमित शब्दों के साथ

इसी प्रकार हिन्दी में बहुवचन के लिए—

रूप	उपरूप	वितरण
{-ओं}	१. /-ओं/	—अपरसर्ग रूप के लिए सभी शब्दों में। जैसे घरों, घोड़ों, कवियों, हाथियों, साधुओं, भालुओं, पुस्तकों, लताओं, गुड़ियों, शक्तियों, लड़कियों, वस्तुओं, बहुओं, गौओं आदि।
	२. /-ओ/	—संबोधन में सभी शब्दों (घोड़े, कवियों, साधुओं आदि) के साथ। नीचे का अपवाद-वर्ग यहाँ भी अपवाद है।
	३. /-ए/	—अपरसर्ग रूप के लिए आकारांत पु० शब्दों (जैसे घोड़े, लड़के, बेटे) के साथ।
	४. /-एँ/	अपरसर्ग रूप के लिए व्यजनांत (किताबें), आकारांत (माताएँ), उकारांत (वस्तुएँ), ऊकारांत (बहुएँ) औकारांत (गौएँ) स्त्री० शब्दों के साथ।
	५. /-आँ/	—अपरसर्ग रूप के लिए इकारांत (जातियाँ), ईकारांत (नदियाँ) तथा इयांत (गुंडिया) शब्दों के साथ।
	६. /-०/	अपरसर्ग रूप के लिए व्यजनांत (घर), इकारांत (कवि), ईकारांत (हाथी), उकारांत (साधु), तथा ऊकारांत (भालू) पु० शब्दों में।

टिप्पणी : (क) अपवाद-वर्ग—(i) पिता जैसे तत्सम शब्द; (ii) पुनरावृत्त शब्द, जैसे

चाचा, मामा, दादा, नाना, काका, बाबा, लाला, (iii) मुखिया जैसे कुछ अन्य शब्द ।

(ख) गण, लोग, जन जोड़कर भी बहुवचन बनते हैं । यहाँ इन्हें छोड़ दिया गया है ।

(ग) उपर्युक्त रूपों में 'य' का आगम, दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाना तथा पु० के अंत्य आ का लोप मिलेगा । आगे रूपस्वनिमिक परिवर्तन में इन्हें स्पष्ट किया गया है ।

अर्थात्, अंग्रेजी में बहुवचन का रूपिम '-ज' है जिसके प्रमुख संरूप छः हैं, तथा हिन्दी में बहुवचन का रूपिम '-ओं' जिसके प्रमुख संरूप सात हैं । यह ध्यान देने की बात है कि जितने भी रूपों का प्रयोग होता है, वे सभी 'उपरूप' कहलाते हैं । उन्हीं में किसी एक को रूपिम माना जा सकता है । यों तो किसी को भी रूपिम माना जा सकता है, किन्तु प्रायः या तो उसे रूपिम मानते हैं, जिसके आधार पर वितरण को स्पष्ट एवं तर्कसम्मत रूप से रूपस्वनिमिक परिवर्तनों के साथ समझाया जा सके, या उसे मानते हैं जिसका प्रयोग अन्यों से ज्यादा होता हो, या फिर उसे मानते हैं, जिसका प्रयोग ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने वाला, अधिक प्राचीन या महत्वपूर्ण हो । यों मेरे विचार में पहले और दूसरे और उनमें भी पहले को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

निष्कर्षतः यदि एक रूपिम के परिपूरक वितरण वाले कई समानार्थी रूप (ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते-जुलते या न मिलते-जुलते) हों तो उन्हें उपरूप की संज्ञा दी जाती है ।

रूपस्वनिमविज्ञान (Morphophonemics)

मार्फ़ोनीमिक्स या रूपस्वनिमविज्ञान, रूपविज्ञान की ही शाखा है । इसमें उन ध्वन्यात्मक या स्वनिमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो दो या अधिक रूपों या रूपिम के मिलने पर दृष्टिगत होते हैं । इसे दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि यह रूपविज्ञान की वह शाखा है, जिससे रूपिम के उन ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जो वाक्य, फ़ेज, रूप या शब्द के स्तर पर दो या अधिक रूपिम के एक साथ आने पर घटित होते हैं । उदाहरणार्थ, ऊपर के उदाहरणों में 'बुक' और 'ज' अंग्रेजी के दो रूपिम हैं । दोनों के मिलने पर सामान्यतः रूप होना चाहिए 'बुकज', लेकिन होता है 'बुक्स' । इसे रूपस्वनिमिक (Morphophonemic) परिवर्तन कहेंगे । यह परिवर्तन है 'क' के अघोष होने से 'ज' का अघोष, अर्थात् 'स' हो जाना । इस प्रकार परिवर्तन का अध्ययन रूपस्वनिमविज्ञान में होता है । कहना न होगा कि इस रूप में, रूपस्वनिमविज्ञान, प्राचीन भारतीय पारिभाषिक शब्द 'संधि' के निकट है, किन्तु वस्तुतः सन्धि में प्रायः केवल उन परिवर्तनों को लिया जाता है जो दो मिलने वाले शब्दों या रूपों में एक के अन्त्य या दूसरे के आरम्भ या दोनों में (राम + अवतार = रामावातार, ध्वनि + अंग = ध्वन्यंग, उत् + गम = उद्गम

या तेजः+राशि=तेजोराशि आदि) घटित होते हैं, लेकिन रूपस्वनिमविज्ञान में इसके साथ अन्य स्थानों पर आने वाले परिवर्तन भी लिए जाते हैं। जैसे घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़; ठाकुर+आई=ठकुराई; बूढ़ा+औती=बुढ़ौती आदि। इन सभी में हम देखते हैं कि हर दो के बीच में तो परिवर्तन हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य स्थानों में भी (घो>घु, ठा>ठ, बू>बु) परिवर्तन हो गये हैं। इन सारे परिवर्तनों का अध्ययन रूपस्वनिमविज्ञान में होता है। इस प्रकार यह संधि से अधिक व्यापक है और संधि इसका एक अंग है।

अंतराष्ट्रीय भाषाविज्ञान-क्षेत्र में भी 'संधि' का प्रयोग रूपस्वनिमविज्ञान के लिए हो रहा है। इसी आधार पर हिन्दी में कुछ लोग इस अर्थ में संधि के प्रयोग के पक्ष में हैं। किंतु मैं उपर्युक्त कारणों से संधि को परम्परागत अर्थ में अर्थात् संधि-स्थल पर परिवर्तन के लिए, तथा रूपस्वनिमविज्ञान को संधिस्थल पर तथा अन्यत्र दोनों के लिए प्रयोग करने के पक्ष में हूँ। वस्तुतः रूपस्वनिमिक परिवर्तन दो प्रकार के माने जा सकते हैं। (१) बाह्य (external)—जहाँ शब्द के आदि या अंत में, अर्थात् उसके बाहरी अंग में परिवर्तन हो, जैसे राम+अवतार=रामावतार। यहाँ 'राम' के 'म' में परिवर्तन है, या ध्वनि+अंग=ध्वन्यंग—यहाँ 'नि' और 'अ' दोनों में परिवर्तन है। (२) अभ्यंतर (internal)—जहाँ संधि-स्थल से अलग शब्द के भीतर परिवर्तन हो, जैसे 'घुड़दौड़' में। इस रूप में 'बाह्य स्वनिमिक परिवर्तन' ही परम्परा संधि-पर्याय है। स्वतंत्र उच्चारण में या वाक्यांत में रूसी भाषा में शब्दांत का घोष व्यंजन अधोष हो जाता है, इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों का अंत्य शब्दों के स्वतंत्र उच्चारण में वाक्यांत में या व्यंजन के पूर्व उच्चारण नहीं होता। इस प्रकार के लोप या अधोषीकरण के उदाहरण भी रूपस्वनिमिक परिवर्तन हैं, यद्यपि इनमें कम से कम स्वतंत्र या वाक्यांत में प्रयुक्त शब्दों में अंत्य घोष ध्वनि का अधोष हो जाना या 'र' का लोप, संधि में किसी भी प्रकार नहीं आ सकते। निष्कर्षतः संधि और इसे पर्याय न मानकर संधि को रूपस्वनिमिक परिवर्तन का एक भेद मानना अधिक समीचीन है, विशेषतः हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में जिनमें परंपरागत रूप से 'संधि' शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है।

ये बाह्य और अभ्यंतर तो स्थान की दृष्टि से रूपस्वनिमिक परिवर्तन के भेद थे। रूप की दृष्टि से, मोटे रूप से समीकरण (डाक+घर=डाग्घर जिसमें 'ग' के घोषत्व के कारण 'क' भी घोष, अर्थात् 'ग' हो गया है; नाग+पुर=नाक्पुर, जिसमें 'प' के अधोषत्व के कारण 'ग' भी अधोष, अर्थात् 'क्' हो गया है; मार+डाला = माडाला; दूध+दो = दूददो) सबसे प्रमुख रूपस्वनिमिक परिवर्तन हैं। यों सूक्ष्मता और विस्तार से यदि देखें तो घोषीकरण (डाग्घर), अधोषीकरण (नाक्पुर), पूर्ण समीकरण (अर्थात् सभी दृष्टियों, जैसे हाथ+से = हास्से), अपूर्ण समीकरण (अधोष+घोष = घोष+घोष, जैसे वागीश; घोष+अधोष = अधोष+घोष, जैसे आग+का = आक्का, 'आक्का गोला' आदि), अल्पप्राणीकरण (दूध+दो = दूददो), आगम (हाथी+

ओं=हाथियों; कवि+ओं=कवियों), लोप (घोड़ा+दौड़=घुड़दौड़), ह्रस्वीकरण (भालू+ओं=भालुओं), (दीर्घीकरण (राम+अवतार=रामावतार; हरि+इच्छा=हरीच्छा) आदि अनेक रूपों में इस परिवर्तन को पाया जा सकता है। विपर्यय (हिब्रू में (Hit+Sha-mmeer=hishtammeer) तथा विषमीकरण (ग्रीक) Thrikh (वाल)+os (का)=Trikhos (बालका) दो महाप्राण में एक रह गया, के उदाहरण इसके-दुक्के मिलते हैं।

ऊपर अंग्रेजी बहुवचन के उदाहरण में 'ज' का अघोष ध्वन्यंत शब्दों में 'स' हो जाना समीकरण (अघोष+घोष=अघोप+अघोष) या पूर्ण समीकरण है। हिन्दी बहुवचन बनाने में निम्नांकित रूपस्वनिमिक परिवर्तन घटित होते हैं।

(क) 'ओं' जोड़ते समय शब्द के अंत में 'आ' अथवा 'याँ' हो तो उसका लोप कर देते हैं (घोड़ा+ओं=घोड़ों; चिड़ियाँ+ओं=चिड़ियों)।

(ख) शब्द के अंत में यदि 'ई' या 'ऊ' हो तो शून्य को छोड़कर कोई भी प्रत्यय जोड़ते समय ह्रस्व 'इ', 'उ' (ह्रस्वीकरण) कर देते हैं (हाथी—हाथियों, बहू—बहुओं, नदी—नदियाँ)।

(ग) शब्द के अंत में इ या ई हो तो शून्य प्रत्यय के अतिरिक्त किसी के भी जुड़ने पर प्रत्यय और मूल शब्द के बीच में 'य' का आगम हो जाता है (हाथी+ओं=हाथियों, नदी+ओं=नदियाँ, कवि+ओं=कवियों, जाति+ओं=जातियाँ)।

आगे 'ध्वनिविज्ञान' अध्याय में ध्वनि-परिवर्तन पर विचार किया गया है। वस्तुतः ध्वनि-परिवर्तन मूलतः दो प्रकार के होते हैं : (१) ऐतिहासिक, (२) रूपस्वनिमिक। ऐतिहासिक तो उसे कहते हैं जो धीरे-धीरे समय बीतने के साथ विकसित हुआ है और रूपस्वनिमिक उसे कहते हैं जो एक से अधिक रूपों के एकसाथ आते मुख्यतः उच्चारण-सुविधा के कारण तुरंत घटित हो जाय। उदाहरण के लिए, 'कर्म' का प्राकृत 'कम्म' हो गया, यह समीकरण ऐतिहासिक ध्वनि-परिवर्तन का उदाहरण है तो मार+डाला का 'माडुआला' या 'दूद+दो' का 'दूददो' रूपस्वनिमिक का। साथ ही रूपस्वनिमिक परिवर्तन रूपियों के मिलने या विशिष्ट स्थान पर आने से संबंध रखता है, जबकि ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए ऐसा बंधन नहीं है।

विषय की दृष्टि से रूपस्वनिमिकविज्ञान ध्वनिविज्ञान के अन्तर्गत रखा जा सकता है, यों रूपों से सम्बद्ध होने के कारण लोग इसे रूपविज्ञान में भी प्रायः रखते रहे हैं। इधर इसका महत्त्व इतना बढ़ गया है कि इसे स्वतंत्र स्थान भी दिया जाने लगा है।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है—अर्थविज्ञान 'अर्थ का विज्ञान' है। इसमें भाषा के अर्थ-पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण किया जाता है। अर्थविज्ञान वर्णनात्मक (संरचनात्मक), ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक—इन तीनों प्रकारों का होता है।

अर्थविज्ञान को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। काफ़ी विद्वान् इसे भाषा-विज्ञान की एक शाखा मानते हैं, किन्तु कुछ आधुनिक विद्वान् इसे भाषाविज्ञान से अलग मानते रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह दर्शनशास्त्र की एक शाखा है, और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह एक स्वतन्त्र विज्ञान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थविज्ञान, दर्शन से बहुत अंशों में सम्बद्ध है, और उसका काफ़ी अंश ऐसा है जो मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की अपेक्षा रखता है, किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि अर्थ भाषा की आत्मा है, और भाषाविज्ञान जब 'भाषा' का 'विज्ञान' है, तो बिना उसके अध्ययन के उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अर्थविज्ञान निश्चित रूप से भाषाविज्ञान का अविभाज्य अंग है।

अर्थविज्ञान का यह एक मूलभूत प्रश्न है कि अर्थ क्या है? वाक्यपदीयकार भर्तृहरि कहते हैं—

यस्मिस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते ।

तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यर्थस्य लक्षणम् ॥

अर्थात्, 'शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है; अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है। वस्तुतः भर्तृहरि की बात अपने स्थान पर ठीक होते हुए भी कुछ आलोचना की अपेक्षा रखती है। क्या अर्थ केवल 'शब्द' का ही होता है? 'राम मारे शर्म के पानी-पानी हो गया' में 'पानी-पानी हो' शब्द तो नहीं है, किन्तु यहाँ अर्थ की अपेक्षित प्रतीति केवल 'पानी' शब्द से नहीं हो सकती। वह 'पानी-पानी होना' से ही हो सकती है। अतः कहा जा सकता है कि 'किसी भी भाषिक इकाई (वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि) को किसी भी इन्द्रिय (प्रमुखतः कान, आँख) से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है, वही अर्थ है।'

अर्थ की प्रतीति

अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है—

(क) आत्म-अनुभव से—अर्थात् स्वयं किसी चीज़ का अनुभव करके। उदाहरण के लिए 'चीनी मीठी होती है' में मीठी के अर्थ की प्रतीति स्वयं चीनी चखने

से हो जाती है। पानी, गर्मी, धूप के अर्थ की प्रतीति भी इसी प्रकार हो सकती है।

(ख) पर-अनुभव से—अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती; उस क्षेत्र से सम्बद्ध शब्दादि के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभव या ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हममें से अनेक लोगों ने 'जहर' नहीं देखा होगा, किन्तु दूसरों से ऐसा सुन रखा है कि जहर जीव को मार डालने वाला होता है। अतः 'जहर' शब्द के अर्थ की प्रतीति का मूलाधार आत्म-अनुभव न होकर पर-अनुभव है। ऐसे ही आत्मा, ईश्वर आदि अन्य भी अनेक प्रकार के शब्द हो सकते हैं।

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

भाषा में यह प्रश्न अनादि काल से उठता रहा है कि शब्द और अर्थ का क्या सम्बन्ध है। क्यों 'पानी' कहने से 'पानी' का ही बोध होता है, 'मिट्टी' या 'काठ' का नहीं। क्या 'पानी' शब्द और पानी द्रव्य का कोई संबंध है? पहले हम देख चुके हैं कि 'भाषा यावृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था है।' इसका अर्थ यह है कि भाषा के शब्द प्रतीक हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक एवं सहज संबंध नहीं है। समाज ने यह संबंध मान लिया है, या कहें कि समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों में प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया है। शब्द विशिष्ट अर्थों के प्रतीक या संकेत हैं, इसीलिए उन शब्दों के प्रयोग से श्रोता उन्हीं अर्थों को ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, समाज ने 'पानी' शब्द को या 'प+आ+न+ई' ध्वनियों के समूह को 'पानी' द्रव्य के लिए संकेत या प्रतीक मान रखा है, इसीलिए पानी कहने से उसी का बोध होता है, किसी और चीज का नहीं। किन्तु यदि कल हिन्दीभाषी समाज यह निर्णय कर ले कि 'पानी' शब्द किसी और वस्तु का वाचक माना जाएगा तो कल से 'पानी' शब्द का अर्थ पानी न रहकर वही वस्तु हो जाएगा। हम जानते हैं कि 'बायरूम', 'ट्वॉयलेट', 'क्लोरूम' के अर्थ इसी प्रकार मान लेने से बदल गए हैं। भारतीय परम्परा में इसी को दृष्टि में रखते हुए शब्द (या ध्वनि) के साथ किसी वस्तु के संबंध-स्थापन को संकेत-ग्रह कहा गया है। संकेत-ग्रह के कारण ही शब्द अर्थ-विशिष्ट का बोध कराता है।

अर्थबोध के साधन—भारतीय परम्परा में अर्थबोध के आठ साधन माने गए हैं : (१) व्यवहार—व्यवहार अर्थबोध का सबसे प्रमुख साधन है। समाज में तरह-तरह के व्यवहार से भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ का हमें बोध होता है। (२) कोश—अनेक शब्दों का अर्थबोध हमें कोशों से होता है। कोश ज्ञात शब्दों के अर्थ के आधार पर अज्ञात शब्द का अर्थबोध कराते हैं। (३) व्याकरण—व्याकरण से भी अर्थबोध होता है। उदाहरण के लिए, हमें पता हो कि मानव का अर्थ क्या है और यह भी पता हो कि हिन्दी में 'ता' प्रत्यय भावबोधक संज्ञा बनाने के लिए आता है तो हम 'मानवता' का अर्थ जान जाएँगे। (४) प्रकरण—इसे 'वाक्य-शेष' भी कहा गया है। अनेकार्थी शब्दों का विशेष प्रयोग में प्रकरण या संदर्भ से अर्थ

ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए, धातु का व्याकरण में एक अर्थ है, किन्तु सामान्यतः सोना-चाँदी आदि धातुएँ हैं। इसी प्रकार 'गोली' एक प्रकरण में 'बन्दूक की गोली' है तो दूसरे प्रकरण में 'दवा की गोली', तीसरे संदर्भ में 'गोलकीपर' और चौथे में बच्चों के खेलने की 'गोली'। (५) व्याख्या—इसे 'विवृति' भी कहा गया है। बहुत से शब्दों का अर्थबोध व्याख्या के द्वारा ही कराया जा सकता है। जैसे भाषाविज्ञान का 'अघोष', दर्शन का 'विशिष्टाद्वैत', या साहित्यशास्त्र का 'ध्वनि'। (६) उपमान—किसी वस्तु के समान वस्तु का अर्थबोध उस वस्तु को उपमान बनाकर कराया जा सकता है। जैसे गदहे या घोड़े से खच्चर, कुत्ते से भेड़िया, गाय से नीलगाय आदि का। (७) आप्तवाक्य—महान्, विद्वान्, प्रसिद्ध, सिद्ध या पहुँचे हुए लोगों के वाक्य भी कभी-कभी अर्थबोध कराते हैं। आस्थावान्—लोगों का ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्मग्रन्थों पर आधारित है। (८) ज्ञात का सान्निध्य—ज्ञात शब्दों के सान्निध्य से भी कभी-कभी अज्ञात शब्द का अर्थबोध हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक वाक्य लें: 'बासमती का भात श्यामजीरा से अच्छा होता है।' इस वाक्य का पाठक बासमती और भात के सान्निध्य से समझ जाएगा कि श्यामजीरा किसी चावल का नाम है। इनके अतिरिक्त, (९) बलाघात (ओढ़ना—ओड़ना), (१०) सुरलहर (मोहन गया?, मोहन गया!), (११) अनुवाद (man=आदमी) आदि कई अन्य साधनों से भी अर्थबोध होता है।

अर्थ-विज्ञान में यों तो अर्थ-संबंधी अनेकानेक विषयों पर विचार किया जाता है, किन्तु यहाँ कुछ थोड़े-से मुख्य विषय ही लिए जा रहे हैं।

अर्थ-परिवर्तन

प्रत्येक शब्द (वहिक प्रत्येक भाषिक इकाई) का अर्थ होता है, किन्तु यह 'अर्थ' सर्वदा एक नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत का शब्द आकाशवाणी लें। संस्कृत में इसका अर्थ 'देववाणी' है। तुलसी के समय में भी यही अर्थ था। रामचरितमानस (१-१७३-३) में आता है—'मै अकासबानी तेहि काला', अर्थात् उस समय देववाणी हुई। अब आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन होकर (हिंदी में) 'रेडियो' (ऑल इंडिया रेडियो) हो गया है। संस्कृत का ही एक दूसरा शब्द जंघ लें। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में पैर के उस भाग के लिए होता है जो घुटने से नीचे होता है, किन्तु हिंदी में यही शब्द जंघा रूप में मिलता है, और इसका अर्थ पैर का वह भाग होता है जो घुटने के ऊपर होता है। इस प्रकार जंघा का अर्थ-परिवर्तन हो गया है। 'गँवार' शब्द का इतिहास भी अर्थ-परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। पालि भाषा में प्राप्त शब्द ग्रामदोरकी से अनुमान लगता है कि संस्कृत में यह शब्द ग्रामदारकः रहा होगा, जिसका अर्थ था 'गाँव का रहने वाला', 'गाँव का लड़का' अथवा 'गाँव वाला'। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में यह शब्द गँवार (हिंदी), गँवार (बँगला), गमार (गुजराती)

आदि रूपों में मिलता है तथा इसका अर्थ 'असभ्य' और 'मूर्ख' हो गया है। तो हमने देखा कि आकाशवाणी, जंघा तथा गँवार का अर्थ कुछ से कुछ हो गया है। अर्थ में यह परिवर्तन हो जाना ही अर्थ-परिवर्तन है।

अर्थ-परिवर्तन की दिशाएँ (प्रकार)

'अर्थ-परिवर्तन किन-किन दिशाओं में होता है', अथवा 'उसके कितने प्रकार होते हैं', इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषाविज्ञानवेत्ता ब्रौल ने विचार किया था। उन्होंने तीन दिशाओं की खोज की: अर्थ-विस्तार, अर्थ-संकोच, अर्थदिश। अभी तक ये ही दिशाएँ अथवा प्रकार बहुस्वीकृत हैं।

अर्थ-विस्तार (Expansion of Meaning)—अर्थ-विस्तार का अर्थ है अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकल विस्तार पा जाना। उदाहरण के लिए, संस्कृत का एक शब्द है तैल जिसका मूल अर्थ है 'तिल का रस'। अर्थात्, संस्कृत में मूलतः 'तिल के तेल' को ही 'तैल' कहते थे। यही इसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ था। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तैल से विकसित है, किंतु इसका अर्थ विस्तृत हो गया है। तैल का मूल अर्थ था 'तिल का तेल', किंतु तेल का प्रयोग अब सभी चीजों के तेल के लिए होता है: तिल, सरसों, अलसी, गरी अथवा गोला, मूँगफली आदि, बिनौला और यही क्यों? मछली का तेल, साँप का तेल, मिट्टी का तेल। और तो और, यदि किसी को दोहपर की चिलाचिलाती धूप में कहीं किसी काम से भेज दें तो वह लौट कर पसीने से लथपथ शिकायत करेगा—साहब, आपने तो मेरा तेल निकाल लिया! तो हमने देखा कि तेल के अर्थ का विस्तार हो गया। कहाँ तो वह केवल तिल के तेल का अर्थ देता था, और कहाँ सभी चीजों के तेल का अर्थ देने लगा। विशेष से सामान्य हो गया। टकर का कहना है कि अर्थ-विस्तार नहीं होता। किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। होता है और खूब होता है। 'सब्जी' का अर्थ है 'हरा'। पहले पालक, चोलाई, भिंडी जैसी हरी तरकारियों को उनके रंग के आधार पर 'सब्जी' कहते थे। अब 'सब्जी' शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है और सभी रंगों की सब्जियाँ 'सब्जी' कहलाने लगी हैं: टमाटर (लाल), गाजर (लाल, पीली, काली), प्याज (लाल, सफ़ेद), बैंगन (नीला), सीताफल (पीला), शलजम (सफ़ेद, लाल), मूली (सफ़ेद, लाल)। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अर्थ भी विस्तृत हो जाते हैं। शर्त एक है, वे व्यक्ति या तो बहुत अच्छे हों, या बहुत बुरे हों—बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। तो विभीषण, मंथरा, नारद, जयचंद, नादिरशाह, हिटलर, आदि का प्रयोग उन सभी के लिए होता है जो उस प्रकार की प्रवृत्तियों के होते हैं। यों राम, सीता, सावित्री, गांधी में भी अर्थ-विस्तार हुआ है किंतु इनको इसके लिए साधना करनी पड़ी थी। कुछ और उदाहरण हैं: अधर (मूल अर्थ 'नीचे का ओष्ठ'; वर्तमान अर्थ 'दोनों ओष्ठ'), श्रीगणेश (मूल अर्थ 'श्रीमी शुभ कार्य का आरंभ जिसके प्रारंभ में 'श्रीगणेशाय नमः' कहते थे; अब किसी भी अच्छे-बुरे कार्य का प्रारंभ), इतिथी (संस्कृत-लेखक अपनी कृति के अंत में

पुष्पिका में लिखते थे 'इति श्री... हृतं ...समाप्तम्' आदि; अब किसी भी काम की समाप्ति 'इतिश्री' है), महाराज (पहले केवल महाराजा; अब खाना बनानेवाला ब्राह्मण भी), पंडित (पहले विद्वान व्यक्ति; इसीलिए पांडित्य = विद्वता; अब विद्वान् के साथ-साथ ब्राह्मण मात्र), कल (सं० कल्प = आनेवाला कल; हिंदी कल = आनेवाला तथा बीता हुआ कल), परसों (सं० परश्व = आनेवाला परसों; हिं परसों = आनेवाला तथा बीता हुआ परसों); अभ्यास (सं० में 'अभ्यास') (अभि + अस) का मूल अर्थ है बार-बार बाण फेंकना अथवा सैनिक अभ्यास; यास्क में इसका प्रयोग 'आवृत्ति' के अर्थ में है; हिंदी में अब केवल बाण फेंकने का ही नहीं, बल्कि सभी कार्यों का अभ्यास (किया जाता है, जा सकता है), गवेषणा (मूल अर्थ 'गो' की 'एषणा' अर्थात् 'गाय' की 'इच्छा' अथवा 'गाय की खोज' है, अब किसी भी प्रकार की 'खोज' 'गवेषणा' है), निपुण (मूल अर्थ शुभ कार्य करने में प्रवीण—दि + पुण + क; अब किसी भी कार्य को करने में प्रवीण), प्रवीण (मूलतः वीणा बजाने में पटु—प्रकृष्टो वीणायाम्; अब किसी भी कार्य में पटु), कुशल (मूल अर्थ कुश लाने या उखाड़ने में चतुर—कुशान् लानि; अब किसी भी काम में चतुर अथवा पटु) आदि।

अर्थ-संकोच (Contraction of Meaning)—यह अर्थ-विस्तार का ठीक उलटा है। इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है, फिर संकुचित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द 'मृग' का मूल अर्थ 'पशु' है। 'शिकार' का वाचक 'मृगया' तथा 'पशुओं के राजा' सिंह के लिए 'मृगराज' के प्रयोग में मूल अर्थ आज भी सुरक्षित है। किंतु आगे चलकर इस शब्द के अर्थ में संकोच हो गया और सभी पशुओं का वाचक शब्द मृग केवल 'हिरन' का वाचक हो गया। यह अर्थ-संकोच संस्कृत में ही हो गया था। वस्तुतः अर्थ-संकोच में अर्थ 'सामान्य' से परिवर्तित होकर 'विशेष' हो जाता है। 'मृग' 'सामान्य पशु' से 'विशेष पशु' हो गया है। एक सिद्धांत यह है कि भाषा में मूलतः शब्द सामान्य के लिए थे, अर्थ-संकोच द्वारा धीरे-धीरे विशेष के लिए शब्दों का निर्धारण हुआ। इसी लिए अर्थ-संकोच भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति की संपन्नता का द्योतक है। मेरा अपना सिद्धांत कुछ भिन्न है। अपवादों की बात छोड़ दें तो पहले भाषाओं में 'विशेष' के लिए ही शब्द थे और धीरे-धीरे 'सामान्य' के लिए अर्थ-विस्तार से शब्द निश्चित होते गए। ब्रूल ने कहा है कि जो जाति जितनी उन्नति करेगी, उसकी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक मिलेगी। जलज मूलतः जल में जनमने वाली किसी भी चीज का वाचक रहा होगा, जैसे ही पंकज पंक में जनमने वाली हर चीज थी, किंतु बाद में अर्थ-संकोच हुआ और ये दोनों शब्द केवल कमल के वाचक रह गये। विद्यार्थी मूलतः वे सभी लोग हैं जो 'विद्या' के 'अर्थी' हैं चाहे वे स्कूल में पढ़ते हों या न पढ़ते हों, या सत्तर वर्ष के बुढ़े हों। अब यह शब्द अर्थ-संकोच के कारण 'छात्र' का समानार्थी हो गया है। धान्य और घब मूलतः अन्न-मात्र के लिए प्रयुक्त होते थे। 'धन-धान्य' से पूर्ण जैसे प्रयोगों में 'धान्य' का वही अर्थ है। आगे चलकर ये दोनों शब्द अर्थ-संकोच के

कारण 'धान' तथा 'जौ' के वाचक हो गए। रवन (मूल अर्थ 'कोई भी जो फाड़े'; बाद में दांत); मंदिर (मूलतः कोई भी भवन; बाद में देव-भवन); सञ्जी (मूलतः 'हरियाली' अथवा कोई भी हरी चीज; अब तरकारी), संध्या (मूलतः कोई भी संधि-काल; संध्या-गायत्री में वह अर्थ सुरक्षित है; अब केवल शाम); मीट (यह अंग्रेजी शब्द मूलतः 'खाद्य' का द्योतक था; 'मिठाई' को 'स्वीटमीट' इसीलिए कहते हैं; अब यह केवल एक खाद्य 'गोस्त' का वाचक है), भार्या (मूलतः जो भरण-पोषण करने योग्य हो; बाद में केवल स्त्री); वेदना (मूलतः 'सुखद वेदना' तथा 'दुखद वेदना'; अब केवल दुखद वेदना), सूर्य (फ़ारसी में मूलतः पक्षी; शतुरमुर्ग, शाहमुर्ग, मुर्गापीर जलपक्षी) में यही अर्थ; बाद में केवल एक पक्षी), पिल्ला (मूलतः द्रविड़ भाषाओं में 'बच्चा'। तेलुगु में आज किसी की भी बच्ची—मनुष्य, जानवर, पक्षी—को पिल्ला कहते हैं, जैसे कुक्क पिल्ल = 'कुत्ते का पिल्ला'; हिंदी में पिल्ला = कुत्ते का बच्चा) आदि अन्य उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रसंग में यह भी संकेत्य है कि शब्दों का अर्थ धीरे-धीरे समय बीतने के साथ परिवर्तित होते-होते तो संकुचित होता ही है, उपसर्ग (आचार—सदाचार, दुराचार), प्रत्यय (कुटी-कुटीर, देग-देगचा, वाग-वगीचा), विशेषण (अम्बर-नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर; घोड़ा—लाल घोड़ा, काला घोड़ा, छोटा घोड़ा, तेज घोड़ा), समास (अनुज-रामानुज, कृष्णानुज), संदर्भ का प्रसंग (रति और खाने-पीने के प्रसंग में 'रस'—राम बहुत तेज लड़का है, चाकू बहुत तेज है, वह तेज दौड़ता है), पारिभाषिकीकरण (भाषाविज्ञान और गणित में 'समीकरण', काव्यशास्त्र एवं वैद्यक में 'रस', भाषाविज्ञान एवं काव्यशास्त्र में 'व्युत्पत्ति', 'ध्वनि', 'गुण'; व्याकरण में 'विराम'), नामकरण ('कृष्ण'—मूल अर्थ 'काला' है, किंतु वासुदेव का नाम पड़ने से अब 'कृष्ण' सभी कालों का बोधक न होकर केवल वासुदेव का है; शतुघ्न; क्षिप्रा—तेज बहने वाली घाघरा—घर्घर करती हुई बहने वाली; केशरी—केशों वाला; घुसपैठिया—मूलतः कोई भी, भारत-पाक-युद्ध के बाद 'भारत में घुसने वाला पाकिस्तानी'; अन्य भाषा से शब्द-ग्रहण ('शब्द' अपनी मूल भाषा के सभी अर्थों में दूसरी भाषा में प्रायः नहीं जाते, कुछ सीमित अर्थों में ही जाते हैं। अंग्रेजी में 'कॉलर' का प्रयोग मछली का टुकड़ा, आभूषण-विशेष आदि कई अर्थों में होता है, किंतु हिंदी में वह केवल एक अर्थ (कपड़ों का कॉलर) में प्रयुक्त होता है। फैशन आदि अन्य भी अनेक शब्द इसी प्रकार के हैं। संस्कृत में 'धरा' का अर्थ योनि, गर्भाशय, शिरा, गूदा आदि भी था, किंतु हिंदी में केवल 'पृथ्वी' के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है) आदि के कारण तुरंत एक क्षण में उसके अर्थ में संकोच आ जाता है।

✓(३) अथविश (Transference of Meaning)—भाव-साहचर्य के कारण कभी-कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है। कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ का धीरे-धीरे लोप हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने तथा

नवीन अर्थ के आ जाने को 'अर्थदिश' कहते हैं। ऊपर हम 'गाँवार' शब्द ले चुके हैं। यहाँ हम देख चुके हैं कि 'गाँव वाला' अथवा 'गाँव का लड़का' अर्थ का वाचक शब्द धीरे-धीरे 'असभ्य' का वाचक हो गया। इसका उदाहरण 'अमुर' का दिया जा सकता है। ऋग्वेद की आरम्भ की ऋचाओं में यह देववाची शब्द है, पर बाद में राक्षसवाची हो गया। 'वर' का अर्थ श्रेष्ठ था, पर अब इसका प्रयोग 'दूल्हे' के लिए होता है। स्वयं 'दूल्हा' शब्द भी इसी प्रकार का है। इसका मूल अर्थ 'जो जल्द न मिले' (= दुर्लभ था, पर अब यह 'वर' के नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है।) ईरानी शब्द 'दिहकान' का मूल अर्थ 'देहात का बड़ा ताल्लुकदार' है, पर उर्दू तथा फ़ारसी-गुजराती में 'देहकानी' का अर्थ मूर्ख होता है। अशोक 'देवानां-प्रियः' कहा जाता था, पर बाद में इसका अर्थ 'मूर्ख' हो गया। संस्कृत का 'वाटिका' शब्द बँगला में 'वाड़ी' हो गया है और उसका अर्थ बगीचे से हट कर 'घर' हो गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध कहलाते हैं, पर 'बुद्ध' (जो उसी का रूपांतर है) का अर्थ मूर्ख होता है। जंघा (मूलतः जंघा=घुटने के नीचे का भाग, अब घुटने के ऊपर का भाग), दुहिता (मूल अर्थ 'दूध दूहने वाली' बाद में पुत्री—चाहे वह दूध दूहे अथवा नहीं), आकाशवाणी (मूलतः देववाणी, अब रेडियो), तटस्थ ('तट पर स्थित', अब किसी का भी पक्ष न लेनेवाला), मुहावरों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, तिलांजलि देना (मूलतः मृत्यु के बाद हाथ में 'तिल और पानी' लेकर मृतक के नाम पर देना, अब 'छोड़ देना'), खाट खड़ी करना (मूलतः 'किसी के मरने पर उसकी मृत्यु होने के संकेतस्वरूप उसकी खाट उलटी खड़ी कर देना', अब 'दुर्दशा करना' अथवा 'ऐसी-तैसी कर देना' आदि)।

अर्थदिश के आगे कई भेदोभेद किए जा सकते हैं। यहाँ दो आधारों पर भेद किये जा रहे हैं :

(क) सूक्ष्मता-स्थूलता के आधार पर—शब्दों का अर्थ बदलते-बदलते कभी तो सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है और कभी स्थूल से सूक्ष्म। इस आधार पर अर्थदिश दो प्रकार के हो सकते हैं : (१) सूक्ष्मीकरण—कुर्सी=पद; हाथ लंबे होना—पहुँच होना; पानी=इज्जत; आँख की किरकिरी=खटकनेवाला, बुरा लगनेवाला, नाक का बाल=अत्यंत प्रिय; परवा=दुराव, छिपाव; रोटी=जीविका, जहर=बुरा (मेरा कहना तो तुम्हें जहर लगता है); हृदय (अंग-विशेष)= 'विशाल हृदय' अथवा 'हृदय-पक्ष' जैसे प्रयोगों में इनमें कुछ में अर्थ-विस्तार की भी गंध आ सकती है। (२) स्थूलीकरण—देवता (मूलतः देव + ता = देवत्व) = देव; यौवन (भाववाचक संज्ञा), जोवन=स्तन; सामग्री (मूलतः 'संचय')=चीजें, वस्तुएँ; लिंग=पुरुष चिह्न; पुराण (प्राचीन)=पुराण ग्रंथ; उपनिषद् (गुरु के चरणों के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिए बैठना)=ग्रंथ-विशेष + मिठाई (मूलतः 'मिठास')=मिष्ठान्न, खटाई (मूलतः 'खटास')=आम आदि से बना वस्तु। इनमें कुछ में अर्थ-संकोच की भी गंध आ सकती है। वस्तुतः सूक्ष्म अपेक्षाकृत विस्तृत तथा स्थूल अविस्तृत होता है। (ख) अपकर्षोत्कर्ष के आधार पर—शब्दों का अर्थ

परिवर्तित होते-होते, सामाजिक दृष्टि से कभी तो ऊपर उठ जाता है, कभी ज्यों-का-त्यों रहता है तथा कभी नीचे गिर जाता है : (i) अर्थोत्कर्ष— अर्थ का बदलते-बदलते सामाजिक दृष्टि से पहले से अधिक उन्नत हो जाना। साहस संस्कृत में बहुत अच्छा शब्द नहीं था। उसका अर्थ लूट हत्या, चोरी, ध्विभिचार आदि था। स्मृतियों में उसकी गणना अपराधों में की गई है : मनुष्यमारणं चौर्यं परदाराभिभर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं नयाच्चतुर्विधम् । (बृहस्पति-स्मृति) । किंतु अब साहस का अर्थ हिम्मत है। किसी को साहसी कहा जाय तो यह अपनी प्रशंसा समझकर प्रसन्नता से फूला नहीं समाएगा। कर्पट का अर्थ संस्कृत में फटा-पुराना कपड़ा था (पटच्चरं जीर्णं वस्त्रं समौ लक्तककर्पटौ ।— अमरकोश), किंतु अब 'कर्पट' से ही विकसित 'कपड़ा' का प्रयोग अच्छे वस्त्र के लिए भी होता है। मुग्ध का संस्कृत में अर्थ 'मूढ़' अथवा 'मूर्ख' था। वोपदेव ने अपनी व्याकरण का नाम 'मुग्धबोध' रखा था, अर्थात् जो 'मूढ़ को भी बोध करा दे।' अब 'मुग्ध' में मूढ़ता बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति किसी अच्छाई पर मुग्ध हो सकता है। सभ्य का सीधा अर्थ था 'सभा के योग्य' अथवा 'सभा में बैठने योग्य।' अब 'सभ्य' एक प्रशंसासूचक शब्द है। गोष्ठी का मूल अर्थ था 'गो के रहने का स्थान'। भोजपुरी में आज भी गाय-भैंस के आराम करने की जगह को 'घोट्टा' कहते हैं। अब 'गोष्ठी' पशुओं की न होकर विद्वानों, साहित्यकारों तथा कवियों की होती है। यास्क के अनुसार कक्ष पहले घोड़े के कक्ष (काँख) को कहते थे, बाद में साहचर्य के आधार पर आदमी के 'कक्ष' के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। (ii) ज्यों-का-त्यों—जैसे बाटिका (बगीचा) का बँगला में 'बाड़ी' (घर; ठाकुरबाड़ी=ठाकुर का घर, मंदिर)। (iii) अर्थोपकर्ष—अर्थ का उन्नत से अवनत हो जाना। पाखंड—मूलतः संन्यासियों के एक संप्रदाय का नाम था। अशोक इनका बड़ा आदर करता था, तथा इन्हें दान देता था। अब 'पाखंड' ढोंग का वाचक है। पुंगव=मूल अर्थ श्रेष्ठ; अब उसी से 'पोंगा'=मूर्ख। हरिजन=मूल अर्थ भक्त; अब 'अछूत'। बौद्ध=मूल अर्थ बुद्ध का अनुयायी; इसी से बना है 'बुद्धू'। वज्रवतुक=मूल अर्थ पक्का ब्रह्मचारी, अब वजरबट्टू=मूर्ख। नग्न-लुंघित—पहले जैन साधुओं के लिए आदर के साथ प्रयुक्त अब इन्हीं का विकास है नंगा-लुच्चा=लफंगा। देवानाम्प्रियः=मूलतः महाराज अशोक जो देवों को प्रिय थे; बाद में संस्कृत में ही 'मूर्ख'। (ग) वाग्भाग के आधार पर बड़ापा (भाववाचक संज्ञा, किंतु अबघी में विशेषण : बुढ़ापा मनई=बूढ़ा मनुष्य)।

अर्थ-परिवर्तन के कारणों का आधार

मनुष्य की मनःस्थिति में सर्वदा परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके विचार भी एक-से नहीं रह पाते। भाषा विचारों की बाहिका है, अतः उसे भी विचारों का साथ देना पड़ता है। इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ-परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार

करना आसान नहीं है, क्योंकि वे इतने संयुक्त और गुंथे रहते हैं कि उनका निश्चित स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता। एक शब्द के अर्थ-परिवर्तन पर विचार करते समय कभी एक कारण दिखाई पड़ता है, तो कभी दूसरा। फिर भी, एक बात तो निश्चित-सी है कि सादृश्य, बल तथा भाव-साहचर्य ही घूम-फिर कर अर्थ-परिवर्तनों में अधिक कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त, कुछ सामाजिक और भौगोलिक कारण भी होते हैं, किंतु इनका भी प्रभाव सीधा न पड़कर उन्हीं के रास्ते पड़ता है। यों कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय में विचार-विभिन्नता के कारण भी अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। नीचे इस सम्बन्ध में कुछ कारणों पर हम लोग विस्तृत रूप से विचार करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान में रखे रहना आवश्यक है कि किसी भी शब्द में एक ही कारण काम नहीं आ सकता; इसी कारण, एक कारण के उदाहरणों में अन्य कारणों की भी गंध मिल सकती है। कारणों के इस संयुक्त कार्य के कारण ही एक ही प्रकृति के उदाहरण दो भिन्न कारणों में भी यहाँ दिये गये हैं, किंतु अपने-अपने स्थान पर कारणों का अपना पक्ष स्पष्ट दिया गया है। इन कारणों में कई को एक में मिलाकर कुछ कम वर्ग भी बनाये जा सकते हैं, लेकिन स्पष्टता की दृष्टि से यहाँ ऐसा नहीं किया गया है।

अर्थ-परिवर्तन के कारण

(१) बल का अपसरण (Shift of Emphasis)—किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने लगे तो धीरे-धीरे शेष ध्वनियाँ कमजोर पड़ कर लुप्त हो जाती हैं। उपाध्यायजी परिवर्तित होकर 'ओझा' इसी बल के अपसरण के कारण हुए हैं। ध्वनि की ही भाँति अर्थ में भी यह 'बल' कार्य करता है। किसी शब्द के अर्थ के प्रधान पक्ष से हटकर, बल यदि दूसरे पर आ जाता है तो धीरे-धीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है, और प्रधान अर्थ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बल कैसे प्रधान पक्ष से हटकर गौण पर जाता है। इसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भाव-साहचर्य का ही यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती दो भावों में एक भाव विजयी बन जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। 'गोस्वामी' शब्द का आरम्भ का अर्थ था 'बहुत-सी गायों का स्वामी'। बहुत-सी गायों का स्वामी 'धनी' होगा, अतः 'माननीय' भी होगा। इसी प्रकार, धीरे-धीरे इसका अर्थ माननीय हुआ। वहीं एक और भावना कार्य करने लगी। वह भावना यह थी कि जो अधिक गायों की सेवा करेगा, वह धर्मपरक भी होगा। इस प्रकार, बल के अपसरण से 'गोस्वामी' शब्द 'गायों के स्वामी' के अर्थ से चलकर 'माननीय धार्मिक व्यक्ति' का वाचक हो गया। इसी अर्थ में यह मध्ययुगीन सन्तों के नाम (गोसाईं तुलसीराम) के साथ प्रयुक्त होता है। यों बाद में 'गोस्वामी' की व्याख्या 'इंद्रियों का स्वामी' के अर्थ में भी की गई, लेकिन वह बाद की व्याख्या

मात्र है। मूल अर्थ वह था नहीं। अब तो गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति भी हो गई है। 'जुगुप्सा' शब्द का अर्थ-परिवर्तन भी इसका अच्छा उदाहरण है। यह शब्द 'गुप्' धातु से बना है, जिसका आरम्भ का अर्थ था 'रक्षा करना', 'पालन करना'। 'रक्षा' या 'पालन' छिपाकर भी किया जाता है; अतः इसमें छिपाने का भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही भाव प्रधान हो गया। अधिकतर वही क्रिया या वस्तु छिपाई जाती है, जो घृणित होती है, अतएव घृणा के लिए इसका प्रयोग चल पड़ा। आज भी जुगुप्सा का प्रयोग घृणा के लिए होता है। अरबी का शब्द 'गुलाम' तथा अंग्रेजी का 'नेव' (knave), ये दोनों भी इसी प्रकार के हैं। दोनों का आरम्भ का अर्थ 'लड़का' है, किंतु बल के अपसरण के कारण दोनों का अर्थ अब बहुत नीचे गिर गया है। लड़के नौकर रखे जाते थे तथा वे प्रायः बन्दी जैसे रहते थे; अतः उसी पर बल पड़ते-पड़ते अरबी का 'गुलाम' उधर पहुँचा; और नौकर शरारती और बदमाश होते हैं, अतः उस पर बल पड़ते-पड़ते 'नेव' बेचारा शरारती और बदमाश का अर्थ देने लगा। 'ड्रेस' (dress) का प्राचीन अर्थ है सीधा (straight)। फ्रेंच में अब भी यह अर्थ है। अंग्रेजी में to dress timber में यह अर्थ सुरक्षित है। लट्टे या शहतीर को सीधा करने के लिए काटना-छाँटना पड़ता था, अतः 'सफाई करना' अर्थ हुआ। फोड़े घाव की ड्रेसिंग में वही अर्थ है (ड्रेसिंग-रूम)। चमड़े की सफाई भी की जाती थी, जूता आदि बनाने के लिए; अतः ड्रेस में 'तैयार करने' का अर्थ आया। सलाद को 'ड्रेस' अब भी करते हैं। बाल भी ड्रेस करने लगे, अतः इसमें सजाने का भाव आया और 'ड्रेस' सजाने वाला कपड़ा हो गया। हिन्दी में 'दरेसी' में कटाई-छाँटाई का भाव अब भी है।

(२) वातावरण में परिवर्तन—वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण भी कुछ शब्दों में अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। वातावरण कई प्रकार के हो सकते हैं, अतः सभी को अलग-अलग लेना उचित होगा।

(क) भौगोलिक वातावरण—इसके अन्तर्गत नदी, पर्वत, पेड़ आदि लिए जा सकते हैं। सब जगह एक ही प्रकार के पेड़ नहीं मिलते। थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ 'क' नाम का पेड़ अधिक है और उससे हमें लाभ है। थोड़े दिन बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हटकर कहीं और चले जायें जहाँ वह पेड़ तो नहीं है, पर एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत में मिलता है, साथ ही उसी पेड़ की भाँति लाभकर भी है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि हम उसी पुराने नाम से नये पेड़ को भी पुकारने लगे। वह ठीक उसी प्रकार है, जैसे छोटे लड़के यदि कहीं बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे अपने-अपने गाँव या नगर को ही नदी समझते हैं, और उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं। अंग्रेजी में 'कॉर्न' शब्द का सामान्य अर्थ 'गल्ला' अथवा अन्न है, किंतु जहाँ जो चीज ज्यादा पैदा होती है, वहाँ इसका वही अर्थ हो गया है, अतः इंग्लैंड अमेरिका में इसका अर्थ 'मक्का' है तो स्कॉटलैंड में 'बाजरा'। इंग्लैंड में कुछ लोग गेहूँ के लिए

भी इसका प्रयोग करते हैं। जानवरों के विषय में भी यह बात देखी जाती है। वेदों की प्रचीनतम ऋचाओं में 'उष्ट्र' का प्रयोग एक प्रकार के जंगली बिल के लिए हुआ है, पर बाद में संभवतः जब आर्य महभूमि में आ गये थे, इसका प्रयोग ऊँट के लिए होने लगा।

(ख) सामाजिक वातावरण—एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। अंग्रेजी के मदर (mother) और सिस्टर (sister) शब्दों का अर्थ साधारणतः कुछ और है, गिरजाघरों में कुछ और है तथा अस्पतालों में कुछ और है। इसी प्रकार, सभा में व्याख्यान देने वाले के 'भाई' और 'बहन' शब्द कुछ दूसरे अर्थ रखते हैं और घर में भाई-बहन का प्रयोग कुछ दूसरा अर्थ रखता है। किसी आफिस में कार्य करने वाले को रविवार के दिन देर तक सोते रहने पर जब उसकी पत्नी 'अरे भाई उठिए' कहकर जगाती है तो उसका आशय उन महाशय से साधारण 'भाई' का सम्बन्ध जोड़ने का कभी नहीं रहता। इस प्रकार, वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। नाई का 'खत काटना' और शिशु-कक्षा के लड़के का सरकंडे की कलम में 'खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते। विद्यार्थी के प्रयोग में आने वाला 'कलम' शब्द तथा माली का 'कलम' शब्द भी एक नहीं है।

(ग) प्रथा या प्रचलन-सम्बन्धी वातावरण—लौकिक प्रथाएँ तथा रस्म-रिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस वातावरण के परिवर्तन में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द तो लुप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ शब्द नये अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। वैदिक शब्द 'यजमान' यज्ञ करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की प्रथा के लुप्त होने के साथ-साथ उसका वह अर्थ भी समाप्त हो गया। किंतु यजमान यज्ञ कराने वाले को कुछ देता था, अतः आज जो भी ब्राह्मण या नाई-धोबी को नियमित रूप से देता है, 'यजमान' कहलाता है। किसी ने यदि एक पैसा भी किसी ब्राह्मण को दे दिया तो तुरन्त ब्राह्मण देवता 'यजमान, भगवान् तुम्हारा भला करें' कहकर आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, देहातों में नाई लोग आपस में गाँव की हजामत बनाने के लिए क्षेत्र बाँट लेते हैं और अपने हिस्से के गाँव या घरों को अपनी 'जजमानी' (पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विहार) कहते हैं। इसी प्रकार, स्वयंवर (स्वयं चुनना) की प्रथा आज नहीं रही, पर 'वर' का प्रयोग 'दूल्हे' के लिए चल रहा है। अब 'वर' शब्द से चुने जाने का अर्थ निकल गया है। हिन्दी-क्षेत्र में १००० ई० के आसपास 'गाड़ी' का अर्थ ठीक वही नहीं था जो आज है। ऐसे अर्थ-परिवर्तन देहात में प्रयुक्त होने वाले अनेकानेक शब्दों में मिलते हैं।

(३) नञ्प्रता-प्रदर्शन—नञ्प्रतावश ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रायः ऐसे अर्थ में कर दिया जाता है, जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ होता नहीं। उदाहरण के लिए किसी आदरणीय व्यक्ति को यह नहीं कहते कि 'आज आप मेरे घर पर आइए',

अपितु कहते हैं 'आज आप मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए'। वस्तुतः 'पवित्र करना' का अर्थ 'आना' नहीं है, किंतु नम्रता तथा 'आना' अथवा 'उपस्थित होना' अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है, अतः 'पवित्र करना' का अर्थ ऐसे संदर्भों में 'आना' या उपस्थित होना भी हो गया है। इस प्रकार इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। राजा, बादशाह, बड़े अफसर, स्वामी या बड़े को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त 'अन्नदाता', 'गरीब परवर', 'जहाँपनाह' में भी इसी प्रकार अर्थ-परिवर्तन हुआ है। ये लोग न तो 'अन्न देने वाले' हैं, न 'गरीबों' का भरण-पोषण करने वाले, न 'विश्व को शरण देनेवाले'। 'आपका दौलतखाना कहाँ है', 'मेरा गरीबखाना यही है', 'श्रीमन्-किन-किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं (क्या नाम है?)', 'आप किस देश की श्री क्षीण करके आ रहे हैं' (कहाँ से आ रहे हैं?) आदि अनेकानेक अन्य प्रयोगों में भी काले ब्रह्मरों में अंकित अंशों के अर्थ परिवर्तित हुए हैं। संबोधन में आलमपनाह, पृथ्वीनाथ भगवान् के लिए भक्तवत्सल, दयासागर, करुणानिधान; अपने लिए दास (दास का नाम अमुक है); मेरे घर जूठन गिराइए (मेरे घर खाइए), 'कैसे कृपा की' (कैसे आए), 'कैसे स्मरण किया' (बुलाया), आदि प्रयोग भी इसी के उदाहरण हैं।

(४) आधार-सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम—कभी-कभी जब कोई नई वस्तु बनती है तो किसी अन्य अच्छे नाम के अभाव में उसे सामग्री के नाम से ही पुकारने लगते हैं, इस प्रकार सामग्री के नाम के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। शीशा मूलतः सामग्री का नाम है। पहले धातु के दर्पण बनते थे, किंतु वे बहुत अच्छे नहीं होते थे तथा उनका मूल्य भी अधिक होता था। बाद में दर्पण शीशे के बनने लगे तो दर्पण को भी 'शीशा' कहने लगे। इस प्रकार 'शीशा' शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही लैटिन भाषा में पंख को पेना (Penna) कहते हैं। जब कलम पंख (पेना) की बनने लगी तो कलम को 'पेना' कहा जाने लगा। इस तरह 'पेना' शब्द में अर्थ-विस्तार हो गया। आज का 'पेन' शब्द उसी लैटिन 'पेना' का विकास है। ईरान में पुस्तक चमड़े पर लिखते रहे हैं। चमड़े को फ़ारसी में पोस्त कहते हैं। उन्हीं से सीखकर भारत में भी चमड़े पर लिखने लगे तथा 'पोस्त' के आधार पर किस्ताब 'पुस्तक' तथा 'पुस्तिका' कहलाई। ग्लास (शीशा) से बनने के कारण बर्तन-विशेष 'गिलास' कहलाए, और 'ग्लास' (शीशा) में अर्थ-परिवर्तन हो गया।

(५) निर्माण-क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम—कभी-कभी निर्माण-क्रिया के आधार पर वस्तु का नामकरण कर देते हैं, और तब भी उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। संस्कृत में ग्रंथ धातु का अर्थ है 'गूँथना', 'एक में सिलना', 'एक में बाँधना', आदि। हमारे यहाँ भोजपत्र पर लिखकर उन्हें एक में सिलते या ग्रंथित कर देते थे, इसीलिए पुस्तक के लिए 'ग्रंथ' (जो गूँथा गया हो) शब्द का प्रयोग चला।

(६) शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना—जब शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जाता है तो उसमें प्रायः अर्थ-संकोच हो जाता है। इसका कारण यह है कि स्रोत भाषा में उसकी अर्थ-परिधि बड़ी होती है, और वह शब्द दूसरी भाषा में अपनी पूरी अर्थ-परिधि के साथ न आकर केवल सीमित अर्थ के साथ आता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी का कोट शब्द लें। अंग्रेजी में इसका अर्थ कोट, आवरण, तह, लेप आदि है, किंतु हिंदी में यह शब्द केवल पहने जाने वाले 'कोट' के अर्थ में ही आया है। पिन शब्द में भी यही हुआ है। हिंदी में यह केवल 'आलपिन' या कुछ यंत्रों के उससे मिलते-जुलते हिस्से का नाम है, किंतु अंग्रेजी में खूटी आदि अन्य अर्थ भी हैं। इस प्रकार अंग्रेजी मूल शब्द 'कोट' तथा 'पिन' की तुलना में हिंदी 'कोट' तथा 'पिन' का अर्थ संकुचित हो गया है।

(७) जानबूझकर नये अर्थ में प्रयोग—आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी पुराने शब्द का किसी नये अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है, तथा शब्द में अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, 'रेडियो' के लिए कोई ठीक शब्द न पाकर कविवर सुमित्रानंदन पंत ने 'आकाशवाणी' का प्रयोग किया और यह शब्द हिंदी में चल पड़ा। परिणामतः 'देववाणी' के साथ-साथ इसका अर्थ रेडियो भी हो गया है। काव्यशास्त्र का 'यादृच्छिक' शब्द हिंदी के भाषाविज्ञान-साहित्य में arbitrary के लिए प्रयुक्त किया गया, अब इसका यह अर्थ भी सर्वस्वीकृत हो गया, यद्यपि कामशास्त्र में पुराना अर्थ भी चल रहा है। पश्चिम ने संस्कृत का 'संधि' शब्द लिया तथा 'रूपध्वनिग्रामिक परिवर्तन' के अर्थ में उसका प्रयोग किया। आज 'संधि' के अर्थ में काफ़ी अर्थ-विस्तार हो गया है और 'रामावतार' में तो संधि है ही। इसी, सभी, घुड़दौड़ में भी संधि मानी जाने लगी है। अर्थात् अ+आ=आ, स+ही=सी, ब+ही=भी, घोड़ा+दौड़=घुड़दौड़—ये सभी संधि के ही रूप हैं। तकनीकी शब्दों में इस प्रकार के अर्थ-परिवर्तन प्रायः होते हैं।

(८) अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग (Euphemism)—संसार में अशोभन बातें, भावनाएँ और कार्य हैं, किन्तु यथासाध्य मनुष्य का मस्तिष्क उनसे दूर रहना चाहता है। विडंबना यह है कि चाह कर भी दूर नहीं रह पाता, इसलिए उन भावनाओं को शोभन शब्दों से ढँक वह संतोष की साँस लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अपने शोभन अर्थों को छोड़कर अशोभन अर्थ देने लगते हैं। इसे कई भागों में बाँट कर विचार किया जा सकता है।

(क) अशुभ या बुरा—अशुभ कार्यों, बातों या घटनाओं को हम घुमा-फिरा कर अच्छा बनाकर कहना पसन्द करते हैं। 'हुजूर की तबीयत खराब है' न कहकर 'हुजूर' के दुश्मनों की तबीयत नासाज है' कहने की प्रथा है। किसी के मर जाने पर मरना न कहकर गंगालाभ होना, स्वर्गवासी होना, पंचत्व को प्राप्त होना, असार संसार छोड़ना, मुक्त होना, गोलोक जाना, बैकुण्ठलाम करना आदि कहते हैं। किसी के विधवा होने पर चूड़ी फूटना, सोहाग लुटना, सिन्दूर धुलना, माँग सफेद होना,

इत्यादि कहा जाता है। लाश को मिट्टी या माटी, दुकान बन्द करने को दूकान बढ़ाना, तथा चिराग बुझाने को चिराग बढ़ाना कहते हैं। अंग्रेजी में भी मरने को 'टू गिव अप द गोस्ट' (to give up the ghost) कहते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों से हमारे मनोविज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन अवश्यंभावी बातों से हम इतना अधिक डरते हैं कि सीधे इनका नाम लेना भी पसन्द नहीं करते।

(ख) अश्लील—कुछ लोग तो संसार में कुछ भी अश्लील नहीं मानते। उनका कहना है कि जब ईश्वर उन कार्यों या वस्तुओं को पृथ्वी पर लाने में लज्जित नहीं हुआ तो हम उनके उच्चारण या प्रयोग में क्यों लज्जित हों। पर, विश्व के सभी लोग इसे नहीं मानते। अधिक लोग ऐसे ही हैं जो बहुत से नामों को तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों या शब्दों को अश्लील मानते हैं, और इसलिए अश्लीलता छिपाने के लिए घुमा-फिर कर अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं। पाखाना जाने को 'मैदान जाना', 'पोखरे जाना', 'नदी जाना', 'दिशा जाना', 'टट्टी जाना', 'शौच जाना' तथा 'विलायत जाना' आदि कहा जाता है। सन् १९३० के बाद से भारतीयों को अपनी गुलामी अधिक खलने लगी थी और वे इंग्लैंड के प्रति घृणा की भावना रखने लगे थे। इसी कारण कुछ छात्रावासों में 'पेशाब करने जाना' को 'छोटी विलायत जाना' और 'पाखाना जाने' को 'बड़ी विलायत जाना' सन् १९५० तक कहते रहे। इसमें अश्लीलता छिपाने तथा घृणा-प्रदर्शन की भावनाएँ साथ-साथ काम कर रही हैं। गर्भिणी होना न कह कर 'पाँव भारी होना' कहते हैं। अंग्रेजी में इसे 'टू बी इन फेमली वे' (to be in family way) कहा जाता है। पाखाना जाने को 'टू अटेन्ड द नेचर्ज काल' (to attend the natures call) तथा पेशाबघर और पाखाना को 'बाथरूम' या ट्वायलेट कहते हैं। टू ईज (to ease) का प्रयोग भी इसी दिशा में है। कामशास्त्र से सम्बन्धित अवयवों तथा कार्यों के विषय में भी प्रयोग प्रायः बहुत घुमा-फिरा कर किए जाते हैं।

(ग) कटुता या भयंकरता—अशुभ और अश्लील की भाँति कटु और भयंकर भी मनुष्य को अप्रिय हैं। भोजपुरी प्रदेश में साँप को 'कीरा', 'चेवर' या 'रसरी' तथा उसके काटने को 'छूना' या 'सूँघना' कहते हैं। बिच्छू को 'टेढ़की' कहा जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत में चेचक निकलने को 'माता, माई या महारानी ने कृपा की है' कहा जाता है। चेचक की बीमारी कई प्रकार की होती है और प्रत्येक में तरह-तरह के दाने निकलते हैं। जिस चेचक में गर्मी अधिक होती है, उसे 'सीतला' तथा जिसमें त्वचा पर कष्ट अधिक होता है, उसे 'दुलारो' कहने की प्रथा है। हैजे में कँ और दस्त होने को 'मुँह और पेट चलना' कहा जाता है। पुर्तगाली में कैंसर को 'ओबिचो साल्वो सेजा' (Obicho Salvo Seja—the little beast God forbid) कहते हैं। अंधे को सूरवास (एक प्रसिद्ध अंधकवि) कहा जाता है।

(घ) अन्धविश्वास—बहुत लोगों में ऐसा अन्धविश्वास है कि पति, स्त्री,

गुरु और बड़े लड़के आदि का नाम लेना पाप है। आत्मनाम् गुरोर्नाम् नासाति-
कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः।—मनु)। इसका परिणाम
यह होता है कि उनका नाम नहीं लिया जाता। पति के विषय में तो यह नियम
इतना कड़ा है कि ऐसे अन्य शब्दों का भी उच्चारण नहीं किया जाता, जिसमें पति
के नाम का कोई अक्षर आता हो। मेरे गाँव में मेरी एक दादी लगती थीं, जिनके
पति का नाम 'हनुमान' था। हनुमान तो हनुमान, वे हलवा भी नहीं कहती थीं और
उनके लिए 'लपसी' शब्द का प्रयोग करती थीं। परिणाम यह हुआ है कि आसपास
के लड़कों में 'हलुआ' के लिए 'लपसी' शब्द प्रचलित हो गया है। इसी प्रकार
'पंडितजी', 'ऊ लोग', 'बिटिया के बाबू', 'आदमी' और 'मलिकार' आदि शब्दों का
अर्थ पति हो गया है, क्योंकि स्त्रियाँ अपने पति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती
हैं। पति लोग भी 'मालकिन' या अपने लड़के-लड़की के नाम के साथ माँ या चाची
आदि शब्द लगाकर अपनी स्त्री को बुलाते हैं। कहीं-कहीं इसी कारण 'घरवाली'
का अर्थ पत्नी हो गया। कुछ लोग अपना नाम भी नहीं लेते, अतः अपने नाम वाले
साथी को 'मितान' कहकर बुलाते हैं। मितान का अर्थ मित्र था, पर अब 'अपने
नाम का आदमी' हो गया है। कुछ बीमारियों को भी अंधविश्वास के कारण लोग
देवी मान बैठे हैं। 'देवी ने मेरे घर कृपा की है' का अर्थ है मेरे घर चेचक निकली
है।

(३) गंदे या छोटे कार्य—गन्दे कार्य को भी हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रकट
करना चाहते हैं। पाखाना साफ करने के लिए 'कमाना' शब्द का प्रयोग होता है।
भंगी को 'जमादार', 'हलालखोर' या मेहतर (महतर) कहा जाता है। पंजाबी में
नाई 'राजा' कहा जाता है और नाइन 'रानी'। बुलन्दशहर के कुछ भागों में भंगी के
लिए 'राजा' का प्रयोग चलता रहा है। आस्ट्रेलिया में नौकर को 'सरवेंट' न कहकर
'होम-एड', 'होम-ऐसोशिस्ट' कहते हैं। चोर को संस्कृत में तस्कर (वह करने वाला)
कहते हैं। चोरी बुरा कार्य है, अतः उसका नाम लेना ठीक नहीं। चमार को रँदास
(इसी नाम के एक चमार जाति के कवि) कहते हैं। खाना पकाना बुरा या गन्दा
कार्य तो नहीं है, किंतु पकाने वाले को महार'ज (महाराजा) जैसी बड़ी पदवी दी गई है।
खाना बनाने वाली स्त्री के लिए महाराजिन, मिश्राइन आदि नाम भी ऐसे ही हैं।
बंगला में नौकर या रसोइये को ठाकुर (मालिक या बड़ा) कहते हैं। उत्तरी भारत में
जफसर लोग साधारण बलकों को बाबू इसी भावना से कहते हैं। गांधी जी ने 'अछूत'
के लिए 'हरिजन' का प्रयोग शुरू किया और 'हरिजन' का अर्थ 'भक्त' से 'अछूत' में
परिवर्तित हो गया। तुलसी में इसका अर्थ भक्त है : सुर महिसुर हरिजन अरु गई।

(९) अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग—मनुष्य में आलस्य
अधिक है और इसलिए कम से कम परिश्रम से वह अपना काम निकालना चाहता
है। बोलने में भी वह चाहता है कि कम से कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक
भाव व्यक्त कर सके। इस प्रयास में अधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों में कुछ अंश

वह छोड़ देता है। ऐसा करने से शेष अंश ही पूरे का अर्थ देने लगता है और इस प्रकार अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। रेल (ट्रेन की पटरी) पर चलने के कारण ट्रेन को रेलगाड़ी कहा गया। अब 'गाड़ी' शब्द हटा दिया गया है, और केवल 'रेल' का अर्थ भी रेलगाड़ी है। पढ़े-लिखों को छोड़कर अब तो कम लोग इसे जानते भी हैं कि 'रेल' पटरी को कहते हैं। इस प्रकार के अर्थ में काफी परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार, तार का प्रयोग अब तार द्वारा भेजी गई खबर के लिए भी होने लगा है। पहले हाथी को 'हस्तिन्मृग' (ऐसा जानवर जिसके हाथ अर्थात् सूँड़ हो) कहा जाता था, बाद में 'मृग' छोड़ दिया गया और केवल 'हस्तिन्' ही पूरे का अर्थ देने लगा। रेलवे स्टेशन के लिए 'स्टेशन', मोटरकार के लिए 'मोटर' या 'कार', जिनरिक्शा के लिए रिक्शा, साइकिल रिक्शा के लिए रिक्शा, 'काँपी बुक' के लिए 'काँपी', 'नया पैसा' के लिए 'पैसा' अथवा नया (पूरब में दस नये की ककड़ी है); शिक्षणालय टीचर के लिए प्रिंसपल, कैपिटल सिटी (capital city) के लिए कैपिटल (capital), नेकटाई (necktie) के लिए टाई तथा पोस्टल स्टैम्प (postal stamp) के लिए स्टैम्प का प्रयोग अब सर्वत्र हो रहा है। टिन धातु से बने पीपे को 'टिन का पीपा' न कह कर 'टिन' या 'पीपा' कहा जाता है। दो पहियों का होने के कारण साइकिल नाम पड़ा। अब केवल साइकिल कहा जा रहा है; जिसका अर्थ 'पहिया' मात्र है। कुछ लोग तो 'बाइक' कहते हैं। मीट (meat) का अर्थ था खाद्य (sweet meat—मीठा खाद्य या मिठाई)। 'फ्लेश मीट' का प्रयोग किया गया खाने में प्रयुक्त गोश्त के लिए। बाद में 'फ्लेश' हट गया और 'मीट' का ही प्रयोग 'गोश्त' के लिए होने लगा। इस प्रकार के रोज के प्रयोग में आने वाले बहुत से शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया है।

(१०) सादृश्य (Analogy)—सादृश्य के कारण भी कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन होता है, पर इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। अंग्रेजी से हिन्दी में जो बहुत से शब्द आए हैं, उनमें 'टिकट' और 'टैक्स' भी हैं। इनमें 'टिकट' का रूप तो 'टिकिट' मिलता है और उसी के सादृश्य पर 'टैक्स' का रूप टिकस या टिककस ('टिककस में घर-बार बिकानो—'भारतेंदुकालीन एक पंक्ति) हो गया है। 'टिकट' और 'टिकस' के रूप-साम्य के कारण 'टिकस' के अर्थ में परिवर्तन हो गया है और अब देहात (भोजपुरी प्रदेश) में प्रायः लोग 'टिकिट' के स्थान पर उस अर्थ में 'टिकस' (रेल का, डाक का, रसीदी) का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सादृश्य के कारण अर्थ-परिवर्तन अज्ञान का सहारा लेकर घटित होता है, यों भाषा के अधिकांश परिवर्तन अज्ञान के क्रोड़ में पलते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत का कम ज्ञान रखने वाले अनेक साहित्यकारों ने बहुत से संस्कृत शब्दों के अर्थ में इस प्रकार परिवर्तन ला दिये हैं और कुछ शब्द तो खूब चल पड़े हैं। 'प्रश्रय' का संस्कृत में अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता। 'आश्रय' शब्द इससे मिलता-जुलता है, अतः आश्रय या सहारा अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है।

इसी प्रकार, 'उत्क्रांति' (मूल अर्थ 'मृत्यु' या 'उछाल') का क्रांति के अर्थ में, या 'उत्क्रोश' (मूल अर्थ एक पक्षी 'या' चिल्लपों) का आक्रोश के अर्थ में प्रयोग भी इसी वर्ग के परिवर्तन से युक्त है। देहात में 'कनेक्शन' के अर्थ में मैंने 'कन्सेक्शन' का भी प्रयोग सुना है। 'अभिज्ञ' और 'अविज्ञ' में सादृश्य से 'विज्ञ' के अर्थ में कुछ लोग 'भिज्ञ' का तथा 'अविज्ञ' के अर्थ में 'अभिज्ञ' का प्रयोग करते हैं। यह तो सादृश्य का ध्वन्यात्मक रूप था। रूप-सादृश्य अथवा कार्य-सादृश्य के कारण भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है : घड़े का मुँह, सुराही की गर्दन, आरी के दाँत, नदी का पेट, सितार के कान, मुई का मुँह, ईख की आँख, पेड़ की धड़, कुर्सी के हाथ, मेज के पैर में प्रयोग करने से।

अज्ञान—गलत अर्थ में प्रयोग करने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में इसी कारण बदल गया है। संस्कृत का अच्छा ज्ञान न रखने वाले साहित्यकारों ने इस क्षेत्र में बहुत योग दिया है। संस्कृत का धन्यवाद (प्रशंसा) हिंदी में शुक्रिया हो गया है। लोक-भाषाओं में गलती के कारण अर्थ-परिवर्तन के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अवधी में 'बूढ़ा' के लिए 'बुढ़ापा', भोजपुरी में कलंक के लिए 'अकलंक', 'फ़जूल' के लिए बेफ़जूल, कई बोलियों में 'खालिस' के लिए निखालिस, गुजराती में 'जरूरत' के लिए जरूर। अंग्रेजी में इससे मिलती-जुलती प्रवृत्ति (Malapropism) है (देखिये परिशिष्ट)। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थों के परिवर्तन में भी अज्ञान या गलती का महत्वपूर्ण स्थान है। सादृश्य के अंतर्गत भी कुछ इस प्रकार की गलतियाँ ली गई हैं।

(१२) पुनरावृत्ति—कभी-कभी शब्दों का दुहरा प्रयोग चल पड़ता है और इसके कारण भी उनके आधे भाग के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। अब 'विन्ध्याचल पर्वत' का प्रयोग चल पड़ा है। ऐसे प्रयोग करने वाले 'विन्ध्याचल' का अर्थ 'विध्य पर्वत' न लेकर उसे पर्वत का नाम मात्र समझते हैं। मलयगिरि के विषय में भी यही बात है। द्रविड़ भाषा में 'मलय' शब्द ही पहाड़ का अर्थ रखता है, पर हम लोगों ने 'मलय' को नाम समझ कर उसके साथ 'गिरि' जोड़ लिया है। कुछ लोग तो 'मलयगिरि पर्वत' भी कहते हैं। इसी प्रकार, कुछ लोग 'हिमालय पर्वत' या 'फूलों का गुलदस्ता' भी कहते हैं।

डबलरोटी को पावरोटी भी कहते हैं। इस दुहरे प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि लोग 'पाव' का अर्थ 'डबल' लगाने लगे हैं, जबकि 'पाव' पुर्तगाली शब्द का अर्थ 'रोटी' होता है। दरअसल में, दरहकीकत में, किंतु फिर भी, पर भी, आदि प्रयोग भी ऐसे ही हैं। वह ठीक उसके उलटा है, जिसमें दो शब्दों के लिए एक का प्रयोग (रेलगाड़ी के लिए रेल) होता है, क्योंकि यहाँ एक शब्द के लिए एक से अधिक का प्रयोग है। 'सज्जन व्यक्ति' का प्रयोग भी इसी श्रेणी का है। अनुवादात्मक युग्म (translation compound) भी इसी प्रकार के होते हैं। 'सीदा-सुलुफ' में सुलुफ का अर्थ लोग अब 'वर्गरह' जानने लगे हैं, यद्यपि उसका अर्थ है 'सीदा'।

(१३) एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन—जीवित भाषा में एक वस्तु या कार्य के लिए ठीक एक अर्थ रखने वाले दो शब्द नहीं रह सकते। भाषा यह व्यर्थ का बोझ प्रायः स्वीकार नहीं करती। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक तत्सम शब्द के साथ-साथ उसके तद्भव या अर्द्ध-तद्भव शब्द का भी प्रचलन हो जाता है। ऐसी दशा में दो बातों में से कोई एक घटित होती है। या तो 'दोनों' शब्दों में से कोई एक लुप्त हो जाता है, या फिर किसी एक का अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है। यहाँ हमें दूसरी बात पर विचार करना है। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप चल रहे हैं और भाषा यह बोझ स्वीकार नहीं कर सकती, अतः दोनों के अर्थ में भेद हो गया है। इस प्रकार, दो रूप के प्रचलन में भी अर्थ-परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। इन दो अर्थों में प्रायः देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो कुछ प्राचीन या उच्च अर्थ रखते हैं, पर तद्भव शब्द कुछ हीन या नया अर्थ। उदाहरण के लिए स्तन और थन एक ही हैं, पर दोनों के अर्थ में अब भेद है। एक का प्रयोग स्त्री के लिए होता है तथा दूसरे का पशु के लिए। इसी प्रकार, स्थान और थान शब्द हैं। स्थान का प्रयोग देवी-देवताओं के लिए होता है और थान का प्रयोग हाथी या घोड़े के लिए। जैसे—'यह ब्राह्मणजी का स्थान है।' या 'हाथी का थान यहाँ है'। इस प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं : गर्भिणी (स्त्री), गाभिन् (गाय-भैंस) ब्राह्मण (शिक्षित ब्राह्मण), बाम्हन (निरक्षर), साधू, साहू; परोक्षक, पारखी; तिलक, टिकुली (स्त्रियों के ललाट पर लगाने की काँच आदि की बिन्दी); सौभाग्य, सोहाग तथा वार्त्ता, बात इत्यादि।

अर्थ-विचार के प्रसिद्ध मनीषी ब्रील ने इसे भेदभाव का नियम (law of differentiation) कहा है। उनका यही कहना है कि सामान्य जनता का मस्तिष्क एकसाथ एक ही अर्थ के दो शब्द नहीं ढो सकता। एक शब्द दो विचारों को व्यक्त करे, यह ठीक हो सकता है, किंतु एक विचार के लिए दो शब्द हों, यह व्यर्थ है। साहित्य में एक वस्तु या विचार के लिए कई शब्द चलते हैं, पर उनका बिल्कुल एक ही अर्थ नहीं होता। उनका प्रयोग अपना अलग-अलग महत्त्व रखता है। पंतजी ने 'पल्लव' की भूमिका में पवन, प्रभंजन, वायु, श्वसन तथा समीर आदि का अन्तर दिखलाया है। इस प्रकार एक शब्द के दो रूपों में अर्थ का अंतर प्रायः हो जाता है।

(१४) शब्दों का अधिक प्रयोग—अधिक प्रयोग से शब्द घिस जाते हैं और उससे परिचय इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। श्रीयुत, श्रीमान् या श्री का प्रयोग आरम्भ में काफ़ी सार्थक लगता था, किंतु अब वे प्रयोग से इतने घिस गये हैं कि निरर्थक से जान पड़ते हैं, और उनमें औपचारिकता मात्र रह गई है। समाजवाद, नेता, क्रांति, संस्कृति, कला, आदि भी अब उतनी शक्ति नहीं रखते जितनी पहले रखते थे। विशेषणों और क्रियाविशेषणों में यह बात और भी अधिक घटित है। 'बहुत' शब्द अब कुछ व्यर्थ हो रहा है। उनके स्थान पर

‘अत्यन्त’ या ‘अतिशय’ आदि का प्रयोग अधिक जोरदार ज्ञात होता है। ‘अधिक’ के शिथिल पड़ने पर ‘अत्यधिक’ या ‘अधिकाधिक’ के भी प्रयोग होने लगे हैं।

(१५) किसी राष्ट्र, जाति, संप्रदाय, धर्म या वर्ग के प्रति सामान्य मनोभाव—किसी जाति, राष्ट्र या जन-समुदाय के प्रति जब जैसी भावना होती है, उसकी छाया उनके शब्द के अर्थों पर भी पड़ती है। इस सम्बन्ध में कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अर्थ पूर्णतः उलटा हो जाता है। ‘अधुर’ का पहले हमारे यहाँ ‘देवता’ अर्थ था। उस समय तक संभवतः ईरान वालों के प्रति हम लोगों के विचार बुरे नहीं थे। किंतु, ज्यों ही विचार बदले, हमने उस शब्द का अर्थ ‘राक्षस’ इसलिए कर लिया कि यह नाम ईरानियों के प्रधान देवता (अहुरमज़दा) का था। यही बात वहाँ भी हुई। हमारे ‘देव’ शब्द का अर्थ उन लोगों ने अपने यहाँ अदेव या राक्षस कर लिया। साम्प्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान के बटवारे के समय मुसलमान शब्द का अर्थ यहाँ कुछ गिर गया था। ‘हिन्दू’ शब्द की यह दशा पाकिस्तान में अब भी है। सनातनी हिन्दुओं में ‘ईसाई’ के अर्थ की भी यही दशा है। फ़ारसी में ‘हिन्दू’ का अर्थ बहुत पहले से ‘गुलाम’, ‘काफ़िर’ और ‘नापाक’ आदि है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ‘तुर्क’ का अर्थ खाद्य-अखाद्य का विचार न रखने वाला तथा उजबक का अर्थ हिंदी में मूर्ख है। अनायों के कुछ शब्दों का अर्थ भी आर्यों ने घृणा के कारण गिरे अर्थ में अपने यहाँ रखा। आर्यतर परिवार का ‘पिल्ला’ शब्द मूलतः लड़का या किशोर (किसी भी जीव का) का समानार्थी है, पर आर्यों ने उसे कुत्ते के बच्चों के लिए प्रयोग करना आरम्भ किया। आज भी लगभग सभी भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यसमाजियों का सनातन-धर्मियों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। वे उन्हें धर्म की दुर्दशा करने वाले तथा ढोंगी मानते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आर्य-समाजियों के मस्तिष्क में व्रत, कथा, श्राद्ध, माला, मूर्ति आदि का वह उच्च अर्थ नहीं है जो सनातनधर्मियों में है; कुछ त्योहारों के विषय में गिया और सुन्नी मुसलमानों में भी यही अन्तर है, जिसके कारण उनसे सम्बन्धित शब्दों के अर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। बौद्धों के प्रति हमारी भावना ने ही ‘बौद्ध’ का विकास ‘बुद्ध’ में किया तथा ‘देवानांप्रियः’ का अर्थ मूर्ख हो गया। जब से श्रेणी-संघर्ष (class struggle) का सिद्धान्त समाज के लिए आवश्यक समझा गया है, फ्रेंच शब्द बुरजुआ; हिंदी पूँजीवादी, सामंत, राजा, जमींदार, तालुकेदार, इलाकेदार, आदि का अर्थ कितना नीचे गिर गया है; स्वयं ‘कांग्रेस’ शब्द में जो उच्चता, पवित्रता, स्वार्थ-त्याग और बलिदान आदि की भावना थी, आज समाजवादियों के प्रभाव एवं कांग्रेसियों के पतन के कारण बिल्कुल नहीं रह गई है।

(१६) एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ-परिवर्तन—शब्द अधिकतर वर्गों में रहते हैं। यदि वर्ग के किसी एक भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव शेष शब्दों के अर्थ पर भी पड़ता है।

दुहिता का अर्थ था 'गाय दुहने वाली'। बाद में जब इसका अर्थ 'लड़की' हो गया तो इससे बनने वाले दौहित, दौहित्री, दौहित्रायण आदि शब्दों का अर्थ भी उसी के अनुसार परिवर्तित हो गया।

'अभियोग' का मूल अर्थ लगन, मनोनिवेश (अभि + युज्) था, तथा इसी के अनुरूप 'अभियुक्त' (काम में लगा), 'अभियोक्तृ' आदि का भी अर्थ था। स्मृति-काल में अभियोग का अर्थ बदला तो अभियुक्त, अभियोगी आदि सभी संबद्ध शब्दों का बदल गया।

कुछ शब्दों के वर्ग, प्रयोग या संदर्भ के साथ के आधार पर भी होते हैं। अहिंसा, सत्य, कांग्रेस, आदि एक वर्ग के शब्द हैं। धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, जप-तप, ईश्वर-आत्मा आदि भी एक वर्ग के शब्द हैं। इधर धर्म के प्रति अनास्था के कारण उसकी पवित्रता अधिक लोगों के मस्तिष्क से निकल गई है। इसका प्रभाव पूजा, जप, माला, भजन, तीर्थ, कथा तथा व्रत आदि पर इतना पड़ा है कि ये सभी प्रायः ढोंग समझे जाने लगे हैं।

शब्दों के अर्थ की समीपता या धातु के आधार पर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं। उनमें भी उपर्युक्त बातें पाई जायेंगी।

(१७) साहचर्य आदि के कारण नवीन अर्थ का प्रवेश—ऐसी दशा में अधिकतर अर्थदिश हो जाता है। सिन्धु का अर्थ बड़ी नदी या समुद्र था। आर्यों ने सिन्धु नदी को भारत में आने पर 'सिन्धु' कहा। कुछ दिन में नदी के आसपास की भूमि भी 'सिन्धु' कही जाने लगी। सिन्धु से 'सैधव' शब्द बना जिसका अर्थ है, 'सिन्धु का' या 'सिन्धु देश में होने वाला।' उस समय सिन्धु देश की प्रधान वस्तु 'घोड़ा' और 'नमक' होने के कारण, सैधव का प्रयोग इन दोनों के लिए होने लगा। उधर बाद में सिन्धु के निवासियों को भी सिन्धु कहा जाने लगा जिसका फ़ारसी रूप हिन्दु या हिन्दू हो गया। इस प्रकार, अनजाने धीरे-धीरे सिन्धु का अर्थ जड़ से चेतन हो गया।

'पत्र' शब्द का प्रयोग अब पत्र पर लिखे विचारों या शब्दों के लिए भी होने लगा है। 'पत्र में अशुद्धियाँ बहुत हैं, का अर्थ कागज की अशुद्धियाँ न होकर शब्द या वाक्य की अशुद्धियाँ हैं। 'पत्र हला देने वाला है' में पत्र का अर्थ विचार है। आज के ये अर्थ मूल नहीं हैं, विकसित हो गये हैं।

(१८) किसी शब्द, वर्ग या वस्तु में एक विशेषता का प्राधान्य—एक विशेषता के प्राधान्य के कारण, वही उस वस्तु या वर्ग आदि का प्रतीक समझी जाने लगती है। इसमें अर्थ-विस्तार और अर्थ-संकोच दोनों ही होता है। कम्युनिस्टों की प्रधान निशानी 'लाल झण्डा' है, अतः वे चारों ओर इस नाम से भी प्रसिद्ध हैं। देहात में तो इन्हें जैसे 'लाल झण्डा' की ही संज्ञा दे दी गई है। 'लाल झण्डा की सभा है' का अर्थ है 'कम्युनिस्टों की सभा है।' यहाँ लाल झण्डा के अर्थ का विस्तार हो गया है। वह अब कम्युनिस्टों के पूरे समूह का अर्थ रखता है। इसी प्रकार,

'गांधी टोपी' का अर्थ कांग्रेस से लिया जाता रहा है। 'लाल पगड़ी' का प्रयोग पुलिस के लिए बहुत पहले से चल रहा है। 'सफेद पगड़ी' पारसी पुरोहित का प्रतीक है।

इन सबमें अर्थ-विस्तार हो गया है जिसका कारण है किसी एक विशेषता का प्राधान्य।

इसी कारण, अर्थ-संकोच के भी उदाहरण मिलते हैं। गँस को साधारणतः एक प्रकार का हल्का ईंधन समझा जाता है, अतः गँस शब्द सर्वसाधारण के लिए केवल उसी का बोध कराता है। पर, ऐसी भी गँसें हैं जो जलाने के काम नहीं आती। यहाँ गँस की एक विशेषता सर्वविदित होने के कारण उसके विस्तृत अर्थ में संकोच हो गया है।

फूल प्रायः सुन्दर, कोमल और सुगंधित होते हैं। अतः सर्वसाधारण में फूल नाम से इन्हीं तीनों गुणों का भाव जागृत होता है। यों संसार में ऐसे फूलों की भी कमी नहीं है, जो बदसूरत और दुर्गन्धपूर्ण (करियारी के फूल की गंध बड़ी झुरी होती है। घृतकुमारी का फूल तो और भी बुरा महकता है।) होते हैं। पर, फूल नाम या शब्द में उनके गुणों या दुर्गुणों को स्थान नहीं है। यहाँ फूल में अर्थ-संकोच है।

(१९) व्यंग्य—व्यंग्य के शब्दों में अधिकतर अर्थविश हो जाता है और फिर वे उसी नये अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। हर भाषा में इसके उदाहरण काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं। नीचे के उदाहरणों में प्रायः समी का शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान है, किंतु व्यंग्य के कारण प्रचलन में वे मूर्ख के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे 'तीन हाथ की बुद्धि वाले', 'अक्ल के खजाना', 'अक्ल की पुड़िया', 'अक्ल की मोटरी', 'पूरे पंडित' या 'पूरे देवता' तथा गुजराती 'दोड़ चतुर' (चतुर का डेड़ा) अन्य उदाहरण हैं।

इसी प्रकार, 'पूरे युधिष्ठिर के अवतार' का अर्थ असत्यवादी, 'भाग्य के सबसे बड़े साथी' का अर्थ अभाग्य, 'लक्ष्मी के पति' का अर्थ दीन और 'धर्मावतार' का अर्थ अधर्मी, बुरा आदि लिया जाता है। गंदे आदमी को 'सफाई का अवतार' कहते हैं, और भद्दे आदमी को 'कामदेव का भाई'। बड़ी जल्दी आ गए (दर से), कैसे रास्ता भूल पड़े (आए), बड़े परिश्रमी हो (तनिक भी नहीं), आदि भी व्यंग्य के कारण विपरीतार्थी हो जाते हैं।

इस प्रकार, अच्छे गुणों के व्यंग्य-प्रयोग द्वारा हम विपरीतार्थ या दुर्गुणों को प्रकट करते हैं और दुर्गुण द्वारा गुण को। अपने साथी को बहुत साफ़ कपड़े पहने देखकर हम कह सकते हैं, 'कहो भाई आजकल धोबी तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या?'

स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुद्धि, सौंदर्य, गुण तथा दशा आदि के विषय में ही ऐसे प्रयोग अधिक मिलते हैं।

(२०) भावावेश—भावावेश में बहुत से शब्दों के विषय में हम असावधान हो जाते हैं और बहुधा बढ़ा-चढ़ाकर या विचित्र अर्थ में प्रयोग करते हैं। कभी-कभी तो

इसके उदाहरण भी व्यंग्य से मिलते-जुलते और यथार्थतः एक प्रकार के व्यंग्य ही दिखाई पड़ते हैं। जब पिता प्रेम के आवेश में अपने लड़के को 'अरे तू तो बड़ा पाजी है।' कहता है तो पाजी का अर्थ वहाँ बुरा न होकर केवल प्यार होता है। इसी प्रकार, लोग प्रेम में शैतान, नालायक, बेहूवा तथा गद्दहा आदि का प्रयोग करते हैं। आजकल के मित्र लोग प्रेम के आवेश में एक-दूसरे को 'साले' ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी कह जाते हैं। कभी-कभी तो यह कहना (जैसे कछेरे बेटा!) इतनी बड़ी गाली होती है कि कथन की पृष्ठ भूमि में नैकट्य न हो तो खून की नदी बह जाय।

क्रोध के भावावेश में भी लोग इतने पागल हो उठते हैं कि शब्दों का विचित्र प्रयोग कर देते हैं। उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। 'अच्छा बच्चू फिर आना तो पता चलेगा' में 'बच्चू' शब्द प्यार में लिपटा हुआ 'बच्चा' शब्द का वाचक नहीं है। वहाँ बच्चू केवल इतना बतला रहा है। कि क्रोध करने वाला क्रोध में अपने विपक्षी को नाचीज समझ रहा है। इसी प्रकार, करुणा और घृणा के आवेश में भी शब्दों का अर्थ विचित्र हो जाता है। 'राम-राम' ऐसे पवित्र शब्द का अर्थ घृणा के भावावेश के कारण 'छिः-छिः' हो गया है। दूसरी ओर किसी दुःखी आदमी के मुँह से निकलता 'राम' शब्द जैसे करुणा का प्रतीक और रुला देने वाला है।

कुछ लोग, विशेषतः कलाकार बड़े भावुक होते हैं और किसी चीज का वर्णन बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं। इसी से यह होता है कि पढ़नेवाला अतिशयोक्त को निकाल कर समझता है और इस प्रकार शब्दों के अर्थ धूमिल पड़ जाते हैं।

कुछ जातियाँ अन्यों से अधिक भावप्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँ के जोरदार शब्दों का अर्थ अन्य शब्दों से कम शक्तिमान् हो जाता है, क्योंकि वे भाव-प्रवणता में सर्वदा उसे इधर-उधर खींचते रहते हैं। फ्रेंच और बँगला में यह बात विशेष पाई जाती है। इस प्रकार, भाव-प्रवणता के कारण कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों के अर्थ बड़ी शीघ्रता के साथ परिवर्तित होते हैं।

इसके कारण घटित अर्थ-परिवर्तन ऊपर से तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु यथार्थतः इसका प्रभाव स्थायी होता है। इस प्रकार प्रयुक्त शब्दों का अर्थ कुछ नरम पड़ जाता है और उसके स्थान पर फिर नये शब्द आते हैं, फिर आगे चलकर उनकी यही दशा होती है।

(२१) व्यक्तिगत योग्यता—व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति शब्दों को एक ही संदर्भ में नहीं समझता। चोर ने 'अच्छा' शब्द चोरी के प्रसंग में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा का अर्थ वही नहीं होगा जो एक साधु के मस्तिष्क में। सच तो यह है कि प्रतिदिन के काम में आने वाली स्थूल वस्तुओं के नामों को छोड़कर किसी भी शब्द का अर्थ

दो मस्तिष्क में विलकुल एक ही नहीं रहता। एक सुयोग्य दार्शनिक के लिए 'ब्रह्म' शब्द कुछ और है, एक साधारण पढ़े-लिखे के लिए और है, और एक देहाती के लिए तो रुष्ट होकर आत्महत्या करने वाले ब्राह्मण की समाधि या 'चउर' मात्र ही ब्रह्म है।

टकर ने ठीक ही कहा है कि शब्द तो एक प्रकार का सिक्का है, पर ऐसा सिक्का जिसका मूल्य निश्चित नहीं बोलने वाला उसे दो रूपये का समझ सकता है और सुनने वाला अपनी योग्यतानुसार उसे तीन या एक रूपये का समझ सकता है। सूक्ष्म विचारों तथा नैतिक भावनाओं के शब्दों के विषय में यह और अधिक सत्य है। धर्म, ईश्वर, पाप-पुण्य, अच्छा-बुरा आदि शब्द उदाहरणस्वरूप लिए जा सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों में अस्थायी रूप से आर्थिक उतार-चढ़ाव व्यक्तिगत स्तर पर आते रहते हैं।

(२२) शब्दों में अर्थ का अनिश्चय—ऊपर के कारण से यह मिश्रता-जुलता कारण है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं। 'अहिंसा' शब्द को हम लें। इसका एक ओर तो केवल यह अर्थ है कि किसी को जान से न मारना चाहिए, पर दूसरी ओर जीना भी हिंसा है, क्योंकि साँस के द्वारा या पैर से कुचलकर प्रायः हमसे न जाने कितने जीव मरते रहते हैं। इन दोनों अर्थों के अतिरिक्त ऐसी बात कहना भी हिंसा है, जिससे किसी का जी दुखे। और शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो संसार में सबको अच्छी लगे। तो यहाँ सर्वदा मौन रहना भी अहिंसा पर चलने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, हिंसा और अहिंसा शब्द का बहुत निश्चित अर्थ नहीं। सत्य और कर्तव्य के अर्थ भी इसी तरह अनिश्चित हैं। टकर साहब की ऊपर कही गई बात यहाँ भी लागू होती है। 'व्यक्तिगत योग्यता' तथा 'शब्द के अर्थ का अनिश्चय' इन दोनों कारणों में यथेष्ट एकता है। अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति पर जोर देता है कि उसके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होगा, पर दूसरा शब्द पर ही जोर देता है। दूसरे के अनुसार, एक शब्द का अर्थ जितना ही अधिक अनिश्चित होगा, उसमें अर्थ-परिवर्तन का रूप भी उतना अधिक विचित्र होगा। इतना ही नहीं, अपितु अनिश्चित शब्दों में अर्थ-परिवर्तन होने की संभावना निश्चित शब्दों से अधिक होगी। आर्य, पाप तथा पुण्य आदि अनेक अन्य शब्द भी लिये जा सकते हैं।

(२३) एक वस्तु का नाम पूरे वर्ग को देना या सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग—वर्ग की किसी एक वस्तु से अधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे वर्ग को पुकारने लगते हैं। इससे उस शब्द में अर्थ-विस्तार हो जाता है। अब 'स्याही' का अर्थ केवल काली स्याही न रहकर सभी रंग (लाल, हरी, नीली आदि) की स्याही हो गया है, यद्यपि यह शब्द 'स्याह' से बना है, जिसका अर्थ काला है। पहले केवल काली स्याही थी, अतः स्याही कहा गया। बाद में और रंग की भी स्याहियों का

प्रचलन हुआ, पर अधिक पारिचित होने से वही नाम चलता है। हिन्दी का 'साग' (शाक) शब्द पहले केवल उन हरे पत्तों के लिए प्रयुक्त था जिनकी तरकारी बनती थी, पर अब साग का अर्थ तरकारी हो गया है। 'सब्जी' शब्द सब्ज से बना है, जिसका अर्थ 'हरा' है। इसका भी प्रयोग पहले केवल शाक के लिए होता था, पर अब आलू (भूरा), लीताफल या कौहड़ा (पीला), प्याज (सफ़ेद या लाल) और टमाटर (लाल) भी सब्जी कहे जाते हैं। 'मुझे कुछ पैसे चाहिए' में 'पैसे' का अर्थ पैसा न होकर धन है। कुछ जानवरों या कीड़ों के लिए हम एक ही लिंग का नाम प्रयुक्त करते हैं; घोड़ा-हाथी आदि बड़ों में यह प्रयोग अधिक नहीं चलता, पर छोटे जानवरों में तो प्रायः सर्भों में चलता है। कुत्ता और कुतिया के लिए कुत्ता, गीदड़ और गीदड़िन के लिए गीदड़, लोमड़ी और लोमड़ा के लिए लोमड़ी, तोता-तोती के लिए तोता, मैना-मैनी के लिए मैना इत्यादि। इस एक लिंग का प्रयोग उभयलिंग के लिए होने के कारण उसका अर्थ भी विस्तार पाकर उभयलिंगी हो गया है। रूसी में घोड़ा के लिए बहुप्रचलित शब्द 'लोशदू' स्त्रीलिंग है। वहाँ सामान्यतः घोड़े को भी इसी शब्द से अभिहित करते हैं।

अन्य कई भाषाओं की तरह हिन्दी में सबसे एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। कुछ जानवर चाहे नर हों या मादा, भाषा में उनका 'नर-प्रयोग' चल रहा है। जैसे नर चींटा हो या मादा, दोनों के लिए 'चींटा' का प्रयोग चलता है और सर्वदा पुल्लिंग में। इसी प्रकार, तोता, कौआ, बाज, बारहसिंहा, गीदड़, तेंदुवा, चींटा तथा बनमानुख आदि में हमारी हिन्दी भाषा के अनुसार जैसे केवल नर ही नर होते हैं। दूसरी ओर, चींटी, सिधरी, कोयल, लोमड़ी तथा छिपकली में हिन्दी के अनुसार नर का एकान्त अभाव है। इतना ही नहीं, पुकारने की इन विचित्रता के कारण देहात में कुछ लोगों को तो ऐसा भी विश्वास है कि चींटा और चींटी एक ही जाति हैं। अन्तर केवल यह है कि एक नर है और दूसरा मादा। 'तोता-मैना' के प्रसिद्ध किस्से में तोता-मैना के विषय में भी यही धारणा है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि चींटी एक अलग जीव न समझी जाकर चींटा की स्त्री समझी जाती है और इसी प्रकार मैना तोते की स्त्री मानी जाती है।

(२५) आलंकारिक अथवा लाक्षणिक प्रयोग—बातचीत, या किसी चींज के वर्ण में वक्ता या लेखक का यही प्रयास रहता है कि वह कम से कम शब्दों में अपने को अधिक से अधिक स्पष्ट एवं सुन्दर रूप में व्यक्त कर सके। ऐसा करने के लिए अलंकारों (उपमा, रूपक आदि) या लक्षण का प्रयोग किया जाता है। आरम्भ में तो ये प्रयोग आलंकारिक या लाक्षणिक रहते हैं, पर कुछ दिनों में अलंकार या लक्षण का ध्यान किसी को नहीं रहता और उस नवीन अर्थ में शब्द का प्रयोग चल पड़ता है। 'तुम गदहे हो' में गदहे का सीधा अर्थ 'मूर्ख' है। गदहे की तरह मूर्ख नहीं जो प्रारम्भिक प्रयोग में रहा होगा। अलंकार अधिकतर सादृश्य पर आधारित रहता है। परिचित रूपों या वस्तुओं के द्वारा हम अपरिचित के विषय में बतलाना चाहते हैं।

सूक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों का साधारण शब्दों में प्रकटीकरण आसान नहीं है। अतः, उनके लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उदाहरणस्वरूप गहरी बात, निर्जीव भाषा, सजीव चित्रण, मधुर संगीत, मीठे बोल, रूखी हँसी, कटु अनुभव, सरस बात, कठिनाई पार करना, दुःख काटना तथा आपत्तियों से घिर जाना आदि को ले सकते हैं। आज बिना ध्यानपूर्वक विचार किये इनके अलंकारों का पता नहीं चलता, जिसका एक मात्र कारण है अर्थ-परिवर्तन। उल्लेख्य है कि प्रायः ये सभी भाषिक विचयन (Linguistic Deviation) के उदाहरण हैं।

मानव के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए हमें पशुओं, जातियों तथा बेजान वस्तुओं के सहारे अलंकार बनाना पड़ता है। ये प्रयोग भी इतने प्रचलित हैं कि साधारणतया अलंकार नहीं समझे जाते। अपने आलंकारिक अर्थ में ये प्रतीक रूढ़ हो चुके हैं। उदाहरणस्वरूप पत्थर (कड़े हृदय का), पानी (नरम दिल), पेंदी का लोटा (जिसका कुंछ निश्चय न हो), कांटा (क्रूर), गदहा (मूर्ख), उल्लू (मूर्ख या दिन के लिए अन्धा), भैंस (बेवकूफ), बैल (मूर्ख), गाय (सज्जन और सीधा), शेर (बहादुर), गीदड़ (कायर), सियार (होशियार और छली), कौआ (चालाक), काला नाग (जिसके काटने से लहर तक नहीं आती और मृत्यु हो जाती है, अतः खतरनाक), बनिया (कंजूस) कसाई (क्रूर), चमार (गन्दा), क्रिस्तान (भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान न रखनेवाला) तथा अहिर या जाट (उजड़) आदि लिख जा सकते हैं। बोलचाल की भाषा के तो जैसे ये प्राण हैं। आलंकारिक प्रयोग में ये शब्द अपना यथार्थ अर्थ न देकर अपने गुण का अर्थ देते हैं। ब्रील का कहना है कि अन्य सभी कारणों से शब्दों में अर्थ-परिवर्तन शनैः-शनैः होता है, किन्तु अलंकारों के कारण एक क्षण में (on the spur of the moment) हो जाता है। अलंकारों के कारण अर्थ-परिवर्तन लगभग सभी दिशाओं में होते हैं। इसके अन्तर्गत काव्यशास्त्र के सभी अलंकार लिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ और उदाहरण देकर विषय को समाप्त किया जा सकता है। काला दिल, अन्धा कुआँ, नदी की गोद, पतंग की पूँछ, मधुर गीत, मधुर गन्ध, ठोस कार्य, खोखला आदमी, टेढ़ी बात, पहाड़ की चोटी, कड़ुई बात, आरी के दाँत, बन्दूक का घोड़ा, कलम की जीभ, लकड़ी का हीर कविता की आत्मा, कुर्सी के हाथ, चारपाई के पैर, नदी की शाखा, पहाड़ की जड़ तथा फिटकिरी के फूल आदि।

इन समतामूलक अलंकारों के अतिरिक्त भी कुछ अलंकार हैं। 'आजकल रोटी (खाना) मिलना आसान नहीं है।' 'प्रसाद को (प्रसाद की कृतियों को) पढ़ रहा हूँ।' तथा 'आप गांधी (गांधी जी जैसे महान्) नहीं हैं।' उदाहरण पर्याप्त होंगे। ऊपर के कुछ अन्य कारण भी अलंकार के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, और यहाँ स्पष्टता

के विचार से उन्हें अलग रखा गया है ।'

(२५) दूसरी भाषा का प्रभाव—कभी-कभी दूसरी भाषा के प्रभाव से भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है । इस प्रकार का अच्छा उदाहरण इस सदी में लिखे गए संस्कृत के ग्रंथों में मिल जाता है, जिनमें समारोह (संस्कृत अर्थ चढ़ना या किसी बात पर सहमत होना), समाचार (संस्कृत अर्थ ख्याति, विखरना आदि) अनेक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में प्राप्त अर्थों में न होकर हिन्दी अर्थों में हुआ है । पंजाबी तथा हरियाणी के प्रभाव से दिल्ली आदि में हिन्दी में भी 'मच्छर लड़ रहे हैं' का अर्थ 'मच्छर काट रहे हैं' होने लगा है । वस्तुतः पंजाबी के प्रभाव से हिन्दी 'लड़ना' में 'काटना' का भी भाव आता जा रहा है । दिल्ली में हिन्दी के कॉलेज-प्राध्यापकों के मुँह से भी 'मच्छर लड़ना', 'साँप लड़ना' जैसे प्रयोग 'काटना' के अर्थ में सुनाई पड़ते हैं । पंजाबी साहित्यकारों द्वारा लिखित हिन्दी में 'जलना' के अर्थ में 'सड़ना' (रोटी सड़ गई) भी ऐसे ही उदाहरण हैं । इसी प्रकार, कौरवी तथा हरियाणी भाषी लोगों की हिन्दी में मौसा-मौसी (भाई का ससुर भी मौसा कहलाता है तथा भाई की सास मौसी) । हरियाणी तथा कुछ क्षेत्रों की ब्रजभाषा का व्यक्ति शरारत करके भागते हुए लड़के को संबोधित करके कहेगा—'डट जा अभी आता हूँ ।' यहाँ स्पष्ट ही हिन्दी 'डटना' के अर्थ में विस्तार हो गया है । हिन्दी में इसका अर्थ 'जमना' है, पर इन क्षेत्रों में 'रुकना', 'ठहरना' भी भोजपुरी भाषा की हिन्दी में 'मरम्मत' में 'अच्छे' का भाव आ गया है । मैं स्वयं हिन्दी में 'इन कपड़ों को मरम्मत से रख दो' कहता हूँ । यहाँ 'मरम्मत से' का आशय 'अच्छी तरह' या 'सँभाल कर' है । इस प्रकार, हिन्दी की बोलियों एवं पंजाबी के प्रभाव से अनेक हिन्दी शब्दों के अर्थ में विस्तार होता जा रहा है ।

(२६) किसी ट्रेडनेम का बहुप्रचार से जाति वाचक संज्ञा बन जाना :—
डालडा, सर्फ, विम, कोकाकोला, कैपाकोला ।

इन उपर्युक्त प्रधान कारणों के अतिरिक्त विशेषण का संज्ञारूप में प्रयोग, संज्ञा का क्रिया रूप में प्रयोग आदि अर्थ-परिवर्तन के अनेक और भी कारण हो सकते हैं ।

पर्यायविज्ञान (Synonymics or Synonymology)


'पर्यायविज्ञान' अर्थविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है, यद्यपि इस दिशा में अभी तक बहुत कम काम हुआ है । जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस शाखा में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं । भाषाविज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं की भाँति ही पर्याय-विज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक आदि सभी प्रकार का हो सकता है । वर्णनात्मक में किसी एक काल में किसी भाषा के पर्यायों का अध्ययन करते हैं । पर्यायकोशों का निर्माण तथा पर्यायों में प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अर्थभेद आदि का

१. इन्हें उपचार (metaphor) भी कहा गया है । भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय भाषा के विकास में इसके महत्त्व का संकेत किया जा चुका है । इसे लक्षणा या या लाक्षणिक प्रयोग भी कह सकते हैं । इसमें समता के आधार पर एक शब्द का दूसरे के लिए प्रयोग (कुर्सी के पैर) तथा लेखक का उसकी सारी कृति के लिए प्रयोग (आजकल प्रेमचन्द पढ़ रहा हूँ) प्रादि हैं ।

निर्धारण भी पर्यायविज्ञान के वर्णनात्मक रूप से ही सम्बद्ध है। ऐतिहासिक पर्याय-विज्ञान में किसी भाषा में समय-समय पर हुए पर्याय-विषयक विकासों आदि का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन, दो या अधिक भाषाओं का वर्णनात्मक या ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में हो सकता है। वस्तुतः इन सभी प्रकारों के अध्ययन अभी प्रायः बहुत कम हुए हैं।

‘पर्यायवाची’ या ‘पर्याय’ शब्दों के बारे में प्रायः यह धारणा पाई जाती है कि वे एकार्थी शब्द होते हैं। किन्तु तत्त्वतः यह धारणा भ्रामक है। पर्यायवाची शब्द वस्तुतः प्रायः समानार्थी होते हैं। किसी भी भाषा में सच्चे अर्थों में समानार्थी शब्द प्रायः बहुत ही कम होते हैं।

पर्याय शब्दों के निम्नांकित भेद हो सकते हैं—



एकार्थी या पूर्ण पर्याय—एकार्थी या पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं, जो पूर्णतः एक अर्थ रखते हैं, जिनकी ‘पर्यायता’ पूर्ण होती है। उनमें आपस में कोई भेद नहीं होता। जैसे—संतरा-नारंगी, भावमय-भावपूर्ण। सामान्यतः जिन शब्दों को एकार्थी समझा जाता है, उनमें से प्रायः ६६ प्रतिशत एकार्थी नहीं होते। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में, सारे सन्दर्भों में, यदि बिना अर्थ-परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, ‘मुश्किल’ और ‘कठिन’ दो शब्द हैं। सामान्यतः देखने जाता है, उनमें से प्रायः ९९ प्रतिशत एकार्थी नहीं होते। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में, सारे सन्दर्भों में, यदि बिना अर्थ-परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, ‘मुश्किल’ और ‘कठिन’ दो शब्द हैं। सामान्यतः देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय हैं, किन्तु यदि दोनों के विभिन्न प्रयोगों को देखें तो यह स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि दोनों में अन्तर है। उदाहरणार्थ, एक वाक्य है—‘वह लड़का मुश्किल से पाँच वर्ष का होगा’। किन्तु, इस वाक्य को यों नहीं कह सकते कि ‘वह लड़का कठिन से पाँच वर्ष का होगा’। इसी प्रकार, ‘इस काम में कुछ कठिनाई है’ को ‘इस काम में कुछ मुश्किलाई है’ नहीं कह सकते। इस तरह हिन्दी में यह दोनों शब्द समानार्थी हैं, किन्तु एकार्थी नहीं हैं।

समानार्थी या अपूर्ण पर्याय—वे शब्द जिनमें अर्थ एक न होकर मात्र समान होते हैं। पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जिस भाषा में इस श्रेणी के शब्द जितने ही अधिक होंगे, वह भाषा उतनी ही समृद्ध

१. दे०. लेखक के ‘बृहद् पर्यायवाची कोश’ की भूमिका, तथा ‘शब्दों का अध्ययन’ पुस्तक के ‘अर्थविज्ञान’ तथा ‘प्रयोगविज्ञान’ शीर्षक अध्याय।

होगी। समानार्थी शब्दों के अन्तर प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—शैलिक, वैचारिक एवं प्रायोगिक।

समानार्थी शब्दों में शैलिक अन्तर का अर्थ यह है कि दो या अधिक शब्दों का अर्थ तो प्रायः एक होता है, किन्तु प्रयोग में शैली की दृष्टि से एक रचना या वाक्य में एक ही आ सकता या उपयुक्त लगता है। उदाहरण के लिए, 'सौन्दर्य' और 'खूबसूरती' इन दो शब्दों को लें। इन दोनों के अर्थ में अन्तर नहीं है, किन्तु 'कल्पनालोक की वह अभूत-पूर्व अप्सरा साकार सौन्दर्य थी' वाक्य में सौन्दर्य के स्थान पर 'खूबसूरती' का प्रयोग अच्छा नहीं लगेगा। इजाजत-आज्ञा, बेहद-असीम, जरूर-अवश्य, खुशी-प्रसन्नता, बेशक-निःसन्देह, कठोर-सख्त, आदि जोड़ों का अन्तर भी प्रायः इसी स्तर का है।

क्षेत्रीय पर्याय—अलग-अलग क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे दिल्ली में 'तोरी' इलाहाबाद में 'नेतूवाँ' और बलिया में 'भेजडा' एक ही सब्जी के नाम हैं।

वैचारिक अन्तर का अर्थ है, अर्थ का समीप होना, किन्तु पूर्णतः एक न होना। डॉक्टर-वैद्य-हकीम, केसरिया-पीला-गंधकी मक्तेब-पाठशाला-स्कूल, ठर्रा-ह्विस्की-बियर-ब्राण्डी, दूबिया-मेंहदी-भूंगिया, घोड़ा-टट्टू, देवना-अवलोकन करना-घूरना, आदि उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं।

प्रायोगिक अन्तर का अर्थ यह है कि शैलिक या वैचारिक अन्तर न होने पर भी परंपरागत प्रयोग के कारण एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता। मुहावरों में प्रायः यह देखा जाता है। 'वह पानी-पानी हो गया' को वह 'जल-जल हो गया' नहीं कह सकते। समासों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। उदाहरण के लिए, जल और नीर में प्रायः शैलिक या वैचारिक अन्तर नहीं है, पर 'जलपान कर लीजिए' को 'नीरपान कर लीजिए' नहीं कह सकते। बहुत से शब्दों में शैलिक एवं वैचारिक अन्तर के साथ-साथ भी प्रायोगिक अन्तर मिलते हैं। जैसे "उसके मर जाने के कारण काम रुक गया होगा" एवं 'उसके मर जाने की वजह (से) राम रुक गया होगा' में समानार्थी होने पर भी कारण 'बिना 'से' के प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 'वजह' बिना 'से' के नहीं आ सका है। इस प्रकार, दोनों में प्रायोगिक अन्तर है।

भाषा में पर्यायों के विकास के प्रमुख कारण

(१) अर्थ-परिवर्तन—अर्थ-परिवर्तन के कारण बहुत से शब्द आधिक दृष्टि से दूसरे शब्दों के समीप पहुँच जाते हैं, इस प्रकार पर्यायों में वृद्धि हो जाती है। 'राम' वस्तुतः एक नाम है, किन्तु अर्थ-परिवर्तन के कारण 'राम-राम' एक ओर तो 'छिः-छिः' का पर्याय हो गया, तो दूसरी ओर 'नमस्ते' का। इसी प्रकार, 'रोटी' खाना का, 'लाल भण्डा' कम्प्यूनिज्म का, तथा 'पैसा' धन का पर्याय बन गया है। सभी भाषाओं में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं।

(२) विकास के साथ नया ज्ञान—इसके कारण ज्ञान की परिधि में वृद्धि से पर्यायों में वृद्धि होती है। पहले केवल 'लाल' शब्द रहा होगा, क्योंकि 'लाल' के विभिन्न शेडों के प्रति हम जागरूक न रहे होंगे। अब लाल-सिंदूरी-इंगूरी-गुलाबी-प्याजु-लाखा-तरबूजी-अबीरी-टमाटरी आदि अनेक वैचारिक अन्तर वाले प्रयोग में आने लगे हैं। ठर-बियर-शंपेन-वाइन भी इसी वर्ग के उदाहरण हैं।

(३) विदेशी संपर्क—इसके कारण भी पर्याय बढ़ते हैं। जैसे—सहस्र-हजार, राजा-नादशाह, नारंगी-संतरा, दिया-चिराग, यदि-अगर, अंतिम-आखिरी, अधिकार-काबू, आधु-उध्र, स्त्री-औरत तथा भवन-इमारत बिल्डिंग, आदि। हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि के शब्दों के आने से पर्यायों में बहुत वृद्धि हुई है।

(४) प्रत्यय उपसर्ग आदि व्याकरणिक साधनों का प्रयोग—इनके कारण भी पर्यायों में वृद्धि होती है। जैसे भावमय-भावपूर्ण, धकान-धकावट, अपढ़ अनपढ़, उत्साह-शून्य-उत्साहहीन, सुन्दरता-सौन्दर्य संबंधित तथा संबद्ध, आदि।

(५) अनुवाद—तोशलिज्म-समाजवाद, कम्युनिज्म-सास्यवाद, गवर्नर-राज्यपाल, वाइसचांसलर-उपकुलपति। हिन्दी में इधर प्रायः १५ वर्षों में इस प्रकार के अनेक पर्याय आए हैं।

(६) पुराने शब्दों का लाया जाना—बनारस-वाराणसी, भुह-मुख, पत्ता-पत्र पोथी-पुस्तक। हिन्दी में भक्तिकाल एवं छायावादी काल में तथा स्वतंत्रता के अनेकानेक पुराने शब्द लाए गये हैं, और इनके आगमन से पर्याय की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(७) संक्षेप—ट्यूबरलोसिस-टीबी, भारतवर्ष-भारत, हिन्दुस्तान हिन्द, पाकिस्तान-पाक; इस प्रकार के पर्याय अधिक नहीं मिलते।

(८) जनभाषा से शब्दों का लिया जाना—आंचलिक कहानियों, उपन्यासों से इस प्रकार के शब्द हिन्दी में इधर बहुत आए हैं। स्थानीय रंगत (local colour) देने के लिए या प्रमीण पात्र की भाषा स्वाभाविक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, अच्छा-नीक, लड़का-गदला तथा दोखना-लौकना आदि।

(९) ध्वनि-परिवर्तन—इसके कारण भी पर्याय विकसित हो जाते हैं : कृष्ण-कान्ह, दधि-दही, काठ-काठ, हस्ती-हाथी आदि।

पर्याय केवल शब्द ही नहीं होते, वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरणार्थ '—मैं नहीं जाऊँगा', 'मैं नहीं जाने का', 'वह पढ़ा-लिखा नहीं है'—'वह अनपढ़ है', 'वह लड़का चला गया जो आया था'—'जो लड़का आया था, चला गया, तथा 'मैंने उससे बैठने को कहा'—'मैंने उससे कहा कि तुम बैठो'।

विलोमता

एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम, विपर्याय या विपरीतार्थी कहे जाते हैं। जैसे पतला-मोटा, छोटा-बड़ा। एक शब्द का विलोम प्रायः एक ही शब्द होता है जैसे बुद्धिमान-बुद्धिहीन, खूबसूरत-बदसूरत किन्तु यदि विलोमता के अलग-अलग आधार हों तो एकाधिक विलोम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शासक शासित के आधार पर 'राजा' का विलोम 'प्रजा' है, तो धन के आधार पर 'रंक' है तथा लिंग के आधार पर 'रानी' है। यों यह काफी विवाद का विषय है कि वचन (घोड़ा-घोड़ों) तथा लिंग (घोड़ा-घोड़ी) आदि के आधार पर शब्दों की विलोमता मानी जाए या नहीं। यह आवश्यक नहीं कि सभी शब्दों के विलोम हों ही। उदाहरण के लिए 'घास' 'मकान' 'कलम' आदि के विलोम नहीं होते। विलोम कभी तो केवल अर्थ में विरोधी होते हैं (राजा-रंक, स्याह-सफेद) किन्तु कभी-कभी अपनी संरचना (सत्य-असत्य, यश-

अपयश, आशा-नराशा, कृतज्ञ-कृतघ्न नेकनाम-बदनाम) में भी विलोम होते हैं। विलोम-शब्द तो होते ही हैं, वाक्य (राम गया-राम नहीं गया) भी होते हैं।

(क) अनेकार्थता (Polysemy)

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन अर्थ के धारण करने पर भी पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता और ऐसी दशा में कभी-कभी तीन-चार अर्थ एक ही समय में चलते रहते हैं। कभी वह सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो कभी विस्तृत में, और कभी स्थूल में तो कभी सूक्ष्म में। ऊपर हाथ, पैर तथा कान आदि के कुछ उदाहरण दिये जा चुके हैं।

'जड़' शब्द का 'पेड़ की जड़', 'रोग की जड़ें', 'झगड़े की जड़' आदि में आज प्रयोग चल रहा है। इसी प्रकार 'मूल' शब्द भाषा-विज्ञान, दर्शनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित तथा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त हो रहा है। 'धातु' और 'योग' की भी यही दशा है। अंग्रेजी का शब्द 'की' (key) या हिन्दी का 'कुन्जी' असल में यंत्रशास्त्र से संबद्ध है, पर अब किताब की कुन्जी, समस्या की कुन्जी आदि प्रयोग भी साथ-साथ चल रहे हैं।

संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे हैं कि इस बात का विश्लेषण आज असम्भव-सा है कि उनका इतने अधिक अर्थों में प्रयोग का प्रचलन कैसे हो गया है। उनके अर्थ-परिवर्तन विल्कुल असाधारण से हैं। उदाहरण के लिए, हम लोग कुछ ले सकते हैं—

सारंग—बाज, कोयल, मोर, पपीहा, चातक, भ्रमर, खंजन, सूर्य, चंद्रमा, कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोड़ा, मृग, साँप तथा पृथ्वी आदि ५० से भी अधिक अर्थ हैं।

हरि—विष्णु, इन्द्र, बन्दर, घोड़ा, सिंह, चन्द्रमा, पानी, साँप तथा अग्नि आदि पचीसों अर्थ हैं।

हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ कूट छन्दों में एक ही पंक्ति में ऐसे शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग मिलता है। ये प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण अवश्य नहीं हैं, पर इनके इतने अधिक अर्थों के होने की समस्या अवश्य ही भाषाविज्ञान के अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत आती है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि या तो इन विभिन्न अर्थों का कुछ सम्बन्ध शब्द की धातु में होगा, या फिर बलात् ही इतने अर्थ शब्द पर लाद दिये गये होंगे। अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, पर उनके एक-दूसरे से इतने असंबद्ध अर्थों की संख्या पचास तक नहीं पहुँचती।

भाषा में अनेकार्थता कई कारणों से विकसित हो जाती है—(१) लक्षणा से—जैसे 'पानी' का मूल अर्थ 'जल' है किन्तु हिन्दी में लक्षणा से 'पानी' के अर्थ 'चमक' (उस मोती में पानी नहीं है) तथा 'काँति' (उसके चेहरे पर बहुत पानी है) आदि भी हो गए हैं। (२) साहस्य से—जैसे 'घोड़ी' का मूल अर्थ 'मादा घोड़ा है' किन्तु साहस्य के आधार पर चार पैर के उस ऊँचे स्टूल को भी घोड़ी कहते हैं जिस पर चढ़ कर मकान की सफाई-पुताई आदि करते हैं। (३) व्याकरणिक प्रक्रिया से—हिन्दी में 'खिलाना' के दो अर्थ हैं उस लड़के को खाना खिला दो, उस लड़के को गेंद खिला दो। वस्तुतः 'खाना' और 'खेलना' दोनों के प्रेरणार्थक रूप हिन्दी में 'खिलाना' है, इसीलिए इसके दो अर्थ हैं। यों तत्त्वतः ये दोनों 'खिलाना' समध्वनीय दो शब्द हैं, किन्तु साधारणतः यह

अनेकार्थक शब्द माना जाता है। (४) बहुस्रोतता से—कई अलग स्रोतों से विकसित शब्द यदि समद्वनीय हों तो वे भी अनेकार्थक कहे जाते हैं। जैसे हिन्दी में 'आम'। इसका एक अर्थ 'एक फल' है तथा दूसरा अर्थ सामान्य है। फलार्थी आम संस्कृत 'आम्र' से विकसित है तो सामान्यार्थी 'आम अरबी आम से। तत्त्वतः ये भी दो शब्द हैं, किन्तु साधारणतः एक माने जाते हैं। '३' तथा '४' को एक में भी रखा जा सकता है। (५) संहिता से—भूषण की पंक्ति 'तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के 'में बरछी ने' तथा 'बर छीने' के अर्थ का अंतर 'संहिता' के परिवर्तन से है। साहित्य में ऐसे प्रयोग भी अनेकार्थी माने जाते हैं।

अनेकार्थी केवल शब्द ही नहीं होते। वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरणार्थ 'तुम्हें मुझे दो रुपए देने हैं' 'यह राम की तस्वीर है' 'राम की लकड़ी की आलमारी' तथा 'सुन्दर फूल और पत्र' आदि। इस प्रकार की अनेकार्थना आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है।

रोटी

१. आजकल रोटी का क्या प्रबन्ध है ?
२. बिना नमक की रोटी पर कौन काम करेगा ?
३. गेहूँ की रोटी।
४. घनिक गरीबों के खून की रोटी खाते हैं।

प्रचलित प्रयोगों में अलंकार का हाथ अधिक है। संक्षेप में कहने की प्रवृत्ति ही इतने अर्थों को जन्म देती है, और सम्भवतः इसी कारण वे एक ही समय में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त भी होते रहते हैं।

(ख) एक मूलोय भिन्नार्थक शब्द (Doublets)

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक मूल से निकले या एक ही शब्द की ध्वनि की दृष्टि से दो भिन्न रूपों का अर्थ भिन्न हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण ऊपर अर्थ-परिवर्तन के कारणों के विवेचन में आ चुके हैं।

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मूल या शुद्ध शब्द तो अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है और विकसित या विकृत शब्द कुछ नीचे या बुरे अर्थ में। जैसे स्थान, थान; गर्भिणी, गाभिन; ब्राह्मण, बाम्हन; भोग, भोजन; तथा कर्त्तव्य, करतव आदि।

कुछ शब्दों में अर्थ बहुत दूर चला जाता है। पक्षी का अर्थ चिड़िया है, पर उसी से निकले पंखी शब्द का अर्थ 'हवा करने वाला पंखा' है। क्षीर, खीर, कोण, योनिया, पर्ण, पान, पन्ना तथा पत्र, पत्ता, पतई, पातर आदि भी ऐसे ही एक मूलोय भिन्नार्थक शब्द हैं।

(ग) समद्वनीय भिन्नार्थक शब्द (Homonym)^१

कुछ शब्द ध्वनि की दृष्टि से बिल्कुल एक से रहते हैं, पर उनका मूल भिन्न होता है। इसीलिए, अर्थ में बहुत अन्तर रहता है। जब तक वाक्यों में ये प्रयुक्त न रहें,

१. अंग्रेजों में इसे Homophone भी कहते हैं।

इनके अर्थ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हिन्दी के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द उदाहरण के लिए जा सकते हैं :

	संस्कृत	अरबी
आम (फल)	आम्र	आम (साधारण)
सहन (बर्दाश्त)	सहन	सहन (आँगन)
कुल (परिवार)	कुल	कुल (समस्त)

अंग्रेजी में भी hare, hair, I, eye, awl. all. आदि शब्द इसी के उदाहरण हैं।

बौद्धिक नियम (Intellectual Laws of Language)

पीछे देखा जा चुका है कि शब्दों के अर्थ का विकास तीन दिशाओं—विस्तार, संकोच, आदेश में होता है और इन विकासों के पीछे कुछ कारण काम करते हैं। इन कारणों में ग्रील आदि के अनुसार कुछ बुद्धिगत कारण भी होते हैं; अर्थात् हम जान-बूझकर कभी-कभी कुछ परिवर्तन कर देते हैं, या कुछ परिवर्तनों में बुद्धि का भी योग रहता है। इस प्रकार के परिवर्तनों (बुद्धि-प्रसूत) के कारणों का विचार कर जो नियम निर्धारित किए गये हैं, उन्हें बुद्धि-नियम या 'बौद्धिक नियम' की संज्ञा दी गई है।

ग्रील ने ही सबसे पहले अर्थ के अध्ययन के सिलसिले में बौद्धिक नियमों की बात उठाई। बाद में वुंट, स्पर्वर, ल्यूमन, कैरोनी, स्टर्न सरकार आदि विद्वानों ने इस प्रकार के नियमों पर विचार किया, लेकिन बीसजर्वर तथा टकर आदि ने इस प्रकार के नियमों का विरोध किया। इस प्रसंग में विचार करते हुए ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषाविज्ञानविद् डॉ० उल्मन ने ग्रील के इन नियमों को असंतोषजनक माना।

नीचे इस तथाकथित बौद्धिक नियम के अंतर्गत पराम्परागत रूप से लिये जाने वाले नियम आलोचना के साथ संक्षेप में दिये जा रहे हैं।

(१) विशेषीकरण या विशेष भाव का नियम (Law of Specialization)—

इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है : किसी एक भाव, रूप या सम्बन्ध आदि को व्यक्त करने के लिए कभी अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों और फिर धीरे-धीरे उनमें केवल एक-दो शेष रह जायें तो इसे विशेष भाव का नियम कहते हैं, क्योंकि प्रयोक्ता एक या दो को ही उन सारे के स्थान पर विशेष (special) रूप से प्रयुक्त करने लगता है। इस प्रसंग में ग्रील तथा सरकार आदि ने भारतीय परिवार की प्राचीन भाषाओं में प्रयुक्त तुलनासूचक (comparative) और सर्वाधिकतासूचक (superlative)

।। बौद्धिक नियमों का विवेचन सर्वप्रथम ग्रील ने किया। इसी आधार पर भारत में हेमन्त कुमार सरकार ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। गुणे ने भी इस विषय को संक्षेप में लिखा है। श्यामसुन्दर दास ने सरकार के आधार पर ही इन्हें हिन्दी जनता के समक्ष रखा। इस अंश के लिखने में इन सभी द्वारा प्रस्तुत सामग्री उपयोगी सिद्ध हुई है। दुःख है कि प्रस्तुत लेखक उनके बहुमूल्य निष्कर्षों से प्रायः सहमत नहीं हो सके हैं।

प्रत्ययों को लिया है और वे कहते हैं कि आरम्भ में इस काम के लिए कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन बाद में एक ही प्रत्यय विशेष रूप से प्रयुक्त होने लगा। यदि संस्कृत के उदाहरण लेना चाहें तो कह सकते हैं कि पहले तुलनासूचक प्रत्यय तरप् (तर - कुशलतर, लघुतर, महत्तर, धनितर) और ईयसुन् (ईयस्-पट्ट से पटीयस्, धनिन् से धनीयस्, गुरु से गरीयस् तथा प्रिय से प्रेयस् आदि) दो थे।^१ इसी प्रकार सर्वाधिकता-सूचक प्रत्यय भी तमप् (तम—कुशलतम, लघुतम, महत्तम, धनितम) और इण्ठन् (इण्ठ—पटिण्ठ, धनिण्ठ, गरिण्ठ, प्रेण्ठ) दो थे।^२ बाद में 'तर' और 'तम' का प्रचलन कम हो गया और 'ईयस्' और 'इण्ठ' ही अधिक प्रयुक्त होने लगे। यहाँ दो बातें कही जा सकती हैं—(१) इस प्रकार, बहुल के स्थान पर एक या कम का प्रयोग विशेष भाव या विशेषीकरण का नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु क्या सचमुच इसका अर्थ से विशेष सम्बन्ध है जैसा कि अनेक विद्वानों के अर्थविज्ञान के अध्याय के सिलसिले में इस पर विचार करने से प्रकट होता है। सच पूछिये तो यदि इस प्रकार के कुछ शब्दों या प्रत्ययों का प्रयोग पूर्णतः बन्द हो जाय तो उसे प्रत्यय या शब्द का लोप कहा जा सकता है, इसी प्रकार यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो कहा जा सकता है, किन्तु यह अर्थ-परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अर्थ के लिए अनेक के स्थान पर कम या एक शब्द (या प्रत्यय) का प्रयोग इसमें होता है और इसका अर्थ से इतना ही सम्बन्ध है जो निश्चय ही नहीं के बराबर है। (२) दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह बौद्धिक नियम है? सच पूछा जाय तो यह प्रवृत्ति सरलता की दृष्टि से, अनेकरूपता से एकरूपता की ओर जाने की है, और इस प्रकार इसे प्रयत्न-लाघव या याद करने में श्रम-लाघव ही कह सकते हैं। धीरे-धीरे सादृश्य (analogy) के कारण यह होता है। इसके घटने में बुद्धि प्रत्यक्षतः कोई काम नहीं करती। हाँ, परोक्षतः अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः तो ध्वनि, रूप, वाक्य आदि अन्य में भी काम करती है, तो क्या सभी के नियम बौद्धिक नियम हैं? शायद नहीं। इस प्रकार, इसके लिए बौद्धिक नियम का नाम जितना सार्थक है, उतना ही निरर्थक भी।

विशेष भाव के नियम के दूसरे प्रकार के उदाहरणों के रूप में पुरानी भाषाओं के रूपों की विभक्तियों के स्थान पर कारक-चिह्नों या परसर्गों का प्रयोग माना जाता है। उदाहरणार्थ, 'रामस्य' के स्थान 'पर राम का' अर्थात् '-स्य' विभक्ति के स्थान पर 'का'। इस प्रसंग में कहा जाता है कि ये शब्द अपना अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष व्याकरणिक अर्थ देने लगते हैं। अर्थात्, उनका अलग व्यक्तित्व (अर्थयुक्त) समाप्त हो जाता है। सब पूछा जाय तो अर्थदिश के अन्य उदाहरणों से तात्त्विक दृष्टि से इस वर्ग के उदाहरणों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं है, साथ ही जान-बूझकर या बुद्धि के

१. द्विवचनविभज्योपपदे तरन्-इयुनौ (पाणिनि)

२. प्रतिशायने तमविण्ठनौ (पाणिनि)

प्रयत्न से इनका प्रयोग भले हो, अर्थ का यह परिवर्तन (या व्यक्तित्व खोकर functional word बन जाना) बौद्धिक प्रयास से उत्पन्न न होकर बहुत सहज है। ऐसी स्थिति में इसे भी बौद्धिक नियम के अन्तर्गत मानना सार्थक नहीं कहा जा सकता।

बौद्धिक नियम के रूप में तो नहीं, किन्तु यों अर्थविज्ञान और अर्थ-परिवर्तन के अन्तर्गत ऐसे शब्दों का अर्थ-विकास 'विशेष भाव का नियम' माना जा सकता है, जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता था, और बाद में विशेष अर्थ रखने लगा। उदाहरणार्थ, द्रविड़ शब्द 'पिल्ला' का प्राचीन अर्थ था सामान्य रूप से 'बच्चा' या 'शावक', किन्तु हिन्दी आदि में वह अपनी सामान्यता खोकर विशेष अर्थ (कुत्ते का बच्चा) रखने लगा। कहना न होगा कि अर्थ-संकोच के सभी उदाहरण इसी श्रेणी के हैं।

(२) अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम (Law of Irradiation)—उद्योतन या irradiation का अर्थ है 'चमकना'। जब शब्द में एक नया अर्थ चमक जाता है तो उसे इस नियम में रखते हैं। इसके अन्तर्गत कई प्रकार की अर्थ-विकास की प्रवृत्तियाँ ली जाती हैं : (१) कभी-कभी देखा जाता है कि कोई प्रत्यय किसी अच्छे अर्थ से सम्बद्ध हो जाता है, (२) और कभी इसके उल्टे किसी बुरे अर्थ से। (३) कभी-कभी अच्छा या बुरा आदि न होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता है। (४) कभी-कभी सादृश्य के आधार पर एक शब्द के समानान्तर बहुत से शब्द बन जाते हैं, और फिर उन सबके आधार पर मूल शब्द की प्राकृति का कोई अंश ही प्रत्यय मान लिया जाता है, और इस प्रकार उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। (५) इसी प्रकार, कभी-कभी पूरी प्रकृति प्रत्यय बन जाती है। ये सारे विकास अर्थोद्योतन के हैं।

कुछ प्रत्ययों के उदाहरण लिये जा सकते हैं। जर्मन प्रत्यय—hard का विकासित रूप—ard के रूप में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका अर्थ खराब नहीं था। अंग्रेजी में भी standard या placard में इसका अर्थ बुरा नहीं है; लेकिन संयोग से इसका प्रयोग बुरे शब्दों के साथ विशेष हुआ, अतः अब यह बुरे अर्थ का ही प्रत्यय माना जाता है, जैसे dullard, coward, sluggard, drunkard या pastard आदि में।—ish की भी यही दशा है। आरम्भ में यह विशेषण बनाने का सामान्य प्रत्यय था, जैसे पुरानी अंग्रेजी में soloish (=popular) या English, Danish, British। बाद में रंगों को हलका रूप देने के लिये इसका प्रयोग होने लगा जैसे reddish, brownish, whitish। अब इसका प्रयोग बुरे अर्थों के प्रत्यय के रूप में अधिक प्रचलित है, जैसे hellish, devilish, knavish, fiendish, foolish, thievish, childish, boyish, girlish, foppish तथा swinish आदि। हिन्दी का 'हा' प्रत्यय पहले सामान्य अर्थ देता था, जैसे बइरहा, मरकहा या नरखहा, कटहा, कुलिहा, पुरविहा, पछवँहा, उतरहा, किन्तु अब इसका प्रयोग घमंड के अर्थ में विशेष हो रहा है। 'रूपयहा' का अर्थ केवल 'रूपये वाला' नहीं है, अपितु है 'जिसे अपने रूपये का घमंड हो'। मोटरहा, सर्वगहा, कुर्सीहा, कितबहा भी ऐसे ही हैं। 'देहात' में 'ई' लगा कर 'देहाती' शब्द बना। गलती से किसी ने इसमें 'ई' के स्थान पर 'आती' को प्रत्यय

समझ लिया और इसे जोड़कर 'शहर' से 'शहराती' कर डाला। 'शहराती' शब्द कुछ क्षेत्रों में अब भी प्रयोग में है। 'पश्चात्' से बने शब्द 'पाश्चात्य' में 'आत्य' प्रत्यय समझा गया और इसी आधार पर लोगों ने दाक्षिणात्य और पौर्वत्य शब्द चला दिये हैं। अंग्रेजी में ग्रीक और लैटिन से आया—ic प्रत्यय है; civic, linguistic आदि में। इस तरह के ऐसे शब्द पर्याप्त हैं जिनके अंत में ic के पूर्व t भी होता है (जैसे rustic, cosmetic, acoustic आदि)। दोनों को मिलाकर लोगों ने 'टिक' प्रत्यय समझ लिया और बलिया से बना डाला 'बलियाटिक'। यह शब्द लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में अब भी मूर्खों के अर्थ में चलता है।¹ इसी प्रकार Asiatic भी।

सच पूछा जाय तो किसी भी शब्द में नये अर्थ की चमक आ जाना उद्योतन हुआ, इसे केवल प्रत्यय तक सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता, जैसा कि प्रायः भाषाविज्ञान के आचार्यों ने किया है। साथ ही अन्य नियमों की भाँति इसे भी बौद्धिक नियम कहना बहुत उचित नहीं लगता, क्योंकि यह उद्योतन प्रायः आ जाता है, लाया नहीं जाता।

(३) विभक्तियों के अवशेष का नियम (Law of Survival of Inflections)—संयोगात्मक भाषा में विकास होते-होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि-लोप के कारण विभक्तियों का लोप हो जाता है और उस विभक्ति के भाव को व्यक्त करने के लिये अलग से शब्द जोड़े जाने लगते हैं। संस्कृत की कारक-विभक्तियाँ इसी प्रकार समाप्त हो गईं और उनके स्थान पर कारक-चिह्न या परसर्गों का प्रयोग हिन्दी आदि में चलने लगा, लेकिन अब भी कुछ पुराने रूप चल रहे हैं, जैसे कृपया, हठात्, दैवात्, आदि। यही विभक्तियों के अवशेष का नियम है। डॉ० श्यामसुन्दर दास आदि ने अर्थ-विज्ञान के अध्याय में इसे स्थान तो दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अर्थ-विज्ञान से इसका क्या सम्बन्ध है। सामान्यतः यह मात्र रूप-विचार से संबद्ध लगता है, क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों में पुराने रूप बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना अर्थ-विज्ञान से इसका सम्बन्ध बतलाये, इसे भाषाविज्ञान की इस शाखा में रखने का कोई अर्थ नहीं है। यों इस तरह के उदाहरणों का सम्बन्ध अर्थ-परिवर्तन से न हो, ऐसी बात नहीं है। समय बीतने के साथ ऐसे शब्द के बारे में लोग यह भूलते जाते हैं कि इसमें कारक विशेष की विभक्ति है और एक अव्यय के रूप में उस पूरे (प्रकृति+विभक्ति) का प्रयोग ही चलने लगता है। आज कृपया को 'कृपा' के कारण कारक के रूप में हम नहीं लेते, अपितु 'कृपा करके' के अर्थ में उसे एक शब्द के रूप में लेते हैं। इस प्रकार, उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अर्थ-परिवर्तन से कुछ संबद्ध होने पर भी पीछे अन्य के बारे में बताये गये कारणों के कारण ही इसे भी 'बौद्धिक नियम' संज्ञा का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

ऊपर हमने जो उदाहरण लिए, उनमें विभक्ति के साथ मूल भी सुरक्षित है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ केवल विभक्ति सुरक्षित है। भोजपुरी रूप 'घरे'

१. भागे आने वाले भ्रम के नियम से इस नियम का साम्य है। यहाँ भी नये अर्थ किसी न किसी प्रकार के भ्रम के कारण ही आये हैं।

‘दुवारें’ में सप्तमी —ए स्पष्ट है। किन्तु, इनका सम्बन्ध अर्थविज्ञान से उस रूप में सम्भवतः नहीं है। इसी प्रसंग में दो-तीन अन्य प्रकार के उदाहरण भी डॉ० दास आदि ने दिए हैं, किंतु वे भी अर्थ के अध्ययन से सुसंबद्ध नहीं माने जा सकते।

(४) भ्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम (Law of False Perception)—
कभी-कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसे और का और समझ लेते हैं और फलतः उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यही मिथ्या प्रतीति का नियम है। ‘असुर’ हमारा पुराना शब्द है। इसका अर्थ था ‘देवता’। हमारे ‘असुरोमेधास्’ ही पारसियों के देवता अहुरमज्दा (ahuro mazda) थे। आर्यों और पारसियों के संघर्ष के बाद हमारे यहाँ ‘असुर’ का अर्थ ‘राक्षस’ हो गया। ‘अ’ नकारात्मक उपसर्ग पहले से था; असुर-के ‘अ’ को वही समझा गया, और फल यह हुआ कि ‘सुर’ का अर्थ देवता मान लिया गया, और ‘असुर’ का अर्थ ‘जो देवता न हो’। इस प्रकार, ‘असुर’ के ‘अ’ और ‘सुर’ जो पहले अलग-अलग निरर्थक-से थे, अब सार्थक हो गये। संस्कृत के बहुत से शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान न होने से हमने उन्हें सामान्य समझ लिया, इस प्रकार उनका भी अर्थ बदल गया। ‘श्रेष्ठ’ का मूल अर्थ है ‘सबसे अच्छा’। यह ‘प्रशस्य’ में ‘इष्टन्’ जोड़ने से बना है। इसमें प्रत्यय-प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अतः इसे मूल शब्द समझ लिया गया। अब प्रयोग चलता है, ‘वह सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ है।’ ‘ज्येष्ठ’ की भी यही स्थिति है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की बहुत-सी सुप या तिङ्-विभक्तिर्या मूलतः उस अर्थ की नहीं थीं, जिनमें अब प्रयुक्त होती हैं, अपितु कुछ शब्दों के अन्त के एक से ध्वनि-समूह मात्र थीं। भ्रम से उन्हें उस विशेष कार्य की विभक्ति मान लिया गया और प्रयोग चल पड़ा। इस प्रकार, उनमें स्वतन्त्र रूप से नये अर्थ आ गए।

भ्रम के कारण कभी-कभी दुहरे प्रयोग भी चल पड़ते हैं। इसके कारण भी अर्थ प्रभावित होता है। परन्तु, फिर भी (एक का प्रयोग होना चाहिए), लेकिन फिर भी (एक का प्रयोग), दरअसल में (में और दर एक अर्थ रखते हैं), दरहकीकत में, गुलाबजल (जल-आब एक हैं), काबुलीवाला (ई-वाला एक है), गुलरोगन का तेल (रोगन=तेल), गुलमेंहदी का फूल (गुल=फूल), हिमाचल पर्वत (अचल=पर्वत), विंध्याचल पर्वत, मलयगिरि पर्वत आदि इसके उदाहरण खोजे जा सकते हैं।

यह नियम अर्थ से पूर्णतया संबद्ध है, साथ ही किसी सीमा तक इसे बौद्धिक नियम भी कहा जा सकता है, यद्यपि इसका प्रारम्भ बुद्धिभ्रम से है।

(५) भेद, भेदीकरण या भेदभाव का नियम (Law of Differentiation)—
पर्याप्त या समानार्थी शब्द जब अपनी आंतरिक अभेदता अर्थात् एकार्थता छोड़ देते हैं और उनके अर्थों में अंतर या भेद हो जाता है तो इस प्रवृत्ति या प्रक्रिया को भेदीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, डॉक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थतः एक ही अर्थ रखते हैं। अंग्रेजी वाले के लिए सभी चिकित्सक डॉक्टर हैं, अरबी वाले के लिए सभी हकीम हैं और संस्कृत वाले के लिए सभी वैद्य हैं, किन्तु अब हिन्दी में वे तीनों पर्याय शब्द

भिन्नार्थी हो गये हैं, अर्थात् इनमें भेदभाव हो गया और डॉक्टर एलोपैथी या ह्यामिया-पैथी का है, हकीम यूनानी का है और वैद्य आयुर्वेद का। इनके इस विकास में भेदीकरण के नियम ने काम किया है। ये तीनों शब्द तीन भाषाओं के थे। एकभाषा के शब्दों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। अंग्रेजी में child, tot, mite, imp, brat, calf, kid, colt, cub, urchin आदि एक दर्जन से ऊपर शब्द हैं, जिनका अर्थ 'बच्चा' है। अब इनका प्रयोग एक अर्थ में नहीं होता। child, tot, mite, imp और brat में उम्र या अच्छाई-बुराई आदि की दृष्टि से अन्तर हो गया है तो child, calf, colt, cub, kid आदि विभिन्न जीवों के बच्चों के नाम हो गए हैं। इस प्रकार, इनमें भेदीकरण आ गया है। एक तत्सम शब्द से विकसित तद्भव शब्दों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे सं० वत्स से बच्चा (आरमी), बछेड़ा (बाढ़ा) और बाछा (गाय), या सं० पत्र से पत्ता (पेड़ या ताश); पत्तर (धातु); पतरी (जे ही पतरी में चायें, वो ही में छेद करें) या पत्तल (पत्ते का बना)।

सच पूछा जाय तो यह भी अर्थ-संकोच है, जो कभी-कभी अर्थदिश रूप में भी दिखाई देता है। विशेष भाव के प्रसंग में अन्त में दिये गये उदाहरणों में इनमें मात्र अन्तर यह है कि उसमें एक शब्द में संकोच देखा गया था, यहाँ समानार्थी कई शब्दों में तुलनात्मक दृष्टि से वह देखा जा रहा है।

इस प्रसंग में यह जोड़ देना आवश्यक है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द प्रायः नहीं होते। व्यर्थ में एक भाव के लिए दो शब्दों का भार भाषा वर्दाशत नहीं कर सकती। बोलचाल की भाषा तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करती, साहित्यिक भाषा में भी विशुद्ध पर्याय अपवादस्वरूप ही शायद कुछ मिलें तो मिलें। कोशों के अर्थ के आधार पर हम प्रायः जिन शब्दों की पर्याय समझते हैं, वे वस्तुतः पर्याय होते नहीं। यह ध्यातव्य है कि शुद्ध भाषावैज्ञानिक दृष्टि से एक शब्द के सारे प्रयोगों के स्थान पर यदि दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द रखा जाय और अर्थ या उसकी सूक्ष्म छाया में कोई जरा भी भेद न पड़े, तब वे दो शब्द पर्याय कहे जायेंगे। ऐसी स्थिति शायद ही कभी मिले। इसीलिए, पर्याय का अर्थ 'बिल्कुल समानार्थी' शब्द नहीं है, अपितु 'मिलते-जुलते अर्थों वाले शब्द' है।

'जल' और 'पानी' पर्याय समझे जाते हैं। सामान्य दृष्टि से यह ठीक है, लेकिन सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हर स्थान पर एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। 'जल पी लो', 'पानी पी लो' में सामान्यतः कोई अन्तर नहीं है, लेकिन 'जलपान कर लो' के स्थान पर 'पानीपान कर लो' कभी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, वह 'उपवन-उपवन' या 'बगीचा-बगीचा' हो गया भी नहीं कहा जा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि 'बाग' के ये सच्चे पर्याय नहीं हैं। यही बात प्रायः सभी तथाकथित पर्यायों के बारे में सत्य है। डॉक्टर अँग्रेजों के लिये, हकीम अरब के लिए, वैद्य संस्कृतज्ञ के लिए निश्चय ही समानार्थी थे, किन्तु ज्योंही ये

तीनों हिन्दी में आये, इनके साथ इनकी परम्परागत औषध-पद्धतियों भी आईं; इस प्रकार, आरम्भ से ही इनमें इस प्रकार का अन्तर था।

सूक्ष्मता से विचार करने पर ऐसा आधार मिलता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में समानार्थी शब्द प्रायः नहीं होते। जो समानार्थी लगते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ भेद रहता है और उस भेद के विकास को ही हम भेदीकरण मानते हैं। बुद्धि जानबूझकर ऐसा कोई भेद शायद नहीं उपस्थित करती। इसीलिए, अन्वयों की भाँति यह भी बौद्धिक नियम संज्ञा का अधिकारी नहीं है।

(६) सादृश्य का नियम (Law of Analogy)—इस नियम को डॉ० श्याम-सुन्दर दास ने 'उपमान का नियम' कहा है। वस्तुतः यह उपमान का नियम न होकर 'सादृश्य' या 'समानता' का नियम है। इसके सम्बन्ध में ब्रील कहते हैं, "मनुष्य स्वभावतः अनुकरणप्रिय प्राणी है। यदि उसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई नया शब्द बनाना होता है, तो वह किसी पहले से वर्तमान शब्द के सादृश्य (analogy) पर नये शब्द का निर्माण कर लेता है।" पुराने शब्दों या रूपों के आधार पर नये शब्दों या रूपों को गढ़ लेना ही सादृश्य का नियम है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में धातु में 'आ' जोड़कर भूतकालिक कृदन्त बनाते हैं। जैसे 'पड़' से 'पड़ा', 'लिख' से 'लिखा', 'रुक' से 'रुका' आदि। इसी आधार पर लोग 'कर' से 'करा' बना लेते हैं, और प्रयोग करते हैं। यों 'कर' का परम्परागत रूप 'किया' है। इस प्रकार, शब्दों के सादृश्य पर दूसरे शब्द बना लेना 'सादृश्य का नियम' है। इस प्रसंग में कई उदाहरण दिये जाते हैं। कुछ यहाँ देखे जा सकते हैं। मूल भारोपीय भाषा में उत्तम पुरुष के लिए वर्तमानकालिक रूप बनाने में '-* मि' तथा '-ओ' दो प्रत्ययों का प्रयोग चलता था। प्रथम का प्रयोग अथीमटिक (nonthematic) धातुओं में तथा दूसरे का थीमटिक धातुओं में होता था। संस्कृत में हम देखते हैं कि सर्वत्र '-मि' का ही प्रयोग है। इसका आशय यह है कि '-मि' अंत वाले रूपों के सादृश्य पर ही संस्कृत के सारे रूप धीरे-धीरे बन गए '-ओ' वाले रूप वैदिक 'ब्रवो' आदि कुछ में ही हैं। दूसरी ओर, ग्रीक में इसके ठीक उल्टा हुआ और कुछ अपवादों को छोड़ कर सभी रूप '-ओ' अंत वाले रूपों के आधार पर बनने लगे। जैसे सं० 'भरामि' के स्थान पर *psero*। लैटिन *fero* भी वही है। इस तरह कुछ रूपों के सादृश्य पर रूप बन जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत में संज्ञा की करण एकवचन विभक्ति मूलतः '-आ' थी। वैदिक संस्कृत में 'यज्ञा', 'महित्वा' आदि उदाहरण के लिए देखे जा सकते हैं। बाद में 'मे' सर्वनामों (जहाँ '-न' मूलतः था, सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० फारसी त्यना) के सादृश्य पर संज्ञा शब्दों में भी '-न' आ गया। इसी प्रकार, मूलतः भारोपीय सम्बन्ध कारक की बहुवचन विभक्ति '-आम्' थी। उदाहरणार्थ, ग्रीक *ippon*, लैटिन *deum*, वैदिक चरताम्, नराम् 'न्' अन्त वाले प्रातिपादिकों के रूपों, जैसे 'आत्मनाम्' के सादृश्य पर बाद में बहुतों के अन्त में 'आम्' के स्थान पर 'नाम्' लग गया। इस प्रकार के रूप भारत में आयों के आने से पहले ही बनने लगे थे, क्योंकि प्राचीन फारसी में भी बग (एक देवता) से 'बगा-

नाम्' रूप मिलता है। अंग्रेजी में इसी प्रकार निर्वल क्रिया '-ed' से बनने वाले रूपों के सादृश्य पर बहुत अधिक क्रियाएँ अपना रूप चलाने लगीं। यदि चासर, शेक्सपीयर तथा आज की अंग्रेजी की तुलना करें तो ऐसी अनेक क्रियाएँ मिलेंगी, जो कभी सबल थीं, किन्तु आज निर्वल हो चुकी हैं। ग्रील के अनुसार, इस प्रकार के रूप (क) अभिव्यक्ति की कोई कठिनाई दूर करने के लिए, (ख), अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, (ग) असमानता (antethesis) या समानता (similarity) पर बल देने के लिए, तथा (घ) किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम से संगति मिलाने के लिए, इन चारों में एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। प्रथम में वे सम्मान्य आते हैं जो अपवादों को छोड़कर सामान्य नियमों या रूपों के सादृश्य पर बनाए जाते हैं जैसे अंग्रेजी में क्रियाओं के '-ed' वाले रूप। इससे अभिव्यक्ति की कठिनाई दूर होती है। रूप सरलता से बन जाते हैं। किन्तु, यह ध्यान रहे कि जानबूझकर ऐसा नहीं करते। अनजान में ऐसे रूप सादृश्य के आधार पर बनते हैं तथा मुँह से निकल आते हैं। ऐसे प्रयोग मूलतः अशिक्षित लोगों से प्रायः आरम्भ होते हैं। असावधानी में बच्चों या भारतीयों आदि अनांग्लभाषियों के मुँह से कभी-कभी Broadcasted या Caught जैसे रूप सुनाई पड़ जाते हैं। 'ख' में भी वही उदाहरण रक्खे जा सकते हैं, क्योंकि नियमित रूप अधिक शीघ्र तथा स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं। तीसरे में मराठी का 'दाक्षिणात्य' आदि के सादृश्य पर पाश्चात्य के स्थान पर 'पाश्चिमात्य'; या हिन्दी में 'सुन्दर' के असमान 'बुरा' आदि को छोड़कर 'असुन्दर' का प्रयोग आदि आ सकते हैं। चौथे में—लोगों का सीधे भूगोलिक, इतिहासिक जैसे रूप बना लेना आ सकता है।

यहाँ भी वही प्रश्न उठता है कि क्या ये अर्थ-विकास के बौद्धिक नियम के अन्तर्गत आ सकते हैं? संभवतः नहीं। यह तो भाषा के धीरे-धीरे कठिन से सरल, अनियमित से नियमित बनने या फिर सादृश्य के आधार पर रूप-परिवर्तन या नवरूप-निर्माण की कहानी है।

(७) नवप्राप्ति का नियम (Law of New Acquisition)—इसे 'नये लाभ' आदि अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है। ग्रील का कहना है कि जिस प्रकार भाषा में पुराने अर्थ, रूप, शब्द, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते हैं, उसी प्रकार नये अर्थ, रूप, शब्द आदि आते या विकसित भी होते रहते हैं। इसके उदाहरण सभी भाषाओं में मिलते हैं। हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में कारक-विभक्तियों के घिस जाने पर स्वतंत्र शब्दों का परसर्ग रूप में प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार, संयोगात्मक क्रियारूपों (तिङन्त) के घिसने पर सहायक क्रिया तथा कृदन्तों के आधार पर संयुक्त काल बनने लगे हैं। संस्कृत में मूलतः जो उपसर्ग थे। बाद में सम्बन्धसूचक अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होने लगे। जैसे—तया, सह, अर्थ, बिना। इसी प्रकार, विश्वभाषाओं का इतिहास बतलाता है कि कर्मवाच्य का बाद में विकास हुआ। क्रिया-विशेषण भी विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा से बाद में बने, पहले नहीं थे।

इनमें कुछ परिवर्तनों के पीछे बुद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य कार्य कर रही है, किन्तु बौद्धिक नियम के अन्तर्गत रखने से अधिक अच्छा कदाचित् यह होगा कि इसे

बाह्यकारण के रूप में अर्थ-विकास के अन्य कारणों के साथ रखा जाय तथा इसके उदाहरणों को यथोचित दिशाओं में स्थान दे दिया जाय ।

(८) अनुपयोगी रूपों के विलोप का नियम (Law of Extinction of Useless Forms) — जैसे नये रूप आदि भाषा में आते रहते हैं, उसी प्रकार पुराने रूप किसी न किसी कारण से विलुप्त होते रहते हैं । उदाहरण के लिए, संस्कृत में 'या' और 'गम्', जाना अर्थ में दो धातुएँ थीं । दोनों के रूप अलग-अलग चलते थे । हिन्दी में भी दोनों के रूप हैं; किन्तु 'गम्' के सभी रूप नहीं हैं । 'या' धातु से बनने वाले रूप सभी हैं, किन्तु भूत कृदंत का रूप होते हुए भी सामान्यतः नहीं प्रयुक्त होता । वह 'जाया जाता', 'जाया करता' आदि में ही आता है । 'वह जाया' (He went) नहीं होता । दूसरी ओर 'गम्' धातु से बनने वाला कोई भी रूप नहीं है, केवल भूत कृदंत रूप ही रह गया है—'गया' । इस प्रकार, 'या' धातु का एक रूप अल्पप्रयुक्त हो गया और दूसरी ओर 'गम्' के एक को छोड़ कर सारे रूप विलुप्त हो गये । ये रूप जानबूझ कर लुप्त नहीं किए गए, अपितु प्रचलन में कमी-बेशी होते-होते कुछ रह गये, कुछ लुप्त हो गये । यहाँ तक कि अब 'गम्' और 'या' दोनों के अवशिष्ट रूप हिन्दी में केवल एक ही धातु 'जा' के रूप माने जाते हैं । 'गया' भी 'जा' का ही रूप कहा जाता है, यद्यपि जैसा कि ध्वनि से स्पष्ट है, यह 'गम' का है ।

संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, बंगाली आदि विश्व की किसी भी भाषा को लिया जाय, सभी में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । एक मूल या प्रातिपदिक के रूपों में कुछ रूप तो उसके अपने होते हैं, और कुछ किसी और प्रातिपदिक के होते हैं । इस प्रकार, दो या अधिक प्रातिपदिकों के कुछ रूप लुप्त हो जाते हैं और शेष के सारे एक प्रातिपदिक के रूप माने जाने लगते हैं । उदाहरणार्थ, संस्कृत उत्तम पुरुष 'अस्मद्' के द्वितीया के रूप लें—

एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
माम्, मा	आवाम्, नौ	अस्मान्, नः

स्पष्ट ही ये सारे के सारे एक प्रातिपदिक के नहीं हो सकते । इनमें कम से कम चार प्रातिपदिकों—(क) माम्, मा, (ख) आवाम्, (ग) नौ, नः (घ) अस्मान्—के संकेत मिलते हैं । अर्थात्, चारों के कभी अलग-अलग रूप रहे होंगे, बाद में सभी के कुछ-कुछ रूप विलुप्त हो गए होंगे, और शेष मिलाकर अब एक 'अस्मद्' के रूप माने जाते हैं । अस्मद् के मूलतः केवल वे रूप हैं, जिनमें 'अस्म' आता है । इसी प्रकार, 'तद्' (वह) का प्रथमा एकवचन रूप 'स' मूलतः 'तद्' का रूप नहीं हो सकता । वैदिक संस्कृत में 'तस्मिन्' के स्थान पर 'सस्मिन्' तथा 'तस्मात्' के स्थान पर 'सस्मात्' देखकर यह अनुमान लगता है कि 'तद्' के साथ-साथ एक प्रातिपदिक 'सद्' भी कभी रहा होगा । धीरे-धीरे उसके सारे रूप विलुप्त हो गए । अब केवल 'सः' ही शेष है ।

इस प्रकार के लोप भाषा में होते तो हैं, किन्तु अर्थ से इनका क्या सम्बन्ध ? दूसरे क्या ये लोप जानबूझकर किये जाते हैं ? शायद नहीं । इस प्रकार यह भी अर्थ-

परिवर्तन का 'बौद्धिक नियम' नहीं कहला सकता।

निष्कर्ष यह निकला कि इन नियमों में—

(क) कइयों का सम्बन्ध तो अर्थ-परिवर्तन से है ही नहीं, अतः अर्थ-परिवर्तन भा अर्थविज्ञान के प्रसंग में उनकी चर्चा व्यर्थ है।

(ख) कुछ में अर्थ-परिवर्तन होता है, किन्तु उनके पीछे बौद्धिक कारण नहीं है, अतः उन्हें बौद्धिक नियम नहीं कहा जा सकता।

(ग) कल थोड़े ऐसे भी हैं, जिनमें अर्थ-परिवर्तन होता है, तथा जिनके पीछे अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी माने जा सकते हैं, किन्तु उन्हें 'बौद्धिक नियम' शीर्षक से अलग न रखकर अर्थ-परिवर्तन के प्रसंग में, 'बौद्धिक कारण' रूप में कारणों में, तथा इनके उदाहरणों को अथदिण आदि अर्थ-परिवर्तन की दिशाओं में रखना अधिक समीचीन होगा।

अभिधा, लक्षण, व्यंजना (जिन्हें शब्द-व्यक्ति कहा जाता है) तथा ध्वनि भी अर्थ के वैज्ञानिक अध्ययन से सम्बद्ध हैं। उनका विचार काव्यशास्त्र की पुस्तकों में बहुत विस्तार से मिल जाता है; इसीलिए यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है।

ध्वनिविज्ञान [स्वनविज्ञान] । ८

ध्वनि (स्वन) के अध्ययन से सम्बद्ध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में आज प्रमुखतः फोनेटिक्स और फोनॉलॉजी (Phonetics, Phonology) ये दो शब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनों का सम्बन्ध ग्रीक शब्द 'Phone' से है, जिसका अर्थ 'ध्वनि' है। 'टिक्स' और 'लॉजी' प्रयोगतः 'विज्ञान' के समानार्थी हैं। इस प्रकार दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं, किन्तु प्रयोग की दृष्टि से इनमें थोड़ा अन्तर है। 'फोनेटिक्स' में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, भाषा-ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किस्मों के मुँह से चलकर किस्मों के कान तक जाना तथा सुना जाना एवं उनमें विकार आदि बातों पर विचार करते हैं। साथ ही भाषा-विशेष की ध्वनियाँ, उनका उच्चारण तथा वर्गीकरण आदि भी इसी के अन्तर्गत आता है। 'फोनॉलॉजी' में भाषा-विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, इतिहास तथा परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। यों ध्वनि के अध्ययन के ये दो प्रमुख विभाग तो हैं, किन्तु इनके लिए क्रमशः 'फोनेटिक्स' और 'फोनॉलॉजी' इन दो पारिभाषिक नामों का जो प्रयोग किया गया है, वह सार्वभौम नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें इस रूप में माना है, किन्तु अन्यो का प्रयोग इससे भिन्न भी है। कुछ लोग दोनों अर्थों में 'फोनेटिक्स' का ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग ध्वनि-अध्ययन के वर्णनात्मक रूप (भाषा सामान्य का या एक भाषा का) को एककालिक 'फोनेटिक्स' (Synchronic Phonetics) कहते हैं और ऐतिहासिक रूप को 'हिस्टोरिकल फोनेटिक्स' या (Diachronic Phonetics)। कुछ अन्य लोग 'फोनॉलॉजी' के अन्तर्गत ही सभी को स्थान देते हैं। कुछ लोग 'फोनेटिक्स' और 'फोनॉलॉजी' को पर्याय के रूप में भी प्रयोग करते रहे हैं, यद्यपि अब ऐसा प्रायः नहीं हो रहा है। आजकल प्रायः 'फोनेटिक्स' का प्रयोग ध्वनि के भाषा-निरपेक्ष अध्ययन के लिए किया जाता है जिसमें सामान्य रूप से ध्वनियों का उच्चारण, वर्गीकरण आदि आते हैं, तो फोनॉलॉजी का प्रयोग भाषा-विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था के लिए।

संस्कृत में ध्वनिविज्ञान का पुराना नाम 'शिक्षाशास्त्र' था। हिन्दी में इस प्रसंग में 'फोनेटिक्स' के लिए मुख्यतः ध्वनिविज्ञान, ध्वनिशास्त्र अथवा स्वनविज्ञान आदि तथा 'फोनॉलॉजी' के लिए ध्वनि-प्रक्रिया, स्वन-प्रक्रिया या स्वनमविज्ञान आदि नाम प्रयुक्त हो रहे हैं। एकरूपता की दृष्टि से फोनेटिक्स के लिए ध्वनिविज्ञान या स्वनविज्ञान और फोनॉलॉजी के लिए ध्वनिप्रक्रिया, स्वनप्रक्रिया या स्वनमविज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है।

ध्वनि-अध्ययन के आधार

इसके तीन आधार हैं—उच्चारण, प्रसरण या गंवाहन तथा श्रवण। इन्हीं आधार पर ध्वनिविज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएँ मानी जाती हैं—

(१) औच्चारणिक ध्वनिविज्ञान (Articulatory Phonetics)—जिसमें उच्चारण और उससे संबद्ध बातों का अध्ययन होता है ;


(२) सांवाहिक या प्रासरणिक ध्वनिविज्ञान (Acoustic Phonetics)—जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि-लहरों का अध्ययन होता है। इस अध्ययन में प्रायः काइमोग्राफ, स्पेक्टोग्राफ, ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों से सहायता ली जाती है ;

(३) श्रावणिक ध्वनिविज्ञान (Auditory Phonetics)—इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है।

स्पष्ट ही पहली शाखा का सम्बन्ध बोलने वाले से, तीसरी का सुनने वाले से, और दूसरी का ध्वनियों की वाहिनी तरंगों, उनके स्वरूप तथा गति आदि से, अर्थात् दोनों शाखाओं के बीच की स्थिति से है।

औच्चारणिक ध्वनिविज्ञान (Articulatory Phonetics)

ध्वनियों के उच्चारण वायंत्र (Vocal apparatus) से होता है जिसे उच्चारण अवयव (vocal organ) भी कहते हैं—



ध्वनि-यंत्र का चित्र

१. उपालिजिह्व (Pharynx, गलाबिल, कंठ, कंठमार्ग)
३. स्वर-यंत्र (कंठ-पिटक, ध्वनियंत्र (Larynx)
५. स्वर-तंत्री (ध्वनि-तंत्री : Vocal Chord)
७. नासिका-विवर (Nasal Cavity)
८. अलिजिह्व (कोआ, घंटी, शुडिका Uvula)
११. कोमल तालु (Soft Palate)
१३. कठोर तालु (Hard Palate)
१५. दाँत (Teeth)
१७. जिह्वामध्य (Middle of the tongue)
१८. जिह्वाग्र (जिह्वा-फलक : Front of the tongue)
२१. जिह्वापश्च (जिह्वापृष्ठ, पश्च जिह्वा : -
Back of the tongue)
२. भोजन-नलिका (Gullet)
४. स्वरयंत्र-मुख (काकल : Glottis)
६. स्वरयंत्र-मुख-आवरण (अभिकाकल,
स्वरयंत्रावरण (Epiglottis)
८. मुख-विवर (Mouth Cavity)
१०. कंठ (Gutter)
१२. मूर्धा (Cerebrum)
१४. वर्त्स (Alveola)
१६. ओष्ठ (Lip)
१८. जिह्वानोक (जिह्वानीक :
Tip of the tongue)
२०. जिह्वा (Tongue)
२२. जिह्वामूल (Root of the tongue)

चित्र में जहाँ नं० ३ में तीर की नोक है, वह श्वास-नलिका (Wind pipe) है। उपर्युक्त अवयव दो वर्गों में रखे जा सकते हैं :

(क) चल अवयव—इन अवयवों को ऊपर उठाकर या नीचे ले जाकर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन्हीं को करण (articulator) भी कहते हैं। नीचे का ओष्ठ (जबड़े के साथ), जीभ और उसके विभिन्न भाग तथा स्वरतंत्रियाँ इस वर्ग में आती हैं। नीचे के ओष्ठ तथा जीभ मुँह में नीचे के भाग हैं; अतः उनके आधार पर कभी-कभी केवल निचली स्वरतंत्री को ही करण कहते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों ही स्वरतंत्रियाँ चल होने के कारण करण का कार्य करती हैं, साथ ही ये उच्चारण-स्थान भी हैं।

(ख) अचल अवयव—ऊपर के दाँत, ऊपर का ओष्ठ, तालु के विभिन्न भाग इसके अन्तर्गत आते हैं। ये चल नहीं हैं। इनसे स्थान का बोध होता है। अलिजिह्व या कौवे की स्थिति कुछ अजीब है। यों तो यह चल अवयव है, किन्तु मुँह में ऊपर है और ऊपर के अवयव अचल हैं; अतः स्थान-संकेतक है, इसीलिए इसे भी प्रायः उन्हीं की श्रेणी में रखा जाता है।

श्वास-नलिका, भोजन-नलिका और अभिकाकल—हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुँचाते रहते हैं। जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखलाया गया है। साँस श्वास-नलिका में होती हुई फेफड़े में पहुँचती है और उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथ से बाहर निकल जाती हैं। श्वास-नलिका के पीछे भोजन-नलिका है जो नीचे आमाशय तक जाती है। इन दोनों (श्वास तथा भोजन) नलिकाओं के बीच में दोनों पृथक् करने के लिए एक दीवाल है। भोजन-नलिका के विवर के साथ श्वास-नलिका की ओर झुकी हुई एक छोटी-सी जीभ है जिसे अभिकाकल^२ या

१. वैदिक साहित्य में शुद्ध शब्द 'वर्त्स' है जिससे 'वर्त्स्य' विशेषण बनता है। अब अशुद्ध शब्द 'वर्त्स' तथा उसके विशेषण 'वर्त्स्य' ही प्रचलित हो गये हैं।
२. इस अंग का यों तो बालन से बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु कुछ ध्वनिविदों के अनुसार मौखिक संगीत में यह कुछ काम करता है। साथ ही आ, आँ के उच्चारणों में यह पीछे खिचकर अग्र-यंत्र के काम चला जाता है और ई, ए के उच्चारण में यह बहुत आगे खिच जाता है।

स्वर-यंत्रमुख-आवरण (Epiglottis) कहते हैं। भोजन या पानी जब मुँह के रास्ते भोजन-नलिका के मुख के पास आता है, तो यह अभिकाकल नीचे की ओर झुक कर श्वास-नलिका को बन्द कर देता है और भोजन या पानी आगे सरक कर भोजन-नलिका में चला जाता है। यदि श्वास-नलिका बन्द न हो तो जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, भोजन और पानी इसी नलिका में चले जायें और मनुष्य की तुरन्त ही मृत्यु हो जाय। खाते समय कभी-कभी असावधानी के कारण जब अन्न के एक-आध टुकड़े श्वास-नलिका में चले जाते हैं तो बुरी दशा हो जाती है और फेफड़े की हवा शांघ ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे लौटा देती है। पानी पीते समय भी यदि पानी 'सरक' जाता है तो इसी प्रकार की सुरसुरी आ जाती है। हमारे यहाँ खाते समय बात करना संभवतः इसीलिए वर्जित है, क्योंकि बात करते समय श्वास-नलिका को खुला रखना ही पड़ता है।

भोजन या पानी का स्वाभाविक मार्ग मुँह से होते भोजन-नलिका में है। इसी प्रकार श्वास या वायु का स्वाभाविक पथ नासिका-विवर से होते हुए श्वास-नलिका में है। सभी जानवर इस स्वाभाविक पथ का ही अनुसरण करते हैं, पर मनुष्य मस्तिष्कप्रधान होने के कारण स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है। यहाँ भी उसने कुछ विशिष्ट अवसरों के लिए भोजन-पानी और श्वास के स्वाभाविक मार्ग का परित्याग कर दिया है। साधू लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर दूध और पानी आदि द्रव पदार्थ कभी-कभी नाक से पीते देखे जाते हैं, दूसरी ओर बोलते समय सभी लोग श्वास-नलिका के साथ-साथ मुँह को भी वायु के आने-जाने का मार्ग बना देते हैं जो कि नितान्त अस्वाभाविक है। पशु बोलते भी हैं तो वायु का अधिक भाग उनकी नाक से ही निकलता है। यही कारण है कि उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है। हम लोगों की भाषा में भी कभी-कभी कुछ शब्दों में अकारण अनुनासिकता (spontaneous nasalization) आ जाती है (सर्प से सौंप या वक से बाँका), जो शायद इसी बात को प्रदर्शित करता है कि नाक से बोलना ही हमारे लिए भी अधिक प्रकृत या स्वाभाविक है।

स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्रमुख और स्वर-तंत्री—श्वास-नलिका के ऊपरी भाग में अभिकाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रधान अवयव होता है जिसे ध्वनि-यंत्र या स्वरयंत्र कहते हैं। बाहर गले में (दुबले पुरुषों में) जो उभरी घाँटी (टेंटुआ या Adams apple) दिखाई पड़ती है, वह यही है। यहाँ श्वास-नलिका कुछ मोटी होती है। स्वर-यंत्र में पतली झिल्ली के बने दो लचीले परदे या कपाट होते हैं जिन्हें स्वर-तंत्री या स्वर-रज्जु कहते हैं। वस्तुतः इनका यह नाम (Vocal chord) उचित नहीं है। ये ओष्ठ-जैसे होते हैं : अतः इन्हें 'स्वर-ओष्ठ' कहना अधिक सही है। इन परदे, स्वर-तंत्रियों या स्वर-ओष्ठों के बीच के खुले भाग को स्वर-यंत्रमुख या काकल (glottis) कहते हैं। गींस लेते समय या बोलते समय हवा इसी मुख में होकर बाहर-भीतर जाती है। इन स्वर-तंत्रियों का मूल या प्राकृतिक काम है—बोझ उठाने समय या इसी प्रकार के अन्य कामों के समय हवा को रोक कर हमारे शक्ति और हिम्मत को अपेक्षाकृत बढ़ा देना। किन्तु अब बोलते में—जो निश्चय ही कृत्रिम या बाद में विकसित है—हम इन स्वर-तंत्रियों के सहारे कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए स्वर-तंत्रियों को कभी तो एक-दूसरे के समीप लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता है। जो लोग रुक-रुक कर बोलते या हकलाने हैं, वे किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण इन स्वर-तंत्रियों को आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में खोल या बन्द करने में असमर्थ होते हैं।

स्वर-तन्त्रियों के इस प्रकार समीप आने या दूर हटने से (साथ ही तनने आदि से) कई प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखा जाय तो इन स्थितियों की संख्या लगभग एक दर्जन है जिनमें अधिक महत्त्वपूर्ण निम्नांकित ६-७ हैं—

(१) स्वर-तन्त्रियाँ एक-दूसरी से सबसे अधिक दूर 'श्वास लेने' (inhalation) की स्थिति में होती हैं। इस स्थिति में काकल या स्वर-यंत्रमुख एक पंचभुज की स्थिति में और बहुत अधिक चौड़ा होता है। (आगे चित्र नं० १)

(२) दूसरी स्थिति है प्रश्वास (exhalation) की। साँस निकालते समय स्वर-तंत्रिका श्वास लेते समय की तुलना में एक-दूसरे के निकट होती हैं और इस प्रकार स्वर-यंत्रमुख कुछ कम चौड़ा हो जाता है। इस स्थिति में स्वर-यंत्रमुख लगभग त्रिभुजाकार होता है (आगे चित्र नं० २)। ऐसी स्थिति में जो प्रश्वास निकलता है, स्वर-तंत्रियों से घर्षण नहीं करता। 'अघोष' ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है।


(३) तीसरी स्थिति में स्वर-तंत्रियाँ एक-दूसरी के ओर भी निकट आ जाती हैं। अब ये इतनी निकट होती हैं कि उनके बीच से जाने वाली हवा को रगड़ खाकर निकलना पड़ता है। रगड़ के कारण ही स्वर-तन्त्रियों में कम्पन होता है। 'घोष' ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है (चित्र नं० ३)। इस स्थिति में स्वरयंत्रमुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे-ऊपर के किनारों के बन्द होने के कारण लम्बाई में भी वह छोटा हो जाता है। इस स्थिति में भी कभी तो स्वर-तंत्रियाँ कम कड़ी रखी जाती हैं और कभी अधिक। इस प्रकार कभी उनके बीच से हवा कम तेज निकलती है और कभी अधिक। इन दोनों बातों पर तन्त्रियों का कम्पन निर्भर करता है और इस कम्पन के स्वम्प और तेजी पर ध्वनि का आयतन (volume), उनकी तीव्रता (intensity) तथा गुर (pitch) आदि निर्भर करते हैं। सामान्य बालघाल में पुरुषों में स्वर-तंत्रियों के कम्पन की गति १०६ से १६३ चक्र (cycle) प्रति सेकंड तथा स्त्रियों में २१८ से ३२६ चक्र प्रति सेकंड होती है। जो यह कम से कम ४० चक्र प्रति सेकंड तथा अधिक से अधिक २०३८ चक्र प्रति सेकंड हो सकती है। संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे वक्ता में भावावेश आदि के अनुसार यह कम्पन सामान्य से बहुत अधिक देखा जाता है। १६ मई, १९४३ ई० को चाँचिल का वाशिंगटन में भाषण हुआ था। उनके रेकॉर्ड का विश्लेषण करने पर पता चला कि भाषण के अधिकांश अंशों में उनकी तन्त्रियों की गति ११५ से २३० के बीच में थी।

(४) चौथी स्थिति में स्वर-तन्त्रियाँ अपने लगभग तीन-चौथाई भाग में तो एक-दूसरी से मिलकर हवा का मार्ग पूर्णतः बन्द कर देती हैं। कान का केवल एक-चौथाई भाग ही स्वर-यंत्रमुख के रूप में खुला रहता है (चित्र नं० ४)। इसी स्थिति में फुसफुसाहट वाली ध्वनियों का उच्चारण होता है। इस ध्वनि को 'जपित', 'जाप', 'फुसफुस' या 'उपाशु' (Whispered) भी कहते हैं। जब दो मित्र आपस में धीरे-धीरे बात करते हैं, तो इसी प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। स्वर-यंत्रमुख के बहुत छोटा हो जाने के कारण ध्वनि धीमी हो जाती है। फुसफुसाहट की सभी ध्वनियाँ अघोष होती हैं। इनके उच्चारण में स्वर-तन्त्रियों में कम्पन नहीं होता। वस्तुतः जपित ध्वनि के उत्पन्न होने की यह एक स्थिति है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित अन्य स्थितियाँ भी होती हैं— (क) कभी-कभी इनके उच्चारण

* स्वर-तंत्रियाँ जब ढीली रहती हैं तो सामान्यतः पुरुषों में उनकी लम्बाई ३ 1/4" और स्त्रियों में २ 1/2" होती है। तनकर कड़ा होने पर ये क्रमशः १" और ३/४" की हो जाती हैं।

मे स्वर-तन्त्रियाँ ठीक उसी स्थिति में होती हैं जिस स्थिति में वे घोष ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं। पर साथ ही गले की मांसपेशियों को बहुत कड़ा रखकर स्वर-तन्त्रियों में इतना तनाव ला दिया जाता है कि हवा के घर्षण से वे कम्पित नहीं होतीं और इस प्रकार उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जपित होती हैं। (ख) स्वर-तन्त्रियों के ऊपर उन्हीं जैसी दूसरी स्वर-तन्त्रियाँ भी होती हैं जिन्हें मिथ्या या कृत्रिम स्वर-तन्त्रियाँ (false vocal chords) कहते हैं। वे असली स्वर-तन्त्रियों से कुछ छोटी होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि असली स्वर-तन्त्रियाँ तो दूर-दूर रहती हैं, किन्तु ऊपर की तन्त्रियाँ निकट आकर हवा के रास्ते को बहुत छोटा कर देती हैं और इस स्थिति में भी 'जपित' ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। (ग) कभी-कभी स्वर-तन्त्रियाँ सामान्य स्थिति में हों, लेकिन उनके बीच से आने वाली हवा बहुत थोड़ी और बहुत धीमी (बीमारी के कारण या सप्रवास) हो, तब भी फुसफुसाहट की ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। (घ) एक चौथी स्थिति यह भी मानी जाती है जब स्वर-तन्त्रियाँ न तो अघोष की स्थिति में बहुत खुली होती हैं और न घोष की स्थिति में काकल को इतना सँकरा बना देती हैं कि हवा रगड़ से निकले। यह स्थिति घोष-अघोष के बीच की है तथा असामान्य है। (ङ) बिथेल आदि कुछ ध्वनिशास्त्रियों ने एक ऐसी स्थिति भी मानी है जब दोनों ही स्वर-तन्त्रियाँ (मिथ्या और यथार्थ) अधिकांशतः बन्द होकर हवा को रोकती हैं और केवल दोनों का एक-एक अंश ही खुला रहता है। जब बहुत फटी-फटी आवाज सुनाई पड़ती है, तब भी यही स्थिति रहती है। ध्वनिविदों के अनुसार, यह स्थिति देर तक नहीं रखी जा सकती।

(५) एक अन्य स्थिति में स्वर-तन्त्रियाँ एक कोने से दूसरे कोने तक पूर्णतः सटी रहती हैं और हवा का रास्ता पूर्णतः बन्द हो जाता है (आगे चित्र नं० ५)। इसी स्थिति में रहकर इटके के साथ स्वर-तन्त्रियाँ अलग हो जाती हैं तो काकल्य स्पर्श (glottal stop, glottal catch, अलिफ़, हम्ज़ा) नाम की ध्वनि उच्चरित होती है जिसके लिए P चिह्न का प्रयोग किया जाता है। भारतीय भाषाओं में यह मुंडारी में मिलती है। कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, डच, जर्मन में यह ध्वनि सामान्य है। यह हल्की खाँसी में मिलती-जुलती ध्वनि है। अंग्रेज़ी में कभी-कभी जोर देकर बोलने में is के उच्चारण में इ के पहले यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। The key is not in the door वाक्य में इज़ की इ के पूर्व key के प्रभाव के कारण यह ध्वनि उच्चरित होती है।




स्वरतन्त्रियों की कुछ प्रमुख स्थितियाँ

(६) छठे प्रकार की स्थिति में स्वर-तन्त्रियों का लगभग तीन-चौथाई भाग तो लगभग घोष की स्थिति में होता है, और शेष एक-चौथाई काफी खुला (ऊपर चित्र नं० ६)। घोष (जिसमें घोषत्व के साथ महाप्राणता भी होती है) ध्वनि इस स्थिति में उच्चरित होती है।


(७) सातवें प्रकार की स्थिति घोष वाली स्थिति ही है किन्तु यह अलग इसलिए है कि

स्वर-तंत्रियों घोष की तुलना में इसमें इतनी होती है जिसके कारण कम्पन अधिक नहीं होता, किन्तु ये जपित-जैसी स्थिति में अर्थात् पूर्णतः तनी नहीं होती। इस रूप में इसे घोष और जपित के बीच की स्थिति मान सकते हैं। मर्मर ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। इसमें कम्पन बहुत थोड़ा होता है, साथ ही रगड़-जैसी एक आवाज भी हांती है।


इन ६-७ स्थितियों में प्रमुख ये चार हैं—




[क]



[ख]



[ग]



[घ]

क में दोनों स्वरतन्त्रियाँ अलग-अलग हैं। यह साँस लेने की तथा अघोष ध्वनियों की स्थिति है। ख में दोनों समीप हैं। यह घोष ध्वनियों की स्थिति है। ग में दोनों एक-दूसरे से सटी हैं। यह बन्द हो जाने की स्थिति है। 'घ' में दोनों ३/४ भाग में सटी हैं और नीचे केवल १/४ खुला है। यह जपित या फुसफुसाहट की स्थिति है। अघोष उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में (उनके एक-दूसरे से दूर रहने के कारण) प्रश्वास का घर्षण नहीं होता और इसलिए उनमें कम्पन नहीं होता। साँस निकलने की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण ही इस प्रकार की ध्वनियों को संस्कृत में 'श्वास' भी कहा गया है। अंग्रेजी में इन ध्वनियों को voiceless या breathed कहते हैं। 'घोष' या 'नाद' (voiced या voice) उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में उनके एक-दूसरे से निकट होने के कारण, उनके बीच से आती हवा के घर्षण से, कम्पन होता है। कानों को दोनों हाथों से बन्द करके या गले पर (स्वरयंत्र पर) हाथ रखकर या सिर के ऊपर हाथ रखकर इस कम्पन का अनुभव क्रम से अघोष-घोष (क, ग) और घोष-अघोष (ग, क) ध्वनियों का बार-बार उच्चारण करके किया जा सकता है।


इस प्रकार स्वर-यंत्र स्वर-तंत्रियों और मिथ्या स्वर-तंत्रियों के सहारे ध्वनियों के उच्चारण में पर्याप्त काम करता है। वस्तुतः यही वह पहला ध्वनि-अवयव है जहाँ प्रश्वास के सहारे ध्वनि उत्पन्न करना आरम्भ होता है। साथ ही किसी भाषा की कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है जिसके निर्माण में इस अंग का हाथ न हो।

स्वर-यंत्र, स्वर-तंत्रियों के सहारे ही नहीं, अपितु अपने पूरे शरीर के साथ अर्थात् पूरा स्वर-यंत्र भी ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है। अफ्रीका की कई भाषाओं में पायी जाने वाली अंतर्मुखी या अंतःस्फोट (implosive) ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। उच्चारण में पूरा ध्वनियंत्र कुछ नीचे कर लिया जाता है।

मुख-विवर, नासिका-विवर और कौवा—स्वर-यंत्र के ऊपर उसका ढक्कन (अभिकाकल) होता है जिसके सम्बन्ध में हम ऊपर विचार कर चुके हैं। उसके ऊपर वह स्थान आता है जिसमें हम चौराहा (crossing) कह सकते हैं। यह एक खाली स्थान है, जहाँ से चार मार्ग (१) श्वास-नलिका, (२) भोजन-नलिका, (३) मुख-विवर, और (४) नासिका-विवर) चारों ओर जाते हैं। जिस प्रकार इस चौराहे के बीच अभिकाकल है, उसी प्रकार ऊपर जीभ के ग्वम्प का मांस का छोटा-सा भाग उस

स्थान पर होता है, जहाँ से नासिका-विवर और मुख-विवर के रास्ते फूटते हैं। इस छोटी जीभ को 'कौवा' या अलिजिह्व कहते हैं। इसका भी कार्य कोमल तालु के साथ अभिकाकल की भाँति कभी-कभी मार्ग अवरुद्ध करना है।

कौवा को कोमल तालु के साथ हम तीन अवस्थाओं में पाते हैं। पहली तो इसकी स्वाभाविक और साधारण अवस्था है जिसमें यह ठीला होकर नीचे की ओर लटक रहा है, मुँह बन्द रहता है और श्वास अबाध गति से नासिका-विवर से होकर आता-जाता है। स्वाभाविक रूप से श्वास नैन की अवस्था यही होती है। किसी की बात सुनकर जब हम मुँह को बिना खोले हुए 'हँ' कहते हैं, तो वह इसी दशा में उच्चरित होती है।



दूसरी अवस्था में कौवा तनकर नाक के रास्ते को बन्द कर देता है और श्वास-नलिका से आये हवा को नासिका-विवर में तनिक भी नहीं जाने देता, अतः वायु मुख-विवर से आती-जाती है। मौखिक स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण इसी दशा में होता है।


तीसरी और अंतिम अवस्था उस समय की है जब कौवा न तो ऊपर तनकर नासिका-विवर को रोकता है और न नीचे गिर कर मुख-विवर को। वह मध्य में रहता है, अतः श्वास नासिका और मुख दोनों से होकर निकलता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण इसी अवस्था में होता है।

उपर्युक्त तीन स्थितियों में दूसरी और तीसरी में कौवा भाषा-ध्वनियों के उच्चारण में बहुत सहायक होता है, क्योंकि अधिकांश ध्वनियाँ इन्हीं दो प्रकारों की होती हैं। किन्तु यह तो कौवा का सामान्य कार्य है जिसकी आवश्यकता अधिकांश भाषाओं में होती है। कुछ भाषाओं में यह विशेष प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में प्रत्यक्षतः भी सहायक होता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ अलिजिह्वीय (uvular) कहलाती हैं। इनके उच्चारण में कौवा या तो जिह्वापश्च (या जिह्वामूल) से स्पर्श करके (हिन्दी-उर्दू 'क', या उसी का घोष रूप जो फारसी में है) स्पर्श-ध्वनि उत्पन्न करता है, या एरिक्मा भाषा का अनुनासिक स्पर्श (ङ) उत्पन्न करता है, या उसके समीप होकर सघर्षी ध्वनि (हिन्दी, अरबी ख, ग) उत्पन्न करता है, या फिर उल्क्षप या लुटन करके फ्रांसीसी 'र' ध्वनि (जो 'ग' जैसी सुनाई पड़ती है) उत्पन्न करता है।


तालु, जिह्वा, दन्त और आँष्ट—कौवा के एक ओर नासिका-विवर है और दूसरे ओर मुख-विवर। नासिका-विवर में और कोई भी पदार्थ आ नहीं है जिससे ध्वनि उत्पन्न करने में कुछ

सहायता मिले, अतः उसे छोड़कर मुख-विवर पर विचार किया जा सकता है।


मुख-विवर में ऊपर की ओर तालु है जिसके कंठ-स्थान और दाँतों के बीच में कम से ४ भाग हो सकते हैं—१. कोमल तालु, २. मूर्द्धा, ३. कठोर तालु, तथा ४. वर्त्स। जिह्वा के विभिन्न भागों को इनसे स्पर्श कराकर विभिन्न ध्वनियाँ उच्चरित की जाती हैं।



मुख-विवर के निचले भाग में जिह्वा है। जिह्वा उच्चारण-अवयवों में सबसे प्रमुख है, इसी कारण इसके पर्याय 'वाणी', 'जवान' (अरबी) या Lingua (लैटिन) आदि भाषा के पर्याय बन गये हैं। प्रायः सभी भाषाओं की अधिकांश ध्वनियाँ जीभ की सहायता से ही बोली जाती हैं। साधारण अवस्था में जीभ नीचे ढीली पड़ी होती है। बोलने में वायु-अवरोध या विशेष आकृति का गुँज-विवर (resonance chamber) बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिह्वा को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है।



कभी-कभी इनके 'जिह्वापाय' (जिह्वा मध्य से कुछ आगे) आदि अन्य अवांतर भेद भी किये जाते हैं। ध्वनि-उच्चारण में इन सभी भागों का अलग-अलग महत्त्व साथ ही अभिकाकल कौवे की भाँति जिह्वा की विभिन्न अवस्थाएँ भी हाँती हैं। इन सब का सविस्तार वर्णन ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में मिलेगा। जीभ दाँत तथा तालु के विभिन्न भागों को छूकर या उनके समीप आकर या उत्क्षेप-लाड़न आदि करके ध्वनियों का निर्माण करती है।



मुख-विवर में तालु तथा जिह्वा के बाद तीसरे प्रधान अंग दाँत हैं जो भोजन करने के अतिरिक्त बोलने में भी हमारी सहायता करते हैं। इनके भी—(१) मूल और (२) अग्र वे दो भाग किये जा सकते हैं।

कभी-कभी दोनों के बीच में एक मध्य भाग भी बोलने की आवश्यकता पड़ती है।

ध्वनि-निर्माण में ऊपर के दाँतों का ही अधिक महत्व है। ये नीचे के ओष्ठ या जीभ से मिलकर या उनके समीप होकर ध्वनि-निर्माण करते हैं।

ध्वनि में सम्बन्ध रखने वाले अंतिम अंग ओष्ठ हैं। ये आपस में मिल या पास आकर या दाँत की सहायता से ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं।

हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं ?—हारमोनियम या बिगुल आदि वाद्ययंत्रों की भाँति हम लोग भी वायु की सहायता से बोलते हैं। यह वायु दो प्रकार की है। एक तो वह है जो नाक या मुँह के मार्ग से भीतर खींचते हैं। यह बाहर की साफ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से, दुःख है कि, हम लोग अधिक ध्वनियाँ उच्चरित नहीं कर पाते हैं। कुछ भाषाओं की आश्चर्य आदि की ध्वनियाँ तथा अफ्रीका, अमरीका आदि की कुछ क्लिक आदि ध्वनियों के उच्चारण में ही यह हवा हमारा काम दे पाती है। दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गन्दगी साफ करके बाहर निकलती है। सच पूछा जाय तो यह दूसरी हवा (जो पहली का गन्दा रूप मात्र है) ही संसार की प्रायः सभी भाषाओं के बोलने में हमारी सहायता करती है। पहली हवा 'श्वास' है, दूसरी 'प्रश्वास'।

फेफड़े की सफाई करने के पश्चात् वायु श्वास-रूप में श्वास-नलिका के पथ से बाहर चलती है। स्वर-यंत्र के पूर्व इतने किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। सर्वप्रथम हम स्वर-तंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं। उससे आगे चल कर आवश्यकतानुसार नारिसका-विवर, मुख-विवर या दाँतों से थोड़ा-थोड़ा निकालते हैं। ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है। वहाँ से मुख-विवर में जाने वाली हवा का हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, कंठ, तालु, दाँत और ओष्ठ के सहारे इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं जो बाहर आकर ध्वनि की संज्ञा पाती है। साथ ही आवश्यक होने पर इस के एक अंश को नारिसका-विवर (अनुनासिक ध्वनियों को उच्चरित करने में) से निकालते हैं।

सांवहानिक अथवा प्रासरणिक ध्वनिविज्ञान (Acoustic Phonetics)

भौतिकी में इसे केवल ध्वनिविज्ञान कहते हैं। मैंने इसे इस आधार पर यह नाम दिया है कि भाषाविज्ञान में इसके अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कैसे ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुँह से श्रोता के कान तक ले जायी जाती है। ऐसा होता है कि फेफड़े से चली हवा ध्वनि-यंत्रों की सक्रियता के कारण आन्दोलित होकर निकलती है और बाहर की वायु में अपने आन्दोलन के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के कम्पन से लहरें पैदा कर देती है। ये लहरें ही सुनने वाले के कान तक पहुँचती हैं और वहाँ श्रवणोन्द्रिय में कम्पन पैदा कर देती हैं। सामान्यतः इन ध्वनि-लहरों की चाल ११००-१२०० फीट प्रति सेकंड होती है। ज्यों-ज्यों ये लहरें आगे बढ़ती जाती हैं, इनकी तीव्रता घटती जाती है। इसी कारण दूर के व्यक्ति को ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है। अनेक यंत्रों के सहारे भौतिकशास्त्र में इन लहरों का बहुत गम्भीर अध्ययन किया गया है, किन्तु भाषाविज्ञान में उसकी बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है।

श्रावणिक ध्वनिविज्ञान (Auditory Phonetics)

इसमें इस बात का अध्ययन होता है कि हम कैसे सुनते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, संक्षेप में कान की बनावट को देख लेना होगा। हमारा कान तीन भागों में बँटा है—जिसको क्रम से बाह्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और अन्तर्गत कर्ण कह सकते हैं। बाह्य कर्ण के भी दो भाग किये जा सकते हैं। एक तो वह भाग है जो ऊपर टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई देता है। यह भाग सुनने की क्रिया में अपना

कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। दूसरा भाग छिद्र या कर्ण-नलिका के बाहरी भाग से आरम्भ होकर भीतर तक जाता है। इस भाग की या कर्ण-नलिका की लम्बाई लगभग एक इंच होती है। नलिका के भीतरी छिद्र पर एक झिल्ली होती है जो बाह्य कर्ण को मध्यवर्ती कर्ण से संबद्ध करती है।

मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी-सी कोठरी है जिसमें तीन छोटी-छोटी अस्थियाँ होती हैं। इन अस्थियों का एक सिरा बाह्य कर्ण की झिल्ली से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर इसका सम्बन्ध अन्तर् कर्ण के बाहरी छिद्र से होता है। इसके पीछे अन्तर् कर्ण आरम्भ होता है। इस भाग में शंख के आकार का एक अस्थि-समूह होता है। इसके खोखले भाग में उसी आकार की झिल्लियाँ होती हैं। इन दोनों के बीच में एक प्रकार का द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस भाग के भीतरी सिरे की झिल्ली से श्रावणी शिरा के तन्तु आरम्भ होते हैं जो मस्तिष्क से सम्बद्ध रहते हैं। ध्वनि की लहरें जब कान में पहुँचती हैं तो बाह्य कर्ण की भीतरी झिल्ली (या कान का पर्दा) पर कम्पन उत्पन्न करती हैं। इस कम्पन का प्रभाव मध्यवर्ती कर्ण की अस्थियों द्वारा भीतरी कर्ण के द्रव पदार्थ पर पड़ता है और उसमें लहरें उठती हैं जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क में जाती है और हम सुन लेते हैं।

ध्वनि हवा तथा अन्य संबद्ध अणुओं में कम्पन-रूप में होती है। यह कम्पन प्रति सेकेण्ड 'फ्रिक्वेन्सी' या 'आवृत्ति' कहलाता है। यह आवृत्ति कम या अधिक हो सकती है। सामान्यतः आदमी का कान कुछ से लेकर २०,००० आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। किन्तु साफ और समझने लायक वह केवल ६० से १०,००० तक ही सुन सकता है। सुनने की दृष्टि से काफी साफ आवाज केवल २०० से २००० के बीच में मानी गयी है और बहुत ही साफ १००० से २००० के बीच।

ध्वनि क्या है ?

किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जो सुना जा सके, उसे सामान्यतया 'ध्वनि' कहते हैं। पानी में मछली के कूदने से या किसी के सिर पर डंडा मारने से जो भी आवाज होगी, उसे ध्वनि कहेंगे। इस प्रकार ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि वायुमंडलीय दबाव (atmospheric pressure) में परिवर्तन या उतार-चढ़ाव (variation) का नाम है। यह परिवर्तन वायुकणों (air-particles) के दबाव (compression) तथा विरलन (rarefaction) के कारण होता है। भाषा के प्रसंग में या भाषाविज्ञान में जिस ध्वनि का विचार किया जाता है, वह इतनी व्यापक नहीं है। सामान्य ध्वनि से अलग करने के लिए उसे 'भाषाध्वनि' (speech-sound या phone) या वाक्स्वन संज्ञा से अभिहित किया गया है। 'भाषा-ध्वनि' भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। संक्षेप में भाषा में प्रयुक्त ध्वनि ही भाषा-ध्वनि है। आगे प्रायः सर्वत्र संक्षेप और प्रचलन की दृष्टि से 'भाषा-ध्वनि' के स्थान पर केवल ध्वनि शब्द का ही प्रयोग किया जायगा।

ध्वनियों का वर्गीकरण

ऊपर हम देख चुके हैं कि (क) ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, (ख) उच्चरित होकर वक्ता के मुँह से श्रोता के कान तक पहुँचती हैं, तथा (ग) श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं। वस्तुतः इन तीनों ही आधारों पर ध्वनियों का वर्गीकरण और नामकरण किया जा सकता है, किन्तु अंतिम दो में कुछ कठिनाइयाँ हैं।

जहाँ तक श्रवण का प्रश्न है, दो कठिनाइयाँ हैं—(अ) इस पर आधारित वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ (objective) न होकर आत्मनिष्ठ (subjective) होगा; एक का जो ध्वनि बहुत 'मधुर' लगेगी,

दूसरे को 'कम मधुर' लग सकती है ; (आ) किसी भी भाषा में इसके लिए ऐसे पर्याप्त शब्द नहीं हैं जो एक-दूसरे से स्पष्टतः अलग हों। हिन्दी में भी मात्र मधुर, मीठी, कर्कश, भारी, पतली, मोटी, भर्राई, उखड़ी, टूटी आदि कुछ ही शब्द हैं।

जहाँ तक ध्वनि-तरंगों का प्रश्न है, इनका अध्ययन बहुत व्यवसाय्य है तथा अत्यंत सूक्ष्म यंत्रों से ही हो सकता है, अतः कम व्यावहारिक और कठिन है। भाषाविज्ञान में ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार इसीलिए इन्हें भी नहीं बनाया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि इन तरंगों का भली-भाँति अध्ययन-विश्लेषण भौतिकशास्त्री के लिए ही संभव और विशेष उपयोगी है, भाषाशास्त्री के लिए नहीं।

शेष रहता है पहला आधार। वस्तुतः यह आधार बहुत अच्छा नहीं है। ध्वनि पैदा करने वाले अवयवों के आधार पर ध्वनि का नामकरण तो वैसा ही है, जैसे कोई मेज पर हाथ से मारे तो निकलने वाली आवाज को हम 'हाथ-मेज आवाज' नाम दें। यह नाम कितना हास्यास्पद है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार 'थप्पड़-मुँह-ध्वनि', 'ढंडा-पीठ-ध्वनि' या 'सिर-दीवाल-ध्वनि' भी नाम रखे जा सकते हैं, पर ये सभी वस्तुतः नाम नहीं हैं, अपितु नाम की विडंबना है। कहना न होगा कि मुँह से निकलने वाली ध्वनियों को भी 'दंतोष्ठ्य' या 'द्वयोष्ठ्य' आदि कहना उसी रूप में और उतना ही हास्यास्पद है, किन्तु अन्य दोनों आधारों के अव्यावहारिक होने पर हार कर भाषाविज्ञानियों को इसी का सहारा लेना पड़ा है। यों यह प्रसन्नता का विषय है कि हास्यास्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल ही अव्यवसाय्य, वस्तुगत एवं सरल है और इसके आधार पर बिना किसी विशेष परेशानी के ध्वनियों का नामकरण, वर्गीकरण आदि किया जा सकता है। यों इसमें थोड़ी-बहुत सहायता अन्य दो तथा ध्वनियों के प्रयोग की भी ली जा सकती और ली जाती है।

स्वर और व्यंजन

ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण 'स्वर' और 'व्यंजन' रूप में मिलता है। भारत में यों तो स्वर तथा व्यंजन के अंतर के संकेत पहले भी (ब्राह्मणों और आरण्यकों में) मिलते हैं, किन्तु स्पष्ट रूप से इसे सर्वप्रथम कहने का श्रेय महाभाष्यकार पतंजलि (२री सदी ई० पू०) को है। वे कहते हैं—'स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग् भवति व्यंजनमिति' अर्थात् स्वर स्वतंत्र हैं, व्यंजन उन पर आधारित हैं। बाद में याज्ञवल्क्य शिक्षा, वृत्तित्रयवार्तिक आदि कई अन्य ग्रन्थों में भी इसी बात को दृमा-फिरा कर कहा गया है। इस प्रकार भारतीय परम्परा में माना और कहा जाता रहा है: 'स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होते हैं। इसके विपरीत व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। यूरोप में २री सदी ई० पू० में ही प्रसिद्ध वैयाकरण थैक्स ने भी स्वर-व्यंजन को ठीक इसी प्रकार परिभाषित किया है।


कहना न होगा कि भारत और यूरोप द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा कि व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता और स्वर वे हैं जिनका हो सकता है, बहुत ठीक नहीं है। कई भाषाओं में ऐसे पूरे-के-पूरे शब्द हैं जिनमें एक भी स्वर नहीं है। अतः व्यंजन के स्वर की सहायता के बिना न उच्चरित होने की तो बात ही क्या, पूरे शब्द स्वर की सहायता के बिना उच्चरित हो सकते हैं। रमानिया तथा अफ्रीका की भाषाओं में ऐसे शब्द हैं। उदाहरणार्थ, अफ्रीका की डबो भाषा में डगडगडगड (पार्सल)। चेक भाषा का तो एक पूरा वाक्य ऐसा है जिसमें एक भी स्वर नहीं है—Strc Prst skrz krk [गले (अप्रण) में उँगनी दबाओ]। ग, ज, ज आदि सघर्षी व्यंजनों

कम उच्चारण तो बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार स्वर-व्यंजन की उपर्युक्त परिभाषा ठीक नहीं है। दोनों का ही उच्चारण किया जा सकता है। आजकल स्वर-व्यंजन को सामान्यतः इस रूप में परिभाषित किया जाता है।

“स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख-विवर से निकल जाती है।”

‘व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती। या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार, वायुमार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है।’

किन्तु ये परिभाषाएँ मात्र काम-चलाऊ हैं क्योंकि य, व, ह की तुलना में ई, ऊ में अवरोध कहीं अधिक होता है। वास्तविकता यह है कि ध्वन्यात्मक (Phonetic) स्वर पर स्वर-व्यंजन में पूर्णतः भेदक रेखा खींचना प्रायः असंभव है। पूरी स्थिति को यों रखा जा सकता है।”



अर्थात् क-ख रेखा को ध्वनि का प्रतीक मानें तो इसके एक सिरे पर स्पर्श व्यंजन है तो दूसरे सिरे पर स्वर है तथा बोध बीच में है। व्यंजनत्व सबसे अधिक स्पर्श में है, उससे कम स्पर्श संघर्षी में तथा इसी प्रकार आगे भी। इसी प्रकार स्वरत्व सबसे अधिक स्वर में है, उससे कम अर्धस्वर में तथा इसी प्रकार आगे भी। अर्धव्यंजन में पार्श्विक, प्रकंपित, नासिका तथा उल्क्षिप्त आते हैं। मैं अर्धस्वर में य, व के अतिरिक्त 'ह' को भी रखना चाहूँगा।

उपर्युक्त बातों के बावजूद यदि स्वर और व्यंजन में अन्तर दिखाना ही हो तो निम्नांकित बातें कही जा सकती हैं —

(१) स्वरों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है, किन्तु व्यंजनों में स, श, ज आदि केवल संघर्षी व्यंजनों के शेष के पहले (अब) या बाद में (जा) स्वर होने पर ही उच्चारण संभव है।

(२) सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। व्यंजनों में केवल संघर्षी ही ऐसे हैं, शेष का उच्चारण देर तक नहीं हो सकता।

(३) एक-दो (ई, ऊ) अपवादों को छोड़कर अधिकांश स्वरों के उच्चारण में मुख-विवर से हवा गुँजती हुई बिना विशेष अवरोध के निकल जाती है। अधिकांश व्यंजन इसके विरोधी हैं और उनमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध हवा के मार्ग में व्यवधान उपस्थित करता है।

(४) सभी स्वर आक्षरिक (syllabic) होते हैं। संघर्षी (diphthong) में अवश्य कुछ स्वरों का अनाक्षरिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, किन्तु यह अपवाद-जैसा है। दृग्गर्ग आदि प्रायः सभी व्यंजन सामान्यतः अनाक्षरिक (non-syllabic) होते हैं। अपवादरूप में नु, र, ल, आदि चाण-पाँच व्यंजन ही कभी-कभी कुछ भाषाओं में आक्षरिक रूप में दृष्टिगत होते हैं। डम अंतर का आधार भाषा में प्रयोग है।

(५) मुखरता (sonority) की दृष्टि से भी स्वर-व्यंजन में भेद है। स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर। कुछ अपवाद भी हैं, किन्तु वे अपवाद ही हैं। यों, जैसा कि इसी अध्याय में अन्यत्र दिखाया जायेगा, इसी दृष्टि से स्वरों और व्यंजनों के अलग-अलग स्वर बनाये जा सकते हैं। यह आधार श्रवणीयता का है।

(६) ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों में स्वर और प्रमुख व्यंजनों की लहरों में भी अन्तर मिलता है। हाँ, यह अवश्य है कि रु, म् आदि कुछ व्यंजनों की लहरें प्रकृति की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में आती हैं।


(७) व्यंजनों का उच्चारण मुँह में स्थान-विशेष से होता है, किन्तु स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से नहीं होता। वह पूरे मुख-विवर में होने वाली एक प्रकार की गूँज होता है।

(८) ध्वन्यात्मक (Phonetic) दृष्टि से स्वर-व्यंजन में स्पष्ट भेद करना कठिन है, किन्तु भाषा विशेष में स्वनिमिक (Phonemic) दृष्टि से उनको अलगया जा सकता है।

स्वरों का वर्गीकरण

स्वरों के वर्गीकरण के आधार

स्वर-ध्वनियाँ एक प्रकार की गूँज होती हैं। मौखिक स्वरों में यह गूँज मुख-विवर में होती है तथा अनुनासिक स्वरों में गूँज मुख-विवर तथा नासिका-विवर दोनों में होती है। मुख-विवर में गूँज मुख-विवर के स्वरूप पर निर्भर करती है। वह चौड़ा होगा तो एक प्रकार की गूँज होगी तथा संकरा होगा तो दूसरे प्रकार की। इसका आशय यह है कि किसी भाषा में जितने स्वर होते हैं, उनके उच्चारण में उतने ही प्रकार के स्वरूप मुख-विवर को देने पड़ते हैं। यह स्वरूप नीचे का जबड़ा, जीभ, कौवा, ओष्ठों की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त स्वर की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि गूँज कब तक हो रही है। इन दृष्टियों से स्वरों का वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर किया जा सकता है:



(१) जीभ का भाग—किसी स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो किसी में मध्य और किसी में पश्च। इस आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं—अग्र स्वर (जैसे हिन्दी में ई, इ, ए, ऐ); मध्य स्वर (जैसे हिन्दी में अ, आ); पश्च स्वर (जैसे हिन्दी में ऊ, उ, ओ, औ, ऑ)।

(२) जीभ के व्यवहृत भाग की स्थिति—जीभ का व्यवहृत भाग (चाहे वह अग्र हो, मध्य हो या पश्च) कभी तो उपर तालू के काफी पास चला जाता है (संवृत), कभी बिलकुल नीचे रहता है (विवृत) और कभी संवृत के पास रहता है (अर्ध संवृत), और कभी विवृत के पास (अर्ध विवृत)। इस प्रकार चार भेद हुए—संवृत स्वर (जैसे हिन्दी ई, इ, उ, ऊ), अर्ध संवृत स्वर (जैसे हिन्दी ए, ओ), अर्ध विवृत स्वर (जैसे हिन्दी ऐ, अ, औ, आँ) तथा विवृत स्वर (जैसे हिन्दी आ)।


(३) ओष्ठों की स्थिति—ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है, उन्हें वृत्तमुखी स्वर (जैसे हिन्दी ऊ, उ, औ, ओ, आँ) तथा जिनका बिना ऐसा किये उच्चारण होता है, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर (जैसे हिन्दी अ, आ, इ, ई, ए, ऐ) कहते हैं। ये दो मुख्य भेद हैं। यों, गौणतः पूर्णवृत्तमुखी (अ), अल्पवृत्तमुखी (आँ), उदासीन (अ) तथा पूर्णविस्तृत (ऐ) आदि अन्य भी भेदोपभेद किये जा सकते हैं।

(४) मात्रा—मात्रा का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है। इस आधार पर मुख्यतः दो भेद होते हैं—ह्रस्व स्वर (जैसे हिन्दी अ, इ, उ) तथा दीर्घ स्वर (हिन्दी आ, ई, ऊ, ए, ऐ, औ, आँ)। गौणतः दो भेद और होते हैं—ह्रस्वार्ध स्वर जो ह्रस्व स्वर से भी कम समय में उच्चारित हों, जैसे कुछ लोगों के उच्चारण में ब्रह्म, सम्य, विश्व आदि में अन्त में सुनाई पड़ने वाला अ, अथवा स्टेशन, स्टूल, स्त्री, आदि के बहुत से लोगों के उच्चारण में प्रारम्भ में सुनाई पड़ने वाली बहुत हलकी-सी इ। प्लुत स्वर—जो दीर्घ से भी कुछ दीर्घ हो। 'ओऽम्' में 'ओ' ऐसा ही स्वर है जिसके बाद का ३ प्लुत का ही द्योतक है। इस्तोनियम भाषा में प्रायः सभी स्वरों के बीच ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत रूप मिलते हैं।

(५) कौवे की स्थिति—इस आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं—(क) मौखिक स्वर—जिसके उच्चारण के समय कौवा ऊपर उठ कर नासिका-विवर को बन्द कर लेता है और सारी-की-सारी हवा मुँह से ही निकलती है। हिन्दी के अ, आ, इ, ई आदि ऐसे ही स्वर हैं। (ख) अनुनासिक स्वर—जिसके उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, अतः हवा का कुछ अंश नाक से भी निकलता है हिन्दी के आँ, अँ, ईँ, उँ, ऊँ, ऐँ आदि स्वर ऐसे ही हैं। अनुनासिक स्वर दो प्रकार के हो सकते हैं—(अ) पूर्ण अनुनासिक स्वर—जैसे 'हाँ' का 'आँ', (आ) अल्प अनुनासिक स्वर—जैसे 'राम' का 'आँ'।

(६) जीभ के अचल या चल होने के आधार पर—इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं—(क) मूल स्वर—जिसके उच्चारण में जीभ अचल रहती है, अर्थात् किसी एक स्थिति में रहती है। हिन्दी के मानक रूप में सामान्यतः सभी स्वर ऐसे ही हैं। उपर के स्वर चतुर्भुज में गुणे (X) के चिह्न द्वारा जीभ की अचल स्थिति ही दिखाई गई है।

(ख) संयुक्त स्वर—ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्वर-स्थिति से चलकर दूसरी स्वर-स्थिति में जाती है। हिन्दी में 'वैयाकरण' में 'ऐ' के उच्चारण में जीभ 'अ' की स्थिति से 'इ' की स्थिति की ओर जाती है। इसी प्रकार 'कौवा' के 'आँ' में 'अ' से 'उ' की ओर जाती है—



(७) मुँह की मांसपेशियों की शिथिलता-दृढ़ता—इस आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं—(क) शिथिल — जैसे अ, इ, उ आदि ह्रस्व स्वर। (ख) दृढ़—जैसे ई, ऊ आदि दीर्घ स्वर। सभी स्वर समान रूप से शिथिल या दृढ़ नहीं होते, इसलिए और गहराई में जाकर इनके 'पूर्ण' तथा 'अल्प' आदि कई उपभेद भी किये जा सकते हैं। कुछ लोग केवल संस्कृत स्वरों का ही इस दृष्टि से वर्गीकृत करते हैं।

(८) स्वर-तंत्रियों की स्थिति—पीछे घोष-अघोष पर विचार किया जा चुका है। स्वर-तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं—(क) घोष स्वर—प्रायः सभी भाषाओं में सभी स्वर घोष स्वर होते हैं, अर्थात् उनके उच्चारण में स्वर-तंत्रियाँ एक-दूसरे के बहुत निकट होती हैं। (ख) अघोष स्वर—अपवादस्वरूप कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में अघोष स्वर उच्चरित होते हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर-तंत्रियाँ एक-दूसरी से इतनी निकट नहीं होतीं कि उनके बीच से निकलने वाली हवा स्वर-तंत्रियों से किनारों से टकराकर घर्षण करती हुई निकले। ऐसे स्वर को फुसफुसाहटवाला स्वर या जपित स्वर भी कहते हैं। अक्की में 'जाति', 'होथु' के 'इ', 'उ' ऐसे ही स्वर हैं। अघोष स्वरों को प्रायः नीचे छोटा वृत्त का चिह्न लगाकर लिखते हैं।


इसी प्रसंग में मर्मर स्वर (murmur vowel) का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसे अधिकांश विद्वानों ने घोष और जपित के बीच की स्थिति माना है, इसीलिए इसे अर्द्धघोष (Half-voiced) कहते हैं। इसके साथ एक रगड़-जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। इसमें हवा का दबाव घोष और जपित दोनों प्रकार के स्वरों से कुछ कम होता है। बलाघातहीन अक्षर के स्वर कभी-कभी ऐसे होते हैं। Potato के प्रथम O का स्वरूप कुछ लोगों के अनुसार ऐसा ही है।

बीमार या कुमजोर आदमी द्वारा बोले गये अधिकांश स्वर इसी प्रकार के हो जाते हैं। हिन्दी में 'यह', 'वह' आदि शब्दों में जब 'ह' प्रायः अनुच्चरित-सा होता है, पूर्ववर्ती 'अ' मर्मर स्वर हो जाता है। भाषा के विकास में 'मर्मर स्वर' धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं। मर्मरता की कमी-वेशी के आधार पर कई प्रकार के मर्मर स्वर हो सकते हैं।


मान स्वर (cardinal vowel)

मान स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो किसी भाषा-विशेष के नहीं होते, बल्कि विभिन्न भाषाओं के स्वरों के स्थान-निर्धारण के लिए बताये हुए मानदंड हैं। इन्हें मानक स्वर अथवा आदर्श स्वर भी कहते हैं। सबसे पहले स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के स्थान का ठीक-ठीक अध्ययन करने का प्रयास १६५३ के आसपास में जॉनवल्मिस ने किया। फिर १७८० के आसपास स्वाबियन विद्वान् हेन्डवैग ने जीभ की स्थिति का अध्ययन करके एक स्वर्ग के उच्चारण का एक त्रिभुज (चित्र क) बनाया। स्वर

त्रिभुज की परम्परा का प्रारम्भ यहीं से है। इसी आधार पर प्रायः स्वर चतुर्भुज को आज भी स्वर-त्रिभुज कहा जाता है। आगे चल कर डैनियल जोन्स तथा उनके सहयोगियों ने विभिन्न भाषाओं में स्वरों के उच्चारण के समय एक्स-रे फोटो लेकर उसका औसत निकाल कर स्वरों के उच्चारण के समय जीभ की स्थिति को निर्धारित किया। स्वरों का स्वाभाविक स्थान कुछ इस प्रकार (चित्र 'ख') का है—




चित्र क



चित्र ख


जिसे व्यवस्थित तथा सरल रूप में यों (चित्र 'ग') रखा जा सकता है—



चित्र 'ग'

इसमें ऊपर स्वर रेखा है। स्वर के उच्चारण में जीभ वहीं तक उठ सकती है। जीभ यदि उसके ऊपर उठेगी तो तालु और जीभ के बीच स्थान कम होने से वायुमार्ग में अवरोध होगा, अतः स्वर का उच्चारण नहीं हो सकता। चतुर्भुज की ऊपरी सीमा रेखा 'संवृत' (close) का द्योतन कर रही है, अर्थात् जीभ यहाँ हो तो तालु और जीभ के बीच 'संकोच' या संवृत स्थान होगा। सबसे नीचे की रेखा 'विवृत' (open) है, अर्थात् जीभ यहाँ हो तो जीभ और तालु के बीच में अधिकतम स्थान होगा। विवृत का अर्थ है—'खुला हुआ'। दायें हाथ की खड़ी रेखा भीतर की तरफ जीभ जान की अंतिम सीमा दिखा रही है तथा बायें हाथ की खड़ी रेखा बाहर की तरफ जीभ की अंतिम सीमा दिखा रही है। इस प्रकार चारों रेखाएँ मिलकर स्वर-उच्चारण की चार सीमाएँ द्योतित कर रही हैं—संवृत अर्धसंवृत

अर्धविवृत तथा विवृत जीभ के ऊपर उठने की स्थिति दिखा रहे हैं—




संवृत = बिलकुल सँकरा, अर्धसंवृत = कुछ सँकरा, अर्ध विवृत = कुछ खुला, विवृत = बिलकुल खुला। अग्र, मध्य, पश्च जीभ के भाग का घातन करते हैं।

इन आठों में ओष्ठों की आठ स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। 'इ' में वे बिलकुल फैले होते हैं, ए, ऐ, अऽ में कम से उनका फैलाव कम होता जा रहा है और अ, आ तथा ओ, ऊ में पूर्णतः गोलाकार हो जाते हैं। इस प्रकार अब मान स्वर अग्रवृत्तमुखी हैं तथा पश्च प्रायः वृत्तमुखी। इनमें भी पश्च अर्धविवृत इंपद्वृत्तमुखी और शेष दो—संवृत, अर्धसंवृत—पूर्णवृत्तमुखी। ये आठ मान स्वर प्रधान मान स्वर भी कहे जाते हैं। इनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार का है—ई—अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्र, संवृत। ए—अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्र, अर्धसंवृत। ऐ—अवृत्तमुखी, शिथिल, अग्र, अर्धवृत्त। आ—अवृत्तमुखी, शिथिल, अग्र, विवृत। ओ—स्वल्पवृत्तमुखी (अ से कुछ अधिक), शिथिल, पश्च, अर्धविवृत। ऑ—वृत्तमुखी, दृढ़, पश्च, अर्धसंवृत। ऊ—पूर्णवृत्तमुखी, दृढ़ (ओ से अधिक), पश्च, संवृत।

अप्रधान या गौण मान स्वर (Secondary Cardinal Vowel)

जितने प्रधान मान स्वर थे, उतने ही अप्रधान या गौण मानस्वर भी हो सकते हैं। किन्तु उनमें



केवल सात ही ऐसे हैं जिनसे मिलती-जुलती ध्वनियों का प्रयोग संसार की भाषाओं में होता है ; अतः गौण मानस्वर सात ही माने गये हैं। जो स्वर 'ई' के स्थान पर है, उनमें अन्य सारी बातें 'ई' जैसी होती हैं ; केवल ओष्ठ 'ऊ' की तरह वृत्तमुखी होते हैं। इसी प्रकार 'ए' के स्थान वाले स्वर में ओष्ठ 'ओ' की तरह वृत्तमुखी होते हैं और 'ऐ' के स्थान वाले में आँ की तरह। इसी प्रकार पञ्च गौण मानस्वरो में भी केवल ओष्ठ का अन्तर होता है। इनमें ओष्ठ क्रम से अग्र की भाँति होते हैं। गौण मानस्वरो से मिलती-जुलती ध्वनियों का प्रयोग फ्रांसीसी, जर्मन, मराठी तथा अंग्रेजी के कुछ क्षेत्रीय रूपों आदि में होता है।

केन्द्रीय स्वरों के भी गौण मानस्वर रूप हो सकते हैं। जिस किसी भाषा के स्वरों का वर्णन करना होता है, उपर्युक्त (प्रधान या अप्रधान मानस्वर) में जिस स्वर के समीप जो स्वर होता है, उसे वही नाम दे देते हैं।

स्वर-वर्गीकरण की ब्लॉक-ट्रैगर की पद्धति

उपर्युक्त रूप में आठ प्रधान और सात अप्रधान स्वर थे। यह पद्धति यूरोप में प्रचलित रही है।

	अवृत्तमुखी	वृत्तमुखी	अवृत्तमुखी	वृत्तमुखी	अवृत्तमुखी	वृत्तमुखी
उच्च	i	ü=y	ɨ	ʊ	ï=ɰ	u
निम्नतर उच्च	I	Û	ɪ	ʊ̇	ĩ	u
उच्चतर मध्य	e	ö=ø	ɛ̇	ȯ	ë=ʏ	o
मध्य	E	Ö	É=ə	Ω	Ë	Ω
निम्नतर मध्य	ɛ	ö=œ	ɛ̇	ɔ̇	ë=ʌ	ɔ̇
उच्चतर निम्न	æ	ö̇	æ̇	ɔ̇	æ̇	ɔ̇
निम्न	a	ö	ä	ɔ̇	ä=a	ɔ̇

अमेरिका में जीभ की ऊँचाई-निचाई या उगके अग्र, पश्च, मध्य आदि भाग—अर्थात् उन्हीं आधारों पर जिनका उपयोग उपर्युक्त मानस्वरों में हुआ है—के आधार पर और अधिक भेद किये गये हैं। ब्लॉक

और ट्रेगर ने स्वर का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। उन्होंने ऊँचाई के आधार के नामों को ऊपर से नीचे high, lower high, higher mid, mean mid, lower mid, higher low तथा low कहा है।

कहना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधान और अप्रधान दोनों मिला दिये हैं, साथ ही ऊँचाई में चार के स्थान पर अधिक भेद किये गये हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, आवश्यकतानुसार ऐसे अनेक भेद किये जा सकते हैं। सिद्धान्ततः दोनों पद्धतियों में विशेष अन्तर नहीं है। यों स्वरों के स्थान-निर्धारण की दृष्टि से प्रधान स्वरों वाली पद्धति की उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती।
श्रुति (Glide)

लिखने में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जल्दी में दो शब्दों या दो वर्णों के बीच एक की समाप्ति के बाद और दूसरे के आरम्भ के पूर्व झटके से एक निरर्थक लाइन खिंच जाती है। उसी प्रकार बोलने में उच्चारण-अव्ययत जब एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरे का उच्चारण करने के लिए नयी स्थिति में जाने लगते हैं तो कभी-कभी हवा के निकलते रहने के कारण बीच में ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है जो वस्तुतः उस शब्द में नहीं होती। ऐसी अकस्मात् आ जाने वाली ध्वनि 'श्रुति' कहलाती है। ऐसी ध्वनियाँ सर्वदा दो ध्वनियों के बीच में ही न आकर कभी-कभी किसी ध्वनि के पूर्व भी आ जाती है। पूर्व में आने वाली श्रुति 'पूर्वश्रुति' (on glide) या 'अग्रश्रुति' कहलाती है। स्टेशन, स्कूल, स्नान आदि में आरम्भ के स्वर पूर्वश्रुत ही हैं। असावधान, आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारण में यह अधिक स्पष्ट होती है। यह श्रुति अन्यों की भाँति अनायास है, यद्यपि इसके कारण आदि स्वर आने से व्यंजन-गुच्छ टूट जाता है और एक अक्षर की वृद्धि हो जाती है; जैसे—स्टेशन = २ अक्षर। इसटेशन = ३ अक्षर, इस+टे+शन। अस्थि से हड्डी, उल्लास से हुलास, उधार से वुधार आदि पूर्वश्रुति ही है जिसे आगम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता है। इसके मूल में भी ढीलापन या आलस्य आदि है। इस प्रकार की श्रुति शब्द के आरम्भिक मीन तथा प्रथम ध्वनि के बीच उच्चरित हो जाती है। विद्वानों ने श्रुति का दूसरा भेद बाद की श्रुति 'पश्चश्रुति', 'परश्रुति' या 'पश्चात्श्रुति' (off glide) को माना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका नाम 'मध्यश्रुति' होना चाहिए। अग्र स्वर के साथ 'या' तथा पश्च स्वर के साथ 'व' प्रायः इस प्रकार सुने जाते हैं; जैसे—इ-आ (किया), इ-ओ (जियो) के बीच य तथा उ-आ (हुआ) के बीच व। जेल से जैहल में 'ह' भी इसी प्रकार है। वस्तुतः यह परश्रुति नहीं है, क्योंकि अन्त में यदि उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुति का आगम नहीं होगा; जैसे—इ-ए (लिए) या उ-ई (हुई)। इस प्रकार दोनों ओर की ध्वनियों का इस श्रुति में हाथ है, अतः इसे 'मध्यश्रुति' ही कहना चाहिए।

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परश्रुति होती ही नहीं। यह होती है, किन्तु प्रायः अत्यन्त क्षीण होती है। आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारण में आज संयुक्त व्यंजनांत हिन्दी शब्दों के अन्त में सुना जाने वाला अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही है। इस प्रकार श्रुति के दो भेद नहीं माने जाने चाहिए, जैसा कि विद्वानों ने माना है, अपितु तीन माने जाने चाहिए—(१) पूर्वश्रुति, (२) मध्यश्रुति, (३) परश्रुति। संयुक्त स्वर मध्यश्रुति है, क्योंकि दो स्वरों के उच्चारण के बीच में आता है। यहाँ एक ओर बात भी ध्यान देने की है। श्रुति की प्रायः जो परिभाषा दी जाती है, वह वस्तुतः 'मध्यश्रुति' की है। यों तीनों श्रुतियों का मूल कारण मुखगुह्य है। आलस्य, असावधानी या निष्क्रियता वस्तुतः डगी के स्प है, किन्तु मध्यश्रुति में इन मयंग अधिक हाथ मजजना का है। डगी कारण 'ज' 'द' आदि के मध्यगम

(डजन—दर्जन, तनूर—तन्दूर) श्रुति नहीं कहे जा सकते।

स्वरानुक्रम (Vowel sequence)—जब दो या अधिक स्वर एक के बाद एक आते हैं तो इस स्थिति को स्वर-संयोग अथवा स्वर-क्रम कहते हैं। जैसे—हिन्दी आओ, आइए आदि। इसमें स्वरों के गुण में कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

संयुक्त स्वर (Diphthong)—संयुक्त स्वर अथवा संध्यक्षर दो स्वरों के संयुक्त रूप को कहते हैं। संस्कृत में (अ+इ =) ए (आ+इ=) ए, (अ+उ =) ओ, (आ+उ=) औ, इसी रूप में संयुक्त स्वर थे। हिन्दी के पूर्वी क्षेत्र में ऐ (अ+ए) तथा औ (अ+ओ) की भी यही स्थिति है। इस संबंध में मुख्यतः छह बातें ध्यान में रखने की हैं—(१) संयुक्त स्वर में दो स्वर एक में मिल-से जाते हैं, स्वरानुक्रम की तरह क्रमशः अलग-अलग नहीं आते। (२) मूल-स्वर (Monophthong) या सक्षानाक्षर में जीभ एक स्थान पर अचल रहती है किंतु संयुक्त स्वर में वह एक स्वर-स्थान से चलकर दूसरे स्वर-स्थान की ओर शीघ्रता से जाती है, और जीभ के इस जाने की स्थिति में ही उच्चारण हो जाता है। इस प्रकार मूल स्वर के उच्चारण में जीभ अचल रहती है तो संयुक्त स्वर में चल। इसीलिए संयुक्त स्वर को विसर्प (glide) कहते हैं, अर्थात् जिसके उच्चारण के समय जीभ सरकती रहे। (३) संयुक्त स्वर में दोनों स्वर मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं। (४) संयुक्त स्वर का पहला स्वर यदि अधिक मुखर हो तो संयुक्त स्वर को अवरोही (falling) संयुक्त स्वर, इससे अधिक मुखर हो तो आरोही (rising) तथा दोनों बराबर हो तो सम (levelled) कहते हैं। (५) संयुक्त स्वर के गौण स्वर को व्यंजनात्मक (consonantal) अथवा अनाक्षरिक (non-syllabic) स्वर कहते हैं। (६) अपवादतः कभी-कभी दो से अधिक स्वरों का भी संयुक्त स्वर प्रयुक्त होता है।

व्यंजनों का वर्गीकरण

प्रयत्न

ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या और कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है। इसी क्रिया को 'प्रयत्न' कहते हैं। हर ध्वनि के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। 'प्रयत्न' का हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य (आरण्यक, प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि) में बड़े विस्तार में विचार किया गया। 'प्रयत्न' के दो भेद मिलते हैं—'अभ्यन्तर' और 'बाह्य'। 'अभ्यन्तर' प्रयत्न का 'आस्य प्रयत्न', 'करण'¹ या 'प्रदान' भी कहा गया है। 'आस्य' का अर्थ 'मुँह' है। मुँह के भीतर प्रयत्न होने के कारण ही इसे 'अभ्यन्तर प्रयत्न' कहते हैं। मुँह के बाहर जो प्रयत्न होता है, उसे 'बाह्य प्रयत्न', 'प्रकृति' या 'अनुप्रदान' कहा गया है।

'अभ्यन्तर प्रयत्न' का क्षेत्र निश्चित नहीं है। पतंजलि 'महाभाष्य' में ओष्ठ से काकलक (ओष्ठात्प्रभृति प्राक् काकलकात्) तक मानते हैं। 'काकलक' को कैट ने (काकलकं हि नाम ग्रीवायामुन्त प्रदेशः) घंटी कहा है। यदि सचमुच ओष्ठ से घंटी के बीच का प्रयत्न 'अभ्यन्तर' में आता है तो 'अनुनासिकता' और 'निरनुनासिकता' के लिए किये गये प्रयत्न का इसी के अंतर्गत मानना चाहिए, किन्तु इसे बहुत से लोगों ने तो किसी भी प्रयत्न में नहीं रखा है और जिन्होंने रखा भी है,

१. आजकल 'करण' का प्रयोग उच्चारण के सक्रिय अंग (articulator) जैसे जीभ आदि के लिए किया जा रहा है। यो चंद्रगोमिन के 'वर्णमूत्र' आदि में भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग मिलता है।

'बाह्य' में रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस श्रेणी के विद्वानों के अनुसार कोमल तालु से ओठ के बीच के किये गये प्रयत्न ही अभ्यन्तर के अंतर्गत हैं। इस प्रकार की अनेकरूपता के कारण यह कहना बिल्कुल ही कठिन है कि प्राचीन भारत का सर्वसम्मत मत अमुक था। यों इस स्खलन के बावजूद अधिकांश ग्रंथों में 'अभ्यन्तर प्रयत्न' के अंतर्गत स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत और संवृत-इन चार को रखा गया है। इनमें स्पृष्ट तो स्पर्शों के लिए है, ईषत्स्पृष्ट अंतःस्थों के लिए, संवृत 'अ' (पाणिनि के काल में) के लिए, और विवृत ऊष्मों और स्वरों के लिए। पाणिनीय शिक्षा में 'स्पृष्ट, नेमस्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट और अस्पृष्ट' का प्रयोग मिलता है, किन्तु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है। वहाँ प्रथम में स्पर्श तथा ह, दूसरे में ऊष्म, तीसरे में अंतस्थ और अन्तिम में स्वर हैं। कुछ ने इसके पाँच भेद—स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट (अन्तःस्थ), ईषद्विवृत (ऊष्म), विवृत (स्वर), संवृत (अ)—किये हैं।

'बाह्य प्रयत्न' का सम्बन्ध अधिकांश लोगों के अनुसार स्वर-तंत्रियों से है। प्राचीन ग्रंथों में इसके विचार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित-ये ग्यारह भेद मिलते हैं। इनमें अंतिम तीन का सम्बन्ध सुर से है और अल्पप्राण, महाप्राण का हवा की कमी-वेशी से। शेष छह का सम्बन्ध स्वर-तंत्रियों से है। विचार उनका एक-दूसरे से दूर रहना है और संवार निकट रहना। दूर रहने पर उनके बीच जो हवा आती है, श्वास है और उससे उत्पन्न ध्वनि अघोष है। दूसरी ओर संवार स्थिति में 'नाद' वायु से उत्पन्न ध्वनि घोष है। मनभोहन घोष आदि कुछ विद्वानों के अनुसार इनमें श्वास और अघोष तथा नाद और घोष एक ही हैं। व्यर्थ में नौ को ग्यारह कह दिया गया है।

आधुनिक विद्वानों में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि कुछ लोग 'बाह्य प्रयत्न' में केवल घोष-अघोष के लिए किये गये प्रयत्न को स्थान देते हैं, अर्थात् उनके अनुसार बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों के केवल अघोष-घोष दो भेद होते हैं। दूसरी ओर ऐलन आदि कुछ लोग इसके अन्तर्गत घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक इन तीनों के लिए किये गये प्रयत्न को स्थान देते हैं। यदि इसे मानें तो 'बाह्य प्रयत्न' का सम्बन्ध मात्र स्वर-तंत्रियों से नहीं रह जाता। वस्तुतः प्राचीन ग्रंथों में उपर्युक्त तीनों मत तो हैं ही, इनके अतिरिक्त कुछ और भी मत हैं। ऐसी स्थिति में प्रयत्न के भेद के सम्बन्ध में प्राचीन भारत के किसी एक मत को मान्यता देना सम्भवतः बहुत ठीक नहीं है। यों इन पंक्तियों के लेखक का मत यह है कि गम्भीरता से विचार करने पर ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि बाह्य और अभ्यन्तर नाम से दो प्रयत्न करके फिर उनके भीतर अन्य प्रयत्नों को स्थान देने से अधिक सुविधाजनक और वैज्ञानिक यह होगा कि सीधे मात्र 'प्रयत्न' के अन्तर्गत ही उन सारे प्रयत्नों को रखें जिनका प्रयोग ओठ से लेकर स्वर-तंत्रियों तक या उनके भी पूर्व होता है। पश्चिम में आधुनिक ध्वनिशास्त्र में ऐसा ही किया भी जा रहा है। बाह्य-अभ्यन्तर का पचड़ा बेकार-सा है।

इस प्रकार अभ्यन्तर-बाह्य की बात छोड़कर प्रयत्न (manner of articulation) के भेद किये जा सकते हैं। अधिकांश पुस्तकों में स्पर्श, नासिक्य, पार्श्विक लुठित, उद्विष्ट, संघर्षी तथा अर्द्धस्वर के उच्चारण के लिए किये गये प्रयत्नों की गणना इसके अन्तर्गत की गई है, किन्तु मेरा मत यह है कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण में इससे कहीं अधिक प्रयत्न किये जाते हैं। प्रमुख रूप से प्रयत्न निम्नांकित के लिए किये जाते हैं—(१) घोष, (२) अघोष, (३) जपित (इसके कई उपभेद किये जा सकते हैं), (४) अल्प प्राण, (५) महाप्राण, (६) मौखिक ध्वनि, (७) नासिक्य ध्वनि, (८) मौखिक नासिक्य ध्वनि, (९) स्पर्श, (१०) संघर्षी, (११) पार्श्विक, (१२) लुठित (१३) उद्विष्ट,

(१४) अर्द्धस्वर। यदि स्वर को भी रखें तो उपर्युक्त भेदों में कुछ तो आयेंगे ही, उनके अतिरिक्त (१५) मर्मर, (१६) संवृत्त, (१७) अर्द्धसंवृत्त, (१८) अर्द्धविवृत, (१९) विवृत आदि के लिए प्रयत्न भी जोड़ने पड़ेंगे। ये तो थीं सामान्य ध्वनियाँ। यदि इनके साथ अंतर्मुखी (imposive), क्लिक (click) और उद्गार (ejective) ध्वनियों को भी जोड़ दिया जाय तो प्रयत्नों की संख्या और भी अधिक बढ़ जायगी। ऐसा अनुमान करना अन्यथा न होगा कि सविस्तार देखने पर प्रयत्नों की संख्या ५० से कम न होगी। यह भी स्मरणीय है कि किसी भी ध्वनि के लिए प्रायः विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, 'ख' के लिए स्पर्शीय, अघोषीय, महाप्राणीय तथा निरनुनासिकीय, ये चार प्रयत्न अपेक्षित हैं। यही बात अधिकांश ध्वनियों के लिए सत्य है।

स्थान

ध्वनियों का उच्चारण विशेष प्रयत्न से किया जाता है, किन्तु साथ ही यह प्रयत्न स्थान-विशेष या अंग-विशेष से किया जाता है। 'स्थान' वह है जहाँ भीतर से आती हुई हवा को रोककर या किसी अन्य प्रकार से उसमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। स्थान (place of articulation) भी उच्चारण में प्रयत्न जितने ही महत्वपूर्ण हैं और उनके आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वर के अग्र, मध्य, पश्च भेद स्थान पर ही आधारित हैं। किन्तु स्वरों में इन तीनों स्थानों से तो संवृत-विवृत आदि का प्रयत्न होता है, शेष—अनुनासिक-मौखिक, वृत्तमुखी-अवृत्तमुखी, घोष-अघोष आदि—प्रयत्न अन्य स्थानों पर होते हैं। व्यंजनों में भी ओष्ठ से लेकर स्वरयंत्र तक इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रयत्न होता है। प्रमुख स्थान ओष्ठ, दाँत, वर्त्स, कठोर तालु, मूर्द्धा, कोमल तालु, अलिजिह्व, उपलिजिह्व तथा स्वरयंत्र हैं।

जिस प्रकार एक ध्वनि के लिए कई एक प्रयत्न अपेक्षित हैं, उसी प्रकार बहुत से प्रयत्न के लिए बहुत से स्थान भी अपेक्षित हैं। उपर्युक्त उदाहरण के 'ख' के लिए ही स्वरयंत्र (अघोष), अलिजिह्व (निरनुनासिक), कोमल तालु आदि स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। केवल एक स्थान और एक प्रयत्न का विचार ही पर्याप्त नहीं है, जैसा कि प्रायः सभी ध्वनिशास्त्र के ग्रन्थों में मिलता है। किन्तु संक्षिप्तता और व्यावहारिकता की दृष्टि से प्रायः किसी भी ध्वनि के प्रमुख प्रयत्न और उस प्रमुख प्रयत्न के स्थान का ही विचार किया जाता है। इसी कारण उपर्युक्त उदाहरण के 'ख' के प्रयत्न और स्थान के बारे में उतने विस्तार में न जाकर संक्षेप में उसे स्थान की दृष्टि से 'कोमल तालव्य' और प्रयत्न की दृष्टि से 'स्पर्श' कहा जाता है। यही बात सभी व्यंजनों और स्वरों के बारे में की जाती है। यद्यपि किसी भी ध्वनि को पूर्णतः समझने के लिए उसके सभी स्थानों या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न प्रयत्नों का विचार किया जाना चाहिए।

व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार

व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नांकित छह आधारों पर किया जा सकता है— जिनमें मुख्य प्रथम चार हैं—

(क) प्रयत्न के आधार पर—इस आधार पर व्यंजनों के मुख्यतः निम्नांकित भेद होते हैं—

(१) स्पर्श (Stop)—स्पर्श का अर्थ है—'छूना'। इसके उच्चारण में एक उच्चारण-अवयव दूसरे का स्पर्श करता है। स्पर्श के उच्चारण में तीन चरण होते हैं। पहले चरण में हवा भीतर से स्पर्श-स्थान तक आती है, दूसरे चरण में दो अवयव एक-दूसरे का स्पर्श करके भीतर से आती हवा को रोक देते हैं। तीसरे चरण में दोनों अवयव एक-दूसरे से दूर हट जाते हैं और हवा बाहर निकल

जाती है। ये तीनों चरण 'हवा का आगमन', 'अवरोध' तथा 'स्फोटन' हैं। स्पर्श व्यंजन दो प्रकार के होते हैं—स्फोटित (exploded) स्पर्श—जिसमें तीसरा चरण होता है, अर्थात् अंत में स्फोट होता है। यह स्वर के पूर्व आता है तथा इसमें उच्चारण तीसरे चरण के आरम्भ में सुनाई पड़ता है। अस्फोटित (Unexploded) स्पर्श—इसमें तीसरा चरण नहीं होता तथा ध्वनि पहले चरण के अंत में सुनाई पड़ती है। यह स्पर्श व्यंजन के पूर्व (अप्सरा) या शब्दांत में (आप) आता है। भारतीय वैयाकरणों ने इस अस्फोटित उच्चारण को अभिनिधान कहा है। हिंदी में क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, द, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ तथा क स्पर्श हैं। संस्कृत में च, छ, ज, झ तथा पाँचों नासिक्य व्यंजनों को भी स्पर्श में रखा गया है।

(२) संघर्षी (Fricative)—इससे उच्चारण में दो उच्चारण-अवयव एक-दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली हवा घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। हिंदी में फ, व, स, ज, श, ख, ग, ह संघर्षी व्यंजन हैं। संस्कृत में स, प, श, ङ संघर्षी व्यंजन हैं।

(३) स्पर्श संघर्षी (Affricate)—इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण 'स्पर्श' का होता है तथा अंतिम चरण 'संघर्ष' का। हिंदी में च, छ, ज, झ यही हैं। संस्कृत में ये स्पर्श माने गये हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्फोटित रूप में ही स्पर्श-संघर्षी रहता है, अस्फोटित होने पर स्पर्श हो जाता है : जैसे—चना, नाच।

(४) नासिक्य (Nasal)—इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। ड, ञ, ण, न, म नासिक्य व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों में हवा का निकलना कुछ देर के लिए रुक जाता है (अवरोध की स्थिति में), किंतु नासिक्य व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती रहती है।

(५) पार्श्विक (lateral)—इनके उच्चारण में मुँह के मध्य मार्ग में दो अवयव एक-दूसरे से मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं, किंतु हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकलती रहती है। इसके आधार पर इसके दो भेद होते हैं—एकपार्श्विक, द्विपार्श्विक। 'ल' पार्श्विक व्यंजन है जो कुछ के उच्चारण में एकपार्श्विक तथा कुछ के उच्चारण में द्विपार्श्विक होता है।

(६) उत्क्षिप्त (Flapped)—इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है : जैसे—ड़, ढ़।

(७) कंपनजात (Trilled)—इसके उच्चारण में किसी अवयव की नोक में से वायु के प्रवाह से कंपन होता है। उदाहरण के लिए हिंदी 'र' के उच्चारण में जीभ की नोक काँपती है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० बाबूराम सक्सेना ने हिन्दी 'र' को लुंठित (rolled) (जिसका जीभ को बेलन की तरह लपेट कर उच्चारण करते हैं), कहा है तथा डॉ० कादरी और घटर्जी ने उत्क्षिप्त। किन्तु मेरे विचार में हिन्दी 'र' कंपनजात है।

(८) संघर्षहीन सप्रवाह (Erictionless continuant)—इसमें हवा का प्रवाह तो चलता रहता है, किंतु संघर्ष नहीं होता। य, व ऐसी ही ध्वनियाँ हैं। ये स्वर तथा व्यंजन के बीच में हैं : अतः इन्हें अर्धस्वर (semivowel) कहते हैं। यो ये अपनी प्रकृति में स्वर से अधिक व्यंजन हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर (semivowels) कहते हैं। यो ये अपनी प्रकृति में स्वर से अधिक व्यंजन हैं, अतः इन्हें अर्धव्यंजन कहना कदाचित् अधिक उपयुक्त है। इनके उच्चारण में उच्चारण-अवयव पहलने क्रमशः इ और उ की स्थिति में होते हैं तथा फिर परवर्ती स्वर (या, वा) या व्यंजन की स्थिति में हो जाते हैं।

कभी-कभी व्यंजनों के प्रत्यय के आधार पर मोटे म्प में दो भेद किये जाते हैं—(अ) अवर्ण्य

(Non-continuant) —जिसमें हवा रुक जाय। स्पर्श तथा स्पर्श-संघर्षी ध्वनियाँ अवरोधी हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में हवा रुक जाती है। (आ) अनवरोधी (Continuant) —जिनके उच्चारण में हवा रुके नहीं। नासिक्य उच्छ्वाप्त, कंठजित् पाशिवक, संघर्षी, अर्द्धस्वर ध्वनियाँ अनवरोधी हैं। इनके उच्चारण में हवा का प्रवाह रुकता नहीं।

(ख) स्थान के आधार पर—इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः निम्नांकित भेद हो सकते हैं—

(१) स्वरयंत्रमुखी (Laryngeal या glottal)^१—उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरयंत्रमुख से उच्चरित की जाती हैं। इन्हें स्वरयंत्र-स्थानीय, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं। 'ह' (हिन्दी आदि का) स्वरयंत्रमुखी संघर्षी है। अरबी का 'हमजा' स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (glottal stop) है।^२ उत्तरी जर्मन तथा कुछ अन्य भाषाओं में भी यह स्पर्श मिलता है।

(२) उपालिजिह्वीय (Pharyngeal) —उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरयंत्र और अलिजिह्व के बीच में उपालिजिह्व या गलबिल से उच्चरित होती हैं। इसके लिए जिह्वामूल को पीछे हटाकर गलबिल को संकीर्ण कर लिया जाता है। अरबी की 'बड़ी हे' और 'एन' इसी स्थान से उच्चरित होती हैं। उपालिजिह्वीय ध्वनियाँ प्रायः अफ्रीका में या उसके आसपास ही मिलती हैं।

(३) अलिजिह्वीय (Uvular) —कौंवे या अलिजिह्व से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जिह्वामूल या जिह्वापश्च को या तो निकट ले जाकर वायुमार्ग संकरा करते हैं और संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है, या स्पर्श कराकर स्पर्श-ध्वनि। इन ध्वनियों को जिह्वामूलीय या जिह्वापरधीय भी कहा जाता है। क ध्वनि इसी प्रकार की है।

(४) कोमल तालव्य (Soft palatal) —इसे संस्कृत में कंठ्य (guttural या velar) कहा गया है। जीभ के पिछले भाग के सहारे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। क, ख, ग, घ, ङ यही हैं। ख, ग आदि संघर्षी ध्वनियाँ भी यहाँ से उच्चरित होती हैं।

(५) मूर्धन्य (Cerebral) —उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मूर्द्धा में महायना ली जाती है। संस्कृत में टवर्ग, ऋ, ए आदि मूर्धन्य थे—ऋटुराणां मूर्द्धा। हिन्दी में टवर्ग यद्यपि पुराने-नये सभी लेखकों द्वारा मूर्धन्य कहा गया है, किन्तु वस्तुतः उसका मूर्धन्य उच्चारण कम ही होता है। वह आगे खिसक आया है। उसे पूर्व तालव्य (prepalatal) कहना चाहिए। यों कभी-कभी यह वर्ग कठोर तालव्य भी उच्चरित होता है। 'टूटा' जैसे शब्दों में तो वह प्रायः कर्त्त्य है। द्रविड तथा चीनी में कुछ ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नाक को उलटकर मूर्द्धा में उसका स्पर्श कराते हैं, इसीलिए इसे प्रतिवेदित कहते हैं।

(६) कठोर तालव्य (Palatal) —इनका उच्चारण कठोर तालु में होता है। जीभ के अगले भाग या नोक से इसमें महायना ली जाती है। हिन्दी चवर्ग का उच्चारण यहीं में होता है। संस्कृत में इ, चवर्ग, य, श का उच्चारण यहीं में कहा गया है—इचुयशानां तालु। संक्षेप में कठोर तालव्य को तालव्य कहते हैं।

(७) कर्त्त्य (Alveolar) —मसूड़े या कर्त्त्य (और जिह्वाग्र) की महायना से उत्पन्न ध्वनियों कर्त्त्य कहलाती हैं। न, ल, र, म, ज इसी वर्ग के हैं। अंग्रेजी के T, D भी कर्त्त्य हैं।

१. कुछ लोग glottal और laryngeal में भ्रन्त मानते हैं।

२. glottal या Catch.

(८) दंत्य (Dental) — दाँत की सहायता से उच्चरित ध्वनियाँ दंत्य हैं। इसमें जिह्वाग्र या जीभ की नोक की सहायता ली जाती है। हिन्दी के त, थ, द, ध दंत्य हैं। संस्कृत के लृ, तवर्ग, ल, स दंत्य थे। सूक्ष्मता से विचार करने पर दंत्य के अग्र, मध्य, मूल ये तीन भेद किये जा सकते हैं।

(९) दंतोष्ठ्य (Labiodental) — ऐसी ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण ऊपर के दाँत और नीचे के आँठ की सहायता से होता है। व, फ दंतोष्ठ्य हैं।

(१०) ओष्ठ्य (bilabial) — जिनका उच्चारण दोनों ओठों से हो। प, फ, ब, भ, म ऐसे ही हैं। इन्हें द्व्योष्ठ्य भी कहते हैं।

जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, कुछ ध्वनियों के दो या अधिक प्रयत्न अपेक्षित होते हैं, इसी प्रकार कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक स्थान आवश्यक होते हैं।

(ग) स्वर-तन्त्रियों के आधार पर—इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः दो भेद हो सकते हैं—घोष, अघोष। जैसा कि कहा जा चुका है, घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर-तन्त्रियों के निकट आ जाने से उसके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। हिन्दी में कवर्ग आदि पाँचों वर्गों की अन्तिम तीन (अर्थात् ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, आदि) ध्वनियाँ तथा य, र, ल, व, ज, ग, ह, ड, ढ आदि घोष हैं। दूसरी ओर जिनके उच्चारण में कंपन (स्वरतन्त्रियों में) नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। हिन्दी में पाँचों वर्गों की प्रथम दो ध्वनियाँ, क, ख, फ, स, श आदि अघोष हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर घोष ध्वनियों के भी पूर्ण घोष और अपूर्ण घोष दो भेद हो सकते हैं। हिन्दी 'ब' पूर्ण घोष है, किन्तु अंग्रेजी B अपूर्ण।

(घ) प्राणत्व के आधार पर—प्राण का अर्थ है—'हवा', 'श्वास' या 'हवा की शक्ति'। इस आधार पर कुछ व्यंजन 'अल्पप्राण' कहे जाते हैं और कुछ 'महाप्राण'। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास-बल अधिक हो, उन्हें 'महाप्राण' (aspirated) कहते हैं और दूसरी ओर जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो या श्वास-बल कम हो, उन्हें 'अल्पप्राण' (unaspirated) कहते हैं।

'ह' ध्वनि शुद्ध 'प्राण' से बहुत मिलती-जुलती है, इसी कारण महाप्राण ध्वनियों को ह-युक्त तथा अल्पप्राण ध्वनियों को ह-रहित कहा तथा लिखा जाता है। अर्थात् ख = क+ह (kh) या क=ख-ह। कुछ लोगों ने ऐसा माना तो है, किन्तु वस्तुतः जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसी मान्यता बड़ी भ्रामक है। हम जानते हैं कि 'ह' ध्वनि संघर्षी है, चाहे उसका संघर्ष थोड़ा ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में ख को यदि 'क+ह' माना जाय तो 'क' स्पर्श है और 'ह' संघर्षी। इस प्रकार 'ख' ध्वनि स्पर्श-संघर्षी या स्पर्श और संघर्षी का योग हो जायगी, किन्तु हम जानते हैं कि 'ख' शुद्ध स्पर्श है। इसका आशय यह हुआ कि 'ख' को 'क' का महाप्राण वाला रूप मानना तो ठीक है, किन्तु उसे 'क', 'ह' का योग मानना भ्रामक है। प्राणत्व के आधार पर संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर सभी व्यंजनों पर विचार करते हैं। हिन्दी के अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन हैं—

अल्पप्राण—क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, ल, र, ड।

महाप्राण—ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, न्ह, फ, म्ह, ल्ह, र्ह, ढ।

इस प्रकार मोटे रूप में जिन ध्वनियों के लिए रोमन लिपि में H (th, kh आदि) या उर्दू लिपि में 'ह' जोड़ना पड़ता है, वे महाप्राण हैं, शेष अल्पप्राण।

(ड) उच्चारण-शक्ति के आधार पर—इस आधार पर व्यंजनों के शक्ति (fortis) और

अशक्त (lenis) तथा मध्यम ये तीन भेद किये जा सकते हैं। 'सशक्त' जिसमें मुँह की मांसपेशियाँ दृढ़ हों, जैसे—स, ट। अशक्त में मांसपेशियाँ शिथिल होती हैं, जैसे—र, ल। च, श आदि कुछ ध्वनियाँ दोनों के मध्य में आती हैं।

(च) ह्रस्वता-दीर्घता के आधार पर—ह्रस्व व्यंजन तो क, च, प आदि हैं और दीर्घ व्यंजन क्क, च्च, प्प आदि हैं जिन्हें लेखन में द्वित्र के आधार पर प्रायः द्वित्र व्यंजन कहते हैं।

(छ) संयुक्तता-असंयुक्तता के आधार पर—इस आधार पर व्यंजनों के (१) असंयुक्त—जैसे क, ट; (२) संयुक्त—जैसे क्क, च्च, ल्य; ये दो भेद किये जाते हैं।

कुछ असामान्य व्यंजन और उनके भेद

ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदों का उल्लेख किया गया है, वे सामान्य और बहुप्रचलित हैं। इसके विरुद्ध कुछ व्यंजन असामान्य और अल्पप्रचलित हैं। ऊपर के व्यंजन बहिःस्फोटात्मक थे, अर्थात् उनमें हवा फेफड़े से बाहर की ओर आती थी। आगे जिन प्रथम और तृतीय का वर्णन किया जायगा, वे अन्तःस्फोटात्मक, अर्थात् उसके ठीक उल्टे हैं। इनके उच्चारण में हवा बाहर से भीतर जाती है। दूसरा इस दृष्टि से भिन्न है।

(१) अन्तःस्फोटात्मक व्यंजन (Implosive)—इन्हें अन्तर्मुखी या अन्तःस्फोट भी कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन हैं। इनसे ऐसा होता है कि सामान्य स्पर्शों की भाँति मुँह के किसी भाग में स्पर्श या अवरोध होता है और साथ ही स्वर-यंत्र काफी नीचे कर दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि स्पर्श-स्थान और स्वरयंत्र के बीच के स्थान के विस्तृत हो जाने के कारण हवा फैलकर हलकी हो जाती है और ज्यों ही अवरोध का उन्मोचन होता है, भीतर हलकी हवा होने के कारण बाहर से हवा बड़ी तेजी से प्रवेश करती है और यह ध्वनि उच्चरित होती है। वेस्टमैन के अनुसार, इसके तुरन्त बाद एक सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ द्व्योष्ठ्य, दंत्य, तालव्य और कोमल तालव्य होती हैं। ऐसी ध्वनियों के पूर्व प्रायः ऊपर एक उल्टा 'कॉमा' रखकर उन्हें अन्य ध्वनियों से अलग करते हैं; जैसे—प '(P)' आदि। यों कुछ अन्य पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। अफ्रीका की एफ्रिक, इबो, हौसा, जुल् आदि; भारत की सिंधी (ज, व आदि) तथा कुछ राजस्थानी बोलियाँ एवं कुछ मूल अमरीकी भाषाओं में इस प्रकार की ध्वनियाँ मिलती हैं; अतः स्फोटात्मक ध्वनियाँ कभी-कभी बहुत हलकी होती हैं।

(२) उद्गार व्यंजन (Ejective या Glotalized Stop)—यह भी विशेष प्रकार की स्पर्श-ध्वनि ही है। इसमें मुँह में स्पर्श के अवरोध के साथ-साथ स्वर-यंत्रमुख भी स्वरतंत्रियों के समीप आने से बन्द हो जाता है। पहले मुँह में स्फोट होता है और फिर स्वरयंत्र में लगभग आधा सेकेण्ड के बाद। स्वरयंत्र इस समय कुछ ऊपर उठ आता है। दोहरे अवरोध और दोहरे उन्मोचन के कारण यह ध्वनि एक विशेष प्रकार की कुछ तेज-सी बोलतल के कार्क खुलने-जैसी सुनाई पड़ती है। इसके उच्चारण में मुँह की मांसपेशियों में संकोचन से हवा संकुचित रहती है और उन्मोचन होते ही जोर से बाहर निकलती है। यह स्पर्श, द्व्योष्ठ्य, तालव्य, कोमल तालव्य आदि कई प्रकार का हो सकता है। इसे लिखने के लिपिचिह्न के आगे ऊपर कॉमा लगाते हैं; जैसे—'क' ('k'), 'प' आदि। ये ध्वनियाँ प्रमुखतः अफ्रीकी भाषाओं में मिलती हैं, किंतु अपवादस्वरूप फ्रांसीसी आदि कुछ अन्य भाषाओं में भी हैं।

स्पर्श के अतिरिक्त गंधर्पी, पार्श्वक तथा अर्द्धग्वर आदि का भी उच्चारण इस प्रकार स्वरयंत्र

बन्द करके हो सकता है। ये ध्वनियाँ भी अफ्रीकी भाषाओं में हैं।

(३) क्लिक (Click)—इसे अन्तर्मुखी द्रिस्पर्श या अन्तःस्फोट द्रिस्पर्श भी कहा गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ दो हैं—(क) मुँह में दो स्थानों पर स्पर्श या अवरोध; (ख) हवा का बाहर से भीतर जाना। दो अवरोधों या स्पर्शों में एक तो कोमल तालव्य (अर्थात् 'क' के समान) होता है और दूसरा स्पर्श उसके इधर कहीं भी इसके उच्चारण में जीभ तथा मांसपेशियाँ कुछ कड़ी रहती हैं। पहले बाहर के स्पर्श का उन्मोचन होता है। भीतर की मांसपेशियों के कड़ापन एवं खिंचाव से भीतर की हवा संकुचित-सी रहती है। उन्मोचन होते ही बाहर से हवा घुसती है और तुरन्त ही क-स्थानीय स्पर्श भी उन्मोचित होता है। यह परवर्ती उन्मोचन अत्यन्त धीमा होने से सुनाई नहीं पड़ता। ध्वनि के बाद तुरन्त किसी सामान्य स्वर का उच्चारण होता है। क्लिक ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। इनका यह अन्तर क-स्थानीय स्पर्श के कारण नहीं होता, क्योंकि यह स्पर्श तो सभी में एक-सा होता है। अंतर होता है उस दूसरे स्पर्श के कारण जो क-स्थान के इधर घटित होता है। इन पूर्ववर्ती स्पर्शों के आधार पर ही क्लिक के प्रमुखतः ६ भेद किये गये हैं—झ्योण्ट्य, दंत्य, कर्त्प-तालव्य, कर्त्प्य, प्रतिवेष्टित, कठोर तालव्य, कर्त्प्य-पार्श्विक। इनमें अन्तिम उन्मोचन 'ल' की तरह केवल एक पार्श्व में होता है। क्लिक ध्वनियों का प्रयोग अधिकांशतः दक्षिणी अमेरिका की भाषाओं में होता है, किंतु उनसे मिलती-जुलती ध्वनि बहुत-सी अन्य भी भाषाओं में पायी जाती है। कुछ लोगों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में भारोपीय परिवार में भी क्लिक ध्वनियाँ थीं, धीरे-धीरे उनका लोप हो गया। ब्रिटेन में 'हम प्यार करते हैं' के अर्थ में Karom का प्रयोग होता रहा है जो इधर Karomp हो गया है। वेन्दिये के अनुगार, 'प' का यह विकास 'क्लिक' के कारण है। फ्रांसीसी भाषा में संदेह और आश्चर्य प्रकट करने के लिए 'त' का क्लिक रूप प्रयुक्त होता है। हिन्दी का 'च-च' या 'टिक-टिक' भी कुछ इसी प्रकार का है।

क्लिक ध्वनियों के अघोष-घोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक आदि दोनों रूप हो सकते हैं। लिखने में इनके लिए कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं। होर्टोटोट की एक बोली 'नामा' के लिए। (दंत्य), †(कर्त्प्य), ! ('प्रतिवेष्टित्') (पार्श्विक) चिह्नों का प्रयोग किया गया है; जैसे— ! ami—दीला करना। ओण्ट्य के लिए का भी प्रयोग किया गया है। किन्तु अब लिपिचिह्नों का उलट कर या उन-जैसे नये चिह्नों का ही प्रायः प्रयोग करते हैं, जैसे—! (उलटी टी) आदि क्लिक ध्वनियों को प्रयुक्त करने वाली प्रमुख भाषाएँ बुशमैन, लुलु, बाटू, होर्टोटोट तथा अमरीका की आदि भाषाएँ हैं। कर्त्प्य-तालव्य प्रयोग केवल सुतो (अफ्रीकी) में होता है।

संयुक्त व्यंजन : द्वित्व, दीर्घ, संयुक्त

संयुक्त व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। मिलने वाले यदि दोनों व्यंजन एक हैं (जैसे क्+क्, पक्का) तो उस युक्त व्यंजन को दीर्घ या द्वित्व व्यंजन (long या double consonant) कहते हैं, किंतु यदि दोनों दो हैं (जैसे र्+म्, गर्मी) तो संयुक्त व्यंजन (compound consonant) कहते हैं। एक दृष्टि से व्यंजन के दो भेद किये जा सकते हैं—स्पर्श-संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा अन्य। स्पर्श और स्पर्श-संघर्षी के द्वित्व में ऐसा होता है कि उसमें स्पर्श की प्रथम (हवा के आने और स्पर्श होने) और अन्तिम या तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थिति में तो कोई अंतर नहीं आता, केवल दूसरी या अवरोध की स्थिति बड़ी हो जाती है। 'पक्का' में वस्तुतः दो 'क्' नहीं उच्चरित होते, अपितु 'क्' के मध्य की स्थिति अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। उर्गीलिय वैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार के द्वित्वों को 'दो क' आदि न कह कर 'क' का दीर्घ रूप या 'दीर्घ व्यंजन क' या दीर्घ या

प्रलम्बित 'क' कहना अधिक समीचीन है, क्योंकि दो 'क' तब कहलाते, जब दोनों की तीन-तीन स्थितियाँ घटित होतीं। स्पर्श-संघर्षी 'च' आदि व्यंजनों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। इस प्रकार बगी, बच्चा, लज्जा, भट्टी, अड़्डा, फत्ती, गद्दी, थप्पड़, अन्ना आदि सभी के द्वित्व ऐसे ही हैं। महाप्राणों का इस रूप में द्वित्व नहीं होता। कस्तुरः (अन्य दृष्टियों में से एक) अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का अन्तर स्फोट के वायु-प्रवाह की कमी-वेशी के कारण होता है। अतः जब दो मिलेंगे तो पहले का स्फोट होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो जायगा। आशय यह है कि छब घ्य, हूह, इझ, ठठ, भ्भ आदि का उच्चारण हो ही नहीं सकता। उच्चारण में ये क्ख, ग्घ, ज्झ, ट्ठ, ब्भ हो जायेंगे, जैसे घग्घर, मच्च्छर, झज्झर, भब्भड़ आदि। अन्य प्रायः सभी व्यंजनों के द्वित्व में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, केवल उनकी दीर्घता बढ़ जाती है, जैसे पन्ना, अम्मा, रस्सा, बरें, पिल्ला आदि।

संयुक्त व्यंजनों में यदि पहला स्पर्श या स्पर्श-संघर्षी है तो वह अस्फोटित होता है, अर्थात् उसका स्फोट या उन्मोचन नहीं होता; जैसे, ऐक्ट, अक्ल, बद्दी, अच्ची आदि। अन्य प्रायः कोई भी व्यंजन आये तो उसमें प्रकृति की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। हाँ, दीर्घता या मात्रा की कुछ कमी-वेशी अवश्य मिलती है। संयुक्त व्यंजनों में एक का घोषत्व-अघोषत्व दूसरे के स्वरूप को प्रभावित करता है। 'नागपुर' का उच्चारण 'नाकपुर' 'प' के 'ग' पर पड़े प्रभाव के कारण है। संस्कृत की संधियों में इसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं।

(व्यंजनों के वर्गीकरण की तालिका इस अध्याय के अंत में ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन के प्रसंग में देखिये)

(घ) ध्वनि-गुण (Sound Quality)^१

भाषा का आधार 'ध्वनि' है और 'ध्वनि' से आशय प्रायः स्वर और व्यंजन का लिया जाता है, किन्तु भाषा केवल स्वर और व्यंजन का ही योग नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त मात्रा और सुर-बलाघात आदि भी उनके साथ काम करते हैं। इन तीनों का अलग अस्तित्व नहीं है। ये स्वर-व्यंजन पर ही आधारित हैं, यद्यपि इनके कारण उनकी प्रकृति या गुण में अन्तर आता रहता है। सुर-बलाघात दोनों को एक नाम आघात (accent) से भी अभिनिहित कर सकते हैं। ध्वनि-गुण के अन्तर्गत प्रमुखतः ये ही दो—मात्रा और आघात आते हैं।

(अ) मात्रा (Length mora या chrone)

किसी भी ध्वनि के उच्चारण में या उच्चारण छोड़कर मौन रहने में समय की जो मात्रा लगती है, उसे भाषा के अध्ययन में मात्रा-काल कहते हैं। किसी ध्वनि के उच्चारण में समय कम लगता है, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत कम और किसी में बहुत ज्यादा। कम समय वाली मात्रा ह्रस्व, अधिक समय वाली दीर्घ और उससे भी अधिक समय वाली प्लुत कहलाती है। इसी आधार पर मात्रा के मोटे रूप से पाँच भेद—ह्रस्वार्द्ध (half short), ह्रस्व (short), ईषत्-दीर्घ (half long), दीर्घ

१. इसे ध्वनि-लक्षण (sound attributes) भी कहा गया है। ऑग्ल ध्वनि-शास्त्रियों ने इसके लिए स्वनगुण या रागीय तत्व (prosodic feature) तथा अमरीकनों ने अखंड या खंडित ध्वनियों (supra-segmental sounds) भी प्रयुक्त किया है। कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें secondary phoneme prosodeme कहा है।

(long), प्लुत (over-long) किये जा सकते हैं। यों सूक्ष्मता से विचार करने पर ये भेद और अधिक हो सकते हैं। मशीनों के आधार पर तो पचासों भेद किये जा सकते हैं।

प्राचीन भारत में मात्रा का अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। भारतीय भाषाशास्त्री इसके महत्त्व से पूर्ण परिचित थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सिर्फ इसी विषय को लेकर लिखा गया 'काल-निर्णय' शिक्षा नाम का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलता है।

भारतीय प्रातिशाख्य, शिक्षा या व्याकरण-ग्रन्थों में मात्रा का भेद के रूप में केवल तीन—ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत—का ही प्रायः उल्लेख मिलता है। परम्परागत रूप में ह्रस्व एकमात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक तथा प्लुत त्रिमात्रिक है, या कुछ लोगों के अनुसार एक बार घुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतना समय ह्रस्व का है और उससे दूना तथा तीन गुना क्रम से दीर्घ तथा प्लुत का।^१ वस्तुतः बात ऐसी है नहीं, ह्रस्व से दीर्घ में अधिक समय तो लगता है, किन्तु दूना नहीं। अंग्रेजी ह्रस्व स्वर में २२८ सेकेंड तथा दीर्घ में ३१८ सेकेंड लगता है। संस्कृत में सामान्यतः प्रथम दो—ह्रस्व, दीर्घ—का ही प्रयोग मिलता है। प्लुत का प्रयोग बहुत कम मिलता है। पूरे ऋग्वेद में इसका प्रयोग दो-तीन बार से अधिक नहीं है। 'ओ३म' में 'ओ' प्लुत है। इसीलिए ओ के बाद ३ लिखते हैं जो (ह्रस्व के तीन गुने) प्लुत का द्योतक है। किसी को बुलाने में इसका प्रायः प्रयोग होता है 'ओरऽऽऽम'। यहाँ 'रा' का 'आ' प्लुत है। कभी-कभी तो इतना खींचकर बुलाते हैं कि प्लुत से भी बड़ी मात्रा सुनाई पड़ती है जिसके लिए ४ या ५ लिख सकते हैं। भोजपुरी में 'रमवाँ हउवे रे' में रे का ए १० मात्रा से कम का नहीं होता।

मात्रा स्वर, अर्द्ध स्वर और व्यंजन सभी की होती है। कुछ लोगों का विचार है कि भारत में व्यंजन की मात्रा नहीं मानी जाती थी, किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। अथर्ववेद, प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य आदि कई ग्रन्थों में व्यंजन की मात्रा का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य व्यंजन की मात्रा आधी (व्यंजनमर्द्ध मात्रा) मानता है। व्यंजन की मात्रा के आधार पर कई वर्ग बनाये जा सकते हैं। स, श, ज आदि ऐसे व्यंजन, जिनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, अपेक्षाकृत देर तक बोले जा सकते हैं। इनकी मात्रा घट-बढ़ सकती है, किन्तु स्पर्श आदि में सामान्यतया ऐसा होना सम्भव नहीं होता। किन्तु इसका आशय यह नहीं कि उनकी मात्रा कभी दीर्घ हो ही नहीं सकती। व्यंजन का द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर व्यंजन का मात्रा की दृष्टि से दीर्घ रूप ही है। 'गुड्डी', 'बगी', 'सच्चा', 'धक्का' जैसे शब्दों में यदि ध्यान दिया जाय तो 'ड', 'ग', 'च', 'क' दो नहीं हैं, अपितु एक ध्वनि के ही ये दीर्घ रूप हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि स्पर्श व्यंजनों में मात्रा की दीर्घता के कारण बीच की स्थिति ही लम्बी हो जाती है। वायु के आने और स्फोट या निकलने में कोई अन्तर नहीं पड़ता। कहना न होगा कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार की ध्वनि को दो चिह्न के योग से लिखना भ्रामक है। वस्तुतः स्वर और व्यंजन दोनों के लिए मात्रा की दीर्घता को व्यक्त करने के लिए एक चिह्न का प्रयोग अधिक वैज्ञानिक है।

१. नारट-शिक्षा, ऋक् प्रातिशाख्य तथा अन्य ग्रन्थों में इन मात्राओं को और ढग से भी नापा गया है। जैसे ह्रस्व बराबर है आँख की झपक या नीलकंठ की एक बोली या बिजली की एक चमक के। दीर्घ बराबर है कौवे की एक बोली के और प्लुत बराबर है मोर की एक बोली के। आधी मात्रा या ह्रस्वार्द्ध को न्यौले की एक बोली के बराबर कहा गया है।

किसी व्यंजन के उच्चारण में कितना समय लगता है, इसका भी अध्ययन किया गया है। अंग्रेजी की अघोष स्पर्श ध्वनियों में १२ सेकेण्ड, घोष स्पर्श में .0८८, नासिक्य में .१४६, पार्श्विक और लुठित में .१२२ तथा संघर्षी में .११२ सेकेण्ड। यों सामान्यतया स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, अर्द्धस्वरों में उनसे कम और व्यंजनों में अर्द्धस्वरों से भी कम। व्यंजनों में सबसे अधिक समय अनुनासिक व्यंजनों में लगता है, उनसे कम लुठित और पार्श्विक व्यंजनों में, उनसे कम ऊष्मों में, उनसे कम अन्य संघर्षियों में और सबसे कम स्पर्शों में। अन्य स्पर्शों से भी दन्त्य में सबसे कम, तालव्य में उससे अधिक और ओष्ठ्य में सबसे अधिक समय लगता है। सभी प्रकार की ध्वनियों में अघोष में समय ज्यादा लगता है और घोष में कम। मोटे रूप से सभी व्यंजनों की मात्रा ह्रस्वार्द्ध मानी जा सकती है।

(अ) आघात (Accent)

यहाँ 'आघात' शब्द अंग्रेजी शब्द 'एक्सेंट' (accent) के प्रतिशब्द के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यों हिन्दी पुस्तकों में 'एक्सेंट' के लिए 'बल', 'स्वर', 'स्वराघात' आदि का भी प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी 'एक्सेंट' शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान में प्रमुखतः ३ अर्थों में मिलता है: (क) पामर आदि कुछ भाषाविज्ञानवेत्ता इसे बहुत विस्तृत अर्थ में लेते हैं और उनके अनुसार मात्रा (mora), सुरलहर (intonation), बलाघात (stress), ध्वनि-प्रक्रिया (आगम, लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपर्यय आदि) तथा ध्वनिप्रकृति (स्थान, प्रकृत या संवृतता-विवृतता आदि) आदि अनेक चीजें इसके अन्तर्गत आती हैं। (ख) दूसरे अर्थ में 'एक्सेंट' बहुत सीमित हैं और उसे मात्र बलाघात (stress) का समानार्थी मानते हैं। प्रेटर, पेई, गेजर आदि भाषाविज्ञानविदों ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। (ग) तीसरे अर्थ में 'एक्सेंट' इन दोनों अर्थों के बीच में है और उसमें बलाघात (stress) और सुर या सुराघात (pitch), केवल ये दो चीजें आती हैं। यही अर्थ अधिक प्रचलित एवं मान्य है। यहाँ इसी अर्थ में 'आघात' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

इस प्रकार आघात (accent) के दो भेद हुए: (क) बलाघात (stress accent) और (ख) सुर (pitch accent)।

बलाघात

बोलने में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाक्य के सभी अंशों पर बराबर बल या जोर नहीं दिया जाता। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल अधिक होता है तो कभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द की भी सभी ध्वनियों पर बराबर बल या आघात नहीं पड़ता। शब्द जब एक से अधिक अक्षरों (syllables) का होता है, तो इन अक्षरों पर भी बल बराबर नहीं पड़ता; एक पर अधिक होता है तो दूसरे या दूसरों पर कम। इसी बल, जोर या आघात को बलाघात कहते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि भाषा की कोई भी ध्वनि पूर्णतः बलाघातशून्य नहीं होती।^१ जिन ध्वनियों, अक्षरों या शब्दों को हम बलाघातशून्य समझते हैं, उन पर केवल अपेक्षाकृत कम बलाघात होता है। कुछ लोग बलाघात को केवल 'अक्षर' पर मानते हैं, किन्तु ऐसी मान्यता के लिए संपुष्ट आधार का अभाव है। व्यावहारिक रूप से अक्षर-बलाघात का प्रयोग अधिक दिखायी पड़ता है, इसलिए केवल मोटे रूप से तो ऐसा माना जा सकता है, किन्तु तत्कतः जब सभी भाषा-ध्वनियों किसी न किसी अंश में बलाघात

१. अस्फोटित स्पर्श (unexploded stop)—जैसे 'आप्' की 'प्' जैसी ध्वनियाँ अपवाद हैं।

से युक्त होती है तो फिर 'बलाघात' को मात्र अक्षर तक कदापि सीमित नहीं माना जा सकता। मूलतः बलाघात का कुछ आधिक्य एक ध्वनि पर दिखाई पड़ता है जब हम उसकी तुलना आसपास की कम बलाघातयुक्त ध्वनियों से करते हैं; दूसरे स्तर पर बलाघाताधिक्य अक्षर पर दिखायी पड़ता है जब हम एक अक्षर की तुलना आसपास के अक्षर से करते हैं; तीसरे स्तर पर यह शब्द पर दिखाई पड़ता है जब हम एक शब्द की तुलना आसपास के शब्दों से करते हैं और चौथे स्तर पर यह वाक्य पर दिखायी पड़ता है जब हम एक वाक्य की तुलना आसपास के वाक्यों से करते हैं।

भाषा के विभिन्न स्तरों पर बलाघात के भेद

सभी भाषाविज्ञानविदों ने बलाघात के दो भेद माने हैं : शब्द-बलाघात और वाक्य-बलाघात। इस परम्परागत भेद से थोड़ा हटते हुए, इन पंक्तियों का लेखक उपर्युक्त कारणों से ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश और वाक्य के स्तर पर बलाघात के निम्नांकित द्वार-पाँच भेद का विनम सुझाव देना चाहता है—

(१) ध्वनि-बलाघात—यह बलाघात जो किसी एक ध्वनि (स्तर या व्यंजन) पर हो। यदि किसी अक्षर (syllable) में एक से अधिक ध्वनियाँ हों तो हम देखते हैं कि उनमें एक ध्वनि उस अक्षर का शिखर होती है और शेष गहवर। कहना न होगा कि अपेक्षाकृत अधिक बलाघात उस शिखर पर ही होगा। उदाहरणार्थ 'जम्' एक अक्षर है। इस अक्षर का शिखर बीच का अ (ज्+अम्) है। इस 'अ' में मुखरता आदि अन्य गुणों के साथ बलाघाताधिक्य भी है, इसीलिए यह शिखर है, अन्य ध्वनियाँ इसी कमी के कारण 'गहवर' हैं।

(२) अक्षर-बलाघात—यह बलाघात जो अक्षर पर हो। यदि किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हैं, तो उनमें प्रायः यह देखा जाता है कि एक अक्षर पर बलाघात सबसे अधिक होता है, दूसरे पर कम और तीसरे पर और कम या इसी प्रकार। अंग्रेजी आदि बलाघात-प्रधान भाषाओं में यह बात पर्याप्त स्पष्ट है। उनमें एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में एक अक्षर बलाघातयुक्त (stressed) कहलाता है और शेष में कुछ बलाघातहीन (unstressed) तथा कुछ अल्पबलाघातयुक्त (weak stress वाले)। यहाँ 'बलाघातहीन' का अर्थ यह नहीं है कि वे अक्षर बिना बलाघात के होते हैं। इसका मात्र यह अर्थ है कि उनका 'बलाघात' अन्यों की तुलना में नहीं के बराबर होता है। इसीलिए बलाघातहीन (या अंग्रेजी का 'अनस्ट्रैस्ड') शब्द भ्रामक है और इसके स्थान पर 'अल्पबलाघातयुक्त' का प्रयोग होना चाहिए।

यों तो वाक्य के एक से अधिक शब्दों के अक्षरों के बलाघात को भी तुलनात्मक रूप में देखा जा सकता है, किन्तु इस प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रायः केवल एक शब्दों के अक्षरों का ही किया जाता है। उनके बलाघातों को क्रम से प्रथम बलाघात (सबसे प्रबल), द्वितीय बलाघात (उससे निर्बल), तृतीय बलाघात (उससे भी निर्बल), चतुर्थ बलाघात (तीसरे से निर्बल) आदि नामों से अभिहित किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द 'ऑपर्ट्युनिटी' (opportunity) में ५ अक्षर हैं। तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम बलाघात तीसरे अक्षर पर, द्वितीय पहले पर, तृतीय पाँचवें पर, चतुर्थ दूसरे पर और पंचम चौथे पर है। इसी रूप में बलाघात के सापेक्ष बल को लेकर विद्वानों ने इसके उच्च (loud), उच्चार्द्ध (half loud), सामान्य, सशक्त या प्रबल (strong), अशक्त या निर्बल (weak) तथा मुख्य (primary), गौण (secondary), गौणातिगौण या तृतीयक (tertiary) आदि भेद किये हैं। कहना न होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से विचार करके आवश्यकतानुसार इस

प्रकार के अनेक भेद किये जा सकते हैं। यों मुख्य भेद दो ही होते हैं जिनके लिए उपर्युक्त में किसी युग्म या त्रिक में प्रथम दो का प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द 'फादर' (father) में प्रथम अक्षर मुख्य बलाघातयुक्त है और दूसरा गौण।

भाषाविज्ञान के विद्वानों ने इस अक्षर-बलाघात को ही शब्द-बलाघात (word-stress) कहा है जिसका आशय है शब्द के अवयवों, अर्थात् अक्षरों पर बलाघात होना। बलाघात-प्रधान भाषाओं में शब्द के अक्षरों पर का बलाघात निश्चित होता है जिसे निश्चित बलाघात (fixed stress) कहते हैं। भाषा को स्वाभाविक रूप में बोलने के लिए इनका ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है। अंग्रेजी इसी प्रकार की भाषा है। भारतीय जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उसे प्रायः बलाघातशून्य रूप में बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेजों के लिए वह असवाभाविक लगती है और कभी-कभी समझ में भी नहीं आती। यों तथाकथित बलाघातहीन भाषाओं में भी शब्द के अक्षरों पर बलाघात निश्चित होता है। जैसे हिन्दी में कुछ विशेष प्रकार के शब्दों में प्रायः अक्षर के उपात पर बलाघात होता है, इसी कारण अन्तिम 'अं' का लोप हो गया है, जैसे कमल, राम, दाल, आप आदि।

(३) शब्द-बलाघात—एक सामान्य वाक्य में सभी शब्दों पर लगभग बराबर बलाघात रहता है। 'राम ने मोहन को डंडे से मारा' एक इसी प्रकार का सामान्य वाक्य है। किन्तु आवश्यकतानुसार इसके किसी शब्द पर अपेक्षाकृत अधिक बलाघात डाला जा सकता है और तब इस वाक्य के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जायगा। वाक्य-गठन में जैसे कभी-कभी वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण शब्द को नियमित ठीक न होते हुए भी पहले रख देते हैं ('मोहन को तुमने मारा' या 'डंडे से तुमने मारा') इन दोनों वाक्यों में बल देने के लिए 'मोहन' और 'डंडे' को अनियमित होते हुए भी पहले रख दिया गया है, उसी प्रकार बल देने के लिए शब्द-विशेष पर बलाघात भी डाल दिया जाता है। ऊपर के वाक्यों में प्रमुख अर्थबोधक शब्द राम, मोहन, डंडे, मारा—ये चार हैं। इन चारों में किसी पर भी बलाघात डालकर अर्थ की विशेषता प्रकट की जा सकती है। 'राम' पर बल देने का अर्थ होगा कि 'राम ने मारा, अन्य किसी ने नहीं', इसी प्रकार 'डंडे' पर बल देने का अर्थ होगा कि 'डंडे' से मारा, किसी और चीज से नहीं। इसी प्रकार औरों पर भी बल देने से अर्थ बदल जायगा। 'राम आया और रुपये लेकर चला गया' वाक्य में यदि 'और' पर बल न दे तो वह 'तथा' का समानार्थी है। तथा पर बल दे तो वह 'और ज्यादा' या 'दूसरे' का समानार्थी है।

यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं : (क) इस रूप में बलाघात निश्चित (fixed) न होकर मुक्त या अनिश्चित (free) है और अपनी आवश्यकतानुसार क्वता किसी भी शब्द पर उसे डाल सकता है।

(ख) इस बलाघात का सीधा संबंध अर्थ से है। थोड़ा भी हल-फल करने में अर्थ बदल जायगा। शब्द-बलाघात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रधान क्रिया और द्विधाविशेषण पर हो सकता है।

जिसे यहाँ 'शब्द-बलाघात' कहा गया है, उसे भाषाविज्ञान के विद्वानों ने 'वाक्य-बलाघात' (sentence stress) कहा है। यह इसलिए कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही इस प्रकार के बलाघात का प्रयोग होता है, किन्तु वस्तुतः इसे शब्द-बलाघात कहना ही अधिक उचित है वाक्य-बलाघात नहीं। वाक्य-बलाघात कुछ और है जिसे आगे दिया जा रहा है।

(४) वाक्य-बलाघात—यों तो सामान्य वार्तात्मक में प्रायः वाक्य बलाघात की दृष्टि में लगभग बराबर होते हैं, किन्तु कभी-कभी आश्चर्य, भावावेश, आज्ञा या प्रश्न आदि में सम्यक् ज्ञान पर कुछ वाक्य अपने आसपास के वाक्यों से अधिक जोर देकर बोले जाते हैं। ऐसे वाक्यों में कभी-कभी तो

बल कुछ ही शब्दों पर होता है, किन्तु कभी-कभी पूरे वाक्य पर भी होता है। आगपास के अन्य वाक्यों की तुलना में अधिक बलाघातयुक्त वाक्य के प्रयोग के कारण इम ग्वर के बलाघात को 'वाक्य-बलाघात' कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ—

गम—तुम जो भी कहो, मैं नहीं जा सकता।

श्याम—वाह ! यह तो अच्छी गरी ! जिस पतरी में खाओ, उसी में छूट करे, और उस पर कहा कि नहीं जा सकता, जाओगे कैसे नहीं ? (हाथ उठाकर भगाने की दिशा में फेंकते हुए) भाग जाओ नानायक कहीं के !

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे गये वाक्यों में 'भाग जाओ' पर बलाघात अन्यों की तुलना में बहुत अधिक होगा। इम संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि इम प्रकार का 'बलाघातयुक्त वाक्य' छोटा होगा। यदि उसमें शब्द अधिक होंगे तो फिर सशक्त बलाघात केवल कुछ प्रमुख शब्दों तक ही सीमित रह जायगा। उस प्रकार के बलाघात को यदि अलग नाम देना चाहें तो (५) वाक्यांश बलाघात कह सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य के 'भाग जाओ' के स्थान पर यदि 'भाग जाओ यहाँ से' कर दें तो सामान्यतः सशक्त बलाघात पूरे पर न पड़कर प्रथम दो शब्दों तक ही सीमित रहेगा।

बल या आघात के आधार पर बलाघात के भेद

हम यह देख चुके हैं कि किसी न किसी अंश में बलाघात प्रायः सभी ध्वनियों पर होता है। इसकी तीव्रता या इसका भौतिक स्वरूप इसी कारण निरपेक्ष रूप से वर्गीकरण या भेदीकरण के योग्य नहीं है। यदि बहुत गहराई से देखना हो तो भाषा, व्यक्ति, संदर्भ आदि के प्रसंग में उच्च, उच्चाई, निम्न, निम्नाई, सामान्य आदि भेद किये जा सकते हैं। यों जैसा कि ऊपर अक्षर-बलाघात के प्रसंग में उल्लेख किया जा चुका है, आवश्यकतानुसार इसके और भी अधिक भेद तीव्रता के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर किये जा सकते हैं, किन्तु अधिक प्रचलित भेद सशक्त और अशक्त दो ही हैं। भाषा-अध्ययन की सामान्य शब्दावली में जहाँ बलाघात सशक्त और श्रोतव्य होता है, केवल उसी को बलाघातयुक्त कहते हैं और जहाँ हल्का या बहुत अशक्त होता है, उसे प्रायः बलाघात नहीं मानते। अर्थ के आधार पर बलाघात के भेद

अर्थ के स्तर पर बलाघात दो प्रकार का होता है—सार्थक बलाघात और निरर्थक बलाघात। सार्थक बलाघात उसे कहते हैं जिसका अर्थ से सम्बन्ध होता है। ऊपर शब्द-बलाघात इसी प्रकार का है। वाक्य में जिस शब्द पर बलाघात होता है, वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके महत्त्व के आधार पर वाक्य के अर्थ में विशेषता आ जाती है। ऊपर 'राम ने मोहन को डंड से मारा' वाक्य उदाहरणस्वरूप लिया जा चुका है और इस बात का संकेत किया जा चुका है कि शब्द-बलाघात से वाक्य के अर्थ में किस प्रकार विशेषता आ जाती है। सार्थक बलाघात का दूसरा रूप बलाघात-प्रधान भाषाओं में अक्षर-बलाघात में दिखायी पड़ता है। इन भाषाओं में शब्दों के अक्षर पर बलाघात में परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी में ऐसे बहुत से शब्द हैं (जैसे import, conduct, present, insult, increase आदि) जो संज्ञा और क्रिया दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इनकी वर्तनी में तो कोई अन्तर नहीं पड़ता, लेकिन बलाघात में पड़ जाता है। जब बलाघात प्रथम अक्षर पर होता है तो शब्द 'संज्ञा' होते हैं, किन्तु जब दूसरे पर होता है तो 'क्रिया' हो जाते हैं। इस प्रकार इन शब्दों में संज्ञा और क्रिया का भेद किसी अन्य बात पर निर्भर न होकर मात्र बलाघात पर

निर्भर है। इसीलिए यहाँ बलाघात सार्थक है। इसे 'सोद्देश्य बलाघात' भी कह सकते हैं। ग्रीक भाषा में सार्थक बलाघात एक और ढंग का मिलता है। वहाँ तो बलाघात के कारण अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। उदाहरणार्थ, 'पौली' शब्द में यदि बलाघात प्रथम अक्षर पर होगा तो इसका अर्थ 'नगर' होगा, किन्तु दूसरे पर होगा तो यह संज्ञा से विशेषण हो जायेगा और इसका अर्थ हो जायेगा 'बहुत'।

निरर्थक बलाघात उभे कहते हैं जिसके परिवर्तन से अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, हिन्दी में 'कमल' में 'म' के 'अ' पर बलाघात है, किन्तु बोलने वाला उसके स्थान पर 'क' के 'अ' पर यदि बलाघात पर दे तो सुनने वाले को थोड़ा अस्वाभाविक तो लगेगा, किन्तु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बलाघात की परिभाषा

बलाघात उच्चारण-शक्ति की वह मात्रा है जिससे किसी भाषिक इकाई (ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य) का उच्चारण किया जाता है तथा जो उच्चारण के लिए भीतर से आती हुई हवा की तीव्रता एवं उच्चारण से संबद्ध मांसपेशियों की दृढ़ता पर निर्भर करती है।

सुर

सुर का स्वरूप और उसमें उतार-चढ़ाव का कारण—बलाघात में हम देख चुके हैं कि सभी ध्वनियाँ बराबर बल से नहीं बोली जातीं। उसी प्रकार वाक्य की सभी ध्वनियाँ सर्वदा एक सुर में नहीं बोली जातीं। संगीत के सरगम की तरह उनमें सुर ऊँचा-नीचा होता रहता है। 'आप जा रहे हैं' वाक्य की सभी ध्वनियों को एक सुर से बोलने से इसका सामान्य अर्थ होगा जिसका उद्देश्य होगा मात्र सूचना देना। किन्तु यदि 'आप' के बाद की ध्वनियों का सुर बढ़ाते जायँ और अंत में 'हैं' को बहुत ऊँचे स्वर में बोले तो इस वाक्य में एक संगीत-सा आरोह या चढ़ाव सुनाई देगा और वाक्य सामान्य से बदल कर प्रश्नसूचक हो जायेगा जिसका अर्थ होगा, 'क्या आप जा रहे हैं?' इस वाक्य को आश्चर्यसूचक बनाने के लिए इसी प्रकार एक विशेष प्रकार के 'सुर' की जरूरत होगी—आप जा रहे हैं !

'बलाघात' की तरह ही सुर भी मूलतः एक मनोवैज्ञानिक है जिसे स्वर-तंत्रियों के कंपन द्वारा प्रकट किया जाता है। स्वर-तंत्र पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि घोप ध्वनियों के उच्चारण में स्वर-तंत्रियों में कंपन होता है। यही कंपन जब अधिक तेजी से होता है तो ध्वनि ऊँचे सुर में होती है और जब धीमी गति से होता है तो नीचे सुर में होती है।^१ सुर स्वर-तंत्रियों की प्रति सेकेंड कंपनावृत्ति (frequency of vibration) पर निर्भर करता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि बलाघात की तरह सुर घोप-अघोप दोनों प्रकार की ध्वनियों में संभव नहीं। अघोप ध्वनि की तो यही विशेषता है कि उसके उच्चारण में स्वर-तंत्रियों में कंपन होता ही नहीं, अर्थात् 'सुर' केवल घोप या सघोप ध्वनियों की चीज है। अघोप से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह बात बिल्कुल तार वाले बाजों की तरह है। यदि सितार, वीणा या इसी प्रकार के किसी बाजे में तार ढीला होगा तो उससे जो ध्वनि निकलेगी, उसका सुर नीचा होगा, किन्तु यदि कसा होगा तो सुर ऊँचा होगा। इसका कारण यह है कि ढीले तार पर आघात करने पर कंपन धीमी गति से होगा।

१. इससे यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सुर से स्वर-यंत्र को छोड़कर और किसी भी उच्चारण-अवयव का सम्बन्ध नहीं है।

किन्तु वह कसा होगा तो कंपन तेजी से होगा। इनको बजाने के पूर्व इसी दृष्टि से विभिन्न तारों को कसते या ढीला करते हैं। वाद्य संगीत की भाँति ही मौखिक संगीत का अभ्यासी आरम्भ में घंटों 'आ-आ' करके अपनी स्वर-तंत्रियों को कड़ा-नरम और गमीप-दूर करके उनमें विभिन्न सुरों (या सरगम के आरोहों-अवरोहों) की आवाज निकालने, अर्थात् विभिन्न गतियों से कंपित करने का अभ्यास करता है। अभ्यस्त हो जाने पर भी स्वर-तंत्रियों पर अपना इस दृष्टि से पूरा नियंत्रण रखने के लिए उसे अभ्यास को जारी रखना पड़ता है। इस प्रकार संगीत के लिए सुर का बहुत महत्त्व है, किन्तु जैसा कि हम आगे देखेंगे, भाषा के लिए भी वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि सभी भाषाओं में उसका महत्त्व समान नहीं है।

सुर के आरोह-अवरोह या उतार-चढ़ाव में स्वर-तंत्रियों की समीपता और उनके कड़ापन के अतिरिक्त फेफड़े से आने वाली हवा का महत्त्व भी कम नहीं है, क्योंकि स्वर-तंत्रियों का धीमी या तेज गति से कंपन हवा की शक्ति पर भी एक सीमा तक निर्भर करता है। इन बातों के अतिरिक्त 'सुर' स्वर-तंत्रियों की लम्बाई और स्वर-यंत्र (larynx) में विस्तार (size) पर भी निर्भर करता है। बच्चों की आवाज ऊँचे सुर की होती है, क्योंकि उनकी लम्बाई और विस्तार दोनों ही कम होता है। पुरुष की तुलना में स्त्रियों में भी यही बात मिलती है।

सुर के भेद : आरोहण-अवरोहण के आधार पर—हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक एक सुर पर नहीं बोलता। भाषा की स्वाभाविक गति में प्रयुक्त सुर-उच्चता या सुर-निम्नता तथा भावात्मक स्थिति के कारण सुर का आरोह-अवरोह एक व्यक्ति की भाषा में भी अपना अलग मिलता है। इस आरोह-अवरोह का अनुपात एक भाषाभाषी लोगों में प्रायः समान होता है।

यूनानी और वैदिक संस्कृत के स्वर

प्रत्येक व्यक्ति की सुर की दृष्टि से अपनी निम्नतम और उच्चतम सीमा होती है। उसके सुर का उतार-चढ़ाव उसी के बीच होता रहता है। सूक्ष्म दृष्टि से इसके अनेक भेद किये जा सकते हैं। यों इसके उच्च (high), मध्य, मिश्र या म्रम (mid या level) तथा निम्न (low) ये तीन भेद अधिक प्रचलित रहे हैं। वैदिक संस्कृत में लगभग ये ही तीन सुर या स्वर उदात्त, स्वर्णित एवं अनुदात्त हैं। ग्रीक में ऐक्यूट (acute accent), ग्रेव (grave-accent) तथा सर्कम्प्लेक्स (circumflex accent) ये तीन सुर थे। ऐक्यूट भारतीय उदात्त की भाँति ही उच्च था, इसे यों (a') अंकित करते थे। ग्रेव (जिसे वे a अंकित करते थे) निम्न था, किन्तु कदाचित् बहुत निम्न नहीं। यद्यपि बहुत से विद्वानों ने माना है, किन्तु मेरे विचार में यह भारतीय अनुदात्त का समानार्थी नहीं है। यह कदाचित् सामान्य सुर और उच्च या ऐक्यूट के बीच का रहा होगा। सर्कम्प्लेक्स (जिसे वे a) या a, या a, रूप में अंकित करते थे, वह सुर था जो पहले उठता था और फिर गिरता था। इस रूप में इसे आरोही-अवरोही सुर कह सकते हैं। वैदिक स्वर्णित को अनेक लोगों ने इसके समानार्थी माना है, किन्तु वस्तुतः ये दोनों भिन्न हैं।

स्वर्णित—इसका शाब्दिक अर्थ है—'उच्चगित' या 'ध्वनि'। नैन्तिरीय प्रातिशाख्य तथा अष्टाध्यायी आदि में आता है—'समाहारः स्वर्णितः'। वाजपयनीय प्रातिशाख्य में आता है—'उभयवान् स्वर्णितः'। आपिशलि शिक्षा में आता है—'उदात्तानुदात्तस्वर्णितान्निपातान् स्वर्णितः' अर्थात् स्वर्णित उदात्त और अनुदात्त का मेल या समाहार है। इस मेल का अर्थ संधि है या सम्न्वय, यह प्रश्न महाभाष्यकार ने उठाया है। कहना न होगा कि यह संधि ही है जिसे नीर-क्षीर की तरह न मान कर

काष्ठ-जंतु के समान माना गया है। पाणिनि ने कहा है—'तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् (१.२.३२), अर्थात् स्वरित के आदि की ह्रस्वाद्ध मात्रा उदात्त होती है और शेष अनुदात्त। मैकडॉनल ने स्वरित को उदात्त से गिरता हुआ या अधोगामी सुर (falling accent) माना है। उनके अनुसार यह उदात्त और सुरशून्यता (tonelessness) के बीच का है। स्वरों के भेद और उनके स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। भेद—कुछ लोगों ने पाणिनि के आधार पर इसके स्वतंत्र और परावलम्बी दो भेद माने हैं। परावलम्बी स्वरित ग्रीक के सरकम्प्लेक्स-सा कहा गया है जिसमें स्वरित का आद्यांश उदात्त से भी कुछ ऊँचा होता है। उसके बाद यह अनुदात्त होता है। ऋक् प्रातिशाख्य में भी यह बात कही गई है। स्वतंत्र रूप में यह महत्त्व की दृष्टि से उदात्त के समकक्ष माना गया है। कुछ लोगों ने मात्रा के आधार पर स्वरित के ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और लुप्त स्वरित तीन भेद माने हैं। ह्रस्व स्वरित का पूर्वार्द्ध उदात्त और उत्तरार्ध अनुदात्त होता है; दीर्घ की प्रारम्भ की १/४ मात्रा उदात्त तथा शेष ३/४ अनुदात्त तथा प्लुत के प्रारम्भ की १/८ मात्रा उदात्त तथा शेष ७/८ अनुदात्त होती है। इस प्रकार के मत उच्चट तथा अनंत मट्ट आदि द्वारा व्यक्त किये गये हैं। प्रातिशाख्यों में स्वरित के कई भेदों का उल्लेख मिलता है जिनमें प्रमुख जात्य स्वरित या नित्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, क्षेप्र स्वरित, प्रश्निष्ठ स्वरित, तैराद्यञ्जन स्वरित तथा पादवृत्त स्वरित या वैवृत्त स्वरित आदि हैं।

उदान्त—उदान्त का शाब्दिक अर्थ है—'उठा हुआ'। जो सुर उठा हुआ या ऊँचा हो, उसे उदात्त कहते हैं। तैत्तरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य तथा अष्टाध्यायी आदि में इसे स्पष्ट किया गया है 'उच्चैरुदात्तः, अर्थात् उदान्त उच्च होता है। इसमें 'उच्च' का अर्थ क्या है, इसे पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है—'आवासां-दारुण्यं अणुता स्वस्य इति उच्चैः कराणि शब्दग्य।' इस आधार पर उन्नाद में आयास या अंग-संकोच, दारुण्य अर्थात् रूखापन तथा अणुता, अर्थात् कंठ या ग्वर-यंत्र की मृदुलता, ये तीन बातें मानी जा सकती हैं। आपिशलि शिक्षा में भी ये ही बातें कही गई हैं।

अनुदात्त—'इसा स्वर जो उदात्त न हो।' अनुदात्त को तैत्तरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य तथा पाणिनी के अष्टाध्यायी आदि में 'नीचैरनुदात्तः' रूप में स्पष्ट किया गया है, अर्थात् यह 'निम्न सुर' या 'नीचा सुर' था। अनुदात्त का प्रयोग कदाचित् एक से अधिक अर्थों में हुआ है। कभी तो इसका अर्थ 'उदात्त नहीं', अर्थात् उदात्त से थोड़ा निम्न ज्ञात होता है। इस रूप में यह ग्रीक ग्रेव का समानार्थी है और कभी सुरविहीन (accentless) का समानार्थी है। आपिशलि शिक्षा में आता है—'यदा सर्वाङ्गानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, तदा गात्रस्य निग्रहः, कंठबिलस्य घान्गुत्वं, स्वरस्य च वायोरस्तीव्रगतिन्त्वाद् रोक्ष्यं भवति, तमुदात्तमावक्षते।' अर्थात्, जब शरीर के सर्वाङ्गों का प्रयत्न तीव्र हो, अंग शिथिल न हो, कंठ संकुचित हो तथा ध्वनि-उत्पादक वायु तीव्र हो तो जो रुक्ष ध्वनि निकलती है, उसकी रुक्षता उदात्त है। इसके विरुद्ध 'यदानु मन्दः प्रयत्नो भवति, तदा गात्रस्य मंसनं कंठबिलस्य महत्त्वं स्वरस्य च वायोरमन्दगतिन्त्वात् ग्निग्धता भवति तमनुदात्तं प्रवक्षते।' अर्थात्, जब प्रयत्न मंद हो तो जो ग्निग्ध ध्वनि निकलती है, उसकी ग्निग्धता अनुदात्त है। कांशिकावृत्तिकार का 'यश्मिननुच्चार्यमाणे गात्राणामन्ववर्गानाम् शिथिलीभवनं भवति ग्वरस्य मृदुता, कंठविवरस्य उरुता च सः अनुदात्तः' भी प्रायः यही है। अनुदात्तत्वं—अनुदात्त से भी नीचा सुर। इसे कुछ लोगों ने पूर्णतः निम्न सुर माना है। महाभाष्यकार पतञ्जलि आदि ने सुर के जो उदात्त, उदान्तर, अनुदात्त, अनुदात्त स्वरित, स्वरितयोदान्त तथा एकश्रुति गान भेद माने हैं, इनमें अनुदात्त निम्नतम कहा

गया है। उदात्त या स्वरित सुर के पूर्व का अनुदात्त सुर बहुत निम्न होता है। कुछ लोगों के अनुसार उसी को अनुदात्तर कहा गया है। इस अर्थ में पाणिनि ने इसे सन्नतर (उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः १.२.४०) की संज्ञा से अभिहित किया है।

इस प्रकार के प्रमुख तीन भेद मानने पर भी भारतीय मनीषी इस बात से पूर्णतः परिचित थे कि सुर के और भी भेद हो सकते हैं। इसीलिए तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की वैदिकाभरण-व्याख्या में चार (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय) सुरों के संकेत मिलते हैं। नारद शिक्षा में एक और 'निघात' बढ़ाकर भेदों की संख्या पाँच कर दी गयी है। महाभाष्यकार पतंजलि ने उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्तर, स्वरित, स्वरित के आरम्भ में वर्तमान उदात्त और एकश्रुति, ये सात भेद माने हैं। इतना ही नहीं, ऋक्सप्रातिशाख्य, शुक्लयजुः प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में यह भी पता चलता है कि इन भेदों में 'स्वरित' के अलग से संहितज, जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र-प्रश्लिष्ट, तैगंध्यजन, वैवृत्त, तैरोविराम तथा प्रातिहित ये ६ उपभेद भी प्राचीन काल में माने जाते थे।

चीनी भाषा में अनेक सुर आज भी हैं, यद्यपि वे उपर्युक्त भेदों से कुछ भिन्न हैं। उसमें चार प्रमुख सुर सम (even), आरोही (rising), अवरोही (sinking या falling) और प्रवेशमुखी (entering) हैं। कुछ लोगों ने कुछ ऊँचा, माध्याण प्रश्नात्मक, तज प्रश्नात्मक तथा उन्तगत्मक कहा है। चीनी की कुछ बोलियों में इन सबके उच्च और निम्न इस प्रकार ८ भेद किये गये हैं। चीनी की कैंटनी बोली में ६ सुर हैं।

सुरलहर अथवा अनुतान (Intonation)

जैसा कि पीछे स्पष्ट किया गया, 'सुर' स्वर-तंत्रियों के कपन के कारण उत्पन्न एक ध्वनिगुण है जो स्वर-तंत्रियों के प्रति संकेण्ड कम्पनावृत्ति पर निर्भर करता है। सुर किसी एक ध्वनि का होता है, किन्तु जब हम एक से अधिक ध्वनियों की कोई इकाई (शब्द, वाक्यांश, वाक्य) का उच्चारण करते हैं, तो हर ध्वनि (घोष) का सुर प्रायः अलग-अलग होता है और इस प्रकार सुरों के उतार-चढ़ाव की लहर बनती है जिसे 'सुरलहर' अथवा 'अनुतान' कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुतान या सुरलहर सुरों के उतार-चढ़ाव या आरोह-अवरोह का क्रम है जो एकाधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई के उच्चारण में सुनाई पड़ता है।

यह ध्यान रखने की बात है कि सुर तथा सुरलहर का आधार स्वरतंत्रियों का कपन केवल घोष ध्वनियों में होता है, किन्तु अधोष ध्वनियों का प्रयोग इतना कम होता है कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि वह पूरे उच्चारण का अनुतान सुन रहा है, खण्ड-खण्ड का नहीं।

विश्व-भाषाओं को अनुतान की दृष्टि से दो भागों में रखा जा सकता है—तान (Tone) भाषाएँ (जैसे चीनी, बर्मी, एफिक, याउंटे आदि) अतान भाषाएँ (जैसे हिन्दी, अंग्रेजी आदि)। तान भाषाओं में अनुतान से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है तथा उसका व्याकरणार्थ भी, किन्तु अतान भाषाओं में केवल आश्चर्य, प्रश्न, अनिच्छा, आज्ञा आदि का अनिश्चित भाव ही आ पाता है जो अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ के ऊपर एक प्रकार से आरोपित रहता है। इस प्रकार अनुतान के मुख्यतः तीन प्रकार्य (फंक्शन) हैं—

(१) कोशार्थ-परिवर्तन—तान भाषाओं में अनुतान से शब्दों के अर्थ (कोशार्थ) बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी शब्द 'मा' का एक अनुतान में अर्थ 'माता' है तो दूसरे में 'घोड़ा'। चीनी भाषा की एक बोली में विभिन्न अनुतानों में 'यन' शब्द के घुआँ, नमक, आँख तथा हथिये चार अर्थ होते हैं।

ऐसे ही अफ्रीका की 'एफ्रिक' भाषा में 'आक्या' के 'नदी' तथा 'पहला' दो अर्थ होते हैं।

(२) व्याकरणार्थ-परिवर्तन—अफ्रीका की याउडे भाषा में 'मंगायेन्' एक अनुतान में भूतकाल का रूप है (मैंने देखा) तो दूसरे अनुतान में भविष्य का (मैं देखूँगा)। इसी प्रकार अमेरिका की मैक्जाटोको भाषा में 'साइटे' एक अनुतान में वर्तमान का रूप है (मैं बुनता हूँ) तो दूसरे में भविष्य का (मैं बुनूँगा)।

(३) सामान्य कथन, प्रश्न, आश्चर्य आदि का द्योतन

राम गया। (सामान्य कथन)

राम गया ? (प्रश्न)

राम गया ! (आश्चर्य)

ऐसे ही विभिन्न अनुतानों में 'अच्छा' शब्द से 'हाँ' (तुम भी आना—अच्छा, आ जाऊँगा), आश्चर्य (वह पास हो गया—अच्छा !!), अनिच्छा (शाम को मेरे साथ चाय पियो—अच्छा) आदि के भाव व्यक्त होते हैं।

अनुतान मूलतः स्वर-तंत्रियों के प्रति रेकेण्ड कंपन में कमी-वैशी से उच्चारण में उत्पन्न उतार-चढ़ाव है, किन्तु इसके अतिरिक्त उसका सम्बन्ध बालघात, मात्रा तथा संगम (जंक्चर) भी है। ये चारों मिलकर मुख्यतः निम्नांकित तीन काम करते हैं—(१) वाक्यों के समूह को वाक्यों में, वाक्य को उपवाक्य तथा पदबंध और पदबंध को और छोटी इकाइयों में ताड़ते हैं; (२) अभिव्यक्ति को उत्तर, सामान्य कथन, आज्ञाद्योतक, प्रश्नद्योतक तथा अनिच्छाद्योतक आदि बनाते हैं; (३) अभिव्यक्ति के विभिन्न भागों या अंशों को अर्थ के धरातल पर आपस में सम्बद्ध करते हैं।

अंत में १ को निम्न सुर, २ को सामान्य सुर तथा ३ को उच्च सुर का प्रतीक मानकर कुछ मुख्य हिन्दी अभिव्यक्तियों की अनुतान-अभिरचना (intonation pattern) यहाँ देखी जा सकती है—

(१)	मकान अच्छा है।	(सामान्य कथन)	
(२)	मकान अच्छा है।	(सामान्य कथन)	: २ ३ १
(३क)	राम आ गया ?	(प्रश्न)	: २ ३ ३
(३ख)	राम आ गया क्या ?	(प्रश्न)	: २ ३ २
(४)	राम आ गया !	(आश्चर्य)	: ३ ३ १
(५)	नमस्कार	(अभिव्यक्ति)	: १ २ ३

संगम (Juncture), संहिता अथवा विवृति

बोलने में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती रहती है। वक्ता एक ध्वनि समाप्त करके दूसरी का उच्चारण करता है। यह एक ध्वनि से दूसरे पर जाना दो प्रकार का होता है। कभी तो हम सीधे चले जाते हैं और दोनों ध्वनियों के बीच में कुछ नहीं आता। उदाहरणार्थ, 'तुम्हारे' में 'म्' के बाद 'ह' सीधे आ जाता है। किन्तु कभी एक ध्वनि से दूसरी पर जाना ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ, 'तुम्हारे' में ध्वनियाँ वहीं हैं, किन्तु 'म्' के बाद जाना 'तुम्हारे' जैसा नहीं है। यहाँ 'म्' और 'ह' के बीच में थोड़ा अवकाश, विगम या मौन है। इसी विगम या मौन को 'संगम', 'संहिता', 'विवृति' या 'योजक मौन' कहते हैं। यह ध्यातव्य है कि यह संगम अर्थक है। यदि न हो तो 'तुम्हारे' का अर्थ 'तुम्हारे' हो जायगा। संगम को भाषाविज्ञान में धन (+, जेम्—तुम्+हारे) द्वारा व्यक्त करते हैं, जर्मानियाँ इसे 'धन-संगम' (plus juncture) भी कहते हैं। संगम सर्वदा शब्दों के बीच में आता है, अर्थात् वाक्यांश की सीमाओं के भीतर ही आता है, जर्मानियाँ इसे कुछ लोग आन्तरिक संगम

(internal juncture) भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में संगम कभी वाक्य या वाक्यांश के अन्त के 'विराम' (##) को भी संगम कहा है, किन्तु उसे संगम न कह कर 'सीमांतिक विराम' (terminal contour) कहना कुछ लोग अधिक ठीक मानते हैं।

संगम का एक भेद 'रूपिक संगम' (morphemic juncture) भी है। जब दो रूपियों (morphemes) के बीच संगम हो, तो उसे यह नाम देते हैं। 'तुम्+हाउ' में यही है। व्याकरणिक शब्दों के बीच में आने से इसे 'व्याकरणिक संगम' भी कहते हैं। संगम का एक भेद 'आक्षरिक संगम' (syllabic juncture) भी है। जब संगम दो अक्षरों के बीच में आवे, तो उसे यह नाम देते हैं। दो समध्वनीय भिन्नार्थी उच्चारणों को ले।

नल की

नल् की

(१)

(२)

उपर्युक्त दोनों में दो अक्षर हैं—'नल्' और 'की'। इन दो अक्षरों के बीच संगम नहीं है, किन्तु दूसरे में इन्हीं दोनों अक्षरों के बीच संगम है। अक्षर-सीमा पर स्थिर हाने के कारण यह संगम 'आक्षरिक संगम' है।^१

संगम बहुत-सी भाषाओं में किसी न किसी रूप से सार्थक होता है। कुछ उदाहरण हैं—

नदी—न दी। नफ़ीस—न फ़ीस। नरम—न रम। ग़ाना—ग़ा ना। वह घोड़ागाड़ी खींचता है—वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। गाली—गा ली। इसी आधार पर संगम को स्वनिभिक माना जाता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य या वाक्यांश के अन्त में आने वाले विराम का संगम न कहकर सीमांतिक विराम कहना अधिक उचित समझा जाता है, किन्तु बान सर्वसम्मत नहीं है। कुछ लोग भाषा के बीच किसी भी प्रकार के मौन या टूट (break) को संगम मानते हैं।

इस रूप में सीमांतिक विराम का संगम मानकर उसके दो भेद किये जा सकते हैं—(१) 'पूर्णविराम' या 'सीमांतिक' संगम (terminal juncture)—यह पूर्णविराम है जिसके (i) सामान्य भाव, (ii) प्रश्न, (iii) आश्चर्य, ये तीन उपभेद किये जा सकते हैं। (२) 'अल्पविराम संगम' या 'कामा संगम' (coma juncture)—यह अल्पविराम है। रोकों मत, जानें दो ; रोकों, मत जानें दो। (He will act, roughly in the same manner ; He will act roughly in the same

१. इस प्रसंग में आन्तरिक मुक्त संगम (internal open juncture) और बाह्य मुक्त संगम (external open juncture) के भी नाम लिये जाते हैं। दूसरा वहाँ होता है जहाँ संगम ध्वनिग्राम की प्रकृति में निहित हो, जैसे हिन्दी आदि में अन्त के स्पर्श-संघर्षी अस्फोटित होते हैं, या अंग्रेजी में आरम्भ में आने वाले क्, प्, ट् महाप्राण हो जाते हैं। इस प्रकार यह आदि या अन्त में मिलता है, अर्थात् शब्द से बाहर है। इसे हॉकिट ने 'सीमांतक' (terminal) कहा है। पहले को 'शब्द-संगम' या 'वाक्य-संगम' भी कहते हैं। यहाँ संगम न बाहर होता है, न ध्वनिग्राम की प्रकृति में निहित होता है। वह शब्द के भीतर होता है। अंग्रेजी का एक उदाहरण लें slyness. इसमें बीच में sly+ness संगम है। कभी-कभी 'बद्ध संगम' (close juncture) का भी प्रयोग होता है। जहाँ सरलता से बिना अवकाश के एक ध्वनि से दूसरी पर जाया जाय (जैसे तुम्हारे, नल् की) वहाँ यह होता है। इसे 'ध्वन्यात्मक संगम' भी कहते हैं। वस्तुतः इसे संगम नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग आन्तरिक और बाह्य मुक्त संगम नाम का प्रयोग बिल्कुल ही भिन्न अर्थों में करते हैं। कुछ अमरीकी विद्वान् 'जंक्चर' में और भी बहुत-सी बातों को समेट लेते हैं।

manner ; Old man and woman ; Old, man and woman ; दिया, तले रख दो, दिया तले रख दो ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये अल्पविराम संगम सार्थक हैं और इसके रहने या न रहने में अर्थ में पर्याप्त अन्तर पड़ जाता है ।

अक्षर (Syllable)


अक्षर का हिन्दी तथा संस्कृत में कई अर्थों में प्रयोग होता है—(१) हर्फ (letter) या वर्णचिह्न । जैसे उसके अक्षर बड़े सुन्दर हैं ; (२) अनश्वर (अ+क्षर : न क्षरतीति) । इसी अर्थ में 'अक्षर' ब्रह्म का पर्याय है ; (३) स्वर । इसी आधार पर संस्कृत में मूल स्वर या सामान्य स्वर को 'समानाक्षर' तथा संयुक्त स्वर को 'संध्यक्षर' कहा गया है ; (४) 'अक्ष' या शीर्षवाला 'अक्ष' (अर्थात् धुरी या शीर्ष) + र । इस अर्थ में 'अक्षर' शब्द अंग्रेजी 'सिलेबल' (syllable) का पर्याय है और इसी अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग यहाँ कर रहे हैं ।

अक्षर 'एक ध्वनि' अथवा 'एकाधिक ध्वनियों' की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके (एक चेम्पल्स या हृत्स्पन्द) में होता है तथा जिसमें एक स्वर अवश्य होता है । उसके पहल्ले या बाद में एक या अधिक व्यंजन आ भी सकते हैं, नहीं भी ।

हिन्दी में उदाहरण तै तो 'आ' (तू में घर आ) एक अक्षर है जिसमें केवल स्वर है ; 'जा' अक्षर में व्यंजन+स्वर है ; 'आप' अक्षर में स्वर+व्यंजन है ; 'काम' अक्षर में व्यंजन+स्वर+व्यंजन है तथा 'प्यार' में व्यंजन+व्यंजन+स्वर+व्यंजन है तो 'प्राप्त' में व्यंजन+ व्यंजन+स्वर+व्यंजन+व्यंजन आदि ।

'कान्ना' (का+न्ना) , 'पाना' (पा+ना) , 'तां' (ता+ं) में दो-दो अक्षर हैं , तो 'आवाग' (आ+वा+ग) , 'बाजीगर' (बा+जी+गर) , 'गुन्दरना' (गुन+दर+ना) , 'आडग' (आ+ड+ग) में तीन-तीन अक्षर ।

अक्षर में स्वर शीर्ष (peak) या केन्द्रक (nucleus) होता है तथा उसके पहल्ले वाला या वाल्ने व्यंजन 'पूर्वगह्वर' (onset) तथा बाद वाला या वाल्ने व्यंजन 'परगह्वर' (coda) । उच्चारण में शीर्ष मुखर होता है बनिश्चय पूर्व और परगह्वर के ।



अपवादतः न (अं. mutton), ल (अं. little), र (चेक krk ; सं. ऋण) आदि कई व्यंजन भी कुछ भाषाओं में शीर्ष का काम करते हैं और तब इन्हें आक्षरिक व्यंजन (syllabic consonant) कहते हैं । इसके विपरीत कभी-कभी पूर्व और परगह्वर के रूप में स्वर भी आते हैं (अर्धस्वर या संयुक्त स्वर में) और तब उस स्वर को अनाक्षरिक स्वर (non-syllabic vowel) कहते हैं ।

अक्षर दो प्रकार के होते हैं—बद्धाक्षर (closed syllable)—जिसके अंत में व्यंजन हो ; जैसे—आपु, एक, सीख । मुक्ताक्षर (open syllable)—जिसके अंत में स्वर हो ; जैसे—जो, या,

खा, ले।

हर भाषा में एकाक्षरी शब्द ही सर्वाधिक होते हैं। यदि 'स' को स्वर तथा 'व' को व्यंजन मानें तो विभिन्न भाषाओं में एकाक्षरी शब्द आक्षरित संरचना की दृष्टि से निम्नांकित प्रकार के मिलते हैं। यहाँ उदाहरण हिन्दी से लिये गये हैं—

स्वरूप	उदाहरण
स	आ
व स	जा, खा, गा, रो, जी
स व	आजू, ईख, अब्
स व व	अन्त, अस्त
व व स	क्या
स व व व	अस्त, इन्द्र
व व व स	स्त्री
व स व	नाथ, हथ, कुल्
व स व व	कन्त, पस्त, क्वत्
व स व व व	शस्त्र, कस्त्र
व व स व	द्वेष, द्वीप
व व स व व	क्षिप्र, व्यस्त
व व स व व व	कृच्छ्र, स्वास्थ्य
व व व स व	स्त्रीण
व स व व व व	वत्स्य

कोष्ठक को विकल्पघोतक मानकर हिन्दी के उपर्युक्त सभी एकाक्षरी शब्दों की आक्षरिक संरचना को संक्षेप में यों रखा जा सकता है—

(व व व) स (व व व व)

अर्थात् हिन्दी में अक्षर में स्वर का शीर्ष रूप में आना आवश्यक है। उसके पूर्व एक, दो या तीन व्यंजन आ सकते हैं तथा अंत में एक, दो, तीन या चार व्यंजन।

उपर्युक्त के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि 'हिंदी की आक्षरिक संरचना' या 'हिंदी के एकल अक्षर की संरचना' उपर्युक्त प्रकार की होती है। इसे शीर्ष तथा पूर्व और परगह्वर की दृष्टि से चार वर्गों में रखा जा सकता है—(१) मात्र शीर्ष वाला (आ, ओ) ; (२) पूर्वगह्वर+शीर्ष (ला, क्या, स्त्री) ; (३) शीर्ष+परगह्वर (आज, आप्त, आर्द्र) ; (४) पूर्वगह्वर+शीर्ष+परगह्वर (काम, शान्त, वस्त्र, वत्स्य, क्रम, स्वास्थ्य, स्त्रीत्व)।

भाषाओं में एकाधिक अक्षरों के भी शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दी में द्व्यक्षरी (अभी, गणित, प्रकार), त्र्यक्षरी (आवारा, पढ़ाई, उत्साहित), चतुरक्षरी (अभिनन्दन, कठिनाई) तथा पंचाक्षरी (अनिर्वचनीयता, बहाइएगा, अन्धानुकरण) शब्द मिलते हैं।

एकाधिक अक्षरों के शब्द के उच्चारण में ठीक अक्षर-विभाजन आवश्यक है। अर्थात् 'वक्+ता', न कि 'व—क्ता' अथवा 'प—थिक', न कि 'पथ—इक'। गलत आक्षरिक विभाजन से उच्चारण तो अशुद्ध हो ही जाता है, कभी-कभी अर्थ भी प्रभावित होता है—'ना—प—ता'—'नाप—ता', 'म—धुर—ता'—'म+धु+र—ता', 'मा—नव—ता'—'मान—व—ता' आदि।

अक्षर-विभाजन के नियम हर भाषा के अपने होते हैं, इसीलिए विदेशी भाषा के शब्दों के उच्चारण में अक्षर-विभाजन-संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः हो जाती हैं।

अक्षर-विभाजन लेखन या वर्तनी के आधार पर न होकर उच्चारण के आधार पर होना चाहिए—उपन्यास (उ—पन्—न्यास्), अभ्यास (अब्—न्यास्), व्याख्यान (व्याक्—ख्यान), वाक्यांश (वाक्—क्यांश), लगभग (लग्—भग्), भरद्वज (भ—रद्—द्वज)।


अक्षर-विभाजन जहाँ से होता है, वहाँ थोड़ी देर मौन होता है जिसे 'अत्यल्प-कालिक संगम' की संज्ञा दी जा सकती है।

प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान (Experimental Phonetics)

जैसा कि येस्पर्सन ने कहा था—ध्वनिविज्ञान की इस शाखा को 'यांत्रिक' न कहकर 'प्रायोगिक' कहना अधिक उचित है, क्योंकि प्रयोग तो बिना मशीन के भी हो सकता है। यों इस शाखा में किसी न किसी प्रकार के यंत्र या उपकरण की सहायता अवश्य ली जाती है। ध्वनियों के अध्ययन में, जब यों देखने-सुनने से काम न चला तो ध्वनिशास्त्रियों ने अध्ययन और विश्लेषण के लिए तरह-तरह के उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ किया। इन उपकरणों में एक ओर तो कुछ बड़े सामान हैं, जैसे दर्पण आदि और दूसरी ओर मशीनें हैं जिनके संचालन के लिए यंत्रजों की आवश्यकता पड़ती है। आज तो इस क्षेत्र में इतनी जटिल मशीनों का प्रयोग हो रहा है कि यह क्षेत्र मात्र भाषाशास्त्रियों के वर्ग का नहीं है जब तक कि वे गणित, भौतिकशास्त्र तथा इंजीनियरिंग से भी परिचित न हों। यहाँ इस क्षेत्र में काम आने वाले कुछ उपकरणों का संक्षिप्त एवं सामान्य परिचय दिया जा रहा है—

(१) मुखमापक (Mouth Measurer)

इसे ऐटकिन्सन ने बनाया था, उसी आधार पर इसको प्रायः ऐटकिन्सन का 'मुखमापक' कहा जाता है। इसकी सहायता से किसी ध्वनि के उच्चारण के समय जीभ की ऊँचाई, निचाई, उसका आगे या पीछे हटना आदि ठीक-ठीक नापा जा सकता है। १-२ धातु की पतली नली है जो ऊपर की ओर झुकी है। इसके भीतर एक पतला तार है जो २ के बाहर दिखाई पड़ रहा है। नीचे यह दस्ते से जुड़ा है। इस दस्ते की सहायता से इस तार को ऊपर-नीचे किया जा सकता है। तार की लम्बाई ऐसी होती है कि जब उसका निचला सिरा १ के पास होता है, तब ऊपरी सिरा २ के पास होता है। ५ एक 'दाँतरोक' (teeth stop) है जिसमें बाहर की ओर दो निकले भाग हैं। ये ऊपर की ओर रहते हैं तो दाँतरोक नली से चिपका रहता है और जब नीचे कर दिये जाते हैं तो इसे खिसकाया जा सकता है। इसका ऊपरी भाग मुँह में इतना डालते हैं कि दाँतरोक दाँतों तक आ जाय, फिर दस्ते को ऊपर करके तार को जीभ तक ले जाते हैं और उसी स्थिति में इसे निकाल कर पहले से बने नक्शों में बिन्दु लगा देते हैं। इसी प्रकार 'दाँतरोक' खिसका-खिसका कर जीभ की स्थिति के ६-७ बिन्दुओं का पता लगा कर जीभ की पूरी स्थिति का ठीक नक्शा खींच लेते हैं।



१. देखिये इस पुस्तक का प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान से सम्बद्ध अंश।

२. इसे Instrumental Phonetics (यांत्रिक ध्वनिविज्ञान) या Laboratory Phonetics (प्रयोगशाला-ध्वनिविज्ञान) भी कहते हैं।

(2) कृत्रिम तालु (False या Artificial Palat)


कृत्रिम तालु धातु या वल्कनाइट का बना होता है। यह प्रयोक्ता के मुँह की ठीक नाप का ऊपर के तालु के लिए होता है। किसी ध्वनि का उच्चारण करने के पूर्व इसमें भीतरी ओर कोई रंग या खड़िया लगा लेते हैं और फिर ऊपर के तालु पर इसे बैठा देते हैं। इसके बाद जिस ध्वनि की परीक्षा करनी होती है, उसका उच्चारण करते हैं। उच्चारण में जीभ तालु पर लगे कृत्रिम तालु का स्पर्श करती है और जहाँ स्पर्श होता है, वहाँ का रंग (या चॉक) जीभ पर लग जाता है। इस प्रकार कृत्रिम तालु पर स्पर्श-स्थान स्पष्ट हो जाता है। तालु को सावधानी से बाहर निकाल कर उस स्पर्श-स्थान का अध्ययन करते हैं। मुँह से निकालने के बाद ही इसकी फोटो ले लेना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि रंग (या चॉक) के झड़ या छूट जाने पर वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता।

आजकल इसका ठीक स्वरूप जानने के लिए 'पैलेटोग्राम प्रोजेक्टर' नाम की एक मशीन प्रयोग में आने लगी है। इसमें बोलने के बाद कृत्रिम तालु को नीचे लगा देते हैं। भीतर बिजली के प्रकाश तथा शीशे की ऐसी व्यवस्था रहती है कि रिच दबाते ही उनसे ऊपर के शीशे (चित्र में चौकोर काला) पर कृत्रिम तालु की छाया पड़ने लगती है और किसी पतले कागज को उस पर रख कर अक्स कर लेते हैं। इस प्रकार सरलता से चित्र उतर जाता है। इस पर जल्दी-जल्दी थोड़े ही समय में काफी ध्वनियों का चित्र अक्स किया जा सकता है।

मूलतः कृत्रिम तालु दन्त-चिकित्सा में प्रयुक्त होता था। १८१७ में कीट्स ने इसका प्रयोग ध्वनियों के लिए किया और तब से इस क्षेत्र में यह बहुत कारगर सिद्ध हुआ है।

(3) कायमोग्राफ (Kymograph)

'कायमोग्राफ' एक यंत्र है जिसका उपयोग ध्वनियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह चौकोर बाक्स की तरह एक मशीन होती है जिसके ऊपर सिगरेट के गोल डिब्बे की तरह एक बड़ी



दोल लगी होती है। ढोल के ऊपर चारों ओर धुँएँ से काला किया हुआ एक चिकना कागज लपेट देते हैं। पास ही एक खड़े ढंडे में छोटी-सी मशीन और उसी से सम्बद्ध एक रबड़ की नली रहती है। रबड़ की नली के एक ओर एक चौड़ी-सी चीज लगी रहती है, ताकि मुँह में ठीक से लगाया जा सके। दूसरी ओर एक पतली-सी सुई रहती है। जैसा चित्र से स्पष्ट है, सुई ढोल पर लिपट कागज पर

लगी रहती है। मुँह में लगाये जाने वाले छोर को मुँह में लगा कर प्रयोगकर्ता बोलता है। इससे दूसरे छोर पर लगी सुई में कम्पन होता है। उधर ढोल विद्युत् की सहायता से घूमने लगती है और सुई काले कागज पर टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनाने लगती है। अनुनासिकता आदि देखने के लिए एक नली नाक से भी सम्बद्ध कर लेते हैं जो एक अलग निशान बनाती चलती है। कुछ स्वनियाँ घोष और कुछ अघोष होती हैं। इसका निश्चय कायमोग्राफ़ की सहायता से सफलतापूर्वक हो सकता है। अघोष ध्वनियों का उच्चारण करने पर ढोल वाले कागज पर बनी लकीर सीधी होती है। उसमें लहरें नहीं रहती हैं, पर घोष ध्वनियों की लकीर लहरदार होती है। इसका कारण यह है कि घोष ध्वनियों में सुई नीचे-ऊपर कौंपती रहती है, पर अघोष में नहीं। अल्पप्राण और महाप्राण की लाइनों की लहरों में भी कायमोग्राफ़ में स्पष्ट भेद रहता है। एक कुछ अधिक सीधी और दूसरी कम सीधी होती है। स्पर्श, स्पर्श-संघर्ष, पार्श्विक आदि की लहरों में भी सूक्ष्म अन्तर रहता है जिसे लाइनों का अध्ययन करने वाला पढ़चान सकता है। अनुनासिकता जानने के लिए एक अन्य नली नाक में लगा लेते हैं। उसका भी दूसरा सिरा प्रथम की भाँति सुईयुक्त होता है और ढोल पर लगा रहता है। अनुनासिक ध्वनि में नासिका से कुछ वायु निकलती है। अतः नासिका-नली की सुई अनुनासिक ध्वनि के समय लहरदार लकीर बनाती है, पर अनुनासिक ध्वनि में उसकी लकीर साधारण रहती है। लकीर या मात्रा जानने के लिए एक घड़ी से सम्बद्ध करके एक तीसरी रबड़ की नली इसके लिए लगा देते हैं। यह तीसरी लकीर समय प्रदर्शित करती चलती है। इसकी सुई एक सेकेण्ड में सौ निशान बनाती है जिसके देखने से पता चल जाता है कि किस ध्वनि के उच्चारण में कितना समय लगा तथा वह दीर्घ है या लघु। इससे सुर का भी पता चल जाता है। इसका प्रयोग पहले डाक्टर लोग करते थे, किन्तु १८७६ में रोजपेल्ली ने ध्वनि-अध्ययन में इसका प्रयोग किया और तब से इससे ध्वनिविज्ञान में बहुत सहायता मिलती आ रही है।

कायमोग्राफ़ के नये रूप

ऊपर जिस कायमोग्राफ़ का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग तो चल ही रहा है, किन्तु अब—

(१) 'एलेक्ट्रो-कायमोग्राफ़' रूप में इसका एक नया रूप भी प्रयुक्त हो रहा है जिसमें माइक लगा होता है। इसमें अधिक स्वाभाविकता संभव है, किन्तु यह पुराने जितना उपयोगी नहीं है। इसमें अधिक घोष-अघोष तथा सुर, केवल इन दो को ही जाना जा सकता है।

(२) इंक-राइटर भी एक प्रकार का कायमोग्राफ़ कहा जा सकता है। इसमें कायमोग्राफ़ की तरह धुएँ का काला कागज न लपेट कर सफ़ेद कागज लपेटते हैं और उस पर सुई स्याही से निशान बनाती है। प्रयोक्ताओं का कहना है कि इसके चिह्न अधिक सही होते हैं, साथ ही प्रयोग में यह सस्ता भी है, यद्यपि खरीदने में महँगा है।

(३) क्रोमोग्राफ़ (Chromograph) — १८३२ के लगभग स्पेन के Lajerda नामक भाषातत्त्वविद् ने इसे बनाया। यह यन्त्र भी अच्छा है, किन्तु इसका प्रचार नहीं हो सका।

(४) मिंगोग्राफ़ (Mingograph) — यह यंत्र घोषत्व-अघोषत्व तथा सुर को नापने के लिए बहुत अच्छा है। इस पर भी माइक पर बोला जाता है। इसे स्वीडेन में बनाया गया है।

(५) इंग्लैंड में एक अन्य प्रकार के कायमोग्राफ़ का प्रयोग होता है जिसमें फोटो के कैमरे का प्रयोग किया जाता है।

(४) एक्स-रे (X-Ray)

विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में जीभ तथा जबड़े की स्थिति का ठीक ज्ञान एक्सरे से भी किया जाता है। मान स्वरों के एक्सरे-चित्र ध्वनिविज्ञान की कई पुस्तकों में दिये गये हैं। जोन्ज, स्टीफेन, जॉर्ज आदि ने इस क्षेत्र में पर्याप्त काम किया है।

(५) लैरिंगोस्कोप (Laryngoscope)

इसमें एक पतली छड़ पर 120° के कोण पर एक छोटा-सा गोल दर्पण लगा होता है। इसके द्वारा स्वरयंत्र और उसके कार्य को देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को सूर्य की ओर या लैंप की ओर मुँह करके बैठा देना पड़ता है, फिर नीचे जैसे चित्र हैं, उसी स्थिति में उसके मुँह में इतना डालते हैं कि दर्पण कौंचे के पास चला जाय। वहाँ पहुँचने पर इस दर्पण में स्वरयंत्र प्रतिबिंबित होने लगता है और देखा जा सकता है। उस स्थिति में जिन ध्वनियों का उच्चारण संभव है, उनके उच्चारण में स्वरयंत्र और स्वरतंत्रियों की स्थिति भी इससे देखी जा सकती है। यदि अपना स्वरयंत्र स्वयं देखना हो तो एक और दर्पण अपने सामने रखकर लैरिंगोस्कोप के दर्पण की छाया में उसे देखा जा सकता है।




सर्वप्रथम सन् १८०७ ई० में बोजिनी (Bozzini) ने यह दिखाया कि मुँह के भीतर के बहुत से यंत्रों को शीशे के द्वारा बाहर दिखलाया जा सकता है। बाईस वर्ष के बाद सन् १८२६ में बोबिंगटन ने सर्वप्रथम इस प्रकार स्वरयंत्र-मुख को देखने का प्रयास किया। १८५४ में प्रसिद्ध संगीतशास्त्रज्ञ गर्शिया ने इसी से अपने और कई अन्य संगीतज्ञों के स्वरयंत्र को देखा। इसके अधिक प्रचार का श्रेय उसी को है। इस पद्धति को कुछ और विकसित करके टर्क और जरमक आदि विद्वानों ने १८५७ में लैरिंगोस्कोप बनाया और १८८३ में सर्वप्रथम एलो ब्राउने तथा ई० बेहके ने इसके सहारे जीवित मनुष्य के स्वरयंत्र की फोटो ली। लैरिंगोस्कोप से स्वरयंत्र, स्वरयंत्र-मुख तथा स्वरतंत्रों को बोलते समय देख कर ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन तो किया जा सकता है, किन्तु इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि इसे मुँह में डालने पर ही यह सम्भव है और ऐसा करने पर स्वाभाविक रूप से बोलना असम्भव हो जाता है। गले तक किसी यंत्र को मुँह से डालने पर हम असाधारण परिस्थिति में आ जाते हैं : अतः इस यंत्र का प्रयोग अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ।

(६) एंडोस्कोप (Endoscope)

यों तो हिगनर, पैकोनसेलो आदि कई विद्वानों ने लैरिंगोस्कोप को सुधारने का कार्य किया, पर फ्लेटाउ का कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने इसे सुधार कर एंडोस्कोप बनाया जिसके सहारे मुँह बन्द रहने पर भी स्वरयंत्र का अध्ययन हो सकता है। इस प्रकार ध्वनियों के मूल स्थान के अध्ययन में इस नवीन यंत्र एंडोस्कोप से अब पर्याप्त सहायता मिल रही है।

(७) ऑसिलोग्राफ (Oscillograph)

यह भाषा के अध्ययन में प्रवृत्त यंत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इसमें बोलने पर ध्वनि की लहर बनती है जो बीच के शीशे (स्क्रीन) पर दिखायी पड़ती है और उसका फोटो लिया जाता है। यह मशीन बिजली से चलती है।



(१) इससे ध्वनियों के उच्चारण में प्रयुक्त समय का बहुत ठीक पता चल जाता है। समय-रेखा की लहरों की संख्या एक हजार प्रति सेकंड होती है। (२) सुर का अध्ययन भी इसके आधार पर किया जा सकता है। (३) लहरों के स्वरूप के आधार पर घोषत्व-अघोषत्व का भी इससे बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है। इस दृष्टि से यह यंत्र सर्वोत्तम माना जाता है। (४) मोटे ढंग से ध्वनि की गम्भीरता (intensity) जानने के लिए भी यह काफी अच्छा यंत्र है, यद्यपि गम्भीरता-मापक (intensity-meter) जैसा आदर्श नहीं। (५) ध्वनियों के तरंगीय स्वरूप का भी

इससे पता चल जाता है। स्वर की लहरें नियमित (regular तथा repetitive) होती हैं। स्पर्शों की लहरों में नियमितता बिल्कुल नहीं होती। उनका स्वरूप बड़ा जटिल होता है। अंतस्थ (नासिक्य, पार्श्विक, लुठित, संघर्षी आदि) एक प्रकार से दोनों के बीच में पड़ते हैं। नासिक्य की ध्वनियाँ कुछ नियमित तथा स, ज आदि की अब्याहृत और सम होती हैं।



‘अ’ का ऑसिलोग्राम

(८) पैटर्न प्ले बैक (Pattern Play Back)

फ्रैंकलिन तथा वोस्ट ने इसी दशक में इसका आविष्कार किया। इससे स्पेक्टोग्राफ के चित्र को बजाया जा सकता है, अर्थात् चित्र के आधार पर उन्हीं ध्वनियों को सुना जा सकता है जो उसमें चित्रित हैं। इस मशीन से स्पेक्टोग्राफ के ध्वनि-चित्रों के आधार पर बनाये गये कृत्रिम चित्र भी बजाये जा सुनाये जा सकते हैं। ध्वनि की विभिन्न विशेषताओं के अध्ययन में यह बहुत सहायक हो रहा है।

(९) पिचमीटर (Pitchmeter)

यह सुर नापने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। बहुत महँगा होने के कारण इसका प्रचार अभी तक अधिक नहीं हो सका है।

(१०) इन्टेंसिटीमीटर (Intensitymeter)

इससे ध्वनि की गम्भीरता या तीव्रता नापी जाती है।


(११) स्पीचस्ट्रेचर (Speechstretcher)

इससे रिकार्ड की हुई किसी भी सामग्री को काफी धीरे-धीरे बिना विशेष अस्वाभाविकता के सुना जा सकता है। किसी (informant) से सुनकर रिकार्ड की हुई सामग्री को विश्लेषण के लिए बहुत धीरे-धीरे सुनना अधिक अच्छा होता है। इसी दृष्टि से इस यंत्र को बनाया गया है। नयी भाषा को रिकार्ड से सुनकर सीखने वाले के लिए भी यह पर्याप्त उपयोगी है। इस यंत्र का एक रूप ‘सोना स्ट्रेचर’ है।

(१२) स्पेक्टोग्राफ (Spectograph)

दूसरे महायुद्ध में यह यंत्र सामरिक प्रयोग के लिए बनाया गया था। अब भाषा के अध्ययन में सहायक यंत्रों में यह सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें प्रमुखतः उच्चारण-समय तथा आवृत्ति (frequency) का पता चलता है। अभी तक स्वर का ही विशेष रूप से अध्ययन इसके द्वारा सम्भव हो सका है। व्यंजन के फॉर्मन्ट इस पर पर्याप्त स्पष्ट नहीं आते, यद्यपि इस दिशा में प्रयास जारी है। यह यंत्र सोनोग्राफ (Sonograph), वाइब्रलाइजर (Vibralyzer) तथा

कार्डिअलाइजर (Cardialyzer) आदि कई स्पो में चल रहा है। सोनोग्राफ समय-मापन की दृष्टि



से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इस मशीन से ध्वनि का जो चित्र (स्पेक्टोग्राम) बनता है, ऊँचाई में आवृत्ति तथा लम्बाई में समय दिखलाता है। इससे ध्वनि के भौतिक स्वरूप की सारी विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माइक पर बोलते हैं और ध्वनि-चित्र मशीन में ही बनता है।

(१३) ऑटोफोनोस्कोप (Autophonoscope)

पैकोनसेली ने इसे स्वर-यंत्र के अध्ययन के लिए बनाया है।

(१४) ब्रीदिंग फ्लास्क (Breathing Flask)

इसे गट्जमेन ने श्वास-प्रक्रिया के अध्ययन के लिए बनाया है।

(१५) स्ट्रोबोलैरिंगोस्कोप (Strobolaringscope)

स्वरतंत्रियों की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए यह बनाया गया है।

'एलेक्ट्रिक वोकल ट्रेक', 'फार्मेन्ट ग्राफिंग मशीन', 'ओवे' तथा 'केम्बेक माड्युलेशन ऑप्लेन्टर'

आदि कुछ अन्य मशीनें भी बनायी जा रही हैं जिनसे भविष्य में ध्वनियों का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है।

ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान (Diachronic Phonetics)

ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान में किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों के विकास का विभिन्न कालों में अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी 'क' के सम्बन्ध में देखेंगे कि वह हिन्दी में किन-किन स्रोतों (संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि) से आया है, साथ ही यह भी देखेंगे कि हिन्दी में विभिन्न कालों में इसका विकास किन-किन रूपों में हुआ है। अक्षर, सुर, बलाघात आदि का भी इतिहास इसी प्रकार देखा जाता है। यहाँ हमें भाषा-विशेष की ध्वनियों का इतिहास नहीं देखना है। यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान ध्वनियों के विकास का अध्ययन है; अतः हम लोग ध्वनियों के विकास के कारण तथा विकास के स्वरूप या दिशाओं पर विचार करेंगे। साथ ही, उन प्रमुख ध्वनि-नियमों को भी देखेंगे जिनका निर्धारण विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों के अध्ययन के सिलसिले में हुआ है।

ध्वनि-परिवर्तन

भाषा परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन उसमें सभी स्तरों—वाक्य, रूप, अर्थ, ध्वनि आदि—पर होता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत का 'घोटक' शब्द परिवर्तित होते-होते हिन्दी में 'घोड़ा' हो गया—घोटक > घोडक > घोडअ > घोड़ा। अर्थात् 'ट' ध्वनि 'ड', 'ड़' हो गई। 'क' व्यंजन 'ग' होकर लुप्त हो गया; और 'क' का अ 'ड़' के अ से मिलकर 'आ' हो गया। यह ध्वनि-परिवर्तन है। ऐसे ही अंग्रेजी शब्द 'स्टेशन' भारतीय भाषाओं और बोलियों में इस्टेशन ('इ' का आगम), सटेशन ('अ का आगम), टेसन ('स्' का लोप) आदि कई रूपों में मिलता है और इन सभी में किसी-न-किसी प्रकार ध्वनि-परिवर्तन हुआ है।

ध्वनि-परिवर्तन के कारण

ध्वनि-परिवर्तन के कारण दो प्रकार के होते हैं—आंतरिक और बाह्य। आंतरिक से आशय है, वे कारण जो शब्द से या ध्वनि-विशेष में परिवर्तित होते हैं। कारण वे हैं जो शब्द के भीतर न होकर उसके बाहर परिस्थिति अथवा वक्ता आदि में होते हैं। इन आंतरिक और बाह्य कारणों पर विचार करने के पूर्व कुछ ऐसे कारणों को लेना आवश्यक है जो कभी कुछ लोगों द्वारा स्वीकृत थे, किन्तु अब प्रायः अस्वीकृत हैं।

अस्वीकृत कारण

(१) वाग्यंत्र की विभिन्नता—अर्थात् हर व्यक्ति का वाग्यंत्र दूसरे से भिन्न होता है, अतः वह प्रयास करने पर भी किसी ध्वनि का उच्चारण ठीक उसी रूप में नहीं कर पाता जैसे उसे करना चाहिए। इस प्रकार उसके उच्चारण में अंतर आता जाता है। यह औच्चारणिक अंतर ही ध्वनि-परिवर्तन है। व्यक्तियों के उच्चारण-अवयव में थोड़ा-बहुत अंतर होता है, किन्तु हम देखते हैं कि १०-१५ व्यक्तियों के परिवार में किसी भी शब्द का उच्चारण दस-पंद्रह तरह से नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ है कि वाग्यंत्र का थोड़ा-बहुत अंतर हमारे उच्चारण को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करता; अतः इस कारण को ध्वनि-परिवर्तन का कारण नहीं माना जा सकता।

(२) श्रवणेंद्रिय की विभिन्नता—भाषा सुनकर सीखी जाती है। हर व्यक्ति की श्रवणेंद्रिय दूसरे

से भिन्न होती है, अतः उसे ध्वनि कुछ भिन्न सुनाई पड़ती है, अपने सुनने के अनुरूप ही वह कुछ भिन्न रूप में बोलता है और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः इसके विरोध में भी ऊपर की ही बात कही जा सकती है और इसे भी ध्वनि-परिवर्तन का कारण नहीं माना जा सकता।

(३) भौगोलिक प्रभाव—'भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुरूप व्यक्ति का उदाहरण होता है,' ऐसी मान्यता कुछ लोगों की रही है। वे यह मानते रहे हैं कि ठंडी जलवायु में ध्वनियाँ सवृत्त होती हैं तथा गर्म में विकृत आदि। किंतु विश्व की भाषाओं पर तुलनात्मक दृष्टि डालने पर हमें ऐसी बात दीखती नहीं; अतः इस कारण को भी माना नहीं जा सकता।

आंतरिक कारण

वे कारण जो उस भाषिक इकाई (ध्वनि, शब्द) के भीतर वर्तमान होते हैं जिसमें ध्वनि-परिवर्तन होता है। इन्हें भाषावैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं। ये मुख्यतः निम्नांकित हैं—

(१) ध्वनियों का परिवेश—किसी ध्वनि में होने वाला परिवर्तन कभी-कभी आसपास की ध्वनियों के कारण होता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत शब्द कुञ्चिका में च व्यंजन अघोष है, किंतु उसके पहले 'ञ' व्यंजन घोष है तथा उसके बाद में 'इ' स्वर भी 'घोष' है। दो घोषों के बीच की यह अघोष ध्वनि 'च', इसी लिए स्वयं घोष होकर 'ज' हो गई और 'कुञ्चिका' का हिंदी रूप हुआ है—'कुंजी'। 'गृह' में 'ह' के कारण 'ग' का 'घ' (महाप्राणीकरण) हुआ—गृह = घर। 'नाम' का उच्चारण 'नाँम' होता है। 'आ' की यह अनुनासिकता (ओं) पहले और बाद की नु, म् ध्वनियों (अनुनासिक) के कारण है। 'घोटक' का 'ट' 'ओ' (घोष) तथा 'अ' (घोष) के बीच में होने के कारण 'ड' (घोष) बन गया और फिर 'घोड़ा' का 'ड' 'ओ' (अर्ध-संवृत) तथा 'आ' (विकृत) के बीच होने के कारण स्पर्श से उत्क्षिप्त 'ड' हो गया। प्रस्तर > पत्थर, शुष्क > सूखा, क्षेत्र > खेत आदि में भी यही बात है।

(२) ध्वनियों की अपनी प्रकृति—कुछ ध्वनियाँ सबल होती हैं तथा कुछ निर्बल। निर्बल ध्वनियों में परिवर्तन प्रायः होता है जबकि सबल में नहीं होता या कम होता है। निर्बल और सबल दोनों साथ-साथ आये तो प्रायः निर्बल का लोप हो जाता है तथा सबल ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। व्यंजनों में पाँचों वर्ग की प्रथम चार ध्वनियाँ सबल होती हैं (अग्नि > आग; 'न' का लोप), उनके बाद सबलता में नासिक्य व्यंजन हैं तथा फिर अन्य (कर्म > काम; र का लोप) आते हैं।

(३) स्थिति के कारण ध्वनियों की अपनी शक्ति—संयुक्त व्यंजनों में यदि दोनों व्यंजन समान शक्ति के हैं तो पहला निर्बल होता है तथा दूसरा सबल; अतः पहले का लोप हो जाता है—मज्ज > सात, दुग्ध > दूध, मुद्ग > मूंग।

(४) शब्दों की असाधारण लंबाई—जा शब्द लंबे अधिक होते हैं, उन्हें बोलने में अधिक असुविधा होती है और इसी लिए उनमें परिवर्तन अधिक होते हैं—अध्यापक > झा, उपाध्याय > ओझा, जय राम जी की > जैरम, 'चाय गरम' (स्टेशनों पर) > चारम। ऐसे शब्दों का साधारण छंटा करने लगे हैं : उत्तरी-पूर्वी सीमा > उपुगी, आतंरिक सुरक्षा कानून > आंसुक, कोका कोला > कोका, भारतीय लोक दल > भालांद, संयुक्त विधायक दल > सविद। ऐसे ही युनेस्को, भाग्यपीय, मुदी (शुक्ल दिवस), बटी (बहुलकृष्ण दिवस)। इस तरह के संक्षेप से शब्द भी बनने लगे हैं—गडार (Radio Detection and Ranging)।

बाह्य कारण

(१) मुख्यमुख, उच्चारण-सुविधा या प्रयत्न-त्याग (Economy of Effort)—ध्वनि-परिवर्तन

का सबसे प्रधान कारण यही है। भाषा साध्य न होकर विचारों को व्यक्त करने का साधन मात्र है। अतः यह स्वाभाविक है कि हम कम से कम प्रयास में अपने भाव व्यक्त करने की चेष्टा करें। सुख का सुख देने के प्रयास में कभी-कभी हम किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द-विशेष में उच्चारण करना ही छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में talk, walk, know, knife, night, psychology, आदि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण इसीलिए नहीं किया जाता। वहाँ उनके उच्चारण में जीभ को द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। कभी-कभी नयी ध्वनि भी उच्चारण-सुविधा के लिए जोड़ लेते हैं। इसलिए, स्कूल तथा स्टेशन को कुछ लोग तो इस्कूल तथा इस्टेशन और कुछ लोग सकूल तथा सटेशन कहते हैं। कभी-कभी ध्वनियों का स्थान भी परिवर्तित कर देते हैं। जैसे चिह्न से चिन्त, ब्राह्मण का ब्राह्मण आदि। कभी-कभी प्रयत्न-लाघव के प्रयास में शब्दों को काट-छोड़ कर ध्वनि छोटा बना लिया जाता है कि पहचानना भी कठिन हो जाता है। गोपेन्द्र से गोविन्द, सपत्नी से सौत तथा अध्यापक से झा इसके अच्छे उदाहरण हैं। बोलने की इस सुविधा के विषय में कुछ निश्चय नहीं है। कहीं तो किसी एक ध्वनि को हटाने से सुविधा होती है, कहीं उसी को जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है। कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनि को अनुरूप करना (धर्म-धम्म) पड़ता है और कहीं अनुरूप ध्वनि को भिन्न बना देना (काक = काग, मुकुट = मउर) पड़ता है। इसी को कुछ लोगों ने आलस्य नाम से भी पुकारा है। आलस्य नाम उचित नहीं जान पड़ता। शक्ति की मितव्ययिता को आलस्य नहीं कहा जा सकता और न धन की मितव्ययिता को वक्तुसी। इस सम्बन्ध में यह सकेत्य है कि प्रयत्न-लाघव का अर्थ प्रयत्न की तेजी न होकर सरलता है।

(२) बोलने में शीघ्रता—बोलने में शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। साहित्य में लिखा तो जाता है 'पंडित जी', पर इसका शीघ्रता के कारण सर्वत्र ही और विशेषतः प्राहमरी या संस्कृत स्कूलों में उच्चारण 'पंडी जी' होता है। देहाती पत्रों में तो यह लिखा भी जाने लगा है। इसी प्रकार, 'उन्होंने' का 'उन्ने' हो गया है। जैनन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में ऐसे शब्दों को स्थान दिया है। किन्ने, जिन्ने आदि भी प्रचलित हैं। जब ही, कब ही, अब ही, तथा तब ही के जभी, कभी, अभी और तभी भी इसी के उदाहरण हैं। 'इस ही' आदि का इसी, उसी, जिसी : या त्रिवेदी का दुवेदी, 'सरदार जी' का 'दारजी', 'इकहत्तर' का हरियाणी में 'खत्तर', 'दूध-दों' का 'दूदों', 'मास्टर साहब' का 'मास्साब' और 'मार डाला' का 'माड्डाला' हो गया है। इंग्लैंड में 'थैक्यू' (आपकी धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जीवन की शीघ्रता में घिस-घिस कर केवल 'क्यू' रह गया है। अंग्रेजी के वोट, डॉट, शाट तथा संस्कृत के स्वर या व्यंजन संधियों में होने वाले ध्वनि-परिवर्तन भी इसी के उदाहरण हैं।

(३) भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति (Popular Etymology)—भ्रामक व्युत्पत्ति का सम्बन्ध भी अज्ञान या अशिक्षा से है। पर, साथ ही इसमें दो मिलते-जुलते शब्दों का होना भी आवश्यक है। भ्रामक व्युत्पत्ति में होता यह है कि लोग किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हैं और यदि उससे मिलता-जुलता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है, तो उस अपरिचित शब्द के स्थान पर उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। अरबी का 'इतिकाल' शब्द इसी कारण हिन्दी में 'अंतकाल' हो गया है। लोगों ने अन्त (=आखिरी)—काल (=समय) समझ लिया और अर्थ में साम्य था ही : अतः 'अंतकाल' कहने लगे। इस प्रकार, लोकभाषाओं में 'लाइब्रेरी' (पुस्तकालय) का 'रायबरेली', 'एडवांस' का 'अठवांस' (आठवाँ अंश), 'हू कम्म देअर' का 'हुकुम सदर' तथा पाउरोटी का पावरोटी (वह रोटी जो पाव भर

की या बड़ी हो), 'आर्ट कॉलिज' का 'आठ कालिज', गार्डन का गर्दनी (गर्दनी बाग कालोनी पटने की), 'मार्केट' का मर्केट (मर्केट बाजार = कटक में), 'हीराकुद' का हीराकुण्ड, 'क्रिसमस डे' का 'क्रिसमिस डे' हो गया है। 'भेकेरजी' का 'मकखनजी', 'बनजी' का 'वानरजी', 'क्वार्टर गार्ड' का 'कोतल गारद' तथा 'चारज शीट' का 'चार सीट' भी भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण ही बने हैं। माउंट आबू में एक स्थान का नाम अंग्रेजों ने Sunset Point रखा था, अब उसे लोग 'सैसठ-पैंसठ' कहते हैं। सिलाई 'प्लीट' (Pleat) डालते हैं जिसे गलती से 'प्लेट' समझकर 'प्लेट' कहने लगे हैं। शिमले में समरहिल की दूसरी तरफ के मुहल्ले या कॉलोनी को बालूगंज कहते हैं। मैंने जब शुरू में इसका नाम सुना तो अनुमान लगाया कि इस नाम का सम्बंध बालू या रेत से है। किन्तु एक अत्यन्त वयोवृद्ध सज्जन ने बताया कि एक अंग्रेज मिस्टर बॉइलू (Boileau) के नाम पर पहले इसे बॉइलूगंज कहते थे जिसे धीरे-धीरे जनता ने बालूगंज कर दिया। दिल्ली शहर का जंगपुरा मूलतः किसी अंग्रेज के नाम पर 'यंगपुरा' था। बाद में 'जंगपुरा' हो गया। 'हॉलीहॉक' फूल को दिल्ली के बहुत से माली 'अलीहक' कहते हैं।

(४) सादृश्य (Analogy)—कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। 'पैतिस' के सादृश्य पर 'सैतिस' में अनुनासिकता आ गयी है। संस्कृत में 'द्वदश' के सादृश्य पर 'एकदश' भी 'एकादश' हो गया। मुझ (> मह्यं) का उकार तुझ (< तुभ्यं) के सादृश्य से है। 'देहात' से 'देहाती' के सादृश्य पर 'शहर' से 'शहराती' हो गया है। 'स्वर्ग' के सादृश्य पर 'नरक' 'नर्क' हो गया है। कबीर ने 'निर्गुण' के आधार पर 'सगुण' का 'सर्गुण' कर दिया है तथा 'पिंगला' के आधार पर 'इड़ा' का 'इंगला'।

सद्य पूछा जाय तो सादृश्य स्वयं कारण न होकर कार्य है। इसका भी प्रधान कारण सुगमता ही है, पर यहाँ पर सुगमता की प्राप्ति किसी विशेष शब्द के आधार पर होती है : अतः इसे अलग रख दिया गया है। इसी प्रकार सुख का 'क' दुख (दुःख) के सादृश्य के कारण आ गया है।

(५) लिखने के कारण—अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने में अन्त में a लिखने का प्रभाव यह पड़ा है कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि कहने लगे हैं, अपितु हिन्दी में भी वही लिखने लगे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इसी से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बातचीत में 'बुद्ध' और 'अशोक' के स्थान पर 'बुद्धा' और 'अशोका' का भी प्रयोग करते सुने जाते हैं। 'सहस्र' में 'त्र' का भ्रम होने से लोग 'सहस्त्र' और 'सहस्तर' कहने लगे हैं। देहरादून में 'सहस्र-धारा' को लोग 'सहस्तर धारा' कहते हैं। कदाचित् उर्दू लिपि के कारण पंजाबियों तथा मुसलमानों में राजेन्द्र, इन्दरजीत जैसे उच्चारण चल पड़े हैं। अंग्रेजों ने सिंह को sinha लिखा, फिर यही 'सिन्हा' पढ़ा गया, इस तरह 'सिंह' से 'सिन्हा' हो गया।

(६) बलाघात—बलाघात के कारण भी ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। किसी ध्वनि पर बल देने में श्वास का अधिक भाग उसी के उच्चारण में व्यय करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि आसपास की ध्वनियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और धीरे-धीरे उनका लोप हो जाता है। 'अभ्यन्तर' के बीच में बल है, अतः आरम्भ का 'अ' समाप्त हो गया और 'भीतर' बन गया। 'उपाध्याय' से 'ओझा' में भी यह बात है। पंजाबी लोगों के मुँह से इसी कारण बारीक (बारीक), बजार (बाजार), सहित्य (साहित्य), अलोचना (आलोचना) सुनायी पड़ता है। डाइरेक्टर और फाइनेन्स का उच्चारण बल के कारण ही डिरेक्टर और 'फिनैन्स' हो गया है। अलावु का लाऊ और लौ (की) है। 'अस्ति' से 'है',

‘तस्स्थाने’ से ‘तहाँ’, अनाज से नाज, सरदारजी से दारजी आदि भी इसके उदाहरण हैं।

(७) अज्ञान—अज्ञान के कारण भी कभी-कभी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अनुकरण की अपूर्णता के साथ इसका योग हम ऊपर देख चुके हैं। देशी या विदेशी किसी भी प्रकार के शब्द, जिनके विषय में हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, अधिकतर अशुद्ध उच्चारित होने लगते हैं और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। अज्ञान के कारण लोग शब्दों का ठीक रूप समझ नहीं पाते और फल यह होता है कि उच्चारण का ठीक अनुकरण नहीं हो पाता और इस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अपरिचित या विदेशी शब्दों में प्रायः इसी कारण ध्वनियों में परिवर्तन विशेष दिखाई पड़ता है। लोकभाषाओं में इसी से इंग्लिश का इंग्लिश, एक्सप्रेस का इस्प्रेस, ओवरसियर का ओसियर, कम्पाउण्डर का कम्पोडर या कम्पोटर तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड का डिस्ट्रीबोट हो गया है। अंग्रेजों ने ‘गंगा जी’ सुना और ‘जी’ की अलग सत्ता नहीं समझ पाये। परिणामतः अंग्रेजी में ‘गंगा’ का ‘गैजिज’ हो गया। अज्ञान के कारण ही लोग बहुत से विदेशी शब्दों में क को क, ज को ज, ख को ख आदि कर देते हैं—कानून-कानून, जोर-जोर, ‘खबर-खबर,’ ऑफिस-आफिस। इसके विपरीत ज का ज, क का क आदि भी अज्ञान के कारण हो जाते हैं। वस्तुतः अज्ञान, अनुकरण की अपूर्णता तथा विदेशी ध्वनि का अभाव ये तीनों कारण संबद्ध हैं। अज्ञान के कारण ऐसी ध्वनि का ठीक अनुकरण नहीं हो पाता ; अतः वह परिवर्तित होकर निकटतम प्राप्त ध्वनि बन जाती है। इसीलिए ‘थर्मामीटर’ हिन्दी में ‘थर्मामीटर’ तथा तमिल में ‘तर्मामीटर’ हो गया है।

(८) अनुकरण की अपूर्णता—भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। किन्तु यह अनुकरण हमेशा पूर्ण नहीं होता और इसलिए अपूर्ण अनुकरण ध्वनि-परिवर्तन को जन्म देता रहता है। बच्चा सुनता है ‘रूपया’, किन्तु अनुकरण से कह पाता है ‘नुपया’ अथवा ‘लुपया’। ‘नंबरदार’ लोकभाषा में ‘लंबरदार’ है, ‘सिगनल’ ‘सिंगल’ है। बुंदेलखंड के कुछ विद्यालयों में मैंने सुना ‘ऊँ नमः सिद्धम्’ का ‘ओनामासीधम’। यह ध्यान देने की बात है कि इस कारण के साथ-साथ एक दूसरा कारण ‘अज्ञान’ भी काम करता है। ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण अनुकरण कर लेता है। अपूर्ण अनुकरण अज्ञानी ही करता है। इस तरह ‘अज्ञान’ और ‘अनुकरण की अपूर्णता’ इन दोनों कारणों का चोली-दामन का साथ है।

(९) किसी विदेशी ध्वनि का अपनी भाषा में अभाव—जब कोई भाषा-भाषी किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आता है और उस विदेशी भाषा में यदि कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं जो उनकी अपनी भाषा में नहीं रहती तो प्रायः वह उधार लिये गये शब्दों में उन ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा की उनसे मिलती-जुलती या निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है और इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। भारतीय भाषाओं में समय-समय पर यूनानी, इब्रानी, जापानी, चीनी, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं के बहुत से शब्द लिये गये हैं और इन सभी में ऐसा हुआ है। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। अंग्रेजी में ट तथा ड ध्वनि हिंदी के ट, ड के समान न तो मूर्द्धन्य या पूर्व-तालव्य हैं और न त, द के समान दंत्य। ये वर्त्स हैं। अतः, स्वभावतः उन अंग्रेजी शब्दों में, जो हिंदी में आये हैं, ये ध्वनियाँ य तो मूर्द्धन्य या पूर्व तालव्य में परिवर्तित हो गई हैं ; जैसे—‘रिपोर्ट’ से ‘रपट’, या दंत्य में जैसे—‘ऑगस्ट’ से ‘अगस्त’ ; ‘डेसंबर’ से ‘दिसम्बर’। इसी प्रकार अंग्रेजी के दंत्य-संघर्षी ‘घ’ तथा ‘द’ हिंदी-उर्दू में दंत्य स्पर्श ‘थ’, ‘द’ (थर्मामीटर) तथा लोकभाषाओं में अरबी और अंग्रेजी आदि क क, ख ख, ग ग तथा ज ज हो गयी हैं (रज, ताक, खादिश, गरीब)।

(१०) भावुकता—भावुकता के कारण भी शब्दों में पर्याप्त ध्वनि-परिवर्तन देखा गया है। विशेषतः

लोक-प्रचलित व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी ध्वनि-परिवर्तन के परिणाम हैं। दुलारी का दुल्लो, दुलिया या दुल्ली, मुखराम का मुखू, बच्चा का बघाऊ, मुन्ना का मुन्नु तथा कुमारी का कुम्बो आदि इसी के उदाहरण हैं। सम्बन्धसूचक संज्ञाएँ अम्मा, चाची, बेटी प्यारपूर्ण भावुकता में ही अम्मी, बच्ची या चचिया तथा बिट्टो या बिट्टी आदि हो गई हैं। इसके कारण, भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य है, किन्तु अधिक नहीं।

(११) विभाषा का प्रभाव—एक राष्ट्र, जाति या संघ, दूसरे के सम्पर्क में आता है तो विचार-विनिमय के साथ ध्वनि-विनिमय भी होता है। एक-दूसरे की विशेष ध्वनियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। अफ्रीका के बुशमैन परिवार की भाषाओं की क्लिक ध्वनियाँ समीप के अन्य भाषा-वर्गों को प्रभावित कर रही हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भारोपीय भाषा में टर्वा नहीं था। द्रविड़ों के प्रभाव से भारत में आने पर आर्यों के ध्वनि-समूह में उसका प्रवेश हो गया। इसी कारण आरंभिक वैदिक मंत्रों में उसका प्रयोग बहुत कम है, किन्तु बाद में, इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया (त आदि के स्थान पर ट आदि)। यों यह कारण थोड़ा विवादास्पद है।

(१२) सहजीकरण—दूसरी भाषाओं से अज्ञात शब्दों को कभी-कभी जानबूझकर भी परिवर्तित कर लिया जाता है। उस शब्द को भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए या उस भाषा में सहज करने के लिए ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए 'एकेडमी' को हिंदी आदि में 'अकादमी' या 'टेकनीक' को 'तकनीक' कर लिया गया है। कभी-कभी ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखते हैं कि शब्द सहजीकृत होकर अर्थ के स्तर पर भी अपनाने वाली भाषा में मूल या मिलते-जुलते अर्थ में सार्थक हो सके। हिन्दी में 'ट्रेजेडी' के लिए 'त्रासदी' या 'कॉमेडी' के लिए 'कामदी' में यही बात है। 'इंटेनेशन' के लिए हिन्दी 'अनुतान' बिलकुल यही न होकर इस सहजीकरण के काफ़ी निकट है। भारतीय भाषाओं के लिए स्वतन्त्रता के बाद स्वीकार किये गये तकनीकी शब्दों में काफ़ी शब्द इस प्रकार के हैं।

परिवर्तन के स्वरूप या उनकी दिशाएँ

कारणों पर विचार करने के बाद उनके कार्य पर विचार करना होगा। कार्य से यहाँ आशय ध्वनि-परिवर्तन से है। ध्वनि-परिवर्तन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। प्रथम को स्वयंभू (unconditional, spontaneous या in context) कहते हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ये भाषा के प्रवाह में होते हैं और कहीं भी घटित हो सकते हैं। इनके लिए किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति (condition) की आवश्यकता नहीं। स्वतः अनुनासिकता नाम का ध्वनि-परिवर्तन इसी में आता है। दूसरे प्रकार का ध्वनि-परिवर्तन परोद्भूत (conditional या contact) कहा जाता है। इस वर्ग में आने वाले ध्वनि-परिवर्तन ऊपर दिये गये कारणों से प्रभावित होकर घटित होते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से इन्हीं पर विचार किया जायगा। प्रथम वर्ग के केवल दो-एक ही उदाहरण आनुषंगिक रूप से लिये जा सकेंगे।

(१) लोप (Elision)

कभी-कभी बोलने में मुखसुख के कारण अथवा शीघ्रता या स्वरघात आदि के प्रभाव से कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। भाषाओं में सबसे अधिक प्रवृत्ति इसी की मिलती है। लोप तीन प्रकार का सम्भव है—(१) स्वर-लोप, (२) व्यंजन-लोप, (३) स्वर-व्यंजन-लोप। आदि, मध्य, अंत्य की

दृष्टि से इनके तीन-तीन भेद होते हैं। यहाँ इन सब पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

(अ) स्वर-लोप

(क) आदि स्वर-लोप (Aphesis) —अनाज=नाज (हरियानी), अगर=गर; अहाता=हाता, (भोजपुरी), अम्यंतर=भीतर, एकादश=ग्यारह, अरघट्ट=रहँट, अतिसी=तीसी, अफ़साना=फ़साना।

(ख) मध्य स्वर-लोप (Syncope) —उच्चारण में हिन्दी में बहुत से शब्दों में मध्य स्वर का लोप हो गया है, किन्तु अभी लिखा नहीं जाता। उदाहरणार्थ, बलदेव=बल्देव, लगभग=लभग, कृपया=कृया, कपड़ा=कड़ा, हरदम=हर्दम। इन लुप्त हो जाने वाले स्वरों को 'मध्यलोपी' स्वर (synoptic vowel) कहते हैं। अंग्रेजी में Do not का don't में भी यही बात है।

(ग) अन्त्य स्वर-लोप—मध्य की भाँति बोलने में हिन्दी के अकारांत शब्दों का 'अ' स्वर भी लुप्त हो गया है। इसके कारण धीरे-धीरे हिन्दी के अकारांत शब्द व्यंजनांत हो गये हैं। कुछ उदाहरण हैं—आम=आम्, तिल=तिल्, राम=राम्, दिल=दिल्, मार=मार्, दाम=दाम्, हम=हम्, चल=चल्, कमल=कमल्। कुछ अन्य स्वरांत शब्द भी व्यंजनांत हो गये हैं—परीक्षा-परखु, शिला=सिल्।

(आ) व्यंजन-लोप

(क) आदि व्यंजन-लोप—उच्चारण की कठिनाई के कारण अनेक आदि व्यंजनों का अंग्रेजी बोलने में लोप हो चुका है, किन्तु लिखने में अभी वे चल रहे हैं; जैसे—psychology, know, write आदि। हिन्दी में भी अनेक संस्कृत शब्द अपने आदि व्यंजन खोकर आये हैं; जैसे—स्थाली-थाली, श्मशान-मसान, स्थानक-थाना, धाना; स्कंध-कंधा, स्फूर्ति-फूर्ती। अंग्रेजी 'हॉस्पिटल' का हिन्दी में भी यही बात है।

(ख) मध्य व्यंजन-लोप—सूची=सूई, घरद्वार=घरबार, आसन्दी=आसनी, प्रिय=पिया, सप्त=सात, कूँचिका=कूँची, कर्म=काम, कोक्ल=कोयल, गर्भिणी=गाभिन, कार्तिक=कातिक। अंग्रेजी उच्चारण में कुछ मध्य व्यंजनों का लोप हो गया है यद्यपि वर्तनी में अभी वे लिखे जाते हैं; जैसे—walk, talk, right, daughter, often आदि।

(ग) अन्त्य व्यंजन-लोप—इसके उदाहरण बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। अंग्रेजी water, father आदि 'र' से अंत होने वाले शब्दों का उच्चारण वाटअ, फादअ आदि अर्थात् र—विहीन होता है। अंग्रेजी Command हिन्दी में 'कमान' (कॉमैन्ड हाई कमान) हो गया है तथा Bomb बम।

(इ) स्वर-व्यंजन-लोप

(क) आदि स्वर-व्यंजन-लोप (Aphesis) —इसके उदाहरण भी अधिक नहीं मिलते। दो उदाहरण हैं—'नेकटाई' से 'टाई' तथा आदित्यवार से इत्तवार या इतवार।

(ख) मध्य स्वर-व्यंजन-लोप—अग्रहायण=आग्रहन, भाण्डागार=भंडार, पर्यकग्रंथि=पलत्थी, बरुजीवी=बरई, राजकुल्य=राउर (भोजपुरी), फलाहार=फरार (वज)।

(ग) अन्त्य स्वर-व्यंजन-लोप (Apocope) —माता=माँ, विज्ञापिका=विनती, नीलमणि=नीलम्, भानूजाया=भावज, मौक्तिक=मोती, कर्तरिका=कटारी, निम्बुक=नींबू, जीव=जी, दीपवार्तिका=दीवट, कुंघिका=कुंजी, सपादिक=सवा, उट्ट=ऊँट, आम्र=आम।

(ई) समध्वनि-लोप (Haplology) —इसमें होता यह है कि किसी शब्द में यदि एक ही ध्वनि

या ध्वनि-समूह दो बार आये तो एक का लोप हो जाता है। वस्तुतः एक स्थान पर दो ध्वनियों का उच्चारण असुविधाजनक होता है; अतः एक को छोड़ देते हैं। प्रायः सभी भाषाओं में इसके उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ—स्वर्गंगा=स्वर्गंगा, नाककटा=नकटा, खरीददार= खरीदार (यह तो लेखन में भी है), नाटककार=नाटकार, संवाददाता=संवादाता, मानससरोवर=मानसरोवर, Parttime=पार्टाइम, Snowwhite=snowwhite, नाममात्र=नामात्र, नन्ददुलारे वाजपेयी=नंदुलारे वाजपेयी। कभी-कभी ध्वनि या अक्षर पूर्णतः एक ही न होकर उच्चारण में मिलते-जुलते हों, तब भी एक का लोप हो जाता है; कृष्णनगर=कृष्णनगर। अतः इसके 'समव्यंजन-लोप' (खरीददार=खरीदार) और 'समस्वर-लोप' (साराआकाश=साराकाश) दो उपभेद किये जा सकते हैं। मेरे विचार में संस्कृत में अ+आ=आ, ई+ई=ई, ऊ+ऊ=ऊ तत्त्वतः समस्वर-लोप के ही उदाहरण हैं।

(२) आगम

लोप का उलटा आगम है। इसमें कोई नयी ध्वनि आ जाती है। उच्चारण-सुविधा ही इनके प्रमुख भेदों का कारण है। लोप की भाँति ही इसके भी कई भेद होते हैं—

(क) आदि-स्वरागम (Prothesis)—इसमें शब्द के आरम्भ में कोई स्वर आ उड़ता है। यह स्वर ह्रस्व होता है। बोलचाल में बहुत से लोग स्-युक्त संयुक्त व्यंजन के पूर्व 'अ' या 'इ' का आगम उच्चारण-सुविधा की दृष्टि से कर लेते हैं—स्कूल=इस्कूल, स्टेशन=इस्टेशन, स्टूल=इस्टूल, स्नान=अस्नान, स्नेह=इस्नेह, संस्कृत स्त्री=प्राकृत इत्थी। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वदा ऊष्म के पूर्व ही स्वर आवे। अन्य उदाहरण भी मिलते हैं—यूनानी शब्द प्लातोन (प्लेटो)=अफलातून।

(ख) मध्य-स्वरागम (Anaptyxis)—मूल व्यंजन की तुलना में संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में कठिनाई होती है। इसीलिए बोलने के सुभीते के लिए कभी-कभी बीच में स्वर लाकर संयुक्त व्यंजन को तोड़कर दो में विभक्त कर लेते हैं। ऐसे शब्द, जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आदि स्वरागम द्वारा बोलने के लिए आसान बनाते हैं, पंजाबी लोग प्रायः उन्हें मध्य-स्वरागम द्वारा आसान बनाते हैं। जिन लोगों ने पंजाबियों को बोलते सुना है, वे स्कूल, सटेशन, सटूल, सनान, सप्रिग आदि मध्य-स्वरागम वाले शब्दों से अपरिचित नहीं हैं। संस्कृत में भी पृथ्वी=पृथिवी तथा इंद्र=इंदर जैसे कुछ अपवादात्मक उदाहरण मिलते हैं। बोलचाल में मध्य-स्वरागम खूब मिलता है—शर्म—शरम, धर्म=धरम, कर्म=करम, गर्म=गरम। कुछ शब्द तो मानक भाषा में भी प्रविष्ट हो गये हैं; पूर्व=पूरव, सूर्य=सूरज, जन्म=जनम, हुक्म=हुकुम, भक्त=भगत। भोजपुरी 'दुइज' (दूज) या 'बेइल' (बेला) जैसे शब्दों में इसका कारण अस्पष्ट है।

इसे स्वर-भक्ति भी कहते हैं। या तो संस्कृत में स्वर-भक्ति का अन्य अर्थों में भी प्रयोग मिलता है, किन्तु सामान्यतः संयुक्त व्यंजनों के बीच उच्चारण की असुविधा दूर करने के लिए किसी स्वर के आगम को स्वर-भक्ति विप्रकर्ष (diaeresis) या युक्तिविकर्ष भी कहा गया है। 'अपनिहिति' भी एक प्रकार का स्वरागम ही है जिस पर आगे विशेष प्रकार के 'ध्वनि-परिवर्तन' शीर्षक के अन्तर्गत विचार किया गया है।

(ग) अन्त्य-स्वरागम—यह प्रवृत्ति बहुत ही कम मिलती है। जर्मन agon से अंग्रेजी agony, 'दवा' से 'दवाई' तथा 'पत्र' से 'पतई' (भोजपुरी) आदि कुछ उदाहरण हैं।

(घ) समस्वरागम (epenthesis) पर आगे 'विशेष परिवर्तन' में विचार किया गया है।

(आ) व्यंजनागम

(क) आदि-व्यंजनागम—इस आगम के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसकी कमी का स्पष्ट कारण यह है कि नये व्यंजनों को आदि में लाने से प्रयत्न-लाघव या मुख-सुख की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं होती। ह-आगम के उदाहरण अवश्य हैं—ओष्ठ=होंठ, अस्थि=हड्डी, उल्लास=हुलास, (संस्कृत) 'अपर'=पंजाबी 'होर' (और), (संस्कृत) अंसली=हंसली (आभूषण अथवा हड्डी विशेष)। यह कहना कठिन है कि 'ह' का यह आदि-आगम क्यों होता है।

(ख) मध्य-व्यंजनागम—इनके उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं—हमेशा=हरमेशा (अवधी, भोजपुरी), वननर=बन्दर, पर्ण=प्रण, सुनरी=सुन्दरी; शाप=श्राप; सुनर=सुन्दर; पक्ष+क्=पंखा, वियोग=विरोग (अवधी); पसन्द=परसन्द (भोजपुरी)।

इस प्रकार हिन्दी और उसकी बोलियों में मुख्यतः रु, द व्यंजनों का आगम होता है। इनके आगम का कारण स्पष्ट नहीं है।

(ग) अन्त व्यंजनागम—चील=चील्ह (भोजपुरी), कल=काल्ह (प्राचीन साहित्य), भू=भीह (भीहें), (अरबी) तिलस्म=(अंग्रेजी) Talisman; तारा=(कश्मीरी) तरुख, परवा=परवाह (भोजपुरी), दरिया=दरियाव (हिन्दी बोलियाँ), उमरा ('अमीर' का अरबी बहु०)=उमराव।

(इ) स्वर-व्यंजन-आगम

(क) आदि-गुजा=घुँगुघी (भोजपुरी)।

(ख) मध्य—खल=खरल, आलस=आलकस (भोजपुरी), आलसी=आलकसी (भोजपुरी), जेल=जेहल (भोजपुरी), लाश=लहास (भोजपुरी), डेढ़ा=डेवढ़ा (भोजपुरी), समुद्र=समुन्दर (उर्दू तथा कई बोलियाँ)।

विपर्यय (Metathesis)

(ग) अन्त्य—रंग=रँग।

इसमें किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या स्वर-व्यंजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान से पहले के स्थान पर आ जाते हैं; जैसे—(कुछ भोजपुरी क्षेत्रों के उच्चारण में)—'अमरुद' से 'अरमूद'। यहाँ 'म्' और 'रु' व्यंजनों ने एक-दूसरे का स्थान ले लिया है। यदि पास-पास की ध्वनियाँ एक-दूसरे का स्थान लेती हैं तो 'पार्श्ववर्ती विपर्यय' होता है, अन्यथा 'दूरवर्ती विपर्यय'। स्वर, व्यंजन के आधार पर इनके कई भेद हो सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं—(भोजपुरी में) घहूँपना=पहूँचना, अरमूद=अमरुद, डेक्स=डेस्क; (पंजाबी में) चीकड़ (कीचड़), काचू (चाकू), मतबल (मतलब); (मैथिली में) कचहरी (कचहरी) आदि।

(अ) स्वर-विपर्यय

(क) पार्श्ववर्ती स्वर-विपर्यय—इंडो (अफ्रीकी भाषा) में lie=lei (= बनाना)।

(ख) दूरवर्ती स्वर-विपर्यय—कूछ-कछु; अनुमान-उनमान (प्राचीन साहित्य)।

(आ) व्यंजन-विपर्यय

(क) पार्श्ववर्ती व्यंजन-विपर्यय—चिहन=चिन्ह; ब्राह्मण=ब्राम्हण; व्रम=व्रम्ह; ब्रह्मा=ब्रम्हा।

(ख) दूरवर्ती व्यंजन-विपर्यय—अमरुद=अरमूद (भोजपुरी); तमा=तामा (भोजपुरी); महाराष्ट्र=मरहठा; मुकलद्या=मुचलका; वाराणसी=बनारस; खुर्द=खुदरा (अवेस्ता); बफर (फारसी)=बरफ; मतलब=मतबल (पंजाबी); लखनऊ=नखलऊ (कई ग्रामीण बोलियों में)।

(ई) एकांगी-विपर्यय

वान्दिये ने ऐसे परिवर्तनों को भी विपर्यय माना है जिसमें कोई एक स्वर या व्यंजन अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, किन्तु उसके स्थान पर कोई दूसरा नहीं आता। इसके भी स्वर-व्यंजन के आधार पर भेद हो सकते हैं। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—पुर्तगाली भाषा में *Festra* का *Fresta* (खिड़की), ब्रिटेन की बोली में *Debri* (खाना) का *Drebi*; बिन्दु-बूँद ('इ' का लोप तथा 'उ' का 'ऊ' रूप में स्थान-परिवर्तन)।

(उ) आद्य शब्दांश-विपर्यय

कभी-कभी दो शब्दों के आरम्भ के अंशों में विपर्यय हो जाता है; जैसे—घोड़ा-गाड़ी का घोड़ा=घाड़ी। बोलने में कुछ लोगों की ऐसी आदत-सी पड़ जाती है। ऑक्सफोर्ड के डॉ० डब्ल्यू० ए० स्पूनर (१८४४-१९३०) से यह विपर्यय अधिकतर हो जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पूनरिज्म कहते हैं। स्पूनर साहब के कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं; *Two bags and a rug* के स्थान पर *Two rags and a bug*. एक बार स्पूनर साहब ने बिगड़ कर एक विद्यार्थी से कहा—*You have tasted a whole worm*. वे कहना चाहते थे—*you have wasted a whole term*। हिन्दी उदाहरण के लिए 'कड़ी बिताब' (बड़ी बिताब) 'चाल-दावल' (दाल-चावल) आदि लिये जा सकते हैं। किसी ने पूछा—आपकी बड़ी (घड़ी) में क्या बजा (बजा) है? उत्तर था—चौ-नौ बजकर ना (चा) लिस मिनट। इसमें कभी-कभी तो केवल स्वर-विपर्यय ही होता है, जैसे—चूल्हा-चौका से चौल्हा-चूका या नून-तेल का नेन-तूल आदि। वह केवल बोलने में हो जाता है। भाषा पर इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता।

(४) समीकरण (Assmilation)

सावर्ण्य, सारूप्य तथा अनुरूपता भी इसके नाम हैं। इसमें एक ध्वनि दूसरी का प्रभावित कर अपना रूप दे देती है; जैसे—संस्कृत 'चक्र' से प्राकृत में 'चक्क' हो गया है। यहाँ क न र का प्रभावित या समीकृत करके क बना लिया। समीकरण मुख्यतः बोलने की सुविधा की दृष्टि से होता है। समीकरण दो प्रकार का होता है—१. व्यंजन का और २. स्वर का। आगे इन दोनों के ही दो-दो भेद हो सकते हैं—(क) पुरोगामी (आगे जाने वाला), (ख) पश्चगामी (पीछे जाने वाला)। इनमें से प्रत्येक के पार्श्ववर्ती और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं।

(अ) व्यंजन

(क) दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण (Incontact Progressive Assimilation)—इसमें ध्वनियाँ पास-पास न रह कर दूर-दूर रहती हैं और पहली ध्वनि दूसरी का प्रभावित करती है। इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। संस्कृत का शब्द 'भ्रष्ट' भोजपुरी में 'भग्भट' हो गया है।

(ख) पार्श्ववर्ती पुरोगामी समीकरण (Contact Progressive Assimilation)—इसमें

ध्वनियाँ पास-पास होती हैं। इसके उदाहरण प्राकृत में पर्याप्त संख्या में मिलते हैं—चक्र=चक्क ; पद्म=पदद् ; व्याघ्र=वध्प्र ; मुक्त=मुक्क ; लग्न=लग्ग ; यर्य=जस्य ; तक्र=तक्क ; वक्र=वक्क ; हिन्दी में 'चक्रिका' से चक्की तथा 'पत्र' से पत्ता इसके अच्छे उदाहरण हैं।

(ग) दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण (Incontact Regressive Assimilation)—इसमें दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि को प्रभावित करती है। इसके उदाहरण भी अधिक नहीं मिलते। लैटिन Pequo=Quequo ; Pipue=Quique ; नील=लील (भोजपुरी)।

(घ) पार्श्ववर्ती पश्चगामी समीकरण (Contact Regressive Assimilation)—इसके उदाहरण प्राकृत में बहुत अधिक मिलते हैं। कर्म=कम्म ; धर्म=धम्म ; सर्प=रस्य ; दुग्ध=दुग्घ (दुद्ध) ; भक्त=भत्त ; श्रेष्ठ=सेदृठ ; दुर्गा=दुग्गा। हिन्दी में भी शर्करा—शक्कर या कल्लक्टर=कलदृटर (बोलियों में) जैसे कुछ उदाहरण मिल जाते हैं।

(आ) स्वर

दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण—ऊपर के व्यंजन-नियम की भाँति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरे को प्रभावित करता है—जुलम=जुलम=जुलुम (बालघाल) ; पूरव=पूरव (भोजपुरी) ; खुरपी=खुरुपी (भोजपुरी) ; सूरज=सूरुज (भोजपुरी)।

स्वर-समीकरण के अन्य संभावित भेदों के उदाहरण प्रायः नहीं मिलते।

(इ) अपूर्ण समीकरण

ऊपर के उदाहरण पूर्ण समीकरण के थे। कभी-कभी अपूर्ण समीकरण भी होता है—नागपुर=नाक्पुर 'प' (अघोष) ने 'ग' (घोष) को 'क' (अघोष) बना दिया है। डाकघर=डागघर, यहाँ घोष 'घ' ने 'क' (अघोष) को 'ग' (घोष) कर दिया है। हिंदी में उच्चारण 'नाक्पुर' तथा 'डागघर' ही होता है। is 'इज' उच्चारण में भी यही बात है। घोष 'ने' अघोष 's' को घोष 'z' बना दिया है।

(ए) विषमीकरण (dissimilation)

यह समीकरण का उलटा है। इसमें दो एक-सी ध्वनियों में एक ध्वनि किसी समान ध्वनि के प्रभाव से अपना स्वरूप छोड़ कर दूसरी बन जाती है। इसका प्रमुख कारण सुनने वाले की ध्वनि पहचानने की सुविधा कहा जाता है। भाषाओं में विषमीकरण की प्रवृत्ति में नहीं मानता और उसके सारे उदाहरण सरलता से घोषीकरण 'र' का 'ल' या 'ल' का 'र' तथा 'न' का 'ल' या 'ल' का 'न' में परिवर्तन आदि में रखे जा सकते हैं।

(अ) व्यंजन-विषमीकरण

(क) पुरोगामी विषमीकरण—जब प्रथम व्यंजन ज्यों का त्यों रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे पुरोगामी कहते हैं। लांगूली=लंगूर ; काक=काग ; ककण=कंगन।

(ख) पश्चगामी विषमीकरण—इसमें प्रथम व्यंजन में विकार होता है। नवनीत=नलयन (भोजपुरी) ; पुर्तगाली Lelloo=नीलाम ; दण्डि=दण्दिदण्ड (भोजपुरी) ; याबस (शाबाश)=वाबस (भोजपुरी)।

(आ) स्वर-विषमीकरण

(क) पुरोगामी विषमीकरण—संस्कृत पुरुष=प्राकृत पुरिस।

(ख) पश्चगामी विषमीकरण—मुकुट=भउर (भोजपुरी); नूपुर=नेउर (प्राचीन साहित्य); मुकुल=बउर (भोजपुरी)।

(६) संधि

इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ (संस्कृत आदि में) नियमों का विवेचन किया गया है। ये नियम स्वर-व्यंजन दोनों ही के सम्बन्ध से बने हैं। हिन्दी में भी कुछ सन्धियों की प्रवृत्ति बोलने में दिखाई पड़ रही है। 'दूध दो' को 'दूददो' कहा जाता है, किन्तु इसे समीकरण कहना अधिक समीचीन होगा। इन सबके अतिरिक्त भाषा के स्वाभाविक विकास में एक प्रकार की सन्धियाँ दिखाई पड़ती हैं। कुछ व्यंजन (प, व, म, य आदि) उच्चारण में स्वर के समीप होने के कारण स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर अपने से पहले के व्यंजन में मिल जाते हैं। कभी-कभी इससे ध्वनियों में इतना परिवर्तन हो जाता है कि साधारणतया समझ में नहीं आता। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं— सपत्नी=सयत्त=सउत्त=सौत; शत=सत=सव=सउ=सौ; नयन=नइन=नैन; भ्रमर=भ्रँवर=भौरा; आत्म=आत्त्व=आत्व=आत्प=अत्थ=आर्य।

(७) ऊष्मीकरण (Assibilation)

कभी-कभी कुछ ध्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती हैं। मूल 'क' ध्वनि सतम् वर्ग में ऊष्मीकृत है। इसी आधार पर भारोपीय भाषाओं के केन्तुम् और सतम् दो वर्ग बनाये गये हैं; लैटिन केन्तुम=संस्कृत शतम्, अवेस्ता सतम्, रसी रतो।

(८) स्वतः अनुनासिकता (Spontaneous Nazalization)

शब्दों के विकास में अनुनासिकता दो प्रकार की आ सकती है—(क) सकारण; भंग=भाँग, चुच=चाँच, कंपन=काँपना; चन्द्र=चाँद; (ख) अकारण; भू=भौं; श्वास=साँस। इस दृष्टि प्रकार में हम पाते हैं कि बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अनुनासिकता आ जाती है। उदाहरणार्थ, 'सर्प' में 'साँप'। यहाँ मूल शब्द में अनुनासिकता नहीं थी, किन्तु 'साँप' में है। इसी को स्वतः अनुनासिकता कहते हैं। 'अकारण अनुनासिकता' इसलिए नहीं कि दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता। यह अनुनासिकता क्यों आ जाती है, इसके सम्बन्ध में विवाद है—(क) कुछ लोगों के अनुसार द्रविड़-प्रभाव है। (ख) कुछ लोग इसे अकारण मानते हैं। (ग) ब्लाक और टर्नर के अनुसार स्वर की मात्रा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। ये लोग मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा-काल से ही इस प्रकार की अनुनासिकता मानते हैं। (घ) ग्रियर्सन इसे आधुनिक काल की प्रवृत्ति मानते हैं, किन्तु इनके द्वारा दिया गया कारण ब्लाक और टर्नर से बहुत भिन्न नहीं है। इनके अनुसार प्राकृत-काल के बाद आधुनिक काल में जय ग्वर दीर्घ होने लगे (सर्प-सर्प-साँप) तो यह प्रवृत्ति चली। (ङ०) चटर्जी ० ० ० आ० काल में इंग्र कुछ क्षेत्रों की विशेषता मानते हैं। उनके अनुसार, इसीलिए कुछ शब्द में दोनों रूप (पक्षी, पड़खी, ग० पक्षी) मध्य काल में मिलते हैं। (च) में उपर्युक्त मतों में महमन नहीं हैं और मंगे विद्यार में ऐसा मुख्यमुख के कारण हुआ है। हवा का महज मार्ग नाक है, अतः अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण अधिक महज एवं मरल है। नासिक-विवर की ओर हवा न

जाने देने के लिए कौवे को ऊपर उठाकर नासिका-मार्ग बन्द करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। साँप-साँप का उच्चारण करके अनुनासिक स्वर वाले शब्द में उच्चारण के कम प्रयास का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए स्वाभाविक तथा आसान है और इसीलिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो जाता है। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं— सर्प=साँप; उष्ट्र=ऊँट; सत्व=साँच; यूक=जू; कूप=कुआँ; अश्रु=आँसू; श्वास=साँस; भू=भौ; वक्र=बाँकाँ; वेत्र=बेंत। ऐसे ही काँख, ऊँचा, ईंट, आँख आदि। अन्य मत्तों की आलोचना-स्वरूप निम्नांकित बातें द्रष्टव्य हैं—(क) द्रविड़ प्रभाव है तो द्रविड़ों में ऐसा क्यों हुआ? (ख) अकारण कुछ भी नहीं होता। (ग) मात्रा-परिवर्तन से इसका सम्बन्ध है तो श्वास=साँस में अनुनासिकता क्यों आई? (घ) यदि ऐसा है तो 'साँस' में नहीं होना चाहिए। (ङ) जिन क्षेत्रों में यह विशेषता थी, वही ऐसा क्यों हुआ?

(६) मात्राभेद

इसमें स्वर कभी ह्रस्व से दीर्घ और कभी दीर्घ से ह्रस्व हो जाते हैं। इन्हें स्वयम्भू नहीं कहा जा सकता। क्षतिपूर्कता तथा स्वरगघात आदि के परिणामस्वरूप ये परिवर्तन होते हैं। इसके दो भेद हो सकते हैं—(क) दीर्घ से ह्रस्व अर्थात् ह्रस्वीकरण—शून्य=सुन्न; आपाद=अपाद; आभीर=अहीर; आगरत=अगरत; ऑफिसर=अफसर; आश्चर्य=अचरज। (ख) ह्रस्व से दीर्घ अर्थात् दीर्घीकरण—कंटक=काँटा; लज्जा=लाज; सुपुत्र=सपुत्र; अद्य=आज; जिह्वा=जीभ; दुग्ध=दूध; शिक्षा=सीख; भक्त=भात; भिक्षा=भीख। इनमें दीर्घता क्षतिपूर्क है।

(१०) घोषीकरण (Vocalization)

कुछ अघोष ध्वनियों घोष हो जाती हैं। ऐसा करने में प्रायः उच्चारण-सुविधा होती है। साक=साग, कंकण=कान, कुचिका=कुंजी, घाँटक=घाँडा, अमृत (उच्चारण अमृत)=अमृद मकर=मगर, (मगरमच्छ, पानी में रहकर मगर से वेग), एकादस=ग्यारह, काक=काग, कागा।

(११) अघोषीकरण (Devocalization)

इसमें घोष ध्वनियों अघोष हो जाती हैं। ग्राधारणतः इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। अदद=अदत् (भोजपुरी); मदद=मदत् (भोजपुरी); पेशाची प्राकृत की यह प्रधान विशेषता थी—नगर=नकर; गगन=गकन; वारिद=वारित; मेघ=मेख। ऐसे ही भोजपुरी में 'हंडा' और 'खूसूरत' को कहीं-कहीं 'डंटा' और 'खपसूरत' कहते हैं। स्सी भाषा में शब्दों का घोष व्यंजन अघोष रूप में उच्चारित होता है—ख्लेब=ख्लेप (गंटी), साद=सात (बाग), दुग=दुक (मिर्ग)।

(१२) महाप्राणीकरण (Aspiration)

कभी-कभी अल्पप्राण ध्वनियों महाप्राण हो जाती हैं। वाष्प=भाप; वृश्चिक=बिच्छू किश्मिश=(मराठी) खिसमिय; गृह=घर; ग्रहण=घिरना; धृष्ट=ढीठ; शुष्क=सूखा; हस्त=हाथ वेप=भेप, परशु=फरसा; गर्व=गम्भ (भोजपुरी); तक=ताखा (भोजपुरी); पेड़=फेड़ (भोजपुरी), पत्थर=फत्तर (दिल्ली की करखन्दाजी वाली)।

(१३) अल्पप्राणीकरण (Deaspiration)

कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्पप्राण भी हो जाता है। ग्रैसमैन नियम, जिसका आगे ध्वनि-नियम शीर्षक के अन्तर्गत वर्णन है, में भी ये ही बातें पायी जाती हैं। भोघामि—बोघामि ; सिन्धु—हिन्दु ; व्याधि—कश्मीरी बोद ; धधामि—दधामि ; विधि—कश्मीरी व्यद ; युद्ध—कश्मीरी य्वद्द, स्वादिष्ठ—स्वादिष्ट ; श्रेष्ठ—श्रेष्ठ, 'वसिष्ठ—वसिष्ट ; बलिष्ठ—बलिष्ट, भूख—भूक ; हाथ—हात ।

विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन

कुछ विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन भी भाषाओं में मिलते हैं। इनके बारे में सभी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। यहाँ इनका सामान्य और संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इन परिवर्तनों का अब मात्र ऐतिहासिक महत्त्व है। पीछे व्यवस्थित रूप में दिये गये परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
अभिभ्रुति (Umlaut या Vowel Mutation)

अपभ्रुति, अपिनिहिति और पुरोहिति की भाँति ही 'अभिभ्रुति' नाम के प्रयोग के बारे में भी भाषाविज्ञानवेत्ताओं में मतैक्य नहीं है। यों Umlaut नाम ग्रिम का दिया हुआ है। इसका सामान्य अर्थ है—शब्द के किसी आंतरिक स्वर में बाद के अक्षर में आने वाले किसी अन्य स्वर (अन्य गुण वाला, मात्रा वाला नहीं) के कारण परिवर्तन। पेई आदि कुछ विद्वानों के अनुसार कोई अन्य स्वर, अर्द्ध स्वर या व्यंजन के कारण भी कभी-कभी यह परिवर्तन हो जाता है। ब्लूमफील्ड और ग्रे इसे स्वर का पश्चगामी समीकरण मानते हैं।

आभिभ्रुति जर्मन की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें कभी तो एक स्वर दूसरे के पूर्णतः अनुरूप हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर भी प्रकृति के समीप पहुँच जाता है। प्राचीन जर्मन ⁺harja, मध्यकालीन जर्मन haria, पुरानी अंग्रेजी here (सेना)। यहाँ 'r' के कारण a बदलते-बदलते e हो गया। +gudini, पुरानी अंग्रेजी gyden (देवी)। यहाँ 'n' ने u को प्रभावित करके y कर दिया। जर्मन-अंग्रेजी में अगले अक्षर के 'i' स्वर के कारण a, u, ea क्रम से e, y, ie में परिवर्तित हो गये हैं। डॉ० चटर्जी के अनुसार, बँगला में भी यह प्रवृत्ति है। मध्य बंगाली हारिया, आधु० बंगाली हेरे (खोकर)। अभिभ्रुति में यह भी द्रष्टव्य है कि प्रभावित करने वाला स्वर भी समाप्त हो जाता है। पश्चगामी समीकरण और इसमें यही थोड़ा अन्तर है। यों शूद्र पश्चगामी समीकरण को भी ग्रे आदि इसके अन्तर्गत रखते हैं। अपिनिहिति के साथ भी कभी अभिभ्रुति देखी जाती है। परिवर्तन होने के पहले अपिनिहित स्वर आ जाता है।

Mani, maini, men.

बँगला Karia, Kairia, K're, Kore (करके)

इस प्रकार की अपिनिहिति-अभिभ्रुति प्राकृतों में भी मिलती है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में बँगला तथा सिंहली में ही अभिभ्रुति विशेष रूप से मिलती है।

अधिनिहित (Epenthesis या Paraptyxis)

भाषाविज्ञान की पुस्तकों में 'अपिनिहिति' का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया गया है। ग्रे तथा पेई आदि कुछ विद्वान् इसे मात्र 'आगम' के अर्थ में (भी) प्रयुक्त करते हैं। ग्रे इसके व्यंजनीय अपिनिहिति (consonantal epenthesis) और स्वरीय अपिनिहिति (vocal epenthesis) दो

भेद करते हैं और फिर इसके विभिन्न भेदों पर विचार करते हैं। कहना न होगा कि यह अपिनिहिति का व्यापकतम रूप है और इसमें सभी प्रकार के आगम समाहित हो जाते हैं। डॉ० श्यामसुन्दर दास ने इससे मिलते-जुलते अर्थ में 'अक्षरापिनिहिति' का प्रयोग किया है। गुणे ने भी इसे प्रायः इसी अर्थ में लिया है और इसे 'अक्षर' (syllable) या वर्ण का किसी शब्द में या उसके आरम्भ में 'आगम' कहा है। किन्तु इसके (कुछ अपवादों को छोड़कर) जो उदाहरण अधिकांश पुस्तकों में दिये गये हैं, उनमें यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रयोग आगम (insertion) जैसे विस्तृत अर्थ में करना अपेक्षित नहीं है। जैसा कि डॉ० घटर्जा तथा तारापोंरवाला आदि ने माना है, यह एक प्रकार का स्वरागम है। उच्चारण-सुविधा के लिए इसमें कोई स्वर आ जाता है। यह पूर्वश्रुति के रूप में होता है। किन्तु साथ ही अपिनिहिति के लिए यह भी आवश्यक है कि शब्द में आने वाले स्वर की प्रकृति का कोई स्वर या अर्द्ध स्वर पहले से वर्तमान हो। संस्कृत में अवेस्ता की तुलना करने पर पता चलता है कि अपिनिहिति अवेस्ता की एक प्रमुख विशेषता थी। उदाहरणार्थ, bhavati (भवति)—bavaiti : arusah (अरुषः) : auruso : taruna (तरुणः)—tauruna : aryah (आर्यः)—airyō : sarvam (सर्वम्)—haurvam। इन उदाहरणों में आरम्भ में संस्कृत के शब्द हैं और बाद में अवेस्ता के। यहाँ हम देखते हैं कि 'i' और 'u' का आगम हुआ है, किन्तु यह तभी हुआ है जब शब्द में पहले से उससे मिलती-जुलती ध्वनि है। अवेस्ता में केवल इ, उ इन दो का ही अपिनिहिति स्वर के रूप में आगम हुआ। 'इ' जैसे शब्दों में आया है जहाँ पहले से इ, ई, ए या य थे और 'उ' ऐसे में आया है जहाँ पहले से 'उ' या 'व' या।

इस बात को सामान्यीकृत करते हुए यह कहते हैं कि किसी शब्द में यदि कोई ऐसा स्वर आ जाय जिसकी प्रकृति का स्वर या अर्द्ध स्वर पहले से वर्तमान हो तो उस स्वरागम को 'अपिनिहिति' कहेंगे। इस प्रकार का स्वर प्रायः आदि या मध्य में उच्चारण-सुविधा के लिए आता है। इस आधार पर इसके आदि अपिनिहिति और मध्य अपिनिहिति, दो भेद किये जा सकते हैं। नीचे अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि में कुछ और उदाहरण दिये जा रहे हैं :

अंग्रेजी—Goldsmith = Goldsmith (उच्चारण में)

मध्ययुगीन बंगाली—Karia = Kairia (करक)

Sathua = Sauthua (सार्था)

भाजपुरी—

रत्री = डरत्री

रनान = अरनान

रुटेथन = डरुटेथन

रिग्रग = डरिग्रग

वेन = वेडन

वेला = वेडला, वेडल

हिन्दी—

रिथिति = डरिथिति (उच्चारण में)

उसी प्रकृति के स्वर के आने के कारण इसे 'समस्वरागम' भी कहा जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसके सभी उदाहरण 'आदि स्वरागम' या 'मध्य स्वरागम' के उदाहरण कहे जा सकते हैं; किन्तु 'आदि स्वरागम' और 'मध्य स्वरागम' के सभी उदाहरण इसके उदाहरण नहीं कहला सकते, क्योंकि इसके लिए नवागत स्वर की प्रकृति की ध्वनि का पहले से रहना आवश्यक है। यह भी

स्पष्ट है कि इस रूप में स्वरभक्ति या स्वरागम का यह पर्याय नहीं है, अपितु उसका एक भेद मात्र है। साथ ही, 'स्वर-भक्ति' अपने प्राचीन अर्थ में संयुक्त व्यंजनों के बीच में आकर दोनों को अलग कर देती है (जैसे धर्म से धरम; राजेन्द्र से राजेन्दर), किन्तु अपिनिहिति में यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती।

ऊपर अपिनिहिति के आदि और मध्य दो भेद किये गये हैं। कुछ लोग (डॉ० तारापोरवाला आदि) केवल मध्य^१ को ही अपिनिहिति मानते हैं और आदि के लिए पुरोहित या पूर्वहिति (prothesis) का प्रयोग करते हैं, किन्तु साथ ही पुरोहिति में समस्वरागम को आवश्यक नहीं मानते। उनके अनुसार, कोई भी स्वर जो शब्द के आदि में आ जाय, पुरोहित का उदाहरण है। इस रूप में यह आदि स्वरागम का समानार्थी है। किन्तु अवेस्ता भाषा के विवेचन के सिलसिले में 'पुरोहिति' का प्रयोग केवल उस आदि स्वरागम के लिए किया गया है जिसकी प्रकृति का एक स्वर पहले से उस शब्द में विद्यमान हो; जैसे—

सं० रिणक्ति (rinakti)	— अवेस्ता irinahti
सं० रिष्यन्ति (risyanti)	— " irisyeyti
सं० रोपयन्ति (ropayanti)	— " urupayeinti

अवेस्ता में 'र' से आरम्भ होने वाले शब्दों में पुरोहिति सर्वत्र मिलती है। एक उदाहरण 'थ' के पूर्व भी मिलता है।

इसका आशय यह हुआ कि यदि अपिनिहिति को केवल 'मध्य अपिनिहिति' ही माना जाय तो 'आदि अपिनिहिति' को 'पुरोहिति' माना जा सकता है और तब पुरोहिति की परिभाषा होगी—'किसी शब्द के आरम्भ में किसी ऐसे स्वर का आना जिसकी प्रकृति का दूसरा स्वर शब्द में पहले से वर्तमान हो, पुरोहिति कहलाता है।' किन्तु जैसा कि संकेत किया जा चुका है, सामान्यतः इस लोगों ने आदि स्वरागम के पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त किया है और इस रूप में इसकी वही परिभाषा होगी जो 'आदि स्वरागम' की।

अपभ्रुति^२

ध्वनि की इस प्रवृत्ति का पता सबसे पहले १८७१ ई० में लगा। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि शब्द के व्यंजन तो प्रायः ज्यों के त्यों रहते हैं, किन्तु स्वरों [विशेषतः आन्तरिक (internal vowel) स्वर] में परिवर्तन के कारण अर्थ बदल जाता है; जैसे—चलन, चलान। यों कभी-कभी

१. डॉ० श्यामसुन्दर दास अपिनिहिति को केवल मध्य में इ, उ का आगम मानते हैं।

अंग्रेजी में मूल शब्द Prothesis न होकर Prosthesis है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'आदि-आगम' (स्वर, व्यंजन या अक्षर) तथा धात्वर्थ मात्र 'आगम' होता है।

ये भी इसका इसी रूप में, वल्कि विशेषतः स् से आरम्भ होने वाले शब्द के आरम्भ में उच्चारण-सुविधा के लिए आये स्वर (जैसे लैटिन scribere—स्पैनिश escribir (लिखना) के लिए प्रयोग करते हैं। डॉ० श्यामसुन्दर दास ने भी इसे इस रूप में लिया है।

२. इसके लिए जर्मन शब्द Ablaut है जिसका शाब्दिक अर्थ है—स्वर-ध्वनि का परिवर्तन। अंग्रेजी में इसे metaphony, apophony या vowel gradation या vocalic ablaut भी कहा जाता है। हिन्दी में 'अपभ्रुति' के अतिरिक्त 'अक्षर श्रेणीकरण', 'स्वरक्रम' या 'अक्षरावस्थान' का भी प्रयोग हुआ है। मराठी में इसके लिए केवल 'संप्रसारण' का ही प्रयोग होता रहा है।

इनमें कुछ अंश भी (पहले या बाद में) जुड़ जाता है; जैसे—अंग्रेजी में choose, chose, chosen। यह प्रवृत्ति प्रमुखतः भारोपीय, हैमेटिक तथा सेमेटिक परिवार की भाषाओं में मिलती है और भाषाविज्ञान में 'अपश्रुति' नाम से अभिहित की गयी है। स्वरों का यह परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है—(क) मात्रिक (quantitative) और (ख) गुणीय या गौण (qualitative)।

मात्रिक अपश्रुति^१

'मात्रा' का अर्थ है—ह्रस्व-दीर्घ आदि। जब स्वर (प्रकृतितः) वही रहे, केवल उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाय तो 'मात्रिक अपश्रुति' होती है, जैसे—संस्कृत में भरद्वाज और भारद्वाज या वसुदेव और वासुदेव। संस्कृत व्याकरणों में इसी को गुणवृद्धि कहा गया है। यहाँ आधारशून्य श्रेणी (zero grade) को माना गया, लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिया गया। उसके ऊपर या आगे गुण और फिर वृद्धि। संस्कृत, ग्रीक आदि में इसके स्वरूप का अध्ययन करके भाषाविज्ञानवेत्ता अब दूसरे निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वे मूल आधार श्रेणी, शून्य को नहीं मानते अपितु 'गुण' को मानते हैं और फिर 'गुण' के प्रवर्द्धित (prolonged) रूप को वृद्धि तथा प्रहासित (reduced) या निर्बलीभूत (weak) रूप को शून्य मानते हैं। अ, ए, ओ के निर्बल रूप को शून्य; अ, ए, ओ को गुण और आ, ऐ, औ को वृद्धि कहा गया है।

और सूक्ष्मता से विचार करके कुछ भाषाविज्ञानविदों ने मात्रिक अपश्रुति में सामान्य (normal), प्रवर्द्धित या दीर्घाभूत (lengthened या prolonged) प्रहासित, ह्रस्वीभूत, या निर्बलीभूत (reduced या weak) और शून्य (zero) ये चार श्रेणियाँ स्थापित की हैं। यों अधिक प्रचलित उपर्युक्त तीन ही हैं। हाँ, कुछ लोगों ने बलाघातयुक्त या बलाघातहीन या विभिन्न स्वरों के संपर्क में आने के कारण इन तीन के छह उपभेद भी किये हैं।

गुणीय अपश्रुति^२

गुणीय अपश्रुति में स्वर मात्र गुण की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है, जैसे पञ्च के स्थान पर अण या इसी प्रकार अन्य।^३ उदाहरणार्थ, लैटिन tego (= मैं ढँकता या ओढ़ता या पहनाता हूँ) और togo (= ढक्कन, लबादा या चांगा); या रूसी Vezu (मैं ले जाता हूँ) और Voz (गाड़ी या बोझा); या अंग्रेजी sing (गाना) और sang (गाया), Man-men, foot-feet, goose-geese या अरबी किताब (पुस्तक), कुतुब (पुस्तकें) और कातिब (लिखने वाला) आदि। अपश्रुति के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण

अपश्रुति के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। एक का विवेचन ऊपर किया गया है, जिसमें प्रायः केवल स्वर में गुणीय या मात्रिक परिवर्तन से ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। इस दृष्टि से गुणीय अपश्रुति के काफी उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। हिन्दी मेल, मिला, मिले या करना, करनी, कराना भी इसी के उदाहरण हैं। किन्तु मात्रिक अपश्रुति के इस दृष्टिकोण के बहुत कम उदाहरण

१. इसे अंग्रेजी में quantitative alteration, qualitative gradation या केवल apophony भी कहा गया है। डॉ० चटर्जी इसे 'ह्रस्वता-दीर्घतात्मक अपश्रुति' कहते हैं।
२. इसे qualitative alteration, qualitative gradation या metaphony भी कहते हैं।
३. इसी कारण डॉ० चटर्जी इसे 'उच्चारण-स्थान-परिवर्तनात्मक अपश्रुति' कहते हैं।

मिलेंगे। वस्तुतः यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो शुद्ध मात्रिक अपश्रुति केवल वहीं होगी जहाँ स्वर का उच्चारण-स्थान तो बिलकुल वही रहे, केवल मात्रा के ह्रस्वत्व-दीर्घत्व आदि से अर्थ बदले, यह बात कम मिलेगी। संस्कृत में यदि 'अ' और 'आ' का उच्चारण-स्थान एक माने और उनमें केवल मात्राभेद मानें तो 'भरद्वाज' से 'भारद्वाज' या इस प्रकार के अन्य उदाहरण इसके माने जा सकते हैं। कुछ भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने इस प्रसंग में हिन्दी 'करना' से 'कराना' या इसी प्रकार के उदाहरण मात्रिक में रक्खे हैं। कहना न होगा कि ये गलत हैं, क्योंकि हिन्दी में 'अ' और 'आ' में मात्रा मात्राभेद न होकर स्थान का भी पर्याप्त भेद है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो इस रूप में या इस दृष्टिकोण के अपश्रुति से प्रभावित शब्द तीन प्रकार के हो सकते हैं—

(१) मात्रिक भेद वाले—भरद्वाज—भारद्वाज।

(२) गुण-मात्रिक भेद वाले—दशरथ—दाशरथि (इसमें 'द' से 'दा' में मात्रिक भेद है और 'थ' से 'थि' में गुणीय) आदि।

(३) गुणीय भेद वाले—किताब से कुतुब।

अपश्रुति के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण ही मूर्द्धन्य भाषाविज्ञानविदों को अधिक मान्य है। इस मत के अनुसार, बल इस बात पर नहीं है कि मूल शब्द या धातु के केवल स्वरों में परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन हो अपितु इस बात पर है कि एक शब्द से बनने वाले भिन्नार्थी दूसरे शब्द में मूल शब्द के किसी एक स्वर या स्वरों के स्थान पर कुछ परिवर्तित स्वर आ जाये या आ जायें, चाहे (क) अन्य स्वर और व्यंजन पहले वाले ही रहें। (ख) या उनमें कुछ हट गये हों, या (ग) कुछ नये आ गये हों, (घ) या कुछ गये या परिवर्तित हुए हों और कुछ आये हों। इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः धातु से बनने वाले क्रियारूपों (तिङन्त) या अन्य शब्दों (सुबन्त) में ही इस प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया जाता है। साथ ही, यह भी माना जाता है कि उपसर्ग या प्रत्यय में भी यदि स्वर परिवर्तित हो जायें तो अपश्रुति मानी जायेगी, अर्थात् मूल शब्द में ही उसका होना आवश्यक नहीं है।

कुछ उदाहरण हैं—

मात्रीय अपश्रुति

संस्कृत

सामान्य श्रेणी

सदस् (सीट)

सचते (सम्बद्ध करता है)

दम्नोति (घायल करता है)

दीर्घाभूत

सादयति (बैठाता है)

रातिपाचः (वदान्यता से सम्बद्ध करने वाले)

अदाम्य (जो घायल न हो सके)

शून्य श्रेणी

सेदुः (वे बैठे)

सस्वति (वे बैठे)

अद्भुत (जो घायल नहीं

किये जा सकते = विचित्र)

ग्रीक

Poda पैर को

Pos (पैर)

लैटिन

pedem (पैर को)

Pes (पैर)

गुणीय अपश्रुति

ग्रीक—lego (मैं कहता हूँ), logos (शब्द) ।

लियुवानियन—vezu (मैं जाता हूँ), Vazis (एक प्रकार की गाड़ी) ।

अंग्रेजी—Choose, chose, chosen ; mouse, mice ; brother, brethren

हिन्दी—मिलु, मेल, मिला, मिले ।

अरबी—किताब, मकतूल, मकतुब, कतबत ।

अपश्रुति के कारण—अपश्रुति के कारण के रूप में संगीतात्मक स्वराघात तथा बलात्मक स्वराघात का उल्लेख किया जाता है। प्रमुखतः इस दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषाओं का पर्याप्त अध्ययन हुआ है, और निष्कर्ष यह निकला है कि इस परिवार में अत्यन्त प्राचीन काल में जो मात्रिक परिवर्तन हुए, उनका कारण तो बलात्मक स्वराघात था और जो गुणीय परिवर्तन हुए, उनका कारण संगीतात्मक स्वराघात था। अंग्रेजी, रूसी, हिन्दी, आदि आधुनिक भाषाओं में प्रायः केवल गुणीय अपश्रुति है, और उसका कारण आधुनिक न होकर प्रायः पुरानी परम्परा का विकास मात्र है। यों हिन्दी आदि में संगीतात्मक और बलात्मक स्वराघात के कारण स्वरों की दीर्घता-ह्रस्वता तो कभी-कभी दिखाई पड़ती है, किन्तु प्रायः अर्थ बदलने से उसका सम्बन्ध नहीं है, और जहाँ है, वहाँ किसी न किसी रूप में गुणीय परिवर्तन भी हो गया है।

ग्रीक, संस्कृत, लैटिन आदि में गुणीय और मात्रिक दोनों अपश्रुतियों की कई श्रेणियाँ निर्धारित की गयी हैं। संस्कृत में तो गुणवृद्धि, संप्रसारण से भी उनका सम्बन्ध जोड़ा गया है, किन्तु यहाँ भाषा-विशेष को लेकर गहराई में उतरना अपेक्षित नहीं है।

ध्वनि-नियम (Phonetic Law)

पीछे हम लोग ध्वनि-सम्बन्धी परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं। उनमें से बहुत से परिवर्तन तो किसी विशेष नियमानुसार नहीं चलते, पर अन्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंशतः या पूर्वतः नियमों पर आधारित होते हैं। यहाँ नियमों का आशय यह है कि उनके घटित होने की परिस्थितियों में बहुधा एकरूपता रहती है। उस एकरूपता को ही एक नियम कहा जाने लगा है।

नियम की परिभाषा—यहाँ प्रश्न यह उठता है कि 'नियम' कहते किसे हैं। नियम का अधिकतर प्रयोग प्राकृतिक नियम के लिए होता है, जो किसी विशेष वस्तु आदि के सम्बन्ध में लागू होते हैं। यदि विशेष परिस्थितियों में पड़कर कोई क्रिया समय और स्थान की सीमा तोड़ कर सर्वदा घटित हुआ करती है, तो उसे प्रायः नियम की संज्ञा देते हैं। जैसे कोई संख्या एक से कम की संख्या से गुणा करने पर घटती और अधिक गुणा करने पर बढ़ती है।

प्राकृतिक नियम और भाषा-सम्बन्धी नियम में अन्तर—(१) प्राकृतिक नियम किसी काल-विशेष की अपेक्षा नहीं रखते। चार और चार जाड़ने से सर्वदा आठ होता है, होता था, और आगे भी होगा, पर भाषा के ध्वनि-नियम में यह बात नहीं है। भारतीय आर्यभाषा के इतिहास में प्राचीन काल से मध्य में आने में जो परिवर्तन घटित हुए हैं, मध्य से आधुनिक काल में आने में नहीं हुए हैं। भविष्य के लिए

भी हम निश्चित नहीं हैं कि वे परिवर्तन घटित होंगे या नहीं। (२) प्राकृतिक नियम काल की भाँति ही दशा या स्थान की अपेक्षा नहीं रखते। न्यूटन का नियम प्रायः सर्वत्र लागू होता है, पर ध्वनि-नियम की इस सम्बन्ध में भी सीमाएँ हैं जिनको वह लाँघ नहीं सकता। (३) प्राकृतिक नियम अन्धे की भाँति काम करते हैं और अपवाद नहीं छोड़ते, पर इसके विरुद्ध ध्वनि-नियम अपवाद छोड़ते चलते हैं। संस्कृत 'नृत्य' का 'नाच' हो गया, किन्तु 'भृत्य' का विकास 'भाच' नहीं हुआ।

ध्वनि-नियम नाम की अशुद्धि—ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियम के अन्तर पर विचार करते समय देख चुके हैं कि नियम की स्थिरता ध्वनि-नियमों में नहीं पायी जाती। इसीलिए, कुछ विद्वानों का मत है कि 'ध्वनि-नियम' नाम ही भ्रामक और अशुद्ध है। वे इसे 'ध्वनि-प्रवृत्ति' (phonetic tendency) या ध्वनि-फारमूला कहना उचित समझते हैं।

ध्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवृत्ति—दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वान् ध्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवृत्ति में अन्तर मानते हैं। उनके अनुसार जो ध्वनि-विकार या ध्वनि-परिवर्तन प्रारम्भ होता है, पर थोड़ी दूर चलने के बाद मर जाता है और सफल नहीं हो पाता, ध्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे ध्वनि-परिवर्तन जो धीरे-धीरे पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने घटित होते रहने के काल में (अर्थात् पूर्ण हो जाने के पूर्व) 'ध्वनि-प्रवृत्ति' कहे जाते हैं, पर पूर्ण हो जाने पर उन्हें 'ध्वनि-नियम' कहेंगे। इसी कारण, यह भी कहा गया है कि ध्वनि-नियम वर्तमान या भविष्य के सम्बन्ध में न होकर केवल भूत के सम्बन्ध में होते हैं।

ध्वनि-नियम में अपवाद और उनके कारण—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ध्वनि-नियमों के अपवाद भी मिलते हैं। इन अपवादों के चार कारण हो सकते हैं—

(१) सबसे बड़ा कारण तो सादृश्य है। सादृश्य के कारण नियमानुसार दूसरा रूप धारण करने वाला शब्द कुछ और हो जाता है।

(२) दूसरा कारण, अन्य भाषा से शब्दों का उधार आना। बहुधा हाल के आये विदेशी शब्दों में ध्वनि-नियम लागू नहीं होते।

(३) अपवाद मिलने का तीसरा कारण यह है कि कभी-कभी हम अपनी भी भाषा के उस काल से शब्द उधार ले लेते हैं जब वह नियम विशेष लागू नहीं हुआ रहता।

(४) चौथा कारण यह भी हो सकता है कि कभी-कभी अन्य भाषा का मिलता-जुलता शब्द आकर अधिकार जमा लेता है और पुराने शब्द का ही रूप ज्ञात होता है तो उसे भी अपवाद मानना पड़ता है।

उदाहरणार्थ, ध्वनि-नियम के अनुसार 'कोटपाल' को 'कोट्पाल' और फिर 'कोटाल' होना चाहिए, जैसा कि बँगला में प्रचलित भी है, पर बीच में फारसी शब्द 'कोतवाल' मूलतः भारतीय मुसलमानों के साथ आ गया और उसने हिन्दी में आधिपत्य जमा लिया। अब आज साधारण दृष्टि से देखने पर कोटपाल का विकार कोट्पाल = कोट्टाल = कोतवाल लगता है, पर ऐसे उदाहरण बहुत नहीं मिलते, अतः इसे अपवाद कहा जाता है। इसी प्रकार, कितने ही अन्य मानसिक कारण भी सम्भव हैं।

ध्वनि-नियम की वैज्ञानिक परिभाषा—किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में, किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ध्वनि-नियम कहते हैं। इस परिभाषा के चार अंग हैं—

(१) ध्वनि-नियम किसी भाषा-विशेष का होता है। एक भाषा के ध्वनि-नियम को दूसरी पर नहीं लागू कर सकते। अंग्रेजी के अधिकतर शब्दों के अन्तिम आर (r) का उच्चारण नहीं किया जाता। अर्थात्, फ़ादर (father) का उच्चारण 'फ़ादअ' होता है, पर हिन्दी में इसे लागू करके हम 'अम्बर' को 'अम्बअ' नहीं कह सकते।

(२) एक भाषा की भी सभी ध्वनियों पर यह नियम न लागू होकर कुछ विशिष्ट ध्वनियों या ध्वनि-वर्ग पर लागू होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में (r) को अनुच्चरित होते देख हम अन्तिम (n) को भी अनुच्चरित करके मैन (man) को 'मैअ' नहीं कह सकते और न गन (gun) को 'गअ' ही कह सकते हैं।

(३) ध्वनि-परिवर्तन का भी एक विशिष्ट काल होता है। इस अन्तिम आर (r) के अनुच्चरित होने का नियम प्रायः नवीन है। इसे अंग्रेजी के अत्यधिक प्राचीन काल पर लागू नहीं किया जा सकता।

(४) किसी विशिष्ट भाषा के किसी विशिष्ट काल में कोई विशिष्ट ध्वनि भी यों ही परिवर्तित नहीं हो सकती। उनके लिए विशिष्ट दशा या परिस्थिति की आवश्यकता पड़ती है।

उपर्युक्त उदाहरण में ही प्रायः ऐसा नियम है कि वाक्य में किसी शब्द के अन्त में आर (r) हो और उसके पश्चात् आने वाला शब्द किसी व्यञ्जन से आरम्भ होता हो, तब तो यह अनुच्चरित होने का नियम लागू होगा और यदि वह शब्द स्वर से आरम्भ होता हो तो न होगा। इस प्रकार, ध्वनि-नियम परिस्थितियों से प्रायः बँधा रहता है।

कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम

(क) ग्रिम-नियम

इस नियम की ओर संकेत करने वाले दो व्यक्ति, इहरे और डैनिश विद्वान् रैस्क हैं, पर इन लोगों ने संकेत मात्र किया था। इसकी पूरी विवेचना और छानबीन करने वाले अध्येता, जर्मन भाषा के महान् पंडित याकोब ग्रिम हैं। आपने १८१६ में जर्मन भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया। सन् १८२२ में उसके दूसरे संस्करण में इस नियम का विवेचन किया। इनके ही नाम पर इस नियम का नाम 'ग्रिम-नियम' है। इस नियम का सम्बन्ध भारोपीय स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गये थे। इसे जर्मन भाषा का वर्ण-परिवर्तन कहते हैं जिसके लिए जर्मन शब्द 'Lautverschiebung' है। जर्मन भाषा का यह वर्ण-परिवर्तन दो बार हुआ। प्रथम वर्ण-परिवर्तन ईसा से कई सदी पूर्व हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तन उत्तरी जर्मन लोगों से ऐंग्लो-सैक्सन लोगों के पृथक् होने के बाद लगभग ७वीं सदी में हुआ। दोनों ही का कारण जातीय मिश्रण कहा जाता है।

प्रथम वर्ण-परिवर्तन

इस प्रथम वर्ण-परिवर्तन में मूल भारोपीय भाषा के कुछ स्पर्श परिवर्तित हो गये थे जिन्हें तालिका-रूप में यों दिया जा सकता है—

(क) भारोपीय मूल भाषा के घोष

महाप्राण स्पर्श घ, ध, भ्

(ख) भारोपीय मूल भाषा के घोष

अल्पप्राण ग, द, ब्

जर्मनिक में घोष अल्पप्राण ग, द, ब् हो गये।

जर्मनिक में अघोष अल्पप्राण क्, तु, प् हो गये।

(ग) भारोपीय मूल भाषा के अघोष
अल्पप्राण क्, तु, प्

जर्मनिक में संघर्षी अघोष महाप्राण
ख्, (ह्), थ्, फ्
(घ्), (घ्), (भ्)
हो गये।

मूल भारोपीय भाषा के ये व्यञ्जन संस्कृत तथा ग्रीक आदि में सुरक्षित हैं। अतः उदाहरण के लिए मूल के स्थान पर संस्कृत^१ या ग्रीक शब्द लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार, परिवर्तित स्पर्शों को दिखलाने के लिए जर्मनिक वर्ग की अंग्रेजी भाषा के शब्द लिये जा सकते हैं—

	संस्कृत	अंग्रेजी
(क)	घ् से ग् = हंस, दुहिता..... गूज (goose), डॉ (ग) टर (daughter)	
	घ् से द् (ड) = विधवा, धूम..... विडो (widow), डस्ट (dust)	
	भ् से ब् = भू, भ्रातृ..... बी (Be), ब्रदर (brother)	
(ख)	ग् से क् = गौ, योग..... काउ (cow), योक (yoke)	
	द् से त् (ट) = द्रौ, दशन्..... टू (Tow), टेन (Ten)	
	ब् से प् = (इसका संस्कृत में उदाहरण नहीं मिलता) आदि भाषा में *स्लेउब का अंग्रेजी में Slip	

(ग)	क् से ख् (ह्) = कटु, कः..... ह्वाट (what), हू (who)
	त् से थ् = दंत, तनु, त्रि..... टूथ (tooth), थिन (thin), थ्री (three)
	प् से फ् = पिता, पशु, पाद..... फादर (Father), फी (fee), फुट (Foot)

(उपर्युक्त उदाहरणों में कहीं-कहीं एक ही शब्द दो भाषाओं में दो अर्थ रखता दिखाई पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। अर्थ-परिवर्तन के प्रकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार शब्दों का अर्थ कभी-कभी बहुत दूर चला जाता है।)

द्वितीय वर्ण-परिवर्तन

प्रथम वर्ण-परिवर्तन में मूल भाषा से जर्मनिक भाषा भिन्न हुई थी, पर इस द्वितीय में जर्मन भाषा के ही दो रूप उच्च जर्मन और निम्न जर्मन में यह अन्तर पड़ा। बात यह हुई कि निम्न जर्मन वाले (अंग्रेज आदि) विकास के पूर्व ही वहाँ से हट गये; अतः उनमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। पर, उच्च जर्मन वाले जो वहीं थे, द्वितीय परिवर्तन के शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च और निम्न जर्मन की कुछ ध्वनियाँ भिन्न-भिन्न हो गयीं।

निम्न जर्मन की प्रतिनिधि अंग्रेजी को मानकर हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं—

निम्न जर्मन (अंग्रेजी)	उच्च जर्मन
प का फ् = डीप (deep), शीप (sheep)	टीफ़ (tief), शाफ़ (Schaf)
ट का ट्स् या स्स् = फूट (foot), लेट (let)	फरस्स (fuss), लासेन (lassen)
क् का ख् (ह्) = योक (yoke)	याख (Joch)

१. हम लोग संस्कृत और अंग्रेजी से ही विशेष परिचित हैं, अतः मूल के स्थान पर संस्कृत और जर्मनिक के लिए अंग्रेजी शब्द उदाहरण में लिये गये हैं।

ह्व का व्	= डोव्ह (dove)	टाउबे (taube)
ड् का ट्	= डीड (deed)	टाट (tat)
थ् का ड् (द)	थ्री (three)	ड्राय (Drei)

आलोचना

प्रथम और द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के सम्बन्ध में ग्रिम ने जो तालिका दी थी, वह कुछ इस प्रकार है—

मूल भाषा	आदि जर्मनिक	उच्च जर्मन
घ् घ् भ् =	ग् द् ब्	= क् त् प्
ग् द् ब् =	क् त् प्	= ख् (ह्) थ् फ्
क् त् प् =	ख् (ह्) थ् फ्	= ग् द् ब्

प्रथम वर्ण-परिवर्तन

द्वितीय वर्ण-परिवर्तन

हम देखते हैं कि इस प्रकार नियम बहुत सुलझा हुआ दिखाई पड़ता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी के बहुत से विद्वानों ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया है। किन्तु, यथार्थतः बात ऐसी नहीं है। दोनों परिवर्तनों में इस प्रकार की समानता नहीं है, जैसी ग्रिम ने दिखलाने की कोशिश की थी। यहाँ तालिका में दिया गया प्रथम वर्ण-परिवर्तन अपवादों के रहते हुए भी ठीक है, पर द्वितीय के उदाहरण ठीक इस रूप में नहीं मिलते, साथ ही इसके अपवाद भी बहुत हैं। ग्रिम ने द्वितीय वर्ण परिवर्तन के उदाहरण इसी रूप में इकट्ठा करने का प्रयास किया, पर उसे अपेक्षित सफलता न मिली। प्रथम वर्ण-परिवर्तन के साथ द्वितीय परिवर्तन का शुद्ध रूप, जो वस्तुतः मिलता है, कुछ इस प्रकार हो सकता है—

मूल भाषा*	निम्न जर्मन या आदिम जर्मन	उच्च जर्मन
gh, dh, bh	g, d, b	x, t, x
g, d, b,	k, t, p	x, z, ss, sz, f
k, t, p	kh (h), th, f	x, d, st, x

(ख) ग्रेसमैन नियम

ग्रिम को स्वयं अपने नियम के पर्याप्त अपवाद मिले थे। उनके साधारण नियमानुसार क्रमशः क्, त्, प् का ख् (ह्), थ्, फ् होना चाहिए। पर, कुछ शब्दों में क् त् प् का ग् द् ब् मिलता है; उदाहरणार्थ, ग्रीक किप्रखो से हो (ho), तुप्लोस से थम (thump) और पिथास से फाडी (fody) बनना चाहिए, पर बनता है गो (go), डम (dump), बाडी (body)।

ग्रेसमैन ने यह खोज निकाला कि भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द या धातु के आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण हों तो संस्कृत, ग्रीक आदि में एक अल्पप्राण हो जाता है—

संस्कृत की हृि (= हवन करना) का रूप बनना चाहिए)

हुहोति, हुहुतः, हुह्वति

पर रूप है—जुहोति, जुहुतः, जुह्वति

इसी प्रकार हृि (= डरना) से भिभर्ति आदि न होकर बिभर्ति आदि रूप बनते हैं।

इसका अर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल भाषा की दो अवस्थाएँ रही होंगी। प्रथमावस्था में दो

*स्पष्टता के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है। यह टकर की पुस्तक से लिया गया है।

महाप्राण रहे होंगे और दूसरी अवस्था में नहीं ; अतः अपवादास्वरूप क्त्प् आदि के स्थान पर जहाँ ग्द्ब मिलते हैं ; प्राचीन काल में क्त्प् (पुराना स्पर्श ह), का फ् अर्थात् भारोपीय में घ्घ्भ रहा होगा और घ्घ्भ् से ग्द्ब बना होगा जो पूर्णतः नियमानुकूल है।

इस प्रकार, ग्रिम-नियम में जितने अपवाद इस तरह के थे जिनमें ग्रिम-नियम से एक पग आगे परिवर्तन हो जाता था, ग्रेसमैन नियम से समाधानित हो गये। पीछे ध्वनि-परिवर्तन के प्रकरण में अल्पप्राणीकरण पर विचार करते समय इसके कुछ उदाहरण दिये गये हैं।

(ग) वर्नर नियम

उपर्युक्त दोनों नियमों के बाद भी कुछ अपवाद रह गये थे। वर्नर ने यह पता लगाया कि ग्रिम नियम बलाघात (accent) पर आधारित था। मूल भाषा के क्, तु, प् के पूर्व यदि बलाघात हो तो ग्रिम-नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, किन्तु यदि स्वराघात क्त्प् के बाद वाले स्वर पर हो तो परिवर्तन एक पग आगे ग्रेसमैन की भाँति ग्द्ब हो जाता है -

संस्कृत	गोथिक
सप्त	सिबुन
शतम	हुन्द

ग्रिम ने यह भी कहा था कि स् के लिए स् ही मिलता है, पर कुछ उदाहरणों में स् के स्थान पर र् मिला। इसके लिए भी वर्नर ने स्वराघात का ही कारण बतलाया। स् के पूर्व स्वराघात हो तो स् रहेगा, पर यदि बाद में हो तो र् हो जायेगा।

एक और तीसरी बात वर्नर ने बतलायी कि यदि मूल भारतीय क्त्प् आदि के पूर्व स् मिला हो (अर्थात् रक्, स्प्) तो जर्मनिक में आने पर शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलता -

लैटिन	अंग्रेजी	गोथिक
piskis	—	fiski
aiter	star	—

इसी प्रकार त् यदि क् या प् के साथ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता।

इतने पर भी ग्रिम-नियम के अपवाद हैं जिनके लिए सादृश्य ही मूल कारण माना जाता है।

(घ) तालव्य-नियम (Palatal Law)

बहुत निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की। सत्य यह है कि कई विद्वान् लगभग एक ही समय इस तक पहुँचने में सफल हुए। इसी कारण, किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना लोग ठीक नहीं समझते। १८७५ में विल्हेम थॉम्सन ने अपने व्याख्यान में इसकी ओर संकेत किया था, पर इस सम्बन्ध में उनका विस्तृत लेख प्रकाश में आ भी नहीं पाया था कि जोहन्स शिम्ट ने अपना लेख तैयार कर लिया। यह लेख इनकी एक पुस्तक में १८९० में प्रकाशित हुआ। इन दोनों के अतिरिक्त एसाय तेगर की भी एक छोटी-सी पुस्तिका इस विषय पर निकली। पर, उस पुस्तक में एसाय तेगर ने दिया है कि उनके पूर्व भी कालिन्ज तथा गार्ग्यूर ने कुछ एंग्रेज विचार प्रकट किये थे। उपर्युक्त पाँचों विद्वानों के अतिरिक्त वर्नर भी कुछ इस परिणाम तक पहुँच चुके थे। इस प्रकार, तालव्य-नियम के साथ छह विद्वानों के नाम सम्बद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग इंग्रेज कालिन्ज का

तालव्य नियम भी कहते हैं।

इस नियम के ज्ञात होने के पूर्व तक विद्वानों का विश्वास था कि कुछ शब्दों में संस्कृत अधिक बातों में अन्य सगोत्रीय भाषाओं की अपेक्षा मूल भारोपीय भाषा के निकट है। कुछ शब्दों में संस्कृत के च् और ज् के स्थान पर अन्य भाषाओं में क् और ग् मिलते थे। इससे लोगों ने यह अनुमान किया था कि वहाँ पर मूलतः च् और ज् ही थे और ध्वनि-परिवर्तन से अन्य भाषाओं में क् और ग् हो गये। इस परिवर्तन का कारण अब तक विद्वानों की समझ में न आ सका था।

तालव्य-नियम की खोज के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत शब्दों में 'अ' स्वर ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक या लैटिन ओ (o) का स्थानापन्न है, उसके पूर्व क् या ग् ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि 'अ' स्वर लैटिन या ग्रीक ई (e) का स्थानापन्न है, तो कंठ्य क् या ग् न होकर तालव्य च् और ज् मिलता है। उदाहरणार्थ, च (च्+अ में अ ग्रीक ई (e) का स्थानापन्न है) और क (क्+अ में अ ग्रीक ओ (o) का स्थानापन्न है) लिये जा सकते हैं। एक ही धातु √पिच् से बने रूप 'पघति' और 'पकस्' में भी यह बात देखी जा सकती है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी समय संस्कृत में अ के स्थान पर ई (e) और ओ (o) स्वर थे। अग्रद्वार 'ङ' के पूर्व का कंठ्य व्यंजन^१ तालव्य में बदल गया जिसके फलस्वरूप क् और च् और ग् का ज् हो गया। कंठ्य व्यंजन के तालव्य हो जाने से इसे तालव्य-नियम कहा जाता है। इस खोज से संस्कृत के मूल से समीप होने की धारणा बदल गयी और अब संस्कृत की अपेक्षा ग्रीक-लैटिन आदि मूल भारोपीय भाषा के अधिक समीप समझी जाने लगी है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि तालव्य-नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा का तृतीय श्रेणी का कवर्ग (देखिए भारोपीय ध्वनियों) संस्कृत में कहीं तो कवर्ग ही रहा, पर पहले आने वाले स्वर के कारण कहीं-कहीं चवर्ग (तालव्य) में परिवर्तित हो गया।

इन प्रधान ध्वनि-नियमों के अतिरिक्त ग्रीक नियम (मूल भारोपीय शब्द में दो स्वरों के बीच के 'स्' का ग्रीक भाषा में पहले 'ह' हो जाना और फिर लुप्त हो जाना, जैसे *Genesos = genehos = geneos), लैटिन नियम [मूल भारोपीय शब्द में दो स्वरों के बीच के 'स्' का परिवर्तित होकर 'र्' हो जाना, जैसे *Genesos = generos (Generis)], फारसी नियम (संस्कृत की 'स' ध्वनि का फारसी में ह मिलना, जैसे सप्त-हप्त, सिध-हिंद), ओष्ठ्य नियम तथा मूर्द्धन्य नियम आदि अनेक और भी ध्वनि-नियम हैं।

स्वनिमविज्ञान (ध्वनिग्रामविज्ञान)

स्वनिमविज्ञान (phonemics) वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों (ध्वनिग्रामों) तथा उनसे संबद्ध पूरी व्यवस्था पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत स्वनिम (ध्वनिग्राम) तथा उपस्वन (संध्वनि) का निर्धारण, उपस्वन का वितरण, स्वर और व्यंजन स्वनिमों का उस भाषा में प्रयुक्त संयोग एवं अनुक्रम प्राप्त खंड्येतर स्वनिमों (अनुतान, बन्नाघात, दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता) की व्यवस्था रूपियों के मिलने पर घटित होने वाले स्वनिमिक परिवर्तन आदि स्वनिमिक

१. मूल भारोपीय भाषा की ध्वनि पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय विचार कर चुके हैं। उसमें जैसा कि हमने देखा, ३ श्रेणी के कवर्ग या कंठ्य व्यंजन थे। तालव्य-नियम के अनुसार जो क् ग् तालव्य में परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणी के अर्थात् च् तथा ज् थे।

व्यवस्था से संबद्ध सारी बातें आती हैं।

स्वनिम (ध्वनिग्राम) और उपस्वन (संध्यनि)—स्वनिमविज्ञान-विषयक अपनी बात स्वनिम (phoneme) तथा उपस्वन (allophone) को समझने-समझाने से शुरू की जा सकती है। हिन्दी में एक ध्वनि है 'ल'। यदि हम 'उलटा', 'लो', 'ले' तथा 'ला', इन चार शब्दों का सावधानी से उच्चारण करें और जीभ की स्पर्श-स्थिति पर ध्यान दें तो हमें स्पष्ट हो जायगा, ल^१ (उलटा का) के उच्चारण में जीभ उलट जाती है, ल^२ (लो) दाँत की ओर थोड़ा आगे से उच्चरित होता है, ल^३ (ले) और आगे से तथा ल^४ (ला) और भी आगे से। अर्थात् 'ल' ध्वनि के इन शब्दों में चार प्रतिनिधि (ल^१, ल^२, ल^३, ल^४) हैं और चारों के उच्चारण-स्थान एक-दूसरे से कुछ-कुछ भिन्न हैं। दूसरे शब्दों में 'ल' तो एक सामान्य ध्वनि है जिसके वास्तविक रूप में प्रयुक्त रूप चार हैं। ये प्रयुक्त रूप और भी अधिक हो सकते हैं, अगर हम और भी हिन्दी शब्द लें।

उपर्युक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में उच्चारण और श्रवण ल^१, ल^२, ल^३ तथा ल^४ का होता है, अर्थात् इन चारों की सत्ता भौतिक है। इनकी तुलना में 'ल' की सत्ता भौतिक नहीं है। उसकी सत्ता मानसिक है। ल के विभिन्न रूपों (एक, दो, तीन, चार) के आधार पर एक मुखिया के रूप में उसे अर्थात् सामान्य 'ल' को स्वीकार कर लिया गया है। यह संक्षेप है कि 'ल' स्वनिम है तथा ल^१, ल^२, ल^३, ल^४ उसके उपस्वन हैं। निष्कर्ष—(१) स्वनिम की सत्ता मानसिक होती है तथा उपस्वन की सत्ता भौतिक। (२) स्वनिम जाति होता है तथा उपस्वन व्यक्ति। यहाँ 'ल' जाति है जो ल^१, ल^२ आदि व्यक्तियों से बनी है।

यदि 'ल' को एक परिवार कहें तो उस परिवार के चार सदस्य हैं। जैसे किसी आदर्श परिवार के सदस्यों में मतेक्य होता है, वे एक-दूसरे के विरोधी या व्यतिरेकी नहीं होते; वैसे ही ल^१, ल^२, ल^३, ल^४ में भी मतेक्य है। ल^१ केवल 'ट' के पहले आएगा, ल^२ ओ के पहले, ल^३ ए के पहले तथा ल^४ आ के पहले; अर्थात् उनमें मतेक्य है। उनके हिन्दी में आने की एक सुनिश्चित व्यवस्था है, अर्थात् वे अनुमेय हैं। साथ ही वे 'ल' परिवार की दृष्टि से एक-दूसरे के पूरक हैं। चारों मिलकर एक परिवार बना रहे हैं। ऐसी स्थिति को भाषाविज्ञान में परिपूरक वितरण (complementary distribution) में होना कहते हैं। जहाँ एक-दूसरे में विरोध न हो, बल्कि हर एक के प्रयोग की स्थिति अलग-अलग, अव्यतिरेकी (अविरोधी) हो। यहाँ ल^१ के स्थान पर ल^२ नहीं आ सकता, न ल^२ के स्थान पर ल^१ आदि; अतः ल^१, ल^२, ल^३, ल^४ परिपूरक वितरण में हैं, अर्थात् एक-दूसरे के अव्यतिरेकी (अविरोधी) हैं। इसके विपरीत 'ल' और 'क' एक-दूसरे के व्यतिरेकी या विरोधी हैं, क्योंकि 'आली' के पहले दोनों आ सकते हैं—ल+आली = लाली; क+आली = काली। जो ध्वनियाँ या स्वन इस प्रकार एक-दूसरे के व्यतिरेकी या विरोधी होते हैं, उन्हें स्वनिम कहते हैं। ऐसे ही 'नाली' और 'लाली' से स्पष्ट है कि 'न', 'ल' स्वनिम हैं। क्योंकि ये व्यतिरेकी या विरोधी हैं; अतः उपस्वन नहीं हैं। निष्कर्ष—(३) किसी भाषा के स्वनिम अपने वितरण में एक-दूसरे के व्यतिरेकी (विरोधी) होते हैं (लाली-काली, लाली-नाली, लग-जग आदि); किंतु उपस्वन (जैसे ल^१, ल^२, ल^३, ल^४) एक-दूसरे के व्यतिरेकी न होकर परिपूरक वितरण में होते हैं। जहाँ एक आता है, वहाँ दूसरा कदापि नहीं आता। (४) स्वनिम अननुमेय होते हैं, अर्थात् यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन स्वनिम कहाँ आयागा, किन्तु परिपूरक वितरण के कारण उपस्वन अनुमेय होते हैं।

हमने चार प्रकार के 'ल' की चर्चा की। अब यदि 'लो' के उच्चारण में हमने देखा कि ल^२ है,


किन्तु यदि हम यहाँ ल^२ के स्थान पर ल^१, ल^३ या ल^४ का उच्चारण प्रयासपूर्वक करें तो भी 'लो' के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आयेगा; अर्थात् उपस्वन (संघ्वनि) अर्थभेदक नहीं होते। इसके विपरीत 'लो' में ल के स्थान पर 'क' (को), 'स' (सो), 'द' (दो) या 'ह' (हो) आदि किसी भी स्वनिम को रख दें तो अर्थ बदल जाएगा, अर्थात् स्वनिम अर्थभेदक होते हैं। निष्कर्ष—(५) स्वनिम अर्थभेदक होते हैं, किन्तु उपस्वन अर्थभेदक नहीं होते। इस प्रकार के लाली-काली, लाली-नाली, लो-दो, लग-पा आदि जिन शब्द-जोड़ों से दो ध्वनियों (स्वनों) की अर्थभेदकता स्पष्ट होती है, उन्हें भाषाविज्ञान में न्यूनतम युग्म (minimal pair) अथवा न्यूनतम विरोधी युग्म कहते हैं। ऐसा जोड़ा या युग्म जिसके शब्दों के अर्थ अलग-अलग हों तथा जिनमें ध्वनि के स्तर पर न्यूनतम अर्थात् केवल एक का विरोध हो। अर्थात् 'लाली-काली' न्यूनतम युग्म है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के दो अर्थ हैं और ध्वनि के स्तर पर दोनों में एक ही अन्तर है—एक में 'ल' है तो दूसरे में 'क'। यह ध्यान देने की बात है कि किसी भाषा में जिन दो ध्वनियों के न्यूनतम युग्म मिल जाते हैं, उस भाषा में वे दोनों ध्वनियाँ या स्वन स्वनिम होते हैं, उपस्वन नहीं।

संक्षेप में—

स्वनिम	उपस्वन
(१) जाति के समान	व्यष्टि या व्यक्ति के समान
(२) परिवार	परिवार का एक सदस्य
(३) मानसिक सत्ता	भौतिक सत्ता
(४) अर्थभेदक	अर्थभेदक नहीं
(५) भाषा में महत्वपूर्ण	अमहत्वपूर्ण
(६) आपस में व्यतिरेकी या व्यतिरेकी वितरण वाले	आपस में परिपूरक वितरण वाले
(७) अननुमेय	अनुमेय

ऊपर वितरण के दो भेद किये गये—(क) व्यतिरेकी या विरोधी वितरण—जहाँ एक ही स्थिति में दो आये और दोनों के आने से अर्थ बदल जाय। (ख) परिपूरक वितरण—जहाँ एक स्थिति में दो न आये। वितरण का एक भेद और होता है: (ग) मुक्त वितरण—जहाँ एक स्थिति में दो स्वन (ध्वनि) मुक्त रूप से आये, किन्तु अर्थ में अन्तर न हो। उदाहरण के लिए, बहुत से हिन्दी शब्दों में बहुत से लोगों के उच्चारण में क-क (कानून-कानून) या ग-ग (गरीब-गरीब) मुक्त वितरण (free variation, free distribution) में हैं। बिना अर्थ बदले कोई भी आ सकता है। इस प्रकार आने वाली ध्वनियाँ (स्वन) मुक्त परिवर्त (free variant) कहलाती हैं।

स्वनिम (ध्वनिग्राम) के भेदोपभेद—स्वनिम दो प्रकार के होते हैं—(क) खंड्य (segmental) स्वनिम—जिन्हें अलग-अलग खंडित किया जा सके। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। (ख) खंड्येतर (supra-segmental) स्वनिम—इन्हें अलग-अलग खंडित नहीं किया जा सकता। ये प्रायः एकाधिक खंड्य स्वनिम पर आधारित होते हैं। साथ ही सामान्यतः इनका अलग उच्चारण सम्भव नहीं। ये खंड्य स्वनिमों के साथ ही आते हैं। आगे खंड्य स्वनिम के दो उपभेद तथा खंड्येतर के पाँच उपभेद होते हैं—



हिन्दी स्वनिम (ध्वनिगाम)

स्वर स्वनिम—हिन्दी भाषा में दस स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ स्वनिम हैं, क्योंकि इनके न्यूनतम युग्म हिन्दी में मिलते हैं —

	ई	इ	ए	ऐ	अ	आ	औ	ओ	उ	ऊ
ई	—	मिल	मेल	मैल	मल	माल	तौर	कोट	सुर	कूट
		मील	मील	मील	मील	मील	तीर	कीट	सीर	कीट
इ	—	—	मल	मैल	मल	माल	तौल	मोल	पुल	ऊन
			मिल	मिल	मिल	मिल	तिल	मिल	पिल	इन
ए	—	—	—	मैल	मल	माल	तौल	मोल	सुर	तूल
				मेल	मेल	मेल	तेल	मेल	सेर	तेल
ऐ	—	—	—	—	पर	पार	गौर	मोल	सुर	फूल
					पैर	पैर	गैर	मैल	सेर	खेल
अ	—	—	—	—	—	माल	तौल	मोल	कुल	फूल
						मल	तल	मल	कल	फल
आ	—	—	—	—	—	—	तौल	मोल	कुल	ऊन
							ताल	माल	काल	आन
औ	—	—	—	—	—	—	—	लोटना	लुटा	कूट
								लोटना	लौटा	लौट
ओ	—	—	—	—	—	—	—	—	लुटा	लुट
									लाटा	लाट
उ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	सूर
										सुूर

अर्थात् ये आपस में व्यतिरेकी हैं तथा अर्थभेदक हैं।

व्यंजन स्वनिम—हिन्दी के अधिकांश व्यंजनों के उपर्युक्त प्रकार से न्यूनतम युग्म मिल जाते हैं। सबको तो अलग-अलग लेना स्थानाभाव के कारण यहाँ संभव नहीं है, किन्तु उदाहरण के लिए कुछ न्यूनतम युग्म देखे जा सकते हैं—

कड़ा-खड़ा-गड़ा घड़ा

घला-छला-जला-झला

ढाला, ठाला, डाला, ढाला,

तान-थान दान-धान

पली-फली-बली-भली

यह-रह-लह-वह
 साल-शाल-हाल
 कुमार-कुम्हार
 कान-कान्ह
 आला-आल्हा
 आदि।

कुछ विवादास्पद व्यंजन स्वनिम—(क) नासिक व्यंजन—ऊपर 'न-न्ह', 'म-म्ह' के अलग-अलग स्वनिम होने का संकेत न्यूनतम युगों द्वारा दिया जा चुका है। शेष में 'म-न' (माला-नाला) तो स्पष्ट स्वनिम हैं। 'ण-न' की समस्या थोड़ी जटिल है। बहुत से लोग 'ण' को 'न' (गुण-गुन, प्राण-प्राण) कहते हैं। इस प्रकार कई शब्दों में ये मुक्त परिवर्त हैं, किन्तु अणु (कण), अनु (एक उपसर्ग) न्यूनतम युग हिन्दी में प्राप्त हैं; अतः ण-न को भी एक सीमा तक स्वनिम माना जा सकता है। जहाँ तक शेष नासिक्य व्यंजनों का प्रश्न है, 'न' स्वनिम है तथा उसके ड, ब्र, न—ये तीन उपस्वन हैं —

स्वनिम	उपस्वन	वितरण
न	ड	(१) क, ख, ग, घ के पूर्व (अंक, शंख, अंडग, जंघा) (२) अपवादतः वाङ्मय, पराङ्मुख च, छ, ज, झ के पूर्व (चंचल, बाँछा, मंजु, झंझा)
	ब्र	
	न	अन्यत्र

(ख) ड-ड—पहले ये दोनों 'ड' स्वनिम के दो उपस्वन थे, क्योंकि परिपूरक वितरण में थे—

ड—		(१) मध्य में दो स्वरों के बीच (घोड़ा)
		(२) अन्त में स्वर के बाद (पहाड़)
ड	अन्यत्र	(१) आदि में (डाली)
		(२) मध्य में स्विम सीमा पर (अडिग)
		अनुनासिक स्वर के बाद (डोड़ी); दीर्घ स्प में (गड्डी)
		तथा संयुक्त व्यंजन के सदस्य स्प में (गड्ढा)

अब रेडियों, रोड, सोडा, कोड आदि अंग्रेजी शब्दों के आने के कारण मध्य (घोड़ा-सोडा) तथा अन्त में (जोड़-रोड) में दोनों व्यतिरेकी हो गये हैं; अतः आदि में परिपूरक वितरण में होने के बावजूद ये दो स्वनिम माने जा सकते हैं।

(ग) ढ-ढ—सामान्यतः तो ये एक स्वनिम (ढ) के दो उपस्वन जैसे ही आते हैं—

ढ—आदि में नहीं, मध्य में दो स्वरों के बीच (पढाई) तथा अन्त में स्वर के बाद (गढ़);

ढ—अन्यत्र; आदि में (दाल) तथा मध्य में स्विम सीमा (बेढव) पर या संयुक्त के सदस्य स्प (गड्ढा) में या अनुनासिक स्वर के बाद (मंढक); किन्तु 'औदरदानी' जैसे कुछ शब्दों तथा ड-ड की व्यवस्था के सहायक के आधार पर कई स्थितियों में परिपूरक वितरण के बावजूद ढ-ढ को भी अलग-अलग स्वनिम माना जा सकता है।

कन्द्रीय (Core) स्वनिम तथा परिधीय (Peripheral) स्वनिम—जो स्वनिम भाषा में सामान्य

रूप से अर्थभेदक तथा व्यतिरेकी होते हैं, उन्हें केन्द्रीय या मुख्य स्वनिम कहते हैं : किन्तु जो कुछ सीमित लोगों, सीमित शब्दों या सीमित परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, वे परिधीय या गौण स्वनिम कहलाते हैं।

ऊपर जो स्वनिम दिये गये, वे हिन्दी के प्रायः केन्द्रीय स्वनिम हैं। इसके विपरीत आँ, क, खँ, ग, ज, फ परिधीय हैं, क्योंकि (क) इनका प्रयोग बहुत कम लोगों द्वारा होता है, (ख) सामान्य भाषा में ये व्यतिरेकी न होकर मुक्त परिवर्त हैं, अर्थात् इनके स्थान पर क्रमशः आ, क, ख, ग, ज, फ आ सकते हैं, (ग) सामान्य भाषा में ये अर्थभेदक नहीं हैं—कानून-कानून, खबर-खबर, जहाज-जहाज आदि।

किन्तु जो थोड़े से लोग इन स्वनों (ध्वनियों) का प्रयोग करते हैं, उनकी भाषा में ये अर्थभेदक तथा व्यतिरेकी हैं, क्योंकि इनके न्यूनतम युग मिलते हैं—

आ-आँ	:	काफ़ी-काफ़ी, बाल-बॉल, हाल-हॉल
क-क	:	ताक (आला)-ताक (देख)
ख-ख	:	खाना-खाना, खैर (कत्था)-खैर
ग-ग	:	गर-गौर, बाग-बाग, बेगम-बेगम
ज-ज	:	जरा-जरा, सजा-सजा, राज-राज
फ-फ	:	फन-फन

खंड्येतर स्वनिम

चूँकि इनका अलग से उच्चारण नहीं हो सकता, अतः इन्हें ध्वनिग्राम न कहकर ध्वनिग्रामिक कहना कदाचित् अधिक समीचीन होगा। यद्यपि बहुत से लोग इन्हें स्वनिम कहते हैं। हिन्दी में खंड्येतर स्वर पर बलाघात, अनुतान, दीर्घता, अनुनासिकता तथा संहिता ध्वनिग्रामिक हैं, क्योंकि इनके न्यूनतम युग उपलब्ध हैं —

बलाघात	:	मुझ एक खिड़कीवाला मकान चाहिए। मुझे एक खिड़कीवाला मकान चाहिए।
अनुतान	:	गम गया। गम गया !
दीर्घता	:	बला-बल्ला, लगी-लगी, आसन-आसन, बघा-बघ्या
अनुनासिकता	:	सास-साँस, गोद-गोंद, सवार-सँवार
संहिता (संगम)	:	सिरका-सिर का, तुम्हारे-तुम हारे, होली-हो ली।

संदिग्ध युग (suspicious pair) —जिन दो स्वनों (ध्वनियों) के विषय में संदेह हो कि वे अलग-अलग स्वनिम हैं या एक ही स्वनिम के दो उपस्वन, उनके युग को संदिग्ध युग कहते हैं। वितरण के आधार उन दोनों का स्वनिम या उपस्वन के रूप में निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए ड-ड हमारे लिए संदिग्ध युग थे और हमने वितरण के आधार पर सिद्ध किया कि ये दोनों पहले तो एक स्वनिम के दो उपस्वन थे, किन्तु अब अलग-अलग स्वनिम हैं। ऐसे ही 'म-न', 'न-ण', 'न-ड', 'न-त्र' भी संदिग्ध युग थे जिनमें तीन (म, न, ण) को न्यूनतम युग द्वारा स्वनिम तथा शेष दो (ड,

त्र) को परिपूरक वितरण द्वारा 'न' के उपरस्वन सिद्ध किया गया।

ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन (Phonetic Transcription)

पीछे ध्वनि के सम्बंध में विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया है। उससे तथा ध्वनिग्रामविज्ञान में संध्वनि (allophone) के प्रसंग में कही गयी बातों से स्पष्ट है कि हम जो बोलते हैं, वह ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कि लिखते हैं। बोलने में अनेक सूक्ष्म बातें हैं जिनका लिखने में बिलकुल विचार नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, परम्परा का अनुकरण करने के कारण हम लिखने में प्रायः बहुत दूर चले जाते हैं। इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिलेखन के प्रमुखतः दो भेद हैं—(१) परम्परागत, (२) ध्वन्यात्मक। (१) परम्परागत प्रतिलेखन में हमारा ध्यान इस बात पर विशेष नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, अपितु इस बात पर रहता है कि हम जो बोल रहे हैं, उसे परम्परागत रूप से कैसे लिखते आये हैं। नागरी, रोमन, उर्दू आदि में आज जो हम लिखते हैं, इसी प्रकार का है। अर्थात्, उसमें काफी अंश ऐसा है जो हमारे बोलने के अनुरूप बिलकुल नहीं है। उर्दू में 'तोय' और 'ते' का प्रयोग होता है, यद्यपि सर्वत्र 'ते' बोलते हैं। जे, जाल जोय, ज्वाद आदि लिखते हैं, यद्यपि बोलते केवल 'ज' हैं। 'से, सीन' तथा 'दो' हैं, भी इसी प्रकार लिखने में प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि बोलने में उन सभी का अस्तित्व नहीं है। अंग्रेजी में तो और भी गड़बड़ियाँ हैं। एक ओर तो 'अ' के लिए u (cup) या i (bird) या o (son) आदि का प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर u कभी 'अ' (sun) उच्चारित होता है, कभी 'उ' (put)। वर्तनी में अनुच्चारित स्वर (colour) तथा व्यंजन (know, right, neighbour, write, talk आदि) एक और ही समस्या उत्पन्न करते हैं। उर्दू में बोलते हैं 'बिलकुल' और लिखते हैं 'बालकुल'। नागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी भी इन दोषों से मुक्त नहीं, यों उसे प्रायः बहुत वैज्ञानिक समझा जाता है। लिखने-बोलने के कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देंगे। पहले लिखित रूप दिया गया है, फिर कथित या उच्चारित—झण-रिड़ें, ऋपि-रिशि, चंद्रिका-चन्द्र+इका, द्विंदा-दुवेंदा, साहित्यिक-साहित्तिक, काम-कॉम्, नागपुर-नाक्पुर, लगभग-लगभग् आदि। इस प्रकार, परम्परागत प्रतिलेखन उसमें बहुत दूर है जो हम बोलते हैं। (२) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का अर्थ है, वह प्रतिलेखन जो बोलने के अनुरूप हो। उसमें जो हम बोलते हैं, वही लिखते भी है। इसके दो उपभेद हैं—(क) स्थूल प्रतिलेखन (broad transcription) और (ख) सूक्ष्म प्रतिलेखन (narrow transcription)। स्थूल का प्रसरण या आयत प्रतिलेखन भी कहते हैं। इस प्रतिलेखन में लिखते तो वही है जो बोलते हैं, किन्तु मोटे रूप में लिखते हैं। सूक्ष्म बातों का ध्यान नहीं रखते। उदाहरण के लिए 'ध्वनिग्रामविज्ञान' के प्रसंग में कहा जा चुका है कि कोई भी ध्वनि किसी भाषा में सभी प्रसंगों में बिलकुल एक नहीं होती। बाल्टी, लू, ला, ली इन चारों के 'ल' सूक्ष्मता की दृष्टि से एक नहीं है अपितु चार हैं, किन्तु स्थूल प्रतिलेखन में इन चारों का चार न लिखकर एक 'ल' ही लिखते हैं। दूसरे शब्दों में, संध्वनियों को सूक्ष्म रूप में न लिखकर मोटे ढंग से सारी संध्वनियों के लिए एक चिह्न का ही प्रयोग होता है। राज के सामान्य लेखन के लिए यही लेखन अच्छा है। तुर्की आदि ने अपना लेखन ऐसा ही बना लिया है। हर भाषा की लिपि ऐसी ही हो जाय तो बड़ा अच्छा हो। इसमें तीन बातों का ध्यान प्रमुख रूप से रक्खा जाना चाहिए—(१) भाषा के हर ध्वनिग्राम के लिए लिपिचिह्न हो। (२) न तो एक लिपिचिह्न एक से अधिक ध्वनिग्रामों को व्यक्त करे और न एक ध्वनिग्राम एक से अधिक लिपिचिह्न द्वारा व्यक्त हो। इस प्रकार, लिपि में ठीक उतने चिह्न हो जितने भाषा में ध्वनिग्राम हो। (३) लिपिचिह्न लिखने, पढ़ने, टाइप करने एवं प्रेस की दृष्टि से सरल

एवं स्पष्ट हों।

सूक्ष्म प्रतिलेखन को 'संकीर्ण' या 'संयत' भी कहते हैं। यह प्रतिलेखन सामान्य लेखन में नहीं प्रयुक्त होता। जब किसी भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन करना होता है, तो उसका सूक्ष्म प्रतिलेखन करते हैं। इसका मूल आधार तो स्थूल प्रतिलेखन के लिपिचिह्न होते हैं, किन्तु लिखने में केवल स्थूल बातों का ही ध्यान न देकर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को देखते हैं और उसके लिए अलग-अलग चिह्नों का प्रयोग कर ठीक उसके अनुरूप लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वक्ता बोलता है। दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि स्थूल प्रतिलेखन में केवल ध्वनिग्रामों को लिखा जाता है, किन्तु सूक्ष्म में संध्वनियों को लिखा जाता है। ऐसा करने के लिए स्थूल प्रतिलेखन के चिह्नों के अतिरिक्त और भी बहुत से उपचिह्नों (डाइक्रिटिक्स, जैसे-संवृत, विवृत, ईषत् अनुनासिक, वृत्तमुखी, आगे बढ़ा, पीछे हटा, मूर्द्धन्यीकृत आदि) की सहायता लेनी पड़ती है। प्रमुख लिपिचिह्न ऊपर दिये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिचिह्न (International Phonetic Alphabet)

ध्वनिशास्त्र के अध्येताओं ने बहुत पहले यह देख लिया था कि संसार की कोई भी लिपि ध्वन्यात्मक लेखन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए, कई सदी पूर्व से लोग किसी वैज्ञानिक ध्वन्यात्मक लिपि के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। इसके लिए अब तक लगभग दो दर्जन से अधिक प्रयास हुए हैं, किन्तु बहुत कम को कुछ विशेष मान्यता मिल सकी है। कुछ समय पूर्व तक भारत में तथा यूरोप आदि में भी रोमन लिपि पर आधारित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लेखन-पद्धति का प्रायः प्रयोग होता रहा है। इसमें दीर्घ स्वर के लिए—(i, a) तथा टवर्ग के लिए (t) का प्रयोग मिलता है। इस दृष्टि से सबसे अधिक प्रचार 'अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिचिह्न' का है। यह आज भी विश्व के अधिकांश भाषाविदों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है। इस लिपिचिह्न का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-परिपद् से है। १८८६ में वेस्पेर्न ने सर्वप्रथम संसार की सारी भाषाओं के लिए एक लिपिचिह्न बनाने के लिए पाल पारसी को एक पत्र लिखा था। उसी के फलस्वरूप परिपद् के सदस्यों ने दो वर्ष बाद १८८८ में इस लिपि का प्रथम रूप बनाया। तब से इसका प्रयोग होता आ रहा है और प्रयोग के आधार पर आवश्यकतानुकूल इसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन भी हांते आ रहे हैं। इसमें डैनियल जोन्स का विशेष हाथ रहा है। आज इसके व्यंजन तथा स्वर-चिह्न ये हैं—

अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि

	ओष्ठ्य	दंतोष्ठ्य	दंत्य और कर्ण्य	मूढन्य	तालु कर्ण्य	वार्सतालव्य	तालव्य	कठ्य	अलिजिह्वीय	उपालिजिह्वीय	स्वर यत्र मुन्यो
स्पर्श	p b		t d	tʃ					q ɠ		?
नासिक्य	m	ɱ	n	ɲ				ɳ	N		
पाष्ठिक संघर्षीन			ʒ ʒʰ								
पाष्ठिक संघर्षहीन			l	ɭ			ɮ				
लुठित			r						R		
उरिष्ठ			ʃ	ʈ					R		
सघर्षी	ɸ β	f v	θ ð s z ʃ ʒ	ʂ ʐ	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ʃ ʒ	X ʂ	X ʂ	h ɣ	
संघर्षहीन, संघर्षाह तथा अर्द्धस्वर	w ɥ	u		ɯ			j (y)	(w)	ɸ		
	(y, u)						आग मध्य वरव iy iu uu				
सवृत							e ø ɔ				
अर्द्ध सवृत	(ø ɔ)						tœ ʌ ɔ				
अर्द्ध विवृत	(œ ɔ)						æ e				
विवृत	(ɔ)						a ɑ ɒ				

३७५

३७६

कहना न होगा कि इनके प्रयोग से किसी भी भाषा का प्रायः केवल स्थूल प्रतिलेखन ही किया जा सकता है, इसीलिए सूक्ष्म प्रतिलेखन के लिए इस पद्धति में कुछ अतिरिक्त चिह्न भी बनाये गये हैं। बहुत-सी भाषाओं में अपेक्षित नयी ध्वनियों के लिए ये सभी लिपिचिह्न या चिह्न यादृच्छिक हैं और आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं।

नागरी लिपि के आधार पर भी ध्वनि-चिह्न बनाये जा सकते हैं। इस दृष्टि से कुछ प्रयास हो चुके हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि की भाँति ही इस नागरी लिपि में भी स्थूल प्रतिलेखन ही संभव है। सूक्ष्म प्रतिलेखन के लिए कुछ संस्कारक या विकारक (modifier) या अन्य बातों के लिए विशेष चिह्न भी अपेक्षित हैं जो सुविधा एवं आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं। कुछ प्रमुख चिह्न चित्र में आगे दिये गये हैं।

ध्वन्यात्मक नागरी लिपि के स्वर इस प्रकार के हो सकते हैं —

	द्व्योष्ठ्य	स्वर		
		तालव्य अग्र	मध्य	कोमल तालव्य पश्च
संवृत	(ई०उ)	ई ई०	ई उ	ऊ ऊँ
अर्द्ध संवृत	(ए० ओ)	ए ए०	आँ	अ ओ
अर्द्ध विवृत	(ऐ० औ)	ऐँ औँ		आ
विवृत	(आ)		आ	आ आ

अन्तर्राष्ट्रीय लिपिचिह्न में स्पिद्धान्त के अतिरिक्त टाइप आदि की सुविधा की दृष्टि से भी कुछ कमियाँ हैं। इसी कारण, इधर अनेक देशों में थोड़े-बहुत अन्तर के साथ कई पद्धतियाँ विकसित हो गयी हैं जिनमें पाठक की विधि सम्भवतः सबसे अधिक प्रचलित है। यूरोप के भी कई देशों में कुछ नयी पद्धतियाँ चल रही हैं।

ध्वन्यात्मक नागरी लिपि ।

व्यंजन

उच्चारण विधि	स्थान	द्रव्योष्ठ्य	दन्त्योष्ठ्य	दन्त्य	वर्त्य	मूर्धन्य	वर्त्य-तालव्य	तालव्य	कोमल तालव्य	अभिलिजिह्वीय	उपालिजिह्वीय	स्वरयंत्रमुखी
स्पर्श	अधोप	प		व	ट	ट		क्	क्	क्		?
अल्पप्राण	सधोप	ब		द	ड	ड		ग	ग	ग		
महाप्राण	अधोप	फ		ध		ठ			झ			
	सधोप	भ		घ		ढ			घ			
स्पर्श-सधवी	अधोप	फ़		व्य	टस (घ)		टाग (व)					
अल्पप्राण	सधोप	ब्र		द.द	डज		डस (ज)					
महाप्राण	अधोप						झ					
	सधोप						झ					
पारिवक	अधोप				टल							
सधवी	सधोप				डल							

शब्दविज्ञान | ६

'शब्दविज्ञान'^१ शब्द का विज्ञान है। इसमें 'शब्द' और उनके सम्बद्ध उन सारे अध्ययनों को रखा जा सकता है जो भाषाविज्ञान की पारम्परिक शाखाओं— ध्वनि-विज्ञान, रूपविज्ञान तथा अर्थविज्ञान—में नहीं रखे जा सकते।

संसार की सभी भाषाओं को दृष्टि में रखते हुए शब्द की सभी दृष्टियों से पूर्ण परिभाषा देना असम्भव-सा है। इस विषय पर विचार करते हुए वेस्पर्सन, वेंद्रीये, डैनियल जॉन्स तथा उल्डल आदि भाषाविज्ञान के अनेक दिग्गजों ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। फिर भी, 'शब्द' की कामचलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतन्त्र इकाई है। इस परिभाषा में शब्द के सम्बन्ध में प्रमुखतः दो बातें कही गयी हैं जो उसकी विशिष्टता मानी जा सकती हैं—(क) यह अर्थ के स्तर की लघुतम इकाई है, अर्थात् इसका एक स्पष्ट अर्थ होता है जो अर्थ के स्तर पर लघुतम (वाक्य, उपवाक्य, पदबंध तथा पद की तुलना में) होता है। यह ध्वनि के स्तर की लघुतम इकाई नहीं है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि भी हो सकती है और अधिक भी। (ख) यह इकाई स्वतन्त्र है, अर्थात् प्रयोग में या अर्थ व्यक्त करने के लिए इसे किसी और की सहायता अपेक्षित नहीं होती। 'अ' (उपसर्ग) भी अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई (=नहीं) है और 'ता' (प्रत्यय) भी (=सुदरता), किन्तु ये शब्द नहीं माने जा सकते, क्योंकि अर्थ की लघुतम इकाई होते हुए भी इनका अकेले प्रयोग नहीं हो सकता। इनके अर्थ की सार्थकता किसी के साथ होने (अपूर्णाता, पूर्णाता) पर ही है और उसी रूप में ये प्रयोग में आ सकते हैं। इस प्रकार ये परतन्त्र हैं। इसके विरुद्ध "पूर्ण" एक शब्द है, क्योंकि इसमें उपर्युक्त दोनों बातें हैं। यह लघुतम इकाई भी है और स्वतन्त्र (वह पूर्ण है) भी।

शब्दों का वर्गीकरण—यों तो शब्दों को व्याकरणिक कार्यकारिता की दृष्टि से आठ वर्गों (parts of speech) में रखा जाता है, किन्तु यह वर्गीकरण बड़ा उथला और मात्र व्यावहारिक है, जैसा कि वेस्पर्सन आदि ने दिखाया है। अपने यहाँ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात रूप में जो चार, या सुबन्त

१. भाषाविज्ञान की प्रमुख शाखाएँ केवल चार—ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान तथा अर्थविज्ञान—परम्परागत रूप से मानी जाती हैं। मेरा विचार है कि 'शब्दविज्ञान' नाम की एक पाँचवीं शाखा इनके साथ जोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में शब्द के जिन विभिन्न पक्षों को लिया गया है, उन्हें वैज्ञानिक ढंग से सुविधापूर्वक उपर्युक्त चार में किसी में भी नहीं रखा जा सकता और साथ ही भाषा के सर्वाङ्गीण विवेचन से वे इतने अधिक संबद्ध हैं कि उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। शब्दों के विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए प्रस्तुत पक्तियों के लिखक की ये पुस्तकें—'शब्दों का जीवन', 'शब्दों का अध्ययन', 'शब्दों की कहानी' तथा 'शब्दविज्ञान'।

तिङन्त और अव्यय रूप में जो तीन वर्ग बनाये गये हैं, वे भी अपेक्षाकृत ठोस होते हुए भी बहुत दूर तक नहीं टिकते। रचना, इतिहास और प्रयोग के आधार पर निम्नांकित रूपों में शब्द को वर्गीकृत किया जा सकता है—

रचना के आधार पर शब्दों के रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ ये तीन भेद होते हैं। रूढ़ शब्द तो वे हैं जिनके उस अर्थ में सार्थक टुकड़े न हो सकें, जैसे—भैस, जल, कलम, आदि। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो दो शब्दों या दो सार्थक लघुतम भाषिक इकाइयों के योग से बने हों। 'ग्राममल्ल' दो शब्दों के योग से बना है और 'कलमदान' या 'सुन्दरता' शब्द और प्रत्यय से। योगरूढ़ उन्हें कहते हैं जो दो से बने हैं, किंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ में संकुचित हो गया है, जैसे—'पंकज'। इसका अर्थ पंक से उत्पन्न सभी चीजें या वनस्पतियाँ न होकर केवल 'कमल' है। उपर शब्द को 'लघुतम इकाई' कहा जा चुका है। उस दृष्टि से स्पष्ट ही इन तीनों में तत्त्वतः प्रथम ही शब्द है, शेष दो प्रयोगतः शब्द होते हुए भी प्रकृतितः लघुतम इकाई न होने के कारण यौगिक शब्द हैं जिनमें एक शब्द के साथ या तो दूसरा शब्द जोड़ा गया है, या कोई अन्य व्याकरणिक तत्व।

इतिहास के आधार पर शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन चार वर्गों में रखने की परम्परा रही है। तत्सम^१—संस्कृत के शुद्ध या अविकृत शब्दों को कहते रहे हैं, जैसे—जल, विद्या, नर। तद्भव—संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को कहते रहे हैं, जैसे—जीभ (जिह्वा), कन्हैया (कृष्ण), साँप (सर्प) और कान (कर्ण)। विदेशी शब्द उन्हें कहते रहे हैं जो बाहर से आये हों, जैसे—अंग्रेजी रेल, मोटर, फोटो या अरबी किताब आदि। 'विदेशी' के स्थान पर इन्हें गृहीत या आगत कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनके लिए आवश्यक नहीं कि ये विदेशी भाषा के हों। दक्षिण की भाषाओं से हिंदी में आया शब्द 'दोसा' भी इसी श्रेणी का है। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो उपर्युक्त तीन में किसी में न हों, अर्थात् जिनकी व्युत्पत्ति का पता न हो, जो उसी क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरे शब्दों में, जो इन तीनों में न होकर देश में उत्पन्न या विकसित हुए हों। 'देशज' वस्तुतः निश्चयात्मक नाम है जबकि इनकी व्युत्पत्ति के बारे में निश्चय के साथ हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए, मैं 'देशज' के स्थान पर अज्ञातव्युत्पत्तिक नाम का प्रयोग करना अधिक उचित मानता हूँ। इन चार के अतिरिक्त इस प्रसंग में कुछ और भी नाम लिये जाते हैं। कुछ लोगों ने दृश्यात्मक शब्द (चमचम, बगबग), प्रतिध्वनि शब्द (लोटा-ओटा), अनुकरणात्मक शब्द (भाँपू), अनुरणनात्मक शब्द (झनझन, टनटन) आदि को अलग माना है, किंतु वस्तुतः ये प्रकृति की दृष्टि से ही भिन्न हैं। इतिहास की दृष्टि से उपर्युक्त चार में ही किसी के अन्तर्गत रक्खे जा सकते हैं। अर्थात्, ये तत्सम होंगे या तद्भव या देशज या विदेशी। कुछ लोगों ने तत्समाभास (श्राप, प्रण), तद्भवाभास (दुलहिन, मौसा) को भी अलग स्थान दिया। इस तरह तो विदेश्याभास (अखरोट, कलेजा) और देशजाभास (पगड़ी) शब्द भी हो सकते हैं। वस्तुतः यहाँ इतिहास के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। 'आभास' पर आधारित शीर्षकों को रखना पूर्णतः अवैज्ञानिक और असंगत है। यहाँ हम लोग इस बात पर नहीं विचार कर रहे हैं कि कोई शब्द क्या लगता है, अपितु इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वह क्या है।

१. 'तत्सम' शब्दों की तत्समता चित्य है। तत्सम, अर्धतत्सम एवं देशज, आदि पर विस्तृत विवेचन के लिए देखिए मेरी पुस्तक 'हिन्दी भाषा का शब्द-समुह' शीर्षक अध्याय।

ग्रियर्सन, घटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि बहुत से चोटी के भाषाविज्ञानवेत्ता इस प्रसंग में अर्द्ध-तत्सम नामक एक अन्य वर्ग का उल्लेख करते हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच में आता है। अर्द्ध-तत्सम शब्द उनको कहा जाता है जो आधुनिक काल में या हाल में संस्कृत से गृहीत तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। उदाहरणार्थ, 'कृष्ण' के 'कान्हा', 'कन्हैया', 'कान्ह' आदि तो तद्भव हैं, किन्तु आधुनिक काल में 'कृष्ण' शब्द भी प्रयोग में आया और 'किशुन' या 'किशन' उससे आधुनिक काल में ही विकसित हुए। ये 'किशुन' या 'किशन' जैसे शब्द ही अर्द्धतत्सम या अर्द्धतद्भव हैं। वस्तुतः यह वर्ग ठोस विचारभूमि पर आधारित नहीं दीखता। यदि शब्द संस्कृत के समान है तो 'तत्सम' हुआ और यदि उससे विकसित या विकृत होकर उससे भिन्न हो गया तो तद्भव (—उससे पैदा) हो गया। यह तद्भवता पूर्ण-अपूर्ण, आधी-तिहाई या चौथाई हुई है, इसे नापने के लिए कोई भी आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे भी शब्द हैं जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं और जिनमें बहुत अन्तर आया है, जैसे हल—हर^१ (जोतने का उपकरण)। इसमें केवल एक ध्वनि परिवर्तित हुई। दूरारी ओर ऐसे भी शब्द हैं जो आधुनिक काल में विकृत हुए हैं और जो अर्द्धतत्सम कहे जाते हैं, किन्तु उनमें अपेक्षाकृत अधिक ध्वनियाँ विकृत हो गयी हैं : कृष्ण-किशन। इसमें ऋ से इ, प् से श और ण से न हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि किशन अर्द्धतत्सम है तो 'हर' को १/४ या १/३ तत्सम कहना होगा, किन्तु 'हर' तद्भव कहलाता है और 'किशन' अर्द्ध-तत्सम, जो बिल्कुल उल्टा-सा है। जो अधिक तद्भव है, उसे अर्द्धतत्सम कहा जा रहा है, जो कम तद्भव है, उसे तद्भव। वस्तुतः यदि इन शब्दों को अलग करना ठीक हो तो मैं परिवर्ती तद्भव नाम का सुझाव देना चाहूँगा।

विदेशी शब्द का अर्थ, जैसा कि पीछे भी संकेतित है, दूसरे देश का नहीं है। मान लें, हिंदी में कोई पंजाबी शब्द है। किसी कारण से कल पंजाब भारत से अलग हो जाय, तो उस दिन से उस शब्द को विदेशी कहेंगे और उसके पूर्व देशी, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी शब्द 'फ़ारेन' इसके लिए अधिक उपयुक्त है। कोई भी शब्द जो विशिष्ट भाषाक्षेत्र का नहीं है, अपितु किसी अन्य भाषा से आ गया है, विदेशी है; अर्थात् विदेशी का अर्थ है—'अपने क्षेत्र से बाहर का'। ऐसी स्थिति में हिन्दी में आगत तमिल या बँगला शब्द भी उसी प्रकार विदेशी हैं जिस प्रकार फ़ारसी या अंग्रेजी शब्द। इसीलिए, इनके लिए आगत या गृहीत नाम उपयुक्त है।

तत्सम-तद्भव का प्रयोग जैसे संस्कृत शब्दों के साथ किया जा सकता है, उसी प्रकार विदेशी के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि उनमें भी कुछ तो मूल रूप में आते हैं, कुछ विकृत रूप में। जैसे हिन्दी में पैट अपेक्षाकृत तत्सम (अंग्रेजी) है तो दर्जन (दजन) तद्भव (अंग्रेजी) है।

प्रयोग के आधार पर शब्दों के पारिभाषिक, अर्धपारिभाषिक, सामान्य, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च तथा सक्रिय एवं निष्क्रिय आदि भेद किये जा सकते हैं। इनमें से दो यहाँ लिये जा रहे हैं।

पारिभाषिक शब्द—जो शब्द विभिन्न विज्ञानों, शास्त्रों तथा तकनीकी विषयों में ही प्रयुक्त होते हैं तथा जिनकी विषय-विशेष के परिप्रेष्य में परिभाषा दी जा सकती है, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे-जैसे सम्यता तथा उसके साथ विभिन्न विषयों का विकास होता है, वैसे-वैसे पारिभाषिक शब्दों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। तकनीकी विषयों में प्रयोग के कारण पारिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहते हैं।

१. भोजपुरी आदि बोलियों में हर शब्द 'हल' के लिए चलता है।

आधारभूत शब्दावली—आधारभूत शब्दावली किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त उन शब्दों के समूह को कहते हैं जो किसी भाषा के आधार होते हैं। किसी भाषा में दैनिक जीवन की सामान्य अभिव्यक्ति इन्हीं के माध्यम से होती है। जब कोई व्यक्ति कोई भाषा सीखता है तो प्रारम्भ में उसे उस भाषा की आधारभूत शब्दावली का ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। आधारभूत शब्दावली में सौ तक की संख्याएँ, सभी सर्वनाम, दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के नाम (संज्ञा), उनके गुणबोधक (जैसे अच्छा, बुरा), वर्णबोधक (जैसे काला, पीला आदि), कालबोधक (नया, पुराना) तथा आकार-बोधक (बड़ा, छोटा) आदि विशेषण, सामान्यतः प्रयुक्त धातु तथा क्रियाविशेषण आदि शब्द होते हैं। किसी भी भाषा की आधारभूत शब्दावली प्रायः तीन हजार से पाँच हजार तक होती है। जैसे हिन्दी के आधारभूत शब्दों की कई सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें पाँच सौ से लेकर पाँच हजार तक शब्द शामिल हैं। आधारभूत शब्दावली में अल्पप्रचलित, अप्रचलित, अतः कठिन तथा पारिभाषिक शब्द नहीं होते। आधारभूत शब्दों का चयन प्रयोगावृत्ति के आधार पर होता है। प्रायः इनका प्रयोग भाषा में सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक होता है। साथ ही ये भाषा के सक्रिय शब्द ही होते हैं जिनका प्रयोग लोग वास्तविक रूप में करते हैं, निष्क्रिय शब्द नहीं जो मात्र कहीं स्फुटतः प्रयोग में आते हैं तथा प्रायः जिन्हें लोग सुन-पढ़ कर समझ लेते हैं।

शब्द-समूह (Vocabulary)—किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा का 'शब्द-समूह' कहते हैं। किसी भाषा के पूरे शब्द-समूह का ठीक-ठीक अनुमान संभव नहीं है। अंग्रेजी भाषा अन्य क्षेत्रों की भाँति शब्द-समूह के क्षेत्र में भी सबसे धनी कहीं जाती है। 'वेब्स्टर कोश' के १९३४ के संस्करण में ५५०,००० से कुछ अधिक शब्द हैं। इधर २६ वर्षों में अधिक नहीं तो १०,००० शब्द तो अवश्य ही बढ़े होंगे। इस प्रकार, अंग्रेजी भाषा में इस समय लगभग ५६०,००० शब्द होंगे। मोनियर विलियम्स के संस्कृत कोश के आधार पर संस्कृत भाषा में १२५,००० शब्दों के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। शब्द-समूह की दृष्टि से हिन्दी का सबसे बड़ा कोश 'बृहत् हिन्दी कोश' है। इसमें लगभग १३६,००० शब्द हैं। इसके आधार पर इस समय हिन्दी में लगभग डेढ़ लाख शब्दों के होने का अनुमान लगाना अनुचित न होगा।

भाषा की भाँति ग्रंथ तथा व्यक्ति का भी अपना शब्द-समूह होता है। पुरानी बाइबिल में ५६४२, नयी बाइबिल में ४८००, होमर के ग्रन्थों में ६,०००, मिल्टन में ८,०००, शेक्सपीयर में १५,००० और तुलसीदास में लगभग १६,००० शब्द प्रयुक्त हुए हैं। बिना पढ़े-लिखे सामान्य व्यक्ति का शब्द-समूह ५००-८०० के बीच या कभी-कभी इससे भी कम होता है। चर्चिल के शब्द-समूह में लगभग ६०,००० शब्द कहे जाते हैं जिनमें ३०,००० का तो वे प्रयोग करते थे। अनेक वकीलों का शब्द-समूह ५०,००० के लगभग का होता है, पर सबसे अधिक शब्द वैज्ञानिकों को ज्ञात रहते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य लोगों के प्रयोग के सामान्य शब्द तो वे जानते हैं, साथ ही विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों को भी उन्हें जानना होता है। लोगों का ख्याल है कि अच्छे विज्ञानवेत्ता ८०,००० शब्द जानते हैं।

जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक व्यक्ति के शब्द-समूह में परिवर्तन होता रहता है और ठीक इसी प्रकार भाषा का शब्द-समूह भी परिवर्तित होता रहता है। ऊपर हम अर्थ-विचार में इस बात पर विचार कर रहे थे कि शब्दों का अर्थ किस भाँति और क्यों बदलता है ? ध्वनि के प्रकरण में हम शब्द के शरीर या बाह्य रूप के परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं। यहाँ न तो शब्द की आत्मा (अर्थ) के परिवर्तन पर विचार करना है और न शरीर (ध्वनि) पर, अपितु हमें यह देखना है कि

शब्द अपनी आत्मा एवं शरीर के साथ किस भाँति भाषा के शब्द-समूह से निकल जाता है। ऐसी अवस्था में कभी-कभी तो उस अर्थ में भाषा किसी दूसरे शब्द का स्वागत करती है, पर कभी-कभी तो वह भावना या विचार ही त्याग देती है। इस प्रकार शब्द-समूह में परिवर्तन दो प्रकार से होता है—१. प्राचीन शब्दों का लोप, २. नवीन शब्दों का आगमन।

(१) प्राचीन शब्दों का लोप

शब्दों के लोप के सम्बन्ध में हम जितने कारणों पर यहाँ विचार करेंगे, उनके दो पक्ष हो सकते हैं। प्रथम है—'वैयक्तिक पक्ष'। इसमें कारण बोलने वाले के मस्तिष्क में रहता है। जैसे शब्द कभी-कभी घिस जाने के कारण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता तो बोलने वाले उसे व्यर्थ समझ कर छोड़ देते हैं। दूसरा है—'सामाजिक पक्ष'। समाज की कुछ रीतियों के समाप्त हो जाने के कारण उनसे सम्बन्धित शब्द भी कूट जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों पक्ष साथ-साथ भी देखे जाते हैं, पर इन दोनों पक्षों के साथ-साथ होने में भी कुछ में एक का प्राधान्य रहता है और कुछ में दूसरे का।

यहाँ लोप के कारणों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है—

(क) रीति या कर्मों का लोप—परिवर्तनशील समाज में सर्वदा एक ही प्रकार के कार्य नहीं होते और न तो उसमें एक प्रकार की रस्मों या रीतियों का ही प्रचलन सर्वदा रहता है। ऐसी अवस्था में रीतियों या कर्मों के लुप्त होने पर उनसे सम्बन्धित शब्द भी भाषा के शब्द-समूह से प्रायः निकल जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में भारत में प्रचलित 'यज्ञ' को लें। उस समय देश में भाँति-भाँति के यज्ञ होते थे, अतः उस काल की भाषा में यज्ञ से सम्बन्धित सुव्रह्मण्या, न्यूड्युख, यज्वा, यायजूक, स्थाण्डिल, आवसथिक, अहीन, अभिप्लव, संचाय्य, सुत्या तथा आनाय्य आदि सैकड़ों शब्द प्रचलित थे जा बाद में 'यज्ञ' की परम्परा लुप्त हो जाने के कारण शब्द-समूह से निकल गये। यदि यज्ञकर्म आज तक होते आते तो तत्सम या तद्भव रूप में ये शब्द अवश्य वर्तमान होते।

(ख) रहन-सहन तथा खान-पान आदि में परिवर्तन—खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा या इस प्रकार की अन्य चीजों में परिवर्तन का भी शब्द-समूह पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन होने पर पुरानी चीजें नहीं रह जातीं, अतः उनसे सम्बन्धित शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में भक्त, अभ्यूष, अपूप तथा सक्तुक का प्रचार खाने में था और आज भी है। अतएव, ये शब्द लुप्त नहीं हुए हैं और तद्भव रूप में (भात, हाबुस, पूआ या मालपूआ और सत्तू) आज भी शब्द-समूह में हैं, पर दूसरी ओर मथ (धान का मथकर बनाया गया सत्तू), यावक (जौ से बना एक खाद्य) तथा संयाव (एक प्रकार का हलुवा) का प्रयोग बहुत पहले से बन्द हो गया है, अतः ये शब्द भी शब्द-समूह से निकल गये हैं। इसी प्रकार, पुराने ढंग के कपड़ों, गहनों, श्रृंगार की अन्य सामग्रियों, वाहनों, अप्त्रों तथा बर्तनों आदि जिन-जिन भी चीजों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, उनसे संबन्धित शब्द भी शब्द-समूह से लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, वैदिक आभूषण 'कुरीर' (मस्तक का), या 'हिरज्जयवर्तिनी' (कमर का), भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन आभूषण 'अनवट' अब प्रयुक्त नहीं होते; अतः ये शब्द भी भाषा में नहीं हैं।

(ग) अश्लीलता—सामाजिक रुढ़ियों तथा परम्पराओं के अनुसार, मैथुन या शौच-विषयक बहुत से शब्द अश्लील स्वीकार कर लिये जाते हैं। इसका फल यह होता है कि शिक्षित तथा सभ्य समाज में उनका प्रयोग नहीं होता और इस प्रकार वे लुप्त हो जाते हैं। आश्चर्य यह है कि ठीक वही अर्थ

रखने वाले अन्य शब्द समय और क्षेत्र विशेष में अश्लील नहीं माने जाते। 'पाखाना और गुह', 'पेशाब और मूत' आदि में यह बात स्पष्ट है। इन दोनों जोड़ों में प्रथम शब्द प्रचलित हैं, पर दूसरे सभ्य समाज के शब्द-समूह से निकल चुके हैं। इसी प्रकार, लिंग, उपस्थ, सहवास, वीर्य, शौच तथा गुदा आदि शब्द प्रचलित हैं, पर इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त कुछ अन्य शब्द अब बिलकुल ही अश्लील हो गये हैं तथा सभ्य समाज के लिए त्याज्य समझे जाते हैं। वे शब्द-समूह से निकल गये हैं। अंग्रेजी urinal, bathroom, toilet, cloackroom का क्रमशः एक ही स्थान के लिए प्रयुक्त होता जाना तथा पूर्ववर्ती शब्दों का लोप भी इसका अच्छा उदाहरण है।

(घ) ध्वनि की दृष्टि से शब्दों का घिस जाना— ध्वनि-परिवर्तन होते-होते कभी-कभी शब्द इतने घिस जाते हैं कि उन्हें शब्द-समूह से निकल जाना पड़ता है और उनके स्थान पर भाषा में फिर से उनके मूल तत्सम शब्द या अन्य शब्द ले लिये जाते हैं। प्राकृत तथा अपभ्रंश तक आते-आते बहुत से शब्द इस प्रकार के हो गये थे। कुछ में केवल स्वर ही स्वर रह गये थे। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें घिसते-घिसते कई शब्द एक स्वर धारण कर चुके थे और उनमें प्रयोगकर्त्ता के लिए परेशानी थी। फल यह हुआ कि इस प्रकार के बहुत से शब्द निकल गये। यहाँ कुछ इस प्रकार के उदाहरण लिये जा सकते हैं जो स्पष्ट रूप से घिसे लगते हैं और जिनको प्राकृत-अपभ्रंश के बाद हम प्रयोग में नहीं पाते और उनके स्थान पर उनके मूल तत्सम शब्दों को फिर से अपना लिया गया है।

(क) ऐसे शब्द जिनमें घिसने से केवल स्वर ही स्वर शेष थे—

संस्कृत	प्राकृत-अपभ्रंश
अति	अड
इति	इड

(ख) अन्य घिसे शब्द—

संस्कृत	प्राकृत-अपभ्रंश	संस्कृत	प्राकृत-अपभ्रंश
उदर	उअअ	ऋतु	उउ
उचित	उइअ	एक	एअ
ऋण	अण	उदास	उआस
राज	राअ	चरित	चरिउ
अजगर	अअगर	अतिथि	अडहि
वर्ष	वास	रजत	रयय
भरत	भरह	साधक	साहय
शाखा	साहा	अंतर	अंतो
अध्ययन	अहिज्जण	इत्यादि	इट्टाड
स्त्रो	इत्थि	प्रयोग	पआंग
प्रदेश	पएस	शब्द	सदद
धर्म	धम्म		

(ग) ऐसे शब्द जिनमें घिसकर एक स्वर धारण कर लिया था और भ्रम की आशंका थी—

संस्कृत	प्राकृत-अपभ्रंश
अवतार	ओआर

अपकार
उपकार

आआर
ओओर

(घ) के अन्तिम दो उदाहरणों में हम देखते हैं कि दो विरोधी भावों के शब्द भी घिसकर एक हो चुके थे। यहाँ भ्रम की कितनी अधिक गुंजाइश थी, कहने की आवश्यकता नहीं।

(ङ) अंधविश्वास—यह विशेषतः जंगली या अर्द्धसभ्य लोगों की भाषाओं में पाया जाता है। वे लोग अंधविश्वास से शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर देते हैं। यदि किसी भी कारण से उन्हें आभास मिल गया कि अमुक शब्द अशुभ है, उसके कहने से कोई देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग छोड़ देते हैं। कुछ सभ्य लोगों में भी इस प्रकार के अंधविश्वास मिलते हैं। जापान में राजा या उसके परिवार में बोली जाने वाली भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो वहाँ की सामान्य भाषा से निकल गये हैं, क्योंकि सामान्य जनता उनका प्रयोग पाप समझती है। भारत में पति का नाम पत्नी या पत्नी का नाम पति नहीं लेता। कहीं-कहीं बड़े लड़के का नाम नहीं लिया जाता। एक संस्कृत का श्लोक भी है जिसमें अपना नाम, गुरु का नाम, राजा का नाम तथा इसी प्रकार के कुछ और नामों को लेने का निषेध है। अनेक मुसलमान मसूर ('सूर' के कारण जो 'सुअर' जैसा सुन पड़ता है) के स्थान पर इसी कारण अन्य नामों का प्रयोग करते हैं। कुछ पुराने हिन्दू अपने घर में बने 'साग' को 'साग' या 'भाजी' कह लेते हैं, किन्तु 'तरकारी' नहीं। कहीं-कहीं रात में लोग साँप-बिट्ठू का नाम न लेकर साँप को जेवर, करियवा या पौंदा तथा बिट्ठू को टेढ़की आदि कहते हैं। पर, इस प्रकार के वैयक्तिक या विशिष्ट समय (जैसे रात में बिट्ठू आदि का नाम न लेना) के शब्दों का भाषा के शब्द-समूह पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता।

(च) पर्याय—कभी-कभी यह देखा जाता है कि जन-मस्तिष्क व्यर्थ में एक भावना के लिए कई शब्दों का भार ढोना पसन्द नहीं करता। ऐसा होता है कि शब्दों के अर्थ में यदि कुछ भी अन्तर न हो तो उसमें कुछ लुप्त हो जाते हैं। मुसलमानों के आगमन के बाद मध्ययुग में जनभाषा में 'सहस्र' (सं० सहस्र) शब्द 'हजार' की प्रतियोगिता में खड़ा न हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा। इसी प्रकार 'इशारा' की प्रतियोगिता में संकेत, आईना या शीशा की प्रतियोगिता में दर्पण, शकल की प्रतियोगिता में आकृति, शराब की प्रतियोगिता में मदिरा या मद्य, शहर की प्रतियोगिता में नगर या पुर, शिकार की प्रतियोगिता में मृगया या आखेट तथा खाली की प्रतियोगिता में रिक्त या रीता भी जनभाषा में नहीं ठहर सके। हाँ, अब अवश्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ फिर धीरे-धीरे ये लुप्त शब्द प्रयोग में आ रहे हैं।

बेईमान, ईमान तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के संपर्क में आने के पूर्व भारत में ये भाव व्यक्त नहीं किये जाते थे, पर हाँ, आज इनके उपयुक्त भारतीय पर्याय इतनी बुरी तरह लुप्त हो गये हैं कि बिना समुचित शोध किये उन्हें जान पाना भी कठिन है।

(२) नवीन शब्दों का आगमन

भाषा में एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दों का लोप होता है, पर दूसरी ओर कुछ नये शब्दों का आगमन भी होता है। आगमन के लिये निम्नलिखित कारण सम्भव हैं—

(क) सभ्यता में विकास—सभ्यता के विकास के साथ तरह-तरह की नवीन चीजों का निर्माण

होता है और उनसे सम्बन्धित शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा के तरह-तरह के वैज्ञानिक विकास के कारण ही तरह-तरह की चीजों तथा विचारों के लिए प्रतिवर्ष हजारों नये शब्द अन्य भाषाओं से लेने या बनाने पड़ते हैं। हिन्दी में स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार के पर्याप्त शब्द आये हैं, जैसे—नलकूप आदि।

(ख) चेतना—राजनीतिक वा सांस्कृतिक चेतना के कारण भी नवीन शब्दों का आगमन होता है। स्वतन्त्रता के बाद भारत में बहुमुखी चेतना दृष्टिगत हो रही है। फल यह हुआ है कि उन विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विचार की अभिव्यक्ति के लिए हजारों शब्द संस्कृत के आधार पर बनाये जा रहे हैं; वा संस्कृत-प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं वा कभी-कभी अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से लिये जा रहे हैं। इसका प्रभाव कई रूपों में देखने को मिलता है। कभी तो पुराने प्रचलित शब्द (प्रायः विजातीय) को हटाकर अपना पुराना शब्द लाते हैं, वा कभी नया बना लेते हैं। हिन्दी में 'पोस्ट आफिस' को अपदस्थ करके इसी रूप में 'डाकघर' आया है। कलक्टर-जिलाधीश, सूबा-प्रदेश, आफिस-कार्यालय, आफसर-अधिकारी, टेलीफोन-दूरभाष, टेलीविजन-दूरदर्शन, गोलकीपर-गोली जैसे अनेक शब्द उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान अपने संगीत को भारतीय संगीत से अलगाने के लिए रागों के भारतीय नामों को हटाकर नये नाम रखना चाहता है। वहाँ के कुछ नागरिकों ने कुछ सुझाव भी रखे हैं। जैसे 'दुर्गा' के लिए 'मुर्गा', 'भूपाली' के लिए 'चित्राली', 'शंकरा' के लिए 'अकबरा' तथा 'मालकौस' के लिए 'गुलाम गौस' आदि।

(ग) भिन्न भाषा-भाषी शब्दों वा क्षेत्रों का सम्पर्क—जब दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त वा क्षेत्र एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो दोनों ही एक-दूसरे से कुछ न कुछ शब्द लेते हैं। भारत के सम्पर्क में समय-समय पर अरब, ईरानी, पुर्तगाली तथा अंग्रेज आदि आये और फल यह हुआ कि एक ओर तो भारतीय भाषाओं ने इन सभी की भाषाओं (अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी) के शब्द लिये तथा दूसरी ओर अरब, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि ने भी भारतीय भाषाओं से अनेकानेक शब्द लिये। संसार की सभी भाषाओं ने सम्पर्क के कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार ग्रहण किये हैं। जर्मन में विदेशी शब्दों की संख्या लगभग १०,००० है। अंग्रेजों ने केवल भारतीय भाषाओं से लगभग २,५०० शब्द लिये हैं। हिन्दी ने तुर्की से लगभग ८०, फारसी-अरबी से लगभग ७,०००, अंग्रेजी से लगभग ३,५०० तथा पुर्तगाली से लगभग ८० शब्द लिये हैं। फारसी में भारत से लगभग १५० शब्द लिये गये हैं। डॉ० चटर्जी के अनुसार, बंगला में अरबी-फारसी-तुर्की शब्द २,४००, अंग्रेजी शब्द ७०० तथा पुर्तगाली शब्द लगभग १०० हैं। सम्पर्क के कारण कुछ अन्य भाषाओं के शब्द अनूदित होकर भी आ जाते हैं; जैसे—पोस्टआफिस-डाकघर।

(घ) दृश्यात्मकता—कुछ चीजों के विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण कभी-कभी कुछ शब्द उनकी दृश्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए आ जाते हैं। बगबग, जगमग, चमचम, लकड़क आदि हिन्दी शब्द इसी श्रेणी के हैं।

(ङ) ध्वन्यात्मकता—कुछ वस्तुओं की ध्वनि के कारण भी नये शब्द उन ध्वनियों के आधार पर आ जाते हैं। मोटर-ध्वनि के कारण पों-पों, कुत्ते के कारण भों-भों शब्द हिन्दी में आये हैं। चरमर, भड़भड़, हड़हड़, कल-कल, छल-छल तथा खल-खल आदि शब्द भी ऐसे ही हैं।

(च) साम्य और नवीनता लाने के लिए—साम्य और नवीनता लाने के लिए कभी-कभी लोग बलात् नये शब्दों को लाते हैं और वे शब्द चल पड़ते हैं। हिन्दी में साम्य के लिए 'पाश्चान्य' के साथ

नवीन शब्द 'पौरातत्य' आ गया है। पिगल के आधार पर डिगल, मीठा के आधार पर सीठा आदि ऐसे ही हैं। नवीनता के लिए उपसर्गों आदि को जोड़कर भी इधर कितने ही नवीन शब्द बनाये जाते हैं। १९१५ से १९३६ तक तथा इधर १९४७ के बाद हिन्दी में ऐसे बहुत से शब्द बने हैं।

नवीन शब्दों का स्रोत

नवीन शब्दों के प्रमुखतः दो स्रोत हैं—१. निर्माण, २. उधार।

कुछ शब्द तो—

- (क) दो शब्दों के मेल से,
- (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर,
- (ग) ध्वनि के आधार पर,
- (घ) दृश्य के आधार पर,
- (ङ) सदृशता के आधार पर,
- (च) व्याकरण के आधार पर,
- (छ) स्वतन्त्र, निर्मित कर लिये जाते हैं,

और कुछ

- (क) दूसरी भाषाओं से,
- (ख) अपने प्राचीन साहित्य से, या
- (ग) ग्रामीण बोलियों से उधार ले लिये जाते हैं। यहाँ इन सभी पर अलग-अलग संक्षेप में विचार किया जा रहा है।

(१) निर्माण

(क) दो शब्दों के मेल से—आवश्यकतानुसार हम कभी-कभी दो शब्दों को मिलाकर एक नवीन शब्द बना लेते हैं। यह क्रिया सभी समुन्नत भाषाओं में हुआ करती है। यह मिलाना आवश्यकतानुसार प्राचीन शब्द+प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द+नवीन शब्द, नवीन शब्द+नवीन शब्द, विदेशी शब्द+विदेशी शब्द, विदेशी शब्द+देशी शब्द तथा देशी शब्द+देशी शब्द आदि कई प्रकार का हो सकता है। फारसी भाषा में फारसी और अरबी के मेल से बनाये गये शब्द कई हजार हैं। कुछ उदाहरण हैं—

अरबी	फारसी	मेल से बने शब्द
अक्ट (विवाह)	नामा	अक्टनामा (विवाह का डकगरनामा)
अक्ल	मंद	अक्लमंद
अरक	रेजी	अरकरेजी (बहुत परिश्रम)
अर्जी	नवीम	अर्जीनवीम
जमा	बंदी	जमाबंदी

हिन्दी में भी इस प्रकार मेल से बनाये गये शब्दों की संख्या कम नहीं है। कुछ उदाहरण हैं—

अंग्रेजी 'रूल'	+ हिन्दी 'गाड़ी'	=	रूलागाड़ी
अरबी 'अजायब'	+ हिन्दी 'घर'	=	अजायबघर
हिन्दी 'चिड़िया'	+ फारसी 'खाना'	=	चिड़ियाखाना

संस्कृत 'दल'	+ फ़ारसी 'बंदी'	=	दलबंदी
हिन्दी 'रसोई'	+ हिन्दी 'घर'	=	रसोईघर
संस्कृत 'देश'	+ हिंदी 'निकाला'	=	देशनिकाला
हिन्दी 'अब'	+ हिन्दी 'ही'	=	अभी
पुर्तगाली 'पाव'	+ हिन्दी 'रोटी'	=	पावरोटी
हिन्दी 'कब'	+ हिन्दी 'ही'	=	कभी
हिन्दी 'जब'	+ हिन्दी 'ही'	=	जभी

(ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर—व्यक्तिवाचक शब्दों के आधार पर भी उनके कार्य, गुण या विशेषता को लेकर शब्द बना लिये जाते हैं। 'सैंडो' बनिवाइन में का 'सैंडो' शब्द एक अमेरिकन पहलवान के नाम से लिया गया है जिसने इस प्रकार की बनिवाइन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अंग, बंग, कुरु, पंचाल, भारत तथा अमेरिका आदि भी व्यक्तिवाचक नामों पर ही आधारित हैं। अंग्रेजी के बाँयकाट, एटलस, मर्सराइज, इको तथा क्विसलिंग एवं हिन्दी के जयचन्द (देशद्रोही), सावित्री (पतिव्रता), हरिशचन्द्र (सच्चा) तथा विभीषण (घर का भेदिया, देशद्रोही) आदि शब्द भी ऐसे ही हैं।

स्थानों के नाम के आधार पर भी शब्द बनते हैं। सुर्ती (सूरत नगर से आने वाली), चीनी (चीन की), मिस्री (मिस्र की) तथा मोरस (मारिशस की) ऐसे ही शब्द हैं। लखनौवा (छैला, नाजुक) तथा बनारसी (चतुर, ठग) आदि विशेषण भी इसी के उदाहरण हैं।

(ग) ध्वनियों के आधार पर—कुछ शब्द ध्वनियों के आधार पर भी बनते हैं। धड़-धड़, तड़-तड़, पड़-पड़, घर-घर, चूँ-चूँ, मर-मर तथा खड़-खड़ आदि शब्द ऐसे ही हैं।

(घ) दृश्य के आधार पर—कुछ वस्तुओं के देखने से ही उनके दिखाई पड़ने के सम्बन्ध में शब्द बन जाते हैं। चम-चम, जग-मग, बग-बग तथा दाग-बाग आदि इसी प्रकार के शब्द हैं।

(ङ) दूसरे शब्दों के रूप के आधार पर (औपम्य या सादृश्य के आधार पर)—दूसरे शब्दों के वजन या औपम्य पर भी कुछ शब्दों से नये शब्द बनाये जाते हैं। कुछ इस प्रकार के विचित्र उदाहरण भी मिलते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एक कोश (A Concise English Hindi Dictionary) प्रकाशित हुआ है जिसमें 'करना', 'कराना' आदि के सादृश्य पर अंग्रेजी शब्द canvass से हिन्दी 'कन्वसना', acknowledge के लिए रसीद से 'रसीदियाना' तथा allente के लिए विपक्ष से 'विपक्षियाना' जैसे बहुत-से शब्द बनाये गये हैं। कहना न होगा कि योग्य संपादकों ने धन, श्रम और बुद्धि का यह जो दुरुपयोग किया है, दयनीय है और इसका अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा। पर, सादृश्य के आधार पर बने ऐसे शब्द भी बहुत हैं जो खूब चलते हैं और अच्छे हैं। हिन्दी में एक शब्द 'दुहेल' है जो सुहेल (सुखकोली, सुखेल) पर आधारित है। शहर से शहरी और देहात से देहाती शब्द थे, पर बाद में 'देहाती' के सादृश्य पर 'शहराती' शब्द बना जो आज भी कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। 'बराती' के आधार पर कुछ हिन्दी क्षेत्रों में 'घराती' (लड़की-पक्ष के लोग) चलता है। बहुत से संज्ञा-शब्दों से (करना, मरना, आदि के) सादृश्य के आधार पर क्रिया शब्द बने हैं, जैसे संस्कृत टंकार से टंकारना, फ़ारसी दाग से दागना या लालच से ललचाना, अंग्रेजी फिल्म से फिल्माना। लोभभाषाओं में भी यह प्रवृत्ति है और बरध से बरधाना, पाड़ी से पड़ियाना, भँस से भँसाना तथा लात से लतियाना आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं।

(च) संक्षेप के आधार पर—संयुक्त विधायक दल = संविद, भारतीय काति दल = भाकांद,

उत्तरी-पूर्वी सीमा = उपुसी, पेप्सु, युनेस्को, नकेन (वाद), सुदी, बदी, भिग, राडार, मोटेल (मोटर+होटेल) आदि।

(छ) व्याकरण के नियमों के आधार पर—व्याकरण के नियमों के आधार पर पुराने या नये, देशी या विदेशी शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि लगाकर बहुत अधिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हिन्दी में 'अ' परसर्ग लगाकर 'अथाह' ; 'दु' लगाकर 'दुकाल' ; 'नि' लगाकर 'निकम्मा' या 'अम्बकड़' प्रत्यय लगाकर 'भुलसकड़' ; 'आऊ' लगाकर 'दिखाऊ', 'चलाऊ', 'उड़ाऊ' ; 'आका' लगाकर 'पड़ाका', 'धड़ाका' तथा 'आरी' लगाकर 'भिखारी', 'पुजारी' आदि।

संस्कृत में कृत में 'अप' उपसर्ग लगाकर अपकृत, 'उप' लगाकर 'उपकृत', 'वि' लगाकर विकृत, या 'त' प्रत्यय लगाकर 'सुन्दर' से 'सुन्दरता', 'मृदु' से 'मृदुता' आदि। अंग्रेजी में 'डिविजन' में 'सब' उपसर्ग लगाकर 'सबडिविजन' या 'अल' प्रत्यय लगाकर 'डिविजनल'। अरबी-फ़ारसी में 'ला' उपसर्ग लगाकर 'वारिस' से 'लावारिस' या 'कम' लगाकर 'कमजोर' और 'खोर' प्रत्यय लगाकर 'घुमलखोर' या 'कार' लगाकर 'पेशकार' आदि।

(ज) अनुवाद—कुलसचिव (रजिस्ट्रार)।

(झ) स्वतन्त्र रूप से निर्मित शब्द—बिना किसी आधार के स्वतन्त्र रूप से शब्दों का निर्माण होता है या नहीं, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। अधिकतर विद्वान् इसी पक्ष में हैं कि स्वतन्त्र रूप से शब्दों का निर्माण नहीं होता। कुछ लोग अंग्रेजी शब्द 'कोडक', 'गर्ल', 'डॉग' तथा 'गैस' को स्वतन्त्र रूप से निर्मित शब्द मानते हैं। यों इसमें संदेह नहीं कि बिना किसी आधार के प्रायः बहुत ही कम शब्द बनते हैं।

(२) उधार

(क) दूसरी भाषाओं से—देश या विदेश की दूसरी भाषाओं के संपर्क में आने पर शब्द उधार ले लिये जाते हैं। पीछे कहा जा चुका है कि तुर्की, फारसी, अंग्रेजी आदि के बोलने वालों के संपर्क में आने के कारण हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं ने बहुत से शब्द लिये हैं। वे शब्द कभी-कभी तो ज्यों के त्यों ले लिये जाते हैं, जैसे, अंग्रेजी—निब, पिन्, टिन आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तित होकर, जैसे दिसम्बर, अगस्त, पेटमैन तथा वास्केट आदि।

(ख) अपने प्राचीन साहित्य से—सभी भाषाओं के प्राचीन साहित्य या वहाँ की प्राचीन भाषाओं के साहित्य में ऐसे अनेकानेक शब्द मिलते हैं जो अब प्रचलित नहीं हैं और आवश्यक होने पर वे वहाँ से ले लिये जाते हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी को पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए संस्कृत साहित्य से बहुत-से पुराने शब्द लिये जा रहे हैं। अंग्रेजी तथा फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाएँ आवश्यकता पड़ने पर ग्रीक तथा लैटिन से इसी प्रकार शब्द लेती हैं।

(ग) ग्रामीण बोलियों से—ग्रामीण बोलियों से भी आवश्यकतानुसार, भाषा को जीवंत बनाने के लिए या यों भी शब्द लिये जाते हैं। हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य में तत्कालीन बोलियों से काफी शब्द लिये गये हैं। आधुनिक युग में भी विशेषतः आचलिक उपन्यासों में इस प्रकार के शब्द पर्याप्त मिलते हैं। नागार्जुन का 'बलचनमा' या रणु का 'मैला आँचल' या 'परती पत्थकथा' इस दृष्टि से दर्शनीय हैं। हिन्दी के चिपोंग, झाँपी, झाम्, लहवर, लंढड़ा, ठड़दा, टाँका, दुकना, टट्ट, ठर्रा, ठैट, हेट, टंटा तथा हील आदि शब्द ग्रामीण बोलियों से ही लिये गये हैं।

कोशविज्ञान

भाषाविज्ञान की एक शाखा के रूप में कोशविज्ञान भी मान्य है, यद्यपि 'शब्दविज्ञान' रूप में भाषाविज्ञान को एक शाखा मानने पर, जैसा कि इस पुस्तक में किया गया है, 'कोशविज्ञान' को 'शब्दविज्ञान' की एक शाखा मानना ही अधिक उचित है, क्योंकि इसमें विशेष दृष्टि से शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है।

कोशविज्ञान (lexicology) से सम्बद्ध ही दूसरा शब्द कोशकला (lexicography) है। कोशविज्ञान तो कोश बनाने का विज्ञान है। इसमें उन सिद्धान्तों का विवेचन करते हैं जिनके आधार पर कोश बनाते हैं। इस प्रकार, इसका सम्बन्ध सिद्धान्त से है। दूसरी ओर, 'कोशकला' सिद्धान्त न होकर कला या प्रयोग है। सिद्धान्तों के आधार पर कोश बनाना इसमें आता है।

भाषाविज्ञान की अन्य शाखाओं के कार्यों की भाँति ही कोश-निर्माण भी सबसे पहले अपने प्रारम्भिक रूप में भारतवर्ष में ही विकसित हुआ। लगभग १००० ई० पू० निघण्टुओं की रचना हुई। तब से लेकर १००० ई० तक इन दो हजार वर्षों में भारत में कई प्रकार के सैकड़ों कोश लिखे गये, जिनमें से बहुत से तो अब भी उपलब्ध हैं। यूरोप में १००० ई० के पूर्व ठीक अर्थों में कोश नहीं मिलते। अंग्रेजी कोशों का इतिहास तो १६वीं सदी के अन्तिम चरण से ही प्रारम्भ होता है, यद्यपि अब वे संसार में संभवतः सबसे आगे हैं।

कोशों के प्रमुख प्रकार—कोश मूलतः तीन प्रकार के होते हैं—व्यक्ति-कोश, पुस्तक-कोश और भाषा-कोश। व्यक्ति-कोश—किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का कोई कोश व्यक्ति-कोश कहलाता है। शेक्सपीयर, मिल्टन, तुलसीदास आदि के कोश इसी प्रकार के हैं। पुस्तक-कोश—ऐसा कोश होता है जो केवल एक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का हो। बाइबिल कोश, कुरान कोश इसी प्रकार के हैं। हिन्दी में इस प्रकार का एक रामचरितमानस का कोश बहुत पहले बना था। भाषा-कोश—इस प्रकार के कोश एक भाषा (बोली आदि) के हो सकते हैं, या एक से अधिक भाषाओं के। पहले एक भाषा के कोशों पर विचार किया जा रहा है।

एक भाषा के कोश (जिनमें अर्थ उस भाषा से उसी भाषा में दिये गये हों, जैसे हिन्दी-हिन्दी या अंग्रेजी-अंग्रेजी, या जिनमें अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में हों, जैसे अंग्रेजी-हिन्दी, रूसी-अंग्रेजी) प्रमुखतः तीन प्रकार के हो सकते हैं: वर्णनात्मक, तुलनात्मक (दो बहुभाषा कोश) और ऐतिहासिक।

वर्णनात्मक कोश—इसमें किसी भाषा में किसी एक काल में प्रयुक्त सारे शब्दों और उनके सारे अर्थों को देते हैं। इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो उन्हें किस क्रम में रखा जाय। हिन्दी में नागरी प्रचारिणी सभा का 'हिन्दी शब्दसागर' या उसका संक्षिप्त रूप 'बृहत् शब्दसागर' या 'प्रामाणिक' आदि इसी प्रकार के वर्णनात्मक कोश हैं। उनमें अर्थ किसी भी क्रम से न दिये जाकर मनमाने ढंग से, जैसे याद आते गये, आगे-पीछे दे दिये गये हैं। वस्तुतः वर्णनात्मक कोश में अर्थ प्रचलन के आधार पर क्रमबद्ध किये जाने चाहिएँ—जो अर्थ सबसे अधिक प्रचलित हो, उसे सबसे पहले और जो सबसे कम प्रचलित हो, उसे बाद में। कभी-कभी अर्थ के कम या अधिक प्रचलन के सम्बन्ध में विवाद भी खड़ा हो सकता है और ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त अर्थों में किसी को भी आगे-पीछे रखा जा सकता है।

ऐतिहासिक कोश—किसी भाषा का ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदि को समझने के लिए

बड़ा सहायक होता है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा में केवल प्रचलित शब्दों या उसके प्रचलित अर्थों को ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे अर्थों को लेते हैं। वर्णनात्मक कोश में हमने देखा कि अर्थ, प्रचलन के आधार पर सजाया जाता है। यहाँ अर्थ अपने इतिहास के आधार पर सजाया जाता है। उदाहरणार्थ, हम मान लें कि किसी भाषा का एक शब्द है 'अ'। उसके 'आ', 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ' ये पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले किस अर्थ का प्रयोग हुआ और फिर किस-किस का। मान लें कि उस भाषा का आरम्भ १००० ई० से और 'अ' अर्थ का प्रयोग १६०० ई० में, 'इ' का ११०० में, 'ई' का १००० में, 'उ' का १७०० में और 'ऊ' का १२०० ई० में हुआ है। कहना न होगा कि यहाँ उन अर्थों को कालक्रम से सजाना होगा, अर्थात् १००० ई० में प्रचलित अर्थ पहले दिया जायगा, फिर क्रम से ११००, १२००, १६०० और १७०० ई० का। अर्थात्—

अ, ई, इ, ऊ, आ, उ

इस प्रकार का कोश बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा का साहित्य उपलब्ध हो। ऐसे कोश के निर्माण के पूर्व दो बातें आवश्यक हैं—(१) उस भाषा में प्राप्त सभी ग्रन्थों का पाठ पाठालोचन के आधार पर निश्चित कर लिया जाय। यहाँ यह ध्यातव्य है कि प्रक्षिप्त अंशों को निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं, अपितु उनके रचे जाने का काल-निर्धारण करके, उन्हें भी उस काल या सदी की रचना मान कर उनके समकालीन साहित्य के साथ रखा जाय। (२) सभी रचनाओं का काल निश्चित कर लिया जाय।

इन दो बातों के कर लेने पर किस सदी में, कौन शब्द, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, इसका निश्चय करना सरल हो जायेगा और उनके आधार पर सरलता से ऐतिहासिक कोश बन जायेगा। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक कोश हर दृष्टि से बहुत पूर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि तैयार होने के बाद नयी खोजों के आधार पर यदि कोई नयी रचना सामने आ गयी, पुरानी रचना का नया पाठ आ गया, या किसी रचना का काल कुछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण उसमें पर्याप्त परिवर्तन करना होगा। किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा का इस प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी तक नहीं बना। संस्कृत का मोनियर विलिएम्स का कोश इसी प्रकार का है, यद्यपि बहुत अपूर्ण है। संस्कृत का इस प्रकार का एक आदर्श कोश पूना में बन रहा है। अंग्रेजी की 'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' इस प्रकार का अब तक का सर्वोत्तम प्रयास है।

पारिभाषिक कोश—भाषा-कोश के अन्तर्गत ही पारिभाषिक कोश भी आते हैं। किसी भी भाषा में विभिन्न विषयों (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान आदि) या उनकी शाखाओं (प्राचीन भूगोल, सांख्यिकी, ध्वनिविज्ञान) में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के कोश बन सकते हैं। इस प्रकार के कोश साहित्यिक धाराओं के भी बन सकते हैं। हिन्दी में 'संत साहित्य कोश' बड़ा उपयोगी हो सकता है।

पर्याय कोश—यह भी भाषा-कोश का एक रूप है जिसमें मिलते-जुलते अर्थ के शब्द एक साथ रखे जाते हैं। उनके साथ कभी-कभी विरोधी या विलोम शब्दों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। कवियों तथा लेखकों के लिए इस प्रकार के कोश बड़े उपयोगी हैं।

मुहावरा और लोकोक्ति कोश—इन दोनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं है, और इस प्रकार ये शब्दकोश नहीं हैं, किन्तु इनका भाषा में सम्बन्ध है; अतएव भाषा-कोशों के प्रयोग में इनका उल्लेख भी आवश्यक है। ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक, तीनों प्रकार के बनाये जा

सकते हैं।

बहुभाषा कोश—ये दो या अधिक भाषाओं के हो सकते हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के साथ उनके लिए हिन्दी या संस्कृत समानार्थी शब्द देने वाले या इसी प्रकार के अन्य कोश भी इसी के अन्तर्गत आते हैं।

इसी प्रकार कथाओं, जीवनियों आदि अनेक विषयों के कोश हो सकते हैं। विश्वकोश का भी कोशों में महत्वपूर्ण स्थान है।

कोश-निर्माण की कुछ आवश्यक बातें

शब्द-संकलन—कोश-निर्माण में सबसे पहला काम कोशकार को इस दिशा में करना पड़ता है। कोश यदि जीवित भाषा का बनता है तो शब्द लोगों से सुनकर इकट्ठे करने पड़ते हैं। यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनाना हो तो पुस्तकों से सुनकर लेना पड़ता है। लोगों से सुनकर इकट्ठा करने में पूर्ण कोश बनाना प्रायः असम्भव-सा है, क्योंकि हर जीवित भाषा में शब्द बढ़ते रहते हैं। नये शब्द विभिन्न स्रोतों से आते रहते हैं। साहित्य के आधार पर कोश बनाने के लिए संबद्ध सारी पुस्तकों की पूरी शब्दानुक्रमणी बना लेना सबसे अच्छा होता है। इससे कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता। ऐतिहासिक कोशों के लिए तो ऐसा करना अनिवार्य है।

वर्तनी—शब्द-संकलन के बाद उन्हें कोश में देने के लिए उनकी वर्तनी (spelling) ठीक कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक चीज है—एकरूपता। अनेकरूपता होने पर होता यह है कि कभी-कभी शब्द कोश में रहता तो है, किन्तु मिलता नहीं। इस विषय के आवश्यक निर्णयों का उल्लेख भूमिका में अवश्य किया जाना चाहिए।

शब्द-निर्णय—यह कार्य बहुत कठिन है। इसमें कई प्रश्न आते हैं : जैसे—किस शब्द को मूल मानें और किसका दूसरे के अन्तर्गत रखें ; समस्त पदों को प्रथम के साथ रखें या दूसरे के। इसी प्रकार से ध्वनि की दृष्टि से एक देखने वाले शब्द को एक मानें या अधिक। उदाहरणार्थ, 'आम' शब्द है। एक तो अरबी का जो 'खास न हो', दूसरे संस्कृत में 'आम' का तद्भव। अच्छे कोश में दोनों को अलग शब्द मानना होगा—आम (१), आम (२)।

शब्दक्रम—कोश में शब्द विशेष क्रम से होते हैं, ताकि देखने वाला उन्हें सरलता से पा ले। संसार में कोशों में अनेक प्रकार के शब्दक्रम प्रचलित रहे हैं जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं—

(१) वर्णानुक्रम—आज की अधिकांश भाषाओं के अधिकांश कोशों में शब्द वर्णानुक्रम से रखे जाते हैं। पहले शब्द केवल प्रथम वर्ण के आधार पर रखे जाते थे। अर्थात् 'क' से शुरू होने वाले सारे शब्द एकसाथ। इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी भी भाषा में 'क' से प्रारम्भ होने वाले ५००० शब्द हैं तो वे एक जगह बिना किसी क्रम से रखे जाते थे और खोजने वाले को सारे शब्दों को देखकर अपेक्षित शब्द खोजना पड़ता था। बाद में शब्द के दूसरे वर्ण का भी विचार होने लगा और अन्त में सारे वर्णों का।

(२) अक्षर-गणना—इसके आधार पर भी शब्दों को रखा जाता है। भारत में इस प्रकार के एकाक्षरी कोश मिलते हैं। चीनी तथा कुछ और भाषाओं में भी यह पद्धति प्रचलित है। इसमें एक अक्षर (syllable) वाले शब्द पहले, फिर दो वाले, फिर तीन वाले और आगे भी इसी प्रकार रखे जाते हैं।

(३) गुरु-प्रधान भाषाओं में वर्णानुक्रम या अक्षर-गणना के आधार पर शब्दों के रखने के अनिश्चित उन्हें गुरु के आधार पर भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द कई गुरु में भी प्रयुक्त

होता है।

(४) विचारों के आधार पर—पर्याय कोशों या थेसारस में शब्दों को भावों या विचारों के आधार पर रखा जाता है, जैसे सारे जीवों के शब्द एक स्थान पर। ऐसे ही धर्म, अंग, खाद्य-पदार्थ, कला, विज्ञान आदि के अलग-अलग। 'अमरकोश' के कांड इसी आधार पर हैं।

(५) व्युत्पत्ति के आधार पर—कभी-कभी शब्द व्युत्पत्तियों के आधार पर रखे जाते हैं। अरबी में इस प्रकार के कोश प्रायः मिलते हैं जिनमें वर्णानुक्रम से 'माद्दा' देते हैं और हर 'माद्दा' के साथ उससे बनने वाले शब्द।

व्याकरण—बहुत से कोशों में शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से भी टिप्पणी रहती है। इसका निर्णय भी विचारपूर्वक होना चाहिए। कभी-कभी एक शब्द कई व्याकरणिक इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होता है। मूलतः वह जो है, उसी का कोश में उल्लेख होना चाहिए।

अर्थ—अर्थ वर्णनात्मक कोश में प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक कोश में इतिहास के आधार पर दिया जाता है। इसे पीछे समझाया जा चुका है। अर्थ दो प्रकार के होते हैं—एक में केवल एक समानार्थी शब्द देते हैं (जैसे गज-हाथी), दूसरे में परिभाषा देते हैं या समझाते हैं (जैसे हाथी एक जानवर है जो ...)। दोनों प्रकारों का उचित प्रयोग होना चाहिए। व्याख्या जहाँ अपेक्षित हो, वहीं दी जानी चाहिए।

उद्धरण—अर्थ के स्पष्टीकरण या उदाहरण के लिए अर्थ के साथ उसके प्रयोग भी दिये जाते हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिए। यदि कई उद्धरण दिये जायें तो उन्हें कालक्रमानुसार रखना चाहिये।

चित्र—कभी-कभी अर्थ, पर्याय या व्याख्या से स्पष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में वस्तु का चित्र आवश्यक हो जाता है।

उच्चारण—कोश में उच्चारण भी आवश्यक है, क्योंकि मात्र सामान्य वर्तनी से वह स्पष्ट नहीं होता। हिन्दी कोशों में उच्चारण नहीं रहता। नागरी लिपि के अलग उच्चारण की हिन्दी में जरूरत नहीं। किन्तु ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। बलाघात एवं अ, ऐ, औ, ऋ, ए, ऌ आदि कई ध्वनियों के सम्बन्ध में हिन्दी शब्दों में भी संकेत अपेक्षित है।

व्युत्पत्ति—यह भी कोश का महत्वपूर्ण अंग है। अच्छे कोश में इसका होना आवश्यक है। व्युत्पत्ति का कभी तो सीधे संकेत कर देते हैं, कभी-कभी तुलनात्मक दृष्टि से और भाषाओं के भी रूप दे देते हैं।

व्युत्पत्ति (Etymology)

व्युत्पत्तिशास्त्र शब्दविज्ञान का एक प्रमुख अंग है। यह ध्वनिविज्ञान, शब्दविज्ञान तथा अर्थविज्ञान का सम्मिलित योग है जिसके आधार पर किसी शब्द का मूल खोजा जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई शब्द-विशेष मूलतः किस भाषा का है। साथ ही, इसमें इस बात के पता लगाने का भी प्रयास हो सकता है कि मूल शब्द का अर्थ तथा रूप क्या था और किन परिस्थितियों में एवं किन कारणों से उसमें ध्वनि या अर्थ सम्बन्धी परिवर्तन हुए? आधुनिक ढंग के कोशों में व्युत्पत्ति की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। कोशों में अर्थ देने के साथ-साथ अब यह भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि शब्द मूलतः कहाँ का है। इसके साथ अन्य भाषाओं से तुलनात्मक सामग्री भी देते हैं। इस दिशा

में पथ-प्रदर्शक कार्य टर्नर का 'नेपाली कोश' है। इधर उनका भारतीय आर्यभाषाओं का तुलनात्मक कोश भी आता है। व्युत्पत्तिशास्त्र के आधार पर किसी भाषा-विशेष के किसी एक समय में प्रयुक्त शब्द-समूह का विश्लेषण कर इस बात का भी पता लगाते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत शब्द अपने हैं तथा कितने प्रतिशत विदेशी या अन्य भाषाओं के।

व्युत्पत्तिशास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द 'एटिमॉलोजी' है। यह असल में यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ यथार्थ लेखा-जोखा (etymos—यथार्थ, logos—शब्द या लेखा-जोखा) है। यूनानी में 'एटिमॉलोजी' मूलतः दर्शन की एक शाखा थी, न कि भाषाविज्ञान की; और इसके अन्तर्गत यूनानी दार्शनिक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भाव या विचार की यथार्थ जानकारी के लिए शब्दों के मूल तथा उसके मूल अर्थ का अध्ययन करते थे। हिन्दी में इसके लिए 'व्युत्पत्तिशास्त्र' शब्द है। व्युत्पत्ति का अर्थ 'विशेष या विशिष्ट उत्पत्ति' है। प्राचीन काल में भारत में इस शास्त्र को निरुक्त कहते थे और यह छह वेदांगों में एक था। लोगों का विश्वास है कि उस समय निघण्टु के शब्दों की व्याख्या और व्युत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए बहुत से निरुक्त ग्रन्थों की रचना हुई थी जिसमें सबसे प्रसिद्ध निरुक्त यास्क का था और केवल वही उपलब्ध है। इस प्रकार यास्क विश्व के प्राचीनतम व्युत्पत्तिकार हैं। इन्होंने अपने निरुक्त में कुल १२६८ व्युत्पत्तियाँ दी हैं जिनमें २२४ बहुत ही वैज्ञानिक तथा युक्तिसंगत हैं।

व्युत्पत्तिशास्त्र के प्राचीन रूप को ठीक से हृदयंगम करने के लिए यह बतला देना आवश्यक है कि यास्क ने एक शब्द की एक ही व्युत्पत्ति न देकर एक से अधिक व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। इसका आशय यह है कि उन लोगों के लिए यह एक निश्चित और नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था। मनमाने ढंग से जितनी भी बुद्धि दी जा सके, दी जा सकती थी। यही कारण है कि इन व्युत्पत्तियों में आधी से अधिक तो अत्यन्त पुराने ढंग की तथा मनमानी हैं^१ तथा कुछ संयोग से ठीक और वैज्ञानिक हो गयी हैं।^२

प्लेटो के समय में तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान में दर्शन की शाखा के रूप में इस शास्त्र का अध्ययन प्रचलित था। वहाँ, उस समय विद्वानों का विश्वास था कि किसी शब्द की ध्वनि और उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थ में कुछ संबंध होता है। इस संबंध को सिद्ध करने के लिए वहाँ भी मनमानी व्युत्पत्तियाँ दी गयीं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'क्रेटीलस' में ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध का, उस समय की ये बातें देखने के कारण ही, मजाक उड़ाया है।

मध्य युग तक आते-आते जब लोगों का देश-देशान्तर तथा उनकी भाषाओं से परिचय बढ़ा तो संसार की सारी भाषाओं को किसी एक भाषा से निकली सिद्ध करने के लिए अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते-जुलते शब्दों के बहुत से संग्रह बने। उस समय तक इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित

१. यास्क के निरुक्त में इन्द्र की १४ व्युत्पत्तियाँ, जातवेदस की ६, अग्नि की ५ तथा अरण्य की ७ दी गयी हैं।

२. जैसे अमार, आरि, अर्द्ध तथा अरण्य आदि की।

३. जैसे सहस्र, विशति, श्रद्धा तथा कटक आदि की।

Popular को शुद्ध अनुवाद 'लौकिक' होने के कारण कुछ लोगों ने इसे 'लौकिक व्युत्पत्ति' कहा है पर लौकिक-पारलौकिक अन्य अर्थ में उद्भूत है। अतएव यहाँ 'धामक व्युत्पत्ति' का प्रयोग किया गया है जो अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

सिद्धांत तो थे नहीं। लोग अटकल से दो शब्दों के बाह्य रूप को देखकर दोनों को एक शब्द से निकला मान बैठते थे। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी के शब्द 'नीअर' (near) का अर्थ 'समीप' है और भोजपुरी में 'निअर' का अर्थ यही है। बस प्राचीन लोगों का इतना पाना था कि दोनों शब्द एक मूल के मान लिये जाते थे। ऐसे ही न जाने कितनी बड़ी-बड़ी पुस्तकें बनीं जिनमें इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर हिब्रू से अंग्रेजी का या हिब्रू से ग्रीक का सम्बन्ध स्थापित किया गया। यों तो उन लोगों के ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, पर इस दृष्टि से उनका ऐतिहासिक मूल्य है कि उन्हीं अटकलों और असंगत बातों में भाषाविज्ञान के शिशु ने जन्म लिया और पलता रहा।

व्युत्पत्ति और भ्रामक व्युत्पत्ति (Popular Etymology)

ध्वनि-साम्य देखकर किसी और शब्द को और समझ लेना भ्रामक व्युत्पत्ति है। इसके कारण बहुत से शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन हो जाते हैं। 'ध्वनिविज्ञान' शीर्षक के अन्तर्गत इस पुस्तक में अन्यत्र इस पर विचार किया जा चुका है। भ्रामक व्युत्पत्ति के कुछ मनोरंजक उदाहरण लिये जा सकते हैं। पहरा देने वाला संतरी अधिकतर किसी के आने पर कहता सुना जाता है—'हुकुम सदर'। इसका अर्थ लोग समझते हैं कि 'यह सदर हुकुम है कि यहाँ आना मना है।' पर, मूलतः यह शब्दावली 'हुकुम सदर' न होकर—हू कम्स देयर (Who comes there) है, जिसका आशय है—कौन आता है? पर, भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण लोगों ने इसे 'हुकुम सदर' कर डाला है। ग्रामीण जनता में इसी प्रकार लाइब्रेरी (पुस्तकालय) 'शयबरेली' कही जाती है और गाँव के मिडिल स्कूलों में चैम्पफाई मद्रादय 'चिलमफोर्ड' कहे जाते रहे हैं। 'चारजशीट' को चारशीट (जो चार पन्ने कागज पर हो) और 'पाउरोटी' को 'पावरोंटी' (पाव भर की रोंटी या बड़ी रोंटी) भी इसी कारण हो जाना पड़ा है और इसी कारण मुकदमेबाज लोग 'अस्मंग नी' को 'साढ़ नी' और 'आनरंगी' को 'अन्हरंग' (जहाँ अंधरा या अन्याय हो) कहते हैं। अंग्रेजी का कन्ट्री डान्स (country dance) इसी कारण फ्रांगीगी में कॉन्ट्र डान्स (contra dance) हो गया है। भ्रामक व्युत्पत्ति से मिलती-जुलती चीज कुछ दिन पूर्व तक आर्यसमाजियों में प्रचलित रही है। वे लोग सारे संसार को आर्य-संस्कृति से अभिभूत तथा सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृति को मानते रहे हैं और इसी भावना से कितने ही देश के नामों तथा अन्य शब्दों को संस्कृत से लिया गया सिद्ध करते रहे हैं। उनके लिए अरबी का ज्ञान य० ज्ञानि, रकैडिनेवियन य० रकंधनिवागी, जापान मटजयप्राण, अफगानिस्तान य० आवागमनस्थान, चीन य० व्यवनदेश, क्राइस्ट य० कृष्ण तथा मिण्टर य० मित्र है।

अन्य बातें

यों तो व्युत्पत्ति एक मूल के शब्द बाह्य रूप तथा अर्थ की दृष्टि से प्रायः कुछ मिलते-जुलते रहते हैं, पर ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमें यह समानता नहीं रहती। उदाहरण के लिए—

भारोपीय 'Penque'	—अंग्रेजी 'Eive' (यस विलकुल भिन्न है)
फ्रेंच 'Larmc'	— " 'Tear' (" ")
अंग्रेजी 'फ्री' (Free)	—संस्कृत 'पशु' (अर्थ और रूप दोनों भिन्न है)
संस्कृत 'उपाध्याय'	—'ओड्या' (" ")

यहाँ एक पंक्ति में दिये गये शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक हैं, पर ऊपर से अलग-अलग हैं और कुछ में तो अर्थ की दृष्टि से भी कोई समानता नहीं है।

शब्दों की व्युत्पत्ति देने में बहुत-सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जिनमें प्रधान ये हैं—

(१) जिस शब्द की व्युत्पत्ति देनी हो, उसके जीवन का पता लगाकर और उस पर कालक्रमानुसार विचार करके उसके प्रयत्नतम रूप, अर्थ एवं प्रयोग को निश्चित कर लेना चाहिए। जिस शब्द के सम्बन्ध में ये बातें निश्चित हो जायें, उसकी व्युत्पत्ति देने में भटकने का भय प्रायः नहीं रह जाता।

(२) दो भाषाओं में एक ध्वनि तथा एक अर्थ के शब्द पाकर बिना और ह्यानवीन किये दोनों को सम्बद्ध नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए भोजपुरी का 'नीयर', 'नियर' या 'नियरा' (= नजदीक) और अंग्रेजी का 'नीअर' (near, नजदीक) शब्दों का लें। दोनों में ध्वनि तथा अर्थ का साम्य है, पर व्यर्थतः भोजपुरी का 'नियर' या 'नियरा' संस्कृत शब्द 'निकट' से निकला है और अंग्रेजी का 'नीअर' पुरानी नार्वी के 'नेर' से; और इस प्रकार दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ इस प्रकार का साम्य मिले, उस भाषा या बोली की जननी भाषा में, उस शब्द के समानार्थी शब्दों तथा उस शब्द की प्राप्त जीवनी को लेकर विचार करना चाहिए।

(३) दो शब्दों को सम्बद्ध सिद्ध करने में या किसी पुराने शब्द से किसी बाद के शब्द को व्युत्पन्न सिद्ध करने में ध्वनि या रूप के अतिरिक्त अर्थ पर भी विचार करना चाहिए और यदि कोई अर्थ-परिवर्तन दिखाई पड़े तो भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक नियमों एवं रुढ़ियों के प्रकाश में उस परिवर्तन का कारण समझ लेना चाहिए।

(४) किसी भी ध्वनि का न तो यों ही लोप होता है और न तो कोई अतिरिक्त ध्वनि यों ही किसी शब्द में जुड़ जाती है। अकारण अनुनासिकता भी इसका अपवाद नहीं। इस प्रकार के परिवर्तन में मुखमुख, सादृश्य, किसी और शब्द का साथ में जुड़ना तथा स्वराघात (बलात्मक तथा संगीतात्मक) आदि काम करते हैं। इन दृष्टियों से भी दो शब्दों (यदि उनके रूप अभिन्न न हों) को सम्बद्ध सिद्ध करने में विचार आवश्यक है। इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करने में ध्वनि-नियमों का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए।

(५) भाषा के विकास के साथ शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा लम्बाई में प्रायः छोटे होते जाते हैं। एक शब्द के दो रूपों में प्राचीन तथा अर्वाचीन रूप पहचानने के लिए इस सिद्धान्त को सामान्यतः अपनाया जा सकता है। यों इसके अपवाद भी मिल सकते हैं।

(६) यदि किसी अन्य भाषा से किसी शब्द के उधार लिये जाने की संभावना हो तो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से उस पर विचार अपेक्षित है। दो भाषा-भाषियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पर्क होने पर ही, एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में पहुँचते हैं।

(७) किसी भी भाषा के शब्द प्रमुखतः तीन प्रकार के हो सकते हैं जिनके सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति निश्चित करने में इन सबका ज्ञान आवश्यक है। सम्भव है, देखने में कोई शब्द विदेशी ज्ञात हो, पर व्यर्थतः वह अपनी प्राचीन भाषा से विकसित हो और उसी जननी भाषा से अतीत में कभी विदेशी भाषा में चला गया हो। या दूसरी ओर कोई शब्द जननी भाषा

१. जिस प्रकार नाटे व्यक्ति बहुत दिनों तक परिवर्तित नहीं होते और दूसरी ओर लम्बे व्यक्ति शीघ्र परिवर्तित हो (वृद्ध हो) जाते हैं, उसी प्रकार छोटे शब्दों में भी परिवर्तन कम होता है और लम्बे जन्तु परिवर्तित हो जाते हैं।

से विकसित हुआ ज्ञात हो, पर यथार्थतः वह जननी भाषा से विदेशी भाषा में गया हो और फिर विदेशी भाषा से ही वह आधुनिक काल में लिया गया हो। इस दूसरी अवस्था में वह शब्द विदेशी कहा जायेगा, यद्यपि उसका मूल देशी है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी शब्द शम्पू लें। पढ़ी-लिखी औरतों में यह एक प्रचलित शब्द है। प्रसाधन-सामग्री में इसका प्रमुख स्थान है। इसे प्रायः लोग अंग्रेजी का समझते हैं, पर यथार्थतः यह हिन्दी शब्द चाँपना से ही अंग्रेजी में लिया गया है। इस प्रकार मूलतः 'शैपू' हिन्दी शब्द है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से मूलतः हिन्दी 'चाँपना' से विकसित होते हुए भी 'शैपू' अंग्रेजी में लिया गया माना जायेगा।

(८) दो भाषाओं के दो शब्द यदि अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से समान या समीप ज्ञात हों तथा अन्य सारी बातों का विचार करने पर भी उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो सके तो देखना चाहिए कि वे दोनों भाषाएँ कहीं एक परिवार की तो नहीं हैं और यदि हैं तो उनमें पाये जाने वाले मिलते-जुलते शब्द उन दोनों की आदि जननी मूलभाषा के तो नहीं हैं। संस्कृत-पितृ, अंग्रेजी—फ़ादर, या फ़ाररसी—हफ़्त, संस्कृत—सप्त ऐसे ही शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों में यदि मूल भाषा के किसी एक शब्द से विकसित होने की सम्भावना का ध्यान न रक्खा जाय तो प्रायः इस निर्णय पर पहुँचने का भय रहता है। वह शब्द उन दोनों भाषाओं में किसी से दूसरे में लिया गया है।

आधुनिक युग के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिशास्त्रियों में नेपाली डिक्शनरी के सुयोग्य सम्पादक टर्नर के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार स्कीट, यूल और बर्नेल आदि के नाम लिये जा सकते हैं। भारतवर्ष के इस क्षेत्र में कार्य करने वालों में मुनि रत्नचन्द्र जी महाराज (अर्धमागधी), हरगोविन्द दास विक्रमचन्द्र सेठ (प्राकृत), ज्ञानेन्द्र मोहन दास (बँगला), गोपालचन्द्र (उड़िया), कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी (मराठी), हरिवल्लभ भायाणी (गुजराती) तथा वासुदेवशरण अग्रवाल (हिन्दी) आदि प्रधान हैं।

व्युत्पत्तिशास्त्र के आधार पर किसी भाषा के समस्त शब्दों की सम्पूर्ण जीवनी देकर उस भाषा का बहुत सुन्दर कोश बनाया जा सकता है जिससे भाषा के अतिरिक्त समाजविज्ञान तथा विज्ञान-सम्बन्धी कितनी ही समस्याओं पर प्रकाश पड़ सकता है। कार्य के कठिन होने के कारण अभी तक इस दिशा में उल्लेख्य प्रयास नहीं हुए हैं, पर आशा है कि निकट भविष्य में विद्वान् इधर अवश्य ध्यान देंगे।

तीन व्युत्पत्तियाँ

(१) सं० घोटक>प्रा० घोडअ>हि० घोड़ा। यहाँ 'घो' तो ज्यों का त्यों है। 'ट' दो स्वरो के बीच में था; अतः घोषीकरण हो गया 'ड'। हिन्दी में उसी का विकास 'ड़' हो गया है। अंत का 'अक' (>अग>अग>अअ>आ) विकसित होते-होते 'आ' हो गया।

(२) सं० हस्ती>प्रा० हत्थी> हि० हाथी। यहाँ 'ह' ज्यों का त्यों है। 'स', जो 'ह' में परिवर्तित हो जाता है, के मिलने से 'त' का 'थ' हो गया। मात्रा में कमी न होने देने के लिए 'थ' का 'थ्य' हुआ, किन्तु दो महाप्राण साथ-साथ उच्चरित नहीं हो सकते। अतः 'थ्य' का 'त्त' हो गया। प्राकृत में यही 'हत्थी' है।

हिन्दी में सामान्यतः तद्भव शब्दों में एक व्यंजन की प्रवृत्ति है; अतः 'त्थ' का 'थ' रह गया और शब्द की मात्रा की दृष्टि से इस क्षति की पूर्ति के लिए 'ह' के 'अ' का 'आ' हो गया। इस प्रकार 'हाथी' हो गया।


(३) सं० उप्ठ् > प्रा० उट्ट > हि० ऊँट। 'प्ठ्' में उच्चारण की दृष्टि से प्, र् निर्बल हैं तथा 'ट' सबल है; अतः 'ट' ने प् और र् को समीकृत कर लिया, अतः 'प्ठ्' का हो गया 'ट्ट' और प्राकृत में हो गया 'उट्ट'। हिन्दी में एक व्यंजन की प्रवृत्ति के कारण जब 'ट्ट' का 'ट' हो गया, तो मात्रा की दृष्टि से क्षतिपूर्ति के रूप में 'उ' का 'ऊ' हो गया, साथ ही स्वतः अनुनासिकता भी आ गयी। इस प्रकार 'उप्ठ्' का 'ऊँट' हो गया।

नामविज्ञान

शब्दविज्ञान की यह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें स्त्री-पुरुष, स्थान, नगर, देश, नदी आदि के नामों का व्युत्पत्ति की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। (विस्तार के लिए देखिए लेखक की पुस्तक 'शब्दों का अध्ययन' का 'नामविज्ञान' शीर्षक अध्याय।)

१० | प्रकरणार्थ-विज्ञान (Pragmatics)

भाषा का आधार वाक्य है। वाक्य की संरचना से जो अर्थ निकलता है, वह उसका मूलार्थ होता है। इसी को भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। जैसे 'घोड़ा दौड़ रहा है' का वाच्यार्थ घोड़े के दौड़ने से संबद्ध है। इसी पर आधारित किन्तु इससे बढ़ि अथवा किसी प्रयोजन से जो अलग अर्थ निकलता है, वह लक्ष्यार्थ (extended meaning) है। जैसे 'राम शेर है' का अर्थ है 'राम बहादुर है' या 'मोहन गीदड़ है' का अर्थ है 'मोहन कायर/डरपोक है'। कभी-कभी वाक्य का एक तीसरा अर्थ भी निकलता है जो इन दोनों से भिन्न होता है। ऐसा तब होता है जब वक्ता विशेष प्रकरण/संदर्भ में कोई वाक्य बोलकर श्रोता तक कोई ऐसा अर्थ पहुँचाना चाहता है जो अभिधार्थ तथा लक्ष्यार्थ से अलग हो। उदाहरण के लिए राम और मोहन को चार बजे ट्रेन पकड़नी है। राम मोहन से उसके घर पहुँचकर साढ़े तीन बजे कहता है—“अरे भाई, साढ़े तीन बजे गए।” इस संदर्भ में इसका अर्थ यह हुआ कि 'जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जायगी।' इस अर्थ को किसी अन्य अर्थों के अभाव में 'प्रकरणार्थ' अथवा 'संदर्भार्थ' कहा जा सकता है। संस्कृत में 'प्रकरण' शब्द के कई अर्थ हैं जिनमें विषय 'प्रसंग', 'अवसर', 'भौका' आदि भी हैं। कहना न होगा कि प्रकरणार्थ इन्हीं बातों पर निर्भर है, इसीलिए इस नाम का प्रयोग मुझे इस अर्थ के लिए उपयुक्त लग रहा है। नीचे के आरेख के रूप में प्रकरणार्थ, अर्थ और वाक्य की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है—



३—प्रकरणार्थ

२—अर्थ

१—वाक्य

अर्थ वाक्य पर आधारित होता है और प्रकरणार्थ के लिए वाक्य, उसका अर्थ और प्रकरण तीनों का विचार करना पड़ता है। 'वाक्य', 'अर्थ' और 'प्रकरणार्थ' को एक अन्य प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था होती है। उसकी दृष्टि से कहा जा सकता है कि 'वाक्य' प्रतीकों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है, तो 'अर्थ' वस्तु और उसके प्रतीकों के संबंध पर आदृत होता है तथा 'प्रकरणार्थ' संदर्भ, वक्ता और श्रोता से प्रतीकों के संबंध पर निर्भर करता है। वस्तुतः यहाँ 'वक्ता' (उत्तम पुरुष), 'श्रोता' (मध्यम पुरुष), 'अन्य कोई संबद्ध व्यक्ति' (अन्य पुरुष) तथा इनसे बनने वाले 'संदर्भ' इन सभी को अपने में समाविष्ट करने वाले शब्द के रूप में 'प्रकरण' का

प्रयोग किया जा रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा के प्रसंग में 'प्रकरण' के अंतर्गत ये चारों ही आ सकते हैं। दूसरे शब्दों में पूरा प्रकरण इन चारों या तीनों (यदि कोई अन्य पुरुष कथ्य से संबद्ध नहीं है) के योग से ही बनता है।

प्रकरणार्थ के कुछ अन्य उदाहरण हैं—श्याम घर में रखी मिठाई खाना चाहता है। उसने माँ से मिठाई माँगी। माँ ने कहा कि पिताजी के आने के बाद उसे मिठाई मिलेगी। अंत में पिताजी आते हैं। थोड़ी देर रुककर श्याम माँ से कहता है—“माँ, पिताजी आ गये” : इसका अर्थ हुआ 'माँ, अब मिठाई दे दो।' ऐसे ही वह तो 'जा चुका' का सामान्य अर्थ है 'वह गया' : किन्तु प्रकरणार्थ हो सकता है 'वह नहीं जायगा' या 'मैं क्यों जाऊँ ?' का सामान्य अर्थ है 'मैं किसलिए जाऊँ', किन्तु प्रकरणार्थ हो सकता है 'मैं नहीं जाऊँगा'। हिन्दी में इस प्रकार के अनेकानेक निषेधबोधक वाक्य अपनी संरचना में अनिषेधबोधक होते हैं।

पेशाबघर के अभाव में लोग प्रायः ऐसे स्थानों पर पेशाब करने लग जाते हैं जो पेशाब के लिए उपयुक्त नहीं होता। उस स्थान के मालिक प्रायः इससे परेशान होकर वहाँ लिख देते हैं—'यहाँ पेशाब गधे करते हैं' या 'देखो, गधा पेशाब कर रहा है।' इस सूचनापरक वाक्य का प्रकरणार्थ आज्ञार्थ है—'यहाँ पेशाब मत करो।' ऐसे ही सूचना-सूचक (मोहन मर गया !) तथा प्रश्नसूचक (क्या मोहन मर गया ?) वाक्यों से आश्चर्य तथा प्रश्नसूचक (तुम बैठ क्यों नहीं जाते ? तुम बैठ जाओ।) वाक्यों से 'आज्ञा' या सामान्य वाक्यों से (राम गया ?=राम गया क्या ?) से प्रश्न आदि का घोटन भी प्रकरणार्थ ही है।

सब मिलाकर प्रकरणार्थ भारतीय काव्यशास्त्र की व्यंजना तो है ही, उससे शायद कुछ अधिक भी है।

प्रकरणार्थ से यह द्योतित होता है कि भाषा अपने अर्थघोटन में काफी लचीली होती है और इस दृष्टि में भाषा की संरचना ही सब कुछ नहीं है, प्रकरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता।

११ | भाषाविज्ञान की कुछ अन्य शाखाएँ

इस अध्याय के पूर्व भाषाविज्ञान की वाक्य, रूप, ध्वनि, अर्थ तथा शब्द से संबद्ध शाखाओं पर विचार किया गया है तथा आगे 'लिपि' तथा 'इतिहास' को लिया गया है। यहाँ कुछ अन्य शाखाओं को संक्षेप में देखा जा रहा है—

(क) भाषा-भूगोल (Linguistic Geography)

अर्थ और अध्ययन-विस्तार—भौगोलिक विस्तार में स्थानीय विशेषताओं की दृष्टि से किसी क्षेत्र की भाषा का अध्ययन ही 'भाषा-भूगोल' या 'क्षेत्रीय भाषाविज्ञान' (areal linguistics) है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र में, बोली जाने वाली भाषाओं, भाषा या बोलियों आदि में ध्वनि, सुर, शब्द-समूह, रूप, वाक्य-गठन तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से कहाँ-कहाँ क्या-क्या अन्तर या विशेषताएँ हैं, इनका अध्ययन ही भाषा-भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार, भाषा-भूगोल में पहले किसी क्षेत्र के अनेक स्थानों की भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर उन विभिन्न स्थानों की भाषा-विषयक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निश्चय किया जाता है कि कितने स्थानों की भाषा लगभग एक-सी है और स्थानीय अन्तर प्रायः नहीं के बराबर है तथा किन्-किस स्थान में भाषा में अन्तर आने लगा है और वह अन्तर कहाँ थोड़ा है और कहाँ अधिक। साथ ही कहाँ से भाषा में इतना परिवर्तन आरम्भ हो गया है कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भाषा को समझ न सके। इन बातों का निर्धारण हो जाने पर, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में इतनी भाषाएँ हैं और उनके क्षेत्र अमुक स्थान तक हैं। साथ ही, प्रत्येक भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों और प्रत्येक बोली के अंतर्गत आने वाली उपबोलियों एवं उनके क्षेत्रों (तथा एक-दूसरे से अलग करने वाली प्रमुख विशेषताओं) आदि का भी निर्धारण किया जाता है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की भाषा जिसे 'व्यक्ति-भाषा' या 'व्यक्ति-बोली' (idiolect) कहते हैं, दूसरे से भिन्न होती है। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति की भाषा भी हर क्षण बदलती रहती है। किसी व्यक्ति की भाषा का विभिन्न दृष्टियों से जो स्वरूप किसी दिन दो बजकर पाँच मिनट पर होगा, ठीक वही रूप दो बजकर छह मिनट पर नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति भी ठीक वही नहीं है जो दो बजकर पाँच मिनट पर था। किन्तु, व्यावहारिक दृष्टि से इतनी सूक्ष्मता में नहीं आया जा सकता। इंग्लिश, सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र की व्यक्ति-भाषाओं (idiolects) में यदि कोई स्पष्ट भेद नहीं है तो उस क्षेत्र की भाषा को उपबोली कह सकते हैं। ऐसी कई उपबोलियों (जिनमें आपस में थोड़ा ही अन्तर है) से मिलकर बने क्षेत्र की भाषा को 'बोली' कह सकते हैं। ऐसी कई बोलियों (जिनमें आपस में अन्तर तो बहुत स्पष्ट है, किन्तु उनमें बाह्य और आंतरिक दृष्टि से आपसी गायब कम से कम इतना है कि किसी एक के बोलने वाले को दूसरी बोली का बोलने वाला समझना में समझ सके) में

मिलकर बने क्षेत्र की भाषा को 'भाषा' कहते हैं। दो (या अधिक) ऐसे क्षेत्र की भाषाएँ, जिनके व्यक्ति एक-दूसरे को सरलता से न समझ सकें, एक भाषा के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे और वे सभी अलग-अलग भाषाएँ मानी जायेंगी।

बोलियों का निर्धारण हो जाने पर उनके क्षेत्र में ध्वनि, रूप, शब्द आदि सभी दृष्टियों से सर्वेक्षण किया जाता है और इस प्रकार अलग-अलग बोलियों के अलग-अलग व्याकरण तथा कोश बनाये जाते हैं। उपबोलियों के अन्तर्गत का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है और आवश्यकतानुसार बोली-क्षेत्रों के अलग-अलग नक्शे भी बनाये जाते हैं जिनमें भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली रेखाएँ (देखिए आगे) खींची जाती हैं। बोलियों के इस प्रकार के सर्वांगीण—ऐतिहासिक और तुलनात्मक—अध्ययन को बोलीविज्ञान (dialectology) कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से बोलियों के बनने एवं उनके भाषा बन जाने के कारण आदि का भी इससे विवेचन किया जा सकता है। बोली के इस सम्बन्ध में स्पष्टतः दो भाग हैं—एक भाग तो भौगोलिक है, और दूसरा अन्य प्रकार का। भौगोलिक भाग में बोलियों के भौगोलिक विस्तार एवं स्थानीय अन्तरों आदि का अध्ययन तथा नक्शे बनाना आदि आता है। बोली-भूगोल (dialect geography) में बोली का यह भौगोलिक अध्ययन ही तत्त्वतः आता है। यों आजकल इसका प्रयोग बोली के पूरे अध्ययन, यहाँ तक कि तुलनात्मक और ऐतिहासिक के लिए भी होने लगा है और इस प्रकार उसे बोली-विज्ञान के बहुत निकट ला दिया गया है। भाषा-भूगोल में बोली-भूगोल पूर्णतः आ जाता है। भाषा-भूगोल में दो भाषाओं की सीमा रेखा निर्धारित करना या किसी असर्वेक्षित क्षेत्र में सर्वेक्षण के सहारे विभिन्न भाषाओं का पता लगाना तो आता ही है, साथ ही किसी एक भाषा के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उनकी स्थानीय विशेषताओं का अध्ययन भी आता है और यहाँ अध्ययन बोली-भूगोल भी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक में भाषा पर बल है, तो दूसरे में बोली पर। यों बोली भाषा का अंग है।

इस प्रसंग में 'शब्द-भूगोल' (word geography) का भी उल्लेख किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में एक शब्द के एक से अधिक रूपों का अलग-अलग स्थानों में प्रचलन तथा एक भाव के लिए एक से अधिक शब्दों या एक से अधिक भावों के लिए एक शब्द का विभिन्न स्थानों में प्रयोग आदि का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है। यह भाषा-भूगोल या बोली-भूगोल की एक शाखा है। ध्वनि-भूगोल (phono-geography), रूप-भूगोल (morpho-geography) आदि रूपों में इस प्रकार की और भी शाखाएँ-प्रशाखाएँ बनायी जा सकती हैं।

इतिहास—भाषा-भूगोल के अध्ययन की परम्परा १९वीं सदी के प्रथम चरण तक जाती है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेखनीय नाम शमेलर का है। इन्होंने १८२१ के कुछ पूर्व एक बेवेरियन उपबोली का अध्ययन करके उसका व्याकरण तैयार किया था। १८७३ में स्कीट ने इंगलिश डायलेक्टॉलोजी सोसायटी की स्थापना की और बाद में एटलस बनाने का भी प्रयास किया गया। इसके ३ वर्ष बाद १८७६ में जर्मन विद्वान् जार्ज वेंकर ने राइन में स्थानीय बोलियों का सर्वेक्षण किया। बाद में, पूरे जर्मनी को अपने सर्वेक्षण का क्षेत्र बनाया और सरकारी सहायता से स्कूल के शिक्षकों के सहारे ४० वाक्यों को अपने सर्वेक्षण का क्षेत्र बनाया और सरकारी सहायता से स्कूल के शिक्षकों के सहारे ४० वाक्यों को ४०,००० से अधिक स्थानीय बोलियों में स्फांतरित कराया। यह अध्ययन बहुत विस्तृत तो था, किन्तु भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों से अपरिचित लोगों ने काम किया था; अतएव इसके परिणाम बहुत विश्वसनीय नहीं थे। बाद में, गीड द्वारा संपादित होकर, इनके आधार पर नक्शे छपे। वेंकर के अध्ययन पर आधारित सिद्धान्तों पर १९०८ में यार्ग ने विचार किया। १८६५ में फिशर ने अपना

'स्वाबिया का एटलस' छपाया। भाषा-भूगोल के क्षेत्र में गिलेरो और एडमंड का फ्रांस में किया गया सर्वेक्षण-कार्य बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एडमंड ध्वनिविज्ञान आदि से पूर्ण परिचित था और उसने अकेले लगभग २०० शब्दों और वाक्यांशों के आधार पर ६०० से कुछ अधिक स्थानों का अध्ययन किया। जर्मन-अध्ययन की तुलना में यहाँ स्थान तो बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंड अपेक्षित शिक्षण-प्राप्त था; अतः उसकी सामग्री अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी। गिलेरो ने इसी आधार पर फ्रांस का एटलस (१८६६ से १९०८) प्रकाशित किया। ये नक्शे अब भी भाषा-भूगोल के क्षेत्र में अत्यन्त महत्व रखते हैं। एलिस ने अंग्रेजी बोलियों के ध्वनि-पक्ष पर कार्य किया और राइट ने अंग्रेजी बोलियों की ध्वनियों का कोश और व्याकरण (१८६६ से १९०५) प्रकाशित किया। १८६८ में हाग ने दक्षिणी स्वाबिया के एक जिले का पर्यवेक्षण किया और भाषा-भूगोल के अध्ययन के सिद्धान्तों का विवेचन किया। १८६८ से १९४० तक बेनिक तथा क्रिस्टेन्सन ने डेनमार्क में काम किया और उसे प्रकाशित भी किया। वेगैन्ड का स्मानिया में किया गया कार्य १९०६ में प्रकाश में आया। इटली में याबर्ग और युद ने कार्य किया और उनका एटलस (१९२८ से १९४० तक) प्रकाशित हुआ। यह कार्य भी महत्वपूर्ण है। स्क्स द्वारा ब्रिटेनी में किया गया कार्य १९२४ में और कोयके द्वारा नीदरलैण्ड और बेल्जियम में किया गया कार्य १९२७ में प्रकाशित हुआ। कोयके का अध्ययन केवल दो शब्दों के स्वर-फोनीमों तक सीमित था। इधर कनाडा तथा अमेरिका में कार्य हुआ है जिसमें कुरेय का न्यू इंग्लैंड का एटलस (१९३६-४३), हैंडबुक तथा शब्द-भूगोल आदि का प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत में गिथर्सन ने सर्वे का कार्य किया था जो अपनी कमियों के बावजूद भी बहुत महत्व रखता है। इसका प्रकाशन २०वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। इधर डॉ० विश्वनाथप्रसाद की देखरेख में बिहार के कुछ पूर्वी भाग का सर्वेक्षण हुआ है। पंजाब के भाषाविज्ञान की ओर सं भी कुछ कार्य हो रहा है। विभिन्न बोलियों-उपबोलियों पर इधर जो प्रबन्ध लिख गये हैं, उनके लिये सर्वेक्षण हुआ है।

भाषा-भूगोल के क्षेत्र में काम करने वालों में कुछ और उल्लेख्य नाम पॉप, वांच, वीनरगच, गैमिलिशेग, दउजा, ग्राइरा, ब्लॉक तथा ब्लैक्वार्ट आदि के हैं।

पद्धति—जिस भौगोलिक क्षेत्र में भाषा का अध्ययन करना हो, उसमें पहले घूम-फिर कर मांट टंग से उसकी भाषा-स्थिति का पता लगा लेते हैं और इस आधार पर प्रारम्भिक रूप में उसे अध्ययन की सुविधा के लिए खण्डों में भी बाँट लेते हैं। साथ ही, वहाँ की स्थिति और अपने अध्ययन में आवश्यकतानुसार शब्दों या वाक्यों आदि की सूची तैयार करते हैं। सूची कैसे बनाये तथा उसके सम्बन्ध में लोगों से सूचना कैसे प्राप्त करें, इसका अध्ययन 'सर्वेक्षण-पद्धति' (टे० अगला अध्याय) के अंतर्गत आता है। भाषा का अध्ययन ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ तथा मुद्रावर्ण आदि दृष्टियों में किया जाता है। सूची के आधार पर फिर पूरे क्षेत्र में सामग्री एकत्र करते हैं। इसके लिए कभी-कभी यह भी किया जाता है कि क्षेत्र में उन स्थलों का निश्चय कर लिया जाना है जहाँ से सामग्री लेनी हो। अच्छा तो यह होता है कि हर ५-५ या १०-१० मील के बाद में सामग्री ले, किन्तु यदि इनसे अधिक स्थलों से लेना सम्भव न हो, तो उन स्थलों से लेना चाहिए, जहाँ स्पष्टतः कुछ भ्रन्त हो। सामग्री एकत्र करने पर उस क्षेत्र के नक्शे में उसे विषयानुसार भरा जाता है। मान लें उस क्षेत्र में उत्तरी भाग में 'आ' अधिक विकृत है और दक्षिण में अर्द्धगकृत है, तो बीच में एक रेखा खींचेंगी। वह रेखा ऐसे स्थलों से होकर जायँगी जिसके उत्तर में 'आ' विकृत हो और दक्षिण में गकृत हो। इस प्रकार की रेखाएँ सामान्य रूप से 'आइसोग्लाम' कहलानी हैं। यद्यपि इन्हें 'ध्वनि-रेखा' या

‘आइसोफोन’ कहना अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार, ध्वनि के अन्तरो की रेखाएँ बना ली जायँगी हर विशेषता के लिए अलग-अलग नक्शे का प्रयोग अधिक अच्छा होता है। रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थ की दृष्टि से भी इसी प्रकार के नक्शे बनाये जा सकते हैं। सबके तैयार होने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूरे क्षेत्र में भाषा-विशेषताएँ क्या हैं? क्षेत्र की बोलियों में विभाजन के लिए इन नक्शों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी रेखाएँ ध्वनि-रेखा, रूप-रेखा, वाक्य-रेखा, अर्थ-रेखा, तथा शब्द-रेखा (अलग-अलग हैं, पर साथ ही यह भी स्पष्ट हो जायगा कि कुछ स्थलों पर कुछ रेखाएँ एक-दूसरे के अधिक समीप हैं, या कभी-कभी एक में मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषा का अन्तर दिखाने वाली ये दो या अधिक रेखाएँ एक-दूसरे पर हों या समीप हों, उसी को दो बोलियों की सीमा रेखा मानते हैं, क्योंकि इसी के आसपास से अन्तर आरम्भ होते हैं, किन्तु दो बोलियों के बीच रेखा या स्पष्ट सीमा- जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रायः दो के बीच एक ऐसी पतली पटी रहती है जिसमें दोनों बोलियों की विशेषताएँ रहती हैं। शब्दों का स्थान दिखाने के लिए बिन्दु या तारक से भी काम लेते हैं।

उपर्युक्त अध्ययन प्रमुखतः नक्शे की दृष्टि से था। इस प्रकार, बोलियों के क्षेत्र का निर्धारण हो जाने पर उनके क्षेत्र से अधिक सूक्ष्मता से सामग्री एकत्र कर उनका व्याकरण, कोश आदि बनाया जा सकता है या उपबोलियों या उनके भी स्थानीय भेदों के क्षेत्र का निर्धारण हो सकता है।

कहना न होगा कि यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है। तुलना भौगोलिक रूपों की है। इनका ऐतिहासिक अध्ययन भी हो सकता है और साथ ही इस अध्ययन से ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले जा सकते हैं और प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है, किन्तु यहाँ उस विस्तार में जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) सर्वेक्षण-पद्धति (Field-Method)

यदि हमें किसी ऐसी भाषा का विश्लेषण करना हो जिसकी सामग्री लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं है और वह भाषा किसी क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही है, तो उस क्षेत्र में जाकर, उसके प्रयोक्ताओं से सुनकर अपेक्षित सामग्री संकलित करने की पद्धति को क्षेत्र-पद्धति या सर्वेक्षण-पद्धति कहते हैं। यह सामग्री-संकलन भी प्रायः दो प्रकार से होता है—(१) स्वयं उस क्षेत्र में जाकर, (२) उस भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले अर्थात् मातृभाषाभाषी (native speaker) को अपने यहाँ बुलाकर। इन दोनों में प्रथम अपेक्षाकृत अधिक अच्छा है, क्योंकि उस क्षेत्र में उस भाषा का अपना वातावरण बना रहता है; अतः सहज रूप में संबद्ध और अपेक्षित सारी सामग्री प्राप्त करना संभव होता है। क्षेत्र के बाहर बुलाने में निम्नांकित कारणों से ठीक और अपेक्षित पूरी सामग्री नहीं मिल पाती—(क) उस भाषा का वहाँ का मूल वातावरण नहीं रहता जिसमें भाषा बोली जाती है। इसके कारण, कुछ असहजता आ जाती है। (ख) बाहर जाने से नये वातावरण के भी कुछ प्रभाव की संभावना होती है जो चाहे बहुत थोड़े रूप में ही सही, सूचक को प्रभावित कर सकता है। (ग) सूचक के घर या उस गाँव में जाकर उससे बात करने पर वह अधिक सहज रूप से उत्तर देता है। किन्तु यदि उसे कहीं बाहर बुलाया जाय तो अपनी भाषा के प्रति उसके अधिक सतर्क हो जाने की संभावना होती है जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे शब्द, रूप या प्रयोग, जिन्हें वह शिष्ट या परिनिष्ठित नहीं समझता, प्रायः छाँड़ जाता है। इसके विपरीत उसके अपने वातावरण में सहज रूप से बात करने का

यदि यत्न किया जाय तो ऐसी सामग्री के छूटने की अपेक्षाकृत कम संभावना रहती है। (घ) उस गाँव में होने पर किसी शब्द, रूप, प्रयोग आदि में संदेह होने पर दूसरों से बात करके सही रूपादि प्राप्त किये जा सकते हैं; किन्तु उस क्षेत्र के बाहर ऐसी सुविधा नहीं होती। (ङ) क्षेत्र में हाथ से इशारा करके भी अनेक वस्तुओं, सम्बन्धों, क्रियाओं के नाम आदि पूछे जा सकते हैं, किन्तु क्षेत्र के बाहर यह आवश्यक नहीं है कि क्षेत्र में उपलब्ध सभी वस्तुएँ आदि हों ही। इस तरह सामग्री के छूट जाने का भय रहता है।

सूचक से सामग्री प्राप्त करने के लिए उसके संपर्क में आना पड़ता है। इस प्रसंग में आने की स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। कभी तो ऐसा होता है कि सूचक केवल अपनी भाषा जानता है। उसे किसी ऐसी दूसरी भाषा की जानकारी नहीं होती जो सामग्रीसंकलित करने वाले या सर्वेक्षक को ज्ञात हो और कभी-कभी इसके विपरीत वह ऐसा कोई एक (या अनेक) भाषा जानता है और वह भाषा (या भाषाएँ) उन दोनों के बीच विचार-विनिमय के माध्यम का कार्य करती है (है)। पहली स्थिति में उन दोनों के बीच केवल वही भाषा होती है जिसकी सामग्री लेनी है। अतः इस रूप में सामग्री-संकलन की पद्धति को एकभाषिक (monolingual) पद्धति कहते हैं तथा दूसरी को द्वैभाषिक (bilingual) पद्धति। क्योंकि उस स्थिति में उन दोनों के बीच एक और भाषा भी आ जाती है। दूसरी में यदि एक से अधिक भाषाओं को माध्यम बनाया जाय तो उसे बहुभाषिक पद्धति कह सकते हैं। यों एकभाषिक पद्धति के सादृश्य पर दूसरी को अनेकभाषिक पद्धति भी कहा जा सकता है, जिसमें द्वैभाषिक और बहुभाषिक दोनों ही पद्धतियाँ आ जाती हैं। आगे की बातें मुख्यतः एकभाषिक पद्धति को ध्यान में रखकर कही गयी हैं। द्वैभाषिक या बहुभाषिक पद्धति से सामग्री-संकलन अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। उसके लिए जिस भाषा को विचार-विनिमय का माध्यम बनाना होता है, उसमें प्रश्नावली तैयार करते हैं। प्रश्नावली बनाते समय मुख्यतः केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह इतनी व्यापक हो कि उसके उत्तरस्वरूप उक्त भाषा के विश्लेषण-विवेचन के लिए अपेक्षित सारी सामग्री (ध्वनि, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, संख्यावाचक विशेषण, क्रिया, अव्यय एवं वाक्यादि विषयक) प्राप्त हो जाय। सर्वेक्षण-पद्धति के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें उल्लेख्य हैं—

सूचक (Informant)—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सूचक उस व्यक्ति को कहते हैं जिससे सूचना (भाषा-विषयक सामग्री) प्राप्त की जाय। सूचक के चयन आदि के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से ये बातें ध्यान में रखने की हैं—

(१) सामान्यतया १०-१८ वर्ष से कम का सूचक बहुत काम का नहीं होता, क्योंकि उसका भाषा-ज्ञान अपेक्षित गहराई का नहीं होता। यों मेरा अनुभव तो यह रहा है कि ३०-३५ वर्ष के आसपास का सूचक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह अपनी भाषा की सूक्ष्मताओं से अधिक परिचित होता है। चालीस से ऊपर के सूचकों में साधारणतया अपेक्षित चुस्ती नहीं होती।

(२) कभी-कभी एक ही स्थान की भाषा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च जाति, निम्न जाति, हिन्दू-मुसलमान, विशेष प्रकार के अलग-अलग पंथ आदि दृष्टियों से एकाधिक प्रकार की होती है। यह अन्तर शब्द-समूह के अतिरिक्त कभी-कभी, यद्यपि सीमित रूप में, ध्वनि एवं व्याकरण के स्तर पर भी (बिजनीर में हिन्दू—आव है, मुसलमान—आव है, खड़ीबोली के ही कुछ अन्य क्षेत्रों में—आता है) होता है। सूचक-चयन के समय इनका विचार भी आवश्यक है। गंगी स्थिति में कई सूचकों (कुछ पुरुषों तथा कुछ स्त्रियों) से सामग्री लेना अच्छा रहता है।

(३) एक स्थान से दो-तीन सूचक लिये जाने चाहिए, किन्तु सभी से अलग-अलग (दूसरे की उपस्थिति में नहीं) सामग्री नोट करनी चाहिए। जो बातें सभी में समान हों, वे निश्चित रूप से ठीक हैं, किन्तु जिनमें अन्तर है, आवश्यक नहीं कि सर्वथा गलत ही हों। उध. व्यवसाय, कुल-परम्परा, शिक्षा आदि कारणों से अन्तर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हीं सूचकों से फिर सुन कर या अन्य सूचकों से पता लगा कर शुद्धि-अशुद्धि या बोलीगत अन्तर आदि का निर्णय किया जा सकता है।

(४) स्त्री-पुरुष में पुरुष सूचक अपेक्षाकृत अधिक अच्छे होते हैं। क्योंकि अधिक सामाजिक जीवन बिताने के कारण उनका भाषा-विषयक अनुभव भी अधिक होता है। किन्तु इसके साथ ही, यह भी उल्लेख्य है कि पुरुष सूचकों पर बाह्य प्रभाव की अधिक संभावना रहती है। स्त्री सूचक अपेक्षाकृत अधिक अप्रभावित एवं ठेठ भाषा का प्रयोग करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई कठिनाई न हो तो एक पुरुष और एक स्त्री, दो सूचकों से सामग्री ली जानी चाहिए।

(५) पुरुषों और स्त्रियों की भाषा में शब्दों, रूपों, मुद्रावरों आदि के स्तर पर कभी-कभी अन्तर भी मिलते हैं। उर्दू में 'मुद्रावरों' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। हास (M. R. Haas) ने अपने एक लेख (Men's and Women's Speech in Khasi, Language, 20, १९४४) में इस प्रकार के अन्तर का अच्छा विवरण दिया है। इसीलिए अपनी आवश्यकतानुसार केवल पुरुष से, केवल स्त्री से, या दोनों से सामग्री ली जा सकती है।

(६) कभी-कभी कुछ पिछड़े वर्गों या जातियों में स्त्रियाँ दूसरों से नहीं मिलती-जुलतीं। ऐसे स्थानों पर केवल पुरुष सूचक से काम चलाया जा सकता है।

(७) शब्दों, रूपों एवं प्रयोगों आदि के स्तर पर कम आयु, अधिक आयु और बहुत अधिक आयु के लोगों में अन्तर मिलता है। उदाहरण के लिए, हिन्दी के पुराने लोग 'चिड़िया' का बहुवचन 'चिड़ियें' भी प्रयुक्त करते हैं, किन्तु नयी पीढ़ी 'चिड़ियों' का ही प्रयोग करती है। इसी प्रकार, अनेक पुराने लोग 'आये, गाये' के स्थान पर 'आवे, गावे' जैसे रूपों को व्यवहृत करते हैं। शब्दों के स्तर पर भी इस प्रकार के अन्तर मिलते हैं। हिन्दी में ही सुशिक्षितों की पुरानी पीढ़ी 'आश्चर्य' और 'मूर्ख' का प्रयोग करती है, किन्तु नयी पीढ़ी 'अचरज' और 'मूर्ख' (सात युगोस्त्वाव कहानियाँ—प्रभाकर माधवे १९६६; इसमें अधिक बार 'मूर्ख' के स्थान पर 'मूर्ख' प्रयुक्त हुआ है) को भी परिनिष्ठित हिन्दी का अंग मानती है। सामान्यतः नयी पीढ़ी के लोगों को धर्म, अंधविश्वास आदि विषयक शब्दों या वर्जित शब्दों (टेवू) के सम्बन्ध में पुरानी पीढ़ी की तुलना में कम जानकारी होती है। अलग-अलग क्षेत्रों में इससे मिलते-जुलते अन्य प्रकार के भी अन्तर मिल सकते हैं। यदि इस प्रकार के अन्तरों को ज्ञात करना भी हमारा लक्ष्य हो, तो सूचक तदनुकूल चुने जा सकते हैं।

(८) सूचक कई पीढ़ियों से यदि उसी क्षेत्र में रह रहा हो तो अधिक अच्छा है, क्योंकि बाहर से आने वालों की भाषा में किसी न किसी स्तर पर, किसी और भाषा या बोली के प्रभाव की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार, उससे उस भाषा या बोली का प्रकृत रूप नहीं मिल पाता।

(९) सूचक कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहा हो, किन्तु यदि वह अपने जीवन-काल में अधिक दिनों तक कहीं बाहर रहा हो, तो भी उसकी भाषा में बाह्य तत्वों के आ जाने की संभावना रहती है; अतः अच्छा हो कि ऐसे व्यक्ति को सूचक बनाया जाय जो अधिक दिनों के लिए कहीं बाहर न गया हो।

(१०) सामग्री के साथ सूचक का नाम, उसकी आयु, स्थान, परिवार की स्थिति, मूल, प्रवास, पेशा आदि विषयक संक्षिप्त इतिहास तथा उच्चारण-अवयव-विषयक विशेषता (जैसे दाँत बाहर निकलने

नीचे का जबड़ा भीतर को धँसा आदि) लिख लेनी चाहिए। सामग्री-विश्लेषण में इनमें बड़ी सहायता मिलती है। एक बार एक सूचक से मैं सामग्री नोट कर रहा था। वह सभी स्थितियों में दंतोष्ठ्य 'व' का ही प्रयोग कर रहा था, अतः मैंने मान लिया कि उस बाली में केवल दंतोष्ठ्य 'व' है, किन्तु बाद में औरों से तुलना करने पर पता चला कि और लोग द्योष्ठ्य का भी प्रयोग करते हैं। जब दोबारा मैंने उस सूचक से मुलाकात की और उसका उच्चारण समझने की कोशिश की तो पता चला कि उसका नीचे का जबड़ा कुछ भीतर को धँसा होने के कारण, उसके लिए द्योष्ठ्य 'व' का उच्चारण संभव नहीं था। इसी प्रकार, बड़े दाँत वाले पर्वग का उच्चारण भी दंतोष्ठ्य करते हैं। एक व्यक्ति मुझे ऐसा भी मिला जो जीभ कुछ छोटी होने के कारण प्रायः सभी जिह्वाच्छास्त्रि ध्वनियों को सामान्य से कुछ पीछे से उच्चरित करता था। इस प्रकार की और भी अग्रमाननाएँ मिलती हैं जिनका उच्चारण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सूचक के चयन में भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भरसक सभी दृष्टियों से सामान्य आदमियों को लेना चाहिए।

(११) समझदार आदमी अधिक अच्छा सूचक नहीं बन पाते, क्योंकि वह सर्वेक्षण की आवश्यकता को जल्दी समझ सकेगा।

(१२) अल्पभाषी, लज्जालु, एकांतप्रिय या बहुत गंभीर व्यक्ति प्रायः अच्छे सूचक नहीं बन पाते। इसके विपरीत बातूनी, हँसमुख, न डोपने वाला व्यक्ति सूचक के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होता है।

(१३) सूचक ऐसा होना चाहिए जो सहज रूप में बोलें। बहुत में लोग गतर्क होकर बनावटी रूप में बोलने लगते हैं। इस बात का पता चलते ही, या तो उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर उसके द्वारा बतायी गयी बातों की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का किसी अन्य अच्छे सूचक की सहायता में पता लगा लेना चाहिए।

(१४) सभी दृष्टियों से विचार करने पर अन्य लोगों की तुलना में कितना अपने क्षेत्र की भाषा को प्रायः अधिक प्रकृत रूप में जानता तथा बोलता है; अतः मजदूर या अन्य नौकरीपेशा व्यक्ति की तुलना में वह प्रायः अधिक अच्छा सूचक हो सकता है।

(१५) ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसी भाषा जानता हो जिसका ज्ञान सर्वेक्षक को हो, ऐसी भाषा न जानने वाले की तुलना में सूचक का काम अधिक अच्छी तरह कर सकेगा। उगमे बड़ी गहनता में और कम समय में अपेक्षित मार्ग सूचनाएँ ली जा सकती हैं।

(१६) यदि कई पढ़े-लिखे सूचक उपलब्ध हों तो भाषाविज्ञान का जानकार सूचक अपेक्षाकृत अधिक अच्छा हो सकता है।

सर्वेक्षक—सर्वेक्षक स्वभाव, योग्यता तथा प्रशिक्षण आदि की दृष्टि में कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखने की हैं—

(१) सर्वेक्षक को यथाशीघ्र अपरिचित को परिचित एवं परिचित को मित्र बना लेने वाला, मिलनसार, विनम्र, व्यवहारकुशल, हँसमुख, धैर्यवान्, अपना काम सहज ढंग में निकालने वाला, जिज्ञासु, सूचक से एक शिष्य की तरह भाषा सीखने तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने को इच्छुक, बातचीत में पटु, चुनन और मानधान होना चाहिए।

(२) उसकी स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे तुलना, विश्लेषण आदि में वह अपेक्षाकृत अधिक सफल हो सकता है।

(३) जिस क्षेत्र से सर्वेक्षक को सामग्री संकलित करनी हो, उसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता, रहन-सहन, लोग, जाति, उद्योग-धंधे आदि का यथासाध्य उसे समुचित ज्ञान होना चाहिए। इससे उसे अपनी प्रश्नावली बनाने, लोगों से निकट सम्पर्क स्थापित करने, अच्छे सूचक चुनने और अंततः वहाँ की भाषा का समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी।

(४) उसकी श्रवण-शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उच्चारण-स्थान, प्रयत्न, प्राणत्व, अनुनासिकता, मर्मरता, मात्राकाल, सुर, सुर-लहर, बलाघात, संगम आदि के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंतर को अत्यंत शीघ्रता से और ठीक-ठीक पकड़ सके। इसके लिए, सहज श्रवण-शक्ति के अतिरिक्त, ध्वनिविज्ञान का सैद्धान्तिक ज्ञान तथा उस ज्ञान के प्रयोग का उसे जितना ही अधिक अभ्यास होगा, वह उतनी ही कुशलता और सफलता से अपना काम कर सकेगा।

(५) भाषाविज्ञान सामग्री-संकलन एवं सामग्री-विश्लेषण में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों ही दृष्टियों से अच्छी गति सर्वेक्षक के लिए बड़ी सहायक होती है।

(६) सर्वेक्षक को काफी तेज लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ताकि वह सूचक की बोलने की सहज गति को कम किये बिना अपेक्षित सामग्री नोट कर सके।

(७) ध्वन्यात्मक लिपि का न केवल अच्छा ज्ञान, बल्कि तेजी से उसमें लिखने का अभ्यास भी होना चाहिए।

प्रश्नावली—कहानी, गीत, चुटकुला, आदि के लिए तो किसी प्रश्नावली की अपेक्षा नहीं होती, किंतु शब्द, रूप, वाक्य आदि जानने के लिए सर्वेक्षक को प्रश्नावली बना लेनी चाहिए। प्रश्नावली बना लेने से एक तो सरलता एवं सहजता से सूचक अपेक्षित सूचनाएँ देता चलता है, दूसरे आवश्यक सूचनाओं के छूटने का भय नहीं रहता। यों ऐसी कोई भी प्रश्नावली नहीं बनायी जा सकती जो अपने मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के सभी क्षेत्रों में भाषा-सर्वेक्षण के काम आ सके, क्योंकि हर भाषा या बोली की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है। इसलिए, अच्छा यह होता है कि क्षेत्र के लोगों, जातियों, धर्म, रहन-सहन एवं उद्योग-धंधे आदि से परिचय प्राप्त करके ही सर्वेक्षक प्रश्नावली तैयार करे। फिर भी, मोटे रूप से इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें बतायी जा सकती हैं—

(१) प्रश्नावली में स्थूल या मूर्त वस्तुओं या क्रियाओं से सम्बन्धित प्रश्न पहले आने चाहिए तथा सूक्ष्म या अमूर्त से सम्बन्धित बाद में।

(२) व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा वाक्य-क्रम से सामग्री प्राप्त करने की दृष्टि से प्रश्नावली बनानी चाहिए।

(३) वाक्य के बाद कहानी, चुटकुले, गीत-जैसी चीजें पूछकर नोट की जा सकती हैं। भाषा के बारे में अच्छी जानकारी हो जाने पर स्वतंत्रतः भी इन्हें पूछकर मालूम किया जा सकता है। प्रश्नावली बनाते समय क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आधारों से सहायता ली जा सकती है—

(अ) संज्ञा—

(क) शरीर के अंग—सिर, पैर, हाथ, अँगूठा, उँगली, नाखून, बाल, आँख, नाक, मुँह, कान, गाल, दाँत, जीभ, होठ, भौं, गर्दन, छाती, पीठ, पेट, कमर, जाँघ, घुटना, पिंडली, हड्डी, रक्त, मांस, दिल, जिगर, फेफड़ा—जैसी चीजों के नाम बाद में पूछे जा सकते हैं।

(ख) संबंधियों के नाम—बाप, माँ, भाई, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहन, जीजा, दादा, दादी,

खाई, चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बूआ, साला, साली, सास, ससुर, पोता, पोती, नाती, नतिनी, पतोह।

(ग) घरेलू चीजों के नाम—चारपाई, बिछौना, रजाई, तकिया, चादर, लोटा, गिलास, थाली, कटोरी, पतीला, पतीली, कड़ाही, तवा, चमचा, अँगौठी, चूल्हा।

(घ) अन्न तथा खानपान—गेहूँ, धान, जौ, मटर, घना, बाजरा, उड़द, चावल, दाल, आटा, खाना, पानी, मिठाई, रोटी, पराठा, सब्जी, आलू, बैंगन, गोभी, पालक, आम, सेब, अमरूद, केला, अंगूर, संतरा, नींबू, अनन्नास, नासंपाती, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू आदि।

(ङ) जीव-जन्तुओं के नाम—गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, हिरन, गीदड़, ऊँट, मछली, चूहा, साँप, मेढक, तोता, कौयल, मुर्गी, बलतख, मक्खी, मच्छर आदि।

(च) फूलों के नाम—गुलाब, चमेली, गेंदा, चम्पा, रातरानी, बेला आदि।

(छ) भौगोलिक नाम आदि—नदी-नाला, समुद्र, पर्वत-घाटी, जमीन, आसमान, सूर्य, चाँद, तारे, बादल।

(ज) कपड़े आदि—धोती, कुर्ता, टोपी, तौलिया, अँगौछा, स्माल, कोट, पाजामा, बनियाइन, जूता, मोजा, कमीज, स्वेटर आदि।

(झ) पढ़ने-लिखने की चीजों के नाम—किताब, कागज, कलम, स्याही, पत्र, पत्रिका, अखबार आदि।

(आ) सर्वनाम—यदि एक भाषिक पद्धति से पूछना हो तो सर्वनामों में प्रारंभ में मेरा घर, उसका घर, तुम्हारा घर जैसे प्रयोगों से संबंध कारक के रूप मालूम किये जा सकते हैं तथा अन्य रूपों (मैं, हम, तुम, वह, यह, मुझे, उन्हें आदि) को बाद में जानने का यत्न किया जा सकता है। हाँ, द्वैभाषिक या बहुभाषिक पद्धति से यदि सामग्री एकत्र की जा रही हो तो मूल रूप (मैं, तुम, हम, वह, यह आदि) एवं सम्बन्ध के रूप, दोनों ही नोट किये जा सकते हैं। अन्य रूप (उन्हें, मुझे, जिसे, आदि) बाद में वाक्यों के विश्लेषण के बाद खोजे जाने चाहिएँ। उसके पूर्व इनको जानने का यत्न अनावश्यक रूप में बहुत समय तो लेता ही है, स्पष्टतः पता चलना भी कठिन हो जाता है।

(इ) विशेषण—सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण। इनमें भी पूर्ण तथा कम पहले, और अपूर्ण आदि बाद में। पूर्ण में भी दस तक पहले तथा अन्य बाद में। रंग आदि विषयक विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषण वाक्य के माध्यम से अधिक अच्छी तरह जाने जा सकते हैं। ये बातें एकभाषिक पद्धति की दृष्टि से कही जा रही हैं। द्वैभाषिक आदि में इनका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है।

(ई) वाक्य—लिगा, वचन, कारक, शेष सर्वनाम, शेष विशेषण, अव्यय, क्रिया, आदि की जानकारी फुटकर उदाहरणों से अपेक्षित पूर्णता के साथ नहीं प्राप्त की जा सकती। वाक्य के स्तर पर ही उन्हें पाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे प्रश्न बनाये जाने चाहिएँ कि उत्तर में प्राप्त वाक्यों से पूरी भाषा के सम्बन्ध में इन विषयों से संबद्ध तथ्य जाने जा सकें।

प्रश्नावली के लिए कुछ संकेत—संज्ञा के लिए—वस्तु या जानवर आदि की ओर संकेत करते हुए 'यह क्या है?', व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए 'यह कौन है?' या 'यह तुम्हारा कौन है?' सर्वनाम के सम्बन्ध में कारकीय रूपों के लिए—वस्तु की ओर संकेत करते हुए 'यह किसका (की) है?' संख्याओं के लिए—कई वस्तुओं को एक ग्यान पर रखकर 'ये कितने हैं?' क्रिया के

लिए—स्वयं चलते या कूदते हुए 'मैं क्या कर रहा हूँ?' या दूसरे को कुछ करते हुए देखकर, संकेत करते हुए 'वह क्या कर रहा है?' इत्यादि।

कहानी, गीत, घुटकुले आदि का संकलन—वाक्यों के बाद इनका संकलन करना चाहिए। इनके विश्लेषण द्वारा सूक्ष्म संज्ञाएँ (आत्मा, दया, श्रद्धा आदि), सूक्ष्म विशेषण (बुद्ध, चालाक, संतोषी आदि), प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, मुहावरे तथा लोकोक्तियों आदि का पता लगाया जा सकता है तथा ऊपर जिनका उल्लेख किया जा चुका है, उनसे संबद्ध जानकारी की प्रामाणिकता की परीक्षा की जा सकती है। असल में इस प्रकार के पाठों (texts) में ही भाषा अपने सहज और पूरे रूप में हमारे सामने आती है। इसी कारण, इसके आधार पर अपने अनेक पूर्ववर्ती निर्णय हमें बदलने भी पड़ते हैं। यों इस संबंध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि कहानी तथा गीत आदि की भाषा कभी-कभी प्रचलित सहज भाषा से कई बातों में थोड़ी भिन्न तथा पुरानी होती है। उदाहरण के लिए, अनेक भोजपुरी क्षेत्रों की बोलचाल की भाषा में मुझे 'पहिती' ('सगपहिता' अपभ्रंश है), 'लुचुई', 'सगौती' शब्द नहीं मिले, किन्तु गीतों में इनका प्रयोग खूब मिलता है। गीतों में छंद की आवश्यकतानुसार तोड़-मरोड़ की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी, गीत, आदि के आधार पर भाषा के स्वरूप-निर्धारण में इन दृष्टियों से पर्याप्त सतर्कता आवश्यक है।

बातचीत की रिकार्डिंग—दो या अधिक सूचकों की बातचीत की टेप-रिकार्डर से रिकार्डिंग करके, उसे फिर सुनकर उसका विश्लेषण करना भी उस भाषा या बोली-विषयक सामग्री की प्राप्ति का अच्छा साधन है। सच पूछा जाय तो दो या अधिक सूचकों की आपसी बातचीत में ही भाषा का सर्वाधिक प्रकृत रूप मिल सकता है।

सामग्री-लेखन—इस संबंध में मुख्यतः निम्नांकित बातें ध्यान में रखने की हैं—

(१) विश्लेषण के समय कभी-कभी यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन-सी सामग्री कब ली गयी थी। अतः जिन चिटों पर सामग्री नोट करें, उन पर उस दिन की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। पहले से तिथि अंकित करने में बची चिटों पर तिथि काटनी पड़ती है; अतः प्रतिदिन नोट करने के बाद तिथि अंकित करना अधिक अच्छा रहता है।

(२) यदि चिटों पर कोई संशोधन करना हो तो ऐसे काटकर लिखना चाहिए कि पूर्वलिखित सामग्री भी पढ़ी जा सके। कभी-कभी संशोधनपूर्व सामग्री को जानना भी आवश्यक हो जाता है।

(३) सामग्री कितने बड़े कागज पर नोट करें, यह प्रश्न भी विचारणीय है। नाइडा ने बड़े कागज पर सामग्री नोट करने की राय दी है जिस पर काफी लिखा जा सके। मेरे विचार में शब्द, रूप, वाक्य आदि छोटी-छोटी चिटों पर नोट करना अच्छा है, ताकि फिर से सामग्री उतारनी न पड़े और ध्वनिग्राहक, रूपग्राहक तथा वाक्य-विश्लेषण में चिटों को आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों में रखा जा सके। हाँ, कहानी-गीत आदि बड़े कागज पर नोट किये जा सकते हैं।

(४) कागज की एक तरफ लिखना चाहिए। दोनों तरफ लिखने में तुलना करते समय बहुत समय लग जाता है तथा विश्लेषण में भी कठिनाई पड़ती है।

(५) छिपा कर नहीं लिखना चाहिए। इससे सूचक को सर्वेक्षक के उद्देश्य पर संदेह हो सकता है।

(६) हर शब्द को कम से कम दो बार सुनकर लिखना अधिक अच्छा होता है। लिखने के बाद तुरन्त एक बार दोहरा भी लेना चाहिए, ताकि लेखन में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक किया जा

सके। प्रस्तुत लेखक ने रूस में ताजुज्जेकी भाषा का सर्वेक्षण करते समय यह अनुभव किया कि उसी समय लेखन की गलती यदि नहीं पकड़ी गयी और उसे ठीक नहीं किया गया, तो बाद में ऐसा करना कई कारणों (उस सूचक का न मिलना ; अन्य लोगों का उच्चारण कुछ भिन्न होना आदि) से प्रायः असंभव हो जाता है।

(७) जो शब्द जैसे सुनाई पड़े, वैसे ही लिखना चाहिए। किसी स्तर पर बलात् एकरूपता लाने का यत्न नहीं किया जाना चाहिए। अनुसंधाता में ऐसी ईमानदारी बड़ी ही आवश्यक है।

(८) सामग्री ध्वनिग्राहिक लिपि में न लिखी जाकर ध्वन्यात्मक लिपि में लिखी जानी चाहिए। साथ ही, अपेक्षित उपचिह्नों की सहायता से विवृतता, संवृतता, अग्रता, मध्यता, पश्चता, प्रथत्न, स्थान, प्राणत्व, अनुनासिकता, मर्मरता, मात्रा, सुर, सुर-सहर, बलाघात, संगम आदि विषयक असाभान्यताओं को भी नोट कर लेना चाहिए।

(९) सूचक से सामग्री नोट करने के लिए अच्छी किस्म की पेंसिल ठीक रहती है। एक तो इससे अपेक्षाकृत अधिक तेजी एवं सरलता से लिखा जा सकता है, दूसरे कागज के भीगने पर अपठ्य होने का भय नहीं रहता, और तीसरे स्याही साथ रखने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है।

(१०) टेप-रिकार्डर से टेप करके, बाद में अकेले है ; कर भी सामग्री लिखी जा सकती है।

अर्थ—सामग्री लिखने के साथ-साथ उसका अर्थ भी लिखते चलना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नोक्त बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं—

(१) स्थूल वस्तुओं के सुनिश्चित अर्थ (जैसे रोटी, चारपाई, मकान आदि) तो सरलता से लिखे जा सकते हैं।

(२) जिन शब्दों के लिए अपनी भाषा में शब्द न मिलें, तो उनकी व्याख्या लिखी जा सकती है।

(३) बहुत-सी वस्तुओं के ऐसे भी नाम मिल सकते हैं जिनके लिए अपनी भाषा में शब्द नहीं हैं और उनकी ठीक व्याख्या लिखना भी जल्दी में कठिन होता है। ऐसी स्थिति में उनके रेखाचित्र या संकेत से काम चलाया जा सकता है।

(४) अर्थ की दृष्टि से अस्पष्ट शब्दों के अर्थ उनके प्रयोग से पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूचक के लिए सभी शब्दों का अर्थ समझाना—विशेषतः ठीक अर्थ समझाना—सर्वदा संभव नहीं होता।

सर्वेक्षण के लिए अन्य सुझाव—ऊपर 'सर्वेक्षक कैसा हो', इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयी हैं। यहाँ कुछ वे बातें दी जा रही हैं जिनका उसे सर्वेक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए—

(१) यदि सूचक की अभिवादन-पद्धति से सर्वेक्षक परिचित है, या मिलते ही देखकर परिचित हो जाता है, तो उसे उसी पद्धति से तुरंत अभिवादन करना चाहिए। प्रारम्भ में बिना विशेष परिचय के अपनी पद्धति से अभिवादन करना उचित नहीं होता। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षक की पद्धति से सूचक परिचित न हो और पहली भेंट में ही उसकी वह हरकत सूचक के लिए एक रहस्य बन जाय, या यह भी हो सकता है कि उस प्रकार की क्रिया (जैसे हाथ उठाना) उसकी अपनी संस्कृति में कुछ भिन्न अर्थ रखती हो, या खराब अर्थ रखती हो। विशेषतः किसी भी देश के बहुत पिछड़े आदिवासियों में जाते समय तो इस बात का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।

(२) सूचक से मुक्कराने हुए मिलना चाहिए। यों विभिन्न स्थितियों से मुक्कराहट व्यंग्य या

मजाक उड़ाने की भी द्योतिका होती है ; किन्तु प्रथम मिलन या मिलते समय की सहज मुस्कान, प्रायः सभी संस्कृतियों में, इसी बात का द्योतन करती है कि मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेषतः एकभाषिक पद्धति में तो यह मुस्कान और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सर्वेक्षक ऐसी स्थिति में नहीं होता कि बोलकर अपने भावों को सूचक तक पहुँचा सके।

(३) मिलते ही चुप न रह कर किसी न किसी भाषा में (चाहे उसे सूचक भले न समझता हो) बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। सूचक पर इसकी सहज प्रतिक्रिया यही होगी कि सर्वेक्षक बात करना चाहता है।

(४) यदि सूचक की सभ्यता में प्रचलित विनम्रता एवं शिष्टता के ढंगों से सर्वेक्षक परिचित हो, या परिचित हो जाय तो उसे उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। इससे सूचक को अपनी ओर आकर्षित करने एवं उसमें उपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(५) क्षेत्र में कुछ उपहार (जैसे मिठाई आदि) लेकर जाना प्रायः अच्छा साबित होता है। यदि सर्वेक्षक को इस बात का पता हो कि सूचक के क्षेत्र में कैसा उपहार विशेष पसन्द किया जायगा तो वही लेकर जाना चाहिए। उदयपुर में एक बार मैं कुछ नटों से वहाँ की भाषा-सम्बन्धी कुछ सामग्री नोट करने गया। एक बुद्ध ने बात शुरू करते ही अपनी भाषा में अपने साथियों से कुछ संकेत किया और परिणाम यह हुआ कि स्पष्टतः कुछ विरोध न करके भी वे कुछ विशेष बतलाने को तैयार न हुए। शाम को मैं बीड़ी के दस बडल लेकर वहाँ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे उपेक्षित सारी बातें बतलाईं और अंत में यह भी बतलाया कि प्रायः बुद्धा कह रहा था कि 'ये साले हमसे पूछताछ कर अपना पैसा बनाते हैं और हमें कुछ नहीं देते'।

(६) सूचक से मैत्रीपूर्ण भंगिमा में उन्मत्तपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

(७) सर्वेक्षक कुछ सीखने के लिए सूचक के पास जाता है। उसे सच्चे अर्थों में अपने को शिष्य समझना चाहिए।

(८) सूचक की हर परम्परा, बात एवं व्यवहार आदि के प्रति सर्वेक्षक को सहज प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा ऐसी व्यवहार करना चाहिए कि सूचक को भी दृष्टिकोण का पता चल जाय।

(९) यदि सूचक से कोई गलती हो जाय तो ऐसा रख अपनाना चाहिए या ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसे उसे ग्लानि, शर्मा आदि न हो और उसे लगे कि सर्वेक्षक यह कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। या ऐसी गलती देखकर भी नजरंदाज कर देना चाहिए, ताकि सूचक को लगे कि सर्वेक्षक ने देखा नहीं या ध्यान ही नहीं दिया, ताकि उसमें लज्जा, शर्मा आदि के भाव न आयें।

(१०) सूचक के साथ जब भी सर्वेक्षक रहे, उसे प्रसन्नचित्त रहना चाहिए।

(११) यदि किसी प्रकार यह पता चल जाय कि किसी कारण सूचक कुछ दुःखी है तो ऐसी गति में उस समय उससे सामग्री नोट करने का प्रयास न कर, फिर कभी उसके लिए जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो ऐसी स्थिति में महानुभूति के भाव व्यक्त करना उसे अपने समीप लाने में बहुत सहायक होता है।

(१२) सूचक यदि कोई बात अशुद्ध भी बतलाय तो न तो उसे टोकना चाहिए और न उसमें विवाद करना चाहिए। यदि किसी बात के अशुद्ध होने का महद हो तो बिना उसे बताया, उससे फिर

एक बार घुमा-फिरा कर किसी अन्य प्रसंग में वही बात पूछ लेनी चाहिए। यदि फिर भी गलती का सन्देह हो तो बाद में दूसरे सूचक से पूछना चाहिए।

(१३) यदि अपने से कोई गलती या अभद्रता हो जाय तो सर्वेक्षक को क्षमाप्रार्थी होना चाहिए। नाइडा ने अपनी भूलों पर तुरन्त हँसने की सलाह दी है। मेरे विचार में कुछ स्थितियों में तो यह ठीक हो सकता है, किन्तु सभी स्थितियों में भूल करके हँसने से गलतफहमी हो सकती है।

(१४) सूचक के शब्द या वाक्य दोहराने में यदि सर्वेक्षक से कोई अशुद्धि हो जाय और इस पर सूचक या अन्य लोग हँसें तो इसका बुरा न मान, ठीक रूप से उच्चरित करने का प्रयास करना चाहिए और उन लोगों के साथ अधिक-से-अधिक बातचीत करनी चाहिए।

(१५) सर्वेक्षक को सूचक या कुछ भाषा के भाषियों के सम्पर्क में अधिक रहना चाहिए, ताकि उन लोगों को आपस में बात करते सुना जा सके।

(१६) सूचक से सुने गये कुछ शब्द या वाक्य यथावसर सूचक के सामने प्रयुक्त किये जायें तो सूचक आगे और भी तत्परता से बतलाता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी भाषा के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने वाला व्यक्ति बतायी गयी चीजें परिश्रम से याद कर रहा है।

(१७) सूचक के साथ लगातार बहुत देर तक काम करना ठीक नहीं होता। ऐसा न हो कि वह ऊब कर बतलाने में रुचि लेना छोड़ दे। नाइडा (मारफालॉजी, पृ० १६१) ने ४५ मिनट को सामान्यतः ठीक समय माना है। मेरे विचार में ऐसा कोई नियम बनाना कदाचित् बहुत व्यावहारिक नहीं। मिथिला के एक सूचक के साथ मैथिली के संबंध में कार्य करते समय मैंने देखा कि डेढ़-दो-घंटे के पूर्व वह स्वयं मुझे छोड़ने को तैयार न होता था। दूसरी ओर बिजनौर के एक व्यक्ति के साथ कौरवी पर काम करते हुए मैंने पाया कि २०-२५ मिनट बाद ही वह ऊब जाता था। वस्तुतः समय का निर्धारण सूचक की प्रकृति (कम बोलने वाला या बातूनी), उसके पास कितना समय है, उसकी उम्र (मेरा अनुभव यह रहा है कि अर्धे या कुछ बूढ़े देर तक बिना ऊबे बतलाते रहते हैं और १८-२० वर्ष की उम्र वाले सबसे जल्दी ऊब जाते हैं) तथा उसके स्वास्थ्य आदि के आधार पर भाषा-सर्वेक्षक स्वयं कर सकता है।

(१८) सूचक से एक ही बात बार-बार दोहराने को नहीं कहना चाहिए। इससे वह ऊब सकता है। यदि दो-तीन बार के बाद भी उसी को दोहराने की आवश्यकता है तो ऐसा बाद में किसी और प्रसंग में करना अधिक उचित होगा।

(१९) 'ऐसा क्यों' या इस प्रकार के अन्य प्रश्न पूछना उचित नहीं। यदि सूचक जानता है तो बतला देगा और यदि नहीं जानता है तो यह सोचकर कि उसे अपनी भाषा के बारे में नहीं मालूम है, झोंप सकता है और आगे सर्वेक्षक की सहायता करने से कतरा सकता है। सूचक ऐसी स्थिति में यह सोच कर भी हीन भावना का अनुभव करता है कि सर्वेक्षक उसके बारे में क्या सोचेगा कि उसे अपनी भाषा के बारे में इतनी-सी बात भी नहीं मालूम है।

(२०) नाइडा ने लिखा है कि एक बार कोई सर्वेक्षक अँगुली से इशारा करके विभिन्न वस्तुओं के नाम पूछता रहा और सूचक हर बार एक ही उत्तर देता रहा। हुआ यह कि हर बार सूचक यह समझता था कि सर्वेक्षक अँगुली का नाम पूछ रहा है और वह वही बतलाता रहा। इस प्रकार, जब एक ही उत्तर बार-बार मिले तो ऐसी गलतफहमी का अनुमान लगा लेना चाहिए और इससे बचने के लिए वस्तु को हटा जा सकता है या और तरीके अपनाये जा सकते हैं।

(२१) नाम जानने के लिए सूचक को वस्तुओं को देखने में, अपनी वस्तुओं को दिखाना बहुत सहायक होता है। इसका आशय यह भी हुआ कि सर्वेक्षक भी अपने साथ कुछ वस्तुएँ ले जाय और अच्छा हो कि वह पहले अपनी वस्तुएँ दिखाये।

(२२) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय सर्वेक्षक को सतर्कता के साथ सूचक के शब्दों को सुनना चाहिए। निश्चित रूप से 'यह क्या है' या 'इसका क्या नाम है' या 'यह किस काम आता है' का समानार्थी कोई शब्द या वाक्य वह प्रयुक्त करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों को जान लेने पर उनकी वस्तुओं के नाम-काम आदि पूछने में सर्वेक्षक को आसानी रहेगी।

(२३) इस संबंध में एक यह भी ध्यान देने की बात है कि यदि सूचक से सुनकर उसी रूप में प्रश्न किया जाय और सूचक एक शब्द न कह कर एक या कई वाक्य कहे, या देर तक बोलता रहे, तो इसका आशय यह समझना चाहिए कि उस प्रश्न का अर्थ 'इसका क्या नाम है' न होकर 'यह किस काम आता है'।

(२४) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय उनके नाम तथा काम आदि के बारे में कहते चलो, यद्यपि यह निश्चित है कि सूचक कुछ नहीं समझेगा। इससे लाभ यह होगा कि अपनी वस्तुएँ दिखाते समय वह भी उनके बारे में कुछ कहना चाहेगा जिससे उसकी भाषा को सुनने और कुछ प्रारम्भिक बातों को पकड़ने का अवसर मिलेगा।

(२५) सूचक की संस्कृति एवं उसके अंधविश्वास आदि को ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं के नाम प्रायः नहीं पूछने चाहिए जिन्हें बताने में सूचक को किसी भी कारण संकोच हो। उदाहरण के लिए, अनेक पिछड़ी जातियों के आदिवासी अपना नाम, रात में साँप-बिच्छू के नाम तथा शैतान-भूत आदि तथाकथित अमांगलिक शक्तियों आदि के नाम लेना नहीं चाहते। आदिम जातियों में कुछ शब्द हैबू होते हैं। यदि उनकी जानकारी हो तो उन्हें भी नहीं पूछना चाहिए।

(२६) सूचक की चीजें देखते समय उन चीजों के बारे में उसके न समझने के बावजूद कुछ कहते और पूछते चलो जिससे वह स्पष्ट समझ जाय कि उन वस्तुओं के बारे में सर्वेक्षक जानना-सुनना चाहता है। इसका परिणाम यह होगा कि वह हर वस्तु को दिखाने के समय उसके नाम-काम के बारे में कुछ कहता चलेगा जिससे अनेक वस्तुओं के नाम जानने तथा सूचक की भाषा समझने-सीखने में मदद मिलेगी।

(२७) अनुसंधाता को सूचक की वस्तुओं के प्रति प्रशंसात्मक भाव व्यक्त करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि लोभ या उस वस्तु को लेने की बात की गंध न आने पाये।

(२८) सूचक की सभी वस्तुओं के संबंध में सर्वेक्षक को सहज जिज्ञासा का भाव प्रदर्शित करना चाहिये।

(२९) ऊपर 'यह क्या है' का समानार्थी शब्द या वाक्य जानने के लिए कहा जा चुका है। वस्तुतः सर्वेक्षक के लिए सूचक की भाषा के तीन वाक्य जानने बहुत आवश्यक हैं—'यह क्या है', 'यह किसका है', 'यह क्या कर रहा है'। इनमें प्रथम से अनेक संज्ञा शब्दों से सर्वनाम के सम्बन्ध कारक के रूपों तथा तीसरे से अनेक धातुओं की जानकारी हो सकती है।

(३०) भाषा सीखने के लिए उसे बार-बार सुनना और बोलने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है। क्षेत्र में इन दोनों के द्वारा भाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए।

(३१) भाषा के (विषय एवं वक्ता से संबद्ध) विभिन्न स्तरों की जानकारी के लिए विभिन्न

विषयों एवं अवसरों पर तथा विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, स्तरों के लोगों के बीच बातें सुननी चाहिए। इससे उस भाषा के विभिन्न रूपों या स्तरों को समझने में आसानी होगी।

(३२) काम के बाद समय मिलते ही सामग्री का विश्लेषण आरंभ कर देना चाहिए। इससे आगे के काम में मदद मिलती है तथा जानी गयी चीज को भूलने का भय नहीं रहता और यह वाद होती चलती है।

(३३) विश्लेषण के साथ-साथ ऐसी सामग्री वाद करते चलना चाहिए जो आगे के काम में सहायक हो।

(ग) भाषा-कालक्रम-विज्ञान (Glottochronology)

भाषाविज्ञान में सांख्यिकीय पद्धति (statistical method) से काम करने या सांख्यिकी (statistics) की सहायता लेने का इतिहास पिछली सदी से आरम्भ होता है। श्विटनी ने १८७४ में अंग्रेजी ध्वनियों पर इस पद्धति से कुछ काम किया था। किंतु, इस पर विशेष बल १९३५ के बाद दिया गया है। १९४८ में भाषाविज्ञान की छठी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पेरिस में हुई थी, ने इस सम्बन्ध में काम करने के लिए एक कमेटी बनायी थी। इस क्षेत्र में काम करने वालों में किंगस्ले जिफ्फ, हॉकिट, रीड, क्रोयबर, क्रेटीन तथा रास आदि के नाम उल्लेख्य हैं। ग्लाटोक्रोनोलोजी (जिसे हिन्दी में 'भाषा-कालक्रम-विज्ञान' कहा जा सकता है) इसी क्षेत्र में विकसित अध्ययन का एक रूप है जिसे विकसित करने का श्रेय मारिस स्वाडेस को है। इस विज्ञान को १९५० में इन्होंने विद्वानों के समक्ष रक्खा। १९५२ में उत्तरी अमेरिकी इंडियनों तथा एशिया के सम्बन्धों पर इसी आधार पर इनका लेख अमेरिकन फ़िलॉसॉफ़िकल सोसायटी की कार्यवाही में प्रकाशित हुआ। एक वर्ष बाद राबर्ट बी० लीज ने इस पर एक बहुत सुन्दर सैद्धान्तिक लेख प्रकाशित किया। इसके बाद ग्लोसन तथा कुछ अन्य लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। यद्यपि सही अर्थों में भाषाविज्ञान की यह शाखा अभी अपनी बाल्यावस्था में है और इसकी प्रक्रिया तथा परिणामों आदि का पूर्ण उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है; फिर भी, इसकी सम्भावनाओं की धुंधली छाया हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ अत्यंत संक्षेप में इसका परिचय दिया जा रहा है।

भाषा-कालक्रम-विज्ञान में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर भाषा-परिवार की दो या अधिक भाषाओं के शब्द-समूह को एकत्र करते हैं और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन में पुराने शब्दों के लोप और नये के आगम के आधार पर भाषाओं के एक मूल भाषा से अलग होने के काल का पता लगाते हैं। साथ ही, कभी-कभी ऐसी भाषाओं में, जिनमें कुछ समानता हो और कुछ भिन्नता हो, जिसके कारण उनके एक परिवार के होने के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन हो, भाषा-कालक्रम-विज्ञान के आधार पर उनके एक परिवार के होने या न होने के सम्बन्ध में, अपेक्षाकृत अधिक निश्चय के साथ कहा जा सकता है। एक ही भाषा के दो कालों का शब्द-समूह ज्ञात हो तो उनके बीच के समय के सम्बन्ध में भी इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है। इस प्रकार, वर्णनात्मक और तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर आधारित हम नयी शाखा के आधार पर ऐतिहासिक भाषाविज्ञान की बहुत-सी गुत्थियाँ सुलझायी जा सकती हैं।

तेरह भाषाओं के आधार पर आरम्भ में गणना की गयी। गणना के परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त स्थापित किया गया कि गामान्यतया एक हजार वर्षों में कोई भी भाषा अपने मूल शब्दों के केवल ८१४

शब्द रख पाती है। शेष १६५ शब्द लुप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिहजार वर्ष में किसी भाषा में १६५ शब्द नये आ जाते हैं। यों इस प्रतिशत के बारे में कुछ विद्वानों ने मतभेद प्रकट किया है, किन्तु किसी सर्वसम्मत प्रतिशत के न होने पर इस अधिक मान्य प्रतिशत को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रतिशत की प्राप्ति वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक, तीनों आधारों पर हुई है। अब इसे स्वीकार करके किसी भी भाषा के बारे में बहुत-सी बातों का, यदि बिलकुल सही नहीं तो, उसके बहुत समीप का अनुमान लगाया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, यदि किसी भाषा के शब्द-समूह का किसी प्राचीन काल में पता हो और आधुनिक काल में पता हो, किन्तु यह न पता हो कि वह प्राचीन काल कितने वर्ष पूर्व का है तो दोनों शब्द-समूहों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर लुप्त होने वाले या नये आने वाले शब्दों के प्रतिशत का पता लगाया जा सकता है और फिर उपर्युक्त प्रतिशत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पुरानी स्थिति कितने वर्ष पुरानी है। इसी प्रकार, यदि एक परिवार की दो भाषाओं के शब्द-समूह का पता हो, किन्तु यह न पता हो कि वे दोनों कब एक-दूसरे से अलग हुईं, तो उपर्युक्त पद्धति से उस मूल के उस समय के शब्द-समूह का पता लगाया जा सकता है जब दोनों भाषाएँ उससे निकलीं और फिर उस समय का भी पता लगाया जा सकता है। राजस्थानी, गुजराती या बँगला, उड़िया, असमिया के लिए इस प्रकार की गणना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

सैद्धांतिक दृष्टि से जो बातें ऊपर कही गयी हैं, प्रायोगिक दृष्टि से उन्हें पूर्णतः ठीक या प्रयोग के योग्य नहीं माना जा सकता। पहली बात तो यह है कि किसी भाषा के पुराने रूप के आधारभूत शब्द-समूह को, जिसके लिए प्रायः केवल थोड़ा-बहुत साहित्य ही उपलब्ध होता है, निश्चित करना कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्द-समूह में परिवर्तन-सम्बन्धी जो प्रतिशत निकाले गये हैं, सभी भाषाओं के लिए लागू नहीं हो सकते। एक भाषा ऐसी भी हो सकती है जो किसी ऐसी जगह बोली जाती हो जिससे बाहर के लोगों का सम्पर्क नहीं के बराबर हो। ऐसी स्थिति में उसके शब्द-समूह में परिवर्तन प्रायः नहीं के बराबर होगा। दूसरी ओर ऐसी भी भाषा हो सकती है जो भौगोलिक तथा अन्य दृष्टियों से ऐसे जगह की हो जहाँ अनेक राष्ट्रों को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृति के आदान-प्रदान करने का अवसर मिला हो : और ऐसी स्थिति में उसके शब्द-समूह में परिवर्तन बहुत अधिक होगा। आइसलैंडिक तथा ईरानी भाषा की इस दृष्टि से तुलना की जा सकती है। साथ ही, एक ही भाषा की दो स्थितियाँ हो सकती हैं। ऐसा असम्भव नहीं है कि अपने इतिहास के प्रथम एक हजार वर्षों के शब्द-समूह में परिवर्तन कम हो और दूसरे हजार वर्ष में बहुत अधिक। दूसरी ओर ऐसी भाषा हो सकती है जिसमें इसके ठीक उल्टा हो। तीसरी भाषा ऐसी भी सम्भव है जिसमें दोनों में हजार वर्षों में पर्याप्त परिवर्तन हो और चौथी ऐसी हो सकती है जिसमें दोनों ही में परिवर्तन नाम मात्र का हो। ऐसी स्थिति में सब को एक लाठी से नहीं हँका जा सकता। हाँ, यह माना जा सकता है कि अपवादों को यदि छोड़ दिया जाय तो सामान्य भाषाओं के लिए इन नियमों को काफी अंशों में लागू किया जा सकता है। पर साथ ही, एक अन्य बात की ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा न होगा। भाषा एक बहुत ही संश्लिष्ट चीज है। भूगोल, परम्परा, संस्कृत, बाह्य प्रभाव, वर्तमान सामाजिक स्थिति आदि अनेक बातों पर उसके परिवर्तन की गति निर्भर करती है। इसीलिए शुद्ध गणना पर आधारित गिद्दान्त उसके अध्ययन में उतने अधिक सहायक नहीं हो सकते जितने कि अन्य बहुत से अन्याधिक निश्चित और विकल्पविहीन विज्ञानों में होते हैं। ज़ेमा कि ऊपर कहा जा

चुका है, यह विज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है। इसके और विकसित होने पर भाषाविज्ञान में इससे और अधिक सहायता मिलने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) व्यक्ति-बोली-विकास (Linguistic Ontogeny)

'आंटोजेनी' (व्यक्ति-विकास) शब्द मूलतः जीवविज्ञान का है। इसका प्रयोग १८७० के आसपास किसी एक व्यक्ति (मनुष्य या अन्य जीव) के विकास के लिए किया गया। आधुनिक काल में भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने इसके साथ 'लिंग्विस्टिक' जोड़ कर भाषाविज्ञान की भाषा के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है। इसमें व्यक्ति-बोली या व्यक्ति-भाषा (idiolect) के जन्म से मृत्यु तक के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। दूसरे शब्दों में, इसमें एक व्यक्ति की भाषा के विकास (जन्म से मृत्यु तक) का अध्ययन किया जाता है। बच्चों की भाषा पर ओविस सी० इरविन, मैकार्थी, वाट्स, लियोपोल्ड, याकोब्सन, ट्रैडनबर्ग, हेलाक्रवायक्स, केलाग, स्टर्न, कैज, सिद्धेश्वर वर्मा आदि कई विद्वानों ने काम किया है जिसे इस अध्ययन से सम्बद्ध माना जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इस विषय पर हाकेट तथा कुछ अन्य लोगों ने भी विचार किया है।

छोटे बच्चों में भाषा-जैसी चीज नहीं होती, किन्तु भूखा या दर्द आदि से पीड़ित होने पर वह रोकर या अंगों को पटक कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और यह प्रतिक्रिया ही उसके लिए भाषा बन जाती है। माँ सम्य और स्थिति के आधार पर इन प्रतिक्रियाओं से उसके भूखे या दर्द आदि से पीड़ित होने का अनुमान लगा लेती है। धीरे-धीरे उसे पता चल जाता है कि भूखा होने पर रोने की क्रिया द्वारा वह खाना पा सकता है और तब वह रोने का धीरे-धीरे भाषा के रूप में प्रयोग करने लगता है। साथ ही, अभ्यास से पीठ ठोक्ने आदि से सोने और बैठाने से शौच होने आदि के रूप में वह माँ के 'इशारों की भाषा' को समझने लगता है। इस प्रकार विचारों का आदान-प्रदान बच्चा बहुत छोटी अवस्था से करने लगता है, किन्तु इसे सच्चे अर्थों में भाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। दोनों में बहुत अंतर है।

फिर, धीरे-धीरे बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, साथ ही वह ओठों से और जीभ से तरह-तरह की ध्वनियों को बिना किसी उद्देश्य के उच्चरित करता है। यों तो पैदा होते ही बच्चा रोने के रूप में हँ, कँ, यँ, आँ आदि ध्वनियों का उच्चारण करता सुना जाता है, किन्तु शीघ्र वह अन्य ध्वनियों का भी उच्चारण करने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चा पहले दोनों ओठों से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कहता है, किन्तु यह बात पूर्णरूपेण सत्य नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक लड़की में ध्वनियों के उच्चारण में विकास का अध्ययन पर्याप्त सावधानी से किया है। आरम्भ में 'किहाँ-कियाँ' जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। एक महीने, २२ दिन की होने पर लड़की 'घी-घी' जैसी ध्वनि उच्चरित करने लगी। एक महीने बाद, अर्थात् लगभग पौने तीन महीने की होने पर दुःखी होने पर अघी, डे-डे, हियाँ, अँगा, अँडा, अँहँ-अँहँ, अडSS, उँहँ-उँहँ जैसी ध्वनियाँ उच्चरित करती थी और प्रसन्न होकर खेलते समय हँ-हँ, अबू-अबू, अफू-अफू, अSS, अँS, गे-गे, गी-गी, अगी-अघी आदि। निष्कर्षतः अनुनासिक और घोष ध्वनियों का यहाँ प्राधान्य माना जायगा। यों कुछ ऐसे बच्चे भी देखे गये हैं जो म, प, ब का भी उच्चारण इस काल में विशेष रूप से करते हैं। इस प्रकार के अनासिक ध्वनि-समूहों में उसका ध्वनि-उच्चारण का अभ्यास बढ़ता है और धीरे-धीरे वह अभ्यास के आधार पर गफलता से अनुकरण करने लगता है। आरम्भ में उसकी गफलता इतनी ही होती है कि 'मामा'

को 'माँ' या 'पापा' को 'पा' आदि रूप में वह कह लेता है, पर धीरे-धीरे ये कमियाँ दूर होती जाती हैं। आरम्भ में मौखिक के स्थान पर अनुनासिक, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण या महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण, घोष के स्थान पर अघोष या अघोष के स्थान पर घोष आदि का उच्चारण करता है। संघर्षी ध्वनियाँ प्रायः उसके लिए कठिन होती हैं। साथ ही, पार्श्विक 'ल' और लुठित 'र' भी बच्चों के लिए कठिन होते हैं, इसलिए वे इन दोनों के स्थान पर न आदि कहते हैं। कुछ बच्चे 'ल' को पहले पकड़ लेते हैं और 'र', 'ड़' आदि के स्थान पर इसी का प्रारम्भ में प्रयोग करते हैं। धीरे-धीरे उन्हें अपनी गलती का पता चलता जाता है और वे उसे ठीक करते जाते हैं। यह है ध्वनि की दृष्टि से बच्चों की बोली का विकास।

बच्चे आरम्भ में केवल एक-एक शब्द कहते हैं, किन्तु वे शब्द हमारी दृष्टि से हैं; बच्चों की दृष्टि से वे वाक्य हैं। बच्चे द्वारा कहे गये 'दू' या 'दूध' का अर्थ है 'मैं दूध चाहता हूँ या मुझे दूध दो'। धीरे-धीरे वे व्याकरण की अन्य बातों—सैद्धान्तिक दृष्टि से नहीं, अपितु प्रायोगिक दृष्टि से—को सीख लेते हैं। सादृश्य के आधार पर शब्दों का निर्माण भी इसी काल के बाद शुरू होता है। बच्चे में इस निर्माण के आरम्भ होने का अर्थ है कि उसके मस्तिष्क में भाषा की नियमितता अपना स्थान बनाने लगी है। मैं जिस लड़की का अध्ययन कर रहा था, चार वर्ष की उम्र में वह कुछ लड़कियों के साथ खेलने लगी और उन्हें सहेली कहने लगी। फिर कुछ लड़के भी उसके साथ खेलने लगे और आरम्भ में उन्हें भी सहेली कहती थी, पर शीघ्र ही वह उन्हें 'सहेला' कहने लगी। मेरे पूछने पर उसने बतलाया कि वे लड़की नहीं हैं, लड़के हैं; अतः 'सहेली' न कह कर उन्हें 'सहेला' कहना चाहिए। मैं तरह-तरह से पूछ कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 'सहेला' उसका बनाया (सादृश्य के आधार पर) शब्द है और वह 'ई' प्रत्यय के स्त्रीलिंग और 'आ' से पुल्लिंग के सम्बन्ध से परिचित है। इतना ज्ञान हो जाने के उपरान्त बच्चे बड़ी जल्दी भाषा सीखने लगते हैं।

इसी प्रकार, 'फ़ोनीम' और 'अर्थ' की दृष्टि से भी धीरे-धीरे विकास होते हैं। छह-सात वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते बच्चा अपनी भाषा को काफी हद तक सीख लेता है। उसके आधारभूत शब्द-समूह से परिचित हो जाता है। आगे बढ़ने पर, प्रायः ध्वनि या व्याकरण की दृष्टि से आदमी में विकास नहीं होता; जो होता है, शब्द-समूह, मुहावरे तथा शैली आदि की दृष्टि से ही होता है और स्वभावतः ये विकास उसके पेशे एवं वातावरण आदि पर निर्भर करते हैं।

(ड) तुलनात्मक पद्धति तथा पुनर्निर्माण

(Comparative Method and Reconstruction)

भाषाविज्ञान में अध्ययन की पद्धति और भाषाविज्ञान के तीन रूपों पर विचार करते समय (प्रथम अध्याय में) तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक पद्धति को तुलनात्मक भाषाविज्ञान का एक अंग माना जा सकता है, किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसमें (तुलनात्मक पद्धति में) दो (या अधिक) भाषाओं या बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर पहले से यह निश्चय किया जाता है कि वे एक परिवार की हैं या नहीं; और फिर सूक्ष्म तुलना के आधार पर उन भाषाओं या बोलियों की पूर्वजा भाषा (जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है) का पुनर्निर्माण किया जाता है, अर्थात् उसकी ध्वनियाँ तथा व्याकरणिक रूपों एवं अन्य नियमों आदि को ज्ञात किया जाता है।

तुलनात्मक पद्धति—तुलनात्मक पद्धति का आरम्भ १७वीं सदी में हो गया था। तब से अब तक

भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण एवं पारिवारिक अध्ययन के क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ है, उसका आधार तुलनात्मक पद्धति ही है। अब यह पद्धति पहले की अपेक्षा सांख्यिकी आदि शास्त्रों की सहायता से बहुत सुविकसित हो गयी है।

तुलनात्मक पद्धति में पहले दो भाषाओं के शब्दों को एकत्र कर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि दोनों भाषाओं के बहुत से शब्दों में ध्वनि (या रूप) और अर्थ की दृष्टि से बहुत साम्य है। उदाहरणार्थ, संस्कृत पिता, ग्रीक Pater या लैटिन Pater, फ़ारसी पेदर, या अंग्रेजी Father आदि। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ध्वनि और अर्थ दोनों में यह साम्य क्यों हुआ ? यदि विचार करें तो चार सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं—

(१) सम्भव है यह साम्य यों ही संयोग से हो गया हो। इसका कोई ऐतिहासिक आधार न हो। उदाहरणार्थ, जर्मन नास (nass) और जूनी नास (nas) दोनों का अर्थ 'भीगा' हुआ होता है और दोनों में ध्वनि-साम्य भी है, किन्तु इसका कोई आधार नहीं है। संयोग से ही यह साम्य हो गया है। अंग्रेजी near तथा भोजपुरी नीवर (=समीप) में भी इसी प्रकार का साम्य है।

(२) दूसरी सम्भावना यह हो सकती है कि इन दोनों भाषाओं में से किसी एक ने दूसरी से उस शब्द को लिया हो। उदाहरणार्थ, हिन्दी ने द्रविड़ भाषाओं से 'पिल्ला' शब्द लिया है। या यदि संस्कृत और द्रविड़ परिवार की किसी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो एक ओर ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो उन भाषाओं में संस्कृत से लिये गये हैं, जैसे—कन्नड़ अन्नम् (भात) और दूसरी ओर संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो द्रविड़ भाषाओं से लिये गये हैं, जैसे—बीहि (चावल)।

(३) तीसरी सम्भावना यह भी हो सकती है कि दोनों ही भाषाओं ने ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से साम्य रखने वाले शब्दों को किसी तीसरी भाषा से लिया हो। इस सम्भावना के कई अन्य रूप भी हो सकते हैं। दोनों ऐसी दो अन्य भाषाओं से भी शब्द ले सकती हैं जो या तो पारिवारिक दृष्टि से सम्बद्ध हों, या किसी भी स्तर पर उधार लेने के कारण दोनों में एक ही शब्द हो। उदाहरणार्थ, पंजाबी और हिन्दी ने फारसी से बहुत से शब्द लिये हैं या फारसी और तुर्की ने अरबी से बहुत से शब्द लिये हैं। जर्मन और अंग्रेजी ने फ्रांसीसी भाषा से बहुत से शब्द लिये हैं।

(४) चौथी सम्भावना यह भी हो सकती है कि जिन दो भाषाओं में कुछ शब्दों में अर्थ और ध्वनि का साम्य हो, वे दोनों एक ही परिवार की हों और समता वाले शब्द उस मूल भाषा के हों जिनसे वे निकली हों। हिन्दी-पंजाबी, हिन्दी-मराठी या हिन्दी-बंगला की तुलना करने पर बहुत अधिक शब्द इस प्रकार के मिलेंगे और कहना न होगा कि वे शब्द मूलतः संस्कृत के हैं। वहीं से परम्परागत रूप से इन भाषाओं को मिले हैं।

इन चारों सम्भावनाओं को संक्षेप में रखना चाहें तो केवल तीन वर्ग बना सकते हैं—एक संयोग या चांस का, दूसरा उधार लिये जाने का और तीसरा मूल भाषा से, उससे निकली भाषाओं में परम्परागत रूप से आने का।

पहली या संयोग की सम्भावना को लेकर विद्वानों ने बहुत सोचने-समझने तथा विभिन्न भाषाओं के आधार पर इसका प्रतिशत निकालने की कोशिश की है। मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि संयोग या चांस के कारण अधिक से अधिक दो भाषाओं के चार प्रतिशदों में ध्वनि या रूप का साम्य हो सकता है। यदि साम्य इससे अधिक शब्द में हो तो इसका आशय है कि साम्य चांस पर आधारित न होकर शेष दो में से किसी एक पर आधारित है। दूसरे प्रकार के—अर्थात् उधार पर

आधारित-साम्य की जानकारी के लिए उधार की सम्भावनाओं की छानबीन करनी पड़ती है। इसके लिए दोनों भाषाओं की भौगोलिक स्थिति एवं उनके बोलने वालों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास एवं पारस्परिक सम्बन्ध आदि पर दृष्टि दौड़ानी पड़ती है। इन आधारों पर इस बात का निर्णय हो जाता है कि समता रखने वाले शब्द उधार दिये गये हैं, या नहीं। इसके लिए प्रतिशत का निर्धारण सम्भव नहीं। कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें उधार शब्दों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे फ़ारसी भाषा में अरबी शब्द; और दूसरी ओर ऐसी भी भाषाएँ हैं जिनमें इस प्रकार की संख्या बहुत कम है, जैसे आइसलैंडिक।

उपर्युक्त दोनों सम्भावनाओं के न रहने पर तीसरी सम्भावना के लिए गुंजाइश होती है। इस सम्भावना के होने पर दोनों भाषाओं की कुछ दृष्टियों से भी तुलना अपेक्षित होती है। पहले प्रकार की तुलना ध्वनियों की हो सकती है, दूसरे प्रकार की व्याकरणिक रूपों की। इस दूसरे में उपसर्ग तथा प्रत्ययों की तुलना भी महत्त्वपूर्ण है। तीसरे प्रकार की तुलना वाक्य-गठन आदि भाषा के अन्य नियमों की हो सकती है। इन तुलनाओं के अतिरिक्त इन दोनों के बोलने वालों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं, उनके शरीर, जीवन एवं संस्कृति के मानवशास्त्रीय विश्लेषण एवं उनके आदि स्थान एवं इतिहास के अध्ययन द्वारा भी इन भाषाओं के एक परिवार की होने की सम्भावना को पुष्ट किया जाता है और फिर दोनों भाषाओं के एक परिवार की होने का निश्चय हो जाता है।


पुनर्निर्माण (Reconstruction)—पारिवारिक दृष्टि से आपस में संबद्ध भाषाओं के शब्दों, रूपों, ध्वनियों तथा वाक्य-निर्माण के नियमों आदि की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उस मूल भाषा की ध्वनियों, शब्दों, रूपों आदि का पता लगाना पुनर्निर्माण है। संस्कृत, प्राचीन फ़ारसी, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं के इसी प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उनकी मूल भारोपीय भाषा के सारे अंग पुनर्निर्मित किये गये हैं। इस प्रकार के पुनर्निर्मित रूप तारक (*) के साथ लिखे जाते हैं।

ध्वनियों के पुनर्निर्माण के लिए संबद्ध भाषाओं—मान लें दो—से बहुत से ध्वनि और अर्थ की समता रखने वाले शब्द लिये जाते हैं। मान लें, एक भाषा के शब्दों में जहाँ-जहाँ 'क' ध्वनि आयी है, दूसरी में भी वहाँ 'क' ध्वनि है, तो सामान्यतया यह माना जायगा कि मूल भाषा में उस स्थान पर 'क' ध्वनि थी। यदि उस परिवार में दो से अधिक भाषाओं का पता है तो उन सभी भाषाओं में प्रयुक्त उन्हीं शब्दों के रूपों को लेकर इसकी परीक्षा की जायेगी। यदि सभी में 'क' है तो यह प्रायः निश्चित है कि मूल भाषा में उस स्थान पर 'क' ध्वनि थी। उदाहरणार्थ, संस्कृत नव, यूनानी enna, लैटिन novem, गोथिक niun के आधार पर उस स्थान पर मूल भारोपीय में भी 'न' के होने का अनुमान लगता है। इसी प्रकार, इन शब्दों की अन्य ध्वनियों की तुलना एवं शब्दों में इन ध्वनियों की तुलना के आधार पर नौ के पर्याय उपर्युक्त सारे शब्दों के मूल रूप का पुनर्निर्माण *newn रूप में किया गया है। आशय यह हुआ कि मूल भारोपीय भाषा में नौ के लिए +newn शब्द था और उसी से उपर्युक्त सारे रूप या उस परिवार की अन्य भाषाओं के रूप (जैसे अंग्रेजी nine, हिन्दी नौ आदि) विकसित हुए हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक भाषा में, कहीं एक ध्वनि मिलती है और दूसरी में उसी स्थान पर दूसरी। इसमें कई सम्भावनाएँ हो सकती हैं। संभव है, मूल भाषा में उन दोनों में की कोई एक ध्वनि रही हो और दूसरी भाषा की दूसरी ध्वनि उसका विकसित रूप हो। जैसे सात के लिए मूल भारोपीय भाषा में *septm शब्द का पुनर्निर्माण किया गया है। लैटिन में इसका रूप septem

मिलता है और गॉथिक में sibun। यदि लैटिन और गॉथिक के आधार पर पुनर्निर्माण करना हो तो समस्या यह खड़ी होगी कि लैटिन में जहाँ 'प' है, गॉथिक में वहाँ 'ब' है; फिर मूल भाषा में क्या था? यहाँ संस्कृत सप्त, ग्रीक hept आदि के आधार पर तथा अन्य शब्दों में 'प' की गति का अध्ययन कर भाषाविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मूल में 'प' ध्वनि थी। लैटिन में तो वह 'प' ही रही, किन्तु गॉथिक में उसका घोषीकरण हो गया और वह 'ब' हो गयी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो संबद्ध भाषाओं में एक स्थान पर दो भिन्न ध्वनियाँ मिलती हैं, पर तरह-तरह के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष यह निकलता है कि मूल भाषा में उन दोनों में एक भी नहीं थी और उन दोनों के स्थान पर कोई तीसरी ध्वनि थी। उदाहरणार्थ, 'एक' के लिए लैटिन में unus शब्द मिलता है तथा गॉथिक में ains, जिनके आरम्भ में क्रम से u तथा ai हैं, किन्तु इन दोनों के आधार पर जिस मूल शब्द का पुनर्निर्माण किया गया है, वह *oinos है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ मूल oi ध्वनि एक ओर तो u बन गयी है और दूसरी ओर ai। इस प्रकार, पुनर्निर्माण में ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी नियम और दिशाओं से भी पूरी सहायता मिलती है और ग्रिम-नियम जैसे ध्वनि-नियम का भी निर्धारण होता है।

इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मूल भाषा की सारी ध्वनियों, शब्द, रूप तथा भाषा विषयक अन्य नियमों का पुनर्निर्माण होता है। इस पुनर्निर्माण की सफलता तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्राप्त सामग्री की प्रचुरता और निश्चितता पर निर्भर करती है। इसीलिए, जहाँ सामग्री कम या अनिश्चित होती है, पुनर्निर्मित ध्वनियों या रूपों आदि के विषय में प्रायः विद्वानों में एकमत नहीं होता। मूल भारोपीय भाषा के बहुत से अंगों के विषय में इस प्रकार के मत-वैभिन्न्य हैं।

पुनर्निर्माण कई सीढ़ियों तक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—



यह भाषा-परिवार है। इसमें उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ जीवित भाषाएँ हैं और उनके सम्बन्ध में हमें जानकारी है। ऊपर कही गयी तुलनात्मक पद्धति से उ-ऊ के आधार पर 'आ' का; ए-ऐ के आधार पर 'इ' का; और ओ-औ के आधार पर 'ई' का पुनर्निर्माण करेंगे। फिर, पुनर्निर्मित आ, इ, ई के आधार पर 'अ' का पुनर्निर्माण करेंगे। इसी प्रकार, यदि सामग्री मिले तो और पीछे तक भी पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

किसी मूल भाषा के पुनर्निर्मित रूप (विशेषतः पुनर्निर्मित शब्द-समूह) के आधार पर तत्कालीन संस्कृति-सभ्यता एवं उसके प्रयोक्ता जन के स्थान आदि का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

पुनर्निर्माण का एक आंतरिक पुनर्निर्माण (internal reconstruction) भी कहलाता है जिसमें एक ही भाषा में तुलनात्मक पद्धति के सहारे पुरानी ध्वनियों या शब्दों आदि का निर्माण करते हैं। इस रूप में उपर्युक्त पुनर्निर्माण को बाह्य पुनर्निर्माण (external reconstruction) कहा जा सकता है।

आंतरिक पुनर्निर्माण (internal reconstruction) उस भाषा का अपेक्षित होता है जिसका पुराना लिखित रूप प्राप्त नहीं। इसके द्वारा उसके प्राचीन रूप—ध्वनि, शब्द-रूप या व्याकरण

आदि—का पता लगाते हैं। इसका आधार यह माना गया है कि भाषा के प्राचीन रूप के कुछ चिह्न किसी न किसी रूप में भाषा के वर्तमान रूप में वर्तमान होते हैं। वे ही अंधे की लकड़ी का काम करते हैं। उनके आधार पर ही प्राचीन भाषा का एक सीमा तक निर्माण सम्भव है।

(च) भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज

(Linguistic Palaeontology)

भाषाविज्ञान की यह शाखा इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें इतिहास के उस अन्धे युग पर, जिसके सम्बन्ध में कोई सामग्री प्राप्त नहीं है, भाषा के सहारे प्रकाश डाला जाता है। जर्मन विद्वान् मैक्समूलर ने इसकी नींव रखी। जर्मन में इसका नाम उर्गेशिख्त (Urgeschichte) है।

खोज की प्रणाली—इस खोज के लिए किसी भाषा के प्राचीन शब्दों को लिया जाता है, फिर उस परिवार की अन्य भाषाओं के प्राचीन शब्दों की तुलना के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि प्राचीनतम काल के शब्द कौन-कौन थे। इन शब्दों को इकट्ठा कर इनका विश्लेषण कई दृष्टियों से किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक आदि वर्गों में शब्दों को अलग-अलग करके अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा क्या थी? जानवरों के नामों से यह पता चलता है कि उनके पास कौन-कौन जानवर थे? 'क्रिया' शब्दों से उनके सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार, यथासाध्य उन शब्दों के सहारे जीवन के प्रत्येक अंग की छानबीन की जाती है और एक पूरा नक्शा तैयार करने का प्रयास किया जाता है।

साथ ही, प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड़-पौधे तथा ऋतु से सम्बन्धित शब्दों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान पर इन सबका इस रूप में पाया जाना सम्भव है। इससे उनके आदिम स्थान का अनुमान लग जाता है।


खोज में सहायक अन्य शास्त्र तथा विज्ञान—इस खोज का आधार यद्यपि भाषाविज्ञान है, पर पूर्णता के लिए अन्य शास्त्रों एवं विज्ञानों से भी सहायता लेनी पड़ती है। इनमें सबसे प्रथम स्थान मानवविज्ञान का है। इसके द्वारा उस काल के मानव का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन अन्य आधारों से होता है। इसी प्रकार, पुरातत्त्व (archaeology) की सामग्रियों एवं निष्कर्षों से भी हमें भाषाविज्ञान के आधार पर की गई खोज को पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके सत्यासत्य होने की परीक्षा भी कुछ हद तक हो जाती है। भूगर्भविद्या (geology) भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। पर सबसे अधिक सहायता भूगोल (geography) से मिलती है। विशेषतः उस स्थान-विशेष का प्राचीन भूगोल शब्दों के आधार पर प्राप्त वहाँ की तत्कालीन भौगोलिक दशा को समझने में तथा आदि स्थान को निश्चित करने में बहुत सहायक होता है।

मूल भाषा के शब्दों का निर्णय करने समय कुछ स्मरणीय बातें—

(१) जिस कुल के प्राचीन काल की खोज करनी हो, उसकी नयी-पुरानी सभी शाखाओं-प्रशाखाओं के शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए और सभी का अध्ययन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ऐसा करने से कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री मिल जाती है। किसी भी प्राचीन शब्द को व्यर्थ समझकर छोड़ना उचित नहीं।

(२) एक शब्द एक शाखा की अनेक प्रशाखाओं में और अन्य शाखा की एकाध प्रशाखाओं में

मिले तो इससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शब्द मूल भाषा का है। हो सकता है कि एक शाखा में बाद में उसका कहीं और जगह से आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओं की एकाध प्रशाखाओं ने उसे उधार ले लिया हो। इस सम्बन्ध में, शब्द यदि दूर की शाखाओं में मिले जिनकी आपस में भौगोलिक दूरी भी अधिक हो और इतिहास के किसी काल में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न रहा हो तो वह मूल भाषा का माना जा सकता है। इसे निम्न चित्र के द्वारा अधिक सरलता से समझा जा सकता है :



यहाँ अ मूल भाषा है। उससे आरम्भ में आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुईं और क्रमशः आ से क, ख, ङ, इ से ग, घ तथा उ से च का जन्म हुआ है। यदि क, ख और ङ में कोई शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनिवार्यतः वह मूल भाषा में अ का शब्द है। पर, यदि क और च में एक शब्द मिलता है तो उसके मूल में होने की अधिक सम्भावना हो सकती है। इतना ही नहीं, यदि अंग्रेजी और हिन्दी की भाँति क और च का सम्बन्ध हो, या रहा हो, तो इस प्रकार के एक शब्द का पाया जाना विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि सम्भव है संसर्ग के कारण, एक ने दूसरे से उधार लिया हो। पर, दूसरी ओर दोनों भाषाओं में पाया जाने वाला शब्द यदि इतने पुराने समय से पाया जाता हो जबकि दोनों का आपस में सम्बन्ध नहीं था, तो उसका महत्व हो सकता है। यह बात प्रत्यक्ष सम्पर्क की है। कभी-कभी अप्रत्यक्ष सम्पर्क के कारण भी शब्द एक भाषा से दूसरी में आ जाते हैं। उपर्युक्त चित्र में क और घ से सीधा सम्बन्ध कभी नहीं रहा है। पर क का यदि ग से और ग का घ से सम्बन्ध रहा हो तो यह अप्रत्यक्ष सम्बन्ध माना जायगा और शब्द के उधार लिये जाने की सम्भावना हो सकती है। पर, यहाँ भी पहले के उदाहरण की भाँति सम्पर्क के समय पर विचार कर लेना आवश्यक होगा।

(३) दो भाषाओं में एक शब्द मिले, किन्तु ध्वनि और अर्थ में कुछ या अधिक अन्तर हो, तो इस आधार पर शब्द छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सम्भव है, अर्थ एवं ध्वनि-परिवर्तन के कारण यह अन्तर पड़ा हो और मूलतः शब्द एक हो।

(४) कोई एक शब्द एकाध प्रशाखा में हो और शेष में न हो तो इससे सीधे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि मूल भाषा में शब्द का लोप हो गया हो; अतः और आधारों से इसकी परीक्षा करनी चाहिए।

(५) किसी श्रृंखलाबद्ध शब्द-पंक्ति में इधर-उधर के शब्द मिले तो बीच के शब्द न मिलने पर भी उसकी सम्भावना की जा सकती है। जैसे नाक, कान, मुँह के लिए शब्द मिले तो आँख के लिए शब्द मिले या नहीं, यह निश्चित रूप से कहा जायगा कि उसके लिए शब्द था। इसी प्रकार, १, २, ३, ५, ६, ७, ८ के लिए शब्द हो तो ४ और ९ का होना भी माना जायगा, चाहे शब्द मिले या न मिले।

अबों में निष्कर्ष निकालने समय ध्यान देने योग्य बातें—

(१) एक वस्तु के नाम का मूल भाषा में मिलने पर जब तक और शब्द न मिले, उसके विभिन्न प्रयोगों का उम्र काल में होना न मान लेना चाहिए। जैसे, यदि घोड़ा के लिए शब्द मिल जाय, घड़ने

और रथ आदि के लिए शब्द न मिले तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो सकता है। क्योंकि यह भी सम्भव है कि परिचय मात्र रहा हो और रथ में जोतना, चढ़ना आदि प्रचलित न रहा हो। इसी प्रकार दूध के लिए शब्द मिलने पर दधि और घी होने की सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दों के मिले बिना नहीं हो सकती।

(२) पानी, पर्वत, पेड़, आदि शब्दों के तथा ऋतु के आधार पर मूल निवास-स्थान के निश्चित करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसमें प्राचीन भूगोल से विशेष सहायता ली जानी चाहिए। साथ ही केवल कुछ ही शब्दों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।

(३) सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था आदि के विषय में भी अन्य शास्त्रों एवं विज्ञानों से सहारा लेकर निष्कर्ष निकालना चाहिए। साथ ही, अपने परिणाम को पर्याप्त सांख्यिकी पर आधारित करना चाहिए। उस विषय में शब्द के मिलने पर भी किसी ऐसी परम्परा या ऐसे विधान की कल्पना न की जानी चाहिए जो उस काल के लिए असम्भव हो, क्योंकि ऐसी दशा में अधिक सम्भव यह है कि वह शब्द-विशेष उस समय कुछ दूसरा अर्थ रखता रहा हो। उदाहरणार्थ, प्राचीन भारोपीयों के सम्बन्ध में खोज करते समय रेल के लिए कोई शब्द मिले तो उसका आशय यह नहीं कि उस समय रेल थी, बल्कि उसका अर्थ यह अवश्य है कि उस शब्द विशेष के ठीक अर्थ से हम अवगत नहीं हैं।

भाषाविज्ञान के आधार पर ऐसी खोजें विशेषतः भारोपीय परिवार के विषय में हुई हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस सम्बन्ध में प्रथम व्यवस्थित कार्य मैक्स मूलर द्वारा हुआ। उसने और बातों पर प्रकाश डालते हुए मध्य एशिया में आर्यों का आदि स्थान निश्चित किया। तब से लैघम, पीटर गाइल्स, सर देसाई, तिलक, वैदेस्ताइन, दास, सम्पूर्णानन्द, कीथ आदि अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, किन्तु अभी तक सभी लोग किसी एक मत को मान्य नहीं मान सके हैं।

(ख) समाजभाषाविज्ञान (Sociolinguistics)

भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। व्यक्ति समाज में ही उसे सीखता है और समाज में ही उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार, समाज और भाषा का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध का परिणाम है कि भाषा अपनी व्यवस्था में समाज के अनुरूप होती है, साथ ही उसका विकास भी सामाजिक विकास के समानान्तर चलता है। इसीलिए, किसी समाज के बारे में उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा के आधार पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारतीय भाषाओं में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा जैसे सम्बन्धघोतक स्वतन्त्र शब्दों का पाया जाना, किन्तु यूरोपीय भाषा में इनका अभाव, इस बात को स्पष्ट करता है कि भारतीय समाज के इन सम्बन्धों का यूरोपीय समाज की तुलना में अधिक महत्त्व था। फ़ारसी में बड़े लोगों के लिए आदरार्थ में क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि वहाँ की सामन्ती व्यवस्था में अमीर या बड़े आदमी एक से अधिक सामान्य या निम्न श्रेणी के व्यक्ति के बराबर माने जाते थे। जापान में राजा तथा राजघरानों के लोगों के लिए सामान्य भाषा से अलग शब्दों एवं रूपों के प्रयोग इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि वहाँ के समाज में राजा का स्थान बहुत ही विशिष्ट रहा है जो अन्य देशों में प्रायः दुर्लभ है। भाषा और समाज के इस घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर ध्यान जाने के कारण ही अब भाषाविज्ञान की यह एक नयी शाखा विकसित हो गयी जिसमें भाषा और समाज के सम्बन्धों तथा उससे सम्बद्ध बातों पर विचार किया जाता है। इसे हम भाषाविज्ञान और समाजविज्ञान का एक प्रकार का सम्मिलित रूप भी कह सकते हैं।

समाज-भाषाविज्ञान का पूर्ण एवं व्यवस्थित अध्ययन मोटे रूप से निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

- (क) ध्वनिविज्ञान
- (ख) रूपविज्ञान
- (ग) वाक्यविज्ञान
- (घ) अर्थविज्ञान
- (ङ) शब्दविज्ञान
- (च) मुहावरे
- (छ) लोकोक्तियाँ

भाषा में सामाजिक भेद इन सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। शिक्षित-अशिक्षित, उच्च वर्ग-मध्य वर्ग-निम्न वर्ग, शिक्षित में विभिन्न स्तरों (जैसे हिन्दी प्रदेश में मात्र हिन्दी पढ़ा—उर्दू पढ़ा—संस्कृत पढ़ा—अंग्रेजी पढ़ा), विभिन्न पीढ़ियों, विभिन्न पेशों, विभिन्न प्रकार के जीवन (विद्यार्थी आदि), विभिन्न जातियों (जैसे ब्राह्मण, बनिया, कोरी), विभिन्न धर्मों (जैसे हिन्दू-मुसलमान), स्त्री या पुरुष आदि द्वारा प्रयुक्त एक ही भाषा-ध्वनि (मूल स्वर, संयुक्त स्वर, अनुनासिक स्वर, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, बलाघात, सुर-लहर, दीर्घता), रूप-रचना, वाक्य-गठन, शब्द-प्रयोग, मुहावरे तथा लोकोक्तियों आदि की दृष्टि से थोड़ी-बहुत अलग-अलग होती है और वक्ता की बात सुनकर एक सीमा तक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस सामाजिक स्तर का व्यक्ति बोल रहा है। यह दो व्यक्तियों की बातचीत सुनकर दोनों के सामाजिक स्तर तथा आपसी सम्बन्ध आदि का अन्दाज लगाया जा सकता है। हिन्दी प्रदेश के एक ही गाँव में जमुना-वमुना, व्यक्ति-व्यक्ति, कानून-कानून, बर्सा-वर्षा, रच्छा-रक्षा, अखबार-अखबार, गरीब-गरीब, रोज-रोज, कालेज-कॉलेज, रजिन्तर-रजिन्तर-राजेन्तर-राजेन्द्र, परसाद-परशोद-प्रसाद, बरहमन-बाम्हन-ब्राम्हण-ब्राह्मण, सहर-शहर, रपट-रिपोर्ट, नखलऊ-लखनऊ, टीसन-टेसन-इस्टेशन-स्टेशन जैसे हजारों शब्दों में उच्चारण-भेद सामाजिक भेदों की अभिव्यक्ति करते हैं। तमिल में विशिष्ट प्राचीन ध्वनि ज केवल ब्राह्मणों में सुरक्षित है, अन्यो की भाषा में वह ल, ल आदि हो गयी है। बंगलौर के ब्राह्मणों की कन्नड़ में 'मनुष्य' शब्द 'मनुश्य' रूप में है तो अन्यो की कन्नड़ में 'मन्स' रूप में। विश्व की अन्य अनेक भाषाओं में भी ऐसे तत्व खोजे जा सकते हैं। रूप के क्षेत्र में भी सामाजिक अन्तर होते हैं। दिल्ली की भाषा इस दृष्टि से बड़ी समृद्ध सामग्री प्रस्तुत करती है। इन पक्तियों के लेखक ने रूप की दृष्टि से कुछ काम किया था। कभी इस पर विस्तृत रूप से लिखने का विचार है। यहाँ कुछ भेदों की ओर संकेत मात्र किया जा सकता है—किया-करा, हैं-हैंगे, आना-आइयो, उन्हांने-उन्ने, मुझको-मैंने-मेरे को, मुझसे-मेरे से, मुझमें-मेरे में, मुझ पर-मेरे पर, देना-दियो।

इसी प्रकार वाक्य-रचना तथा शब्दों के अर्थ में भी अन्तर मिलता है। यों सर्वाधिक अन्तर शब्द-प्रयोग में मिलता है। मेरे अपने गाँव (आरीपुर, जिला, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश) में तथाकथित निम्न जाति के लोग, प्रायः ३० वर्ष पहले 'सोहारी' शब्द का प्रयोग पूड़ी के लिए करते थे, जबकि अन्य लोग 'पूड़ी' कहते थे। साड़ी-लुगा, भोजन-खाना-खयका, कुर्ता-अँगरखा, घर-बखरी आदि भी इसी प्रकार चलते थे। मुहावरों, लोकोक्तियों में भी एक सीमा तक पर्याप्त अन्तर मिलते हैं। जातियों आदि के अतिरिक्त, स्त्रियों और पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों, लोकोक्तियों तथा शब्दों में भी काफी अन्तर

होता है। दोनों की बोलियों में बहुत अधिक अन्तर है। भोजपुरी में 'नीज', 'नीजी', 'लगनकरे', 'भरकिनीना', 'उडासी', 'मुँहशौसा' आदि केवल स्त्रियों की भाषा में मिलते हैं तो अनेक अश्लील गालियाँ केवल पुरुषों की भाषा की ही शोभा बढ़ाती हैं।

भाषा के विशिष्ट रूप का उद्भव, उसका विशेष प्रकार का विकास तथा उसके शब्द-समूह आदि में परिवर्तन, उस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव एवं उसका परिनिष्ठित भाषा के रूप में उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति आदि भाषा-विवेक अनेक बातें मूलतः उसके बोलने वालों की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती हैं।

उदाहरण के लिए, भाषा के एक रूप का मानक (standard) मान लिया जाना मूलतः सामाजिक स्वीकृति है। कैसे और क्यों आज दिल्ली के आसपास की भाषा मानक मान ली गयी है और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में वही पूरे हिन्दी-प्रदेश पर छा गयी है ? इसका उत्तर समाज के संदर्भ में ही दिया जा सकता है। जब किसी एक क्षेत्र के समाज को अन्य क्षेत्रों का समाज किसी भी कारण (धर्म, राजनीति आदि) अपनी तुलना में, जाने या अनजाने, प्रमुखता देने लगता है तो वहाँ की भाषा भी सहज ही शेष समाज के लिए मान्य होने लगती है और धीरे-धीरे वही मानक भाषा बन जाती है। बहुत से देशों में राजधानी के आसपास की भाषा मानक है, इसके पीछे यही सामाजिक कारण है।

इसी तरह किसी एक भाषा के दूसरी भाषा पर प्रभाव (शब्द, वाक्य-रचना आदि किसी भी क्षेत्र में) के पीछे भी सामाजिक कारण कार्य करते हैं। ऐसे समाज की भाषा, जो किसी भी कारण अन्वों की तुलना में उच्च समझी जाती है, अन्य भाषाओं को बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेती है, हालाँकि कुछ अन्य कारणों से इसके विपरीत भी होता है।

जापानी भाषा के अनेक प्रयोगों में सामाजिक दृष्टि से कई स्तर हैं। इन स्तरों का मुख्य आधार समाज में एक-दूसरे के प्रति आदर की भावना की कमी-वैशी है जो शब्दों, रूपों आदि में अभिव्यक्त हुई है। यहाँ कुछ उदाहरण मनोरंजक होंगे। इस तरह के अन्तर सर्वनामों में बहुत अधिक हैं। मध्यम पुरुष के लिए अंग्रेजी में thou तथा you दो हैं, हिन्दी में तू, तुम, आप तीन हैं, किन्तु जापानी में छह-सात हैं।

ओमाए—इसे हिन्दी में कहते हैं 'आप हैं' मेरे सामने उपस्थित होने वाले। पहले इसमें कुछ आदर का भाव था, किन्तु अब आदर-भाव प्रायः नहीं के बराबर है। बहुत नजदीक के पुरुष-मित्र आपस की बातचीत में एक-दूसरे के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पति पत्नी के लिए भी इसका प्रयोग करता है।

अनाता—यह आदरसूचक 'आप' है। उदाहरण के लिए शिष्य गुरु को इसके द्वारा संबोधित करता है।

अन्ता—इसमें आदर अनाता से कुछ कम है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह 'अनाता' का ही विकसित रूप है। माँ बेटे के लिए, पत्नी पति के लिए या पति पत्नी के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।

ओमाए सान—यह बहुत आदरसूचक है। इसका प्रयोग प्रायः केवल पुरुष के लिए ही होता है।

अनाता सामा—अपने से बड़े के लिए आता है। प्रायः स्त्रियाँ ही इसका प्रयोग करती हैं। यह लिखने में अधिक प्रयुक्त होता है और बोलने में कम।

किमि—इसमें स्वामी, राजकुमार-जैसा आदर का भाव है। इसका प्रयोग पुरुष आपस में करते हैं। स्त्रियाँ नहीं-करती।

नान्जी—यह thou का समानार्थी है। बोलने में इसका प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार, 'मैं' के लिए भी जापानी में कई शब्द प्रयुक्त होते हैं।

याताशी—यह अत्यंत शिष्टाचारयुक्त है तथा प्रायः लिखित भाषा में प्रयुक्त होता है। स्त्री-पुरुष दोनों प्रयोग करते हैं।

शीसेइ—इसका प्रयोग प्रायः पुरुष करते हैं, स्त्रियाँ बहुत कम। इसे हिन्दी में 'अत्यन्त तुच्छ' कह सकते हैं। शिष्य अध्यापक को यदि लिखे तो इसका प्रयोग करेगा।

बोकु—इसका प्रयोग प्रायः पुरुषों तक सीमित रहा है।

ओरे—समीपी मित्र से बोलचाल में प्रयुक्त होता है। यह बहुत शिष्ट नहीं है।

सेशशा—इसके प्रयोग में भी बड़ी विनम्रता और तुच्छता का भाव निहित रहता है। इसका प्रयोग सामंत-युग में अधिक होता था।

इसी तरह 'वह' के लिए कोनीकाता (आदरयुक्त और बहुत शिष्ट; स्त्री-पुरुष दोनों के लिए दोनों प्रयोग कर सकते हैं)। कोनोहितो (पूर्ववर्ती से कम आदर)। सोनोकाता (कुछ समीप)। आनोकाता (दूर), कारे (he)। कानोजो (she), सोरे (it), आरे (that) आदि हैं। विशेषण में ऐसे प्रयोग कम हैं। एक उदाहरण पर्याप्त समझा जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को लम्बा कहना हो तो सेनोताकाइ कहेंगे, किन्तु राजा या राजकुमार को लम्बा कहना हो तो सेनोओताकाइ कहेंगे। क्रिया में भी अन्तर है। 'आ रहा है' के लिए ओइदेनीनारीमासु (अधिक आदर जैसे सम्राट के लिए), ओइदेनीनारेमासु (अत्यधिक आदर), इराशशाइमासु (आदर, जैसे अध्यापक के लिए), किमासु (सामान्य)। संज्ञा शब्दों में भी यह अन्तर है—बेटा के लिए मुसुको (सामान्य), मुसुकोसान (कुछ आदर), रेइसोकु (आदर, उच्च परिवार के बेटे के लिए), गोरेइसोकु (अत्यधिक आदर) आदि कई शब्द हैं।

एक सीमा तक ऐसे प्रयोग हिन्दी-उर्दू में भी हैं—तू, तुम, आप, जनाब, जनाबआली, हुजूर, बैठना-विराजना-तशरीफ रखना, आना-पधारना-तशरीफ लाना-पवित्र करना (कभी मेरे घर आ/आओ/आइए/पधारो/पधारिए/तशरीफ लाइए/ (को) पवित्र कीजिए)। नाम-शुभ नाम; गरीबखाना-दौलतखाना; चल-चलो-चलें, चलिए आदि।

हरियाणी-भाषी क्षेत्र के कुछ भागों में [(उदाहरण के लिए, माजरा डवास (दिल्ली का एक गाँव) तथा उसके आसपास] सामान्य भाषा में 'यह' के लिए स्त्रीलिङ्ग में 'याह' का प्रयोग होता है तथा पुल्लिङ्ग में 'योह' का। उदाहरणार्थ—

याह के करे सै = यह क्या कर रही है ?

योह के करे सै = यह क्या कर रहा है ?

किन्तु वही हरिजन चूहड़ा, चमार तथा धानक (जुलाहे) आदि स्त्रीलिङ्ग में 'याह' के स्थान पर 'योह' का प्रयोग भी करता है। साथ पुल्लिङ्ग में 'योह' के स्थान पर 'याह' बोलता है।

सामाजिक परिवर्तनों के साथ भाषा में भी परिवर्तन आता है। शब्दों के स्तर पर यह परिवर्तन बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। हिन्दी प्रदेश में मध्ययुग में जहाँपनाह, अन्नदाता, गरीबपरवर—जैसे शब्द संबोधन के रूप में बहुप्रचलित थे। अब ये हमारी भाषा के बहुप्रयुक्त शब्द नहीं रह गये हैं, क्योंकि उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था अब नहीं रही। जापान में वहाँ के राजा को भगवान माना जाता था और उसे 'तेन्नो हेइका' या 'तेन्नो ग्रामा' कहते थे। केवल 'तेन्नो' कहने वाला राजद्रोही समझा जाता

था। अब कुछ लोग केवल 'तेन्नो' भी कहने लगे हैं। आज की हिन्दी में केक, बिस्कुट, पैट, कोट हैं तो मध्ययुग की हिन्दी में मिर्जई, शोरमाल आदि थे तथा आदिकालीन हिन्दी में कुछ और थे। तत्त्वतः शब्द-समूह में परिवर्तन अनेक दृष्टियों से समाज की विचारधारा तथा उसकी रहन-सहन में परिवर्तन का बहुत ही अच्छा सूचक है।

इस प्रकार, यदि भाषा का सूक्ष्मता से सामाजिक स्तरों के संदर्भ में अध्ययन किया जाय तो उन सूक्ष्मताओं को खोज निकाला जा सकता है जो सामाजिक स्तरों से उद्भूत हैं तथा एक सीमा तक उनकी अभिव्यक्ति करती हैं। साथ ही, अभी तक भाषा केवल विचारों-भावों की अभिव्यक्ति का साधन समझी जाती रही है, समाज-भाषाविज्ञान के अध्ययन द्वारा और गहराई में जाकर उससे भावों और विचारों को जानने के अतिरिक्त यह भी जाना जा सकता है कि वक्ता की सामाजिक स्थिति—धर्म, जाति, शिक्षा, परम्परा आदि की दृष्टि से—क्या है तथा जिससे यह बातें कर रहा है, उसका उससे सम्बन्ध तथा सामाजिक स्तर क्या है? साथ ही, भाषाओं में हुए अनेक परिवर्तनों, भाषाओं के आपसी सम्बन्ध तथा प्रभुत्व, उनके शिष्ट-अशिष्ट, श्लील-अश्लील, मान्य-अमान्य तथा परिनिष्ठित-अपरिनिष्ठित आदि होने की स्वीकृति आदि अनेक बातों को भी समाज से जोड़ा जा सकता है। इस तरह समाज भाषाविज्ञान समाज के परिप्रेक्ष्य में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है।

(ज) सांख्यिकीय भाषाविज्ञान (Statistical Linguistics)

भाषाविज्ञान की इस शाखा में सांख्यिकी के आधार पर भाषा के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। यह गणितीय भाषाविज्ञान (mathematical linguistics) के अन्तर्गत है। जैसा कि ज्ञात है, सांख्यिकी गणित की ही एक शाखा है। यहाँ इसकी कुछ प्रारम्भिक बातों का ही परिचय दिया जा रहा है।

यह बात कम आश्चर्य की नहीं है कि भाषाविज्ञान की यह अपेक्षाकृत नयी शाखा, भारत के लिए नयी नहीं है। और इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय भारत को ही है। तीसरी-चौथी सदी ई० पू० में बनायी गयी वैदिक अनुक्रमणियाँ विश्व में अपने ढंग की प्रथम हैं। इनमें संहिताओं पर सांख्यिकीय दृष्टि से कार्य है। इनमें से एक के अनुसार ऋग्वेद में १०१७ मंत्र, १०५८० १/२ छंद, १५३८२६ शब्द तथा ४३२००२ अक्षर हैं।

आधुनिक काल में सांख्यिकीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, वह प्रेरणा आदि की दृष्टि से प्राचीन भारतीय कार्य से सम्बद्ध नहीं है। इसका विकास स्वतंत्रता हुआ है। हुआ यों कि गणितशास्त्र ज्यों-ज्यों विकसित होता गया, अन्य अनेक शास्त्र उसे अपने लिए उपयोगी पाते गये। इसी परंपरा में झुंझने भाषाविज्ञान के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस दिशा में पहल करने का श्रेय स्लोवियत संघ को है। सर्वप्रथम प्रसिद्ध रूसी बुन्जकोवस्की (Bunjakovskiy) ने १८४७ ई० में भाषाविज्ञान में गणित के प्रयोग की सम्भावना की ओर संकेत किया था। १८७४ में ह्विटने (W.D. Whitney) ने अंग्रेजी ध्वनियों की आवृत्ति (frequency) पर काम किया। १९०४ में प्रसिद्ध भाषाशास्त्री कुर्नि (B. Courtenay) ने विभिन्न शास्त्रों में गणित को सहायक होता देख भाषाविज्ञान के लिए भी गणित के अत्यन्त सहायक होने की बात कही थी। १९०५ में आर्नल्ड (Arnold) ने अपना Vedic Metre in its Historical Development प्रकाशित किया जिसमें सांख्यिकी का प्रयोग, ऋग्वेद के विभिन्न भागों की आपेक्षिक प्राचीनता के निर्धारण में किया गया था।

१९१३ में रूसी गणितज्ञ मार्कोव (A. A. Markov) ने पुश्किन (Evgeniy Onegin) के सांख्यिकीय अध्ययन के आधार पर रूसी में स्वरों और व्यंजनों के साथ-साथ आने (co-occurrence) के नियम निकाले। इस दिशा में यह पहला गंभीर कार्य था। मार्कोव ने यह भी दिखाया कि किसी भाषा की भाषिक इकाइयों के पारस्परिक आश्रय (mutual dependence) का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए उसने जो पद्धति दी, वह आज भी मार्कोव पद्धति (Markov Process) के नाम से प्रसिद्ध है।

इसी समय, आशुलिपिकों एवं टंककों की समस्याओं ने उनका ध्यान सांख्यिकी की ओर खींचा। फ्रांसीसी आशुलिपिक एस्तूप (Estoup) ने १९१६ में अपनी पुस्तक 'Games Stenographiques' में गणना के आधार पर कहा कि हर प्रकार के पाठ में शब्द विशिष्ट सांख्यिकीय नियमों का अनुसरण करते हैं। १९२८ में भौतिकशास्त्री कण्डन (E. U. Condon) ने अपने अध्ययन 'Statistics of Vocabulary' में कहा था कि शब्द-आवृत्तियाँ नियमित होती हैं।

इस तरह धीरे-धीरे भाषा के अध्ययन-विश्लेषण में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ता गया। यहाँ नहीं, गणित ने भी भाषाविज्ञान को अपने लिए काफी उपयोगी पाया। दूसरे महायुद्ध के बाद (१९५० से) सूचना-सिद्धांत (information theory) के विकास के पश्चात् गणित से भाषाविज्ञान में और भी अधिक सहायता ली जाने लगी है। गणितीय भाषाविज्ञान की कई अलग संस्थाएँ बनी हैं तथा इसकी कई पत्रिकाएँ भी निकल रही हैं। १९५७ में आठवीं अंतर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञान कांग्रेस के बाद इस क्षेत्र में और भी अधिक काम होने लगा है। इस क्षेत्र में काम करने वाले देशों में रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन विशेष रूप से उल्लेख्य हैं।

सांख्यिकीय भाषाविज्ञान (statistical linguistics) में ध्वनि, ध्वनिग्राम, अक्षर, शब्द, रूप, मुहावरे, लोकोक्ति तथा वाक्यों के पैटर्न आदि सभी भाषिक इकाइयों की गणना की जाती है और उनके आधार पर अनेकानेक दृष्टियों से उपयोगी परिणाम निकाले जा सकते हैं।

यहाँ हम पहले इस बात को ले सकते हैं कि साहित्य तथा भाषाविज्ञान-विषयक विभिन्न समस्याओं एवं अध्ययनों में सांख्यिकीय भाषाविज्ञान का क्या योगदान हो सकता है।

इस प्रसंग में सबसे पहले शैलीविज्ञान को ले। शैलीविज्ञान को इधर सांख्यिकीय भाषाविज्ञान से बहुत सहायता मिलने लगी है। पहले की किसी शैली पर विचार अपनी वैयक्तिक रुचि के आधार पर किया जाता था; अतः वह बहुत सबजेक्टिव होता था। अब सांख्यिकी ने शैलीविज्ञान को सचमुच विज्ञान बनने के पथ पर अग्रसर किया है और वह समय दूर नहीं जब वैज्ञानिक स्तर पर शैली का विवेचन हो सकेगा। सांख्यिकी के आधार पर यह देखा गया है कि अभिव्यक्ति की सामान्यता की आवृत्ति (frequency) अधिक होती है। इसी प्रकार, दो या अधिक लेखकों या कवियों की शैली में वास्तविक अन्तर क्या है, सांख्यिकी के आधार पर, साफ-साफ देखा जा सकता है कि यह अंतर शब्द-चयन, मुहावरे, लोकोक्तियों तथा व्याकरणिक ढाँचे के प्रयोग पर निर्भर करता है।

सांख्यिकीय भाषाविज्ञान से किसी रचना के रचनाकार के बारे में भी काफ़ी हद तक ठीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, 'सूरसागर' सूरदास की रचना है, किन्तु 'सूरसारावली' के संबंध में थोड़ा संदेह है। दोनों की शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि दोनों एक कवि की हैं, या नहीं। इसमें भी सांख्यिकी बहुत सहायक हो सकती है। यूल (Yule) ने De Imitatione Christi के रचनाकार का पता लगाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग

१९४४ में किया था।

इसी प्रकार, किसी कवि या लेखक की विभिन्न रचनाओं के कालक्रम का भी सांख्यिकी के आधार पर निर्धारित श्रैली से पता लगाया जा सकता है।

किसी भाषा से दूसरी या कई भाषाएँ कब निकलीं (जैसे अपभ्रंश से हिन्दी), कोई पुस्तक मूलतः किस भाषा की है (जैसे संदेशरासक अपभ्रंश का है, या हिन्दी का), दो बोलियों या भाषाओं की ठीक-ठीक सीमा रेखा क्या है (जैसे ब्रजी-खड़ीबोली की), कोई बोली सचमुच स्वतंत्र बोली है या दो का मिश्रण-मात्र है (जैसे कन्नौजी), दो भाषाओं या बोलियों में कितनी असमानताएँ हैं, कोई भाषा कितनी पुरानी है (दो लेखक की पुस्तक 'भाषाविज्ञान' का 'भाषा-कालक्रम-विज्ञान' शीर्षक अध्याय), आदि बातों का उत्तर भी सांख्यिकी भाषाविज्ञान के आधार पर पर्याप्त वैज्ञानिक रूप में दिया जा सकता है।

विदेशी भाषा के शिक्षण के लिए सांख्यिकीय भाषाविज्ञान बड़ा उपयोगी है। उसके आधार पर किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली, आधारभूत व्याकरणिक रूप तथा वाक्यों के आधारभूत ढाँचों का पता लगाया जा सकता है जिनके आधार पर बनाये गये पाठ भाषा सिखाने में बड़े उपयोगी हो सकते हैं। मातृभाषा की शिक्षा में भी आवृत्ति (frequency) के आधार पर सिखाना अधिक उपयोगी हो सकता है।

अब तक शब्दों की दिशा में जो काम हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सभी भाषाओं में लगभग तीन हजार मूल शब्द होते हैं जिनका प्रयोग उस भाषा में लगभग ८० प्रतिशत तक होता है। शेष २० प्रतिशत विभिन्न प्रकार के पाठों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के शब्दों के होते हैं।

वर्णों की आवृत्ति के अध्ययन पर प्रेस, टाइपराइटर आदि के लिए भी भाषाविज्ञान की यह शाखा बहुत सहायक हो सकती है। यदि वर्णों की आवृत्ति का ठीक पता लगाकर टाइपों को स्थानित किया जाय तो गति बहुत अधिक बढ़ सकती है।

इस प्रकार का कार्य अपनी सीमाओं के साथ विश्व की कई भाषाओं में हुआ है। यहाँ कुछ कार्यों का परिचय उपयोगी एवं मनोरंजक होगा।

सोवियत संघ 'इस्तोनिया' जनतंत्र की राजधानी ताल्लिन की अकेडेमी के रूसी विभाग ने आधुनिक रूसी भाषा में शब्दों एवं रूपों की गणना के लिए ३०० व्यक्तियों को नियुक्त किया। ये ३०० व्यक्ति यह गणना ३ वर्षों तक (१९५६ से १९६२ तक) करते रहे। जिस साहित्य से यह गणना की गयी, वह इस प्रकार था—

उपन्यास-कहानी	५६ प्रतिशत
नाटक	७ प्रतिशत
आलोचना-लेख	१४ प्रतिशत
पत्र-पत्रिकाएँ	२० प्रतिशत

उपर्युक्त साहित्य से कुल ४ लाख रूप एकत्र किये गये। इनकी गणना के आधार पर पता चला कि समवेत रूप में, आधुनिक रूसी साहित्य में विभिन्न व्याकरणिक वर्णों के प्रयोग-प्रतिशत इस प्रकार है—

संज्ञा	२६.४ प्रतिशत
क्रिया	१७.३ प्रतिशत

सर्वनाम	१२.१ प्रतिशत
पूर्वसर्ग	११.१ प्रतिशत
विशेषण	८.३ प्रतिशत
क्रियाविशेषण	७.८ प्रतिशत
समुच्चयबोधक	७.२ प्रतिशत
उपपद (पार्टिकल, चरतीत्सी)	५.१ प्रतिशत
संख्यावाचक शब्द	२.१ प्रतिशत
विशेषणवत् प्रयुक्त भूत० एवं वर्त० कृदंत	१.५ प्रतिशत
पूर्वकालिक कृदंत	०.७ प्रतिशत
विस्मयादिबोधक	०.३ प्रतिशत
अवलंब शब्द (तकिया क्रलाम)	०.१ प्रतिशत

इस गणना के परिणामों की कुछ और बातें भी मनोरंजक हैं—

संज्ञा का प्रयोग

वचन	{	एकवचन	७१.५ प्रतिशत
		बहुवचन	२८.३ प्रतिशत
		दोनों वचनों में एक रहने वाले रूप	०.२ प्रतिशत
लिंग	{	पुल्लिंग	४६.८ प्रतिशत
		स्त्रीलिंग	३५.१ प्रतिशत
		नपुं० लिंग	१५.५ प्रतिशत
		बहुलिंगी	२.६ प्रतिशत

वर्तमान स्त्री भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त कुछ शब्द—(इनमें पहले शब्द का प्रयोग सर्वाधिक होता है, दूसरे का उससे कम, तीसरे का और कम तथा आगे भी इसी प्रकार) और, में, पर, नहीं, वह (पुल्लिंग), मैं, क्या (कि), यह, होना तथा कुछ आदि ।

व्याकरणिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रयुक्त कुछ शब्द—(उपर्युक्त की भाँति ही पहले का सर्वाधिक प्रयोग होता है तथा दूसरे का कम) ।

संज्ञा—वर्ष, काम, दिन, आँख, हाथ, समय, बार, जीव, लोग, शब्द, लड़का, जगह तथा घर आदि ।

क्रिया—होना, सकना, बोलना (कहना), जानना, चाहना, चलना, देखना, सोचना, देना, करना, पूछना, लेना, बैठना आदि ।

विशेषण—बड़ा, नया, अच्छा, छोटा, बूढ़ा (पुराना), अंतिम, ऊँचा, ज्यादा, सफेद, मुख्य, लाल आदि ।

संख्या—१, पहला, २, १०००, ३, दूसरा, २०, तीसरा, ५, ४, १०, ४०, ३० तथा चौथा आदि ।

सर्वनाम—वह, मैं, ये, सब, वे, वह (स्त्री), हम, तू, तुम (आप) तथा अपना आदि ।

क्रियाविशेषण—ऐसे, फिर, बहुत, अब, कैसे, वहाँ, यहाँ आदि ।

सोवियत संघ के ताशकंद विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री कारसानोव्स्की ने अखबारों में प्रयुक्त हिन्दी पर इस प्रकार का कार्य किया है। उनकी गणना के अनुसार हिन्दी समाचारपत्रों में १६५

आधार-शब्द ऐसे हैं जो समाचारपत्रों की सामान्य सामग्री में ६० प्रतिशत तक मिलते हैं। उनका संक्षिप्त विवरण है—

व्याकरणिक कोटि	शब्द	प्रतिशत
समुच्चयबोधक	५	६ प्रतिशत
परसर्ग	२०	२१ प्रतिशत
सहायक क्रिया 'हे', 'था'	२	१.३ प्रतिशत
निपात (particle)	८	३ प्रतिशत
सर्वनाम	२४	८ प्रतिशत
संख्या	३	१ प्रतिशत
क्रिया	३६	१२.५ प्रतिशत
क्रियाविशेषण	१५	२.३ प्रतिशत
विशेषण	१०	०.५ प्रतिशत
संज्ञा	६६	४.५ प्रतिशत

१६५

६०.१ प्रतिशत

प्रस्तुत पंक्तियों पर लेखक ने कामायनी पर सांख्यिकीय कार्य किया है। कुछ परिणाम इस प्रकार हैं—कामायनी में कुल रूप २५४४१ हैं। इनमें मूल केवल ३५०५ हैं। विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक रूपों का प्रतिशत इस प्रकार है—

संज्ञा	५१ प्रतिशत
क्रिया	२४ प्रतिशत
विशेषण	२० प्रतिशत
सर्वनाम	२.५ प्रतिशत
क्रियाविशेषण	१.२५ प्रतिशत
संख्यावाचक	०.०५ प्रतिशत
परसर्ग	०.०४ प्रतिशत
अन्य अव्यय	०.६८ प्रतिशत

एकवचन के प्रयोग ८५ प्रतिशत तथा बहुवचन के १५ प्रतिशत। इसी प्रकार, पुल्लिंग ७३ प्रतिशत तथा स्त्रीलिंग २७ प्रतिशत।

ध्वनियों पर भी इस प्रकार के कार्य हुए हैं। उज्ज्वल भाषा पर किस्सेन ने काम किया है। उनके अनुसार वर्णों के प्रयोग का प्रतिशत इस प्रकार है—अ-आ १४.४४ ; इ-ई १३.८६ ; न ६.२६ ; र ६.१८ ; ल ५.६३ ; ओ ४.६४ ; द ४.३६ ; त ४.०५ ; ब ३.८० ; म ३.६७ ; क ३.०५ ; ङ ३.०० ; य २.६४ ; च २.६७ ; ग २.३१ ; ज २.१२ ; ए १.६५ आदि।

इधर हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि कई भारतीय भाषाओं की ध्वनिगामिक, रूपगामिक तथा शाब्दिक आवृत्ति पर काम हुए हैं। वस्तुतः भारत में अभी इस प्रकार के कार्यों का प्रारम्भ ही है। इस क्षेत्र में अपने अध्ययन को समुचित विकसित करके भाषा और साहित्य-विषयक अनेक निष्कर्षों पर पुनर्विचार करने तथा नयी दिशाओं में अध्ययन-विश्लेषण की पर्याप्त गुंजाइश है।

(इ) शैलीविज्ञान (Stylistics)

भाषाविज्ञान की यह शाखा बहुत नयी है। बहुत पहले जेनेवा स्कूल के कुछ भाषाशास्त्रियों तथा कुछ फ्रांसीसी विद्वानों का इस ओर ध्यान गया था। सस्यूर के प्रसिद्ध शिष्य चार्ल्स बेली का नाम इस दृष्टि से प्रसिद्ध है। ये रेशनल स्टाइलिस्टिक्स (rational stylistics) के जन्मदाता कहे जाते हैं।

बर्फो का प्रसिद्ध उद्धरण है—Style is the man himself. वस्तुतः हर व्यक्ति की शैली उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। किन्तु 'शैली क्या है', इस बात का इतना ही उत्तर काफी नहीं है। भाषा के प्रसंग में शैली का सम्बन्ध अभिव्यक्ति से है। हर भाषा में ध्वनि, शब्द-समूह, रूप-रचना तथा वाक्य-गठन आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति का एक सर्वस्वीकृत मानक या परिनिष्ठित रूप होता है जिसे उस भाषा में अभिव्यक्ति का एक सामान्य ढंग कह सकते हैं। जो लोग लेखन में या बोलने में इसी सामान्य रूप का प्रयोग करते हैं, उनकी कोई अपनी शैली नहीं मानी जाती। शैली मानी जाती है उनकी जो इस सामान्य रूप में ध्वनि, शब्द-समूह, रूप-रचना तथा वाक्य-गठन आदि की दृष्टि से हट कर (deviatingly) प्रयोग करते हैं। इस तरह शैली-विशेष के लिए यह आवश्यक है कि चुनकर भाषिक इकाइयों का ऐसा प्रयोग हो जो सामान्य की तुलना में विशेष या अलग हो। भाषा की सामान्य अभिव्यक्ति पूरे भाषा-समाज की होती है, किन्तु शैली व्यक्ति की या वैयक्तिक होती है। जैसा कि ऊपर संकेतित है, इसका मुख्य आधार है चयन। चयन से यहाँ आशय है किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों, रूपों, वाक्यों आदि का चयन। व्यक्ति अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुकूल चयन करके अपनी बात को व्यक्त करता है। इस चयन की पहचान के आधार पर ही हम कोई पैराग्राफ या छन्द देकर यह कह सकते हैं कि यह तो प्रसाद का है, पंत का नहीं हो सकता। वस्तुतः हर अच्छे कवि या लेखक की अपनी शैली होती है जो इस चयन पर ही आधारित होती है।

शैली का अध्ययन ही शैलीविज्ञान है। शैलीविज्ञान में यों तो समवेत रूप से किसी की शैली का अध्ययन करते हैं, किन्तु यदि चाहें तो शैलीविज्ञान को ध्वनिशैली विज्ञान, शब्दशैली विज्ञान, रूपशैली विज्ञान, वाक्यशैली विज्ञान तथा लेखनशैली विज्ञान इन पाँच शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं जिनमें क्रमशः शैलीय प्रयोग की दृष्टि से किसी के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्द-समूह, रूपों, वाक्यों और लेखन या मुद्रण पर विचार किया जा सकता है। बातों को स्पष्ट करने के लिए हिन्दी से कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं—

ध्वनि—क-क, ख-ख, ग-ग, ज-ज, फ-फ, आ-आ में चयन, जैसे कानून-कानून, खराब-खराब, गरीब-गरीब, जहाज-जहाज, फायदा-फायदा, डाक्टर-डाक्टर। इनमें किसी का भी चयन किया जा सकता है। किशोरीदास बाजपेयी की शैली में पहले मिलेगे तो प्रेमचंद में प्रायः दूसरे। इसी प्रकार, अन्य अनेक ध्वनियों तथा संयुक्त व्यंजनों आदि में भी शैलीकार चयन करता है—मूरख-मूर्ख, अचरज-आश्चर्य, सूरज-सूर्य, ब्राम्हण-ब्राह्मण, चिन्ह-चिह्न आदि।

शब्द—हर भाषा में अर्थ की समानता की दृष्टि से शब्दों के कुछ वर्ग होते हैं। शैलीकार वर्ग में अपनी आवश्यकतानुसार किसी को चुन लेता है। हिन्दी-हिन्दुस्तानी-उर्दू शब्द के स्तर पर ही हिन्दी की तीन शैलियाँ हैं—तत्सम-तद्भव-देशज-विदेशी में प्रायः चयन होता है—सहस्र-हजार, गृह-घर-मकान, पुष्प-फूल-गुल, सुन्दर-सुघर-खूबसूरत, राजकुमार-शहजादा, मूर्ख-मूरख-मूढ़-घामड़-बेवकूफ। कुछ लोग अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में रुचि लेते हैं तो कुछ अतिप्रचलित

मसृण-कोमल। कुछ बीच के शब्दों में रुचि लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपने नये शब्द बनाते रहते हैं। डॉ० रघुवीर के लेखन में ऐसे शब्द प्रायः मिल जाते हैं। शब्द के क्षेत्र में घयन की गुंजाइश सर्वाधिक होती है। हिंदी में हर रोज-प्रतिदिन, हर महीने-प्रतिमास, हर साल-प्रतिवर्ष में शैलीय अंतर ही है।

रूप—रूपों में घयन की गुंजाइश सबसे कम होती है। इसका कारण यह होता है कि हर भाषा में परिनिष्ठित रूप प्रायः निश्चित होते हैं और उनसे हटकर प्रयोग अपरिनिष्ठित माना जाता है। उदाहरण के लिए, किया-करा में घयन नहीं किया जा सकता। 'जाया-गया' में भी घयन संभव नहीं, क्योंकि दोनों के वितरण निश्चित हैं। सर्वनामों में आज कुछ प्रदेशों में 'मुझे-मुझको-मैंने-मेरे को' में घयन चल रहा है—मुझे/मुझको/मैंने/मेरे को जाना है। इसी प्रकार, 'तुम्हें-तुमको-तुमने-तेरे को' तथा इसी रूप में कुछ अन्य सर्वनामों में भी। कवियों-कविजन, मंत्रियों-मंत्रिगण, मकानों-मकानात, हाकिमों-हुक्काम या डाक्टरनी-डाक्टरानी-डाक्टराइन आदि कुछ अन्य उदाहरण भी लिये जा सकते हैं।

वाक्य—वाक्य-रचना के क्षेत्र में भी घयन के लिए काफी अवकाश है। कुछ उदाहरण हैं—राम ने ही—राम ही ने; राम को ही—राम ही को; राम से ही—राम ही से; राम के लिए ही—राम ही के लिए; राम ही का—राम का ही; मात्र 'पानी, पानी मात्र; खाकर-खाकर के, न...न...न—नाहीं; राम नहीं आता है—राम नहीं आता; खा चुका हूँ—खा लिया है—खा बैठा हूँ; जो लड़का आया था चला गया—लड़का जो आया था चला गया; राम ने कहा कि मैं/ वह जाऊँगा/जाएगा; साधारण वाक्य—संयुक्त वाक्य—मिश्रित वाक्य; छोटे वाक्य—बड़े वाक्य इत्यादि। पदक्रम में परिवर्तन करते हुए एक ही वाक्य के कई रूप संभव हैं—

मैं जा रहा हूँ और तुम...
जा मैं रहा हूँ और तुम...
जा रहा मैं हूँ और तुम...
जा रहा हूँ मैं और तुम...

इसी प्रकार प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त दो या अधिक मुहावरों, विशेष प्रयोगों या लोकोक्तियों में किसी एक का प्रयोग भी शैलीय विशेषता के लिए प्रायः किया जाता है—

- | | | | |
|-----|--------------------|-----|------------------|
| (१) | घर का उजाला | (२) | घात पर घड़ना |
| | घर का चिरारा | | घात में आना |
| (३) | घी के चिरारा जलाना | (४) | घूँघट करना |
| | घी के दिए जलाना | | घूँघट काढ़ना |
| | | | घूँघट निकालना |
| (५) | चंपत बनना | (६) | बेखबर सोना |
| | चंपत हो जाना | | घोड़ा बेचकर सोना |

वस्तुतः शैलीविज्ञान अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। यहाँ मैंने इसे उस रूप में रखा है, जैसा मैं मानता हूँ। यों इस क्षेत्र में काफी विकास तथा कार्य की संभावना है।

१२ लिपि

भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है। ध्वनियाँ ही उच्चरित होती हैं और सुनी जाती हैं। इस प्रकार भाषा की काल और स्थान की दृष्टि से सीमा है। वह केवल तभी सुनी जा सकती है जब बोली जाती है तथा वहीं तक सुनी जा सकती है जहाँ तक आवाज जा सकती है। काल और स्थान की इस सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ। निश्चय ही भाषा के विकसित हो जाने के बाद ही लिपि का विकास हुआ होगा।

लिपि और भाषा का संबंध यह है कि भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित है, लिपि में उन ध्वनियों (या कुछ भाषाओं में शब्दों को) को रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात्, दोनों में माध्यम का अंतर है।

लिपि की उत्पत्ति—भाषा की उत्पत्ति की भाँति ही लिपि की उत्पत्ति के विषय में भी पुराने लोगों का विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ। भारतीय पंडित ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा की बनाई मानते हैं और इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लिपि का नाम 'ब्राह्मी' है। इसी प्रकार मिस्री लोग अपनी लिपि का कर्त्ता थाथ (Thoth) या आइसिस (Isis) को, बेबिलोनिया के लोग नेबो (Nebo) को, पुराने ज्यू लोग मोजेज (Moses) को तथा यूनानी लोग हर्मेस (Hermes) या पैलमीडस, प्रामेथ्यूस, आपर्च्यूस तथा लिनोज आदि अन्य पौराणिक व्यक्तियों को मानते हैं, पर भाषा की भाँति ही लिपि के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के मत अन्धविश्वास मात्र हैं। तथ्य यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकतानुसार लिपि को स्वयं जन्म दिया। आरम्भ में मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया, वह इस दृष्टि से नहीं किया गया था कि उससे लिपि विकसित हो, बल्कि जादू-टोने के लिए कुछ रेखाएँ खींची गई या धार्मिक दृष्टि से किसी देवता का प्रतीक या चित्र बनाया गया या पहचान के लिए अपने-अपने घड़े या अन्य चीजों पर कुछ चिह्न बनाये गये, ताकि बहुतों की ये चीजे जब एक स्थान पर रखी जायें तो लोग सरलता से अपनी चीजे पहचान सकें, या सुन्दरता के लिए कंदराओं की दीवारों पर आसपास के जीव-जन्तुओं या वनस्पतियों को देखकर उनके टेढ़े-मेढ़े चित्र बनाये गये^१ या स्मरण के लिए किसी रस्सी या पेड़ की छाल आदि में गाँठें लगाई गईं और बाद में इन्हीं साधनों का प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित होकर लिपि बन गई।

लिपि का विकास—आज तक लिपि के सम्बन्ध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है, उस

१. इस प्रकार के चिह्न या चित्र आदि या तो रेखा खींचकर या पत्थर या अन्य चीजों पर खोद कर या रँग कर बनाये गये।

आधार पर कहा जा सकता है कि ४,००० ई० पू० के मध्य तक लेखन की किसी भी व्यवस्थित पद्धति का कहीं भी विकास नहीं हुआ था और इस प्रकार के प्राचीनतम अव्यवस्थित प्रयास १०,००० ई० पू० से भी कुछ पूर्व किये गये थे। इस प्रकार इन्हीं दोनों के बीच, अर्थात् १०,००० ई० पू० और ४,००० ई० पू० के बीच लगभग ६,००० वर्षों में धीरे-धीरे लिपि का प्रारम्भिक विकास होता रहा।

लिपि के विकास-क्रम में आने वाली विभिन्न प्रकार की लिपियाँ

लिपि के विकास-क्रम में हमें निम्न प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं—

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| १. चित्रलिपि | २. सूत्रलिपि |
| ३. प्रतीकात्मक लिपि | ४. भावमूलक लिपि |
| ५. भाव-ध्वनिमूलक लिपि | ६. ध्वनिमूलक लिपि |

आगे इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।



[कैलिफ़ोर्निया में प्राप्त चित्रलिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में एक है। चित्र से स्पष्ट है कि कुछ तो मनुष्य, पशु तथा पक्षी आदि के तरह-तरह के चित्र हैं और कुछ ज्यामितीय शकलें।]

(१) चित्रलिपि—चित्रलिपि ही लेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी है। पर, वे प्रारम्भिक चित्र केवल लेखन के इतिहास के आरम्भिक प्रतिनिधि थे; यह सोचना गलत होगा। उन्हीं चित्रों से चित्रकला के इतिहास का भी आरम्भ होता है और लेखन के भी इतिहास का। उस काल के मानव ने कंदराओं की दीवारों पर या अन्य चीजों पर वनस्पति, मानव-शरीर या अंग तथा ज्यामितीय शकलों आदि के टेढ़े-मेढ़े चित्र बनाये होंगे। यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धार्मिक कर्मकांडों के हेतु देवी-देवताओं के बनाये जाते रहे हों। इस प्रकार के पुराने चित्र दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीट, मेसोपोटामिया, यूनान, इटली, पुर्तगाल, साइबेरिया, उजबेकिस्तान, सीरिया, मिस्र, ग्रेटब्रिटेन, कैलिफ़ोर्निया, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया आदि अनेकानेक देशों में मिले हैं। ये पत्थर, हड्डी, काठ, सींग, हाथीदाँत, पेड़ की छाल,

जानवरों की खाल तथा मिट्टी के बर्तन आदि पर बनाये जाते थे।

चित्रलिपि में किसी विशिष्ट वस्तु के लिए उसका चित्र बना दिया जाता था। जैसे सूर्य के लिए गोला और उसके चारों ओर निकलती रेखाएँ, विभिन्न पशुओं के लिए उनके चित्र, आदमी के लिए आदमी का चित्र तथा उनके विभिन्न अंगों के लिए उन अंगों के चित्र आदि। चित्रलिपि की परम्परा उस प्राचीन काल से आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। भौगोलिक नदियों में मन्दिर, मस्जिद, बाग, पहाड़ आदि तथा पंचांगों में ग्रह आदि चित्रों द्वारा प्रकट किये जाते हैं।



[एरिजोना (अमेरिका) में प्राप्त चित्रलिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में एक है ।]

प्राचीन काल में चित्रलिपि बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके आधार पर किसी भी वस्तु का चित्र बनाकर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे। इसे एक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय लिपि भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या जीव का चित्र सर्वत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा और उसे देखकर विश्व का कोई भी व्यक्ति जो उस वस्तु या जीव से परिचित होगा, उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार उसे पढ़ लेगा। पर यह तभी तक सम्भव रहा होगा जब तक चित्र मूल रूप में रहे हों।

चित्रलिपि की कठिनाइयाँ—(१) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने का इसमें कोई साधन नहीं था। आदमी का चित्र तो किसी भी प्रकार कोई बना सकता था, पर राम, मोहन और माधव का पृथक्-पृथक् चित्र बनाना साधारणतया सम्भव नहीं था। (२) स्थूल वस्तुओं का प्रदर्शन तो सम्भव था, पर भावों या विचारों का चित्र सम्भव न था। कुछ भावनाओं के लिए चित्र अवश्य बने थे जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर सबका इस प्रकार प्रतीकात्मक चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं था। (३) शीघ्रता में ये चित्र नहीं बनाये जा सकते थे। (४) कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो सभी वस्तुओं के चित्र बनाने में अकलाकार-प्रवृत्ति के होने के कारण समर्थ न रहे होंगे। ऐसे लोगों को और भी कठिनाई पड़ती रही होगी। (५) काल आदि के भावों को व्यक्त करने के साधनों का इस लिपि में एकान्त अभाव था।

चित्रलिपि विकसित होते-होते प्रतीकात्मक हो गई। उदाहरणार्थ, यदि आरम्भ में पहाड़ इस प्रकार बनता था तो धीरे-धीरे लोग उसे केवल इस तरह बनाने लगे। दूसरे शब्दों में उसका रूप घिस गया। शीघ्रता में लिखने के कारण संक्षेप में इसी प्रकार लोग लिखने लगे और रुढ़ि-रूप में इसी से पहाड़ का भाव व्यक्त होने लगा। चीनी लिपि का विचार करते समय इस प्रकार चिह्नों के प्रतीक बन जाने के और भी उदाहरण हमें मिलेंगे। इस तरह धीरे-धीरे चित्रलिपि के सभी चित्र प्रतीकात्मक हो गये होंगे।

इस रूप में चित्रलिपि की विश्व भर में समझी जाने की क्षमता समाप्त हो गई होगी और विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुओं के चित्र उन वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर बनकर विकसित चिह्नों के रूप में बनने लगे होंगे। यहाँ वह अवस्था आ गई होगी जब इन प्रतीकात्मक या रुढ़ि-चिह्नों को याद रखने की आवश्यकता पड़ने लगी होगी।



(२) सूत्रलिपि—सूत्रलिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी परम्परा प्राचीन काल से आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। स्मरण के लिए आज भी लोग स्माल आदि में गाँठ देते हैं। सालगिरह या वर्षगाँठ में भी वही परम्परा अक्षुण्ण है। प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल आदि में गाँठ दी जाती थी। किसी बात को सूत्र में रखने या सूत्र^१ यादकर पूरी बात को याद रखने की परम्परा का भी सम्बन्ध इसी से ज्ञात होता है।

सूत्रों में गाँठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परम्परा भी काफी प्राचीन है। इस आधार पर भाव कई प्रकार से व्यक्त किये जाते रहे हैं जिनमें प्रधान ये हैं—(क) रस्सी में रंग-विरंगे सूत्र बाँध कर। (ख) रस्सी को रंग-विरंगे रंगों से रँग कर। (ग) रस्सी या जानवरों की खाल आदि में भिन्न-भिन्न रंगों के मोती, घोंघे, मूँगे या मनके आदि बाँधकर। (घ) विभिन्न लम्बाइयों की रस्सियों से। (ङ) विभिन्न मोटाइयों की रस्सियों से। (च) रस्सी में तरह-तरह की तथा विभिन्न दूरियों पर गाँठें बाँध कर। (छ) डंडे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मोटाइयों या रंगों की रस्सी बाँधकर।

इस तरह के लेखन का उल्लेख ५वीं सदी के ग्रंथकार हेरोडोटस (४६८) ने किया है। इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरु की 'क्वीपू' है। 'क्वीपू' में भिन्न-भिन्न लम्बाइयों, मोटाइयों तथा रंगों के सूत (जो प्रायः बटे उन के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये जाते थे। कहीं-कहीं गाँठें भी लगाई जाती थीं। इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा ऐतिहासिक घटनाओं का भी अंकन होता था।



१. व्याकरण या दर्शनशास्त्र आदि के सूत्र।

पीरू के सैनिक अफसर इस लिपि का विशेष प्रयोग करते थे। इसके माध्यम से सेना का एक वर्णन आज भी प्राप्त है, पर उसे पढ़ने या समझने का कोई साधन नहीं है। चीन तथा तिब्बत में प्राचीन काल में भी सूत्रलिपि का व्यवहार होता था। बंगाल के संथालों तथा कुछ जापानी द्वीपों आदि में अब भी सूत्रलिपि कुछ रूपों में प्रयोग में आती रही है। टंगानिका के मकोन्दे लोग छाल की रस्सियों में गाँठ देकर बहुत दिनों से घटनाओं तथा समय की गणना करते आये हैं।

(३) भावाभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक पद्धति या प्रतीकात्मक लिपि—शुद्ध अर्थ में लिपि न होते हुए भी, इस रूप में कि आँख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति के विचार भी उनके द्वारा भेजी गई वस्तुओं के द्वारा जाने जा सकते हैं, यह पद्धति लिपि कही जा सकती है। कई देशों और कबीलों में प्राचीन काल से इसका प्रचार मिलता है। तिब्बती-चीनी सीमा पर मुर्गी के बच्चे का कलेजा, उसकी चर्बी के तीन टुकड़े तथा एक मिर्च लाल कागज में लपेटकर भेजने का अर्थ रहा है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गाई का लाल या हरी झंडी दिखलाना, युद्ध में सफेद झंडा फहराना तथा स्काउटों का हाथ से बातचीत करना भी इसी के अन्तर्गत आ सकता है। गूँगे-बहरों के वार्तालाप का आधार भी कुछ इसी




[टंगानिका की सूत्रलिपि। गाँठ स्पष्ट है।]

प्रकार का साधन है। फतेहपुर जिले में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि उच्च जातियों में लड़की के विवाह का निमन्त्रण हल्दी भेजकर तथा लड़के के विवाह का निमन्त्रण सुपारी भेजकर दिया जाता है। भोजपुर प्रदेश में अहीर आदि जातियों में हल्दी बाँट कर निमन्त्रण देते हैं। इलाहाबाद के आसपास छोटी जाति के लोगों में गुड़ बाँट कर निमन्त्रण देते हैं। कुछ स्थानों पर किसी के मृत्यु-संस्कार में भाग लेने के लिए आने वाला निमन्त्रण-पत्र कोने पर फाड़कर भेजा जाता है। इस प्रकार विचाराभिव्यक्ति के साधन विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मिलते हैं। कांगो नदी की घाटी में कोई हरकारा जब कोई बहुत महत्वपूर्ण समाचार लेकर किसी के पास जाता था तो भेजने वाला उसे एक केल्ले की पत्ती दे देता था। यह पत्ती ६ इंच लम्बी होती थी और दोनों ओर पत्ती के चार-चार भाग किये रहते थे। कम महत्त्व के समाचार के साथ चाकू या भाले आदि भेजे जाते थे। सामान्य समाचारों के साथ कुछ भी नहीं भेजा जाता था। कहना न होगा कि लिपि के अन्य रूपों की भाँति यह बहुत व्यापक नहीं

हैं और इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है।

(४) भावमूलक लिपि—भावमूलक लिपि चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। चित्रलिपि में चित्र वस्तुओं को व्यक्त करते थे, पर भावलिपि में स्थूल वस्तुओं के अतिरिक्त भावों को भी व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ, चित्रलिपि में सूर्य के लिए एक गोला बनाते थे, पर भावमूलक लिपि में यह गोला सूर्य के अतिरिक्त सूर्य से संबद्ध अन्य भावों को भी भाव व्यक्त करने लगा, जैसे सूर्य देवता, गर्मी, दिन तथा प्रकाश आदि। इसी प्रकार चित्रलिपि में पैर का चित्र पैर को व्यक्त करता था, पर भावमूलक लिपि में यह चलने का भी भाव व्यक्त करने लगा। कभी-कभी चित्रलिपि के दो चित्रों को एक में मिलाकर भी भावमूलक लिपि में भाव व्यक्त किये जाते हैं। जैसे दुःख के लिए आँख का चित्र और उससे बहता आँसू, या सुनने के लिए दरवाजे का चित्र और उसके पास कान। भावमूलक लिपि के उदाहरण उत्तरी अमरीका, चीन तथा पश्चिमी अफ्रीका आदि में मिलते हैं। इस लिपि के द्वारा बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही समुन्नत रही। इसका आधुनिक काल का एक मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका के एक रेड इंडियन सरदार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट के यहाँ एक पत्र अपनी भावमूलक लिपि में भेजा था। पत्र मूलतः रंगीन था, पर यहाँ उनका स्केच मात्र दिया जा रहा है।



इसमें जो अंक दिये गये हैं, वे मूल पत्र में नहीं थे। समझने के लिए ये दे दिये गये हैं। पत्र पाने वाला (नं० ८) ह्वाइट हाउस में प्रेसिडेंट है। पत्र लिखने वाला (१) उस कबीले का सरदार है जिसका गणचिह्न गरुड़ (टोटेम) है। उसके सर पर दो रेखाएँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि वह सरदार है। उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ यह प्रकट कर रहा है कि वह मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। उसके पीछे उसके कबीले के चार सिपाही हैं। छठा व्यक्ति मत्स्य-गणचिह्न के कबीले का है। नवों किसी और कबीले का है। उसके सर के चारों ओर की रेखाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि पहले सरदार से वह अधिक शक्तिशाली सरदार है। सबकी आँखों को मिलाने वाली रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती है। नीचे के तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन सिपाही प्रेसिडेंट के तौर-तरीके अपनाने को तैयार हैं। पत्र इस प्रकार पढ़ा जा सकता है—“मैं गरुड़-गणचिह्न के कबीले का सरदार, मेरे कई सिपाही, मत्स्य-गणचिह्न के कबीले का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिह्न के कबीले का, मुझसे अधिक शक्तिशाली सरदार एकत्र हुए हैं और आपसे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। हमारा आपसे सभी बातों में मतैक्य है। हमारे तीन सिपाही आपके तौर-तरीके अपनाने को तैयार हैं।”

इस प्रकार भावलिपि, चित्रलिपि तथा सूत्रलिपि की अपेक्षा अधिक समुन्नत तथा अभिव्यक्ति में सफल है। चीनी आदि कई लिपियों के बहुत से चिह्न आज तक इसी श्रेणी के हैं।

(५) भाव-ध्वनिमूलक लिपि—चित्रलिपि का विकसित रूप ध्वनिमूलक लिपि है जिस पर आगे विचार किया जायेगा, पर उसके पूर्व ऐसी लिपि के सम्बन्ध में कुछ जान लेना आवश्यक है जो कुछ बातों में तो भावमूलक है और कुछ बातों में ध्वनि-मूलक। मेसोपोटैमियन, मिस्री तथा हित्ती आदि लिपियों को प्रायः लोग भावमूलक कहते हैं, पर यथार्थतः ये भाव-ध्वनिमूलक हैं, अर्थात् कुछ बातों में भावमूलक है और कुछ बातों में ध्वनिमूलक। आधुनिक चीनी लिपि भी कुछ अंशों में इसी के अंतर्गत आती है। इन लिपियों के कुछ चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं और कुछ ध्वनिमूलक; और दोनों ही का इसमें यथासमय उपयोग होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधुघाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है।

(६) ध्वनिमूलक लिपि—चित्रलिपि तथा भावमूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को प्रकट करते हैं। उनसे उसके वस्तु या भाव नाम से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। पर इसके विरुद्ध, ध्वनिमूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को न प्रकट कर, ध्वनि को प्रकट करते हैं और उनके आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम लिखा जा सकता है। नागरी, अरबी तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं की लिपियाँ ध्वनिमूलक ही हैं।

ध्वनिमूलक लिपि के दो भेद हैं—(क) आक्षरिक (syllabic), (ख) वर्णिक (alphabetic)।

(क) आक्षरिक लिपि—आक्षरिक लिपि में चिह्न किसी अक्षर (syllable) को व्यक्त करता है, वर्ण (alphabet) को नहीं। उदाहरणार्थ, नागरी लिपि आक्षरिक है। इसके 'क' चिह्न में क्+अ (दो वर्ण) मिले हैं, पर इसके विरुद्ध रोमन लिपि वर्णिक है। उसके K में 'क' है। अक्षरात्मक लिपि सामान्यतया प्रयोग की दृष्टि से तो ठीक है, किन्तु भाषाविज्ञान में जब हम ध्वनियों का विश्लेषण करते चलते हैं तो इसकी कमी स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ हिन्दी का 'कक्ष' शब्द लें। नागरी लिपि में इसे लिखने पर स्पष्ट पता नहीं चलता कि इसमें कौन-कौन वर्ण हैं, पर रोमन लिपि में यह बात (kaks'a) बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। नागरी में इसे देखने पर लगता है कि इसमें दो ध्वनियाँ हैं, पर रोमन में लिखने पर सामान्य पढ़ा-लिखा भी कह देगा कि इसमें पाँच ध्वनियाँ हैं। अरबी, फारसी, बँगला, गुजराती, उड़िया तथा तेलगु आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही हैं।

(ख) वर्णिक लिपि—लिपि-विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है तो इसकी अंतिम सीढ़ी वर्णिक लिपि है। वर्णिक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिह्न होते हैं और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का फोंड भी शब्द लिखा जा सकता है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। रोमन लिपि प्रायः इसी प्रकार की है। ऊपर नागरी और रोमन में 'कक्ष' लिखकर आक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि के भेद को तथा आक्षरिक की तुलना में वर्णिक लिपि की अच्छाई को हम लोंग देख चुके हैं।

लिपि के विकास-क्रम की विभिन्न अवस्थाएँ—लिपि के विकास-क्रम में प्राप्त छह प्रकार की लिपियों का ऊपर परिचय दिया गया है। विकास-क्रम की क्रमिक सीढ़ी की दृष्टि से सूत्रलिपि तथा भावाभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक पद्धति (या प्रतीकात्मक लिपि) का विशेष स्थान नहीं है। वे दोनों भाव प्रकट करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं जो किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से आज तक चली आ रही हैं। उनका न तो उनकी पूर्ववर्ती चित्रलिपि से कोई सम्बन्ध है और न बाद की भावमूलक या ध्वनिमूलक लिपि से। दूसरे शब्दों में न तो ये दोनों चित्रलिपि से विकसित हुई हैं और न इनसे उनके

बाद प्रचलन में आने वाली भावमूलक या ध्वनिमूलक लिपियाँ।

इन दो को छोड़ देने पर शेष चार प्रकार की लिपियाँ बचती हैं। इनमें, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रारम्भिक लिपि चित्रलिपि है। चित्र का ही विकसित रूप भावमूलक लिपि है; और, आगे चलकर भावमूलक लिपि विकसित होकर भावध्वनिमूलक लिपि और फिर ध्वनिमूलक हुई है। ध्वनिमूलक में भी आक्षरिक ध्वनिमूलक लिपि प्रारम्भिक है और वर्णिक ध्वनिमूलक लिपि उससे विकसित तथा बाद की है।

इस प्रकार लिपि के विकास-क्रम में चित्रलिपि प्रथम अवस्था की लिपि है और वर्णिक ध्वनिमूलक लिपि अन्तिम अवस्था की।

संसार की प्रमुख लिपियों के दो प्रधान वर्ग—संसार की लिपियाँ प्रमुख रूप से दो वर्गों में रक्खी जा सकती हैं—(१) जिनमें अक्षर या वर्ण नहीं हैं, जैसे क्यूनीफॉर्म तथा चीनी आदि (२) जिनमें अक्षर या वर्ण हैं, जैसे रोमन तथा नागरी आदि।

पहले वर्ग की प्रधान लिपियाँ—

- | | |
|--|----------------------|
| १. क्यूनीफॉर्म | २. हीरोग्लिफिक |
| ३. क्रीट की लिपि (या लिपियाँ) | ४. सिंधुघाटी की लिपि |
| ५. हिट्टाइड लिपि | ६. चीनी लिपि |
| ७. प्राचीन मध्य-अमेरिका तथा मेक्सिको की लिपियाँ, सात तथा | |

दूसरे वर्ग की प्रधान लिपियाँ

- | | |
|----------------------|-----------------|
| १. दक्षिणी सामी लिपि | २. हिब्रू लिपि |
| ३. फोनेशियन लिपि | ४. खरोष्ठी लिपि |
| ५. आर्मेइक लिपि | ६. अरबी लिपि |
| ७. भारतीय लिपि | ८. ग्रीक लिपि |
| ९. लैटिन लिपि | |

नौ हैं। यहाँ इनमें कुछ प्रधान पर (कुछ पर विस्तार से और कुछ पर संक्षेप में) विचार किया जा रहा है। सिंधुघाटी की लिपि तथा खरोष्ठी लिपि पर अलग विचार न करके 'भारतीय लिपियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत ही भारत की अन्य लिपियों के साथ विचार किया गया है।

क्यूनीफॉर्म या (तिकोनी या फन्नी या वाणमुख) लिपि

क्यूनीफॉर्म विश्व की प्राचीनतम लिपि है। इसकी उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहने के लिए अभी तक कोई आधार-सामग्री नहीं मिली है। यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० ई० पू० के आसपास मिलता है, साथ ही विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरी लोग इसके उत्पत्तिकर्ता हैं। इसके तिकोने स्वरूप के कारण आधुनिक काल में, १००० ई० के आसपास, इसे 'क्यूनीफॉर्म' नाम दिया गया। इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम थामस हाइड ने और कुछ लोगों के अनुसार ई० कैम्फर ने किया।

४,००० ई० से १ ई० पू० तक इसका प्रयोग मिलता है। इसके अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि मूलतः यह लिपि चीनी सिंधुघाटी की मूल लिपि की भाँति चित्रात्मक थी। बेबिलोनिया में गौली मिट्टी की टिकियों या ईंटों पर लिखने के कारण धीरे-धीरे यह तिकोनी रेखात्मक हो गई है। यह कारण

ठीक ही है। गोली मिट्टी पर गोल, धनुषाकार या और प्रकार की रेखा खींचने की अपेक्षा सीधी रेखा बनाना सरल है। इसके अतिरिक्त रेखा का गोला मिट्टी पर तिकोनी हो जाना भी स्वाभाविक है। जल्दी में रेखा जहाँ से बननी आरम्भ होगी, वहाँ गहरी और चौड़ी होगी और जहाँ समाप्त होगी, लिखने की कलम के उठने के कारण कम गहरी और कोणाकार। इस प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार रेखा-सा हो जायेगा। इस लिपि में इसी प्रकार की छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न कोणों पर आड़ी मिलती हैं। आरम्भ में इसमें बहुत अधिक चिह्न थे, पर बाद में सुमेरी लोगों ने ७०० के लगभग कर दिये और उनमें भी ३० ही विशेष रूप से प्रयोग में आते थे।

चित्रात्मकता से विकसित होकर यह लिपि भातमूलक लिपि हुई। (सूर्य का चित्र==दिन, या पैर का चित्र==चलना आदि) तथा-और बाद में असीरिया और फारस आदि में यह अर्द्ध-अक्षरात्मक हो गई। पहले यह ऊपर से नीचे को लिखी जाती थी, पर बाद में दाएँ से बाएँ, और फिर बाएँ से दाएँ भी लिखी जाने लगी थी। सुमेरी, बेबीलोनो, असीरी तथा ईरानी लोगों के अतिरिक्त डिट्टाइट, मितानी, उलामाइट तथा करसाइट आदि ने भी इस लिपि का प्रयोग किया है।



हीरोगलाइफिक लिपि—इसे पवित्राक्षर, गूढ़ाक्षर, चित्राक्षर या बीजाक्षर आदि भी कहते हैं। विश्व की प्राचीन लिपियों में हीरोगलाइफिक लिपि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका यह नाम यूनानियों का रक्खा हुआ है, जिसका मूल अर्थ 'पवित्र खुदे अक्षर' है। प्राचीन काल में मन्दिर की दीवारों पर लेख खोदने में इस लिपि का प्रयोग होता था। इसी आधार पर इसका यह नाम रक्खा गया। विद्वानों का अनुमान है कि ४,००० ई० पू० में यह लिपि प्रयोग में आ गई थी। आरम्भ में यह चित्रलिपि थी, बाद में भावलिपि हुई और फिर यह अक्षरात्मक हो गई। संभवतः इसी लिपि में अक्षरों का सर्वप्रथम विकास हुआ। इस लिपि में स्वर नहीं थे, केवल व्यंजन थे। पर ये व्यंजन ठीक आज के अर्थ में नहीं थे। एक ध्वनि के लिए कई चिह्न थे और साथ ही एक चिह्न का कई ध्वनियों के लिये भी प्रयोग हो सकता था। सामान्यतः यह दाएँ से बाएँ को लिखी जाती थी, पर कभी-कभी इसके उल्टे या एकरूपता के लिये दोनों ओर से भी। हीरोगलाइफिक लिपि के घसीट लिखे जाने वाले रूप का नाम 'हारीटिक' है, जो पहले ऊपर से नीचे को और बाद में दाएँ से बाएँ को लिखी जाने लगी थी। बाद में इसका एक

और भी घर्षित रूप विकसित हो गया जिसकी संज्ञा 'डिमोटिक' है। यह दायें से बायें को लिखी जाती थी। हीरोग्लाइफिक लिपि का प्रयोग ४००० ई० पू० से छठी ई० तक, हीराटिक का २००० ई० पू० से ३री सदी तक तथा डेमोटिक का ७वीं सदी ई० पू० से ५वीं सदी तक मिलता है।

क्रीट की लिपियाँ—क्रीट में चित्रात्मक तथा रेखात्मक दो प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं। इन लिपियों की उत्पत्ति सम्भवतः वहीं हुई थी, पर इन पर मिस्र की हीरोग्लाइफिक लिपि का प्रभाव पड़ा था। कुछ लोगों के अनुसार इन लिपियों की उत्पत्ति में भी हीरोग्लाइफिक लिपि का हाथ रहा है। चित्रात्मक लिपि में लगभग १३५ चिह्न मिलते हैं। यह बाद में कुछ अंशों में भावमूलक लिपि तथा कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक लिपि हो गई थी। इसको कभी तो बायें से दायें और कभी-कभी क्रमशः दोनों ओर से लिखा जाता था। इसका प्राचीनतम प्रयोग ३,००० ई० पू० में होता था। १७०० ई० पू० के लगभग इसकी समाप्ति हो गई। रेखात्मक लिपि का प्रयोग १७०० ई० पू० के बाद प्रारम्भ हुआ। इसमें लगभग ६० चिह्न थे। इसे बाएँ से दाएँ लिखते थे। यह कुछ अंशों में चित्रात्मक तथा भावात्मक और कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक थी। १२०० ई० पू० से पूर्व ही यह समाप्त हो गई।

हिट्टाइड लिपि—हिट्टाइड लिपि का 'हिट्टाइड हीरोग्लाइफिक' लिपि भी कहते हैं। इसका प्राचीनतम प्रयोग १५०० ई० पू० का मिलता है। ६०० ई० पू० के बाद इसका प्रयोग नहीं मिलता। यह लिपि मूलतः चित्रात्मक थी, पर बाद में कुछ अंशों में भावात्मक तथा कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक हो गई थी। इसमें कुल ४१६ चिह्न मिलते हैं। इसे कभी दाएँ से बाएँ और कभी इसके उलट लिखते थे। इसकी उत्पत्ति कुछ लोग मिस्री हीरोग्लाइफिक से तथा कुछ लोग क्रीट की चित्रात्मक लिपि से मानते हैं, पर डॉ० डिरिंजर ने इन मतों का विरोध करते हुए इसे वहीं की उत्पत्ति माना है। उनके अनुसार केवल यह सम्भव है कि आविष्कारकों ने इसके आविष्कार की प्रेरणा मिस्र से ली हो।

चीनी लिपि—चीनी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में चीन में तरह-तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। एक के अनुसार एक आठ प्रकार की त्रिपंक्तीय रेखाओं से यह निकली है। इन विशिष्ट रेखाओं का प्रयोग वहाँ के धार्मिक कर्मकांडों में होता था। एक चीनी कहावत के अनुसार लगभग ३२०० ई० पू० फू-हे नाम के एक व्यक्ति ने चीनी में लेखन का आविष्कार किया। कुछ धार्मिक प्रवृत्तिवालों के अनुसार लिपि के देवता 'त्यूशेन' ने चीनी लिपि बनायी। एक मत से त्सं-की नामक एक बहुत ही प्रतिभासंपन्न व्यक्ति चीन में २७०० ई० पू० के लगभग पैदा हुआ। उसने एक दिन एक कछुआ देखा और उसी के स्वरूप को देखकर उसने उसके भाव के लिए उसका रेखाचित्र बनाया। बाद में उसने इस दिशा में और सोच-समझ कर सभी आस-पास के जीवों और निर्जीव वस्तुओं का रेखाचित्र बनाया और उसी का विकसित रूप चीनी लिपि हुआ। चीनी भाषा के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वकोश 'फा युअन् चु लिन्' (निर्माण-काल सन् ६६८ ई०) में भी 'त्सं-की' को ही चीनी लिपि का आविष्कारक माना गया है और यह भी लिखा है कि उसने पक्षी के पैरों आदि को देखकर यह लिपि बनायी। त्सं-की का होना और कछुआ या पक्षी के पैर को देखकर लिपि बनाना ठीक हो या नहीं, पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आसपास के इसी प्रकार के जन्तुओं तथा पदार्थों को देखकर लोगों ने उनके चित्र बनाये और उसी से मूल चीनी लिपि (जो चित्रात्मक लिपि थी) का जन्म हुआ। यों विद्वानों ने चीनी लिपि की उत्पत्ति के बारे में तरह-तरह के अनुमान लगाये हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं—

(१) पीरू की ग्रन्थ लिपि की भाँति किसी लिपि से यह निकली है।

(२) सुमेरी लोगों की क्यूनीफॉर्म लिपि से इसका जन्म हुआ है।

- (३) चीन में हाथ की मुद्रा से भाव-प्रदर्शन की पद्धति के अनुकरण पर इसका जन्म हुआ है।
- (४) सजावट या स्वामित्व-चिह्न रूप में बने वाले चिह्नों से इसका जन्म हुआ है।
- (५) मिस्र की हीरोगलाइफी से इसकी उत्पत्ति हुई है।
- (६) मेसोपोटामिया, ईरान या सिंधुघाटी की चित्रलिपि की प्रेरणा से इन लोगों ने अपनी लिपि बनायी है।

इनमें छठा कुछ ठीक लगता है, क्योंकि इन देशों से चीन का सम्बन्ध था और इन देशों में चीन से पहले चित्रलिपि बनी। अतः असम्भव नहीं है कि इन लोगों की लिपि से प्रेरणा लेकर चीनियों ने अपने यहाँ के जीवों और निर्जीवों के आकार अनुकरण के आधार पर अपनी लिपि बनायी हो।

चीनी लिपि में भी अन्य अक्षर या वर्णविहीन लिपियों की भाँति अक्षर या वर्ण नहीं हैं। वहाँ अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग चिह्न हैं। अपने मूल रूप में अधिकतर चिह्न चित्र रहे होंगे, पर धीरे-धीरे परिवर्तित होते-होते अधिकतर चित्र रूढ़ि-रूप में चिह्न-मात्र रह गये। उदाहरणार्थ, पहले सूर्य के लिए



बनता था, जो सूर्य का चित्र है, पर बाद में परिवर्तित होते-होते यह हो गया। पहाड़ पहले यों



बनता था, जिसे पहाड़ का चित्र कहा जा सकता है, पर बाद में यह घिसते-घिसते या विकसित होते-होते हो गया।



चीनी लिपि में कुल लगभग ५०,००० चिह्न हैं। उन्हें मोटे रूप से चार वर्गों में रक्खा जा सकता है—

(क) चित्रात्मक चिह्न—ये चिह्न चीनी लिपि के आरम्भिक काल के हैं। यों अधिकतर चिह्न, जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, चित्र से विकसित होकर अब चिह्न मात्र रह गये हैं। पर इन चिह्नों में भी इनकी चित्रात्मकता देखी जा सकती है। ईश्वर, कुआँ, मछली, सूर्य, चाँद तथा पेड़ आदि के चिह्न इसी श्रेणी के हैं।

(ख) संयुक्त चित्रात्मक चिह्न—ये चिह्न पहले की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था के हैं। जब बहुत से चित्रात्मक चिह्न बन गये तो दो या अधिक चित्रात्मक चिह्नों के संयोग से कुछ चीजों के लिए चिह्न बने। जैसे दो पेड़ के चिह्न पास-पास बना कर जंगल का चिह्न बना; या एक रेखा खींच कर उसके ऊपर सूर्य बनाकर 'सबेरा' का चिह्न बनाया गया जिसमें रेखा क्षितिज का प्रतीक है। इसी प्रकार मुँह से निकलती हवा दिखाकर शब्द तथा मुँह से कोई निकलती चीज दिखलाकर जीभ के चिह्न बनाये गये। चित्रात्मक चिह्नों की भाँति ही आज ये संयुक्त चित्रात्मक चिह्न भी, चित्र न रहकर चिह्न-मात्र रह गये हैं।

(ग) भाव-चिह्न—स्थूल वस्तुओं और जीवों के लिए चित्र बन जाने पर सूक्ष्म भावों को चीनी लिपि में व्यक्त करने का प्रश्न आया। कहना न होगा कि भावों के चिह्न खींचना सरल न होने के

कारण यह समस्या बड़ी विकट थी। पर, चीनी लोगों ने बड़ी चतुराई से काम लिया और सूक्ष्म भावों को भी चित्रों द्वारा प्रकट कर लिया। कुछ मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिये जा सकते हैं। सूर्य और चाँद के चिह्न एक स्थान पर बनाकर 'चमक' या 'प्रकाश' का भाव प्रकट किया गया। इसी प्रकार स्त्री+लड़का=अच्छा, भला। खेत+ पुरुष=शक्ति। पेड़ के बीच सूरज=पूरब। दो हाथ=मित्रता। दो स्त्रियाँ=झगड़ा। आँख में निकलते आँसू=दुःख। दरवाजा+कान=सुनना। भुँह+पक्षी=गाना, तथा छत के नीचे स्त्री=शान्ति इत्यादि। कहना न होगा कि ये सभी भावचित्र बहुत ही उचित और सफल हैं और चीनियों के सूक्ष्म चिन्तन के ज्वलंत उदाहरण हैं।

(घ) ध्वन्यर्थ संयुक्त चिह्न—चीनी भाषा में एक शब्द के प्रायः बहुत से अर्थ होते हैं। कइते समय वे अर्थभेद के लिए विभिन्न सुरों में शब्दों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार उच्चारण करने में तो सुर के कारण अर्थ स्पष्ट हो जाता है, पर कोई लिखित चीज पढ़ने में इस अनेकार्थता के कारण पहले बहुत कठिनाई होती थी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए चीनियों ने ध्वनि के संकेत के लिए लिखने में चिह्नों का दोहरा प्रयोग आरम्भ किया। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। एक चीनी शब्द 'फेंग' है जिसका अर्थ 'बुना' तथा 'कमरा' होता है। अब यदि यों कहे कि 'फेंग' लिख दे तो पढ़नेवाला यह न जान पायेगा कि यह 'फेंग' बुनने का अर्थ रखता है, या कमरे का; और यह न जान पाने से उसको ठीक सुर में या ठीक ध्वनि से उच्चारित न कर पायेगा। पर यदि 'फेंग' के साथ कोई और शब्द लिख दें, या किसी और भाव को प्रकट कर देने वाला चिह्न बना दें जिससे अर्थ तथा ध्वनि स्पष्ट हो जाय तो यह कठिनाई न रहेगी। चीन में यही किया गया है। जहाँ 'फेंग' का बुना अर्थ अपेक्षित होता है, उसके साथ सिल्क का भाव प्रकट करने वाला चिह्न बना देते हैं और जहाँ कमरा अर्थ अपेक्षित होता है, 'दरवाजे' के भाव के चिह्न बना देते हैं। और चूँकि दरवाजे और कमरे तथा सिल्क और बुनने में सम्बन्ध है, अतः उन शब्दों के संकेत से पढ़ने वाला ठीक अर्थ समझ कर उनका उच्चारण ठीक सुर में करता है। इसीलिए इस दोहरे प्रयोग को 'ध्वन्यर्थ चिह्न' कहते हैं। कहना न होगा कि इसके कारण चीनी लिपि को शुद्ध पढ़ना सम्भव है, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती।

दोहरे प्रयोगों में केवल उपर्युक्त उदाहरण में दिये गये सम्बन्धित शब्द ही नहीं रखे जाते। इसके लिए तीन अन्य तरीके भी अपनाये जाते हैं। एक के अनुसार कभी-कभी उसी चिह्न को दो बार रख देते हैं। जैसे 'को' के कई अर्थ हैं जिनमें एक 'बड़ा भाई' भी है। 'बड़े भाई' के भाव तथा सुर की ओर संकेत करने के लिए 'को' का एक चिह्न न बनाकर दो चिह्न बना देते हैं। इस प्रकार एक ही चिह्न का दोहरा प्रयोग भी सुर और अर्थ स्पष्ट करने का काम दे जाता है। यह परम्परागत रूप से रट्टि-सा हो गया है कि दो 'को' साथ होने पर बड़े भाई का ही अर्थ लिया जाय, अतः इससे लोग यही भाव समझ जाते हैं। पहले उदाहरण की भाँति इसमें कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है।

दूसरे के अनुसार सुर तथा अर्थ की स्पष्टता के लिए दो पर्याय साथ रखते हैं। हिन्दी से इनका उदाहरण लेकर स्पष्टता से इसे समझाया जा सकता है। 'हरि' का अर्थ विष्णु, साँप, पानी तथा मेढ़क आदि होता है। इसी प्रकार 'क्षीर' का अर्थ 'दूध' तथा 'पानी' आदि होता है। अब यदि 'हरि क्षीर' लिखें तो अर्थ में गड़बड़ी न होगी। दोनों शब्दों के अनेक अर्थों में 'पानी' उभयनिष्ठ है, अतएव स्वभावतः उसी की ओर लोगों का ध्यान जायेगा। चीनी में इस प्रकार के समानार्थी शब्द-चिह्नों को एक स्थान पर रखकर भी उपर्युक्त कठिनाई का निवारण किया जाता है। कुंग-पा (डरना), शु-मु (पेड़) या काओ-सु (कहना) आदि ऐसे ही चिह्न हैं।

अन्तिम प्रकार के प्रयोग में जो दो शब्द-चिह्न साथ-साथ रखे जाते हैं, उनमें आपस में कोई इस प्रकार का स्पष्ट करने वाला सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, हु (= चीता) के लिए लाव-हु (वृद्ध चीता) लिखते हैं। इस लाव (वृद्ध) का चीते से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर प्रयोग की रूढ़ि के कारण इन दोनों चिह्नों को एक स्थान पर देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह 'चीते' के लिए आया है।

चीनी लिपि में अलग-अलग अक्षर या वर्ण होने के कारण विदेशी नामों के लिखने में कठिनाई होती है। इसके लिए ये लोग अधिकतर नामों का चीनी भाषा में अनुवाद करके लिखते हैं। उदाहरणार्थ उन्हें 'केशवचंद्र' लिखना होगा तो वे 'ईश्वर' और 'चाँद' के भाव प्रकट करने वाले चिह्न एक स्थान पर रख देंगे। बुद्ध भगवान् के पिता 'शुद्धोदन' का चीनी लिपि में लिखा जो स्प मिलता है, उसका मूल अर्थ 'शुद्ध चावल' (शुद्ध+ ओदन) है। पर, इसके अतिरिक्त यदि किसी नाम से ध्वनि में मिलता-जुलता उन्हें अपनी भाषा में कोई शब्द मिल जाता है तो उसी के चिह्न से काम चलाते हैं। बुद्ध की स्त्री 'यशोधरा' का नाम उन्होंने इसी पद्धति से लिखा है। सुना है इधर ध्वनि की इस पद्धति पर ही वे लोग अधिकतर विदेशी नाम तथा शब्द लिखने लगे हैं और अनुवाद करके लिखने का तरीका छोड़ा जा रहा है।

चीनी लिपि दो दृष्टियों से बहुत कठिन है—एक तो यह कि इसके चिह्न बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं। रेखाओं के भीतर रेखाएँ और बिन्दु आदि इतने घिचपिच होते हैं कि इन्हें बनाना तथा याद रखना दोनों ही बहुत कठिन है। दूसरे, इसमें लिपि-चिह्नों बहुत अधिक (४०-५० हजार) हैं। इस प्रकार के (कठिन) इतने अधिक चिह्नों को याद रखना कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता नहीं। चिह्न के कठिन होने की कठिनाई को पार करने के लिए चीनी लोगों ने अपने ५०० बहुप्रयुक्त चिह्नों को सरल बनाया है, और अब उसका प्रयोग ही वहाँ विशेष रूप से चल रहा है। चिह्नों को सरल बनाने के लिए स्ट्रोक या रेखाओं की संख्या घटा दी गई है। उदाहरण के लिए, पहले यदि किसी चिह्न में १६ छोटी-छोटी रेखाएँ थीं तो उसके स्थान पर अब ६ या ७ से लोग काम चला लेते हैं। कुछ वर्ष पूर्व यह सुनने में आया था कि चीनी रोमन लिपि को अपनाने जा रहे हैं। तीस अक्षरों (२४ व्यंजन+ ६ स्वर) को प्रस्तावित रोमन में ल्ह, च्ज़, ड के लिए नये चिह्न बनाए गए थे तथा अनावश्यक अक्षर छोड़ दिए जाने वाले थे।

馬 (मा) = घोड़ा

麻 (मा) = एक कपड़ा

馬 (माँ) = माँ

罵 (मा) = गाली देना

[चीनी लिपि का उदाहरण। कोष्ठक में उच्चारण है।]

अरबी लिपि—अरबी लिपि विश्व की एक बहुप्रचलित लिपियों में है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। प्राचीन काल में एक पुरानी सामी लिपि थी जिसकी आगे चलकर दो शाखाएँ हो गईं। एक उत्तरी सामी लिपि और दूसरी दक्षिणी सामी लिपि। बाद में उत्तरी सामी लिपि से आर्मेइक तथा फोनेशियन लिपियाँ विकसित हुईं। इनमें आर्मेइक ने विश्व की बहुत-सी लिपियों को जन्म दिया जिनमें हिब्रू, पहलवी तथा नेवातेन आदि प्रधान हैं। नेवातेन से सिनेतिक और सिनेतिक से पुरानी अरबी लिपि का जन्म हुआ। यह जन्म कब और कहाँ हुआ, इस सम्बन्ध में निश्चय के साथ कहने के लिए प्रमाणों का अभाव है। अरबी का प्राचीनतम अभिलेख ५१२ ई० का है।

अतएव इस आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसके पूर्व अरबी लिपि का जन्म हो चुका था। अरबी लिपि का विकास मक्का, मदीना, बसरा, कुफ़ा तथा दमस्कस आदि नगरों में हुआ और इसमें अधिकांश की अपनी-अपनी शैली तथा विशेषताएँ विकसित हो गईं जिनमें प्रमुख दो थीं—(क) कुफ़ी (मेसोपोटामिया के कुफ़ा नगर में विकसित); (ख) नस्खी (मक्का-मदीना में विकसित); इनमें कुफ़ी का विकास ७वीं सदी के अन्तिम चरण में हुआ। यह कलात्मक लिपि थी और स्थायी मूल्य के अभिलेखों के प्रयोग में तरह-तरह से आती थी। 'नस्खी' का विकास बाद में हुआ और इसका प्रयोग सामान्य कार्यों तथा त्वरालेखन आदि में होता था। अरबी लिपि दाएँ से बाएँ को लिखी जाती है। इसमें कुल २८ अक्षर हैं।

ا ب ت ث ج ح خ
 د ز ر ن س ش ص
 ض ط ظ ع غ ف ق
 ك ل م ن و ه ی

इस लिपि को यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों ने अपना लिया जिनमें तुर्की (अब तुर्की ने अरबी लिपि छोड़कर 'रोमन' को अपना लिया है), फारस, अफ़गानिस्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हैं। इन विभिन्न देशों में जाकर इस लिपि के कुछ चिह्नों तथा अक्षरों की संख्या में परिवर्तन भी आ गये हैं। उदाहरणार्थ फ़ारसी में 'रे' और 'जे' कुछ परिवर्तित ढंग से लिखने लगे तथा उनकी भाषा में अरबी की २८ ध्वनियों के अतिरिक्त प, च, ज़ तथा ग, ये चार ध्वनियाँ और थीं; अतः इनके लिए ४

پ چ گ ژ ک

नये चिह्न अरबी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिये गये और इस प्रकार फ़ारसी अक्षरों की संख्या ३२ हो गई। भारत में उर्दू तथा कश्मीरी आदि के लिए भी अरबी लिपि अपनाई गई। यहाँ फारस वालों ने जो वृद्धि की थी, उसे तो स्वीकार किया ही गया, उसके अतिरिक्त सात चिह्न और बढ़ा लिए गये।

ٹ ڈ ڑ ۛ ۞ ۟ ۠

इस प्रकार उर्दू आदि भाषाओं की लिपि में अक्षरों की संख्या ३७ हो गई। इन बढ़े अक्षरों में ध्वनि की दृष्टि से केवल तीन ही (टे, डाल, ड़े) नवीन हैं। अन्य चार में (ۛ) अक्षर (۞) का, (۟) अक्षर (۠) का (ۡ) अक्षर (ۢ) का दूसरा रूप मात्र है और (ۣ) अक्षर (ۤ) तथा (ۥ) का योग मात्र है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारत में 'रे', 'जे' आदि की बनावट अरबी की भाँति न होकर प्रायः फ़ारसी की भाँति है। 'काफ़' और 'गाफ़' अक्षर अरबी या फ़ारसी की भाँति के न होकर

ک

گ

है। तुर्की, पश्तो तथा मलय आदि भाषाभाषियों ने भी अरबी में अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन-परिवर्द्धन कर लिये। अरबी तथा उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी सामी की भाँति व्यंजन-प्रधान हैं। स्वरों के लिए 'जेर', 'जबर', 'पेश' तथा 'मद' आदि का सहारा लेकर पूर्ण अंकन का प्रयास किया जाता है, पर वह उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना नागरी या रोमन आदि में है। इस दृष्टि से अरबी तथा उससे निकली अन्य सभी लिपियों में सुधार अपेक्षित है।

भारतीय लिपियाँ

सिन्धुघाटी लिपि—भारत में लिखने की कला का ज्ञान लोगों को अत्यन्त प्राचीन काल से है। इसके प्राचीनतम नमूने सिन्धुघाटी (पंजाब के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिन्धु के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर) में मिले हैं। हेरास, लैगडन, स्मिथ, गैड तथा हंटर ने इसे समझने और पढ़ने का प्रयास किया है, किन्तु अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी है।

सिन्धुघाटी की लिपि की उत्पत्ति—सिन्धुघाटी की लिपि की उत्पत्ति के विषय में प्रधानतः तीन मत हैं—

(क) द्रविड़ उत्पत्ति—इस मत के समर्थकों में एच० हेरास तथा जॉन मार्शल प्रधान हैं। इन लोगों के अनुसार सिन्धुघाटी की सम्बन्धिता द्रविड़ों की थी और वे लोग इस लिपि के जनक तथा विकास करने वाले थे। इस मत के समर्थकों के तर्क पुरातत्त्ववेत्ताओं को इतने सशक्त नहीं लगे हैं कि उन्हें स्वीकार किया जा सके।

(ख) सुमेरी उत्पत्ति—एल० ए० वैडेल के तथा डॉ० प्राणनाथ के अनुसार सिन्धुघाटी की लिपि सुमेरी लिपि से निकली है। वैडेल के अनुसार सिन्धु की घाटी में ४००० ई० पू० सुमेरी लोग थे और उन्हीं की भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थी। वस्तुतः प्राचीन भारत, मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्ट की पुरानी लिपियाँ चित्रलिपि थीं और व्यापारिक सम्बन्धों के कारण उनमें कुछ साम्य भी है, किन्तु आज इतने दिन बाद यह कहना कठिन है कि इस प्रकार की लिपि के मूल निर्माता कौन थे और किन लोगों ने मूल निर्माताओं से इसे सीखा ?


(ग) आर्य या असुर उत्पत्ति—कुछ लोगों के अनुसार सिन्धु की घाटी में आर्य या असुर (जो जाति तथा संस्कृति में आर्यों से सम्बद्ध थे) रहते थे और इन्हीं लोगों ने इस लिपि का निर्माण किया। इन लोगों के अनुसार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री लिपियों से इस लिपि का साम्य इस कारण है कि इन तीनों ही देशों में लिपि भारत से ही गई है। (दीक्षीत—प्रीहिस्टारिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, पृ० ४६)

ये तीनों ही मत अपने समर्थकों को ही मान्य हैं। वस्तुस्थिति यह है कि आधार-सूत्र की कमी के कारण इस लिपि की उत्पत्ति या उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता।

सिन्धुघाटी की लिपि में कुछ चिह्न तो चित्र जैसे हैं—



और कुछ अक्षर जैसे—



विद्वानों का कहना है कि यह लिपि यदि शुद्ध भावमूलक होती तो इतने थोड़े चिह्नों से काम नहीं चलता जितने वहाँ मिले हैं। इसी आधार पर लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह भावमूलकता और अक्षरात्मकता के संधि-स्थल पर है। अर्थात् कुछ चित्र चित्रमूलक हैं और कुछ अक्षर-से हैं। डिरिंजर ने इसी आधार पर इसे 'ट्राजिशनल स्क्रिप्ट' (भाव-ध्वनिमूलक लिपि) कहा है।

सिंधुघाटी की लिपि में कुल कितने चिह्न हैं, इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण में कुछ लोग तो कई चिह्नों को क चिह्न का ही लेखन के कारण परिवर्तित रूप मानते हैं और कुछ लोग उन्हें अलग चिह्न मानते हैं। इस सम्बन्ध में तीन विद्वानों के मत प्रधान हैं। हन्टर के अनुसार चिह्नों की संख्या २५३, लैडन के अनुसार २२८ तथा गैड और स्मिथ के अनुसार ३६६ है।

भारत में लिपिज्ञान की प्राचीनता—सिंधुघाटी की लिपि के प्रकाश में आने के पूर्व विदेशी विद्वानों का यह मत रहा है कि भारत में लिखने का प्रचार बहुत बाद में हुआ। मैक्समूलर ने पाणिनि का काल ४थी शताब्दी ई० पू० माना है और उनके अनुसार, पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार मैक्समूलर के अनुसार ४थी शताब्दी ई० पू० के बाद भारत में लिपि का प्रचार हुआ। बर्नेल के अनुसार भारतवासियों ने ४थी या ५वीं शताब्दी ई० पू० में फोनेशियन लोगों से लिखने की कला सीखी। डॉ० बूलर ने उपर्युक्त दोनों मतों को अस्वीकार करते हुए अपना मत सामने रखा। इनके अनुसार ५०० ई० पू० या इसके भी पहले भारतीयों ने सेमिटिक लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया।

इधर भारत में लिपि या लेखन-ज्ञान की प्राचीनता (सिंधुघाटी की लिपि को छोड़कर) के विषय में पर्याप्त सामग्री प्रकाश में आयी है। यहाँ इनमें से कुछ प्रधान का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

भारत में लिपि या लेखन-ज्ञान की प्राचीनता पर प्रकाश डालने वाली सामग्री अधोलिखित वर्गों में रखी जा सकती है—(१) ग्रन्थों के प्रमाण—क. विदेशी, ख. देशी; (२) शिलालेख आदि; (३) अन्य।

१. ग्रन्थों के प्रमाण; [क] विदेशी—बहुत से विदेशी ग्रन्थों में भारत में लिपिज्ञान की प्राचीनता के सम्बन्ध में प्रमाण मिलते हैं जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—(अ) एरिअन ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में सिकन्दर के सेनापति निआर्कस (३२६ ई० पू०) द्वारा लिखित भारत के वृत्तान्त को संक्षेप में दिया है। उससे स्पष्ट है कि यहाँ लिखने के लिए कागज बनाया जाता था। (आ) मेगास्थनीज (३०५ ई० पू०) ने अपनी 'इंडिका' में भारत में सड़कों पर मील के पत्थरों के गड़े होने का उल्लेख किया है। उसने जन्म-कुण्डली का भी उल्लेख किया है। (इ) चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत में लिपिज्ञान के अत्यंत प्राचीन काल में होने का उल्लेख किया है। (ई) प्रसिद्ध चीनी विश्वकोश 'फावान-वान-शु-लिन' में

ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। उसके अनुसार इस लिपि का आविष्कार ब्रह्मा ने किया था।

[ख] देशी—(अ) बौद्ध ग्रन्थ सुत्तंत (सुत्रांत) में, जो साइस डेविड्ज के अनुसार ४५० ई० पू० के आसपास का, पर डॉ० राजवंशी पाण्डेय के अनुसार छठी सदी ई० पू० से भी पूर्व का है, 'अक्षरिका' लेख का उल्लेख है जिसमें आकाश में था पीठ पर अक्षर लिखे जाते थे। (आ) विनयपिटक (ओल्डनबर्ग के अनुसार ४०० ई० पू० के भी पूर्व) में लेखन-कला की प्रशंसा की गई है। (इ) जातकों में अनेक नियमों को सुवर्ण पत्रों पर खुदवाने, व्यक्तिगत तथा सरकारी पत्र लिखने एवं ऋण लेने पर ऋणार्पण लिखे जाने के रूप में लेखन-कला के उल्लेख हैं। ओझा जी के अनुसार जातकों में ई० पू० छठी सदी या उससे भी पूर्व के असाज का चित्र है। (ई) यामाजण, सहभारत (४०० ई० पू०), अर्थशास्त्र (४थी सदी ई० पू०) तथा अष्टाध्यायी (गोल्डरुटकर के अनुसार बुद्ध के पूर्व, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार ४४०-४३० ई० पू०) आदि में भी लिपि-विषयक पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। पीछे मैक्समूलर के अनुसार पाणिनि में लेखन के विषय में प्रमाण न मिलने का उल्लेख किया जा चुका है, पर वह नितान्त भ्रामक है। अष्टाध्यायी में लिपि, लिवि, लिपिकर, लिविकर, ग्रन्थ तथा यवनानी आदि के उल्लेख लिपिज्ञान की निश्चितता स्पष्ट कर देते हैं। इस सम्बन्ध में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पाणिनीकालीन भारतवर्ष' (पृ० ३०६-७) पठनीय है।

लिपि तथा लेखन-विषयक कुछ प्रमाण और भी पहले के मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद् में 'हिकार उति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति अक्षरं तत्समं' में स्पष्ट रूप से अक्षर का उल्लेख है। तैत्तिरीय में 'वर्णः स्वरः मात्रा बलम्' में वर्ण, स्वर तथा मात्रा का मिलना भी उर्या ओर संकेत करता है। इसी प्रकार, यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा पंचविंश ब्राह्मण आदि में भी प्रमाण हैं। पर, इतना ही नहीं, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में भी इस प्रकार के संकेत हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय भी आर्यों को लेखन-ज्ञान था। 'सहस्रम् मे ददती अष्टकर्ण्यः' से स्पष्ट है कि गायों के कान में ८ की संख्या लिखी जाती थी।

२. शिलालेख—भारत में लेखन-कला प्राचीन होने पर भी पुराने लेख आदि नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि लोग पत्ते, कागज तथा भोजपत्र आदि पर लिखा करते थे और वे वस्तुएँ सड़-गल गईं। पुराने लेख केवल पत्थरों पर कुछ मिले हैं। प्राचीनतम शिलालेख अजमेर जिले के 'बडली' गाँव तथा नेपाल के 'पिपरावा' में मिले हैं। विद्वानों का अनुमान है कि ये लेख लगभग ४८३ ई० पू० के हैं। आगे चलकर ४थी सदी ई० पू० के कुछ लेख तथा ३री सदी ई० में खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख मिलते हैं।

३. अन्य—कुछ पुराने सिक्कों तथा ब्रह्मा और सरस्वती की मूर्तियों (जिनके हाथ में पुस्तक बनी है) से भी भारत में लेखन-कला के प्राचीन काल से प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं।

भारत की प्राचीन लिपियाँ

सिधुघाटी की लिपि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाय तो भारत के पुराने शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियाँ (ब्राह्मी, खरोष्ठी) मिलती हैं। किंतु, पुस्तकों में और अधिक लिपियों के नाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जैनों के पन्नवणासूत्र में १८ लिपियों के नाम हैं—

१. बर्भी

२. जवणालि

३. दोसापुरिया

- | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|
| ४. खरोट्टी | ५. पुक्खरसारिया | ६. भोगवड्या |
| ७. पहाराड्या | ८. उपअन्तरिक्षिया | ९. अक्खरपिट्टिया |
| १०. तेवणड्या | ११. गि (गि) राहड्या | १२. अंकलिवि |
| १३. गणितलिपि | १४. गंधव्वलिपि | १५. आदंसलिपि |
| १६. माहेसरी | १७. दामिल्ली | १८. पौलिदी । |

इसी प्रकार बौद्धों की संस्कृत पुस्तक 'ललितविस्तार' में ६४ लिपियों के नाम दिये गये हैं—

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| १. ब्राह्मी | २. खरोष्ठी | ३. पुष्करसारी |
| ४. अंगलिपि | ५. अंगलिपि | ६. मगधलिपि |
| ७. मांगलयलिपि | ८. मनुष्यलिपि | ९. अंगुलीयलिपि |
| १०. शकारिलिपि | ११. ब्रह्मवल्कीलिपि | १२. द्राविडिलिपि |
| १३. कनारिलिपि | १४. दक्षिणिलिपि | १५. उग्रलिपि |
| १६. सख्यालिपि | १७. अनुलोमलिपि | १८. ऊर्ध्वधनुर्लिपि |
| १९. दरदलिपि | २०. खारयलिपि | २१. चीनलिपि |
| २२. हणलिपि | २३. मध्याधरविस्तारलिपि | २४. पुष्पलिपि |
| २५. देवलिपि | २६. नागलिपि | २७. यक्षलिपि |
| २८. गन्धर्वलिपि | २९. किन्नरलिपि | ३०. महोरगलिपि |
| ३१. असुरलिपि | ३२. गरुडलिपि | ३३. मृगचक्रलिपि |
| ३४. चकलिपि | ३५. वायुमरुलिपि | ३६. भौमदेवलिपि |
| ३७. अंतरिक्षदेवलिपि | ३८. उत्तरकुरुद्वीपलिपि | ३९. अपरगौडादिलिपि |
| ४०. पूर्वविदेहलिपि | ४१. उत्क्षेपलिपि | ४२. निक्षेपलिपि |
| ४३. विक्षेपलिपि | ४४. प्रक्षेपलिपि | ४५. सागरलिपि |
| ४६. वज्रलिपि | ४७. लेखप्रतिलेखलिपि | ४८. अनद्रतलिपि |
| ४९. शारत्रावर्तलिपि | ५०. गणावर्तलिपि | ५१. उत्क्षेपावर्तलिपि |
| ५२. विक्षेपावर्तलिपि | ५३. पादलिखितलिपि | ५४. द्विरुत्तरपदसन्धिलिखितलिपि |
| ५५. दशोत्तरपदसन्धिलिखितलिपि | ५६. विद्यानुलोमलिपि | ५७. अष्टाहारीणिलिपि |
| ५८. सर्वरुत्वसंग्रहणीलिपि | ५९. धरणीप्रक्षणीलिपि | ५८. विमिश्रितलिपि |
| ६०. ऋषितपस्तप्ललिपि | ६०. सर्वभूतरुद्रगृहणीलिपि । | ६२. सर्वपधानिष्यनन्दलिपि |

इनमें ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो का ही आज पता है। यों इनमें के अधिकांश नाम कल्पित ज्ञात होते हैं।

खरोष्ठी—खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम लेख शहबाजगढ़ी और मनसेरा में मिले हैं। आगे चलकर बहुत से विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों आदि में यह लिपि प्रयुक्त हुई है। इसकी प्राप्त सामग्री मोटे रूप से ४थी सदी ई० पू० से ३री सदी ई० तक मिलती है। इसके इंडोबैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन, काबुलियन, बैक्ट्रोपालि या आर्यन आदि और भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित नाम 'खरोष्ठी' ही है जो चीनी साहित्य में ७वीं सदी तक मिलता है।

नाम पड़ने के कारण—'खरोष्ठी' नाम पड़ने के सम्बन्ध में अग्रकित ६ मत मिलते हैं—

(१) चीनी विश्वकोश 'फ़ा-वान-शुलिन' के अनुसार, किसी 'खरोष्ठ' नामक व्यक्ति ने इसे बनाया था।

(२) यह 'खरोष्ठ' नामक सीमाप्रान्त से अर्धसभ्य लोगों में प्रचलित होने के कारण इस नाम की अधिकारिणी बनी।

(३) इस लिपि का केन्द्र कभी मध्य एशिया का एक प्रान्त 'काशगर' था और 'खरोष्ठ' काशगर का ही संस्कृत रूप है।

(४) सिलवॉ लेवी के अनुसार खरोष्ठ काशगर के चीनी नाम 'किया-लु-शु-ता-ले' का विकसित रूप है और काशगर ही इस लिपि का केन्द्र रहा है।

(५) गदहे की खाल पर लिखी जाने से इसे ईरानी में 'खरोपोशत' कहते थे और उसी का अपभ्रंश रूप 'खरोष्ठी' है।

(६) डॉ० प्रज़िलुस्की के अनुसार, यह 'गदहे' की खाल पर लिखी जाने से 'खरोष्ठी' और फिर 'खरोष्ठी' कहलायी।

(७) कोई आर्मेइक शब्द 'खरोट्ठ' था और उसी का भ्रामक व्युत्पत्ति के आधार पर बना संस्कृत रूप 'खरोष्ठ' है।

(८) डॉ० राजबली पांडेय के अनुसार, इस लिपि के अधिक अक्षर गदहे के ओठ की तरह बेढंगे हैं, अतएव यह नाम पड़ा है।

(९) डॉ० घटर्जी के अनुसार, हिब्रू में खरोशेथ (Kharosheth) का अर्थ 'लिखावट' है। उसी से लिया जाने के कारण इसका नाम 'खरोशेथ' पड़ा जिसका संस्कृत रूप खरोष्ठ और उससे बना शब्द खरोष्ठी है।

इन नवों में कोई भी बहुत पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है, अतएव इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है। यों अधिक विद्वान् इस लिपि की उत्पत्ति, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे, आर्मेइक लिपि से मानते हैं, अतएव आर्मेइक शब्द 'खरोट्ठ' से इसके नाम को संबद्ध माना जा सकता है।

उत्पत्ति—खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी लोग एकमत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो मत हैं—(१) यह आर्मेइक लिपि से निकली है। (२) यह शुद्ध भारतीय लिपि है।

प्रथम मत का सम्बन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी० बूलर, से है। इनका कहना है कि—(१) खरोष्ठी लिपि आर्मेइक लिपि की भाँति दाएँ से बाएँ को लिखी जाती है। (२) खरोष्ठी लिपि के ११ अक्षर बनावट की दृष्टि से आर्मेइक लिपि के ११ अक्षरों से बहुत मिलते-जुलते हैं, साथ की इन ११ अक्षरों की ध्वनि भी दोनों लिपियों में एक है; यथा—

खरोष्ठी	आर्मेइक	य	योध्
क	काफ्	र	रेश्
ज	जाइन्	व	वाव्
द	दालेथ्	ष	शिन्
न	नून	स	त्सार्ध
ब	बैथ्	ह	हे

(३) आर्मेइक लिपि खरोष्ठी से पुरानी है। (४) तक्षशिला में आर्मेइक लिपि में प्राप्त शिलालेख से यह स्पष्ट है कि भारत से आर्मेइक लोगों का सम्बन्ध था। इन चारों बातों से यह स्पष्ट हो जाता है

कि खरोष्ठी लिपि आर्मेइक से ही संबद्ध है। भारतीय लिपियों के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा भी इस मत से सहमत हैं। आधुनिक युग में लिपिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् और अध्येता डिरिंजर ने भी इसी मत को स्वीकार किया है।

दूसरा मत खरोष्ठी को शुद्ध भारतीय मानने का है। डॉ० राजबली पांडेय ने अपनी पुस्तक 'इंडियन पैलोग्राफी' में इस मत का प्रतिपादन किया है। यह मत केवल तर्क पर आधारित है। पूर्व मत की भाँति ठोस आधारों की इसमें कमी है; अतः जब तक इस मत के पक्ष में कुछ ठोस सामग्री उपलब्ध न हो जाय, पूर्व मत की तुलना में इसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती है।

खरोष्ठी लिपि उर्दू लिपि की भाँति पहले दायें से बायें को लिखी जाती थी, पर बाद में सम्भवतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण यह भी नागरी आदि लिपियों की भाँति बायें से दायें को लिखी जाने लगी। डिरिंजर तथा अन्य विद्वानों का अनुमान है कि इस दशा-परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ और बातों में भी ब्राह्मी लिपि ने इसे प्रभावित किया। इसमें मूलतः स्वरों का अभाव था। वृत्त, रेखा या इसी प्रकार के अन्य चिह्नों द्वारा ह्रस्व स्वरों का अंकन इसमें ब्राह्मी का ही प्रभाव है। इसी प्रकार, भ, घ तथा घ आदि के चिह्न आर्मेइक में नहीं थे। यह भी ब्राह्मी के ही आधार पर इसमें सम्मिलित किये गये।

खरोष्ठी लिपि को बहुत वैज्ञानिक या पूर्ण लिपि नहीं कहा जा सकता। यह एक कामचलाऊ लिपि थी और आज की उर्दू लिपि की भाँति इसे भी लोगों को प्रायः अनुमान के आधार पर पढ़ना पड़ता रहा होगा। मात्राओं के प्रयोग की इसमें कमी है, विशेषतः दीर्घ स्वरों (आ, ई, ऊ, ऐ और औ) का तो इसमें सर्वथा अभाव है। संयुक्त व्यंजन भी इसमें प्रायः नहीं के बराबर या बहुत थोड़े हैं। इसकी वर्णमाला में अक्षरों की मूल संख्या ३७ है।

खरोष्ठी लिपि के अक्षर यहाँ दिये जा रहे हैं—

अ - १ १ १	रा - १
इ - १	र - १
उ - १ १	ष - १
ए - १ १ १	द - १
ओ - १	ध - १
अं - १	न - १
क - १ १	प - १ १
ख - १ १	फ - १
ग - १ १	ब - १ १
घ - १	भ - १ १
च - १ १	म - १ १ १
छ - १ १	य - १ १
ज - १ १	र - १ १ १

ॠ - ५	ॡ - १५
ॢ - ५	ॣ - १५
। - ५	॥ - ५५
॥ - २	० - ११
॥ - ५	॥ - ५५
॥ - ५	॥ - १११

[पहचान के लिए आरम्भ में नागरी अक्षर देकर उनके सामने उसी ध्वनि के खरोष्ठी अक्षर दिये गये हैं]

ब्राह्मी—ब्राह्मी प्राचीन काल में भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है। इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बडली (या बर्ली) गाँव के शिलालेख में मिले हैं। इनका समय ओझाजी ने ५वीं सदी ई० पू० माना है। उस समय से लेकर ३५० ई० तक इस लिपि का प्रयोग मिलता है।

ब्राह्मी नाम का आधार—इस लिपि के 'ब्राह्मी' नाम पढ़ने के सम्बन्ध में कई मत हैं—(१) इस लिपि का प्रयोग इतने प्राचीन काल से होता आ रहा है कि लोगों के इसके निर्माता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है और धार्मिक भावना से विश्व की अन्य चीजों की भाँति 'ब्रह्मा' को इसका भी निर्माता मानते रहे हैं और इसी आधार पर उसे ब्राह्मी कहा गया है। (२) चीनी विश्वकोश 'फा-वान-शु-लिन' (६६८ ई०) में इसके निर्माता कोई ब्राह्म या ब्रह्मा (Fan) नाम के आचार्य लिखे गये हैं, अतएव उनके नाम के आधार पर इसका ब्राह्मी पढ़ना सम्भव है। (३) डॉ० राजबली पांडेय के अनुसार, भारतीय आर्यों ने ब्रह्म (= वेद अर्थात् ज्ञान) की रक्षा के लिए इसको बनाया। इस आधार पर भी इसके ब्राह्मी नाम पढ़ने की सम्भावना हो सकती है। (४) कुछ लोग साक्षर समाज—ब्राह्मणों—प्रयोग में विशेष रूप से होने के कारण भी इसके नाम से पुकारे जाने का अनुमान लगाते हैं। वस्तुतः 'खरोष्ठी' की भाँति ही ब्राह्मी के विषय में भी व्यक्त ये मत केवल अनुमान पर ही आधारित हैं। ऐसी स्थिति में इनमें किसी को भी अनिश्चय स्वीकार नहीं किया जा सकता। यों पहला मत अन्यों की अपेक्षा अधिक तर्क-सम्मत लगता है।

ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति—ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद होता आया है। इस विषय में व्यक्त किये गये विभिन्न मत दो प्रकार के हैं—एक के अनुसार ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से सम्बन्ध रखती है और दूसरे के अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ है। यहाँ दोनों प्रकार के मतों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है—

(क) ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से निकली है—इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

(१) फ्रेंच विद्वान् कुपेरी का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है। यह मत सबसे अधिक अवैज्ञानिक है। चीनी और ब्राह्मी चिह्न आपस में सभी बातों में एक-दूसरे से इतने दूर हैं कि किसी एक से दूसरे को सम्बन्धित मानने की कल्पना ही हारयास्पद है। इस मत की व्यर्थता के कारण ही प्रायः विद्वानों ने इस विषय पर विचार करते समय इसका उल्लेख तक नहीं किया है।

(२) डॉ० अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप तथा सेनार्ट आदि ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी को उत्पन्न

माना है। पेंनार्ट का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों से यूनानियों का सम्पर्क हुआ और उसी समय इन लोगों ने यूनानियों से लिखने की कला सीखी। पर जैसा कि बूलर तथा डिरिंजर आदि ने लिखा है, सिकंदर के आक्रमण (३२५ ई० पू०) के बहुत पहले से यहाँ लेखन का प्रचार था,^१ अतएव यूनानी लिपि से इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

(३) हल्वे के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है जिसके ८ व्यंजन ४थी सदी ई० पू० आर्मेइक लिपि से; ६ व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, सब मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार खरोष्ठी से; तथा ५ व्यंजन एवं तीन प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूनानी से लिये गये हैं और यह मिश्रण सिकंदर के आक्रमण (३२५ ई० पू०) के बाद हुआ है। करना न होगा कि ४थी सदी ई० पू० एवं सिकंदर के आक्रमण से पूर्व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, अतएव यह मत भी अल्फ्रेड मूलर के मत की भाँति ही निस्सार है।

(४) ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सामी (सेमिटिक) लिपि से मानने के पक्ष में अधिक विद्वान् हैं, किन्तु इनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः भ्रूय्य नहीं है। यहाँ कुछ प्रधान मत दिये जा रहे हैं —

(अ) वेबर, कस्ट, वेनके तथा जेनसन आदि विद्वान् सामी लिपि की फोनीशियन शाखा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। इस मत का मुख्य आधार है कुछ ब्राह्मी और फोनीशियन लिपिचिह्नों का रूप-साम्य। इसे स्वीकार करने में दो आपत्तियाँ हैं—

(१) जैसा कि डिरिंजर ने अपनी पुस्तक 'द अल्फ़ाबेट' में दिखलाया है, जिस काल में इस प्रकार के प्रभाव की संभावना हो सकती है, भारत तथा फोनीशियन लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क के कोई निश्चित और प्रौढ़ प्रमाण नहीं मिलते।^२

(२) फोनीशियन लिपि से ब्राह्मी की समानता स्पष्ट नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्बन्ध में इस विषय के छोटी के विद्वानों में इतना मतभेद न होता। इस प्रसंग में गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा का मत ही समीचीन ज्ञात होता है कि दोनों केवल एक अक्षर (ब्राह्मी 'ज' और फोनीशियन 'गिमेल') का ही साम्य है। कहना अनुचित न होगा कि एक अक्षर के साम्य के आधार पर इतने बड़े निर्णय को आधारित करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता।

(आ) टेलर तथा सेथ आदि के अनुसार, ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपि से निकली है। डॉ० आर० एम० साहा ने इसे अरबी से सम्बन्धित माना है। पर, सत्य यह है कि इन लिपियों में समानता नहीं के बराबर है और ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर, कि अरब से भारत का पुराना सम्पर्क

१. पीछे भारत में लेखन की प्राचीनता पर विचार किया जा चुका है।

२. डॉ० राजवली पाण्डेय का कहना है कि ऋग (६-५१, १४, ६१, १) वेद में इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि फोनीशी लोग मूलतः भारतीय थे और ब्राह्मी तथा फोनीशी लिपि में जो थोड़ा-बहुत साम्य है, वह इसलिए नहीं है कि ब्राह्मी फोनीशियन से निकली है, अपितु इसलिए है कि ब्राह्मी को ही वे अपने साथ ले गये और उसी का विकसित रूप फोनीशी है। पाण्डेय जी की इस स्थापना के सम्बन्ध में विद्वानों का क्या विचार है, मुझे ज्ञात नहीं है। पर, इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि फोनीशी तथा ब्राह्मी लिपि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों लिपियों में कुल एक ही अक्षर में समता मिलती है; और केवल एक अक्षर की समता के आधार पर दो लिपियों को संबद्ध या एक-दूसरे से निकली मानना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता।

था,^१ यह मान लेना न्यायसंगत नहीं लगता कि ब्राह्मी अरबी या दक्षिणी सामी लिपि से निकली है. डीके के अनुसार, असीरिया के कीलाक्षरों (क्यूनीफॉर्म) से किसी दक्षिणी सामीलपि की उत्पत्ति हुई थी और फिर उससे ब्राह्मी की। इस सम्बन्ध में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत पूर्णतः न्यायोचित लगता है कि रूप की विभिन्नता के कारण कीलाक्षरों से न तो किसी सामी लिपि के निकलने की सम्भावना है और न तो सामी से ब्राह्मी की। (इ) कुछ लोग उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। इस मत के समर्थकों में प्रधान नाम बूलर का लिया जाता है। यों बेबर, बेनर्फ, पाट, वेस्टरगार्ड, हिवटने तथा विलियम जोन्स आदि अन्य लोगों के भी इनसे बहुत भिन्न मत नहीं हैं। बूलर का कहना है कि 'हिन्दुओं ने' उत्तरी सामी लिपि के अनुकरण पर कुछ परिवर्तन के साथ अपने अक्षरों को बनाया। परिवर्तन से उसका आशय यह है कि कहीं लकीर को कुछ इधर-उधर हटा दिया, जैसे 'अलेफ' से 'अ' करने में—

KKK ✕

जहाँ लकीर न थी, वहाँ नयी लकीर बना दी, जैसे जाइन से ज बनाने में। कहीं-कहीं लकीरें मिटा दीं, जैसे 'हेथ' को 'ध' करने में—

□ □ L L

और इसी प्रकार कहीं नीचे लटकती लकीर ऊपर घुमा दी, कहीं तिरछी लकीर सीधी कर दी, कहीं आड़ी लकीर खड़ी कर दी, कहीं त्रिकोण को धनुषाकार बना दिया और कहीं कोण को अर्द्धवृत्त या कहीं लकीर को काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं और कुछ। आशय यह है कि जहाँ जो परिवर्तन चाहा, कर लिया।

यहाँ दो बातें कहनी हैं—(१) इतना करने पर भी बूलर को ७ अक्षरों [दालेथ (द) से 'घ', हेथ (ह) से 'ध', तेथ से 'घ', सामेख (स) से 'ष', फ्रे (फ़) से 'प', त्साधे से 'च' तथा काफ़ (क) से 'ख'] की उत्पत्ति ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी जो उच्चारण में भिन्न हैं। (२) बूलर ने जिस प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर 'अलेफ' से 'अ' या इसी प्रकार अन्य अक्षरों की उत्पत्ति सिद्ध की है, यदि कोई चाहे तो संसार की किसी भी लिपि को किसी अन्य लिपि से निकली सिद्ध कर सकता है। उदाहरण के लिए 'क' अक्षर से यदि अंग्रेजी K को निकला सिद्ध करना चाहें तो कह सकते हैं कि बनाने वाले ने क के बायीं ओर के गोले हटाकर ऊपर की शिरोरेखा तिरछी कर दी और K बन गया, या इसी प्रकार ब्राह्मी के अ—

K

१. और यह सम्बन्ध भी इतना अधिक पुराना नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ब्राह्मी जो अशोक के समय में इतनी विकसित है, अपने मूल रूप में इससे निकली है।

का मुँह फेर कर सीधी रेखा को जरा हटा दिया और उत्तरी सामी का अलेफ़—

✶

बन गया। इसी तरह जैसा कि ओझा जी ने लिखा है अंग्रेजी A से ब्राह्मी अ—

А Н Н Н Н У

या D से ब्राह्मी द

द द द द

का निकलना सिद्ध किया जा सकता है।

बूलर ने इस द्रविड़-प्राणायाम के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्राह्मी के २२ अक्षर उत्तरी सामी से, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपि से, कुछ मेसा के शिलालेख से तथा ५ असीरिया के बाटों पर लिखित अक्षरों से लिये गये।

इधर डॉ० डेविड डिरिंजर ने भी अपनी 'द अल्फाबेट' नामक पुस्तक में बूल का समर्थन करते हुए ब्राह्मी को उत्तरी सामी लिपि से उत्पन्न माना है। उत्तरी सामी से ब्राह्मी के उत्पन्न होने के लिए प्रधान तर्क ये दिये जाते हैं—(१) दोनों लिपियों में साम्य है। (२) भारत में सिन्धुघाटी में जो प्राचीन लिपि मिली है, वह चित्रात्मक या भावध्वनिमूलक लिपि है और उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं निकल सकती थी। (३) ब्राह्मी प्राचीन काल में सामी की भाँति ही दायें से बायें को लिखी जाती थी। (४) भारत में ५वीं सदी ई० पू० के पहले की लिपि के नमूने नहीं मिलते। नीचे एक-एक करके इन तर्कों पर विचार किया जा रहा है—

(१) दोनों लिपियों में प्रत्यक्ष साम्य बहुत ही कम है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार तरह-तरह के परिवर्तनों तथा द्रविड़-प्राणायाम के आधार पर बूलर ने दोनों लिपियों के अक्षरों में साम्य स्थापित किया है। साथ ही, हम लोग यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि इस प्रकार यदि साम्य सिद्ध करने पर कोई तुल ही जाय तो संसार की किसी भी दो लिपि में थोड़ा-बहुत साम्य सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आरोपित साम्य दोनों में सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है।

(२) जहाँ तक दूसरे तर्क का प्रश्न है, दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कि यह कहना पूर्णतया भ्रामक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्रभावमूलक लिपि या भावध्वनिमूलक लिपि से वर्णात्मक लिपि का विकास ही नहीं होता। प्राचीन काल में संसार की सभी लिपियाँ चित्रात्मक थीं और उनसे ही वर्णात्मक लिपियों का विकास हुआ।^१ दूसरे यह कि सिन्धुघाटी की लिपि पूर्णतया चित्रलिपि नहीं

१. सामी का 'अलेफ़' उदाहरणार्थ ले। शब्द का मूल अर्थ बेल है और 'अलेफ़' के लिए मूल चिह्न बेल का सर था जिस पर दो सींग थे। उसी चित्रलिपि से शुद्ध वर्णात्मक लिपि रोमन के A का विकास हुआ है। इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं। लिपि के विकास-क्रम की चित्रात्मक, भावध्वनिमूलक, अक्षरात्मक तथा वर्णात्मक लिपियाँ सीदियाँ हैं।

है। पीछे हम देख चुके हैं कि उसमें कुछ तो चित्र हैं, पर साथ ही कुछ ऐसे भी चिह्न हैं जिन्हें चित्र न कहकर लिपिचिह्न कहना अधिक युक्तिसंगत होगा। जैसा कि डिरिंजर ने लिखा है, यह भाव और ध्वनि के बीच में थी, अर्थात् भाव-वनिमूलक लिपि थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधुघाटी की लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास संभव नहीं है। संभव है, कल कोई टूटी कड़ी मिल जाय और सिंधुघाटी की लिपि से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध हो जाय। यों यदि ध्यान से सिंधुघाटी की लिपि तथा ब्राह्मी को देखा जाय तो दोनों के कई चिह्नों में पर्याप्त साम्य है और वह साम्य बूलर द्वारा उत्तरी सामी और ब्राह्म में आरोपित साम्य से कहीं अधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत है।

(३) तीसरे तर्क में उत्तरी सामी से ब्राह्मी को निकली मानने वालों ने कहा है कि सामी दायें से बायें को लिखी जाती है और पुरानी ब्राह्मी के भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें वह बायें से दायें न लिखी जाकर दायें से बायें को लिखी गई है। इसका आशय यह है कि सामी से निकली होने के कारण ब्राह्मी मूलतः दायें से बायें को लिखी जाती थी।

ब्राह्मी के उदाहरण जो दायें से बायें लिखे मिले हैं, निम्नांकित हैं—

(क) अशोक के अभिलेखों के कुछ अक्षर।^१

(ख) मध्यप्रदेश के एरण स्थान में प्राप्त सिक्के का लेख।

(ग) मद्रास के येरगुडी स्थान में प्राप्त अशोक का लघु शिलालेख।

बूलर के सामने इनमें केवल प्रथम दो थे। तीसरा बाद में मिला है।

'क' के सम्बन्ध में यह कहना है कि इसके उदाहरण बहुत थोड़े हैं जब कि इसके समकालीन लेखों में बायें से दायें लिखने के उदाहरण इससे कई गुने अधिक हैं। जैसा कि ओझा जी का अनुमान है, यह लेखक की असावधानी के कारण हुआ जात होता है; या संभव है देशभेद के कारण इस प्रकार का विकास हो गया हो, जैसे छठी सदी के यशोधर्मन के लेख में 'उ' नागरी के 'उ'-सा मिलता है, पर उसी सदी के गारुलक सिंहादित्य के दानपत्र में ठीक उसके उल्टा। बँगला का 'च' भी पहले बिल्कुल उल्टा लिखा जाता था। अतएव कुछ उल्टे अक्षरों के आधार पर लिपि को उल्टी लिखी जाने वाली (दायें से बायें) मानना उचित नहीं कहा जा सकता। 'ख' का सम्बन्ध सिक्के से है। किसी सिक्के पर अक्षरों का उल्टे खुद जाना आश्चर्य नहीं। टप्पे की गड़बड़ी के कारण प्रायः ऐसा हो जाता है। सातवाहन (आन्ध्र) वंश के राजा शातकर्णिक के भिन्न प्रकार के दो सिक्कों पर ऐसी अशुद्धि मिलती है। इसी प्रकार, पार्थिवन अब्दगसिस के एक सिक्के पर का खरोप्टी का लेख भी उल्टा गया है। और भी इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसी कारण, प्रसिद्ध पुरातत्वेत्ता डॉ० हुल्श तथा फ्लीट ने बूलर के इस तर्क को अर्थहीन माना है। 'ग' के सम्बन्ध में विचित्रता यह है कि इसमें एक पंक्ति बायें से दायें को लिखी मिलती है तो दूसरी दायें से बायें और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता गया है। इससे ऐसा लगता है कि लिखने वाला नये प्रयोग या खिलवाड़ की दृष्टि से यह कर रहा था। यदि वह दायें से बायें लिखने के किसी निश्चित सिद्धान्त का पालन करता तो ऐसा न होता। पूरा लेख एक

१. जौगढ़ और धौली के लेखों में 'ओ' उल्टा है तथा जौगढ़ और देहली के शिवालिक स्तंभ में संभवतः 'ध'।

प्रकार का होता।^१ इन सारी बातों को देखने से स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि इन थोड़े से अपवादस्वरूप प्राप्त और अशुद्धियों या नये प्रयोगों पर आश्रित उदाहरणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पहले ब्राह्मी दायें से बायें को लिखी जाती थी।

(४) चौथा तर्क भी महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जब तक उत्तरी भारत के सभी संभाव्य स्थलों की पूरी खुदाई नहीं हो जाती, यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पुराने शिलालेख नहीं हैं। साथ ही, साहित्यिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो ही चुका है कि इससे बहुत पूर्व से भारत में लिखने का प्रचार था। यह बहुत संभव है कि आर्द्र जलवायु तथा नदियों की बाढ़ आदि के कारण पुरानी लिखित सामग्री जो भोजपत्र आदि पर हो रही हो, सड़-गल गई हो। इस प्रकार उत्तरी सारी से ब्राह्मी का सम्बन्ध संभव नहीं है।

ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपि से सम्बद्ध सिद्ध करने वालों में प्रधान के मतों का विवेचन यहाँ किया गया और इससे स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है जिसके आधार पर ब्राह्म को किसी विदेशी लिपि से निकली सिद्ध किया जा सके।

इसी प्रकार, कुछ और लोगों ने कुछ और लिपियों से ब्राह्मी को सम्बद्ध माना है। संक्षेप में इन विभिन्न विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी चीनी, आर्मेइक, फोनीशियन, उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी सेमिटिक, मिस्री, अरबी, हिमेअरेटिक, क्यूनीफॉर्म, इड्रुमांट या ओर्मज की किसी अज्ञात लिपि या सेबिअन आदि से मिलती-जुलती तथा सम्बद्ध है।

इस प्रसंग में सीधी बात यह कही जा सकती है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले उच्च श्रेणी के विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि से इन विभिन्न प्रकार की लिपियों से समता देखी है और सम्बद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि इन विभिन्न लिपियों में किसी एक से भी स्पष्ट और यथार्थ साम्य होता तो इस विषय में इतने मतभेद न होते। इन विद्वानों में इतना अधिक मतभेद यही सिद्ध करता है कि यथार्थतः इनमें विद्वानों को दूर की कौड़ी लानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी ऊपर गिनायी गयी लिपियों में किसी से भी नहीं निकली है।

(ख) ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत में हुई है—इस वर्ग में कई मत हैं जिन पर यहाँ अलग विचार किया जा रहा है—

(१) द्रविड़ीय उत्पत्ति—एडवर्ड थॉमस तथा कुछ अन्य विद्वानों का यह मत है कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। डॉ० राजबली पांडेय ने इस मत को काटते हुए लिखा है कि द्रविड़ों का मूल स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण भारत है, परं ब्राह्मी लिपि के पुराने सभी शिलालेख उत्तर भारत में मिले हैं। यदि इसके मूल आविष्कर्ता द्रविड़ होते तो इसकी सामग्री दक्षिण भारत में भी अवश्य मिलती। साथ ही उनका यह भी कहना है कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और उसमें विभिन्न वर्णों के केवल प्रथम एव पंचम वर्ण ही उच्चरित होते हैं, पर ब्राह्मी में पाँचों वर्ण मिलते हैं। यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी लिपि होती तो इसमें भी केवल प्रथम और पंचम वर्ण ही मिलते। किसी ठोस आधार के अभाव में यह कहना तो सचमुच ही सम्भव नहीं है कि ब्राह्मी के मूल आविष्कर्ता

१. सन् १८६५ में डान मार्टिनो डी० जिल्या विक्रमसिंघे ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में (पृ० ६८५) लंका में प्राप्त कुने ब्राह्मी के शिलालेखों में दो अक्षरों के उल्टे होने का उल्लेख अपने एक पत्र में किया था, पर उसका चित्र कहीं प्रकाश में नहीं आया, अतः उनके सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है।

२. बुद्धयुग से भी पूर्व।

द्रविड़ ही थे, पर पांडेय जी के तर्क भी बहुत युक्तिसंगत नहीं दृष्टिगत होते। यह सम्भव है कि द्रविड़ों का मूल स्थान दक्षिण में रहा हो, पर यह भी बहुत से विद्वान् मानते हैं कि वे उत्तर भारत में भी रहते थे और मोहनजोदड़ो-जैसे विशाल नगर उनकी उच्च संस्कृति के केन्द्र थे। पश्चिमी पाकिस्तान में ब्राहुई भाषा का मिलना (जो द्रविड़ भाषा ही है) भी उनके उत्तर भारत में निवास की ओर संकेत करता है। बाद में सम्भवतः आर्यों ने अपने आने पर उन्हें मार भगाया और उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। पांडेय जी यदि सिंधु-सभ्यता से द्रविड़ों का सम्बन्ध नहीं मानते, या ब्राहुई भाषा के उस क्षेत्र में मिलने के लिए कोई अन्य कारण मानते हैं, तो उनकी ओर यदि यहाँ संकेत कर देते तो पाठकों को इस प्रकार सोचने का अवसर न मिलता। पांडेय जी की दूसरी आपत्ति तमिल में ब्राह्मी से कम ध्वनि होने के सम्बन्ध में है। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव नहीं है कि आर्यों ने तमिल या द्रविड़ों से उनकी लिपि ली हो और अपनी भाषा की आवश्यकता के अनुकूल उनमें परिवर्द्धन कर लिया हो। किसी लिपि के प्राचीन या मूल रूप का अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक होना बहुत सम्भव है और यह भी असम्भव नहीं है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो। किसी अपूर्ण लिपि के निकलने की बात तत्त्वतः असम्भव न होकर सम्भव तथा स्वाभाविक है।

(२) सांकेतिक चिह्नों से उत्पत्ति—श्री आर० शामशास्त्री ने 'इंडियन एंटीक्वेरी' जिल्द ३५ में एक लेख देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में लिखा था। इनके अनुसार "देवताओं की मूर्तियाँ बनने के पूर्व सांकेतिक चिह्नों द्वारा उनकी पूजा होती थी जो कई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यन्त्र (जो 'देवनागर' कहलाता था) के मध्य में लिखे जाते थे। देवनागर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनागर के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ।" ओझाजी के शब्दों में शास्त्री जी का यह लेख गवेषणा के साथ लिखा गया तथा युक्तियुक्त है, पर जब तक यह न सिद्ध हो जाय कि जिन तांत्रिक पुस्तकों से अवतरण दिये गये हैं, वे वैदिक साहित्य से पहले के या काफी प्राचीन हैं, इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(३) वैदिक चित्रलिपि से उत्पत्ति—श्री जगमोहन वर्मा ने सरस्वती (१९१३-१५) में एक लेखमाला में यह दिखाने का यत्न किया था कि वैदिक चित्रलिपि या उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी निकली है। पर, इस लेख के चित्र पूर्णतया कल्पित हैं और उनके लिए प्राचीन प्रमाणों का अभाव है; अतएव इनका मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सिंधु घाटी की लिपि

(⊙
 + ^
 2 ↑
 □ |
 ○ ∴

ब्राह्मी लिपि

(⊙
 + ^
 2 ↑
 □ |
 ○ ∴

नागरी लिपि

ट थ
 क ग
 ह श
 ज र
 ठ ड

[तुलना करते समय यह समानता मैंने १९५५ में खोजी थी, तभी से अनेक विद्वानों ने इसे इसी रूप में अपने लेखों या ग्रंथों आदि में दिया। इसका अर्थ क्या यह लिया जाय कि दोनों में संबंध की यह संभावना अब कुछ स्वीकृति-सी पा रही है।]

(४) आर्य-उत्पत्ति—डाउसन, कर्मिघम, लासन, थॉमस तथा डॉसन आदि विद्वानों का मत है कि आर्यों ने ही भारत की किसी पुरानी चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि को विकसित किया। बूलर ने पहले इसका विरोध करते हुए लिखा था कि जब भारत में कोई चित्रलिपि मिलती ही नहीं तो चित्रलिपि से ब्राह्मी के विकसित होने की कल्पना निराधार है। पर, संयोग से इधर सिंधु की घाटी में

ब्राह्मी लिपि

अ - 𑀅 𑀆 𑀇	त - 𑀓 𑀔 𑀕
आ - 𑀘 𑀙	थ - 𑀚 𑀛
इ - 𑀭 𑀮	द - 𑀞 𑀟 𑀠 𑀡
उ - 𑀣 𑀤	ध - 𑀢 𑀣 𑀤
ए - 𑀆 𑀇 𑀈	न - 𑀭 𑀮
ओ - 𑀱	प - 𑀲 𑀳
अं - 𑀅	फ - 𑀶 𑀷 𑀸
क - 𑀅 𑀆	ब - 𑀺 𑀻 𑀼
ख - 𑀽 𑀾 𑀿	भ - 𑀻 𑀼 𑀽
ग - 𑀿 𑀺 𑀻	म - 𑀾 𑀿 𑀺
घ - 𑀻 𑀼	य - 𑀽 𑀾 𑀿
च - 𑀻 𑀼 𑀽	र - 𑀻 𑀼 𑀽
छ - 𑀻 𑀼 𑀽	ल - 𑀻 𑀼 𑀽
ज - 𑀻 𑀼 𑀽	व - 𑀻 𑀼 𑀽
झ - 𑀻 𑀼 𑀽	श - 𑀻 𑀼 𑀽
ञ - 𑀻 𑀼 𑀽	ष - 𑀻 𑀼 𑀽
ट - 𑀻 𑀼 𑀽	स - 𑀻 𑀼 𑀽 𑀾 𑀿
ठ - 𑀻 𑀼 𑀽	ह - 𑀻 𑀼 𑀽 𑀾 𑀿
ण - 𑀻	

[पहचान के लिए आरम्भ में नागरी लिपि के अक्षर दिये गये हैं।]

चित्रलिपि मिल गयी है; अतएव बूलर की इस आपत्ति के लिए अब कोई स्थान नहीं है और सम्भव है कि यह लिपि आर्यों की अपनी चीज हो। यह तो किसी सीमा तक माना जा सकता है कि

भारतीयों ने ही इस लिपि को जन्म दिया तथा इसके विकास किया, पर यह कार्य आर्यों, द्रविड़ों या किसी अन्य जाति के लोगों द्वारा हुआ, यह जानने के लिए आज हमारे पास कोई साधन नहीं है। ओझा जी का यह कथन—“जितने प्रमाण मिलते हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शैली और चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन-कला अपनी प्रौढ़ावस्था में थी। उनके आरम्भिक विकास का पता नहीं चलता। ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इस परिपक्व रूप में वह किन-किन परिवर्तनों के बाद पहुँची। ... निश्चय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिपि अपनी प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता।” बहुत ही ठीक है और जब तक और सामग्री प्रकाश में न आवे, इसके आगे कुछ कहना उचित नहीं है। यों इधर सिन्धुघाटी की लिपि प्रकाश में आयी है और उसके कुछ चिह्न ब्राह्मी से मिलते भी हैं (ऊपर उदाहरण दिये गये हैं), अतएव इस अवसर पर इतना और जोड़ा जा सकता है कि यह भी असम्भव नहीं है कि ब्राह्मी का विकास सिन्धुघाटी की लिपि से हुआ हो। पर, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना तभी उचित होगा जब सिन्धु घाटी के चिह्नों की ध्वनि का पता चल जाय। डॉ० राजवली पाण्डेय का निश्चित मत है कि सिन्धुघाटी की लिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है, पर तथ्य यह है कि बिना ध्वनि^१ का विचार केवल स्वरूप में थोड़ा-बहुत साम्य देखकर दोनों लिपियों को सम्बद्ध मान लेना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता।

ब्राह्मी लिपि का विकास—ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने ४थी सदी ई० पू० के मिले हैं। आगे चलकर इसके उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के रूपों में अन्तर होने लगा। उत्तरी भारत के रूप पुराने रूप के समीप थे, पर दक्षिणी रूप धीरे-धीरे विकसित होकर भिन्न हो गये। यह लिपि भारत के बाहर भी गई। वहाँ इसके रूपों में धीरे-धीरे कुछ भिन्नताओं का विकास हुआ। मध्य एशिया में ब्राह्मी लिपि में ही पुरानी खोतानी तथा तोखारी आदि भाषाओं के लेख मिलते हैं। ५वीं सदी ई० पू० से लेकर ३५० ई० तक की भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि थोड़े-बहुत भेद तथा विभिन्नताओं के होने हुए भी ब्राह्मी नाम से ही पुकारी जाती है। ३५० ई० के बाद इसकी स्पष्ट रूप से दो शैलियाँ हो जाती हैं—(१) उत्तरी शैली—इसका प्रचार प्रमुखतः उत्तरी भारत में था। (२) दक्षिणी शैली—इसका प्रचार प्रमुखतः दक्षिणी भारत में था। इन्हीं दोनों शैलियों से और आगे चलकर भारत की विभिन्न लिपियों का विकास हुआ जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

उत्तरी भारत की लिपियाँ

गुप्त लिपि—गुप्त राजाओं के समय (चौथी तथा पाँचवीं सदी) में इसका प्रचार होने से इसे 'गुप्त लिपि' नाम आधुनिक विद्वानों ने दिया है।

कुटिल लिपि—इस लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ। स्वरों की मात्राओं की आकृति

१. डॉ० डिरिजर इस मत से सहमत नहीं है कि भारतीयों ने ब्राह्मी को जन्म दिया, पर इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिये हैं, उनमें बहुत सार नहीं दिखालाई पड़ता।

२. सम्भव है, जिन दो चिह्नों को स्वरूप-साम्य की दृष्टि से हम एक समझते हैं, मूलतः दो अलग-अलग ध्वनियों के प्रतीक हों।

कुटिल या टेढ़ी होने के कारण इसे कुटिल लिपि कहा गया है। नागरी तथा शारदा लिपियाँ इसी से निकली हैं। इसका काल छठी-सातवीं सदी है।

प्राचीन नागरी लिपि—इसका प्रचार उत्तर भारत में ८वीं सदी के अन्तिम चरण से मिलता है। यह मूलतः उत्तरी लिपि है, पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर ८वीं सदी से यह मिलती है। दक्षिण में इसका नाम नागरी न होकर 'नंदनागरी' है। आधुनिक काल की नागरी या देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा महाराष्ट्री आदि लिपियाँ इस प्राचीन नागरी के ही पश्चिमी रूप से विकसित हुई हैं और इसके पूर्वी रूप से कैथी, मैथिली तथा बँगला आदि लिपियों का विकास हुआ है। इसका प्रचार १६वीं सदी तक मिलता है। नागरी^१ लिपि को नागरी या देवनागरी^२ लिपि भी कहते हैं।

शारदा लिपि—कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा कही जाती है और इसी आधार पर कश्मीर को 'शारदा मंडल' तथा वहाँ की लिपि को 'शारदा लिपि' कहते हैं। कुटिल लिपि से ही १०वीं सदी में इसका विकास हुआ और नागरी के क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम (कश्मीर, सिंध तथा पंजाब आदि) में इसका प्रचार रहा। आधुनिक काल की शारदा, टाकरी, लंडा, गुरुमुखी, डोग्री, चमेआली तथा कोछी आदि लिपियाँ इसी से निकली हैं।

आधुनिक लिपियाँ ये हैं—

(१) टाकरी—ग्रियर्सन इसे शारदा और लंडा की बहन मानते हैं, पर कूलर इसे शारदा की पुत्री मानते हैं। ओझा जी ने इसे शारदा का घसीट रूप कहा है। इसका नाम टक्की भी है। टक्क लोगों की लिपि होने से इसका नाम टक्की है। महाजनी की तरह इसमें भी स्वरों की कमी है। इधर इसके बहुत से रूप विकसित हो गये हैं। 'टाकरी' शब्द टाँक (एक जाति) या ठाकुर (ठाकुरों की लिपि) से व्युत्पन्न माना जाता है।

(२) सिरमौरी—यह टाकरी या टक्की लिपि की ही एक उपशाखा है। सिरमौरी बोली इसमें लिखी जाती है। इस पर देवनागरी का प्रभाव पड़ा है।

(३) डोग्री—यह पंजाब की डोग्री भाषा की लिपि है। इसकी भी उत्पत्ति शारदा से हुई है।

(४) चमेआली—चंबा प्रदेश की चमेआली भाषा की यह लिपि है। देवनागरी की भाँति यह पूर्ण लिपि है। यह भी शारदा से निकली है।

(५) मंडेआली—मंडा तथा सुवंत राज्यों की मंडेआली भाषा की यह लिपि है और शारदा से निकली है।

(६) जौनसारी—सिरमौरी से मिलती-जुलती 'जौनसारी' लिपि पहाड़ी प्रदेश जौनसार की जौनसारी बोली की लिपि है। यह भी शारदा से ही विकसित हुई है।

(७) कोछी—शारदा से उत्पन्न इस लिपि का प्रयोग शिमला से पश्चिम पहाड़ों में बोली जाने वाली कोछी के लिए होता है। यह लिपि भी अवैज्ञानिक है।

(८) कुल्नुई—यह भी शारदा से उत्पन्न है। कुल्नु घाटी की बोली कुल्नुई की यह लिपि है।

(९) कष्टवारी—कश्मीर के दक्षिण-पूर्व में कष्टवार की घाटी की बोली कष्टवारी इसी लिपि में

१. नागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास, सुधार के संबंध में विस्तृत सामग्री के लिए देखिए प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'हिन्दी भाषा' का 'लिपि' से संबद्ध अध्याय।

२. देवभाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त हुई है, अतः 'नागरी' को 'देवनागरी' कहा गया है।

लिखी जाती है। यह भी शारदा से उत्पन्न है। ग्रियर्सन ने इसे टक्की और शारदा के बीच की कड़ी माना है।

(१०) लंडा—पंजाब तथा सिन्ध के महाजनों की यह लिपि शारदा से निकली है। सिन्धी तथा लहँदा भाषा इसमें लिखी जाती हैं। यह भी महाजनी लिपि की भाँति अपूर्ण है। इसके कई स्थानीय भेद विकसित हो गये हैं। 'लंडा' शब्द का सम्बन्ध लहँदा से है।

(११) मुल्तानी—लहँदा की प्रमुख बोली मुल्तानी की यह लिपि 'लंडा' लिपि से ही विकसित है।

(१२) वानिको—वानिको या बनिया 'लंडा' का सिन्ध में प्रचलित नाम है। अब केवल वहाँ के हिन्दू ही इसका प्रयोग करते हैं। मुसलमानों ने फारसी लिपि को कुछ परिवर्तन-परिवर्द्धन के साथ अपना लिया है।

(१३) गुरुमुखी—लंडा लिपि को सुधार कर सिक्ख के दूसरे गुरु अंगद ने यह लिपि १६वीं सदी में बनायी। सिक्खों में इस लिपि का विशेष प्रचार है।

(१४) नागरी—प्राचीन नागरी या लिपि से ही इसका विकास हुआ है। पूरे हिन्दी-प्रदेश की यह लिपि है। मराठी भाषा में भी कुछ परिवर्द्धन-परिवर्तन के साथ यह प्रयुक्त होती है। इनके अतिरिक्त नेपाली, संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश लेखन में भी इसी का प्रयोग होता है।

(१५) गुजराती—यह लिपि भी पुरानी नागरी लिपि से ही निकली है और हिन्दी के लिए प्रयुक्त नागरी की बहन है। गुजरात में देवनागरी तथा सराफ़ी (बनियई या बोडिया भी इनके नाम हैं) भी प्रयोग में आती है। सराफ़ी लिपि महाजनी की भाँति बनियों द्वारा प्रयुक्त होती है और बड़ी ही अपूर्ण है।

(१६) महाजनी—हिन्दी-क्षेत्र (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि) में बहीखाता में इसी लिपि का प्रयोग होता है। इसके कुछ ही अक्षर नागरी से भिन्न हैं। इसमें मात्रा नहीं दी जाती, अतः पढ़ने में बड़ी दुरूह है।

(१७) मोड़ी—यह महाराष्ट्र की पुरानी लिपि है। लोगों का कहना है कि बालाजी आवाजी ने १७वीं सदी में इसे बनाया, पर यथार्थतः यह और पहले की लिपि है। यह भी पुरानी नागरी से ही निकली है। जन्दी लिखने के लिए इसके अक्षरों के रूप तोड़े-मरोड़े गये हैं, इसी से इसका नाम मोड़ी है।

(१८) कैथी—पुरानी नागरी लिपि के पूर्वी रूप से उत्पन्न यह लिपि कायस्थों में विशेष रूप से प्रचलित होने के कारण कैथी कहलायी। इसका प्रमुख क्षेत्र बिहार है। इसके कई स्थानीय रूप हैं—(क) भोजपुरी कैथी—यह भोजपुर प्रदेश में प्रयुक्त होती है और नागरी के बहुत निकट है। (ख) तिरहुती कैथी—इसका क्षेत्र तिरहुत है। (ग) मगही कैथी—मगही बोली का क्षेत्र इसका क्षेत्र है।

(१९) मैथिली—इसका क्षेत्र मिथिला है। यह बँगला से बहुत मिलती-जुलती है। पुरानी नागरी के पूर्वी रूप से इसका भी विकास हुआ है।

(२०) बंगाली—पुरानी नागरी की पूर्वी शैली से ११वीं सदी में इसका जन्म हुआ। कुछ लोग इसका जन्म ७वीं सदी में भी मानते हैं। इसका क्षेत्र बंगाल है।

(२१) असमिया—यह बँगला लिपि की बहन है। केवल 'र' तथा 'व' के रूप इसमें भिन्न होते हैं। यह असम में प्रचलित है।

(२२) उड़िया—उड़ीसा की यह लिपि भी बँगला की भाँति पुरानी नागरी की पूर्वी शैली से

विकसित हुई है, पर इस पर दक्षिण की तेलुगु तथा तमिल लिपियों का प्रभाव पड़ा है और इसी कारण बड़ी कठिन हो गई है। कुछ लोग इसे पुरानी बँगला लिपि से निकली मानते हैं। इसके दो रूप 'करनी' तथा 'ब्राह्मणी' नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मणी ताड़पत्रों पर लिखने में प्रयुक्त होती रही है और करनी कागज पर। गंजाम जिले में उडिया का एक और रूप मिलता है जिसके अक्षर अपेक्षाकृत और भी वर्तुलाकार होते हैं।

(२३) मनीपुरी—इसका क्षेत्र मनीपुर है। यह भी बँगला का ही एक विकसित रूप है।

(२४) नेवारी—यह बँगला से उत्पन्न है और नेपाल की नेवारी भाषा की लिपि है। इसे नेपाली भी कहते हैं।

मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियाँ

पीछे कहा जा चुका है कि ३५० ई० के बाद ब्राह्मी लिपि की स्पष्टतः उत्तरी और दक्षिणी दो शैलियाँ हो गईं। इस दक्षिण शैली से ही दक्षिणी भारत की लिपियों का विशेष सम्बन्ध है।

(१) पश्चिमी—ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि उत्तरी शैली के क्षेत्र की सीमा पर प्रचलित होने के कारण कुछ उत्तरी शैली से भी प्रभावित है। इसके क्षेत्र भारत में मध्य तथा दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश (गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा जिले, हैदराबाद, मैसूर के कुछ भाग तथा कोंकण) हैं। ५वीं सदी से ६वीं सदी तक इसका काल है।

(२) मध्यप्रदेशी—ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि भी पश्चिमी की भाँति ही उत्तरी शैली से प्रभावित है। इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुन्देलखंड, हैदराबाद राज्य का उत्तरी भाग, मैसूर के कुछ भाग हैं। ५वीं सदी से ६वीं सदी तक इसका समय है। इसके अक्षरों के सिर संदूक की तरह चौखुण्टे (कभी भरे और कभी खाली) होते हैं और अक्षरों की आकृति समकोणवाली होती है।

(३) तेलुगु-कन्नड़—ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि वर्तमान तेलुगु और कन्नड़ लिपियों की जननी होने से इस नाम से अभिहित की गई है। ५वीं सदी से १४वीं सदी तक यह दक्षिण महाराष्ट्र, शोलापुर, बीजापुर, बेलगाँव, धारवाड़ तथा कारवाड़ जिले, हैदराबाद के दक्षिणी तथा मद्रास के उत्तरी-पूर्वी भाग एवं मैसूर के कुछ हिस्सों में प्रचलित रही। १४वीं सदी के बाद इससे तेलुगु तथा कन्नड़ लिपियाँ विकसित हुईं।

(४) ग्रन्थ—वर्तमान ग्रन्थ लिपि की जननी होने से इसका नाम ग्रन्थ लिपि है। यह भी ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से निकली है। इसके क्षेत्र में तमिल लिपि का प्रचार रहा है, पर वह अपूर्ण है। अतएव, संस्कृत ग्रन्थों के लिखने के लिए यह लिपि प्रयुक्त होती रही है, इसी कारण इसका नाम ग्रन्थ है। ७वीं सदी से १५वीं सदी तक यह मद्रास प्रान्त के कुछ भागों में प्रचलित रही है। उसके बाद वर्तमान ग्रन्थ लिपि विकसित हुई और फिर उससे मलयालम तथा तुलू लिपियाँ।

(५) कलिग—ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से इसका विकास हुआ है। कलिग के आसपास इसका ७वीं से ११वीं सदी तक प्रचार रहा। समय-समय पर इस लिपि पर मध्य प्रदेश, पश्चिमी, तेलुगु-कन्नड़ी, ग्रंथ और नागरी का प्रभाव पड़ता रहा है। इसी कारण भिन्न-भिन्न कालों में इसके भिन्न-भिन्न रूप रहे हैं।

(६) तमिल—वर्तमान तमिल लिपि की यह जननी है और दक्षिणी ब्राह्मी से निकली है। ग्रन्थ लिपि के क्षेत्र में तथा कुछ उसके बाहर भी इसका प्रचार रहा है। इसके अक्षर ग्रन्थ लिपि से समानता

रखते हैं। पर साथ ही 'क' तथा 'र' ब्राह्मी की उत्तरी शैली से लिये गये जान पड़ते हैं।

(७) वट्टलुत्तु—यह तमिल लिपि का ही विकसित घसीट रूप है। इसके अक्षर बहुधा गोलाई लिये हुए होते हैं। ७वीं सदी से १४वीं सदी तक यह मद्रास के पश्चिमी तथा बिल्कुल दक्षिण में प्रचलित रही है।

भारत के बाहर ब्राह्मी लिपि का विकास—ब्राह्मी लिपि भारत के बाहर भी पहुँची और वहाँ भी उसका विकास हुआ तथा अन्य लिपियाँ उससे विकसित हुईं। पीछे कहा जा चुका है कि भारत के धर्म-प्रचारकों के साथ यह मध्य एशिया पहुँची और वहाँ तोखारी, पुरानी खोतानी तथा ईरानी भाषाओं के लेखन में इसका प्रयोग हुआ। गुप्त लिपि की पश्चिमी शाखा की पूर्वी उपशाखा से छठी शताब्दी में सिद्धमात्रिका लिपि विकसित हुई (इसे बूलर ने न्यूनकोणीय लिपि कहा है। बोधगया का प्रसिद्ध लेख इसी लिपि में है) और उससे तथा कश्मीरी लिपि से तिब्बती लिपि की उत्पत्ति हुई और इसका थोड़ा-बहुत प्रचार आज भी चीन तथा जापान के बौद्धों में है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली ने भी भारत के बाहर कम यात्रा नहीं की है। सिंहली, हिंदेशियाई, हिंदचीनी, मान, तलग, आधुनिक बर्मी, कोरियाई, कंबोडियाई, स्वामी, बटक तथा जावा, बालो, संलिवाज और फिलिपाइन्स की लिपियाँ इसी की पुत्रियाँ या पौत्रियाँ हैं।

यूनानी लिपि—विश्व की अन्य लिपियों की भाँति यूनानी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी तरह-तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, पर यथार्थतः उनमें कोई तत्त्व नहीं है। पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से निकली आर्मेइक की पुत्री एशियानिक लिपि से यूनानी लिपि निकली है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पर फोनीशियन लिपि का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। कुछ लोगों के अनुसार यह पूर्णरूपेण फोनीशी लिपि से ही निकली है। पर जैसा कि डॉ० डिरिजर ने स्पष्ट किया है—(१) यूनानी लिपि के अक्षरों के स्वरूप, (२) उनका क्रम तथा (३) उनके नाम बहुत अंशों में सामी से मेल खाते हैं, अतएव एशियानिक से होते हुए सामी से इसका निकलना ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। ११वीं सदी ई० पू० के लगभग यूनानी लिपि का जन्म हो चुका था। आगे चलकर इससे एट्रस्कन और उससे लैटिन लिपि का जन्म हुआ जिससे आधुनिक यूरोप की लिपियाँ निकली हैं। इस प्रकार यूनानी लिपि बहुत महत्वपूर्ण लिपि है। सामी लिपि मूलतः व्यंजनप्रधान लिपि थी। उर्दू-फारसी लिपि के जानकारों के लिए यह स्पष्ट है। यूनानियों ने उससे अपनी आवश्यकतानुसार व्यंजनों को लिया और कुछ नये व्यंजनों तथा स्वरों के लिये चिह्नों का निर्माण कर अपनी लिपि को अधिक पूर्ण और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। इसमें कुल २४ लिपिचिह्न हैं। यह बायें से दायें को लिखी जाती है।

लैटिन लिपि—लैटिन लिपि अपने वंश की अन्य लिपियों का लेकर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण लिपि है और विश्व की संस्कृति और सभ्यता की यह सबसे प्रमुख संरक्षिणी है। अरबी लिपि की भाँति लैटिन लिपि की भी उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है। पीछे अरबी लिपि के सम्बन्ध में कहते समय कहा जा चुका है कि उत्तरी सामी लिपि से आर्मेइक और फोनीशी या फोनेशियन लिपियाँ विकसित हुईं। आर्मेइक से कई लिपियाँ निकलीं जिनमें हिब्रू, पहलवी तथा एशियानिक प्रधान हैं। एशियानिक लिपि से यूनानी लिपि निकली है और यूनानी से एट्रस्कन। एट्रस्कन लिपि से अविअन, रूनी, ओस्कन तथा लैटिन आदि लिपियाँ निकली हैं। लैटिन लिपि इस (एट्रस्कन) लिपि से ७वीं सदी ई० पू० में विकसित हुई। एट्रस्कन में कुल २६ अक्षर थे जिनमें से लैटिन में अपनी ध्वनियों की आवश्यकतानुसार केवल २१ अक्षर A, B, C, D, E, F, G, H, I, K,

L, M, N, O, P, Q, R (R की मूल आकृति यही थी), S, T, V, X लिये गये। मोटे रूप से मूल तत्व की दृष्टि से इन २१ अक्षरों में सामी, यूनानी और एट्रस्कन तीनों के ही तत्व हैं। आगे चलकर सिसरो के समय में जब बहुत से यूनानी शब्द लैटिन भाषा के शब्द-समूह में आ गये तो स्वभावतः उन नयी ध्वनियों के अंकन की आवश्यकता हुई जो लैटिन में पहले से नहीं थीं। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो चिह्न Y और Z ग्रीक लिपि से लिये गये और इस प्रकार लैटिन अक्षरों की संख्या २३ हो गई। और आगे चलकर मध्ययुग में ध्वनि की आवश्यकता के कारण तथा लिपि को पूर्ण बनाने के लिए ३ अक्षर U, W और J बढ़ाये गये और इस प्रकार कुल २६ अक्षर हो गये। यह बायें से दायें को लिखी जाती है।

लैटिन लिपि^१ को यूरोप तथा यूरोप के बाहर के कई राज्यों ने अपनी भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, इटली, पुर्तगाली, रूमानियन, जर्मन, चेक, पोलिश, तुर्की^२ तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं) के लिए अपना लिये हैं। इसमें कुछ ने चिह्नों तथा ध्वनियों में कुछ परिवर्तन भी कर लिये हैं। अंग्रेजी में अक्षर यही हैं। आधुनिक यूनानी लिपि प्राचीन यूनानी से विकसित हुई है, पर उसके विकास से लैटिन लिपि का भी प्रभाव पड़ा है। इधर चीनी भाषाभाषी भी अपनी भाषा के लिए कुछ परिवर्तन-परिवर्द्धन के साथ रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में हो रहे हैं। डॉ० सुनीतिकुमार घटर्जी इस पक्ष में हैं कि सभी भारतीय भाषाओं को कुछ परिवर्तन-परिवर्द्धन के साथ यह लिपि अपना लेनी चाहिए। वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह उचित भी है, पर राष्ट्रीयता के मोह में हमारा उधर जाना सम्भव नहीं लग रहा है।

रोमन लिपि जो वर्णनात्मक होने के कारण तथा अन्य दृष्टियों से भी और लिपियों की तुलना में अच्छी होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है, सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं है। किसी भी भाषा की सभी ध्वनियों के लिए उसमें स्वतन्त्र चिह्न नहीं हैं। अंग्रेजी को ही लें। 'श', 'च', 'थ' तथा 'द' आदि के लिए रोमन लिपि को एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर काम चलाना पड़ता है (sh, tio, ch, th)। इतना ही नहीं i, u, o, e, a, आदि स्वरों तथा th, ch, आदि संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण निश्चित नहीं है। उदाहरणार्थ। कहीं अ का काम करती है तो कहीं इ का और th कहीं 'थ' का काम करते हैं तो कहीं 'द' का। ऐसी स्थिति में इस लिपि में भी सुधार अपेक्षित है। डायक्रिटिकल मार्क आदि लगाकर इसे वैज्ञानिक रूप दिया जाता है, पर इन बैसाखियों की सहायता से इसे खड़ा करने की अपेक्षा कहीं अच्छा हो यदि आवश्यक चिह्नों की वृद्धि कर दी जाय और सब चिह्नों की ध्वनियाँ निश्चित कर दी जायँ।

लिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति—लिपि का कार्य भावों का अंकन है। अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल होगी, उसे उतनी ही शक्तिसम्पन्न तथा उपयोगी कहा जायगा। रज्जु लिपि तथा भावमूलक लिपि की अपनी सीमाएँ हैं; अतः ध्वनिमूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता। ध्वनिमूलक लिपि में भी, जैसा कि पीछे भी कहा जा चुका है, वर्णात्मक लिपि (alphabetical script) अक्षरात्मक लिपि (syllabic script) की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी है, क्योंकि उसके द्वारा ध्वनियों का अंकन अधिक स्पष्ट तथा वैज्ञानिक ढंग से किया जा

१. इसी को रोमन लिपि कहते हैं।

२. तुर्की के लिए रोमन लिपि १८२८ में अपनायी गयी। यहाँ इसमें २६ के स्थान पर २९ अक्षर हो गये हैं।

सकता है। इस श्रेणी की लिपि केवल रोमन तथा उससे निकली कुछ अन्य हैं। यों जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इन लिपियों में भी अभी सुधार के लिए स्थान है। आशा है, भावी भाषातत्त्वविज्ञ इसे अधिक पूर्ण बनावेंगे, साथ ही विश्व की अन्य अपूर्ण तथा लूली लिपियों को भी पूर्ण तथा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेंगे।

आधुनिक काल में लिपियों के अध्ययन पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। इस दृष्टि से (क) लिपियों के सामान्य विकास, (ख) लिपि-विकास की विभिन्न सीढ़ियाँ, (ग) लिपियों के वर्गीकरण, (घ) वर्णमाला की उत्पत्ति और उनके नाम के आधार, (ङ) विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाओं की लिपियों की उत्पत्ति, उनके प्राचीन रूप में प्राप्त लेखों को पढ़ने, उनके विकास, उनकी कमियों तथा सुधार एवं परिवर्तन आदि पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।

नागरी लिपि

भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग ५वीं सदी ई० पू० से लेकर लगभग ३५० ई० तक होता रहा। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ—(१) उत्तरी शैली, (२) दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ जो ५वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही—गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई जो ८वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस कुटिल लिपि से ही ८वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है, किंतु दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भी यह मिली है। दक्षिणी भारत में इसका नाम 'नागरी' न होकर नंदिनागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियाँ विकसित हुई हैं। कुछ लोग कुटिल से ही प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित मानते हैं जिससे आगे चलकर असमिया, बंगला, मनीपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियाँ विकसित मानी जाती हैं। प्राचीन नागरी से १५-१६वीं सदी में आधुनिक नागरी विकसित हुई।

'नागरी' नाम—यह नाम कैसे पड़ा, इस बात को लेकर विवाद है। कुछ मत ये हैं—(१) गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलायी। (२) प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम 'नागरी' पड़ा। (३) कुछ लोगों के अनुसार ललितविस्तर में उल्लिखित 'नाग लिपि' ही 'नागरी' है, अर्थात् 'नाग' से 'नागर' शब्द का संबंध है। (४) तान्त्रिक चिह्न 'देवनागर' से साम्य के कारण इसे 'देवनागरी' और फिर 'नागरी' कहा गया। (५) 'देवनागर' अर्थात् काशी में प्रचार के कारण यह 'देवनागरी' कहलायी। (६) एक अन्य मत के अनुसार मध्ययुग में स्थापत्य की एक शैली 'नागर' थी जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थीं। दो अन्य शैलियाँ 'द्रविड़' (अष्टभुजी या सप्तभुजी) तथा 'वेसर' (वृत्ताकार) थीं। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों (प, भ, म, ग) के कारण इसे नागरी कहा गया। उपर्युक्त मतों में कोई भी बहुत प्रामाणिक नहीं है, अतः 'नागरी' नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी तक अतिर्णित है।

नागरी का विकास—नवीं सदी से अब तक के नागरी लिपि के विकास पर अभी तक कोई भी विस्तृत कार्य प्रकाश में नहीं आया है। इन पंक्तियों के लेखक ने संक्षेप में 'हिंदी भाषा' में विचार किया है। यहाँ उसी आधार पर ब्राह्मी से नागरी का विकास अत्यंत संक्षेप में दिया जा रहा है। विकास का चार्ट 'हिंदी भाषा' से देखा जा सकता है। यों संक्षेप में यहाँ भी दिया जा रहा है।

नागरी लिपि के इस लगभग एक हजार वर्षों के जीवन-काल में यों तो प्रायः सभी अक्षरों में

न्यूनाधिक रूप में परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि ऊपर संकेतित चार्ट से स्पष्ट हो जाएगा। किंतु इन परिवर्तनों के अतिरिक्त भी कुछ उल्लेख्य बातें नागरी लिपि में आयी हैं जिनकी ओर यहाँ संकेत किया जा सकता है—

(क) सबसे महत्त्वपूर्ण बात है फारसी लिपि का प्रभाव। नागरी में नुक्ते या बिन्दु का प्रयोग फारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिन्दु-प्रधान लिपि कही जा सकती है, क्योंकि उसके अनेक वर्ण-चिह्न (जैसे बे-पे-ते-से, रे-जे-फे, दाल-जाल, तोय-जोय, स्वाद-ज्वाद, ऐन-गैन, शीन-शीन) बिन्दु के कारण ही उसमें अलग-अलग हैं। नागरी लिपि में ऐसा कोई अन्तर प्रायः नहीं रहा है। हाँ, फारसी से प्रभाव ग्रहण करके कुछ परम्परागत तथा नवागत ध्वनियों के लिए नागरी में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा है—ड-ड़, ढ-ढ़, क-क़, ख-ख़, ग-ग़, ज-ज़, फ-फ़। यही नहीं, मध्ययुग में कुछ लोग य-प दोनों को य-जैसा तथा व-ब को व लिखने लगे थे। इस भ्रम से बचने के लिए कैथी लिपि में तो नियमित रूप से तथा कभी-कभी नागरी में भी य के लिए य तथा व के लिए व का प्रयोग होता रहा है।

(ख) नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है। पुराने अ, ल आदि के स्थान अ, ल; या श्री, अ, आदि रूपों में सभी स्वरों के लिए अ का ही कुछ लोगों द्वारा प्रयोग वस्तुतः मराठी का प्रभाव है।

(ग) कुछ लोग नागरी लिपि शिरोरंखा के बिना लिखते हैं। यह गुजराती लिपि का प्रभाव है। गुजराती लिपि शिरोरंखा-विहीन लिपि है।

(घ) अंग्रेजी के पूर्ण प्रचार के बाद ऑफिस, कॉलिज—जैसे शब्दों में ऑ को स्पष्टतः लिखने के लिए नागरी लिपि में ऑ का प्रयोग होने लगा है। इसका चन्द्राकार अंश तो पुराने चन्द्रबिन्दु से गृहीत है, किंतु यह प्रयोग अंग्रेजी प्रभाव से आया है।

(ङ) नागरी-लेखन में पहले मुख्यतः केवल एक पाई या टा पाइयों या कभी-कभी वृत्त का विराम के रूप में प्रयोग करते थे। इधर अंग्रेजी विराम-चिह्नों ने हमें प्रभावित किया है और पूर्णविराम को छोड़कर सभी चिह्न हमने अंग्रेजी से लिये हैं। यों कुछ लोग तो पूर्णविराम के स्थान पर भी पाई न देकर अंग्रेजी की तरह बिन्दु का भी प्रयोग करते हैं।

(च) उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण कभी-कभी हरव ए, हस्व ओ के द्योतन के लिए अब ऐं, औं का प्रयोग भी होने लगा है। इस प्रकार फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी तथा ध्वनियों के ज्ञान ने भी नागरी लिपि को प्रभावित फलतः न्यूनाधिक रूप में परिवर्तित और विकसित किया है।

वैज्ञानिक लिपि के गुण—विश्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, किंतु पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की कल्पना की जा सकती है और उसके मुख्य गुण गिनाये जा सकते हैं—

(१) वैज्ञानिक लिपि को वर्णनात्मक होना चाहिए, आक्षरिक नहीं। अर्थात्, उसके लिपि-चिह्न भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन तथा हर स्वर के लिए अलग-अलग होने चाहिए। उल्लेख्य है कि नागरी में क, ख, ग, आदि व्यंजन-चिह्नों में व्यंजन तथा स्वर मिले हैं, अर्थात् वह वर्णनात्मक नहीं है, आक्षरिक है।

(२) लिपि में भाषा-विशेष में प्रयुक्त हर ध्वनि (स्वर, व्यंजन) के लिए लिपि-चिह्न होने चाहिए। न कम न अधिक। नागरी में दंतोष्ठ्य व के लिए चिह्न नहीं है।

(३) एक चिह्न से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक नहीं। नागरी में व-व् कड़

ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं।

व्यंजन

क - क क क क क क

ख - ख ख ख ख ख

ग - ग ग ग ग ग

घ - घ घ घ घ घ

ङ - ङ ङ ङ ङ ङ

च - च च च च च

छ - छ छ छ छ छ

ज - ज ज ज ज ज

झ - झ झ झ झ झ

झ - झ झ झ झ झ

ञ - ञ ञ ञ ञ ञ

ट - ट ट ट ट ट

ठ - ठ ठ ठ ठ ठ

ड - ड ड ड ड ड

ढ - ढ ढ ढ ढ ढ

ण - ण ण ण ण ण ण

शा - श श श श श श

त - त त त त त

थ - थ थ थ थ थ

द - द द द द द द

ध - ध ध ध ध ध

न - न न न न न

प - प प प प प

फ - फ फ फ फ फ

ब - ब ब ब ब ब

भ - भ भ भ भ भ

म - म म म म म

य - य य य य य

र - र र र र र

ल - ल ल ल ल ल ल

व - व व व व व व

श - श श श श श

ष - ष ष ष ष ष

स - स स स स स स

ह - ह ह ह ह ह ह

ळ - ळ ळ ळ ळ ळ

क्ष - क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष

ज्ञ - ज्ञ ज्ञ ज्ञ ज्ञ ज्ञ

(४) एक ध्वनि के लिए केवल एक लिपिचिह्न होना चाहिए, एकाधिक नहीं। हिन्दी भाषा की दृष्टि से एक ही ध्वनि के लिए नागरी में रि-ञ, श-ष चिह्न हैं।

(५) लेखन में लिपि-चिह्नों को उसी क्रम से आना चाहिए जिस क्रम से उनका उच्चारण किया जाता हो। इ, उ, ऊ, ए, ऐ की मात्राएँ यथाक्रम नहीं आती।

(६) दो चिह्नों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। नागरी में है—जैसे घ-ध, म-भ, र-श, ख-ख तथा रा (र+आ)—ए (ए का आधा) आदि में। इनके अतिरिक्त लेखन, टंकण तथा मुद्रण आदि की व्यावहारिक दृष्टि से भी कई बातें कही जा सकती हैं।

नागरी लिपि में सुधार—नागरी लिपि में सुधार के पूरे इतिहास के लिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की पुस्तक 'हिंदी भाषा' का नागरी लिपि शीर्षक अध्याय देखा जा सकता है। यहाँ केवल संक्षेप में कुछ बातें ली जा रही हैं। यों तो नागरी लिपि विश्व की अनेक लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है, किंतु उसमें काफ़ी कमियाँ भी हैं और सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। वैज्ञानिक लिपि की पहली शर्त है कि उसे वर्णनात्मक होना चाहिए, आक्षरिक नहीं। नागरी लिपि आक्षरिक है। वस्तुतः यह कमी नागरी की प्रकृति में है, अतः उसे थोड़े-बहुत परिवर्तन से सुधारना कठिन है। हाँ, वैज्ञानिक लिपि में अपेक्षित अन्य गुणों की दृष्टि से नागरी को सुधारा जा सकता है—

स्वर

अ - ऎ ऒ ऒ अ अ
 आ - ऎ ऒ ऒ आ आ
 इ - ं ः ः इ इ इ
 उ - ऌ ऍ ऌ उ उ
 ए - ऎ ऑ ऑ ए ए ए

अंक

१ - १ १ १ १ १
 २ - २ २ २ २ २
 ३ - ३ ३ ३ ३ ३
 ४ - ४ ४ ४ ४ ४
 ५ - ५ ५ ५ ५ ५
 ६ - ६ ६ ६ ६ ६
 ७ - ७ ७ ७ ७ ७
 ८ - ८ ८ ८ ८ ८
 ९ - ९ ९ ९ ९ ९

(१) वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न होना चाहिए, किंतु नागरी में एक ध्वनि के लिए एकाधिक चिह्न हैं—र, ल, ऌ, ऍ, ल-ळ; अ-अ; ण-ण; त्र-त्र, य-य, क-क आदि। इनमें र, ल, अ, ण, त्र, य, क को लेकर शेष को छोड़ देने पर यह कमी दूर हो सकती है।

(२) आदर्श या वैज्ञानिक लिपि में उन सभी ध्वनियों के लिए अलग-अलग अक्षर होना चाहिए जो उस भाषा में हों जिसे लिखने में लिपि प्रयुक्त होती हो। इस दृष्टि से नागरी की समस्या थोड़ी अलग है, क्योंकि यह किसी एक भाषा के लिए नहीं, अपितु संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली तथा सिंधी आदि कई भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सभी भाषाओं के ध्वनिग्रामों का निर्धारण करके जितने अक्षर न हों, उन्हें जोड़ लेना चाहिए। जैसे हिन्दी दंतोष्ठ्य व के लिए v के नीचे बिन्दु दे सकते हैं।

(३) वैज्ञानिक लिपि में अक्षर उसी क्रम से लिखे जाने चाहिए जिस क्रम से वे बोले जायें। नागरी लिपि में यों तो उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ की मात्राएँ भी इस दृष्टि से अवैज्ञानिक हैं, क्योंकि वे दायीं ओर न दी जाकर ऊपर-नीचे दी जाती हैं, किंतु यदि उन्हें छोड़ भी दें तो कम से कम इ की मात्रा अवश्य ही परिवर्तित होनी चाहिए : क्योंकि यह अपने स्थान से कभी एक, कभी दो, कभी तीन स्थान पहले (कि, प्रिय चन्द्रिका) लिखी जाती है। उसके लिए कई सुझाव ($i=1, i=1$ अथवा $i=1, i=1$) आये हैं (देखिए हिंदी भाषा)। उनमें किसी को भी माना जा सकता है। 'र' (क्रम, कर्म, ट्रेन) के संबंध में भी ऐसी गड़बड़ी है। इसके लिए 'र' को ले लेना तथा शेष (r, r, r) को छोड़ देना उचित होगा।

(४) वैज्ञानिक लिपि में अक्षरों में समानता के कारण भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हिन्दी में खाना-रवाना, अराडा-अराडा अर्थात् ख-रव, ण तथा ण् में है। यह भ्रम ख के नीचे के भागों को मिला देने तथा ण को अपना लेने एवं ए को छोड़ देने से दूर हो सकता है। म-भ, घ-ध में भी कभी-कभी भ्रम हो जाता है। इसमें बचने के लिए भ तथा ध को घुड़ीदार (ध, भ) किया जा सकता है।

(५) नागरी में संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र अक्षर जैसे हैं (थ, ज, क्ष, त्र, घ आदि)। इन्हें छोड़ 'श्र' आदि रूपों में संयुक्त व्यंजन लिखे जा सकते हैं।

(६) वैज्ञानिक लिपि में लेखन की एकरूपता भी आवश्यक है। हिंदी में शिरोरेखा, हिन्दी (क, ग, ख) तथा अनुस्वार (पम्प-पंप) आदि के संबंध में एकरूपता नहीं है। इस संबंध में एक पद्धति (क, ख, ग, ज, फ शिरोरेखा का न होना तथा अनुस्वार) को स्वीकार कर लेना चाहिए।

भाषाविज्ञान का इतिहास | १३

भाषा का अध्ययन-विशेषण अत्यन्त प्राचीन काल से कई देशों में होता आया है। इन देशों में प्रमुख भारत, अरब, चीन, जापान तथा यूरोप-अमेरिका आदि हैं। इन देशों में हुए अध्ययन का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

(क) भारत

अनेक शास्त्रों और विज्ञानों की भाँति भाषा-सम्बन्धी अध्ययन भी अपने देश में अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है। भारत की इस क्षेत्र में गति अप्रतिम रही है, इस बात को कई चोटी के भाषाशास्त्रियों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।^१ इतना ही नहीं, आधुनिक भाषाविज्ञान पाणिनि के ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के प्रकाश में विकसित हुआ है।^२ भारत में हुए अध्ययन को 'प्राचीन' और 'आधुनिक' दो वर्गों में रखा जा सकता है। 'प्राचीन अध्ययन' का काल वैदिक काल से लेकर लगभग १७वीं सदी तक है। आधुनिक अध्ययन का आरम्भ १८वीं सदी के मध्य से होता है।

(अ) प्राचीन अध्ययन

भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है। भाषा के सम्बन्ध में चिन्तन और अध्ययन के प्रारम्भिक बीज इसी में मिलने लगते हैं। ऋग्वेद के अन्त के कुछ मंडल इस दृष्टि से देखने योग्य हैं।

कृष्ण यजुर्वेद संहिता में देवों ने देवराज इन्द्र से कहा है कि हम लोगों के कथन को टुकड़ों में कर दीजिये। इससे स्पष्ट है कि वे इतना जानते थे कि वाक्य के खंड हो सकते हैं। इन संकेतों से उनके भाषा-सम्बन्धी ज्ञान का पता चलता है, किन्तु व्यवहार-रूप में सर्वप्रथम कार्य ब्राह्मणों में ही मिलता है।

(१) ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ—संहिताओं के बाद की रचनाओं का नाम ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसमें कहीं-कहीं शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास किया गया है, यद्यपि यह प्रयास बहुत कम है और

१. आधुनिक भाषाविज्ञान के एक प्रकार से पिता ब्लूमफील्ड अपनी पुस्तक Language में, जो आधुनिक भाषाविज्ञान की बाइबिल मानी जाती है, लिखते हैं—This grammar (पाणिनीय अष्टाध्यायी) which dates from somewhere round 350 to 250 B.C. is one of the greatest monuments of human intelligence.....No other language to this day has been so perfectly described.
२. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉन बी० कैरोल लिखते हैं—Western scholars were for the first exposed to the descriptive methods of the Hindu grammarian Panini, influenced either directly or indirectly by Panini began to produce descriptive and historical studies.....

खण्ड आदि करने की क्रिया बहुधा अनुमान पर आधारित और अशुद्ध है; जैसे—'अपाप' (अप+अप) का खण्ड 'अ+पाप' किया गया है। पर, इसका महत्व इसलिए है कि भाषाविज्ञान के विश्व-इतिहास में व्याकरण (खण्ड-खण्ड करना) और धात्वर्थ तक पहुँचने का यह प्रथम प्रयास है। ब्राह्मण ग्रन्थकारों का प्रधान लक्ष्य ध्वनि या अर्थ की ओर नहीं था, कहीं-कहीं आनुपंगिक रूप से ही इस ओर उनका ध्यान गया है। इस दृष्टि से ऐतरेय ब्राह्मण प्रमुखतः उल्लेख्य है। आरण्यकों, विशेषतः ऐतरेय में, ब्राह्मणों की तुलना में भाषा के सम्बन्ध में अधिक सामग्री मिलती है।

(२) पदपाठ—ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद भाषा का अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन आरम्भ हुआ। पदपाठ में वैदिक संहिताओं को पदरूप में किया गया। इसमें संधि और समासों के आधार पर वाक्य के शब्दों को अलग किया गया, साथ ही कुछ स्वराघात पर भी विचार हुआ। साकल्य ऋषि ऋग्वेदीय पदपाठ के, गार्ग्य सामवेदीय के तथा मध्यन्दिन यजुर्वेदीय के पदपाठकार हैं।

(३) प्रातिशाख्य—कुछ दिन बाद धीरे-धीरे जनभाषा वैदिक भाषा से दूर हट गई। फल यह हुआ कि वैदिक भाषा से लोग अपरिचित होने लगे। पर वेद का प्रथानुसार पाठ आवश्यक था और पाठ भी साधारण न होकर प्राचीन स्वराघातों पर आधारित होना चाहिए था। उसे परम्परा-रूप में गाकर करना अनिवार्य था, अन्यथा करने पर ध्वनि-संबन्धी अशुद्धि होने पर दोष का भागी बनना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में इस अशुद्धि से लोगों को बचाने के लिए ध्वनि की दृष्टि से वेदों का विशिष्ट अध्ययन आवश्यक हो गया। इस प्रकार, धार्मिक प्रेरणा से प्रातिशाख्यों के रूप में विश्व का प्राचीनतम वैज्ञानिक ध्वनि-अध्ययन भारतवर्ष में सम्पन्न हुआ। प्रमुख प्रातिशाख्य ऋक्प्रातिशाख्य, अथर्वप्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य तथा ऋक्तन्त्र व्याकरण आदि हैं। उस प्राचीन परम्परा को अक्षुण्ण रखने के प्रयास में वेद की प्रातिशाखा का अध्ययन उच्चारण-सम्बन्धी विशिष्ट पक्षों की दृष्टि से किया गया। प्रातिशाखा के कारण ही इन पुस्तिकाओं का नाम 'प्रातिशाख्य' पड़ा। आज जो प्रातिशाख्य मिलते हैं, वे प्राचीनतम प्रातिशाख्य तो नहीं हैं, पर उन्हीं प्राचीन प्रातिशाख्य पर आधारित अवश्य हैं। आज के उपलब्ध प्रातिशाख्य प्रायः पाणिनि के बाद के माने जाते हैं। प्रातिशाख्यों में किये गये कार्य—(क) प्रातिशाख्यों का मूल उद्देश्य अपनी-अपनी संहिताओं का परम्परागत उच्चारण सुरक्षित रखना था, अतः स्वराघात, मात्राकाल तथा उच्चारण-सम्बन्धी अन्य नियमों के अध्ययन का कार्य इनमें हुआ। (ख) संस्कृत ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया। यह वर्गीकरण इतना प्रौढ़ था कि आज तक लगभग वही प्रचलित है। (ग) पदों के (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग और (४) निपात नाम के चार विभाग किये गये। (घ) इन सब के अतिरिक्त अनुमान है कि पदों के आरम्भिक विश्लेषण तथा संज्ञा के सामान्य लक्षणों पर भी प्रातिशाख्यों में प्रकाश डाला गया होगा। साथ ही, यह भी सम्भावना है कि धातु तक पहुँचने का भी प्रयास उनमें किया गया था।

मूल प्रातिशाख्यों के न मिलने के कारण उपर्युक्त बातें अनुमान पर ही प्रायः आधारित हैं।

(४) शिक्षा—शिक्षाग्रन्थों में ध्वनि का सैद्धान्तिक विवेचन है। ऐसा लगता है कि काफ़ी शिक्षाग्रन्थों की रचना हुई। आज लगभग ४० शिक्षाग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनमें पाणिनीय शिक्षा, नारद शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, स्वर-व्यंजन शिक्षा आदि प्रमुख हैं। कुछ शिक्षाग्रन्थ होते तो सामान्य हैं और कुछ का सम्बन्ध विभिन्न वेदों से है। सैद्धान्तिक ग्रन्थ होने के कारण ऐसा अनुमान लगता है कि कुछ शिक्षाग्रन्थ प्रातिशाख्यों के पूर्व लिखे गये, यद्यपि आज मिलने वाली अधिकांश शिक्षाएँ बाद की हैं। शिक्षाग्रन्थों में ध्वनि-स्वरूप, वर्गीकरण, सुर, अक्षर आदि पर विचार किया गया है।

(५) निघण्टु—वैदिक भाषा से अधिक अपरिचित हो जाने पर लोगों को अर्थ की दृष्टि से भी वेदों के अध्ययन की आवश्यकता हुई। इसी दृष्टिकोण से वैदिक शब्दों के लोगों ने संग्रह-ग्रन्थ बनाये। इन संग्रहों का ही नाम 'निघण्टु' है। इन्हें वैदिक कोश कहा जा सकता है, यद्यपि इनमें अर्थ नहीं दिया गया है। आज तो केवल एक ही निघण्टु उपलब्ध है, पर ऐसी आशा की जाती है कि उस समय बहुत से निघण्टु बने। मैक्डानेल के अनुसार, यास्क के समय में ऐसे पाँच निघण्टु थे (यों तो निघण्टु का प्रयोग प्रायः इन वैदिक शब्द-संग्रहों के लिए ही होता है, किन्तु कभी-कभी 'अमर', 'वैजयन्ती' आदि लौकिक कोशों को भी 'निघण्टु' कहते हैं)।

उपलब्ध निघण्टु और उसका स्वरूप—जो निघण्टु आज उपलब्ध है और जिस पर यास्क का कार्य आधारित है, पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन अध्यायों में, जिनमें क्रम से १७, २२ तथा ३० खण्ड हैं, शब्दों को पर्याय-क्रम से सजाया गया है; इस कारण अर्थ न देने पर भी अर्थ प्रायः स्पष्ट हो जाता है। चौथा अध्याय ३ खण्डों का है। इसमें वेद के कुछ अत्यन्त क्लिष्ट शब्द रखे गये हैं। पाँचवाँ अध्याय वैदिक देवताओं के नामों का है। इसमें ६ खंड हैं।

(६) यास्क (८वीं सदी ई० पू०)—यास्क के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'अपार्ण' आदि कुछ शब्दों के आधार पर कुछ विद्वान् इन्हें पाणिनि का परवर्ती मानते थे, पर अब यह मत अशुद्ध सिद्ध हो चुका है। यास्क का समय पाणिनि से कम से कम १०० वर्ष पूर्व तो होना ही चाहिए।

यास्क का निरुक्त—निरुक्त निघण्टु की व्याख्या है। अर्थविचार का यह विश्व में प्राचीनतम विवेचन है। इसमें निघण्टु के प्रत्येक शब्द को अलग-अलग लेकर उसकी व्युत्पत्ति तथा अर्थ पर विचार किया गया है। निरुक्त के लेखक के व्यक्तित्व की महानता सबसे बड़ी इस बात में है कि अस्पष्ट शब्दों के साथ दुराग्रह न करके उसने यह स्पष्टतः स्वीकार कर लिया है कि ये शब्द उसके लिए अस्पष्ट हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार निघण्टुओं की भाँति ही निरुक्त ग्रंथ भी एक से अधिक थे जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यास्क का था जो आज उपलब्ध है।

निरुक्त की प्रधान बातें—

(क) इसमें निघण्टु के शब्दों को लेकर उनका अर्थ समझाने का प्रयास है। साथ ही, प्रयोग एवं अर्थ की स्पष्टता के लिए वैदिक संहिताओं के शब्दों के प्रयोग भी दे दिये गये हैं।

(ख) निरुक्त में अनेक पूर्ववर्ती तथा समवर्ती व्याकरण-सम्प्रदायों एवं वैयाकरण के नाम^१ एवं उद्धरण दिये गये हैं जिनसे उस समय तक के भाषा-सम्बन्धी अध्ययन के प्रचार एवं अभिरुचि पर प्रकाश पड़ता है।

(ग) शब्दों के इतिहास की गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए समाज और इतिहास की ओर भी लेखक को दृष्टि डालनी पड़ी है जिससे उस समय तथा कुछ पूर्व के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें जानी जा सकती हैं।

(घ) शब्दों पर विचार के साथ ही भाषा की उत्पत्ति, गठन और विकास पर भी कुछ विचार किया गया है। भाषा के सम्बन्ध में इतने व्यापक रूप से विचार करने का प्रथम श्रेय भी इसी के लेखक को है।

(ङ) निरुक्त का ग्रन्थकार वाणी के अतिरिक्त अन्य अवयव-संकेतों को भी भाषा ही मानता है,

१. आगाथण, औदुम्बरायण, औरणनाभ, कात्थक्य, गालव, चर्मशिरा, शाकटायन तथा शाकल्य आदि।

यद्यपि अव्यावहारिक एवं अस्पष्ट होने के कारण उनका अध्ययन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण नहीं मानता।

(च) कुछ शब्दों के नामकरण को लेकर बहुत वैज्ञानिक और सुन्दर शंकाएँ की गई हैं जिनसे भाषाविज्ञान के अनेक छोटे-मोटे प्रश्नों पर प्रकाश पड़ सकता है। तृण को लेकर कहा गया है कि, /तृ = चुभना, अतः चुभने वाला होने के कारण तृण को 'तृण' की संज्ञा दी गई है। पर, यदि यही बात है तो सुई और भाले को भी तृण क्यों नहीं कहा गया ? या सीधा खड़ा होने के कारण 'स्थूण' नाम है तो उसे और कोई (एक स्थान पर रहने वाला, या थामने वाला आदि) नाम क्यों नहीं दिया गया ? ऐसे विवेचनों से शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है।

(छ) शब्द के श्रेष्ठ होने के दो कारण बतलाये गये हैं—१. शब्द का अर्थ किसी की इच्छा पर पूर्णतः आधारित न होकर सिद्ध और स्थिर रहता है जिससे श्रोता और वक्ता दोनों में एक भावना उत्पन्न करता है। २. कम परिश्रम में इसके द्वारा सूक्ष्म अर्थ का बोध होता है।

(ज) पाणिनि जिस धातु-सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में सफल हुए थे, उसका मूल यही है। निरुक्तकार का भी कम या बेश, सभी शब्दों को कुछ मूलों या धातुओं पर आधारित सिद्ध करने का प्रयास है।

(झ) विभाषाओं की उत्पत्ति की ओर भी कुछ संकेत किया गया है।

(ञ) प्रातिशाख्यों में नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात का संकेत मात्र है, पर यहाँ इसका कुछ विस्तृत विवेचन है (पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च)।

(ट) संज्ञा और क्रिया तथा कृदन्त और तद्धित के प्रत्यय-भेदों का भी अस्पष्ट उल्लेख मिलता है।

(ठ) निरुक्तकार का प्रयास ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थों से अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक है तथा विरोधी मतों के खण्डन आदि के कारण तर्कपूर्ण भी है।

यास्क का 'निरुक्त' कर्साटी पर—यास्क के निरुक्त की वैज्ञानिकता-अवैज्ञानिकता को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। एक ओर, रकोल्ड (द निरुक्त, लंदन १९२६, पृ० १८१) तथा डॉ० स्वरूप (द निघंटु ऐंड द निरुक्त, ऑक्सफोर्ड १९२०, भूमिका, पृ० ६४) इसे बहुत ही सुन्दर, वैज्ञानिक तथा आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य मानते रहे हैं, तो दूसरी ओर बी० के० राजवादे (यास्क'स निरुक्त, पूना, १९४०, पृ० cii, civ आदि) जैसे विद्वान् इसे बहुत ही अवैज्ञानिक मानते रहे हैं। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा (द एटिमालोजीज आव् यास्क, होशियारपुर, १९५३) ने यास्क के 'निरुक्त' की पूरी परीक्षा की है और निष्कर्ष-रूप इसे वैज्ञानिकता-अवैज्ञानिकता के बीच का कहा है। इसमें कुल १२६८ व्युत्पत्तियाँ देने का प्रयास किया है जिनसे ८४६ पुराने ढंग की, २२४ वैज्ञानिक और २२५ अस्पष्ट हैं। भाषा के अध्ययन के उस आदिम युग में आज जैसी वैज्ञानिकता की आशा तो नहीं की जा सकती, किन्तु यह कहना असत्य न होगा कि पुराने ढंग का होते हुए भी यह पूर्णतया अवैज्ञानिक नहीं है।

(ड) आपिशलि तथा काशकृत्स्न—यास्क और पाणिनि के बीच में भाषा के अध्ययन का पर्याप्त विकास हुआ। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पाणिनि ने प्रत्यय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, कृत्, तद्धित, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बिना अर्थ बतलाये ही किया है। इससे आशय यह निकलता है कि उस समय तक भाषा के अध्ययन का इतना विकास हो चुका था कि लोग इन शब्दों को समझाने की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। इस सम्बन्ध में दूसरा प्रमाण यह भी

है कि धारक के बाद सीधे पाणिनि^१ इतने उच्च कोटि के व्याकरण की रचना नहीं कर पाते यदि उनके पीछे एक परम्परा की साधना न रहती। पाणिनि के पूर्व के व्याकरण-सम्प्रदाय के जनक आपिशलि तथा काशकृत्स्न माने जाते हैं। कुछ विद्वान् इन लोगों को ऐन्द्र-सम्प्रदाय का मानते हैं। जयादित्य और वासन की 'कोशिका' में आपिशलि का एक नियम मिलता है। पाणिनि ने भी दस वैयाकरणों में आपिशलि का नाम लिया है। कैवट ने आपिशलि और काशकृत्स्न दोनों ही के उद्धरण दिये हैं। काशिका में काशकृत्स्न-व्याकरण के सम्बन्ध में मिलता है कि वह सूत्रों में था और उसमें तीन अध्याय थे (त्रिक काशकृत्स्नम्)। इसी प्रकार की दो-एक अन्य बातों के अतिरिक्त इन दोनों के विषय में कुछ अधिक नहीं मिलता।

(८) ऐन्द्र-सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक कोई ऐन्द्र ऋषि माने जाते हैं। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ये ही प्रथम वैयाकरण थे। यह सम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व का है। कुछ लोगों के अनुसार यह सबसे प्राचीन सम्प्रदाय है। पाणिनि में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन होते हुए भी पाणिनि के समय तक इसमें कोई प्रसिद्ध विद्वान् नहीं हुआ था। पाणिनि के बाद के वैयाकरण कात्यायन इसी सम्प्रदाय के हैं। मूल प्रातिशाख्यों (जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है) पर आधारित वर्तमान प्रातिशाख्य भी कुछ लोगों के अनुसार इसी सम्प्रदाय द्वारा निर्मित हुए थे। कुछ लोग कातंत्र-सम्प्रदाय भी इसी का नाम बतलाते हैं। ऐन्द्र-सम्प्रदाय के सिद्धान्त पाणिनि से कम विकसित हैं, पर इसकी कुछ बातें (विशेषतः परिभाषाएँ) उनसे अधिक सुबोध हैं। ऐन्द्र-सम्प्रदाय का प्रभाव और प्रचार दक्षिण में अधिक था। डॉ० बर्नेल के अनुसार, दक्षिण के प्राचीनतम व्याकरणों में से एक 'तौत्कपियम' पूर्णतः इसी आधार पर बना है। सामग्री के अभाव के कारण इस सम्प्रदाय के पाणिनि के पूर्व के जीवन पर अभी तक अधिक प्रकाश नहीं पड़ सका है।

(९) पाणिनि—पाणिनि को यदि विश्व का सबसे बड़ा वैयाकरण माना जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। दुःख यह है कि इतने बड़े व्यक्ति के समय एवं जीवन के सम्बन्ध में हमें अभी तक अधिक नहीं ज्ञात हो सका है। पाणिनि के अन्य नाम 'आहिक', 'शालंकि', 'दाक्षीपुत्र' तथा 'शालातुरीय' आदि मिलते हैं। इनका जन्म गांधार देश के शालातुर नामक स्थान पर हुआ था। पतंजलि ने एक कारिका में पाणिनि को दाक्षीपुत्र (दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः) कहा है। इससे कुछ लोग इनकी माता का नाम 'दाक्षी' होने का अनुमान लगाते हैं, पर कुछ अन्य लोगों ने इस आधार पर पाणिनि को पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहने वाला दक्ष (जाति का) माना है। कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी के अनुसार, ये 'वर्ष' नामक आचार्य के शिष्य थे। इन्हें पढ़ना-लिखना बिल्कुल न आता था। एक दिन अपनी अकुशाग्रता से दुःखी हो ये तपस्या करने चले गये और वहीं से शिव के आशीर्वाद से उद्भूत व्याकरणकार बनकर आये। समय—पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। पीटर्सन आदि कुछ विद्वान् कवि पाणिनि को इनसे मिलाकर सुभाषितावली तथा कुछ अन्य ग्रन्थों के आधार पर इनका समय ईसा के आरंभिक वर्षों के समीप मानते हैं। मैक्समूलर तथा वैबर आदि विद्वान् इन्हें ३५० ई० पू० के बाद का मानते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पाणिनि में 'यवन' शब्द मिलता है और यह शब्द

१. श्वआन् चुआड के अनुसार पाणिनि के पूर्व कई ऋषियों ने व्याकरण बनाये। प्रो० मैक्समूलर ने 'प्रातिशाख्यो' तथा 'निरुक्त' आदि के आधार पर आग्निवेश्य, आश्रायण, काण्व, सेनक तथा बाभ्रव्य आदि लगभग ६५ आचार्यों के नाम गिनाये हैं।

सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतीयों को ज्ञात हुआ होगा। भंडारकर और गोल्डस्कर ने ५०० ई० पू० के भी पूर्व इनका समय निश्चित किया है। सत्यव्रत आदि कुछ लोग दूसरे छोर पर हैं। उनके अनुसार पाणिनि का काल २४०० ई० पूर्व है। डॉ० बेलवेकर ने सभी महत्वपूर्ण मतों की परीक्षा करते हुए पाणिनि का समय ७०० ई० पूर्व के समीप माना है। इधर डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने विस्तार के साथ इस प्रश्न पर विचार करते हुए पाणिनि को ५वीं सदी ई० पू० के मध्य भाग का माना है। यह मत सबसे अधिक तर्कसम्मत है।

पाणिनि की अष्टाध्यायी—अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं और प्रत्येक पाद में अनेक सूत्र हैं। सब मिलाकर सूत्रों की संख्या लगभग चार सहस्र है। पूरी पुस्तक १४ सूत्रों (अइउण् ऋलृक्, एओड्, ऐऔच्, हयवरट्, लण, ञमडणनम्, झभञ् धढभप्, जवगडदश्, खफछठथचटतव्, कपय्, शषसर्, हल्) पर जिन्हें माहेश्वर-सूत्र भी कहते हैं, आधारित है। संक्षेप में कहने के लिए प्रत्याहार, गण आदि का सहारा लिया गया है।

पाणिनि की विशेषताएँ—

(१) किसी भाषा के परिनिष्ठित रूप में पूरे भौगोलिक और सामाजिक विस्तार को एक व्याकरण में समेटने वाले ये प्रथम वैय्याकरण हैं, साथ ही ये अभी तक इस क्षेत्र में अंतिम भी हैं। ब्लूमफील्ड ने इन्हें 'न भूतो न भविष्यति' ठीक ही कहा है (दे० इस अध्याय का प्रथम पृष्ठ)।

(२) भाषा की पूरी संरचना ली है—ध्वनि-प्रक्रिया (स्वराघात, संधि आदि), रूप-रचना, वाक्य-रचना तथा व्याकरण के स्तर पर विवेच्य अर्थ-पक्ष।

(३) अभूतपूर्व संक्षेप है। १४ सूत्रों के आधार पर लगभग चार हजार सूत्रों में भाषा के सभी स्तरों की व्यवस्था का विश्लेषण है। संक्षेपण के साथ-साथ यथातथता (exactness) और स्पष्टता का भी पूरा निर्वाह है।

(४) सभी दृष्टियों से व्याकरण इतना पूर्ण, व्यवस्थित और उपयोगी है कि उनके बाद इसी २५०० वर्षों में जाने कितने संस्कृत व्याकरण लिखे गये, किन्तु किसी की भी दाल न गल सकी। हिमालय की तरफ इनका विश्लेषण अटल है।

(५) पूरी भाषा के सभी शब्दों को कुछ धातुओं पर आधारित माना है। ये धातुएँ किसी क्रिया का भाव प्रकट करती हैं। इन्हीं से उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि की सहायता से शब्द और रूप दिये गये हैं।

(६) भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है, इसका भी प्रथम उल्लेख यहीं है। भाषा में इसके अनुसार वाक्य ही प्रधान है।

(७) यास्क के नाम, आख्यात आदि चार भेदों को न स्वीकार करके पाणिनि ने शब्द को सुबन्त (अव्यय भी सुबन्त है। अष्टा० २-४-८२) और तिङन्त इन दो श्रेणियों में विभक्त किया। आज तक विश्व में शब्दों के जितने भी विभाजन किये गये हैं, उनमें यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। पश्चिम के ८ भेद (Eight Parts of Speech) भी इसके समक्ष नहीं टिकते।

(८) लौकिक और वैदिक संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन भी इनकी महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

पाणिनि के अन्य ग्रन्थ—अष्टाध्यायी के अतिरिक्त इसी के सहायक ग्रन्थ के रूप में पाणिनि ने कुछ अन्य पुस्तकों की भी रचना की। इन ग्रन्थों में प्रथम स्थान 'धातुपाठ' का है। इसमें धातुओं की सूची है। कहना न होगा कि इसमें संस्कृत के सभी शब्दों को इन्हीं कुछ धातुओं पर आधारित माना

गया है। पाणिनि का दूसरा ग्रन्थ गणों से सम्बन्धित 'गणपाठ' है। एक गण में आये धातुओं का रूप एक प्रकार से चला है। कुछ विद्वानों के अनुसार गणपाठ का कुछ ही भाग पाणिनि द्वारा रचित है। तीसरा ग्रन्थ उणादिसूत्र है। इसे कुछ विद्वान् शाकटायन की रचना मानते हैं, किन्तु इसके पारिभाषिक शब्दों (उदात्त, उपधा, लोप) को देखने से यह भी पाणिनि का ही ज्ञात होता है। यों इसके विरुद्ध प्रमाण भी काफी मिलते हैं। आशय यह है कि तीसरे ग्रन्थ के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता।

पाणिनि का प्रभाव—प्रभाव के सम्बन्ध में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि इनके बाद अधिकतर विद्वान्, चाहे वे जिस सम्प्रदाय के भी हुए, केवल अष्टाध्यायी की ही आलोचना-प्रत्यालोचना, टीका-टिप्पणी आदि में प्रायः लगे रहे। यदि कुछ लोगों ने स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का प्रयास भी किया तो कार्य इस योग्य न हो सका कि अष्टाध्यायी के समक्ष उसका नाम काल-कवलित होने से बच सके। आज जब हम राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए पारिभाषिक शब्द बनाने बैठते हैं तो २५०० वर्ष बाद भी हमारी दृष्टि परिपक्व शब्द पाने के लिए उसी ऋषि पर जाती है। प्रभाव की पराकाष्ठा इससे अधिक हो ही क्या सकती है ?

(१०) कात्यायन का वार्तिक—पतंजलि के पूर्व तथा उनके बाद कई वार्तिककार हो चुके हैं जिनमें व्याघ्रमूर्ति, बाडव, क्रोष्ठा, सुनाग, भारद्वाज, कात्यायन आदि प्रमुख हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कात्यायन हैं। वार्तिकों में कितने कात्यायन के हैं तथा कितने अन्य वार्तिककारों के, यह जानने के लिए आज कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। कुल प्राप्त वार्तिकों की संख्या १५०० के लगभग है जिनमें ६०० से कुछ ऊपर महाभाष्यकार द्वारा स्वीकृत हैं। वार्तिक की परिभाषा दी गई है— उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते। तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञाः मनीषिणः। अर्थात्, वार्तिक उसे कहते हैं जिसमें अष्टाध्यायी में उक्त (जो कहा गया है), अनुक्त (जो नहीं कहा गया है) तथा दुरुक्त (जो गलत कहा गया है) पर विचार किया गया है। वस्तुतः, पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना के बाद लगभग दो शताब्दियों में भाषा में कुछ परिवर्तन हो गया था। वार्तिककारों के अनुसार पाणिनि में कहीं-कहीं गलतियाँ हैं तथा कहीं-कहीं उन्होंने जो कहा है, अपर्याप्त है। इन्हीं दृष्टियों से वार्तिककारों ने अपने वार्तिक कहे। इस प्रकार वार्तिक अष्टाध्यायी के संशोधक और पूरक हैं। यह दूसरी बात है कि महाभाष्यकार ने पाँच सौ से अधिक वार्तिकों को अस्वीकृत कर दिया और केवल लगभग नौ सौ को ही स्वीकृति दी। वार्तिककार की महत्ता इसी से सिद्ध है कि पाणिनि-जैसे पंडित की कृति में उन्होंने अशुद्धियाँ अथवा कमियाँ दूँहीं और उनकी कही गई लगभग आधी बातें स्वीकार की गईं।

पतंजलि—इनका काल १५० ई०पू० के आसपास माना जाता है। इनका एक मात्र ग्रन्थ महाभाष्य है। यह ग्रन्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी की तरह ही ८ अध्यायों, प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद तथा प्रत्येक पाद में कुछ आहिनक) में विभक्त है। महाभाष्य मुख्यतः तीन उद्देश्यों को सामने रखकर लिखा गया था—(क) पाणिनि के उन सूत्रों की व्याख्या के लिए समय बीत जाने के कारण अन्यथा अन्य कारणों से अस्पष्ट अतः दुर्बह हो गये थे। (ख) कात्यायन के उन वार्तिकों का उत्तर देने के लिए जो अनुचित अथवा अनुपयुक्त थे। (ग) भाषा के दार्शनिक पक्ष की यथाप्रसंग व्याख्या के लिए। पतंजलि अपने तीनों ही उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हुए हैं। इन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं लिखा, अपितु यह भाष्य ही लिखा, किन्तु यह 'भाष्य' अपने आकार तथा अपनी गहराई दोनों ही में 'महा' है और इसीलिए इसका प्रचलित नाम 'महाभाष्य' उचित ही है। संस्कृत में प्रसिद्ध है 'यथोत्तर मुनीनां

प्रामाण्यम्', अर्थात् मुनित्रय 'पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि' में पाणिनि की अपेक्षा कात्यायन तथा कात्यायन की अपेक्षा पतंजलि प्रामाणिक हैं। पतंजलि के महत्त्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। आधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ, ध्वनि-अर्थ का संबंध आदि विषयक अनेक बातें बड़ी ही विचारल्लेजक और विचारणीय हैं।

मुनित्रय—पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को संस्कृत 'व्याकरण' के मुनित्रय की संज्ञा दी गई है। सचमुच संस्कृत व्याकरण को उच्चतम विन्दु पर पहुँचाने में ही लोग सफल हुए हैं। यों पाणिनि के पूर्व के भी एक 'त्रिमुनि-व्याकरण' का पता चलता है जो प्रसिद्धि नहीं पा सका।

(११) पाणिनि-शाखा और उसके अन्य वैयाकरण—पाणिनि-शाखा, सच पूछा जाय तो पाणिनि के कुछ पहले से आरम्भ हुई होगी। पाणिनि के अप्रतिम कार्य को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि किसी परम्परा की साधना उसमें अवश्य सन्निहित है। वह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। हाँ, इसका नामकरण-संस्कार पाणिनि के ही नाम पर हुआ है। व्याकरण के मुनित्रय (पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि) इस शाखा के प्रधान आचार्य हैं। इन तीनों में ही मौलिकता का अंश पर्याप्त है, पर इनके पश्चात् पाणिनि-शाखा में कोई भी ऐसा विद्वान न हो सका जो ऐसी प्रतिभा का हो। सभी लोगों ने या तो इसी पर टीकाएँ लिखीं, या समय को देखते हुए पढ़ने और समझने की सुविधा के लिए नवीन क्रम दिया। यहाँ संक्षेप में उन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है—

(अ) टीकाकार—संस्कृत में धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हो रहा था। उन परिवर्तनों को देखते हुए टीकाकारों ने टीकाएँ लिखीं। इस प्रकार ये टीकाएँ उस समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखी गईं।

(क) जयादित्य तथा वामन (७वीं सदी पूर्वार्द्ध)—इन लोगों की लिखी टीका 'काशिका' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें भी अष्टाध्यायी की भाँति ८ अध्याय हैं जिनमें प्रथम ५ जयादित्य-विरचित और शेष ३ वामन द्वारा लिखे गये हैं। काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता से समझाया गया है। प्राचीन वैयाकरणों के कुछ उदाहरण भी इनमें मिलते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अमूल्य हैं।

(ख) जिनेन्द्र बुद्धि (८वीं सदी पूर्वार्द्ध)—जिनेन्द्र ने उपर्युक्त काशिका पर एक टीका लिखी जिसका नाम 'काशिका-न्यास' या 'काशिका-विवरण-पंजिका' है। जिनेन्द्र बौद्ध थे। इन्होंने वार्तिकसिद्ध शब्दों को सूत्रों से ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस न्यास की अभी तक एक भी पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं है।

(ग) हरदत्त (१२वीं सदी)—इनका ग्रन्थ पदमंजरी भी काशिका की ही एक सुन्दर टीका है। हरदत्त दक्षिणी थे और सम्भवतः तेलुगु साहित्य से भी इनका परिचय था, क्योंकि एक उदाहरण 'कूचिमर्ची' इन्होंने उस भाषा का दिया है।

(घ) भर्तृहरि (१६वीं सदी) —शृंगार, नीति और वैराग्य शतकों के रचयिता ही ये वैयाकरण भर्तृहरि थे, यह नहीं कहा जा सकता। भर्तृहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी जिसमें तीन ही पाद पूरा कर पाये थे। सम्भवतः इसके बाद उनका देहान्त हो गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'वाक्यपदीय' है। इसमें व्याकरण के दर्शन-पक्ष का बहुत सुन्दर विवेचन है। पुस्तक तीन खंडों में बँटी है जिनका नाम क्रमशः आगम या ब्रह्मखंड, वाक्यखंड और प्रकीर्ण या पदखंड हैं। द्वितीय खंड के अंत में इसमें कुछ व्याकरणकारों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री भी दी गई है।

(ड) कव्यट (११वीं सदी)—कव्यट कश्मीरी थे। इनका ग्रन्थ महाभाष्य-प्रदीप है। जैसा कि लेखक ने स्वयं भूमिका में कहा है, इनका पथ-प्रदर्शक भर्तृहरि का वाक्यपदीय है। महाभाष्य के विवेचन में कव्यट बहुत ही सफल हुए हैं। इनमें भी तात्त्विक पक्ष की प्रधानता है। कव्यट के प्रदीप के टीकाकारों में नागोजि भट्ट, नारायण और ईश्वरानन्द प्रधान हैं। विशेषतः नागोजि भट्ट का प्रदीपोद्योत बहुत ही सुन्दर और गम्भीर है। इनके व्याकरण-विषयक अन्य १०-११ ग्रंथों में 'परिभाषेन्दु-शेखर' तथा 'वैयाकरण-सिद्धान्त-मंजूषा' विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें दूसरा, भर्तृहरि और कव्यट की भाँति ही, तात्त्विक विवेचन का बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है। नागोजि का व्यक्तित्व बहुत ही अलौकिक था। विवाहित होने पर भी आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपनी पुस्तकों को ही अपनी सन्तान समझते रहे। कव्यट के तीनों ही टीकाकारों का समय लगभग १६वीं सदी है।

(आ) कौमुदीकार—मुसलमानों के राज्य-स्थापन के बाद देश की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ गया। वातावरण विदेशी-सा बन गया, अतः अष्टाध्यायी को सुबोध बनाने के लिए नये क्रम से रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कौमुदियों के लिखे जाने का एक और कारण यह भी था कि टीका जितनी संभव थी, हो चुकी थी। अब उस क्षेत्र में और कार्य की गुंजाइश नहीं के बराबर थी। तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि व्याकरण पर इतने अधिक ग्रंथ लिखे जा चुके थे कि उनको सुबोध बनाने के लिए नवीन क्रम की ही आवश्यकता शेष थी। प्रधान कौमुदीकार नीचे दिये जा रहे हैं—

(क) विमल सैरस्वती (१४वीं सदी)—इनके ग्रन्थ का नाम स्पमाला है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को विषय का क्रम दिया। पहले प्रत्याहार, संज्ञा और परिभाषा के सूत्रों को और उसके बाद स्वर, प्रकृति-भाव, व्यंजन और विसर्ग इन चार भागों में सन्धि के सूत्रों को तथा छह भागों में सुबन्त तथा स्त्री-प्रत्यय और कारकों को स्थान दिया। अन्त में कृत, तद्धित और समास के प्रकरणों को रखा। स्पमाला में आख्यात का प्रकरण बहुत ही विस्तार से है। प्रत्येक लकार पर अलग शीर्षक में विचार किया गया है। अन्त में, लकारार्थ-माला के रूप में एक परिशिष्ट भी है। स्पमाला की शैली बहुत ही सुन्दर है। विशेषतः विषयों का क्रम बहुत ही समीचीन है।

(ख) रामचन्द्र (१५वीं सदी)—ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनकी पुस्तक प्रक्रिया-कौमुदी है। १६वीं सदी में प्रक्रिया-कौमुदी पर कई टीकाएँ लिखी गईं जिनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध विठ्ठलाचार्य की है। टीका का नाम 'प्रसाद' है। दूसरी शेषकृष्ण की 'प्रक्रिया-प्रकाश' है। इसके अतिरिक्त 'सार', 'अमृतिसृति' तथा 'व्याकृति' आदि भी हैं, किन्तु इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

(ग) भट्टोजि दीक्षित (१७वीं सदी प्रथम चरण)—इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धान्त कौमुदी है। इसकी महत्ता इतने से ही सिद्ध हो सकती है कि इसके आगे लोग अष्टाध्यायी को भी भूल गये। आज भी अधिकतर विद्यार्थी इसे को पढ़ते हैं। भट्टोजि ने रामचन्द्र की प्रक्रिया कौमुदी तथा हेमचन्द्र के शब्दानुशासन से अपनी कौमुदी बनाने में विशेष सहायता ली है। आपने स्वयं ग्रंथ पर प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी। फिर, उसका एक छोटा रूप 'बाल मनोरमा' भी बनाया। सिद्धान्त-कौमुदी पर एक वासुदेव दीक्षित रचित 'बाल मनोरमा टीका' भी है जो नागेश के बाद लिखी गई। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी जो अपूर्ण है। भट्टोजि की 'प्रौढ़ मनोरमा' के खंडनार्थ जगन्नाथ ने मनोरमा-कुचमर्दन नामक एक मनोरंजक पुस्तक लिखी। 'प्रौढ़ मनोरमा' की 'शब्दरत्न' नाम की अत्यन्त प्रचलित टीका हरि दीक्षित की है, यद्यपि प्रसिद्ध है कि नागेश ने ही अपने गुरु हरि दीक्षित के नाम से इसे लिखा। इसके बाद बिहारी की सनसई की भाँति इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गईं।

(घ) वरदराज (१८वीं सदी)—विद्यार्थी-वर्ग में आपका नाम विशेष आदर से लिया जाता है। वरदराज ने सिद्धान्त-कौमुदी के मध्य, लघु और सार तीन संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किये। इनके इन तीनों संस्करणों पर भी टीका-ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन टीकाकारों में राम शर्मा और जयकृष्ण आदि प्रसिद्ध हैं।

(१३) व्याकरण की पाणिनीतर शाखाएँ—ब्राह्मणकर्ताओं को भाषा-विचारक के रूप में न माना जाय तो शाकटायन, प्रातिशाख्यकर्ता (१००० ई० पू०), यास्क (८वीं सदी ई० पू०), आपिशलि तथा काशकृत्स्न (७वीं सदी) आदि पूर्व-पाणिनि शाखा के वैयाकरण थे। इनके बाद पाणिनि-शाखा आई जिसमें पाणिनि से लेकर वरदराज का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इन दो के अतिरिक्त भी कुछ शाखाएँ हैं जिनमें से कुछ प्रसिद्ध शाखाओं पर हम यहाँ संक्षेप में विचार कर रहे हैं—

(क) चान्द्र-शाखा—इस शाखा का प्रथम उल्लेख भर्तृहरि के वाक्यपदीय में और अंतिम मेघदूत की मल्लिनाथ-कृत टीका में मिलता है। इस शाखा के अधिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। डॉ० बूलर और डॉ० लीविक के श्रम से इसके सम्बन्ध में कुछ बातें ज्ञात हो सकी हैं। इस शाखा के प्रसिद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमिन हैं जिनका समय ५वीं सदी के लगभग है। इन्होंने अपना व्याकरण पाणिनि, कात्यायन और पंतजलि के व्याकरण से अधिक सुन्दर और संक्षेप में लिखा। वैदिक व्याकरण और स्वराघात के विषय में पाणिनि के नियमों को परिवर्तित भी कर दिया। पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की संख्या को घटाकर १३ कर दी। 'हयवरट्' और 'लग्' इन सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र 'हयवरलग्' बनाया। कुछ प्रत्याहारों को निकालकर नये प्रत्याहार बनाये। सूत्रों को भी घटा कर लगभग ३१०० कर दिया। चन्द्रगोमिन की मौलिक और प्रधान देन ३५ सूत्रों की है। इनके व्याकरण में केवल छह अध्याय हैं। व्याकरण को असंज्ञक कहा गया। इसके अतिरिक्त, चन्द्रगोमिन् ने उणादि सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ आदि भी लिखे हैं। इस शाखा का प्रचार लंका और तिब्बत में विशेष हुआ, क्योंकि चन्द्रगोमिन् बौद्ध थे। इस शाखा में और भी ग्रन्थ लिखे गये होंगे, पर आज हमें उनका पता नहीं है। १३वीं सदी में लिखित एक ग्रंथ 'बालवबोध' अवश्य लंका के एक बौद्ध पंडित काश्यप का मिलता है जो चन्द्रगोमिन् के ही ग्रंथ का एक छोटा संस्करण मात्र है।

(ख) जैनेन्द्र-शाखा—जिस प्रकार चान्द्र शाखा पूर्णतः बौद्धों की थी, जैनेन्द्र शाखा जैनों की थी। इसके प्रथम वैयाकरण अन्तिम तीर्थंकर महावीर माने जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस शाखा का भी आरम्भ चान्द्र शाखा के आरम्भ के समय ही हुआ। जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण मिलते हैं। छोटे में ३००० सूत्र और बड़े में ३७०० हैं। इनमें मौलिकता का पूर्ण अभाव है। पाणिनि और कात्यायन से अधिकतर बातें ज्यों की त्यों ले ली गई हैं। इसके रचयिता देवन्दी या पूज्यपाद हैं। धार्मिक कट्टरता इनमें इतनी है कि अन्य धर्मावलंबी वैयाकरणों का आभार तक नहीं स्वीकार किया है। इस पर अभयनन्दी (८वीं सदी) और सोमदेव की केवल दो टीकाएँ मिलती हैं। पंचवरस्तु नाम से व्याकरण आरम्भ करने वालों के लिए इसका एक नवीन संस्करण भी मिलता है। इस शाखा के विषय में कुछ और अधिक ज्ञात नहीं है।

(ग) शाकटायन-शाखा—यह शाखा भी जैनों की ही है। इसके प्रधान वैयाकरण शाकटायन (८वीं सदी), दयापाल (१०वीं सदी), प्रभाचन्द्र तथा अभयचन्द्र (१४वीं सदी) हैं। इनका प्रथम और प्रधान ग्रंथ 'शाकटायन-शब्दानुशासन' है। पाणिनि, चन्द्रगोमिन् और पूज्यपाद से इस व्याकरण में अधिक लिया गया है। इसमें चार-चार पादों के चार अध्याय हैं और लगभग ३२०० सूत्र हैं। क्रम

कौमुदियों की भाँति है। शाकटायन के ही लिखे पाणिनि के आधार पर उन्हीं नामों के धातुपाठ, गणपाठ आदि कुछ अन्य ग्रंथ भी इस शाखा में हैं। इस शाखा में भी टीकाकारों और कौमुदीकारों के दो युग आये हैं। टीकाओं में न्यास और 'चिन्तामणि' प्रसिद्ध हैं। कौमुदियों में 'प्रक्रिया-संग्रह' मुख्य है। हेमचन्द्र की शाखा के कारण यह शाखा लुप्त हो गई।

(घ) हेमचन्द्र-शाखा—प्रचार की दृष्टि से पाणिनि-शाखा के बाद हेमचन्द्र-शाखा का नाम आता है। इसके सूत्रपातकर्ता हेमचन्द्र (१०८८ ई०-११७२ ई०) एक जैन साधु थे। गुजरात के इतिहास में भी इनका हाथ है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'शब्दानुशासन' है जिसका पूरा नाम 'सिद्धहेमचन्द्राभिध्वस्वोपज्ञशब्दानुशासन' है। इसमें ८ अध्याय और ३२ पाद हैं। सूत्रों की संख्या ४५०० है। इनमें लगभग ११०० सूत्र अन्तिम अध्याय में हैं जिनमें उस समय की जनभाषा प्राकृतों (महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिकापेशाची, अपभ्रंश) का वर्णन है। इनका संस्कृत व्याकरण का अंश तो अच्छा नहीं है, पर इन जनभाषाओं का वर्णन बड़ा ही सुन्दर है। इन्होंने संक्षेप में अधिक से अधिक कहने का प्रयास किया है। शाकटायन के शब्दानुशासन का इन पर प्रभाव स्पष्ट है। हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन पर 'शब्दानुशासन-वृहद् वृत्ति' नामक टीका भी लिखी। यह टीका बहुत ही विवेचनापूर्ण है। इनके द्वारा लिखे कुछ अन्य ग्रंथ भी कहे जाते हैं जिनमें पाणिनि की भाँति धातुपाठ, उणादि सूत्र तथा गण पाठ आदि भी हैं। हेमचन्द्र पर लिखी गई टीकाओं में 'वृहद्वृत्ति दुंदिका' प्रसिद्ध है, पर इसकी पूरी पोथी नहीं मिलती। इसके लेखक के विषय में भी अनिश्चय है। दूसरी प्रसिद्ध टीका सूरी की 'हेमलघुन्यास' है। टीकाओं के अतिरिक्त 'हेमलघु-प्रक्रिया' आदि कई कौमुदियाँ भी अन्य शाखाओं के अनुकरण पर इस शाखा में बनाई गईं। १५वीं सदी तक ही इस शाखा में काम होता रहा।

(ङ) कातंत्र-शाखा^१—कातंत्र का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त संस्करण है। यह व्याकरण पढ़ना आरम्भ करने वालों के लिए पाणिनि के आधार पर बनाया गया था। मूलतः यह कोई स्वतंत्र शाखा नहीं थी। इसकी रचना सर्वसाधारण के लाभ के लिए की गई थी, विशेषतः जबकि लोगों को प्राकृत के माध्यम से संस्कृत सीखनी थी। इसमें १४०० सूत्र हैं। इसके आरम्भ के विषय में एक बड़ी मनोरंजक कथा है। एक बार दक्षिणी राजा शातवाहन ने जलक्रीड़ा करते समय अपनी रानी के 'मोदक देहि राजन्' कहने पर उसे कुछ मोदक (मिठाई) दिये, फिर जब उसे अपनी गलती ज्ञात हुई तो अपने पंडित सर्ववर्मन को संस्कृत जानने के लिए एक विशिष्ट व्याकरण रचने की आज्ञा दी। उसने भगवान् कार्तिकेय या कुमार की सहायता से इस संक्षिप्त संस्करण को तैयार किया। इसीलिए इसे 'कौमार व्याकरण' भी कहते हैं। इसी से संबद्ध एक अन्य आधार पर इस शाखा का नाम 'कालाप-शाखा' भी है। इसका आरम्भ दूसरी सदी से है। ७वीं सदी के लगभग इसका कश्मीर में प्रचार हुआ। इसके प्रथम टीकाकार दुर्गासिंह (६वीं सदी) हैं। आज के उपलब्ध पाठों में प्रक्षिप्तांश का बाहुल्य है। इसके प्रसिद्ध वैयाकरण जगद्धर तथा महादेव आर्य आदि हैं। १५वीं सदी से इसका प्रचार बंगाल में हो गया और बहुत-सी टीकाएँ लिखी गईं। आज भी कश्मीर में प्रचलित व्याकरण 'कातंत्र' के आधार पर ही बने हैं।

(च) सारस्वत शाखा—इसका आरम्भ १३वीं सदी से है। इसकी मूल पुस्तक में सारी बातें बहुत सरल ढंग से संक्षेप में समझायी गई हैं। पाणिनि के ४००० सूत्रों के स्थान पर इसमें केवल ७००

१. कुछ लोग इसी को ऐन्द्र भी मानते हैं। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कातंत्र है।

सूत्र है। इसका अवतरण भी जनता की माँग के कारण ही हुआ। इस शाखा को प्रोत्साहन देने वाले गयासुददीन खिलजी और सलेमशाह नामक मुसलमान शासक थे। संक्षेप और सरलता इसकी प्रधान विशेषता थी। प्रत्याहार तथा माहेश्वर-सूत्र भी कुछ परिवर्तित ढंग से इसमें रखे गये हैं। वैदिक व्याकरण को यहाँ अनावश्यक समझ कर स्थान नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि सरस्वती से इसे अनुभूतिस्वरूप आचार्य ने प्राप्त किया था। पर सत्य यह है कि अनुभूतिस्वरूप एक टीकाकार थे। शाखा के जनक कोई अन्य महाशय थे जिनके सम्बन्ध में आज कुछ भी ज्ञात नहीं है। अमृतभारति, क्षेमेन्द्र, हर्षकीर्ति, मण्डन आदि अन्य टीकाकार भी इस शाखा में हुए हैं। यह शाखा १८वीं सदी तक चलती रही है। फिर इधर पाणिनि-शाखा के अधिक प्रचार के कारण इसका लोप हो गया। विल्किन नामक अंग्रेज विद्वान् ने भी इस शाखा के आधार पर एक व्याकरण लिखा। कुछ लोग आज भी इसे प्रोत्साहन देते हैं। सचमुच सरलता की दृष्टि से इसे पाणिनि-शाखा से कहीं अधिक उपयोगी कहा जा सकता है।

(छ) बोपदेव-शाखा—इस शाखा का आरम्भ वरार-निवासी बोपदेव से माना गया है। बोपदेव (१३ वीं सदी) बहुत बड़े विद्वान् थे और इन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें लिखीं। भाषा-सम्बन्धी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मुग्धबोध' है। जैन, बौद्ध आदि धर्मों का प्रभाव इन पर नहीं था। इनका भी प्रधान ध्येय सरलता और संक्षेप ही है। इनकी शैली कातंत्र से मिलती-जुलती है। इनके माहेश्वर-सूत्र और प्रत्याहार पाणिनि से कुछ भिन्न हैं। वैदिक विशेषताओं की ओर से वे भी उदासीन हैं। इनके पारिभाषिक शब्द भी पाणिनि से भिन्न हैं (जैसे धातु के लिए 'धू' तथा वृद्धि के लिए 'वृ' आदि)। मुग्धबोध का अधिक प्रचार नहीं हो सका। १७वीं सदी तक यह बंगाल के नदिया जिले तक सीमित हो गया। इस पर टीकाएँ और कौमुदियाँ बनीं जिनमें रामनर्क वागीश की अधिक प्रसिद्धि है।

(ज) शेष शाखाएँ—शेष में प्रधान जौमर (१२००-१२००), सौपदम (१३००-१५५०) और हरिनामामृत (१६वीं सदी) आदि शाखाएँ हैं जिनके प्रसिद्ध लेखक क्रम से जुमरनन्दो,^१ पद्यनाभदत्त और जीव गोरवामी हैं। महत्त्वपूर्ण न होने के कारण इनका नाम ले लेना ही पर्याप्त है।

पालि—पालि व्याकरण की रचना भारतवर्ष, ब्रह्म प्रदेश और लंका तीनों ही स्थानों में हुई। इन व्याकरणां की तीन शाखाएँ बनाई जा सकती हैं—कच्चायन, मोगलान तथा अगवंस। ये तीनों ही शाखाएँ संस्कृत से प्रभावित हैं और विषय की दृष्टि से अपूर्ण हैं। यहाँ इन पर पृथक्-पृथक् विचार किया जा रहा है—

(क) कच्चायन (कात्यायन)—संस्कृत व्याकरण कात्यायन से भिन्न हैं। इनका समय ८वीं या ९वीं सदी के लगभग है। इनकी प्रधान कृति 'कच्चायन व्याकरण' है जिसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कृति पालि और संस्कृत के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर प्रकाश नहीं डालती। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त दो और व्याकरण-ग्रन्थ भी इनके लिखे कहे जाते हैं। इनकी शाखा में कच्चायन व्याकरण की कई टीकाएँ लिखी गईं। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमलवृद्धि की टीका 'न्यास' है। इस न्यास पर भी कुछ टीकाएँ भारत तथा ब्रह्मदेश में लिखी गई हैं। छपद की 'सुत्तनिदेश' तथा संघरचित की 'सम्बन्ध-चिन्ता' आदि पुस्तकें भी इसी शाखा की हैं।

(ख) मोगलान (१२वीं सदी)—इन्हें मोगल्लान भी कहा गया है। इनकी प्रधान पुस्तक

१. क्रमदीश्वर-कृत 'संक्षिप्त सार-व्याकरण' पर 'जौमर वृत्ति' नामक वृत्ति संभवतः इन्हीं ने लिखी थी।

'मोगगलायन व्याकरण' है। इस पर इन्होंने स्वयं 'मोगगलायन पंचिका' नामक टीका भी लिखी है। इनका व्याकरण भी कुछ दृष्टियों से अपूर्ण है, पर कच्चायन की अपेक्षा बहुत अच्छा है। वर्गीकरण तथा इनके पारिभाषिक शब्द कच्चायन से भिन्न हैं। इन्होंने छोटे-मोटे प्राचीन पाली व्याकरण और पाणिनि तथा चन्द्रगोमिन् आदि से अधिक सहायता ली है। इस शाखा में भी अनेक टीकाएँ लिखी गईं जिनमें से पियदस्मिन् की 'पदसाधन' तथा राहुल की 'मोगगल्लायन-पंचिकापदीय' उल्लेखनीय हैं।

(ग.) अग्गवंस (१२वीं सदी)—अग्गवंस ब्रह्मदेश के निवासी थे। इनकी पुस्तक सिद्धनीति है। अग्गवंस की शाखा का प्रचार लंका और ब्रह्मदेश में हुआ। यह शाखा प्रमुखतः कच्चायन पर आधारित है, अतः लोग इसे स्वतन्त्र शाखा न मान कर कच्चायन के अन्तर्गत ही रखते हैं।

(१५) प्राकृत—प्राकृत के व्याकरण, विशेषतः संस्कृत नाटकों के प्राकृत-अंशों को समझने के लिये लिखे गये थे। जीवित प्राकृत से उनका बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं था। इन व्याकरणों का ढाँचा भी पूर्णतः संस्कृत व्याकरणों पर आधारित था। प्राकृत वैयाकरणों की प्रतीच्य और प्राच्य दो शाखाएँ मानी गई हैं।

(क) प्रतीच्य-शाखा—इस शाखा के सूत्रों के रचयिता कोई वाल्मीकि कहे जाते हैं, इसी कारण इस शाखा को 'वाल्मीकि शाखा' की भी संज्ञा दी गई है। इन सूत्रों की सबसे प्रसिद्ध टीका त्रिविक्रम (१३वीं सदी) की है जो प्राकृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी टीका लक्ष्मीधर (१६वीं सदी) लिखित 'शब्द-भाषा-चंद्रिका' है।

हेमचन्द्र (१२वीं सदी)—प्रतीच्य शाखा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हेमचन्द्र लिखित ('सिद्ध हेमचन्द्र' शब्दानुशासन) है। इस ग्रंथ का नाम 'सिद्धहेमचन्द्राभिधस्वोपज्ञशब्दानुशासन' है। इस पुस्तक के ७ अध्याय तो संस्कृत व्याकरण के हैं जिनके सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इसका ८वाँ अध्याय ग्रन्थ के लगभग चौथाई है जिसमें प्राकृतों पर विचार किया गया है जिनमें महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची तथा चूलिकापैशाची आदि प्रधान हैं। हेमचन्द्र के सूत्र इनके अपने हैं, पर शैली वही पुरानी है।

(ख) प्राच्य शाखा—इस शाखा के सर्वप्रसिद्ध वैयाकरण वररुचि हैं; अतः उनके नाम से भी यह शाखा प्रसिद्ध है।

वररुचि (५वीं सदी)—प्राकृत भाषा का सबसे पुराना व्याकरण वररुचि का 'प्राकृत-प्रकाश' है। इसके प्रथम नौ अध्याय में संस्कृत के आधार पर महाराष्ट्रीय प्राकृत का बहुत विस्तृत वर्णन है। १०वें, ११वें और १२वें अध्याय में क्रम से पैशाची, मागधी और शौरसेनी का वर्णन है। शौरसेनी का वर्णन संक्षेप में है, क्योंकि शेष बातों में वह महाराष्ट्री से भिन्न नहीं है। 'प्राकृत-प्रकाश' पर प्राचीनतम टीका कात्यायन (७वीं सदी) लिखित 'प्राकृत-मंजरी' है।

इस शाखा की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ लंकेश्वर की 'प्राकृत-कामधेनु', वसंतराज की 'प्राकृत-संजीवनी' तथा उड़ीसा-निवासी मारकण्डेय (१७वीं सदी) की 'प्राकृत-सर्वस्व' है। इनमें 'प्राकृत-सर्वस्व' का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है।

अपभ्रंश के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से लिखी गई प्राचीन पुस्तकें प्रायः नहीं के बराबर हैं। हाँ, हेमचन्द्र आदि के प्राकृत व्याकरणों के अंत में इस सम्बन्ध में कुछ सामग्री अवश्य दी हुई है।

व्याकरणेतर ग्रन्थों में भाषा-विषयक अध्ययन—उपर्युक्त वैयाकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य शास्त्रवालों ने भी भाषा पर प्रकाश डालने के सुन्दर प्रयास किये हैं जिनमें प्रधान नैयायिक, साहित्यिक

तथा मीमांसक हैं।

(क) नैयायिक—बंगाल के नदिया के तार्किकों या नैयायिकों ने भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर ध्यान दिया। इससे 'अर्थविज्ञान' पर कुछ प्रकाश पड़ा। इस दृष्टि से जगदीश तर्कालंकार का 'शब्द-प्रकाशिका' ग्रंथ अधिक महत्त्वपूर्ण है।

(ख) साहित्यशास्त्री—कुछ साहित्यिकों ने रीति या काव्यशास्त्र का विवेचन करते हुए भाषा के अर्थ-पक्ष का सुन्दर विवेचन किया। ऐसों में ध्वन्यालोक, साहित्यदर्पण, काव्य-प्रकाश, चन्द्रालोक आदि के रचयिता प्रधान हैं। ये लोग अलंकार एवं शब्द-शक्तियों के वर्णन में इस ओर झुके हैं।

(ग) मीमांसक—इन्होंने भी शब्द-स्वरूप, शब्दार्थ, वाक्य तथा वाक्यार्थ आदि पर विचार किया है।

(घ) वेदांती—इनकी कृतियों में भी भाषा-विषयक कुछ सामग्री है।

भारत में की गई भाषा-सम्बन्धी प्राचीन खोज को यहाँ समाप्त करते हुए कहा जा सकता है कि रूप, वाक्य, ध्वनि और अर्थ प्रत्येक दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोणों के अभाव में भी यहाँ पर्याप्त कार्य हुआ था और इस क्षेत्र में भारत अन्य देशों से बहुत आगे था।

(ब) आधुनिक अध्ययन

भारत में भाषाविज्ञान का आधुनिक रूप में अध्ययन यूरोप के संसर्ग से आरम्भ हुआ है। सत्य तो यह है कि पहले-पहल उन्हीं लोगों ने यहाँ इसका प्रारम्भ भी किया और इसी कारण यह श्रेय उनको ही प्राप्त है। यहाँ इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लोगों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

काल्डवेल (१८१४-१८६१)—द्रविड़-परिवार की भाषाओं के इस पादरी पंडित ने अपना पूरा जीवन इस परिवार की भाषाओं के अध्ययन-विश्लेषण में लगा दिया। १८४६ में इनका 'द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' (Comparative Grammar of the Dravidian Languages) प्रकाशित हुआ जो एक सदी से अधिक पुराना होने पर भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय है।

जॉन बीम्स—इंग्लैंड-निवासी बीम्स १८५७ में इंडियन सिविल सर्विस में आये तथा बंगाल में नियुक्त हुए। बाद में पंजाब, बिहार, उड़ीसा आदि में भी कलेक्टर तथा मजिस्ट्रेट रहें। भाषाओं के अध्ययन में ये बचपन से ही रुचि लेते थे। भारत आने के लगभग १० वर्ष बाद इनका पहला ग्रन्थ 'ऐन आउटलाइन आफ इंडियन फिलालोजी' प्रकाशित हुआ। काल्डवेल का 'द्रविड़ भाषाओं का व्याकरण' देखकर इन्हें भारतीय आर्यभाषाओं पर वैसा ही काम करने की प्रेरणा मिली और लगभग १४ वर्षों तक इस विषय पर कार्य करते हुए उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ए कम्पैरेटिव ग्रामर आफ द माडर्न आर्यन लैंग्विजिज आफ इंडिया' तीन भागों (भाग-१—१८७२ में, भाग २—७८ तथा भाग ३—७६ में) में प्रकाशित किया। भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक विकास पर यह पहला कार्य है। इस विषय पर अभी तक कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ है। एक हजार से अधिक पृष्ठों के इस विस्तृत ग्रन्थ में प्रारम्भ में भारतीय आर्यभाषाओं के उद्भव और विकास पर १२१ पृष्ठों की एक लम्बी-सी भूमिका है तथा आगे हिन्दी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया तथा बंगला की ध्वनियों तथा उनके संज्ञा, सर्वनाम, संख्यावाचक विशेषण तथा क्रियासूचों का संस्कृत से तुलनात्मक विकास दिखलाया गया है।

केलाग (सैमुयल एस०) (१८३६-१८६६)—न्यूयार्क के वेस्ट हेम्पटन में जन्मे पादरी केलाग भारत में धर्म-प्रचार के लिए आये और १८७२ तक इलाहाबाद के थियोलाजिकल ट्रेनिंग स्कूल में

पढ़ाते रहे। यों तो 'लाइट आफ एशिया', 'लाइट आफ द वर्ल्ड' आदि इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, किन्तु इनका अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'हिन्दी व्याकरण' (A Grammar of the Hindi Languages) है। इसका प्रथम संस्करण १८७६ में तथा दूसरा परिवर्तित संस्करण १८९३ में हुआ। हिन्दी का यह प्रथम सुव्यवस्थित तथा विस्तृत व्याकरण है तथा आज भी कई दृष्टियों से सर्वोत्तम है। इसमें लिपि, ध्वनि-व्यवस्था तथा संधि के अतिरिक्त हिन्दी के तत्कालीन परिनिष्ठित रूपों के साथ-साथ मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेरवाड़ी, जयपुरी, हाड़ाती, कुमाऊँनी, गढ़वाली, नेपाली, कन्नौजी, बैसवाड़ी, रीवाड़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली आदि के भी रूप यथास्थान दिये गये हैं। वाक्य-रचना के विस्तृत प्रायोगिक नियमों के अतिरिक्त रूपों की व्युत्पत्ति तथा उनका विकास भी दिया गया है।

हार्नले (जन्म १८४१)—पूरा नाम आउगुस्टस फ्रेडरिक स्टल्फ होएर्नले। राष्ट्रीयता जर्मन। जन्म भारत (सिकंदरा, आगरा) में। पिता यहाँ जर्मन पादरी थे। शिक्षा जर्मनी तथा इंग्लैंड में। १८६५ में जयनारायण मिशनरी कालेज बनारस में प्राध्यापक नियुक्त हुए। १८७३ में इंग्लैंड चले गये तथा अपना 'गॉडियन व्याकरण' लिखते रहे। १८६८ में आपने रॉयल एशियाटिक सोसायटी के अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया। ये रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जर्नल के संपादक भी रहे। १८७२-७३ में इन्होंने अपना प्रथम 'भाषावैज्ञानिक निबंध' (लगभग १०० पृष्ठों का), जो गौड़ीय भाषा समुदाय से संबद्ध था, एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित करवाया। १८८० में इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ (A Comparative Grammar of the Gaudian Languages) प्रकाशित हुआ जिसमें भोजपुरी का विस्तृत व्याकरण देने के साथ-साथ आधुनिक आर्यभाषाओं की काफी तुलनात्मक सामग्री दी गई है। इसमें हिन्दी क्रियारूपों में लिंग-परिवर्तन के नियम, विभिन्न रूपों का विकास, भाषायी मानचित्र तथा लिपियों के विकास का चित्र आदि भी है। १८८० में ही उपर्युक्त जर्नल में इनका हिन्दी धातुओं पर एक विस्तृत निबंध प्रकाशित हुआ जिसमें हिन्दी धातुओं का संग्रह, इतिहास तथा वर्गीकरण आदि हैं। ग्रियर्सन के साथ इन्होंने बिहारी भाषाओं का 'तुलनात्मक कोष' तथा बीम्स के साथ 'पृथ्वीराज रासो' के आदि पर्व का संपादन किया। प्राचीन लिपियों के विकास पर भी आपने अच्छा काम किया है।

ग्रियर्सन (१८५१-१९४१)—पूरा नाम—'जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन'। जन्म आयरलैंड। १८७१ में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की तथा बंगाल में नियुक्त हुए। १८८३ से ८७ तक इन्होंने अपना (Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of the Bihari Language) प्रकाशित किया। इसके बाद ही इन्होंने भारत की सभी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों तथा उपबोलियों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जो 'Linguistic Survey of India' नाम से ११ बड़ी-बड़ी जिल्दों में (१८९४-१९२७) प्रकाशित हुआ। अभी आज तक किसी भी देश की सारी भाषाओं पर इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। इसमें भाषाओं और बोलियों आदि का संक्षिप्त व्याकरण देने के साथ-साथ प्रत्येक के नमूने तथा मानचित्र भी दिये गये हैं। भारतीय भाषाओं और बोलियों आदि के सीमा-निर्धारण का भी प्रथम प्रयास इसी में है जो कुछ अपवादों को छोड़कर अब तक भी प्रामाणिक है। इतना विस्तृत कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता था; अतः ग्रियर्सन को इसमें अन्य अनेक लोगों की सहायता लेनी पड़ी। इसी कारण इसमें यत्र-तत्र कुछ कमियाँ भी हैं, किन्तु इनसे इस ऐतिहासिक ग्रंथ का महत्त्व कम नहीं होता। संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं एवं लिपियों पर आपके लगभग २०० खोजपूर्ण तथा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित हैं। आपकी भाषाविज्ञान-विषयक अन्य मुख्य कृतियाँ हैं—बिहारी का तुलनात्मक कोश (हार्नले के साथ १८८६, अपूर्ण), पिशाच

लैंग्विज (१९०६), ए मेन्युअल आफ़ कश्मीरी लैंग्विज (१९११), कश्मीरी कोश (४ खंडों में, १९१६-३२)।

डॉ० ट्रम्प—ट्रम्प संस्कृत, प्राकृत, सिन्धी तथा पश्तो आदि भाषाओं के विद्वान् थे। १८७२ में इनका सिन्धी व्याकरण (Grammar of the Sindhi Language compared with the Sanskrit, and Prakrit The Cognate Indian Vernaculars) प्रकाशित हुआ जिसमें संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं से भी तुलनात्मक सामग्री दी गई है। एक वर्ष बाद १८७३ में इनका पश्तो व्याकरण प्रकाश में आया।

डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर—भाषाविज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक युग में काम करने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। भंडारकर प्रमुखतः मध्य भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व के विद्वान् थे, पर आर्यभाषाओं का भी पर्याप्त अध्ययन किया था। १८७७ में बम्बई विश्वविद्यालय में इस विषय पर इन्होंने सात व्याख्यान दिये जो ३७ वर्ष बाद १९१४ में पुस्तक-रूप में (Wilson, Philological Lectures) छपे। भंडारकर ने प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञान के साथ-साथ नवीन यूरोपीय भाषाविज्ञान का भी अध्ययन किया था, इसी कारण यह पुस्तक बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है। आरम्भ में भाषा के विकास के सम्बन्ध में सामान्य नियम दिये गये हैं तथा संस्कृत के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे अध्याय में पाली तथा उस समय की अन्य बोलियों का विवेचन है। तीसरे और चौथे अध्याय में क्रम से 'प्राकृत-अपभ्रंश' तथा 'उत्तर भारतीय आधुनिक भाषाओं की ध्वनि' से सम्बन्ध रखते हैं। पाँचवें और छठे में आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले प्राचीन तथा नवीन रूपों का विवेचन है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्त्व रखता है। सातवाँ अध्याय प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक आर्यभाषाओं के सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्माण-काल को देखते हुए ग्रन्थ बहुत ही महत्त्व का है।

रेल्फ लिले टर्नर—लगभग ३०-३५ वर्षों के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'नेपाली कोश' १९३१ में प्रकाशित हुआ। इसमें सभी नेपाली शब्दों की व्युत्पत्ति देने का प्रयास किया गया है। साथ में भारत की प्रधान आर्यभाषाओं के शब्द भी तुलना के ढंग पर दे दिये गये हैं। कहीं-कहीं यूरोपीय भाषा के भी तुलनात्मक शब्द हैं। लगभग २०० शब्द मूल भारोपीय भाषा के दिये गये हैं। पुस्तक २१२ भाषाओं के आधार पर लिखी गई है। यह सभी ने स्वीकार किया है कि यह भारतीय आर्यभाषाओं का प्रथम वैज्ञानिक नैरुक्तिक कोश है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त टर्नर ने मराठी स्वराघात, गुजराती ध्वनि तथा सिन्धी पर भी कुछ कार्य किया है। इधर वे सारी भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक व्युत्पत्ति कोश (तल्पम-तद्भव शब्दों का) को प्रकाशित करने पर लगे थे जो पूरा हो गया है।

जूल् ब्लाक—इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मराठी की बनावट' (१९१६) है। किसी भारतीय भाषा का वैज्ञानिक इतिहास तथा उसकी बनावट का पूर्ण विवेचन प्रथम बार इस पुस्तक में हुआ है। ध्वनि और रूप का विवेचन इसमें विशेष है। इसके अतिरिक्त इनका 'भारतीय आर्य भाषाएँ' ग्रन्थ भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने द्रविड़ तथा द्रविड़ों और आर्यों के पूर्व के भारतीयों की भाषा आदि के सम्बन्ध में भी कार्य किया है।

ओझा, गौरीशंकर हीराचंद (१८६३-१९४७)—इतिहास, पुरातत्त्व, प्राचीन लिपि तथा अनेक भाषाओं के विद्वान् ओझा जी पहले उदयपुर के राजकीय पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष तथा बाद में

राजपुताना म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर थे। आपने दो दर्जन से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी या संपादित की थीं, जिनमें भाषाशास्त्रीय दृष्टि से उनकी लिपि-लिपयक पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं—प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, अशोक की धर्मलिपियाँ। 'प्राचीन लिपिमाला' अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुप्त, कुटिल, नागरी, शारदा, बंगला, पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलुगु, कन्नड़, कर्लिंग, तमिल, आदि लिपियों की उत्पत्ति और उनका क्रमिक विकास प्रामाणिक संदर्भों के आधार पर दिखाया गया है। भारतीय लिपियों पर अब भी यही सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है।

कामताप्रसाद गुरु (१८७४-१९४७)—गुरुजी मूलतः संस्कृत के विद्वान् थे। किंतु आपका कार्यक्षेत्र था—हिंदी भाषा का विश्लेषण। आपकी प्रसिद्ध कृति है 'हिन्दी व्याकरण', जिसमें हिंदी भाषा का अत्यंत गहराई और विस्तार से विश्लेषण किया गया है। हिंदी भाषा का इस स्तर पर आज भी कोई दूसरा व्याकरण नहीं है। गुरुजी की एक अन्य कृति है—'भाषा वाक्य-पृथक्करण'।

वर्तमानकालिक प्रवृत्तियाँ—इस दिशा में भारतीय प्रगति का मूल श्रेय पश्चिम को है। काल्डवेल, वीम्स, ट्रम्प, केल्लोग, हार्नले, प्लैट्स, ग्रियर्सन, टर्नर तथा जूल ब्लाक आदि ने इस दिशा में हमारे लिए अग्रणी का कार्य किया और हमने अपना रास्ता कुछ अपनी प्राचीन परम्परा तथा इन लोगों के आदर्श पर बनाया। इस प्रकार, आधुनिक भाषाविज्ञान ने अपना जीवन-रस दो स्रोतों से लिया है—

(क) भाषा-अध्ययन की प्राचीन भारतीय परम्परा—मुख्यतः प्रातिशाख्य, शिक्षा ग्रंथ, पाणिनि, पतंजलि तथा भर्तृहरि से, तथा

(ख) भाषा-अध्ययन की पश्चिमी परम्परा—इसका संबंध मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका तथा रूस से है। आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में अब तक जो काम हुआ है और जो हो रहा है, उसे देखते हुए निम्नांकित चार धाराओं का संकेत किया जा सकता है—

(१) शास्त्रीय धारा—यह धारा मुख्यतः प्राचीन भारतीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसके सबसे सजग और सशक्त व्याख्याता आचार्य किशोरीदास वाजपेयी (हिन्दी शब्दानुशासन तथा भारतीय भाषाविज्ञान आदि) हैं। दामले (शास्त्रीय मराठी व्याकरण) तथा कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी व्याकरण) आदि भी अंग्रेजी व्याकरणों के प्रभाव के बावजूद इसी परंपरा में आते हैं।

(२) ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभावयुक्त धारा—इस धारा में डॉ० भंडारकर (भारतीय आर्यभाषा), डॉ० चटर्जी (बंगाली), डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा (प्राचीन भारतीय ध्वनिविज्ञान), डॉ० कत्रे (कोंकणी), डॉ० धीरेन्द्र वर्मा (ब्रजभाषा, हिन्दी), डॉ० बाबूराम सक्सेना (अवधी), डॉ० मोइनूद्दीन कादरी (हिन्दुस्तानी ध्वनि), डॉ० सुकुमार सेन (प्राकृत), डॉ० मसऊद हसन खॉं (उर्दू ध्वनि), डॉ० विश्वनाथप्रसाद (भोजपुरी ध्वनि), डॉ० महेन्द्रे (प्राकृत), डॉ० तगारे (अपभ्रंश), डॉ० उदयनारायण तिवारी (भोजपुरी, हिन्दी), डॉ० बाहरी (लहँदा, हिन्दी), डॉ० एस० के० वर्मा (अंग्रेजी-हिन्दी क्रिया) आदि के नाम मुख्य हैं। दो-तीन अपवादों को छोड़कर इस धारा के विद्वान् प्राचीन भारतीय परंपरा से भलीभाँति परिचित एवं कुछ प्रभावित हैं तथा जहाँ तक आधुनिक पद्धति का संबंध है, यह धारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड या फ्रांस की भाषा-अध्ययन-पद्धति से जुड़ी है। यह धारा विशेष सक्रिय पिछले दशक तक ही रही। इस धारा का कार्य मुख्यतया ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र में है। अन्य प्रकार के कार्य अपेक्षाकृत कम हुए हैं।

(३) अमेरिकी प्रभावयुक्त धारा—अमेरिका में यां तो बोआश, स्पीर, ब्लूमफील्ड आदि ने कार्फा

पहले बहुत अच्छा काम किया था, किंतु पहले अमेरिकी भाषाविज्ञान से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क न था। अमेरिका के राकवेलर फाउंडेशन की मदद से १९५३ से भारत में पूना तथा अन्य स्थानों में भाषाविज्ञान के ग्रीष्म एवं शीतकालीन स्कूलों का आयोजन प्रारम्भ हुआ तथा उनमें पढ़ने के लिए अमेरिकी भाषाशास्त्री (फेयरबैंक्स, ह्वेलिंग्सवॉल्ड, ग्लिसन, एमेन्यू, गम्पर्ज, केली आदि) आते रहे। मूलतः स्कूलों के माध्यम से ही भाषाशास्त्र में रुचि लेने वाले भारतीयों का परिचय भाषा अध्ययन की अमेरिकी पद्धति से प्रत्यक्षतः हुआ और धीरे-धीरे पुराने लोगों में डॉ० घाडगे, डॉ० पंडित, डॉ० उदय-नारायण तिवारी आदि अनेक विद्वान् अमेरिकी पद्धति तथा इसके माध्यम से भाषाशास्त्र के क्षेत्र में विकसित नयी पद्धतियों से परिचित हुए। पुरानी और नयी पीढ़ी के अनेक लोग अमेरिका गये और वहाँ इस विषय का व्यवस्थित अध्ययन किया। इस समय सच पूछा जाय तो भारत में भाषावैज्ञानिक कार्य कुछ अपवादों एवं अवशेषों को छोड़कर अधिकांशतः प्रायः अमेरिकी पद्धति पर ही हो रहा है। इस दृष्टि से कृष्णमूर्ति (तेलुगु), बिलगिरी (मुण्डा), पिल्लई (तमिल), केलकर (मराठी), बहल और गिल (पंजाबी), गोस्वामी (असमिया) आदि १५-२० नाम उल्लेख्य हैं। इस धारा ने विशेष कार्य वर्णनात्मक भाषाविज्ञान (विशेषतः ध्वनि और रूप के क्षेत्र) में किया है। टाटा इन्स्टीच्यूट के सांख्यिकीय विभाग में कम्प्यूटर की सहायता से ध्वनियों के विवरण पर जो काम हो रहा है, वह भी इसी धारा के अन्तर्गत है।

(४) इस प्रसंग में तत्कालः किसी धारा का रूप न ले सकने के बावजूद रूसी प्रभावयुक्त एक अंकुरित हो रही धारा यदि उल्लेख्य नहीं तो संकेत्य अवश्य है। अभी हाल तक रूस की भाषा-विश्लेषण-पद्धति से भारत का परिचय प्रायः नहीं के बराबर था। इधर रूस-भारत के संबंधों में वृद्धि के साथ-साथ हम उससे परिचित होने लगे हैं। इस धारा में प्रथम नाम डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव का लिया जा सकता है जिन्होंने हिन्दी के आदि व्यंजन गुच्छों की ध्वानिक प्रकृति (acoustic nature) तथा उनके विवरण पर काम किया है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में किसी भारतीय द्वारा रूसी सिद्धान्तों पर आधारित यह प्रथम कार्य है। मैं स्वयं भी दो वर्षों तक रूस में रहा और वहाँ के भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तों की अनेक नयी बातें मुझे प्रभावित किये बिना न रह सकीं। उदाहरण के लिए ध्वनिग्राम के लिए विवरण पर बल देने का अमेरिकी सिद्धान्त, जिसे प्रायः सभी भारतीय भाषाशास्त्री मानते हैं, मुझे अधूरा लगता है और मैं स्वतन्त्र उच्चारण और स्पष्ट श्रवण को भी समान महत्त्व देने के पक्ष में हूँ। पीछे ध्वनिग्राम के प्रकरण में इसी आधार पर परिपूरक विवरण में न होने पर भी इ, दू की बात ध्वनिग्राम के प्रकरण में कही गई है।

यों भारतीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इधर जो काम हुए हैं तथा इस समय जो कार्य हो रहे हैं, उनमें प्रमुख हाथ प्रथम तीन धाराओं का ही है। ये कार्य मुख्यतः ६-७ प्रकार के हैं—

(१) पूरा अध्ययन—भाषाओं, बोलियों, किसी काल की भाषा, किसी कवि या लेखक की भाषा तथा किसी रचना की भाषा का अध्ययन।

(२) ध्वनि—ध्वनि, ध्वनिग्राम, व्यंजन-गुच्छ, बलाघात, सुर-लहर, संगम, आक्षरिक रचना आदि का अध्ययन।

(३) रूप—प्रत्यय, उपसर्ग, समास, कारक, रूप, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय का अध्ययन।

(४) वाक्य—वाक्य की रचना का अध्ययन।

(५) शब्द—बोलियों की औद्योगिक एवं सांस्कृतिक शब्दावली का अध्ययन, भाषा या बोली के

शब्द-समूह का अध्ययन, अन्य भाषा के विदेशी प्रभावों का अध्ययन। पारिभाषिक शब्द-निर्माण तथा एकभाषिक-द्वैभाषिक कोश-रचना आदि।

(६) अर्थ—अर्थ-परिवर्तन एवं आर्थिक अन्तर की दृष्टि से शब्दों का अध्ययन।

(७) मुहावरों, लोकोक्तियों का अध्ययन। ये अध्ययन ऐतिहासिक दिशा में अधिक हुए हैं, वर्णनात्मक में कम तथा तुलनात्मक में और भी कम।

आवश्यकता—जीवित भाषाओं के जो अध्ययन आजकल अपने देश में चल रहे हैं, उनमें अधिकतर ध्वनि तथा रूप तक ही सीमित हैं। ध्वनि के अध्ययन में यूरोपीय देशों की भाँति ध्वनि-अध्ययन के लिए बने कायमोग्राफ, एक्सरे, लैरिंगोस्कोप, एंडोस्कोप, कृत्रिम तालु, आटोफोनोस्कोप, व्रीदिंग फ्लास्क, स्पिरोमीटर, स्टेथोग्राफ, न्यूमोग्राफ तथा स्ट्रोबोलैरिंगोस्कोप आदि का उपयोग अभी तक कम किया गया है; अतएव अपने ध्वनि-अध्ययन को इन साधनों पर आधारित कर पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयोगशालाएँ अपेक्षित हैं। वाक्य तथा अर्थ विज्ञान का अध्ययन हमारे यहाँ अभी शैशवास्था में है। इन दोनों ही को मनोविज्ञान तथा तर्कशास्त्र के प्रकाश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पश्चिमी देशों में भाषाविज्ञान के लिए मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया जाने लगा है। यहाँ भी उसे अपनाना चाहिए। हमारी जीवित भाषाओं ने अपना जीवन-रस प्राचीन भाषाओं से खींचा है, उनका भी अध्ययन आवश्यक है। प्रसन्नता है कि इस ओर लोग यथेष्ट ध्यान दे रहे हैं और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, अरबी तथा फारसी आदि का कुछ अध्ययन अब चल रहा है। पर, इस क्षेत्र में और गहराई में उतरना अपेक्षित है। इनके अतिरिक्त उन यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन आवश्यक है जिनसे आपने शब्द आदि उधार लिये हैं। इस सम्बन्ध में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी आदि के नाम लिये जा सकते हैं। कहना न होगा कि हमारे विद्वानों ने अंग्रेजी तथा कुछ-कुछ फ्रांसीसी पर ध्यान दिया है, पर अभी पुर्तगाली आदि का कोना पूर्णतः अछूता ही है। आशा है कि शीघ्र ही हम उधर भी ध्यान देंगे। इन सबके साथ-साथ समाजविज्ञान तथा धर्मविज्ञान का भी पर्याप्त अध्ययन होना आवश्यक है। इनके बिना भारत-जैसे धर्मप्रधान देश की भाषाओं का अध्ययन पूरी गहराई से नहीं किया जा सकता। इन सारे साधनों की सहायता से विभिन्न भाषाओं और उनकी बोलियों का अध्ययन पूरा कर लेने के उपरान्त भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों पर काम करना पड़ेगा और इन दोनों कार्यों को समाप्त कर हमें भाषाविज्ञान की सहायता से अपने इतिहास के विस्मृत पृष्ठों का पुनरुद्धार करना है। ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं और उसकी बोलियों का सर्वेक्षण बड़ी योग्यता से किया था, पर पटवारियों आदि की सहायता से सामग्री एकत्र किये जाने के कारण उसे पूर्ण प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। अब भाषाविज्ञान के विद्वानों की सहायता से उस काम को फिर से कराने की आवश्यकता है। अभी ऐसी बहुत-सी जंगली बोलियाँ हैं जिनका पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना आवश्यक है। जीवित भाषाओं के विकास की गतिविधि का अध्ययन तथा उसके आधार पर व्याकरण को परिवर्तित करते रहने के लिए हर क्षेत्र में कुछ भाषा-अध्ययन के केन्द्र भी अपेक्षित हैं। आशा है इस क्षेत्र के हमारे विद्वान् इन सभी की पूर्ति शीघ्र हो कर सकेंगे।

(ख) चीन

भाषाओं के प्रकरण में चीनी भाषा पर विचार करते समय उसकी प्राचीनता की ओर हम लोग

संकेत कर चुके हैं। कुछ लोग तो पाँच-छह हजार वर्ष ई० पू० से ही इसे सुरासंस्कृत भाषा मानने के पक्ष में हैं। पर यदि पुष्ट प्रमाणों के अभाव में हम इतनी दूर न भी जायें तो कम से कम १५०० वर्ष ई० पूर्व से चीनी को समुन्नत भाषा मानने में तो संभवतः किसी को भी आपत्ति न होगी। फू-हि-हूआड-सी तथा शेन-नुड आन्दि सम्राट, जिनके समय से वहाँ लिपि का आरम्भ माना जाता है, ढाई हजार वर्ष ई० पू० के बहुत पहले हो चुके थे। चीन का स्वर्ण-युग भी लगभग २००० ई० पू० के पहले ही समाप्त हो चुका था। ऐसी दशा में यह अनुमान सरलता से किया जाता है कि १५०० ई० पू० से साहित्य-सृजन वहाँ पर्याप्त मात्रा में आरम्भ हो गया होगा। महात्मा कनफ्यूशिअस ने ५०० ई० पू० के लगभग १८०० ई० पू० तक के गीतों का संग्रह किया था। चीन में इतिहास और कहानियाँ लिखने की परम्परा भी बहुत प्राचीन है। जब लोगों की प्रवृत्ति इस प्रकार साहित्य-सृजन की ओर थी तो अवश्य ही भाषा की ओर भी उनका ध्यान गया होगा। अन्य भाषाओं के व्याकरणों की भाँति किसी व्याकरण का तो आज भी वहाँ अभाव है, पर शब्दकोश अवश्य बहुत-से बनाये गये हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में भी अवश्य ही कुछ कोश बनाये गये होंगे। कुछ भी हो, आज परिस्थिति यह है कि भाषा-सम्बन्धी पुराना ग्रन्थ एक भी नहीं मिलता। हणों, मंगोलों और मंचूओं के आक्रमण के अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि २१३ वर्ष ई० पू० चीन के राजा छिनगम-ख्वांग ने कुछ राजनीतिक कारणों से सभी उपलब्ध पुस्तकों को जलवा डाला था। इस राजा की मृत्यु के बाद प्राचीन साहित्य के पुनरुद्धार की ओर जब चीनी विद्वानों का ध्यान गया तो वैज्ञानिक रूप से भाषा के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार, भाषा के अध्ययन की ज्ञात तिथि लगभग २०० ई० पू० है। इसी के लगभग भारतीय बौद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए वहाँ पहुँचे। उस समय तक भाषा का अध्ययन भारत में बहुत आगे बढ़ चुका था, अतः इन साधुओं की सहायता से भी चीनियों ने ध्वनि के सम्बन्ध में अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। उसी समय से चीनी कोशों में चिह्नों को ध्वन्यनुसार क्रम भी दिया जाने लगा। चीनी में भाषा के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान कार्य कोशों का है। कोशों में चिह्न या शब्द प्रायः दो प्रकार से सजाये जाते हैं। प्रथम प्रकार अन्य भाषाओं के कोशों की भाँति ध्वनियों पर आधारित है। पर, ऐसे कोश बहुत उपयोगी नहीं समझे जाते; इसका कारण यह है कि चीनी चिह्नों का उच्चारण निश्चित नहीं है। एक ही चिह्न कहीं तो कुछ उच्चारित होता है और कहीं कुछ। इसका आशय यह है कि जब तक कोई व्यक्ति कोशकार के उच्चारण से परिचित न रहे, वह कोश में शब्द का अर्थ नहीं देख सकता। चिह्नों के सजाने का दूसरा क्रम रेखाओं की संख्या पर आधारित रहता है। जिस चिह्न में एक रेखा हो, उसे पहले रखेंगे और जिसमें दो रेखाएँ हों, उसे उसके पश्चात् स्थान देंगे। इसी तरह आगे भी तीन, चार, पाँच इत्यादि। चीन का प्राचीनतम कोश 'एर्हय' है जिसका काल १२वीं सदी ई० पू० के बाद माना जाता है। चीन का प्रथम ज्ञात प्रामाणिक कोशकार हू-शेन है जिसके कोश का नाम 'शुओ-बेन-की-त्सी' है। इसका प्रकाशन १०० ई० के लगभग हुआ था। इस कोश में उस समय के प्रचलित शब्दों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर की गई है। इसमें कुल ३६४ चिह्न हैं। आज भी यह कोश बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी

१. जे० एडकिन्स तथा एम० कुरेट आदि कुछ अंग्रेजी और फ्रेंच विद्वानों ने कुछ व्याकरण लिखे हैं, पर वे भी ठीक अर्थ में व्याकरण नहीं कहें जा सकते। सत्य तो यह है कि चीनी के लिए व्याकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोश ही वहाँ व्याकरण का कार्य करता है।

टीकाएँ भी लिखी गई हैं। हू-शेन की कृति का आधार तीसरी सदी ई० पू० के एक राजा 'त्स-इन' के मन्त्री की एक पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद का दूसरा कोश 'त्ज-युआन' ७वीं सदी के आरम्भ का है। सामग्री की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। १२वीं सदी के लगभग सिमाक्वांड ने भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया था। चीन के प्रसिद्ध बादशाह 'खॉ-शी' (१६६२-१७२३) ने बहुत से विद्वानों की सहायता से एक बहुत ही अच्छे कोश का सम्पादन कराया जो आज उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम 'खॉ-शी त्जतैय' है। इसमें ४४,००० शब्दों का अर्थ है। यह १७१६ में प्रकाश में आया।

आधुनिक युग में चीनी भाषा तथा लिपि के बारे में चीनियों तथा विदेशियों दोनों ही ने काम किये हैं। विदेशियों में एल० सी० हॉपकिन्स ने चीनी लेखन का विकास तथा 'चीनी लिपिचिह्नों के छह वर्ग' पर शोधपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। गाइल्स और काउरूर ने अंग्रेजी में कोश लिखे हैं। कालग्रिन ने चीनी ध्वनि और प्रतीकों पर कार्य किया है। चीनी लोगों में लो-चेन-यू, बाङ-कूओ-वि, वांली, छुन्-वां-ताओ, त्जूत-शी तथा ल्वी-सु-शां के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। ल्वी-सु-शां की प्रसिद्ध पुस्तक 'यू-फा-शू-त्ज' है जिसमें चीनी को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने की वैज्ञानिक विधि दी गई है।

(ग) जापान

जापान में पहले लोग चीनी भाषा में ही लिखते थे, इसी कारण जापान द्वारा भाषा के क्षेत्र में किया गया प्राचीन कार्य जापानी भाषा में न होकर चीनी में ही है। ६वीं सदी में जापानियों ने चीनी भाषा में चीनी लिपि के बारे में लिखा था। ६वीं सदी में जापान में संस्कृत का प्रवेश भलीभाँति हो गया था और उसका अध्ययन होने लगा था। कूके (६वीं सदी) एक बौद्ध पुजारी थे। वे चीन से एक पुस्तक 'सिद्ध-मात्रिका' ले आये और जापानी वर्णमाला बनाया जो संस्कृत के नामों के आधार पर ही 'अइउएओ' [अलफाबेट (अलफा, बेटा) की भाँति] कहलाती है। १८वीं सदी तक संस्कृत के अध्ययन के लिए जापानी में संस्कृत का व्याकरण लिखा जा चुका था। १६वीं सदी तक जापान के पुरुष चीनी में लिखते थे, किन्तु वहाँ की स्त्रियों ने जापानी में लिखना शुरू किया। इस प्रकार प्रारम्भिक जापानी साहित्य के विकास में महिलाओं का ही हाथ है।

जापान की एक यह भी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वहाँ बोलने की भाषा बिल्कुल अलग तथा लिखने की अलग रही है। लिखने की भाषा का नाम बूडों और बोलने की भाषा का नाम कोडो रहा है।^१ १८६० ई० के आसपास इन दोनों भाषाओं को एक करने का कार्य शुरू हुआ और इस दृष्टि से यमादा मिमियो तथा हुतावते शमे के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने मिलकर 'उकीगुमो' नामक उपन्यास लिखा जिसमें प्रथम बार बोलने की भाषा का लिखने के लिए प्रयोग है।

इधर जापान में भाषा के अध्ययन के लिए एक संस्था भी खुल गई है और वह महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जापानी का प्रामाणिक व्याकरण यमादा तकाव ने लिखा है। जी० बी० सैनसम ने जापानी का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है और तोकिइदा मोतोकि ने नये तरीके से जापानी का व्याकरण

१. साथ ही, जापान में इन दो के अतिरिक्त कुछ शब्दों तथा प्रयोगों की दृष्टि से बादशाह के लिए अलग भाषा है तथा अच्छे घर की औरतों के लिए अलग। व्याकरण-रूपों में भी इस प्रकार के अन्तर है। उर्दू की भाँति यह बड़ी शिष्ट भाषा है। शब्दों के आदरसूचक रूप अलग हैं, जैसे 'अपने बाप' के लिए 'चिचि' शब्द है, तो 'आपके बाप' के लिए 'उतोसमा'।

बनाया है। जापानी का प्रामाणिक कोश 'गेन्काइ' है जिसके सम्पादक ओत्की हुमिहिको है। कनाजावा सोजाबो का कोजरिन नामक कोश भी अच्छा है। बोलचाल की जापानी पर चैम्बरलेन की पुस्तक सबसे अच्छी है। सामान्य भाषाविज्ञान तथा अंग्रेजी पर काम करने वाले विद्वन् इचिकावासांकी हैं। हत्तोरिशिरी ध्वनिविज्ञान तथा मंगोलियन भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वन् हैं। कोजहरोशिगे तुलनात्मक व्याकरण के अध्येता हैं और हेराल्ड पार्लेंट कोशकार तथा जापानी भाषा और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ हैं। 'फोनेटिक सोसायटी ऑव जापान' ध्वनि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। १९५८ में स्वरों पर वहाँ से प्रो० छीबा और प्रो० काजियामा की एक बड़ी उपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई।

(घ) अरब

अरब में भी भाषा का अध्ययन प्रायः संस्कृत की भाँति ही आरम्भ हुआ। धार्मिक ग्रन्थों (विशेषतः कुरान) को समझने के लिए भाषा के विवेचन की ओर लोगों का ध्यान गया और धीरे-धीरे वह साधारण ध्यान ही प्राचीन भाषावैज्ञानिक या व्याकरणীয় विवेचन हो गया। भारत में प्रायः यह प्रवृत्ति रही है कि किसी भी चीज का आरम्भ ऋग्वेद से माना जाता है, ठीक उसी प्रकार बहुत-सी इल्मों का आरम्भ अरबी में मुसलमानी मजहब के चौथे खलीफा हजरत अली से माना जाता है।^१ भाषा के अध्ययन में भी वे ही प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यूनानी भाषाविज्ञ एवं दार्शनिक अरस्तू की तरह अली ने भी भाषा के ३ भाग किये थे। इसके अतिरिक्त उनके विवेचन के विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है।

१०वीं सदी के अरबी के विद्वन् अरबी ज्ञान को दो भागों में बाँटते थे—प्रथम तो अरब-ज्ञान (Arab Sciences) कहलाता था जिसमें भाषा का अध्ययन, नीतिशास्त्र, साहित्य तथा इतिहास आदि विषय थे। दूसरी ओर दर्शन, चिकित्साशास्त्र आदि विषय अरबतर ज्ञान (Non-Arab Sciences) कहलाते थे। इस प्रकार, अरबों के अनुसार भाषा का अध्ययन पूर्णतः इनकी अपनी चीज है, यद्यपि यह ठीक नहीं है। डॉ० बोअर ने स्पष्टतः लिखा है कि तथाकथित अरब-ज्ञान पूर्णतः अरबों का नहीं है, उन पर भी अन्य लोगों के प्रभाव पड़े हैं।^२ इस प्रभाव डालनेवालों में सीरियन, भारतीय और परशियन प्रधान हैं।

कुछ भी हो, निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि अमुक समय में भाषा के अध्ययन का विकास यहाँ प्रारम्भ हुआ। जिस प्रकार संस्कृत में व्याकरण के आचार्य पाणिनि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार अरबी में सेबवे (Sibawaih) का नाम लिया जाता है। ये भाषाशास्त्र के ईमाम या पेशवा हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी की भाँति ही इनका ग्रन्थ भी अपने में बहुत पूर्ण मिलता है जिससे अनुमान होता है कि पाणिनि की भाँति ही यह भी किसी प्राचीन प्रचलित सम्प्रदाय के सम्भवतः अन्तिम व्यक्ति थे। बाद में, पाणिनि की भाँति ही इनके ग्रन्थ के भी बहुत से भाष्य हुए तथा टीकाएँ आदि लिखी गईं। आगे चलकर व्याकरण के प्रधान दो सम्प्रदाय बने—एक बसरा में तथा दूसरा कुफ़्र में था। बसरा वाले बगदादियों

१. हजरत मुहम्मद ने कहा है—'अना मदीनतुलइल्मे व अलीव्युन वावोहा', अर्थात् मैं (मुहम्मद) इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं।

२. And yet the so called Arab Sciences are not altogether pure native products.—Dr. T. J. Boer (The History of Philosophy in Islam, London, 1903, p. 31)।

की भाँति भाषा में 'सादृश्य' का बहुत प्रभाव मानते थे, पर कुफा वाले या 'कुफी' नहीं मानते थे। 'बसरी' भाषाशास्त्र पर तर्कशास्त्र का बड़ा प्रभाव था। भारत में नदिया के वैयाकरण भी प्रायः ऐसे ही थे। अरस्तू के तर्कशास्त्र ने भी बसरी सम्प्रदाय को बहुत प्रभावित किया। बाद में, 'भाषा स्वाभाविक है या कृत्रिम' जैसे प्रश्नों पर भी विचार किया गया। कुछ दिन बाद तक यह अध्ययन चलता रहा और फिर लुप्त-सा हो गया। आधुनिक युग में भारत की ही तरह यूरोपीय विद्वानों ने अरबी भाषाविज्ञान पर भी विशेष काम किया है। अब धीरे-धीरे कुछ अरब विद्वान् भी इस ओर झुक रहे हैं।

(३) यूरोप

यूरोप में अन्य सभी विषयों की भाँति भाषा के भी अध्ययन का आरंभ यूनान में हुआ। भारत की ही भाँति यूरोप का भी प्राचीन वा प्रारंभिक अध्ययन विशुद्ध रूप में वैज्ञानिक नहीं था; अतः स्पष्टता के लिए इसके भी (अ) प्राचीन और (ब) आधुनिक दो भेद किये जा सकते हैं।

(अ) प्राचीन

यों तो सुकरात के पूर्व भी समुन्नत यूनानियों^१ का कुछ न कुछ ध्यान अवश्य ही भाषा की ओर भी गया रहा होगा, किंतु इस बात के निश्चित प्रमाण सुकरात से ही मिलते हैं; अतः उन्हीं से भाषा के अध्ययन का आरम्भ माना जाता है।

१. सुकरात (४६६ ई०पू० से ३६६ ई०पू०) — भाषा के अध्ययन के सिलसिले में सुकरात के समक्ष यह प्रश्न आया था कि क्या शब्द और उसके अर्थ में कोई स्वाभाविक सम्बन्ध है। सुकरात इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं, जो ठीक ही है। वस्तु और उसके नाम या शब्द और अर्थ में कोई स्वाभाविक सम्बन्ध न होकर माना हुआ सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त सुकरात का यह भी विश्वास था कि ऐसी भाषा का निर्माण असम्भव नहीं है जिसमें शब्द और अर्थ या वस्तु का स्वाभाविक सम्बन्ध हो। सुकरात का यह कथन स्पष्ट ही सत्य से दूर है।

२. प्लेटो (४२६ से ३४७ ई० पू०) — प्लेटो अपने गुरु सुकरात की भाँति ही दार्शनिक थे। इनका भी भाषा के विचार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। आनुपंगिक रूप से इन्होंने 'क्रेटिस' तथा 'सोफिस्ट' आदि में अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये हैं। इनके द्वारा दी गई बातों को संक्षेप में यों गिनाया जा सकता है—

(क) यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय प्लेटो को ही है। इन्होंने ग्रीक-ध्वनियों को घोष और अघोष दो भागों में बाँटा और फिर अघोष के भी दो भेद किये।

(ख) 'सोफिस्ट' में विचार और भाषा पर विचार करते समय इन्होंने स्पष्ट किया है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अन्तर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दे देते हैं। अपनी एक दूसरी पुस्तक में प्लेटो भाषा और विचार के सत्यतः एक होने की बात को दूसरे शब्दों में दोहराते हैं। आशय यह है कि उनका विचार है कि मूलतः भाषा और विचार एक हैं, पर बाह्य अंतर अवश्य है कि एक ध्वन्यात्मक है और दूसरा अध्वन्यात्मक।

(ग) उद्देश्य-विधेय तथा वाक्यों आदि की ओर भी इन्होंने कुछ संकेत किये हैं।

१. इस सम्बन्ध में अटिस्थिनित, हीराक्लीटस तथा पिथागोरस आदि के नाम मिलते हैं।

(घ) इनकी पुस्तकों में कुछ व्युत्पत्तियों की ओर भी संकेत मिलता है, किंतु उन्हें वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता।

३. अरस्तू (३८५ ई० पू० से ३२२ ई० पू०)—अरस्तू भी उपर्युक्त विद्वानों की भाँति तत्त्ववेत्ता थे, किंतु आनुवंशिक रूप में अपनी भी भाषा पर कुछ विचार किया, और प्लेटो के कार्य को कुछ और आगे बढ़ाया। अरस्तू का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पोलिटिक्स' है। इसके द्वितीय भाग के २२वें तथा १५वें अंश में शैली के विश्लेषण में लेखक का ध्यान भाषा की ओर भी गया है। यह ध्यान विशेष रूप में भाषाविज्ञान से सम्बन्धित न होने पर भी महत्वपूर्ण है; अतः कुछ विस्तार से देखने योग्य है :

(क) अरस्तू चर्ण को अविभाज्य ध्वनि मानते हैं। उन्होंने इसके स्वर, अंतस्थ और स्पर्श तीन भेद किये हैं। इनके आगे दीर्घ, ह्रस्व, अल्पप्राण तथा महाप्राण आदि अन्य भेद किये गये हैं। अरस्तू द्वारा दी गई स्वर की परिभाषा (स्वर वह है जो बिना जिह्वा या ओंठ के उच्चरित हो) कुछ अंशों में वैज्ञानिक कही जा सकती है।

(ख) मात्रा तथा सम्बन्धसूचक शब्दों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है।

(ग) वाक्यों का पदों (उद्देश्य, विधेय) में विभाजन करते हुए संज्ञा और क्रिया पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला गया है। क्रिया का विचार करते समय लेखक का ध्यान काल की ओर भी गया है।

(घ) कारक तथा उनका प्रकट करने वाले शब्दों की ओर भी यूरोप में प्रथम संकेत यहीं मिलता है।

(ङ) शब्द, मोटे रूप से 'साधारण' और 'दुहरे', दो प्रकार के माने गये हैं। साधारण से अरस्तू का अर्थ 'अर्थरहित' से है और दुहरे शब्द वे हैं जिनमें 'सार्थक' और 'निरर्थक' दोनों तत्व हों। इसी प्रसंग में तिहरे और चौरहे शब्द भी माने गये हैं। शब्द के शुद्ध, विदेशी, परिवर्तित, मनगढ़ंत आदि और भी भेद किये गये हैं जो शब्द-समूह (vocabulary) की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। प्लेटो के वागभाग (Part of Speech) को पूरा कर ८ बनाने का श्रेय भी अरस्तू को ही है।

(च) अरस्तू ने स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा उनके लक्षणों पर भी विचार किया है।

४. अरस्तू और थ्रेक्स के बीच का कार्य—अरस्तू के पद-विभाजन को बाद के ग्रीक-वैयाकरणों ने आगे बढ़ाया। उस आधार को कुछ विकसित करके व्यंजनों के तनु (tenues), मध्य (media) और महाप्राण (aspiratae) तीन भेद किये। इस सम्बन्ध में स्तोइक-वर्ग के तत्त्ववेत्ताओं के कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनके बहुत से पारिभाषिक शब्द लैटिन भाषा का बाना पहन कर आज भी व्याकरण के क्षेत्र में शुद्ध या अशुद्ध रूप में प्रचलित हैं। स्तोइक-वर्ग के विद्वानों के बाद ग्रीक विद्वानों का अल्लेक्सेंद्र-सम्प्रदाय (Alexandrian School) आता है। इन विद्वानों ने ग्रीक भाषा के प्राचीन कवियों की कविताओं को लोगों को समझाने के लिए कुछ अध्ययन प्रारम्भ किया। इस अध्ययन के फलस्वरूप शब्दों के नियमित या सादृश्य से प्रभावित तथा अनियमित रूपों की ओर ध्यान गया। साथ ही, अर्थ को समझने में कुछ 'अर्थविज्ञान' पर भी प्रकाश पड़ा।

५. डियोनीसिअस थ्रेक्स (२री सदी ई० पू०)—ग्रीक भाषा के प्रथम वैयाकरण थ्रेक्स महोदय हैं। इनका प्रधान कार्य पुरुष, काल, लिंग तथा वचन आदि पर प्रकाश डालना है। यूरोप में 'स्वर के स्वयं उच्चरित होने तथा व्यंजन के स्वर की सहायता से उच्चरित होने की बात' सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। इसके अतिरिक्त, कर्ता और क्रिया के सम्बन्ध पर भी इन्होंने सम्यक् विचार किया है। थ्रेक्स के

बाद इनकी एक शिष्य-परम्परा चलती रही जिसमें अपोलोनस, दिसकोलस अधिक प्रसिद्ध हैं। दिसकोलस ने प्रमुख रूप से वाक्यविज्ञान पर कार्य किया था। बाद में भी ग्रैक्स और दिसकोलस को आधार मानकर बहुत से ग्रंथ लिखे गये।

६. यूरोप में भाषा के प्राचीन अध्ययन का अंतिम युग—ग्रीस और रोम से संपर्क बढ़ने पर आदान-प्रदान में रोमवालों ने ग्रीस की भाषा-अध्ययन-प्रणाली को भी अपनाया। जिनके फलस्वरूप लैटिन के भी व्याकरण लिखे जाने लगे। प्रथम प्रामाणिक लैटिन व्याकरण लिखने का श्रेय १५वीं शती के एक विद्वान् लौरेंशस वाल को है। इसी समय ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा जिसका फल यह हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट (Old Testament) का अध्ययन ग्रीस और रोम में होने लगा। इन परिस्थितियों में विद्वानों को ग्रीक, लैटिन और हिब्रू (Old Testament की भाषा) भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का अवसर मिला। धार्मिक भाषा होने के कारण लोग हिब्रू को स्वर्ग में बोली जाने वाली तथा भाषाओं की जन्मी मानते थे। इसी आधार पर मिलते-जुलते शब्दों के कोश बनने लगे और यूरोपीय भाषाओं के अनेक शब्दों के हिब्रू के शब्दों से व्युत्पत्ति की दृष्टि से सम्बन्धित माना गया। ऐसे अनुमानों को एक मात्र आधार ध्वनि-साम्य तथा कभी-कभी अर्थ-ध्वनि-साम्य था। इसी सिलसिले में विद्वानों ने सीरियन और अरबी आदि का भी कुछ अध्ययन किया।

नवीन युग में कुछ पहले जगमग-आन्दोलन (renaissance) के कारण सभी लोगों का ध्यान अपनी प्राचीन भाषाओं की ओर गया। फल यह हुआ कि कोश आदि में व्युत्पत्ति के लिए लोग प्राचीन शब्दों को भी देने लगे। इन प्राचीन धार्मिक एवं नवीन सामाजिक आन्दोलनों से भाषा के अध्ययन में निम्नांकित महत्वपूर्ण बातें घटित हुईं—(क) तुलनात्मक अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान गया। (ख) विद्वानों को कुछ-कुछ इस बात का संकेत मिला कि शब्द धातुओं पर आधारित हैं। (ग) लैटिन तथा ग्रीक के मूलतः किसी एक भाषा से निकले होने का आभास मिला। (इस प्रकार, भाषा-परिवारों के ज्ञान का मूल भी यही है)।

प्रसिद्ध दार्शनिक लिबनिज भी भाषा के अध्ययन का प्रेमी था। उसी से प्रभावित होकर पीटर-महान् ने शब्दों का संग्रह करवाया। रानी कैथरिन-द्वितीय ने भी इस कार्य में प्रोत्साहन दिया। इन्हीं लोगों के फलस्वरूप पल्ट्स, हर्व्स तथा एडलंग आदि विद्वानों ने शब्द-संग्रह के सुन्दर कार्य किये। १८वीं सदी में काम करने वालों में हर्डर और जेनिश के नाम अधिक महत्वपूर्ण हैं। रूसी ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में निर्णय-सिद्धान्त को ठीक माना था। इस सिद्धान्त की अव्यावहारिकता भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय हम देख चुके हैं। इसी प्रकार, कंडिलैक ने भावाभिव्यंजक स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पत्ति का आधार माना था। उत्पत्ति के प्रश्न के सम्बन्ध में जे० जी० हर्डर का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। हर्डर ने १७७२ में बर्लिन एकेडमी के लिए 'भाषा की उत्पत्ति' नामक निबन्ध लिखा जिसमें उन्होंने दैवी उत्पत्ति का सफलता के साथ खंडन किया। साथ ही, उन्होंने यह भी नहीं माना कि मनुष्य ने भाषा बनायी। उनका कहना यह था कि आवश्यकता के कारण भाषा का स्वाभाविक विकास हुआ।

(ब) आधुनिक

जिस प्रकार भारत में भाषा-सम्बन्धी आधुनिक अध्ययन यूरोपीय विद्वानों के संसर्ग से आरम्भ हुआ, उसी प्रकार यूरोप में वैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ भारतीय विद्वानों के संसर्ग से हुआ। यूरोपीय विद्वान् भारत में संस्कृत सीख कर ही वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन में सफल हो

सके। यों इसका आशय यह नहीं कि नवीन अध्ययन एक मात्र संस्कृत के ज्ञान के कारण हुआ। उसे पूर्व और नव युगों में बाँटा जा सकता है।

पूर्व युग

हम ऊपर संस्कृत के यूरोप में प्रवेश के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता मिलने का उल्लेख कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में प्रथम कार्य फ्रांसीसी पादरी कोर्दो (Coourdoux) का १७६७ में ही हुआ था जब उसने ग्रीक, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं के कुछ शब्दों से संस्कृत शब्दों की तुलना करने का प्रयास किया था।

१. सर विलियम जोन्स (१७४६-१७९६)—जोन्स साहब कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस थे। यहाँ आपने संस्कृत का अध्ययन किया तो आपको यूरोपीय भाषाओं से अनेक दृष्टियों से अभूतपूर्व साम्य दिखाई पड़ा। १७९६ में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की नींव डालते हुए आपने संस्कृत के महत्त्व की घोषणा की और संस्कृत को कई बातों में ग्रीक और लैटिन से भी श्रेष्ठ बतलाया। *The Sanskrit language whatever be its antiquity, is a wonderful structure : more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.* इनकी इस घोषणा के बाद अन्य यूरोपीय विद्वानों का ध्यान संस्कृत की ओर आकर्षित हुआ। जोन्स महोदय ने अपने इसी व्याख्यान में शब्द, धातु तथा व्याकरण की दृष्टि से ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा पुरानी फ़ारसी को एक मूल से निकली होने का अनुमान लगाया था।

२. हेनरी थॉमस कोलब्रुक (१७६५-१८३७)—कोलब्रुक भी संस्कृत के विद्वान् थे। इन्होंने संस्कृत के सम्बन्ध में बहुत से निबन्ध लिखकर जोन्स के कार्य को आगे बढ़ाया। ये संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अरबी तथा फ़ारसी के भी विद्वान् थे।

३. फ्रीड्रिख वान श्लेगल् (१७७२-१८२६)—श्लेगल् भी संस्कृत के विद्वान् थे। इन्होंने केवल भाषा की दृष्टि से संस्कृत को न पढ़कर दर्शन और काव्य का भी अवगाहन किया था। आपने पेरिस जाकर १८०३ में एक सिपाही अलेक्जेंडर हैमिल्टन से, जो युद्ध का कैदी था, संस्कृत पढ़ी थी और बाद तक ज्ञानवृद्धि करते रहे। भारतीय भाषा और ज्ञान के सम्बन्ध में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ (*On the Language and the Wisdom of the Indians*) १८०८ में प्रकाशित हुआ। इन्हीं के कारण जर्मनी में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। तुलनात्मक व्याकरण के विषय में भी आवाज उठाने वाले प्रथम विद्वान् श्लेगल् ही हैं। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान् भी श्लेगल् ही हैं। इन्होंने भाषाओं को २ वर्गों में रक्खा—(१) संस्कृत तथा सगोत्रीय भाषाएँ—श्लेगल् द्वारा दी गई इस वर्ग की परिभाषा बहुत कुछ आज के श्लिष्ट वर्ग से मिलती-जुलती है। (२) अन्य भाषाएँ—इस वर्ग को श्लेगल् लगभग अश्लिष्ट-वर्गीय मानते हैं जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग आदि जोड़े जाते हैं। इस दूसरी शाखा के अंतर्गत वे चीनी भाषा को स्थान देते हैं, पर साथ ही उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अन्य भाषाओं से चीनी कुछ भिन्न है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से २ वर्ग बनाते हुए भी श्लेगल् ने संसार की भाषाओं को तीन वर्गों में बाँटा है।

४. अडोल्फ़ डब्ल्यू० श्लेगल् (१७६७-१८४५)—ये श्लेगल् के बड़े भाई थे और उन्हीं की भाँति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। फ्रीड्रिख श्लेगल् द्वारा किये गये भाषाओं के अप्रत्यक्ष तीन वर्गों को इन्होंने स्पष्ट किया।

५. बिल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट (१७६७-१८३५) — हम्बोल्ट प्रधान रूप से राजनीति से सम्बन्धित थे, पर भाषाविज्ञान के भी गंभीर अध्येता थे। इस सम्बन्ध में बॉप-जैसे प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी का इनसे पत्र-व्यवहार भी हुआ था। इतना ही नहीं, इनके विचारों से प्रभावित होकर ग्रिम जैसे विश्व-विश्रुत भाषाशास्त्रवेत्ता को अपने कुछ सिद्धान्तों को बदलना पड़ा था। भाषाविज्ञान के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त इनके पूर्णतः अपने हैं। इनकी शैली इतनी सूत्रात्मक और क्लिष्ट थी कि इनके विचारों को सार-रूप में कहना वेस्पर्सन जैसे विद्वान् भी एक कठिन कार्य मानते रहे हैं। हम्बोल्ट के शिष्य हेमैन स्टेन्थल ने इनके विचारों को कई प्रकार से कई बार समझाया है और आश्चर्य यह है कि प्रत्येक बार समझाना पिछली बार से भिन्न है। भाषाविज्ञान को इनकी सबसे बड़ी देन इनका भाषा-अध्ययन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण इतना व्यापक था कि इनको तुलनात्मक भाषाविज्ञान का पिता कहा गया है। जावा की भाषा का इन्होंने विशेष अध्ययन किया था और उस सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी थी।

६. रैज्मस रैस्क (१७८७-१८३२) — रैस्क डैनिश विद्वान् थे। ये शैवावस्था से ही व्याकरण से विशेष प्रेम रखते थे। बड़े होने पर इन्होंने प्राचीन नार्स (आइसलैंड की) भाषा का अध्ययन किया। इनकी प्रथम पुस्तक 'आइसलैंडिक व्याकरण' १८११ में प्रकाशित हुई जो उस समय के लिए अभूतपूर्व पुस्तक थी। १८१४ में इन्होंने प्राचीन नार्स पर एक बहुत सुन्दर निबन्ध लिखा। उसे देखते हुए बहुत से विद्वान् रैस्क को आधुनिक भाषाविज्ञान का पिता मानने के पक्ष में हैं। रैस्क के अनुसार, किसी देश का इतिहास पुस्तकों की अपेक्षा वहाँ की भाषा के गठन एवं शब्द-समूह से अच्छी तरह जाना जा सकता है। विशेषतः उस काल के लिए, जिसकी कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध न हो, भाषा से उत्तम और कोई साधन नहीं है। रैस्क भारतवर्ष भी आये थे। अवेस्ता को आर्य-परिवार में उचित स्थान दिलाने का श्रेय इन्हीं को है। इनके पूर्व के विद्वानों का मत इस सम्बन्ध में नितान्त भ्रामक था। इसके अतिरिक्त, रैस्क ने ही सर्वप्रथम द्रविड़ भाषाओं को—जिन्हें वह 'मालाबारिक' कहते हैं—संस्कृत से पूर्णतया भिन्न बतलाया। कीलाक्षरीय लेखों के दो अस्पष्ट वर्णों को पढ़ने में भी पहले-पहल रैस्क ही सफल हुए।

७. योकोब ग्रिम (१७८५-१८६३) — फेयरी टेल्स के लेखक यही ग्रिम महोदय हैं। इनका जन्म जर्मनी में एक वकील-परिवार में हुआ था। इन्होंने स्वयं भी वकालत पढ़ी थी। बाद में प्राचीन जर्मन के अध्ययन की ओर झुके। अपने भाई बिल्हेम के साथ इन्होंने लोक-संस्कृति-सम्बन्धी बहुत-सी सामग्री इकट्ठी की और कुछ प्रकाशित भी की। प्राचीन पंडितों की भाँति पहले ये भी भाषा के सम्बन्ध में आनुमानिक व्युत्पत्तिशास्त्र पर काम कर रहे थे, पर रैस्क के कार्य और श्लेगल की आलोचना से इन्हें होश आया और तब इन्होंने प्राचीन जर्मन और सगोत्रीय भाषाओं का गंभीर अध्ययन प्रारम्भ किया। रैस्क के 'आइसलैंडिक व्याकरण' का परिचय देते हुए इन्होंने बोलियों और असभ्य भाषाओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे। अब तक लोगों का अध्ययन केवल प्राचीन भाषाओं तक सीमित था, पर ग्रिम ने ही सर्वप्रथम वर्तमान भाषाओं और बोलियों के अध्ययन पर जोर दिया। ग्रिम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक उनका 'देवभाषा व्याकरण' (Deutsche Grammatik) है। जर्मन भाषा का यह व्याकरण १८१६ में प्रकाशित हुआ। जैसा कि भूमिका में उन्होंने लिखा है, यह अपने ढंग का प्रथम व्याकरण था। इसमें पूरा दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। १८२२ में इसका दूसरा संस्करण निकला जिस पर रैस्क के व्याकरण का बहुत प्रभाव था। इन्होंने स्वयं रैस्क की बहुत

तारीफ की है। इस दूसरे संस्करण में ध्वनि-प्रकरण में नवीनता थी। इसी प्रकरण में इन्होंने Lautverschiebung (वर्ण-परिवर्तन) का विवेचन किया है जिसे मैक्समूलर के बाद से ग्रिम-नियम कहा जाने लगा। यद्यपि इसका बीज रैस्क में है : अतः उचित नाम तो 'रैस्क-नियम' ही होता।

८. फ्रान्स बॉप—उस युग के भाषाविज्ञान के प्रधान रत्न-मों में रैस्क और ग्रिम के अतिरिक्त बॉप का भी नाम आता है। ये अपनी अवस्था के बीस वर्ष समाप्त करने के बाद ही पेरिस जा पहुँचे और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करने लगे। बॉप भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। इस सम्बन्ध में इनकी प्रथम पुस्तक 'धातु प्रक्रिया' १८१६ में प्रकाशित हुई जिसमें ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, जर्मन तथा संस्कृत के रूप तुलनात्मक ढंग से दिये गये थे। १९वीं सदी के दूसरे घरण में (१८३३ और १८४६ के बीच में) इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'तुलनात्मक व्याकरण' प्रकाशित हुई। तुलनात्मक व्याकरण की प्रथम पुस्तक यही है। विद्वान् लेखक ने संस्कृत, अवेस्ता, आर्मीनीयन, ग्रीक, लैटिन, लिथुआनियन, प्राचीन स्लावियन, गॉथिक तथा जर्मन का तुलनात्मक व्याकरण दिया है। बॉप प्रधानतः इस बात का अध्ययन करना चाहते थे कि व्याकरण के रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई ? इसके लिए उन्होंने संस्कृत को अपनाया। वे यह निश्चित रूप से मानते थे कि संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन आदि का विकास किसी एक भाषा से हुआ है, पर साथ ही यह भी मानते थे कि उस मूल भाषा की विशेषताएँ संस्कृत में औरों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं। हम्बोल्ट आदि की भाँति बॉप का भी विश्वास था कि प्रत्यय कभी-न-कभी स्वतंत्र शब्द अवश्य थे।

९. पश्च पर एक दृष्टि—यूरोप में संस्कृत के प्रवेश से ११वीं सदी के मध्य तक भाषाविज्ञान का जो अध्ययन हुआ, समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर भी अध्ययन की गहराई और दृष्टिकोण की व्यापकता की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है कि आगे के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी हो गई थी। इसीलिए इस युग को कुछ लोगों ने 'सामग्री-संग्रह-युग' का नाम दिया है। इन पाँच दशकियों के अध्ययन की मुख्य प्रवृत्तियों को हम उँगलियों पर गिन सकते हैं—(१) संस्कृत का विशेष महत्व माना जाता था और इसी कारण सभी भाषाविज्ञानी संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे। (२) प्राचीन क्लासिकल भाषाओं का ही अध्ययन प्रधान रूपों से किया जाता था। वर्तमान भाषाओं का यदि थोड़ा-बहुत अध्ययन हुआ भी तो उनमें भी पुरानी भाषाओं के ही लक्षणों को खोजने की धुन थी। (३) कुछ-कुछ तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन भी होने लगा था, पर प्रायः सामान्य लक्षणों पर ही अधिक बल दिया जाता था। (४) परिवारों की कल्पना अपने धुँधले रूप में आने लगी थी। (५) आकृतिमूलक वर्गीकरण की ओर भी लोगों का पर्याप्त ध्यान जाने लगा था। (६) प्रत्ययों को लोग मूलतः सार्थक शब्द मानने लगे थे। (७) भाषाविज्ञान को लोग अन्य विद्वानों की भाँति निश्चित विज्ञान बनाने की आशा रखते थे।

१०. आगस्ट एफ० पॉट—ये वैज्ञानिक व्युत्पत्तिशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने इस सम्बन्ध में एक बड़ी पुस्तक भी लिखी।

११. कें० एम० रैप—रैप ग्रिम के समकालीन थे। इन्होंने ध्वनिशास्त्र का अच्छा अध्ययन किया था। इस सम्बन्ध में इन्होंने एक बड़ी पुस्तक भी लिखी जिसके चार भाग क्रम से १८३६, '३६, '४०, और '४१' में प्रकाशित हुए। ये जीवित भाषा के अध्ययन को आवश्यक मानते थे। ध्वनि के सम्बन्ध में रैप का अध्ययन स्तुत्य है। ध्वनि और लिपि में विशुद्ध सम्बन्ध की स्थापना करके उन्होंने जो ध्वन्यात्मक अनुलेखन (phonetic transcription)—मृत और जीवित, दोनों ही भाषाओं

का—किया है, वह भी कम श्लाघ्य नहीं है। येस्पर्सन के इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि यदि ग्रिम आदि विद्वानों ने रैप के मौलिक मूल सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया होता तो भाषाविज्ञान के अध्ययन की प्रगति और तीव्र हो गई होती।

१२. जे० एच० ब्रेड्सटार्फ—ब्रेड्सटार्फ हैनिस विद्वान् थे। ग्रिम, बॉप आदि ने भाषा के विकास के कारण पर ध्यान नहीं दिया था। इस ओर संकेत करने का प्रथम श्रेय ब्रेड्सटार्फ को है। इस विषय पर इनका ग्रन्थ १८२१ में प्रकाशित हुआ। यों तो ये प्रधानतः ध्वनिशास्त्र के विशेषज्ञ थे, पर उक्त ग्रन्थ में इन्होंने भाषा के सामान्य परिवर्तन के कारणों पर भी विचार किया और उन्हें उदाहरणों द्वारा स्पष्ट भी किया। संक्षेप में, हम कारणों को गिन सकते हैं—१. शब्दों की अशुद्ध सुनना या उनके अर्थ को न समझना, २. अशुद्ध स्मरण, ३. ध्वनि-अव्यय की अपूर्णता, ४. आलस्य (विदेशी प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों के अतिरिक्त होने वाले ध्वनि-परिवर्तन में लगभग ६० प्रतिशत का कारण ब्रेड्सटार्फ इस 'आलस्य' को ही मानते हैं।) ५. सादृश्य की ओर जाने की प्रवृत्ति, ६. स्पष्ट होने का प्रयास तथा ७. नये विचारों को अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त ब्रेड्सटार्फ यह भी मानते थे कि कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो उपर्युक्त कारणों से घटित हुए नहीं कहे जा सकते और उनमें से अधिक के मूल में विदेशी प्रभाव कार्य करता है। यह कहना न्यायसंगत ही होगा कि बहुत-सी बातों में (सादृश्य आदि) ब्रेड्सटार्फ अपने युग से बहुत आगे थे।

१३. आगस्ट श्लाइखर (१८२१-६८)—यूरोप में संस्कृत-प्रवेश के समय से भाषाविज्ञान का आधुनिक युग मानकर यदि हम इस युग के दो भाग कर दें, तो प्रथम चरण के ऊर्ध्व बिन्दु पर श्लाइखर आसीन मिलते हैं। इनके बाद आधुनिक युग का दूसरा चरण आरम्भ होता है जिसके ध्येय और मार्ग दोनों ही कुछ भिन्न हैं। श्लाइखर स्लावोनिक और लिथुआनियन के विशेषज्ञ थे और विशेषतः लिथुआनियन को तो वहाँ जाकर उन्होंने सीखा तथा बहुत-सी कलाओं और गीतों को वहाँ के किसानों के मुँह से सुनकर नोट भी किये थे। वे कुछ दिन तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक थे जहाँ उन्हें जेक सीखने का भी अवसर मिला। रूसी का भी उन्हें ज्ञान था। इस प्रकार, कई भाषाओं के वे ज्ञाता थे। शैशवावस्था में उनके पिता उन्हें ग्राम्य वातावरण से दूर रख कर शुद्ध भाषा की शिक्षा देना चाहते थे। इनकी प्रतिक्रिया इतनी हुई कि जनभाषा की ओर ही वे विशेष झुके और लोकगीतों पर पुस्तकें तक लिखीं। डारविन की भाँति वे भाषा को भौतिक वस्तु मानते थे। इसके लिए विरोध भी हुआ था जिसके फलस्वरूप, उत्तर में उन्हें एक पुस्तक लिखनी पड़ी। भौतिकविज्ञान से भाषा को वे इतनी संबद्ध मानते थे कि मनुष्यों का वर्गीकरण खोपड़ी या बालों के आधार पर न कर, भाषा के आधार पर करना अधिक ठीक मानते थे। उनका कहना था कि भाषा अधिक स्थिर चीज है। हीगेल के त्रयवाद (trilogies) के आधार पर श्लाइखर ने भाषाओं के तीन वर्ग बनाये—(क) अयोगात्मक भाषाएँ—जिनमें ध्वनि से अर्थ का बोध होता है। (ख) अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ—जिनमें ध्वनि से अर्थ और सम्बन्ध दोनों का बोध होता है। (ग) श्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ—अर्थ और सम्बन्ध प्रकट करने वाले अंग आपस में मिले रहते हैं।

श्लाइखर की सबसे मौलिक देन मूल भारोपीय भाषा का पुनर्निर्माण है। इसके पुनर्निर्माण का विचार उनके मस्तिष्क में बहुत पहले से नाच रहा था, पर अपने प्रसिद्ध पुस्तक 'कम्पेडियम' के पूर्व से इस पर विस्तारपूर्वक विचार न कर सके। इस पुस्तक में उन्होंने उस मूल भाषा के स्वर, व्यंजन, धातु तथा रूप-रचना आदि पर स्वतन्त्र अध्यायों में विचार किया। मूल भाषा के सम्भावित रूपों को देते

हुए उनसे निकलने वाले संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा गाथिक आदि रूपों को भी दिया। इन संभावित रूपों में उन्होंने एक कहानी 'Avis Akvasas Ka' भी लिख डाली। १९वीं सदी के अंतिम तथा २०वीं सदी के प्रथम चरण के प्रसिद्ध भाषाशास्त्रवेत्ता कार्ल वुगमान इन्हीं के शिष्य थे।

१४. गेओर्ग कुर्टियस (१८२०-१८८५)—कुर्टियस श्लाइखर के समकालीन थे। भाषावैज्ञानिक विद्वत्ता में उस युग में श्लाइखर के बाद इन्हीं का नाम आता है। इसी कारण, नवीन भाषाविज्ञानियों की आलोचना की कटु बौद्धार श्लाइखर की मृत्यु के बाद कुर्टियस को ही सहनी पड़ी। ध्वनि-नियमों में इनका भी विश्वास था, पर नवयुग के विद्वान् की भाँति ये इस बात को नहीं मानते थे कि ध्वनि-नियम के अपवाद नहीं होते। नवयुग के विद्वान् प्राचीन भाषाओं की पद-रचना में भी सादृश्य का बहुत अधिक प्रभाव मानने लगे थे, पर कुर्टियस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। नवयुग की इन मान्यताओं के विरुद्ध कुर्टियस ने अपने अन्तिम काल में एक पुस्तक भी लिखी। इस प्रकार अंत तक ये नवीनतावादियों के विरुद्ध लड़ते रहे।

१५. निकोलई मैडविग—ये प्रमुखतः ग्रीक और लैटिन के विद्वान् थे। भाषाविज्ञान के सामान्य नियमों के विवेचन की ओर इनकी अभिरुचि थी। भाषा के सम्बन्ध में रहस्यवादी भावनाओं या दैवी बातों के ये विरोधी थे। तर्कवाद इनका मूल मंत्र था, पर इस तर्कवाद की धारा में ये इतने आगे बढ़ गये कि हम्बोल्ट आदि ने जिस ध्वनि-प्रतीकवाद (sound-symbolism) पर इतना बल दिया था कि उसकी स्थिति ही अस्वीकार कर दी। व्युत्पत्ति एवं ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन को बहुत अधिक महत्त्व नहीं देते थे। विद्वान् होने पर भी केवल डैनिश भाषा में लिखने के कारण ये अधिक प्रसिद्धि न प्राप्त कर सके।

१६. फ्रेडरिख मैक्समूलर (१८२३-१९००)—भाषाविज्ञान का इतना अध्ययन हुआ, किन्तु अभी तक उसका प्रचार केवल उसके विद्वान्-वर्ग में था। अन्य लोग उससे पूर्णतः अपरिचित थे। इस परिचय कराने के कार्य को मैक्समूलर ने किया। १८६१ में उन्होंने कुछ व्याख्यान दिये जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। इनकी शैली इतनी रोचक थी कि इस सूखे विषय को भी उन्होंने मनोरंजक बना दिया और इसका फल यह हुआ कि भाषाविज्ञान की ओर बहुत से लोग झुके। पुस्तकें जितनी मैक्समूलर की मनोरंजक और आकर्षक हैं, उतनी गहरी नहीं हैं। ध्यान से देखने पर उनमें ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहाँ वे किसी प्रश्न को लेकर चलते हैं और बीच से ही मनोरंजक व्युत्पत्ति आदि के फेर में पड़कर अपना मूल विषय ही भूल जाते हैं। प्रचार-कार्य के साथ ही मैक्समूलर ने जो सबसे बड़ा कार्य किया, वह उनका संग्रह-कार्य है। परिचय देने के लिए उन्होंने भाषा के उद्गम, भाषा की प्रकृति, भाषा का विकास, विकास का कारण तथा भाषाओं का वर्गीकरण आदि विषयों पर हुए कार्यों को एकत्र कर दिया। मैक्समूलर भारत के बहुत बड़े हिमायती थे। भारतीय भाषा का विकास, विकास का कारण तथा भाषाओं का वर्गीकरण आदि विषयों पर हुए कार्यों को एकत्र कर दिया। मैक्समूलर भारत के बहुत बड़े हिमायती थे। भारतीय भाषा, साहित्य एवं दर्शन को संसार में उचित स्थान दिलाने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर है। 'पूरब की पवित्र पुस्तकें' माला में उन्होंने पदासों पुस्तकों के अनुवाद किये हैं। भाषाविज्ञान से सम्बन्धित इनके तीन अन्य कार्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। इनके पूर्व विद्वानों का ध्यान अर्थविज्ञान पर प्रायः नहीं के बराबर था। इन्होंने पहले-पहल इसकी ओर ध्यान दिया। आर्यों की मूल भाषा पर तो विचार हुआ था, पर उनके मूल स्थान पर विशेष नहीं। मैक्समूलर ने इस पर भी पर्याप्त कार्य किया और मूल स्थान मध्य एशिया निश्चित किया। इनका तीसरा कार्य नागरी

लिपि के प्रचार का है। इनके पूर्व यूरोप आदि में कौन कहे, भारत के भी सभी प्रान्तों में नागरी लिपि का प्रचार नहीं था। इनके प्रयास के फलस्वरूप यूरोप तथा भारत दोनों ही में इसकी वैज्ञानिकता सराही गई और संस्कृत आदि के लिए इसका प्रयोग होने लगा।

१७. विलियम ड्वाइट हिवटनी (१८२७-१८६४)—भाषाविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम अमेरिकी विद्वान् हिवटनी हैं। ये न्यू-हेवन के येल कॉलिज में संस्कृत तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अध्यापक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक 'भाषा और भाषा का अध्ययन' १८६७ में लिखी। दूसरा ग्रन्थ 'भाषा का जीवन और विकास' १८७५ में लिखा गया। इनका संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण १८७६ में निकला जो अपने ढंग का अकेला है। विद्वत्ता की दृष्टि से ये मैक्समूलर से अधिक योग्य कहे जाते हैं। किन्तु अंग्रेजी शासन से प्रोत्साहन न मिलने के कारण भारत में इनका यथोचित आदर एवं प्रचार न हो सका जिसका इन्हें बहुत दुःख था। इनकी शैली मैक्समूलर की अपेक्षा कम आकर्षक थी, पर दूसरी ओर उनकी अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर थी। मैक्समूलर से इनकी प्रतिद्वन्द्वता चली। इन्होंने उनके बहुत से काल्पनिक सिद्धान्तों की आलोचना की और उन्हें ठीक भी किया। मैक्समूलर ने अपनी पुस्तकों में उदाहरणों का कहीं-कहीं दुरुपयोग किया है। इस सबकी आलोचना भी हिवटनी ने अपने अनेक लेखों में की है। मैक्समूलर ने इन आलोचनाओं का उत्तर अपनी पुस्तक *Chips from a German Workshop* में दिया। हिवटनी ने अन्त में एक 'मैक्समूलर और भाषाविज्ञान' नाम की छोटी-सी पुस्तिका भी लिखी थी। भाषा की परिभाषा के संबंध में भी दोनों में मतभेद था। मैक्समूलर के लिए वह भौतिक वस्तुओं की थी, पर हिवटनी इसे मानवीय उद्योग के फलस्वरूप विकसित मानते थे। उनके लिए भाषा देश के मस्तिष्क की छाया थी।

नवयुग

यों तो किसी भी युग का आरम्भ किसी निश्चित सन् या दिन से नहीं होता, पर जैसा कि कहा जाता है, नवयुग का आरम्भ हम १९वीं सदी के तृतीय चरण से मान सकते हैं। इस समय भाषा-विज्ञानियों की एक नयी शाखा चली जिसे प्राचीन विद्वानों ने 'नौसिखियों की शाखा' (*Junggrammatiker*) या 'नव्य शाखा' कहा। सबसे पहले दोनों शाखाओं (प्राचीन तथा नवीन) का विरोध ध्वनि को लेकर चला। नव्य शाखावालों का, विशेषतः लेस्कीन का, कहना था कि ध्वनि-नियमों के अपवाद नहीं होते; पर प्राचीन शाखा वाले इसे मानने को तैयार न थे। इसे न मानने के लिए पर्याप्त कारण भी था। देख चुके थे कि प्रसिद्ध ग्रिम-नियम अपवादों से भरा है। इस प्रथम विरोध के बाद फिर दोनों शाखाओं में काफी चखचख रही और पुराने नयों की बड़ी हँसी उड़ाते रहे, जैसा कि प्रायः होता आया है। पर, अन्त में जैसा कि हम लोग देखेंगे, नयी शाखा की सभी बातें लगभग सत्य निकलीं जिसके फलस्वरूप प्राचीनों को झुकना पड़ा। आज नयी शाखा के सिद्धान्तों का ही बोलबाला है। इसका केन्द्र बहुत दिन तक लिपिज्ञान में रहा है।

१. हेमैन स्टाइन्थाल (१८२५-१८६६)—भाषाविज्ञानियों की नव्य शाखा का इनको अग्रणी कहा गया है। ये व्याकरण और भाषाविज्ञान के साथ-साथ तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के भी प्रकांड पंडित थे। इनके पूर्व भाषा के अध्ययन में मनोविज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता था। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान के बिना असम्भव है। स्टाइन्थाल का प्रथम ग्रंथ १८५५ में प्रकाशित हुआ जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और व्याकरण के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन किया। श्लाइखर आदि ने, जो उस समय प्रसिद्धि के ऊर्ध्व बिन्दु पर थे, इस पुस्तक की

खूब खिल्ली उड़ायी। जीवित भाषाओं के अध्येता, अस्पर्शित भाषाओं पर कार्यकर्ता एवं भाषाविज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान की महत्ता के अंगुलिनिर्देशक के रूप में स्टाइन्हाल का नाम स्मरणीय है।

२. कार्ल ब्रुगमान — नव्य शाखा के विद्वानों में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। आगे इस शाखा या युग की मूल प्रवृत्तियों के रूप में जो कुछ भी नयी बातें कही जाएंगी, लगभग सभी में इनका हाथ है। ब्रुगमान का सबसे बड़ा कार्य भारोपीय भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में है। यह बड़े-बड़े पाँच भागों में है। इनके समय तक वाक्य के सम्बन्ध में कुछ अधिक कार्य नहीं हुआ था। इन्होंने इस दिशा में भी उक्त व्याकरण के पंचम खंड में कार्य किया। हर्मन ओस्टाफ के साथ इनका मिश्रित कार्य स्प-रचना पर है। यह ग्रंथ 'नयी शाखा की बाइबिल' के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रुगमान का अनुनासिक सिद्धान्त (Sonant Nasal Theory) भी प्रसिद्ध है। इसकी खोज से भी ग्रिम-नियम की अनेक शंकाओं एवं अपवादों का समाधान हो गया है।

३. ग्रैसमैन, वर्नर, अस्कोली तथा येस्पर्सन आदि—प्रथम तीनों ही विद्वानों के नाम ध्वनि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रैसमैन ने अपने 'ग्रैसमैन-नियम' (जिसका पीछे वर्णन किया जा चुका है) की खोज की जिससे ग्रिम-नियम (दे० ध्वनिविज्ञान) के कुछ अपवाद समाप्त हो गये। शेष अपवादों को दूर करने के लिए कार्ल वर्नर ने १८७७ में वर्नर-नियम खोज निकाला। अस्कोली ने १८७० में खोज निकाला कि मूल भारोपीय भाषा की 'क' ध्वनि आगे चलकर कुछ भाषाओं में तो 'क' ही रही और कुछ में 'स' या 'श' हो गई। इसी आधार पर भारोपीय परिवार के केंतुम् और सतम् वर्ग ब्रैड के द्वारा बनाये गये। येस्पर्सन ने व्याकरण के दार्शनिक आधार, वाक्य-विज्ञान, अंग्रेजी व्याकरण तथा भाषा की उत्पत्ति और विकास पर अत्यन्त महत्वपूर्ण काम किया है।

आधुनिक भाषाविज्ञान तथा कुछ प्रमुख स्कूल

पीछे के इतिहास में हम देख चुके हैं कि भाषाविज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक और तुलनात्मक रूप में प्रारंभ हुआ था और कुछ इक्के-दुक्के अपवादों को छोड़कर लगभग सन् उन्नीस सौ तक यही स्थिति रही। बीसवीं सदी के आरंभ में ही यूरोप में प्रसिद्ध भाषाविज्ञानवेत्ता ससूर (१८७५-१९१३) ने आधुनिक भाषा की नींव रखी। उनके मूल मंत्र थे—(क) भाषा का जीवित और बोलचाल का रूप अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है; (ख) भाषाविज्ञान समकालिक (Synchronic) और ऐतिहासिक (Dichronic) दो प्रकार का है, किंतु इसमें प्रथम ही अधिक महत्वपूर्ण है; (ग) भाषा के अध्ययन का उद्देश्य उसकी आंतरिक व्यवस्था की खोज है, न कि फुटकल प्रवृत्तियों का संग्रह। ससूर के इन सिद्धान्तों ने पूरे यूरोपीय भाषाविज्ञान को प्रभावित किया तथा अमरीका आदि भी इनके दूरगामी प्रभाव से अछूते नहीं रह सके।

आधुनिक भाषाविज्ञान की गति प्रदान करने वालों में दूसरा नाम अमरीकी भाषाविद् बोआस (१८५८-१९४२) का लिया जा सकता है। ये मूलतः मानव-विज्ञानवेत्ता थे। इन्होंने भी समकालिक वर्णनात्मक अध्ययन पर बल दिया। इनका सिद्धान्त था कि व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी भाषा का विशेष पैटर्न होता है। आधुनिक भाषाविज्ञान के तीसरे स्तंभ अमरीकी विद्वान् सपीर कहे जा सकते हैं। मानवविज्ञान तथा समाजविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने भाषा के अध्ययन पर बल दिया। इनकी 'लैंग्वेज' नामक पुस्तक १९२१ में प्रकाशित हुई।

अमरीकी विद्वान् ब्रूम्फील्ड (१८८७-१९४९) को प्रायः लोग आधुनिक भाषाविज्ञान का पिता

कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'लैंग्वेज' १९३३ में प्रकाशित हुई। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की व्यवस्थित आधारशिला रखने का श्रेय इसी पुस्तक को है।

इस समय विश्व में भाषाविज्ञान के कई स्कूल हैं जिनमें प्रमुख ब्रिटिश स्कूल (इंग्लैंड के इस स्कूल के कई उपस्कूल रहे हैं जिनमें इंगलिश स्कूल, लंदन स्कूल, व्यवस्थापरक व्याकरण-स्कूल प्रमुख हैं), अमरीकी स्कूल (इसके अंतर्गत भी कई उपस्कूल आते हैं—सपीर, ऐन आर्वर, ब्लूमफील्ड, हर्वर्ड आदि), कोपेन हेगेन स्कूल, प्राग स्कूल हैं।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ

भाषाविज्ञान की आधुनिक प्रवृत्ति वर्णनात्मक (descriptive) है। यह वर्णन भी ऊपरी न होकर संरचना (structure) का किया जाने लगा है। इसीलिए इसे प्रायः संरचनात्मक भाषाविज्ञान भी कहते हैं। इसमें ध्वनि, रूप तथा वाक्य—मुख्यतः इन तीन का ही विश्लेषण किया जाता है। ध्वनियों के अध्ययन में एकसरे स्पेक्टोग्राफ, आसिलोग्राफ, काइमोग्राफ, पिचमीटर, इकराइटर, पैटर्न-प्लेबैक, स्पीच-स्ट्रेचर, फार्मेन्ट ग्राफिंग मशीन, लैरिंगोस्कोप, इंडोस्कोप, ब्रीदिंग फ्लारस्क तथा आटो फोनोस्कोप, आदि अनेक यंत्रों की सहायता बड़ी फलप्रद सिद्ध हो रही है। स्वर-व्यंजन के अतिरिक्त सुर, सुर-लहर, तान, बलाघात, संयम आदि का भी गहराई से अध्ययन हो रहा है। स्वनिमविज्ञान के सहारे भाषा के खंड्य और खंड्येतर स्वनिमों तथा उपस्वनों की खोज की जा रही है। कम्प्यूटर के सहारे ध्वनियों के वितरण पर भी काम हो रहा है। रूपिमविज्ञान तथा रूप-स्वनिमविज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं के रूपों पर काम हो रहे हैं। प्रकारात्मक (typological) एवं व्याकरणिक कोटियों (grammatical categories) की दृष्टि से भाषाओं के अध्ययन की शुरुआत भी हो चुकी है। वाक्य के क्षेत्र में पहले पदक्रम, लोप, उद्देश्य-विधेय आदि की दृष्टियों से काम होता था। इधर कुछ दिनों से निकटतम अवयव, अंतकेन्द्रिक रचना तथा बहिष्केन्द्रिक रचना आदि के आधार पर विश्लेषण होता रहा है।

अपनी अनेकानेक अच्छाइयों के बावजूद सन् १९५० के आसपास संरचनात्मक भाषाविज्ञान की कमियाँ स्पष्ट होने लगी थीं। बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना का विवेचन भाषाविज्ञान का यह रूप नहीं कर पा रहा था। चॉम्स्की ने इसका भी संकेत करते हुए अपने ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेरेटिव ग्रामर (रूपांतरक व्युत्पादक व्याकरण) की पद्धति भाषाविज्ञान-जगत् के सामने रखी। इसमें बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना का संबंध दिखलाते हुए भाषाविज्ञान की अनेक गुत्थियाँ सुलझाई गईं। इसके पूर्व भाषाविज्ञान केवल भाषा के प्रयुक्त रूप का अध्ययन करता था। अब वह भाषा की संभाव्य क्षमता का विश्लेषण भी अपना एक मुख्य विषय मानने लगा। पाइक का टैगमीमिक्स (बंधिमविज्ञान), हैलिडे का सिस्टिमिक व्याकरण (व्यवस्थापरक व्याकरण) तथा लैब का रिट्रैक्टिफिकेशनल ग्रामर (स्तरिकृत चॉम्स्की की पद्धति)। १९७० के आसपास फ़िल्मोर ने भाषा-विश्लेषण की एक नयी पद्धति विकसित की जिसका नाम केस ग्रामर (कारकीय व्याकरण) है। इस पद्धति में कारकीय संबंधों के आधार पर वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। अपने यहाँ भी पाणिनि और भर्तृहरि में कारकों के आधार पर वाक्य के गंभीर विश्लेषण की बात संकेतित है। इधर संबंधपरक व्याकरण (रिलेशनल ग्रामर) तथा संदर्भ-अर्थविज्ञान (प्रॉग्रेमेटिक्स) के आधार पर भाषा-विश्लेषण भाषाविज्ञान की नवीनतम नवीनता है।

इधर भाषाविज्ञान की अनेक नई-पुरानी शाखाओं-उपशाखाओं में उपयोगी काम हो रहे है।

भाषा-भूगोल तथा बोलीविज्ञान के क्षेत्र में कुछ देशों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। रूस आदि कुछ देशों को छोड़कर अर्थविज्ञान को भाषाविज्ञान से प्रायः बाहर-सा कर दिया गया था, किंतु अब उसे भी ले लिया गया है। संरचना की दृष्टि से उस पर भी काम होने लगा है। कोशविज्ञान, भाषा-कालक्रम-विज्ञान, व्यक्ति-भाषा-विकास तथा नामविज्ञान आदि क्षेत्रों में भी काम चल रहा है। भू-भाषाविज्ञान (geolinguistics) अपेक्षाकृत नयी शाखा है जिसमें विश्व में भाषाओं के वितरण, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का; भाषाएँ कैसे एक-दूसरे को तथा राष्ट्रों की संस्कृति को प्रभावित करती हैं तथा विभिन्न राष्ट्रों की भाषिक समस्याओं का हल कैसे हो सकता है, आदि का अध्ययन किया जा रहा है। प्रायोगिक (applied) भाषाविज्ञान में दूसरी भाषा की शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, अनुवाद, लिपि-सुधार तथा उच्चारण-सुधार आदि की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित है। गणित इधर सभी विज्ञानों में प्रवेश करता रहा है और भाषाविज्ञान भी अपवाद नहीं है। उसके सूचना सिद्धान्त (information theory) तथा सांख्यिकी (statistics) भाषाविज्ञान के लिए धीरे-धीरे अनिवार्य होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी के अच्छे टाइपराइटर के लिए आवश्यक है कि हिंदी ध्वनियों के प्रयोग का प्रतिशत निकाला जाय। हिंदी की विभिन्न स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के लिए इसी प्रकार हिन्दी के शब्दों, रूपों एवं व्याकरण के नियमों के प्रयोग-प्रतिशत की जानकारी आवश्यक है। स्पष्ट ही, इनके लिए गणित का सहारा लेना अनिवार्य है। वों ये तो सामान्य बातें हैं, उच्च स्तर पर और भी कई प्रकार से गणित अनिवार्य होता जा रहा है। गणितीय भाषाविज्ञान तथा सांख्यिकीय भाषाविज्ञान नाम की नयी शाखाएँ इन्हीं उद्देश्यों के लिए विकसित हुई हैं। मशीन से अनुवाद के क्षेत्र में प्राथमिक तैयारी के रूप में इधर काफ़ी काम हो रहा है। सिस्टेमिक व्याकरण एवं रूपांतरण, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसके लिए बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। किंतु सब ले-देकर अभी इस दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। शैलीविज्ञान में साहित्यिक अभिव्यंजना का भाषाविज्ञान के स्तर पर विश्लेषण हो रहा है। मनोभाषाविज्ञान में विचार और अभिव्यक्ति से सम्बद्ध तथा इसी प्रकार की भाषा के अन्य ऐसे पक्षों पर विचार हो रहा है जो मनोविज्ञान से सम्बद्ध हैं। समाज-भाषाविज्ञान में समाज को पृष्ठभूमि में रखकर भाषा को देखा तथा सामाजिक स्तर से सम्बद्ध किया जा रहा है। प्रोक्ति-विश्लेषण आदि भाषा-विश्लेषण की कुछ नयी दिशाएँ भी इधर विकसित हो गई हैं। इस प्रकार, भाषाविज्ञान दिनोदिन अधिक वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण, गहरा तथा विस्तृत होता जा रहा है। पहले तो यह अन्य विज्ञानों से सहायता ही लेता था, किन्तु अब मनोविज्ञान, यांत्रिकी, तर्कशास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि अनेक ज्ञानक्षेत्रों की सहायता करता हुआ मानवता की अधिकाधिक सेवा के लिए अग्रसर हो रहा है।

परिशिष्ट

(१) लहर-सिद्धान्त (Wave Theory)—जे० शिमिट ने १८७२ में ध्वनि-परिवर्तन के प्रसंग में लहर-सिद्धान्त भाषाविज्ञान के विद्वानों के समक्ष रखा। आशय यह है कि जैसे पानी की लहर एक बिंदु पर उत्पन्न होकर चारों ओर धीरे-धीरे फैल जाती है, उसी प्रकार भाषा-परिवर्तन भी एक व्यक्ति से आरम्भ होकर चारों ओर संसर्ग से धीरे-धीरे समाज में फैल जाता है। इसे बहुत लोगों ने ध्वनि-परिवर्तन के कारण के रूप में लिया है, किन्तु वस्तुतः यह कारण नहीं है। यह सिद्धान्त तो मात्र यह बतलाता है कि ध्वनि-परिवर्तन एक जगह आ जाने या घटित होने के बाद कैसे फैलता है।

(२) सादृश्य (Analogy)—मनुष्य स्वभावतः सरलता का प्रेमी होता है। उसका यह स्वभाव भाषा में भी कार्य करता है। यह किसी पुराने शब्द को किसी पुराने शब्द के वजन पर उसकी आकृति के साँचे में ढाल लेता है और इस प्रकार दोनों शब्द रूप की दृष्टि से एक-से हो जाते हैं, या दोनों में सादृश्य (या रूप-सादृश्य) हो जाता है। जैसे संस्कृत में 'द्वादश' के वजन पर संस्कृत वालों ने 'एकदश' को 'एकादश' बना लिया। सैतिस और सैतालिस की अनुनासिकता पैतिस और पैतालिस के सादृश्य पर ही आधारित है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा के आरंभ-काल में बहुत रूप रहे होंगे। धीरे-धीरे सादृश्य के आधार पर रूपों की विभिन्नता दूर हुई होगी। अंग्रेजी की बली (strong) क्रियाएँ इसी आधार पर धीरे-धीरे बलहीन (weak) होती जा रही हैं। एक समय ऐसा भी असम्भव नहीं है जबकि एक भी बली क्रिया अंग्रेजी में शेष न रहे।

(३) मिथ्या सादृश्य (False Analogy)—सर्वप्रथम रोमांस भाषाओं के अध्ययन में लोगों का ध्यान इस ओर गया। उस समय लोग इसे सादृश्य न कह कर मिथ्या सादृश्य कहते थे। बाद में इस आधार पर कि सभी सादृश्य मिथ्या हैं, 'मिथ्या' शब्द को निरर्थक समझा गया और 'मिथ्या सादृश्य' के स्थान पर 'सादृश्य' का प्रयोग होने लगा।

क्या सादृश्य एक कारण है ?—अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि सादृश्य स्वयं एक कारण है और इसी कारण से परिवर्तन होते हैं। यथार्थतः यह बात नहीं है। सादृश्य पर आधारित परिवर्तनों का कारण सादृश्य नहीं है। उसका कारण तो सुविधा, सरलता आदि है। सादृश्य तो एक साधन मात्र है जिससे सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, 'मड़' शब्द 'तुड़' के सादृश्य पर 'मुड़' हो गया। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि 'मड़' 'तुड़' के सादृश्य के कारण 'मुड़' हो गया, अपितु यह कहना उचित है कि याद रखने की सुविधा के कारण 'तुड़' के आधार पर 'मुड़' बना लिया गया। 'तुड़' का सादृश्य तो आधार या साधन मात्र है; अतः यह कहना अशुद्ध है कि सादृश्य किसी परिवर्तन का कारण है।

सादृश्य की गति—इसकी गति गणित की भाँति है; यथा—

संस्कृत में केवल युग्म शब्दों के लिए द्विवचन का प्रयोग होता था—पादौ, कर्णौ, पितरौ। बाद में विलोम तथा युग्म के लिए भी प्रयोग होने लगा—लाभालाभौ, जयाजयौ। कुछ दिन बाद सादृश्य के आधार पर द्वन्द्व समास वाले शब्दों में भी यही बात आने लगी : सिंह-भृगालौ, राम-लक्ष्मणौ आदि। अंग्रेजी में shall से should और will से would बना तो यहाँ shall और will में 1 होने से, यद्यपि 1 होना अस्वाभाविक नहीं था, पर इसी सादृश्य पर can में 1 न रहते हुए भी could में 1 ला दिया गया। छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखने वाले सादृश्य के आधार पर अधिकतर रूप बना लेते हैं। अंग्रेजी में s लगाकर बहुधा बहुवचन बनाया जाता है। नया विद्यार्थी कभी-कभी उसी सादृश्य पर box से boxes देखकर ox से oxes कर देता है, यद्यपि oxen होना चाहिए। नया हिन्दी सीखने वाला इसी प्रकार मर से मरा, धर से धरा देखकर कर से 'करा' या बैठिए, लिखिए देखकर 'करिए' कह बैठता है, यद्यपि परिनिष्ठित रूप 'किया' और 'कीजिए' हैं।

सादृश्य के कुछ प्रधान कारण—यों तो सुविधा के लिए सादृश्य का सहारा लेना पड़ता है, पर उस सुविधा के भी कुछ विशेष पक्षों की ओर पृथक्-पृथक् संकेत किया जा सकता है—

(क) अभिव्यंजना की किसी कठिनाई को दूर करने के लिए—एक प्रकार के भाव के लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपों के रहते हैं तो कुछ कठिनाई होती है। यदि दोनों को एकवचन का बनाना सम्भव होता है तो जन-मस्तिष्क बना लेता है। 'पूर्वीय' और 'पौरस्त' के रहते हुए भी पाश्चात्य के सादृश्य पर 'पौरात्य' शब्द इसी कारण हिन्दी में आ गया है।

(ख) अधिक स्पष्टता लाने के लिए—यदि रूप बहुत छोटे हों या किसी कारण से अर्थ स्पष्टतः न वहन कर सकते हों तो अन्य शब्दों के आधार पर उनके रूप बना लिये जाते हैं। अंग्रेजी में, ग्रीक 'ism' के आधार पर optimism, socialism ; जर्मन—ard के आधार पर bastard, coward, इटैलियन—sque के आधार पर romanesque, picturesque तथा फ्रेंच—al के आधार पर national, local आदि शब्द बना लिये गये हैं।

(ग) समानता या विपर्यय पर बल देने के लिए—अंग्रेजी before, after लैटिन के antid, postid आदि इसके उदाहरण हैं। संस्कृत में स्वसृ का पंचमी में स्वसुः, मातृ का मातृः, पितृ का पितुः तो ठीक है, पर इस समानता के सादृश्य पर पति का पत्युः रूप चल पड़ा है, यद्यपि पतेः होना चाहिए, जैसा कि कुछ स्थानों पर मिलता भी है। संस्कृत में 'अभ्यन्तर' और 'बाह्य' शब्द थे। अभ्यन्तर से हिन्दी 'भीतर' का बनना तो ठीक था, पर बाह्य से 'बाहर' क्यों बना ? दोनों एक-दूसरे के विपर्यय हैं ; अतः रूप की समानता दे दी गई। इसी विपर्यय पर बल देने के लिए 'निर्गुण' के सादृश्य पर 'सगुण' को मध्ययुगीन काव्य में 'सरगुण' का रूप दे दिया गया है।

(घ) किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम की संगति मिलाने के लिए—कभी-कभी कोई अशुद्ध शब्द चल पड़ता है तो उसे प्राचीन नियम के अनुसार अन्य शब्दों के सादृश्य पर नया रूप दे दिया जाता है। कभी-कभी नवीन नियम के अनुसार भी शब्द बनाये जाते हैं। कुछ लोगों ने हिन्दी के 'इस' प्रत्यय को प्रामाणिक मानकर ऐतिहासिक के स्थान पर 'इतिहासिक' लिखना आरम्भ किया और अब उसके सादृश्य पर समाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक आदि भी प्रयुक्त हो सकते हैं।

(ङ) शीघ्रता, अशुद्धि तथा पाण्डित्य-प्रदर्शन, आदि—इनका प्रभाव प्रायः अस्थायी होता है। शीघ्रता से, असावधानी से या अज्ञानतः अशुद्ध प्रयोग से भी सादृश्य का आगमन हो जाता है। बच्चों

और विभाषियों की भाषा में इसके प्रयोग अधिक मिलते हैं। घोड़ों, लड़कों और घरों के साथ हिन्दी में अनेक का भी 'अनेकों' हो गया है, यद्यपि अनेक स्वयं ही (एक न होने के कारण) बहुवचन है। पांडित्य-प्रदर्शन में भी अशुद्धि कभी-कभी सादृश्य का आधार लेती है। बाहुल्यता, पांडित्यता, आधिक्यता आदि इसके उदाहरण लिये जा सकते हैं।

सादृश्य का आरम्भ—कुर्टियस आदि कुछ विद्वानों का मत था कि सादृश्य का आरम्भ हाल में हुआ है, पर इसके विपरीत व्रील आदि इसे भाषा के आरम्भ के कुछ ही बाद का मानते हैं। यही ठीक भी है। भाषा ही क्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के आरम्भ से ही सादृश्य का आरम्भ हुआ होगा। एक को घर बनाते देख, वैसा ही दूसरे ने बनाया होगा। तीसरे ने जब उससे अधिक उपयोगी बनाया होगा तो अपनी सुविधा के लिए पहले और दूसरे ने भी अपने मकान को तीसरे के आधार पर नया रूप दिया होगा। भाषा के आरम्भ होने पर यही बात भाषा में भी लागू हुई होगी। व्याकरण के सारे नियम 'सादृश्य' के कार्य करने के उपरांत ही समानता देखकर बनाये गये होंगे।

सादृश्य के प्रभाव—

(१) सादृश्य नियम के विरुद्ध पाये जाने वाले अपवादों को दूर करके नियमबद्धता लाता है। अंग्रेजी क्रियाएँ धीरे-धीरे इसी कारण एकरूप होती जा रही हैं।

(२) एक भाषा का दूसरी पर भी प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी वाक्यों का प्रभाव इसी रूप में नेहरू, जैनेन्द्र आदि के वाक्यों पर पड़ा है।

(३) दो जातियों के मिश्रण के बाद जब भाषा का विकास होता है तो वहाँ भी सादृश्य ही काम करके भाषा को दोनों के उपयुक्त बनाता है।

(४) इसके प्रभाव से भाषा आसान होती जाती है। एस्पेरैंतो इसी पर आधारित होने के कारण थोड़े समय में ही सीखी जा सकती है।

सादृश्य का क्षेत्र—भाषाविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख चारों ही शाखाओं में इसका क्षेत्र है। वाक्य में इसका प्रभाव अन्यों से कम मिलता है। अर्थ में भी अधिक नहीं मिलता। पर रूप और ध्वनि में तो इसका प्रधान हाथ है। रूप, ध्वनि तथा अर्थ के प्रकरण में परिवर्तनों के साथ इसका भी कुछ वर्णन किया गया है। अन्त में यह कहना असंगत न होगा कि भाषा के विकास में सादृश्य का प्रधान हाथ है।


(५) ध्रुवाभिमुख नियम (Law of Polarity)—अफ्रीका में भाषाकुलों में प्रधान कुल हैमेटिक है। इस कुल की परिभाषाएँ उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में बोली जाती हैं। इन भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें संज्ञा एकवचन का बहुवचन बनाया जाता है तो उसका लिंग भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात् संज्ञा एकवचन पुल्लिंग का बहुवचन स्त्रीलिंग तथा संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग का बहुवचन पुल्लिंग हो जाता है। इस कुल की एक प्रधान भाषा सोमाली से इस सम्बन्ध में उदाहरण लिये जा सकते हैं। 'होयोदि' (= माँ) स्त्रीलिंग एकवचन का बहुवचन 'होयोइन-कि' (=माताएँ) शब्द वहाँ के व्याकरण में पुल्लिंग है। दूसरी ओर 'लिबाहिड' (= शेर) पुल्लिंग एकवचन का बहुवचन शब्द 'लिबाहिह्यो-दि' (= कई शेर) वहाँ के व्याकरण से स्त्रीलिंग है।

कारण और उसका स्पष्टीकरण—इस प्रकार के कुछ उदाहरण अफ्रीका के दूसरे भाषाकुल 'सेमेटिक' में भी मिलते हैं, पर वे अपवाद हैं और प्रायः हामी (हैमेटिक) के प्रभावस्वरूप हैं। इन भाषाओं के विशेषज्ञ श्री मेनहाफ (Meinof) ने इस विचित्रता का कारण यह बतलाया है कि असंस्कृत मस्तिष्क एक प्रकार के परिवर्तन के साथ दूसरे प्रकार का भी परिवर्तन मान लेता है। वह

दोनों को अलग नहीं कर पाता, अर्थात् एक वचन से दूसरे वचन में जाने में वह मूल लिंग से भी दूसरे में जाना मान लेता है। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को वह संभवतः एक मानता है। इसका पूरा परिचय अगले चित्र और विवरण में दिया जा रहा है। इन भाषाओं में संज्ञाओं के दो वर्ग हैं। प्रथम वर्ग 'व्यक्ति' का है और दूसरा 'वस्तु' का। व्यक्ति-वर्ग 'जीवित' और वस्तु-वर्ग 'मृत' माना जाता है। साथ ही, व्यक्ति-वर्ग की संज्ञाएँ 'सबल' और 'बड़ी' मानी जाती हैं और दूसरी ओर वस्तु-वर्ग की संज्ञाएँ 'निर्बल' और 'छोटी'। इसके साथ ही एक और विचार है। वे लोग व्यक्ति-वर्ग की संज्ञाओं को कर्ता या करनेवाला मानते हैं और वस्तु-वर्ग को 'वह जिस पर कुछ किया जाय।' प्रथम वर्ग की संज्ञाएँ पुल्लिंग हैं और जैसा कि ऊपर कहा गया है, 'व्यक्तित्व', 'जीवन', 'सबलता', 'बड़ा होना' और 'कर्ता' आदि उनकी प्रधानताएँ हैं। इसके उल्टे दूसरे वर्ग की संज्ञाओं की 'वस्तुत्व', 'अजीवन', 'निर्बलता', 'छोटी होना' तथा 'अकर्ता' आदि विशेषताएँ हैं।

प्रोफेसर मेनहाफ़ द्वारा बनाया गया चित्र

[ऊपर की कही बातें इस चित्र से स्पष्ट की जा सकती हैं। चित्र में ऊपर और नीचे तीर द्वारा वचन-परिवर्तन दिखाया गया है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वचन के परिवर्तन होने पर संज्ञा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चली जाती है; अतः उसमें सभी उलटी बातें (यदि एकवचन में संज्ञा पुल्लिंग, व्यक्ति, सबल और कर्ता आदि थीं तो बहुवचन में (ऊपरी तीर) स्त्रीलिंग, वस्तु, निर्बल तथा अकर्ता आदि) आ जाती हैं।]



(४) एसपेरैंतो (Esperanto)—एक विश्वभाषा के निर्माण के लिए कितने ही लोगों ने प्रयास किये, पर इस सम्बन्ध में सबसे सफल और स्तुत्य प्रयास डॉक्टर एल० एल० जमेनहाफ़ (Zamenhof) का है। आप बहुत ही बड़े भाषाविज्ञान-विशारद थे। यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को लिख, पढ़ और बोल सकते थे। आपने अपना पूरा जीवन इस कृत्रिम विश्वभाषा एसपेरैंतो के लिए लगाया।

आरम्भ और प्रचार—सर्वप्रथम सन् १८८७ ई० में डॉक्टर महोदय ने इस अभूतपूर्व भाषा को विश्व के समक्ष रखा। पहले तो लोग इसकी ओर आकर्षित न हो सके, पर शीघ्र ही इसकी उपयोगिता और महत्ता समझ में आने लगी और यूरोप के बड़े-बड़े विद्वान् इसकी प्रशंसा करने लगे। प्रचारार्थ एक इसी नाम की संस्था भी खुली। लीग ऑव नेशन्स ने सभी राष्ट्रों से इसके लिए कहा और यह भी अनुरोध किया कि स्कूलों में इसका पढ़ाया जाना आरम्भ हो। सन् १९२५ में अन्तर्राष्ट्रीय

टेलिग्राफिक संघ ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और इसे बहुत ही स्पष्ट भाषा कहा। दो वर्ष बाद सन् १९२७ में संसार के ४४ प्रधान रेडियो-स्टेशनों से इसके वियय में और इस भाषा में भाषण दिये गये। दिल्ली में भी इसे पढ़ाने का प्रबन्ध है।

एसपेरैतो का साहित्य—इसमें कुछ मौलिक पुस्तकें भी लिखी गईं, पर अनूदित पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक है। सब मिलाकर लगभग चार हजार पुस्तकें और बहुत-सी पत्रिकाएँ हैं। अनूदित पुस्तकों में बाइबिल का अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका साहित्य दिन-पर-दिन बढ़ रहा है। अभी निकट भूत में एसपेरैतो भाषा में १०० से भी अधिक पत्रिकाएँ निकलती रही हैं।

कमी—इस भाषा की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह जीवित भाषा नहीं है और न तो इसका स्वाभाविक विकास ही हुआ है। यदि किसी राष्ट्र या क्षेत्र की यह मातृभाषा होती तो इसका प्रचार और अधिक तेजी से होता और इसके सर्वमान्य होने की भी संभावना होती। उपर्युक्त कमी के कारण ही सरल, उपयोगी और स्तुत्य भाषा होने पर भी अभी तक विश्व क्या किसी एक देश की भी भाषा बनने में एसपेरैतो सफल न हो सकी।

व्याकरण, लिपि और शब्द-समूह—स्वयं एसपेरैतो शब्द लैटिन के एक शब्द से बना है और इसका अर्थ 'आशापूर्ण' है। डॉ० जमेनहाफ ने इसकी बनाने में बहुत-सी भाषाओं के व्याकरणों का विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण के आधार पर इस भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने सोलह नियम बनाये जिन्हें कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी आघे घन्टे में पूर्णतः समझ सकता है। इसके व्याकरण में सादृश्य (analogy) का बहुत बड़ा हाथ है। वाक्य-रचना की दृष्टि से यह अश्लिष्ट-योगात्मक भाषा है। तुर्की की भाँति इसमें भी सम्बन्धतत्त्व बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। उदाहरणार्थ—कैट (kat) = बिल्ली; इन (in) = स्त्रीलिंग का चिह्न; इड (id) = बच्चों का चिह्न; एट (et) = छोटे का चिह्न; ओ (o) = संज्ञा का चिह्न।

इनके योग से—

एक बिल्ली (स्त्री०) कैट-इन-ओ (Kat-in-o)

एक बिल्ली का बच्चा=कैट-इड-ओ (Kat-id-o)

एक छोटी बिल्ली (स्त्री०) का बच्चा = कैट-इन-एट-इड-ओ (Kat-in-et-id-o)

इसी प्रकार, सभी शब्दों को पद बनाने के लिए केवल प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपवाद नहीं मिलते। इसी कारण एक सप्ताह में ही पढ़कर यह बोली जा सकती है। इसकी लिपि रोमन है, पर अंग्रेजी की भाँति इसमें पढ़ने की कठिनाई नहीं। निश्चित नियम के अनुसार जो कहा जाता है, वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। शब्द-समूह विशेषतः भारोपीय है। शब्द धातु पर आधारित है। इन धातुओं में आधी से भी अधिक लैटिन भाषा से ली गई हैं और शेष में आधी से कुछ अधिक ट्यूटानिक भाषाओं की हैं। बाकी लगभग १० प्रतिशत धातुएँ अन्य भाषाओं की हैं।

इडो (Ido) : एक शाखा

बीसवीं सदी के आरम्भ में कुछ लोग एसपेरैतो में कुछ परिवर्तन के पक्षपाती हो गये, पर जब इसके प्रधान लोगों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया तो नये लोग (इन लोगों में प्रधान कांटुरट (Conturat) महोदय थे) एक नवीन, परिवर्तित और अधिक उपयोगी तथा सरल भाषा को जन्म देने की बात सोचने लगे। इसी ध्येय से इस भाषा को और अधिक लचीला, वैज्ञानिक, सरल और

स्वाभाविक बनाकर सन् १९०७ में 'इडो' नाम से नवीन भाषा की स्थापना की गई। 'इडो' शब्द स्वयं एसपेरैतो भाषा का है जिसका अर्थ 'बच्चा' या 'जन्मा हुआ' है। एसपेरैतो में जो कुछ कठिनाइयाँ थीं, इडो में नहीं हैं; अतः यह विश्व-भाषा होने के लिए अधिक उपयोगी है। पर, इन दोनों ही में कोई भी विश्वभाषा हो सकेगी, यह विषय संदेहास्पद है। सत्य तो यह है कि किसी भी कृत्रिम भाषा को यह स्थान प्राप्त हो सकेगा, यह कहना कठिन है।

(५) आइसोग्लास (Isoglass)—किसी भाषा या बोली में कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ विशिष्ट शब्दों का या किसी एक शब्द का प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही होता है। भाषा या बोली के नक्शे में विशिष्ट शब्द के प्रयोग-स्थलों को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है, उसे आइसोग्लास कहते हैं। भाषा के नक्शों में शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग आइसोग्लास का प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थ में करते हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार आइसोग्लास उन रेखाओं को कहते हैं जो किसी भाषा या बोली के क्षेत्र में भाषा-सम्बन्धी किसी भी विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए खींची जायें।

(६) आइसोफोन (Isophone)—जब किसी भाषा या बोली के क्षेत्र में ध्वनि-सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ कुछ विशिष्ट स्थलों पर ही होती हैं तो नक्शे में उनको एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इन रेखाओं को ध्वनिरेखा या आइसोफोन कहते हैं। आइसोग्लास की विस्तृत परिभाषा के अनुसार आइसोफोन भी एक प्रकार का आइसोग्लास है।

(७) ध्वन्यात्मक शब्द (Onomatopoeic या Onomatopoeic Word)—किसी वस्तु या प्राणी की ध्वनि के अनुकरण पर जो शब्द बना लिये जाते हैं, उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। प्रायः सभी भाषाओं में ऐसे बहुत-से शब्द होते हैं। इसी आधार पर 'भाषा का आरम्भ' मानने का एक सिद्धान्त है जो अब व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। इन शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी के कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं—धड़धड़, छलछल, कलकल, भड़भड़, इत्यादि। भारतीय आर्यभाषा के इतिहास में साधारण भाषा में इसका प्रयोग मध्यभारतीय आर्यभाषा-काल के तृतीय चरण के पूर्व प्रायः कम मिलता है। संसार में कुछ ऐसी भी भाषाएँ (जैसे अमेरिका की मैकेजो नदी के किनारे रहने वाली असभ्य जाति अथबस्कन की भाषा) हैं जिनमें इस प्रकार के शब्द बिल्कुल नहीं हैं।

(८) प्रतिध्वन्यात्मक शब्द (Echo-word)—आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में इनका प्रयोग मिलता है। अभी तक ये साधारणतया बोलचाल में ही विशेष प्रयुक्त होते हैं। साहित्य में इनको स्थान कम ही मिला है। पर, ज्यों-ज्यों जनभाषा का साहित्य पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, साहित्य में भी इनके प्रयोग की अधिक संभावना है। इनमें किसी शब्द की ध्वनि के अनुकरण पर दूसरा शब्द बनाकर उसी के साथ प्रयुक्त करते हैं। इसका अर्थ साधारणतया 'इत्यादि' होता है। जैसे 'राम ओम' में 'ओम' का अर्थ इत्यादि है। इसी प्रकार पानी-वानी, खाना-वाना, रुपया-उपया। मराठी (घोडा-वोडा), बंगला तथा गुजराती आदि में भी इसका प्रयोग मिलता है। प्रतिध्वन्यात्मक शब्द केवल सजा शब्दों के आधार पर ही नहीं बनते; 'जाना-वाना' आदि क्रियाओं के उदाहरण भी लिये जा सकते हैं।

(९) मैलाप्रापिज्म (Malapropism)—सुन्दर तथा बड़े शब्दों के प्रयोग की लालच से शब्दों का अनुचित प्रयोग करना मैलाप्रापिज्म कहलाता है। इसका नाम शेरिडान की पुस्तक 'दी राइवल्स' (The Rivals) के एक पात्र श्रीमती 'मैलाप्राप' पर आधारित है जिन्होंने इस प्रकार के बहुत प्रयोग

किये हैं। आज हिन्दी में भी ऐसे प्रयोग बहुत हो रहे हैं। लोग उपसर्गों का मनमाना प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान के स्थान पर परिज्ञान, कान्ति के स्थान पर उत्क्रान्ति, संधि के स्थान पर अभिसंधि इत्यादि अनेक उदाहरण लिये जा सकते हैं जिनके अर्थ यथार्थतः कुछ दूसरे ही हैं।

(१०) आधार-सिद्धान्त (Substratum Theory)—जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह (जाति या देश) अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखता है तो नवीन भाषा पर अपनी भाषा के उच्चारण तथा प्रयोग-विषयक अनेक गुण आरोपित कर देता है। उसके सुर, बल आदि अपनी पुरानी भाषा के ही रहते हैं। इन सब कारणों से वह नवीन भाषा को कुछ परिवर्तित करके ग्रहण करता है। इसी को आधार सिद्धान्त कहते हैं। शब्द-समूह में भी यह सिद्धान्त देखा जाता है। आधार-सिद्धान्त का प्रभाव—भाषा के परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जितनी ही कोई भाषा विभाषियों द्वारा प्रयुक्त होगी, उसमें विभाषी की मातृभाषा के आधार पर सीखने के कारण परिवर्तन आते जायेंगे। बोलियों के बनने में भी इसका बड़ा हाथ है। एक भाषा जब विभिन्न वर्गों द्वारा ग्रहण की जाती है तो आधार-सिद्धान्त प्रत्येक स्थान पर काम करता है और स्थानानुसार भाषा में परिवर्तन आ जाता है। लैटिन भाषा को गाल और स्पेनी लोगों ने अपनाया और एक ही लैटिन भाषा आधार-सिद्धान्त के कारण (यद्यपि कुछ अन्य कारण भी साथ-साथ काम कर रहे थे) स्पेनिश और फ्रेंच दो बोलियों में परिणत हो गई, जो आज स्वतन्त्र भाषाएँ बन गई हैं। प्रथम जर्मन वर्ण-परिवर्तन आधार-सिद्धान्त के ही कारण घटित हुआ कहा जाता है। अंग्रेजी की ट, ड, थू आदि ध्वनियाँ हिन्दी से भिन्न हैं, पर यहाँ वे ट, ड, थू हो गई हैं। हमने अंग्रेजी को अपने आधार पर सीखा है, इसी कारण हमारे उच्चारण को न तो जल्दी से अंग्रेज समझ सकता है और न तो उसके उच्चारण को हम। येस्पर्सन आदि कुछ विद्वान् तो भाषा के विकास में आधार-सिद्धान्त को बहुत ही महत्त्वपूर्ण और बलशाली बतलाते हैं।

(११) पिजिन और क्रियोल—कभी-कभी ऐसा होता है कि दो भाषाभाषी समुदाय साथ-साथ रहने लगते हैं और दोनों भाषाओं का एक मिश्रित रूप विकसित हो जाता है। दोनों ही अपनी भाषा की शुद्धता के प्रति आग्रही न होकर विचार-विनिमय की आवश्यकता की दृष्टि से ऐसी मिश्रित भाषा का प्रयोग करने लगते हैं जिसमें एक भाषा तो प्रायः आधार भाषा (भा^१) का काम करती है और दूसरी प्रभावक भाषा (भा^२) का, किन्तु जो भाषा इस प्रकार विकसित होती है, वह न तो शुद्ध भा^१ होती है और न शुद्ध भा^२। वह वास्तव में भा^१ का भा^२ से प्रभावित रूप होती है। यह प्रभाव भी दो प्रकार का हो सकता है—आंशिक तथा पूर्ण। आंशिक प्रभाव ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ किसी एक, दो, तीन या चार क्षेत्रों में होता है, किन्तु पूर्ण प्रभाव पाँचों क्षेत्रों में। इस प्रकार प्रभाव से बनी भाषा पिजिन^१ (Pidgin) भाषा कहलाती है। 'पिजिन' शब्द मूलतः अंग्रेजी शब्द 'business' है। जब अंग्रेज व्यापार करने चीन पहुँचे तो अंग्रेजी-चीनी के मिश्रण (आधारभाषा अंग्रेजी, प्रभावक भाषा चीनी) से एक विशेष प्रकार का अंग्रेजी का विकास हुआ। यह भाषा मूलतः 'बिजिनिस' अर्थात् व्यापार में प्रयुक्त होती थी, अतः 'बिजिनिस इंगलिश' कहलायी। यह 'बिजिनिस' शब्द चीनी उच्चारण में 'पिजिन' हो गया; अतः वहाँ 'बिजिनिस इंगलिश' (Pidgin English) कहने लगे। बाद में इस

१. नवई में मराठी भाषी लगभग ४२ प्रतिशत, गुजराती भाषी लगभग १८ प्रतिशत, हिंदी भाषी लगभग १० प्रतिशत तथा कोंकणी-तमिल-बंगला आदि भाषी शेष ३० प्रतिशत हैं।

प्रकार विकसित किसी भी भाषा को 'पिजिन भाषा' कहा जाने लगा। हिंदी में इसे 'मिश्रित भाषा' नहीं कह सकते, क्योंकि 'मिश्रण' में केवल मिलने का भाव है, एक के आधार भाषा तथा दूसरी के प्रभावक भाषा होने का नहीं। इसलिए हिंदी में अंग्रेजी से 'पिजिन' शब्द ले लेना उचित समझा गया है।

'पिजिन भाषा' के बनने में भा^१ बहुप्रचलित, व्यापक या किसी भी कारण अधिक महत्वपूर्ण भाषा होती है तथा भा^२ ऐसी नहीं होती। कलकत्ते में 'कलकतिया हिंदी' इसी प्रकार की पिजिन हिंदी है जिसमें भा^१ हिंदी है और भा^२ बंगला। 'बंबइया हिंदी' भी ऐसी ही है जिसमें भा^१ हिन्दी है और भा^२ मराठी। इस प्रकार 'बंबइया हिंदी' में जगदंबाप्रसाद दीक्षित ने एक पूरा उपन्यास 'मुरदाघर' लिख डाला है। बंबइया हिंदी तथा कुछ अन्य से कुछ उदाहरण हैं।

(क) ध्वनि—हिंदी में महाप्राण ध्वनियाँ आदि, मध्य, अंत तीनों स्थितियों में आती हैं, किंतु मराठी में प्रायः मध्य और अंत का महाप्राण अल्पप्राण हो जाता है। इसलिए बंबइया हिंदी में 'हाथ' को 'हात' तथा 'झूठा' को 'झूटा' कहते हैं। स्पष्ट ही शब्द हिंदी के हैं, किंतु उच्चारण में मराठी ध्वनि-व्यवस्था से प्रभावित हैं। कहीं-कहीं गुजराती^१ का भी प्रभाव है। जैसे हिंदी 'सेठ' बंबइया हिंदी में 'शेट' हो गया है जो मराठी और गुजराती दोनों में चलता है।

(ख) शब्द—'वेतन' या 'तनख्वाह' के स्थान पर 'पगार' बंबइया हिंदी का बहुप्रचलित शब्द है जो मराठी से आया है। ऐसे ही कलकतिया हिंदी में बंगला के बहुत सारे शब्द आ गये हैं।

(ग) ऐसे ही रूप-रचना तथा वाक्य-रचना भी प्रभावित होती है।

(घ) अर्थ—इस क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है। बंबइया हिंदी में 'कहना' और 'बोलना' दोनों के स्थान पर 'बोलना' के प्रयोग से बोलना के अर्थ में विस्तार हो गया है।

यह ध्यान देने की बात है कि पिजिन भाषा में कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी भी विकसित हो जाती हैं जो मूलतः दोनों भाषाओं में किसी में भी नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, बंबइया हिंदी से 'क्या किया मैं' किंतु मराठी 'मी काय केले' तथा हिंदी 'मैंने क्या किया।' स्पष्ट ही प्रथम वाक्य का पदक्रम नया है, न मराठी का, न हिंदी का।

पिजिन भाषा में प्रभाव के अतिरिक्त सरलीकरण की भी प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए बंबइया हिंदी में 'लूंगा' को 'लेऊंगा' तथा 'दूंगा' को 'देऊंगा' कहते हैं। यह मराठी-प्रभाव नहीं है, बल्कि सादृश्य (करूंगा, आऊंगा) के आधार पर सरलीकरण है।

जब तक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो होता रहे, किंतु किसी की वह मातृभाषा नहीं बनती, पिजिन भाषा कहलाती है। किंतु यदि वह किसी क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाय, बच्चा उसे मातृभाषा के रूप में ग्रहण करने लगे, तो उसे क्रियोल (Creole) कहते हैं। यह शब्द मूलतः लैटिन का है तथा मूलार्थ है 'बनाया हुआ'। फ्रेंच से होता यह शब्द अंग्रेजी में आया है। इस प्रकार के प्रभावी मिश्रण से बनी या बनायी गई भाषा को क्रियोल नाम उचित ही दिया गया है।

'पिजिन' और 'क्रियोल' में अंतर है—(क) पिजिन के प्रयोक्ताओं की मूल भाषाएँ कुछ और होती हैं, किंतु क्रियोल के बोलने वालों की मूल और मातृभाषा वही होती है। (ख) इस तरह क्रियोल का तो निश्चित भाषा-समुदाय होता है, किंतु पिजिन का नहीं। (ग) क्रियोल का अपना सुनिश्चित भाषाक्षेत्र होता है जहाँ की वह मातृभाषा होती है, किंतु पिजिन का कोई ऐसा क्षेत्र संभव नहीं। (घ) पिजिन भाषा की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, किंतु क्रियोल की होती है। (ङ) पिजिन

भाषा के मानकीकरण का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, किन्तु क्रियोल का उठाया जा सकता है। (घ) पिजिन की व्यवस्थित शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं, किन्तु क्रियोल की होती है। (ङ) अंततः सच्चे अर्थों में पिजिन कोई सुनिश्चित भाषा नहीं होती, भाषा-रूप होता है, किन्तु क्रियोल सुनिश्चित भाषा होती है।

पिजिन भाषा के रूप में चीनी पिजिन अंग्रेजी, मलेशियन पिजिन अंग्रेजी, बंबइया हिंदी तथा कलकत्तिया हिंदी आदि का नाम लिया जा सकता है, तो क्रियोल रूप में कैलीफोर्निया की गुलाह (Gulah) अंग्रेजी तथा मॉरीशस की हैशियन (Hatian) फ्रांसीसी का।

(१२) प्रयुक्ति (Register) — जब किसी भाषा का प्रयोग विभिन्न विषयों में होता है तो उसके तरह-तरह के रूप विकसित हो जाते हैं जिन्हें प्रयुक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, बोलचाल की हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, कार्यालयी हिन्दी, व्यापारी हिन्दी, खेलकूद की हिन्दी, हिन्दी की कुछ मुख्य प्रयुक्तियाँ हैं।

भाषा-परिवर्तन : स्वरूप और प्रवृत्तियाँ^१

परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, वर्ग हो या समाज, कोई व्यवस्था हो या संस्था, सभी में परिवर्तन होते रहते हैं और भाषा भी इसका अपवाद नहीं। भाषा का प्रयोक्ता व्यक्ति और उसका समाज परिवर्तित होता रहता है; अतः उसके साथ-साथ उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। भाषा में परिवर्तन ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य तथा अर्थ इन पाँच स्तरों पर होता है—

स्तर	परिवर्तन
ध्वनि	(क) ध्वनि-परिवर्तन (Sound-change) (ख) स्वन प्रक्रिया-परिवर्तन (Phonological change)
शब्द	शब्द-समूह — परिवर्तन (Change in Vocabulary)
रूप	(क) रूप-परिवर्तन (Change in Morph) (ख) रूप-प्रक्रिया-परिवर्तन (Morphological change)
वाक्य	वाक्य-रचना-परिवर्तन (Syntactic change)
अर्थ	अर्थ-परिवर्तन (Sematic change)

स्वरूप

जहाँ तक भाषा-परिवर्तन के स्वरूप का प्रश्न है, वह प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए यदि ध्वनि के स्तर पर परिवर्तन में लोप, आगम, विपर्यय आदि आता है तो अर्थ-परिवर्तन में संकोच, विस्तार, आदेश आदि। इसीलिए यहाँ उपर्युक्त सभी स्तरों पर घटित होने वाले परिवर्तन अलग-अलग लिये जा रहे हैं—

(१) ध्वनि-परिवर्तन— पीछे 'ध्वनि-विज्ञान' शीर्षक अध्याय में लोप (जैसे स्थाली से थाली), आगम (जैसे पूर्व से पूरब), विपर्यय (जैसे वाराणसी से बनारस), समीकरण (जैसे चक्र से चक्कर),

— १. इस विषय में सम्बद्ध अनेकानेक बातें पुस्तक में अन्यत्र आ चुकी हैं। यहाँ उन्हें संक्षेप में एक स्थान पर अलग से लिया जा रहा है।

स्वतः अनुनासिकता (जैसे सर्प से साँप), ह्रस्वीकरण (जैसे आभीर से अहीर), दीर्घाकरण (जैसे दुग्ध से दूध), घोषीकरण (जैसे कंकण से कंगन) तथा महाप्राणीकरण (शुष्क से सूखा) रूप में ध्वनि-परिवर्तन के विभिन्न रूपों पर विचार किया जा चुका है। इन परिवर्तनों के पीछे मुख-सुख, भ्रामक व्युत्पत्ति तथा सादृश्य जैसे अनेक कारण काम करते हैं जो यथास्थान दिये गये हैं।

(२) स्वनप्रक्रिया-परिवर्तन—जैसा कि हमने देखा, ध्वनि-परिवर्तन में किसी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, किन्तु स्वनप्रक्रियात्मक परिवर्तन में भाषा की स्वनिम व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में स, श, ष तीन अलग-अलग स्वनिम थे। प्राकृतों में आकर परिवर्तन हुआ। कुछ प्राकृतों (जैसे नीय) में तो ये तीनों रहे, किन्तु एक तरफ मागधी में केवल एक 'श' रहा (विष के लिए विश तथा 'दस' के लिए 'दश' तथा 'सार' के लिए 'शार') तो दूसरी ओर शौरसेनी प्राकृत में केवल 'स' रहा ('विष' के लिए 'बिस', 'दश' के लिए 'दस' तथा 'सार' के लिए 'सार')। इस तरह मागधी में भी कुछ स्वनिमों में दो की कमी हो गई तथा शौरसेनी में भी। अर्थात् इन दोनों की ध्वनि-व्यवस्था या स्वनिम-व्यवस्था में बदलाव आया।

इसी तरह हिन्दी में बहुत सारे शब्द हमने लगभग मूल रूप से फ़ारसी तथा अंग्रेजी से लिये तो सुशिक्षित हिन्दी भाषियों की स्वनिम-व्यवस्था बदली, क्योंकि छह नये स्वनिम (क, ख, ग, ज, फ़, ऑ) हिन्दी भाषा में आ गये। कहना न होगा इन छहों के न्यूनतम विरोधी युग्म उपलब्ध हैं—

ताक (देख)	—ताक	(दीवाल का आला)
खाना (भोजन)	—खाना	(अलमारी या मेज का)
बाग (घोड़े की)	—बाग	(फलों की)
राज (राज्य)	—राज	(रहस्य)
फन (साँप का)	—फ़न	(हुनर)
काफ़ी (पर्याप्त)	—कॉफ़ी	(एक पेय)

इस प्रकार इस निश्चित समुदाय अर्थात् सुशिक्षित लोगों की हिन्दी की स्वनिम-व्यवस्था बदल गई। इधर स्वतंत्रता के बाद जब से हिन्दी वालों की हिन्दी के लिए उर्दू अनिवार्य विषय नहीं रही, क्र का प्रयोग समाप्त-सा हो गया तथा अब इन छह में केवल ख, ग, ज, फ़, ऑ ही स्वनिमिक हैं तथा इनमें भी लगता है कि आगे चलकर ज तथा फ़ ही रह जायेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्दों में भी हैं। शेष ख, ग निकल जायेंगे।

इस तरह स्वनप्रक्रियात्मक परिवर्तन मुख्यतः दो रूपों में होता है—

(क) पुराने स्वनिम का लोप (जैसे हिन्दी में प का)

(ख) नये स्वनिम का आगम (जैसे हिन्दी में क, ख, ग, ज, फ़, ऑ का)

यों यदि गहराई से देखें तो कुछ और प्रकार के परिवर्तन भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्दों के बीच के 'ट' हिन्दी में आकर 'ड़' हो गये—

घोटक—घोड़ा

घोटिका—घोड़ी

घटिका—घड़ी

इस तरह जहाँ संस्कृत में 'ड' का मुख्य उपस्वन 'ड' ही था, वहाँ हिन्दी में 'ड़' भी हो गया—

(ङ) (ङ) स्वरो के मध्य में तथा शब्दांत में (घोड़ा, पहाड़)

(इ) अन्यत्र (डाल, गड़्डी, बुड़्ढा)

अब यदि अंग्रेजी के सोडा, रोड, रेडियो-जैसे शब्दों को हिन्दी का अंग मान लें तो घोड़ा-सोडा, मोड़-रोड जैसे शब्द उपन्यूनतम विरोधी युग्म हैं। ऐसी स्थिति में 'डू' को हिन्दी का अलग स्वनिम मानने की स्थिति है।

(३) शब्द-समूह-परिवर्तन—पीछे शब्दविज्ञान शीर्षक अध्याय में पुराने शब्दों का लोप तथा नये शब्दों के आगम रूप में इसके स्वरूप पर विचार किया जा चुका है। इनके पीछे जो कारण काम करते हैं, वे भी वहाँ दिये गये हैं।

(४) रूप-परिवर्तन—पीछे रूपविज्ञान शीर्षक अध्याय में रूप-परिवर्तन की दिशाओं के रूप में रूप-परिवर्तन के स्वरूप पर विचार किया गया है। साथ ही रूप में परिवर्तन लाने वाले कारण भी वहाँ दिये गये हैं।

(५) रूपप्रक्रिया-परिवर्तन—हिन्दी में 'स्वनप्रक्रिया' का प्रयोग किसी भाषा के स्वनिमों तथा उपस्वनों की व्यवस्था के लिए 'अंग्रेजी 'फोनॉलजी' के अर्थ में चलता है। उसी आधार पर यहाँ रूपिनों तथा उपरूपों की व्यवस्था के लिए 'रूपप्रक्रिया' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत से हिन्दी के विकास पर दृष्टि डालें तो रूप-प्रक्रिया-परिवर्तन के कई रोचक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में 'जाना' अर्थ में 'या' और 'गम्' दो धातुएँ थीं। हिन्दी के गया, गयी, गये रूप संस्कृत 'गम्' के रूप से ही विकसित हैं तथा जाता, जाया आदि या के रूप से। अब हिन्दी में एक ही धातु 'जा' से ये सभी रूप (गया, जाया, जाता, जाओ, जाये आदि) बने माने जाते हैं। इस तरह मूल व्यवस्था बदल गई है। ऐसे ही अंग्रेजी में go का भूतकाल का रूप went माना जाता है जब कि वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी की एक पुरानी धातु wend का यह भूतकाल है। यह wend धातु अब प्रयोग में नहीं है। ऐसे ही पहले हिन्दी उत्तम पुरुष एकवचन के रूप मैं, मुझ, मेर् (मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा आदि) इन तीन पर आधारित थे। अब नयी पीढ़ी में तथा मेर् (मेरे को, मेरे से) से ही सभी रूप बनाने लगी है तथा 'मुझ' एवं उसके रूप हिन्दी सर्वनाम की रूप-व्यवस्था से निकलते जा रहे हैं।

स्पष्ट ही ऐसे परिवर्तनों का कारण कुछ (शब्द या धातु) का लोप है। एक में कल्पित धातु 'ग' (जिससे मूलतः 'गया' बना है) का लोप हो गया है तो दूसरे में wend का तथा तीसरे में 'मुझ' का। ऐसे ही 'तुझ' के लोप से तेरे को, तेरे से जैसे रूपों का विकास हो गया है।

(६) वाक्य-परिवर्तन—वाक्य-परिवर्तन या वाक्य-रचना में परिवर्तन पर पीछे वाक्यविज्ञान शीर्षक अध्याय में विचार किया गया है। साथ ही कारण भी दिये गये हैं।

(७) अर्थ-परिवर्तन—पीछे अर्थविज्ञान शीर्षक अध्याय में अर्थ-परिवर्तन के स्वरूप (दिशाएँ शीर्षक से) तथा इन परिवर्तनों के कारणों पर विचार किया गया है।

प्रवृत्तियाँ

भाषा-परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ यों तो प्रत्येक भाषा में अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, मध्यकाल में फारसी से काफ़ी शब्द हिन्दी में आये तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी से भी आये और इन सबका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के स्वरूप में कुछ की वृद्धि हो गई—क, ख, ग, ज, फ, ऑ। किन्तु इस प्रकार के शब्द भारत की अन्य भाषाओं में भी आए हैं, यद्यपि किसी में भी ये कुछ नये स्वनिम नहीं बढ़े हैं। यों प्रत्येक भाषा की इस तरह की परिवर्तन की विशिष्ट प्रवृत्तियों के बावजूद कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी होती हैं जिन्हें भाषा-परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्तियाँ कहा जा सकता है। यहाँ उनमें कुछ

प्रमुख को संक्षेप में लिया जा रहा है—

(१) सरलीकरण—प्रायः भाषा परिवर्तन के प्रवाह में पड़कर कई दृष्टियों से सरल हो जाती है। उदाहरण के लिए, उच्चारण की दृष्टि से 'चन्द्र' का चाँद, 'कम्पन' का कौपना, 'दुग्ध' का दूध, कनो (Know) को नो (उच्चारण में), प्साइकालजी (Psychology) का साइकॉलोजी (उच्चारण) इसी कहानी को दुहरा रहे हैं। इन सभी में परिवर्तन के कारण संयुक्त व्यंजन के स्थान पर मूल व्यंजन शेष रह गये हैं जिनसे उच्चारण में आसानी हो गई है। ऐसे ही कभी-कभी विपर्यय से भी उच्चारण सरल हो जाता है: चिह्न का चिन्ह, ब्राह्मण का ब्राम्हण। बड़े शब्द का छोटा रह जाना (नेकटाई-टाई, बाइसाइकिल-साइकिल) या बड़े वाक्य की तुलना में छोटे के प्रयोग (राम नहीं जाता है—राम नहीं जाता) में भी सरलता की ही प्रवृत्ति दीखती है।

(२) वियोगात्मकता—संयोगात्मक भाषाएँ धीरे-धीरे परिवर्तन के कारण वियोगात्मक होती जाती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत 'रामस्य' के स्थान पर हिन्दी 'राम का', 'पर्वत' के स्थान पर 'पर्वत पर', 'रामो गच्छति' के स्थान पर 'राम जाता है' के प्रयोग में वही प्रवृत्ति दीखती है।

पुरानी अनेक भाषाओं जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में द्विवचन भी थे, किन्तु उनके स्थान पर उन्हीं से विकसित हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में द्विवचन में संयोगात्मक रूप अब नहीं रहे तथा उनके स्थान पर वियोगात्मक रूपों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत 'बालकी' के स्थान पर हिन्दी में 'दो बालक' या 'घांटकी' के स्थान पर 'दो घोड़े'। इस तरह वियोगात्मकता भी उल्लेख्य प्रवृत्ति है।

(३) पृथकीकरण—परिवर्तन से भाषा में पृथक्-पृथक् रूप विकसित होते जाते हैं। उदाहरण के लिए परिवर्तन से ही संस्कृत से धीरे-धीरे पाँच-छह प्राकृतें विकसित हुईं तथा उनसे फिर धीरे-धीरे सात-आठ आधुनिक आर्यभाषाएँ—हिन्दी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमी। इस तरह किसी भी भाषा में परिवर्तन होते-होते उसकी कई बोलियाँ विकसित हो जाती हैं तथा फिर धीरे-धीरे वे बोलियाँ अलग-अलग भाषाएँ बन जाती हैं। इस रूप में विश्व में भाषाओं के परिवार वस्तुतः परिवर्तन के ही परिणाम हैं। आज मूलतः लगभग तेरह-चौदह मूल भाषाओं से विश्व में कुल लगभग तीन हजार भाषाएँ और बोलियाँ भाषा-परिवर्तन के कारण ही विकसित हुई हैं।

(४) विशदीकरण—प्रायः शब्द-समूह के क्षेत्र में परिवर्तन से एक तरफ तो पुराने शब्द लुप्त होते हैं, दूसरी ओर नये शब्द आते हैं। इनमें लुप्त होने वाले शब्द तो थोड़े होते हैं तथा आने वाले शब्द ज्यादा। हिन्दी का शब्द-भंडार १६३०-४० के आसपास २००-२५० हजार था। अब हिन्दी (यदि सभी विषयों को मिलाकर देखें तो) दो लाख से ऊपर शब्दों का प्रयोग कर रही है। इस तरह भाषा के शब्द-भंडार में विशदता आती जाती है। वस्तुतः चूँकि प्रायः सभी भाषाभाषियों की अभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ धीरे-धीरे बढ़ती हैं, अतः उनके अनुरूप भाषा में नये शब्दों के आगमन तथा नयी-नयी प्रयुक्तियों के विकास से विशदता आती जाती है।



